

**DUE DATE SLIP**  
**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

# मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनियमय

तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

(Money, Banking, Foreign Exchange, and  
International Trade)

(बी० कॉम अर्थशास्त्र के स्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार)

८  
लेखक

प्रो० आनन्द स्वरूप गांगौ एम० ए०  
अर्थशास्त्र-विमाण, मेरठ कॉलिज, मेरठ  
अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, अर्थशास्त्र की रूप-रेखा, चारित्र्य अर्थशास्त्र की  
रूप-रेखा, प्र० यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्र की रूप-रेखा,  
मुद्रा तथा बैंकिंग की रूप-रेखा, भारतीय  
अर्थशास्त्र की रूप-रेखा, अर्थशास्त्र  
प्रवेशिका आदि के  
रचयिता।

---

पूर्णतया परिवर्द्धित एवं संशोधित तृतीय संस्करण १९६०

---

प्रकाशक

राजहंस प्रकाशन सन्दर्भ

सुभाष याज्ञार, मेरठ, (पू० पी०)

## लेखक को कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ

१. मुद्रा, बैंकिंग विदेशी विनियम, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय माय-तृतीय सस्करण १९६०—आगरा, विक्रम तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों के बी० प्र० भृत्यशास्त्र के विद्यार्थियों के लिये ।
२. मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनियम, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राजस्व—तृतीय सस्करण १९६०—आगरा, विक्रम तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य सभी विश्वविद्यालयों के बी० ए० कॉम्स के विद्यार्थियों के लिये ।
३. मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनियम तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार—तृतीय सस्करण १९६०—समस्त विश्वविद्यालयों वे बी० कॉम्स के विद्यार्थियों के लिये ।
४. मुद्रा और बैंकिंग की इष्ट-रेखा—प्रथम सस्करण १९६०—इष्टर व हायर सेकन्डरी कॉम्स के विद्यार्थियों के लिये ।
५. बैंकिंग की इष्ट-रेखा—प्रथम सस्करण १९६०—सागर व विहार विश्वविद्यालय के प्रि-यूनिवर्सिटी कॉम्स के बैंकिंग के विद्यार्थियों के लिये ।
६. अर्थशास्त्र के सिद्धान्त—ग्राहवाँ सस्करण १९६०—बी० ए० व बी० कॉम्स अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ।
७. अर्थशास्त्र की इष्ट-रेखा—तेरहवाँ सस्करण १९६०—इष्टरमीडियट, हायर सेकन्डरी व प्रि-यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिये ।
८. वाणिज्य अर्थशास्त्र की इष्ट-रेखा—चतुर्थ सस्करण १९६०—इष्टर, हायर सेकन्डरी व प्रि-यूनिवर्सिटी कॉम्स के अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ।
९. अर्थशास्त्र की इष्ट-रेखा (सिद्धान्त)—वारहवाँ सस्करण १९६०—इष्टर आर्ट्स हायर सेकन्डरी व प्रि-यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्र के सिद्धान्त पक्ष के विद्यार्थियों के लिए ।
१०. प्रि-यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्र की इष्ट-रेखा—प्रथम सस्करण १९६०—विहार विश्वविद्यालय के प्रि-यूनिवर्सिटी आर्ट्स व कॉम्स के विद्यार्थियों के लिये ।
११. भारतीय अर्थशास्त्र की इष्ट-रेखा—प्रथम सस्करण १९६०—इष्टर, हायर सेकन्डरी व प्रि-यूनिवर्सिटी आर्ट्स व कॉम्स के विद्यार्थियों के लिये ।
१२. अर्थशास्त्र प्रवेशिका—हाइ इकूल पर्याप्तशास्त्र के विद्यार्थियों वे लिये ।

सर्वाधिकार लेखक के आधीन हैं ।

प्रथम सस्करण जुलाई १९५८

द्वितीय सस्करण जून १९५९

तृतीय सस्करण जुलाई १९६०)

प्रकाशक

राजहस प्रकाशन मन्दिर  
सुनाय बाजार, मेरठ ।

★ ★

मुद्रक

जॉब्र प्रिन्टिंग प्रेस,  
मेरठ ।

## तृतीय संस्करण !

प्रस्तुत पुस्तक का तृतीय संस्करण पाठ्यों के समाप्त है। मुझे बड़ा हृषि है कि पिछले वर्ष भी पुस्तक का द्वितीय संस्करण दिसम्बर माह तक समाप्त हो गया और विद्यार्थियों द्वी पुस्तक की मांग फिर भी बनी रही। चूंकि पुस्तक का आकार बड़ा है, इसलिये बुद्ध प्रकाशनीय कठिनालयों के कारण इसका शीघ्र पुनर्मुद्रण नहीं किया जा सका। पुस्तक न मिल सकने के कारण प्राध्यापकों व विद्यार्थियों को जो कुछ कट्ट हुआ, उसके लिये मैं अपनी व प्रकाशक की ओर से उनका धमा-श्रार्थी हूँ।

जब से प्रत्युत पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ है, मेरे पास पाठ्यों के अनेक ऐसे पत्र आये हैं जिनमें उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गये बुद्ध प्रश्नों के उत्तरों की रूप-रेखा मुझ से पूछी थी। विद्यार्थियों की इस समस्या को हल बताने के हेतु ही मैंने प्रस्तुत संस्करण में लगभग प्रत्येक अध्याय के अन्त में हिन्दी भाषा-भाषी शेष के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बी० ए० व बी० कॉ० की परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नों में से बुद्ध गहत्वपूर्ण प्रश्नों वो चुनकर उनके उत्तर की रूप-रेखा विस्तार से दी है ताकि एक और विद्यार्थी समुदाय परीक्षोपयोगी प्रश्नों से अवगत हो जाय और दूसरी और वे अपनी परीक्षा में अमुक प्रश्नों के उत्तरों को लिताते समय अनावश्यक सामग्री न लियने पायें। मुझे पूर्ण आगा है कि "नुने प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत" शीर्षक के अन्तर्गत दी गई सामग्री को पढ़ लेने पर विद्यार्थी अपनी परीक्षा में उच्च-उत्तर के अंक प्राप्त करने में सकाल होगे।

पिछले संस्करणों वी भाँति, प्रस्तुत संस्करण में भी पुस्तक के अन्त में "उत्तर कैसे लिये?" सहा "परीक्षा प्रश्न-पत्र" नामक परिचय दिये गये हैं। पाठ्यों को इन परिचयों को भी समय-नामय पर पढ़ना चाहिये यद्योऽकि परीक्षा को हटाये देये परिचय उनके लिये बहुत सामराजी हैं।

मैं इस प्रस्तावना द्वारा प्रकाशक और अपनी ओर से उन सब शृणातु प्राध्यापकों सम्पर्कों स्नेही विद्यार्थियों के प्रति बृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्होंने समय-नामय पर पुस्तक के गुणार के हेतु अपने बहुमूल्य सुभाव भेजे हैं। मुझे पूर्ण आगा है कि भविष्य में भी वे मेरा ध्यान मेरी शुटियों की ओर दिलाने रहेंगे। यदि प्रस्तुत संस्करण विद्यार्थियों द्वी पावरकताओं को भलि-भाँति पूर्ण कर सका, तब निस्तान्त्रेह मैं धाना परिश्रम सांख्य समर्भूगा।

# विषय-सूची

भाग १.

मुद्रा

खण्ड १

व्याख्या १.

✓ मुद्रा का अर्थ और इसके कार्य

विषय प्रवेश—विनिमय की आवश्यकता तथा इसका विषय, विनिमय की अर्थ, विनिमय के स्वरूप, बस्तु विनिमय का अर्थ तथा इसकी कठिनाई, मुद्रा-मुद्रा का उद्गम, मुद्रा की परिभाषा—प्राकृत्यन, मुद्रा की परिभाषा, अर्थात् विद्यों की विचारधारा के अनुसार मुद्रा की परिभाषा, परिभाषाओं को प्रहृति के अनुसार उनका उगोचरण—परिभाषाओं की प्रहृति के अनुसार मुद्रा की परिभाषाओं का वर्णकरण, निष्पर्य, मुद्रा के कार्य—मूल्य कार्य, द्रव्य के विनिमय, माध्यम तथा मूल्यमान के कार्यों में सम्बन्ध, उद्दायक कार्य, आकस्मिक कार्य, घन्य कार्य, साराय, मुद्रा का महत्व, मुद्रा के दोष, निष्पर्य, परीक्षा-प्रश्न, जूने प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत।

व्याख्या २.

✓ मुद्रा का वर्णकरण

३४ ६१

प्राकृत्यन, धातु-मुद्रा तथा पत्र मुद्रा—धातु मुद्रा शामाणिक-मुद्रा, सावेतिक मुद्रा, निष्पर्य, क्या भास्तीय रूपया शामाणिक सिद्धका है? मुद्रा टकण तथा सम्बन्धित पारिं-भापिक शब्द—प्रातिवद-मुद्रा का उदय, टकण के उदय, टकण प्रणालिया—स्वतन्त्र-मुद्रा ढलाई, स्वतन्त्र-मुद्रा ढलाई के न्यू, सीमित मुद्रा ढलाई, कौनसी प्रथा—स्वतन्त्र-मुद्रा ढलाई का सीमित-मुद्रा ढलाई उपयुक्त है? निष्पर्यता और अवमूल्यन,—सिवर्हों की निष्पर्यता, सिवर्हों तथा मुद्रा का अवमूल्यन, पत्र मुद्रा—पत्र मुद्रा क्या है? पत्र मुद्रा का उदय—पत्र-मुद्रा के नेत्र—प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, गुण-दोष, परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा, गुण-दोष, अप्रतिवर्तनशील पत्र मुद्रा, गुण दोष, पत्र मुद्रा के लाभ दोष—पत्र-मुद्रा के लाभ, पत्र मुद्रा के दोष, निष्पर्य, वास्तविक-मुद्रा और हिसाब की मुद्रा—वास्तविक-मुद्रा, हिसाब की मुद्रा, विधिशाही मुद्रा तथा एक्टिव मुद्रा—विधिशाही मुद्रा, ऐच्चिक-मुद्रा, अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण—प्राकृत्यन, मुद्रा-पदार्थ के आवश्यक गुण, निष्पर्य, परीक्षा प्रश्न। जूने प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत।

व्याख्या ३.)

✓ मुद्रा का मूल्य तथा परिमाण सिद्धान्त

६१ . १०२

मुद्रा का मूल्य—मुद्रा के मूल्य का अर्थ, मुद्रा का मूल्य-निषर्गण—मुद्रा का मूल्य निषारण किस प्रकार होता है? मुद्रा के सिद्धान्त—प्राकृत्यन, मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त—परिचय, मुद्रा की पूर्ति—मुद्रा की पूर्ति का अर्थ, निष्पर्य, मुद्रा की साज—मुद्रा की साज का अर्थ, निष्पर्य, द्रव्य का परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या, “घन्य वार्ते समान रहने पर” वाक्याया का अर्थ प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का अर्थ, प्रो० फिर द्वारा दिया गया शब्द के परिमाण सिद्धान्त का सूत्र, घन्य वार्ते वयों समान रहती है? परिमाण सिद्धान्त की भालोचनायें, परिमाण सिद्धान्त की सत्यता, परिमाण सिद्धान्त की सत्यता के कृद्य ददाहरण, कैम्ब्रिज का मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त—कैम्ब्रिज समीकरण की आधारमूल वार्ते, निष्पर्य, कैम्ब्रिज समीकरण—मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का कैम्ब्रिज विचारणा परा तथा कैम्ब्रिज विचारधारा में अन्तर, कैम्ब्रिज समीकरण की सूत्र द्वारा, मेंसोधन, कौनस के सिद्धान्त के गुण दोष, कियार हथा

कीन्ही के सुमोकरणों में समानता, द्रव्य की मांग की तोच इकाई है—“द्रव्य की मांग की तोच इकाई के बराबर है” इस वाचप का अर्थ, बालोचना, परीक्षा-प्रश्न, चुने प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत ।

**अध्याय ४** मुद्रा-स्फोति, मुद्रा-संकुचन तथा मुद्रा-संस्कृति १०२...१४०

प्रावक्यन, मुद्रा-स्फोति—मुद्रा-स्फोति का अर्थ, स्फोति के हृष तथा कारण, मुद्रा-स्फोति के हृष तथा इनके कारण—नैसर्गिक कारण, हृषिम व बनावटी कारण, मुद्रा-स्फोति के प्रभाव—समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव, मुद्रा-स्फोति के अन्य प्रायिक परिणाम निष्कर्ष, मुद्रा-प्रसार पर नियन्त्रण—प्रावक्यन, मुद्रा-स्फोति को रोकने के तरीके, मुद्रा-संकुचन तथा मुद्रा-विस्फोति—मुद्रा-विस्फोति का अर्थ, विस्फोति के कारण—मुद्रा-विस्फोति के कारण, मुद्रा-संकुचन के प्रभाव—मुद्रा-विस्फोति के अन्य प्रभाव—निष्कर्ष, मुद्रा-संकुचन पर नियन्त्रण—प्रावक्यन, मुद्रा-संकुचन पर नियन्त्रण, मुद्रा-संकुचन से दूर करने के कुछ उपाय, मुद्रा-स्फोति व मुद्रा-विस्फोति की सामूहिक प्रभाव—मुद्रा-संकुचन सूचार या मुद्रा-संस्कृति—मुद्रा-संस्कृति की परिभाषा, मुद्रा-स्फोति तथा मुद्रा-संस्कृति में भेद—मुद्रा-स्फोति और मुद्रा-संस्कृति में कई महत्वपूर्ण भेद हैं, मुद्रा-प्रपत्तीति—मुद्रा-प्रपत्तीति का अर्थ, मुद्रा-प्रपत्तीति तथा मुद्रा-संकुचन (विस्फोति) में भेद, एक उचित मुद्रा-नीति—मोटिक नीति का अर्थ, मोटिक नीति के उद्देश्य—मूल्य-वृद्धि, मूल्य-हासु तथा भ्रवभूत्यन—भारत में मुद्रा-स्फोति—प्रावक्यन, युद्ध-कालीन मुद्रा-स्फोति—युद्ध-कालीन मुद्रा-स्फोति के कारण, युद्ध कालीन मुद्रा-स्फोति को रोकने के उपाय, युद्धोत्तर-काल में मुद्रा-स्फोति—प्रावक्यन, युद्धोत्तर काल में मुद्रा-प्रसार के कारण, युद्धोत्तर मुद्रा-स्फोति के प्रभाव, युद्धोत्तर-काल में इष्टीति को रोकने के उपाय, परीक्षा-प्रश्न, चुने प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत ।

**अध्याय ५** निर्देशांक १४१...१६८

प्रावक्यन, निर्देशांक किसे कहते हैं ? सूचक अंक बनाने वी विधि—निर्देशांकों को बनाना, एक उदाहरण—साधारण निर्देशांक—रहन-सहन-व्यय एवं एक साधारण सूचक अंक बनाने का एक उदाहरण, साधारण निर्देशांक में दोष, भारतीय निर्देशांक—भारतीय या महत्वानुसार निर्देशांक का अर्थ, एक उदाहरण—भारतीय निर्देशांक, रहन-सहन-व्यय का एक भारतीय निर्देशांक, सूचक अंक बनाने की कठिनाइयाँ, निष्कर्ष, निर्देशांकों के प्रवार—सूचक अंकों के भेद, निर्देशांकों के उपयोग व्यवहार लाभ व सीमाएँ निर्देशांकों के उपयोग व्यवहार लाभ, निष्कर्ष, सीमायें—निर्देशांकों की सीमायें, निष्कर्ष, भारत में निर्देशांक—भारतीय सूचक अंक, भारतीय सूचक अंकों के उपयोग इनके में कठिनाइयाँ तथा इनके दोष, परीक्षा-प्रश्न, चुने प्रश्न और उनके उत्तर एवं उनके संकेत ।

**अध्याय ६** मुद्रा-प्रणालियों १६६...२३७

मुद्रा-मान का अर्थ, मुद्रा प्रणालियों के भेद—मुद्रा प्रणालियों के मुख्य भेद, द्विपात्र-मान—द्विपात्रमान का अर्थ और इसकी विभेदतायें, द्विपात्र-मान का संवित्त इतिहास, द्विपात्र-मान के सामन्दोष—द्विपात्र-मान के लाभ, द्विपात्र-मान के दोष द्विपात्र-

मध्यान-फनोंघर तथा अन्य सम्पत्ति, वैंक के विषय-विवरण बनाने के लाभ ।  
विषय-विवरण बनाने, अध्ययन तथा विश्लेषण के लाभ, परीक्षा-प्रश्न, जुने झ  
उनके उत्तर का सैकेत ।

अध्याय ११.

वैंक और प्राहृक का सम्बन्ध

३४४...३५४

वैंक और प्राहृक की परिभाषायें, प्राहृकों के प्रकार—वैंक के प्राहृकों के प्रकार,  
दोक और प्राहृक का पारस्परिक सम्बन्ध—प्राक्कर्यन, फृणदाता और ऋणी का सम्बन्ध,  
प्रतिनिधि और प्रधान का सम्बन्ध, घोहर-पारी और घोहर-घर्ता का सम्बन्ध, वैंक की  
अपने प्राहृकों के प्रति विशेष विमेदारियाँ ।

अध्याय १२.

इकाई वैंकिंग या शाखा वैंकिंग

३५४...३६१

प्राक्कर्यन, शाखा वैंकिंग—शाखा वैंकिंग का अर्थ, शाखा वैंकिंग के लाभ-दोष,  
शाखा वैंकिंग पद्धति के लाभ, शाखा वैंकिंग पद्धति के दोष, एकक या इकाई वैंकिंग—  
एकक या इकाई वैंकिंग का अर्थ, एकक वैंकिंग के लाभ-दोष—इकाई वैंकिंग के लाभ,  
एकक प्रणाली के दोष, एकक वैंकिंग पद्धति के दोषों को दूर करने के दणाय, निष्पत्,  
भारत और शाखा वैंकिंग-प्रणाली, परीक्षा-प्रश्न ।

अध्याय १३.

केन्द्रीय वैंकिंग

३६२...४५८

प्राक्कर्यन, परिभाषायें—केन्द्रीय दोक की परिभाषायें, एक केन्द्रीय दोक को आवश्य-  
कता, केन्द्रीय वैंकिंग का विकास, केन्द्रीय वैंकिंग सिद्धान्त तथा व्यापारिक वैंकिंग सिद्धान्तों  
की तुलना, केन्द्रीय दोक के कार्य—नोट-नियंत्रण का एक-मात्र ग्रधिकार—केन्द्रीय दोक 'या'  
एक प्रमुख कार्य सस्ती और उपयुक्त चलन-प्रणाली की व्यवस्था करना तथा उसका मूल्य  
स्थिर रखना होता है, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य—केन्द्रीय दोक सरकार के सताहृ-  
कार, एजेंट तथा बैंकर का कार्य करता है, दोकों का दोक—केन्द्रीय दोक देश में दोकों 'या'  
दोक होता है, केन्द्रीय दोक अन्य दोकों के नकद कोष का कुछ भाग घपने पास जमा के  
रूप में रखता है, केन्द्रीय दोक अन्तिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, समाजोघन-गृह  
का कार्य, समाजोघन गृह के लाभ, भारत में समाजोघन-गृह—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के  
राष्ट्रीय-कोष वा सरकार—केन्द्रीय दोक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के राष्ट्रीय दोक के सरकार  
के छर में भी कार्य करता है, मूद्रनाम्भों और बौकड़ों को एकत्रित करना और प्रकाशित  
करना—केन्द्रीय दोक ग्रामिक मूद्रनाम्भों और बौकड़ों को एकत्रित करता है इथा इन्हे  
समय-समय पर प्रकाशित करता है, साख-मुद्रा का नियन्त्रण—केन्द्रीय दोक देश में साधु-  
मुद्रा एवं साख के डाये का नियमन तथा नियन्त्रण करता है, नियकर्प, केन्द्रीय दोक और  
मुद्रा-नीति का मुद्रा नीति का अर्थ, साख नियन्त्रण का उद्देश्य—मुद्रा नीति या साधु-  
नियन्त्रण के उद्देश्य, साख नियन्त्रण की विधियाँ—प्राक्कर्यन, दोक दर की नीति—दोक  
दर की नीति का अर्थ और इसके प्रभाव, दोक दर में परिवर्तन के प्रभाव, दोक दर में  
बृद्धि या कमी के कारण—दोक दर में बृद्धि वब की जाती है? दोक दर में कमी वब की  
जाती है? दोक दर नीति की सीमायें—दोक दर की नीति की सफलता की शर्तें, दोक  
दर नीति के महत्व में कमी हो जाने के कारण, बैंक-दर नीति का सक्षिप्त इतिहास, खुप  
बाजार की क्रियाओं का अर्थ और इसके प्रभाव, खुले बाजार की क्रियायें—खुले बाजार

ही क्रियाओं का वर्ण और इसके प्रभाव, छुने बाजार की क्रियाओं की तोति किन परिवर्तियों में कार्यान्वय होती है ? छुने बाजार की रीति या दोक-दर रीति-छुने बाजार का आम-पूर्व हुआ दोक दर रीति की तुलना, छुने बाजार रीति की सीमाएँ-छुने बाजार की क्रियाओं का सखलता की शर्तें, सारांश, साख-नियन्त्रण की अन्य रीतियाँ-दोकों की रक्षित-निधि के अनुपात में परिवर्तन करना, साख का राशनिंग करना, सीधी कार्य-बाही की रीति, नीतिक दबाव अथवा समझने की रीति, विज्ञापन तथा प्रचार की रीति, उपभोक्ता साख का नियमन; प्रतिभूति छर्णों की सीमा-आवश्यकता में परिवर्तन, सारांश, केन्द्रीय दोक का स्थापित्व तथा प्रबन्ध—केन्द्रीय दोक के स्वामित्व तथा प्रबन्ध के सम्बन्ध में भरभेद केन्द्रीय दोकों का राष्ट्रीयकरण—प्रावक्षयन, राष्ट्रीयकरण के पद में दलील, राष्ट्रीयकरण के विषय में दलील, सारांश, परीक्षा-प्रश्न, छुने प्रश्न और उनके उत्तर का सदैह।

अध्याय १४.

१ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

४०८...४३२

प्रावक्षयन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष, कोष की स्थापना, कोष के उद्देश्य, कोष का कोटा (अम्बंश) तथा पूँजी, समता-दर का निर्धारण, समता-दर में परिवर्तन, कोष का लैन-देन, ऋण पर व्याज, प्रत्येक मुद्रायें, कोष के साधनों की तरलता, कोष का प्रबन्ध, कोष की भाष्य का विभाजन, कोष की सुदस्यता वापिस लेना, परिवर्तन कात में सुविधायें, कोष के सदस्यों पर प्रतिबन्ध, कोष का कार्य-क्षेत्र, स्वर्ण और कोष-अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और सोना, कोष और केन्द्रीय दोक, कोष के लाभ, कोष की आलोचना, सारांश, कोष का कायरित्यम्, कोष और मारत, परीक्षा-प्रश्न, छुने प्रश्न और उनके उत्तर का सदैह।

अध्याय १५.

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकासार्थ

४१२...४४४

प्रावक्षयन, विश्व दोक के उद्देश्य, दोक की सदस्यता, दोक की पूँजी, दोक का कार्य-प्रम, ऋण पर व्याज या रक्षान, दोक का प्रबन्ध, साम का बटवारा, सदस्यता की वापसी, दोक का महत्व, दोक का भविष्य, दोक की आलोचना, दोक वा कार्य-प्रम तथा इसकी प्रणति, भारत और विश्व दोक, आलोचना, परीक्षा-प्रश्न, छुने प्रश्न और उनके उत्तर का सकेत।

भाग १

विदेशी विनियम

पांड ३

अध्याय १६.

विदेशी विनियम

४४७...५०८

विदेशी विनियम वा अर्थ, विहृत प्रथ, संकृचित प्रथ, सारांश; विदेशी विनियम की समस्या, विदेशी विनियम की वया समस्या है ? विदेशी भुगतान के तरीके—विदेशी भुगतान करने के तरीके, वित्त सांक एवत्तनेज, दोक ट्राइट—दोक-ट्रायेट की कार्य-प्रणाली विदेशी मुद्रा की मात्र और पूति, विनियम की दर—विनियम की दर वा प्रथ, विनियम की समता—विनियम की समता वा धर्य, स्वर्ण-मान वाले देशों में विनियम-दर-स्वर्ण-मान या रोप्य-मान पर मापारित दो देशों के बीच विनियम-दर-विनियम वा दर में उच्चावचन वो वया सीमायें हैं ? सारांश, स्वर्ण-मान और रोप्य-मान देशों में विनियम-दर—जब एक देश स्वर्ण-मान पर और दूसरा देश रोप्य-मान पर होता है, तब इन दोनों देशों के बीच विनियम की दर विषय प्रकार निर्धारित होती है ? स्वर्ण-मान या

रोप्य-मान व पश्च मुद्रा-मान देशों में विनिमय की दर—जब एक देश स्वर्ण-मन पर प्रो-  
दूसरा देश अपरिवर्तनीय बागजी मुद्रा-मान पर है, तब इन दोनों देशों के बीच विनिमय  
की दर किस प्रकार निर्धारित होती है? पश्च-मुद्रा मान वाले देशों से विनिमय की दर,  
अपरिवर्तनीय पश्च-मुद्रा मान पर आधारित देशों के बीच विनिमय की दर—किस प्रकार  
निर्धारित होती है? घातु-मान और पश्च-मुद्रा मान में विनिमय की दर के नियरिण में  
भेद क्य-सक्ति तुल्यता सिद्धान्त—क्य-सक्ति तुल्यता सिद्धान्त की परिभाषा, संक्षिप्त  
व्याख्या, क्य-सक्ति तुल्यता सिद्धान्त की आलोचना, निष्कर्ष, 'आयात नियरिण का  
भुगतान करते हैं'—इस वाक्य का अर्थ, विनिमय-दर में उच्चावचन—प्राप्तकर्त्तन, विनिमय  
दर में उच्चावचन के कारण, विनिमय दर के उच्चावचन की सीमाएँ—इस विनिमय  
की दर में परिवर्तन की कुछ सीमाएँ भी होती हैं? प्रतिकूल या प्रतिकूल विनिमय की  
दर—प्रतिकूल या प्रतिकूल विनिमय की दर का अर्थ, अनुकूल या प्रतिकूल विनिमय की  
दर के धार्यिक प्रभाव, निष्कर्ष, विनिमय-नियन्त्रण—विनिमय-नियन्त्रण का अर्थ, विदेशी  
विनिमय-नियन्त्रण-विज्ञान का विवास, विदेशी विनिमय पर प्रतिबन्ध और विदेशी विनि-  
मय के क्षय-विकाय में सरकारी हस्तक्षेप, विनिमय नियन्त्रण का उद्देश्य, निष्कर्ष, विनिमय  
नियन्त्रण की रीतिया—विनिमय नियन्त्रण की कौन-कौन सी रीतियाँ हैं? एक पक्षीय  
रीतिया—विनिमय समकरण कोष, विदेशियों का स्वदेश में खाता-बन्द करना, विदेशी  
विनिमय का राशनिंग करना, विदेशी व्यापार का नियमन, दोनों-दर का नियमन, विनिमय  
उद्दबन्धन, द्विनक्षी और बहुनक्षीय रीतिया—भुगतान-समझौते, समाजोपन या निकासी  
समझौते, परिवर्तन विलम्बकाल, "जैसे-थे" समझौता, प्रग्रह विनिमय, भारत में  
विनिमय नियन्त्रण, युद्ध-कालीन विनिमय-नियन्त्रण, भारत का सन् १९४७ का विनिमय-  
नियन्त्रण विधान, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा विनिमय स्वायित्र, परीक्षा-प्रस्तुत, जुने  
प्रदन और उनके उत्तर का सकेत।

## भाग १

## अध्याय १७.

## अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

## अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

## खंड ४

## ५११. ५४०

गृह-व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषाएँ, गृह-व्यापार तथा अन्तर्रा-  
ष्ट्रीय व्यापार में समानता, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक पृथक् सिद्धान्त—अन्तर्राष्ट्रीय  
व्यापार के लिये एक मिश्र सिद्धान्त की आवश्यकता क्यों होती है, मिष्कर्ष, अन्तर्राष्ट्रीय  
व्यापार में लागतों में अन्तर—लागतों में पूर्ण अन्तर, लाभ की मात्रा, लागतों में समान  
अन्तर, लाभ की मात्रा, लागतों में तुलनात्मक अन्तर, लाभ की मात्रा, अन्तर्राष्ट्रीय  
व्यापार में लाभ की मात्रा के नियरिण की निर्भरता, तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त,  
तुलनात्मक सिद्धान्त की प्रतिष्ठित तथा वर्तमान विचारधारा—तुलनात्मक लागत की  
प्रतिष्ठित सिद्धान्त में आघुनिक सुधार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और  
सदूचो—प्रत्यरूपीय व्यापार पर सज्जूरी का प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्त-  
योगिता रहित समूह—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गति और प्रतियोगिता-रहित समूह,  
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ हातिया—लाभ, निष्कर्ष, हानियाँ, निष्कर्ष, परीक्षा-प्रस्तुत  
जुने प्रस्तुत और उनके उत्तर का सकेत।

**भाग १६.** भुगतान का सन्तुलन ४४०...५५५  
परिभाषा-व्यापार का सन्तुलन और भुगतान का सन्तुलन वा अर्थ, व्यापार का सन्तुलन और भुगतान के सन्तुलन वा सापेक्षिक महत्व, भुगतान सन्तुलन की मद्दें—ग्राहकयन, भुगतान के सन्तुलन का एक विवरण, भुगतान के सन्तुलन में असमर्ता रुपा इतका सुधार—भुगतान के सन्तुलन में असमर्ता के बया कारण हैं? भुगतान के सन्तुलन की असमर्ता को भुगताने की विधियाँ—निर्यात प्रेस्टसाहित वरना और प्राप्तात कम करना, अवमूल्यन, मुद्रा-संकुचन, विनियम-नियन्त्रण, परीक्षा-प्रश्न, चुने प्रश्न और उनके उत्तर का संबोध।

**अध्याय १६.** स्वतन्त्र व्यापार या संरक्षण ४५५...५७३

स्वतन्त्र व्यापार और सरकार में भेद, स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में दसील, स्वतन्त्र व्यापार के साम, निष्ठाएँ, स्वतन्त्र व्यापार व उचित व्यापार में भेद—सरकार की नीति—प्राप्तयन, सरकार के पक्ष में तर्क—शिल्प-उद्योग तर्क, सुरक्षा का तर्क, उदाहरणों में विभिन्नता का तर्क, स्वदेशी वाजार का तर्क, मजदूरी का तर्क, द्रव्य को धर पर रहने का तर्क, सामग्री में समानता का तर्क, रोजगार का तर्क, राजिपातन का तर्क, राष्ट्रीय प्राकृतिक सामग्री के उचित उपयोग का तर्क, सरकारी आय का तर्क, अन्य पंचमेल तर्क संरक्षण के विषय में तर्क, निष्ठाएँ, संरक्षण की रीतियाँ एवं विदेशी व्यापार में बाधाएँ, निष्ठाएँ, परीक्षा-प्रश्न, चुने प्रश्न और उनके उत्तर का संबोध।

**भाग २** भारतीय मुद्रा II Paper छन्द १

**अध्याय १.** भारतीय चलन का इतिहास<sup>१</sup> (१८३५ से १९१५ तक) ५२५...५७३

सन् १८३५ तक मुद्रा की स्थापना, मारत में रजत-मान (१८३५-१८६८)—रजत-मान की स्थापना और सन् १८३५ का टक्कन एवं, रजत-मान का पतन—रजत-मान के पतन के बारे, परिणाम, सन् १८६२ की हरर्येस कमेटी, मारत में स्वर्ण विनियम-मान (१८६८-१८२५)—सन् १८६८ की फारलर कमेटी, परिणाम, सन् १८१२ का धैर्यवरलेन वमीशन, प्रथम महायुद्ध में भारतीय मुद्रा-प्रणाली—प्रथम महायुद्ध और स्वर्ण-विनियम-मान, सन् १८१६ को वैदिगटन-सियम कमेटी, परिणाम, परीक्षा-प्रश्न।

**अध्याय २.** भारतीय चलन का इतिहास<sup>२</sup> (१८२५ से १९३६ तक) ५७६...५८८

प्राकृतिक, स्वर्ण-पाट-मान (१८२७-३१)—सन् १८२५ का हिल्टन-यैंग कमीशन, मुद्रा-मान के चुनाव सम्बन्धी विपारियों, देश में स्वर्ण-पाट-मान की स्थापना होनी चाहिए, विनियम की दर सम्बन्धी विपारियों, देश में विनियम की दर १ रिं ६ पैसे प्रति दशा निर्धारित होनी चाहिए, विनियम की दर १ रिं ६ पैसे के पक्ष-विषय में तर्क, विनियम की दर १ रिं ६ पैसे के पक्ष में तर्क, मुद्रा की नियन्त्रित करने वाले प्रधिकारी द्वे सम्बन्धित विपारियों, रिक्वेट घोष इविड्या की स्थापना होनी चाहिए—निष्ठाएँ, स्टिलिंग-विनियम-मान (१९३१-१९४१)—सन् १९३१ में स्वर्ण-मान के दूनों के परचान् मारत में विष्टि, स्टिलिंग-विनियम-मान, स्वर्ण-विर्यात्, चांदी-विर्यात्, रिक्वेट दोनों इविड्या की स्थापना वया भारतीय चलन-पद्धति का विकास हिल्टन-यैंग कमीशन की विपारियों द्वारा नियमारूप हुआ है, परीक्षा-प्रश्न।

**अध्याय ३.** भारतीय चलन का इतिहास १३ (१६३४ से १८५८ तक) ५६६...६०६

द्वितीय महायुद्ध और भारतीय मुद्रा—सन् १६३६ में भारतीय मुद्रा—एवं क्षिप्त प्रध्ययन, द्वितीय महायुद्ध में भारतीय मुद्रा-प्रणाली—युद्ध का मुद्रा पर प्रभाव, इतिहास महायुद्ध काल में भारत को विदेशी विनिमय दर पर नियन्त्रण—युद्ध का विदेशी विनिमय पर प्रभाव, निकर्य, साम्राज्य डॉलर-कोप—पौड़-पावने—युद्धोत्तर-काल में मुद्रा-चलन, परीक्षा-प्रश्न ।

**अध्याय ४.** पौड़ पावने और इनका भुगतान ६०८...६१४

प्रावक्षयन, पौड़-पावनों में वृद्धि—पौड़-पावनों में वृद्धि के कारण, पौड़-पावनों का भुगतान—पौड़-पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में धाद-विवाद, पौड़-पावने समझते—इंगलैंड और भारत के बीच में पौड़-पावनों के भुगतान समझते, परीक्षा-प्रश्न ।

**अध्याय ५.** रूपए का अवमूल्यन और इनके पुनर्मूल्यन की समस्या ६१४...६२४

स्टॉलिंग के अवमूल्यन की पृष्ठमूलि, भारत में रूपये का अवमूल्यन—भारत को रूपये का अवमूल्यन क्यों करना पड़ा ? भारत में अवमूल्यन का प्रभाव—अवमूल्यन के प्रभाव, पाकिस्तान और अवमूल्यन—पाकिस्तान द्वारा अवमूल्यन नहीं करना तथा इसका प्रभाव, भारतीय रूपये का पुनर्मूल्यन—प्रावक्षयन, पुनर्मूल्यन के विषय में तब, परीक्षा-प्रश्न ।

**अध्याय ६.** भारत में दाशमिक मुद्रा-प्रणाली ६२४...६२८

प्रावक्षयन, सक्षिप्त इतिहास—भारत में दाशमिक त्रम का इतिहास, भारत में मुद्रा की दाशमिक प्रणाली की विदेशीय, नई प्रणाली को कार्यान्वित करने में कठिनाइया, नई प्रणाली के लाभ, निकर्य, परीक्षा-प्रश्न ।

**अध्याय ७.** भारत में नोट निर्गम का सक्षिप्त इतिहास तथा

इसकी वर्तमान रीति ६२६...६४०

सक्षिप्त इतिहास—प्रावक्षयन, सन् १८०६ से सन् १८६१ तक—प्रेसीडेन्सी वैकों द्वारा नोटों का प्रकाशन—सन् १८६१ से सन् १८३४ तक—हरकार द्वारा निश्चित असुरक्षित नोट-चलन पद्धति के आधार पर नोटों का प्रकाशन, भारत में सन् १८६१ से सन् १८३६ तक अपनाई गई निश्चित असुरक्षित नोट-निर्गम पद्धति के गुण-दोष, प्रथम महायुद्ध का पत्र-मुद्रा-चलन पर प्रभाव (१८१४-१६), सन् १८१६ की वैविश्वन-स्थिर कमेटी की सिफारियों, पत्र-चलन एवं १८२३, हिल्टन-यग कमीशन—सन् १८२६ के हिल्टन-यग कमीशन की सिफारियों, सन् १८२७ का करेस्सो एकट, सन् १८३४ से सन् १८५६ तक रिजर्व बैंक आफ हिल्टन द्वारा अनुपातिक कोप-निधि प्रणाली की स्थापना सन् १८५६ से सन् १८६० तक—रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम-मुद्रा कोप प्रणाली की स्थापना, भारतीय वर्तमान नोट-निर्गम प्रणाली के गुण-दोष—वर्तमान मुद्रा-प्रणाली के गुण, वर्तमान मुद्रा-प्रणाली के दोष, परीक्षा-प्रश्न, चुने प्रश्न और उसके उत्तर का सकेत ।

**अध्याय ८.** भारतीय मुद्रा-बाजार / ६४०...६५६

प्रावक्षयन, मुद्रा-बाजार का अर्थ, मुद्रा-बाजार के अर्ग, मुद्रा-बाजार के दोष—

**भारतीय मुद्रा-बाजार के दोष, मुद्रा-बाजार के दोषों को दूर करने के सुझाव, भारत में बिल बाजार-बिल बाजार के विकास के लिये सुझाव, भारतीय पूँजी बाजार-पूँजी बाजार का अर्थ, भारत में पूँजी का निर्माण—भारत में पूँजी निर्माण की मन्द गति के कारण, भारत में पूँजी के निर्माण को प्रोत्साहित करने के सुझाव, भारत में पूँजी निर्माण के लिये किये गये प्रयत्न, परीक्षा-प्रश्न ।**

**भाग २****भारतीय वैकिंग****खण्ड २**

**अध्याय ६.** भारतीय वैकिंग—इसका विकास एवं समस्याएँ ६५७...६७८

सन् १९१३ तक भारतीय वैकिंग का विकास-प्रयत्न-युग (१९०६ तक का माल), द्वितीय युग (१९०६-१९६०), तृतीय-युग (१९६०-१९१३), सन् १९१३-१७ का वैकिंग संकट—वैकिंग संकट का अर्थ, भारत में सन् १९१३-१७ का वैकिंग संकट, गौकों के दूटने के मुद्द्य कारण, दोनों महायुद्धों के बीच के काल में भारतीय वैकिंग, द्वितीय महायुद्ध और भारतीय वैकिंग-द्वितीय महायुद्ध का भारतीय वैकिंग पर प्रभाव, युद्धकालीन वैकिंग प्रसार के कारण, भारत में युद्धकालीन वैकिंग विकास के दोष, भारत का विभाजन और इसका वैकिंग पर प्रभाव-भारत के बंटवारे का प्रभाव, भारतीय वैकिंग प्रणाली के दोष तथा वैकिंग-व्यवस्था को सुहृद बनाने कि उपाय-भारतीय वैकिंग प्रणाली के प्रमुख दोष, भारतीय वैकिंग के दोषों को दूर करने अथवा वैकिंग व्यवस्था को सुहृद बनाने के लिये रिक्वेट दोहरा दिये गये सुझाव, भारत में वैकिंग का राष्ट्रीयकरण—प्रावक्षयन, वैकिंग के राष्ट्रीयकरण के पश्च में युक्तियाँ, वैकिंग के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में युक्तियाँ, भारत में गौकों का एकीकरण-प्रावक्षयन, गौकों के एकीकरण के साम-दोष—एकीकरण के साम, एकीकरण की हानियाँ, भारत में गौकों का एकीकरण, भारतीय वैकिंग का भविष्य, परीक्षा-प्रश्न ।

**अध्याय १०.****भारतीय वैकिंग विधान****६७८...६८२**

भारत में वैकिंग विधान की आवश्यकता, भारत में वैकिंग विधान का इतिहास, वैकिंग कम्पनीज एक्ट सन् १९४१-प्रावक्षयन, उद्देश्य, गौक की परिमाण, गौक का व्यवस्थाय, गौक का प्रबन्ध, गौक की परिदृष्ट-पूँजी तथा निधि, गौकों की पूँजी तथा मतदात वा घण्यकार, गौकों में साम-बंटवारे पर प्रतिवन्ध, गौक की रोक-निधि, गौकों की सम्पत्ति; गौकों की दायारी, जहाँ पर प्रतिवन्ध, गौकों का एकीकरण, न्यायालयों द्वारा गौकों वा निस्तारण, वैकिंग कम्पनीज (संशोधन) एक्ट १९४०, वैकिंग कम्पनीज (संशोधन) एक्ट १९४३, वैकिंग कम्पनीज एक्ट १९४६ के अन्तर्गत रिक्वेट गौक घाँफ इन्डिया के अधिकार, भारतीय वैकिंग विधान के दोष, निष्पर्य, परीक्षा-प्रश्न ।

**अध्याय ११.****रिक्वेट गौक घाँफ इन्डिया****६८३...७२१**

प्रावक्षयन, भारत में रिक्वेट गौक की स्थापना क्यों की गई है? इम्पीटियल गौक को ही देना का ऐन्ड्रीय गौक क्यों नहीं बनाया गया? ? देशर-होल्डसं का गौक वा सरकारी गौक—प्रावक्षयन, अंशप्रतिवेदी की गौक के पश्च में दसोल, सरकार की गौक के पश्च में दसोल, रिक्वेट गौक का बरंमान विधान—पूँजी, प्रबन्ध, गौक के वार्दानिय, गौक का संगठन, रिक्वेट गौक के कार्य—प्रावक्षयन, ऐन्ड्रीय वैकिंग वाद—नोट-निर्मल वा दाये,

सरकारी दोकर का कार्य, दोको के दोक का वार्य, विदेशी विनिमय वा नियन्त्रण करना, अन्य केन्द्रीय दोक सम्बन्धी कार्य, रिजर्व दोक के एक साधारण दोक के रूप में वार्य, रिजर्व दोक के वर्जित कार्य, रिजर्व दोक तथा मुद्रा और साख-नियन्त्रण—प्रावधान, रिजर्व-दोक द्वारा मुद्रा-नियन्त्रण, रिजर्व दोक द्वारा साख-नियन्त्रण-दोक-दर, खुले बाजार की क्रियाएँ, रिजर्व दोक की विस घोजना, नकद-कोष, अन्य साधन, रिजर्व दोक की अप्रभावी साख, नियन्त्रण अथवा मुद्रा-नियन्त्रण नीति के कारण, रिजर्व दोक और स्टेट दोक थोक दृष्टिध्या—रिजर्व दोक का स्टेट थोक आँफ इण्डिया से सम्बन्ध, रिजर्व दोक और स्वदेशी दोकसं—रिजर्व दोक और अनुसूची बद्द तथा असूचीबद्द दोकसं—रिजर्व दोक और अनुसूची, बद्द थोकों का सम्बन्ध, अनुसूचीबद्द थोकों के लघिकार और दायित्व, रिजर्व दोक और अनुसूची-बद्द दोक, रिजर्व वेक आँफ इण्डिया एकट में बुद्ध समोधन,—सन् १९५१ का समोधन, सन् १९५३ का समोधन, सन् १९५५ का समोधन, रिजर्व दोक आँफ इण्डिया व्यवहार में—रिजर्व दोक की महत्ता, रिजर्व दोक की आलोचना, निष्कर्ष, परीक्षा प्रश्न अध्याय १२.

## स्टेट दोक आँफ इण्डिया

७२१ .७३०

प्रावधान, इम्पीरियल वेक आँफ इण्डिया—इम्पीरियल वेक आँफ इण्डिया का सक्षिप्त विवरण, इम्पीरियल वेक का महत्व तथा इसके दोष—भारतीय वैकिंग पद्धति में इम्पीरियल वेक का महत्व तथा वेक के दोष, इम्पीरियल वेक का राष्ट्रीयवरण-इम्पीरियल वेक का राष्ट्रीयकरण वयो दिया गया? स्टेट वेक आँफ इण्डिया—प्रावधान, वेक की पूर्वी, स्टेट वेक आँफ इण्डिया का प्रबन्ध—वेक का प्रबन्ध, स्टेट वेक आँफ इण्डिया के कार्य—स्टेट वेक के कार्य, केन्द्रीय वैकिंग सम्बन्धी कार्य, ध्यापारिक वेक के कार्य, स्टेट वेक आँफ इण्डिया पर लगे प्रतिवन्ध—स्टेट वेक के कार्यों पर लगाये गये प्रतिवन्ध, लाभ का बटवारा, स्टेट वेक आँफ इण्डिया की प्रगति, स्टेट वेक आँफ इण्डिया का महत्व—स्टेट वेक आँफ इण्डिया के निर्माण का महत्व, स्टेट वेक आँफ इण्डिया की आलोचनायें, निष्कर्ष, परीक्षा-प्रश्न।

अध्याय १३. भारत में मिथित पूँजी के दोकस (ध्यापारिक दोकस) ७३१ ७३६

सक्षिप्त इतिहास, ध्यापारिक वेकों का वर्गीकरण, ध्यापारिक वेकों के कार्य, ध्यापारिक वेकों को कठिनाइयो और इनके दोष—भारत में ध्यापारिक वेकों को कठिनाइयों और इनके दोष, भारतीय वैकिंग के दोषों एवं कठिनाइयों को दूर करने के मुद्दाद, निष्कर्ष, परीक्षा-प्रश्न।

अध्याय १४ भारत में विदेशी विनिमय दोकस

७३६ .७४०

सक्षिप्त इतिहास—परिमाणा और सक्षिप्त इतिहास, विदेशी विनिमय वेकों के कार्य—नियांत्रित व्यापार को आर्थिक सहायता देना, आयात व्यापार को आर्थिक सहायता देना, भान्तरिक व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध, साधारण वैकिंग के कार्य, विनिमय वेकस की वर्तमान स्थिति—भारत में विदेशी विनिमय वेकस को वर्तमान रिथति, विनिमय वेकस की कार्य-प्रणाली के दोष और इनके उपाय—भारत में विनिमय वेकस की कार्य-प्रणाली के दोष, विनिमय वेकस के दोषों को दूर करने के उपाय—भारतीय वैकिंग कम्पनीज एकट

१६४६ और विनिमय बैंकस, भारतीय विनिमय बैंकस—प्रावक्यन, भारत में भारतीय विनिमय बैंकस को क्यों कही है ? भारतीय बैंकों के विदेशी विनिमय कार्य की वर्तमान स्थिति, विनिमय बैंकस की भारत को देन—विनिमय बैंकस का महत्व, परीक्षा-प्रश्न ।

भाग ३ :

: खण्ड १

### भारत में कृषि-वित्त, औद्योगिक-वित्त तथा विदेशी पूँजी

अध्याय १.

भारत में कृषि-वित्त-व्यवस्था

२...४८

प्रावक्यन, प्रामीण-कृष्ण का भ्रनुमान, प्रामीण अहण-प्रस्तता के कारण, प्रामीण अहण-प्रस्तता के परिणाम, प्रामीण अहण-प्रस्तता की समझ का हल, भारत में कृषि साख-व्यवस्था—प्रावक्यन, प्रामीण-वित्त के साधन, महाजन व साहूकार—प्रावक्यन, महाजन व साहूकारों का वर्गीकरण, साहूकारों के कार्य, व्यापार की कार्य-प्रणाली व व्यापार की दर, साहूकारों के दोषपूर्ण कार्य, साहूकारों के कार्यों का नियन्त्रण 'स्वदेशी' बैंकस—परिभाषा, स्वदेशी बैंक व साहूकार में भेद, स्वदेशी बैंकस व आधुनिक बैंकिंग संस्थाएँ—स्वदेशी बैंकस व आधुनिक बैंकों के भेद, स्वदेशी बैंकस के कार्य, स्वदेशी बैंकस की कार्य-प्रणाली, स्वदेशी बैंकस का आधुनिक बैंकों से सम्बन्ध, स्वदेशी बैंकस और रिजर्व बैंक ग्रांफ इंडिया का सम्बन्ध, स्वदेशी बैंकिंग के दोष, स्वदेशी बैंकस के सुधार व उन्नति के लिये सुझाव, स्वदेशी बैंकस का महत्व, व्यापारिक बैंकस तथा आन्य संस्थाएँ—कृषि-अर्थ-व्यवस्था और सरकार—वकावी अहण—सरकार के वकावी अहण, सरकारी अहणों में नुटियां, सहकारी साख समितियां और सहकारी बैंक—भारत में सहकारिता का सक्षिप्त इतिहास, सहकारिता का वर्ण—सहकारिता किसे कहते हैं, सहकारी साख समितियां और व्यापारिक बैंक—सहकारी साख समितियों तथा व्यापारिक बैंकस में भेद, भारत में साथ सहकारिता का ढाचा, प्रामीण प्रारम्भिक साख समितिया—प्रामीण प्रायमिक सहकारी साख समितियों की वर्तमान स्थिति, नगर सहकारी साख समितियों—नगर-गैर कृषि सहकारी साख समितियों की वर्तमान स्थिति, केन्द्रीय सहकारी बैंकस—केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वर्तमान स्थिति, प्रान्तीय सहकारी बैंकस—लौपं बैंकों की वर्तमान अवस्था, सहकारी आन्दोलन के दोष तथा इसके सुधार के कुछ सुझाव—सहकारी साख आन्दोलन के दोष, सहकारी साख आन्दोलन की सफलता और इसके गुणार के लिये कुछ सुझाव, भूमि बन्धक बैंकस—प्रावक्यन, परिभाषा, भूमि बन्धक बैंकों के प्रकार—भूमि बन्धक बैंकों के भेद, भारत में भूमि बन्धक बैंकों का संबंध तथा कार्य, भारत में भूमि बन्धक बैंकों का विकास तथा इनकी वर्तमान स्थिति—भूमि बन्धक बैंकों का उद्गम व वर्तमान स्थिति, निष्कर्ष, भूमि बन्धक बैंकों का महत्व—भूमि बन्धक बैंकों के दोष तथा इनके सुधार के कुछ सुझाव—बन्धक बैंकों के दोषों के सुधार के लिए कुछ सुझाव, सरकार और सहकारी साख आन्दोलन—सरकार द्वारा सहकारी साख आन्दोलन को सहायता, रिजर्व बैंक और कृषि अर्थ-व्यवस्था—रिजर्व बैंक द्वारा कृषि अर्थ-व्यवस्था में सहायता, पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि अर्थ-व्यवस्था—पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि-वित्त-व्यवस्था, प्रामीण बैंकिंग जान समिति १६४६—प्रावक्यन, प्रामीण देशों में बैंकिंग मुविधाओं के विकास में रक्खण्टे, प्रामीण देशों में

बैंकिंग विकास के सिये कुछ नुमाव, आलोचना, अविज्ञ भारतीय ग्रामीण शास्त्र अनुसन्धान कमेटी १९५१—प्रावक्षण, ग्रामीण साथ अनुसन्धान कमेटी की सिफारिशें, अधिल भारतीय ग्रामीण साथ अनुसन्धान कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार की वायंवाही, परीक्षा-प्रश्न ।

**अध्याय २ भारत में शोधोगिक वित्त ४६ ७१**

प्रावक्षण, उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताएँ, उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताएँ की पूर्ति—उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताएँ की पूर्ति के साधन, भारतीय शोधोगिक अध्ययन-प्रमण्डल—भारतीय शोधोगिक अध्ययन-प्रमण्डल की स्थापना के समय शोधोगिक वित्त की ग्रन्थस्था, भारतीय शोधोगिक वित्त-प्रमण्डल की स्थापना, शोधोगिक वित्त-प्रमण्डल की क्षियायें, शोधोगिक अध्ययन-प्रमण्डल को आलोचना, निष्कर्ष, राज्य शोधोगिक वित्त-प्रमण्डल—प्रावक्षण, प्रान्तीय शोधोगिक वित्त-प्रमण्डलों की विशेषतायें, उत्तर प्रदेशीय शोधोगिक वित्त-प्रमण्डल—उत्तर-प्रदेशीय शोधोगिक अध्ययन-प्रमण्डल की कुछ मुख्य विशेषतायें, राजस्थान शोधोगिक वित्त-प्रमण्डल—राजस्थान शोधोगिक वित्त प्रमण्डल की कुछ मुख्य विशेषतायें, मध्य-प्रदेश शोधोगिक वित्त-प्रमण्डल, कुछ मध्य शोधोगिक वित्त-प्रमण्डल—राष्ट्रीय उद्योग विकास प्रमण्डल लिमिटेड—राष्ट्रीय उद्योग विकास प्रमण्डल (लिमिटेड) की कुछ मुख्य विशेषतायें, भारतीय शोधोगिक साक्ष तथा विनियोग प्रमण्डल लिमिटेड—भारतीय शोधोगिक साक्ष तथा विनियोग प्रमण्डल की कुछ मुख्य विशेषतायें, राष्ट्रीय लघु-उद्योग प्रमण्डल की कुछ मुख्य विशेषतायें, शोधोगिक वित्त-ज्यवस्था में नुआर के सिद्धे कुछ नुसाच, पञ्चवर्षीय योजनाओं में शोधोगिक वित्त की ज्यवस्था, परीक्षा-प्रश्न ।

**अध्याय ३ भारत में विदेशी पूँजी ७१ ७६**

संविप्त इतिहास—भारत में विदेशी पूँजी का संक्षिप्त इतिहास, विदेशी पूँजी के लाभ-दोष—भारत में विदेशी पूँजी की आवश्यकता एवं लाभ, भारत में विदेशी पूँजी की हानिया, निष्कर्ष, भारत सरकार की नीति—भारत सरकार की विदेशी पूँजी सम्बन्धी वर्तमान नीति, विदेशी पूँजी की वर्तमान स्थिति—भारत में विदेशी पूँजी की वर्तमान स्थिति, भारतीय उद्योगों में विदेशी पूँजी, परीक्षा-प्रश्न ।

**परिशिष्ट १—उत्तर कंसे तिलें ? ७७ ..९१**

**परिशिष्ट २—पाठ्यक्रम (Syllabuses) ९१**

**परिशिष्ट ३—परीक्षा प्रश्न-पत्र ९१**

"It (Money) enables man as consumer to generalise his purchasing power, and to make his claims on society in the form which suits him most. The existence of a monetary economy helps society to discover what people want and how much they want it, and so to decide what shall be produced, and in what quantities, and to make the best use of its limited productive power.....It helps each member of society to ensure that the means of enjoyment to which he has access yield him the greatest amount of actual satisfaction which is within his reach .....It gives him the chance of not surfeiting himself with bus rides, or stinting himself unduly of the countenance of Charlie Chaplin...It enables a man as producer to concentrate his attention on his own job and so to add more effectively to the general flow of goods and services which constitute the real income of society. The existence of money.....seems to be a necessary condition for any great development of the division of labour."

—Robertson, Money p. 5.

"Money is the pivot round which economic science clusters. Money is very essential for mankind. It is like blood for the exchange economy." —Marshall

"Every branch of knowledge has its fundamental discovery. In Mechanics, it is the wheel, in Science fire, in Politics the vote. Similarly, in Economics in the whole commercial side of man's social existence, money is the essential invention on which all the rest is based."

—Crowther.

भाग १ :

; खण्ड १

# मुद्रा (Money)

[अध्याय १. मुद्रा का अर्थ और इसके कार्य, २. मुद्रा का वर्गीकरण, ३. मुद्रा का मूल्य तथा एरिमाण सिद्धान्त, ४. मुद्रासंकुचन तथा मुद्रा-स्फीति, ५. निर्देशाक ६. मुद्रा-प्रणालिया, ७. नोट दिर्घम के सिद्धान्त तथा रीतिया]

## TRY TO REMEMBER THESE QUOTATIONS

(A) "Money is a commodity which is used to denote anything which is widely accepted in payment of goods or in discharge of other business obligations"—Robertson

"Money includes all those things which are (at any time or place) generally current without doubt or special enquiry as a means of purchasing commodities and services and of defraying expenses."—Marshall

"Money is what money does"—Hartley Withers

"Money is that by the delivery of which debt contracts and price contracts are discharged and in the shape of which a store of general purchasing power is held."—Keynes

"Money nowadays in advanced communities means bank deposits, Metallic and Paper Money play a diminishing role"—Lehfieldt

(B) 'The Quantity Theory of Money States—'The value of money, other things being the same varies inversely as its quantity, every increase of quantity lowers the value and every diminution raising it in a ratio exactly equivalent'—Mill

"Double the quantity of money and other things being equal, prices will be twice as high as before and the value of money one half. Halve the quantity of money and other things being equal, prices will be one half of what they were before and the value of money double"—Taussig

The value of money may be regarded as the reciprocal of the general level of prices, for example, if the general level of prices has doubled, this means that the value of money has halved"—Benham

(C) "Inflation exists when money income is expanding more than in proportion to income earning activity"—Pigou

Kemmerer has defined inflation as 'too much money and deposit currency—that is too much currency in relation to the physical volume of business being done'

"Reflation may be defined as inflation deliberately undertaken to relieve a depression."—Cole

(D) 'An Index Number is a number which indicates the level of a certain phenomenon at a given date in comparison with the level of the same phenomenon at some standard date'—Ghosh & Chaudhri

(E) 'Gold Standard is a state of affairs in which a country keeps the value of its monetary unit and the value of a defined weight of gold at an equality with one another"—Robertson

"The Gold Standard is an arrangement whereby the chief piece of money of a currency is exchangeable with a fixed quantity of gold of a specific quality"—Coulborn

"The golden rule of the Gold Standard is—expand credit when gold comes in, contract credit when gold is going out"—Crowther.

## अध्याय १

### मुद्रा का अर्थ और इसके कार्य

( Meaning and Functions of Money)

विषय प्रवेश (Introduction)

विनिमय की आवश्यकता तथा इसका विकास (Necessity and Evolution of Exchange) :- प्राचीन काल में उत्पादन-व्यवस्था स्वावलम्बन के आधार पर बनी हुई थी। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अपने आप और अपने परिवार की सहायता से किया करता था। परन्तु आर्थिक जीवन की यह प्रारम्भिक अवस्था बहुत समक्ष तक बनी न रह सकी और आज मनुष्य इस परिस्थिति से बहुत दूर चला जा रहा है। बर्तमान समाज में ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत कम है जो पूर्ण रूप से स्वावलम्बी हैं। बर्तमान धर्म-विभाजन के युग में लाभगतमाम मनुष्यों ने अपनी-अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता की तमाम वस्तुओं का निर्भय नहीं कर सकता है। आधुनिक आर्थिक जगत में प्रत्येक मनुष्य जिसी एक धन्ये का-विशेषज्ञ (Specialist) बनकर कार्य करता है और इस कार्य कारा द्वारा जो आमदनी प्राप्त होती है, उसी से वह विनिमय (Exchange) द्वारा अपनी तमाम आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करता है। इसीलिये जब तक जिसी मनुष्य को दूसरे मनुष्यों द्वारा दिनी हुई वस्तुएँ विनिमय द्वारा प्राप्त नहीं होती, तब तक उसकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। इस प्रकार विनिमय की पूरों पर तमाम समाज की आर्थिक व्यवस्था घूमती है और विनिमय द्वारा ही उत्पत्ति तथा उपभोग एक लड़ी में नहीं हुये हैं। विनिमय के अभाव में न तो उत्पादन ही इतना सरल होता और न प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि ही इतनी सरलता से बर सकता। अतः विनिमय का सबसे बड़ा महत्व यही है कि आज हमारी समस्त उत्पादन-व्यवस्था विनिमय के लिये ही चलती है और मनुष्य का जीवन इसी पर निर्भर है। विनिमय के अस्तित्व ने ही धर्म-विभाजन तथा बड़े ऐपने की उत्पत्ति सम्भव की है। बर्तमान समाज में विनिमय का कार्य मुद्रा (Money) के माध्यम द्वारा किया जाता है।

विनिमय का अर्थ (Meaning of Exchange) — एक आर्थिक किया के रूप में विनिमय में तीन मुख्य लक्षण पाये जाते हैं—प्रथम, इसमें धन का हस्तातरण (Transference) होता है, द्वितीय, धन का हस्तातरण ऐच्छिक (Voluntary) होता है तथा तृतीय, विनिमय किया वेधातिक (Legal) तथा पारस्परिक (Mutual) होता है। अतः दो पक्षों के बीच में होने वाले ऐच्छिक, वेधातिक तथा पारस्परिक धन के हस्तातरण वो ही विनिमय कहते हैं।

विनिमय के स्वरूप (Forms of Exchange) — विनिमय के दो प्रधान स्वरूप हैं—प्रथम, वस्तु-विनिमय या घटन-बदल तथा द्वितीय, धर्म-विक्रय। (क) यस्तु-विनिमय या घटन-बदल (Barter) :- जिसी वस्तु या सेवा के माध्यम वहाँ पा सेवा के साथ प्रत्यक्ष

विनिमय को अदला-बदली कहते हैं। जीवना (W. S. Jevons) के शब्दों में 'तुलनात्मक अम आवश्यक वस्तु से तुलनात्मक अप्रिक आवश्यक वस्तु के प्रादान-प्रदान को विनिमय कहते हैं।'\* वस्तु विनिमय में विनिमय का वार्य बहुत सरल होता है क्योंकि इस प्रकार के विनिमय में एक वस्तु या भेवा के बदले में दूसरी वस्तु या भेवा प्रत्यक्ष रूप में (Directly) प्राप्त कर ली जाती है। (ख) क्रय-विक्रय या मुद्रा-विनिमय (Purchase and Sale or Money Exchange) -जब वस्तुओं के बदले में वस्तुओं की अदला बदली प्रत्यक्ष न होते हुये, मुद्रा के माध्यम से होती है, तब इसे मुद्रा विनिमय कहते हैं। इस प्रकार के विनिमय में एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु परोक्ष रूप में (Indirectly) प्राप्त की जाती है अर्थात् इस प्रकार के विनिमय में मुद्रा के माध्यम द्वारा पहले अपनी वस्तुएँ क सेवाएँ वेचकर उनके बदले में मुद्राएँ प्राप्त की जाती हैं और तदृपश्चात् इस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ प्राप्त की जाती हैं। चूँकि इस प्रकार के विनिमय में वस्तुओं का क्रय (Purchase) तथा वस्तुओं का विक्रय (Sale) मुद्रा द्वारा किया जाता है, इसलिए विनिमय को इस प्रणाली को मुद्रा-विनिमय (Money Exchange) कहते हैं।

### वस्तु-विनिमय (Barter)

वस्तु-विनिमय का अर्थ तथा इसकी कठिनाईयाँ (Meaning of Barter and its inconveniences) —जब एक वस्तु का इसी दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष तरीके से विनिमय हो, तब इसे अदला-बदली प्रणाली कहते हैं जिसे कपड़े ऐंड जड़ों से झनाज़ या गनाज़ के बदले में साग-सब्जी लेना ग्रादि। इम प्रणाली के अनुसार बहुत प्राचीन काल से ही विनिमय होता आया है और धार्ज भी प्राचीक व व्यापारिक हट्टि में पिछड़ी हुई जातियों में पह प्रणाली पाई जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा वस्तुओं का आदान-प्रदान तब ही होता है जबकि तीन परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं—प्रथम, आवश्यकतायें सीमित होनी चाहिये अर्थात् आवश्यक हट्टि में समाज पिछड़ा होना चाहिये क्योंकि ऐसे समाज म ही आवश्यकतायें सीमित हुआ करती हैं। द्वितीय, आवश्यकताओं का दुहरा संपेग होना चाहिये अर्थात् जबकि दो व्यक्तियों के पास अपनी अपनी वस्तुओं की अविकल हो और एक को दूसरे की वस्तु की आवश्यकता हो, तर ही वस्तु-विनिमय प्रणाली सम्भव होनी है। तृतीय, विनिमय का जो त्र सकुचित होना चाहिए अर्थात् वाजारों का क्षेत्र इतना छोटा होना चाहिये कि इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति एक-दूसरे से भली प्रकार परिचित हो, एक-दूसरे की आवश्यकताओं की समझते हो और यह अच्छी तरह जानते हों कि कौन सा व्यक्ति कौनसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है क्योंकि तब ही सुगमता से तथा बढ़ने वाल समय म वस्तु-विनिमय प्रणाली द्वारा वस्तुओं का आदान-प्रदान हो सकेगा। चूँकि प्राचीन काल में ये तीनों परिस्थितियाँ उपस्थित, भी और धार्ज भी जिन-जिन क्षेत्रों में पाई जाती है, वहाँ पर वस्तु-विनिमय प्रणाली द्वारा ही वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। परन्तु जैसे-जैसे मानव आवश्यकताओं में बढ़दि हुई, समाज का प्राचीक व सामाजिक विकास हुआ, अम-विभाजन के आधार पर उत्पादन-व्यवस्था संभवित हुई, उत्पत्ति का दैमाना बढ़ा तथा वाजारों का क्षेत्र विस्तृत हुआ, त्यो-त्यो वस्तु

\* "Exchange is the barrier of the comparatively superfluous with the comparatively necessary"—Jevons.

विनिमय-प्रणाली द्वारा वस्तुओं का आदान-प्रदान करने में कठिनाइया अनुभव हुई जिसके परिणामस्वरूप विनिमय कार्य के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता प्रतीत हुई। अदला-बदली द्वारा विनिमय करने में जो कठिनाइयाँ अनुभव हुईं, वे इस प्रकार हैं :—

(i) स्वावश्यकताओं की दोहरी अनुष्ठान का अभाव (Lack of Double Coincidence)— विनिमय अदला-बदली द्वारा करने में सबसे बड़ी कठिनाई इस बात में होती है कि यदि हमें किसी वस्तु-विशेष की आवश्यकता है, तब हमें न केवल ऐसा व्यक्ति हूँ जो वस्तु को देने के लिए तैयार हो वरन् वह व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए कि उसे उस चीज़ की भी आवश्यकता हो जिसे हम उसकी वस्तु के बदले में देना चाहते हैं। यदि एक जुलाहा कपड़ा देकर गेहू़ लेना चाहता है, तब उसे अपनी गेहू़ की आवश्यकता की पूति करने के लिए ऐसा व्यक्ति (या कृषक) हूँ जो गेहू़ देना चाहता है और (उ) गेहू़ के बदले कपड़ा लेने के लिए तैयार है। यह स्वाभाविक ही है कि जुलाहे को ऐसे व्यक्ति की खोज में दर्दनाक घूमना पड़ेगा। यह सम्भव है कि मनुष्य के प्रारम्भिक आर्थिक जीवन काल में जब कि उसकी आवश्यकताये बहुत कम थी तथा जबकि थोड़ी सी वस्तुओं के उत्पादन द्वारा ही उसकी आवश्यकताये सन्तुष्ट हो जाया करती थी, मनुष्य ऐसे व्यक्ति को आसानी से हूँत लेता होगा। परन्तु जैसे-जैसे आवश्यकताओं तथा इनको सन्तुष्ट करने वाली वस्तुओं का संख्यावर्धन (Multiplication) हुआ, इस प्रकार के दुहरे संयोग में कठिनाई अनुभव होने लगी। जुलाहे को ऐसा व्यक्ति तो आसानी से भिल सकता है जो बदले में गेहू़ देने के लिये तैयार है, परन्तु यह सम्भव है कि वह गेहू़ के बदले कपड़ा लेने के लिए तैयार नहीं हो। इस दशा में वस्तु-विनिमय प्रणाली में अत्यधिक कठिनाई अनुभव होती है। अतः अदला-बदल प्रणाली में ऐसे दो व्यक्तियों के एक जगह मिलने में कभी-कभी कठिनाई होती है जिसकी आवश्यकताये एवं अधिकताये परस्पर पूरक हैं। वस्तु-विनिमय प्रणाली को यह प्रथम तथा बहुत ही भूत्वपूर्ण कठिनाई है।

(ii) वस्तुओं की अविभाज्यता या विभाजन का अभाव (Lack of Divisibility of Commodities):— यह दैनिक जीवन का अनुभव है कि अनेक ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको दुकानों में बांट देने से इनके नूत्र्य में अवश्य उपयोगिता में बहुत कमी हो जाती है। यदि हम गाय या बकरी के दुकड़े-दुकड़े कर दें, तब मास, हड्डी व खाल आदि के रूप में जो मूल्य प्राप्त होता है वह गाय या बकरी को बिना काटे जो मूल्य मिल सकता है उससे बहुत कम होता है। जब कभी किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की अविभाज्य वस्तु होती है, तब वस्तु-विनिमय प्रणाली में, इस वस्तु के बदले में अन्य कई वस्तुएँ प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। मानलो, एक शोसी के पास एक गाय है जिसे देकर बदले में वह बत्तन, लड्डा व गेहू़ लेना चाहता है क्योंकि उसे ये वस्तुएँ अपनी लड़की को त्योहार पर भेजनी हैं। ऐसे किसी व्यक्ति का नित जाना तो बहुत कठिन है जिसके पास उसका तीनों वस्तुएँ हो और जो गाय लेकर इन्हें बदले में देने के लिए तैयार हो। मान लो, गेहू़ वाला, बत्तन वाला तथा कपड़े वाला अपनी-अपनी वस्तु के बदले में गाय लेने के लिये तैयार हैं, परन्तु गाय वाले के समझ यह समस्या है कि वह गाय के तीन दुकड़े कंसे बरे क्योंकि ऐसा काले पर गाय का मूल्य बहुत कम रह जायगा। अतः ऐसे अदला-बदला में वस्तु-विनिमय नहीं हो सकता क्योंकि इस पार्य के दर्तने

में दो असुविधाएँ हैं (क) दो असमान मूल्य की वस्तुओं का विनिमय किस अनुपात में किया जाय तथा (ख) मूल्य के उपयोगिता में कमी आये बिना वस्तुओं का विभाजन किस प्रकार किया जाय ?

(iii) सर्वभाग्य मूल्यमापक का प्रभाव (Lack of Common Measure of Value) — वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं की अदल-बदल वा पारस्परिक अनुपात निरिचत करने में बहिनाई होती है क्योंकि मूल्य निर्भारित करने का कोई सर्वभाग्य मापदण्ड नहीं होता। एक सर्वभाग्य मूल्यमापक के अभाव के कारण न तो वस्तुओं का मूल्य ही मालूम होने पाता है और न वस्तुओं के मूल्य की तुलना ही सम्भव होती है। एक मन चने के बदले में बितना कपड़ा लिया या दिया जाय, इस बात की जानकारी होने पर ही वस्तु विनिमय सम्भव हो सकता है। आवश्यकता के बल इस बात की जानकारी वीं ही नहीं है कि एक मन चने के बदले में बितने गज कपड़ा लिया जाय वल्कि हमें चने के कपड़े के बदले में कौन्हि दसियो-बौसियो वस्तुओं लेनी होती हैं इसलिये हमें दसिया-बौसियो विनिमय दरों की जानकारी रखनी होती है। इस तरह विनिमय प्रणाली में प्रत्येक मनुष्य को अनेक विनिमय दरों याद बरनी पड़ती है क्योंकि वोई भी शक्ति के बल एक-दो वस्तुओं से सम्बन्धित विनिमय-दरों याद बरके के बल एक दो आवश्यकताओं को ही सनुप्ट बर सकता है। यदि प्रयत्न बरके इस प्रधार को सूची बना भी ली जाय जिसमें प्रत्येक वस्तु का मूल्य (वस्तुओं के हप में) अन्य दूसरी वस्तुओं के घनेका बलाप एक है, तद पहले से इस प्रकार की सूची बलाप कर्तित है और फिर यह इतनी बड़ी हो जायगी कि इसे याद रखने या समय-नामय पर देखने में बहुत बहिनाई अनुभव होगी। हर समय यह मालूम बरना कि एक मन ऐहू के बदले में हिताब से बितना तेल, सावन, बान, कपड़ा आदि लिया दिया जाय, एक बड़े झटके का कार्य होगा। कौन्हि वस्तुओं की विनिमय-दर मनुष्यों की इच्छा अथवा विनिमय में दोनों पक्षों की मात्र की सीढ़ता द्वारा निर्भारित होगी, इसलिये इन दरों में भी बहुत अनिश्चितता रहेगी। विनिमय दर में समय-नामय पर परिवर्तन हो जाने पर भूची में उचिल सूचीधन बरने की भी एक जटिल समस्या रहगी। यह स्वाभाविक ही है कि इन परिस्थितियों में समय और शक्ति के नए होने के अतिरिक्त वस्तुओं की प्रदला-बदली बरने में बिसी वर्ग को हानि आवश्यक रुठानी पड़े गें। अत वस्तु-विनिमय प्रणाली में सर्वभाग्य मूल्यमापक के अभाव के कारण विभिन्न वस्तुओं के पारस्परिक मूल्य के मापने में बहिनाई होती है।

वस्तु-विनिमय प्रणाली की उपरोक्त तीनों बहिनाईयों के कारण मनुष्य को दिमी न बिसी सर्वभाग्य माध्यम को स्वीकार बरना पड़ा। आजकल इस सर्वभाग्य माध्यम को हम मुद्रा (Money) कहते हैं। इस मुद्रा के उपयोग के कारण ही उपरोक्त बहिनाईयाँ दूर हो बर समाज बत्तमान आर्थिक विकास की स्थिति तक पहुँच सका है। मुद्रा के आविष्कार तथा इसके प्रयोग सीधी नामय कार्यों दो भागों में उपोक्तव्यीजत हो गया है—प्रथम, ब्रय (Purchase) तथा द्वितीय, विक्रय (Sale) जिससे विनिमय क्रिया पहले बीं तुलना में अत्यधिक सरल हो गई है। वर्तमान समाज में मुद्रा का यह ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

### मुद्रा (Money)

मुद्रा का उद्गम (Origin of Money) — वस्तु-विनिमय की बहिनाई को दूर

करने के लिये शब्दः शब्दः यह आवश्यक समझा जाने लगा कि कोई वस्तु विनिमय के माध्यम का कार्य करने के लिये हीनी चाहिए। ऐसी वस्तु की जब कभी आवश्यकता हुई, तब ही आर्थिक परिस्थितियों के अनुमार भिन्न-भिन्न वस्तुओं को गफलतापूर्वक विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाया गया। जिन वस्तु का क्रय-विक्रय (Purchase and Sale) करने के लिये या विनिमय के माध्यम (Medium of Exchange) ये रूप में प्रयोग होता था, उसे ही द्वय (Money) का नाम दिया जाता था। यह स्मृतरण रहे कि मुद्रा माध्यम के रूप में वज्र से प्रयोग में आई, यह बताना तो सम्भव नहीं है किन्तु यह निश्चित रूप से वहा जा सकता है कि हजारों वर्ष पूर्व भी मुद्रा का चलन था। वैदिक काल (Vedic Age) में मुद्रा को 'निष्ठ', 'शतमान', 'सुवर्ण', तथा 'पाद' आदि नामों से पुकारा जाता था। प्राचीन भारत में ऋग्वेद के युग में गाय को मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाया गया था। विभिन्न समय पर ग्रन्थ-ग्रन्थ द्वारा में भिन्न-भिन्न वस्तुओं को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाया गया है। यदि शिकारी-युग (Hunting Age) में खाल व सीर का मुद्रा के रूप में उपयोग दिया गया, तब पशुपालन-युग (Pastoral Age) में पशु, अनाज आदि का मुद्रा के रूप में उपयोग हुआ था। इस तरह इतिहास हमें बताता है कि प्राचीन काल में पशु, चमड़ा, कौड़िया, धनाग, पत्तर, तीर, भूगो-मोती, पुछ घृणों के सूखे कल, भूमि के द्रुवडे आदि अनेक वस्तुओं से मुद्रा का काम लिया गया था। किन्तु इन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का माध्यम के रूप में प्रयोग वरने में कुछ ऐसी बठिनाइयों अनुभव होने लगी कि माध्यम (Medium) तथा मूल्याकान (Measurement of Value) में लोहे व ताँबे के सिक्कों का उपयोग होने लगा। याने याने इन लोहे व ताँबे के सिक्कों के स्थान पर सोने व चाढ़ी के सिक्कों वा उपयोग होने लगा। यद्यने पहले धातु-सिक्कों का प्रयोग विस देश में हुआ, इस गम्भीर में बाकी योंग हुई है। कुछ विडानों का मत है कि धातु-सिक्कों का प्रयोग सब से पहले मिश्र (Cypri) तथा लीटिया (Lydia) में किया गया था। जब राज्यों को सिक्कों बनाने के लिये धातुओं से पर्याप्त मात्रा में मिलने में बहिराइ अनुभव होने लगी, तब उन्होंने बागजी-मुद्रा (Paper Currency) का चलन आरम्भ किया। भारतम् में यह बागजी मुद्रा धनु-मुद्रा। ये पूर्णतया परिवर्तनशील (Convertible) थी। शक्तिशाली तथा विश्वसनीय राज्यों की स्थापना, वैदिक प्रणाली के विकार तथा शर्थ-व्यवस्था के समर्थित हो जाने पर चेत्ता ((cheques), हैंडिया (Handlies) आदि अनेक प्रकार के राय-पार्स (Credit Instruments) वा उपयोग होने लगा और आज जर्मनी, 'इन्डिक तथा अमेरिका जैसे प्रमतिशील देशों में चेत्त आदि का बागजी परेन्सी (Paper Currency) जी अपेक्षा में कही अधिक ज्यादा उपयोग होता है।

### —मुद्रा की परिभाषा (Definition of Money)

प्रारम्भन :-—मंगेजी भाषा का Money प्रारम्भ लिये हिन्दी में 'मुद्रा' पायद है, मेटिन भाषा के (Moneta) शब्द से बना है। देवी जूनो (Goddess Juno) वा नूर का भास्तु भोनिटा (Moneta) है। इटली वी, प्राचीन विषयों में अनुमार देवी जूना नूर की रानी का नाम है। इससिये कुछ व्यक्तियों ने मुद्रा को हस्तीन अनन्द वा प्रनीर माना है। समझ है प्राचीन वात में इमी नारण जूनो देवी वै गण्डि में मुद्रा के बनाने वा ताँच दिया

## मुद्रा का अर्थ और इसके कार्य

जाता था। इसीलिये कूनों देवी के मन्दिर की दक्षान में जो मुद्रा बनाई जाती थी, उसका नाम Moneta (या मुद्रा) रखा गया। कुछ लेखकों ने Money शब्द को सेटिन भाषा के शब्द Pecunia से सम्बन्धित बिया है। Pelunia शब्द Pecus शब्द से बना है और Pecus शब्द का अर्थ पशु-सम्पत्ति (Cattle) है। जूनिंग्रेजीन काल में लगभग सब ही देशों में पशुओं को मुद्रा के रूप में उपयोग में लाया गया था और रोम (Rome) में भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिये मुद्रा और पशु वा एक ही अर्थ लगाया गया। अत यह स्पष्ट है कि मुद्रा के मूल के सम्बन्ध में भी वास्ती मतभेद है।

मुद्रा की परिभाषा वे सम्बन्ध ने भी अर्थशास्त्रियों में बड़ा मतभेद है। विभिन्न अर्थशास्त्री ने इसकी परिभाषा—मिल भिन्न प्रकार से दी है। इसका बारण यह है। जब उभी एक से अधिक अर्थशास्त्री विभी सम्बन्ध में अपना मत देते हैं, तब उनका एक मत होना—प्रायः सम्भव होता है और हरएक अर्थशास्त्री अपना ही इन्हीं का समने रखता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बारबरा वूल्टन (Barbara Woollen) ने यों ही कहा है कि ‘जब उभी द्वि-अर्थशास्त्री एकत्र होते हैं, तब वे सात प्रत्येक-प्रत्येक मत देते हैं।’ अर्थशास्त्रियों वे विचारों की विभिन्नता के बारण ही बीन्स (Keynes) ने कहा है कि ‘इस विज्ञान ने परिभाषाओं से अपना गला छोट लिया है।’ इस तरह बूल्टन तथा बीन्स दोनों ने ही कहा जब कभी अर्थशास्त्र में इसी स्थान पर एक से अधिक परिभाषायें एकत्र हो जाती हैं, तब इन्हे पढ़कर मनुक विषय की प्रकृति के सम्बन्ध में विभी प्रकार का निश्चय बर लेता इठिन ही नहीं बरकु भ्रातृ सम्भव हो जाता है। मुद्रा की परिभाषा वे सम्बन्ध में भी यही बात बही जा सकती है। मुद्रा की परिभाषा के सम्बन्ध में इतना प्रधिक मतभेद और प्रायः इतना अधिक शब्दों का हैरानीकर है कि एवं साधारण व्यक्ति मुद्रा की उचित परिभाषा को जान लेने के सम्बन्ध में उलझन में पड़ जाता है।

मुद्रा की परिभाषाएँ (Definitions of Money)—अभी तक मुद्रा की विभिन्न भी परिभाषाएँ दी गई हैं, उन सबमें अपशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किये हैं। मुद्रा की परिभाषाओं का वर्णकरण दो मुख्य आधार पर किया जाता है—प्रथम, अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार तथा द्वितीय परिभाषाओं की प्रकृति के अनुसार।

अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार मुद्रा की परिभाषाएँ का वर्गीकरण

(प) अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार मुद्रा की परिभाषा — विभिन्न अर्थशास्त्रिया द्वारा दी गई मुद्रा की परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि ये अर्थशास्त्री दो सीमाप्रे-लक्षणीय भाव (Narrow Sense) और भूति उदारभाव (Wider Sense) के बीच में पड़ी के लम्बक (Pendulum) की तरह ढोल रहे हैं। एवं तरफ तो ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो मुद्रा की परिभाषा में केवल धातुगत मुद्रा (Metallic Money) को ही समिलित करते हैं, और इसके विपरीत हूसरी प्रोर ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो सभी प्रकार के विनियम के माध्यम को अपेक्षा सभी प्रकार के हस्तान्तरिक होने वाले साहृदयों (Credit Instruments) वो जैसे—नेच, हुड्डी, बिल आफ ऐसेजैसे, बैंक ड्राएट आदि, मुद्रा के अन्तर्गत रखते हैं। ऐसे दोनों अन्तिम मतों में वे अर्थशास्त्री हैं जो केवल धातु-मुद्रा और कानूनी प्रात् धारणी मुद्रा को ही ‘मुद्रा’ मानते हैं। इस तरह मुद्रा की परिभाषा वे विषय में तीन विचारधाराएँ मिलती हैं—

(i) मुद्रा की संकीर्णभाव से दी गई परिभाषा (Definition of Money given with a narrow sense of the term):—इस वर्ग में रोबर्टसन (Robertson) जैसे अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएँ आती हैं। रोबर्टसन के अनुसार “मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो उस वस्तु की ओर संकेत करती है जो वस्तुओं के मूल्य के भुगतानों में अपवा दूसरे व्यापारिक वायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप से प्रहणा की जा सकती है।” चूंकि सोने-चांदी की मुद्रा ही “विस्तृत रूप से प्रहणा की जा सकती है”, इसलिए रोबर्टसन द्वारा दी गई मुद्रा की परिभाषा ही उपरोक्त पहले वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। परन्तु यह परिभाषा द्रव्य के केवल एक ही कार्य—‘वस्तुओं और सेवाओं के बदले में सर्वमान्यता के गुण’ तक ही सीमित है और यह द्रव्य के अर्थ कार्यों की ओर संकेत नहीं करती है, इसलिए यह परिभाषा अधूरी है।

(ii) मुद्रा की अति उदारभाव से दी गई परिभाषा (Definition of Money given with a broad sense of the term)—इस वर्ग में हार्टले विदर्स (Hartley Withers) जैसे अर्थशास्त्री आते हैं, जो हर प्रकार के विनिमय के माध्यमको मुद्रा मानते हैं। हार्टले विदर्स के अनुसार “मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है”<sup>1</sup> यह स्मरण रहे कि आजकल अधिकांश अमेरिकन व अंग्रेजी लेखक इसी व्याख्या का समर्थन करते हैं। हार्टले विदर्स ने अपनी मुद्रा की परिभाषा में कहा है कि मुद्रा का कार्य करने वाली जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे मुद्रा हैं। यह परिभाषा सूक्ष्मता है, परन्तु बड़ी सारगमित है इस तरह हार्टले विदर्स के अनुसार कोई भी वस्तु किसी भी रूप में यदि वस्तुएँ व सेवाएँ लारीद सकती हैं, तब वह मुद्रा है, चाहे वह प्राचलित नोटों (Currency Notes), सिक्कों (Coins) या बैंकों में जमा ऐसी पूँजी (Bank Deposits) जिस पर चेक (Cheques) जारी किये जा सकते हैं, के रूप में ही क्यों न हो। मुद्रा की यह परिभाषा बहुत ही विस्तृत प्रकार के विनिमय के साधनों को मुद्रा मानती है और सार्थकी साथ यह ऐसे भी साधनों को द्रव्य मानती है जिनके चलन का दोष बहुत सीमित होता है। इस परिभाषा के अनुसार मुद्रा के अन्तर्गत न केवल धातु मुद्रा (Metallic Money) ही है बरन् बैंक नोट जैसी पत्र-मुद्रा (Paper Currency) और चेक, हुन्डी, बिल आंफ एक्सचेंज तथा ड्राफ्ट जैसे साझन-पत्र (Credit Instruments) भी सम्मिलित हैं।

(iii) उचित परिभाषा:—नुस्ख अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा न तो संकीर्णभाव (Narrow Sense) से दी है और न अति उदार भाव (Wider Sense) से ही दी है बरन् इन्होंने इन दोनों अन्तिम विचारों के बीच का विचार (Middle Point of View) अपनाया है। इसमें ऐली (Ely) तथा मार्शल (Marshall) जैसे अर्थशास्त्री आते हैं। प्रो॰ ऐली (Ely) का मत है “मुद्रा ऐसी भी वस्तु है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरण होता है और जो सामान्य रूप से ‘छत्ते’ के अन्तिम

1—"A commodity which is used to denote anything which is widely accepted in payment of goods, or in discharge of other business obligations"—Robertson, Money

भुगतान में स्वीकार होती है।”<sup>1</sup> इसी प्रकार प्रो॰ मार्शल (Marshall) ने कहा है “मुद्रा में वे सब वस्तुएँ सम्मिलित हैं जो (किसी विशेष समय अथवा स्थान पर) विना सन्देह अथवा विशेष जाति के वस्तुओं और सेवाओं के लागतदाने तथा खर्चों खुकाने के साधन के रूप में सामान्य रूप से पहुंच को जाती हैं।”<sup>2</sup> छूंकि चैक, हुन्डी, बिल आफ एक सब ज्ञानिक वा न तो ‘स्वतंत्रतापूर्वक हस्तान्तरण’ होता है और न वे “विना सन्देह अथवा विशेष जाति” के ही स्वीकार किये जाते हैं, इसलिए प्रो॰ ऐली अथवा प्रो॰ मार्शल वी परिभाषा में अनुसार उक्त साथ पश्चों को मुद्रा में सम्मिलित नहीं किया जाना है।

### परिभाषाओं की प्रकृति के अनुसार उनका वर्गीकरण ।

(प्रा) परिभाषाओं की प्रकृति के अनुसार मुद्रा को परिभाषाओं का वर्गीकरण—

परिभाषाओं की प्रकृति के अधार पर मुद्रा की परिभाषाओं के तीन वर्ग सम्भव हैं— प्रथम, वैधानिक परिभाषाएँ, द्वितीय, वर्णात्मक परिभाषाएँ तथा तृतीय, मुद्रा की सब व्यापकता पर आधारित परिभाषाएँ।

(१) मुद्रा की कुछ वैधानिक परिभाषाएँ (Legal Definitions)—इस वर्ग में उन परिभाषाओं को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा के राज्य सिद्धान्त (State Theory of Money) पर आधारित हैं।<sup>3</sup> इसलिए इस वर्ग में सम्मिलित परिभाषाओं को हम वैधानिक परिभाषाएँ (Legal Definitions) कहते हैं। जर्मन अर्थशास्त्री नैप (Knapp) तथा इङ्गलिश अर्थशास्त्री हाउट्रे (Hawtrey) जैसे अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा इसी हृष्टिकोण से दी है। नैप (Knapp) के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा हो जाती है।<sup>4</sup> यह सबं विदित है कि आयुनिक युग में मुद्रा का प्रचलन सरकार द्वारा किया जाता है और जो वस्तुएँ सरकार द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, वही मुद्रा के रूप में उपलब्ध रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी वस्तुओं को वात्रनन स्वीकार करना पड़ता है और जो व्यक्ति उक्त वस्तुओं को मुद्रा के रूप में लेने के लिए तेयार नहीं होता, उन्हें राज्य दंड देता है। यही कारण है कि आजकल प्रत्येक समाज में कुछ ऐसी वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रचलन पाया जाता है कि यदि सरकार उनको मुद्रा घोषित नहीं करती अथवा उनके पीछे कानूनी दबाव नहीं होता, तब काई भी व्यक्ति उन्हें रखोकार नहीं

1—“Money is anything that passes freely from hand to hand as a medium of exchange and is generally received in final discharge of debts”—Ely, *Elementary Principles of Economics*

2—“All those things which are (at any time and place) generally current without doubt or special enquiry as a means of purchasing commodities and services and of defraining expenses are included in the definition of money”—Marshall, *Money Credit, Commerce P. 13.*

3—मुद्रा के राज्य सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा वही वस्तु हो सकती है जो राज्य की ओर से छुए जुकाने वा खाली घोषित कर दी जाती है। राज्य नी हृष्टि से आधिक अधिकारी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सम्बन्ध छुए-भुगतान का है।

4—The State Theory of Money by Lucas and Bonar (An English Translation of Knapp)

करता। उदाहरण के लिये, जब कभी सरकार पन-मुद्रा की कानूनी-प्राप्ति (Legal Tender) घोषित कर देती है अथवा जब सरकार कागज के नोटों का विमुद्रणकरण (Demonetisation) कर देती है और इनके पीछे से वैदानिक दबाव हटा जाता है, तब उन्हें वोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। इसमें यह स्पष्ट है कि मुद्रा में सर्वप्राप्ति सरकारी दबाव एवं कानून के कारण है, न कि उसकी आपनी निजी शक्ति अथवा गुणों के कारण है।

वैदानिक ही नहीं बरन् व्यवहारिक हृष्टिकोण में भी नैप (Knapp) की मुद्रा की परिभाषा महीने प्रतीक होती है, परन्तु बास्तव में यह परिभाषा इन्हीं टीक नहीं है। इसमें दो दोष मुख्यतः पाये जाते हैं—(क) स्वयं नैप के देख जर्मनी में ही अमाधारण परिस्थितियों में इस परिभाषा का दोष प्रकट हो गया था। प्रथम महा-युद्ध के पश्चात् जर्मनी में अत्यधिक मुद्रा-प्रमाण (Inflation) हो गया था। मुद्रा-प्रमाण की परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण जनता वा मुद्रा पर में विश्वास हट गया था। फलतः जनता ने कागज के नोटों को स्वीकार करना बन्द कर दिया था और लगभग सभी विनियमनार्थ बम्ब-विनियम (Bitter) प्रणाली द्वारा लिये जाने लगे थे। यरकार ने जैनटां की नोटों में विश्वास बनाये रखने के लिए वित्तने ही कड़े-बड़े नियम बनाये, मुद्रा स्वीकार नहीं करने वाले को मृत्यु-दंड तक रखा, परन्तु फिर भी जनता वा मुद्रा में विश्वास नहीं रह सका। इस उदाहरण में स्पष्ट है कि राज्य की समस्त शक्ति नोटों के पीछे रहने पर भी, सरकार द्वारा घोषित मुद्रा, जनता वा इसमें से विश्वास हट जानेके कारण, प्रचलन में नहीं रह सकी। इसलिए मुद्रा की स्वीकृति रखकारी घोषणा अथवा शक्ति पर नहीं बरन् जनता के विश्वास पर निर्भर रहती है और रखकार द्वारा घोषित वस्तु मुद्रा के स्वयं में उसी सेमय तक चल मजबूती है, जब तक कि जनता वा उसमें विश्वास होता है। अतः नैप (Knapp) का हृष्टिकोण टीक नहीं है और इस कारण उसके द्वारा दी गई मुद्रा की परिभाषा भी टीक नहीं है। (ख) नैप की मुद्रा की परिभाषा में एक दोष और याद्या जाता है। अर्थशास्त्र में विनियम की परिभाषा में स्पष्ट है कि वैदान ऐसे हस्ताननरण के बायोंको विनियम बनाने हैं जो स्वनन्त्र (Free) तथा ऐच्छिक (Voluntary) होते हैं। आतोंबको का मत है कि यदि मुद्रा की कानूनी सरकार द्वारा अनिवार्य घोषित कर दी जाती है, तब इसमें विनियम वायं स्वतन्त्र तथा ऐच्छिक नहीं रह जाता। इसलिए आतोंबको ने बहा है कि नैप (Knapp) की परिभाषा संवादितक हृष्टिकोण से टीक नहीं है।

हाउट्रे (Hawtrey) ने आपनी मुद्रा की परिभाषा को नैप (Knapp) की परिभाषा के दोपाँ दो घ्यान में रखने हुए, मुद्रारने वा प्रयत्न किया है। उन्होंने मुद्रा की कानूनी प्राप्ति (Legal Tender) तथा साथ ही साथ हिनाव की इकाई (Unit of Account) माना है। इस तरह उन्होंने नैप के हृष्टिकोण में मुद्रा द्वारा क्रय-शक्ति के स्वयं में लिये जाने वायं को भी जोड़ दिया है त्रिमें उनकी परिभाषा नैप (Knapp) की परिभाषा से अच्छी हो जाती है।

(ii) मुद्रा की वर्णनिक परिभाषा (Descriptive definitions of Money)—  
इस बग्न में दो परिभाषाएँ मिलित की जाती हैं जो परिभाषा के स्थान पर मुद्रा के बायों

के वर्णन (Description) पर अधिक महत्व देती है। इस तरह ये परिभाषायें यह तो नहीं बताती कि मुद्रा क्या है बल्कि ये मुद्रा की विशेषताओं एवं नायों का वर्णन करती हैं। इस वर्णन महाट्टेले विदर्स (Hartley Withers), टामस (Thomas) तथा सिड्विक (Sidgwick) जैसे अर्थशास्त्रियों वी परिभाषायें आती हैं। (क) महाट्टेले विदर्स (Hartley Withers) की परिभाषा के सम्बन्ध में ऊपर विस्तार से लिखा जा चुका है—“मुद्रा वही है, जो मुद्रा का कार्य करती है।” विदर्स ने मुद्रा के चार कार्य बताये हैं—विनियम का माध्यम, वस्तुओं का मूल्य मापन, मूल्य का सचय तथा वित्तमित भुगतान का भान। (ख) टामस (Thomas) ने शब्दों में “मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो मूल्य मापक तथा ग्राह्य वस्तुओं के बीच विनियम माध्यम का कार्य दरने के लिए एकमत होकर चुन ली जाती है।”\*

किसी वस्तु के वर्णन (Description) तथा उसको परिभाषा (Definition) में बहुत अन्तर होता है। जब हम किसी वस्तु के गुणों ग्राह्यता कार्यों का उल्लेख करते हैं, तब यह उस वस्तु का वर्णन होता है न कि उस वस्तु की परिभाषा। इसे विपरीत विसी वस्तु की परिभाषा में उस वस्तु के वर्ग (Genus) तथा विशेषक अन्तर (Differentia) का उल्लेख होना चाहिए और तब हम वस्तु के इस प्रकार के उल्लेख का वर्णन नहीं बल्कि परिभाषा कहते हैं। वर्णात्मक परिभाषायें बहुत सरल होती हैं तथा व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी भी होती हैं। परन्तु तर्क की कसीटी पर ये बेकार सिद्ध होती हैं क्योंकि इन में केवल वस्तु के गुणों एवं नायों का ही वर्णन होता है, न कि उनकी परिभाषा का। कारण है कि तर्क की कसीटी पर विदर्स, टामस तथा सिड्विक अन्ति अर्थशास्त्रियों वी मही मुद्रा की परिभाषायें उपयुक्त नहीं जतरती हैं।

(iii) मुद्रा की सर्वत्रहुएयता पर आधारित परिभाषायें (Definitions based on the General Acceptability of Money)—इस वर्ग से वे परिभाषायें सम्मिलित हैं जो मुद्रा वी सामान्य स्वीकृति पर आधारित हैं। यद्यपि इनमें भी आपस में वापी अन्तर पाया जाता है, परन्तु इन सब का आधार एक ही है—सामान्य स्वीकृति। इस वर्ग म मार्गिन, रावट्सन, बाकर, सेलिगमैन, ब्राउथर, बोल, बीन्स, फैन्ट आदि अर्थशास्त्रियों वी परिभाषायें आती हैं। मार्गिन व रोवट्सन वी परिभाषायों का उल्लेख ऊपर विस्तार से किया जा चुका है। नीचे उक्त वर्ग की अन्य कुछ मुख्य परिभाषायों का वर्णन किया गया है—

(व) बाकर (Walker) का मत है, “मुद्रा यह है जो वस्तुओं के पूर्णदृष्टि से मूल्य चुकाने और ग्रहण का अन्तिम भुगतान करने में स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तांतरित होती रहती है, जो मुगतान करने वाले व्यक्ति के व्यक्ति अभ्यवा उसकी साख का पता लगाये बिना ही स्वीकार कर ली जाती है और जो व्यक्ति इसे ग्राप्त करता है उसका ऐसा द्वारा नहीं होता

\*—“Money is a commodity chosen by common consent to be a measure of value and a means of exchange between all other commodities”—S E Thomas' Elements of Economics, Chap XXIII

कि वह इसका स्वयं उपभोग दर्थवा उपयोग करेगा वरन् वह किसी न किसी समय उसे विनिमय द्वारा हस्तान्तरित कर देता है।<sup>१</sup>

बाकर की मुद्रा की पह परिभाषा बहुत ही उचित है। उसके बतानुसार भी मुद्रा की परिभाषा के अन्तर्गत चेक्स (Cheque<sup>a</sup>), हूँडियाँ (Hundies) तथा अन्य साल-पत्र (Credit Instruments) नहीं आते क्योंकि इनको बिना इनके देने वाले की साल (Credit) की जांच किये या बिना इस व्यक्ति की जानकारी के कोई भी व्यक्ति छूटा के सम्पूर्ण भुगतान में या वस्तुओं के मूल्य के भुगतान में स्वीकार नहीं करता है। चूँकि चेक्स जैसे साल-पत्रों में सर्वश्राह्यता नहीं होती और मुद्रा का एक विशेष लक्षण अनिवार्य सर्वश्राह्यता है, इसलिये चैक आदि साल-पत्रों को मुद्रा की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं रखता जाता है।

(ए) किनले (Kinley) ने द्रव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, "विनिमय के माध्यम के उस भाग को हम द्रव्य फ़ह सकते हैं, जो विनिमय के रूप में चलन में बिना किसी ऐसी शर्त के स्वीकार कर सी जाती हो जिससे देने वाले की जिम्मेदारी उस हालत में प्रकट हो जब कि उसे कोई स्वीकार करने से इनकार कर दे।"<sup>२</sup> दूसरे शब्दों में, "विनिमय के माध्यम का वह भाग, जो बिना किसी शर्त के चलन में विनिमय के रूप में स्वीकार कर लिया जाय, द्रव्य है।"

किनले की इस परिभाषा से भी स्पष्ट है कि चैक आदि साल-पत्र मुद्रा के अन्तर्गत नहीं है क्योंकि ये बिना किसी शर्त के स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं। चैक लेने वाला चैक इस शर्त पर स्वीकार करता है कि यदि बैंक से उक्त चैक का रूपाया नहीं मिल सका, तब चैक देने वाला छूटा या भुगतान करने के दायित्व से मुक्त नहीं माना जायगा। चूँकि साल-पत्रों में इस प्रकार की शर्त होती है, इसलिये किनले ने इन्हे मुद्रा के अन्तर्गत नहीं रखता है।

(ग) कोल (Cole) का विचार है, "मुद्रा क्य-शक्ति है—कोई भी वस्तु जिससे अन्य वस्तुर्य खरीदी जा सके।"<sup>३</sup> उन्होंने 'द्रव्य' और 'क्य-शक्ति' को पर्याप्तवाची शब्द माने हैं। ताकि मुद्रा के अन्तर्गत हुन्डी, बिल घाँूँ एक्सचेंज जैसे साल-पत्र समिलित नहीं किये जा सके, वोल (Cole) ने यह भी कहा है कि "हमें मुद्रा की विचारधारा में से चैक तथा हूँडियों को यहिकृत करना पड़ेगा।"<sup>४</sup>

वोल ने चैक्स व बिल्स घाँूँ एक्सचेंज को इस कारण मुद्रा नहीं माना है क्योंकि उनकी सम्मति में ये साल-पत्र देवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर किसी रकम के दाये

1—"Money is that which passes freely from hand to hand in full payment of goods, in final discharge of indebtedness, being accepted equally without reference to the character or credit of person tendering it, and without any intention on the part of the person receiving it himself to consume or otherwise use it then by passing it on, sooner or latter, in exchange"—Walker.

2—"We may limit the term money to that part of the medium of exchange which passes generally in current exchange and settlements of debts, without making the discharge of obligations contingent on the action of a third party or on the action of the payer by promising redemption if the money article does not pass"—Kinley. Money.

3—"Money is purchasing power.....something which buys things"—G. D. H. Cole, What everybody wants to know about Money, P. 21

4—"It is most expedient to exclude Bills of Exchange as well as Cheques from our conception of Money."—G. D. H. Cole.

(Claims) को प्रवर्त करते हैं और दावा (Claim) दृष्टि नहीं हो सकता। इससे अतिरिक्त इन साख-पत्रों को प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करने के लिये भी तंत्यार नहीं होता है। अतः कोल (Cole) के अनुसार हम मुद्रा के घटनांत वैवल घानु-मुद्रा तथा पत्र-मुद्रा ही रखते हैं, साख-मुद्रा इसके अन्तर्गत नहीं रखती जाती है।

(घ) क्राउथर (Crowther) के अनुसार, “कोई वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः सर्वप्राप्त हो तथा उसी समय मूल्य-भाषण एवं मूल्य-सचय का कार्य करती हो, मुद्रा है।”<sup>1</sup>

(न) सेलिगमन (Seligman) के अनुसार “मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वप्राप्त हो सकता है।”<sup>2</sup>

(त) कीन्स (Keynes) का विचार भी इसी प्रकार का है। उनका मत है कि “मुद्रा वह है जिसको देहर क्रहण-करारों (Debt Contracts) तथा मूल्य-करारों (Price Contracts) का भुगतान किया जाता है और निसके रूप में सामान्य क्रय-शक्ति का सचय दिया जाता है।”<sup>3</sup>

निष्पर्ध (Conclusion) —मुद्रा की उक्तलिखित परिभाषाओं से मुद्रा के समस्त गुणों का ज्ञान हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि “सामान्य स्वीकृति” मुद्रा का एवं विशेष गुण है। मुद्रा के समस्त गुणों के आधार पर इसकी एक मरम परिभाषा इम प्रकार दी जा सकती है—“कोई भी वस्तु जो विनिमय के साध्यम, मूल्य का सामान्य भाषण, क्रहण के भविष्य के भुगतान का भाष्टदन्ड, भ्रमं ‘के सचय के साधन के रूप में स्वतन्त्र, विस्तृत तथा सामान्यतया सर्वप्राप्त हो, इत्य कहलाता है।” इस प्रकार वस्तु का रूप कुछ भी हो सकता है और वास्तविकता भी यही है कि विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न बालों में आलग-आलग वस्तुओं का मुद्रा के रूप में उपयोग हुआ भी है। यह स्मरण रहे कि वे वै वै नोट, साख-पत्र (Credit Instruments) तथा प्रतिरूपिया (Securities) जिन्ह निमी क्षेत्र में सामान्य स्वीकृति (General Acceptability) का गुण प्राप्त होता है, उम क्षेत्र में भी मुद्रा ही है।

### मुद्रा के कार्य (Functions of Money)

मुद्रा के कार्य (Medium of Exchange) —मुद्रा की उपर्युक्त परिभाषाओं ने पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रा का कार्य वैवल विनिमय माध्यम (Medium of Exchange) का ही है क्योंकि उक्त तमाम परिभाषाओं ने मुद्रा के विनिमय-माध्यम तथा सर्वप्राप्त होने के गुणों पर ही विशेषत बल डाला है। परन्तु विनिमय-माध्यम के अतिरिक्त मुद्रा के अन्य अनेक कार्य भी हैं जिनको ज्ञान लेने पर ही हम मुद्रा की प्रकृति एवं स्वरूप का उचित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में साधारणतया मुद्रा के चार कार्यों पर ही

1—Anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and as a store of value is called money—Crowther An Outline of Money, P. 26.

2—“Money is one thing that possesses general acceptability”—Seligman

3—“Money is that by the delivery of which debt contracts and price contracts are discharged and in the shape of which a store of general purchasing power is held”—Keynes, A Treatise on Money, I Vol.

ग्रंथिक बल दाना गया है—विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित-भुगतान का मान तथा अर्थ वा मध्यम । परन्तु वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के इन चार वार्यों के अनिरिक्षण अन्य अनेक वार्य भी बताये हैं । प्रायः सेल्सबो ने मुद्रा के वार्यों वो तीन भागों से विभाजित विद्या है:—(अ) मुख्य कार्य, (आ) सहायक कार्य तथा (इ) आवस्मिक कार्य ।

(अ) मुख्य कार्य (Primary Functions).—मुद्रा के इन मुख्य वार्यों को कभी-

मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं:—

(अ) मुख्य कार्य—✓

१. मुद्रा विनिमय का माध्यम है ।

२. मुद्रा मूल्यमापन का साधन है ।

(आ) सहायक कार्य—✓

३. विनिमय भुगतान का मान ।

४. ग्रृहणात्मक वा मध्यम ।

५. अर्थ के हस्तान्तरित तथा स्थानान्तरित बर्तने का साधन ।

(इ) आवस्मिक कार्य—

६. मुद्रा साक्ष के आधार का वार्य बर्तती है ।

७. मुद्रा मामाजिक आय के वितरण में मुलभता लाती है ।

८. मुद्रा उपभोक्ता को सम्मीमान उपयोगिता प्राप्त बर्तने में सहायता होती है ।

९. मुद्रा सभी प्रवार की पूँजी तथा गन्मी प्रवार के धन को एक भागान्य मूल्य प्रदान बर्तती है ।

(ई) अन्य कार्य—

१०. मुद्रा शोषणक्षमता को बनाये रखने में सहायक होती है ।

११. मुद्रा निर्गुण का बाहक है ।

या भेदा वो वेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है जिसे विक्रय (Sale) कहते हैं और तदान्वान्

कभी मुद्रा के मौलिक वार्य (Original Functions) या अत्यावश्यक वार्य (Essential Functions) कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे वार्य हैं जिन्हें मुद्रा ने आविक विवाद की प्रत्येक अवस्था में किया है । मुद्रा के मुख्य वार्यों को दो भागों में उपविभाजित किया जाता है—(i) विनिमय माध्यम तथा (ii) मूल्य-मापन का साधन ।

(i) मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है (Money is a Medium of Exchange):—विनिमय माध्यम के रूप में वार्य, द्रव्य का प्रधान व प्रमुख वार्य है क्योंकि आविक जीवन विनिमय पर ही आधारित है । मुद्रा में सर्वश्राहता का मुद्दा होने के कारण, यह विनिमय-वार्य में सुगमता लाती है । वस्तु विनिमय (Barter) प्रणाली में वस्तुओं का आदान-प्रदान तब ही सम्भव है जब कि दो व्यक्तियों की आवश्यकताओं में दुहरा मर्योग (Double Coincidence) होता है, परन्तु इस प्रकार के संयोग के कारण वस्तु-विनिमय प्रणाली में कठिनाइया अनुभव होती है । परन्तु मुद्रा के उपयोग से अदला-बदली की कठिनाइयों दूर हो जाती है । चूंकि द्रव्य-विनिमय प्रणाली में सब प्रवार की वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य द्रव्य में व्यक्त किया जाता है, इसलिये द्रव्य के प्रयोग से विनिमय-वार्य दो मार्गों में विभक्त हो जाता है । पहले वस्तु

\*—Money is a matter of functions four.

A medium, A measure, A Standard and a Store.

मुद्रा के ही वार्य चार,

माध्यम, मापक, मंचय और प्राप्तार ।

प्राप्त हुई मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तुयें प्राप्त वी जाती हैं जिसे द्रव्य (Purchase) कहते हैं। इस तरह वस्तु को भीधे वस्तु से न बदलकर, पहले वस्तु से द्रव्य का और कि द्रव्य का वस्तु से बदला करते हैं। यद्यपि अन्ततः शब्द भी वस्तु का वस्तु से अदला-बदला होत है, परन्तु यह द्रव्य के द्वारा (Through Money) होता है अर्थात् इस प्रकार के विनिमय में द्रव्य एक माध्यम (Medium of Exchange) का कार्य करता है जिसे द्रव्य विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange) हो जाता है। यह स्मरण रहे कि विनिमय में शब्द व्यक्ति को एक ऐसे धार्मी को दूर ढंगे भी आवश्यकता नहीं होती जिसे उसकी वस्तु की आवश्यकत हो। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि द्रव्य तर्वं मान्य वस्तु है, इसलिये प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु क सेवा वे बदले में मुद्रा को विना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेता। क्योंकि वह समझता है कि मुद्रा में क्रय-शक्ति (Purchasing Power) है और वह भी इस से आवश्यकता पड़न पर अपनी आवश्यकता की वस्तुयें खरीद सकता। (ii) मुद्रा मूल्यमान का साधन है (Money is a Measuring of Value) — तूँकि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, इसलिये मुद्रा के ग्रन्त कार्य भी होते हैं। विनिमय बरते के लिये हमें वस्तु के विनिमय-दार्ता (Value) का नरण्य करना बहुत आवश्यक होता है। तूँकि द्रव्य विनिमय में प्रत्येक वस्तु का विनिमय द्रव्य से होता है, इसलिये वस्तुओं की विनिमय रांग द्रव्य द्वारा ही निर्धारित होती है जिसे हम वस्तु का मूल्य (Price) कहते हैं। अत द्रव्य का दूसर महत्वपूर्ण कार्य सब वस्तुओं के मूल्य को आवने का है अर्थात् सब वस्तुओं का मूल्य द्रव्य ही व्यक्त किया जाता है। यह स्मरण रहे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में सर्व मान्य मूल्य मापदंश का अभाव (Lack of Measurements of Value) होता है। परन्तु द्रव्य विनिमय प्रणाली में तूँकि प्रत्येक वस्तु क सेवा का मूल्य द्रव्य में व्यक्त किया जाता है, इसलिये वस्तु विनिमय की अमुक्तिनाई स्वत ही दूर हो जानी है। अत मुद्रा मूल्य-मापन का कार्य करती है और वीम को नापकर यह वस्तुओं और सेवाओं के वीच विनिमय अनुपात निर्धारित करती है।

### द्रव्य के विनिमय-माध्यम तथा मूल्यमान के कार्यों में सम्बन्ध

मुद्रा के विनिमय माध्यम (Medium of Exchange) तथा मूल्यमान (Standard of Value) के कार्यों के सम्बन्ध म दो बातें स्मरणीय हैं —

(i) द्रव्य द्वारा मूल्यमान तथा विनिमय-माध्यम के कार्यं प्रधिकार दशाओं में सा ही साय सम्पन्न करते हैं और कुछ दशाओं में द्रव्य के बल मूल्यमान का ही कार्यं करत है, यह विनिमय माध्यम का हाथ नहीं परता — मुद्रा के विनिमय माध्यम तथा मूल्यमान कार्यों में इतना अनिष्ट सम्बन्ध होता है कि अवसर यह कहता कहिन हो जाता है कि ए कार्यं कहीं पर समाप्त हुआ और दूसरा कार्यं वहीं पर धाराभूमि हुआ। जब तब वस्तुओं के मूल्याकान द्रव्य म नहीं हो जाता, द्रव्य का उपयोग विनिमय माध्यम के रूप म नहीं किया जा सकता है। परन्तु बत्तेमान समाज मे इसी समय पर मुद्रा द्वारा मूल्यमान तथा विनिमय माध्यम का कार्यं इतनी शोषिता से होता है कि अवसर देसा प्रतीत होता है कि पै थे

कार्य साथ ही साथ किये जा रहे हैं और हम इस निष्ठर्थ पर पहुंचते हैं कि ये दोनों कार्य साप ही साप सम्पन्न होते हैं। परन्तु वर्तमान आर्थिक समाज में कई बार ऐसा भी होता है कि मुद्रा का मूल्यमान के रूप में तो उपयोग होता है परन्तु इसका साथ ही साथ विनियम-माध्यम के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। तब ऐसी अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि मुद्रा द्वारा मूल्यमान तथा विनियम-माध्यम के कार्य साथ ही साथ सम्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिये, एक व्यवसायी अपने व्यवसाय का लेखा-जोखा बनाते समय मवान, भूमि, मशीन, फर्नीचर तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य द्रव्य के रूप में आवता तो है (इस तरह द्रव्य ने यही मूल्यमान का कार्य किया), परन्तु उसका इनको बेचने का तत्त्व भी इरादा नहीं होता है और वास्तव में वह इन्हें बेचता भी नहीं है (इस तरह द्रव्य ने यहा विनियम-माध्यम का कार्य नहीं किया है)। इस उदाहरण में द्रव्य ने बेचल लेते को इकाई (Unit of Account) के रूप में कार्य किया है, विनियम-माध्यम के रूप में इसका उपयोग नहीं किया गया है। अतः हम इस निष्ठर्थ पर पहुंचते हैं कि यद्यपि वर्तमान आर्थिक संगठन में अधिकांश वशाओं में द्रव्य द्वारा मूल्यमान तथा विनियम-मान के दोनों कार्य साप ही साप सम्पन्न किये जाते हैं, परन्तु ऐसी भी अनेक परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें द्रव्य के बल मूल्यमान का ही कार्य फरता है और इससे विनियम-माध्यम का कार्य नहीं लिया जाता।

(ii) विनियम-माध्यम के द्रव्य तथा मूल्यमान के द्रव्य में भिन्नता हो सकती है— विश्व देशों वी मुद्रा के इतिहास का अध्ययन बरने पर हमें अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें विसी एक देश में यदि विसी एक वस्तु को विनियम के माध्यम के रूप में उपयोग में साया गया है तब उसी देश में मूल्यमान के लिये विसी दूसरी वस्तु का उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, जर्मनी (Germany) में सद १६२३ में दो थलग-प्रलग मुद्राओं विनियम-माध्यम तथा मूल्यमान का कार्य कर रही थी। अत्यधिक मुद्रा-प्रसार (Inflation) के कारण वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ गया था जिससे जर्मन मार्क (Mark) का मूल्य निरन्तर कम होता जा रहा था। तूँकि जर्मन मार्क के मूल्य में स्थिरता (Stability) नहीं थी, इसलिये प्रशब्द (Contracts) अमेरिकन डालर (Dollar) या सुइस फ्रैंक (Swiss Franc) में किये जाते थे (क्योंकि डालर तथा फ्रैंक के मूल्य में स्थिरता थी), परन्तु भुगतान (Payment) जर्मन मार्क में ही किया जाता था। इस तरह चलन की इकाई (Unit of Account) या विनियम माध्यम की वस्तु मार्क (Mark) थी, परन्तु लेते की इकाई (Unit of Account) या मूल्यमान की वस्तु अमेरिकन डालर (Dollar) या सुइस फ्रैंक (Swiss Franc) थी। इसी तरह अमेरिका में सद १६३३ तक मूल्यमान की इकाई तो स्वर्ण डालर (Gold Dollar) था, परन्तु विनियम-माध्यम की इकाई पत्र-मुद्रा, चार्ड या गिलट या तारे के सिक्के थे। अतः दो भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राओं विनियम-माध्यम तथा मूल्यमान के रूप में उपयोग में लाई जा सकती हैं परन्तु यह तब ही सम्भव होता है जबकि सरकार द्वारा दोनों मुद्राओं की विनियम-दर बायम रखती जाती है।

(iii) सहायक कार्य (Secondary Functions) — इनके अन्तर्गत द्रव्य के मूल्य कार्यों से कम महत्व के कार्य आते हैं। ये ऐसे कार्य हैं जो ममाज की आधिक उपलब्धि के साथ ही साप दिलाई देते हैं अर्थात् द्रव्य द्वारा ये कार्य उसी अवस्था में सम्पन्न किये जाने हैं जब-

कि समाज का एक अंश तक आर्थिक विकास हो चुकता है। जूँकि ये कार्य मुद्रा के मूल्य कार्यों से उत्पन्न होते हैं, इनमें से इनको सहायक (या गोण) कार्य या कभी-नभी व्युत्पादित-कार्य (Derived Functions) कहा जाता है। द्रव्य के सहायक कार्यों को भी तीन उप-विभागों में विभाजित विद्या जा सकता है—(i) विलम्बित भुगतान का मान, (ii) क्रय-शक्ति का सचय तथा (iii) अर्थ के हस्तान्तरित करने वा साधन।

(1) विलम्बित भुगतान का मान (Standard of Deferred Payment)—समाज में भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये उधार लेना-देना होता है। वस्तु विनियम के युग में ऋण का भुगतान तब ही सम्भव था जबकि ऋणी वही वस्तु वापिस देता था जो ऋणदाता को मान्य थी। परन्तु आज ऋणदाता ऋण के भुगतान में ऋणी से द्रव्य को स्वीकार कर लेता है क्योंकि द्रव्य सर्वमान्य तथा सर्वप्राप्त है, इसमें क्रय शक्ति है और वह द्रव्य के उपयोग से अपनी आवश्यकता की तमाम वस्तुयें खरीद सकता है। इस तरह द्रव्य ने भविष्यकालीन लेन-देनों के भुगतान वा कार्य वहूत ही सुगम व सरल कर दिया है। द्रव्य के इस कार्य की महत्ता वर्तमान युग में सो वहूत ही अधिक हो गई है क्योंकि आधुनिक व्यापारिक संगठन में लेन-देन तथा साल वा वहूत महत्व है। जूँकि वस्तुओं वा मूल्य द्रव्य में व्यक्त विद्या जाता है, द्रव्य में मूल्य में अपेक्षाहृत अधिक स्थायित्व रहता है। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा इनमें टिकाऊपन भी अधिक होता है तथा यह स्थगित भुगतान वा अच्छा साधन है, इमीलिये आजवस्तु स्थगित-देय के व्यवहार भी परिमाण में बहुत अधिक होते जा रहे हैं। आत मुद्रा का स्थगित भुगतान के रूप में कार्य वहूत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समाज में उधार लेन-देन की रथवस्था उत्तरान हुई है जिससे समाज का आर्थिक विकास सम्भव हो सका है।

यह स्मरण रहे कि स्थगित भुगतान के रूप में भी मुद्रा के कार्य में कुछ दोष हैं। जब कभी स्वयं द्रव्य के मूल्य में भारी परिवर्तन हो जाता है, तब यह मूल्य-परिवर्तन कभी तो ऋणदाताओं के विरुद्ध और कभी ऋणियों के विरुद्ध होता है। इस दोष के कारण कभी-कभी लेन-देन के कार्यों में वठिनाइयाँ अनुभव होने सकती हैं। परन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस दोष को दूर करने के लिये एक सुझाव दिया है और वह यह है कि मुद्रा के स्थगित भुगतान के कार्य को अधिक लोचदार (Elastic) बना देना चाहिये अर्थात् ऋणी को उधार ली गई क्रय-शक्ति के बराबर ही मूल्य लौटाना चाहिये। इस तरह ऋणी द्वारा चुकाई जाने वाली मुद्रा की मात्रा में मुद्रा वी क्रय शक्ति के परिवर्तनों के अनुसार ही घट-डड की जायगी। यदि इस सुझाव को मान लिया जाय तथा स्थगित भुगतान के रूप में मुद्रा के कार्य में जो उत्तिस्तित दोष आ जाता है, वह भी दूर हो जायगा। और लेन-देन का कार्य वहूत ही उचित ढंग से किया जाने सकेगा।

(ii) क्रय-शक्ति का सचय (Store of Purchasing Power)—जब तक द्रव्य जैसी वस्तु वा आविष्कार नहीं हुआ था, मनुष्य को बचत को सचित बरना असम्भव सा ही था क्याकि वस्तुओं के रूप में सचय करने में इनके शीघ्र नप्ट हो जाने का सदा भय बना रहता था तथा वस्तुओं का सचय करने के लिये बहुत जगह वीं भी आवश्यकता होनी थी। तदूपरज्ञातु जबकि पूर्ण परिवर्तन, खात तथा हड्डी आदि का द्रव्य के रूप में प्रयोग होने लगा,

तब भी अर्थ संचय (Store of Value) का कोई उचित साधन नहीं या क्योंकि ये वस्तुयें भी स्वतः नष्ट होने वाली थीं। परन्तु जबसे द्रव्य (धातु मुद्रा या पत्र मुद्रा) का चलन हुआ है, तब से अर्थ-संचय का एक मुलभ साधन उपलब्ध हो गया है क्योंकि मुद्रा का संचय बिना इसकी उपयोगिता के नष्ट हुये तथा सामान्यता बिना इसके मूल्य में घट-घड हुये ही किया जा सकता है और द्रव्य के उपयोग से आवश्यक वरन्तु हर समय खरीदी जा सकती है क्योंकि द्रव्य में क्रय-शक्ति (Purchasing Power) होती है। इसके अतिरिक्त द्रव्य के माध्यम द्वारा अर्थ का संचय करने पर जगह भी बहुत कम घिरती है।

यह स्मरण रहे कि मुद्रा का क्रय-शक्ति के संचय के रूप में कार्य वर्तमान युग में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बिना बचत के संचय करे पूँजी का संचय (Accumulation of Capital) नहीं होने पाता और बिना पूँजी के संचय के देश का आर्थिक-भौद्यागिक एवं व्यापारिक विकास नहीं होने पाता है। वर्तमान बैंकिंग-प्रणाली की उत्पत्ति तथा इसका विकास मुद्रा के अर्थ-शक्ति के संचय करने के कारण ही सम्भव हो सका है। यतः अर्थ तथा अर्थ-शक्ति को संचित करने का सबसे सरल, सुविधाजनक तथा एुरित साधन द्रव्य है।

(iii) अर्थ के हस्तान्तरित तथा स्थानान्तरित करने का साधन (Means of Transfer of Value):—मुद्रा वा अर्थ के हस्तान्तरित तथा स्थानान्तरित करने के साधन के रूप में कार्य भी आर्थिक जीवन के विकास के साथ ही साथ उत्पन्न हुआ है। समाज के आर्थिक विकास के साथ ही साथ जनें जनें विनियम का थोक भी बहुत विस्तृत होता चला गया है जिससे अर्थ या क्रय-शक्ति (Value) को दूर-दूर के स्थानों को या दूर-दूर के स्थानों से रपानान्तरित (Transfer) करने की आवश्यकता अनुभव हुई है। मुद्रा तरल (Liquid) सम्पत्ति होने के कारण, इसे बहुत यातानी से एक स्थिति से दूसरे स्थिति को हस्तान्तरित किया जा सकता है तथा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान को भी हिसों समय यातानी से स्थानान्तरित किया जा सकता है। यही कारण है कि आजकल जब कोई व्यक्ति एक शहर छोड़ कर सदा के लिये दूसरे शहर को जाता है, तब वह अपनी सम्पत्ति वो बेचकर अपने साथ मुद्रा ले जाता है और इस मुद्रा से नये शहर में नई सम्पत्ति वो खरीद सेता है। परन्तु जिता समय मुद्रा जैसी कोई वस्तु नहीं थी, मनुष्य अपनों अधिकारा सम्पत्ति वो एक स्थान से दूसरे स्थान वो नहीं ले जाने पाता था। इसी तरह मुद्रा के कारण अर्थ वा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हस्तान्तरण सम्भव हो गया है क्योंकि आजकल मुद्रा के रूप में ही तमाम लेन-देन होते हैं। प्राचुनिक आर्थिक समाज में मुद्रा के उपयोग का भी बहुत महत्व है क्योंकि अब अर्थ के स्थानान्तर तथा हस्तान्तरित हो जाने की सम्भावना से, मनुष्य के पास पहुँच हुई कास्तू क्रय-शक्ति का उपादन कामी में उपयोग सम्भव है) गया है।

(d) पारिस्थितिक वार्य (Contingent Functions):—विनले<sup>\*</sup> (Kinley) नामक अर्थशास्त्री के अनुसार मुद्रा उत्तरिति वार्यों के अतिरिक्त, उन्नत देशों में जहाँ आर्थिक जीवन वा विकास बहुत अधिक हो जाता है, चार अन्य वार्य और करती है

जिन्हे उन्होंने मुद्रा के आकस्मिक कार्य कहा है। ये ऐसे कार्य हैं जिन्हे मुद्रा ने आर्थिक जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में नहीं किया था, परन्तु वर्तमान उन्नत दैशी में मुद्रा हारा ये कार्य अवश्य सम्पन्न किये जा रहे हैं। विनाश के अनुभार द्रव्य के चार आकस्मिक कार्य इस प्रकार हैं—(i) मुद्रा साल के आधार का कार्य बरती है, (ii) मुद्रा सामाजिक आय के वितरण में सुलभता लाती है, (iii) मुद्रा उपभोक्ता को समन्वीकरण उपयोगिता प्राप्त करने में सहायता होती है तथा (iv) मुद्रा सभी प्रकार की पूँजी तथा सभी प्रकार के धन को उत्पादक गुण प्रदान करती है।

(i) मुद्रा साल के आधार का कार्य करती है (Money Forms the basis of Credit)—द्रव्य साल-पत्रों (Credit Instruments) का आधार है अर्थात् साल-पत्र तथा वैक मुद्रा (Notes) द्रव्य के आधार पर ही बदल में आती है। वर्तमान युग में माल-पत्रों (चेक, हुन्डी, विल ऑफ एक्सचेंज आदि) का उपयोग मुद्रा की तरह ही होता है। चेक जैसे साल-पत्र भा निर्माण विस प्रकार होता है? जब कोई व्यक्ति विसी वैक में रूपया जमा कर देता है, तब वह इस साते के आधार पर चेक जारी करता है और यह चेक एक तरह से मुद्रा के रूप में कार्य करता है। चेक जैसे पत्रों का भुगतान बदले के लिये प्रत्येक वैक वो अपने पास कुछ मुद्रा नकद-बोय में रखनी होती है ताकि यदि वह माल होने पर इन पत्रों का भुगतान नहीं कर सके तब उसकी साल पर वज्र भास्तव प्रभाव पड़ता है और ऐसी दशा में साल (Credit) का ही आधार समाप्त हो जाता है। अतः साल मुद्रा का आधार ही वैक में जमा की गई मुद्रा है। इसी तरह जब वैक पत्र-मुद्रा (Paper Money) का बदलन बदले हैं, तब वे इन नोटों की साल रखने के लिये अपने पास नकद-बोय (Cash Reserves) में कुछ न कुछ मुद्रा रखते हैं ताकि माल होने पर वे नोटों के बदले में मुद्रा दे सकें। इससे स्पष्ट है कि मुद्रा वे अभाव में बेन्द्रीय वैकों द्वारा नोट जैसे साल-पत्रों का निर्माण नहीं किया जा सकता था और न साल की ही इनी बढ़ि हो सकती थी जितनी कि वर्तमान समाज में पाई जाती है। अतः ये तथा अन्य सत्त्वाओं द्वारा जिन साल पत्रों पर निर्माण किया जाता है उनका आधार ही मुद्रा होती है।

(ii) मुद्रा सामाजिक आय के वितरण में सुलभता साती है (Money facilitates the distribution of Social Income)—वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में इसी एक बदलु का उत्तादन अनेकों व्यक्ति मिलकर बरते हैं तथा इस उत्पादन में भूमि, पूँजी एवं सामग्री का भी कुछ हिस्सा होता है। दूसरे शब्दों में, आधुनिक प्रणाली का आधार सामूहिक है अर्थात् उत्पत्ति व्यक्ति विशेष से न होकर अनेक व्यक्तियों तथा साधनों के सम्मिलित महायोग से होती है। मुद्रा के अभाव में समुक्त-उत्पत्ति (Joint Product) का इसके उत्पन्न बरने वालों में वितरण बरना असम्भव नहीं हो बठिन अवश्य होता है; परन्तु मुद्रा के आविष्कार से समुक्त-उत्पत्ति अद्यता सामाजिक आय (Social Income) के वितरण में बहुत मुगमना आ गई है। अब मुद्रा की सहायता से समुक्त-उत्पत्ति को दिविन व्यक्तियों तथा साधनों में बड़ी सरलता से वितरित कर दिया जाता है वर्तमान द्रव्य के प्रयोग से सभी वस्तुओं के मूल्य को ग्रांक लिया जाता है और तदाद्वारा प्रत्येक

राष्ट्रन को उत्तरण उचित भाग द्वय के रूप में दिया जाता है। यह स्मरण रहे कि मुद्रा के इस प्रकार के कारण ही उत्पादन बड़े-बड़े कारणान् में सम्भव हो सका है। प्रतः मुद्रा सामाजिक प्राय प्रथया संयुक्त-उत्पत्ति के वितरण में सुलभता लाती है।

(iii) मुद्रा उपभोक्ता को सम-सीमान्त उपयोगिता प्राप्त करने में सहायक होती है (Money helps the consumers to attain Equi-marginal Utility)—मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ता को व्यय की भिन्न-भिन्न मदों से सम-सीमान्त उपयोगिता प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो गई है (Consumer has the facility of the enjoyment of equal marginal utility on various items of expenditure)। मुद्रा की सहायता से ही उपभोक्ता के लिये यह सम्भव हो सका है कि वह अपना व्यय इस प्रकार करे कि वह व्यय की प्रत्येक मद से समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त करके अधिकतम रानुचित भ्रष्टवा भ्रष्टवां उपभोक्ता की व्यवहार (Consumer's Surplus) प्राप्त करें। इसका बारण स्पष्ट है। द्रव्य में मूल्य-भाग्यन तथा मूल्य-शक्ति होने से ही उपभोक्ता को उस सुविधा मिल सकते हैं। इसी प्रकार उत्पादक को सीमान्त उत्पादकता में समानता (Equalisation in Marginal Productivity) लाने में द्रव्य से बहुत सहायता मिलती है। द्रव्य की सहायता से ही यह सम्भव हो सका है कि उत्पादक उत्पत्ति के प्रत्येक राष्ट्रन को हरा प्रकार उपयोग में लाये कि प्रत्येक राष्ट्रन की सीमान्त उत्पत्ति बराबर करके व्यवसाय में भ्रष्टवां उत्पत्ति प्राप्त कर सके। इसका कारण यह है कि उत्पादक प्रत्येक साधन की सीमान्त उपज को मुद्रा द्वारा माप सकता है। अतः मुद्रा सीमान्त उपयोगिता तथा सीमान्त उत्पादकता में समानता लाने में बहुत सहायक होती है।

(iv) मुद्रा सभी प्रकार की पूँजी तथा सभी प्रकार के धन को एक सामान्य मूल्य प्रदान करती है (Money gives a generic value to capital) —विनले (Kinley) के मनुगार मुद्रा सभी प्रकार की पूँजी वो एक सामान्य मूल्य देती है विनोंकि हम पूँजी भ्रष्टवा राष्ट्रता को एक तरल रूप में (Liquidity of Wealth) भ्रष्टति मुद्रा के रूप में रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, धन वो द्रव्य जो हमें देने की सुविधा द्रव्य या मुद्रा के प्रचलन से ही सम्भव हो सकते हैं। इससे यह नाम हो गया है कि हम प्रायश्चरण में पहले पर बिना विनी बट्टे (Discount) या हानि के तरलान ही द्रव्य वो वाम में ला गरते हैं। इसके अतिरिक्त, मुद्रा को इसकी तरलता के कारण ही गतिशीलता (Mobil-ity) वा भी मुझे प्राप्त ही गया है। मुद्रा की इस विशेषता वो ही प्रो० कीन्स (Keynes) ने द्रव्य वा तरलता भ्रष्टमान (Liquidity Preference of Money) कहा है।

(३) सामान्य कार्य—मुद्रा के उपरोक्त नी (Nine) बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। परन्तु द्रव्य लेलको में मुद्रा के दो स्पौर कार्य बताये हैं। (i) मुद्रा शोधनकामता धनाये रखने में सहायक होती है तथा (ii) मुद्रा निर्णय का वाहक है।

(i) मुद्रा शोधनकामता धनाये रखने में सहायक होती है (Money is a Guarantor of Solvency)—जोई एक अवनायिक पर्यंत दिवानिया (Insolvent) उग गमा मानी जाती है जिसका वह धनाये दायित्वा (Liabilities) वो मुद्रा में छुटाने में

असमर्थ होती है, चाहे उस समय भी फर्म की लेन (Assets) उसका देन (Liabilities) से बहुत अधिक बयो न हो। जब कोई फर्म भविष्य में भुगतान करने का वचन देती है, तब इसका अर्थ यही होता है कि उस फर्म ने भविष्य में मुद्रा द्वारा अपने दायित्व को छुकाने का वचन दिया है अर्थात् यह फर्म भविष्य में अदायगी मुद्रा द्वारा ही बरती है। इस तरह अपनी शोधनक्षमता (Solvency) को बनाये रखने के लिये प्रत्येक फर्म को अपने पास तरल (Liquid) रूप में कुछ न कुछ मुद्रा अवश्य जमाए रखनी पड़ती है। जिस प्रकार किसी व्यवसायिक फर्म को अपने पास नकद जमा रखनी पड़ती है, ठीक इसी प्रकार वैको, सरकारी तथा अन्य व्यक्तियों को भी अपने पास नकद में रखना रखना पड़ता है ताकि वे भविष्य में अपने उत्तरदायित्वों का भुगतान कर सकें। अत मुद्रा शोधनक्षमता बनाये रखने में सहायक होती है।

(ii) मुद्रा निर्णयकारी वाहक है (Money is a Bearer of Option)—जब कभी कोई व्यक्ति मुद्रा का सचय बरता है, तब इसका अर्थ यह भी होता कि उसने क्रय-शक्ति का सचय कर लिया है। अब यह सम्भव है कि सचय बरने वाला व्यक्ति भविष्य में अपनी भावी आवश्यकतामें को व्याप में रद्दकर इस सचित क्रय-शक्ति को मन चाहे ढग से उपयोग में ला सकता है और इसका अधिकतम लाभप्रद तरीके से उपयोग कर सकता है। मनुष्य जिस समय धन-साचय करता है, उस समय इस धन-साचय का उद्देश्य निर्धारित करना कठिन होता है और यदि उद्देश्य निर्धारित कर भी लिया जाता है तब यह आवश्यक नहीं है कि नविष्य में मनुष्य का उद्देश्य पूर्वदत ही रहे, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। परन्तु सचय मुद्रा के रूप में होने से अब इस सचित मुद्रा के व्यय के सम्बन्ध में कोई कठिनाई अनुभव नहीं होती है क्योंकि मुद्रा निर्णय का वाहक (Bearer of Option) है, मनुष्य अपनी सचित मुद्रा को मन चाहे ढग से हमेशा व्यय कर सकता है। इस प्रकार वो परिस्थिति मुद्रा के आविष्कार से ही सम्भव हो सकती है क्योंकि वस्तु के रूप में सप्रह करने पर व्यय नी स्वतन्त्रता नहीं रह सकती थी।

सारांश—उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मुद्रा अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करती है। मानव जीवन के आर्थिक विकास के साथ ही साथ मुद्रा के कार्यों की सक्षमा में भी बढ़ि होती जा रही है। मुद्रा विनियम का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, यह मूल्य नियन्त्रण का साधन है, स्थगित देयमान है। आशार है, क्रय शक्ति का सचय करने में सहायक है, अर्थ का स्थानान्तरण तथा हस्तान्तरण करने में मदद करती है, यह साक्ष का आवार है सामाजिक आय के वितरण में सुलभता लाती है, यह उपभोक्ता को समीकान्त उपयोगिता प्राप्त करने में सहाय छोड़ती है, यह सब प्रकार की पूँजी तथा सम्पत्ति को एक सामान्य मूल्य प्रदान करती है, शोधनक्षमता बनाये रखने में सहायक होती है तथा निर्णय का वाहक है।

### मुद्रा का महत्व

मुद्रा का महत्व (Importance of Money) —यह सबविद्वित है कि जब काई व्यक्ति किसी वस्तु का आदी हो जाता है, तब वह उसके महत्व को तब तक महम नहीं

## मुद्रा की स्थिति और इसके उत्तर

कर पाता जब तक उसके पास दून बन्ने की प्रबुत्ता होती है। मुद्रा के सम्बन्ध में भी यही बात वही जा नहींती है। हैन इसके महत्व को उनी सबसे उच्चते हैं जबकि हम कुछ समय के लिये यह मान लेते हैं कि मुद्रा जैसी कोई भी वस्तु हमारे पास नहीं है। तत्काल इस बात का अनुमान लगाइये कि वस्तु मुद्रा के अभाव में दातार के इतने बड़े क्षेत्र में हमारी आर्थिक स्थिति वर्णन में सम्पन्न हो सकेगी ? उत्तर इस्ट है। हम तुरन्त ही इस लिखित पर पढ़ूँचेंगे कि मुद्रा के अभाव में हमारा आर्थिक दांवांचा अस्त-अप्स्त हो जायेगा तथा हमारा अंतिक जीवन भी बहुत ही जटिल हो जायेगा। प्रतः मुद्रा के महत्व की जानकारी से ही हम यह अनुमान लगा रखते हैं कि मुद्रा के अभाव में हमारे जीवन का क्या स्वरूप हो जायेगा। मुद्रा का स्थेत्र में महत्व एवं इसका सामना नीचे दिया गया है :—

(i) मुद्रा के अस्तित्व के कारण ही वहाँ विनिमय प्रणाली की समाप्ति फिल्हाइया (Inconveniences of Barter System) दूर हो गई है और वर्तमान आर्थिक संगठन सम्बन्ध हो सका है। विनिमय-कार्य के लिए अब आवश्यकताओं के दुहरे संयोग (Double Coincidence) की आवश्यकता नहीं पड़ती, मूल्यमापन का एक उचित साधन प्राप्त हो गया है, अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय सुगमता से हो जाता है, अर्थ का संचय बिना किसी बटिनाई के हो जाता है, सामाजिक आप को विभिन्न साधनों में वितरित करने में तथा साथ-अर्थों के प्रचलन में मुद्रा बहुत सहायक होती है, सम्पत्ति की द्रव्य की तरलता (Liquidity of Wealth) प्रदान करने में और भनुष्य जीवन के प्रत्येक पहलू को सुगम, निरिचित व विशाल बनाने में मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण नाम होता है। (ii) उपभोक्ताओं (Consumers) के हृष्टिकोण से मुद्रा का महत्व इसतिह है कि मुद्रा उन्हें सम-सीमान्त उपयोगिता प्राप्त करने में सहायक होती है। चूँकि मुद्रा सभी प्रकार की पूँजी तथा सभी प्रकार की सम्पत्ति को सामान्य मूल्य (Generic Value) प्रदान करती है, इसलिये उपभोक्ताओं के लिये सम्बन्ध हो गया है कि वे अपने पास नकद में मुद्रा रख सकते हैं और अविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अपनी भावी आवश्यकताओं को उन्नुप्त करने में यफल हो सकते हैं। मुद्रा के कारण ही उपभोक्ता निरंय का बाहक (Bearer of Option) हो सका है। (iii) उत्पादक (Producer) के हृष्टिकोण से भी मुद्रा का महत्व इसतिह है कि इसकी सहायता से उसे उत्पत्ति के साधनों को आवश्यक मात्रा में बुटाने, कच्ची सामग्री को खरीदने तथा संचित रखने तथा समय-समय पर पूँजी को उधार प्राप्त करने में आर्थिक सहायता प्रियती है। बाजारों वा विस्तार, साल के ढाने (Credit Structure) का निर्माण, पूँजी में गतिशीलता, पूँजी तथा जन्य-शक्ति वा स्थानान्तरण तथा हस्तान्तरण, सामंदारी, मिथित पूँजी कम्पनियों तथा बड़े-बड़े संघों वा उद्योग, स्टेंल-एस्टेल-ज़ार, निर्माण, स्टेन, ब्लॉक्सनी-न्यूलॉन, सुस्तान जारिज़ान मुद्रा के आविष्यक से ही सम्बन्ध हो सकती है। मुद्रा के बारण ही अम-विभाजन द्वारा बड़े-बड़े बारसानों वा निर्माण हो सका है। (iv) वर्तमान आर्थिक प्रणाली (Economic System) का निर्माण भी मुद्रा द्वारा ही सम्बन्ध हो सका है। आधुनिक आर्थिक जगत में बैंकों, बीमा कम्पनियों, यानावाहन के विभिन्न गापनों, तथा अन्य छोटी-बड़ी व्यापारिक कम्पनियों भी यान् वा उत्पादन मुद्रा ही है। मुद्रा द्वारा उत्पादन वा निर्माण यहूँ

बड़ा हो सका है, जिससे बाजारों का अन्तर्राष्ट्रीयवरण हो गया है, इसके कारण ही स्पर्धा (Competition) ने खटियों को हटा दिया है और मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक हृष्टि से स्वतन्त्र कर दिया है तथा द्रव्य भी सहायता से ही आर्थिक, विकास की अनेक योजनायें कार्यान्वित हो सकी हैं। इस तरह द्रव्य के कारण ही भाज वा आर्थिक विकास, आर्थिक स्थियावे और अनेक सामाजिक, पार्मिक व राजनीतिक वार्य सम्बन्ध व सुगम हो सके हैं। यह कहा जाता है कि सभी मानवीय व दंबी यश, सम्मान, प्रसिद्धि, जीवन की सरसता तथा सेवा आदि द्रव्य से ही उपलब्ध होते हैं। अत मार्शल (Marshall) के शब्दों में, 'मुद्रा अर्थशास्त्र' की गति वा केन्द्र है।'

### मुद्रा के दोष

मुद्रा के दोष (Disadvantages of Money) — द्रव्य के जहाँ पर इतने साम है, इसमें कुछ बुराइयाँ भी हैं। यह सच है जहाँ पर मुद्रा ने मानव जीवन सरल, सरस व सुगम बनाया है, वहाँ इसी मुद्रा ने मानव जीवन में बदुता व विप्रवाता भी ला दी है। मुद्रा के अस्तित्व से समाज को जो हानियाँ हो सकती हैं, वे निम्न प्रकार हैं —

मुद्रा मनुष्य के लिये एक अभिभावक बन गई है — यह सर्वमान्य है कि वर्तमान समाज में मुद्रा सभी बुराइयों, सामाजिक अपराधों व पापों की जड़ है। इसने मनुष्य में सालच व सोह उत्पन्न किया है। यह ही मनुष्य को धोखेवाजी, चोरी, छक्की, हत्या, गवन, विद्वासधात घू सखोरी, बेईमानी व पाप के मार्ग की ओर से जाती है और मनुष्य में शोपण (Exploitation) की प्रवृत्ति जाग्रत करती है और मनुष्य में अधिकाधिक पन सग्रह करने की लालसा वा जात्म द्रव्य के कारण ही हुआ है। इस तरह मानव नैतिक पतन वा कारण द्रव्य ही है। कुठ विद्वानों का भत यह है और बहुन कुछ यह ठीक ही है कि उत्त दोष यथावं म मुद्रा के दोष नहीं है बल्कि मनुष्य के स्वभाव के हैं। (ii) द्रव्य के प्रयोग से अरणप्रस्तता में बढ़ि हो गई है — द्रव्य के कारण ही अरण वा लेन-देन बहुत सरल हा गया है जिससे परिणामस्वरूप मनुष्य को अरण लेन म प्रोत्ताहन मिला है और मनुष्य अत्याधिक फिलूलखर्चों हो गया है। न बेदल मनुष्य पर वरन् उद्योग-च्यांसों पर भी इन प्रवृत्ति का कुप्रभाव पड़ा है। चौंकि उद्योगपतियों को आसानी से पूँजी (या औरंग) उधार मिल जाती है इसलिए वे भी वभी उद्योगों तथा व्यवसायों वा अति पूँजियन (Over-Capitalisation) हो जाता है। अति पूँजियन का स्नामाविक परिणाम अति उत्पादन (Over-Production) होता है जिससे श्रम समाज वी अर्थन्यवस्था अस्त ध्वन हो जाती है। परन्तु कुछ हृ तक हम यह दीवारोपण, द्रव्य पर पूर्णतया नहीं कर सकते। यह कहता सच ही है कि "द्रव्य एक अद्या सेधकतो है, परन्तु बुरा मालिक।" मनुष्य का यह समसे बड़ा दोष है कि वह क्यों अनुतादन वायों के लिये या अति पूँजियन के लिए जरूर लेता है। (iii) द्रव्य के कारण ही द्रव्य तथा सम्पत्ति के इतरण में असमानता आ गई है — पूँजीवादी प्रणाली का उदाहरण द्रव्य के कारण ही हुआ है। आज के पूँजीवाद के साच में दून आर्थिक जीवन म सदसे बड़ा दोष यह

"Money is the pivot around which economic science clusters"—Marshall.

उत्पन्न हो गया है कि उत्पत्ति के तमाम साधन बुद्ध ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो गये हैं जिसके परिणामस्वरूप धनी व्यक्ति अधिक धनी और विवरण व्यक्ति अधिक निर्धन होता जा रहा है। समाज में धन के विवरण की इस विषमता के कारण ही सामाजिक व राजनीतिक क्रान्ति का सदा भय बना रहता है। वेरोजगारी तथा व्यवसायिक चक्र (Business Cycles) द्वय के आविष्कार के ही परिणाम हैं। (iv) मुद्रा तथा द्रव्य-शक्ति एक ही छोड़ नहीं हैं:—यह सम्भव है कि मनुष्य के पास द्रव्य होते हुए भी वह इसके बदले में वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदने में असमर्थ रहे। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जर्मन मार्क (Mark) वो यही दशा हो गई थी। जर्मनी के निवासी उनके पास मार्क होते हुये भी, वे इससे वस्तुएँ खरीदने में प्रायः असमर्थ रहते थे। (v) मुद्रा के मूल्य में स्थिरता नहीं रहती है:—आजकल प्रत्येक देश की मुद्रा-चलन में पद-मुद्रा एवं बैंक-मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पद-मुद्रा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसकी मात्रा में घट-बढ़ बहुत आसानी से की जा सकती है। यह सब ही जानते हैं कि द्रव्य की मात्रा में घट-बढ़ का परिणाम यह होता है कि मुद्रा के मूल्य में तथा वस्तुओं भी और सेवाओं के मूल्य में घट-बढ़ हो जाता है। यह स्मरण रहे कि इन मूल्य परिवर्तनों का समाज के विभिन्न वर्गों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा करता है (पुस्तक में आगे चलकर मुद्रा के मूल्य-परिवर्तनों के आर्थिक व सामाजिक परिणामों का विस्तार से विवेचन किया गया है।) विशेषतः यह व्यापार तथा उद्योग के विकास में बहुत वापक होता है।

निष्ठाय—मुद्रा के उत्तिलिखित दोषों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रा बहुत ही हानिकारक वस्तु है। परन्तु गुण-दोषों का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त विवेचन में मुद्रा के दोषों की अतिशयोक्ति भी गई है और ताम्र का पलड़ा ही भारी है। मुद्रा के दोष मुख्यतः मनुष्य के स्वभाव के दोष हैं, इतनिये यदि वह स्वयं ही इस साधन (पर्यावर मुद्रा) को सततता से प्रयोग में लावें, तब इसके प्रयोग से प्राप्त होने वाले बहुत से दोष दूर किये जा सकते हैं। वर्तमान युग के अनुभव के आगाह एवं बहुत जा सकता है कि एवं अन्तर्राष्ट्रीय ढग पर मुमचालित मुद्रा-मान-पद्धति से तो मुद्रा के दोष बहुत ही आसानी से दूर किये जा सकते हैं। यह स्मरण रहे कि यद्यपि नियन्त्रित प्रथं-व्यवस्था (Controlled Economy) तु दे पस्तु विनियम प्रणाली (Barter System) आज भी बहुत अंश तक राष्ट्रनामूर्वक कार्य कर सकती है, परन्तु पूँजीवादी प्रथं-व्यवस्था (Capitalistic Economy) में, अदल-बदल प्रणाली की विनाश्यों के बारण, मुद्रा के वित्ती तनिक भी वार्ष नहीं चल सकता है। अतः मुद्रा जो इन्हें लाभों के बारण विनी भी देश में तथा विदी भी दशा में परिवर्त्यन नहीं किया जा सकता है क्योंकि कम से कम लेसे वी इवार्ड (Unit of Account) से रूप में तो मुद्रा का उपयोग सदा ही घति आपस्यक रहेगा।

### दरीक्षा-प्रश्न

Agra University, B. A. & B. Sc.

१. द्रव्य क्या है, द्रव्य का मूल्य रिग प्राप्त निर्धारित होता है, (१११६ S)

२ इन्हें की परिभाषा कीजिये और समझाइये वि इन्हें तथा अन्य वस्तुओं में क्या अन्तर है? इन्हें का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिये। (१९५८, १९५६) ३ How did money originate? What are the different kinds of money? What functions does money perform? (1956 S) ४ Explain what do you mean by money and discuss the advantages of money to the consumer, to the producer and to the economic system generally. (1954)

### Agra University B. Com.

१ मुद्रा के आकस्मिक कार्यों (Contingent functions) का स्पष्ट बताएं कीजिये; उन्हें आकस्मिक क्यों कहा जाता है? मुद्रा के अन्य कार्य क्या है? (१९६०) २ मुद्रा को आसोचनात्मक परिभाषा करिये तथा उसकी प्रहृति समझाइये (१९६१) ३ What do you understand by "Money"? Explain its main functions and form in a modern society. (1958 S) ४ Explain the differences between—Money Economy and Barter Economy (1958 S) ५ 'Money is a matter of functions' four A Medium, Measure Standard and Store' Explain fully the meaning of this statement (1958) ६ Explain the difference between the two— 'Standard of Value and Standard of Deferred Payment'. (1958 1956 S) ७ What do you understand by the term 'Money'? Explain the nature of the different forms of money Circulating in India (1957 S, 1956 S) ८ 'Money is what money does' Explain fully the meaning of this statement What will happen if money suddenly disappears from the country? (1956) ९ Discuss the importance of money in a civilized society and explain the different forms in which it circulates in a country (1955, 1954) १० Explain the difference between—medium of exchange and a measure of value (1955)

### Rajputana University, B A & B Sc

१ Explain the importance of money (इन्हें) in our society. Can the economic world of today exist without money? (1959) २ What have been the economic effects of money (इन्हें)? Discuss (1958) ३ Define 'Money' Show how the value of money is determined and point out the difference in the determination of the value of money and the value of commodities (1956) ४ Define Money and indicate its functions Give a classification of money which you consider best giving reasons for your choice (1955)

### Rajputana University, B Com

१ Explain how and to what extent the use of money in exchange transactions removed the inconveniences of Barter (वस्तु विनियोग या अदल-ददल) (1958) २ Critically discuss the functions said to be performed by money Does money really perform all of them and can money alone perform them? (1956) ३ Discuss the functions and importance of money in a planned economic system (1954)

### Sagar University B A

१ मुद्रा की परिभाषा कीजिये। पत्र मुद्रा और चेंड़ मुद्रा का स्पष्ट

रूप से समझाइये। वैकों के ऊपर बैंक-मुद्रा के निर्माण में कौन से प्रतिबन्ध हैं? (१९५६) २. "मुद्रा एक अच्छा सेवक है, किन्तु बुरा स्वामी है।" व्याख्या कीजिये। (१९५७)

### Sagar University, B. Com.

१. मुद्रा की परिभाषा दीजिये और वर्तमान समय में इसके महत्व को बताइये। (१९५६) २. ढब अर्थशास्त्री एन० जी० पिपरसन ने मुद्रा की उपमा किसी स्टेशन पर शंट बररहे एंजिन से दी है, जो एक समय डिव्हॉं की किसी एक पंक्ति को स्थिता है और दूसरे समय दूसरी पंक्ति वो ढकेलता है, इसका काम प्रत्येक डिव्हॉं को सही पटरी पर साना होता है, ताकि वह डिव्हॉ अपने ठीक स्थान पर पहुँच जाये। इसकी व्याख्या कीजिये और मुद्रा के मुख्य कृत्यों (Functions) का बरेंग बीजिये। (१९५५) ३. 'मुद्रा' का मानव जाति के आर्थिक विकास में क्या स्थान रहा है? इस पर प्रकाश डालिये और बताइये कि क्या अब मुद्रा की उपयोगिता समाप्त हो गई है। (१९५४)

### Jabalpur University, B. A.

१. संखेप में समझाइये—मुद्रा उपयोग के लाभ। (१९५६) २. मुद्रा क्या है यत्तदाइये। मुद्रा मात्रा सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) समझाइये। (१९५८)

### Vikram University B. A. & B. Sc.

१. मुद्रा के कृत्यों की पूर्णतया व्याख्या कीजिये। उत्पादकों, उपभोक्ताओं और इयके सामों को पूरी तरह समझाइये। (१९५६)

### Vikram University, B. Com.

१. "After the Communist Revolution of 1917 in Russia it was expected for some time that the Soviet regime would adopt a money-less economy". (Paul Einzig). What were the general inconveniences on account of which the Soviet Regime could not forgo the use of money. (1959). २. "Money is a matter of functions four; A medium; measure, standard and store." Are there any other functions of money? If so explain them fully. (1959)

### Gorakhpur University, B. Com.

१. What function does money perform in a modern economy? Deduce from your answer the main requirements of a proper monetary policy. (Pt II 1959)

### Aligarh University, B. A.

१. Discuss the role of money in the modern economic system. (1956)

### Bihar University, B. A.

१. What are the essential attributes of good money? Do you hold that money should have intrinsic value? (1953)

### Bihar University, B. Com.

१. "The introduction of money has facilitated and promoted economic activities to a great extent." Discuss. Can you think of a neutral money in modern times? (1959) २. Examine and classify the functions

of money and show how production and exchange are greatly facilitated by the use of money. (1958)

### **Patna University, B. A.**

1 In what ways does money affect the economic system? Do you advocate a controlled economy? (1957)

### **Nagpur University, B. A.**

१ मुद्रा की परिभाषा दीजिये। मुद्रा मूल्य से परिवर्तन को नापने की तोहँ एवं व्यवहारिक रीति वा वर्णन कीजिये। (१९५५)

### **परीक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का सकेत**

प्रश्न १ —(i) 'Money is what money does, (Hartley Withers) Explain fully the meaning of this statement. (Agra B. Com 1956) (ii) "Money is a matter of functions four, A Medium, a measure, a standard and a store". Explain fully the meaning of this statement. Are there any other functions of money? If so, explain them fully. (Agra B. Com 1958, Vikram B. Com 1959).

सकेत —उपरोक्त प्रश्न के उत्तर के तीन भाग हैं—प्रथम, इस भाग में मुद्रा वी परिभाषा संक्षेप में दीजिये—पहले यह लिखिये कि मुद्रा वी परिभाषा नये-तुले व सही शब्दों में लिखना बहुत है वयोंकि अर्थशास्त्रियों भे इस सम्बन्ध में एवं मत नहीं पाया जाता है, किंवित मुद्रा की परिभाषाये सकीएं व अधि उदार हृष्टियों से देवर, इस सम्बन्ध में उचित मत एवं मुद्रा वी उचित परिभाषा दीजिये और इसे विस्तार से समझाइये—वे सभ परिभाषायें जिनमें द्रव्य की सामान्य स्वीकृति तथा विनिमय के माध्यम के गुणों का समावेश है, मुद्रा वी उचित परिभाषायें मानी जाती है (क्राउयर, रावडंसन, ऐली, मार्शल आदि वी परिभाषायें दीजिये और इनके आधार पर उक्त विचार को स्पष्ट बीजिये) (दो-दोहरा पृष्ठ)। द्वितीय भाग—इस भाग में मुद्रा के वार्यों को बताइये—पहले डेढ़ दो पृष्ठों में माध्यम, मापदं, मान तथा भट्टार के रूप में वार्य उदाहरण सहित स्पष्ट बीजिय (यहाँ पर संक्षेप में प्रत्येक वार्य को लिखते रूपमय यह भी बताइये जिवैस्तु विनिमय प्रणाली के दोष मुद्रा के उपयोग से विस प्रवार दूर हो गये है)। मुद्रा के उक्त जारो वार्यों का लिखकर एवं डेढ़ पृष्ठ में यह बताइये कि मुद्रा इन वार्यों के अतिरिक्त अन्य अनेक रूप में भी वार्य करती है, जैसे—यह अर्थ के हस्तान्तरित व स्थानान्तरित करने वा साधन है, यह साल का आधार है, यह ग्राम के वितरण म सुलभता लाती है, यह सम-सोमान्त उपयोगिता के नियम को संतुष्ट करने में सहायता होती है, यह सभी प्रवार की पूँजी व धन वो सामान्य रूप प्रदान करती है, यह शोधनशास्त्र को बनाये रखने में सहायता होती है आदि। तृतीय भाग, इस भाग में सारांश के रूप में कुछ वाक्यों में द्रव्य द्वारा किये जाने वाले वार्यों का महत्व बताइये—यह स्पष्ट बीजिये जिद्रव्य का वर्तमान युग में बहुत महत्व है।

प्रश्न २ —Explain what do you mean by money and discuss the advantages of money to the consumer, to the producer and to the economic System generally (Agra B. A 1954) (ii) Discuss the functions and importance of money in a planned economic System (Rajasthan, B. Com (1954) (iii) "The introduction of money has facilitated and

promoted, economic activities to a great extent" Discuss. Can you think of a neutral money in modern times ? (Bihar, B. Com. 1959) (iv) Discuss the role of money in the modern economic system. (Aligarh, B. A. 1956) (v) What will happen if money suddenly disappears from the country ? (Agra; B. Com. 1956) (vi) Can you imagine a society in modern age without money ? Raj, B. A. 1959, Bihar, B. Com 1956) (vii) Is Large Scale production in modern age possible without the use of money ? (Bihar, B. A. 1954) (viii) "Money has come to be as necessary in the exchange of goods as language in the exchange of ideas" "The economic world of to-day would not exist without money". Explain the above statements fully. (Patna, B. Com. 1952) (ix) मुद्रा का मानव जाति के आर्थिक विवास में या स्पान रहा है ? इस पर प्रकाश डालिए और बताइये कि या घब मुद्रा को उपयोगिता समाप्त हो गई है ? (गाँधी, दो. श्रम, १९५४) (x) इच्छा का आर्थिक व सामाजिक महत्व (Economic and Social Significance) या है ? इसके अंत्य सार्वों को भी बताइये ।

संकेत.—उत्तरोत्तम प्रस्तुति में भूमतः भाषा का ही हेरफेर है। मूल प्रस्तुति यह है कि मुद्रा का महत्व दर्शनः दर्शनः वयो बढ़ा है तथा बर्तमान युग में मुद्रा का वया महत्व है? इस प्रस्तुति के उत्तर के दो भाग हैं—प्रथम, इस भाग में यह बताइये कि मुद्रा मानव जाति के शारीरिक विकास में वया स्थान रहा है, कि अति प्राचीनवाल में मानव आवश्यकताओं सीमित थी, गनुप्प ग्रामीणी आवश्यकताओं को अपने निज प्रधानों से सन्तुष्ट कर लिया थरता था। उम समय न तो विनियम वी और न वितरण वी आवश्यकता थी। परन्तु मुद्रा वी भी आवश्यकता ग्रनुभव नहीं हुई। परन्तु सम्भवता के बाय ही आय मानव वा आधिक विकास भी हुआ, आवश्यकताओं बढ़ी, उत्पादन-प्रणाली बढ़िये होती गई, अम-विभाजन व विशिष्टवर्गण प्रणाली वा उपयोग होने लगा आदि, फलतः विनियम वा प्रादुर्भाव हुआ। आरम्भ में वस्तु विनियम (Brier) से बाम चला, परन्तु दर्शनः दर्शनः उत्पादन-प्रणाली इन्हने होने के बारए, वस्तु-विनियम प्रणाली में बढ़ियाई ग्रनुभव होने तकी और मुद्रा वा प्रादुर्भाव हो गया। यद्यपि प्रारम्भ में अनाज, भेड़, वर्षीय पार्दि वा मुद्रा के रूप में प्रयोग हुआ, परन्तु धीरे-धीरे धातिक मुद्रा व यानकी मुद्रा वा उपयोग होने सका और भाज इमवा हप बैंक-सास (Bank Credit) और बैंक जमा (Bank Deposit) के हप सब भी है। इस तरह यह स्पष्ट बोजिये कि विनियम वा महत्व वर्णन में मुद्रा वा घटत भी बढ़ा है (दो पृष्ठ) द्वितीय, इस भाग में बर्तमान दुग में मुद्रा के महत्व को दताइये—(अ) उत्पादन वायं ग्रयवा वृद्धू-उत्पादन में मुद्रा वे वर्तुल गुणिता मिलती है—मुद्रा के बारए ही पूँजी एवं वित बरना तन्मद है तथा इसी में वर्चन-भाज के सरीरने ग्रयवा उत्पादित माम के वेचने में गहामना मिलती है, मुद्रा से ही उत्पत्ति के गाधन मनवाही मात्रा में एवं वित हो जाते हैं, इसी वी सहायता ने उत्पादा इन साधनों वा इस प्रवार उपयोग बरने पाना है कि उसे ग्रयवनम लाभ हो जाय, ग्रदान् मुद्रा वी गहामना से उत्पादक घटनाद वो अधिक दुगता

व मितव्यमिता से संगठित कर सका है, अमर्विभाजन एवं विशिष्टकरण का प्रयोग भी मुद्रा से सम्भव हुआ है। द्रव्य के कारण ही बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो सके हैं। वह हजारों लाखों अमिको जो द्रव्य के रूप में मजदूरी देकर उत्पादन कार्य सम्पन्न कराने में सफल होता है। द्रव्य के कारण ही राष्ट्रीय बचत बैंक, बीमा कम्पनियों आदि में एकत्रित हो जाती है और इस पूँजी के उपभोग से दबी बड़ी कम्पनियों की स्थापना हुई है। (आ) उपभोक्ताओं को भी मुद्रा से बहुत सामने हुआ है। उन्हें इच्छानुकूल फाम करने व इच्छानुकूल उपभोग की वस्तुओं को प्राप्त करने की मुकिधा मिली है, अब यह आवश्यक नहीं कि अपने उपभोग की वस्तु का उत्पादन वह सब्स करे। मुद्रा से उपभोक्ता का जीवन मुख्य व सम्पन्न हो सका है, उसे अपनी आय से अधिकतम सामने देने में भी मुद्रा से सहायता मिली है। मुद्रा के कारण वह अपनी आय में से कुछ बचत भी कर सका है और इसे बैंक आदि में संचित भी कर सका है। द्रव्य के कारण ही उपभोक्ता दूसरों की वस्तुओं व सेवाओं पर अपना अधिकार प्रकट कर सकता है जिससे यह तम होता है कि समाज में कौन-कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाय। इस तरह मुद्रा से उपभोक्ता को सार्वभौमिकता (Consumer's Sovereignty) प्राप्त हुई है। (इ) मुद्रा के कारण आरोपित आदिक लाभ भी हैं, जैसे—मुद्रा ने पूँजी को गतिशीलता प्रदान की है अर्थात् द्रव्य से ही एक ही देश में स्थानान्तरण व विभिन्न देशों में गतिशीलता सम्भव हुई है जिससे उद्योग व व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ है, द्रव्य हारा पूँजी में तरलता (Liquidity) उत्पन्न हुई है क्योंकि इसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर सकता है और वह इसकी सहायता से मनचाहीं वस्तु मन जाहे समय पर सब्स मन चाहे स्थान पर सरीद रखता है, द्रव्य की सहायता से मूल्य यन्त्र (Price Mechanism) क्रियाशील हो सका है और इस यन्त्र की सहायता से देश की उत्पादन-प्रणाली नियंत्रित हो सकी है अबवा साधनों का उपयोग उनके मूल्य के अनुसार हो सका है; जूँकि मूल्य-यन्त्र द्रव्य अर्थ-व्यवस्था (Money Economy) में ही क्रियाशील होता है, इसीलिये द्रव्य की सहायता से आयोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy) में घनोत्तमि उचित होने वी सम्भावना रहती है, द्रव्य के कारण साख-प्रणाली (Credit System) का प्रारूपाक हुआ है और बैंक व अन्य सरल सम्बाएँ इस प्रणाली का उपयोग करके उद्योगों व व्यापार को बहुत सहायता पहुँचाती है। (ई) द्रव्य का समाजिक महत्व (Social Significance) भी बहुत है। द्रव्य के कारण ही विनियम पढ़ति का विकास हुआ है और इस पढ़ति के विकास से समाज की सम्यता वा भी विकास हुआ है (तीन-चार पृष्ठ)। तृतीय, इस भाग में सारांश के रूप में बताइये कि मुद्रा आर्थिक जगत में तेज का काम करती है, कि यह समाज का सेवक बनकर आई परन्तु शाने शाने यह समाज की इचामी बन गई क्योंकि अब भुद्रा के स्वरूप से सरकार आर्थिक व सामाजिक जरूरत संबंधित होता रहता है, इसकी भावाओं में घट-बढ़ कर देने से समाज में आर्थिक व सामाजिक आनंदि भव जाती है, इसीलिये लगभग सभी देशों में केन्द्रीय बैंकों को सरकारी बनदिया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि मदि मुद्रा युक्त (Money Disappears) हो जाय, तब देश में वस्तु-विनियम प्रणाली (Barter System) किर से आजायगी और इस प्रणाली में जितनी

भी अमुविपाये हैं, वे किसे उत्पन्न हो जायेंगी। फलतः उत्पादन बहुत कुछ इस लायेगा (क्योंकि उत्पादक न सो मापनों को नुटा माकेगा और न माल का क्रय-विक्रय ही भागानी ने कर लेगा, अम-विभाजन प्रणाली का लोप हो जाने से उन्नत उत्पादन-प्रणाली भी सम्भव नहीं रहेगी, विनियम-प्रणाली के प्रयोग में कमी के साथ ही साथ उत्पादन की मात्रा पट जायेगी) उम्मीदों से उत्पन्नी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट नहीं कर सकेगे, मानव जीवन कठिन हो जायगा और जीवन-मान पुनः उत्तर तक गिर जायगा, जहाँ पर मानव इतिहास के आदि-वाल में था। प्रायुनिक युग से मुद्रा की महत्ता को देखते हुये यह निदिशत हृष्ण से बहा जा सकता है कि प्रायुनिक मुद्रा के प्रभाव में प्रायुनिक सम्भवता याम्भव है। इसीलिये प्रति दिन मुद्रा की महत्ता बढ़ती जा रही है (एफ-डे-पृष्ठ)।

**प्रश्न ३:**— “The functions of money evolved according to the services required of it from time to time.” Discuss. Can you imagine a Society in modern times without money? (Bihar, B. Com. 1956)

**उत्तर—**उत्तर के दो भाग हैं—प्रथम भाग में मुद्रा के कार्यों का विवार लिखियें—पि यस्तु विनियम प्रणाली ने पर्याप्त हजारों वर्ष तक मानव समाज की सेवा की परामुख उत्पादन-प्रणाली में विकास होने से वस्तु विनियम प्रणाली में दोष हटायोचर होने से। फलतः समाज में मुद्रा का आवश्यक हुआ। (i) पर्याप्त यह बहुत कठिन है कि मुद्रा का जग्य विस हृष्ण से हुआ, परन्तु कुछ व्यक्तियों का भत है कि वस्तु विनियम प्रणाली में वस्तुओं के विनियम में विकास हुआ भनुभव होने के बारण (दोहरे मयोग के अभाव के बारण) मुद्रा का जन्म विनियम के माध्यम के हृष्ण से हुआ और समय-समय पर जिस वस्तु ने यह बार्य दिया, उसी ही मुद्रा की सज्जा दी गई (उदाहरण दीजिये) (ii) कुछ घन्य व्यक्तियों का भत है कि मुद्रा का प्रादुर्भाव मूल्यांकन के माध्यम से हृष्ण से हुआ। उत्पन्न-प्रणाली के विकास के बारण विनियम-प्रणाली का महत्व बढ़ता चला गया, परन्तु वस्तु विनियम प्रणाली में वस्तुओं के मूल्यांकन अपवा विनियम-भनुपात के निर्पारण में विकास हुआ भनुभव हुई जो मुद्रा के प्रादुर्भाव से दूर हुई। यह स्पष्ट है कि मुद्रा का प्रादुर्भाव वही विनियम के माध्यम से हृष्ण से और वही मूल्यांकन के माध्यम से हृष्ण है, जहाँ जिस हृष्ण से मुद्रा की आवश्यकता हुई, वही पर उसी हृष्ण से मुद्रा प्रवर्ट हुई। (iii) घर्ति प्राचीन रामय में सेन-देन का कार्य महत्वपूर्ण नहीं था, मानव आवश्यकताएँ सीमित थी तथा जीवन पनुपो जैसा व्यक्तित दिया जाता था। कुछ रामय पश्चात् सम्भवता के विकास से अपवा आवश्यकताओं से बृद्धि से वस्तुओं के हृष्ण से सेन-देन आरम्भ हुआ और आज भी कुछ गिरदडे थोकों से यही प्रणा पाई जाती है। परन्तु एक और उत्पादन प्रणाली उन्नत तरक्की करना आवश्यक विकास होने से तक हुआ और शास्त्रिक मुद्रा का प्रादुर्भाव होने से, मुद्रा के हृष्ण से ब्रह्म का सेन-देन गर्वप्रयम व्यापासियों के मध्य होने साथ और रातुरात यह राजनीतिक थोक तक पहुँच गया। फलतः यनी व्यक्ति व्याज के सालग से भन का गंभीर बने तो और ऊँची-ऊँची व्याज की दर पर इसे उधार देने से और जनता का दोषण भरने से शिशु बारण ऐसे व्यक्तियों के प्रति वृणा की भावना जापत हुई। प्रौद्योगिक-प्रान्ति ने तो मुद्रा के हृष्ण से ब्रह्म के महत्व को और भी व्यक्ति बढ़ा दिया है,

क्षेत्रिक पूँजी की बहुत बड़े पैमाने पर आवश्यकता पड़ने लगी है। आज साधारण मुद्रा में प्रमुख के आशान प्रदान का वार्षिक पूर्णतया सम्पन्न नहीं होता है जिसके बारे इसकी पूर्ण वैध-मात्र द्वारा होने लगी है। (iv) भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आचीन काल से ही मनुष्य धन-मच्चय का महत्व समझते रहे हैं। धन-मच्चय मनुष्य ऐसी दस्तु के हप में बरते हैं जो मूल्यवान् एवं टिकाऊ हो जाया जिसका विनिमय-मूल्य अधिक हो। सोना-चांदी के रूप में धन-मनुष्य की परिपाठी सदा से ही प्रचलित रही है और आज भी बहुत कुछ पार्दि जाती है क्याकि एक और इनका आभूषण के रूप में प्रयोग होता है और कूसरी और आवश्यकता पड़ने पर इनको बेचकर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। परन्तु यिन्हाँ के प्रसार, पैशान में परिवर्तन, वैक में विश्वाम आदि के बारे अब धन का मच्चय सोना चांदी के रूप में कम होता जा रहा है और दैनों में जमा के रूप में बढ़ता जा रहा है। तरल-अय शक्ति के महत्व को अब मनुष्य समझते लगे हैं, इसलिये भी धन का मच्चय दस्तु के हप में नहीं बरन् मुद्रा के रूप में किया जाता है। स्पष्ट है कि मुद्रा के बार्थों का प्रादुर्भाव एकाएक किसी एक समय पर नहीं होता अतिक ज्याज्यों किसी बार्थ के लिये इसकी आवश्यकता पड़ी, रोपन्यों ही मुद्रा का प्रयोग उस हप में होता लगा। यह कहना कठिन है कि नविष्य में मुद्रा को और कौन-कौन से बार्थों को समझ करना होगा। इसलिये यह टीका है कि “मुद्रा वह है जो मुद्रा का नार्थ बरे” (द सात पृष्ठ)।

**प्रश्न ४** — Explain how and to what extent the use of money in exchange transactions removed the inconveniences of Barter? (Rajasthan B Com 1958)

**संकेत** — उत्तर में आरम्भ में लिखिये कि भानव के ग्राम्यक विकास के प्रारम्भक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा दस्तुओं का आदान प्रदान होता था, कि इनके कई बारे दे (नक्षेप में इन बारणों की बताई जैसे, सीमित आवश्यकतायें, विनिमय का सीमित क्षेत्र, समाज का विद्वान् आदि) कि इस प्रणाली में अनेक असुविधायें थीं जैसे—आवश्यकताओं के दुहरे भुगम का अभाव, सर्वसामय मूल्य मापदण्ड का अभाव, विमान की कठिनाई तथा विनिमय शक्ति के सचय का अभाव थादि। अन्त में, द्रव्य विनिमय प्रणाली की व्याख्या बरते यह बताइय कि द्रव्य के उपयोग से वस्तु विनिमय प्रणाली की समन्वय असुविधायें बिन प्रकार दूर हो गई हैं (पात्र-द. पृष्ठ)।

**प्रश्न ५** — (i) What are the chief characteristics of money? Should Cheque's Bank Deposits and Trade Bills be regarded as money? Bihar; B A 1956)

**संकेत** — उत्तर के प्रथम भाग में चार छ. बाब्यों में मुद्रा का भर्त्य समझाने के बाद मुद्रा की विद्येषताधा को विन्दार में लिखिये—प्रथम विद्येषता है उन्वेषाहटा (General Acceptability)। यह मनुष्य किसी दस्तु को अपनी सेवाओं तथा दस्तु के बदले में लेने के लिये तैयार होने हैं, तब ही यह वस्तु मुद्रा बहलाती है। रोबर्टसन आदि की मुद्रा की परिभाषा ए “लिखकर इस स्तर की पुष्टि कीजिय, इस दान को देवाहरण सहित बनाइय कि ममय-समय पर विभिन्न वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग हुआ है, मुद्रा के अन्य

गुण (मुद्रा के बाबों को पहिये) इसी प्रधान गुण को परिधि के अन्तर्गत हैं (चार पृष्ठ)। हितीय संड में यह स्पष्ट कीजिये कि तरल क्षय-शक्ति (Liquid Purchasing Power) का दूसरा नाम ही मुद्रा है और इस हथिये के बताइये कि चैक, बैंक जैसा तथा व्यापारिक साप-नप्र मुद्रा के अन्तर्गत है या नहीं। (अ) चैक—इसे साधारणतया मुद्रा की शेरों में नहीं रखते हैं क्योंकि इसमें सर्वशास्त्रता का गुण नहीं है, मनुष्य इसे स्वीकार भी कर सकते हैं और नहीं भी, यह के बल तरल क्षय-शक्ति के हस्तान्तरण का आदेश-भाव है, (आ) बैंक-जैसा या बैंक-साप-न्ये मुद्रा है क्योंकि इनमें सर्वशास्त्रता का गुण नहीं है, मनुष्यों वा बैंक को साल में विश्वास होता है और वे अपनी वस्तुओं व सेवाओं के बदले में इसे स्वीकार करने में हिचकते नहीं है, फिर बैंक-साप के बारण मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोकर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बैंकों वा जाल देश-विदेशों में फैला रहने के बारण बैंक-नाम की प्राप्ति बहुत बड़े एवं व्यापक सेवा में होती है, (इ) व्यापारिक साप-नप्र—यह साधारणतया मुद्रा की गणना में नहीं आता है क्योंकि इसमें सर्वशास्त्रता नहीं है। विल्य प्रायः तीन महीने की अवधि के होते हैं और प्रायः दो महीने तक विल्य-बाजार में चाहर बाटते रहते हैं, इसका लेन-देन एक सीमित सेवा में होता है। इसीलिये हम विल्य को मुद्रा की संज्ञा नहीं दे सकते हैं (डाई-तीन पृष्ठ)।

**प्रश्न ६.** "Of the two functions of money, as unit of account and medium of exchange, the former is usually considered to be the more essential for modern society" Explain this statement fully.

(Bihar, B. Com. 1953)

**उत्तर** —उत्तर के प्रथम भाग में यह बताइये कि प्राचीन बाल से ही मुद्रा के दो प्रधान कार्य हैं—विनिमय का माध्यम और मूल्यांकन का साधन। मुद्रा वा प्रयोग सर्वप्रथम विनिमय के माध्यम के रूप में हमारा प्रथमा मूल्यांकन के साधन के रूप में हुमा, इस सम्बन्ध ने चाद-विवाद रहा है (प्रश्न ३ का गवेन पट्टिये)। यदि एक तरफ कुछ वा मत है कि मुद्रा वा प्रयोग सर्वप्रथम विनिमय के माध्यम के रूप में हुमा (इनका मत है कि उस समय मूल्यांकन वा साधन थोर अन्य वस्तु थी) तब दूसरी तरफ कुछ वा मत है कि मुद्रा वा प्रयोग सर्वप्रथम मूल्यांकन वे गापन वे रूप में हुमा (इनका मत है कि उस समय विभी वस्तु वा साधारणतया माध्यम वे रूप में प्रयोग में आता सम्भव नहीं था)। परन्तु टीक मत दृढ़ है कि भिन्न-भिन्न रायानों व समझों पर मुद्रा वा प्रयोग कर्म एवं ऐसे रूप में तब वभी दूगरे रूप में हुमा। जैगे-जैगे मुद्रा वा विराज हुमा, यह विनिमय वा एक महत्वपूर्ण सापन बनता गया और मूल्यांकन वा कार्य यह गोला रूप में बरता रहा (दो-डाई पृष्ठ)। दूसरे भाग में यह बताइये कि भाषुनिक मुद्रा में 'बैंक-नाम' वा बहुत बड़ी साम्रा में प्रयोग होता है इस प्रकार के घटवाहर में किसी बहुत या मुन्त्र रूप में प्रादान-प्राप्ति नहीं होता है, वरन् पैदल दैक्ष के सातों में ही परिवर्तन होता रहता है। यदि ऐसे घटवाहर के साते में गे रप्ता निवाला आता है, तर यह दूगरे घटवाहर के गाते म जैसा कर दिया जाता है। यही बारण है कि बैंक-नाम प्रणाली में न तो व्यापियों वो मुद्रा के देखते वी प्रोर न इसे देखे वी ही

अतिव्यवस्थकता होती है। पक्षत अब मुद्रा का एवं विनिमय के साधन की अपेक्षा मूल्यवर्तन के नाधन के हृप में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। भविष्य में भी आधिक, आद्योगिक व व्यापारिक एवं वैकिंग के विवास के कारण, यह आवंटा की जाती है कि सभी विनिमय के बार्य "वैक-सरण" के आधार पर किये जायेंगे और तोटो व सिक्कों की आवश्यकता लगभग नहीं के बराबर रह जायगी। अत मुद्रा वा वर्गीकरण के माध्यम की तुलना में मूल्यांकन के साधन के हृप में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है (दाईंतीम पृष्ठ)।

**प्रश्न ७ Define 'Money' critically and examine the importance of "liquidity" in its definition (Bihar, B Com 1953)**

संकेत—उत्तर के प्रथम भाग में तीन-चार पृष्ठों में मुद्रा की परिभाषा एवं इसका अर्थ समझाइये (प्रश्न १ का संवेदन पढ़िये)। द्वितीय भाग में मुद्रा की परिभाषा में मुद्रा की तरलता के गुण के महत्व को बताइये—मुद्रा की तरलता का अर्थ बताने के लिये लिखिये कि वस्तु में विनिमय-शक्ति तरल (Liquid) और टोस किसी भी एक हृप में रह सकती है, जिस वस्तु को सभी मनुष्य अपनी वस्तुओं व सेवाओं के बदले में ग्रहण करने के लिये तैयार हो जाते हैं, उस वस्तु की व्यव शक्ति एवं विनिमय शक्ति को हम तरल हृप में भानने हैं क्योंकि ऐसी वस्तु विना विसी रोप टोक एवं स्वतन्त्रापूर्वक समाज में विचरण करती है। वस्तु ने इस प्रकार के गुण के बारे में हम वह सबते हैं कि इसमें सर्वश्राहता ना गुण है। इसमें विपरीत ऐसी वस्तु जिसे मनुष्य अपनी सेवाओं व वस्तुओं के बदले में सुगमतापूर्वक स्वीकार नहीं करते, उस वस्तु में व्यव शक्ति एवं विनिमय-शक्ति टोस हृप में भानी जाती है। वस्तु की तरल व्यव-शक्ति का ही दूसरा नाम मुद्रा है न्यायिक इस गुण के कारण ही वस्तु में सर्वश्राहता का गुण होना है। बैंक जमा में इस प्रवार की तरल व्यव-शक्ति बहुत अधिक पाई जाती है जिसके कारण आधुनिक समाज में बैंक-जमा की गणना मुद्रा में की जाती है और यह मुद्रा ना कार्य बहुत ही सुचारू रूप से सम्भव करती है। प्रो० कोल (Cole) की मुद्रा की परिभाषा दीक्षिये और बताइये कि इन्होंने ही सर्वप्रथम मुद्रा की इस प्रकृति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। अत जूँकि तरल व्यव शक्ति का ही दूसरा नाम मुद्रा है इसकिये मुद्रा की परिभाषा में 'तरलता' शब्द का बहुत महत्व है (दो पृष्ठ)।

## अन्याय २

### मुद्रा का वर्गीकरण

(Classification of Money)

प्रारूपन—मुद्रा का वर्गीकरण अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रवार से विद्या है। नीचे हमन वर्गीकरण की तीन मुख्य शीलिया का ही बर्णन किया है—(अ) धातु-मुद्रा तथा पत्र मुद्रा, (आ) वास्तविक मुद्रा तथा हिमार की मुद्रा और (इ) विविधाङ्ग मुद्रा तथा निच्छिक मुद्रा।

## (अ) धातु-मुद्रा तथा पत्र-मुद्रा

धातु-मुद्रा तथा पत्र-मुद्रा (Metallic Money and Paper Money):—मुद्रा का इस प्रकार का वर्गीकरण द्रव्य के पदार्थ (Money Commodity) के आधार पर किया जाता है। यद्यपि प्राचीन वाल में पश्च, पत्तिया, खाल तथा अन्य वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग हुआ था [इन वस्तुओं को वस्तु-द्रव्य (Commodity Money) कहा जाता है] परन्तु आजकल इन वस्तुओं का विनियम के माध्यम के रूप में प्रचलन बन्द हो गया है जिससे वर्तमान मुग में द्रव्य पदार्थ की बेकल दो ही वस्तुये रह गई हैं—धातुएँ और कागज। इसीलिए आधुनिक समय में अधिकांश चलन धातु-मुद्रा तथा पत्र-मुद्रा वा ही पाया जाता है। प्राचीन काल में यद्यपि मौने व चाँदी के मिक्के तथा निम्न धातुओं अथवा गिलट, ताँदा व अन्य धातुओं के मिक्के साथ ही साथ प्रचलन में थे, परन्तु आजकल मूल्यवान धातुओं के सिक्कों का प्रचलन लगभग बन्द हो गया है और चलन में अधिकांश मुद्रा कागज की तथा गिलट, ताँदा और अन्य निम्न धातुओं की मुद्रा ही पाई जाती है।

(i) धातु-मुद्रा (Metallic Money) :-धातु-मुद्रा वह है जिसमें किसी न किसी धातु के सिक्के चलन में रहते हैं। धातु-मुद्रा दो प्रकार की होती है—(क) प्रामाणिक मुद्रा तथा (ख) सारेनिक मुद्रा।

(क) प्रामाणिक मुद्रा (Standard Money):—इस प्रकार की मुद्रा को प्रधान, पूर्णांकाय तथा सर्वांग मुद्रा भी बहते हैं। प्रामाणिक मुद्रा में मिक्के सोने व चाँदी के बनाये जाते हैं। ये मिक्के विसी विशिष्ट व निश्चित वजन के तथा विसी निश्चित शुद्धता (Fineness) के बनाये जाते हैं। ये सब वातें देश के टंकण विधान (Coinage Act) द्वारा निर्धारित की जाती है। इन सिक्कों वा मुद्र्य विभेषताये इस प्रकार हैं—(च) प्रामाणिक सिक्का देश का प्रधान सिक्का होता है।—प्रामाणिक मिक्का देश का प्रधान मिक्का होने के बारण, देश में इसी मिक्के में हिसाब (Accounts) तैयार किया जाता है तथा देश के अन्दर तमाम वस्तुओं व नेवायों और अन्य मिक्कों वा मुद्र्य भी इसी मुद्रा में आकर जाता है। अतः प्रामाणिक मिक्का देश में मूल्यमापन तथा विनियम-माध्यम का बार्यं बनता है। यदि प्रामाणिक मुद्रा एक धातु की बनाई जाती है, तब इसे एक धातुमान (Monometallism) और आगर प्रधान मुद्रा थो धातुओं की बनाई जाती है, तब इसे द्वि-धातुमान (Bi-metallism) बनते हैं। (ख) प्रामाणिक मुद्रा का अंकित मूल्य और अंतरिक मूल्य समान होता है—टंकण विधान (Coinage Act) के प्रत्युत्तर मिक्के वा बाह्य मूल्य तथा उसमें किनी घातु होंगी यह निश्चित बर दिया जाता है। प्रधान मुद्रा में अंकित मूल्य (Face Value) सदा आन्तरिक मूल्य (Intrinsic Value) के बराबर होता है, इसलिए इस प्रकार की मुद्रा वो पूर्णांकाय मुद्रा (Full Bodied Money) भी कहते हैं। यह स्मरण रहे कि यदि इस मिक्के वो गला वर धातु के रूप में देचा जाय, तब भी विक्रीता वो कोई हानि नहीं होती है। उदाहरण के लिये, यदि भारतीय टंकण विधान ने भारतीय रूपये का बाह्य मूल्य (Face Value) १६ आने निश्चित कर दिया है, तब इनमें १६ आने के बराबर चाँदी होने पर ही यह प्रधान मुद्रा वही जा सकेगी। यह १८६३ से पहले भारतीय

रूपवा इसी प्रकार का था। इगलेंड में सितम्बर सन् १६३१ से पहले स्वरुपमान प्रणाली प्रचलित थी और उस समय का निश्चा सावरन पूर्णकाय (अर्थात् प्रामाणिक) निवारा था। परन्तु जब से इगलेंड ने (सन् १६३१ में) स्वरुपमान ना भरित्याग निया है, तब से उस देश में भी कोई प्रामाणिक सिवका नहीं है। (ज) प्रामाणिक सिवकों की स्वतन्त्र मुद्रा छलाई होती है—यदि देश वी जनता नो यह अधिकार प्राप्त है कि वह सोने-चादी वी सिलिया ले जाकर एक निचित दर पर इन आनुग्रो बो उस देश के सिवको में छलवा सकती है, तब इम प्रथा को स्वतन्त्र मुद्रा छलाई (Free Coinage) नहते हैं अर्थात् तब यह कहा जाता है कि मुद्रालय (Mint) जनता के लिये खुला है। इस प्रकार के टकण के लिए सरकार जनता से टकण-शुल्क (Charge of Coinage) लेती भी है और नहीं भी लेती है। प्रामाणिक सिवको वी यह विशेषता होती है कि इनका टकण (छलाई) स्वतन्त्र होता है। इससे यह साम रहता है कि देश में सिक्को नी बमी भी बमी नहीं रहती है बयोमि जब बमी जनता नो सिवको भी बमी महसूस होती है, तभी वह स्वरुप-चादी वी टकसाल में ले जाकर इसके बदले सिवके ले आती है। (झ) प्रामाणिक सिवके अपरिवित कानूनी तिक्के होते हैं—प्रामाणिक सिवको में असीमित विधिशास्त्र (Unlimited Legal Tender) होती है। इन सिक्को को प्रत्येक व्यक्ति वी असीमित मात्रा में बानून स्वीकार नरने पड़ते हैं। इसीलिए बड़े-बड़े लेन-देन के व्यवहार (Business Transactions) प्रामाणिक मुद्रा में ही निये जाते हैं। भारतवर्ष में रूपवा, रूपये के नोट, अटनी असीमित विधिशास्त्र हैं परन्तु चबनी, दुग्धनी, द्वचनी, शघना और पैसा सीमित विधिशास्त्र (Limited Legal Tender) हैं। इससे बैचल १० रूपये तक ही भुगतान किया जा सकता है अर्थात् इस सीमा के पश्चात् प्रत्येक व्यक्ति इनको प्रस्तीकार नर सकता है। यह स्मरण रहे कि राज्य जब चाहे तब मुद्रा वी विधिशास्त्रा दो समाप्त नर सकता है। सन् १६४६ में भारत सरकार ने ५०० रूपये और १००० रूपये के नोटो वी विधिशास्त्रा लातम नर दी थी। परन्तु घब फिर १००० रूपए के नोटो ना चलन हो गया है। इसी प्रकार १८० रोन वाला चादी का सिक्का जिसमे  $\frac{1}{2}$  शुद्धता थी (One rupee Coin of 180 Grains of  $\frac{1}{2}$  Fineness) यह विधिशास्त्र (Legal Tender) नहीं है। विधिशास्त्रा समाप्त कर देने का प्राप्त एकमात्र उद्देश्य यह भी होता है कि सरकार अमुक मुद्रा रा सम्रह (Hoarding) नहीं होने देना चाहती है।

(क) साकेतिक मुद्रा (Token Money) —इस प्रकार की मुद्रा को प्राप्त रूपवा

प्रतीक मुद्रा भी कहते हैं। यह यह सिक्का है जिसमे प्रामाणिक मुद्रा के बिल्कुल विपरीत गुण पाये जाते हैं। यह मुद्रा बैचल अल्प परिमाण के व्यवहारो (Small Transactions) ने मुगतान के लिये चलाई जाती है जिसमे कि यह प्रामाणिक मुद्रा के लिए सहाय होती है। इस प्रकार की मुद्रा अक्षर निम्न अवक्षा हल्की धातु की बनाई जाती है, जैसे तादा, निकल, गिलट आदि। इस प्रकार की मुद्रा के लिए इस प्रकार है—(च) साकेतिक सिवकों

\*The students should not confuse the two terms—Free Coinage and Gratuitous Coinage. Coinage can be both Free and Gratuitous at one and the same time. Free Coinage simply means that the people possess the right to get their bullion changed into Coins but if the Mint does not charge anything for this work, it is called Gratuitous Coinage.

को द्वारा ई कभी भी स्वतन्त्र नहीं होती है—इन सिक्कों का टकरण केवल देश की सरकार द्वारा ही कराया जाता है, जनता को यह अधिकार नहीं होता है कि वह धातुओं के बदले में टकसाल से सिक्के प्राप्त कर सके। (अ) सांकेतिक सिक्के का अर्कित मूल्य इसके आन्तरिक या धातु-मूल्य से अधिक होता है—इन सांकेतिक सिक्कों वी कीमत इनके भीतर रहने वाली धातु पर निर्भर नहीं होती है बल्कि यह कीमत सरकारी आदेश के अनुसार निर्धारित होती है। इसलिये कुछ व्यक्तियों ने इसे प्रादिष्ट सिक्के या प्रादिष्ट मुद्रा (Fiat Coins or Fiat Money) कहा है। तू कि इन सिक्कों का धातु-मूल्य सिक्कों के मुद्रा-मूल्य से बहुत बग होता है, इसीलिए जनता द्वारा इन सिक्कों को गलाया नहीं जाता है क्योंकि ऐसा करने में उन्हें हानि होती है। (ज) सांकेतिक सिक्के परिमित कानूनी प्राप्ति (Limited Legal tender) होते हैं—इन सिक्कों को लैन-देन में सीमित सख्ताओं में ही दिया जा सकता है अर्थात् एक बार में एक सीमा तक ही उन्हें कोई व्यक्ति लेने के लिये बाध्य किया जा सकता है। भारत में यह सीमा चबनी तक के सिक्कों के लिए पहले १० रुपए तक थी, परन्तु अब यह बढ़ाकर २५ रु. कर दी गई है। (भ) सांकेतिक सिक्के देश की प्रधान मुद्रा के सहायक सिक्के होते हैं:—सहायक सिक्के होने के कारण ये प्रधान सिक्के के ही विभिन्न भाग होते हैं।

सरकार सांकेतिक सिक्कों का चलन प्राप्त दो कारणों से किया करती है:—  
 (क) जबकि सरकार के पास बहुमूल्य धातुओं की कमी होती है और सरकार को मुद्रा के बढ़ाने की आवश्यकता होती है तब वह सांकेतिक सिक्कों का चलन किया करती है। परिणाम यह होता है कि सांकेतिक सिक्कों के चलन से सरकार को बहुमूल्य धातुओं के उपयोग में बचत हो जाती है क्योंकि अब घोड़ी-सी धातु से ही बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा तंयार की जा सकती है। (ख) जब जनता सिक्कों को पलाना आरम्भ कर देती है तब सिक्कों के गताने को रोकने के लिये सरकार द्वारा सांकेतिक सिक्कों का चलन किया जाता है। सन् १९४० में चाँदी के मूल्य के बढ़ जाने के कारण भारतीय चाँदी का रुपया पूर्णकाम सिक्का (Full Bodied Coin) हो गया था जिसका परिणाम यह हुआ था कि जनता द्वारा इस सिक्के ना सम्भव (Hoarding) हो गया था तथा कुछ व्यक्ति इसको गताने कर इसकी चाँदी को बेचकर लाभ उठाने लगे थे। परिणामतः देश में टकसाली रुपये की बहुत कमी हो गयी थी (यह स्मरण रखें कि यही सिक्का सन् १९४० से पहले सांकेतिक सिक्का था)। इस विषयता को दूर करने के लिये सरकार ने इस रुपये का अद्व्याकरण (Demonetization) कर दिया और इसके स्थान पर नये रुपये के सिक्के चातुर विभिन्न में चाँदी नी मात्रा के बल दू ही रखते गई। सन् १९४६ में विकल अधिकारियों द्वारा इन सिक्कों का प्रबलन नियम गया। तू कि बर्तमान रुपये का सिक्का एक सांकेतिक सिक्का बन गया है, इसलिये इन सिक्कों के सम्भव (Hoarding) दा भव बिल्कुल भी नहीं रहा है।

निष्कर्ष—यह बात तो स्पष्ट है कि प्रामाणिक सिक्कों की तुलना में सांकेतिक सिक्के बहुत सराव होते हैं तथा जनता का इनमें विश्वास भी बहुत बग होता है, परन्तु मापुनिक आर्थिक सम्भव में संवेतित मिक्कों वा चनन आत्यावश्वव है वयोनि मूल्यनान

धातुओं की न केवल स्वलप्ता (Scarcity) है बरन् ये वहुत मूल्यवान भी है तथा इनके दाने सिक्कों में लोचबता के गुण का भी पूरण अभाव होता है। इसके अतिरिक्त व्यवहा रिक जीवन में क्योंकि साकेतिक सिक्कों से बोई बठिनाई अनुभव नहीं होती है इस बारण भी इन सिक्कों की वृद्धि चलने में होती जा रही है।

**क्या भारतीय रूपया प्रामाणिक सिक्का है ? (Is the Indian Rupee a Standard Coin ?)** —भारतीय रूपया आरम्भ से आज तब प्रामाणिक सिक्का माना गया है परन्तु इसमें प्रधान सिक्कों के सब गुण नहीं पाये जाते हैं। रूपया असीमित विधिग्राह्य (Unlimited Legal Tender) है तथा यह देश का प्रमुख सिक्का है यदोंकि समाचार टेक्स तथा बस्तुओं वा मूल्य रूपये में ही निर्धारित किया जाता है। परन्तु वर्तमान रूपये के सिक्के का अवित मूल्य (Face Value) उसके आनंदिक मूल्य (Intrinsic Value) से अधिक है तथा तब १८६३ से इसकी स्वतन्त्र मुद्रा ढाराई भी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि रूपये में पदि कुछ गुण एक प्रामाणिक सिक्के के पाये जाते हैं, तब इसमें कुछ गुण एक साकेतिक सिक्के के भी पाये जाते हैं। इसलिए रूपये को साकेतिक प्रामाणिक सिक्का (Token Standard Coin) तथा भारत में मौद्रिक मान साकेतिक मान (Token Standard) माना जाता है। न केवल भारत में वैल्व नामग्रंथ समाचार देशों में ही प्रमाणिक सिक्कों वा अवित मूल्य उनके आतंरिक मूल्य से अधिक पाया जाता है।

### मुद्रा टक्का तथा सम्बन्धित पारिभाषिक शब्द

**धातिक मुद्रा का उदय (Origin of Metallic Money)** —वस्तु विनियम प्रणाली में जब अनेक बठिनाइया अनुभव हुई, तब उन शने भिन्न भिन्न वस्तुओं का विनियम माध्यम के साथन के रूप में प्रयोग होने लगा। परन्तु वस्तु द्रव्य (Commodity Money) नामवान तथा अवहनीय (Unportable) या तर्था कुछ वस्तुओं वा विनियम दाय के लिये चिनाजन ही नहीं हो सकता था इसलिये धातु द्रव्य का प्रयोग आरम्भ हुआ। प्रारम्भिक अवस्था में सोने व चाँची की सतातों (Rods) अथवा टुकड़ों (Pieces) वा विनियम माध्यम के साथन के रूप में प्रयोग हुआ, परन्तु ये टुकड़े टड़ में एकल क होते थे तथा सताता वो भी ब्रूट कर ही दिया जाता था। इस अवस्था में लेने वाले वो टुकड़े न तिय कुछ प्रतिलिपि सर्तारी सत्ता साहू बारों ने जिनकी साख का जनता वो विश्वास था सोने चाँची व टुकड़ों पर अपना चिन्ह लगाना आरम्भ कर दिया ताकि उन टुकड़ों की गुदता में भिनावट न दूरी जा सक। परन्तु न टुकड़ों वा बजन सो अब भी बरना पड़ता था। इस बठिनाई ने दूर करने के लिये सोने चाँची व एक निश्चित बजन के टुकड़ा पर चिन्ह अवित किया औल गए चिन्हसे अब इन टुकड़ों के बजन व गुदता वो जाँच दी जावायीता ही समाप्त हो गई। इतिलास से पता चलता है कि विभिन्न देशों न सिक्क बनाने की काम म समय-समय पर बढ़े उल्लंघनीय परिवर्तन तथा मुद्धार किये हैं। १६वीं शताब्दी में तम्ह बनाने की काम में इटली वजा प्रतिष्ठा था। परन्तु इस काम वा प्रवाह शने

## मुद्रा का वर्गीकरण

याने: स्पेन, फ्रांस होता हुआ इंगलैंड तक पहुँचा यद्यपि आरम्भ में सिक्के बनाने का कार्य व्यक्तिगत टकसालों तथा कारखानों में किया जाता था, परन्तु धीरे-धीरे यह कार्य राज्य ने अपने हाथ में ले लिया। इसका कारण स्पष्ट है। आरम्भ में सिक्कों में जितने ही मूल्य की मूल्यवान धातु रहती थी जितने मूल्य का सिक्का चलने में होता था, परन्तु बाद में सिक्कों का अंकित मूल्य इनके आन्तरिक मूल्य से अधिक रखा जाने लगा। इस अवस्था में टकण-न्लाभ प्राप्त करने के लिये ही राज्य ने टकण का कार्य अपने हाथ में लिया और आज यह कार्य प्रत्येक देश में पूर्णतया राज्य के हाथ में ही होता है। टकण से धीरे-धीरे सुधार होता गया और अन्ततः १८वीं शताब्दी में ऐसे सिक्कों का निर्माण होने लगा जिनमें धोके व जालसाजी की सम्भावना कम से कम थी।

### टकण के उद्देश्य

टकण के उद्देश्य (Aims of Coinage):—टकण के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हुआ करते हैं—  
(i) धोखेदारी तथा जालसाजी से बचने के लिये सिक्के समान बजन तथा समान चुद्धता के बनाने चाहिये अर्थात् सिक्कों में समानता (Uniformity) तथा परिचय-शीलता (Cognizability) के गुण होने चाहिये। (ii) सिक्के इस प्रकार के होने चाहिये कि इनमें से आसानी से धातु काटकर (Clipping) या गलाकर न निकाली जा सके। (iii) सिक्के इनके कडे व सस्त होने चाहिये कि चलने के अन्तर्गत इनमें घिसावट द्वारा धातु नष्ट नहीं हो सके। इसीलिये आजकल सिक्कों को कड़ा करने के लिये मूल्यवान धातुओं में कुछ टाका घिलाया जाता है। (iv) सिक्कों को इस प्रकार ढालना चाहिये तथा इन पर इस प्रकार के चिन्ह प्रक्रिया करने चाहिये कि ये आसानी से नकली नहीं बनाये जा सकें। (v) सिक्कों का रूप व शक्ति-मूरत कलापूर्ण होना चाहिये ताकि ये देश की सकृति का निरूपण कर सकें। जब सरकार टकण करते, समय इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर धारिक-मुद्रा वा निर्माण करती है, तब ही देश में अच्छे, उत्तम व सुन्दर सिक्कों का चलन होने पाता है।

### टकण प्रणालियाँ

टकण प्रणालियाँ (Coinage Systems):—संसार में टकण की दो मुख्य प्रणालियाँ हैं—  
(क) स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई तथा (ख) सीमित मुद्रा ढलाई।

(क) स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई (Free Coinage):—इसको कभी-कभी असीमित मुद्रण भी कहते हैं। जबकि टकसाल जनता के लिये बुली होती है अर्थात् जबकि जनता को राज्य द्वारा यह प्रथिकार दे दिया जाता है कि वह जिस मात्रा में चाहे यह मूल्य धातु (सोना या चांदी जिसके भी सिक्के प्रचलित हों) टकसाल में ले जाकर उसके बदले में सिक्के ले सकती है तब इस प्रणाली को स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई कहते हैं। यह टकण निशुल्क या सशुल्क होता है, परन्तु दोनों ही दशाओं में जनता को धातु (Bullion) को सिक्कों में ढलवाने की स्वतन्त्रता होती है। इंगलैंड में सन् १६३१ तब तथा भारत में सन् १८६३ तक स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई वो ही प्रणाली थी। इस प्रकार की टकण की प्रया उनीची शताब्दी में सफलतापूर्वक चालू थी। उस समय

जनता सिवक अपनी निजी आवश्यकता की पूर्ति के लिये टकसाल से ढलवाया करती थी, परन्तु इस कार्य में वे नफा नहीं कमाया करते थे। सरकार सिवक धातु के बदले में जिस दर पर देती है, उसे धातु का टकसाली मूल्य (Mint Price) कहते हैं।

स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई के रूप (Forms of Free Coinage)—स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई के दो मुख्य रूप हैं—(अ) नि शुल्क मुद्रण (Gratuitous Coinage)—स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई का यह अर्थ नहीं होता है कि टकसाल सिवके ढालने का कुछ भी स्वर्च नहीं लेती और सिवक मुफ्त में ही ढाल देती है बरन् इसका अर्थ केवल यही है कि सरकार ने जनता को यह अधिकार दे रखा है कि जनता अपनी धातु के सिवके जब चाहे तब ढलवा सकती है। यदि सरकार इस कार्य के लिये कुछ भी शुल्क नहीं लेती, तब इसे नि शुल्क मुद्रण (Gratuitous Coinage) कहते हैं। चूँकि ढलाई का कार्य मुफ्त किया जाता है, इसलिये कार्य में जो व्यय होता है उसे सरकार अपनी साधारण आय में से चुकाती है। इगलैड और अमेरिका में पूरण काय सिवको (Full Bodied Coins) के टकरा के लिये यही प्रणाली प्रचलित थी। (आ) नि शुल्क मुद्रण (Non-gratuitous Coinage)—जब सरकार टकरा कार्य के लिये कुछ शुल्क लेती है, तब इसे संशुल्क मुद्रण कहते हैं। संशुल्क मुद्रण भी दो प्रकार का होता है। (च) टकरा व्यय (Brassage)—जब सरकार सिवके ढालने का स्वर्च ठोक उतना ही लेती है जितना वास्तव में टकसाल को व्यय करना पड़ता है, तब इस प्रकार के व्यय को मुद्रण व्यय 'या टकण-व्यय (Brassage) कहते हैं। यह स्मरण रहे कि सरकार मुद्रण-व्यय उसी अक्ति से बसूल करती है जो धातु को सिवको में ढलवाना चाहता है, परन्तु सरकार इस प्रकार के टकण कार्य में कुछ भी लाभ नहीं कमाती है क्योंकि सरकार अपने टकण व्यय के बराबर ही रकम लेती है। (छ) टकरा लाभ (Seigniorage)—जब सरकार सिवको की ढलाई के लिये मुद्रण-व्यय से अधिक रकम बसूल करती है, तब व्यय से अधिक सरकार जो कुछ लेती है उसे मुद्रण-लाभ ('Seigniorage) कहते हैं। सरकार इस प्रकार का लाभ दो प्रकार से प्राप्त नहीं है। प्रथम सरकार धातु में खोट का टकरा मिला देती है या द्वितीय सरकार प्रत्यक्ष रूप में ढलाई लाभ लेती है। इस प्रकार का टकरा लाभ सान तिन मुद्रा में सबसे अधिक होता है। उदाहरण के लिये, सन् १६४६ के पूर्व भारतीय रूपये में १६५ प्रति चांदी तथा १५ ग्रन अन्य धातु थी, इस तरह चांदी का मूल्य नेवत ६ आने २३ पाई का दिनु रूपये का भास्य मूल्य १६ आने था। अतः सरकार प्रति रूपया (१६ आने—६ आने २३ पाई=) ६ आने १२ पाई टकण-लाभ लेती थी।

(क) सीमित मुद्रा-ढलाई (Limited Coinage)—जब सिवक बनाने का अधिकार केवल सरकार तक ही सीमित रहता है और जनता को यह अधिकार नहीं देता कि वह धातु के बदले में एकत्र प्रत्यक्ष रूप, तथा इस प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष की सीमित मुद्रा ढलाई (Limited Coinage) कहते हैं। इस दण में यह बहा जाता है कि टकसाल जनता के लिये नहीं खुली है। इस पद्धति में सरकार स्वयं धातु खरीदकर देश की आवश्यकतागुसार मुद्रा बनाने का काय करती है। इस समय सजार के सभी

देशों में टकण की यही प्रणाली प्रचलित है। हर्शेल (Herschell) कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सन् १८६३ में भारत में भी रुपये का स्वतन्त्र मुद्रण बन्द कर दिया गया और तब से आज तक भारत में सीमित मुद्रा ढाई की प्रणाली है।

कौन सी प्रथा स्वतन्त्र मुद्रा-ढाई या सीमित-मुद्रा ढाई उपयुक्त है?—यह बहुत कठिन है कि मुद्रण की कौन-सी प्रणाली सबसे अच्छी है वर्णोंकि इस प्रकार का निर्णय परिस्थितियों पर निभंग रहता है। सीमित मुद्रा ढाई (Free Coinage) के पश्चात्पातियों का विचार है कि इस प्रथा में मुद्रा की अत्यधिक निकासी का भय गिट जाता है और मुद्रा प्रसार की सम्भावना अत्यधिक कम हो जाती है। सीमित मुद्रा ढाई (Limited Coinage) के समर्थकों ने यह कहा है कि इस प्रथा में सरकार साकेतिक सिक्के निकाल कर सोने व चादी के उपयोग से बचे जाती है।

### निकृष्टता और अवमूल्यन (Debasement and Devaluation)

सिक्कों की निकृष्टता (Debasement of the Coins) :—सरकार देश में सिक्के प्राप्त: किसी टकण विधान (Coinage Act) के अनुसार ढाला करती है। परन्तु जब कानून में बिना हेरफ़ेर किये सरकार सिक्के में जितनी प्रभालित धातु होनी चाहिये उससे कम धातु लगाती है अर्थात् जब सरकार सिक्के का आन्तरिक मूर्ख (Intrinsic Value) कम कर देती है, तब इस किया को निकृष्टता (Debasement) तथा इन सिक्कों को निकृष्ट सिक्के (Debased Coins) कहते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्रत्येक देश की सरकार को इस प्रकार के निकृष्ट सिक्के जारी करने पड़ते हैं। प्राचीन काल में सरकारें सिक्कों की निर्धारा को रोकने तथा टकण से लाभ प्राप्त करने के लिये सिक्कों में निकृष्टता लाया करती थी। भारत सरकार ने स्वयं भी ऐसा ही किया है। सन् १६०६ के (Indian Coinage Act) के अनुसार रुपये के १८० शेन के बजन में  $\frac{1}{2}$  शुद्धता होनी चाहिये, परन्तु सरकार ने सन् १६४० में इसे घटाकर  $\frac{1}{4}$  कर दिया था। अतः सन् १६४० में भारतीय सरकार ने रुपये को निकृष्ट (Debase) कर दिया था।

कभी-कभी यह किया बेर्डमान व घोलेबाज व्यक्तियों द्वारा भी की जाती है। ऐसी तरीके अपनाकर सिक्कों में निकृष्टता उत्पन्न कर सकते हैं—(i) किनारा काटना (Clipping):—सिक्कों को किसी तेग आँख से काटकर या कुरचकर वा रेती से राकड़कर उसकी कुछ धातु को सिक्कों से अत्यं दर लेने की क्रिया को किनारा कटाई (Clipping) कहते हैं। यह किया इतनी नावशानी तथा चतुर्युई से की जाती है कि देखने वाले को आसानी से इस बात ना जान नहीं होने पाता है। आजकल इस दूषित क्रिया को रोकने के लिये ही सिक्कों पर नोई चिह्न एवं तस्वीर अंकित की जाती है तथा किनारों वो बिट-विटीदार (Milled Edges) बनाया जाता है ताकि नोई अंकित सिक्कों के किनारों को आसानी से नहीं बाट सके और यदि किनारे बाट भी लिये जाते हैं तब इसना पता आसानी से लग जाता है। (ii) सिक्के धिसना (Abrasion):—जब सिक्कों को किसी शैली में डालकर रुपड़ा लाता है या भटके दिये जाते हैं, तब धातु के कुछ करए सिक्कों से भ्रमण हो जाते हैं। इस किया को ही सिक्कों का धिसना (Abrasion) कहा जाता है। प्राचीन समय में मिक्के नूत्रि सोने व चादी के बनते थे, इसलिये बेर्डमान व्यक्ति

मिक्कों को रगड़र तथा इनके बणों को एकत्रित करके इन्हें मोने-बादी के भाव पर बेच वर साम प्राप्त किया करते थे। इस तरह ये व्यक्ति मिक्कों को दिमकर इन्हे निष्टाठ बना देते थे। (iii) सिक्के जलाई (Sweating)—जब मिक्कों को किसी तेजाव में हाल दिया जाता है तब इनकी कुछ धातु गलवर तेजाव में मिल जाती है। तदपश्चात् तिसी रसायनिक क्रिया द्वारा धातु के बण इन तेजाव में से अलग बर लिये जाने हैं। इस तरह मिक्कों को जलाकर उनकी धातु की मात्रा को कम करने की क्रिया को सिक्के जलाई (Sweating) कहते हैं। (iv) जातो सिक्के बनाना (Counterfeiting)—जमी-जमी खेड़ीमान व धोखेवाज व्यक्ति जाली व नक्सी सिक्के बनाते हैं जिनमें सरकारी मिक्कों की तुलना में बहुमूल्य धातु की मात्रा कम होती है। सरकार द्वारा निर्धारित बहुमूल्य धातु की मात्रा से कम मात्रा के सिक्के बनाने की क्रिया को जाली सिक्के (Counterfeiting) बनाना कहते हैं। इन प्रकार की क्रिया को प्रायः मुनार तथा अन्य कार्रिगर करते हुए पढ़ते जाते हैं और ये इस कार्य में इतनी कुमलता प्राप्त करते हैं कि इनके द्वारा बनाए गये मिक्कों को असुनी चिक्कों से भेद करने में कठिनाई अनुभव होने लगती है।

#### मिक्कों तथा मुद्रा का अवमूल्यन (Devaluation of Coins or Money)

अवमूल्यन में मिक्के के अन्दर की धातु के परिभाषा भ कोई परिवर्तन नहीं होता जाता है। अर्थात् मिक्के के बास्तविक मूल्य (Intrinsic Value) में कोई बद्धी नहीं बी जाती है। परन्तु अवमूल्यन में मुद्रा या सिक्कों (शासाणिस सिक्के) का विदेशी द्वय या विदेशी सिक्कों के रूप में भूल्य कम कर दिया जाता है अर्थात् हमारे जिनके सिक्के या गितनी मुद्रा अनुकूल विदेशी मुद्रा के बदले में पहले दो जाती थीं, अब अवमूल्यन के पदचान् पूर्वक विदेशी मुद्रा के बदले में हमारी मुद्रा या सिक्के पहले में अधिक देखी मुद्रा थी जाती है। अत मुद्रा की देख के अन्दर जो क्रम-स्थिति है उस क्रम-स्थिति में किसी प्रकार की बद्धी न करते हुए जब हमका विदेशी विनियम मूल्य कम किया जाता है, तब हम इस क्रिया को अपने देश नी मुद्रा का अवमूल्यन (Devaluation) कहा बहुत है। ददाहरण के लिये, भारतीय रुपया १८ सितम्बर १९४१ के पहले ३०-५ मेंट (अमेरिकन मुद्रा) या ०.२६६६०? ग्राम सोना सरीदार या, परन्तु १८ सितम्बर सन् १९४० को हमका मूल्य २१ मेंट या ०.१६६६०? ग्राम सोना ब्रर दिया गया। इस प्रकार १८ सितम्बर सन् १९४६ को भारतीय रुपये की विदेशी क्रम-स्थिति में जो बद्धी बी गई, उस रुपये का अवमूल्यन (Devaluation) कहते हैं। यह स्मरण रखें कि मुद्रा अवमूल्यन से निर्वात को प्रोत्त्वाद्वान मिलता है और थायात कम हो जाता है क्योंकि विदेशी माल महगा हो जाता है।

#### (ii) पत्र-मुद्रा (Paper Money)

पत्र-मुद्रा क्या है? (What is Paper Money?)—“पत्र मुद्रा बापत्र पर किसी मरकार या अपितृप्ति संस्था (जैसे बैंक आौक इंगलैंड, रिजर्व बैंक अौंड ईंडिया) के विदेशी चिन्हों द्वारा, मांगने पर निश्चिक संश्या में प्राप्त मुद्रा देने का निविन बापत्र

है, 'जैसे—भारत में पांच रुपये का नोट आदि।' \* इस प्रकार के नोटों पर रिजर्व बैंक का वायदा द्या होता है कि वह मांगने पर अमुक नोटों पर लिखित रकम के बराबर प्रधान मुद्रा देगा। आधुनिक युग में लगभग तमाम देशों में मुद्रा का अधिकांश भाग पन्नमुद्रा का ही है। पन्नमुद्रा के अनेकों लाभ होने के कारण इसका चलन में भाग दिन प्रति दिन बढ़ता ही चला गया है। यह बहुत सुविधाजनक होती है, इससे बहुमूल्य धातुओं के उपयोग में बचत होती है तथा सरकार अपने आर्थिक संकट का मुकाबला पन्नमुद्रा द्वारा बहुत आसानी से कर लेती है।

### पन्नमुद्रा का उदय

पन्नमुद्रा का उदय (Origin of Paper Money)—<sup>†</sup> चीन में सबसे पहले कागज का अधिकार हुआ था, इसलिए पन्नमुद्रा का उपयोग भी सर्वप्रथम चीन (China) में हड्डी शताब्दी के आरम्भ में होने लगा था और वहाँ से ही उसका प्रसार अन्य देशों में हुआ। <sup>‡</sup> परन्तु पन्नमुद्रा का उपयोग १७ वीं व १८ वीं शताब्दी में ही विशेष स्पति हुआ है। भारत में पन्नमुद्रा का उपयोग सर्वप्रथम १६ वीं शताब्दी में आरम्भ हुआ जबकि बैंक ग्रॉफ बंगाल (Bank of Bengal) को सन् १८०६ में पन्न चलन का अधिकार मिला। थी जो० क्राउथर (G. Crowther) के अनुसार समस्त कागजी मुद्रा का आधुनिक ढाचा धीरे-धीरे चार अवस्थाओं से मुहूर तथा विकसित होता आया है:—  
 (i) प्रथम अवस्था—इसमें कुछ प्रतिक्रिया रूपया जमा करने वालों को जमा की हुई रकम के ऐसे प्रमाण-पन (Certificates of Deposits) देते थे जिनको पेश करके उन वैकों से या उनकी शाखाओं से या अन्य नगरों में उनके एजेन्टों से रुपया मिल सकता था। (ii) दूसरी अवस्था—यह वह अवस्था थी जिसमें कुछ वैकों को नोट-जारी करने पा अधिकार सरकार ने दे दिया था। वैकों भे रुपया जमाकर्ताओं को हा थे नोट बैंक द्वारा दिये जाते थे और इनका चलन भी एक सीमित क्षेत्र में ही था। ये नोट सर्वमान्य भी नहीं थे। (iii) तीसरी अवस्था—यह वह अवस्था थी जबकि वैकों को जनता द्वारा रुपया जमा की गई रकम से भी अधिक रकम का नोट जारी करने का अधिकार सरकार से मिल गया था। यह स्पष्ट है कि यह अधिकार इस विश्वास पर दिया गया था कि 'साधारणतया' वैकों में रुपया जमा करने वाले प्राहृक एक ही समय पर अपनी सारी जमा की हुई रकम वैकों से नहीं निवालते। (iv) छोटी अवस्था—यह नोट जारी करने की वर्तमान अवस्था है। इसमें सरकार ने नोट जारी करने का अधिकार सभी वैकों नो न देवर देवल देश के बैंकों नो ही दिया है या सरकार स्वयं नोटों का प्रबलम करती है। वर्तमान नोट अपरिमित नानूनी ग्राह्य (Unlimited Legal Tender) है और सरकार या केन्द्रीय बैंक इनको प्रामाणिक निकों में परिवर्तित करने का वचन दिया करती है। अब नोट पूर्णतया मुद्रा का बायं करते हैं।

\* Except on a One Rupee Note, on all other Currency Notes, a promise like this is printed—"I promise to pay the bearer on demand the sum of... Rupees at my office of issue—Sd. Governor, Reserve Bank of India."

† Money by Kindley, p. 329.

यदि विभीं देश में नोटों का प्रचलन बेन्द्रीय वैब ढारा किया जाता है, तब इन पर नियन्त्रण तथा इनका नियोजन करने का अधिकार सरकार के पास ही होता है। विभिन्न देशों में वापरी मुद्रा में भिन्न भिन्न मूल्य के नोट हैं। भारत में १ रुपये, २ रुपये, ५ रुपये, १० रुपये, १०० रुपये तथा १००० रुपये के नोट हैं।

### पत्र-मुद्रा के भेद

पत्र-मुद्रा के भेद (Forms of Paper Money)—पत्र-मुद्रा को उसके प्रामाणिक मुद्रा में बदलने के लिए रखे गये रक्षित कोष (Reserve Fund) के आधार पर तात्त्वागतों में बाटा जा सकता है—(१) प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा, (२) परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा तथा (३) अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा।

(१) प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा (Representative Paper Money)—जब इसी पत्र-मुद्रा के घोंडे इसके मूल्य के बराबर सोना या चाँदी रक्षित निधि के रूप में रखते जाते हैं, तब इस प्रकार को-पत्र-मुद्रा को प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा (Representative Paper Money) कहते हैं। नोट जारी करने के प्रारम्भिक काल में नोटों के प्रचलन का उद्देश्य सूखवान धनुषों की चितावट (Wear and Tear) में हानि बाली हानि से बचना था। इसीलिए जो नोट जारी किये जाने थे, वे खजाने में जमा नोन व चाँदी (Silver and Gold Bullion) के प्रतिनिधिस्वरूप ही थे क्याकि भाग होने पर नोटों के बदले में सोना व चाँदी को प्राप्त किया जा सकता था। अतः प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा इस बात की नूचह थी कि सरकार या बैंक (जिनमें भी नोट जारी किये हैं) के रक्षित-कोष में नोटों के मूल्य के बराबर सोना व चाँदी जमा है। भारत में सन् १९२५ में हिल्टन-यूंग कमीशन (Hilton Young Commission) ने स्वर्ण-पाट-प्रमाण-पत्र (Gold Bullion Certificate-) के रूप में इसी प्रकार की पत्र-मुद्रा की व्यवस्था की जिमारिस की थी, परन्तु यह अपनाई नहीं गई। परन्तु अमेरिका में स्वर्ण तथा चाँदी प्रमाण-पत्रों (Gold and Silver Certificates) के रूप में यह प्रथा प्रचलित थी। अमेरिकन सरकार ने इहाँ मूल्य के बराबर सोना-चाँदी सरकारी नाशामार में जमा करके इन प्रमाण-पत्रों (Certificates) का गारंटी दे दी है।

गुण-दोष—प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा प्रणाली के ग्रनेह गुण हैं—(i) बहुमूल्क धनुषों की बदल—जब सोने व चाँदी के भिन्न चलन में रहते हैं, तब तुड़ चमड़ म ही व सिर्फ चिन जाते हैं जिससे देश का सोन व चाँदी जैसी बहुमूल्क धनुषों की हानि होती है। परन्तु जब इन भिन्नों के स्थान पर नोटों का प्रचलन होता है, तब धनुषों की बदल होती है। (ii) जनता का दिव्याल—इस प्रणाली में जनता का नोट म दिव्याल होता है जोकि प्रत्यक्ष लक्ष्य इस कारण का जानता है कि बहु नोटों के बदल म जब जाहे तब सोना-चाँदी प्राप्त कर सकता है। सरकार भी जानुए आजानी न द दर्ती है नवोनि उसके पास य रक्षित काष में जमा रहती है। (iii) मुद्रा स्फीति (Inflation) का भय नहीं रहता है—जाग जी मात्रा का बदल न लिय मह आवश्यक है कि टीक उनी ही भाग वा जोना-चाँदी रक्षित काष में जमा किया जाय। जूर्ज मृद्यवान धनुष मूल्य (Scarce) मात्रा न उपनिय होती है इसलिए उथ की मात्रा भी सीमित ही रहती

है। परन्तु इस प्रणाली में इतने पुणे होते हुए भी कुछ दोष हैं—(i) इस प्रथा में सोने-चांदी की चक्रवर्तीय नहीं होती है—इसका कारण यह है कि नोटों के मूल्य के बराबर पातुएँ रक्षित कोष में रखनी पड़ती है। (ii) यह प्रणाली देसोचदार होती है—चूंकि दिना सोना-चांदी की मात्रा को बढ़ाये, नोटों की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती, इसलिए यह प्रणाली पूर्णतया देसोचदार होती है। परिणाम यह होता है कि इस प्रणाली में कोई भी राष्ट्र धार्यक संघट वा सामना नहीं करने पाता है क्योंकि वह नोटों की संख्या को बढ़ाने नहीं पाता है। (iii) भरोब देश में इस प्रणाली का प्रचलन महों हो जाता—चूंकि इस प्रणाली का आधार मुस्यतः सोना है, इसलिए एक निर्धन राष्ट्र इस प्रथा को नहीं अपनाने पाता है।

(ए) परिवर्तनशील पत्र मुद्रा (Convertible Paper Money):—जब किसी देश की चतुर्न-प्रणाली में इस प्रकार के नोट जारी किये जाते हैं कि उनको हम किसी भी समय प्रधान सिक्कों में बदल सकते हैं, तब इस प्रकार की पत्र-मुद्रा को परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा (Convertible Paper Money) कहते हैं। इस प्रकार की पत्र-मुद्रा जारी करने वा आधार पत्र सिद्धांत है कि सामाम जारी किये गये नोट 'साधारणतया' एक साथ ही भुनने के लिये पेश नहीं किये जाते हैं। इस प्रथा की कियोपताएँ इस प्रकार हैं—  
 (i) नोटों के पीछे सोना-चांदी रक्षित-वोय में जंमा रखता जाता है, परन्तु इन भातुओं वा मूल्य नोटों के मूल्य से कम रहता है। (ii) नोट निर्गमन अधिकारी चाहे यह पर सरकार हो या बैंक, यह गारंटी देता है कि जब चाहे तब कोई भी व्यक्ति नोटों के बदले खजाने से सोना-चांदी ले सकता है। (iii) जनता अपने विदेशी भुगतानों (Foreign Payments) नो छुकाने के लिये सोना-चांदी सरकार से ले सकती है। (iv) रक्षित-वोय में न केवल सोना-चांदी ही होता है बल्कि इसके कुछ भाग में प्रधान सिक्के (Standard Coins), सावेतिक शिक्के (Token Coins) या प्रामाणित प्रतिभूतिया (Approved Securities) भी होती हैं। ये प्रतिभूतियां बहुत ही शीघ्र विवने जाली होती हैं। इसी लिये इन्हें सर्वोत्तम सुरक्षित प्रतिभूतियां (Securities-First Class or Gilt-edged Securities) पहा जाता है। भ्रतः इस प्रकार की प्रणाली में रक्षित-वोय में पत्र-मुद्रा की मात्रा के बराबर मूल्यवान धातु नहीं रखती जाती बल्कि यह इससे कम ही होती है। जो निधि धातु से रखती जाती है उसे पात्रिक निधि (Metallc Reserve) और इस पात्रिक निधि के मूल्य के बराबर नोटों की मात्रा को कुल पत्र-मुद्रा का रक्षित भाग (Covered Issue) तथा जो भाग प्रतिभूतियों (Securities) में रखता जाता है उसे

\*यह स्मरण रहे कि यदि देश की पत्र-मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा में परिवर्तनशील न होकर अन्य किसी नस्तु में परिवर्तनशील है, जैसे—गैहूं, चना, जौगीन आदि तब हम इस पत्र-मुद्रा को परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा नहीं बहुते क्योंकि प्रधानास्त्र में मुद्रा के सम्बन्ध में 'परिवर्तनशील' शब्द या भ्रम्य केवल विधिप्राप्त प्रामाणिक मुद्रा तक ही सीमित है। "The word 'convertible' is restricted in Monetary Science to redeemability in legal tender standard money and in that alone"—Money by Kinley, p 331.

प्रतिशत भाग (Fiduciary Portion) बहते हैं। (v) सरकार एवं पूर्व निश्चित दर पर सदा सोना-चादी खरीदने वेचने के लिये तंयार रहती है। (vi) इस प्रबार का चलन तभी समय होता है जबकि जनता को सरकार द्यथा बैक अथवा इनके नोटों में विश्वास होता है। जब किसी विषम सकटकाल में जनता का सरकार या बैक में विश्वास नहीं रहता, तब इस प्रबार की प्रणाली का चलन बठित हो जाता है।

गुण-दोष—परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा प्रथा के कुछ गुण हैं जो इस प्रबार हैं—

(i) मूल्यवान पात्रुओं में बचत—पत्र मुद्रा के चलन के कारण मूल्यवान पात्रुओं की बचत हो जाती है। (ii) जनता का विश्वास होता है—चूंकि इस प्रणाली में नोट निर्गमन अधिकारी पत्र मुद्रा के पीछे कुछ न कुछ धात्विक बोय (Metallic Reserve) रखता है इस कारण जनता का पत्र मुद्रा में विश्वास रहता है क्योंकि सरकार नोटों के बदले सोना चादी देने की गारन्टी देती है। (iii) देशी विदेशी व्यापार में सुगमता—चूंकि इस प्रथा में देशी विदेशी व्यापार के भुगतान के लिए सरकार से सोना-चादी एवं पूर्वनिश्चित दर पर हर समय मिल सकता है, इसलिये व्यापारिक भुगतान में भी सुगमता रहती है। (iv) यह एक लोचदार प्रणाली है—चूंकि इस प्रथा में थोड़े से धात्विक बोय के आधार पर ही कई गुनी पत्र मुद्रा जारी दी जा सकती है, इसलिए यह प्रणाली बहुत लोचदार है। परन्तु इस प्रथा के जहाँ इतने गुण हैं वहाँ इसके अनेक दोष भी हैं—(i) इस प्रथा में जनता का विश्वास प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा प्रथा से कम होता है—इसका कारण स्पष्ट है। यहाँ १००% धात्विक रक्षित बोय के स्थान पर कुछ नोटों का केवल एक भाग ही धात्विक-बोय के हृषि में होता है। परिणामतः सकट काल में इस प्रबार के मुद्रा चलन को बनाये रखने में कठिनाई होती है। (ii) मुद्रा का आवश्यकता से अधिक प्रसार हो सकता है—अधिक आय प्राप्त करने के लिए सरकार, बिना बहुत-नुक्की सोने-समझे, पत्र मुद्रा का प्रसार कर सकती है। मुद्रा-रक्षीत (Gold Reserve) की दशा उत्पन्न हो जाने पर न केवल जनता का पत्र मुद्रा में से विश्वास उठ जाता है बरत् इसका देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशा पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

सन् १९१५ में इंडियन रिवर्टन फास दोनों ही देशों ने यह प्रणाली अपनाई थी। हिल्टन-यूंग कमीशन (Hilton Young Commission) द्वी सिभारिशो के आधार पर सन् १९२७ में भारतीय पत्र मुद्रा को भी परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। इस प्रथा का प्रचलन भारतमें करते समय सरकार ने यह गारन्टी दी थी कि बोई भी व्यक्ति कम से कम ४० तोले सोने को नोटों के बदले २१ ह० ७ आने १० पाई प्रति तोला के हिसाब से खरीद सकता है। परन्तु जब सन् १९३१ में देश में स्पर्हांमान पद्धति (Gold Standard) का अन्त हुआ तब इसी के साथ ही साथ भारत में उक्त पद्धति का भी अन्त हो गया।

(ग) अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Inconvertible Paper Money) —जब कभी ऐसी पत्र-मुद्रा का चलन किया जाता है जिसके बदले में सरकार ने सिक्के अथवा मूल्यवान पात्रु देने की गारन्टी नहीं की है और न वह इन्हें देने

के लिये कानूनन् धार्य ही भी जा सकती है, तब इस प्रकार को पत्र-मुद्रा को अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible Paper Money) कहते हैं। इस प्रकार की मुद्रा का चलन् केवल सरकार की साथ (या जनता का सरकार में विद्वार) के आधार पर विद्या जाता है। इसीलिए अवसर इस प्रकार की मुद्रा का निर्गमन (Issue) आधिक संकट बाल में किया जाता है। अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा की कई विशेषताएँ हैं—(i) यह मुद्रा प्रायः आधिक संकट बाल में जारी की जाती है जिससे कुछ लेपकों ने इसे संकट कालीन मुद्रा (Emergency Money) का नाम दिया है। परन्तु वर्तमान समाज में इस प्रकार की मुद्रा का चलन् एक साधारण व स्वाभाविक पटना समझी जाती है। (ii) इस मुद्रा के पीछे अवसर विसी भी प्रकार की सुरक्षित निधि धातु के स्वप्न में नहीं रखखी जाती है और न सरकार नोटों को धातु या अन्य विसी प्रकार की मुद्रा में बदलने की ही गारन्टी देती है। (iii) प्रायः इसका निर्गमन (Issue) एक सीमित मात्रा में किया जाता है, परन्तु सरकार अपनी इच्छा तथा आवश्यकतानुसार इसमें समय-समय पर वृद्धि कर सकती है।

पुण-दोष—अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का मूली द्रव्य होने के कारण यह द्रव्य का तमाम कार्य भली प्रकार करती है और जनता भी इसके बदले धातु-द्रव्य देने की बोई आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती है। यह मुद्रा भी असीमित विधि-प्राप्त होती है। इस मुद्रा में जनता का विद्वास भी बहुत होता है और जनता इसे बिना उनकी सम्मति के लगाए गए बर (Tax) के स्वप्न में मानती है तथा इसका स्वप्न एक जबरदस्ती हिया गया ऋण (Debt) भी होता है। इस मुद्रा प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे देश में मुद्रा-स्फीति (Inflation) की दशा उपान हो जाने का सदा भय रहता है क्योंकि ऐसी मुद्रा जो नियन्त्रित बरने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होता है। मुद्रा-स्फीति रो धस्तुप्रों का मूल्य बढ़ जाता है जिससे निश्चित शाय याते वर्ष तथा उपभोताओं को हानि होती है। देश की मुद्रा का भी विदेशी विनियम दर (Foreign Rate of Exchange) कम हो जाता है। देश के अतिरिक्त इस प्रकार की मुद्रा-प्रणाली से अन्त-

विद्यायियों को अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (Inconvertible Paper Money) अरक्षित पत्र-मुद्रा (Fiduciary Issue or Fiat Money) में भेद समझ सेना चाहिए। अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा के चलन में धात्विक रक्षित दोष (Metallic Reserve) रखना जा सकता है, परन्तु इस प्रकार का दोष होते हुए भी यह मुद्रा अपरिवर्तनीय हो सकती है क्योंकि सरकार नोटों के बदले में सिक्के या धातु देने के लिए वाप्त नहीं भी जा सकती है। उदाहरण के लिए, वर्तमान समय में अभिरक्षा भी सरकार विसी भी प्रकार की पत्र-मुद्रा के लिए कानूनन् स्वरूप-निधि रहती है परन्तु फिर भी सब प्रयत्न पत्र-मुद्राएँ अपरिवर्तनीय हैं। अत पत्र-मुद्रा के पीछे १०० प्रतिशत पूर्णवाय द्रव्यस्थलन् भी यह अपरिवर्तनीय हो सकती है। परन्तु अरक्षित मुद्रा (Fiat Money) करते हैं नोटों की आड में कुछ भी धात्विक रक्षित-दोष (Metallic Reserve) नहीं है और और न ये नोट नियमों व पानु में ही परिवर्तनीय होते हैं। तो यह इनके पीछे है और न पा बांगजी-दोष (अधित् गिरयूरीटीज, बोड्स, ट्रेजरी बिंग) भी नहीं घटत अनिश्चित

राष्ट्रीय व्यापार में वाधाएँ पड़ने लगती हैं। वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने से आवाह अधिक होता है और नियंत्रित रूप हो जाता है। भारत का १ रुप का नोट जो मुद्रणशल में खारी दिया गया था इसी प्रकार की अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है। प्रथम महायुद्ध में बहुत से दैशों (जमीनी, रस तथा आस्ट्रेलिया) ने इसी प्रणाली की शरण ली थी।

### पत्र-मुद्रा के लाभ-दोष

(Advantages and Disadvantages of Paper Money)

पत्र-मुद्रा के लाभ (Advantages of Paper Money) —आवृत्तिक मुद्रा में लगभग सब ही देशों में पत्र-मुद्रा का चलन है। इस मुद्रा के अनेक लाभ हैं—(i) पत्र-मुद्रा में बहुमूल्य घातुओं की बचत होती है—पत्र-मुद्रा के उपयोग से घातु मुद्रा की आवश्यकता कम हो जाती है जिससे सोने-चादी की बचत होती है और इन घातुओं के बने सिवरों के प्रचलन से जो विसावट (Wear and Tear) की हानि होती है, वह भी पत्र-मुद्रा के कारण नहीं होने पाती है। इसके अतिरिक्त बहुमूल्य घातुओं का उपयोग अन्य बला-बोशल तथा ओशोगिक विकास के नामों में होने लगता है। एडम स्मिथ (Adam Smith) ने पत्र-मुद्रा की तुलना हवा में चलने वाले रेल के डिव्हे से भी है और कहा है कि 'वाग्ज के नोट आवाह मार्ग भी सरह हैं, इनसे सामान ले जाने का कार्य भी होता है तथा इनके बीच की भूमि भी बाम में लाई जा सकती है और उस पर अब आदि उत्पन्न वरके मनुष्य की अन्य आवश्यकताएँ पूरी तरीके जा सकती हैं'। (ii) पत्र-मुद्रा में मितव्यप्रियता होती है—सरकार के हाप्टिकोण से पत्र-मुद्रा बहुत सस्ती तथा मितव्यप्रियता होती है क्योंकि इसके निर्माण करने में बहुत अम उत्पादन-व्यय होता है। परन्तु घातु-मुद्रा को बनाने के लिए लार्म (Mines) में से खनिज-सम्पत्ति को निकालने, इसकी गलाने व साफ करने तथा तिरको में ढालने के लिए बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। इस तरह घातु मुद्रा को ढालने के लिए जो अम व पूजी हम उपयोग में लाने हैं, पत्र-मुद्रा के प्रबन्ध से उसे हम अधिक समाज उपयोगी उद्योगों तथा अन्य व्यवसायिक वायों में लगा सकते हैं। चाहा से बसाई गई मूल्यवान घातुओं का विदेशों से आवश्यक पदार्थों के बद्रीदाने के लिए भी उपयोग हो सकता है तथा इन घातुओं का विदेशों को निर्यात करने भी लाभ कमाया जा सकता है। (iii) पत्र-मुद्रा में बहनीपता होती है—मूल्य के अनुपात में पत्र मुद्रा का बोक्स लगभग नगर्न्य होता है जिससे इसे एक स्थान से दूसरे स्थान को बहुत सुगमता से लाया-लेजाया जा सकता है। इस तरह पत्र-मुद्रा म बहनीपता का मुद्रा देता है। इसीलिए यहूत वडे-द्वाटे व्यापारिक मुगतानों को पत्र मुद्रा द्वारा बहुत आगामी से बचा जाता है। पत्र मुद्रा को गिनते व सम्मालने में भी बहुत सुगमता होती है। हिसाब पत्र-मुद्रा में सोचकता होती है—पत्र मुद्रा का यह गुण है कि इसकी मात्रा में मांग (Gold Standard) द्वारा द्वारा बहुत आगामी से बचा जाती है, परन्तु पात्रिक मुद्रा म ऐसा सम्बन्ध भी अन्त होता है।

(g) ऐसी सोने चार्ड का उत्पादन सीमित मात्रा म होता है तथा य घातुए भी कभी देसी पत्र होती है। (j) पत्र-मुद्रा से सरकार को भी लाभ होता है—कुछ आधिक व्यवसा मूल्यवान

जब भी सरकार की साथ वह ही जाती है, तब उसे रप्ता उवार मिलने में बहिनाई अनुभव होने लगती है और उसे छुए लेने के लिए अधिक व्याज का आवश्यक देना पड़ता है। इस प्रकार भी दसा में, सरकार पन-मुद्रा की मात्रा बढ़ाकर अपने आम-व्ययक (Budget) को बंतुलित कर लती है जिसमें उसे न तो अधिक व्याज की दर पर छुए ही लेना पड़ता है और न उसे व्याज में दी जाने वाली रकम को कर (Tax) द्वारा बहुल करने की ही व्यवस्था करनी पड़ती है। पिछले युद्धकाल में लगभग सभी सरकारों ने ऐसा किया था। अतः पन-मुद्रा चलन से सरकार को भी साम होता है यद्यपि जनसाधारण पर उन मुद्रा-प्रसार की क्रिया का बुरा प्रभाव पड़ता है।

पन-मुद्रा के दोष (Disadvantages of Paper Money) :—यद्यपि पन-मुद्रा के धनेक साम हैं जिनके कारण यह सामग्र प्रत्येक देश में घपना सी गई है, परन्तु इसमें दोष भी कितने ही पाये जाते हैं—(i) पन-मुद्रा में चलनाधिक का भय रहता है:—पन-मुद्रा वा सबसे गम्भीर दोष यह है कि देश में (विशेषतः युद्धकाल तथा अन्य संकट काल में) मुद्रा-फ्लेटिं (Inflation) की दशा उत्पन्न हो जाने का सदा भय लगा रहता है। इसका कारण स्पष्ट है। सरकार अपनी इच्छानुभार जब चाहे तब देश में पन-मुद्रा चलन की मात्रा में बढ़ि कर सकती है क्योंकि पन-मुद्रा चलन में यह आवश्यक नहीं है कि नोटों की पूरी मात्रा के बराबर धात्विक रक्षित-कोष (Metallic Reserve) रखता जाय (यह अवश्य है कि प्रतिनिधि पन-मुद्रा प्रधा में कोई इस प्रकार का भय नहीं रहता, परन्तु अन्य प्रत्येक प्रकार की पन-मुद्रा प्रधा में उनका भय रहता है)। चलन के आवश्यकता से अधिक प्रधार के परिणाम काफी भयानक होने हैं। बस्तुतो और सेवाओं के मूल्य में बढ़ि हो जाने के कारण समाज के विभिन्न वर्गों को बाकी रक्ष उठाना पड़ता है। कभी-कभी मुद्रा प्रधार इतना भीयहु हो जाता है कि नोटों का मूल्य नहीं के बराबर रह जाता है और जनता इनको स्वीकार करने से हिचकती है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जर्मन मार्क (German Mark) की दशा इसी प्रकार भी ही गई था। भारत में भी ब्रिटिश सरकार की भव्याधिक मूल्य-बढ़ि का कारण युद्ध-कालीन मुद्रा-प्रसार ही है। (ii) पन-मुद्रा में मूल्य अविनाशित नहीं होती है:—नोटों के भीग जाने तथा तेल से खराब हो जाने या इनका नंबर (Number) फट जाने का सदा भय रहता है। यद्यपि इन फटे या गले नोटों को बापिस लेने का आशावासन नोट निर्गमन अधिकारी (सरकार या बैंकीय बैंक) देता है, परन्तु फिर भी इनके बदलने में बाकी बहिनाई होती है। यदि नोट का यक इस प्रकार फट गया है कि यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता ति शमुक नोट का क्या नम्बर है, तब तो नोट का मूल्य बेवज बागज के टूकड़े के मूल्य के बराबर अर्थात् नगन्य हो जाता है। (iii) पन-मुद्रा चलन का क्षेत्र सीमित होता है:—पन-मुद्रा जिस देश की सरकार प्रचलित बरती है, उसी देश की सीमा में ही इसका चलन होता है अर्थात् इसका चलन दोनों राष्ट्रीय होता है। नोटों की विदेशी (Foreigners) स्वीकार नहीं किया करते हैं क्योंकि चलन तो किसी देश में वहाँ की सरकार के बाबूनों के कारण ही होता है और विदेशी इन बाबूनों से शाहिन नहीं होते हैं। अतः पन-मुद्रा न तो अन्तर्राष्ट्रीय है और न मह मन्तराष्ट्रीय हो ही सकतो है। (iv) पन-मुद्रा का मूल्य सामान्यतया बहुत अनिश्चित

तथा अस्थिर होता है — पत्र मुद्रा की मात्रा में यदायन ही बहुत अधिक घट-बढ़ की जा सकती है जिससे इसके मूल्य में अवस्थात ही धोर उचावचन (Fluctuation) हो सकता है। पत्र मुद्रा में धातु मूद्रा की अपेक्षा में बहुत जल्दी हास (Depreciation) हो जाया करता है। इसका दग्ध के सामान्य मूल्य-स्तर (General Price Level) पर बुरा प्रभाव पड़ा करता है और देणे की अवधि-व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाया करती है। विदेशी विनियम दर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। परिणामत देश की सामाजिक आर्थिक तथा यापारिक अवस्था इन भिन्न हो जाती है। (v) पत्र मुद्रा से देणे से सभी प्रकार की सट्टवाजी (Speculation) को प्रोत्साहन मिलता है — पत्र मुद्रा तथा साथ मुद्रा (Credit Money) की मात्रा की अनिच्छितता और अनियमितता के बारण ही पूँजीवादी देणे में व्यापार चक्रों (Business Cycles) का प्रादुर्भाव (Urges) होता है। (vi) आय प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा जो पत्र मुद्रा जारी की जाती है उसका स्वभाव व प्रकृति करारोपण (Tax) तथा जबरदस्ती द्वारा हुये कहर का होता है — यह प्रकार की पत्र-मुद्रा का देणे के नियन वग तथा नियन्त्रित आय वाने वाले पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा करता है। (vii) पत्र मुद्रा का अद्वयोक्तरण (Demonetization) हो जाने पर इसका पदाय देख से कुछ भी भूम्य नहीं होता — सभा बारण स्पष्ट है। पत्र मुद्रा का आन्तरिक मूल्य (Intrinsic Value) कुछ भी नहीं होता है। अत पत्र मुद्रा एवं वास्तविक मुद्रा (Real Money) नहीं होता है, वरन् इसका भूम्य सरकार या नियमन अधिकारी की साथ पर निभर रहता है।

निष्कर्ष — पत्र मुद्रा के उपरोक्त गण दोषों का अध्ययन करने के पाचात् यह वहना कठिन हो जाता है कि दोष पत्र मुद्रा के हैं या मनुष्य के हैं या इनका प्रचलन तथा उपयोग करना है। यह स्पष्ट है कि पत्र मुद्रा में स्वयं कोई दोष नहीं है बल्कि दोष सरकार का है जो कि प्राय इस पर उचित नियन्त्रण नहीं रखवे पाती है और कभी-कभी इसका उपयोग देणे हित व समाज हित में नहीं करती है। इसके उचित नियमित व नियन्त्रित उपयोग से देणा का पर्याप्त आर्थिक विकास किया जा सकता है।

### (आ) वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा (Actual Money and Money of Account)

(क) वास्तविक मुद्रा (Real Money) — वास्तविक मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से होता है जिसका यथाय में देणे के भीतर प्रचलन (Circulation) होता है। दूसरे शब्दों में इसका अभिप्राय उस प्रचलित मुद्रा से है जो चलन में आई हुई मुद्रा में सबसे अधिक काम में आती है। कीन्स (Keynes) ने उस वास्तविक (Actual or Real) मुद्रा का मुक्त मुद्रा (Money Proper or Proper Money) का नाम दिया है। सेलिगमन (Seligman) ने उस वास्तविक मुद्रा (Real Money) कहा है। बनहम (Benham) ने इस चरन की रकाई (Unit of Currency) का नाम दिया है।

(ब) हिसाब की मुद्रा (Money of Account):—हिसाब की मुद्रा का प्रभनिमय उस मुद्रा से है जिसका प्रयोग हिसाब-किताब रखने (सेन-देन करने, कीमतें प्रदट्ट करने तथा क्रेडिट का हिसाब रखने) के काम में होता है। कीन्य (Keynes) ने ही इस मुद्रा को 'सेवे की मुद्रा' का नाम दिया है। परन्तु सेलिगमन (Seligman) ने इसे 'आदर्श-मुद्रा' (Ideal Money) और बेनहम (Benham) ने इसे 'मुद्रा या चलन की इकाई' (Unit Money, or Currency) का नाम दिया है। इस तरह बेनहम (Benham) के अनुचार जो मुद्रा 'विनिमय के माध्यम' (Medium of Exchange) का नाम बरती है वह 'चलन में मुद्रा की इकाई' (Unit of Currency) कहती है और जो मुद्रा हिसाब-किताब के व्यवहार में काम में आती है वह 'हिसाब की इकाई' (Unit of Account) कहती है।

यह स्पष्ट रहे कि वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय में वास्तविक मुद्रा (Real Money) ही विनिमय के माध्यम (Medium of Exchange) के रूप में कार्य करता है और कल्प-कार्य की तथा ग्रंथ का संशह (Store of Value) भी इसी मुद्रा के रूप में होता है। यह भी स्पष्ट है कि जो मुद्रा प्रचलन (Currency) के रूप में रहती है वह ही वास्तविक मुद्रा होती है। अधिकतर विभी देश में जिस मुद्रा द्वारा विनिमय का माध्यम तथा ग्रंथ का संचय किया जाता है, वही मुद्रा मूल्य-मापन तथा हिसाब-किताब रखने के काम में आती है। इन प्रबस्था में वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा एक ही होती है। परन्तु संकटवाल (Economic Crisis) में वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा पृथक्-पृथक् भी हो सकती है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् पद्धति जर्मनी में हिसाब-किताब की मुद्रा (Money of Account) फ्रैंक (Franc) तथा अमेरिकन डालर (Dollar) या, परन्तु वास्तविक मुद्रा या चलन की मुद्रा (Real Money or Unit of Currency) जर्मन मार्क (German Mark) ही था, दूसरे देशों में, यद्यपि हिसाब-किताब या मूल्यांकन फ्रैंक व डालर में होता था, परन्तु मुगलान मार्कों में ही किया जाता था। इनी तरह अमेरिका में मन् १९३३ तक हिसाब-किताब की मुद्रा 'स्वर्ण-डालर' था, परन्तु मुगलान की मुद्रा 'कागज के नोट, तुबे तथा निकट के निक्के' ही थे। भाज भारत में भी हिसाब-किताब ग्रंथ, आगे तथा 'पाई' में रखना जाता है। यद्यपि 'पाई' नाम के निक्के द्वा प्रचलन बहुत समय से ही मापां हो गया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि हिसाब-किताब की मुद्रा (Money of Account) तथा मुगलान घटवा प्रचलन की मुद्रा प्रथात् चलन की इकाई (Unit of Currency) पृथक्-पृथक् हो सकती है।

### (इ) विधिग्राही मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा

(Legal Tender Money and Optional Money)

(क) विधिग्राही पदा (Legal Tender Money):—यह वह मुद्रा होती है जो वानून की दाकि वे आधार पर ग्राही या स्वीकार होती है। इसीलिये इसे वैधानिक मुद्रा भी कहते हैं। अतः विधिग्राही मुद्रा वह मुद्रा है जिसे शोधन के साधन के रूप में विधान (पर्यान्, सरकार) द्वारा स्वीकार किया जाता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की मुद्रा देने ने इनकार कर देना है, तब उमे राज्य द्वारा इन्हे मिलता है। नरेश्वर एवं वानून

द्वारा यह घोपणा कर देती है कि अमुक नोट तथा अमुक सिक्के व्यापार या अन्य प्रकार के भुगतान में आवेगे। इस तरह सरकारी घोपणा हो जाने पर ही नोटों अथवा सिक्कों को एक कानूनी मुद्रा का रूप मिलता है। कानूनी मुद्रा (Legal Tender Money) दो प्रकार की हुआ करती है—(१) परिमित विधिग्राह्य मुद्रा तथा (२) अपरिमित विधिग्राह्य मुद्रा।

(१) परिमित विधिग्राह्य मुद्रा (Limited Tender Money):—यह वह मुद्रा है जिसको किसी एक निश्चित सीमा से ऊपर लेने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस तरह इस मुद्रा की अनिवार्य स्वीकृति की सीमा राज्य द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। परन्तु इस सीमा के ऊपर भुगतान स्वीकार करने के लिये किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस सीमा से ऊपर भुगतान स्वीकार करना या नहीं करना रूपया पाने वाले की इच्छा पर निभंग होता है। उदाहरण के लिये, भारतवर्ष में चबनी, दुघनी, इकनी, आध आना तथा एक पेसे के सिक्के वेवल २५ रुपये तक ही विधिग्राह्य (Legal Tender) हैं, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को २५ रुपये की रेजगारी से अधिक रेजगारी भुगतान में स्वीकार करने लिये बाह्य नहीं कर सकता है। यह बात दूसरी है कि व्यवहार में व्यक्ति आपस के बीच जोल के भारण किसी भी सीमा तक रेजगारी स्वीकार कर लें। (२) अपरिमित विधिग्राह्य मुद्रा (Unlimited Legal Tender):—यह वह मुद्रा (नोट और सिक्के) हैं जो किसी भी सीमा तक एक ही बार में भुगतान में कानूनन स्वीकार की जाती है अर्थात्, जिसे कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में एक रुपया व अठनी के सिक्के तथा तमाम नोट अपरिमित विधिग्राह्य मुद्रा हैं। अपरिमित विधिग्राह्य मुद्रा भी दो प्रकार की होती है।—(च) कानूनी वह मुद्रा प्रणाली (Multiple Legal Tender System):—जब दो या दो से अधिक तरह के धातु के सिक्के प्रामाणिक सिक्कों (Standard Coins) के रूप में चलन में होते हैं तब इस प्रणा को कानूनी प्राहृत वह मुद्रा प्रणाली (Multiple Legal Tender System) कहते हैं। इन विभिन्न प्रकार के सिक्कों का स्वतन्त्र टकन (Free Coinage) होता है तथा इनके भुगतान की मात्रा की भी कोई सीमा नहीं होती है। (छ) वस्तु मूल्य के आधार पर कानूनी प्राहृत प्रथा (Composite or Tabular System):—जब कोई मुद्रा वस्तुओं के मूल्यों के स्तर के आधार पर ऐन-ऐन में स्वीकार की जाती है, तब इसे वस्तु मूल्य के आधार पर कानूनी प्राहृत-प्रथा (Composite or Tabular System) कहते हैं। सन् १६२६ में सर्व प्रथम बैलफोर ब्यैटी (Balfour Committee) ने इस प्रथा को अपनाने का सुभाव दिया था। परन्तु इस प्रथा के अनेक दोष होने के कारण यह स्वीकार नहीं बी गई—(त) चूँकि वस्तुओं के आधार पर (और यह बदता-बढ़ता रहता है) मुद्रा स्वीकार की जाती है, इसलिए विनियम का मूल्य (Value in Exchange) म्युर नहीं रहता है। अत द्रव्य का मूल्य घटता-बढ़ता रहता है। (थ) विनियम-व्यार्थ के दौरान में भाव बदल सकता है जिसमें विनियम-व्यार्थ में कठिनाई हो सकती है। (द) इस मुद्रा में मुद्रा के यथि मूल्यन (Over-Valuation) तथा अबमूल्यन (Devaluation) के सभी दोष हैं। (ष) द्रव्य अप का मूल्य वा व्यार्थ

नहीं कर सकेगा। (न) साथ-न्यवस्था मुसागठित नहीं रह सकती क्योंकि प्रधान मुद्रा का मूल्य सदा धटता-बढ़ता रहता है।

(ii) ऐच्छिक मुद्रा (Optional Money) :—यह वह मुद्रा होती है जो साधारणतया स्वीकार तो की जाती है परन्तु इसे स्वीकार करने के लिए कोई कानूनन आध्य नहीं कर सकता। यह प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर रहता है कि वह इस मुद्रा को भुगतान में स्वीकार करे या नहीं करे। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति इस मुद्रा को भुगतान में स्वीकार करता है, तब वह ऐसा भुगतान देने वाली वो साख (Credit) के आधार पर ही करता है। चैक, हुण्डी, ब्रिल आफ एक्सचेज, प्रतिज्ञा-पत्र (Promissory Note) इसी प्रकार की मुद्रा के उदाहरण हैं।

### अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण ।

#### (Qualities of Good Money Material)

प्राप्तक्यन:—मनुष्य के आर्थिक विकास के इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि विभिन्न आर्थिक अवस्थाओं (Stages) में भिन्न-भिन्न वस्तुओं का विनियम के माध्यम के रूप में उपयोग किया गया है। मनुष्य ने खालें, हड्डी, पशु, पत्तिया आदि अनेक वस्तुओं का मुद्रा के रूप में समय-समय पर उपयोग किया और इनके दोष अनुभव किये। वह इस प्रकार के अनुभव के आधार पर ही इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि बहुमूल्य घातुओं में वे गुण मिलते हैं जिनसे इनका मुद्रा के रूप में उपयोग अत्यन्त लाभप्रद तथा आवश्यक हो जाता है। हम मुद्रा के कार्यों के आधार पर मुद्रा-पदार्थ में पाये जाने वाले गुणों वो निम्न प्रकार वर्ता कर सकते हैं:—(क) विनियम-माध्यम :—सर्वभान्यता, बहनीयता, विभाज्यता, तथा एकल्पता। (ख) मूल्य-मापक —विभाज्यता, एकल्पता तथा परिचयता। (ग) मूल्य-संचय :—मूल्य-स्थिरता ग्रविनाशिता। (घ) स्थगित भुगतान का आधार —मूल्य स्थिरता।

अतः मुद्रा-पदार्थ में (१) सर्वभान्यता, (२) बहनीयता, (३) विभाज्यता, (४) एकल्पता, (५) ग्रविनाशिता या टिकाऊता, (६) परिचयता या सुनोयता, (७) सरलता या ढालाज्जपन तथा (८) मूल्य की स्थिरता गुण होने चाहिये। ये नीचे विस्तार से इन गुणों की विवेचना वो गई है।

मुद्रा-पदार्थ के ग्राम्यशक्ति गुण—ये गुण इस प्रकार है:—(१) सर्वभान्यता (Utility or General Acceptability) :—वोई वस्तु एक ग्राम्य मुद्रा-पदार्थ तब ही हो सकता है जबकि उसमें सर्वस्वीकृति ग्राम्यवा सर्वभान्यता वा गुण होना है। ग्राम्य: सर्वभान्य वस्तु वही होती है जो मुद्रा के ग्राम्यरिक्त अन्य द्वारे वार्यों में भी उपयोग में लाई जा सकती है। सोना और चांदी में दुर्लभता (Scarcity) के कारण मूल्य है तथा इनका उपयोग गहने वनवाने तथा अन्य कला-कौशल के वार्यों में भी हो सकता है।

\*The students should remember the word, "CUP-DISH-M" in which each letter denotes one or the other attribute of a good money commodity e. g. "C—Cognisibility, U—Universal Acceptability or Utility, P—Portability, D—Divisibility, I—In-destructibility, S—Stability of value, H—Homogeneity and M—Malleability.

इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति इन धातुओं को बिना सकोच स्वीकार नहीं देता है। अस जिस वस्तु में अपनी निजी उपयोगिता (Utility) होती है, वही वस्तु ऐसी भी होती है,

### द्रव्य पदार्थ के आद-

#### इयक गुण हैं—

- १ सर्व मान्यता ।
- २ बहनीयता ।
- ३ विभाज्यता ।
- ४ एकलूप्तता ।
५. अविनाशिता/या टिकाऊता ।
- ६ परिचयता तथा सुन्नेपता ।
- ७ तरलता या डलाऊता या दीद्र
- ८ द्रवता या लीघ्रधनता ।
- ९ मूल्य की स्थिरता ।

जिसमें सर्वमान्यता (General Acceptability) का भी गुण होता है। इस हॉट-कोण से बाजार भी अच्छी-मुद्रा-वस्तु नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी आन्तरिक मूल्य (Intrinsic Value) नहीं होता है। यूं तो मुद्रा को विधिवाही (Legal Tender) कर देने से इसमें सर्वमान्यता की विदेषपता या जाती है, परन्तु यह विधिवाही देश के अन्दर ही होती है। अत विसी वस्तु वी सभी देशों में अनिवार्य-याहुता तभी होगी जबकि उसमें आन्तरिक मूल्य होता है और ऐसी वस्तु ही एक अच्छी मुद्रा वस्तु होती है।

#### (ii) बहनीयता (Portability) —इसका अर्थ

है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुगमता। मुद्रा का हम समय-समय पर हस्तान्तरण तथा स्थानान्तरण करना पड़ता है। इसीलिये मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें थोड़े से प्राकार तथा थोड़े रो बजन में ही अधिक मूल्य का समावेश होता है (Large Value in Small Bulk)। ऐहूं, पशु प्राणी वा जब मुद्रा के रूप में उपयोग होता था, तब इन्हे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में बहुत कठिनाई होती थी, इस कारण उनमें बहनीयता का गुण नहीं होता था। परन्तु सोना-चारी में यह गुण पाया जाता है क्याकि इनके द्वाट से टुकड़े में ही अधिक मूल्य रहता है। पत्र-मुद्रा में यह एक बहुत महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है। इसीलिए मनुष्य दौँकों या ढाकखान द्वारा हपया एक स्थान से दूसरे स्थान को बहुत प्राप्तानी से भेज प्रस्तरे हैं तथा यात्री भी सिक्कों के स्थान पर नोट ही अपने साथ ले जाना पसन्द भरते हैं। (iii) विभाज्यता (Divisibility) :—मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो उसका अंश इकाइयों का सम्मिलित मूल्य वही होवा चाहिये जो कि विभाजन के पूर्व या यदि मुद्रा-वस्तु में इस प्रकार का गुण नहीं होवा, तब मिल-भिल प्रकार के सिक्कों नहीं बनाए जा सकेंगे। इस हॉट-से हीरा एक अच्छी मुद्रा-वस्तु नहीं है क्योंकि यह बहुत ही बहुशूल्य वस्तु है क्योंकि हीरे के टुकड़े कर देने पर इसकी कीमत कम हो जाती है। परन्तु सोने-चारी में विभाज्यता का गुण होता है क्याकि इन धातुओं के एवं समान मूल्य अथवा बजन के टुकड़े किये जा सकते हैं तथा इन सभी टुकड़ों का सामूहिक मूल्य वानु के मूल्य के बराबर होता है। (iv) एवं वृप्तता (या समरूपता या अनुरूपता) (Homogeneity) —मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि इसमें समान बजन के या गमा

(आकार के यदि अनेक टुकड़े कर दिये जायें, तब इनका मूल्य एक-सा होना चाहिये। इसी तरह मदि हम इन टुकड़ों को गताकर मिला दे, तब इस ठोस वस्तु में भी एक-रूपता होनी चाहिये तथा इसका मूल्य भी टुकड़ों के सम्मिलित मूल्य के बराबर होना चाहिये। इव्य-पदार्थ में एकरूपता होने पर ही यह सम्भव हो सकेगा कि मुद्रा की सभी इकाइयाँ सभी प्रकार से एक समान हो सकेंगी और तब मुद्रा की किसी इकाई को सेन-देने से किसी भी प्रकार की लाभ-हानि नहीं हो सकेंगी। पश्च, लोहा व गेहूं आदि वस्तुओं में एकरूपता का गुण नहीं पाया जाता है जिससे मेरे अच्छे इव्य-पदार्थ नहीं हैं।

परन्तु सोने-चांदी के टुकड़े में एकरूपता का गुण पाया जाता है। (v) अविनाशिता या टिकाऊत (Indestructibility or Durability) :—मुद्रा-वस्तु टिकाऊ होनी चाहिये। यदि मुद्रा नाशवान (Perishable) वस्तु की बनाई जायेगी, तब ऐसी मुद्रा अर्थ का संचय (Store of Value) का कार्य नहीं कर सकेगी क्योंकि नाशवान वस्तु की बनी मुद्रा का शीघ्र ही मूल्य नष्ट हो जाता है। अतः मुद्रा द्वारा क्रय-दाक्ति (Purchasing Power) के सचय का बायं तभी सफलतापूर्वक किया जा सकेगा जबकि मुद्रा में टिकाऊत होता है। पश्च, दूध आदि वस्तुएँ इस हप्टिं-घोण से मुद्रा वस्तु के हप में अनुपयुक्त हैं। सोने-चांदी में अविनाशिता का गुण होने से इनके बने सिक्कों में धिनावट (Wear and Tear) भी शीघ्र नहीं होने पाती जिससे ये धातुएँ अच्छे इव्य-पदार्थ हैं। (vi)

(परिचयता या मुझेपता) (Cognisibility) :—इव्य-पदार्थ ऐसा होना चाहिये जिसके बने सिक्कों से विना किसी विशेष प्रयत्न के पहचाने जा सकें तथा जिसके बने सिक्कों में घोषेवाची की भी बहुत कम सम्भावना होती है। सोने-चांदी के सिक्कों में सुनेयता यथवा परिचयदीलता वा गुण भी पाया जाता है। अजबकि धातिक संथा पन्न-मुद्रा वा निर्माण करते समय परिचयता वे गुण जो बनाये रखने वा विशेष प्रयत्न दिया जाता है। (iii) तरलता या ढलाऊपन या शीघ्रद्रव्यता या शीघ्रघनता (Malleability) :—इव्य-वस्तु ऐसी होनी चाहिये कि इसे प्रासानी से गला बर किसी भी हप व आवार तथा बजन के सिक्के ढाते जा सकें और सिक्कों पर किसी भी प्रकार का धार धाया जिन्हे मूरमता से बनाया जा सके प्रीर विशेषता यह भी हो कि ऐसा करने पर वस्तु के मूल्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाये। इसलिये इव्य-पदार्थ न सो बहुत मुलायम और न बहुत पड़ा ही होना चाहिये। होरा व चाच इस हप्टिं-घोण से घन्ढे इव्य पदार्थ तहीं है क्योंकि इनमें मुडकीलापन (Brillie) होता है और इनके समान हप के सिक्के नहीं ढल सकते। (viii) मूल्य की स्थिरता (Stability of Value) :—इव्य पदार्थ में मूल्य वी स्थिरता भी रहनी चाहिये। इसका बार-ए स्पष्ट है। इव्य मूल्य के भाषक, स्थगित मुगतानी वा भाषार तथा प्रभं के संचय वा मुख्यतः एवं बरता है। यदि इव्य वा मूल्य स्वयं शीघ्रता में पटाख़दाता रहता है, तब यह उक्त बायों को टीव-लीक नहीं बर सकेगा। यदि किसी ऋण के मुगतान से पूर्व ही इव्य के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है, तब ऋण लेने वा देने वाले भी मैं विनी एक जो हनि धरवश्य उठानी परेंगी। इव्य-पदार्थ वे मूल्य में पठ-पट होने का एक प्रभाव

यह भी होगा कि मनुष्य मुद्रा वो छिपाने गलाने या सचित (Hoarding) करने लग जायेंगे और अन्तत चलन में मुद्रा का अभाव हो जायेगा। शुद्धनाल में इसी प्रकार वा अनुभव हुआ है जिसे चादी व अन्य धातुओं के मूल्य के बढ़ जाने पर धातिक-मुद्रा का चलन में अभाव हो गया था क्योंकि सिक्कों को गलाकर चादी, तादा आदि धातुओं को ऊंचे मूल्य पर बेचा जा रहा था। वर्तमान समय में मुद्रा के मूल्य में स्थिरता अवश्य नहीं पाई जाती है, परन्तु सोने-चादी में अपेक्षाकृत मूल्य-परिवर्तन अवश्य ही कम होता है। अत मुद्रा-पदार्थ में मूल्य-स्थायित्व होना चाहिये।

निष्कर्ष—यद्यपि यह बहुना बठिन है कि अमुक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जिसमें द्रव्य-पदार्थ के सभी गुण सम्पन्न होते हैं, परन्तु यह सर्वमात्र है कि सोना और चादी ऐसी धातुएँ हैं जिनमें द्रव्य-पदार्थ “लगभग” तामाम गुण पाये जाते हैं और अभी तक ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं हुई है जो उक्त धातुओं को चुनौती दे सके। यही कारण है कि बहुत समय से सोने व चादी को प्रामाणिक सिक्कों के ढालने के लिये उपयोग में लाया जा रहा है। यह स्मरण रहे कि यह बहुना तो बहुत ही बठिन है कि सोने व चादी में से बौनसी धातु अच्छी है। इसीलिये आज भी यह एक विवादप्रस्त ग्रन्थ है। गिलट व तादा जैसी निम्न वस्तुओं का भी बहुत समय से सिक्कों के बनाने के लिये उपयोग होता आया है, परन्तु इनमें सोने-चादी की अपेक्षा द्रव्य-पदार्थ के बहुत कम गुण पाये जाते हैं, इसीलिये उक्त निम्न धातुओं का उपयोग बेबल सार्वतिक सिक्कों के बनाने में ही बिया गया है। इस समय कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर सोने व चादी दोनों के ही सिक्के साथ ही साथ चलन में हैं यद्यपि कागज-और इससे बनी प॑-मुद्रा में एक अच्छे द्रव्य-पदार्थ के बड़े गुण पाये जाते हैं, परन्तु इसमें कई महत्वपूर्ण गुणों का अभाव भी है। चूंकि पत-मुद्रा वा उपयोग देश के आन्तरिक कार्यों के लिये दिन-प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, इससे यह निष्कर्ष निवालना भ्रमात्मक होगा कि कागज ही द्रव्य बनाने के लिए एवं सर्वोत्तम पदार्थ है।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B. A. & B. Sc.

- ‘मुद्रा के विनिमय म मन्दी’ (Depreciation of Currency) पर नोट लिखिये। (१९५०)
- How did money originate? What are the different kinds of money? What functions does money perform. (1956 S)
- Write a note on—Classification of money. (1954)

Agra University, B. Com.

- निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? (१) चलन की इकाई, और हिसाय वी इकाई, (२) प्रामाणिक मुद्रा और सार्वतिक मुद्रा। उपर्युक्त वो ध्यान में रखते हुये भारतीय स्पष्ट की स्थिति बताइये। (१९६०)
- तुलनात्मक टिप्पणी लिखिये—मुद्रा और चलन। (१९६०)
- “मुद्रा का द्रव्य (द्रव्य पदार्थ) अपनी एक निश्चित दुर्लभता के आधार पर चुना जाता है, मूल्य के आधार पर नहीं” “It is the precise degree of ‘scarcity which determines the choice of the money substance and not its value” उपरोक्त व्याख्या करिये। (१९५६ S)
- Write

a note on—Limited Legal Tender. (1958S) 5. Write a note on—Seigniorage. (1958S) 6. Explain the difference between the two Standard Money and Token Money. ( 958S, 1958, 1955) 7. Write a note on—Fiduciary Note Issue. (1958) 8. What do you understand by the term money? Explain, the nature of the different forms of money circulating in India. (1957 S 1956 S). 9. 'Metallic Money has lost its importance in modern economic life.' Explain and amplify this statement (1957) 10. Explain the difference between—Paper Money and Bank Money (1957) 11. 'The Indian rupee is a curious mixture of a Standard and Token Coin ?' Explain. (1956) 12. Discuss the importance of money in a civilized society and explain the different forms in which it circulates in a country. (1955, 1954)

**Rajputana University, B A & B. Sc.**

1. Distinguish between—Convertible and Inconvertible Paper Currency. (1956) 2 Define Money and indicate its functions. Give a classification of money which you consider the best, giving reasons for your choice. (1955)

**Jabalpur University, B A**

१. नोट लिखिये—विश्वासाधित-निर्गम (Fiduciary Issue) (१९५६)

**Vikram University, B A. & B Sc**

१. टिप्पणी लिखिये—विधिग्राहकता (१९५६)

**Vikram University, B. Com**

1. Write a short note on—Seigniorage (1959)

**Allahabad University, B A.**

१. नोट लिखिये—विश्वासीय-निर्गम (Fiduciary Issue) । (१९५९)

**परीक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत**

प्रश्न १—(i) How did money originate ? What are the different Kinds of money ? What functions does money perform ? (Agra B. A 1956 S) (ii) What do you understand by the term money ? Explain the nature of the different forms of money circulating in India (Agra, B. Com. 1957 S) (iii) Discuss the importance of money in a civilized society and explain the different forms in which it circulates in a country. (Agra, B. Com. 1955) (iv) Describe the different kinds of money prevalent in modern times.

संपैत—उक्त प्रश्नों में तीन चारों पूँछों गई हैं—मुद्रा का ग्राहुभाव, मुद्रा के प्रवार तथा मुद्रा के वार्य । मुद्रा के ग्राहुभाव के सम्बन्ध में लिखिये कि वस्तु-विनिमय-प्रणाली की विनाइयों (दो-नीन वाक्यों में इन्हे बनादेये) को कौन करने के लिये शब्दः शब्दः यह आवश्यक रूपमाना गया कि बोई न बोई वस्तु विनिमय के माध्यम को कार्य करने के लिये दोनों चाहिये, कि भिन्न-भिन्न भूमियों प्राचरणवानुमार विभिन्न वस्तुओं (उदाहरण दीजिय) ने यह कार्य सम्भव किया, कि मुद्रा का प्रचलन वह से हुआ यह बनाना दीजिन है, कि मुद्रा का जन्म इसके ग्रिम वार्य के स्थान में सर्वप्रथम हुआ (ग्रिम या माध्यम या मूल्यांकन का माध्यम) यह बनाना असम्भव है, कि निर्गमी वरप्रधा राज ने पात्र के शोधोगिरु युग तक मुद्रा के रूप में घनेक परिवर्तन दिये हैं (उदाहरण दीजिये) इन सम्बन्ध में “मुद्रा का धर्य और इनके वार्य”

नामक अव्याय पढ़िये (दोन्हाई पृष्ठ)। द्वितीय भाग में उन्मान चलन में पाये जाने वाले मुद्रा के विभिन्न प्रकारों को बताइये और उनकी मुख्य मुख्य विशेषताएँ बताइये—(अ) नवदी मुद्रा, सिक्के व नोट तिकड़ों को कौन दाता है, दालने की क्या आदर्शता है, दालने से सम्बन्धित क्या-क्या विशेषताएँ हैं तिकड़ों के क्या-क्या स्पष्ट हैं और उनके क्या-क्या गुण हैं आदि बताइये, इसी तरह नोट (सरकारी व बैंक दोनों) कौन छापना एवं जारी करता है, इसके क्या-क्या स्पष्ट हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं आदि बताइये। (आ) बैंक जमा—जमा के दो प्रकार हैं, चालू खाता व सेविस्स खाता (दोनों की मुख्य वार्ते लिखिये)। बैंक खातों में से रुपया साधारणतया चैक द्वारा लिकाला जाता है और बैंक चैक के ग्राहार पर प्रायः स्पष्ट एक खाते से लिकालकर दूसरे खाते में जमा वर दिया जाता है—उम तरह समझाइये कि यद्यपि चैक मुद्रा नहीं है, परन्तु बैंक-जमा मुद्रा है क्योंकि इन जमाओं में के ही गुण हैं जो मिक्का व नोटों में पाये जाने हैं अर्थात् इन जमाओं का हस्तान्तरण अनिवार्यत बाल तक एक हाथ से दूसरे हाथ में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। बैंक जमा मुद्रा की मात्रा एवं इस प्रकार भी मुद्रा की समाज में पूर्ण दिन प्रति दिन बहुत अधिक बढ़ती जा रही है और चैक-शणाली के विकास से इसमें और अधिक वृद्धि हो जायगी। बैंक-जमा मुद्रा के अन्तर्गत हैं—बैंक द्वारा दिय गये ऋण व अधिविरुद्धण (Overdraft), ग्राहक से प्राप्त जमा आदि। बैंक-जमा इसलिये भी मुद्रा मानी जाती है क्योंकि इसके द्वारा सामान्य व्यय-शक्ति का हस्तान्तरण एक हाथ से दूसरे हाथ को होना रहता है। यहाँ सक्षेप में बताइये कि ग्रिल्य घोर्स एक्सचेंज, यद्यपि उनमें कुट्टे गुण बैंक नोटों से मिलने-जुलते हैं, मुद्रा के अन्तर्गत नहीं हैं क्योंकि इनका ऋणों के भुगतान में एक हाथ में दूसरे हाथ को हस्तान्तरण नहीं होता है तथा इनका प्रबलन भी एक सीमित काल में होता है (दोन्हाई पृष्ठ)। तृनीय खड़ म सारांश के रूप में एक पैरे में मुद्रा की विशेषताओं को बनाने हुये लिखिये कि उस हाइट से तीन प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन बनेगा ममाज में वाया जाता है मिकड़े (इनका मजदूरी के भुगतान तथा कुट्टे व्यवहारा म प्रयोग होता है), बैंक-नोट्स (इनका न बैंक लिकड़ों की तरह प्रयोग होता है बरन् कुछ बड़े-बड़े भुगतानों एवं व्यवहारों में भी प्रयोग होता है) तथा बैंक-जमा (इनका हस्तान्तरण खेड़ों से होता है, इसलिये बहुन बड़े-बड़े भुगतान बैंक-जमा मुद्रा से किय जाते हैं यद्यपि बैंक स्वयं मुद्रा नहीं है)।

नोट—उपरोक्त प्रश्नों में तीन थोटे-थोटे प्रश्न भी हैं, जैसे मुद्रा का अर्थ, मुद्रा के वायं, एक सभ्य समाज के लिये मुद्रा का महत्व। इन सभी प्रश्नों के उत्तरों के महेनों के लिये “मुद्रा का अर्थ और इसके वायं” नामक अव्याय में अन्त में दिये गये प्रश्नों का संकेत पढ़िये।

प्रश्न २—Define money and indicate its functions. Give a classification of money which you consider the best, giving reasons for your choice (Raj B A 1955)

सक्षेत्र—उत्तर के प्रधान भाग में द्रव्य की परिभाषा तथा इसके वायं का वापर

(तीन-चार पृष्ठ)। द्वितीय भाग में द्रव्य का वर्गीकरण लिखिये—यह तीन तरह से किया गया है—(अ) धातु-मुद्रा और पत्र-मुद्रा—इस वर्गीकरण का आधार मुद्रा-पदार्थ है (Money Material) धात्विक द्रव्य के विभिन्न रूप (प्रामाणिक तथा साकेतिक) बताइये, इनकी विशेषतायें तथा भेद लिखिये, इसी तरह पत्र-मुद्रा के विभिन्न रूप (कागजी-मुद्रा तथा बैंक-मुद्रा) बताइये, इनकी विशेषतायें तथा भेद लिखिये—पत्र-मुद्रा प्रतिनिधि (यदि इसके मूल्य के बराबर सोना-चाँदी चलन अधिकारी ने रक्षित-बोप मे रख रखता है और नागरिकों को पत्र-मुद्रा के बदले में उक्त धातुएँ मिल सकती है), परिवर्तनशील (इस प्रकार की पत्र-मुद्रा मे यद्यपि सरकार नोटों के बदले मे सोना-चाँदी देने के लिये वाध्य होती है, परन्तु वह पत्र-मुद्रा के बदले मे धातु मुरक्षित बोप मे शत प्रतिशत नहीं रखती है अर्थात् धातु कम रखती जाती है) तथा अपरिवर्तनशील (इस प्रकार की पत्र-मुद्रा का चलन करते समय सरकार किसी भी प्रकार का मुरक्षित बोप रखने के लिये वाध्य नहीं होती है और न वह नोटों के बदले मे धातु अथवा धातु के सिक्के देने की जिम्मेदारी लेती है) के रूप मे चलन मे होती है। (आ) वास्तविक-मुद्रा और हिसाब वी मुद्रा—यह द्रव्य वा दूसरा वर्गीकरण है—हिसाब की मुद्रा (Money of Account) वह मुद्रा है जिसके रूप मे देश मे हिसाब-किताब अथवा लेन-देन का लेखा-जोखा रखता जाता है—संलग्न ने इसे आदर्श-मुद्रा (Ideal Money) कीन्तु ने इसे हिसाब की मुद्रा बहा है। वास्तविक-मुद्रा (Actual Money) का अर्थ उन सिक्कों व नोटों से होता है जिनका देश मे वास्तव मे चलन होता है—बीन्स ने इन्हे मुख्य मुद्रा (Money Proper) वा वास्तविक-मुद्रा (Actual Money) तथा बैन्हम ने इसे 'चलन वी इकाई' (Unit of Currency) बहा है। यद्यपि साधारणतया उक्त दोनों प्रकार वी मुद्राएँ एक-ही होती है, परन्तु कभी-कभी वास्तव मे चलन की मुद्रा तथा हिसाब-किताब वी मुद्रा मे अन्तर हो जाता है, जैसे—भारत मे हिसाब ग्रन्थ व नये पैसों मे रखता जा रहा है और चलन मे नये-नये से के राष्ट्र ही साथ पुराने सिक्के भी है। (इ) वातूनी-यात्रा-मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा—वातूनी अथवा वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसे देश ने अन्दर हर व्यक्ति को गावृत्तन स्वीकार बरगा पड़ा है—इसमे धात्विक (सिक्के), मुद्रा व नोटों नोट है—यह मुद्रा भी दो प्रकार वी होती है अपरिमित विधि-यात्रा मुद्रा (जैसे भारतीय रुपया) और परिमित विधि-यात्रा-मुद्रा (जैसे—ग्रटनी के ग्रतिरिक्त धन्य सव घोटे गिरहे)। ऐच्छिक-मुद्रा वह मुद्रा है जिसे बोई भी व्यक्ति स्वीकार भी बर मकता है और नहीं भी, जैसे—पंच, हून्डी घिन आदि एकांचंज। इन सामग्रीओं वी माम-मुद्रा वी मक्का दी गई है (तीन पृष्ठ)। घन्त मे एक पैरे मे यह लिखिये कि मुद्रा वा अन्तिम वर्गीकरण—वातूनी यात्रा-मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा, ही अधिक व्यवहारिक तथा उगम्य दर्तीत होता है इयोगि इस वर्गीकरण का आधार गवंशालिता है (पार्टा पृष्ठ)।

प्रश्न ३— 1) Account for the final choice of gold and silver as the best metals for the purposes of coinage. Why have they come into disuse in recent times? (Patna, B. Com 1952) (ii) What are the reasons

ential qualities of a good money material? Account for the use of gold and silver as money material in the past (ii) "Metallic money has lost its importance in modern economic life" Explain and amplify this statement (Agra, B Com 1957)

सरेत—उत्तर प्रश्न के उत्तर के दो भाग हैं—प्रथम भाग में यह बनादेये कि मिक्को वो द्वालने के लिये विसी उपयुक्त धातु<sup>१</sup> या धातुओं की दूढ़ म अन्ततः सोने-चाँदी वा चुनार वयों किया गया? प्राचीनवाल में लाले, कौड़ियाँ, पसू, नाज आदि अनेक वस्तुओं वा मुद्रा के रूप में प्रयोग हुए, किन्तु अनुभव ने बताया कि इनमें से मर गुण नहीं पाये जाते जो एक अच्छे मुद्रा-पदार्थ में पाये जाते हैं, इसलिये मुद्रा के रूप में इन वस्तुओं वा प्रयोग शाने, शाने समाप्त हो गया। तदपश्चात् सोने-चाँदी वा प्रयोग मुद्रा-पदार्थ के रूप में हुआ और इन्होंने यह बार्य एक बहुत लम्बे वाले तक किया है क्याकि 'एक अच्छे मुद्रा-पदार्थ के सब गुण इन्हीं दोनों धातुओं में पाये गये। इन दोनों धातुओं के बाद ताज़ का स्थान आता है। जिसके कारण निम्न धेरों के सिवे ताज़ के ही बनाये जाते हैं। धात्विक-मुद्रा सफलतापूर्वक कर्य करे इसलिये इस प्रकार वी मुद्रा के मुद्रा-पदार्थ म कुछ गुणों का रहना आवश्यक है, जैसे सर्वप्रात्यना (ताकि मनुष्य अपनी वस्तुओं व सेवाओं के बदले में सर्वमान्य धातु वी वनी मुद्रा को स्वीकार कर सके), परिचय-शीलता (ऐसा नहीं होने पर सिक्के के खोटे-खरे की पहचान नहीं हो सकेगी) एवं स्थिरता (ताकि सारे सिक्के हर प्रकार से एक समान हो सकें मूल्य की स्थिरता (द्रव्य-पदार्थ के मूल्य में सदा परिवर्तन होते रहने से मुद्रा के मूल्य में भी बराबर परिवर्तन होता रहेगा जिससे मनुष्यों वो भी अधिक बठिनाई अनुभव होगी, व्यवसाय अस्त-व्यस्त हो जायेगा) विभाजन (यदि पदार्थ के आमानी से मष्ट हो जाने वा भय है, तर मुद्रा में शीघ्र शाद्यता का अभाव उत्पन्न हो जायेगा, घन-सच्चय में कटिनाई होगी) विभाजन-शीलता व गलनशीलता (ताकि आवश्यकतानुसार छोटे-छोटे आकार के गिकड़े ढाले जा सके) बहनीयता (ताकि सिक्का को दूर से दूर स्थानों को मुगमता में भेजा जा सके) इन गुणों का CUP-DISH-MI कहकर पुकारा गया है (तीन पृष्ठ)। द्वितीय भाग में यह बनादेये कि शनै शनै सोने-चाँदी वा मुद्रा के रूप में प्रयोग क्यों कम हो गया और यद्यपि बाहर में उपरोक्त गुण नहीं पाये जाते विर भी पर मुद्रा ने धात्विक मुद्रा वा स्थान क्या ले लिया है? इसके कई कारण हैं—(अ) सोने-चाँदी का प्रयोग मात्रा म उत्तरध न हो भना—उत्तादन-प्रणाली में उत्प्रति, राष्ट्र का ग्रोवोगिक व व्यापारिक विकास आदि अनन्त ऐसे कारण हैं जिनकी वजह में वीमी शतांशी व आरम्भ म लाभग सभी दाना म मुद्रा वी मात्र म अत्यधिक प्रसार हुआ है जिसको पूरा बरन के लिय सोना-चाँदी पर्याप्त मात्रा म उपलब्ध नहीं हो सका है, प्रथम महायुद्ध काल म कितन ही राष्ट्र का मात्रा विदेश का चला गया, जिसके कारण युद्धोत्तर काल ने उह दिना साने के अपना बास चलाना पाया। (आ) मुद्रा की धूति को घनाने-बदाने शी सम्भावना—वर्तमान मम्पय में ग्रोवोगिक व व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुमार मुद्रा की पूर्ति को कभी घराया, तब वी बदाया जाना है ऐसा न बर मृत्ते पर देवारी वा भय उत्पन्न हो जाता है।

धातिक-मुद्रा को घटाना तो सुगम है, परन्तु इसे बढ़ाना अत्यधिक बहिर होता है। परन्तु बागजी-मुद्रा के चलन में यह कार्यं सुगमता से हो जाता है। (इ) युद्धवाल-युद्ध वा व्यय चलाने के लिये मुद्रा-प्रसार करना पड़ता है, यह कार्यं सोने-चादी की मुद्रा-प्रणाली में कठिन होता है। (ई) आयोजित धर्य-व्यवस्था-विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये धाटे वी वित्त व्यवस्था का सहारा लिया जाता है, यह भी पत्र-मुद्रा प्रणाली में सम्भव है। (झ) सुविधा तथा मितव्ययिता- पत्र-मुद्रा प्रणाली में ही ऐ गुण है। (झ) मूल्य में कमी—सोने-चादी धातुओं के मूल्य में कमी-वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि इनका मूल्य इनको खानों से पूर्ति पर निर्भर रहता है। इन सब बारतीं से सोने-चादी का मुद्रा के रूप में प्रयोग लगभग नहीं के बराबर रह गया है और भविष्य में, यह आता है, सोने-चादी वा मुद्रा से सम्बन्ध विलकृत दूट जायेगा। भूतवाल में परिस्थितिया आज से भिन्न थी एक और राष्ट्रों की मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताये बहुत बहुत थी और दूसरी और उस समय धातुयें भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, मनुष्यों वा विश्वास भी इन धातुओं के बने सिक्कों में अधिक था, विभिन्न राष्ट्रों में मौद्रिक सह्योग भी बहुत था। परन्तु आज परिस्थितिया मूरुण्ठः बदल चुकी है, आज का युग बैंक-जमा मुद्रा (Bank Deposit Money) अथवा बैंक-साख-मुद्रा (Bank Credit Money) का है। यही कारण है कि सोने-चादी के सिक्को वा उपयोग शनः शनः बहुत बहुत ही गया है (तीन पृष्ठ)।

### अध्याय ३

## मुद्रा का मूल्य तथा परिमाण सिद्धान्त (Value of Money and the Quantity Theory) मुद्रा का मूल्य (Value of Money)

मुद्रा के मूल्य वा अर्थ (Meaning of the Value of Money) :—यह सबं विदिन है कि तमाम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा द्वारा मापा जाता है। परन्तु यह एक स्वाभाविक प्रश्न है कि मुद्रा का मूल्य किसके द्वारा जापा जाता है? इस प्रश्न का हमें एक ही मनोविद्य उत्तर मिलता है। जिस प्रवार वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा द्वारा मापा जाता है, उसी प्रवार मुद्रा का मूल्य भी वस्तुओं और सेवाओं के रूप में आज्ञा जाता है। इन तरह मुद्रा का मूल्य इसकी अद्यतनि (Purchasing Power) है। मुद्रा वी इस अद्यतनि में तदा परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिये, मान सो३ सेर गेहूँ १ रु० में आता है, तर हम यह कहेंगे कि ३ सेर गेहूँ का मूल्य १ रु० है। परन्तु ३ सेर गेहूँ वी १ रु० यीमत का अर्थ यह भी है कि १ रु० का मूल्य (या अद्यतनि वा अर्थ या महों) ३ सेर गेहूँ है। यह स्मरण रहे कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य (प्रिनिमप-जनि) यदि भन्य वस्तु या सेवाओं या द्रव्य में व्यक्त किया जा सकता है, तब द्रव्य वा मूल्य मदा वस्तुओं में ही व्यक्त किया जाता है अर्थात् द्रव्य का मूल्य इसकी अद्य-

शक्ति ही है। मानसों, परिस्थितियों के बदल जाने पर अब १५० रुपये ३ सेरवे स्थान पर ४ सेर आता है। इसमें अर्थ यह हुआ कि गेहूं का मूल्य (रुपये में) कम हो गया है या रुपये का (मूल्य गेहूं के रूप में) बढ़ गया है। इसी तरह यदि १५० रुपये का गेहूं ३ सेर के स्थान पर २ सेर आने लगता है, तब यह बहाँ जायेगा कि गेहूं का मूल्य बढ़ गया है या द्रव्य का मूल्य गेहूं के रूप में कम हो गया है। यदि यह बात मान भी ली जाये कि रुपये का मूल्य सदा बस्तुओं और सेवाओं के हृप में ध्यक्त किया जाता है, तब एक और प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। सामार भ बस्तुयों तथा सेवायों अनेक हैं, तब हम बौनसों बस्तु अथवा सेवा के हृप में द्रव्य का मूल्य व्यक्त करें या द्रव्य का मूल्य कौनसी बस्तु पा सेवा के हृप में सुगमता-पूर्वक नापा जा सकता है? इस समस्या का हल भी सामाय मूल्य-स्तर (General Price Level) से प्राप्त हो जाता है अर्थात् हम द्रव्य का मूल्य किसी एक बस्तु पा सेवा के हृप में व्यक्त न बताके विभिन्न बस्तुओं-व-सेवाओं के सामान्य-मूल्य-स्तर के हृप में व्यक्त करें हैं। मुद्रा के मूल्य की एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि मुद्रा का मूल्य बस्तुओं और सेवाओं के सामाय मूल्य-स्तर की विपरीत दशा में घटता बढ़ता है। यही बारण है कि जब सामान्य मूल्य-स्तर बढ़ता है तब मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। और इसके विपरीत जब सामान्य मूल्य-स्तर घटता है, तब मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। अत मुद्रा के मूल्य का अभिवाय मुद्रा की क्रय शक्ति से होता है। प्रो० सेलिगमन (Seligman) के शब्दों में "मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय-शक्ति होती है और इसे बस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर से जाना जा सकता है।"

क्या मुद्रा की क्रय-शक्ति में कमी (या बढ़ि) का यह अर्थ है कि बाजार की तमाम बस्तुओं तथा तमाम सेवाओं का मूल्य बढ़ (या घट) गया है? नहीं यदि मुद्रा की क्रय-शक्ति (या अर्द्ध) कम ही गई है तब इसका बेवल यह अर्थ है कि बाजार में प्रधिकारी बस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ गया है परन्तु कुछ ऐसी बस्तुयों व सेवाओं भी ही सकती हैं जिनका मूल्य गिर गया हो। इसी प्रकार यदि मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ गई है तब इनका अर्थ है कि बाजार में अधिकारी बस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कम हो गया है परन्तु कुछ बस्तुयों व सेवाओं ऐसी भी ही सकती हैं जिनका मूल्य पहले की अपेक्षा अधिक हो गया हो। इसानिए यह सम्भव है कि किसी देश में किसी समय विदेश पर यदि कुछ बस्तुओं व सेवाओं का मूल्य बढ़ रहा है, तब उसी समय अन्य बस्तुओं व सेवाओं का मूल्य घट रहा है। इस दशा में विभिन्न बस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में अन्वयन हो जाने पर भी सामान्य मूल्य-स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होने के बारण, मुद्रा के मूल्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने पायगा। अत मुद्रा की क्रय शक्ति में घट बढ़ का अनुभान किसी एक बस्तु या कुछ बस्तुओं के आधार पर नहीं लगाया जाता है बरन् हम तमाम बस्तुओं और तमाम सेवाओं के मूल्य में घट बढ़ के परिणाम स्वरूप सामाय मूल्य स्तर (General Price Level) में जो भी कमी या बढ़ि होती है, उसी के अनुसार मुद्रा की क्रय शक्ति में घट बढ़ बताते हैं। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि मुद्रा के मूल्य का सम्बन्ध सामाय मूल्य स्तर से होता है।

\*Because the Value of Money expressed in Terms of Money has no meaning

## मुद्रा का मूल्य निर्धारण

(Determination of the Value of Money)

मुद्रा का मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है ? (How is the Value of Money determined ?) :—यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुद्रा का मूल्य किन बातों पर निर्भर रहता है और इस मूल्य में परिवर्तन किन-किन कारणों से होता है ? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का एकमात्र कारण मुद्रा की मांग और पूर्ति ही है अर्थात् मुद्रा की मांग और पूर्ति में परिवर्तन हो जाने पर इसके मूल्य में भी परिवर्तन हो जाता है।

मूल्य का सामान्य मिछान्त हमें यह बताता है कि वस्तु या सेवा वा मूल्य उसकी मांग और पूर्ति वी सापेक्ष शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। वस्तु की मांग के घटने (या घटने) से इसका मूल्य भी घटने (या घटने) लगता है। इसी तरह वस्तु की पूर्ति के घटने (या घटने) से इसका मूल्य भी घटने (या घटने) लगता है अर्थात् वस्तु की पूर्ति तथा इसके मूल्य का विपरीत सम्बन्ध (Inverse relationship) होता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि जबकि किसी वस्तु के मूल्य पर वस्तु वी मांग और पूर्ति की शक्तियों वा प्रभाव पड़ता है, तब इनमें वस्तु के मूल्य को विपरीत दशाओं में बीचने की प्रवृत्ति होती है और अन्ततः जिस स्थान पर वस्तु वी मांग और पूर्ति का साम्य (Equilibrium) स्थापित हो जाता है, वही पर वस्तु विद्योपकार मूल्य निर्धारित हो जाता है। चूंकि मुद्रा भी एक वस्तु हो है इसलिए किसी वस्तु विद्योपकार मूल्य निर्धारण की तरह मुद्रा का मूल्य भी इसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है अर्थात् किसी वस्तु की तरह मुद्रा का मूल्य भी ऐसे स्थान पर निष्ठ होता है जहाँ पर मुद्रा की मांग और इसकी पूर्ति का साम्य (Equilibrium) स्थापित हो जाता है। मांग और पूर्ति वी शक्तियों द्वारा मुद्रा के मूल्य निर्धारण वी समस्या वी भली प्रकार समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम “मुद्रा की मांग” “और मुद्रा की पूर्ति” के सम्बन्ध में ज्ञान पर्याप्त कर लें।

मुद्रा की मांग का अर्थ (Meaning of Demand for Money) :—यिसी वस्तु वी मांग और मुद्रा की मांग में तनिक सा भेद है। किसी मनुष्य की किसी वस्तु वी मांग की ज्ञायोगिता (Utility) के कारण होती है अर्थात् यदि मनुष्य वी किसी वस्तु की मांग है, तब इसका यह अर्थ है कि यसके वस्तु में प्रत्यक्ष रूप में मनुष्य वी किसी आवश्यकता की सन्तुष्टि करने का गुण है। परन्तु मुद्रा में प्रत्यक्ष रूप में मनुष्य वी किसी भी आवश्यकता की सन्तुष्टि करने वा गुण नहीं होता है। यही कारण है कि मुद्रा वी मांग इसलिए वी जाती है क्योंकि इसमें क्या शक्ति है—और इसकी सहायता से अन्य वस्तुओं और सेवाओं से सरीदा जा सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी देश में मुद्रा की मांग वहीं पर उपलब्ध होने वाली वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा पर निर्भर रहती है पर्योक्त आपुनिक स्थान में अधिकांश वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन

विनिमय के हेतु किया जाता है। अर्थात् किसी निश्चित प्रबंधि से बाजार में विनिमय के लिए कितनी वस्तुएँ व सेवाएँ उपलब्ध हैं, इस पर ही मुद्रा की मात्रा निर्भर रहती है। चूँकि किसी भी देश में विनिमय के लिए वस्तुएँ तथा सेवाएँ सदा के लिए निश्चित नहीं रहती हैं, इसके परिमाण (Quantity) में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए इनकी मात्रा में परिवर्तन व साथ ही साथ मुद्रा की मात्रा भी परिवर्तन हो जाता है।

मुद्रा की पूर्ति (Supply of Money).—किसी देश में किसी समय विशेष पर जितनी भी वस्तुएँ विनिमय के माध्यम के रूप में प्रबलित होती हैं, इन सब की सामूहिक मात्रा मुद्रा की पूर्ति होती है। यहाँ पर हमने द्रव्य का अर्थ इसके सदृचित रूप में नहीं लिया है। ऐसी सब वस्तुएँ जो द्रव्य के प्रन्तर्गत रखती जाती हैं, इनके तोन मुख्य प्रकार हैं—(क) धात्विक द्रव्य (Metallic Money), (ख) बागजी द्रव्य (Paper Money) तथा (ग) साख द्रव्य (Credit Money)। यह स्मरण रहे कि मुद्रा के मूल्य के सम्बन्ध में मुद्रा का महत्व विशेष कर इसके विनिमय के माध्यम के रूप में होता है, इसीलिए चाहे जिस प्रकार की मुद्रा थी वह यदि यह विनिमय के माध्यम का कार्य कर रही है, तब यह मुद्रा के मूल्य के सम्बन्ध में मुद्रा की पूर्ति का आवश्यक अग्र बन जाती है। इस इटिकोला से विधिग्राही (Legal Tender) तथा अविधि ग्राही (Non-Legal Tender) दोनों ही प्रकार की मुद्राएँ मुद्रा के परिमाण में गिनी जाती हैं। यह स्पष्ट है कि द्रव्य का वह मात्रा जो विनिमय के माध्यम का बाय नहीं बर रहा है या जो वस्तुओं के क्रय विक्रय का कार्य नहीं बर रहा है या जो जमीनों में गढ़ा (Hoarding) हुआ है या जो अलमारी में शुरक्षित रखना है, यह द्रव्य मुद्रा की पूर्ति का अग्र नहीं माना जाता है। अत विसी समय पर द्रव्य की पूर्ति के प्रन्तर्गत बही मात्रा जाता है जो उत्पत्ति या उपभोग के कार्यों के प्रयोग में आ रहा है अर्थात् जो चलन (Circulation) में है। विसी समय मुद्रा की पूर्ति पर इसके भ्रमण वेग (Velocity of Circulation) का भी प्रभाव पड़ता है।

यह स्पष्ट है कि मात्रा और पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा का मूल्य विनिमय साध्य (Exchangeable) बरतुयों की मात्रा तथा उपलब्ध मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित होगा। जब वही इन दोनों में परिवर्तन हो जाता है तभी मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन हो जाता है। यह स्पष्ट है कि सामान्य मूल्य स्तर मुद्रा के मूल्य का सूचक होता है। जबकि सामान्य मूल्य स्तर घटता (या बढ़ता) है तब मुद्रा का मूल्य बढ़ता (या घटता) है अर्थात् मुद्रा के मूल्य का सामान्य मूल्य स्तर से दिवरीत सम्बन्ध होता है। चूँकि मुद्रा का मूल्य सामान्य मूल्य स्तर (General Price Level) द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए सामान्य मूल्य स्तर के परिवर्तन ही मुद्रा के मूल्य परिवर्तन का उचित सूचक होता है। निर्देशांक (Index Number) इस प्रकार की गणना में बहुत सहायक होते हैं।

## मुद्रा के सिद्धान्त (Theories of Money)

**प्राक्कथन :**—मुद्रा के मूल्य के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इसके मूल मे परिवर्तन क्यों होते हैं? निंदेशाक (Index Number) हमे केवल इतना ही बताते हैं कि द्रव्य के मूल्य मे समय-सम्बन्ध पर परिवर्तन होते रहते हैं, परन्तु वे हमे यह नहीं बताते कि इस प्रकार का परिवर्तन क्यों होता है। वर्तमान समय मे द्रव्य के मूल्य-परिवर्तन के सम्बन्ध मे तीन महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं—(अ) द्रव्य का परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money), (आ) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का कॅम्ब्रिज समीकरण (The Cambridge Equation of the Quantity Theory of Money), तथा (इ) मुद्रा का आय सिद्धान्त (Income Theory of Money)। ये तीनों सिद्धान्त बहुत कुछ एक हूसरे के पूरक हैं, इसीलिए इन तीनों मे एक सम्बन्ध पाया जाता है।

### (अ) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money)

**परिचय :**—इस सिद्धान्त का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, यह निश्चितता से नहीं कहा जा सकता है। परन्तु यह अवश्य है कि यह सिद्धान्त अत्यधिक पुराना है— क्योंकि बहुत प्राचीन काल से इसका अर्थशास्त्रियों द्वारा समर्थन किया गया है। अमेरिका में भी मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त बहुत समय से महत्वशाली रहा है। वहां पर प्रो॰ इरविंग फिशर (Irving Fisher) तथा एडविन केमरर (Edwin Camerer) ने इस सिद्धान्त की विस्तार से व्याख्या की है। संक्षिप्त में, मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त यह घटाता है कि मुद्रा का मूल्य तथा इसमें परिवर्तन सदा मुद्रा के परिमाण द्वारा निश्चित होता है।

बस्तुओं के मूल्य को तरह, मुद्रा को मूल्य भी इसको मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है और इनमें परिवर्तन हो जाने पर मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन हो जाता है। अतः परिमाण सिद्धान्त की विस्तार से व्याख्या करने से पहले हमने नीचे मुद्रा की पूर्ति तथा इसकी मांग का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है।

### मुद्रा की पूर्ति (Supply of Money)

**मुद्रा की पूर्ति का अर्थ (Meaning of the Supply of Money) :**—मुद्रा वी विभिन्न पारभाषण का अध्ययन से यह स्पष्ट है कि ऐसी सब वस्तुएँ जो मुद्रा का कार्य करती हैं, द्रव्य के अन्तर्गत रखकी जाती है। वर्तमान समय मे मुद्रा की पूर्ति (Supply of Money) या मुद्रा के परिमाण (Quantity of Money) मे तीन प्रकार की मुद्राओं का समावेश विद्या जाता है—(i) धोतु-मुद्रा, जैसे—सोने व चादी के सिक्के, (ii) सरकार या सरकार द्वी आज्ञा से प्रकारित विद्यिग्राह्य मुद्रा जैसे—कागजी नोट तथा (iii) साख-द्रव्य या वे के द्रव्य जैसे—चैक, ड्रापट, बिल ग्रॉफ एवं चेंज आदि। यह स्मरण रहे कि द्रव्य का भाग जो विनियम के माध्यम के रूप मे कार्य नहीं कर रहा है या जो वस्तुओं के क्य-विक्रय के काम मे नहीं आ रहा है या जो जमीन मे गढ़ा है पा आलमारी मे रखा है, वह द्रव्य की पूर्ति मे नहीं माना जाता है। इस

तरह विसी समय पर द्रव्य की पूर्ति के अन्तर्गत चलन उसी द्रव्य की गणना होती है जो उत्पत्ति व उपभोग के बार्यों के प्रयोग में आ रहा है या जो वास्तव म चलन (Circulation) म है।

मुद्रा की पूर्ति पर द्रव्य के अमण्ड-बेग या चलन गति (Circulation of Money) का भी काफी प्रभाव पड़ा करता है। यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है कि स्पष्ट या नोट एक दिन म कई बार विनिमय म हस्तान्तरित होता है। एक रुपये का सिक्का या बागज के नोट के बेल एक ही बार या केवल एक ही वस्तु का जब विक्रय नहीं करते बरन् इनसे जितनी ही बार वस्तुये खरीदी जाती है। यदि विसी एवं शिक्षक ने साग-सब्जी के बदने मे विसी मालन को एवं रुपया दिया है, तब प्राय मात्रन इसे छूल्ह के नीचे गाढ़ कर नहीं रखती बरन् अपनी आट की माग की पूर्ति करने के लिय इसी रुपये को परचूनिय को दे देती है, परचूनिया केनो से तेल लाता है और तेली को इसी रुपये को बदने भ दे देता है। इस तरह रुपये की एक इकाई जितनी ही बार दिनिमय के माध्यम के रूप म प्रयोग मे आती है। यदि यह इकाई तीन बार प्रयोग म आई है, तब इसने तीन रुपये के बराबर मुद्रा वा बार्य किया है। अत विसी दिये हुये समय मे मुद्रा की एक इकाई वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने के लिये जितनी बार एवं हाथ से दूसरे हाथ को हस्तातरित होती है। (या यह जितनी बार विनिमय का बार्य बरती है), इसने औसत का मुद्रा की चलन गति (Velocity of Circulation) बहते हैं और यदि हम मुद्रा की इसकी गति (Velocity) से गुणा कर दे तब मुद्रा की कुल पूर्ति का अनुमान लग जाता है। इस तरह मुद्रा की पूर्ति द्रव्य की चलन गति पर बहुत कुछ निर्भर रहती है यह गति जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक मुद्रा की पूर्ति होती है। इसके विपरीत गति जितनी कम होती है उतनी ही मुद्रा की पूर्ति कम होती है। यह स्मरण रहे कि केवल धातु मुद्रा वा कागजी मुद्रा मे ही गति (Velocity) नहीं होती बरन् साख-पत्र (Credit Money) मे भी अमण्ड गति पाई जाती है। अत समस्त मुद्रा राशि को चलन की औसत गति से गुणा करने पर मुद्रा की कुल पूर्ति का ज्ञान हो जाता है।

मुद्रा की चलन गति भी जितनी ही बातो पर निर्भर रहती है। इस से मुख्य भूल्य बातें इस प्रकार हैं—(i) मुद्रा की मात्रा—मुद्रा की चलन गति स्वय इसकी मात्रा पर निर्भर रहती है। प्रत्येक अर्थिक समान म विनिमय के बार्यों के लिए एक निश्चित मात्रा म मुद्रा की आवश्यकता पन बरती है। यदि मुद्रा की मात्रा चलन म बढ़े, तर इसकी गति अधिक हो जायगी और यदि चलन म मुद्रा की पूर्ति अधिक है, तब इसकी गति कम हो जायगी। (ii) नकद वस्तुये खरीदने की आदत—जब वस्तुये उपर खरीदी जाती है तब इनका भुगतान दो महीने बार महीने छ महीने या एक बर्ष, के बाद होता है परणामत मुद्रा का चलन बेग कम हो जाता है। परन्तु जब जब विक्रय नकद (Cash) म विया जाता है या जब सौदे वा भुगतान थोड़ी थोड़ी मात्रा म निरन्तर

किया जाता है, तब मुद्रा की भ्रमण-गति में वृद्धि हो जाती है (iii) जनता में बचत को आदत—प्रत्येक मनुष्य अपनी आय का कुछ भाग वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय कर देता है और इसका शेष भाग अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत के रूप में रख लेता है। आय का जितना अधिक भाग वर्तमान उपभोग पर व्यय विद्या जाता है, उतनी ही अधिक वृद्धि हो जाती है। अतः मुद्रा की

### मुद्रा की चलन गति निभंर रहती है निम्न वातों परः—

१. मुद्रा की मात्रा ।
२. नकद वस्तुयों खरीदने की आदत ।
३. जनता में बचत की आदत ।
४. उधार सौदों के भुगतान का समय ।
५. जनता में द्रवता पसन्दगी ।
६. मजदूरी के भुगतान का तरीका ।
७. यातायात तथा सम्बाद-वाहन के साधन ।
८. उधार लेने की सुविधायें ।
९. मूल्यों का भावी भवुतान ।
१०. राष्ट्र की अर्थिक उन्नति ।
११. जमा-राशि की गतिशीलता ।

भ्रमण-गति इस बात पर निभंर रहती है कि जनता अपनी समस्त आय का कितना भाग वर्तमान उपभोग पर और कितना भाग बचत के रूप में रखती है। (iv) उधार सौदों के भुगतान का समय—यदि किसी देश में सामान्य रिवाजों के अनुसार सौदों का भुगतान साल में एक दो बार किया जाता है, तब ऐसे देश में चलन की भ्रमण-गति कम होगी। इसके विपरीत यदि उधार सौदों का भुगतान थोड़े थोड़े समय के बाद किया जाता है, तब देश में चलन की गति बढ़ जायगी। (v) जनता में द्रवता पसन्दगी-व्यापारी तथा जनसाधारण अपने दिन प्रति दिन के कार्यों के लिए जितनी बड़ी मात्रा में धन अपने पास नकद में रखते हैं, देश में मुद्रा की गति उतनी ही कम हो जाती है। अतः जनता में द्रवता पसन्दगी (Liquidity Preference) जितनी अधिक मात्रा में होती है, उतनी ही मुद्रा में भ्रमण-गति कम हो जाती है। (vi) मजदूरी के भुगतान का तरीका—मजदूरी

का भुगतान विभिन्न समयों पर किया जाता है—दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक आदि। यदि देश में मजदूरी का भुगतान प्रायः एक बहुत लम्बी अवधि के बाद किया जाता है, तब अधिकांश मनुष्यों द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने पास नकद में अधिक मात्रा में रघया रखना पड़ेगा जिससे द्रव्य की गति कम हो जायगी। इसके विपरीत यदि मजदूरी का भुगतान बार-बार तथा थोड़े-थोड़े समय बाद किया जाता है, तब मुद्रा का विनियम कार्यों में उपयोग अधिक हो जाता है जिससे मुद्रा की गति में वृद्धि हो जाती है। (vii) यातायात तथा सम्बाद-वाहन के साधन—किसी देश में इन साधनों में जितना अधिक विकास हो जाता है, विनियम का देश उतना ही अधिक विस्तृत तथा वस्तुओं का व्यय विक्रय उतनी ही अधिक तेजी से होने लगता है जिससे मुद्रा की गति में बहुत वृद्धि हो जाती है। (viii) उधार लेने की सुविधायें—

उधार लेने वी सुविधायें उधार भो प्रोत्साहन देती हैं जिससे मुद्रा वी गति घट जाती है, परन्तु जब ऋण प्राप्त करने की सुविधायों का अन्त हो जाता है, तब मुद्रा वी गति में कुछ तीव्रता आ जाती है (ix) मूल्यों का भावी अनुमान-यदि भविष्य में मूल्यों के बढ़ जाने की आशा है, तब इसी आशा से विनियम बायें वी गति तीव्र हो जाती है जिससे द्रव्य की गति भी तीव्र हो जाती है। भविष्य में मूल्यों के कम हो जाने की सम्भावना से मुद्रा वी गति मन्द हो जाती है। (x) राष्ट्र वी आर्थिक उन्नति—मुद्रा वी गति राष्ट्र वी आर्थिक दशा पर निर्भर रहती है। एक शोषणगिर व आर्थिक हृष्टि से विवित राष्ट्र में मुद्रा (धातु मुद्रा व साख मुद्रा दोनों ही) वी आर्थिक आवश्यकता पड़ा वरती है वयोंवा क्षय-विक्रय वे वायं परिमाण में अधिक हो जाते हैं तथा इनका दोनों भी बहुत विस्तृत हो जाता है जिसके बारण पिछड़े तथा वृपि प्रधान देशों की तुलना में ऐसे विवित देशों में मुद्रा वी गति बहुत ही तीव्र हो जाती है। यह समरण रहे वि साधारणतया बढ़ते हुए वस्तुओं के मूल्य भी मुद्रा वी गति वो बढ़ते हैं। (xi) जमा राशि वी गतिशीलता (The Mobility of Cash Deposits)—जितनी जल्दी-जल्दी एक व्यक्ति वे खाते में से दूसरे व्यक्ति के खाते में रूपयों का दस्तावेज-रण होता है (साख पत्र द्वारा), उतना ही अधिक देश में साख-मुद्रा (Credit Money) वा अमरण-वेच बढ़ता है। मुद्रा की भीति साख मुद्रा वी गति भी साधारणतया देश के वैभिन्न दिक्कास तथा इसकी उन्नति पर निर्भर रहती है। अत उक्त व्यारह वार्तों का किसी देश में किसी समय पर मुद्रा को चलन-गति पर प्रभाव पड़ता है।

मुद्रा के परिमाण को नियोजित करने-काले व्यव्याप्रयोक सत्र भी हैं। इन तत्वों को मुख्यत दो भागों में बांटा जाता है—वैधानिक तथा आर्थिक। वैधानिक तत्वों के अन्तर्गत हैं—देश में कौन से मुद्रा मान वा चुनाव दिया गया है, बहुमूल्य पातुओं वी आयात नियंत्रित तथा क्षय-विक्रय के क्षय-वया नियम हैं, नोट प्रकाशन के दैत में क्षय-वया नियम हैं तथा नोट नियंत्रण (Note Issue) के लिये रक्षित-वोप (Reserve Fund) किस विस्त प्रकार स्थापित दिया जाता है, व्यापारिक वेकों को अपने पास तथा बैंकों वेक के पास कितना लक्ष-वोप रखना पड़ता है, वैद्वीय वेक वी ऋण सम्बन्धी वेक दर तथा खुले बाजार की भीति किस प्रकार की है आदि। आर्थिक तत्वों के अन्तर्गत है—देश के अन्दर बहुमूल्य पातुओं का उत्पादन तथा इनका सचय, जनता वा वेकों में से धन निकालने की भीति अर्थात् वे कितना धन वेक से निकालते हैं तथा कितना धन वेक में जमा रखते हैं।

नियोजन—उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी समय पर किसी देश में मुद्रा को कुल पूर्ति को नियोजित करने वाले अनेक तत्व हैं। मुद्रा वी कुल पूर्ति पातु मुद्रा, विधिप्राप्त कागजी-मुद्रा, साख मुद्रा (या बैंक-मुद्रा), इन विभिन्न प्रकार की मुद्राओं वी अमरणगति तथा अन्य वैधानिक व आर्थिक तत्वों द्वारा ही नियित होती है।

### मुद्रा की मांग (Demand for money)

मुद्रा की मांग का अर्थ (Meaning of Demand for Money)—यह स्पष्ट हो चुका है कि जिस प्रकार वस्तु का मूल्य नियोजित इसकी पाँग और पूर्ति से होता

है उसी प्रकार द्रव्य का मूल्य-निर्धारण भी इसकी मांग और पूर्ति से होता है।—द्रव्य की पूर्ति के सम्बन्ध में ऊपर विस्तार से लिखा जा चुका है। अब हमें यह देखना है कि द्रव्य की मांग का क्या ग्रभित्राप है? मुद्रा की मांग में तथा वस्तु की मांग में एक आधारभूत भेद है। किसी वस्तु की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें क्या शक्ति है तथा यह विनियम के माध्यम का एक महत्वपूर्ण साधन है। मुद्रा को प्राप्त करने की शक्ति 'होती है, परन्तु मुद्रा में मनुष्य की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप में सन्तुष्टि करने का गुण नहीं होता है, वरन् इसकी मांग इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें क्या शक्ति है तथा यह विनियम के वाजाह में लाता है, तब वह अपनी वस्तुओं के बदले मुद्रा की मांग करता है। इसी प्रकार जब कोई अमिक (या जब वोई व्यक्ति) कोई कार्य करता है, तब वह अपने सेवा कार्य के बदले में द्रव्य की मांग करता है। इसी प्रकार समाज में जिसनी भी वस्तुओं व सेवाओं का क्रय-विक्रय किया जाता है, इन सबके स्वामी द्रव्य की मांग करते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसी देश में मुद्रा की मांग वहां पर उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा पर निर्भर रहती है क्योंकि इसकी मांग इन्हीं वस्तुओं व सेवाओं के विनियम के लिए की जाती है। अतः मुद्रा की मांग किसी समय के द्वापार का परिमाण (Total Quantity of Trade) है। वर्तमान आर्थिक समाज में चूंकि अधिकारी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन विनियम के लिये किया जाता है, इसलिये कुछ अर्थशास्त्रियों ने समाज में उपलब्ध हो सकने वाली तमाम वस्तुओं व सेवाओं को ही देश में मुद्रा की मांग की मात्रा मान लिया है। परन्तु इस प्रकार की मान्यता दोषपूर्ण है। सच तो यह है कि समाज में उपलब्ध ऐसी वस्तुओं व सेवाओं को ही मुद्रा की मांग वा सुधक मानना चाहिये जिनका वात्सव में द्रव्य में क्रय-विक्रय या विनियम होता है। वस्तुओं व सेवाओं के परिमाण में परिवर्तन हो जाने पर मुद्रा की मांग में भी स्थितः परिवर्तन (घट घड़) हो जाता है।

निक्षेप:—मुद्रा की मांग और पूर्ति के उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि मांग और पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की पूर्ति तथा विनियम साध्य वस्तुओं की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। जब कभी मुद्रा को मांग अर्थव्याप्ति में परिवर्तन होते हैं, तब ही मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन हो जाते हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य मूल्य स्तर (General Price Level) ही मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों का सूचक होता है।

द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त की घास्ता (Statement of the Quantity Theory of Money)—जनसंख्या के सिद्धान्त की तरह मुद्रा वा परिमाण सिद्धान्त भी नेवल एक प्रवृत्ति का चोलक है। दूसरे शब्दों में, यदि हम मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त वो वाणित-सास्त्र की यथार्थता (Mathematical Exactness) दें, तब सम्भव है, यह इनका उपयोगी तथा महीं भिन्न नहीं हो, परन्तु जब यह सिद्धान्त एक प्रवृत्ति के स्पष्ट में

माना जाता है, तब यह अधिक पूर्ण व सही उत्तरता है और हमे आदि<sup>१</sup> जाटलतामा को समझने में सहायक होता है। सरल शब्दों में द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या निम्न शब्दों में की जा सकती है—

(१) टाउसिग (Taussig) के शब्दों में, “अन्य बातें समान रहने पर, यदि द्रव्य का परिमाण द्विगुणित हो जाय, तब वस्तुओं के मूल्य पहले से दुगुने हो जायेंगे और द्रव्य का मूल्य (या अर्थ या विनियम-शक्ति) आधा हो जायगा। यदि द्रव्य का परिमाण आधा कर दिया जाय, तब अन्य बातें समान रहने पर, वस्तुओं के मूल्य आये हों जायेंगे और द्रव्य का मूल्य द्वितीय हो जायगा।”<sup>२</sup> इस तरह द्रव्य का परिमाण बढ़ने से इसका मूल्य उसी अनुपात में कम हो जाता है और वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य-स्तर (General Level of Prices) बढ़ जाता है और द्रव्य का परिमाण घटने से इसका मूल्य इसी अनुपात में बढ़ जाता है और वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य-स्तर घट जाता है।<sup>३</sup>

(२) एक लेखक के अनुसार—“अन्य बातें समान रहने पर, द्रव्य के परिमाण का प्रत्येक परिवर्तन, सामान्य मूल्य-स्तर में प्रत्यक्ष अनुपातिक (Direct Proportional) परिवर्तन पैदा करता है और मुद्रा के मूल्य में विपरीत अनुपातिक (Inverse Proportional) परिवर्तन पैदा करता है।”<sup>४</sup> इस तरह सामान्य मूल्य-स्तर सदा मुद्रा के मूल्य से विपरीत तथा मुद्रा की मूल्य से प्रत्यक्ष परिवर्तित होता है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा के परिमाण का वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य से सीधा तथा अनुपातिक (Direct and Proportional) सम्बन्ध होता है भीर मुद्रा के मूल्य से विपरीत तथा अनुपातिक (Inverse or Indirect and Proportional) सम्बन्ध होता है।

“अन्य बातें समान रहने पर” वाक्यांश का अर्थ (Meaning of the phrase “other things remaining the same”)—मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त में ‘अन्य बातें समान रहने पर’ वाक्य एक महत्वपूर्ण वाक्यांश है। इसका अर्थ है कि जबकि कुछ बातें समान रहती हैं, तब ही मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त कार्यशील होता है। अत वे वैज्ञानिक सौ परिस्थितिया हैं या किस अवस्था में परिमाण सिद्धान्त सत्य होता है। निम्नलिखित में वे बातें हैं जिनमें यदि किसी भी प्रकार ना परिवर्तन नहीं हुआ, तब मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त लागू हो जायगा—

(१) व्यापार की सात्रा स्थिर रहनी चाहिये या द्रव्य की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये—मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त तब ही लागू होता है जबकि द्रव्य द्वारा निये जाने वाले कार्यों में या व्यापारिक सौदों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जूँकि मुद्रा की मात्रा देश में होने वाले व्यापार की सात्रा द्वारा नियमित होती है, इसलिए यदि व्यापार की

<sup>१</sup>—“Double the quantity of money and other things will be twice as high as before and the value of money one half. Half the quantity of money and, other things being equal, prices will be one half of what they were before and the value of money double”—Taussig Principles of Economics Vol 1 Page 250

<sup>२</sup>—‘Other things remaining the same, every increase (or decrease) in the quantity of money in circulation will result in a proportionate fall (or rise) in the value of money and a proportionate increase (or decrease) in the general price level’

मात्रा स्थिर रहती है, तब मुद्रा की मात्रा भी स्थिर रहेगी। अतः जबकि विनियम-साध्य वस्तुओं के परिमाण में तथा इनके अभ्यास-वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब ही मुद्रा की मात्रा भी स्थिर रहने पाती है, मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त ने इस बात की कल्पना की है कि द्रव्य मात्रा या व्यापार की मात्रा में स्थिरता रहने पर ही सिद्धान्त लागू होता है। (ii) वस्तु विनियम सौदों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये—प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ सौदे (Transactions) वस्तु-विनियम प्रणाली (Barter System) द्वारा किये जाते हैं। जब कुछ सौदे या विनियम कार्य किना द्रव्य की सहायता से किये जाते हैं, तब मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के सम्बन्ध में इन्हे या तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या व्यापार की मात्रा में कमी या मुद्रा की मात्रा में कमी सम्बन्ध चाहिये या इस प्रकार के सौदों को अपनी गणना में विलुप्त छोड़ देना चाहिये। परन्तु द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त ने इस बात की कल्पना की है कि या तो समाज में वस्तु-विनियम प्रणाली द्वारा विनियम-कार्य होनहीं होते और यदि होते भी हैं, तब इनको मात्रा स्थिर रहती है। (iii) साख-मुद्रा की मात्रा तथा साख-मुद्रा व चलन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये :—  
(अ) साख पत्र भी द्रव्य की भाँति मुद्रा का कार्य करते हैं। वर्तमान समाज में अधिकारी

### “अन्य बातें समान रहने पर” वाक्यांश का अर्थ :—

१. व्यापार की मात्रा स्थिर रहनी चाहिये या द्रव्य की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये।
२. वस्तु-विनियम सौदों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
३. साख-मुद्रा की मात्रा तथा साख-मुद्रा व चलन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये।
४. चलन की गति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

सौदों का भुगतान बैंक, हुन्डी, ड्रापट तथा विल भॉफ एवं सेचेज जैसे साख-पत्रों द्वारा किया जाता है। इसीलिए इनकी मात्रा में घट-बढ़ हो जाने पर देश में द्रव्य की दुसे मात्रा में भी घट-बढ़ हो जाती है। मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त इस बात की कल्पना करता है कि साख-पत्र (या साख-मुद्रा) की मात्रा में कोई घट-बढ़ नहीं होना चाहिये। (आ) साख-मुद्रा तथा चलन का अनुपात भी स्थिर रहना चाहिये :—एक बैंक साख-मुद्रा का निर्माण अपने नकद कोष (Cash Reserves) के आधार पर करता है और उसका नकद कोष उसे प्राप्त होने वाली जमा (Deposits) की रकम पर निभंर रहता है। प्रत्येक बैंक अपनी इच्छा से ही नकद नोप तथा अम रकम का अनुपात तथा विया करता है यद्यपि नभी-नभी सुखार या केन्द्रीय बैंक भी इस सम्बन्ध में नियम बना देते हैं। परन्तु बैंक में जमा होने वाली रकम देश के चलन (Currency) पर निभंर रहती है। (मनुष्यों की जितनी साधिक धार्य होती है, वे उतना ही अधिक रकम बैंक में जमा करते हैं)। इस तरह देश में चलन की मात्रा के घट-बढ़ से बैंकों भी जमा में घट-बढ़ हो जाती है जिसमें बैंक के नकद-नोप में घट-बढ़

हो जाती है और अन्ततः इस बोय के घट-वड के कारण इस जारी का जाने वाली सास-मुद्रा की रकम भी घट-वड हो जाती है। परिमाण सिद्धान्त यह मान लेता है कि देश में जनता द्वारा आय का एक नियंत्रित मात्र ही बैंकों में जमा किया जाता है तथा बैंकों में भी जमा तथा नकद कोषों का एक नियंत्रित अनुपात रहता है ताकि सास-मुद्रा और चलन का अनुपात स्थिर रह सके। (ii) चलन की गति (Velocity) से बोई परिवर्तन नहीं होता चाहिये :—मुद्रा की अमरण गति के सम्बन्ध में ऊपर विनार में लिखा जा चुका है और हम उन अनेक वातां को भी जानते हैं जो मुद्रा की गति को प्रभावित करते हैं। परिमाण सिद्धान्त यह मान लेता है कि नियम तब ही लागू होता है जबकि मुद्रा (चाहे वह इसी भी प्रकार की मुद्रा क्यों न हो) की अमरण-गति स्थिर रहती है। उदाहरण के निये,  $MV + M'V' = PT$  में यदि  $M'$  और  $M$  में परिवर्तन आनुपातिक हैं, तब  $M$  के परिवर्तनों के अनुपात में  $P$  में परिवर्तन तब ही समय होगा जबकि  $V$  और  $V'$  भी किमी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है (  $V$  भी स्थिर है)। इसीनिये यह मान दिया जाता है कि परिमाण सिद्धान्त की सत्यना के लिये चलन की अमरण-गति स्थिर रहनी चाहिये।

प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित मुद्रा के परिमाण-सिद्धान्त का सूत्र / The Formula of the Quantity Theory of Money as "propounded by the Old Economists". — प्रमिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रो० इरविंग फिशर (Irving Fisher) में प्रदक्षिणी कुद्दुश अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को एक समीकरण (Equation) के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने शपने समीकरण में मुद्रा के परिमाण, वस्तुओं की मोताव-तथा वस्तुओं की सामान्य मूल्य-न्यूनता वा प्रत्यक्षररिक मम्बन्ध प्रदर्शित किया है। यह स्मरण रहे हैं कि विभिन्न क्षात्रों में परिमाण सिद्धान्त के समीकरण के भिन्न-भिन्न रूप रहे हैं। प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त का

समीकरण इस प्रकार था—  $\frac{M}{1} = P$ , जिसमें  $M$  वरावर है देश में प्रचलित चलन की मात्रा,  $P$  वरावर है उस समय देश में वस्तुओं की सेवायां की मात्रा तथा  $P$  वरावर है वस्तुओं की सामान्य मूल्य-न्यूनता। इस सूत्र में  $P$  स्थिर मात्रा जाता है जिससे  $P$  में सभी परिवर्तन  $M$  के परिवर्तन के कारण होते हैं तथा इन दोनों में सीधा व आनुपातिक मम्बन्ध होता है। परन्तु इस सूत्र का सबसे बड़ा यह (दोष) रहा है कि इसने इस घात को मुक्ता दिया कि देश में मुद्रा का परिमाण के बल चलन की मात्रा (Amount of Currency) पर ही नियंत्र नहीं होता बरन् यह चलन की अमरण गति (Velocity of Circulation) पर भी नियंत्र रहता है।

इन्हें समझ वाले अर्थशास्त्रियों ने परिमाण सिद्धान्त में इन समीकरण के दोष को मम्बन्ध और उन्होंने इस बात को समझवर वा विभी मम्बन्ध पर मुद्रा का परिमाण के बल चलन की बुल मात्रा से सूचित नहीं होता बरन् यह चलन की बुल मात्रा तथा चलन की गति के गुणानुकूल से सूचित होता है, परिमाण सिद्धान्त का मूल इस प्रकार मध्योधित सू-

मेरा वताया:-  $\frac{MV}{T} = P$ , जबकि M बराबर है देश में प्रचलित चलन की मात्रा, V बराबर है चलन की भ्रमण-गति (Velocity), T बराबर है उम समय देश में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा तथा P बराबर है वस्तुओं और सेवाओं का सामान्य मूल्य-स्तर। इस सूत्र के अनुसार P मेरी सभी परिवर्तन MV के परिवर्तन के बारण होते हैं तथा इनमें सीधा तथा अनुपाती (Proportional) सम्बन्ध होता है। परन्तु इस सूत्र मेरी यह दोष रहा है कि—इसने यह माना है कि केवल चलन (Currency) ही (विधिप्राह्य-मुद्रा) विनियम के माध्यम के रूप में उपयोग में लाई जाती है और इस बात पर भूल गये कि विधिप्राह्य-मुद्रा के अतिरिक्त साख-मुद्रा वा भी विनियम के माध्यम के रूप में उपयोग होता है। किनार जैसे प्रसिद्ध चर्तमान अर्थशास्त्रियों ने इस दोष को समझा और बहा कि मुद्रा वी कुल मात्रा के अन्तर्गत हमें विधिप्राह्य-मुद्रा (Legal Tender Money) के अतिरिक्त साख-मुद्रा (Credit Money) को भी सम्मिलित करना चाहिये क्योंकि साख-मुद्रा भी आज तक विनियम के माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके अतिरिक्त मुद्रा के परिमाण पर साल-मुद्रा की चलन-गति (Velocity of Credit Money) का भी प्रभाव पड़ता है जोकि विधिप्राह्य मुद्रा की तरह साल-मुद्रा भी प्राप्त अनेकों बार एक हाथ से दूसरे हाथ को हस्तांतरित होती है। इसीलिए आजकल मुद्रा को कुल मात्रा में चलन तथा इसकी भ्रमण-गति के गुणनफल के अतिरिक्त साख-मुद्रा तथा इसकी भ्रमण-गति का गुणनफल सम्मिलित किया जाता है। इन दोनों प्रकार की मुद्राओं के योग ऐसी ही किती समय मुद्रा का परिमाण निश्चित होता है। प्रो० फिशर (Fisher) ने इन बातों का महत्व समझा और उत्तरांशित मुद्रा के परिमाण-सिद्धान्त के समीकरण में उचित संशोधन करके अपनी ओर से एक नया गणीकरण (Equation) दिया जिसना नीचे विस्तार में बताया गया है।

प्रो० फिशर द्वारा दिया गया मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का सूत्र (Prof. Fisher's formula of the Quantity Theory of Money):—सुविस्यात् अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रो० इरविंग फिशर (Irving Fisher) ने प्राचीन अर्थशास्त्रियों के मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के गूठों के दोषों को समझ न अपना एक सूत्र दिया है यह सूत्र विनियम वा समीकरण (Equation of Exchange) नहलाता है। फिशर का विनियम वा समीकरण इस प्रकार है:—

$$MV + M'V' = PT$$

$$\therefore \frac{MV + M'V'}{T} = P$$

जबकि, M बराबर है चलन (Currency) वा कुल परिमाण (कुल-विधिप्राह्य मुद्रा) अर्थात् धातिक मुद्रा (Metallic Currency)+पापांत्री नोट (Paper Currency), V बराबर है चलन (Currency) की भ्रमण गति (Velocity), M'

वरावर है तभाम साख-मुद्रा (Credit Money) अर्थात् चेक, हुण्डी ड्राफ्ट प्रादि की मात्रा,  $V'$  बरावर है साख-मुद्रा की अमण्डलति,  $P$  बरावर है वस्तुओं व सेवाओं का सामान्य मूल्य-स्तर तथा  $T$  बरावर है समस्त व्यापारिक सौदे। इस तरह विसी देश में कुल द्राविक-शक्ति (Money Power) बरावर है  $MV+M'V'$  अर्थात् यह देश में द्रव्य की कुल पूर्ति है। यह फिशर (Fisher) के समीकरण (Equation) का एक भाग है और दूसरे भाग में द्रव्य-कार्य (Money Work) प्रदर्शित किया गया है, जो  $PT$  है। इस तरह  $T$  वस्तुओं और सेवाओं को  $P$  मूल्य पर विनियम बनाने के लिए द्रव्य की मात्रा  $PT$  के बरावर होगी अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं को इनकी वीमतों से गुणा करने पर कुल सौदे (Total Transactions) निवाल आते हैं, ये ही कुल द्रव्य की मात्रा है। अतः समीकरण में द्रव्य की पूर्ति बरावर है  $MV+M'V'$  तथा द्रव्य की मात्रा बरावर है  $PT$ । तू कि द्रव्य का मूल्य ऐसे स्थान पर निर्धारित होता है जहाँ पर द्रव्य की पूर्ति बरावर है द्रव्य की मात्रा, इसलिए मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का समीकरण है— $MV+M'V'=PT$  ॥

फिशर (Fisher) के समीकरण से यह स्पष्ट है कि  $P$  अर्थात् सामान्य मूल्य-स्तर (General Price Level) का मुद्रा के कुल परिमाण अर्थात्  $MV+M'V'$  से समाधा और आनुपातिक (Direct and Proportional) सम्बन्ध है और  $P$  अर्थात् सामान्य मूल्य-स्तर का  $T$  अर्थात् कुल सौदों (Total Transactions) से विपरीत (या विरोधी) तथा आनुपातिक (Inverse and Proportional) सम्बन्ध है।

परन्तु फिशर (Fisher) ने यह बात मान ली है कि अल्पकाल (Short Period) में  $V$ ,  $V'$  तथा  $T$  हितर Constant रहते हैं तथा  $M'$  का  $M$  से अनुपात भी स्थिर रहता है। अतः फिशर के सूत्र से स्पष्ट है कि यदि चलन (Currency) की मात्रा बढ़ती है, तब वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी बढ़ जायगा और यदि चलन की मात्रा घटती है, तब सामान्य मूल्य स्तर भी कम हो जायगा। इसी प्रकार यदि वस्तुओं व सेवाओं (या सीदों) अर्थात्  $T$  में वृद्धि हो जाय जिससे द्रव्य की मात्रा तो बढ़ जाय तरन्तु इसकी पूर्ति में वृद्धि नहीं होने पाए, तब वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य कम हो जायगा क्योंकि अब तमाम वस्तुओं व सेवाओं का कम द्रव्य द्वारा विनियम होगा या द्रव्य की एक इकाई में पहले से अधिक वस्तुये व सेवाय प्राप्त होने लगेंगी (अर्थात् वस्तुओं का मूल्य ह्रास हो जायगा)। इसके विपरीत यदि  $T$  अर्थात् सौदों या वस्तुओं और सेवाओं में कमी हो जाय जिससे द्रव्य की मात्रा घट जाय परन्तु इसकी पूर्ति पूर्व-चन्त्र ही रहे, तब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होगी क्योंकि अब तमाम वस्तुओं और सेवाओं का विनियम अधिक द्रव्य द्वारा होने लगेगा या द्रव्य की एक इकाई से पहले की अपेक्षा कम वस्तुये प्राप्त होने लगेंगी ('अर्थात् वस्तुओं की मूल्य-

\* The Quantity Theory of Money can be expressed like this as well—The General Price Level ( $P$ ) is directly proportional to the Total Quantity of Money in Circulation ( $M$ ) which includes both Metallic and Non-Metallic Money (Paper Currency+Bank Money) and is inversely proportional to the Trade (Total Quantity of Goods and Services).

वृद्धि हो जायगी)। चूंकि द्रव्य की क्रय क्षमता अर्थात् वस्तुओं व सेवाओं का सूख्य द्रव्य के परिमाण में कमी व वृद्धि पर निर्भर रहती है, इसलिए जो नियम मुद्रा के परिमाण तथा वस्तुओं के मूल्य के प्रारूपिक सम्बन्ध को व्यक्त करता है उसे मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त कहते हैं। अतः मांग और पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त (General Theory of Value) को जब हम द्रव्य पर लागू करते हैं, तब यह द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त का रूप ले लेते हैं।

अन्य बातें क्यों समान रहती हैं? (Why do the other things remain the same?).—प्रो० फिशर (Fisher) ने अपनी समीकरण प्रस्तुत करते समय यह मान लिया है कि  $V, V'$  तथा  $T$  स्थिर रहते हैं और  $M'$  का  $M$  से एक निश्चित अपरिवर्तनीय अनुपात होता है। परिणामतः  $P$  में परिवर्तन केवल  $M$  के परिवर्तनों के कारण होता है। दूसरे शब्दों में, चूंकि चलन (Currency) तथा साख-मुद्रा (Credit Money) दोनों की ही अमरण गति (Velocity) अल्पकाल में अपरिवर्तनीय होती है तथा साख-मुद्रा ( $M'$ ) और चलन ( $M$ ) में सदा एक निश्चित अपरिवर्तनीय अनुपात होता है, इसलिए  $P$  अर्थात् सामान्य मूल्य-स्तर में केवल चलन ( $M$ ) की मात्रा में परिवर्तन हो जाने से परिवर्तन हो जाते हैं। अतः फिशर (Fisher) के अनुसार अल्पकाल में मुद्रा का परिमाण केवल प्रचलित चलन की मात्रा अर्थात्  $M$  पर निर्भर रहता है। अल्पकाल में  $V, V', T$  तथा  $M'$  का  $M$  से अनुपात क्यों स्थिर रहता है, इसका उत्तर फिशर (Fisher) ने इस प्रकार दिया है—अल्पकाल में व्यापारिक लेस देन तथा मुद्रा द्वारा किए गए कार्यों की मात्रा स्थिर रहती है क्योंकि इस काल में जन-संस्था में परिवर्तन नहीं होता, प्रति व्यक्ति उत्पादन नहीं बढ़ता। उत्पत्ति का जो प्रतिशत उत्पादकों द्वारा उत्पन्न में लापा जाता है वह नहीं बढ़ता, वस्तुओं के अमरण-वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उत्पादन की रौपियों तथा मनुष्यों की उत्पन्न सम्बन्धी प्रादत्तों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अदल-बदल द्वारा विनियोग के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार मुद्रा की मांग स्थिर रहती है।<sup>1</sup> इन सब बातों को स्थिर मानकर ही प्रो० फिशर (Fisher) ने बताया कि  $P$  अर्थात् सामान्य मूल्य-स्तर तथा  $M$  अर्थात् द्रव्य के परिमाण में सीधा और आनुपातिक (Direct and Proportional) सम्बन्ध होता है।

परिमाण सिद्धान्त की आलोचनाएँ (Criticism of the Quantity Theory):—परिमाण सिद्धान्त के विश्व निम्नलिखित बातें कही जाती हैं:—

(१) सिद्धान्त की धार्यतायें अवास्तविक हैं (Assumptions of the Theory are Imaginary)—प्रो० फिशर ने परिमाण सिद्धान्त के समीकरण का जिन मान्यताओं (Assumptions) के आधार पर प्रतिपादन किया है, उनमें बहुत सी श्रुटियाँ हैं (फिशर के अनुसार  $V, V'$  तथा  $T$  और  $M'$  का  $M$  से अनुपान स्थिर रहता है)। फिशर ने इन मान्यताओं को सिद्धान्त की व्याख्या करते समय “अन्य बारे समान रहनी चाहिये”

1—Irving Fisher, The Purchasing Power of Money. P. 142-55.

वाक्यादा द्वारा व्यतीकिया है। आलोचकों का मत है कि व्यावहारिक जीवन में पिछर द्वारा व्यतीई गई अब वाते समान नहीं रहती हैं। पिशर ने यह भी मान लिया है कि ये वाते अल्पकाल में अवश्य ही स्थिर रहती हैं। आलोचकों के अनुसार इन वातों में दीपं-काल में ही नहीं बरत् अल्प काल तक में परिवर्तन हो जाता है और इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप द्रव्य के मूल्य में भी एष बढ़ हो जाता है जिससे सिद्धान्त लागू नहीं होने पाता है। आलोचकों ने अपने मत के समर्थन में वई महत्वपूर्ण तर्क दिये हैं—

### परिमाण सिद्धान्त को आलोचनायें हैं क्या—

१. सिद्धान्त वी मान्यतामें अवास्तविक है।
२. परिमाण सिद्धान्त व्यापार-चक्रों में होने वाले मूल्य-स्तर के परिवर्तन ही व्याप्त्य बरने में असमर्थ है।
३. परिमाण सिद्धान्त यह स्पष्ट नहीं करता कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन किस प्रकार मूल्य स्तर पर अपना प्रभाव डालते हैं।
४. परिमाण सिद्धान्त मुद्रा की क्रय क्षमिता को ठीक-ठीक नहीं नापन पाता है।
५. परिमाण सिद्धान्त ने मुद्रा वी पूर्ति पर अधिक चल दाला है।
६. परिमाण सिद्धान्त वाल्प-निव तथा अपूरण है।

(1) परिमाण सिद्धान्त के समीकरण (*Equation*) में यह मान लिया गया है कि चलन की पूर्ति (*M*) में वृद्धि हो जाने पर भी इसकी चलन गति (*V*) में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिद्धान्त यह मान लेता है कि *M* और *V* एवं दूसरे से स्वतन्त्र हैं या एक का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परन्तु यह मान्यता वृद्धि-पूर्ण है। वास्तव में *M* में परिवर्तन हो जाने पर *V* में स्वत ही परिवर्तन हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप यदि *M* दुगुनी कर दी जाती है तब *P* में दुगुने से परिवर्त वृद्धि (या अनुपात से अधिक) या द्रव्य के मूल्य में दुगुने से अधिक कमी हो जाती है।<sup>2</sup> इसका बारण स्पष्ट है। *M* में योही सी वृद्धि हो जाने पर प्राप्त *P* में योही सी वृद्धि हो जाती है जिसमें वस्तुएं जल्दी-जल्दी खरीदी बेची जाती है। परिणामत मुद्रा का एक हाथ स दूसरे हाथ में हस्तान्तरण जल्दी जल्दी होने लगता है। प्राप्त समय के परिवर्तन तथा सद्टा बाजार की प्रवृत्तियों के बारण भी द्रव्य की भ्रमण गति में वृद्धि हो जाया करती है। (ii) परिमाण सिद्धान्त के हमोवरण से यह मान विद्या गया है कि *V* का *M* से एक विधर व निर्दित (*Constant*) तथा अपरिवर्तनीय सम्बन्ध होता है। इस

2—This fact can be illustrated from the condition of the German Mark after the First World War. As the Value of the German Mark was depreciating fast, those people who received Mark converted it soon into commodities so that they might not be at a loss due to the falling Value of Money. Hence the Velocity of Circulation of Money (*V*) increased greatly as nobody wanted to hold the Mark and this increase was in a greater proportion to the increase in the Quantity of Money resulting in the excessive rise in the price of all commodities & services and thus a further steep fall in the Value of the German Mark.

तरह M में घटन्ड के अनुसार M' में घटन्ड होती है, परन्तु इन दोनों का सम्बन्ध पहले के अनुपात में ही रहता है। परन्तु यह मान्यता भी अटिपूर्ण है। वास्तव में M' का M से कोई स्थिर (Constant) सम्बन्ध नहीं होता है। इसका कारण स्पष्ट है। व्यापारिक व्यक्तिता के काल में (In Bon Period) व्यवसायी वैको से ज्ञान लेकर उत्पत्ति वा पैमाना बढ़ते हैं। ऐसे समय में वैक बहुत ही बड़ी मात्रा में साख-द्रव्य (Credit Money) का निर्माण कर देते हैं जिससे M' का M से अब पहले जितना अनुपात नहीं रहता बरन् M' का M से अनुपात बढ़ जाता है। परिणामतः द्रव्य की कुल पूर्ति में बहुत वृद्धि हो जाती है यथात् मुद्रा का परिमाण मुद्रा अधिकारी (Monetary Authority) द्वारा जारी किए गए द्रव्य के परिमाण से बहुत अधिक हो जाता है और वस्तुओं व सेवायों के मूल्यों में वृद्धि द्रव्य की मात्रा में वृद्धि की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाती है। (iii) परिमाण सिद्धान्त में यह मान लिया गया है कि M में परिवर्तन हो जाने पर भी V' में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिद्धान्त ने यह मान लिया है कि M और V' एक दूसरे से स्वतन्त्र है या एक का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परन्तु यह मान्यता भी अटिपूर्ण है। यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि कुछ कारणों से M में परिवर्तन हो जाने पर V' में परिवर्तन हो जाता है ठीक, इन्हीं कारणों से M में परिवर्तन हो जाने पर V' में परिवर्तन हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप यदि M की मात्रा दुगुनी कर दी जाती है, तब P में दुगुने से अधिक वृद्धि (या अनुपात से अधिक वृद्धि) हो जाती है। (iv) परिमाण सिद्धान्त ने यह मान लिया है कि M में परिवर्तन होने पर भी T (कुछ विनियम कार्य या सौदो) के कोई परिवर्तन नहीं होता है। ताकि T की मात्रा ही देश में द्रव्य की कुल मात्रा की सूचक है, इसलिए यह सिद्धान्त पह मान लेता है कि देश में मुद्रा की मांग (Demand for Money) सदा स्थिर रहती है। इसका यह भी अर्थ हूँगा कि M और T एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं या एक का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परन्तु यह मान्यता भी दोषपूर्ण है। वास्तव में M में परिवर्तन हो जाने पर T में भी परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण स्पष्ट है। द्रव्य की वृद्धि (M) से वस्तुओं का मूल्य (P) बढ़ जाता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकों की आमदनी बढ़ जाती है क्योंकि उनकी विक्री तो बढ़ जाती है परन्तु कीमतों की तुलना में उनका उत्पादन-व्यय बम रहता है। अधिक लाभ कमाने के हेतु वे पहले से अधिक उत्पत्ति बरने लगते हैं जिसमें व्यापार व व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार M के बम हो जाने पर या मुद्रा में कमों से वस्तुओं का मूल्य (P) बम हो जाता है, उत्पादकों वो हानि होने लगती है जिसमें उत्पादन घट जाता है अर्थात् T में बम हो जाती है। अतः M में परिवर्तन से T में परिवर्तन अवश्य होता है और सिद्धान्त की यह मान्यता गलत है कि T में सदा स्थिरता (Constant) रहती है। उक्त तरफ़ के अतिरिक्त अन्य अनेक कारण भी हैं जिनकी वजह से किसी देश में वस्तुओं व सेवायों अर्थात्। या कुल ग्रीदों की मात्रा में परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे वस्तुओं की प्रवर्तन गति में वृद्धि, जन-नस्या तथा इसकी कुशलता में वृद्धि, उत्पादन विधियों में सुधार, नए-नए आर्थिक साधनों की व्योज आदि। प्रत्येक देश के आर्थिक डितिहास तथा वर्तमान

उत्पादन व्यवस्था के अध्ययन से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रत्येक देश में उत्पादन की मुद्रा मानाओं में समय-समय पर परिवर्तन होने रहते हैं अर्थात् T में परिवर्तन होते रहते हैं। अब सिद्धान्त के समीकरण के प्रतिपादन में F को, स्थिर मान लेना पूर्णतया गलत है ।

निष्कर्ष — उपर विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रो० फिशर (Fisher) का यह विद्यास कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी "अन्य बातें समान ही रहती हैं" घोषणाएँ एवं अभ्यासण हैं। यह कहना कि ये बातें एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं (Independent Variables) अतिपूर्ण है क्योंकि इनमें से किसी एक साधन (Factor) में परिवर्तन होने से इसका दूसरे साधनों पर अवश्यमेव ही प्रभाव पड़ता है।

(२) परिमाण सिद्धान्त व्यापार-चक्रों में होने वाले मूल्य तंत्र के परिवर्तनों की व्याख्या करने में असमर्थ है (Quantity Theory is incapable of explaining the changes in the General Price Level during Business Cycles) —परिमाण सिद्धान्त यह बतलाता है मूल्य-तंत्र में परिवर्तन (अर्थात् वस्तुओं प्रीर सेवाओं के मूल्य भ परिवर्तन) मुद्रा के परिमाण में घट-बढ़ के कारण होता है। परन्तु आलोचकों का मत है कि यह आवश्यक नहीं है कि वस्तुओं के मूल्यों में घट-बढ़ द्रव्य के परिमाण में घट-बढ़ के कारण ही हो। उदाहरण के लिये, मन्दीकाल (Depression Period) में मुद्रा के परिमाण में कमी नहीं होने पर भी वस्तुओं का मूल्य कम हो जाता है और तेजी-काल (Boom Period) में मुद्रा के परिमाण में वृद्धि नहीं होने पर भी वस्तुओं के मूल्य में

बहुच लेसका वा मत है कि वेबल पूर्ण रोजगार के बिन्दु (Point of Full Employment) पर वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में स्थिरता (Constant) रहती है और यह भी वहूत कम समय के लिये। पूर्ण रोजगार की अवस्था किसे रहते हैं? जब काई देश मुद्रा प्रसार की नीति अपना लेता है और मुद्रा की मात्रा में थोड़े-थोड़े समय के बाद वृद्धि बरता है तब वस्तुओं के मूल्यों में धीरे-धीरे वृद्धि हो जाती है जिमन देश भ उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। अन्ततः एक अवस्था ऐसी आ जाती है जबकि उत्पादन के धीरे धीरे प्रसार के कारण, उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का पूर्ण उपयोग हो जाता है अर्थात् कोई भी साधन जरा-ना मी बवार नहीं रहता है। इस अवस्था को पूर्ण रोजगार की दशा कहते हैं। इस अवस्था में यदि मुद्रा की मात्रा में और वृद्धि की जाय तब अद्यति वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी परन्तु वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकेगी। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के समीकरण को प्रतुत करते समय प्रो० फिशर (Fisher) ने इसी अवस्था की कल्पना की है। यह सब है कि इस अवस्था में सिद्धान्त सत्य मिछ होग क्योंकि वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन मुद्रा के परिमाण के परिवर्तन में होग। परन्तु आलोचकों का मत है कि यह अवस्था वहूत समय तक नहीं रह सकेगी और मनोवैज्ञानिक तथा अन्य कारणों से वस्तुओं के मूल्य में अनुपात से अधिक परिवर्तन हो जायेगा।

प्रथम् सामान्य मूल्य-स्तर में उन परिवर्तनों को समझाने में असफल रहता है जो कि व्यापार-घड़ी (Business Cycles) के कारण उत्पन्न होते हैं।

(३) परिमाण सिद्धान्त यह स्पष्ट नहीं करता कि मुद्रा की भावा में परिवर्तन किस प्रकार मूल्य-स्तर पर प्रभाव डालते हैं (Quantity Theory does not explain the causes which bring about a change in the General Price Level with a change in the Quantity of Money):—प्रसिद्ध लेखक क्राउथर (Crowther), हेयक (Hayek) तथा हॉट्रे (Hawtrey) का मत है कि मुद्रा के परिमाण से ही चले परिवर्तनों का प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों पर प्रत्यक्ष एवं सीधा नहीं पड़ता है। यह परिवर्तन सबसे पहले व्याज की दरों को प्रभावित करता है और फिर व्याज की दरों से परिवर्तन द्वारा यह वस्तुओं के उत्पादन तथा मूल्यों पर प्रभाव डालता है। परन्तु आलोचकों का मत है कि परिमाण सिद्धान्त इस प्रकार के प्रभावों की ओर सकेत ही नहीं करता है वरन् यह तो केवल मुद्रा के परिमाण तथा मूल्यों के पारस्परिक सम्बन्ध का उल्लेख करता है। इसीलिए प्रो० कीन्स (Keynes) जैसे विद्वानों ने परिमाण सिद्धान्त का बड़ा विरोध किया है। कीन्स (Keynes) के शब्दों में “परिमाण सिद्धान्त की वास्तविक समस्या द्रव्य की कुल मात्रा का इसके बदले में मिलने वाली वस्तुओं (या वस्तुओं की कुल विक्री) में केवल समानता (Identities) या सांख्यिक समीकरण (Statistical Equation) स्थापित करना ही नहीं है बल्कि इस प्रकार के सिद्धान्त का असली कार्य तो यह है कि यह समस्या के तमाम भागों या तत्वों (Elements) का इस प्रकार विश्लेषण (Analysis) करे कि वे तमाम वारण जिनसे मूल्य-स्तर निश्चित होते हैं तथा जिनसे मूल्य-निर्धारण में सतुलन की स्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानान्तरित होती है, स्पष्ट हो जाय”\*।

यह स्मरण रहे कि परिमाण सिद्धान्त उन वारणों पर भी प्रकाश नहीं डालता जो मुद्रा के वेग (Velocity) तथा मूल्यों के घटाने-बढ़ाने में विशेष हाव रखते हैं।

(४) परिमाण सिद्धान्त मुद्रा की क्रप शक्ति को ठोक-ठोक नहीं नापने पाते है (Quantity Theory does not measure the purchasing power of money correctly):—किसार के समीकरण में मुद्रा ( $MV + M'V'$ ) का सम्बन्ध सभी प्रकार की वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य (अर्थात् PT) से होता है। परन्तु आलोचकों का मत है कि मुद्रा द्वारा किये गए अधिकाद व्यावहार उद्योग-सम्बन्धी, व्यापार-सम्बन्धी तथा आर्थिक (Financial) होते हैं अर्थात् मुद्रा का उपयोग बहुत सी ऐसी वस्तुओं के विनियम के लिए होता है जो केवल उत्पत्ति व व्यापार के ही काम में आती है तथा

\* “The fundamental problem of Monetary Theory is not merely to establish identities or statistical equation relating e. g. the turnover of the monetary instruments to the turnover of things treated for money. The real task of such a theory is to treat the problem dynamically, analysing the different elements involved in such a manner as to exhibit the causal process by which the price-level is determined and the method of transition from one position of equilibrium to another”—Keynes, Treatise on Money, Vol. I, p. 133.

जिनका उपभोग मनुष्य प्रत्यक्ष रूप में नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, परिमाण सिद्धान्त में । के अन्तर्गत जिन वस्तुओं के सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है उनमें यदि कुछ उपभोग सम्बन्धी हैं, तब अधिकार वस्तुएँ उपभोग व व्यापार सम्बन्धी होती हैं, जिनका मनुष्य के प्रत्यक्ष उपभोग से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। इसी कारण प्रौ० बीन्स (Keynes) ने परिमाण सिद्धान्त की आलोचना बरते हुए कहा कि यह मुद्रा की क्रयशक्ति का उचित माप न बनवार न बदल सौदों वा माप (Cash Transaction Standard) बन जाता है। यह स्मरण रहे कि अर्थशास्त्र की हप्टि से द्रव्य की क्रयशक्ति की जानकारी बरता बहुत महत्वपूर्ण है लाकि हमें यह पता चल जाय कि द्रव्य के बदले उपभोग की वस्तुये (Consumer's Goods) पहले से कितनी बग अधिक मिल रही हैं जिससे उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाये। आलोचनों का मत है कि परिमाण सिद्धान्त इस कार्य को पूर्णरूप से नहीं करने पाता है।

(५) परिमाण सिद्धान्त ने मुद्रा की पूर्ति पर अधिक बल दाता है (Quantity Theory has laid more emphasis on The Supply of Money) —कुछ आलोचकों का यह मत है कि परिमाण सिद्धान्त मात्र और पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त का ही एक सशोधित रूप है परन्तु उनके मतानुमार इसमें मुद्रा की पूर्ति को इसकी मात्र की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। इसीलिये प्रौ० बीन्स (Keynes) ने मुद्रा की मात्र का वास्तविक रूप बताकर मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में अपने विचार दिये हैं। बीन्स के विचारों का आगे चलकर सविस्तार वर्णन किया गया है।

(६) परिमाण सिद्धान्त काल्पनिक है तथा अपूर्ण है (Quantity Theory is Imaginary and It complete) —कुछ अन्य तर्कों के आधार पर आलोचकों ने परिमाण सिद्धान्त को काल्पनिक तथा अपूर्ण बताया है। तर्क इस प्रकार है—  
 (१) फिचर (Fisher) न अपने समीकरण में यह सिद्ध किया है कि प्रबलित मुद्रा की मात्रा में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन सामान्य मूल्यन्तर में प्रत्यक्ष तथा अनुपातिक परिवर्तन को जन्म देता है। परन्तु वास्तविक जीवन में मुद्रा की मात्रा तथा सामान्य मूल्य स्तर में इस प्रकार वा सम्बन्ध नहीं पाया जाता है जिससे परिमाण सिद्धान्त काल्पनिक बहा जाता है। (२) परिमाण सिद्धान्त मुद्रा की चलन-गति के बारणों की व्याख्या नहीं करता, इस कारण यह सिद्धान्त अपूर्ण है। (३) यह सिद्धान्त समय दिलम्ब (Time Lag) के महत्व को नहीं समझता है। यह स्मरण रहे कि मुद्रा के परिमाण के परिवर्तन वा सामान्य मूल्यन्तर पर प्रभाव एक दम नहीं पाया करता है बरन् इसमें कुछ समय लगता है। इस बात में अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकता है जिससे मूल्य स्तर में परिवर्तन मुद्रा परिमाण के परिवर्तन के अनुपात में नहीं हो पाय। परन्तु परिमाण सिद्धान्त ने इस प्रकार के समय दिलम्ब के महत्व को नहीं समझा है। (४) बीन्स (Keynes) के मतानुमार प्रत्येक मनुष्य मुद्रा चाहे यह विधि ग्राह्य हो या साख मुद्रा हो) का एक निश्चिन मात्र ही अपने पास तरल मुद्रा (Liquid Money) के रूप में रखता है (वन्नुद्रा और मेवायो वो सरीदार के लिय) और इसकी कुल मात्रा म समय-

समय पर परिवर्तन होता रहता है। चलन (Currency) का शेष भाग गाढ़ (Hoarding) दिया जाता है या अन्य प्रकार से सचित कर दिया जाता है जिसका वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। आलोचकों का मत है कि हमें इस प्रकार की संचित मुद्रा को, मिद्दान्त के सम्बन्ध में; द्वय के परिमाण में से निकाल देना चाहिए। परन्तु परिमाण सिद्धान्त ने स्वयं इस और कुछ भी नहीं कहा है जिसके कारण यह सिद्धान्त अधूरे भाना जाता है। (v) सिद्धान्त ने इस बात की कल्पना की है कि सामान्य मूल्य-स्तर में परिवर्तन का कारण मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन ही है। परन्तु आलोचकों का मत है कि इस प्रकार वी कल्पना दोषपूर्ण है। वास्तव में, मूल्य-स्तर के परिवर्तनों के कारण ही मुद्रा की मात्रा में भी घट-बढ़ होती है। अतः आलोचकों के मतानुसार मूल्य-स्तर में परिवर्तन मुद्रा के परिमाण के परिवर्तनों के कारण नहीं होते हैं वरन् मूल्य-स्तर के परिवर्तन के कारण ही मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होते हैं। (vi) किंवर ने परिमाण सिद्धान्त का प्रतिपादन करते समय इस बात की कल्पना की थी कि अल्पकाल में भद्रल-बदल द्वारा विनियमनार्थ, वस्तुओं नी भ्रमण-गति, देश की जन-संख्या, उत्पादन की रीति, गतिश्चयों की उपेभोग सम्बन्धी आदत तथा प्रति व्यक्ति उत्तरित की मात्रा आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परन्तु किंवर को यह कल्पना मिथ्या है। ससार में परिवर्तन प्रत्येक क्षेत्र में तथा प्रतिक्षण में होते रहते हैं। चूंकि यह मिद्दान्त मिथ्यापूर्ण बातों पर आधारित है, इसीलिये आलोचकों ने इसे एक बाल्पनिक सिद्धान्त मना है। (vii) प्रो० कैनन (Cannan) के मतानुसार इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में मुद्रा की भ्रमण-गति में जो अभिप्राय है, वह अनिश्चित (Vague) ही नहीं बल्कि उसका सही-सही नापना भी बहुत बहिन है। (viii) एक प्रमिद्ध लेखक का मत है कि परिमाण सिद्धान्त ने इस बात के बारे में विचार नहीं किया कि किसी देश के मूल्य-स्तर पर अन्य विदेशों के मूल्य-स्तर का भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि वर्तमान सुग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सुग है। अतः विभिन्न लेखकों एवं आलोचकों द्वारा बताई गई ये आठ ऐसी बातें हैं जिनके प्राधार पर हम यह निष्कर्ष निहाल लेते हैं कि परिमाण सिद्धान्त पूर्णतया काल्पनिक है तथा यह अधूरा व अधूरा है।

तिष्ठर्वं:—परिमाण मिद्दान्त की उन्निश्चित आलोचना पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि गिद्दान्त बहुत ही दोषपूर्ण है। यद्यपि वीम्स के अनुमार यह सिद्धान्त बाल्पनिक तथा अधूरा है, यह क्षमा-शक्ति का उचित व टीक-टीक साप नहीं करता है, यह केवल एक नकद सीदों का ही साप (Cash Transaction Standard) है (क्योंकि मुद्रा द्वारा किये जाने वाले अधिकार वार्य उद्योग-सम्बन्धी या व्यापार सम्बन्धी होने हैं) परन्तु किंवर भी इस सिद्धान्त में भत्ता का अंश पाया जाता है। यह सिद्धान्त भी अव्यंगात्मक के अन्य सिद्धान्तों की तरह यह स्पष्ट करता है कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में कौनसी प्रवृत्ति कार्य करेगी। अन्दर अन्य बालं समान रहे (यह मान्यता प्रत्येक अर्थात् सिद्धान्त में होती है) तब मुद्रा-प्रकार या मुद्रा-मुद्रन तथा व्यापारिश व व्यवसायिक वृद्धि या कमी होने पर, मुद्रा के मूल्य (Value of Money) पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बात परिमाण मिद्दान्त में स्पष्ट हो जाती है। यह बात अवश्य है कि जब हमारा ध्यान इस मिद्दान्त की गणितात्मक

सत्यता (Arithmetical Accuracy) की ओर जाता है, तब हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि इसमें गणितात्मक सत्यता नहीं है, परन्तु इस दोष के होते हुये भी हम इस सिद्धान्त को पूर्णतया बेकार नहीं घोषित कर सकते। एक प्रकृति के द्वातक के रूप में यह, सिद्धात आज भी अक्षरशः सत्य है। इसीलिये मोट्रिक जगत (Monetary World) में इस सिद्धात का आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुओं व सेवाओं के सामान्य मूल्य-स्तर में परिवर्तनों का कारण बताने में यह सिद्धान्त बहुत सहायक होता है—मुद्रा के परिमाण में घट-बढ़ से सामान्य मूल्य-स्तर से भी परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों पर नियन्त्रण रखने में भी इस सिद्धात से बहुत सहायता मिलती है। मूल्यों के बम हो जाने के काल में मुद्रा प्रसार से मूल्यों को बढ़ाने में तथा मूल्यों के अधिक हो जाने के काल में मुद्रा-संकुचन से मूल्यों को कम करने में और इस तरह मूल्यों में स्थिरता (Stability of Prices) लाने में इस सिद्धान्त से बहुत सहायता मिलती है। यह अवश्य है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने से मूल्यों में अनुपाती परिवर्तन तो नहीं होता है (परिमाण सिद्धात बताता है कि इनमें अनुपाती परिवर्तन होता है परन्तु इस प्रकार के परिवर्तनों की प्रवृत्ति का ही मूल्य में स्थिरता स्थापित करने के लिये उपयोग होता है। अत परिमाण सिद्धात मूल्यों में स्थिरता लाने का एक अच्छा तरीका बताता है।

### परिमाण सिद्धांत की सत्यता

परिमाण सिद्धांत की सत्यता के कुछ उदाहरण (Some Examples of the Truth of the Quantity Theory) — ग्रो० फिशर (Fisher) ने अपने परिमाण सिद्धात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए बहुत से उदाहरण दिये हैं। यह सिद्धात अपूर्ण, बल्कि व दोषपूर्ण है, परन्तु जब हम मग्न और पूर्ति के सिद्धात (Demand and Supply Theory) का द्रव्य पर लागू करते हैं तब वस्तुओं की तरह द्रव्य की मात्रा व पूर्ति में समय समय पर जो परिवर्तन हुए तब उनके परिमाणस्वरूप द्रव्य के मूल्य में जो परिवर्तन हुये है, उनका यह सिद्धात स्पष्टीकरण कर देता है। (I) जब सौनिङ 'खोज' करने वाला (Spanish Explorers) ने अमेरिका में चाढ़ी की साने पाई, उन्होंने इसे यूरोप (European Continent) को भेजना आरम्भ कर दिया, जिससे Continent के तमाम देशों में सामान्य मूल्य-स्तर (General Price Level) बढ़ गया। परन्तु जैसे-जैसे इन देशों की जन-संख्या बढ़ी (या द्रव्य की मात्रा बढ़ी) या चाढ़ी की अमेरिका से आयात कम हुई, वस्तुओं की कीमतें (Prices) कम हो गई। (II) सन् १८२० में १८४४ तक इंडियन बैंक द्वारा धनोत्तरि की मात्रा तो बहुत बढ़ी, परन्तु इसी अनुपात में मुद्रा नहीं बढ़ सकी क्योंकि सोने की इतनी अधिक मात्रा उपलब्ध नहीं हो सकी। परिणाम-स्वरूप वस्तुओं का मूल्य गिर गया। (III) सन् १८४४ के आरपाम आस्ट्रेलिया व कैलीफोर्निया से बहुत बड़ी मात्रा में सोने की आयात सोने की मुद्रा वाले देशों में (Gold using countries) हुई, जिससे उन देशों में वस्तुओं के मूल्य बड़े परन्तु सन् १८७४ के पश्चात् जब उन सोने की लाठों में से सोना निकलना बन्द हो गया, तब उन देशों में

मूल्य-स्तर गिर गया। (iv) सन् १८७३ में मैक्सिको (Mexico) में चांदी की खाने मिल जाने से भारत जैसे चांदी मुद्रा वाले देशों में बस्तुओं का मूल्य बढ़ा। (v) सन् १८६६ में ट्रान्सवाल (Transvaal, South Africa) में सोने की खानों की खोज हो जाने से, यूरोप में बस्तुओं की कीमतें पुनः बढ़ी। (vi) सन् १९१४-१८ के प्रथम महायुद्ध काल में जर्मनी भी बागजी मुद्रा के अरण्य घटक प्रसार (Hyper Inflation) से वहाँ बस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ा। युद्ध समाप्त होने के वर्षों बाद ही मूल्यों में कमी होता आरम्भ हुआ। (vii) सन् १९२६ तथा इसके पश्चात् के मन्दी काल (Depression Period) में आधिक सकट (Financial Panic) तथा अर्थाधिक सास-संकुचन (Contraction of Credit) के कारण बस्तुओं के मूल्यों में बहुत कमी हो गई। (viii) सन् १९३८-४५ के द्वितीय महायुद्ध तथा इसके पश्चात् भारत तथा अन्य देशों में कागजी नोटों के आधिक्य के कारण बस्तुओं और सेवाओं के मूल्य भी बहुत बढ़े।

उपरोक्त उदाहरणों से इव्व के परिमाण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप इसके मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का ही ज्ञान होता है, परन्तु इनसे इन दोनों में कोई सम्पादक सम्बन्ध (Quantitative Correlation) स्थापित नहीं होता और सम्बन्ध है प्रो॰ फिशर (Fisher) वा भी इस प्रकार वा कोई सम्बन्ध स्थापित करने का अभिप्राय नहीं था क्योंकि शोधकाल में बहुत सी शक्तियों का ऐसा प्रभाव पड़ा करता है जिससे इव्व के मूल्य में इसके परिमाणानुमार घट-घट नहीं होने पाता है। उम्मने गणितात्मक समीकरण (Arithmetical Equation) वा प्रयोग तो केवल एक प्रवृत्ति की प्रतिपादित करने के लिये बिया है।

### कैम्ब्रिज का मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त

#### (The Cambridge Quantity Theory of Money)

कैम्ब्रिज समीकरण की आवारणत वातें—कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का प्रतिपादन बिन्दुज ही एक नये समीकरण के रूप में किया है। इस रूप वा निर्माण मार्शल (Marshall), पिगू (Pigou), हॉट्रे (Hawtrey), कैनन (Cannan) तथा रोबर्टसन (Robertson) जैसे प्रतिद्वंद्व अर्थशास्त्रियों ने बिया है। कैम्ब्रिज समीकरण (Cambridge Equation) वी आधारभूत वाते निम्न प्रकार हैं।

(१) समाज में धारणा कुछ भाग नकद रूप के रूप में रखला जाता है—प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने तथा फिशर (Fisher) ने अपने परिमाण सिद्धान्त के समीकरण में यह मान लिया था कि इव्व वी माम कुन गोदो के मूल्य (Value of Total Transaction) के बराबर होती है अर्थात् यह ₹ १ के बराबर होती है। यह बहना तो ठीक ही है कि इव्व वा स्वयं कोई उपयोग नहीं होता वरन् यह केवल बस्तुओं व सेवाओं के विनियम के कान में आता है, परन्तु वैज्ञानिक हृष्टि में दर प्रधार वा कथन ठीक नहीं है। इसका एक मुख्य बारण है। प्रसंबद्ध मनुष्य ये अपने अनुभव से इस बात वा भी जान है कि ऐसा वभी भी नहीं होता कि जिस समय उसे कोई बस्तु सरीदनी होती है, तब उसे तुरन्त उत्तीर्णी ही आमदनी प्राप्त द्वी जाय अर्थात् यह वर्म ही होता है कि हमें जितने रूपये यद्य बरने

होते हैं उसी समय हमें उतने ही रूपयों की आमदनी हो जाय। इससे स्पष्ट है कि व्यवहारिक जीवन में हमारी आमदनी और खर्च वा पूर्ण सयोग प्राय नहीं हुआ बरता है अर्थात् ऐसा कभी नहीं होता कि जिस समय हमें जितने रूपये खर्च करने होते हैं, उसी समय उतने ही रूपये हमें तुरन्त मिल जायें। हमें आमदनी को निश्चित समय पर होनी है, परन्तु खर्च तो हर समय होता रहता है, यह खर्च कभी बर्म होता है तब न कभी अधिक होता है। इसीलिये प्रत्येक व्यक्ति हर समय अपने पास नकद रूप में कुछ न कुछ रुपया रखता है ताकि वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि जब चाहे तब आसानी से बर सके। एक व्यक्ति की तरह व्यापारिक संस्थायें भी तथा सरकार व अन्य संस्थायें भी अपने पास हर समय कुछ न कुछ रकम नकद रूप में रखती हैं। व्यवसायी तथा उत्पादक अपनी वस्तुएं वेचकर आय प्राप्त बरते हैं, जिन्हें उन्हे मजदूर वो उचित समय पर मजदूरी व कच्ची-सामग्री वे मूल्य के भुगतान के लिये हर समय अपने पास नकद रुपया रखता पड़ता है। सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को भी इसी प्रकार अपने पास कुछ न कुछ रकम नकद में रखनी पड़ती है। अत वह कुल द्रव्य जो तमम व्यक्तियां व्यापारिक व इन्वेस्टिमेंट लिये रखते हैं, द्रव्य को कुल मांग (Demand for Money) कहलाता है।

कॅन्नन विचारधारा के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो॰ कैनन (Cannan) ने द्रव्य की मांग के सम्बन्ध में बहुत है—“जिस प्रकार मकान वा वास्तविक मांग मकान में रहने वालों को होती है (मकानों के खरीदने-वेचने वालों या इनका व्यवसाय करने वालों की मकानों की मांग वास्तविक मांग नहीं कहलाती है), उसी प्रकार द्रव्य की वास्तविक मांग वह है जिसे मनुष्य अपना खर्च चलाने के लिए अपने पास रखते हैं।”\*\* दूसरे शब्दों में, वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये द्रव्य की मांग, मकानों के खरी ने-वेचने वाले व्यापारियों की मांग को तरह, वास्तविक मांग महीं होती है वरन् द्रव्य को वास्तविक मांग वह है जो हम अपना खर्च चलाने के लिये अपने पास रखते हैं।

(ii) द्रव्य की मांग मनुष्यों की द्रव्यता पसंदगी (Liquidity Preference) पर निर्भर रहती है—मनुष्य अपना धन मकान-दूकान व जायदाद में विनियोजित (Invest) वर सकता है या वह अपने धन को दोपहर या वस्तुओं में लगा सकता है या वह अपने धन को बैंक में जमा बर सकता है। परन्तु मकान-दूकान व जायदाद में विनियोजित धन में वहुत कम द्रवता होती है क्योंकि इनको वेचकर रुपया प्राप्त बरने में वहुत कठिनाई द्या जाता होता है। वस्तुओं की अपेक्षा दोपहर में अधिक द्रवता होती है क्योंकि आवश्यकता

\* Professor Cannan in this connection remarks—“That belief seems to me to be exactly equal to a belief that the demand for houses comes not from the people who want to live in houses but from people who buy houses and sell them again forthwith. The effective demand for houses evidently comes from those who want to hold houses even the speculator wants to hold house, for sometimes ‘activity in the house market’—a little more charging ownership than usual—only involves increase in the demand in the same sense as it involves an equal increase of supply which cancels it. Whatever may be said about the actual use of the term it is clear that the demand which is important as affecting the value of the house is the demand for occupation.”

पड़ने पर इन्हे शोधता में बेचा जा सकता है। बैंकों में रुपया जमा करने में भी आकर्षण बहुत कम होता है क्योंकि जमा पूँजी पर बैंक बहुत कम व्याज दिया करता है। परन्तु द्रव्य में द्रवता (Liquidity in Money) सबसे अधिक होती है क्योंकि इसके बदले बस्तु या बस्तुयें तुरन्त मिल जाया करती हैं। जिन मनुष्यों में द्रवता पसन्दगी अधिक है, उनकी द्रव्य की माग (अर्थात् द्रव्य को अपने पास नकद रूप में रखने की मांग) अधिक होती है और जिनमें द्रवता पसन्दगी कम होती है, उनकी द्रव्य की माग भी कम होती है। अतः द्रवता पसन्दगी का भी द्रव्य की मांग पर प्रभाव पड़ा करता है।

(iii) द्रव्य की मांग अर्थात् व्यक्ति या संस्थाये अपने पास कितना धन नकद में रखती हैं, इस पर अन्य कितनी ही बातों का प्रभाव पड़ता है:—(अ) प्राय प्राप्त होने की अवधिः—मनुष्य को अपनी आमदनी प्राप्त होने और खर्च होने में जितनी अधिक अवधि होगी, वह उतना ही अधिक द्रव्य अपने पास नकद रूप में अपना दैनिक खर्च चलाने के लिए रखता है। अतः ऐसे मनुष्य की द्रव्य की माग बहुत अधिक होती है। (आ) बस्तु का मूल्य :—यदि बस्तुओं का मूल्य अधिक है, तब उन्हें खरीदने के लिए मनुष्य अपने पास कम मात्रा ही में धन रखेगे। (इ) जन-संस्था—जन-संस्था जितनी अधिक होती है द्रव्य की माग उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत जन-संस्था कम हो जाने पर, द्रव्य की माग भी कम हो जाती है। (ई) धन का वितरण—धन का वितरण जितना समाज होता है, द्रव्य की माग उतनी ही अधिक होती है क्योंकि इस अवस्था में समाज के निर्धन व्यक्ति तक अपने पास कुछ न कुछ धन नकद रूप में रखने लगते हैं। (उ) व्यवसाय की दशा—मन्दी-काल (Depression Period) में व्यवसाय में लाभ कम होता है, उत्पादक बस्तुओं का उत्पादन कम कर देते हैं तथा वे अपने पास भी बस्तुओं का स्टॉक बहुत कम रखते हैं। इस अवस्था में मनुष्य रूपये वा व्यवसाय में विनियोजन बहुत कम करते हैं और प्रायः इसे अपने पास ही नकद रूप में रखते हैं। मूल्य और अधिक बम हो जाने की आशा से उपभोक्ता भी बहुत कम मात्रा में बस्तुयें खरीदते हैं और अपना धन अपने पास ही नकद रूप में रखते हैं जिससे इनकी द्रव्य की माग बढ़ जाती है। परन्तु तेजी काल (Boom Period) में या व्यापारिक समृद्धि के काल में अधिक लाभ कमाने के हेतु पूँजीपति मुद्रा को नईनई लाभदायक योजनाओं में लगाना चाहा करते हैं, यहां तक कि ये रुपया उधार लेकर अपने व्यवसाय में लगा देते हैं। द्रव्य का मूल्य बम हो जाने के बारण भी उपभोक्ता अपने पास द्रव्य नहीं रखते, इससे ये बस्तुयें खरीदते हैं जिससे इनकी द्रव्य की माग हो जाती है। अतः व्यापारिक मन्दी के काल में मुद्रा की माग अधिक (द्रवता की पसन्दगी अधिक हो जानी है) और व्यापारिक तेजी के काल में मुद्रा की माग बम (द्रवता की पसन्दगी बम हो जानी है) हो जाया करती है। (क) लेन-देन की आदत—लेन-देन में चंक व अन्य साल-ए-त्री वा उपयोग बरने से द्रव्य का उपयोग बम हो जाता है जिससे द्रव्य की माग बम हो जाती है। इसी प्रकार उधार मिलने की मुविधाओं के बारण भी द्रव्य की माग

कम हो जाती है। (ए) द्रव्य की चलन गति ।—मुद्रा की मांग  $5\text{R}$  इसका चलन-गति (Velocity) वो भी प्रभाव पड़ना है। यदि मनुष्यों में द्रव्य की द्रवता पसन्दगी अधिक है, तब तो रप्या विनिमय के लिये उतना ही कम बार बार कम में आयगा (इसकी चलन गति कम हो जायेगी) और यदि मनुष्यों वे द्रव्य की द्रवता पसन्दगी कम है, तब रप्या विनिमय के लिए उतना ही अधिक बार-बार काम में आयगा (इसकी चलन-गति अधिक हो जायेगी) जिससे इस अवस्था में द्रव्य की घोनी सी मात्रा से ही बहुत अधिक मात्रा में विनिमय कार्य हो सकेगा। अत जब मुद्रा का चलन-गति नम होती है, तब मुद्रा की मांग अधिक और जब मुद्रा की चलन-गति अधिक होती है, तब मुद्रा की मांग कम होती है। यह स्मरण रह कि जब मुद्रा की चलन-गति कम होती है, तब जनता के पास नकद रप्ये में बहुत द्रव्य होता है (मुद्रा की मांग अधिक होती है), द्रव्य का विनिमय के लिये बार-बार उपयोग कम होता है, वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और अन्तत वस्तुओं का मूल्य कम हो जाता है। इमें विपरीत मुद्रा की चलन-गति अधिक होन पर जनता के पास नकद रप्ये में रप्या कम होता है, रप्य का विनिमय कार्य में बार-बार उपयोग होता है, वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और अन्तत वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है।

**निकर्य —** उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कैम्ब्रिज समीकरण (Equation) के अनुसार किसी देश में मुद्रा की मांग वहाँ के व्यापारिक सौदों की मात्रा पर निर्भर— नहीं होती (परन्तु फिशर का समीकरण यह मानता है कि मुद्रा की मांग देश के व्यापारिक सौदों की मात्रा के बराबर होती है) बरन् यह जनता को मुद्रा की मांग पर निर्भर होती है क्योंकि जनता अपनी आमदनी का कुछ भाग नकद हप में अपने पास बचा कर रखता चाहती है। चूंकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने अपने समीकरण में मुद्रा की मांग की पर्याप्ति में आधारभूत सशोधन किया है और फिशर के परिमाण सिद्धान्त के विकृत मुद्रा की मांग पर अधिक बल डाला है, इसीलिए कैम्ब्रिज परिमाण सिद्धान्त को कुछ लैखको ने मुद्रा का मांग सिद्धान्त (Demand Theory of Money) का नाम दिया है।

### कैम्ब्रिज समीकरण (Cambridge Equation)

मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त का कैम्ब्रिज समीकरण (The Cambridge Equation of the Quantity Theory of Money) —कैम्ब्रिज विचारधारा ने प्रमुख अर्थशास्त्री मार्क्सिज तथा उनके अन्य साथियों ने परिमाण सिद्धान्त का जो एक समीकरण (Equation) प्रस्तुत किया है, वह इस प्रकार है —

$$I = \frac{M}{KR}$$

जबकि,  $P$  बराबर है नामान्य मूल्य स्तर,  $M$  बराबर है द्रव्य की इकाइयों की संख्या,  $K$  बराबर है समाज की वास्तविक आय और  $R$  बराबर है  $R$  का वह अनुपात जिस द्रव्य के हप में रखत है। यह स्मरण रह कि  $M = KR$  और प्रति द्वारा द्रव्य का

$\frac{KR}{M}$  और चौकि द्रव्य का मूल्य कीमतों के प्रतिवूल अनुपात में बदलता है, इसलिए P अर्थात् मूल्य स्तर  $= \frac{M}{KR}$ .

मान लो, R = १०० मन गेहूँ, K =  $\frac{1}{2}$  और M = ५०० रु., तब द्रव्य का मूल्य या ऋण-शक्ति  $= \frac{100 \times \frac{1}{2}}{500} = \frac{1}{2}$  मन गेहूँ होगी और P अर्थात् मूल्य-स्तर  $= \frac{500}{100 \times \frac{1}{2}} = १०$  रु. प्रति मन।

नोट:—[i] कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा का वार्षिक केवल वस्तुये सहीदना ही नहीं है बरन वस्तुओं के मूल्य का सुचय भी इसी में किया जाता है। [ii] मुद्रा की मात्रा व्यापारिक सौदों पर भी निर्भर नहीं होती बल्कि यह जनता की मात्रा पर भी निर्भर होती है जो इसका संचय बरना चाहती है। [iii] जनता जब अपने पास युद्ध रकम नकद रूप में रखती है, तब इसका अर्थ है कि द्रव्य के रूप में वास्तविक वस्तुओं व सेवाओं को अपने पास जमा रखती है। दूसरे शब्दों में, द्रव्य आय (Money Income) हारा हम जितनी वस्तुये व सेवायें प्राप्त कर सकते हैं, वह हमारी वास्तविक आय (Real Income) है और जब हम अपनी द्रव्य-आय का कुछ भाग अपने पास नकद रूप में रखते हैं, तब इसका यह अर्थ है कि हमने अपने पास द्रव्य के रूप में अपनी वास्तविक आय का कुछ भाग जमा कर लिया है।

फिल्डर विचारधारा और कैम्ब्रिज विचारधारा में अन्तर.—फिल्डर की विचारधारा तथा कैम्ब्रिज विचारधारा में दो मूल्य अन्तर हैं—[i] फिल्डर का परिमाण सिद्धान्त उस सब मुद्रा पर आधारित है जो देश में व्यापार के लिए आवश्यक है अर्थात् परिमाण सिद्धान्त के अनुसार द्रव्य की मात्रा विनियम होने वाली बुल वस्तुओं अथवा व्यवसाय-स्थिति F के लिए होती है। परन्तु कैम्ब्रिज विचारधारा के समीकरण का आधार मुद्रा की वह मात्रा है जिसे जनता अपने पास नकद रूप में रखती है। [ii] फिल्डर का परिमाण सिद्धान्त दीर्घकालीन है और एक अवधि (Period) की ओर सकेत बरता है, परन्तु कैम्ब्रिज का परिमाण सिद्धान्त अल्पकालीन है और एक धरण (Modienni) का ही अध्ययन बरता है। इन दो मूल्य भेदों के होते हुए भी दोनों सिद्धान्त एक-दूसरे के विरोधी नहीं बहु जा सकते बरन वे एक ही गमस्या के दो भिन्न रूपों का अध्ययन अवश्य बरने हैं।

कैम्ब्रिज समीकरण में कीन्स द्वारा संशोधन (Keyne's amendment in the Cambridge Equation):—कैम्ब्रिज समीकरण में संशोधन बरके कीन्स (Keynes) ने परिमाण सिद्धान्त का समीकरण इस प्रकार का दिया है\*—

$$n = p(k + rk')$$

जबकि, n बराबर है बलन की रामत मात्रा, p बराबर है एक उपयोग-इकाई का मूल्य, k बराबर है उपभोग की इकाइया (Consumption Units) जिनके लिये बलन के

\* Keynes has quoted it from Marshall, A Treatise on Money, p. 229.

रूप में क्रय-शक्ति सचय वी जाती है,  $k'$  बराबर है वंको के नकद-बौध तथा उसा रकम (निक्षेप) का अनुपात, और  $k'$  बराबर है उपभोग वी इकाईयों की भाँति मात्रा जिनके लिए साथ मुद्रा में क्रय शक्ति का सचय किया जाता है अर्थात्  $k'$  वह कुल बैंक जमा है जो चेक (Cheque) द्वारा निकाली जा सकती है।

नोट — (i) कीन्स ने बताया है कि जनता अपने पास कुछ द्रव्य (अर्थात् क्रय-शक्ति) रखती है ताकि वह अपनी उपभोग वी वस्तुएँ खरीद सके। कीन्स ने इन्हे उपभोग वी इकाई (Consumption Units) वा नाम दिया है। (ii) कीन्स ने अपने समीकरण में मान लिया है कि जनता  $k$  उपभोग इकाई द्रव्य वे रूप में अपने पास रखती है और  $k'$  उपभोग इकाई बैंक वे जमा के रूप में रखती है। बैंक भी अपनी तमाम जमा को नकद रूप में नहीं रखते। इसीलिए कीन्स ने मान लिया है कि वे अपनी जमा  $k'$  के बजाए  $p$  भाग ही नकद द्रव्य के रूप में रखते हैं। कीन्स ने द्रव्य वी कुल मात्रा  $n$  के बराबर मानी है और एक उपभोग-इकाई का मूल्य  $p$  माना है। (iii) कीन्स के समीकरण में भी  $k$ ,  $k'$  तथा  $p$  में बहुत सम्यता परिवर्तन नहीं होता है अर्थात् चूंकि जनता में बहुत समयतक अपने पास नकद रखने की आदत में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसने मान लिया है कि  $k$ ,  $k'$  तथा  $p$  में साथारणत परिवर्तन नहीं होता है। अत उसके समीकरण में  $p$  में परिवर्तन, द्रव्य की मात्रा  $n$  के अनुसार होता है अर्थात् जब तक  $k$ ,  $k'$  तथा  $p$  ज्यों के त्यों रहते हैं, तो और  $p$  एक साथ घटेंगे बढ़ेंगे। (iv) परन्तु कीन्स ने अपने समीकरण द्वारा यह भी बताया है कि मुद्रा की मात्रा अर्थात्  $n$  में परिवर्तन होने से  $k$ ,  $k'$  तथा  $p$  पर प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की मात्रा  $n$  बढ़ने पर भी यह सम्भव है कि मूल्य-स्तर नहीं बढ़ने पायें क्योंकि  $n$  के बढ़ने के साथ ही साथ  $k$  में भी वृद्धि हो गई है (विशेषकर कृपि प्रधान देश में ऐसा ही होता है)। इसी-तरह  $n$  के बढ़ने पर यह सम्भव है कि  $k'$  बहुत कम हो जाय और मूल्य-स्तर मुद्रा की मात्रा वी अपेक्षा कही अधिक बढ़ जाय। इसी प्रकार बैंक भी  $p$  को कम करके मूल्य-स्तर वो बढ़ाने तथा  $p$  वो अधिक बरके मूल्य स्तर को घटान में सहायक हा सकते हैं। अत जनता की अपने पास द्रव्य रखने की प्रवृत्ति तथा बैंक की अपने पास नकद जमा रखने की नीति वा भी द्रव्य के मूल्य पर प्रभाव पड़ा करता है। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि कीन्स के समीकरण की विशेषता ही यह है कि इसने साथ मुद्रा वे महत्व तथा इसके प्रभाव को भी आवश्यक स्थान दिया है।

कीन्स के सिद्धान्त के मुण्ड ओष्ठ (Merits and Demerits of Keynesian Theory) — कीन्स के सिद्धान्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें उस तकं की आवश्यकता नहीं पड़ती वि मुद्रा की मात्रा वस्तुओं पर निर्भर रहती है (जैसा कि पिशर का परिमाण सिद्धान्त कहता है)। इसी तरह इस सिद्धान्त को यह भी विशेषता है कि यह सिद्धान्त चलन के बैंक (Velocity of Circulation) पर भी अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करता। इस सिद्धान्त ने यह स्पष्ट किया है कि वस्तुओं व सेवाओं वा मूल्य-स्तर जनता की आदतों पर निर्भर रहता है अर्थात् यह स्तर इस बात पर निर्भर रहता है कि जनता अपनी आदत वा वित्तना भाग वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने के लिए अपने पास नकद रूप म रखती है।

परन्तु कीन्स के सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि उसके समीकरण (Equation) के K तथा K<sup>1</sup> को निश्चित आंकड़ों के आधार पर नहीं जाना जा सकता जिससे इनका व्यवहार में कोई भी मूल्य नहीं है।

फिशर तथा कीन्स के समीकरणों में समानता (Common Features in the Equations of Fisher and Keynes):—फिशर तथा कीन्स के समीकरणों में इतना मौलिक भेद नहीं है जितना कि साधारणतया माना जाता है। बास्तव में ये दो प्रकार के समीकरण एक ही वस्तु के दो अलग-अलग हृष्टिकोण बतलाते हैं। कीन्स का समीकरण द्रव्य की उस मात्रा पर ध्यान देता है जो कि एक निश्चित समय में जनता के हाथों में नकद रूप में भविष्य के लेन-देन के लिए रहती है। फिशर का समीकरण मुद्रा की उस मात्रा पर ध्यान देता है जो किसी निश्चित समय में समाज के लेन-देन के लिए आवश्यक समझी जाती है। इस तरह कीन्स का समीकरण समय का एक विन्टु (Point of Time) बतलाता है और फिशर का समीकरण समय की एक लम्बाई (Period of Time) की ओर संकेत करता है।

### द्रव्य की मांग की लोच इकाई है

(Elasticity of Demand for Money is Unity)

द्रव्य की मांग की लोच इकाई के बराबर है, इस व्यवहार का अर्थ (Elasticity of Demand for Money is Unity—its meaning):—जब परिमाण सिद्धांत यह कहता है कि द्रव्य की मात्रा दुगुना कर देने से मूल्य-स्तर दुगुना और द्रव्य की मात्रा आधी कर देने से मूल्य-स्तर आधा हो जाता है, तब इस प्रकार वा क्यन इस मान्यता पर आधारित है कि द्रव्य की मांग की लोच इकाई (Unity) के बराबर है। यह भी मान लिया गया है कि एक निश्चित समय में द्रव्य की मांग लगभग स्थिर रहती है। इस प्रकार वा स्थिरता होने पर ही द्रव्य की पूर्ति में परिवर्तन से इसके मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन होता है। अतः जब मुद्रा के मूल्य में बढ़ि से, मुद्रा की मांग में उसी प्रनुपात में कमी होती है या जब मुद्रा के मूल्य में कमी से, मुद्रा की मांग में इसी प्रनुपात में बढ़ि हो जाती है, तब यह इहा जाता है कि मुद्रा की मांग की लचक इकाई के बराबर है।<sup>16</sup>

आत्मोचना :—कुछ लेखकों का मत है कि द्रव्य की मांग की लचक इकाई के बराबर नहीं होती है। इस क्यन के समर्पण में इस प्रकार वा तरं दिया जाता है—व्यवहारिक जीवन में ऐसा कभी भी नहीं होता कि जिस अनुपात में द्रव्य की पूर्ति में परिवर्तन होता है ठीक उसी प्रनुपात में मूल्य-स्तर में परिवर्तन हो जाये। मुद्रा-प्रसार के परचात् और अधिक पुद्रा-प्रसार की आवश्यकता अनुभव हुआ रहती है। इस दशा में द्रव्य की मांग बढ़नी चली जाती है। जर्मनी में प्रथम महायुद्ध के बाद ऐसा ही हुआ था। जर्मन मार्क में जैमे-जैमे बढ़ि हुई, वस्तुओं वा मूल्य भी बैसे ही बैसे बढ़ता चला गया और यह

<sup>16</sup>"This means that an increase in the value of money will cause an exactly proportionate decrease in the demand for it, and conversely that a decrease in the value of money will bring about an exactly proportionate increase in the demand for money to hold" W. A. L. Coulborn, A Discussion of Money, P. 89.

मूल्य वृद्धि अनुपात से बही अधिक हुई थी। जनता वा मुद्रा में से विश्वास उठ जाने से कीमत और अधिक बढ़ी। जनता के पास जैसे ही मुद्रा आती थी, वह तुरन्त ही इसमें वस्तुओं स्तरीयने का प्रयत्न करती थी जिसके कारण भी मूल्यवृद्धि बहुत तेजी से हो जाया करती थी। अत मुद्रा के परिमाण में वृद्धि हो जाने पर इसके मूल्य में अनुपात में अधिक कमी हो जाया करती है और मुद्रा की माग में अनुपात से अधिक वृद्धि हो जाया करती है। इसी प्रकार जब मुद्रा का परिमाण कम कर दिया जाता है तब इसके मूल्य में अनुपात में अधिक वृद्धि हो जाया करती है और इसकी माग में अनुपात से अधिक कमी हो जाया करती है। अत यह बहता कि द्रव्य के परिमाण में परिवर्तन से, मूल्य स्तर में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, गलत है। इसीलिये हम यह कह सकते हैं कि मुद्रा की माग की लचक इकाई के बराबर नहीं है।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B. A. & B. Sc.

- १ द्रव्य क्या है? द्रव्य का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है? (१९५६ S)
- २ मुद्रा मात्रा सिद्धांत (Quantity Theory of Money) की तर्कपूण्य व्याख्या कीजिये (१९५६) ३ द्रव्य के परिमाण सिद्धांत की विवरण गटित व्याख्या कीजिये। (१९५८ S) ४ द्रव्य की परिभाषा दीजिये और समझाइये कि द्रव्य तथा धन्य वस्तुओं में क्या अन्तर है? द्रव्य का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है स्पष्ट कीजिये। (१९५८) ५ क्या आप द्रव्य के परिमाण सिद्धांत को स्वीकार करते हैं? (१९५७ S) ६ मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की माग का विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिये। (१९५७) ७ Discuss the Quantity Theory of Money (1955 S) ८ "The Quantity Theory has been widely criticized. With the qualification 'other things remaining the same' it is a useless truism." Examine the statement and give the main weaknesses of the Theory (1954)

Agra University, B. Com

- 1 What is meant by the Quantity Theory of Money? How far does it afford a true explanation of the rise and fall of Prices? (1958)
- 2 What do you understand by the Quantity Theory of Money? What are its limitations? (1956, 1954) 3 Indicate how the laws of supply and demand operate in determining the value of money (1955)

### Rajputana University, B. A.

- 1 Critically examine Quantity Theory of Money (मुद्रा मात्रा सिद्धांत) What changes have been brought about during recent years? (1959) 2 Critically examine 'Quantity Theory of Money' and explain how far it falls short of giving correct explanation of variation in price level (1957) 3 Define Money. Show how the value of money is determined and point out the difference in the determination of the value of money and the value of commodities (1956) 4 Define Money and show how the value of money is determined? (1954)

**Rajputana University, B. Com.**

1. Explain the Quantity Theory of Money (मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त) as enunciated by Lord Keynes. How is this Theory an improvement upon Fisher's approach ? (1959, 1957) 2. Explain what is meant by 'value of money' and show how is it measured ? (1958) 3. Give a critical estimate of the Quantity Theory of Money (मुद्रा मात्रा सिद्धान्त या द्रव्य के परिमाण का सिद्धान्त) and point out the factors that effect the velocity of circulation of money. (1956)

**Sagar University, B. A.**

१. मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का आलोचनात्मक विवेचन कीजिये। विसी देश के मूल्यन्स्तर पर मुद्रा के परिमाण के अतिरिक्त अन्य किन कारणों का प्रभाव पड़ता है ? (१९५६) २. मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त समझाइये। (१९५७)

**Sagar University, B. Com.**

१. मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की विवेचना कीजिये और इसके मुख्य दोषों को बताइये (१९५६) २. मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये। मुद्रा की चलन-गति (Velocity of Circulation) के कौन-कौन से मुख्य कारक (Factors) होते हैं ? (१९५७) ३. "वास्तव में मुद्रा-मूल्य सब आयो (Total Incomes) के जोड़ का ही परिणाम है, न कि मुद्रा-राशि का (Quantity of Money)" (काउपर) व्याख्या कीजिये। (१९५५)

**Jabalpur University, B. A.**

१. मुद्रा परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) समझाइये। (१९५६) २. मुद्रा (Money) क्या है बताइये। मुद्रा मात्रा सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) समझाइये। (१९५८)

**Vikram University, B. A. & B. Sc**

१. मुद्रा की मात्रा सिद्धान्त का समालोचनापूर्ण (Critically) विवेचन कीजिये। (१९५६)

**Allahabad University B. Com.**

१. द्रव्य की परिभाषा दीजिये। द्रव्य का अर्थ किस प्रकार निर्धारित होता है ? (१९५५, १९५७, १९५६)

**Allahabad University, B. Com**

1. State and explain the Quantity Theory of Money and indicate its limitations (1957) 2. The Quantity Theory of Money is a term stated in various forms. Describe it in the forms in which it has received its greatest acceptance, examining briefly at the same time its assumptions and variations in the light of experience of the last two decades. (1956)

**Gorakhpur University, B. Com.**

1. 'Money is only one of many economic things; Its Value, therefore, is primarily determined by exactly the same two factors as determine the value of any other thing'. (Robertson) Ilucidate this statement. (Pt I. 1959) 2. Discuss the limitations of the Quantity

Theory of Money and explain the conditions that are necessary<sup>1</sup> to validate its conclusions. (Pt II 1959) 3. Examine critically the Quantity Theory of Money. (Pt. I. 1959)

### Banaras University, B. Com

1. Explain the concept of 'Velocity of circulation of money.' What are the main factors that affect the velocity of circulation of money ? (1959)

### Bihar University, B. A

1 'The modern tendency in economic thinking is to discard the old notion of the quantity of money as a determinant of the value of money' Discuss. (1959)

### Bihar University, B. Com

1 The Quantity Theory of Money is right in principles but defective in details " Discuss. (1959) 2 The phrase 'the value of money' without qualification is almost meaningless. Point out the difficulties in determining the value of money. (1958)

### Patna University, B. A.

1. What do you understand by velocity of circulation of money ? Discuss the factors that determine it. (1957)

### Nagpur University, B. A

1 मुद्रा परिमाण विद्वान्त का वर्णन कीजिये और इसकी सत्यता का समारोचन कीजिय । (१९५८)

### परोक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत

प्रश्न 1. क्या है ? द्रव्य का मूल्य इस प्रकार निर्धारित होता है ? (Agra B.A.) 2. S. Allahabad, B.A. 1957, 56, 55) (ii) द्रव्य की परिमापा दीजिए और समझाइये कि द्रव्य तथा ग्रन्थ वातुओं में क्या अन्तर है ? द्रव्य का मूल्य इस प्रकार निर्धारित होता है स्पष्ट कीजिए (Agra B.A. 1958) "to indicate how the laws of supply and demand operate in determining the value of money (Agra, B. Com 1955) 'Money is only one of many economic things. Its value therefore, is primarily determined by, exactly the same two factors as determine the value of any other thing' (Robertson) Elucidate this statement (Gorakhpur, B. Com Pt. I. 1959) (iv) Define Money Show how the value of money is determined and point out the difference in the determination of the value of money and the value of commodities (Raj, B.A. 1956)

उत्तर.—उत्तर के लिए भाग है—प्रश्न, उत्तर पर 'मुद्रा के मूल्य का प्रयोग निविष्य—यह अब कई प्रकार से दिया गया है—(अ) मुद्रा के मूल्य का अर्थ विनियम की दर में निया जाता है (स्पष्ट कीजिए) (आ) "मुद्रा के मूल्य" नद्द का प्रयोग नीतिक अर्थ में भी निया जाता है। नेन-नेन वरन वारे व्यक्ति व मस्त्याये मुद्रा का महणी उप मुम्य बहते हैं जब व्याज की दर छ चाही हानी है, इस मर्मी तर्फ बहत है

जबकि व्याज की दर कम होती है। (ई) मुद्रा के मूल्य का ग्रथं माधारणतया इसकी अवश्यकता से लिया जाता है—एक मुद्रा इकाई के बदले बिंदनी वस्तुएँ व मेवाये प्राप्त की जा सकती हैं (उदाहरण में स्पष्ट कीजिये), इस तरह उदाहरण सहित वतान्त्रे वि मुद्रा का मूल्य वभी कम और वभी अधिक होता रहता है—मुद्रा का मूल्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं मालूम किया जा सकता है वरन् इसे सामान्य मूल्य-स्तर (General Price level) द्वारा मालूम किया जाता है। मूल्य-स्तर वह जाने से मुद्रा की अवश्यकता अवश्य कम (मुद्रा सस्ती हो जाती है) और मूल्य-स्तर कम हो जाने से यह अवश्यकता अधिक अवश्य कम (मुद्रा महगी) हो जाती है (उदाहरण में स्पष्ट कीजिये) (एक पृष्ठ)। द्वितीय भाग में मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में लिखिये—जो अवश्यकता मुद्रा तथा अन्य वस्तुओं में कोई अन्तर नहीं मानते वे मांग और पूर्ति के सिद्धान्त वो ही मुद्रा के मूल्य के निर्धारण पर लागू करते हैं—मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का ग्रथं विभाग से समझाइये—मुद्रा की मांग विनिमय के माध्यम वा कार्य राशन बदलने के लिये होती है, इसलिये समाज में जितने अधिक विनिमय के सौदे होंगे, मुद्रा की मांग उतनी ही अधिक होगी—इन विनिमय-वायों की सत्या पर उन्नादन वी मात्रा, जन-संख्या, मानव-स्वभाव व रहन-महन वा स्तर व फैलन में परिवर्तन आदि वा प्रभाव पड़ता है (उदाहरण सहित इन सब वातों वो स्पष्ट कीजिये)—जब हम विनिमय के सौदों की मात्रा वो इनके मूल्य में गुणा वर देते हैं, तब हमें मुद्रा की मांग वा ज्ञान हो जाता है ( $Demand = P \times I$ )। इसी तरह मुद्रा की पूर्ति के माध्यम से लिखिये—मुद्रा की पूर्ति वा ग्रथं देश में पाये जाने वाली ममस्त चलन से है—मरकार अवश्यकता वैद्याय वैक द्वारा निर्गमित घातिक व पत्र मुद्रा, इग प्रति की चलन-गति (उदाहरण से इवाच ग्रथं स्पष्ट कीजिये), वैक जमा (इसमें सभी वैक होती है) माप-पत्र व इनकी चलन-गति (स्पष्ट कीजिये) देश की वैकिंग व मूल्य-पद्धति, मनुष्यों की आदत व स्वभाव (यदि यथा गाढ़ वर रवाचा जाता है, तब पूरा वग हो जायगी) आदि का मुद्रा की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है ( $Supply = MV + M'V'$ )। प्रव मह लिखिये कि मुद्रा की मांग और पूर्ति, इसके मूल्य को निर्धारित बदलने में सहायक होती है। चूंकि अत्यवाल में मुद्रा की मांग लगभग स्थिर रहती है (मांग की लोच इकाई के बराबर है), इसलिये जब मूल्य का मामान्य सिद्धान्त (General theory of Value) मुद्रा के मूल्य के निर्धारण पर लिया जाता है, उस समय मुद्रा वे मूल्य का निर्धारण मुश्यतः मुद्रा की पूर्ति के प्रभाव से ही होता है (यदोंकि मांग स्थिर मानी गई है)। अत विस्तृत हप्टिकोग से चूंकि द्रव्य और वस्तुओं में कोई अन्दर नहीं है (मुद्रा को गुणिता के लिये विनिमय वा माध्यम व विनिमय-वाकिन वा माप मान निया गया है), इसलिये मुद्रा के मूल्य-निर्धारण के लिये पृथक् से लियी अन्य सिद्धान्त वी आवश्यकता नहीं है वरन् द्रव्य की मांग व इसकी पूर्ति के सम्बन्ध में ही इगका मूल्य निर्धारित हो जाता है। मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर (यदि पूर्ति में वृद्धि नहीं होती) इसके मूल्य में वृद्धि तथा वस्तुओं के मूल्य में वभी और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने पर (यदि

माँग में वृद्धि नहीं होती) इसके मूल्य में वर्षी तथा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है (तीन-चार पृष्ठ)। तुर्तीय भाग में यह बताइये कि मुद्रा के मूल्य के निर्धारण में और वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण में क्या भेद है?—उपर यह स्पष्ट हो चुका है कि जो विद्वान् मुद्रा और वस्तुओं में बोई भेद नहीं मानते, उनके मतानुसार मुद्रा का मूल्य, वस्तुओं के मूल्य निर्धारण की तरह इसकी माँग और पूर्ति से निर्धारित होता है। परन्तु कुछ अर्थशास्त्री मुद्रा और एक साधारण वस्तु में अन्तर मानते हैं—इसके दो मूल्य कारण हैं—(अ) वस्तुओं के पदार्थों की माँग प्रत्यक्ष होती है, परन्तु मुद्रा की माँग अप्रत्यक्ष होती है—वस्तुएँ मानव आवश्यकताओं की सन्तुष्टि प्रत्यक्ष रूप से करती हैं परन्तु मुद्रा यह सन्तुष्टि अप्रत्यक्ष रूप में (विनियम के माध्यम द्वारा) करती है (क्योंकि मुद्रा प्रत्यक्ष रूप से उपभोग की वस्तु नहीं है)। इन कारणों जबकि अन्य वस्तुओं की माँग की लोच वस्तु-अधिक होनी रहती है, मुद्रा की माँग की लोच सदैव इकाई के बराबर रहती है। (आ) मुद्रा की माँग अल्पकाल में लगभग विश्वर रहती है क्योंकि जन-संरक्षा, उत्पादन, रहन-सहन, मानव स्वभाव आदि में बोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। परन्तु वस्तुओं की माँग अल्प और दीर्घ दोनों ही कालों में पटती-बढ़ती रहती है। अत ये दोनों कारण मुद्रा और वस्तुओं में तुलनात्मक इकिति से एक महत्व-पूर्ण अन्तर उत्पन्न करते हैं। प्रश्न जबकि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में साधारणतया माँग और पूर्ति का समान रूप ने प्रभाव पाता है परन्तु मुद्रा के मूल्य निर्धारण में, चूंकि माँग स्थिर रहती है, इसलिये मुद्रा की पूर्ति का विशेष प्रभाव पड़ता है मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त इनी तथ्य की पूष्टि करता है। मुद्रा मात्रा सिद्धान्त को भी दूसरे शब्दों में मुद्रा की माँग और मुद्रा की पूर्ति का मिद्दान्त कहा जाना है। (पर पृष्ठ)।

प्रश्न २—(i) दृष्टि के परिमाण सिद्धान्त की विवेचना सहित व्याख्या कीजिये (Agra १९५६, B A) १९५८ S; Sagar B A १९५७ Jabb. B A १९५६, Vizag B A १९५६) (ii) क्या आप इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं? (Agra, B A १९५८ S) (iii) सिद्धान्त के मुख्य दोषों को बताइये (Sagar, B. Com १९५६) (iv) 'The Quantity theory has been widely criticized. With the qualifications other things remaining the same,' it is a useless truism' Examine the statement and give the main weaknesses of the theory (Agra B A 1954) (v) How far does it (Quantity theory) afford a true explanation of the rise and fall of prices? (Agra B. Com 1958 Raj, B A 1957) (vi) Is it a correct explanation of the changes in the value of money? (Agra, B A 1955) (vii) What are its (Quantity Theory) limitations? (Agra, B Com 1956, 1954) —

प्रक्षेत्र—उत्तर प्रदेश में चार बाले पूर्यी गई हैं—मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त क्या है? 'अन्य बाले समान रहे' वाचायाम का क्या अर्थ है? तथा मिद्दान्त की क्या व्याख्या सीमायें हैं? मिद्दान्त में क्या मूल्य दोष हैं तथा यह मूल्य-स्तर के उच्चावचन की वास्तव में नहीं तर व्याख्या करता है, तथा क्या मिद्दान्त का स्वीकार किया जा सकता है? उत्तर के प्रमाण माँग मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए—दृष्टि के

परिमाण का प्रत्येक परिवर्तन सामान्य मूल्य-स्तर में प्रत्येक अनुपातिक परिवर्तन उत्पन्न करता है और मुद्रा के मूल्य में विपरीत अनुपातिक परिवर्तन पैदा करता है। (प्र०० फिलर आदि विद्वानों के उद्घरणों को देख, इम तथ्य को एक हेड पृष्ठ में स्पष्ट कीजिए)। द्वितीय भाग में 'अन्य बातें समान रहें' वाच्यादा का अर्थ व महत्व समझाइए और उन सब बातों को बताइए जिन्हे फिलर ने सिद्धान्त की व्याख्या करते समय स्थिर मान लिया है इन सब बातों थो मान कर ही सिद्धान्त की सत्यता मिछ्द की जा सकती है अर्थात् इन बातों के समान न रहने पर सिद्धान्त गलत हो जायगा, इसीसिए इन सब बातों को सिद्धान्त की सीमायें वहाँ गढ़ा है ये बातें हैं—मुद्रा की मांग स्थिर रहनी चाहिए, जन-मरण स्थिर रहनी चाहिए, उत्पादन की मात्रा स्थिर रहनी चाहिए, मनुष्यों की आवश्यकता स्थिर रहनी चाहिए, उपभोग की मात्रा पूर्ववत् रहनी चाहिए, मुद्रा की चलन-गति स्थिर रहनी चाहिए, मुद्रा को देवा कर या गढ़ कर या छिपा कर नहीं रखना जाना चाहिए आदि (एक-हेड पृष्ठ)। दृतीय भाग में प्र०० फिलर के सिद्धान्त को इसके सूत्र (Formula) द्वारा स्पष्ट कीजिए (आधा या एक पृष्ठ)। चतुर्थ भाग में सिद्धान्त की आलोचना कीजिए अर्थात् इसके मुख्य-मुख्य दोषों को बताइए—सिद्धान्त की मान्यतायें अवास्तविक हैं, सिद्धान्त व्यापार-चक्रों में होने वाले मूल्य-स्तर के परिवर्तनों की व्याख्या करने में असमर्थ है, परिमाण सिद्धान्त यह स्पष्ट नहीं करता कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन विस शकार मूल्य-स्तर पर अपना/अपना ढालता है, सिद्धान्त अन्य-शक्ति को ठीक-ठीक नहीं नापने पाता है, मिद्धान्त ने मुद्रा की पूर्ति पर अधिक बल ढाला है तथा मिद्धान्त वाल्पनिक व अपूर्ण है आदि (तीन पृष्ठ)। षातवें भाग में यह बताइए कि सिद्धान्त मूल्य-स्तर में उच्चावचन की वहाँ तक ठीक-ठीक व्याख्या करता है? यह स्पष्ट कीजिए वि सिद्धान्त मूल्य-स्तर के परिवर्तनों की ठीक-ठीक व्याख्या नहीं करता है जिसके कारण इस मिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया जाना है। व्यापार-चक्रों में स्पष्ट है कि यदि कभी समाज में व्यापारिक तेजी आती है तब कभी व्यापारिक मन्दी आती है (व्यापार-चक्रों को स्पष्ट कीजिए)। ये दोनों प्रवृत्तियाँ धारी-धारी से एक-दूसरे के बाद आती हैं। मिद्धान्त ने मूल्य-स्तर के परिवर्तनों का विवेदण मुद्रा के परिमाण मिद्धान्त में विद्या है। अध्ययन व अनुभव से स्पष्ट है कि जर्वरि व्यापारिक उम्रति होती है अथवा मूल्य-स्तर है के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, उस भमय मुद्रा के परिमाण में बड़ी बर देने पर मूल्य-स्तर में ऊपर उठने की प्रवृत्ति पर ऐसा तग जाती है तथा व्यापारिक उम्रति वा आगे बढ़ना असम्भव हो जाता है। परन्तु जिस भमय मूल्य-स्तर में नीचे गिरने की प्रवृत्ति होती है, व्यापार में मन्दी होती है, उस समय मुद्रा के परिमाण में वृद्धि करने पर भी मूल्य-स्तर में ऊपर उठने की प्रवृत्ति दिमलाई नहीं देती है। मुद्रा के परिमाण मिद्धान्त वे अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर मूल्य-स्तर में वृद्धि उसी अनुपात में होनी चाहिए, परन्तु उक्त में स्पष्ट है कि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अतः परिमाण मिद्धान्त मूल्यों की वृद्धि व वभी अथवा मूल्य-स्तर में उच्चावचन की उचित व ठीक-ठीक व्याख्या नहीं करता है परन्तु बतत

और विनियोग के सिद्धान्त (Saving & Investment Theory) से मूल्य-स्तर के परिवर्तन के कारण का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है (इस सिद्धान्त को समझाइए)। (एक पृष्ठ)। छठे भाग में यह बताइए कि सिद्धान्त का क्या महत्व है—सिद्धान्त की आलोचनाओं से स्पष्ट है कि 'अन्य बातें समान' रहते हुए भी यह सिद्धान्त एवं सन्देहात्मक सत्यता (Doubtful truth) है तथा इसका व्यवहारिक महत्व बहुत अधिक है। (i) मूल्य-स्तर को नियन्त्रित करने में इस सिद्धान्त से बहुत सहायता मिली है—मुद्रा-अधिकारी मुद्रा की मात्रा में कभी या बृद्धि करके जब जान-बूझकर मुद्रा के मूल्य में बृद्धि या कमी करते हैं, तब वे परिमाण सिद्धान्त को ही सहायता देते हैं, इस तरह सिद्धान्त मूल्यों के नियन्त्रण का एक अच्छा उपाय बताता है, (ii) सिद्धान्त से ही स्पष्ट होता है कि मुद्रा-प्रसार के काल में द्रव्य का मूल्य क्यों कम होता है (मूल्य-स्तर कम होता है) तथा मुद्रा संकुचन के काल में द्रव्य का मूल्य क्यों बढ़ता है (मूल्य-स्तर कम होता है)। इस तरह यह सिद्धान्त सामान्य मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या बरता है (आधा पृष्ठ) सातवें भाग में यह बताइए कि परिमाण सिद्धान्त को किन सशोधनों सहित स्वीकार किया जा सकता है—ऊपर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि मन्दीकाल में मुद्रा की पूर्ति में बृद्धि होने पर भी मूल्य-स्तर में बृद्धि नहीं होने पाती है जिससे स्पष्ट है कि सिद्धान्त दोषपूर्ण है। अनुभव से पता चलता है कि इस स्थिति में भी मुद्रा की मात्रा म बृद्धि से मूल्य-स्तर में बृद्धि तब ही होगी जब कि बढ़ी हुई मुद्रा की मात्रा मनुष्यों के पास आय के रूप में प्राप्त हो जाय। परन्तु मन्दीकाल में व्यवसायी धन का उद्योगों में विनियोग नहीं करते हैं और सरकार द्वारा मुद्रा का जो कुछ भी प्रचलन किया जाता है, उसका सचय (Hoarding) हो जाता है अर्थात् मुद्रा की समाज में गतिशील होने का प्रवसर नहीं मिलता है (विनियोग से ही यह अवसर मिलता है) और यह मनुष्यों को आय के रूप में प्राप्त नहीं होती है। गाड़ कर रख देने से मुद्रा की पूर्ति में बृद्धि का कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है। ह्यष्टटया मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का दोषपूर्ण एवं असत्य सिद्ध होने का यही मुख्य कारण है। यदि इस दोष को दूर करने के हेतु परिमाण सिद्धान्त में सशोधन हो जाय तब सिद्धान्त को आसानी से स्वीकृत किया जा सकता है।

प्रश्न ३—(i) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये।  
मुद्रा की चलन-गति के कोने कीन से मुख्य कारक हैं? (Sagar B. Com. १ ५७)  
(ii) Give a critical estimate of the 'Quantity Theory of Money' and point out the factors that effect the velocity of circulation of money. (Raj B. Com 1956) (iii) Explain the concept of 'Velocity of circulation of money'. What are the main factors that affect the velocity of circulation of money? (Banaras B. Com 1959)

सवैत—उत्तर के दो भाग हैं—प्रथम भाग में मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त (प्रियर का सिद्धान्त) की व्याख्या व इसकी आलोचना लिखिये (चार-पाँच पृष्ठ)। द्वितीय भाग में मुद्रा की चलन गति का अर्थ उदाहरण सहित विस्तार से लिखिये और उन कारणों को बताइये जिनसे यह चलन-गति प्रभावित होती है, जैसे—देश में चलन में पार्द जाने

वाली मुद्रा की मात्रा, नवद में वस्तुये खरीदने की आदत, बचत की आदत, उधार सौदों के मुग्गतान का सम्म, जनता की द्रवता-पसन्दगी, मजदूरी भुगतान की रीति, यातायात व सम्वाद-वाहन के साधन, साथ मुविधाएँ, भावी मूल्य-स्तर, राष्ट्र की आर्थिक उन्नति तथा मकद जमा की गतिशीलता आदि (दो पृष्ठ)। अन्त में, एक पंरे में मुद्रा के परिमाण मिद्दान्त में मुद्रा की चलन-गति के महत्व को बताइये (आधा पृष्ठ)।

**प्रश्न ४:**—(i) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का आलोचनात्मक विवेचन कीजिये। किसी देश के मूल्य-स्तर पर मुद्रा के परिमाण के अतिरिक्त अन्य किन कारणों का प्रभाव पड़ता है ? (Sagar B. A. १९५६) (ii) उन तत्वों का विवेचन कीजिये जिन पर मुद्रा का मूल्य निर्भर रहता है (Patna, 1953; 1952) (iii) "मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मात्रा पर निर्भर रहता है" क्या आप इस मत से सहमत हैं ?

**संकेतः**—उत्तर के दो भाग हैं:—प्रथम भाग में मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त (*फिल्ड का सिद्धान्त*) की व्याख्या व इसकी आलोचना लिखिये (चार पृष्ठ)। द्वितीय भाग में उन एवं कारणों की उदाहरण सहित बताइये जिनसे 'देश का मूल्य-स्तर प्रभावित होता है। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त अथवा इसके सूत्र से उन तत्वों का जान हो जाता है जो मूल्य-स्तर की निर्वाचित एवं प्रभावित करते हैं, जैसे—यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि (मुद्रा-स्त्रीति) हो जाती है तब मूल्य-स्तर में वृद्धि साथ मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। इसी तरह मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाने से 'परिणाम भी उलटे होते हैं। फिर, यदि व्यापार व उद्योग अथवा विनियम के सौदों में वृद्धि हो रही है, परन्तु अन्य बातें सामान हैं, तब मूल्य-स्तर में कमी हो जायगी और मुद्रा का मूल्य बढ़ जायगा। अतः मूल्य-स्तर को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं, जैसे—मुद्रा की मात्रा (घातिका व कागजी) मुद्रा की चलन-गति, विनियम के सौदों का परिमाण अथवा व्यवसाय की स्थिति एवं दशा, वैकासात की दशा, समाज में बचत व विनियोग का सम्बन्ध (बचत व विनियोग गिरावंत को बताइये), आयोजित गर्य-व्यवस्था में योजनाओं पर व्यय की मात्रा, निर्यात की मात्रा, जन-भृष्टा आदि। स्पष्ट है कि मूल्य स्तर के बल मुद्रा की मात्रा पर निर्भर नहीं रहता है बरन् इसको प्रभावित करने वाले अन्य अनेक कारण भी हैं।

**प्रश्न ५:**—(i) "The modern tendency in economic thinking, indeed, is to discard the old notion of the quantity of money as a causative factor in the State of business and a determinant of the value of money and to regard it as a consequence" (Crowther) Discuss. (Bombay 1953, Bihar, B. A 1959); (ii) "The value of money, in fact, is a consequence of the total incomes rather than of the quantity of money" Explain Sagar, B. Com 1955 Bihar; B. Com 1953)

**संकेत**—एस ही तब यह समझा जाता या वि मुद्रा-मात्रा मिद्दान्त मूल्यों (मूल्य-स्तर) में होने वाले परिवर्तनों की दीक्ष-दीक्ष धर्मस्था बरता है—मुद्रा की मात्रा में वृद्धि अवश्यक ही मूल्य-वृद्धि लायेगी और मुद्रा की मात्रा में कमी अवश्यमेव ही मूल्य

में ही लायेगी (यह परिमाण मिद्दात है, इसे तनिक विरतार से उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये) परन्तु आलोचकों ने इस सिद्धात के दोषों को बताया है जिससे उत्त सिद्धान्त का परित्याग हो गया है। विभिन्न देशों के आधिक इतिहास से यह स्पष्ट हो गया है कि व्यापारिक मन्दी काल में मुद्रा का ग्राहूल्य होते हुए भी (या मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने पर भी) तथा वैकों द्वारा साल-सूजन (Creation of credit) के लिये उत्तम रहते हुए भी, देश के मूल्य-स्तर अथवा मूल्यों में वृद्धि नहीं होने पाती है। इसका वारण यह था कि मन्दी के बारण व्यापारी रूपमा उधार लेकर विनियोजन के लिये तैयार नहीं रहते थे (मन् १६२६-३४ के गहरा मन्दी काल में इस मत की पुष्टि कीजिये)। इसी लिए क्राउथर जैसे आलोचकों ने कहा कि परिमाण मिद्दान्त ऐवल इस बात को बताता है कि मूल्य-स्तर में उत्तार-चन्द्र वैसे होते हैं, परन्तु यह सिद्धान्त इस बात को नहीं बताता कि मूल्यों के उच्चावचन वयों वर होते हैं (मिवाय दीर्घ दालीन उच्चावचन के या अत्य बाल में उम उच्चावचन के जो अत्यविवर मुद्रा-प्रसार या मुद्रा-मक्षुधन के बारण होते हैं)। आलोचकों ने बताया है कि मूल्य-स्तर का उच्चावचन, वान्तव में मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन के बारण नहीं, वरन् व्यक्तिगत आयों में कभी या चढ़ि वा होता रहना है। मन्दी काल में, यद्यपि मुद्रा का बाहूल्य होता है, परन्तु मन्दीयों की वेसारी के बारण आयें (Incomes) कम होती हैं जिसमें वैकों से पूछी उधार लेकर इसका विनियोजन नहीं किया जाता, फलत मुद्रा की चलन गति घट जाती है। यह मुद्रा-मूल्य अमल आयों के जोड़ का परिणाम है, न कि मुद्रा-मात्रा वा। इसीलिए क्राउथर (Crowther) ने कहा है कि “अर्थशास्त्रीय विचारधारा की ग्राहुनिक प्रकृति वस्तुत उम पुरानी भारणा को छोड़ देने वी धोरहै, जिसमें अनुमार मुद्रा की मात्रा को व्यवस्था की अवस्था का बारगात्मक तत्व (व्यापार के स्तर का बारण) तथा मुद्रा के मूल्य का निवारिक तत्व ममभा जाता या वरन् यव तो मुद्रा के मूल्य को एक परिणाम माना जाता है” अर्थात् द्रव्य का मूल्य नी, वास्तव में, द्रव्य के परिमाण के बजाय कुछ आयों पर निर्भर रहता है।

प्रश्न ६—(i) Critically examine “Quantity Theory of Money ? What changes have been brought about during recent years ? (Raj, B.A. 1959) (ii) Explain the Quantity Theory of Money as enunciated by Lord Keynes. How is this theory an improvement upon Fisher's approach ? (Raj B.Com 1959-1957) (iii) The Quantity Theory of Money is a term stated in various forms. Describe it in the forms in which it has received its greatest acceptance examining briefly at the same time its assumptions and variations in the light of experience of the last two decades (Ahmedabad; B.Com 1956) (iv) Explain carefully Quantity Theory of Money. What recent advances have been made in the theory dealing with the determination of the value of money ?

सरेत —उत्तर के दो भाग हैं—प्रथम भाग में मुद्रा का परिमाण मिद्दात लिखिये (केवल फियर के विचार बतादेये)। दूसरे उत्तरमें इस मिद्दात की विस्तार से गवर्नरम व्यापार की यी इमीलिये कियर के परिमाण सिद्धात को ही सर्वसे ग्रंथिक इच्छिति प्राप्त

हुई है, यद्यपि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनेक अन्य हप भी हैं, जैसे कैम्ब्रिज समीकरण, कोग्न का समीकरण आदि—मिद्डात की व्याख्या बीजिये (टॉजिग, मिल, विकसेल आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिमाण सिद्धांत की परिभाषायें लिखिये), में “अन्य बातें नियर रहे” वाक्यांश का अर्थ दीजिये, सिद्धांत का समीकरण स्पष्ट कीजिये तथा सिद्धांत की मुख्य-मुख्य आलोचनायें सक्षेप में लिखिये (तीन-चार पृष्ठ)। इसरे भाग में फिशर के सिद्धांत में क्यों गये सुधारों को लिखिये—(अ) कैम्ब्रिज समीकरण-मार्शल, कैनिन, हार्डे पीयू तथा रावर्टसन आदि अर्थशास्त्रियों ने परिमाण मिद्डात का एक नया समीकरण प्रस्तुत किया है जिसे कैम्ब्रिज समीकरण बहते हैं— $P = \frac{M}{KR}$

(इसको विस्तार से समझाइये)। इस समीकरण की कई आधारभूत बातें हैं—पुल सामाजिक आय का बुछ भाग नकद दोष के हप में रखता जाता है—फिशर ने माना था कि मुद्रा की मत (P.I.) विनियम के बुल सौदों के मूल्य के बराबर होती है अर्थात् मुद्रा की मांग केवल बस्तुओं व सेवाओं के विनियम के लिये की जाती है, इस तरह मांग बस्तुओं व सेवाओं की उग मांग पर निर्भर करती है जिसकी द्रव्य में विक्री होगी पर कैम्ब्रिज विचारधारा के अर्थशास्त्रियों का मत है कि मुद्रा की मांग बस्तुओं की मांग पर निर्भर नहीं होती है बरन् यह मनुष्यों की अपनी आय वो नकद हप में रखने की इच्छा व योग्यता पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति व संस्था चालू खर्च के लिये अपने पास नकद में या बैंक जमा के हप में (जिसे चंक से निकाला जा सकता है) उपया रखना चाहा बरता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह तुरन्त रपये को व्यय बर सके। अतः मार्शल आदि का विचार है कि द्रव्य की मांग का अर्थ उस मात्रा से लिया जाता है जो समस्त व्यक्ति, मरकार व्यापारिक व अन्य संस्थायें अपने पास नकद में अपना सच्च चलाने के लिये रखती है। द्रव्य की मांग यह विचारधारा फिशर की धारणा से अधिक उत्तम व व्यवहारिक है। जिन मनुष्यों में मुद्रा की द्रवता पसंदगी अधिक होती है, उनकी मुद्रा की मांग भी अधिक होती है वयोंकि वे अपनी आय का अधिकांश भाग नकद हप में रखना अधिक परान्द बरते हैं। (ii) मुद्रा की मांग अथवा मुद्रा की द्रवता पगङ्दगी पर अन्य अनेक बातें का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे—प्राय प्राप्त होने की अवधि, सामान्य मूल्य-रत्तर, धन का वितरण, लेन-देन की आदत, जन-सरया, मुद्रा की चलन गति, व्यापारिक दशायें (मन्दी-तेजी) आदि। अतः कैम्ब्रिज समीकरण के मध्यरेखों का मत है कि मुद्रा की मांग व्यापारिक सौदों पर नहीं बरन् जनता की द्रवता पसंदगी पर निर्भर रहती है। इस तरह मुद्रा की मांग का एक विलक्षण ही दूसरा अर्थ लगाकर कैम्ब्रिज समीकरण ने विशर के समीकरण में आधारभूत सशोधन दिया है—सक्षेप में फिशर के वि चार की तुलना कैम्ब्रिज विचारधारा से कीजिये—(i) कैम्ब्रिज सशोधन का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें उस तर्ज की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मुद्रा की मांग बस्तुओं की मांग पर निर्भर रहती है बरन् यह बताता है कि द्रव्य की मांग द्रव्य वो जमा रखने की व्यक्तिगत मामों का बुल जोड़ होता है। (ii) इसी तरह जबकि फिशर के मिद्डांत का आधार दीर्घकालीन हॉप्टिकोण है, कैम्ब्रिज के मिद्डांत

वा आधार अल्पवालीन हप्टिकोण है और वह एक धरण वा ही अध्ययन करता है, (इन विचारों को विस्तार से समझाइये) परन्तु इन दोनों भेदों के होते हुये भी दोनों सिद्धान्त एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं जासकते हैं वरन् ये दोनों एक-ही समस्या के दो भिन्न रूप हैं (दो पृष्ठ)। (आ) कीन्स वा समीकरण—कीन्स (Keynes) ने कैमिंज समीकरण में भी कुछ सशोधन करके एक नया समीकरण प्रस्तुत किया है—  

$$M = p(K + rk')$$
 (इस समीकरण को स्पष्ट कीजिये) (i) कीन्स ने भी 'वहाँ है कि द्रव्य की माग वस्तुओं की माग पर निर्भर नहीं होती है वरन् यह द्रवता प्रसन्नगी पर निर्भर रहती है। मनुष्य 'उपभोग की इकाइयों' को खरीदने के लिये अपने पास कुछ ज्ञान-शक्ति नकद रूप में रखता है जिसे कीन्स ने  $K$  कहा है (ii) कीन्स वा समीकरण अपना ध्यान मुद्रा के चलन वेग पर भी वैक्षिक नहीं करता है वरन् यह मानता है कि मूल्य-स्तर मनुष्यों की उस आदत पर निर्भर करता है कि वे आप वा वितना भाग नकद रूप में रखेंगे। परन्तु कीन्स के समीकरण का भी व्यवहारिक मूल्य इसलिये बहुत हो जाता है व्योकि इसमें  $K$  तथा  $K'$  को निश्चित आकड़ों के आधार नहीं जाना जा सकता है (एक छेद पृष्ठ)। (इ) वचन और विनियोग का सिद्धान्त—इस सिद्धान्त वा मत है कि देश के मूल्य-स्तर (वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य) मुद्रा के परिणाम पर निर्भर नहीं होता है (जैसा कि मुद्रा वा परिमाण सिद्धान्त बताता है) वरन् यह मनुष्यों की व्यवहार करने की इच्छा विनियोग के सम्बन्ध पर निर्भर करता है। यथ व्यवहार करने की इच्छा अधिक होती है, तब विनियोग बहुत होता है, मूल्य-स्तर गिर जाता है और द्रव्य वा मूल्य बढ़ जाता है। इसके विपरीत यथ व्यवहार करने की इच्छा कम होती है अथवा व्यवहार कम की 'आसी है, तभ विनियोग अधिक होना है, मूल्य स्तर ऊँचा हो जाता है और द्रव्य का मूल्य कम हो जाता है। अत व्यवहार और विनियोग वा सिद्धान्त प्राप्त पिशर के सिद्धान्त से अस्था है क्योंकि यह व्यवहार है कि द्रव्य का मूल्य द्रव्य के परिमाण पर निर्भर नहीं होता वरन् यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस घण्टी आप वा वितना भाग नकद में रूप में (व्यवहार) रखना चाहते हैं। उसमें यह स्पष्ट है कि मन्दी काल में द्रव्य की मात्रा में वृद्धि करने पर भी मूल्य-स्तर में वृद्धि क्यों नहीं होती—व्योकि व्यवसायी न्यै-नये विनियोग नहीं करते हैं और उन मनुष्यों वे पाम पड़ा रहता है (आगा पृष्ठ)।

प्रश्न ७—"The Quantity Theory of Money is right in principle but defective in details." Discuss. What improvements have been made over in this theory? (B Com 1955)

रक्षेत्र — उत्तर के प्रथम भाग में बताइये कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त एक सामान्य सत्य का निष्पाण रिंग प्रकार करता है ? यह सिद्धान्त बताता है कि, अन्य वस्तुओं की तरह, मुद्रा का मूल्य भी उम्मी भाग और पूर्ति के पारम्परिक सम्बन्ध एव प्रभाव द्वारा निर्धारित होता है। वस्तु की तरह मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर इसके मूल्य में वृद्धि और मात्रा कम हो जाने पर इसके मूल्य में वमी हो जाती है। वस्तु की तरह मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाने पर इसके मूल्य में कमी और पूर्ति में वमी हो जाने पर इसके मूल्य में वृद्धि, हो जाने की प्रवृत्ति स्थापित हो जाती

है। मुद्रा के मूल्य तथा बस्तुओं के मूल्य-स्तर में विरोधी सम्बन्ध होता है—जब मुद्रा का मूल्य गिरता है तब इसका अर्थ हुआ मूल्य-स्तर का कम होना और जब मुद्रा का मूल्य गिरता है तब इसका अर्थ हुआ मूल्य स्तर का बढ़ना। उक्त मुद्रा की पूर्ति तथा इसके मूल्य के सम्बन्ध को बताने वाले सिद्धान्त के आधार पर ही मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। परिमाण सिद्धान्त भी यही बताता है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से इसका मूल्य कम (मूल्य-स्तर में वृद्धि) और मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाने से इसका मूल्य अधिक (मूल्य-स्तर में कमी) हो जाता है। स्पष्टतया परिमाण सिद्धान्त भी सत्यता, अवश्यक है। अतः मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त एक साधारण सत्य का निष्पत्ति करता है (एक डेढ़ पृष्ठ)। द्वितीय भाग में यह बताइये कि परिमाण सिद्धान्त में खोखलायन एवं दोप क्यों व किस प्रकार पाया जाता है? (i) फिशर और कीन्स दोनों ने ही मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का प्रतिपादन करते समय यह मान लिया है कि प्रत्यक्काल में मुद्रा की माग में कोई परिवर्तन नहीं होता है अर्थात् मुद्रा की माग की सौच इकाई के बराबर रहती है, इसलिए मुद्रा की पूर्ति में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में उसी दिशा में मूल्य-स्तर में तथा उसी अनुपात में दिपरीत दशा में मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। (उदाहरण से स्पष्ट कीजिये) परन्तु फिशर व कीन्स में मुद्रा की माग के सम्बन्ध में आधारभूत अन्तर पाया जाता है—फिशर के अनुसार मुद्रा की माग विनियम के सौदों (व्यवसाय में विनियम-कारों) से प्रभावित एवं उन्हीं पर निर्भर होती है, परन्तु कीन्स के अनुसार मुद्रा की माग का सम्बन्ध व्यापार के विनियम-वायों से सम्बन्धित करना, इसे अत्यन्त जटिल व अनिश्चित बना देना है (क्योंकि फिशर ने अपने समीकरण को प्रतिपादित करते समय अनेक बातें स्विर भाग ली है जिससे व्यवहारिक जीवन में उसका मिछांत सत्य व ठीक नहीं सिद्ध होता है) इसलिये कीन्स ने मुद्रा की माग का मनुष्यों की द्रवता पसन्दगी से सम्बन्ध स्थापित किया है अर्थात् मुद्रा की माग मुद्रा की उस मात्रा पर निर्भर रहती है जिसे मनुष्य अपने पास नक़द रूप में रखना चाहते हैं इस तरह कीन्स के अनुसार मूल्य-स्तर का कम-अधिक होना पूर्णतया एक मौद्रिक घटना है (कीन्स का समीकरण स्पष्ट-कीजिये और उसके दोप बताइये)। (ii) परिमाण सिद्धान्त का दोप उस समय भी हटियोचर होता है जबकि मन्दी काल में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर्ते पर भी मूल्य-स्तर में वृद्धि करने के प्रयत्न में सफलता नहीं मिलती है (अगर इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा जा चुका है) (हीन-चार पृष्ठ)। अन्त में यह बताइये कि यदि हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को एक समीकरण (Equation) व गणितात्मक सत्य के रूप में गही रखते और इसका प्रतिपादन केवल एक साधारण सिद्धांत के रूप में करें। (आर्थिक सिद्धांत केवल प्रवृत्ति के थोड़त होते हैं), तब हम सत्यता के समीप पूँछ जायेंगे (अर्थात् हम वह संकेंगे कि मुद्रा का मूल्य इसकी माग व पूर्ति के द्वारा ही निश्चित होता है) और सिद्धान्त भी अनेक दोपों से मुक्त हो जायेगा।

सबे हैं — प्रश्न है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत एक तथ्यहीन विन्तु बाम चलाऊ सिद्धांत है। पहले यह बताइये कि परिमाण सिद्धांत यह वस स्पष्ट बताता है कि मुद्रा का मूल्य उसकी माग और पूर्ति के पारस्परिक सम्बन्ध से निश्चित होता है (जपर जिखा जा चका है) किर पिशार का समीकरण देवर उस स्पष्ट वीजिय (एक डेढ़ पृष्ठ) द्वितीय भाग में मुख्यत यह आलाचना लिखिय कि सिद्धांत बहुत सो अपरिवर्तनार्थी बाता पर आधारित है और ये बात स्थिर नहीं रहती हैं तिसक बारण यह अव्यवहारिक हो जाता है (एक पृष्ठ)। तृतीय भाग में कियार और बात के मुद्रा ना माग के सम्बन्ध में जो विचार है उनके भेद को स्पष्ट वीजिय आर सधप में बास का समीकरण समझाइय (एक पृष्ठ)। चतुर्थ भाग में यह बताइय कि परिमाण गिछन इस बारण भी दायपूरण है क्योंकि मात्रों का बाल में मुद्रा की माना में वृद्धि करने पर भी मूल्यन्तर में वृद्धि नहीं होने पाती (वीन्त के विचार दत्ताइय), इस त्रैप बा बारण देवर स्पष्ट वीजिये (आधा पृष्ठ)। अत में यह बताइय कि परिमाण सिद्धांत में उक्त दोपो के होते हुए भा यह एक बाम चलाऊ सत्य है। यदि हम गणितात्मक समीकरण की आर अपना ध्यान न लगाकर परिमाण सिद्धांत को एक साधारण मिछांत के हृप में प्रतिपादिन कर तब इसम अव्याख्य सत्य है जिसका स यता का हम डिगा रहा सरत। इस तथ्य की पृष्ट यह कलीन दायारा से हा जाता है। मुद्रा प्रभार में मूल्यन्तर ऊँच हो जात है इनम अनुपातिक वृद्धि नहीं होती अवश्य)। अत परिमाण सिद्धांत एक तथ्यहीन परन्तु बाम चलाऊ सत्य है।

### अ' याय ४

#### मुद्रा का मूल्य-परिवर्तन

#### मुद्रा-स्फीति मुद्रा-सकुचन तथा मुद्रा सस्फीति (Inflation Deflation and Reflation)

प्राक्कथन — स्फीति का गादिक अथ है— फरता। जिन प्रकार एक बोलीबाल का दबाव बायु भरे जाने पर फरता है टीक इसी प्राक्कार जब दिसा दग में मुद्रा की माग में फलाव विद्या जाता है तब यस मुद्रा स्फीति ( । । ॥ ) बहत हैं। मुद्रा प्रभार अथवा मुद्रा स्फीति में मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा सकुचन अथवा मुद्रा विस्फीति (Deflation) स मूल्य में बाहा हो जाता है। पूर्वावाना दाया में समय समय पर एक नियमित क्रम में दाया व तजा बा बात आना रहता है जिस आर्थिक समाज भी काही अस्त अस्त रहता है। अतिका मूल्य परिवर्तन का अव्यय अथगात्म में एक व्यावहारिक हो महावृप्ता विषय बन गया है। अब अ'याय में याग चक्कर मूल्य परिवर्तन के बारण एके विभिन्न न्यूनता बनका प्रहृति के सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया है।

## मुद्रा-स्फीति (Inflation)

**मुद्रा-स्फीति का अर्थ (Meaning of Inflation):**—मुद्रा-स्फीति अवश्य मुद्रा-प्रभार की परिमाण के सबन्ध में आज भी लेखकों में वापी मनमेद है जिससे इम शब्द के सही व ठीक-ठीक अर्थ समझने में वापी बठिनाई अनुभव होनी है। नीचे इन शब्द की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ दी गई हैं—

(१) श्री केमरर (Kemmerer) के अनुसार “यदि मुद्रा की मात्रा अधिक हो और वस्तुओं की मात्रा उत्पादन घटने के कारण कम हो जाय, तब इस दशा को मुद्रा-स्फीति की दशा कहते हैं।”

**केमरर परिभाषा की व्याख्या:**—श्री केमरर की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि मुद्रा की अधिकता पा व्यापार के परिमाण से मुद्रा के अधिक हो जाने को मुद्रा प्रसार कहते हैं। इन तरह जब विनियम-नोट्य वस्तुओं व सेवाओं के परिमाण से मुद्रा की मात्रा बढ़ जानी है और मूल्य-स्तर भी बढ़ जाता है, तब इसे मुद्रा-प्रसार की अवस्था कहते हैं। इसी यात के सुभी वह सर्वते हैं कि जब मुद्रा की पूर्ति इसकी मांग व्यापार व उद्योग की आवश्यकता से अधिक हो जाती है और वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है, तब इसे मुद्रा-प्रसार कहते हैं। प्रत्यु देश में केवल मूल्य-स्तर का वर्तन प्रत्येक दशा में मुद्रा प्रभार नहीं होता है। जब मुद्रा की मांग बढ़ने के बाय ही साथ मूल्य-स्तर में इसलिये बढ़ि हो जाती है क्योंकि वस्तुओं की मात्रा घट गई है, तब इस प्रभार की अवस्था को मुद्रा-प्रसार कहते हैं। इन तरह केमरर की परिभाषा से यह भी स्पष्ट है कि यदि किसी देश में विन्ही कारणों से (जैसे—जन-स्थाय में वृद्धि या व्यापार में वृद्धि) मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, चाहे इस प्रभार की मुद्रा की वृद्धि में कीमत भी बढ़ो न बढ़ गई हो, तब यह भी मुद्रा-स्फीति नहीं कहतांगी। अतः केमरर के मतानुसार मुद्रा-स्फीति ही दशा तब ही उत्पन्न होती है जबकि देश में मुद्रा की मात्रा में इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि यह उद्योगों व व्यापार की आवश्यकता से बहुत अधिक हो जाय (क्योंकि उत्पादन किसी भी कारण कम हो गया है)। अतः जबकि मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है और वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है, तब इसे मुद्रा-प्रसार की अवस्था कहते हैं।

परन्तु श्री केमरर की परिभाषा में कई दोष हैं (i) परिभाषा में कुछ अस्पष्टता है। मुद्रा पा विनियम के माध्यम की मांग या व्यवसाय की आवश्यकता (Needs of the Trade) कितनी है, यह हम केति निर्धारित करेंगे? कुछ विचारकों का मत है कि हमारे पास एक ही ऐसा तरीका है कि जिससे हमें पता चल सकता है कि ‘द्रव्य की पूर्ति’ देश की ‘व्यवसाय व उद्योग की आवश्यकता’, अवश्य ‘मुद्रा की मांग’ में अधिक बड़ी है या नहीं—यदि वस्तुओं का मूल्य-स्तर बढ़ रहा है, तब तो द्रव्य की पूर्ति व्यवसाय की आवश्यकता से अधिक है और यह मुद्रा-स्फीति वी दशा है, और यदि मूल्य-स्तर घट रहा है तब तो मुद्रा की पूर्ति व्यवसाय की आवश्यकता से कम है और

यह मुद्रा-विस्फीति (Currency Deflation) की दर्शा है। परन्तु इति १९३८ वर्ष में विरोध म भी यह वहा जाता है कि यदि विसी देश म वस्तुओं का औसत लागत-खर्च (Average Cost of Production) बढ़ रहा है, तब इसमे भी देश के मूल्य-स्तर म बढ़ि हा जाती है, यद्यपि इस प्रकार की मूल्य-स्तर की बढ़ि का कारण मुद्रा-स्फीति नहीं है। प्रत आलोचकों का विचार है कि वेवल मूल्य-स्तर में बढ़ि इस बात का सही प्रमाण नहीं है कि देश मे मुद्रा की पूर्ति व्यवसाय की आवश्यकताओं से अधिक हो रही है और देश मे मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न हो गई है। कुछ व्यक्तियों का भत है कि एभी-कभी मूल्यों में बढ़ि होने पर भी मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जबकि दशा म वस्तुओं का मूल्य तो स्थिर (Constant) रखा जाता है परन्तु वस्तुओं का उत्पादन-यम घट जाता है। वीन्स (Keynes) न इस प्रकार की मुद्रा स्थिति को मूल्य-मुद्रा-स्फीति (Price Inflation) कहा है। अमेरिका म सन् १९२८-२९ म इसी प्रकार की स्थिति थी। (ii) मुद्रा की मांग और पूर्ति का छीव छीक अनुमान लगाना कठिन होता है। इसलिए बेमरर की परिभाषा में यह बातेय—'यदि मुद्रा की मांग अधिक हो' अनिश्चित है।

(2) प्रो० पीगू (Pigou) न सन् १९४१ म एक लग म मुद्रा-स्फीति की जी परिभाषा दी है, वह आज सबमे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। यह परिभाषा इस प्रकार है—“जब मौद्रिक आय (Money Income) उपार्जन सम्बन्धी क्रियाओं (Income earning activities) से कहीं अधिक अनुपात मे बढ़ती, तब मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है।” एक दूसरे स्थान पर पीगू (Pigou) न लिखा है—“मुद्रा-स्फीति की दशा उस समय उत्पन्न हो जाती है जबकि उत्पादक साधनों द्वारा दिए गए यम की तुलना मे, जिनको भुगतान के द्वय मे मौद्रिक आय प्राप्त होती है, मौद्रिक आय अधिक तेजी के साथ बढ़ रही है।”<sup>4</sup>

प्रो० पीगू की परिभाषा की व्याख्या—किमी दशा म मुद्रा स्फीति की दशा कब उत्पन्न होता है, इसके सम्बन्ध म पीगू न इन प्रकार की कथना की है—मुद्रा की पूर्ति भ बढ़ि हा जान पर, यदि इसकी मांग पूर्ववत् ही है ममाज म पूँजी का नचय अधिक हो जाता है, यह उत्पत्ति-नार्थों क लिए पहर से अधिक माना म तथा अपेक्षाकृत नम ब्याज का दर पर उपनध्य हा जाती है जिमन उत्पादक वा अधिकाधिक उत्पत्ति करने के लिए प्रत्याहन मिलता है। दूसरी तरफ मुद्रा की पूर्ति म बढ़ि हा जान स मनुष्यों की द्रव्य आय (Money Income) म बढ़ि हा जाती है जिसस व उपभाग की वस्तुओं की अधिक मांग करन लगत है। उपादक उपभानाओं की उपभाग की वस्तुओं की मांग

\* Prof. Pigou has stated in an article named as, “Inflation exists when Money Income is expanding more than in proportion to Income Earning Activity”—Economic Journal, December 1941 Page 439 (Quoted by Sen and Das).

Pigou has expressed the same statement at another place as “Inflation is taking place when Money Income is expanding relatively to the output of work by producing agents such as it is the reverse in opposite conditions. Reflation is taking place”—Vols of Money, Page 14.

में वृद्धि के कारण भी पहले से अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगते हैं। इस अवस्था में उत्पत्ति के साधनों का शनैः शनैः अधिकाधिक उपयोग होने लगता है और एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि जिनसे भी बेकार (Unemployed) उत्पत्ति के साधन होते हैं, उनका पूर्ण उपयोग (Full Employment) होने लगता है। पीगू ने इन्ही क्रियाओं को उपार्जन सम्बन्धी क्रियाओं (Money earning activities) का नाम दिया है। धनोउत्पत्ति में वृद्धि होने से देश में कुल वस्तुओं व सेवाओं के परिमाण में वृद्धि ही जाती है। इस तरह यदि एक और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती जाती है, तब दूसरी और वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि (Availability) भी बढ़ जाती है और अन्ततः एक अवस्था ऐसी आ जाती है जबकि मुद्रा-आय की वृद्धि (Expansion of Money Income) का वस्तुओं और सेवाओं की वृद्धि (Increase in Income Earning Activity) से पूर्ण संतुलन हो जाता है (Increase in the Money Incomes will be balanced by the increase in the Output of Goods and Services)। यदि उत्पत्ति के साधनों के पूर्ण उपयोग की इस अवस्था के पश्चात् भी, मुद्रा की पूर्ति या चलन-गति (Velocity of Circulation) या मनुष्यों की मुद्रा-आय में बढ़त हो, तब इससे वस्तुओं व सेवाओं की उत्पत्ति के परिमाण में वृद्धि नहीं हो सकेगी अर्थात् उपार्जन सम्बन्धी क्रियाओं में वृद्धि नहीं हो सकेगी क्योंकि उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग पहले ही हो चुका है। परिणामतः वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ता जायगा क्योंकि- मनुष्य की द्रव्य-आय (Money Income) बढ़ने से उनकी उपभोग की वस्तुओं की प्रभावोत्पादक मात्रा (Effective Demand) तो अधिक हो जाती है, परन्तु उत्पत्ति प्रायः पूर्ववत् ही रहती है या इसमें वृद्धि उसी अनुपात में नहीं होती जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। प्रो० पीगू ने इस दशा को ही बहुत सुन्दर शब्दों में मुद्रा-स्फीति की दशा कहा है। अतः प्रो० पीगू (Pigou) के अनुसार मूल्य की वृद्धि मुद्रा-स्फीति का आवश्यक लक्षण है। पीगू के अनुसार मूल्यों की वृद्धि मुद्रा-स्फीति है (अ) जबकि मौद्रिक-आय और समाज में उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं, परन्तु मौद्रिक-आय उत्पादन की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है। (आ) जबकि मौद्रिक-आय और वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन घटता है परन्तु मौद्रिक-आय की तुलना में उत्पादन अधिक तेजी से घटता है। (इ) जबकि मौद्रिक आय स्थिर रहती है, परन्तु उत्पादन घटता जाता है, (ई) जबकि मौद्रिक-आय बढ़ती है परन्तु समाज में उत्पादन पूर्ववत् रहता है। (उ) जबकि मौद्रिक-आय बढ़ती है और दूसरी ओर उत्पादन घटता है तथा (ऊ) जबकि मौद्रिक आय पूर्ववत् रहती है परन्तु उत्पादन शनैः शनैः घटता चला जाता है।

(३) ग्रेसिड लेखक क्रॉथर (Crowther) ने भी मुद्रा-स्फीति की बहुत ही सरल शब्दों में परिभाषा दी है—“सबसे सरल तथा सबसे उपयोगी परिभाषा यह लगती है कि स्फीति वह स्थिति है जिसमें रूपये का मूल्य गिरता रहता है अर्थात् पदार्थों के मूल्य बढ़ते रहते हैं।”\* परन्तु यह परिभाषा पूर्णतया ठीक नहीं मानी जाती है

\* G. Crowther, An Outline of Money.

विपाकि मूल्य वृद्धि के अनेक कारण हो सकते हैं और मूल्यों की प्रत्यक्ष वृद्धि मुद्रा-स्फीति ही होती है।

### स्फीति के रूप तथा कारण

मुद्रा स्फीति के रूप तथा इनके कारण (Different types of Inflation and their causes) — अधिगतिको न स्फीति के दो मूल्य बारण बनाय हैं—  
 (क) नैसर्गिक तथा (ख) वृत्तिमय वा बनावटी। इसीलिए स्फीति के विभिन्न कारण व अनुगार मुद्रा स्फीति न भिन्न भिन्न रूप पाए जाते हैं। यहां पर स्फीति के बारण का तथा इनके आधार पर बताए गए स्फीति के विभिन्न रूपों का विस्तार स बहुन वियां गया है—

(क) नैसर्गिक कारण (Natural Causes) — मुद्रा प्रसार कभी-भी प्राहृतिक एवं स्वभाविक कारणों से भी होता है। यदि बारण हैं जिन पर सरकार का नियन्त्रण नहीं होता। उदाहरण के लिए साला म साला व चाली वा अधिक मात्रा म उत्पा दन होना उड़िन-ई साने चोना वी सानों की सोज हा जाना या किसां दग म साने चाना वी अधिक मात्रा म आयात होना। इस तरह जिस देश म साने चादा वा चनन वा आधार भाना गया है यदि इस दश म अवस्थात हो कि हा कारण से सोना चादी का पूर्ति म वृद्धि हो जाता है तब धात्विक मुद्रा की मात्रा म अत्यधिक वृद्धि हो जात से मुद्रा-स्फीति की दाना उत्पन्न हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप मूल्य-स्तर म भी वृद्धि हो जाता है। इस प्रसार की स्फीति को स्वयं मुद्रा स्फीति (Gold Inflation) कहते हैं।

(ख) वृत्तिमय एवं बनावटी कारण (Artificial Causes) — मुद्रा-स्फीति के यदि दोनों हैं जिन पर सरकार का नियन्त्रण होता है। इन कारणों म उत्पन्न स्फीति का विषय या एच्छिक-स्फीति (Deliberate Inflation) बहन है—  
 (१) चलन मुद्रा स्फीति (Currency Inflation) — कभी कभा सरकार का यदि बाज म या आदिक बजट व भास्य अपन बजट का सततिन (Balancing of the Budget) करन म दिनाई अनुभव होया वरता है। सरकार अपना टप्पे की आवश्यकता की पूर्ति प्रयत्न ता वर (Tax) लगा वर पूरा करन का प्रयत्न वरता है या ऊण (Deficit) उकर रम बम का पूरा वरता है परन्तु जब वह रम दाना साधना म उत्पन्न वन नहीं प्राप्त करन पाता वि उमका मुद्रा का आवश्यकता का पूरा पूर्ति हो जाय तर ये प्रिट्टन प्रम (Printed less) का गहायता रता है आर अपना आवश्य रक्तान्शार नाम दाय वर (या कंट्रीय वक के अपना निक्षुरिटाज के बजन म नाट टप्पे कर दन के लिए दाय वर) वह बाट के घाट (Deficit of the Budget) का पूरा वर उता है। जब सरकार अत्यधिक पत्र मुद्रा घलन जारा करते हा नाति अपना नेतो है और समाज म इस वद्धि के अनुपात म दस्तुओं व सेवाओं की वद्धि नहीं होने पातो है तब इसका स्वभाविक परिणाम यह होता है कि गत रम घस्तुता और सेवाओं के मूल्य म अद्यिक वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था को चलन

**मुद्रा-स्फीति (Currency Inflation)** कहते हैं। कुछ लेखकों ने इसे कभी पुरक मुद्रा-प्रसार या घाटा प्रोत्साहित स्फीति (Deficit Induced Inflation) कहा है (ii) प्रति-स्फीति या महान स्फीति (Hyper Inflation):—जब सरकार अत्यधिक पत्र-मुद्रा-

## कृत्रिम कारणों से उत्पन्न मुद्रा प्रसार के रूपः—

१. चलन-मुद्रा-स्फीति ।
२. अति-स्फीति या महान स्फीति ।
३. लाभ-स्फीति ।
४. साख-स्फीति ।
५. उत्पादन-स्फीति ।
६. मजदूरी-प्रोत्साहित स्फीति ।
७. पूरण-स्फीति तथा आविष्क स्फीति ।
८. खुली मुद्रा-स्फीति तथा छिपी हुई मुद्रा-स्फीति ।

चलन जारी करने की नीति अपना सेती है और इस नीति के परिणामस्वरूप शानः शानः मूल्य-स्तर में वृद्धि हो जाती है, तब इन बढ़े हुए मूल्यों पर वस्तुयें खरीदने के लिए सरकार को पहले से भी अधिक मात्रा में पत्र-मुद्रा का चलन करना पड़ता है जिससे मूल्य-स्तर में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। इस तरह द्रव्य का मूल्यों पर और मूल्यों का द्रव्य पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा करता है कि ये एक-दूसरे वा पीछा करते-करते बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। पत्र-मुद्रा चलन में निरन्तर वृद्धि होते रहने का यह परिमाण होता है कि द्रव्य की क्रय-शक्ति (Purchasing Power) भी शानः शानः कम 'होती जाती है तथा इसमें और भी अधिक कमी हो जाने की सम्भावना बन जाती है। परिणामतः जनता का इस प्रकार की मुद्रा में विश्वास नहीं रहता है और कोई भी व्यक्ति इसे अपने पास रखना नहीं चाहा करता है। प्रत्येक मनुष्य या तो इस मुद्रा से तुरन्त ही कोई वस्तु खरीदने का प्रयत्न किया करता है (मनुष्यों में वस्तुये खरीद कर जमा करने की आदत उत्पन्न हो जाती है) जिससे वस्तुओं का मूल्य-स्तर और भी अधिक हो जाता है या वह उस मुद्रा वा विनियम किसी दूसरे देश की मुद्रा में कर लेता है। इस दशा को 'करेन्सी से भागना' (Flight from Currency) कहते हैं। <sup>\*</sup> एक अवस्था शीघ्र ही ऐसी आ जाती है जबकि मुद्रा का मूल्य, उस वस्तु के मूल्य से भी कम हो जाता है जिसकी कि वह मुद्रा बनाई गई है। अत जब किसी देश में मुद्रा की मात्रा में तनिक सी वृद्धि-कर देने पर, मूल्य-स्तर में कई युनी वृद्धि हो जाती है (मुद्रा की अमण्ड-गति में भी कई युनी वृद्धि हो जाती है) तब मुद्रा-स्फीति के इस रूप को प्रति-स्फीति या महान स्फीति (Hyper Inflation) या अतिरिक्त-स्फीति (Super-Inflation) या अत्यधिक तेजी से बढ़ने वाली स्फीति (Galloping Inflation) कहते हैं। <sup>†</sup> सन् १९१४-१८ में जर्मनी में इनी प्रकार की स्फीति की

\* After the first World War there was such a "Flight from Currency" of the German Mark. The Germans had no confidence in the Mark as even a Packet of Cigarettes could only be purchased by giving several thousand Marks.

† The story of the three brothers, which has been quoted by Vernon Bartlett in New Germany Explained is repeated here to illustrate the condition of Germany during the period of this Hyper Inflation, after the first World War  
(Continued on next Page)

दशा उत्पन्न हो गई थी। इसी तरह सन् १९४८ में चीन में एक प्याला चाय का मूल्य लगभग एक मुट्ठी भर नोट थे। डा० एस० के० मुरंजन (S K Muranjan) ने अपनी पुस्तक Shadows of Hyper Inflation में महान् स्फीति के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है—‘एक जोड़ी जूतों के फीतों का मूल्य एक जूते के पहले मूल्य से अधिक है—यही नहीं बतिं विभी एवं आधुनिक जूते की दुकान के दो हजार जोड़ों के मूल्य से भी अधिक, एक दूटी हुई लिडरी की मरम्मत पर पूरे मशाल को पहली लागत से अधिक लगता है, एक पुस्तक का मूल्य एक मुद्रक के ३०० छापेखानों के मूल्य से अधिक पड़ता है।’<sup>†</sup> (iii) लाभ-स्फीति (Profit Inflation) —अभी-वभी ऐसा होता है कि उत्पादन के साधनों का मूल्य तो पूँबंबत् रहता है, परन्तु इनकी कार्य क्षमता में बढ़ि हो जाती से, उत्पादन का परिमाण बहुत बढ़ जाता है जिसमें उत्पादन में लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। बूतरे शब्दों में, जबकि उत्पादन-धर्य घटता जाता है जिसके परिणाम स्वरूप मूल्यों में भीचे गिरने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, परन्तु सरकार कृतिम उपायों से मूल्यों को स्थिर रखती है, तब इस अवस्था को कीन्स (Keynes) ने लाभ-स्फीति (Profit Inflation) को द्वारा बता है। यदि सरकार मूल्या को कृतिम उपाया द्वारा स्थिर (Constant) नहीं रखती, तब वस्तुओं में मूल्य हाम अवश्य हो जाता। यद्यपि लाभ-स्फीति में उत्पादकों की अत्यधिक लाभ होता है, परन्तु इस लाभ का वितरण उत्पादन के अन्य साधनों में नहीं किया जाता है बरन् वह उत्पादका द्वारा स्वयं हृष्ट कर लिया जाता है। इसीलिय बीन्स ने इस अवस्था को लाभ-स्फीति बता है। (iv) साझ-स्फीति (Credit Inflation) —आवश्यकता पड़ने पर सरकार न केवल चलन की मात्रा में ही बढ़ि बरती है बरन् वह साथ में विस्तार को भी प्रोत्तमाहित बरती है। सरकार द्वारा साझ-विस्तार के

of 1914–18—One of the three brothers was very careful, and put all his fortune into Govt Stock, the second spent most of his money in order to fill his wine cellar, the third went to a lunatic asylum before the war. During the Inflation the first nearly starved because with all his careful hoarding he could not buy a square meal (because the Value of the Government Securities had fallen to such an extent that nobody would purchase them at any price). The second sold the bottles in his wine cellar for enough money to keep him in relative luxury (this indicates how the Value of the ordinary commodities like wine bottles was sufficiently high in terms of paper Mark). The third brother was released from his asylum, and among his belongings that were handed back to him was a gold 20 Mark Piece. Knowing nothing of the War and Inflation he handed this Coin to the Cab driver who brought him home. The Cab driver bewildered drove him to a bank (as he had not enough Paper Marks with him to give change to the customer for the gold 20 Mark piece). There the third brother was offered so many million Paper Marks in exchange for his Coin that he decided he could not yet be cured and so went back sorrowfully to his asylum. Quoted in Elements of Economics—N L Bhattacharya, Page 280 End 4

<sup>†</sup> Quoted from Dr. Kashish Prashad Mathur & Prof B S Saxena's book, Currency, Banking and Finance, Page 50.

A pair of shoe laces costs more than a shoe had once cost—no more than a fashionable store with two thousand pairs of shoes had cost before to repair a broken window more than the whole house had formerly cost a book more than the print is works with hundred presses.—Dr S K Muranjan Shadows of Hyper Inflation

उद्देश्य हो सकते हैं—मुद्रा की क्रय-वित्रुति को कम करके भूणी वर्ग के आरण के भार को कम करना, मूल्य-वृद्धि द्वारा कृपक-वर्ग की दयनीय व कष्टदायक दशा को दूर करना (क्योंकि वस्तुओं के मूल्य में बहुत हानि हो गया है), देश की विकास योजनाओं के लिये पर्याप्त माना में घन उपलब्ध करना आदि। प्रायः सरकार बैंक दर (Bank Rate) को कम करके या अन्य कोई तरीका अपनाकर वेक मुद्रा की मात्रा में विस्तार को प्रोत्साहित कर देती है। इतः जब धातु-मुद्रा तथा पत्र-मुद्रा का परिमाण लगभग पूर्ववत् रहते हुये, साख-मुद्रा (Credit Money) का प्रसार हो जाता है और वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में बहुत बढ़ि हो जाती है, तब इसे साख स्फीति (Credit Inflation) भी दशा कहते हैं। (v) उत्पादन-स्फीति (Production Inflation)—जबकि किसी देश में मुद्रा-चलन में कोई कमी नहीं होते हुये भी उत्पादन की मात्रा में कमी हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप नियमय के लिए वस्तुओं की कमी के कारण मूल्यों में बढ़ि हो जाती है, तब इस अवस्था को उत्पादन-स्फीति (Production Inflation) कहते हैं। उत्पादन की कमी के कई कारण हो सकते हैं—उत्पत्ति के साधनों वी दुलंभता, श्रोतोगिक भगड़े, प्राकृतिक विपर्ति, विल्प-ज्ञान सम्बन्धी परिवर्तन (Technological Changes) क्योंकि ऐसे परिवर्तन कुछ समय के लिये उत्पादन को स्थगित करा देते हैं तथा सरकार की व्यापार व आयात-नियंत्रित नीति। यदि सरकारी नियन्त्रण से ग्रामात में वाधा पड़ती है तथा सरकारी नीति से वस्तुओं की नियंत्रित को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है जिससे देश में वस्तुओं वा अभाव अनुभव होने लगता है, तब इस दशा में भी उत्पादन-स्फीति की अवस्था उत्पन्न हो जायगी। (vi) मजदूरी प्रोत्साहित स्फीति (Wage-Induced Inflation):—यदि किसी देश में अम-संघों के दबाव के कारण अम स्वामियों (Employers) को अधिक मजदूरियां देनी पड़ रही हैं परन्तु साथ ही साथ उत्पत्ति के न बढ़ने के कारण मूल्यों में बढ़ि होती जा रही है; तब इस अवस्था को मजदूरी प्रोत्साहित स्फीति (Wage-Induced Inflation) कहते हैं। (vii) पूर्ण-स्फीति तथा अंशिक स्फीति (Full Inflation and Partial Inflation):—स्फीति में इस प्रकार वा भेद प्रो० पीगू (Pigou) ने किया है। उनके मतानुसार साधारणतया मूल्यों के बढ़ने से उत्पादन की प्रोत्साहन मिलता है, घनोत्पत्ति में बढ़ि से शनै-शनैः उत्पत्ति के साधनों को पूर्ण रोजगार (Full Employment) मिल जाता है। इस अवस्था में यदि सौदिक-आय (Money Income) में बढ़ि उत्पत्ति कार्यों (Money Earning Activities) की अपेक्षा अधिक तेजी से होती है जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में तेजी से बढ़ि होती चली जाती है; तब पीगू ने इसे पूर्ण-स्फीति (Full Inflation) कहा है। परन्तु पह स्मरण रहे कि पूर्ण-स्फीति की दशा को पहुंचने से पहले भी, सौदिक-आय में बढ़ि उत्पत्ति-कार्यों में बढ़ि की अपेक्षा अधिक तेजी से हो सकती है (यहाँ पर पूर्ण रोजगार की अवस्था नहीं पाई जाती है), तब इस अवस्था को पीगू ने अंशिक-स्फीति (Partial Inflation) कहा है। (viii) खुली मुद्रा-स्फीति तथा छिपी हुई मुद्रा-स्फीति (Open Inflation and Suppressed Inflation)—यदि किसी देश में सौदिक-आय बढ़ने लगती है और

इसके द्वारा करने पर कोई नियन्त्रण नहीं होता है जिससे वस्तुओं को भांग में बढ़िया से मूल्य में बढ़िया हो जाती है तब इसे खुली मुद्रा स्फीति ('Open Inflation') कहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी देश में मौद्रिक आय के बढ़ने पर इस आय में स्थितिगतापूर्वक दृष्टि करने पर नियन्त्रण लगा दिया जाता है, तब मूल्यों में बढ़िया नहीं होने पाती है और गतिशील अपने पास नहीं होते में पर जमा करने सकते हैं तथा अपनी आय से अधिक सम्पत्ति खरीद कर भी रखने सकते हैं। इस अवस्था को दियो हुई मुद्रा-स्फीति (Suppressed Inflation) कहते हैं।

### मुद्रा-स्फीति के प्रभाव (Effects of Inflation)

समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव (Effects on the different Sections of the Society)—मुद्रा प्रसार या मुद्रा-मकुचन के समय प्रत्येक वस्तु का मूल्य न तो एक सा बढ़ता है और न प्रत्यक्ष वस्तु का मूल्य एक-सा ही गिरता है। यदि कुछ वस्तुओं का मूल्य गिरता है तब अन्य कुछ वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, परन्तु देश के मूल्य-स्तर (Price Level) में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। मुद्रा स्फीति की दृष्टि में मूल्य-स्तर में बढ़िया होनी है और मुद्रा-मकुचन की स्थिति में मूल्य स्तर में घटत होनी है। देश में सर्वित बिंदु जाने वाले निर्देशांक (Index Numbers) से ही मूल्यों में परिवर्तन की दिशा का जान होने पाता है। जब मुद्रा-स्फीति के बारे मूल्य-स्तर भी बढ़िया हो जाती है उस समय समाज के विभिन्न वर्गों पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ते हैं। कीन (Keynes) ने अपनी प्रमिल्प पुस्तक A Tract on Monetary Reform में समाज के भिन्न वर्गों में विभागित किया है—(१) विनियोगकर्ता (विनियोक्ता) (२) न्यायाली या उत्पादक वर्ग, तथा (३) अमिन या वर्गचारी वर्ग। परन्तु अध्ययन की सुविधा के लिए हम समाज को दो और वर्गों में विभागित कर सकते हैं—(१) उपभोक्ता वर्ग तथा (२) उत्पादक वर्ग या उत्पादकाता वर्ग। यह स्मरण रह कि समाज के न वर्गों को पूर्णतया एक दूसरे से पृथक् पृथक् करता तो सम्भव नहीं है परन्तु यह भिन्न अध्ययन की सुविधा के लिए मुद्रा स्फीति से उत्पादक वर्ग के भिन्न भिन्न वर्गों पर पड़ वाला प्रभाव वा अध्ययन पृथक्-पृथक् करेंगे। चैकिए एक व्यक्ति एक साथ ही विनियोगकर्ता तथा उत्पादक भी या उत्पादन नर्थी अमी आदि हो सकता है तब यह भिन्न है इस मुद्रा प्रसार की अवस्था में उस एक ह्यूमें लाभ हो और दूसरे ह्यूमें हानि हो। अतः मुद्रा स्फीति से समाज के विभिन्न वर्गों पर निम्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं—

(१) विनियोगकर्ता वर्ग पर प्रभाव (Effects on the Investors)—समाज में विनियोगकर्ता वर्ग वह वर्ग है जो उद्योग व व्यवसाय में दृष्टि का विनियोगन करता है और इस प्रकार से विनियोगित धन से समय-समय पर आय प्राप्त करता है। विनियोगकर्ता वर्ग दो भागों में वाटा जा सकता है—(क) निश्चित आय प्राप्त करने वाला विनियोगकर्ता —यह वह वर्ग है जिसमें विनियोगियों द्वारा सदैव एक पूर्वे निर्धारित रकम प्रिलिप्ती है जैसे—कुछ विशेष प्रकार के शेयर्स (कूर्सिप्रकार हिस्से) या दिवेचर्च खरीदने

समय यह स्पष्ट हो गया था कि द्रव्य के मूल्य (Value of Money) और वस्तुओं के सामान्य मूल्य-स्तर (General Price Level) में प्रतिवूल प्रथमा विपरीत (Inverse) सम्बन्ध होता है। जब मूल्य-स्तर घट जाता है (वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बम हो जाता है), तब द्रव्य का मूल्य इसी अनुपात में बढ़ जाता है अर्थात् द्रव्य की क्रय-शक्ति में इसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है क्योंकि अब द्रव्य की प्रत्येक इकाई के बदले में पहले से अधिक वस्तुयें और सेवायें सरीदी जा सकती हैं। मुद्रा वी इस अवस्था को मुद्रा वी मूल्य-वृद्धि (Appreciation) बहते हैं। इस मूल्य-वृद्धि का कारण या तो मन्दी काल (Depression Period) होता है या गरकार वी जान-वूभकार अपनाई गई मुद्रा-संकुचन नीति होती है। अतः मुद्रा मूल्य-वृद्धि तथा मुद्रा-संकुचन में कोई अन्तर नहीं होता है क्योंकि दोनों में मूल्य-स्तर बम हो जाता है। अन्तर बेचल इतना है कि मुद्रा-संकुचन एक बारण होता है और इसका परिणाम मुद्रा वी मूल्य-वृद्धि होता है।

(२) मूल्य-हास (Depreciation):—जब मूल्य-स्तर कम्चा हो जाता है (वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है), तब द्रव्य का मूल्य इसी अनुपात में बम हो जाता है अर्थात् द्रव्य की क्रय-शक्ति में इसी अनुपात में कमी हो जाती है, क्योंकि अब द्रव्य की एक इकाई के बदले में पहले से कम वस्तुयें व सेवायें सरीदी जा सकती हैं। मुद्रा वी इस अवस्था को मुद्रा का मूल्य-हास (Depreciation) बहते हैं। इस तरह मूल्य-हास हमेशा मुद्रा की मूल्य-वृद्धि के विपरीत हुआ करता है। इस मूल्य-हास का बारण या तो तेजी काल (Boom Period) होता है या गरकार वी जान-वूभकार अपनाई गई मुद्रा-स्फीति की नीति होती है। अतः मूल्य-हास और मुद्रा-स्फीति में कोई विवेप अन्तर नहीं होता है क्योंकि दोनों के उत्तरान होने की परिस्थितिया एक-सी होती हैं। अन्तर केवल इसना होता है कि मुद्रा-स्फीति एक बारण होता है और इसका परिणाम मुद्रा का मूल्य-हास होता है।

(३) अवमूल्यन (Devaluation):—मुद्रा-द्रव्यमूल्यन का सम्बन्ध देश वे आन्तरिक मूल्य-स्तर से नहीं होता है। इसीलिये मुद्रा के अवमूल्यन के बाद भी द्रव्य की एक इकाई के बदले में उत्तमी ही वस्तुयें व सेवायें आती है जिसनी कि अवमूल्यन से पहले आती थी। इस तरह अवमूल्यन का सम्बन्ध मुद्रा के आन्तरिक मूल्य से नहीं वरन् इसके बाहरी मूल्य से होता है। यदि मुद्रा का आन्तरिक मूल्य बरतुयो और गेवाओं के रूप में नापा जाता है, तब मुद्रा का बाहरी मूल्य इंग्रीज विदेशी विनियम दर (Foreign Rate of Exchange) के रूप में नापा जाता है। अतः अवमूल्यन का अर्थ है मुद्रा का बाहरी मूल्य कम होना। अर्थात् एक मुद्रा इकाई के बदले में विदेश की पहले से इस मुद्रा का प्राप्त होना। यह स्मरण रखे कि अवमूल्यन में यह पावश्यक नहीं है कि विदेशी मुद्रा के रूप में मुद्रा का मूल्य कम हो जाने के गाय ही गाय चलन का आन्तरिक मूल्य भी कम हो जाय परन्तु यह अवश्य है कि अवमूल्यन हो जाने पर मुद्रा का मूल्य-हास भी जाने जाने हो ही जाना है। अतः यद्यपि अवमूल्यन और मुद्रा के मूल्य-हास दोनों में ही

मुद्रा के मूल्य में कभी हो जाती है परन्तु अवमूल्यन में मुद्रा का विदेशी मूल्य कम होता है और मूल्य-हास में मुद्रा का आनंदिक मूल्य कम होता है। मितम्बर सन् १९४६ में भवं प्रथम इङ्लैण्ड ने पौड़ का मूल्य डॉलर में कम किया था। इस अवमूल्यन के परिणामस्वरूप डॉलर में पौड़ का मूल्य ३०.५% घटा दिया गया था। जब पौड़ का अवमूल्यन हो गया, तब स्टर्लिंग एरिया (Sterling area) के लगभग सभी देशोंने अपनी मुद्रा का डॉलर में मूल्य गिरा दिया। इसीलिए भारत ने भी उसी समय डॉलर में स्पैसे का ३०.५% अवमूल्यन कर दिया जिससे स्पैसे का मूल्य ३० सेन्ट में घट कर बैंक २१ सेन्ट रह गया। कनाडा ने यह अवमूल्यन केवल १०% ही किया था। पाकिस्तान ने तो सन् १९५५ तक अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया था। भारतीय स्पैसे के अवमूल्यन के सम्बन्ध में आगे चलकर विस्तार में सिखा गया है।

अवमूल्यन के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं:—(क) प्रतिकूल व्यापारिक अन्तर का सुधार करना—अवमूल्यन का यह मुख्य उद्देश्य है। जब कभी कोई देश यह अनुभव करता है कि उसके विदेशी व्यापार में सदा घाटा रहता है और वह इस घाटे को नरकारी व्यक्तिगत हस्तक्षेप से अन्य उपायों द्वारा पूरा नहीं करने नहीं पाना है, तब वह मुद्रा का अवमूल्यन करके प्रतिकूल व्यापारिक अन्तर में सुधार कर देता है। क्योंकि अवमूल्यन नियांत्र को प्रोत्तमाहन देता है और आयात को कम कर देता है। (ख) मुद्रा के अधिमूल्यन को ब्रूटि से सुधार—जब कभी कोई देश भूल से या अन्य विमी-वारण वश अपनी मुद्रा को उचित से अधिक बाहरी मूल्य (Over-Valuation) देना है जिससे आयानों में वृद्धि तथा नियांत्र में कभी होने लगती है, तब इस ब्रूटि का सुधार मुद्रा का अवमूल्यन करके ही किया जाता है। (ग) पूँजीगत वस्तुओं को प्राप्त करने का साधन,—जब किसी देश को पूँजीगत वस्तुओं (Capital Goods) की निरन्तर आयात करनी पड़ती है, (चाहे यह माल उधार आये या भुगतान करवे), तब इन सहायता को बराबर प्राप्त करते रहने के लिए यह आवश्यक होता है कि देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाय ताकि इससे देश की नियांत्र को प्रोत्तमाहन मिले। भारत और इङ्लैण्ड ने मितम्बर १९४६ में अवमूल्यन इसी उद्देश्य से किया था। (घ) उद्योगों को सरकार देने के लिए भी अवमूल्यन किया जाता है—अवमूल्यन से देश में दम्भुप्रो की आयात हटाकर्त्ता ही हो जाती है क्योंकि अवमूल्यन में विदेशी वस्तुओं का मूल्य अधिक हो जाता है। परिणामतः घरेलू उद्योगों को मरक्कण (Protection) मिल जाता है।

### भारत में मुद्रा-स्फीति (Inflation in India)

प्रावृक्षण—भारत में मुद्रा-स्फीति एक डिप्लोमीय समस्या रही है और आज भी इसका स्वभाव इसी प्रकार रहा है। एक और दूसरा भी माना जे निरन्तर वृद्धि हुई है और दूसरी ओर नागरिकों के उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उत्पत्ति में कभी रही है। भारतीय मुद्रा-स्फीति को दो भागों में बाटा जा सकता है—प्रथम, युद्ध कालीन

मुद्रा-स्फीति (War-time Inflation) और द्वितीय, मुद्रोत्तर मुद्रा-स्फीति (Post-War Inflation)। भारत सरकार ने जुलाई १९४२ तक भारत में स्फीति की गम्भीरता को नहीं माना। यहां तक कि रिजर्व-बैंक के डायरेक्टर्स तक ने उस समय तक यह मानने को इन्कार कर दिया कि भारत में मुद्रा-स्फीति एक गम्भीर रूप में उपस्थित है। परन्तु प्रो॰ सी॰ एन॰ वकील (C. N. Vakil) ने जनवरी १९४३ में अपनी पुस्तक The Falling Rupee में तथा भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री घनश्याम दास बिरला (Ghanshyam Dass Birla) ने अप्रैल १९४३ में अपनी पुस्तिका Inflation or Scarcity में भारत में मुद्रा-स्फीति और इससे उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की सत्यता पर बहुत जोर दिया और इस गम्भीर स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का व्याप्त आकर्षित किया। मार्च १९४४ में तो केन्द्रीय सरकार के वित्त-मन्त्री तक ने यह मान लिया कि देश में स्फीति ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। इन सब बातों ने अन्ततः केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय बैंक को विवाद कर दिया कि वे इस समस्या का हल हूँ दें।

### युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति (War-Time Inflation)

#### युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति के कारण (Causes of War-Time Inflation)—

युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति के अनेक कारण रहे हैं:—(i) भारतीय सरकार द्वारा इंगलैंड तथा अन्य मित्र राष्ट्रों (Allies) के लिये माल खरीदना:—युद्ध के संचालन के लिए युद्धकाल में भारत सरकार ने इंगलैंड तथा अन्य मित्र राष्ट्रों के लिये भारत में माल खरीदा और उन्हे भेज दिया। भारत को इस माल के बदले में स्वर्ण (Gold) या माल (Goods) मिलना चाहिए था, परन्तु इंगलैंड अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण न तो स्वर्ण दे सका और न माल ही भेज सका। भारत जो भी माल विदेशों को भेजता था, उसका मूल्य बैंक प्रॉफ इंगलैंड में भारत सरकार के खाते में जमा हो जाता था जिसके बदले में रिजर्व बैंक प्रॉफ इण्डिया को स्टर्लिंग सिक्यूरिटीज (Sterling Securities) मिल जाती थी। इस तरह भारत सरकार को जो स्टर्लिंग भुगतान में मिलता था वह इंगलैंड की सरकार को फिर से छुए के रूप में दे दिया जाता था। युद्ध के अन्त तक भारत सरकार का इंगलैंड पर करोड़ १६०० करोड़ रुपये का छुए हो गया। परन्तु जिन व्यापारियों से भारत सरकार माल लेती थी, उन्हे उनके माल का भुगतान करने के लिए सरकार ने रिजर्व बैंक से पत्र-मुद्रा ली और बैंक यह पत्र-मुद्रा (टिङ्ग सिक्यूरिटीज) के आधार पर जारी किया करता था। इस तरह स्टर्लिंग प्रति-भूतियों (Securities) के इङ्गलैंड में बढ़ने के साथ ही साथ भारत में पत्र-मुद्रा में वृद्धि हो जाती थी। यह रपट है कि यदि भारत को स्वर्ण अथवा वस्तुये बदले में मिलती, तब पत्र-मुद्रा की मात्रा में इतनी वृद्धि नहीं हो पाती। (ii) मुद्रा की मात्रा में वृद्धि:—युद्धकाल में भारतीय मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो गई, परन्तु इसी अनुपात में वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकी। परिणामतः मुद्रा के

प्रसार में जनता की व्यवसित में तो बढ़ि हो गई, परन्तु वस्तुओं की पूति में इसी अनुपान म बढ़ि न हो सकने के कारण मूल्य-नर (Price Level) म बहुत बढ़ि हो गई। जबकि अपरत सन् १९३६ में पत्र मुद्रा की मात्रा १७६ बरोड रपये थी और मूल्य निर्देशांक (Index Number) १०० था तब सन् १९४४-४५ में पत्र-मुद्रा १०८४ दर बरोड<sup>१</sup> रपये तथा मूल्य-निर्देशांक २४४ रपये<sup>२</sup> था<sup>३</sup>। सन् १९४८ में पत्र-मुद्रा की मात्रा बढ़ते बढ़ते १३१० बरोड रपये हो गई। इसी घबार साथ मुद्रा (Credit Money) भी १२६ बरोड रपये से बढ़कर ४४६ बरोड रपये हो गई। अत मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक बढ़ि के कारण देश म स्फीति की दशा उत्पन्न हो गई। (ii) अनुकूल व्यापार का सतुलन—युद्धकाल म भारतीय विदेशी व्यापार का सतुलन (Balance of Trade) भारत के अनुकूल (Favourable) रहा योकि भारत स निर्यात तो अधिक ही गही थी परन्तु आयात कम थी। जबकि सन् १९३६-४० में व्यापार का अनुकूल सतुलन १७६६ बरोड रपये था तब यह प्रगत छ वर्षों में जम्मा ४८८१, ४१६६, ७६६०, ८४२५, ६१३२ तथा २६०८ बरोड रपये था।<sup>४</sup> इस अनुकूल व्यापाराधिक्य के बदले भारत की या तो स्वर्ण या भाल मिलना चाहिए या परन्तु ऐसा न हो सका वरत् इसके बदले में भारत को स्टलिंग सिक्यूरिटीज गिली और इनके आधार पर पत्र-मुद्रा का चलन बदला गया। (iv) भारत सरकार के रक्षा व्यय में बढ़ि—भारत सरकार ने युद्धकाल म भी बहुत व्यय निया जिसके कारण भी देश म मुद्रा-प्रसार बढ़ता ही गया। जबकि सन् १९३८-३९ म यह व्यय ४६१८ बरोड रपय था, यह सन् १९४४-४५ में बढ़कर ३६५४६ बरोड रपये हो गया। युद्धकाल म अबेले सुरक्षा पर लगभग १२०० बरोड रपया व्यय निया गया। यह व्यय को पूरा बरते वे लिये रिजर्व बैंक न स्टलिंग सिक्यूरिटीज के आधार पर पत्र मुद्राएं छापी। (v) वस्तुओं का अभाव—एक ओर तो पत्र मुद्रा म निरन्तर बढ़ि के कारण जनता के पास अत्यन्तिक बढ़नी गई और दूसरी ओर आवश्यकता की वस्तुओं का निर्यात युद्ध कार्यों के लिए होता रहा जिसमें य भारतवासियों को पर्याप्त मात्रा म नहीं मिल सकी जिसमें वस्तुओं की मात्रा और पूति का सतुलन नहीं होने से वस्तुओं म स्वल्पता (Scarcity) उत्पन्न हो गई और इनके मूल्य म अत्यधिक बढ़ि हो गई। आयान की कमी ने तो एक भयकर रूप आरण कर लिया था। लड़ाई म पहने भान को जीत रक्षा कायाकार्यालय से बाही चावल मिल जाता था परन्तु युद्धकाल म आयान बाद हो जाने के कारण खाद्यान की कमी हो गई। यह कमी इस कारण भी हो गई क्योंकि सरकार दक्षिणी अधीक्षा, लक्षाता आन्ध्र मध्य-सूखे से युद्ध क्षेत्रों को अमान भेज रही थी। परिणामतः आवश्यकायों के मूल्य म अत्यधिक बढ़ि हो गढ़। अत वस्तुओं की स्वल्पता के कारण भी मुद्रा-रपीति की दशा उत्पन्न हो गई। (vi) कोट विप्रों या दूसरी विदेश के आधार पर

1—Report of the Reserve Bank of India on Currency and Finance for 1951-52

2—Economic Adviser's Index Number based on Controlled Prices Had they been constructed on the basis of Black Market Prices Index Number would have been 400

3—Report of the Reserve Bank of India on Currency and Finance for the respective years

पत्र-मुद्रा का चलन करना:— युद्धकाल में भारत सरकार ने न केवल स्टॉलिंग सिव्यूरी-टीज़ के आधार पर पत्र-मुद्रा के चलन में वृद्धि की वरन् उसने द्वेजरी बिल्स (Treasury Bills) के आधार पर भी मुद्राएँ चलाई। इस क्रिया को प्र० स० एन० वकील (C. N. Vakil) ने नाम मुद्रा-स्फीति (Inflation in its naked form) कहा है। (vii) सट्टे को प्रवृत्ति:—युद्धकाल में सट्टे वीं प्रवृत्ति ने अकारण मूल्यों ही में अत्यधिक वृद्धि कर दी। वस्तुओं का सम्रहण (Hoarding) हो गया तथा चोर-बाजारी के कारण मूल्य-वृद्धि और भी अधिक हो गई। सरकार ने मूल्य-नियन्त्रण तथा वस्तु-वितरण की नीति अपनाई, परन्तु इससे मूल्यों में और भी वृद्धि हो गई।

युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपाय (Steps taken to put a check on the War-Time Inflation).—स्फीति के पाँ रामस्वरूप देश में वस्तुओं पाँ र सेवाओं के मूल्य बढ़ते चले गये। यद्यपि सरकार ने युद्ध के आरम्भ होते ही ऐसे नियम बनाए जिनसे अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य में १०% से अधिक वृद्धि नहीं होने पाये परन्तु इन नियमों से मूल्य-वृद्धि को नहीं रोका जा सका। चूंकि मूल्य-वृद्धि से जीवनोपार्जन का व्यय बढ़ जाता है, इसलिए उपभोक्ताओं, श्रमिक-संघों, समाज-सुधारकों, अर्थशास्त्रियों तथा उद्योगपतियों सभी ने इस बात को मांग की कि मूल्यों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए और इसमें रोक लगाना आवश्यक है। मूल्य-वृद्धि से शनैः शनैः समाज में चोर-बाजारी तथा सट्टेवाजी बढ़ गई और भ्रष्टाचार फैल जाने से नागरिकों का नैतिक पतन हो गया। सरकार ने स्विति की गम्भीरता को समझा और स्विति में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किये, जिनमें से बुद्धि इस प्रकार है—(i) नये-नये करों का लगाना:—जनता की अतिरिक्त क्रय-शक्ति को कम करने के लिये तथा मुद्रा को बापिस लेने, के लिए और युद्ध-व्यय वीं पूर्ति करने के लिए, सरकार ने एन-एन-ए कर लगाए तथा पुराने करों में वृद्धि की। सन् १९४० में आय-कर (Income Tax) के साथ २५% अतिरिक्त-कर (Surcharge) लगाया गया। सन् १९४२ में अधिक लाभ-कर (Excess Profits Tax) को भी २५% से बढ़ाकर ३६½% कर दिया गया तथा अतिरिक्त-कर भी २५% से बढ़ाकर ३३½% कर दिया गया। आय-कर में वृद्धि के अतिरिक्त दियासलाई, जीनी आदि पर लगे उत्पादन-कर (Excise Duty) में वृद्धि की गई। इस तरह जद्कि सन् १९३८-४० में इन करों से प्राप्त होने वाली आय ८६.६२ करोड़ रुपये थी, सन् १९४५-४६ में यह रकम बढ़कर ३५३.७५ करोड़ रुपये हो गई। (ii) छहों का लेना:—केन्द्रीय सरकार ने अपने आप तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा छुए प्राप्त करने के अनेकों प्रदर्शन किये। डिफेंस सेविंग्स बैंक एकाउंट (Defence Savings Bank Account) तथा नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (National Savings Certificates) का प्रकाशन वाली बड़े पैमाने पर युद्धकाल में किया गया। (iii) अनिवार्य बचत योजनाएँ:—जनता के हाथ में क्रय-शक्ति को कम करने के लिए, सरकार ने अनिवार्य बचत के तरीके का भी प्रयोग किया। इस बचत पर २५% व्याज मिलता था तथा रकम को युद्ध के एक वर्ष बाद लिया जा सकता था। सन् १९४३ से अनिवार्य लाभ-कर (Excess Profits Tax)

का है भाग अनिवार्य सूप में जमा करना पड़ता था और सन्-१९४८-४९ में यह बढ़ाकर हैँ कर दिया गया। अतः अनिवार्य बचत योजना द्वारा सरकार ने व्यक्तिगत व्यय की मात्रा को कम कर दिया तथा व्यापारियों के अत्यधिक युद्धकालीन लाभों की गतिहीन बना दिया गया। (iv) सट्टेबाजी को बन्द करना —युद्धकाल म अनेक बस्तुओं के सट्टों पर प्रतिवाध लगा दिये गये, सोने-चांदी के भविष्य के व्यापार पर रोक लगा दी गई। (v) मूल्य नियन्त्रण तथा उत्पादन के प्रबल्ल —मूल्यों के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण सरकार वो अनेक अनिवार्यताओं के मूल्य पर नियन्त्रण (Control) करना पड़ा तथा बस्तुओं के उचित तथा न्यायसमत वितरण की भी व्यवस्था करनी पड़ी। दिसम्बर १९४२ से अन्न वितरण (Food Rationing) का प्रारम्भ किया गया। दूसरी ओर सरकार ने देश म अधिक अन्न उत्पन्न करने के लिए “अधिक अन्न उपजाऊ आनंदोलन (Grow More Food Campaign) की रचना भी। अन्न के अतिरिक्त अन्य बस्तुओं भी उत्पादन म बढ़िया करने के लिए भी सरकार ने हर प्रकार से मदद की। यहां तक कि नए उद्योगों को ५ वर्ष तक आवास वितरण से मुक्त कर दिया गया। (vi) स्वर्ण का बेचना—जनता के पास जो मुद्रा थी उसे सीधे के लिए केन्द्रीय बेचा ने स्वर्ण को भी बेचा। (vii) बजटों का सन्तुलन —केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों ने घण्टने-घण्टने व्ययों को कम करके बजटों में सन्तुलन लाने का प्रयत्न किया। (viii) आयात नीति का ढीला करना —सरकार ने आयात नीति को भी ढीला करके बस्तुओं की आयात को प्रोत्साहित किया ताकि देश में उपभोग-व्यायों का अभाव मिट जाये।

## युद्धोत्तर-काल में मुद्रा-स्फीति

### (Inflation in the Post-War Period)

प्रावक्षयन —युद्ध समाप्त हो जाने पर यह आशा की जाती थी कि बस्तुओं व सेवाओं का मूल्य इस ही जायगा तथा इनका अभाव भी नहीं रहेगा। परन्तु आशा के विपरीत दश म गर्ने शर्ने बस्तुओं के मूल्य म बढ़िया होती गई। जबकि अगस्त १९४५ म (युद्ध के समाप्त होने पर) आर्थिक-सानाहकार का निर्देशाक २४४ १ था यह धीरेंधीर बढ़कर मार्च सन् १९४६ म ४०२ ४ हो गया।

युद्धोत्तर काल में मुद्रा प्रसार के कारण (Causes of Inflation in Post War Period) —इसके बाईं महत्वपूर्ण बारण हैं —(i) मुद्रा का प्रसार —युद्धोत्तर काल म भी भारत सरकार वो इच्छालैण्ड की सरकार के लिए भारत म अप्याय व्यय करना पड़ा जिससे रिजर्व बंक को अधिकाधिक मात्रा म पत्र मुद्रा का चलन करना पड़ा विपरीक्षा इच्छालैण्ड ने रवान मुग्यतान अब भी धूले की तरह स्टॉलिङ्झ सिक्यूरिटीज म किया (यह मुग्यतान स्टॉलिङ्झ म जून १९४६ तक किया गया)। इस तरह जून १९४६ में जाद जो भी पत्र मुद्रा प्रसार किया गया वह स्टॉलिङ्झ के आधार पर नहीं बरन् भारत सरकार न अपनी निजी आवृद्धताओं की पूर्ति के लिए अपनी निजी प्रतिभूतियों (Securillies) पर किया। जबकि सन् १९४५ ४६ म लगभग १२१८ करोड़ रुपये की पत्र मुद्रा चलन म थी, यह रवान मन् १९४७ ४८ म बढ़कर करीब १३१० करोड़ रुपये हो गई। (ii) बजटों म पाठा —

युद्धोत्तर काल में दोनों केन्द्रीय तथा प्रातीय सरकारों के बजट घाटे के बजट रहे। अगस्त १९४७ से तो केन्द्रीय बजट में यह घाटा और भी अधिक हो गया थयोके (१९५० मे) सरकार को शरणार्थियों के वसाने, काश्मीर-युद्ध, कोरिया का युद्ध, हैदराबाद मे पुलिस कार्यवाही, भारतीय दूतावासों पर तथा अन्न व अन्य कच्ची-सामग्री के क्रय मे बहुत व्यय करना पड़ा। बजट के घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय बैंक से सहायता ली और पञ्च-मुद्रा के चलन मे वृद्धि कर दी गई। (iii) वस्तुओं के मूल्य तथा वितरण का विनियन्त्रणः—युद्ध के बाद देश मे वस्तुओं के मूल्य तथा वितरण पर विनियंत्रण (Decontrol) की माग की गई। महात्मा गांधी ने सचय-कर्ताओं (Hoarders) तथा मुनाफाखोरों (Profiteers) पर बहुत भरोसा किया और उन्हें यह आशा थी कि विनियन्त्रित अर्ध-व्यवस्था मे व्यापारी अपने तमाम स्टॉक बाजार मे ले आयेंगे जिससे मूल्यों मे कमी हो जायगी। इसीलिये उन्होंने भी नियन्त्रणों को हटा देने की सिफारिश की। इस माग मे फलस्वरूप दिसम्बर १९४७ मे अपने पर से नियन्त्रण हटा लिये गये। परिणामतः वस्तुओं के मूल्यों मे वृद्धि हो गई। जबकि दिसम्बर १९४७ मे निवेशांक ३२१ था, यह बढ़ता-बढ़ता अगस्त १९४८ मे ३६८, हो गया। इसीलिए अबटूबर १९४८ मे सरकार को फिर नियन्त्रण लगाने पड़े। कुछ समय बाद फिर विनियन्त्रण की नीति अपना ली गई थी। (iv) अन्न का अभाव—भारत के बिभाजन के पश्चात् देश मे भारी अन्न संकट पड़ा। ऐहु व चावल उत्पन्न करने वाला काफी प्रदेश पाकिस्तान के पास चला गया जिससे भारत को विदेशों से अम्भ का प्राप्तात करना पड़ा। अम्भ का अभाव एक और कारण रो भी हुआ। विसानों की मुद्रा आय बढ़ जाने से, उन्होंने कृषि उपज की बिक्री नहीं की या यह बहुत कम मात्रा मे भी जिससे कृषि वस्तुओं के मूल्य मे बहुत वृद्धि हो गई। (v) उत्पादन मे कमीः—एक तरफ तो नामरिकों की उपभोग वस्तुओं की मात्रा बढ़ी और दूसरी तरफ इनका अभाव बना रहा थ्योकि देश मे उत्पादन कौई विशेष मात्रा मे नहीं बढ़ सका। जबकि कृषि-उत्पादन निवेशांक सन् १९४५-४६ मे ६४ था, तब यह सन् १९४७-४८ मे ६७ था, इसी तरह इन दोनों वर्षों का ग्रोथोगिक उत्पादन निवेशांक ब्लमधा। १२० तथा १०५% था। ग्रोथोगिक वस्तुओं की उत्पत्ति कम हो जाने से (थ्योकि कच्ची-सामग्री की कमी रही, हड्डतालों ने उत्पादन मे रुकावट ढाली, विनियोग के लिये पूँजी का अभाव रहा थादि) इनके मूल्य मे अत्यधिक वृद्धि हो गई। (vi) सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रयः—केन्द्रीय बैंक खुले बाजार से सरकारी सिक्यूरिटीज का क्रय-विक्रय करता था जिससे मुद्रा की पूर्ति मे वृद्धि हो गई। (vii) क्रह और बचत—युद्धोत्तर काल मे सरकार क्रुरुण सेने तथा यपने व्यय मे बचत करने मे बहुत सफल नहीं हो सकी जिससे भी व्यक्ति की दशाएँ उत्पन्न हो गईं।

युद्धोत्तर मुद्रा-स्फीति के प्रभाव (Effects of Post-war Inflation).—मुद्रा-स्फीति के प्रभाव चाहे युद्ध हो या युद्धोत्तर काल हों दोनों मे लगभग समान ही होते हैं। स्फीति से मूल्य-स्तर मे वृद्धि हो जाती है, युद्धोत्तर काल मे भी ऐसा ही हुआ। मूल्य-

वृद्धि से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। युद्धोत्तर काल में भारतम् में धनोत्पत्ति में वृद्धि हुई परन्तु उत्पादन-व्यय में वृद्धि हो जाने के बारण, बुद्ध समय बाद, उत्पत्ति की मात्रा में कमी हो गई। एक तरफ मूल्य-वृद्धि के कारण और दूसरी तरफ वस्तुओं की मात्रा में कमी के कारण निश्चित आय वर्ग और विदेशी वर्ग की वृद्धि कष्ट उठाना पड़ा। थर्मिकों ने हड्डतालों की और अपनी मजदूरी तथा महगाई भला बढ़वाने वा प्रयत्न किया और अन्ततः इनमें वृद्धि हुई जिससे वस्तुओं व सेवाओं वा मूल्य और अधिक हो गया। परिणामतः निश्चित आय वर्ग और मुख्यतः समाज के मध्यम वर्ग का जीवन-स्तर और भी अधिक बम हो गया। इनकी दशा बास्तव में दयनीय हो गई। यह एक महत्वपूर्ण-युद्धकालीन अनुभव है कि मूल्य-वृद्धि के कारण उत्पादक व्यापारी वस्तुओं का सब्रह (Hoarding) बरने लगते हैं जिससे चोर-बाजारी व प्रोत्साहन मिलने लगता है।

परन्तु युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति के प्रभावों में और युद्धोत्तर काल में मुद्रा-स्फीति के प्रभावों में एक महत्वपूर्ण भेद रहा है। युद्धकाल में मूल्य-वृद्धि के कारण व्यापारियों, हृषकों तथा उद्योगपतियों को अत्यधिक लाभ हुआ, न बेकल यह लाभ उत्पादन-व्यय और विक्री-मूल्य में बहुत अधिक अन्तर हो जाने के कारण हुआ बरन् यह चोर-बाजारी (Black Marketing) तथा सब्रहण (Hoarding) के बारण भी अधिक हुआ। इस बाल म उद्योगपतियों की तुलना में हृषकों को कम लाभ हुआ योकि हृषि पदार्थों में नियन्त्रित-मूल्य तथा नियन्त्रित-वितरण की व्यवस्था बहुत बढ़ाई से व्यवस्थित ही गई थी। परन्तु युद्धोत्तर काल में इस स्थिति में भिन्नता है। इस काल में उद्योगपतियों को कम लाभ हुए हैं (युद्धकाल की तुलना में) योकि एक तरफ तो कच्ची सामग्री वा मूल्य बढ़ गया है और दूसरी तरफ हड्डतालों के कारण उत्पादन भी बम हुआ है तथा मजदूरी भी अधिक देनी पड़ी है। इसके विपरीत हृषकों को (युद्धकाल की तुलना म) बहुत अधिक लाभ हुए हैं योकि नियन्त्रित मूल्य व नियन्त्रित वितरण की व्यवस्था के हट जाने से खाद्य-पदार्थों के मूल्यों म बहुत वृद्धि हुई है।

युद्धोत्तर काल में स्फीति को रोकने के उपाय (Steps taken to put a check on the Post-war Inflation)—युद्ध के समाप्त हो जाने पर भी मूल्यों में वृद्धि होती ही चली गई और अन्ततः सन् १९४८ तक स्थिति बड़ी गम्भीर हो गई। इस बढ़ती हुई गम्भीर स्थिति को रोकने के लिये सरकार ने अक्तूबर सन् १९४८ में एक योजना बनाई। इसने अतिरिक्त सरकार ने अन्य वित्तने ही वार्ष विये जिनसे स्थिति चालू म आ गई। इनका सक्षिप्त विवरण इस प्रवार है—(१) भारतीय अर्थशास्त्रियों के सुझाव—जब सरकार ने विवश होवर भारतीय अर्थशास्त्रियों से समाचार को हट करने के लिये सुभाव मांगा तब इन्होंने जो सुझाव दिये वे इस प्रकार है—(२) सरकारी व्यय को बम त्रिया जाये, (३) फालतू वर्मन्चारियों को हटाया जाय, (४) सामाजिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी व्यय बम त्रिया जाय, (५) रक्षा-व्यय म मितव्यिता वी जाय, (६) जमीदारी उम्मलन, शराब बन्दी आदि योजनाओं में दिशित लाई जाय, (७) आय कर की बरामदा वा बमूल बरन वा प्रयत्न विया जाय तथा इस कर की दर में वृद्धि वी जाय,

(छ) धोटी बचतों को प्रोत्साहन दिया जाय आदि। इन सुझावों को सरकार ने मान लिया और इन्ही के आधार पर सरकार ने एक योजना बनाई और इसे कार्यान्वित किया। (ii) राजकीय नियन्त्रण—देश में कृषि वस्तुओं के उचित वितरण की योजना का सितम्बर १९४८ में द्वारा धीरणेश किया गया, यद्यपि इसमें युद्धकालीन कड़ाई नहीं थी। सरकार ने खाद्यांशों के मूल्य को एक निश्चित सीमा से ऊपर न बढ़ने देने की योजना कार्यान्वित की। इसी कारण गेहूं की भी काफी आयात की गई। कृषि-पदार्थों के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य पर भी नियन्त्रण तथा इनके वितरण पर भी नियन्त्रण किया गया। ताकि आन्तरिक और बाहरी मूल्यों में विपरीत नहीं रहे और स्फीति के प्रभाव कम हो जाये, इसलिए सरकार द्वारा अनेक वस्तुओं जिन वस्तुओं पर कर नहीं थे, परन्तु नये नियंत्रण कर लगाये गये। इन प्रयत्नों से मूल्य स्तर में कुछ स्थिरता आ गई परन्तु यह बहुत 'समय तक नहीं रह सकी। एक लाभांश मर्यादाकरण एकट (Dividend Limitation Act) पास हुमा जिसके अनुसार लाभांश ६% से अधिक नहीं हो सकता था। (iii) बचत को प्रोत्साहन—देशमें औद्योगिक पूँजी को बढ़ाने के लिये देश में बचत को प्रोत्साहन दिया गया। अगस्त १९४६ से अनिवार्य बचत योजना को कार्यान्वित किया गया। गांवों से धन खीचने के लिये डाकखाने के सेविंग्स बैंक खातों (Savings Banks Accounts) का गांवों में प्रचार किया गया और भाज भी यह प्रयत्न जारी है। (iv) उत्पादन को प्रोत्साहन—कृषि तथा उद्योगों में उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रयत्न किये गए। कृषिको अच्छा खाद, अच्छी बीज, कम ब्याज पर तकावी ऋण आदि दिये गए। नये कारबानों को पांच साल तक आय-कर से मुक्त कर दिया गया, कच्ची सामग्री तथा मशीनरी की आयात पर आयात-कर कम कर दिया गया तथा उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में पूँजी देने के लिए एक इंडस्ट्रियल काईंसर कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई आदि। (v) बचत वाले बजट—स्फीति वो कम करने के लिये सरकार ने बचत वाले बजट बनाये। इस प्रकार बजट के घाटों को नये-नये करो द्वारा पूरा किया। अकेले सन् १९५१-५२ में बजट में ६२'६१ करोड रुपये की बचत रखी गई। (vi) बैंकिंग सम्बन्धी उपाय—सन् १९४६ के बैंकिंग एकट के अनुसार हरएक बैंक के लिये उसकी कुल जमा का २५% भाग सरकारी सिक्यूरिटीज में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। बीमा कानूनियों के लिए भी ऐसा ही नियम था। परिणामतः जलन भी मात्रा तुच्छ कम हो गई। इसके अतिरिक्त नवम्बर सन् १९५१ में बैंक दर (Bank Rate) ३ से ३½% कर दी गई। इस तृदि का परिणाम यह हुआ कि साख का संकुचन हो गया। बैंक दर से तृदि से दर्दी वास्तविक तथा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुए। इसी के कारण मार्च सन् १९५२ में सोने-चादी के मूल्य कम हो गये। इसी प्रकार बाजार में लगभग सब ही वस्तुओं (बपार, चीनी, मसाले आदि) के थोक मूल्य गिर गये।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B. A. & B. Sc.

१. मुद्रा के मूल्य-परिवर्तन से नमाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? इस पर प्रकाश

डालें। (१९६०) २ मुद्रा प्रसार पर नोट लिखिये। (१९५८ S) ३ मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा-सकुचन में क्या अन्तर है स्पष्ट कीजिये। देश की आर्थिक उन्नति के लिये किन परिस्थितियों में मुद्रा प्रसार लाभदायक हो सकता है, समझाइये। (१९५८) ४ द्रव्य का कीमत में उतार चढ़ाव का सामाजिक व आर्थिक दृष्टि पर क्या-क्या असर होगा? समझाकर लिखिये। (१९५७ S) ५ द्रव्य के मूल्य में परिवर्तनों का उत्पादन और वितरण पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है और यह परिवर्तन आधिक सामाजिक महत्व रखते हैं। व्याख्या कीजिये। (१९५७) ६ Describe the evils of Inflation and Deflation and examine the remedies for both the situations (1956 S) ७ Write a short note on-Inflation (1956 S, 1953) ८ Distinguish clearly between Inflation and Deflation Show how inflation can be checked (1956) ९ Write a note on—Deflation (1955 S) १० The note issue as means of raising funds for emergencies has come to occupy a definite place in a public finance but it is admittedly the worst means and one that is fraught with serious dangers" Discuss the statement and outline the adverse economic effects of the over issue of paper currency

(1954)

### Agra University B Com

१ मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव समाज पर क्या पड़ता है? (१९६०) २ मुद्रा-स्फीति किसे बहते हैं? किन परिस्थितियों में और इस सीमा तक उभ उचित माना जा सकता है? (१९५८ S) ३ अपने देश में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय और उसके पश्चात् मुद्रा-स्फीति के कारणों का विवेचन करिये। राज्य द्वारा किये गए उसके नियन्त्रण के उपरोक्त का संक्षिप्त वर्णन करिये। (१९५६) ४ Describe briefly the effects of changes in the value of money on (a) agriculturists (b) salaried persons and (c) creditors (1957 S) ५ Explain the differences between—Deflation of currency (1957) ६ Discuss the evils of currency inflation on the different classes of people in a country with special reference to the Post War Period (1955) ७ Explain clearly the meaning of inflation and deflation and describe their effects on different sections of the people in the country (1955 S) ८ Discuss the advantages and dangers of paper money How can its over issue be checked? (1955)

### Rajputana University, B A. & B Sc.

1 Discuss the economic effects of Inflation and Deflation of currency (1957) 2 Distinguish clearly between-Inflation and Deflation (1956) 3 What is Inflation? How does inflation affect the mill owners, cultivators and labourers? How can the evil effects of inflations be reduced? (1954)

### Rajputana University, B Com

1 Discuss the measures adopted by the Govt of India for combating inflation (मुद्रा प्रसार) in this country (1959) 2 Money which is a source of many blessings to mankind becomes also unless we can control it a source of peril and confusion Comment (1957) ३ Inflation (मुद्रा-स्फीति) is unjust and deflation (विस्फीति और सकुचन) is inexpedient Of the two perhaps deflation is the worst, Elucidate

(1957, 1955) 3. Give a critical estimate of the different methods of controlling paper money in India. (1956)

Sagar University, B. A.

1. What is meant by Inflation of currency ? What are its dangers and how can they be combated ? (1958) 2. "मुद्रा एक अच्छा सेवक है, किन्तु बुरा स्वामी है।" व्याख्या कीजिये। (१९५७)

Sagar University, B. Com.

1. टिप्पणी लिखिए—मुद्रा-संकुचन-सुधार (Reflation) (१९५६) 2. "मुद्रा-स्फीति अग्न्यायपूर्ण है और मुद्रा-संकोच अनुपयुक्त है। इन दोनों में आपस में दायद मुद्रा-संकोच सबसे बुरा है।" इस उक्ति का विवेचन कीजिये। (१९५८) 2. लगातार थड़ते हुए मूल्य-स्तर के दुष्परिणामों को स्पष्ट कीजिये। थड़ते हुए मूल्य-स्तर को स्थिर करने के लिये आप क्या सुझाव देंगे ? (१९५७) 3. नोट लिखिये—संस्कृति (Reflation) (१९५७)

Jabalpur University, B. A.

1. मुद्रा-स्फीति (Inflation) की परिभाषा कीजिए, और वत्तलाहमे कि इसके आर्थिक परिणाम क्या हैं। (१९५८)

Jabalpur university, B. Com.

1. मुद्रा-स्फीति की स्पष्ट व्याख्या कीजिये। उसके संबंध चिन्ह और परिणाम क्या हैं, भारत की वर्तमान मुद्रा-स्फीति के कारणों पर प्रकाश डालिए। (१९५८) 2. "मुद्रा स्फीति अनुचित है और मुद्रा-भपस्फीति अर्थोग्य है। इन दोनों में सम्मवतः अपस्फीति अविक तुरी है।" इस कथन का विवेचन कीजिये। (१९५८) 3. नोट लिखिये—संस्कृति और उसके परिणाम। (१९५८) 4. मूल्य स्थैर्य की वास्तविक समस्या क्या है ? क्या मूल्य-स्थैर्य वौद्धीय है अथवा क्या यह प्राप्तव्य (attainable) है ? अपने उत्तर के लिये स्पष्ट कारण दीजिये। (१९५८)

Vikram University, B. A. & B. Sc.

1. टिप्पणी लिखिये—मुद्रा-प्रपस्फीतिकरण (Deflation) (१९५६)

Gorakhpur University, B. Com.

1. "Inflation is unjust and Deflation, inexpedient. Of the two perhaps Deflation is the worst." Discuss this and explain the defects of the three. (Pt. II. 1959) 2. Discuss the economic and social effects of changes in the value of money. Is it possible to minimise these changes ? If so how ? (Pt. I. 1959)

Banaras University, B. Com.

1. Define Inflation. What are its consequences and remedies ? (1959).

Allahabad University, B. A.

1. मुद्रा-प्रसार क्या है ? भारत में मुद्रा-प्रसार किया प्रकार सफलतापूर्वक नियन्त्रित किया जा सकता है ? (१९५७) 2. मुद्रा-स्फीति की परिभाषा दीजिये। इसके आर्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिये। (१९५६) 1. What is inflation ? Analyse the

effects of war time inflation on Indian agriculture. (1954)

Allahabad University, B. Com.'

1. Discuss the economic and social effects of changes in the value of money (1957) 2. Write a note on—Deflation (1957) 3 "Inflation is unjust and deflation is inexpedient of the two, perhaps deflation is worse" Examine critically this statement in the light of conditions existing during World War II. and the post war period in India (1956)

Bihar University, B. A.

1 Discuss why inflation is regarded as the worst form of taxation (1959) 2 What are the effects of inflation? How can inflation be controlled (1958)

Bihar University, B. Com.

1 Mention the causes that bring about fluctuations in the value of money. What steps would you suggest to minimise these fluctuations? (1959)

Patna University, B. A.

1 'Deficit financing leads to inflation' Discuss How can you control inflation? (1957)

Nagpur University, B. A.

१ चलांग-स्फीति (Inflation of Currency) और चलांग-मपस्फीति (Deflation of Currency) इसमें भेद दिखलाइये और इनमें से प्रत्येक के आर्थिक परिणामों का वर्णन कीजिये। (१९५७) २ देश की जनता के भिन्न-भिन्न वर्गों पर मुद्रा की अवश्यकता (Purchasing Power of Money) में होने वाले परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ता है? (१९५६)

**परीक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत**

प्रश्न १ — (i) मुद्रा प्रसार व मुद्रा-सकुचन भे पक्ष अन्तर है, स्पष्ट कीजिये। देश की आर्थिक उन्नति के लिये विन परिवर्तियों में मुद्रा प्रसार ताभावापक हो सकता है, समझाइये (Agra B.A. १९५८) (ii) मुद्रा-स्फीति क्सिते कहते हैं? क्सित परिवर्तियों में और कित सीमा तक उचित माना जा सकता है? (Agra, B. Com. १९८, S) (iii) मुद्रा स्फीति के सकेत-चिन्ह बया हैं? (Jabb B. Com १९५८) :

संकेत —उत्तर के प्रथम भाग में मुद्रा-प्रसार व मुद्रा-सकुचन का अव बताइय और इन के भेद स्पष्ट कीजिये—मुद्रा प्रसार वह स्थिति है जिस में मुद्रा की पूर्ति इसकी मात्रा से अधिक हो जाती है और मूल्य-स्तर में सामान्य स्पष्ट से वृद्धि हो जाती है बैंकरर, पीपुल जैस एक-दा अर्थशास्त्रियों की मुद्रा-स्फीति की परिभाषाएं देवर उनका प्रथम उद्घाहरण सहित स्पष्ट कीजिये। एक पैर में सक्षम में व बारए कीजिये जिनम स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैस मुद्रा का प्रकार साव वा प्रभार, वस्तुओं व नदाओं के उत्पादन में वर्मी आदि। इसी तरह मुद्रा-सकुचन का अव बताइय—यह वह स्थिति है

जिमें देश में मुद्रा की मात्रा उसकी माँग की अपेक्षा बहुत कम होती है और मूल्य-स्तर में सामान्य रूप से बर्मी हो जाती है। पीयू आदि अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं देवर मुद्रा-संकुचन का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये। संक्षेप में एक पैरे में वे कारण बताइये जिन से मुद्रा-मकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैमे-घातुमान में घातु की कमी होना, चलन की मात्रा बम करना, करोटोपण व त्रुण लेने की नीति, केंद्रीय बैंक की साथ नियंत्रण नीति आदि। उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मुद्रा-प्रसार व मुद्रा-मकुचन एक दूसरे की विरोधी स्थितियाँ हैं (तीन पृष्ठ)। द्वितीय भाग उन परिस्थितियों को बताइये जिन में मुद्रा-स्फीति न्यायोचित एवं लाभदायक है—दो चार बार्यों में यह स्पष्ट कीजिये कि मुद्रा-प्रसार के श्रेनक दोष हैं और इन्हे बताकर निझ कीजिये कि इन दोषों के होते हुये भी देश की आर्थिक उन्नति के लिये कभी-कभी मुद्रा-प्रसार बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन परिस्थितियों को बताइये जब कि मुद्रा-प्रसार लाभदायक होता है—जब सरकार आर्थिक विकास की नई-नई योजनायें कार्यान्वित कर रही हो जिनसे देश के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो जाने वी सम्भावना हो और सर्कार के पास इन भारी-व्यय वाली योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध नहीं हो (सरकार अपने सामान्य साधनों से इन योजनाओं को कार्यान्वित न करने पा रही हो), तब इस स्थिति में सरकार को मुद्रा-प्रसार साधन वा सहारा लेना पड़ता है (इसे घाटे की वित्त-व्यवस्था भी कहते हैं)। यदि घाटे की वित्त-व्यवस्था, से प्राप्त साधनों को राष्ट्र-निर्माण व धनोत्पत्ति एवं विकास के कार्यों में उचित रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है, तब मुद्रा-प्रसार बहुत उपयोगी व लाभदायक भिन्न होगा प्रीत पह न्यायोचित व उचित भी माना जायगा। यद्यपि मुद्रा-प्रसार से आरम्भ में मूल्य-वृद्धि हो जायगी परन्तु शनैः शनैः उत्पादन में वृद्धि हो जाने पर मुद्रा-प्रसार का यह दोष स्वतः दूर हो जायगा। परन्तु यदि मुद्रा-प्रसार से प्राप्त साधनों का उपयोग विकास-कार्यों में अनुचित ढंग से हो रहा है अथवा ये अनुत्पादक कार्यों में व्यय किये जा रहे हैं, तब लाभ की अपेक्षा हानि की आधिक सम्भावना रहेगी। अतः विकास कार्यों के लिये मुद्रा-प्रसार की नीति खतरनाक भिन्न हो सकती है। मक्षेप में, मुद्रा-प्रसार उसी भीमा तक उचित है जब तक कि डम नीति से प्राप्त माधनों का उपयोग विकास कार्यों पर उचित ढंग से किया जाता है (दो-दाई पृष्ठों में उदाहरण महिने लिखिये)।

**प्रश्न २:**— (i) “द्रव्य के मूल्य में परिवर्तनों का उत्पादन और वितरण पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है और यह परिवर्तन अर्थिक सामाजिक महत्व रखते हैं।” आर्थिक सामाजिक महत्व कीजिये (Agra, B. A. १९५७), (ii) द्रव्य की कीमत में उत्तर-चढ़ाव का सामाजिक व आर्थिक दशा पर व्याख्या भारत होगा? समझाकर लिखिये (Agra, B. A. १९५७ Gorakh B. Com. १९५६, Allahabad B. Com. १९५७), (iii) लगातार यहते हुये मूल्य-स्तर के द्रुष्टविणामों को रपष्ट कीजिये। यहते हुये मूल्य-स्तर को स्थिर करने के लिये (या मुद्रा-रक्तीति की स्थिति का सुकावल करने के लिये) आप व्या सुभाव देंगे? (Sagar, B. Com. १९५७), (vi) मुद्रा-स्फीति की परिभाषा कीजिये, और बताइये कि

इसके आधिक परिणाम क्या हैं, (Allahabad B.A. १९७६, Jabb B.A. १९५८, Nagpur B.A. १९५७) (१) देश की जनता के भिन्न-भिन्न वर्गों पर मुद्रा की क्रय उक्ति ने होने वाले परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ता है? (Nagpur, B.A. १९५६, Agra, B.Com १९५६, १९५७)।

सकेत —उक्त प्रश्नो में दो बातें पूँछी गई हैं —क्रय के मूल्य में परिवर्तन के क्या-क्या आधिक (इसमें उत्पादन तथा वितरण आदवा समाज वे विभिन्न वर्गों पर प्रभाव भी सम्मिलित हैं) व सामाजिक प्रभाव हैं तथा वहाँ हुये मूल्य-स्तर वो स्थिर करने (या मुद्रा-स्फीति की स्थिति का मुकाबला करने) के लिये क्या-क्या सुभाव हैं? आरम्भ में मुद्रा स्फीति का अर्थ (किसी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की परिभाषा भी दीजिये) लिखिये (आधा पृष्ठ) और फिर इसके समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों वो बताइये—व्यापारी वर्ग, निश्चित आय वाला वर्ग, उपभोक्ता वर्ग, अमिक वर्ग, ऋणी तथा ऋणदाता वर्ग। यदि प्रश्न में केवल यह पूँछ गया है कि मुद्रा-स्फीति से देश वे विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तब तो वेवल विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले आधिक व सामाजिक प्रभावों को ही लिखना चाहिये, परन्तु यदि प्रश्न में मुद्रा-स्फीति के आधिक प्रभाव पूँछ गये हैं, तब विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभावों के अतिरिक्त अन्य आधिक प्रभावों को भी लिखना चाहिये, जैसे—करों व ऋणों में बढ़ि हो जाती है, वेकिंग व बीम-नार्यों का विकास होता है, देश में नियंत्रित आधिक प्रणाली का निर्माण होता है, देश की सुरक्षा के लिये सरकार को पर्याप्त मात्रा में धन मिल जाता है आदि। सक्षेप में, मुद्रा-स्फीति के सामाजिक प्रभावों को भी लिखना चाहिये, जैसे—चूंकि मुद्रा प्रसारसे समाज में धन का पुनर्वितरण होता है, यह 'अ' को लूटकर 'ब' को देता है, इस लूट मार में व्यक्ति के गुण-ओं का यह विचार नहीं करता, इसलिये ऐसे व्यक्ति जिन्हें बड़े परिथम से धन कमाया है जब ये भी लूटे जाते हैं तब ये सरकार के प्रति विद्रोह करते हैं और इनका सरकार में से विश्वास उठ जाता है। इसके अतिरिक्त स्फीति बाल में चूंकि व्यापारियों व उत्पादकों वो अत्यधिक लाभ होता है, इसलिये के और भी अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त करने के लिये अनेक वार्ष बरने लगते हैं, जैसे—चौर वाजारी बरना, नियंत्रित-मूल्य से अधिक मूल्य लेना, बस्तुओं में मिलावट करना आदि। यह अप्टाचार व अनेक व्यापारियों तक ही सीमित नहीं रहती बरत् इसका प्रभाव सरकारी कर्मचारियों तक पर पड़ता है (चार पाँच पृष्ठ) ? द्वितीय भाग में उन जपायों को बताइये जिनसे बढ़ते हुये मूल्यों के बाल में मूल्य में स्थिरता या सबे अद्यवा मुद्रा स्फीति की दशाओं का मुकाबला किया जा सके, जैसे—मुद्रा की मात्रा बम बरना, अद्यवा नई विष्म की मुद्रा का चलन बरना, करों में बढ़ि, बंक दर में बढ़ि अद्यवा खुदे बाजार की क्रियाओं द्वारा साझा नियंत्रण बरना, मूल्य नियंत्रण व राशनिंग बरना, उत्पादन प्रोत्साहित बरना (सरकार वो भी स्वयं उत्पत्ति वार्ष बरना चाहिये) आपात का प्रोत्साहन व नियंत्रित हवोत्साहित बरना, सन्तुलित बजट बनाना, बचत वो प्रोत्साहित करना आदि (दो पृष्ठ)।

प्रश्न ३ —(१) मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा-सकोच अनुपयुक्त है। इन दोनों में आपस में शायद मुद्रा-सकोच सबसे बुरा है।" इस उक्ति का विवेचन कीजिये

Sagar, B. Com. १९५८, Raj. B. Com. १९५७, १९५५, Jabb. B. Com. १९५८. Gorakh B. Com. १९५६), (ii) "Inflation is unjust and Deflation is inexpedient. Of the two, perhaps, Deflation is worse." Examine critically this statement in the light of conditions existing during world war II and the post-war period in India. (Allahabad, B. Com. 1956)

संकेतः—उत्तर में सर्वप्रथम मुद्रा-स्फीति का अर्थ बताइये—केमरा, पीगू आदि की परिभाषायें दीजिये और उनकी व्याख्या कीजिये (आधा पृष्ठ) और बताइये कि मुद्रा-स्फीति वीं दशा में मुद्रा के मूल्य में बहुत कमी हो जाती है अथवा मूल्य-स्तर में वृद्धि हो जाती है। मूल्य-परिवर्तन के इन प्रभावों को इस प्रकार बताइये कि यह सिद्ध हो जाय कि मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण (Unjust) है। स्फीति का समाज पर प्रभाव दो क्रियाओं द्वारा पड़ता है—धन का वितरण व धन का उत्पादन। धन का ऐसा पुनर्वितरण हो जाता है कि इसके समाज के विभिन्न वर्गों पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ते हैं:—(i) विनियोजन-कर्ता वर्ग—मुद्रा-स्फीति से इस वर्ग को होने वाली हानि उदाहरण सहित स्पष्ट दीजिये, कि विनियोजन करने के लिये जो वचत की जाती है, उस वचत का मूल्य वर्ग हो जाता है, जो लोग सरकारी प्रतिमूर्तियों व दिवेन्चरसं आदि में धन का विनियोग करते हैं, उनकी आय कम हो जाती है, एक और विनियोग-कर्ताओं की आय कम हो जाती है। और दूसरी ओर उनसे लिये जाने वाले कर वी मात्रा बढ़ जाती है, फलतः पूँजी संचय हटोत्तमाहित होता है क्योंकि समाज में वचत तब ही होती है जबकि वचत-कर्ता वो यह विश्वास हो कि उसकी वचत के मूल्य में कमी नहीं होगी। परिणामतः

तिकार्यों के लिये पूँजी का अभाव हो जाता है। अतः स्फीति वीं दशा में विनियोजन के मूल्य तथा इनसे आय में जो कुछ कमी होती है, वह अन्यायपूर्ण है। (ii) उत्पादन-कर्ता व ऋणी वर्ग-स्फीति वीं दशा में उत्पादकों को अत्यधिक लाभ होता है क्योंकि वच्छोन्सामग्री के मूल्य में तथा मजदूरी में वृद्धि सदा शर्नः शर्नः होती है परन्तु स्फीति के कारण वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में दीन्द्र ही बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाया करती है। जिसमें उत्पादकों के लाभ वी मात्रा में बहुत वृद्धि हो जाती है। (उदाहरण दीजिये)। ऋणी को भी लाभ होता है क्योंकि जिस समय ऋण लिया जाता है उस समय द्रव्य वा मूल्य अधिक और (स्फीति के कारण) जिस समय ऋण वापिस किया जाता है, उस समय मुद्रा वा मूल्य बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि वस्तुओं के मूल्य में बहुत वृद्धि हो जाती है। वह अपनी थोड़ी सी वस्तुओं को बेचकर ही ऋण की अदायगी कर देता है। कीमत का मत है कि उत्पादक व ऋणी दोनों को ही स्फीति वीं दशा में जो लाभ प्राप्त होता है तूँकि उनका उनकी योग्यता से बोई सम्बन्ध नहीं होता है, इसलिये यह अनाजित लाभ अन्यायपूर्ण है। (iii) निश्चित आय व ऋणदाता वर्ग-स्फीति की दशा में इन दोनों वर्गों को हानि होती है क्योंकि वे अपने द्रव्य से पहले वी तुलना में बहुत कम वस्तुयें खरीदने पते हैं। स्पष्ट तथा मुद्रा-स्फीति वा यह प्रभाव भी अन्यायपूर्ण है। (iv) धन का वितरण-स्फीति से पत वा पुनर्वितरण हो जाता है, स्फीति धन को एक व्यक्ति से नेवर दूसरे व्यक्ति को

दे देती है और इस कार्य को करने में स्फीति अथा होकर कार्य करती है अर्थात् धन का पुनर्वितरण मनुष्यों के गुणो-अवगुणों के आधार पर नहीं किया जाता। फलतः जिन व्यक्तियों ने अत्यधिक त्याग करके व कष्ट सहनर बचत की थी, उनसे धन छीन लिया जाता है (क्योंकि उनके धन का मूल्य कम हो जाता है) और ऐसे व्यक्तियों (उत्पादक आदि) को दे दिया जाता है जिन्होंने इसे प्राप्त करने के लिये कुछ भी अधिक परियम नहीं किया है। स्पष्टतया स्फीति से धन का पुनर्वितरण बहुत ही अन्यायपूर्ण होता है (उदाहरण दीजिये) (५) अहश्य चरारोपण-सरकार नोट द्वापकर हीनार्थ अर्थ-प्रबन्धन (Deficit Financing) करती है, इससे सरकार जनता से बस्तुओं को छीनती है (जहे उपभोग से बचत करती है) और इनको स्वयं अपने उपभोग (सरकारी वार्षों में उपयोग) में लाती है, गरीबों पर भार अधिक पड़ता है क्योंकि उनकी आय में कृद्धि तो विद्युप नहीं होती, परन्तु बस्तुओं के मूल्य में अत्यधिक कृद्धि हो जाती है। अत स्फीति क्योंकि अहश्य चरारोपण है, इसलिये अन्यायपूर्ण है। (६) कृत्रिम सम्पन्नता—स्फीति से समाज में आर्थिक सम्पन्नता आ जाती है, मूल्यों में शानेः शानेः कृद्धि होती रहती है और कुछ समय बाद वे मूल्य अपनी चरम शोमा पर पहुँच जाते हैं। तदपश्चात् मूल्य कम होने लगते हैं, मन्दी काल शीघ्र ही आ जाता है। स्पष्टतया स्फीति से चौंकि आर्थिक सम्पन्नता अत्यपकालीन होती है व्यापारियों को लाभ क्षणिक होते हैं इसलिये भी यह अन्यायपूर्ण व अनुचित है (दो दाई पृष्ठ)। कृत्रीय भाग में मुद्रा-संकुचन का अर्थ एक-दो परिमाणाओं के आधार पर बताइये (आधा पृष्ठ) और पिर मुद्रा संकुचन के आर्थिक परिणाम बताइये—(i) कृपयो, उत्पादकों व व्यापारियो वो, गिरते हुये मूल्यों से, तबसे अविक हानि होती है, क्योंकि उनकी द्वय आय तो कम हो जाती है परन्तु कर-भार व मजदूरी का भार पूर्ववत् रहता है, (ii) उत्पादन हस्तोत्साहित होता है, फलतः बेरोजगारी फैलती है क्योंकि अनेक उद्योग बन्द हो जाते हैं, (iii) यद्यपि निश्चित आय वालों की इस दृष्टि से तो लाभ होता है कि मूल्य-स्तर गिर जाता है, परन्तु उन्हे लाभ की तुलना में हानि अधिक होती है क्योंकि अनेक व्यक्तियों को नीचरियों पर से हटा दिया जाता है या उन्ह कम मजदूरी पर कार्य करने के लिये बाध्य किया जाता है (व्यापारिक मन्दी के कारण)। बीस ने इन्हीं कारणों से मुद्रा संकुचन को अनुपयुक्त (Inexpedient) बताया है (एक पृष्ठ)। तृनीय भाग में बताइये कि यद्यपि मुद्रा स्फीति व मुद्रा-संकुचन दोनों ही बुरे हैं परन्तु तुलना में मुद्रा-संकुचन अधिक बुरा है क्योंकि इससे किसी भी स्थायी लाभ वी आशा नहीं की जाती है। जभी कभी मुद्रा-स्फीति का उपयोग देश वी आर्थिक उन्नति करने मुद्राकालीन अर्थ-व्यवस्था के सचालन, पूर्ण-रोजगार वी अवस्था को उत्पन्न करने आदि में आवश्यक तथा लाभप्रद हो जाता है, परन्तु मुद्रा-संकुचन तो एक प्रतिगामी अवस्था उत्पन्न करता है जिसमें लाभ की तुलना में हानि अधिक होती है और यदि संकुचन तीव्र गति से हो जाता है तब तो समाज की आर्थिक दशा क्रिक्केट ही प्रस्त-व्यस्त हो जाती है—इसमें बेरोजगारी व देशारी कैन जानी है, समाज का नैतिक पनन होता है, व्यापार व उद्योग

बहु हो जाते हैं, व्यापारिक साहस मिट जाता है, राष्ट्रीय विकास में अड़चनें पड़ती हैं। फलतः नूंकि संकुचन सारे राष्ट्र वी अर्थ-व्यवस्था में उथल-पुथल मचा देता है, इस लिये बीन्स ने कहा है कि मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण है, मुद्रा-संकुचन अनुपयुक्त है और इन दोनों में मुद्रा-संकुचन अधिक बुरा है (एक पृष्ठ)।

प्रश्न ४:- i) "The note issue as a means of raising funds for emergencies has come to occupy a definite place in public finance but it is admittedly the worst means and one that is fraught with serious dangers" Discuss the statement and outline the adverse economic effects of the over issue of paper currency. (Agra. B. A. 1954), ii) Discuss the merits and demerits of inflation as a source of public finance (Patna B. A. 1952, 1949), iii) 'Deficit financing leads to inflation' Discuss. How can you control inflation? (Patna, B. A. 1957) iv) Discuss why Inflation is regarded as the worst form of Taxation? (Bihar B. A. 1959).

संकेत.—आरम्भ में सार्वजनिक वित्त का अर्थ दो चार वाक्यों में समझाइये, यह स्पष्ट भीजिये कि कभी-कभी (विदेशकर युद्धकाल में अथवा आयोजित अर्थ-व्यवस्था में जबकि नई-नई योजनायें वार्षिक-दित वी जाती हैं) राज्य वी आय कम और व्यय अधिक होता है, ऐसी आर्थिक बटिनाई के समय जबकि राज्य अपने सामान्य साधनों द्वारा पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त नहीं करने पाता है, राज्य वी घाटे वी वित्त-व्यवस्था (Deficit financing) वा सहारा लेना पड़ता है (घाटे वी वित्त व्यवस्था का अर्थ तकिक दिस्तार से समझाइये)। इस व्यवस्था में देश में मुद्रा की पूर्ति अत्यधिक बढ़ा देने के कारण मुद्रा-स्फीति वी दशायें उत्पन्न हो जाती है, मुद्रा वा मूल्य (क्रय-शक्ति) कम और मूल्य-स्तर ऊँचा हो जाता है; मुद्रा वी पूर्ति का एकाधिकार सरकार के हाथ में होता है, नूंकि मुद्रा-स्फीति से अर्थ-व्यवस्था में बड़ी उथल-पुथल हो जाती है, इसलिये सरकार आसानी से मुद्रा वी पूर्ति बो बडाने के लिये तैयार नहीं हुआ करती है, परन्तु कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि आर्थिक संकट अथवा विपत्ति का सामना करने के लिए सरकार वो नोट-निर्गम वी रीति का सहारा लेना पड़ता है, जैसे—(i) मुद्द वाल—सरकार वा सर्व बहुत बढ़ा जाता है, सेनिको के वेतन वा मुद्द के सामान पर अत्यधिक व्यय होता है (युद्धकाल में व्यय के बढ़ने के कारण स्पष्ट भीजिये)। ऐसे समय में करों वी एक सीमा से अधिक नहीं लगाया जा सकता है, त्रुण भी सीमित मात्रा में ही प्राप्त होते हैं इस स्थिति में मुद्रा-स्फीति द्वारा धन का प्रबन्ध बरता सुगम होता है। (ii) आर्थिक उल्तति—जब सरकार देश के आर्थिक विकास के लिये अत्यधिक धन वा उपयोग करने वाली योजनाओं वी वर्यान्वित करती है, तब भी वह अपनी मुद्रा वी आवश्यकताओं वी खेति अधिकाधिक मात्रा में नोट छाप वर करती है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक संकट अथवा आपत्तिकाल में नोट-निर्गम वी रीति (मुद्रा-स्फीति) द्वारा सरकार पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित कर सेती है और धन एकत्रित बरने का यह एक महत्वपूर्ण साधन है। मुद्रा-स्फीति का यही मुख्य लाभ है। (दो-न्हाई पृष्ठ)। द्वितीय भाग में यह बताइये कि इस प्रकार वी घाटे वी वित्त-व्यवस्था के बया दोप है—नूंकि

इस रीति से मूल्य-स्तर ऊ चा हो जाता है, इसलिये समाज के विभिन्न वर्गों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है (प्रश्न न० ३ में स्फीति के जिन दोषों को लिखा गया है उन्हें लिपिये) इन दोषों के कारण ही कीन्त ने मुद्रा स्फीति को अन्यायपूर्ण कहा है। यह बताइये कि मुद्रा-स्फीति की रीति एक प्रकार वा करारोपण है और घन प्राप्त करने का यह तरीका सबसे खराब है वयोऽक्ष इसमें घन का अनुचित पुनर्वितरण होता है, गरीबों पर घनियों की गुलना में अधिक भार पटता है आदि (दो तीन पृष्ठ)। द्वितीय भाग में मुद्रा-स्फीति के दुष्परिणामों से समाज को बचाने के लिये जिन उपायों का उपयोग होता है, उन्हें लिखिये (प्रश्न २ के संबंध में इन उपायों को बताया गया है) भारतीय उदाहरण संक्षेप में दिये जा सकते हैं (एक-दो शब्द पृष्ठ)।

प्रश्न ५— १) "मुद्रा एक अच्छा सेवक है, किन्तु बुरा स्वामी है।" द्वितीय भाग में लिखिये Sagar, B. A. १९५७), (ii) 'Money which is a source of many blessings to mankind, becomes also, unless we control it, a source of peril and confusion' Comment (Raj, B. Com. 1957, Bihar, B. A 1954)।

संवेद —उत्तर के दो भाग हैं—प्रथम भाग में यह बताइये कि मुद्रा एक अच्छा सेवक क्यों है—वस्तु विनियम की बठिनाइयों को बताइये और यह रूपण कीजिये कि मुद्रा ने इन्हें विनियम के प्रकार दूर करने के मनुष्य के विनियम के कार्यों को गुगम बना दिया है, मुद्रा की सेवाओं के कारण ही मानव वा आर्थिक व सामाजिक जीवन उन्नत हो सका है (मध्येष में मुद्रा के महत्व को इस हृष्टि में बताइए कि इसमें घन के उत्पादन, वितरण व उपभोग आदि में बहुत सहायता मिली है) यह भी मध्येष में बताइये कि मुद्रा के नाशण ही पाटे की वित्त-व्यवस्था की प्रणाली नम्भव हुई है, जिसकी सहायता से युद्धकाल व अन्य आपत्ति के समय सरकार अपनी मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लती है। अतः मुद्रा मानव जाति के लिये एक बरदान है, यह समाज की एवं अच्छी सेविका है (तीन पृष्ठ)। द्वितीय भाग में यह बताइए कि मुद्रा जानै जानै समाज की सेविका के स्वानं पर स्वामिनी घन गई है, आज मुद्रा का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि सारा आर्थिक जगत मुद्रा के द्वारा पर चलता है, ऐसे इसकी माना को घटाने-बढ़ाने से समाज म आन्ति भव जाता है, समाज पर इसका ऐसा सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक प्रभाव है कि इसी के कारण राज्य का तस्ता तक उलट जाता है, यह प्रभाव मुद्रा के मूल्य-परिवर्तन (मूल्य-स्तर में उच्चावचन) हारा पड़ता है। इस कारण आज मुद्रा समाज की स्वामिनी घन गई है। अब यह समाज के नियन्त्रण से बाहर हो गई है, समाज को मुद्रा-स्फीति की रीति का सहारा गमय-समय पर लेना पड़ता है, और एक बार स्फीति की दशाएं उत्पन्न हो जान पर समाज इसे अमानी से अपने नियन्त्रण में नहीं बरने पाता है, फिर मुद्रा-स्फीति से उत्पन्न होने वाले समस्त दोष समाज में दृष्टिगोचर हो जाते हैं (इन दोषों को विस्तार से बताइये) जिससे समाज का जीवन-प्रस्त-व्यवस्था हो जाता है तथा सामाजिक व आर्थिक आन्ति का भय उत्पन्न हो जाता है (तीन-चार पृष्ठ)।

प्रश्न ६:—(i) मूल्य-व्यवहार की सारांशिक स्थिरता क्या है ? क्या मूल्य-व्यवहार व्यापकीय है अथवा क्या पहुँच प्राप्तात्मक (Attainable) है ? अपने चरण के त्रिये ग्रेड कारण बीजिए (Jabb. B. Com. १९८), (ii) "Stable prices are as harmful and injurious as rapidly rising or rapidly falling prices." Discuss. (Bihar, B. A. 1955)

उत्तर:—मूल्य-व्यवहार का अर्थ समझाइये—इसका अर्थ है मगाज में मूल्य-व्यवहार में स्थिरता, वस्तुओं के गोपनीयों में नहीं हो सकता कि वे उत्तर नहीं हो सकते। गापारण हिटि में मनुष्य यह चाहेगे कि मूल्य-व्यवहार में कोई हंगामी नहीं हो जाए तबाहा कार्य गूप्ताल स्थान गें भव गए, जोता निश्चय यह गुम्फी रह गए, युकोत्तर-गाल में इस विचार को अधिक गुलिटि बिलारी है क्योंकि वस्तुओं को युद्धार्थी व्यवहार के बुप्रभावों का नहु अनुभव होता है। परम्परा मूल्य-विवरण अच्छी नहीं होती, इसका आविक समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है—(i) प्रथम कारण यह है कि पूर्णीवादी व्यवहार में आविक उत्तरि के लिए यह आवश्यक है कि उत्तराद्दें को उत्तरोत्तर (अधिकाधिक गात्रा में) साम प्राप्त हो, लाग वी भाजा में अभी या कम लाग वी आवश्यक होने पर या उत्तरोत्तरियों के महिलाओं में निराजा वी भाविता (मूल्य-व्यवहार के कारण) उत्तरान हो जाने में उत्तोष-पतियों द्वारा विनियोग याम होता है, गमाज में भन पा गंधट (Holding) होने लगता है, उत्तरान घाने: घाने वाम हो जाता है आविक प्रतिनि धीरी पृष्ठ जाती है। ये कारी व वेरोनारी फैल जाती है। अतः मूल्य-विवरण में समाज अवश्यक वी और अपगर हो जाता है। (ii) मूल्य-विवरण के पात्र निष्ठ होने पा एक दूसरा गारण भी है—पूर्णीवादी समाज में मूल्य-विवर की दृष्टा में ऊंचाँ-ऊंचाँ घन का विनियोग बढ़ाता जाता है, ऊंचाँ-खो इन विनियोगों गे भीगान लाग वी भाजा घटारी जाती है (यदि तिनी प्राप्त का कोई विवेप्रवाप्त नहीं तिया जाय), पूर्णीविनियोग द्वारा घन का निनियोग अधिकाधिक होना बन्द पा कम हो जाता है और समाज में उत्तरिति प्रभाव हिटिगांवा होने लगते हैं। (iii) मूल्य-विवरण का एक पात्र प्रभाव यह भी होता है कि इसकी उत्तरिति में उत्तराद्दें द्वारा नई-नई उत्तरान की प्रणालियों का उपयोग नहीं होता है। उत्तरान यह है कि उत्तराद्दें नई उत्तरान-प्रणाली का प्रयोग तभी करता है जबकि उत्तरोत्तर साम वी आवश्यक होती है। इन प्रणालियों में जोनिया भी आविक होती है, इसकी यह साम भी आविक भाजा में प्राप्त करता जाता है। परम्परा मूल्य-विवरण में साम के उत्तरोत्तर वाने में इतन पर इतने घान: घान: वर्षी हो जाती है। अतः मूल्य-विवरण का अर्थ आविक उत्तरि का उत्तरा मा कम हो जाना और एक गीगा के खाद समाज का अवश्यक वी भोज अपगर हो जाना होता है, जो समाज के लिये वर्ष वर्ष सामाज पृथक् हुनियारत है। (iv) मूल्य-विवरण में आविक प्रभाव भी भोज का अभाव हो जाता है, परम्परा आविक उत्तरि के लिये आविक समाज में भोज पा होना अवश्यक प्राप्त नहीं होता है। इन सब कारणों में इवाट है कि मूल्य-व्यवहार व्यापकीय नहीं है (दो-दोहरा दृष्ट)। दिनीय भाग में, मूल्य-व्यवहार में भीव्यवस्थाविनियों के समाज के विभिन्न घानों पर वहने घाने प्रभावों को अवाक्षय-ये परिवर्तन गढ़ते हों जाना होता है, समाज में अविनियोग

वारावरण उत्पन्न कर देते हैं। अस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़ने पर घन के विवरण में व्याप्ति भव जाती है, यद्यपि वृद्धि व उत्पादक व व्यापारी मालामाल हो जाते हैं परन्तु ये जो कुछ घन क्षमाते हैं उसका सम्बन्ध उनकी योग्यता से नहीं होता जिसके कारण यह स्थिति अन्यायपूर्ण कही जाती है, मूल्यों की तेजी के बाल में सरकारी हस्तक्षेप होने पर समाज में चोर-वाजारी, नितिक भ्रष्टाचार आदि उत्पन्न हो जाता है, निश्चित आय वर्ग पिस जाता है और उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता है (मुद्रा-स्फीति अथवा मूल्य-वृद्धि के दोषों को सक्षेप में बताइये)। इसी तरह मूल्य स्तर वा नीचा हो जाना भी आर्थिक समाज के लिए घातक होता है, उत्पादन व विनियोग पर बुरा प्रभाव पड़ता है, व्यापारियों व उद्योगपतियों को पाठा होता है, व्यवसाय व उद्योग शनैं शनैं बद्द हो जाते हैं, यद्यपि निश्चित आय व मजदूर वर्ग को लाभ प्रीत होता है, परन्तु यह भी अमात्मक है क्योंकि यह वर्ग शोघ ही बेकारी वे फढ़े में फस जाता है आदि। (मुद्रा-संकुचन अथवा मूल्य-हास के कुप्रभावों को सक्षेप में बताइये) अतः यह स्पष्ट है कि मूल्य-वैधंय के प्रभावों की तरह तेजी से बढ़ते या घटते हुये मूल्य भी आर्थिक हृष्टि से बहुत अनुपयुक्त है (तीन पृष्ठ)। तृतीय भाग में बताइये कि उचित नीति या होनी चाहिये—आदिक उन्नति की हृष्टि से न तो मूल्य-तर में स्थिरता होनी चाहिये और न इसमें सेजी से घटने व बढ़ने की ही प्रवृत्ति होनी चाहिये। कीन्स (Keynes) के मतानुसार मूल्य-तर में धीरे-धीरे बढ़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिये ताकि देश में उत्पत्ति-वार्ष में वृद्धि हो, उत्पादकों को साम हो, मजदूरों को भी बेकारी वा सामना नहीं बरना पड़े आदि (एक पैरा)। चतुर्थ भाग में बताइये कि मूल्य-वैधंय आप्त्य नहीं है—जूँकि समाज नियंत्रील है, इसलिए यदि समाज को आर्थिक प्रगति को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, तब स्वतः ही समाज कुछ समय बाद आर्थिक अवनति की ओर अग्रसर हो जायगा, समाज एवं स्थान पर टिका नहीं रह सकता है—या तो आगे बढ़ेगा या पीछे को हटेगा (एक पैरा)।

प्रश्न ६:—(i) अपने देश में द्वितीय महादृढ़ के समय धौर उसके पश्चात् मुद्रा-स्फीति के कारणों का विवेचन कीजिए। राज्य द्वारा इसी गए उसके नियन्त्रण के उपर्योग वा संक्षिप्त बण्णन कीजिए (Agra B Com १९५६), (ii) भारत में मुद्रा-प्रसार किस प्रकार नियन्त्रित हिया जा सकता है? (Allahabad B A १९५७) (iii) Discuss the measures adopted by the Govt. of India for combating inflation in this country. (Raj B Com 1959)

संरेत—उत्तर के प्रथम भाग में मुद्रा-स्फीति वा व्याप्ति, एवं दो परिमापार्थों के आधार पर स्पष्ट कीजिये और सक्षेप में इसने कुप्रभावों को बताइये (एक-पैरा पृष्ठ)। द्वितीय भाग में भारत में मुद्रा-स्फीति के कारणों को बताइये (दो पृष्ठ)। तृतीय भाग में राज्य द्वारा अपनाये गये उन उपायों को (उदाहरण सहित) बताइये जिनसे देश में मुद्रा-स्फीति के कुण्डलियामतों को नहीं या हूँ रखने का प्रयत्न किया गया है महं भग साथ ही साथ बताइये कि उन उपायों से राज्य को कहा तब अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफलता मिली है। (तीन-चार पृष्ठ)।

## अध्याय ५

### निवेशांकः

**(Index Numbers)**

प्राकृतिक—मुद्रा का मूल्य इसकी ग्रय-शक्ति है। जूँकि हम मुद्रा से वस्तुएँ व सेवाएँ खरीदते हैं, इसलिए मुद्रा व मूल्य का सम्बन्ध वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य से होता है। मुद्रा का मूल्य (या ग्रय-शक्ति) कम हो जाने पर कम वस्तुएँ व सेवाएँ और मुद्रा का मूल्य अधिक हो जाने पर अधिक वस्तुएँ व सेवाएँ खरीदी जाती हैं अर्थात् मुद्रा का मूल्य अधिक हो जाने पर वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य अधिक और मुद्रा का मूल्य अधिक हो जाने पर वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य कम हो जाता है। इस तरह मुद्रा के मूल्य तथा वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का विरोधी सम्बन्ध है। अतः जब मुद्रा-मूल्य घटता है तब मूल्यों में बढ़ि और जब मुद्रा मूल्य बढ़ता है तब मूल्यों में कमी हो जाती है। यह स्मरण रहे कि जब तक स्वरं चलनमान (Gold currency standard) चलने में रहा मुद्रा के मूल्य से ग्राहिक परिवर्तन नहीं हुआ, परन्तु प्रथम महायुद्ध काल में इसके समाप्त हो जाने पर मुद्रा के मूल्य में असाधारण परिवर्तन हुए जिससे वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों में भी असाधारण परिवर्तन हुए।

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को किस प्रकार नापा जाता है? इसका उत्तर सरल है। आजकल यह काव्य निवेशांकों की सहायता से किया जाता है। यह स्मरण रहे कि मूल्यों में परिवर्तन का अध्ययन आर्थिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मूल्य-उच्चावचन या मनुष्यों के सामाजिक व आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है (मुद्रा स्थैति के अध्ययन में इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा या चुका है), इसके द्वारा ही उत्पादन के विभिन्न साधनों को मिलने वाला रोजगार निर्धारित होता है, इसी से देश में उत्पादन की मात्रा व इसका स्वभाव तथा आतंरिक व बाहरी व्यापार की मात्रा निर्धारित होती है आदि। इसीलिए आजकल निवेशांकों द्वारा मूल्य परिवर्तन को एक निश्चित रूप में नापा जाने लगा है।

निवेशांक क्या होते हैं? (What are Index Numbers):—यह एक राष्ट्राभारण अनुभव की वात है कि इसी भी समय पर तमाम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य एक साथ एक ही दिशा में न तो बढ़ते हैं और न एक ही दिशा में घटते ही हैं। यदि कुछ वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य घटते हैं तब अन्य कुछ वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य बढ़ते भी हैं। इसी तरह यदि कुछ वस्तुओं के मूल्य बहुत कम बढ़ते हैं तब अन्य वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ते हैं या यदि कुछ वस्तुओं के मूल्य बहुत कम माना में कम होते हैं तब अन्य वस्तुओं के मूल्य में जोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके विपरीत कुछ ऐसी वस्तुएँ भी होती हैं जिनके मूल्य में जोई परिवर्तन नहीं होता है। परन्तु यदि हम

विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य परिवर्तनों का औसत (Average) निशाल लें, तब हमें पता चलेगा कि इस औसत में या तो बढ़ने की प्रवृत्ति है या इसमें घटने की प्रवृत्ति होती है। सूचक अको का उद्देश्य इस प्रकार वी केन्द्रीय प्रवृत्ति की ओर सकेत करना होता है। हम भी इस सूचक अक या सामान्य मूल्य स्तर (General Price Level) या औसत मूल्य के घट बढ़ से मुद्रा के मूल्य के घट बढ़ का अनुभान लगाते हैं। इसीलिये निर्देशाक वी परिभाषायें इस प्रकार दी जाती हैं:—

(१) “सूचक, मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों को जानने के लिए, मूल्य स्तर की वे सज्जाएँ हैं जिन्हें यस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के परिवर्तन दिखाने के लिए कम से रखा जाता है।”

(२) “निर्देशाक औपूत स्तर के अको को एक सूची होती है जिन्हें एक तालिका के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि मुद्रा के मूल्य के उच्चावचनों को सूचित करने के जहेंप से वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत के परिवर्तनों को दिखाया जा सके।”

यदि निर्देशाक बढ़ते जा रहे हैं तब इसका यह अर्थ है कि सामान्य मूल्य-स्तर (General Price Level) उच्च होता जा रहा है अथवा वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों की केन्द्रीय प्रवृत्ति बढ़ने वी भी अर्थात् मुद्रा का मूल्य कम होता जा रहा है। इसके विपरीत यदि उक्त निर्देशाक गिरते जा रहे हैं (कम हो रहे हैं) तब इसका यह अर्थ है कि सामान्य मूल्य स्तर कम होता जा रहा है अथवा वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य कम होता जा रहा है अर्थात् मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। अतः निर्देशाकों के बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य कम और निर्देशाकों के घटने पर मुद्रा का मूल्य अधिक हो जाता है।

यह स्पष्टरण रहे कि सूचक अक या मुद्रा के मूल्य के पूर्ण अथवा निरपेक्ष (Absolute) मापदंश है। य निसी पूर्व वाले के मूल्य-स्तर वी तुलना उपर वाले के मूल्य स्तर में करत है। इस तरह निर्देशाक मूल्यों के परिवर्तन के तुलनात्मक रूप (Relative) को ही दिखाते हैं। किसी समय पर यह कहना कि सूचक अक ५० है, इसमें कुछ भी अर्थ नहीं होता जब तब कि इस अक की किसी अन्य समय के अक से तुलना नहीं की जा सके। इस तरह उक्त अक का तब ही कुछ अर्थ होता है जबकि हम यह भी कहते हैं कि अमुक वर्ष या माह या सप्ताह या दो दिन के औसत मूल्य-स्तर वी तुलना में यह अक ५० है (अमुक वर्ष, माह, सप्ताह या दिन का औसत-मूल्य १०० मान लिया जाता है) अर्थात् इस उदाहरण में मूल्य-स्तर पहले की तुलना में घटकर आधा रह गया है अथवा मुद्रा का मूल्य बढ़कर पहले से दुगुना हो गया है। अतः मूल्यों के सूचक अक दो विभिन्न वालों के मूल्य-स्तरों की तुलना करने में सहायता होते हैं।

निर्देशाक न केवल मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों को नापने वे लिये ही काम में आत हैं वरन् इनका उपयाग प्रत्येक शार्थिक घटना वे तुलनात्मक परिवर्तन को सूचित करने के लिये होता है जैसे—उत्पादन में घटन्वट, आवाहन-निर्यात में घटन्वट, विसी वस्तु के उत्पन्नों में घटन्वट आदि।

## सूचक अङ्क बनाने की विधि

**(Method for the Compilation of the Index Number)**

निर्देशांकों को बनाना:—सूचक अङ्क बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है:—

(१) आधार-वर्ष का चुनना (Selection of the Base year):—सूचक अङ्क अक्सर वापिक आधार-पर बनाये जाते हैं। इसलिए निर्देशांक बनाने के लिये सबसे पहले आधार-वर्ष को चुनना होता है। आधार-वर्ष (Base year) का अर्थ उस वर्ष से होता है जिसके औसत मूल्य को अन्य वर्षों के औसत-मूल्यों की तुलना का आधार माना जाता है। चूंकि आधार-वर्ष के मूल्य अन्य वर्षों के मूल्य-परिवर्तनों की तुलना का आधार होते हैं, इसलिये इस वर्ष का चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाता है। यहाँ तो हम किसी वर्ष को ही आधार-वर्ष मान सकते हैं परन्तु वास्तव में यह एक ऐसा वर्ष माना जाता है जिसमें मूल्यों में अधिक उत्तार-बढ़ाव नहीं होते हैं तथा जिस वर्ष में ऐसी बोई घटना नहीं घटती है जिससे देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है अर्थात् आधार-वर्ष वह वर्ष होता है जो हर प्रकार से सामान्य वर्ष (Normal year) माना जाता है। इस दृष्टि से महायुद्ध, अकाल, बाढ़, आर्यिक संकट तथा फसल की खराबी वाले वर्ष को असाधारण वर्ष मानते हैं और ऐसे वर्ष को प्रायः आधार-वर्ष नहीं माना जाता है। इस तरह आधार-वर्ष वह वर्ष होता है जो न तो बहुत अधिक उन्नति-शील वर्ष होता है और न आर्यिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ वर्ष होता है वरन् यह एक सामान्य आर्यिक परिस्थितियों वाला वर्ष होता है। सन् १९२६ के पश्चात् भीषण मर्दी-वाल (Depression Period) का प्रारम्भ हुआ, जिससे मूल्यों में बहुत कमी हो गई। इसी तरह १९३६ के पश्चात् युद्ध के कारण, मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई। यहाँ कारण है कि आजकल प्रायः १९३६ का वर्ष सूचक अङ्क बनाने के लिये एक उप-युक्त आधार-वर्ष माना जाता है क्योंकि इस वर्ष की सहायता से युद्ध तथा युद्धोत्तर (to-war) कालीन मूल्यों के परिवर्तनों की आसानी से तुनना की जा सकती है।

(२) वस्तुओं व सेवाओं का चुनाव (Selection of the Commodities and Services):—वर्ष निर्धारण के पश्चात् उन प्रतिनिधि वस्तुओं की छाट करनी होती है जिनके सामान्य मूल्य-तर (General Price Level) की तुलना आधार-वर्ष के सामान्य मूल्य-स्तर से की जाती है। हमारे समाज में दृव्य द्वारा संकुटी व हजारों वस्तुओं व सेवाओं का जय-विजय होता है, इसलिये प्रत्येक वस्तु व सेवा के मूल्य का विचार करना उत्तम जीवनी अपनी असम्भव होता है। इस उत्तिर्ण से बचने के लिये ऐसी दस्तुरें व सेवाएं चुन लेते हैं जो अन्य वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के कम हो जान पर अन्य वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य भी कम हो जाते हैं। परन्तु इन वस्तुओं व सेवाओं के चुनाव पर मूल्य अङ्कों के बनाने के उद्देश्यों का बहुत प्रभाव पड़ता है।

उदाहरण के लिये, यदि हम रहन-सहन सूचक अंक (Cost of Living Index Number) बना रहे हैं, तब हमें ऐसी वस्तुओं को चुनना होगा जो कि उस वर्ग के जीवन से सम्बन्धित हैं जिनका हम रहन-सहन व्यय मूल्य अंक बना रहे हैं। इस तरह विभिन्न वर्गों के मनुष्यों के रहन-सहन के सब के परिवर्तन जो नापने के लिये नाम में लाई जाने वाली वस्तुयें मिलने भिन्न होगी। दूसरे शब्द में रहन-सहन-व्यय मूल्यक अंक के बनाते समय हम यह देखना होगा कि किस श्रेणी के मनुष्य विस प्रशार की वस्तुओं के विवादों का उपभोग करते हैं। यूँ तो वस्तुओं के सेवाओं की सम्भाल जितनी अधिक ली जायगी उतना ही मूल्यक अंक अधिक ठीक बनेगा, परन्तु सुविधा की दृष्टि से प्राप्त २५-३० प्रतिनिधि वस्तुओं का ही चुनाव हुआ करता है।

(३) वस्तुओं के मूल्यों का चुनाव (Selection of the Prices of the Commodities) — प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव के पश्चात् इनके मूल्य आधार-वर्ष तथा अन्य जांच के वर्ष (Year of Inquiry) में मालूम किया जाते हैं। वस्तुओं के मूल्य थोक (Wholesale) भी होते हैं और फुटकर (Retail) भी। युद्ध और युद्धोत्तर काल में वस्तुओं के नियन्त्रित मूल्य (Controlled Prices) भी होते हैं और कभी-कभी चौर बाजार के मूल्य (Black Market Prices) भी होते हैं। निर्देशालम् के उद्देश्य के अनुसार ही यह तथा जाता है कि गणना में थोक मूल्य रखने जायें या फुटकर मूल्य या अन्य वौई दूसरा मूल्य। यदि हमें मुद्रा के मूल्य-परिवर्तनों को दिखाना चाला मूल्यक अंक बनाना है, तब हम गणना में थोक मूल्य रखने की व्योक्ति यहाँ पर थोक-मूल्य न केवल सही अनुमान देंगे बरन् इनका एकमित करना भी आसान होता है। परन्तु यदि हम रहन-सहन-व्यय मूल्यक अंक (Cost of Living Index Number) मालूम करना है, तब हम इस गणना में फुटकर मूल्य रखने की व्योक्ति ऐसे मूल्य ही हमें सही अनुमान देत है। यह तथा करने के बाद कि हम थोक मूल्य गणना में रखें या फुटकर मूल्य, हम घट तथा करने कि य मूल्य-किस समय के लिय जाय—हम दैनिक अथवा मासिक मूल्य लें या मासिक मूल्य, तत्पश्चात् हम प्रतिनिधि बाजार (Representative Markets) का चुनाव करेंगे जिनमें से हम विलकृत समान एवं वर्गीकृत वस्तु का मूल्य मालूम करेंगे।

(४) मूल्यों को प्रतिशत में दिखाना (To Represent prices in Percentages) — ग्राथक वस्तु व मवा के आधार-वर्ष का मूल्य १०० मानकर, गणना में ली गई तथा अनुमान वस्तुओं के सेवाओं का मूल्यक अंक निकालने वाले वर्ष का मूल्य, आधार-वर्ष की वैमता के प्रतिशत में निकालते हैं। उदाहरणार्थ, यदि आधार-वर्ष में चने का मूल्य २ रुपय प्रति मन है इसे हम १०० मान लेते हैं, तब चाद जाते के वर्ष में चने का मूल्य ८ रुपय प्रति मन हा, तब वह प्रतिशत में  $\left(\frac{800 \times 100}{100} = \right) 300$  बहनायेगा। इस तरह हराएं वस्तु का मूल्य प्रतिशत में निकाल लेते हैं।

(५) श्रीसह निकालना (To Strike out the Averages) — अत में आधार वर्ष और अन्य वर्ष के माल्यों के प्रतिशतों (Percentages) का औसत निकाला

जाता है। आधार-वर्ष का औसत तो १०० ही रहता है, परन्तु दूसरे वर्ष का औसत १०० से अधिक या कम होता है। यह औसत (Average) ही सूचक अंक (Index Number) है। मगदि यह औसत आधार वर्ष के औसत से अधिक है, तब इसका पहला अर्थ है कि सामान्य मूल्य-स्तर (General Price Level) बढ़ गया है और यदि पहला औसत आधार-वर्ष के औसत से कम है, तब इसका यह अर्थ है कि सामान्य मूल्य-स्तर कम हो गया है। यहाँ पर मूल्य-स्तर में परिवर्तन प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

### एक उदाहरण-साधारण निर्देशांक

रहन भवन द्वय का एक साधारण सूचक अंक बनाने का एक उदाहरण (An Example of the construction of a Simple Cost of Living Index Number):— सन् १९३६ के आधार-वर्ष के आधार पर यह सूचक अंक बनाया गया है:—

नम्बर	वस्तुएँ	आधार-वर्ष में मूल्य १९३६	आधार-वर्ष का सू. अंक	सन् १९५६ में मूल्य	सन् १९५६ का सू. अंक
१	गेहूँ	४-०-० प्रति मन	१००	१६-०-० प्रतिमन	४००
२	चावल	२०-०-० प्रति म	१००	६०-०-० प्रतिमन	३००
३	कपड़ा	०-६-० प्रति ग्र	१००	०-१२-० प्रतिग्र	२००
४	म० किराया	१५-०-० प्रति मा	१००	३०-०-० प्रति माह	२००
५	घी	१-०-० प्रति से	१००	६-०-० प्रति माह	६००
६	सिप्रेट	०-३-० प्रति पै	१००	०-६-० प्रति पै०	२००
७	दूध	०-२-० प्रति से	१००	०-८-० प्रति सेर	४००
औसत	—	—	०.६ = १००	—	२३.५ = ३२८.५

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सन् १९५६ में सूचक अंक ३२८.५ है (यह आधार-वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है, इसलिये यह अंक रूपये, आने वाले के रूप में नहीं लिखा जाता है)। इनका अर्थ यह है कि सन् १९३६ की तुलना में सन् १९५६ में मूल्य-स्तर में (३२८.५ - १००.० =) २२८.५ प्रतिशत वृद्धि हो गई है। दूसरे शब्दों में तुलनात्मक हृष्टि से सन् १९५६ में सामान्य मूल्य-स्तर सन् १९३६ की अपेक्षा दोगुना हो गया है। यद्यपि उपरोक्त उदाहरण में केवल ७ वस्तुओं को चुना गया है, परन्तु एक सन्तोषप्रद सूचक अंक बनाने के लिये हमें २५-३० वस्तुओं व सेवाओं को चुनना चाहिये।

**नोट—** परोक्षा में विद्यार्थियों को सूचक अंक की गणना करते समय केवल ६-७ वस्तुओं व सेवाओं को चुनना चाहिये वरना

\* The Figures in this example are imaginary.

उनका बहुमूल्य समय गणना करने (Calculations) मे आवश्यक ही नहट हो जायगा ।

### साधारण निर्देशांक मे दोष

#### साधारण निर्देशांक मे दोष (Defects in the Simple Index Number)

—साधारण निर्देशांक का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमे प्रत्येक वस्तु को समान महत्व दिया जाता है । परन्तु वास्तविकता यह है कि किसी एक वस्तु के मूल्य मे थोड़ी भी वृद्धि का समाज के किसी एक वर्ग पर प्रभाव किसी दूसरी वस्तु के मूल्य मे अत्यधिक वृद्धि की अपेक्षा अधिक पड़ा करता है क्योंकि प्रथम वस्तु से इस वर्ग को दूसरी की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है या प्रथम वस्तु पर यह वर्ग दूसरी की अपेक्षा कुल आय का अधिक भाग खर्च करता है । जिस वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय का अधिक भाग व्यय करता पड़ेगा जिससे उसे उसकी आमदनी की क्रय-न्यायि पहले से अधिक बढ़ हो जायगी परन्तु यदि वस्तु ऐसी है कि उपभोक्ता को उस वस्तु पर अपनी आमदनी का बहुत ही थोड़ा-सा भाग व्यय करना पड़ता है, तब इस वस्तु के मूल्य मे अत्यधिक वृद्धि हो जाने पर भी उसकी आमदनी की क्रय-न्यायि पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है । उदाहरण के लिये, गेहूँ-चने के मूल्यों मे थोड़े से परिवर्तन का आय, घो, दूध के मूल्यों मे अधिक परिवर्तन भी तुलना म समाज के निम्न वर्ग पर अधिक प्रभाव पड़ा करता है । परन्तु साधारण निर्देशांक मे अनिक आवश्यक या कम आवश्यक सब ही वस्तुओं के मूल्यों मे जो परिवर्तन होता है उसे एक समान भार (Weight) दिया जाता है जिससे साधारण निर्देशांक द्वारा दियाया गया मूल्य-परिवर्तन गमाज के लिये अद्यति का ठीक-ठीक अनुमान प्रस्तुत नहीं करता है अर्थात् साधारण निर्देशांक मुझे की क्रय-न्यायि के परिवर्तन को ठीक ठीक नहीं बताना है । इस दोष को भारतीय निर्देशांक बनाकर दूर किया जाता है ।

#### भारतीय निर्देशांक (Weighted Index Number)

भारतीय मा महत्वानुसार निर्देशांक का अर्थ (Meaning of a Weighted Index Number) —जब हम वस्तुओं के सेवाओं को उनके महत्व के अनुसार भार देकर निर्देशांक बनाते हैं, तब इन्हे भारतीय निर्देशांक (Weighted Index Number) कहते हैं । इस प्रकार के निर्देशांक मे प्रत्येक वस्तु का भार (Weight) उसी परिमाण ने दिया जाता है जितना कि उपभोग म उपकार वास्तव म महत्व है । ऐसी वस्तुओं का अधिक महत्व मा भार दिया जाता है जिन पर कोई वर्ग अपनी आमदनी का अधिक भाग खर्च करता है और उन वस्तुओं का अपेक्ष-इत वर्ग महत्व (Weight) दिया जाता है जिन पर मनुष्य अपनी आमदनी का बहुत ज्य भाग व्यय करता है । परन्तु यह भार द्वारा मात्राम दिया जाता है । कुल व्यय मे से निम्न वस्तुओं के अविवत व्यय के अनुसार वस्तुओं का भार (Weight) निकाला जाता है । अब पारिवारिक बहट मे

विभिन्न वस्तुओं पर किये गये व्यय के प्रभुआर ही उन वस्तुओं का भार निर्धारित होता है।

### एक उदाहरण—भारतील निर्देशांक

रहन-सहन व्यय का एक भारतील निर्देशांक (Cost of Living Weighted Index Number)—साधारण निर्देशांक में जो उदाहरण दिया गया है, उसी के आधार पर निम्नलिखित भारतील निर्देशांक बनाया गया है। मात्र लो, गेहूँ व कपड़े पर धी, दूध, सिप्रेट की खपेक्षा दुगुना, चावल व मकान पर डेढ़ गुना व्यय होता है, तब उक्त उदाहरण में कुल भार १० हुआ जो गेहूँ, चावल, कपड़ा, मकान किराया, धी, सिप्रेट तथा दूध पर क्रमशः २, १२, २, १३, १, १ तथा १ हुआ, (कुल मोग = १०)। वस्तुओं के इस प्रकार भार निकालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता के व्यय के बजट में विभिन्न वस्तुओं का सापेक्षिक महत्व क्या-क्या है? प्रत्येक वस्तु का भार निकाल कर सूचक अंक निम्न प्रकार निकाला जाता है:—

संख्या	वस्तु	आधार-व्यय में मूल्य १६३६	आधार-व्यय का भार निर्देशांक सहित	सन् १९५६ में मूल्य	सन् १९५६ में भार सहित निर्देशांक
१	गेहूँ	४-०-०प्र०म०	१०० × २ = २००	१६-०-०प्र०म०	४०० × २ = ८००
२	चावल	२०-०-०प्र०म०	१०० × १३ = १५०	६०-०-०प्र०म०	३०० × १३ = ४५०
३	कपड़ा	०-६-०प्र०गज	१०० × २ = २००	०-१२-०प्र०गज	२०० × २ = ४००
४	मकान	१५-०-०	१०० × १३ = १५०	३०-०-०	२०० × १३ = ३००
५	किराया	प्रति माह		प्रति माह	
६	धी	१-०-०प्र०से०	१०० × १ = १००	६-०-०प्र०से०	६०० × १ = ६००
७	सिप्रेट	०-३-०प्र०प०	१०० × १ = १००	०-६-०प्र०प०	२०० × १ = २००
८	दूध	०-२-०प्र०से०	१०० × १ = १००	०-८-०प्र०से०	४०० × १ = ४००
जोड़ १०००			जोड़ = ३१५०		
औसत = $\frac{1000}{10} = 100$			औसत = $\frac{3150}{10} = 315$		

इस उदाहरण में भारतील निर्देशांक ३१५ है। यह स्पष्ट है कि यह साधारण निर्देशांक की तुलना में कम है।

सूचक अंक बनाने में कठिनाइयाँ (Difficulties in the construction of Index Numbers):—सूचक अंकों का निर्माण करते समय हमें निम्नलिखित चातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तब ही हमारा अनुमान कुछ ठीक बन सकता है:—

(१) आधार-व्यय का चुनाव :—एक मन्दिर आधार-व्यय कौन-सा होता है तथा इन व्यय परी क्या-क्या विविधताएँ होती हैं इस सम्बन्ध में पहले लिखा जा चुका है। एक आधार-व्यय सदा के लिए आधार-व्यय नहीं बन जाता, इसमें समय-समय पर परिवर्तन बरते पड़ते हैं अर्थात् कुछ समय के लिये तो एक आधार-व्यय ठीक रहता है परन्तु कुछ समय याद में सदा घट जाती है जबकि हमें एक नये आधार-व्यय परी छाट बरनी

पढ़ती है। आधार-वर्ष कोनसा लिया जाय, यह निर्देशाक बनाने के उद्देश्य पर भी बहुत कुछ निमराखता है। एक ऐसे वर्ष के चुनाव में बठिनाई पढ़ती है जिसमें कोई विषय घटना नहीं घटी हो। अत आधार-वर्ष के चुनाव में बड़ी सावधानी से कार्य करना चाहिए। इस बठिनाई को दूर करने के लिए विदेशी में सामान्यत, ५ वर्षों के मूल्य-स्तर का औसत लेकर उसे आधार-वर्ष मानते हैं। उदाहरण के लिए, इगलैंड में इतोनोमिस्ट (Economist) निर्देशाक १९४५-५० के औसत-मूल्यों को आधार मानते हैं। (१) प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव — प्रतिनिधि वस्तुओं की द्याट में भी बठिनाई पढ़ती है। एक ही नाम की वस्तुओं में समय-समय पर भिनता हो जाती है तथा इनमें गुणात्मक अन्तर भी हो जाते हैं। वस्तुओं के चुनाव पर सूचक अक बनाने के उद्देश्य पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि हम अभियांत्रों के रहन-सहन व्यय में जो अन्तर समय-समय पर हो जाता है, इसे मालूम करना चाहते हैं तब हम ऐसी वस्तुओं को द्याटना पढ़ेगा जो अधिकतर अमुक थमिक व्यग द्वारा उपभोग में लाई जाती हैं। परन्तु यदि हम सर्व-साधारण के रहन-सहन-व्यय का अन्तर मालूम करना चाहते हैं, तब हमें सर्वसाधारण के उपभोग की वस्तुओं को ही चुनकर निर्देशाक बनाना होगा। इसके अतिरिक्त वस्तुओं में देश, बाल तथा परिस्थितियों के अनुसार भी भिनता हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य सदा एक सी ही वस्तुएँ उपभोग में नहीं लाता, यदि पहले कोई वर्ग मिट्टी के तेल को धरो में रोशनी करने के काम में लाता था, तब वही वर्ग आज विजली का उपयोग करता है। अत सूचक अक द्यनाते समय वस्तुओं के चुनाव में भी बठिनाई पढ़ती है। (२) मूल्यों का मालूम करना — वस्तुओं का मूल्य किस बाजार से मालूम किया जाय ? क्या यह धोक मूल्य हो या फुटकर मूल्य ? इसका निर्वाण भी निर्देशाक के उद्देश्य से प्रभावित होता है। प्राय वस्तुओं के मूल्यों को टीव-टीव मालूम करने में भी बठिनाई होती है। (३) वस्तुओं को भार देना — मारकोल निर्देशाक मालूम करने के लिये हम वस्तुओं को भार देना पड़ता है। कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाए, प्रत्यक्ष दारा में भार का चुनाव कैवल्य अनुमानजनक ही हाना है क्याकि मनुष्यों की इच्छियों में परिवर्तन के साथ ही साथ वस्तुओं का मूल्य भी दलता रहता है। (४) औसत निकालने की बठिनाई — कौन सी पद्धति स औसत निकाला जाय ? क्या हम औसत अवगणित रीति (Arithmetical Average) स निकालें या रेखांशित रीति (Geometric Mean) स ? औसत निकालने की रीति में परिवर्तन करने से एक-सी ही बीमतों से अलग मूल्य अक प्राप्त होते हैं। इस कारण औसत की रीति के चुनाव के सम्बन्ध में बड़ी बठिनाई रहती है। भार और औसत की बठिनाई को दूर करने के लिए माशल (Marshall) न शृखलाकारी सूचनाका (Chain Index Number) का मुकाबला दिया है।

निष्ठय — उत्त विवरण स यह स्पष्ट है कि सूचक अक का निपाण करने में अनेक बठिनाई पढ़ती है जिनके कारण प्राय सच्चे व बास्तविक मूल्य अक संयार नहीं होता पाते हैं। यही कारण है कि “अक मूल्य-स्तर या मुद्दा के मूल्य के परिवर्तनों को भी शीघ्र-शीघ्र नहीं नापन पाते हैं। यद्यपि मूल्यक अक का म गणितात्मक सत्यता

(Arithmetical Truisim) नहीं पाई जाती है, परन्तु इन अंकों में यह दोपहोते हुए भी यह कहा जा सकता है कि सूचक अंकों की सहायता से द्रूम मुद्रा के मूल्य परिवर्तन का एक अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए मार्शल (Marshall) ने यहा॒ है कि "मुद्रा की ऋण-शक्ति को दूरांतः सही साप सेना न केरल छसमध्य है अधिकारणीय भी है।"<sup>6</sup>

### निर्देशांकों के प्रकार (Types of Index Numbers)

सूचक अंकों के भेद (Types of Index Numbers) :- सूचक अंकों के निम्नलिखित मुख्य भेद हैं:-

(१) घोक-मूल्यों के निर्देशांक (The Wholesale Price Index Numbers):—इस प्रकार के निर्देशांक कुछ मुख्य-मूल्य वस्तुओं की घोक-मूल्यों (Wholesale Prices) के आधार पर तैयार किये जाते हैं। प्रायः इनको बनाने में वेवल वच्चे मालों के मूल्यों को ही सम्मिलित किया जाता है। इन वस्तुओं को अवसर दो तर्जों में बाट लिया जाता है—या तो खाद्य-ज्ञामयी और अन्य धरात्रों में या गृहधर और गैर-गृहधर वस्तुओं में। इन सूचक अंकों के निर्माण करने में घोक मूल्यों को, राष्ट्रीय व्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं के तुलनात्मक महत्व के अनुसार व्यापर (Weight) दिया जाता है। अमेरिका में इस प्रकार के सूचक उनको को तैयार करने के बीच ५५० वस्तुय सम्मिलित भी जाती है और इनके मूल्यों में भार (Weight) भी बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से दिया जाता है। यह स्पष्ट रहे कि मुद्रा की ऋण-शक्ति के परिवर्तनों को नापने के लिये अवसर इन घोक मूल्यों के निर्देशांकों का ही उपयोग किया जाता है। परन्तु इन अंकों के इस प्रकार के उपयोग में तीन महत्वपूर्ण दोष हैं:—(क) ये अंक कच्चे-माल सुधा अन्य अनिमित वस्तुओं के मूल्यों से तंयार किये जाते हैं। यह स्पष्ट ही है कि अनिमित वस्तुओं का आर्थिक जीवन में जो महत्व होता है वह निर्मित वस्तुओं से पूर्णतया भिन्न होता है जिसके कारण ये निर्देशांक मुद्रा के मूल्यों के परिवर्तनों को नापने के लिए ठीक नहीं माने जाते हैं। (ख) इन अंकों के तैयार करने में व्यवितरण सेवाओं से तथा वस्तुओं के विक्री करने के बीच वो सम्मिलित नहीं किया जाता है जिससे ये मुद्रा की ऋण-शक्ति के ठीक-ठीक मापक नहीं होते हैं। (ग) इन अंकों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है।

(२) अभिक वर्ग जीवन-निर्धारित्य प्रबन्धक अंक (Working class cost of Living Index Numbers):—इस प्रकार के सूचक अंक उन मुख्य-मूल्य वस्तुओं के फुटकर मूल्यों (Retail Price) के आधार पर बनाये जाते हैं जो साधारणतया अभियों के उपयोग में सम्मिलित होती हैं। इन अंकों को तैयार करने में सेवाओं के मूल्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है और उपयोग भी विभिन्न भदों और उचित भार (Weight) भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश थम-मन्त्रालय (British Labour Ministry) ने सरकारी अभियोग जीवन-निर्धारित्य प्रबन्धक अंक तैयार

"A perfectly exact measure of the purchasing power is not only unattainable but even unthinkable." —Marshall.

करने में इस प्रकार भार (Weight) निर्धारित किये हैं—भोजन ६०, किराया १६, वस्त्र १२, ई धन व सेवाओं व तथा अन्य फुटपर (Miscellaneous)। इस प्रकार के निर्देशांकों का मजदूरियों के निश्चित वरने अथवा इनमें समय-समय पर परिवर्तन वरने के लिये उपयोग किया जाता है।

(३) जीवन निर्वाह व्यय सूचनाक या उपभोग सूचक घक (Cost of Living Index Number or Consumption Index Number) — इन सूचक घकों को बनाने में तमाम मूल्य मुख्य वस्तुओं व सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है तथा इनको उचित भार दिया जाता है। ये वस्तुयें व सेवायें प्रतिनिधिस्वरूप होती हैं क्योंकि उपभोग की तमाम वस्तुओं व सेवाओं को सम्मिलित कर लेना व्यावहारिक जीवन में सम्भव नहीं होता है। इन निर्देशांकों का उद्देश्य जीवन-निर्वाह व्यय में परिवर्तन को नापना अथवा मुद्रा के मूल्य परिवर्तन को नापना ही होता है। असिक वर्ग जीवन-निर्वाह व्यय सूचक घक तथा जीवन निर्वाह व्यय सूचक घक में एक महत्वपूर्ण अन्तर होता है और वह यह है कि प्रथम प्रकार के निर्देशांक में सेवाओं का मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाता है परन्तु दूसरे प्रकार के सूचक घक में सेवाओं का मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है। परन्तु इन निर्देशांकों में यह एक बड़ा दोष है कि अक्सिगत सेवाओं पर किये गये व्यय को वाम महत्व दिया जाता है। इसीलिए इन निर्देशांकों का मुद्रा की क्रय क्षक्ति के निश्चित मापक के हृप में उपयोग करना उचित नहीं होता है।

(४) शौद्धोगिक सूचनाक (Industrial Index Numbers) — सूचक घकों का उपयोग देश की शौद्धोगिक दशा को जानने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार के निर्देशांकों वो तैयार वरने के लिए हम देश के मिल्न भिन्न उत्पादन-घन्थों की उत्पत्ति के बारे के एकत्र करते हैं। आधार वर्ग वा उत्पादन १०० मानकर अन्य वर्गों के शौद्धोगिक उत्पादन के परिवर्तन का अनुमान सूचनाकों द्वारा लगाया जाता है। इस समय भारत में कलकत्ते से 'कैपिटल' नामक साप्ताहिक पत्र एक शौद्धोगिक सूचनाक सन् १९३२ से बराबर प्रकाशित कर रहा है।

उक्त निर्देशांक के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के सूचक घक भी हैं, जैसे आम निर्देशांक, आधिक स्थिति वे निर्देशांक आदि।

### निर्देशांकों के उपयोग अथवा लाभ व सीमाएँ

(Uses, Advantages and Limitations of Index Numbers)

निर्देशांकों के उपयोग अथवा लाभ (Uses and advantages of Index Numbers) — निर्देशांक अनेक प्रकार वे होते हैं। इनके अपने-अपने उपयोग तथा लाभ हैं—(१) जीवन निर्वाह व्यय सम्बन्धी-सूचक घक — इन निर्देशांकों से यह पता चल जाता है कि रहन-सहन-व्यय बढ़ रहा है या घट रहा है अथवा वर्षियों की वास्तविक मजदूरी बढ़ रही है या घट रही है और यदि वास्तविक मजदूरी में परिवर्तन हो रहा है तब यह परिवर्तन पहले किसी आधार-वर्ग की तुलना में किस अनुपात में हो रहा है। इस प्रकार

की जानकारी से यह साम होता है कि मिल मानित तथा अधिकों के मजदूरी-सम्बन्धी प्राप्ति के भगटे आगामी से तय हो जाते हैं, और गिरिक शाति स्थापित हो जाती है, अधिकों का असुन्तोष दर हो जाता है जिससे समाज में उत्पादन-उत्पादन-पुश्टि नहीं होने पाती है। अतः जीवन-निर्वाह व्यय-सम्बन्धी सूचक अक्ष के मजदूरी तथा रहन-सहन-व्यय में समायोजन (Adjustment) स्थापित करने में सहायक होते हैं। (१) विक्री तथा मूल्य-सूचक अंक-विसी व्यापारी के व्यापार के आधार पर, वह इन सूचक अंकों से इस व्यापारी को यह पता चल जाता है कि उसके हारा उत्पादित वस्तुओं की विक्री पढ़ रही है या वड़ रही है और वह परिवर्तन किस अनुपात में हो रहा है अथवा कौन-कौन सी वस्तुओं की विक्री पढ़ रही है। इसके अतिरिक्त व्यापारी को प्रत्येक माल के क्रांति-विक्रय का ठीक-ठीक समय भी इनमें पता चल जाता है। यही बात मूल्यों पर भी लागू होती है। अतः विक्री तथा मूल्य-गम्भीरी सूचक अंक व्यापारियों, कम्पनियों तथा उत्पादकों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। (२) मुद्रा के मूल्य परामर्श—सामाजिक मूल्यरतर सम्बन्धी सूचक अंक (General Price Level Index Number) हमें मुद्रा के मूल्य के घट-बढ़ का ज्ञान प्राप्ति है। इस प्रकार की सूचना व्यापारियों, अधिकों तथा सरकारों के लिए अत्यधिक लाभप्रद होती है। यदि ये अंक धीरे-धीरे बढ़ते हैं, तब इनमें अर्थ है कि मूल्यों में दर्ने दर्ने वृद्धि हो रही है जिसमें व्यापार में हड्डना और स्थिरता होती जा रही है। इसके विपरीत अंकों में कभी हो जाने वाला अर्थ है कि मूल्यों में कभी होती जा रही है तथा भी दाल के कारण व्यापारिक उत्पाद-पुश्टि हो जाने की आमायना उत्पन्न होती जा रही है मूल्यों में परिवर्तन पर समाज के विभिन्न वर्गों। पर भी भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। इस गरह इन अंकों द्वारा मुद्रा-उत्पत्ति (Inflation) या मुद्रा-विस्फीति (Deflation) के दारणा उत्पन्न होने वाले सामाजिक अन्याय (Social Injustice) की भी भली प्रकार जानकारी हो जाती है। सूचक अंकों द्वारा जब सरकार को मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों की जानकारी हो जाती है तब वह इसके बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए वेच-दर, निमिय-दर तथा साप की भाँति पर उचित नियन्त्रण की नीति अपनाती है। (३) विदेशी व्यापार-सम्बन्धी सूचक अंकः—इन अंकों में विदेशी व्यापार की स्थिति वा ज्ञान हो जाता है और इस जानकारी से विदेशी व्यापार के मुग्धतान में अल्लूलन की अवस्था आगामी में उत्पन्न की जा सकती है। (४) उत्पत्ति गम्भीरी निर्देशांकः—इन अंकों से पता चल जाता है कि कौन-कौन से उद्योगों में उत्पादन घट रहा है और कौन-कौन से उद्योगों में उत्पादन घट रहा है। इस प्रकार की जानकारी के आधार पर ही सरकार उद्योगों को दी जाने वाली आधिक सहायता साधनी नीति निर्धारित रखती है। बारम्बादे के गालिकों को इन शब्दों से यह पता चल जाता है कि उनके खारखानों का काम दिस प्रभार का चल रहा है। (५) छलों तथा छलादाता को लाभ-इन शब्दों द्वारा छलों परने जूरे के नुकाने का आदर्श तथा उचित गम्भीर वा पता जगा गरिता है क्योंकि जब अंक अंक लेने समय की तुलना में ऊचे होते हैं, तब छलों द्वे तुकाने में अंकों को लाभ होता है (Higher the Index Number, greater is the gain for the

debtor in repayment of the Debt and vice versa)। इसी प्रकार एक प्रशंसादाता इन यों की सहायता से अपने स्पष्ट योग उपार देने\_वा टीक समय परा लेगा सकता है। (v.) धन्य उपयोग—रेलवे\_भी\_गाड़ियों\_से सम्बन्धित सूचक यों के तंयार करती है। इन यों को से उसे पता चल जाता है कि विसी विद्युत अवसर पर जैसे मेला आदि, उसे वित्ती गाड़ियों यो लेताना चाहिये ताकि अगली बार जनता यो असुविधा नहीं होने पाये। वैकं भी अपन्य-अपन्य पर की जाने वाली रथयों की मांग सम्बन्धी सूचक यों के तंयार करते हैं ताकि वे ऐसे महीनों में सकदी की मात्रा यो बढ़ा सकें जिनमें रथयों की मांग अधिक होती है। अत अनेक व्यापारिक सत्थानों यो सूचक यों के अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं।

**निष्पत्ति** —प्रो० फिशर (Fisher) ने टीक ही कहा है कि वस्तुओं का मूल्य-स्तर स्थायी रखने के लिए तथा व्यापार में स्थायित्व लाने\_वे लिए निर्देशाक बहुत उपयोगी होते हैं। सूचक यों की सहायता से यह आसानी से पता चल जाता है कि देश में व्यापारिक स्थिति बंसी है, साम दानि यो दशा क्या है, पूँजी में विस प्रकार की गतिशीलता है, मूल्य स्तर में विस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं और इनसे समाज के विभिन्न वर्गों पर विस प्रकार के प्रभाव पड़े हैं? निर्देशाक हमें व्यापारिक, आर्थिक तथा वित्त सम्बन्धी समस्यायों यो हल परने में भी बहुत सहायता होते हैं। एक व्यापारी इनकी सहायता से मजदूरों के मजदूरी सम्बन्धी भगडे आसानी से निर्देश लेता है वयोंकि इनकी सहायता से मजदूरों तथा रहन-राहन व्यय में आसानी से समाप्तेन (Adequate) क्यिया जा सकता है, व्यापारी को अपने-जाभ-ट्रानि\_की जानकारी में भी ये बहुत सहायता होते हैं और वह इस जानकारी के आधार पर हो अपनी व्यवसायिक नीति निर्धारित करता है। कुछ व्यापारी अपने कार्यकर्ताओं की बुशलता का सूचक यों का तंयार बराते हैं और उन्हें तरकारी इन्हीं के आधार पर देते हैं। सटे व्यापारियों यो भी सूचक यों के अपने व्यापार में बहुत सहायता मिला करती है। सरकार यो भी इन यों से बहुत लाभ होता है। इन यों की सहायता से उसे पता चल जाता है कि मुद्रा के मूल्य में क्या स्थिति है, जीवन-निर्धारह व्यय में विस प्रकार का परिवर्तन हुआ है आदि और इस जानकारी के आधार पर वह एक उचित वित्त तथा कर—(Tax) सम्बन्धी नीति निर्धारित करती है। सरकार नी देश के आर्थिक नियोजन (Economic Plan) में भी बहुत सहायता मिलती है। एक राजनीतिज्ञ तथा समाज सुधारक भी इन यों की सहायता से देश की आर्थिक स्थिति यो समझ सकता है और वह राज्य की नीति की उचित आलोचना कर सकता है।

### सीमाएँ (Limitations)

**निर्देशाकों की सीमाएँ** (Limitations of Index Numbers) —यद्यपि सूचक यों के बहुत उपयोगी हैं इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता है, और ही रहा है, परन्तु किर भी इनमें कई महत्वपूर्ण दोष भी हैं—(i) इनसे अन्तर्व्युत तुलना\_गही की-

वा सकती है—मूचक अंको के आधार विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न होते हैं। इसके प्रतिरित गुण व परिमार्ण के प्रनुसार भी चरहुए प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न होती हैं। इन पारणों से मूचक अंकों की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय तुलना नहीं की जा सकती है।

(ii) समय का अन्तर हो जाने पर मूचक अंकों की सहायता से तुलना करना कठिन हो जाता है—समय के बीतने पर मनुष्य के उपभोग की आदतों में भी परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य एक तरफ दिन कुछ नहीं बरतुओं का उपभोग करने सकता है, तब दूसरी तरफ वह या तो कुछ बरतुओं का उपभोग पहले से कम बर देता है या इनका उपभोग बिल्कुल ही बन्द बर देता है। आज से ३०-४० वर्ष पूर्व चाय का उपभोग लगभग नहीं के बराबर था, परन्तु आज इसका उपभोग घर-घर में दिन में २-३ यार होता है।

इसी तरह आज से १५-२० वर्ष पहले टाई का आम रिवाज था, परन्तु आज इसका उपयोग पहले से बहुत बम हो गया है। अतः कुछ समय पूर्व उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों के आधार पर यने मूचक अंकों की आज के उपभोग की बरतुओं के मूल्यों पर आपारित गूचक अंकों से तुलना बरना उचित नहीं होता है। इस निलाई को दूर परने के लिए ही मार्शल (Marshall) ने शूलकारी मूचक अंक (Chain Index Numbers) बनाने का सुझाव दिया है। (iii) मूचक अंकों का सीमित उपयोग होता है—एक मूचक अंक विसी साथ उड़े इसमें ही बनाया जाता है। इस कारण इस मूचक अंक का अन्य विसी दूसरी क्रिया के अध्ययन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, यदि निर्देशांक दाक्याने में बारं करने वाले डाकियों की आधिक स्थिति का अध्ययन बरने के लिए बनाये गये हैं, तब इन्हीं से बन्केंट के पेशवारों की आधिक दरावां वी जानवारी नहीं हो सकती है क्योंकि प्रथम तो इन दोनों वर्गों की आपदनी में बहुत भिन्नता होती है और इतीम इन दोनों वर्गों की उपभोग की वस्तुओं में भी काफी अन्तर रहता है। अतः गूचक अंकों का बहुत ही सीमित उपयोग होता है।

(iv) मूचक अंक विलुप्त सत्य परिणाम नहीं देते हैं—मूचक अंकों में गणितात्मक सत्यता (Arithmetical Accuracy) नहीं पाई जाती है। इस तरह इनमें वेवल समीक्षा (Approximation) का गुण पाया जाता है। अतः गूचक अंक का विलुप्त सत्य परिणाम नहीं देते। किंतु भी ये अंक मुद्रा के मूल्य के परिवर्तन का सत्य के समीप सवेत देते हैं। (v) ये मुद्रा के मूल्य के परिवर्तन की राही सूचना नहीं देते हैं—प्रायः मूचक अंक घोक मूल्य (Wholesale Price) वे आधार पर बनाये जाते हैं क्योंकि इस प्रकार के मूल्यों वी जानवारी मासानी से हो जाती है। परन्तु घोक मूल्य अंक (घोक मूल्यों पर आपारित मूचक अंक मुद्रा) के मूल्य में परिवर्तन वी सही सूचना नहीं देते। बारतव में इस बार्य के लिये गूचक अंक कुट्कर मूल्यों पर मापारित होने चाहिये। परन्तु कुट्कर मूल्यों की जानवारी में बहुत अटिनाई होती है। अतः गूचक अंक (घोक मूल्यों पर मापारित) मुद्रा के मूल्य-परिवर्तन वी ठीक-ठीक सूचना नहीं देते हैं। (vi) भारतों की मनवानी तौर पर ही दिया जाता है—भारतीय मूचक अंकों में भार का देना स्वीकृत (Arbi-

trary) होता है। अत भारों की ठीक-ठीक जानकारी में कठिनाई होने से सूचक अक्ष की ठीक परिणाम नहीं देते।

निष्कर्ष — इस्त विवेचन से स्पष्ट है कि निर्देशांकों के बनाने में अनेक निर्दिष्टाइया होती हैं तथा इनका उपयोग भी अनेक बारों से सीमित होता है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सूचक अक्ष के उपयोगिता-रहित होते हैं। वैरिंग व मुद्रा के क्षम्भ में मुद्रा के मूल्य के परिवर्तन से सम्बन्धित अनेकों समस्याओं का अध्ययन वहूत महत्वपूर्ण होता है। मूचक अक्ष का चाहे जितने अपूरण अथवा दोपूरण वर्णों त हो, परन्तु यह सर्वमात्र है कि आज मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों को नापने का अन्य कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं है। जब तक इस प्रबाल के परिवर्तनों को नापने का अन्य कोई दूसरा अधिक सन्तोषजनक साधन उपलब्ध नहीं होता, सूचक अक्ष को का महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं हो सकता। तनिक मावधानी से इन अक्षों का निर्माण कर लेने पर ये हमें सत्यता के बहुत कुछ सीमित परिणाम दे देन हैं जिससे निर्देशांक आज वहूत ही उपयोगी हैं।

### भारत में निर्देशांक

#### (Index Numbers in India)

भारतीय सूचक अक्ष (Indian Index Numbers) — भारत में सूचक अक्ष के तैयार करने के आजवल दो मुख्य स्रोत हैं — (क) सरकारी तथा (ख) गैर-सरकारी। भारत सरकार प्रतिमास एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसमें देश की व्यापारिक दशा वे सूचक अक्ष के होते हैं। इसके अतिरिक्त सन् १९३६ से भारत सरकार द्वे आधिक सलाहकार द्वारा भी सूचक अक्ष तैयार किये जाते हैं। ये अक्ष प्रतिमास एवं पत्रिका (Bulletin) में प्रकाशित किये जाते हैं जिसमें २३ वस्तुओं के द्वारा सूचक अक्ष तथा १८ मुख्य इष्टि वस्तुओं के सूचक अक्ष होते हैं। बम्बई तथा उत्तर-प्रदेशीय सरकारें भी बम्बई तथा बानपुर के क्षम्भ द्वारा सूचक अक्ष का प्रकाशित करती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रान्तीय सरकारों ने लेवर कमिशनर्स (Labour Commissioners) भी नियुक्त कर रखे हैं जो सूचक अक्ष बनाने वा बाम भी करते हैं। इस तरह प्रान्तीय सरकारों द्वारा बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, जबलपुर तथा नागपुर के भजदूरों के रहन सहन व्यय से सम्बन्धित सूचक अक्ष का समय-समय पर प्रकाशित किये जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया भी अपनी पत्रिका (Bulletin) में कुछ मुख्य सूचक अक्ष का प्रकाशित करता है। गैर-सरकारी स्रोतों में भारतवर्ष की कुछ प्रमुख पत्र-पत्रिकायें तथा अनेक व्यापारिक मस्थायें भी समय समय पर सूचक अक्ष प्रकाशित करती हैं। भारत में ईस्टर्न इकोनोमिस्ट (Eastern Economist), बॉम्बे (Commerce), कैपिटल (Capital) पाइनास (Finance) तथा इण्डियन ट्रेड जर्नल (Indian Trade Journal) आदि-एक एक्षिक्यों-द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक प्रकाशित किये जाते हैं। इसी तरह इण्डियन चैम्बर ऑफ चामर्स (Indian Chamber of Commerce, Calcutta) ऐम्पलोयमेंट एसोसियेशन ऑफ नोर्डर्न इण्डिया (Employer's Association of Northern India, Kanpur) आदि व्यापारिक मस्थायें द्वारा भी समय समय पर सूचक अक्ष प्रकाशित किये जाते हैं।

भारतीय सूचक अंकों के तैयार करने में कठिनाइयाँ तथा उनके दोष (Difficulties and Defects in the Preparation of Indian Index Numbers):--भारत में तैयार किये जाने वाले सूचक अंक प्रायः अपूर्ण तथा विश्वास रहित होते हैं यद्योऽपि इनको तैयार करने के साधन तथा तरीके दोनों ही अनुपयुक्त हैं। भारत में भाव इकट्ठे करने के साधन असंतोषजनक हैं तथा विश्वास, योग्य व अनुभवी जांचकर्ताओं का पूर्ण अभाव है। जो सेखपाल या अन्य ध्यक्ति इन आंकड़ों को इकट्ठा करता है उसे दायद ही यह मालूम होता हो कि वे आंकड़े किस लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं। लगान अधिकारी (Revenue officials) जो अन्य सरकारी कार्यों में प्रत्याधिक व्येष्ट रहते हैं, वे तो इस और पूर्णतया तट्टस्य रहते हैं। यही कारण है कि भारत में मन्त्र आंकड़ों की तुलना में कृषि-सम्बन्धी आंकड़े तो अत्यधिक असंतोषजनक तथा अविश्वासी होते हैं। आशा है भारतीय सरकार इस कमी को शीघ्र ही बहुत कुछ दूर कर सकेगी यद्योऽपि विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में देश में आर्थिक नियोजन असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

### परीक्षा-प्रश्न

**Agra University, B. A. & B. Sc.**

१. सूचनाक किसे कहते हैं, इनके द्वारा भारतीय दृष्टये के मूल्य में परिवर्तन किस प्रकार नापा जा सकता है? (१९५८ S)
२. सूचनाक पर नोट लिखिये। (१९५८ S, १९५८, १९५७, १९५६ S, १९५५)
३. What are Index Numbers and how are they prepared? Show how Index Numbers can be used to measure changes in the value of money. (1956 S)
४. What are Simple Index Numbers? How are they constructed? Give their uses. (1954)

**Agra University, B. Com.**

१. एक साधारण निर्देशांक और एक भारतीय निर्देशांक में अन्तर बताइये। निर्देशांकों का महत्व क्या है? (१९६०)
२. नोट लिखिए--साकेतिक (Index Numbers) (१९५६)
३. What are Index Numbers? How do they help in measuring the value of Money? (1958 S)
४. Explain the nature, construction and uses of Index Numbers of prices. (1957)
५. What are Index Numbers? How are they prepared? Discuss their utility. (1956)
६. Explain the purpose and method of preparing index number. What is a 'weighted index number' and why is it prepared? (1955 S)

**Rajputana University, B. A.**

१. Write a note on—Index Number. (1954)

**Rajputana University, B. Com.**

१. Discuss the importance and purpose of weighting in constructing Index Numbers (सूचनाक या निर्देशांक) and indicate the practical difficulties in the way. (1958)
२. What is an Index Number (सूचनाक या निर्देशांक)? Examine the difficulties experienced in measuring changes in the value of money with the help of Index Numbers. (1956)
३. What are the uses and objects of a general prices index number? Briefly discuss the various steps involved in its construction. (1955)

**Sagar University, B. A.**

१. देशनांक कैसे निर्माणित किये जाते हैं? उनके मुख्य उपयोगों को दर्शाइये

(१६५६) 2 What do you understand by Index Number ? How are they prepared? Explain their uses in the study of Economic problems (1958)

Sagar University, B Com

१ देशनाक किस प्रकार निर्माणित किए जाते हैं ? देशनावों के निर्माण की कठिनाइयों को बताइये । (१६५६)

Jabalpur University, B A

१ उदाहरण सहित सरल और गुणवृत्त देशनाक (Simple and weighted Index Numbers) समझाइये (१६५६) २ नोट लिखिय—देशनाक (Index Numbers) । (१६५६)

Allahabad University B A

१ नोट लिखिए—सूचनाक (१६५७ १६५५) २ देशनाक क्या है ? सामान्य देशनाक का अनुगणन करने की विधि (Method of constructing) समझाइये । (१६५६)

Allahabad University B Com

1 Write a short note on—Index Numbers (1958)

Gorakhpur University B Com

I How is the variation in the value of money measured ? What are the defects in the system of Index Numbers ? To what extent can they be remedied ? (Pt II) (1959)

Bihar University, B A

1 What do you mean by the General Price Level ? How do you measure changes in it ? 1958)

Nagpur University B A

१ मुद्रा मूल्य के परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है ? इनमें आपने बाली कठिनाइया बताइये ? (१६५६) २ मुद्रा के मूल्य (Value of Money) के परिवर्तन नापने के लिये निर्देशांक (Index Numbers) का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ? वह समझाइये । (१६५७) ३ सरल देशनाक और गुणवृत्त देशनाक (Simple and Weighted Index Numbers) का क्या महत्व है ? मुद्रा संघर्ष स्पष्ट कीजिये । (१६५६) ३ मुद्रा (Money) की परिभाषा दीजिये । मुद्रा मूल्य में परिवर्तन को नापने की कोई एक व्यवहारिक रीति का बताना कीजिये । (१६५५)

परोक्षोपयोगी प्रश्न तथा उनके उत्तर का संकेत

प्रश्न १—(i) सूचनाक किसे कहते हैं ? इनके द्वारा भारतीय उपयोग के मूल्य में परिवर्तन किस प्रकार नापा जा सकता है ? (Agra B A १६५६ ८) (ii) सामान्य देशनाक का अनुगणन करने की विधि समझाइये (Allahabad B A १६५६) (iii) देशनाक क्ते निर्धारित किये जाते हैं ? उनके मुख्य उपयोगों को इशार्ये (Sagar B A १६५६), (iv) देशनाकों के निर्माण की कठिनाइयों को बताइये (Sagar, B Com १६५६) (v) मुद्रा के मूल्य के परिवर्तन नापने के लिये निर्देशांक का किस प्रकार उपयोग किया जाता है वह समझाइये (Nagpur, B A १६५७)

(vi) How is the variation in the value of money measured? What are the defects in the System of Index Number? To what extent can they be remedied? ( Gorakh, B. Com. 1957)

**संकेतः—**उक्त प्रश्नों में पांच बातें पूछी गई हैं— निर्देशांकों का बया अर्थ है ? इनके अनुगणन करने की क्या विधि है ? इसमें क्या-क्या कठिनाइयां पड़ती हैं ? निर्देशांकों के बया-बया दोपां हैं तथा इन दोपों को दूर करने के लिये क्या-क्या उपाय किये जाते हैं ? इनके बया-बया मुख्य उपयोग हैं ? प्रथम भाग में सूचनाओं का अर्थ एक-दो परिभाषाओं के आधार पर दीजिए (आधा पृष्ठ), द्वितीय भाग में इनके बनाने की विधि बताइये, जैसे आधार वर्ष का चुनाव होता है, वस्तुओं व सेवाओं का चुनाव किया जाता है, वस्तुओं के मूल्यों का चुनाव होता है, तदपश्चात् मूल्यों को प्रतिशत में दिखाया जाता है और अन्त में औसत निकाला जाता है। इस तरह निर्देशांक प्राप्त हो जाता है (यह स्मरण रहे कि ये सब विधियां साधारण निर्देशांक की हैं। यदि भारतीय सूचनांक निकाला जाता है, तब इसमें भारत देने की किया तथा उससे सम्बन्धित गणना में परिवर्तन को भी विधि में लिखना होगा) साधारण निर्देशांक का एक उदाहरण दीजिये। यदि उदाहरण भारतीय है, तब इससे भारतीय रूपये के मूल्य के परिवर्तन का ज्ञान हो जाता है (दो-ढाई पृष्ठ)। तृतीय भाग में सूचक अंकों को बनाने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें लिखिये जैसे—आधार-वर्ष के चुनाव में कठिनाई, प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव में कठिनाई, वस्तुओं का मूल्य मालूम करने में कठिनाई, औसत निकालने में कठिनाई और यदि भारतीय निर्देशांक मालूम किया जा रहा है, तब वस्तुओं को भारत देने में कठिनाई होती है आदि। इन कठिनाइयों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालिये कि कभी-कभी सूचनांक सच्चे व वास्तविक नहीं होते हैं जिससे ये मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों को भी ठीक-ठीक नहीं नापने पाते हैं (एक पृष्ठ)। अत्यर्थ भाग में निर्देशांकों के लाभ एवं उपयोग बताइये, जैसे—जीवन-निर्बाह-व्यय सूचक अंकों से पता चल जाता है कि रहन-सहन का व्यय घट रहा है या घट रहा है या वास्तविक मजदूरी घट रही है अथवा बढ़ रही है, विक्री व मूल्य-सम्बन्धी अंकों से पता चल जाता है कि व्यापार की विक्री घट रही है या बढ़ रही है अथवा किस वस्तु की विक्री बढ़ रही और किस वस्तु की घट रही है अथवा किस समय विक्री बढ़ती है और किस समय यह कम होती है, राज्य मूल्य-स्तर (या मुद्रा के मूल्य का माप) सम्बन्धी सूचक अंकों से पता चलता है कि मुद्रा का मूल्य घट रहा है, अथवा बढ़ रहा है। व्यापार सम्बन्धी विदेशी अंकों से विदेशी व्यापार तथा भुगतान के सन्तुलन की स्थिति का ज्ञान होता है, उत्पत्ति निर्देशांकों द्वारा उत्पत्ति की मात्रा में घट-बढ़ का ज्ञान होता है तथा यह घट-बढ़ किस उद्योग में हो रही है। सरकार की आर्थिक सहायता देने की नीति इन्हीं अंकों के आधार पर निर्धारित होती है। सूचक अंकों से ऋणी-ऋणदाताओं को भी लाभ है क्योंकि ऋणी को ऋणे के भुगतान तथा ऋणदाता को ऋण देने का उचित समय पता चल जाता है, इसी तरह इन अंकों का उपयोग रेलवे, बैंक आदि भी बरते हैं जिन्हें इनकी सहायता से व्यापार सम्बन्धी अनेक सूचनायें प्राप्त हो जाती हैं। निष्पर्यं लिखिये और बताइये कि देशीक व्यापारिक आठिं वित्तीय सम्बन्धी ममस्याओं के हल करने में बहुत

सहायक होते हैं (एक-डेढ़ पृष्ठ) पाचवें भाग में सूचक अको के दोष (सीमायें) बताइये, जिसे इनसे अन्तरीक्षीय तुलना नहीं की जा सकती है, सभय का अन्तर हो जाने पर इन अको की सहायता से तुलना नहीं की जा सकती है, अक किसी विशेष उद्देश्य से बनाये जाते हैं जिससे इनका सीमित उपयोग होता है, अको में गणितीय सत्यता नहीं होती है और इनमें समीपता का गुण पाया जाता है, अबसर ये मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों की सही-सही सूचना नहीं देते हैं, भारदील अको में भार ठीक-ठीक नहीं देने पर अक ठीक परिणाम नहीं होते हैं यादि । निष्पर्य निवालिये कि इन दोषों के होते हुए भी मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों को नापने का यही एक भाव साधन उपलब्ध है (एक पृष्ठ) ।

**नोट**—उक्त प्रश्नों के उत्तर में यदि भारदील अको के सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत लिख दिया जाय, तब अनुचित नहीं होगा परन्तु गणितीय उदाहरण देना अनावश्यक है ।

**प्रश्न २**—(i) उदाहरण सहित सरल और गुरुकृत देशनांक 'समझाइये (Jabb. B. A १९५६), (ii) सरल देशनांक और गुरुकृत देशनांक का क्या महत्व है ? पूर्णतया स्पष्ट कीजिए (Nagpur, B. A १९५६), (iii) Discuss the importance and purpose of weighting in constructing Index Numbers and indicate the practical difficulties in the way (Raj, B. Com 1958), (iv) "Index Numbers measure the changes in price-level, but the items included in the index have different importance, therefore the index is weighted according to the expenditures on the items (Crowther). Explain the above statement fully (Patna, B. Com. 1952)

**संकेत**—उत्तर के प्रारम्भ में एक-दो परिभाषाओं के प्राधार पर सूचक अको का अर्थ समझाइये (एक पैरा) और यदि प्रश्न में सरल व भार युग (महत्वदर्शी) दोनों ही प्रकार के सूचक अको के बारे में पूछा है, तब पहले सरल निर्देशाक बनाइये और फिर इसी उदाहरण के प्राधार पर भार-गुरुकृत निर्देशाक बनाइए । यह स्पष्ट कीजिये कि इन दोनों प्रकार से निर्देशांकों को बनाने में परिणामों में क्या अन्तर होता है (एक पृष्ठ) । फिर सक्षम पर इन अको को बनाने की विधि बताइए—एक-एक या दो-दो वारपा में प्रत्येक ८ ep को लिखिये परन्तु भार का अर्थ व इसके प्रयोग की रीति तथा भार दर्ते वे महत्व नो तनिक विस्तार से लिखिये (एक-डेढ़-पृष्ठ) । उत्तर के द्वितीय भाग में निर्देशाकों के महत्व व लाभों को लिखिये (प्रश्न १ के संबंध में पढ़ियें) । तृतीय भाग में, अको के बनाने में जिन कठिनाइयों का सम्मता वरना पढ़ता है, उन्हें लिखिए (प्रश्न १ का संबंध पढ़ियें) ।

**प्रश्न ३**—i) How far do you believe in the reality of the General Price Level ? How do you overcome the plurality in the price movements while trying to measure the purchasing power of money ? (Patna B. Com 1948). ii) "General purchasing Power of Money is a misleading concept" Discuss (Patna, B. A. 1952)

**संकेत**—उत्तर के दो भाग हैं—प्रथम भाग में यह बताइये कि सामाजिक मूल्य-स्तर क्या एक वस्तुनामात्र व अभावात्मक विचार माना जाता है—सीमाज में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं के मूल्य म घटन बढ़ने वा कोई निश्चित अनुसार होता है वयोःकि प्रत्येक वस्तु वा मूल्य उसकी मात्र व पूर्ति के सापेक्षिक महत्व में अनुसार नियारित होता है, यद्यपि मन्त्रीवाद म सामान्यता समस्त दम्भुओं के मूल्य म घटन और मुद्रावाच म

समस्त वस्तुओं के मूल्य में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, तथापि समस्त वस्तुओं के मूल्य में घट-बढ़न तो समान अनुपात में और न समान दिशा में ही होती है। मन्दीकाल में यद्यपि मूल्यों में कमी होती है, परन्तु कुछ वस्तुये ऐसी भी होती हैं जिनके मूल्य में या तो कमी नहीं होती और अगर होती भी है तब तुलना में अनुपात से कम। इसी तरह तेजीकाल में यद्यपि मूल्यों में वृद्धि होती है परन्तु इस काल में भी कुछ वस्तुये ऐसी होती हैं जिनके मूल्य में या तो वृद्धि नहीं होती और अगर होती भी है तब अन्य वस्तुओं की तुलना में अनुपात से बहुत कम। इसीलिये वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन की इन विशेषताओं के कारण एक सामान्य मूल्य-स्तर की कल्पना अत्यन्त अभास्तक है उदाहरण सहित उत्तर लिखिये (एक-डेढ़-पृष्ठ)। द्वितीय भाग में यह बताइये कि इच्छा की क्रय-शक्ति का माप करते समय वस्तुओं के मूल्यों में विभिन्न अनुपात में भिन्नता से उत्पन्न होने वाले दोष को किस प्रकार दूर करने का प्रबल क्रिया जाता है—यह बताइये कि विभिन्न श्रेणी के मनुष्य भिन्न-भिन्न वस्तुओं का उपभोग करते हैं (उदाहरण दीजिये)। एक अकृशल श्रमिक की उपभोग वी वस्तुये कुशल श्रमिक से अधिक एक निर्धन वर्ग को उपभोग की वस्तुये धनी वर्ग से भिन्न होती है (यद्यपि कुछ वस्तुये ऐसी भी हैं जिनका प्रत्येक व्यवित अधिक अप्त्येक वर्ग द्वारा उपभोग होता है)। अतः हम सामान्य मूल्य-स्तर में परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करने के लिए (प्रथादि मुद्रा की क्रय-शक्ति में परिवर्तन का माप करने के लिये) प्रत्येक वर्ग के लिये (i) भिन्न-भिन्न रूपों में सूचक अंक तैयार करते हैं और इन अंकों को तैयार करते समय, (ii) केवल उन्हीं वस्तुओं को लेते हैं जिनका उपभोग अमुक वर्ग द्वारा किया जाता है, (iii) वस्तुओं के महत्व के अनुसार गणना में भार (Weigh) का प्रयोग करते हैं, (iv) वस्तुओं का चुनाव सतकंता से करते हैं, (v) प्रयतः समाज में अनेक संस्थाओं द्वारा विभिन्न वस्तुओं, विभिन्न आधार वर्षों, कुल धोक-मूल्य तब अन्य फुटकर मूल्यों के आधार पर सूचक अंक तैयार करती है जिससे प्रत्येक के निष्कर्ष में अन्तर रहता है। इस स्थिति में हम प्रमुख संस्थाओं के परिणामों का औसत निकालकर वस्तुओं के मूल्य में विभिन्न दिशा व भिन्न-भिन्न अनुपात में मूल्यों के अन्तर के दोष भी दूर कर सकते हैं (एक-डेढ़ पृष्ठ)। अन्त में, एक पंडे में लिखिये कि यद्यपि सामान्य मूल्य-स्तर की भारणा अत्यन्त काल्पनिक जान पड़ती है परन्तु फिर भी इसके द्वारा (अर्यान् इसके आधार पर निर्मित निर्देशाङ्कों द्वारा) हम मुद्रा के मूल्य में सामान्य परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और व्यापारियों, अर्थशास्त्रियों व सरकार के लिये वह जानकारी अत्यन्त महत्व की होती है (आधा पृष्ठ)।

**प्रश्न ४ :**—सूचक अंकों से व्यापारियों व उत्पादकों अर्थशास्त्रियों तथा सरकार को विद्यान्वया लाभ होते हैं?

संकेत.—उत्तर के आरम्भ में सूचक अंकों का अर्थ एक-दो परिभासाद्वयों के आधार पर लिखिए (आधा पृष्ठ)। द्वितीय भाग में इन अंकों के लाभ व्यतारित्वों व उत्पादकों को बताइए :—(i) जीवन-निर्वाह व्यय सम्बन्धी अंकों द्वारा इन्हें करने की मजदूरी व उनके रहन-सहन व्यय में समायोजन करने में सुधारना होते हैं, जिसके

मजदूर-मालिक का हो सुगमता से तथा हो जाते हैं, और योगीक शास्त्रित उत्पत्ति हो जाती है, अभिनवों को सत्त्वोप हो जाता है और वे मन समा वर अधिकतम उत्पत्ति बरने का प्रयत्न करते हैं, (ii) उत्पादन व विक्री सम्बन्धी अंकों की सहायता से उत्पादकों को अपने व्यवसाय की स्थिति का पता चल जाता है—यदा उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है ? यदा विक्री बढ़ रही है या घट रही है ? किस समय विक्री अधिक और कब यह कम होती है ? इन सूचनाओं के आधार पर वह ऐसी नीति अपनाने का प्रयत्न करता है कि उसकी वस्तु की अधिकतम उत्पत्ति व अधिकतम विक्री उचित समय पर हो सके क्यों कि अंकों से उसे पता चल जाता है कि कौन सी वस्तुओं की तथा वित्ती सम्भावित मांग है ? (iii) विभिन्न देशों के सूचक अंकों का अध्ययन करके व्यापारी को वहाँ के मूल्य स्तर व इसमें समय-समय पर परिवर्तन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके आधार पर उसे यह पता चल जाता है कि कौन से देशों को, निति-नियम समय तथा कितनी-कितनी मात्रा में वस्तुयें भेजी जायें या वहाँ से मगाई जायें ? (iv) मूल्य-स्तर में परिवर्तनों की जानकारी इन अंकों से प्राप्त हो जाती है। यदि यह परिवर्तन हैं जी से हो रहा है तब इससे वे जान जायेंगे कि मुद्रा-स्फीति वी दशायें उत्पन्न हो रही हैं और यदि यह परिवर्तन घटने शाने हो रहा है, तब वे जान जायेंगे कि सामान्य व्यापार में ढहता व स्थिरता भा रही है, इस जानकारी से वे भावदस्थवत्ता-नुसार अपनी व्यापारिक नीति निर्धारित कर लेंगे। अन्त में निष्कर्ष के रूप में बताइये कि सूचक अंकों से व्यापारियों व उत्पादकों को बहुत लाभ होता है (दो-दाई पृष्ठ)। तृतीय भाग में अर्थशास्त्री को इन अंकों के अध्ययन के लाभ बताइये :—(i) इन अंकों की सहायता से उसे देश में सम्भावित मुद्रा-प्रसार व मुद्रा-संचयन आदि स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे इनके आधिक व सामाजिक परिणामों को खूब समझता है। इस कारण समाज को इनके दुष्परिणामों से बचान के लिये वह सरकार व समाज के समक्ष अनेक उपाय प्रस्तुत करने में सफल होता है। (ii) सूचक अंकों से उसे देश विदेशों में वृष्टि व उद्योगों में उत्पादन की स्थिति, देश में विदेशी पूजी के विनियोग की स्थिति, आयात-निर्यात की स्थिति का पता चल जाता है और वह अपने देश में इनसे सम्बन्धित अनेक आधिक समस्याओं का हल सुगमता से प्रस्तुत बरता है (एक-दो पृष्ठ)। चतुर्थ भाग में सरकार को इन अंकों के अध्ययन से लाभ बताइये—(i) मूल्य-स्तर के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले अनेक आधिक व सामाजिक कुशलमात्रों का सामना करने के लिए सरकार समय-समय पर अनेक उपाय अपनाने में सफल हो जाती है जैसे—बैंक दर में परिवर्तन की नीति, विनियम-दर पर नियन्त्रण की नीति आदि। (ii) इन अंकों के अध्ययन के आधार पर मजदूर-मालिक के भगवां वो समझ वर एक मध्यस्थ के नामे इन्हें हल करने वा प्रदल करती है, (iii) सरकार द्वी उद्योगों को आविष्कार सहायता देने की नीति का आधार भी सूचक अंकों के सनाने में अनेक अटिनाइया पड़ती है और इनमें अनेक दोष भी हैं किन्तु भी विसी देश के आविष्कार समाज के लिये इनका बनाना व इनका उपयोग बरता बहुत आवश्यक व महत्वपूर्ण होता है (एक पैरा)।

## ✓ अध्याय ६

### मुद्रा प्रणालियाँ

#### (Monetary Standards)

मुद्रा-मान का अर्थ (Meaning of a Monetary Standard) —जिस वस्तु  
या व्यवस्था द्वारा द्रष्टव्य की क्रय-शक्ति (या मूल्य) व्यक्त की जाती है, उसे द्रष्टव्य-मान या  
द्रष्टव्य-प्रमाण (Monetary Standard) कहते हैं। ५ वर्तमान आर्थिक जगत में मुद्रा-  
मान के अध्ययन का बहुत महत्व है। विसी देश का आर्थिक विकास वहाँ के मुद्रा-मान  
पर बहुत कुछ निभंग रहता है। एक अच्छे मुद्रा-मान से देश में आर्थिक, सामाजिक,  
ध्यापारिक व व्यवसायिक उन्नति के लिये अनुबूल बागावरण कायम हो जाता है और  
इसके खाराब होने पर देश में आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक तथा ध्यापारिक पतन  
भी हो जाता है।

यह स्मरण रहे कि मुद्रा-मान (Monetary Standard) और मूल्य मान  
(Standard of Value) में बहुत प्रगतर है। मूल्य-मान का अर्थ उस मुद्रा-इकाई  
(Money Unit) से होता है जिसमें विसी देश की सभी वरतुओं और रोपायी का मूल्य  
नापा जाता है। उदाहरण के लिए—रुपया, पौंड, डॉलर, रूबल (Rouble रूसी मुद्रा),  
मार्क आदि। परन्तु मूल्यमान के विलुप्त विपरीत मुद्रा-मान में मुद्रा प्रणाली के समरूप  
कार्य आ जाते हैं जिससे मुद्रा-मान शब्द का अर्थ मूल्य-मान की अपेक्षा अधिक विस्तृत  
होता है। इस तरह मुद्रा-मान के अन्तर्गत न केवल मूल्य-मान का ही दर्शन आता है  
वरन् इसके अन्तर्गत मुद्रा-सम्बन्धी नियम आते हैं, जैसे—तामाम व्यवस्था तथा सिक्कों के  
दालने व पत्र-मुद्रा के छापने से सम्बन्धित विधान, मुद्रा के क्रय-विक्रय के नियम, बहुमूल्य  
धारतुओं के क्रय-विक्रय व इनकी आयात-निर्यात सम्बन्धी नियम, साख-मुद्रा के विकास  
और उसके नियन्त्रण से सम्बन्धित नियम। देश की मुद्रा में तिकराता बनाने तथा बनाने के  
लिए जिस व्यव या ना निर्माण किया जाता है वह भी मुद्रा-मान के सम्बन्धित होती  
है। अतः मुद्रा-मान के अन्तर्गत मुद्रा-नीति तथा मुद्रा के व्यवहार सम्बन्धी सभी बातें  
सम्मिलित ही जाती हैं।

#### मुद्रा प्रणालियों के भेद

मुद्रा प्रणालियों के मूल्य भेद (Types of Monetary Standards):—समय-  
समय पर जिन मुद्रा-प्रणालियों को अपनाया गया है, वे इस प्रकार है—(i) द्विपातु  
मान—इसके तीन मूल्य रूप हैं—(क) द्विपातु मान (Bi-metallic standard),  
(ख) पंगु (या लंगडा) द्विपातुमान (Limping Standard), (ग) त्रिमानुपात द्विपातु-  
मान (Parallel Bi-metallic Stand. rd), (ii) एक धातु मान—इसके दो रूप हैं

\* "Any object or system in terms of which the purchasing power of money  
is expressed is known as the Monetary Standard."

(व) रजन मान (Silver Standard) और (ख) स्वरूप-मान (Gold Standard)—इसके भी तीन रूप हैं—(च) स्वरूप-चलन-मान (Gold Currency Standard), (छ) स्वरूप-धातु मान (Gold Bullion Standard) तथा (झ) स्वरूप-विनियम मान (Gold Exchange Standard), तथा (झ) प्रबन्धित पत्र चलन-मान (Managed Paper Currency Standard)।

अर्थशास्त्रियों ने कुछ अन्य मुद्रा मानों के भी सुझाव दिये हैं, जो इस प्रकार हैं—

(१) बहुधातु-मान (Multi-Metallism), (२) नूचनाक मान (Index Number Standard or Tabular Standard), (३.i) मिश्रित धातु-मान (Symmetallism) तथा (४) प्रादिष्ट-मान (Fiat Standard)।

### (i) द्विधातु मान (Bi-metallism)

(क) द्विधातु मान का अर्थ और इसकी विशेषताएँ (Meaning and Characteristics of Bi-metallism)—जब दो धातुओं (सोने और चादी का ही इस प्रकार का उपयोग होता है) के सिवके एक साथ चलन में हों और दोनों ही सिवके प्रामाणिक सिवके हों, तब मुद्रा की ऐसी प्रणाली को द्विधातु-मान (Bi-metallism) कहते हैं। इस प्रया में सरकार दोनों सिवको को धातुओं में भी एक निश्चित ग्रनुपात रखती है। इस तरह द्विधातु-मान की कई विशेषताएँ अर्थात् लक्षण हैं—(१) सोने और चादी के सिवके साथ ही साथ चलन में होते हैं अर्थात् दोनों ही सिवके मूल्यमापन तथा विनियम-माव्यम का कार्य बरतते हैं। (२) टक्साल द्वारा सोने और चादी इन दोनों धातुओं के सिवको में एक निश्चित वैधानिक सम्बन्ध स्थापित किया जाता है ताकि ये एक दूसरे से इस पूर्व निश्चित ग्रनुपात पर बदले जा सकें। (३) सान और चादी दोनों ही धातुओं के बने सिवके असीमित विविकाह (Unlimited Legal Tender) होते हैं। छठी अपनी इच्छानुसार सोने या चादी किसी भी रिक्के में छुए का भुगतान कर सकता है। (४) सोने और चादी दोनों धातुओं की स्वतन्त्र मुद्रा-टलाई (Free Coinage) होती है। कोई भी व्यक्ति इन दोनों धातुओं या इनमें से विसी एक को टक्साल में ले जाकर उसको प्रामाणित मुद्रा में परिवर्तित करा सकता है। (५) दोनों धातुओं के बने सिवका पा. वाहु-मूल्य (Face Value) तथा आन्तरिक-मूल्य (Intrinsic Value) समान होता है। (६) सोने और चादी वी प्रामात व निर्यत पर कोई प्रतिवन्ध नहीं होता। प्रतः जिस मुद्रा-मरम में ये सब लक्षण पाये जाते हैं, वह पूर्ण द्विधातु-मान (Perfect Bi-metallic Standard) कहलाता है।

### द्विधातु मान का सक्षिप्त इतिहास\* (Short History of Bi-metallism) —

द्विधातु मान यूरोप के देशों में उनीसकी शताब्दी में प्रचलित रहा। अमेरिका ने सर्व-

\* The students are advised not to bother much with the history of the Bi-metallism as such. Only a knowledge of a few important years in the history of Bi-metallism would be quite sufficient for them at this stage of their studies of the Monetary Standards.

प्रथम सन् १७४२ के मिन्ट एक्ट (Mint Act) के अनुसार द्विधातु-मान का प्रचलन किया, परन्तु इस पद्धति का परियोग कुछ अंश में सन् १८७३ में तथा पूर्ण रूप से १८७६ में कर दिया। कांस में यह मान सन् १८०३ में स्थापित हुआ और सोने व चांदी के दोनों : १५३२ का विनिमय अनुपात रखवा गया। लगभग ५० वर्ष तक फ्रांस में यही अनुपात रहा। इस मान का इतना प्रचार वढ़ा कि सन् १८६५ में फ्रांस, स्विटजरलैंड, डेलजियम, इटली आदि देशों ने एक लैटिन मीट्रिक सम्पर्क (Latin Monetary Union) का निर्माण तक कर लिया। परन्तु चांदी की नई खानों के आविष्कार के कारण चांदी की पूति में वृद्धि हो गई तथा अन्य अनेक सांसारिक कारणों से इस सघ में स्वरूप-मुद्रा का लोप होने लगा और वास्तव में ग्रेशम के नियम (Gresham's Law) से लागू होने के कारण चांदी-मुद्रा का ही चलन रहने से सन् १८७४ में यह सघ भी टूट गया। उनीसकी दातान्दी के अन्त में सन् १८७८ और १८८२ में दो अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-समाय (International Monetary Conferences) हुई जिनमें द्विधातु-मान को अन्तर्राष्ट्रीय ढंग पर अपनाने के लिए जोर दिया गया। परन्तु इंगलैंड जैसे स्वरूप-मान (या एक मान) वाले देशों ने इस मान का वडा, कट्टर विरोध, जिया जिससे द्विधातु-मान अन्तर्राष्ट्रीय ढंग पर ही नहीं अपनाया गया बरत सन् १९०० में द्विधातु-मान का सर्वके लिए अस्त हो गया। भारत, चीन आदि देश इस समय चांदी मान पर ही थे।

### द्विधातु-मान के लाभ-दोष

द्विधातु-मान के लाभ (Advantages of Bi-metallism):—उत्तरालित द्विधातु-मान के इतिहास से यह स्पष्ट है कि अब इस मान का केवल एक ऐतिहासिक महत्व है, प्रथमि १६ वी दातान्दी में यह मान बहुत महत्वपूर्ण था। इस मान के समर्थकों ने इस मान के विनियोगित लाभ बताए हैं:—

(१) मूल्य-स्तर में स्थिरता (Stability in the Price Level):—क्य-शक्ति की स्थिरता एक अच्छी मानन्पद्धति का मुख्य गुण है। द्विधातु-मान में मुद्रा के मूल्य में अवैधि मुद्रा की क्य-शक्ति में स्थिरता रहती है जिससे यह मान एक बहुत अच्छा मान माना जाता है। जब द्विधातु-मान का अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोग होता है, तब सोने व चांदी में से किसी एक धातु का अनाव दूसरी धातु के उत्पादन से पूरा हो जाता है जिससे दोनों धानुओं की मुद्राओं के मूल्य में स्थिरता रहती है। प्रो० जीवन्स (Jevons) ने इस सम्बन्ध में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उनका मत है कि यदि दो पियङ्कड़ व्यक्तियों को जो नशे में जूर हैं और जिनमें से एक वाई और को मिरता है और दूसरा दाइ और को, यदि इन दोनों को आपस में बांध दिया जाय तब ये कुछ समय तक एक दूसरे के सहारे अवश्य चलेंगे और एक-न्यूमरे को गिराने से बचायेंगे और इस तरह इन दोनों में कुछ समय तक सीधे खड़े होकर चलाना सम्भव होगा। इसी तरह सोने वी कमी चांदी के ग्राविक उत्पादन से या चांदी की कमी सोने के ग्राविक उत्पादन से दूर होकर, द्विधातु-मान में मूल्य-स्थिर्य (Price-Stability) बना रहता है। परन्तु एक-दातु-मान में धानु की पूर्ति में घटन-वड होने पर मुद्रा के परिमाण में भी घट-

बड़ हो जाती है जिससे द्रव्य की क्रय-नक्षत्र भी कम-प्रधिक हो जाती है और मूल्य-स्तर में स्थिरता नहीं रहने पाती हैं।

(२) द्विधातु मान में मुद्रा के सुरक्षित कोडों का विस्तार हो जाता है (Expansion of Monetary Reserves) — यह सर्वविदित अनुभव है कि प्रथम महायुद्ध के बाद वही बार एक-धातु-मान वाले देशों को, सोने के सुरक्षित कोषों (Reserve Fund) की कमी के बारण, अपनी स्वर्ण की परिवर्तनशीलता को स्थगित करना पड़ा है अर्थात् ये देश वही बार अपनी साझ-मुद्रा को सोने में परिवर्तित नहीं कर सके जिससे जगता वा इन देशों की मुद्रा में से विस्वास उठ गया था। ताकि मुद्रा धातु में परिवर्तनशील हो, इसके लिए स्वर्ण व चांदी की निधि (Reserves) अधिकतम होनी चाहिए। तू कि मुद्रा सम्बन्धी कार्यों के लिए सासार में स्वर्ण का कोष पर्याप्त नहीं है, इसलिए मुद्रा को परिवर्तनशील बनाए रखने के लिए निधि (Reserves) में सोने के साथ ही साथ चांदी भी होनी चाहिए। अत द्विधातु-मान में मुद्रा के सुरक्षित कोषों का विस्तार हो जाता है क्योंकि सोने व चांदी दोनों धातुओं की सुरक्षित निधि बनाकर मुद्रा की परिवर्तनशीलता की समस्या को बहुत कुछ हल किया जा सकता है।

(३) विदेशी व्यापार को सुविधा (Convenience in Foreign Trade) — द्विधातु-मान वाले देश में मुद्रा की इकाई का मूल्य सोने व चांदी दोनों में साथ ही साथ अतापा जाता है जिससे स्वर्ण-मान तथा रोप्यमान (Silver Standard) दोनों ही प्रकार के देशों से इस देश की विदेशी विनिमय दर (Foreign Rate of Exchange) निश्चित करने व इसके कारण रखने में सुविधा होती है। तू कि सोने व चांदी की आपात्त-निर्यात पर कोई प्रतिवर्धन नहीं होता है, इसलिए द्विधातु-मान वाले देश में विदेशी विनिमय को दर में प्रतिदिन के परिवर्तन नहीं होने पाते हैं जिससे विदेशी व्यापार में बृद्धि होती है। इसका कारण स्पष्ट है। इस मान में स्वर्ण व चांदी दोनों की मुद्राओं प्रमाणित होने के कारण स्वर्ण-मान वाले राष्ट्रों तथा रोप्यमान वाले राष्ट्रों से व्यापारिक सम्बन्ध बहुत आसानी से स्थापित हो जाते हैं और विनिमय दर की स्थिरता सदा विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया करती है।

(४) द्विधातु मान में देंक अपनी निधि का सचालन मितव्यमितापूर्वक कर लेते हैं साथ व्याज की दर भी कम होती है (Banks are able to manage their Reserves Economically and the Rate of Interest is also low) — द्विधातु मान का एक गुण यह भी है कि इस मान वाले देश में देंक अपनी निधि (Reserves) की व्यवस्था तभा इसका सचालन बहुत सरलता व मितव्यमिता से कर लेते हैं क्योंकि साने व ज़र्दी दोनों धातुओं के सिक्के अतीमित विविध भालू (Unlimited Legal Tender) होते हैं और देंक अपनी निधि (या कोष) दोनों या दोनों में से किसी एक मुद्रा भी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मुद्रा का परिमाण व जलन प्रधिक होने के कारण, देंक रप्या भी कम व्याज की दर पर ही दे देते हैं जिसे उत्तराधिन को "प्रात्साह" मिलता है। इसीलिए सन् १८७३ में द्विधातु मान को अन्तर्राष्ट्रीय दृश्य पर अपनाने ने लिए जोर डाला गया

द्विधातु-मान के दोष (Defects of Bi-metallism):—द्विधातु-मान में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं:—

(१) द्विधातु-मान में ग्रेशम का नियम व्यङ्गीत हो जाता है (Application of Gresham's Law):—यदि द्विधातु-मान केवल एक ही देश में अपनाया गया है, तब ग्रेशम के नियम के लागू होने की वहाँ सदा सम्भावना रहती है जिससे यह मान वहाँ सफल नहीं होने पाता है तथा इस मान को बनाए रखने के लिए सरकार को काफी कठिनाई अनुभव होती है। इसका कारण स्पष्ट है। जबकि द्विधातु-मान तमाम संसार में नहीं होकर यह केवल इसी एक देश में ही पाया जाता है, तब इस देश के लिए सोने व चांदी में विनिमय अनुपात को बनाए रखना सम्भव नहीं होता है यद्योकि विदेशों में दोनों धातुओं की कीमतों में अलग-अलग अनुपात में या विपरीत दिशाओं में परिवर्तन होते रहते हैं जिससे सोने व चांदी के सरकारी विनिमय अनुपात (Mint Ratio) तथा बाजारी अनुपात (Market Ratio) में अन्तर हो जाता है। इस अवस्था में टकसाली अनुपात से अधिक-मूल्यित मुद्राएँ (Over Valued Currency) अवमूल्यित मुद्राओं (Under-Valued Currency) को चलन से बाहर निकाल देती हैं (या खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है) यद्योकि अवमूल्यित-मुद्रा वा धातु मूल्य (Metallic Value) उसके बाह्य-मूल्य (Face Value) से अधिक हो जाता है जिससे इस मुद्रा का गलाना, निर्यात या संग्रह (Hoarding) करना अधिक साम्राज्य हो जाता है। परिणामतः द्विधातु-मान वाले देश में ग्रेशम का नियम क्रियावील हो जाने से एक धातु के सिवके बाजार से गायब हो जाते हैं। अतः द्विधातु-मान में ग्रेशम का नियम लागू हो जाने के कारण दोनों धातुओं के सिवके साथ-साथ चलन में नहीं रहते, कभी सोने वा सिवका चलन में रहता है तब कभी चांदी का। यही कारण है कि इस मान को बारी-बारी का मान (Alternating Standard) भी कहते हैं।

(२) लेन-दे-न के घ्यवहारों में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं (Difficulties in Payment Transactions):—द्विधातु-मान में जब टकसाली अनुपात (Mint Ratio) और बाजारी अनुपात (Market Ratio) में अन्तर हो जाता है, उस समय ऋणदाता (Creditor) अपने ऋणों का भुगतान महजी धातु या इसकी मुद्रा में लेना पसन्द करते हैं, परन्तु ऋणी (Debtors) सरती धातु या इसकी मुद्रा में भुगतान करने का प्रयत्न किया करते हैं। परिणामतः ऋण-भुगतान के बायों में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

(३) टकसाली अनुपात तथा बाजारी अनुपात में समानता रखने में कठिनाई होती है (It is difficult to maintain equality between the Mint Ratio and the Market Ratio):—द्विधातु-मान वी समस्या के लिए यह साक्षम्यक है कि टकसाली अनुपात तथा बाजारी अनुपात में समानता रहे परन्तु घ्यवहार में इस प्रकार की समानता रखना बहुत कठिन होता है।

## ट्रिधातु-मान के दोषों का निवारण

ट्रिधातु-मान के दोषों के निवारण के उपाय (Remedies of the Defects of Bi-metallism):— ट्रिधातु-मान के दोष ग्रेशम के नियम के कागू होने के कारण उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इस मान के समर्थकों ने निम्नलिखित दो उपायों का सुभाव रखा है और इन्हीं के आधार पर सन् १८७८ प्रौढ़ १८६२ के अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलनों (International Monetary Conferences) में इस मान को अन्तर्राष्ट्रीय ढग पर अपनाने का जोर दिया गया था:—

(१) टक्साली अनुपात से बाजारी अनुपात के अनुसार परिवर्तन (A change in the Mint Ratio according to the Market Ratio)— ट्रिधातु-मान को बदलने में स्थायी रखने के लिए एक सुभाष तो यह है कि जब कभी बाजारी अनुपात और टक्साली अनुपात में अन्तर हो, तब टक्साली अनुपात (Mint Ratio) में बाजारी भाव के अनुसार परिवर्तन पर देना चाहिए। प्राप्त ने सन् १८४७-४८ में सोने की पूति वड़ जाने पर टक्साली अनुपात में परिवर्तन बरके ही अपने यहाँ ट्रिधातु-मान को स्थिर किया था।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिधातु-मान की स्थापना (Establishment of the International Bi-metallism)— ट्रिधातु-मान के दोषों का बर्णन करते समय यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस मान में ग्रेशम के नियम के बायेसील हो जाने की सदा सम्भावना रहती है जिसमें इस मान में ट्रिधातु के स्थान पर एक-बातु-मान के बन जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस दोष के बाराण कोई भी एक देश अवेदा ट्रिधातु-मान को सफलतापूर्वक नहीं अपना सकता है। परन्तु यदि सासार के तमाम प्रमुख देशों में ट्रिधातु-मान की स्थापना हो जाय अर्थात् यदि अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिधातु-मान (International Bi-metallism) स्थापित हो जाय, तब ग्रेशम के नियम नीं बायेसीलता को रोका जा सकता है ब्योकि तब इस सब देशों में ट्रिधातु-मान को बायम रखने वे लिये सहयोग भी होगा। अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिधातु-मान की सफलता के क्या बाराण हैं? इसका एक ही मुख्य कारण है। इस अवस्था में ट्रिधातु-मान की अनिपूरक क्रिया (Compensatory Action of the Double Standard) बहुत ही दक्षिणाती रूप में कार्य करेगी और इस क्रिया के वरिणामस्त्रवृप्त तमाम ट्रिधातु-मान बाले देशों में बाजारी अनुपात अन्तर टक्साली प्रनुगात के बाबार हो जाएगा जिससे इन सब देशों में ट्रिधातु-मान सफलतापूर्वक कार्य करता रहेगा। इसीनिये ट्रिधातु-मान प्रणाली के मुख्य दोषों को दूर बरने तथा इसमें सफलता लाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिधातु-मान (International Bi-metallism) की स्थापना के सुभाव पर १६वीं शताब्दी के अन्त में बहुत जोर दाया गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिधातु-मान में अनिपूरक क्रिया किस प्रकार कार्यशील होती है?  
(How does the Compensatory Action affect the International Bi-metallism?)— ट्रिधातु-मान में अनिपूरक क्रिया का किस प्रकार प्रभाव पड़ता

है, इसकी जानकारी के लिये हम एक उदाहरण लेते हैं। मान सो, भारतवर्ष में द्विधातु मान है और सोने व चांदी दोनों ही धातुओं के सिवके चलन में हैं। यह भी मान सो कि सोने व चांदी का टकसाली अनुपात (Mint Ratio) और बाजारी अनुपात (Market Ratio) एक-समान है और यह १ : १५ है। अब यह मानसो कि सोने व चांदी के बाजारी अनुपात में परिवर्तन हो गया है (योकि चांदी की पूर्ति वढ़ गई है या अन्य किसी बारहणवश) और यह बदल कर १ : १५२ हो गया है। इस अवस्था में सोने का टकसाली मूल्य कम है जिससे सोना टकसाल को आना बन्द हो जाता है बरन मनुष्य सोने के सिवकों को पिछला लेते हैं और बाजार में इस सोने के बदले चांदी खरीद लेते हैं और इस चांदी को (तथा और चांदी को भी) टकसाल पर सिवका-दलाई के लिये भेजते हैं। इस प्रकार बाजार में चांदी की कमी हो जाती है योकि इसका उपयोग अधिकाधिक मात्रा में सिवके ढलवाने के लिये विया जाता है और सोने की वहृतायत हो जाती है योकि इसको मिक्के ढलवाने के लिए टकसाल नहीं भेजा जाता है बरन रिवकों को पिल्ला-पिल्ला कर बाजार में लाया जाता है। सोने की अधिकता और चांदी की कमी के बारण बाजार में इन दोनों धातुओं का अनुपात धीरे-धीरे कम होने लगता है अर्थात् १ इकाई सोने के बदले में बाजार में चांदी धीरे-धीरे १५२ इकाईयों में कम ही मिलने लगती है और अन्ततः इनका अनुपात टकसाली-अनुपात के बराबर हो जाता है। यह स्मरण रहे कि बाजार से चांदी का टकसाल को सिवके दालमें के लिए जाना और सोने का टकसाल से बाजार में आना अतिपूरक प्रभाव (Compensatory Action) है और यदि योई दूसरी शक्ति इसको नहीं रोकती है तब यह प्रभाव उस समय तक कार्यशील रहता है जब तक कि बाजारी अनुपात अन्ततः टकसाली अनुपात के बराबर नहीं हो जाता है।

अब तक हमने द्विधातु-मान में अतिपूरक प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, यह केवल भारतवर्ष के उदाहरण से ही समझाया है। परन्तु अतिपूरक प्रभाव के लिए यह आवश्यक है कि तमाम देशों में भी सोने व चांदी का बाजारी अनुपात एक सा रहे, सिर्फ भारतवर्ष में बाजारी अनुपात १ : १५ होने से काम नहीं चलेगा। जब द्विधातु-मान अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर अपना लिया जाता है और सोने व चांदी की आयात या निर्यात स्वतन्त्र होती है (भातुओं को एक देश से दूसरे देश को भेजने का यातायात-व्यय बहुत ही कम हुआ करता है), तब विसी एक देश में सोने व चांदी के बाजारी अनुपात में परिवर्तन हो जाने पर विदेशों से इन धातुओं की आयात या निर्यात होकर पुनः उत्तर देश में बाजारी अनुपात अन्ततः टकसाली-अनुपात के बराबर हो जाता है। इस तरह एक देश का नीने व चांदी का अनुपात विसी देश में यदि चांदी का मूल्य अधिक हो गया है, तब सारे संसार के बाजारों से चांदी दूसरे देश को आने लगेगी और सोने के सिवके (इनका चांदी के बदले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विनिमय होकर) विदेशों को जाने लगेंगे जिससे उत्तर देश में अन्ततः चांदी का मूल्य कम हो जायेगा।

अतः द्विधातु मान के सफलतापूर्वक कार्यशील होने के लिए यह आवश्यक है कि

इसे अतर्राष्ट्रीय आधार पर अग्रनामा चाहिए। परन्तु वास्तविकता यह है कि आज द्विधातु-मान के समर्थक बहुत कम हैं और यह मान स्वयं सासार से उठ चुका है। सब ही देशों में आज धातु मान के स्थान पर पत्र-मान (Paper Standard) प्रचलित है जिसके बल्मीय सासार में यह एक सर्वभाव्य सत्य है कि आज सासार का कोई भी देश धातु मान को ग्रहण करने के लिए तंयार नहीं है और न किसी देश में ऐसा करने की सामर्थ्य ही है। इस लिए आज यह बाद विवाद ही तथ्यरहित है जिसे कोई देश कौन सा धातु मान अपनाए।

### ग्रेशम का नियम

ग्रेशम का मुद्रा चलन का पिछाता क्या है ? (What is Gresham's Law of Circulation of Money ?)—इसी एक देश में एक समय पर वित्ती ही प्रबार वी मुद्रायें चलन में हो सकती हैं। प्रायः चादी, सोने, निक्लिं व अन्य तुल्य धातुओं के बने सिव्वे तथा बागज के नोट साय ही साय चलन में होते हैं। धात्तिक सिव्वे के नये व पुराने उपरा प्रामाणिक व सावेतिक सब्द ही प्रबार वे हो सकते हैं। इसी तरह पत्र-मुद्रा भी प्रतिनिधि (Representative) परिवर्तनीय (Convertible), अथवा अपरिवर्तनीय (Inconvertible), ही सकती है। सिव्वे व पत्र-मुद्रा के गुणों के हृष्टिश्वरण से उक्त दिभिन्न प्रबार वी मुद्रायें भिन्न गुण वाली होती हैं जिससे इनकी प्राप्त्यक्षता (Acceptability) भी एक समान नहीं होती है। मनुष्य इनमें से कुछ को अच्छी मुद्रा और कुछ को बुरी मुद्रा समझा बरते हैं। अच्छी मुद्रा का अर्थ नये व पुराने मूल्य के उन सिव्वों से है जिनकी तोल व शुद्धता (Weight and Purity) प्रमाणित होती है तथा पत्र-मुद्रा के सम्बन्ध में अच्छी मुद्रा का अर्थ उन नोटों से है जो परिवर्तनीय हैं तथा नये व टीकाटाक हैं। इसी तरह बुरी मुद्रा का अर्थ खोटे, जाली, मूल्य में कम व खराब सिव्वों से तथा अपरिवर्तनीय व पटे पुराने नोटों से होता है। यह मानव प्रवृत्ति है कि जब भी वह कोई चीज लेता है, तब वह अच्छी से अच्छी वस्तु लेता है और जब वह कोई चीज देता है तब प्रायः वह अपने पास की खराब चीज को पहले देता है। यह प्रवृत्ति मुद्रा के लेन-देने पर भी लागू होती है। इसीलिए मनुष्य कुछ मुद्राओं को दूसरी मुद्राओं की अपेक्षा लेना व अपने पास जमा बरना अधिक पसंद किया बरते हैं। ग्रेशम ने इस भानविक प्रवृत्ति को एक नियम के रूप में स्पष्ट किया है।

सर टॉमस ग्रेशम (Sir Thomas Gresham) महारानी एलीजाबेथ प्रथम (Elizabeth I) के आदिक संतानाकार थे। ये लन्दन के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे तथा संदन के प्रसिद्ध रायस एक्सचेंज (Royal Exchange) की नीव भी इन्होंने ही ढाली थी। एलीजाबेथ के राज्य काल में बहुत सी ऐसी मुद्रा चलन में थी जो नटी हुई थी। माल बजार में कम चीजें उनसे पहले के लग्जर शासकों (Lodges Kings) ने बहुत से निहृष्ट मिकवे चालू किये थे। इस लियति में युधार बरने के लिए इनके शासन काल में बहुत से नए प्राणकाय (Full Bodreel) सिव्वे चलाये गए जिसके उनका मह विचार था कि मनुष्य धीरे धीरे पुराने, कम वजन के तथा निहृष्ट मिकवे का परिवाग

कर देंगे और इनके स्थान पर नये-नये सिक्कों को ग्रहण कर लेंगे। परन्तु अनुभव इसके विलुप्त विपरीत हुआ—नए व पूर्णकाय सिक्कों का चलन आरम्भ हो जाने पर भी, पुराने व निहृष्ट सिक्कों वरावर चलन में रहे और नये सिक्के शान्तः चलन से गायब हो गए। अन्ततः महारानी एलीजबेव ने सर टॉमस ग्रेशम से इस घटना का कारण पूँछा। ग्रेशम ने इस स्थिति का स्पष्टीकरण इन शब्दों में किया है—“खराब सिक्कों में अच्छे सिक्कों को चलन से बाहर निकाल देने की प्रवृत्ति होती है।” (Bad money tends to drive Good money out of circulation—Sir Thomas Gresham), तब ही ते अर्थशास्त्र में यह प्रवृत्ति “ग्रेशम के नियम” (Gresham's Law) के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रेशम ने बताया कि जब कि अच्छे तथा पूर्ण वज्रन के सिक्के और पुराने व घिसे-फिटे सिक्के साथ ही साथ चलन में होते हैं, उस समय चूंकि देश में भुगतान के लिए दोनों प्रकार के सिक्के एक ही मूल्य के तथा विषि-चाहू होते हैं, इसीलिए खराब सिक्कों चलन में रह जाते हैं और अच्छे सिक्कों चलन से गायब हो जाते हैं। यह स्मरण रहे कि जिस प्रवृत्ति का नियम के रूप में प्रतिपादन ग्रेशम ने किया है, उसका स्पष्टीकरण ग्रेशम के रूप में पहले भी हो चुका था। अतः यह समझना कठिन है, कि इसका नाम ‘ग्रेशम के नियम’ क्यों रखा गया। मेकलियाड ने सर्वप्रथम इस नियम का नाम “ग्रेशम का नियम” रखा था।

मार्शल (Marshall) ने भी इस नियम की परिभाषा बहुत ही सरल तरीके स्पष्ट शब्दों में की है—“यदि खराब मुद्रायें परिमाण में सीमित नहीं हैं, तब ये अच्छी मुद्राओं द्वारा चलन से निकाल देती है।”<sup>५</sup> इस परिभाषा में ‘यदि परिमाण में सीमित नहीं है’ दायर्यादा नियम की सीमा को प्रस्तुत करता है, अर्थात् नियम तब ही कार्यशील होगा जबकि खराब मुद्रायें काफी मात्रा में होती हैं। इस तरह मार्शल (Marshall) ने भी यही कहा है कि जबकि खराब व अच्छी मुद्रायें साथ ही साथ चलन में होती हैं, तब खराब मुद्रायें अच्छी मुद्राओं को चलन से बाहर निकाल देती हैं।

नियम के लागू होने के कारण (Causes of the application of the Law):—ग्रेशम का नियम तीन प्रकार से कार्यान्वित होता है—(i) अच्छी मुद्रा का संग्रह (Hoarding):—जब अच्छी और बुरी मुद्रायें साथ ही साथ चलन में होती हैं, तब साधारणतया मनुष्य अच्छी मुद्रा को ही ब्राने पाते गढ़कर (Hoarding) मा जमा के रूप में रखते हैं। इसीलिये नये-नये व पूर्णकाय सिक्के (Full Bedded Coins) या नए-नए नोट अक्सर मनुष्यों द्वारा अपने पास रख लिए जाते हैं और ये पुराने व कम वजन के या हूटे-फूटे सिक्के तथा फटे-पुराने नोट अपने पास से निकाल देते हैं। परिणामतः अच्छी मुद्रा चलन में धीरे-धीरे बहुत कम हो जाती है। (ii) अच्छे सिक्कों का पिघलाना (Melting):—जब ऐसी व्यक्ति सिक्कों को पिघलाकर गहने तैयार करता है, तब वह इस कार्य में पूर्णकाय सिक्कों का ही उपयोग करता है वयोंकि ये सिक्कों को पिघलाने में उसे हानि होगी। अतः जब अच्छे व बुरे

\*“An inferior currency, if not limited in quantity, will drive out the superior currency,” Marshall, Money, Currency and Credit,

सिक्को का चलन साथ ही साथ होता है, तब मनुष्य अच्छे सिक्को का उपयोग ग़जाने में तथा बुरे सिक्को का उपयोग विनिमय-माध्यम के रूप में बरता है। परिणामतः अन्ततः बुरे सिक्को की चलन में प्रधानता हो जाती है। (iii) विदेशी भुगतान के लिए सिक्कों को निर्यात (Exporting for payments to Foreigners):—एक देश के सिक्के दूसरे देश में वैधानिक ग्राह्य (Legal Tender) नहीं होते हैं। इसीलिए विदेशी हमारे वातिक सिक्कों को मुद्रा के रूप में भविकार नहीं बरते हैं बरन् वे इन्हें (सिक्कों को) धातु के रूप में स्वीकार बरते हैं। इसीलिए विदेशी हमारे सिक्कों को तोलना लेते हैं। इस अवस्था में वेवल पूर्णकाय या पूरे बजन के सिक्कों का विदेशी भुगतान के लिए निर्यात हो जाता है। अत जब नये तथा पूरे बजन के सिक्कों का विदेशी भुगतान के लिए निर्यात हो जाता है। तब देश के चलन में स्वतः ही पिसे हुए अशब्दा कम बजन के सिक्कों का चलन रह जाता है। सारांशत जब सप्त होने में, पिघताने में, तथा विदेशी भुगतान के लिए निर्यात करने में अच्छे सिक्कों का उपयोग हो जाता है, तब अच्छे मुद्रा तो चलन से निकल जाती है और ऐवल खराक मुद्रा ही चलन में रह जाती है। यह ही प्रेशम के नियम की कार्य प्रणाली (Operation of Law) है।

### नियम का क्षेत्र (Scope of the Law) ।

नियम का क्षेत्र (Scope of the Law) —प्रेशम का नियम तीन परिस्थितियों में लागू होता है—

(१) एक-धातु मान के अन्तर्गत (Under Mono-metallism):—एक-धातु-मान में केवल एक ही धातु के सिक्के चलन में रहते हैं। इन सिक्कों के बजन, उत्तमता (Fineness) व धिसाकट में अन्तर ही सहजा है, एक-धातु मान में भी दो अवस्थायें ही महती है—(a) वह अवस्था जिसमें देवल प्रामाणिक व पूर्णकाय सिक्के चलन में रहते हैं। जब एक ही धातु के एक ही नियत मूल्य पर पुराने व नए सिक्कों साथ ही नाय चलन में रहते हैं, तब पुराने, धिमेव व कम बजन के सिक्के नये व पुरी तोल वाले सिक्कों को चलन से बाहर निकाल देते हैं। दैनिक जीवन में भी यही बात स्पष्ट होती है। यदि मनुष्य के पास एक नया व एक पुराना धिमा हुआ सिक्का है, तब वह पुराने व धिमे हुए सिक्कों को पहने प्रयोग में लाएगा और बाद म ही अच्छे सिक्कों का उपयोग करेगा यद्यपि उसे इम भविकार वा अन्तर करने में बोई नाभ नहीं होता है। इसका कारण यह भी होता है कि उसे टर रहता है कि वही पुराने व धिमेहुए सिक्के चलन से बाहर न हो जायें। अच्छे सिक्के-निकाल से इस कारण भी अहश्य हो जान है क्योंकि इन्हे दवा निया जाता है या पिघला लिया जाता है या इनका विदेशी भुगतान के लिए निर्यात कर दिया जाता है। (b) वह अवस्था जिसमें पूर्णकाय व साकेतिक सिक्के साथ ही साथ चलन में रहते हैं—इस अवस्था में साकेतिक सिक्के (Token Coins) बुरे सिक्के माने जाते हैं और पूर्णकाय सिक्के अच्छे सिक्के होते हैं। परिणामत साकेतिक सिक्के पूर्णकाय मिक्के को चलन से बाहर निकाल देते हैं। एक धातु मान में प्रेशम के नियम के क्रियाशील होने के लिए उदाहरण हैं। जबकि भारत में रानी विक्टोरिया (Queen Vic-

१ तोला सोना मिल जायगा और बाजार में इस एक तोले सोने के बदले में १६ तोले चादी मिल जायगा, जबकि सरकार के नियम के अनुसार टक्कसाल पर एक तोले सोने के बदले केवल १५ तोले चादी मिल सकती है। अतः सोने के सिवाँ चलन से गायब हो जायेंगे वयोंकि या तो वे दबा लिए जायेंगे या ये पिघला लिये जायेंगे या इनका निर्यात कर दिया जायेंगे और चलन में बास्तव में केवल चादी के सिवके ही रह जायेंगे। इसके विपरीत यदि बाजारी-अनुपात (Market Ratio) बदल कर १:१४ हो जाता है, तब चादी के सिवके चलन से गाय बहुत जायेंगे और केवल सोने के सिवके ही चलन में रह जायेंगे।

(३) पत्र-मुद्रा के अन्तर्गत (Under Paper Money).—पत्र-मुद्रा की भी दो दशाएँ हैं—(क) जबकि धातु-मुद्रा और पत्र-मुद्रा का साथ ही साथ चलन होता है—जब कि धातु-मुद्रा और पत्र-मुद्रा का साथ ही साथ चलन होता है, उस समय पत्र-मुद्रा खराब मुद्रा मानी जाती है और धातु-मुद्रा अच्छी मुद्रा मानी जाती है। इस अवस्था में खागजी-मुद्रा (खराब-मुद्रा) धातु-मुद्रा (अच्छी मुद्रा) को चलन से बाहर निकाल देती है। सध्यह करने या गलाने के लिये धातु-मुद्रा का ही उपयोग होता है। यह स्मरण रहे कि जबकि पत्र-मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, तभी तो उक्त प्रवृत्ति भी हढ़ व तीव्रतर हो जाती है। इसी तरह यदि अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का चलन बहुत बढ़ गया है (यह घटिया मुद्रा होती है), तब तो धातु-मुद्रा का चलन और भी अधिक बन्द [हो जाता है वयोंकि ऐसी दशा में धातु-मुद्रा को या तो दबा लिया जाता है या इसे पिघला लिया जाता है। उदाहरण के लिये, सन् १९१४-१५ में इंग्लैण्ड में जब पत्र-मुद्रा का अत्यधिक प्रसार हुआ, तब स्वर्ण-मुद्राएँ चलन से बाहर निकाल दी गई और चलन में मुख्यतः पत्र-मुद्रा ही रह गई। भारतवर्ष में भी दूसरे महायुद्ध में ऐसा ही हुआ। नोटों की मात्रा अत्यधिक हो जाने पर, चादी के इष्टए चलन से गायब हो गये। (ख) जबकि देश में केवल पत्र-मुद्रा का ही चलन रहता है—यहाँ पर भी कई दशाओं की कल्पना दी जा सकती है—(च) जबकि देश में केवल एक ही प्रकार की पत्र-मुद्रा का चलन होता है, तब फटे-मुद्राने या गले-सड़े नोट (खराब मुद्रा) नये-नये नोटों को चलन में बाहर कर देते हैं अर्थात् मनुष्य ऐसे नोटों को अपने पास रख लेते हैं और फटे-मुद्राने नोटों को विनियम वालों के उपयोग में लाते हैं। (झ) जबकि प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा (Representative Paper Money) तथा परिवर्तनीय पत्र मुद्रा (Convertible Paper Money) का साथ ही साथ चलन होता है, तब परिवर्तनीय पत्र मुद्रा (बुरी-मुद्रा) प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा पत्र-मुद्रा (अच्छी मुद्रा) को चलन से बाहर निकाल सकती है तथा (ज) जब कि परिवर्तनीय व अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रायें साथ ही साथ चलती हैं, तब अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (खराब) परिवर्तनीय पत्र मुद्रा (अच्छी) को चलन से बाहर निकाल देती है।

### सीमाएँ (Limitations)

नियम की सीमाएँ—(Limitations of the Law) —प्रेषम के नियम के दुर्दृश्य अपवाद (Exceptions) भी हैं। यह नियम उपर्युक्त तीनों परिस्थितियों में तभी सार्व-

हो सकता है जबकि मुद्रा ताते पूरी हो जायें। इन शर्तों को नियम की भवितव्यता कहते हैं:—(i) मुद्रा की मात्रा:—यदि किसी देश में अच्छी व बुरी, मुद्रा का कुल परिमाण देश की व्यापारिक, व्यवसायिक तथा वाणिज्यिक भावशक्तानुसार है या इससे कम है, तब प्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। इसका कारण स्पष्ट है। प्रत्येक देश में व्यापारिक तथा भव्य विनियम-कार्यों के लिये एक न्यूनतम मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता हुआ करती है और यदि देश में मुद्रा इस परिमाण से कम है तब विनियम-कार्यों में कठिनाई भवितव्य होती है। ऐसी दशा में मुद्रा का संग्रह करने का कोई प्रलोभन नहीं रहता है। परतः मुद्रा की कमी के काल में अच्छी व बुरी दोनों ही प्रकार की मुद्राओं वा चलन साथ ही साथ चलता रहता है और प्रेशम का नियम कार्यशील नहीं होता है। परन्तु मुद्रा का चलन भावशक्ता से भवितव्य हो जाने पर, प्रेशम वा नियम चालू हो जाता है। (ii) मुद्रा विहिष्कार:—यदि पटिया मुद्रा इतनी खराब है कि कोई भी व्यक्ति इसे बस्तुओं व औरुण आदि के भुगतान में स्वीकार नहीं करता है, तब खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं निकाल सकेगी वरन् अच्छी मुद्रा उल्टा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं निकाल सकेगी। उदाहरण के लिये, सन् १८६१-६५ में अमेरिका में गृह-युद्ध (Civil War) हुआ। उस समय कैली-फोनिया ने अमेरिका राजकार द्वारा प्रकाशित अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (प्रीन बैंकर) को सेने से मना कर दिया। परिणामस्तः कैलीफोनिया में सोने के सिक्के ही चलते रहे जबकि अन्य देशों में शनै शनैः कागजी मुद्रा का प्रचलन हो गया। (iii) साकेतिक सिक्के:—यदि पटिया मुद्रा साकेतिक मुद्रा (या परिमित कानूनी द्रव्य) है और इसकी मात्रा सीमित है तथा अच्छी मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा (अपरिमित कानूनी द्रव्य) है, तब भी प्रेशम का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि दोनों प्रकार की मुद्राओं का कार्य थोड़ा भिन्न भिन्न है तथा मुद्रा का परिमाण कम है। परतः ये दोनों मुद्राएँ साथ ही साथ चलन में रहेगी। (iv) अन्तर्राष्ट्रीय द्विपात्र-मान:—मुद्रा पर्यालियों का मत है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय ढग पर द्विपात्र मान अपना लिया जाय, तब शतिपूरक प्रभाव (Compensatory Action) के कारण, प्रेशम का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि किसी एक मुद्रा के अभाव की पूर्ति दूसरी मुद्रा वी भवितव्य से हो जाती है।

सारांश—मुद्रा समय पहले जबकि सब ही देशों में किसी न किसी तरह वा घातु-मान पाया जाता था, उस समय प्रेशम के नियम के कार्यशील होने के दबावक अवसर थे। यह नियम द्विपात्र-मान में विशेषवर लागू हुआ करता था। परन्तु अब तो घातु-मानों का प्रत्यक्ष ही हो गया है जिससे इस नियम के क्रियाशील होने के भी अवसर बहुत कम हो गये हैं। यह अवश्य है कि प्रथम महायुद्ध काल से लगभग सब ही देशों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा वा चलन आरम्भ हुआ और तब ही से, प्रेशम के नियम के क्रियाशील हो जाने के बारें, घातु मुद्रा वा प्रचलन भी शनैः शनैः कम हो गया है। भारत में द्वितीय महायुद्ध वाले में प्रेशम के नियम को कार्यशील होने से रोकने के लिये ही भारत राजकार ने रानी विटोरिया तथा नियम एडवर्ड पृष्ठम् के प्रामाणिक चीजों के एप्पे व प्रठमी वो अप्पराः १ प्रथेत १८४१ तथा ३१ मई सद १८४२ के तत्त्व में घोषित कर दिये। इन

रपयो में दृढ़ विशुद्ध चादी व दृढ़ अन्य धातु होती थी परन्तु २६ जूलाई सन् १६४० से चादी की अठसी में दृढ़ विशुद्ध चादी व अधी अन्य धातु कर दी, गई और अप्रैल सन् १६४७ से गिलट वा रूपया, अठसी तथा चद्धी बनवाना आरम्भ किया गया।

(ल) पगु द्विधातु-मान (Limping Standard) —इस मान को लगड़ा मान भी कहते हैं। इस मान से द्विधातु मान की तरह सोने व चादी दोनों के ही सिक्के अपरिमित विधियाहु होते हैं, दोनों मुद्राएँ प्रामाणिक होती हैं, दोनों के बीच की विनिमय दर निश्चित कर दी जाती है, परन्तु विसी एक धातु की मुद्रा टक्का (Coinage) स्वतन्त्र होता है और दूसरी धातु की मुद्रा वा स्वतन्त्र टक्का (Free Coinage) नहीं होता है। इस मान का नाम पगु या लगड़ा मान इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अन्तर्गत एक सिक्के की ढलाई स्वतन्त्र नहीं होती और यह सिक्का बड़ी बढ़िनाई से चालू रहता है अर्थात् लगड़ाता हुआ चलता है। अक्सर इस प्रकार के मान में सोने वा स्वतन्त्र टक्का होता है, परन्तु चादी का टक्का राज्य के एकाविकार में होता है अर्थात् चादी की मुद्रायें प्रामाणित होते हुए भी जनता इनका टक्का बराने में स्वतन्त्र नहीं होती है। सन् १६०३ में प्रान्त में इसी प्रकार वा मान था क्योंकि इनी वर्ष सरकार ने चादी के टक्का की स्वतन्त्रता को छीन लिया था।

(ग) समानुपात-मान-पद्धति (Parallel Standard) —इस मान को समानान्तर द्विधातु मान (Parallel Bi metallic Standard) भी कहते हैं। इस मान में द्विधातु मान की तरह सोने व चादी दोनों धातुओं के सिक्के प्रचलन में रहते हैं, दोनों मुद्रायें प्रामाणिक तथा अपरिमित विधियाहु होती हैं, तथा दोनों धातुओं के सिक्कों की ढलाई भी स्वतन्त्र होती है। परन्तु द्विधातु मान की तरह इस मान में दोनों धातुओं के बीच का विनिमय अनुपात सरकारी नियम द्वारा निश्चित किया जाता है बल्कि यह टक्का अधिकारियों द्वारा समय-समय पर बाजारी अनुपात (Market Ratio) के बराबर लाया जाता है। इस तरह टक्का अनुपात (Mint Ratio) स्थिर नहीं रहता है बरन् इसमें दोनों धातुओं के मूल्यों से परिवर्तनों के साथ ही साथ परिवर्तन होता रहता है। इस मान में चादी के बदल सोने की मुद्रायें बाजार भाव पर ही बदली जाती हैं जिसके बारण अधिक वा नियम लागू नहीं होता। परन्तु इस मान वा सबसे बड़ा दोष यह है कि दोनों धातुओं की टक्कामात्री विनिमय दर (Mint Rate) निश्चित नहीं होती है जिसके बारण इसमें भारी परिवर्तन होते रहते हैं और जिससे व्यापार में बड़ी असुविधा होती है। भन् १६६३ में इंग्लैंड ने इस मान को कुछ समय के लिए अपनाया था।

### (ii) एक-धातु-मान (Mono-Metallism)

एक-धातु-मान का अर्थ और इसकी विशेषतायें (Meaning and Characteristics of a Mono-metallism) —एक धातु मान वह प्रणाली है जिसमें सोने वा चादी दोनों में से किसी एक धातु के सिक्के प्रचलन में होते हैं। इस तरह एक धातु मान की विशेषतायें अधिक तरल हैं—(i) सोने वा चादी में से किसी एक धातु

के सिवके प्रधान मुद्रा के रूप में प्रचलित होते हैं। (ii) ये सिवके मूल्य भाषन का कार्य करते हैं। (iii) दैनिक उपयोग के लिए साकेतिक सिवकों (Token Coins) का चलन होता है जिनमें सीमित ग्राह्यता होती है। इन सिवकों का मूल्य प्रधान मुद्रा से सम्बन्धित होता है। (iv) प्रधान मुद्रा में असीमित विधिग्राह्यता होती है। (v) मुद्रा का स्वतन्त्र टंकण होता है। (vi) साकेतिक सिवकों के बदले में किसी भी समय सोना या चादी या प्रामाणिक मुद्रा मिल सकती है। (vii) यदि इस पद्धति में प्रधान मुद्रा सोने की है, तब यह स्वतंत्रमान (Gold Standard) और यदि यह चादी की है, तब सोनमान या रजतमान (Silver Standard) कहलाती है। एक धातु मान दो प्रकार का होता है।

(क) रजत-मान या रोप्य-मान (Silver Standard)—रजत-मान वह मान है जिसमें चांदी के एक निश्चित वजन व शुद्धता के सिवकों का प्रचलन होता है सिवकों की स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई होती है तथा सिवकों में असीमित विधि ग्राह्यता होती है। इस मान में चांदी की आयात-नियंत्रित पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है।

चीन और भारत में रजत मान एक बहुत लम्बे समय तक चलता रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी में यह मान अन्य देशों में भी या भारत ने इसे सन् १८६३ में और चीन ने इसे सन् १८३५ में छोड़ा था। जिस समय भारत में सन् १८३५ से सन् १८६३ तक रजत मान का प्रचलन रहा, उस समय रूपया देश में पुरुष सिवका था, इसकी ढलाई स्वतन्त्र थी, इसका वजन १८० ग्रेन या और इसमें ५८५ शुद्ध चादी थी। जनता को चांदी को सिवकों में ढलवाने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। इसी प्रकार जनता को रूपयों को पिघलाकर चांदी के सिवकों में ढलवाने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। भारत में यह प्रेसासी रान् १८७४ तक ठीक-ठीक चलती रही। परन्तु सन् १८७४ के आस-पास मैक्सिको (Mexico) में चांदी की नई नई खाने मिली तथा कुछ देश रजत मान को छोड़ कर स्वर्ण मान पर आ गए जिससे इन देशों की मुद्रा की चांदी पिघला कर बाजारों में आ गई। परिणामतः चांदी की पूर्ति अत्यधिक बढ़ जाने के कारण, इसके मूल्य में बहुत कमी हो गई। इस दशा में सरकारों ने चांदी का स्वतन्त्र टकण (Free Coinage) कायम रखने में बहुत कठिनाई हुई व्योकि अनुप्य बाजार से सस्ती चांदी खरीद कर इसके बदले में टक्साल से सिवके ले लिया करते थे जिनके परिणामस्वरूप चांदी मान खाले देशों में और विशेषतः भारतवर्ष में वस्तुओं की कीमतों में बहुत वृद्धि हो गई। मूल्यों की इस वृद्धि के बारण भारत के आयात व्यापार (Import Trade) में कठिनाई अनुभव होने लगी (व्योकि हमें पाँड के बदले पहचं वी अपेक्षा अधिक रूपये देने पड़ते लगे) तथा गृह खर्चों (Home Charges) के भार में भी वृद्धि हो गई जिससे भारत सरकार के लिए अपने बजट में सतुरन साना बठिन होने लगा। सरकार ने अधिक रूपयों की व्यवस्था अधिक कर (Tax) लगाकर की थी, परन्तु सरकार का मुद्रा की व्यवस्था बरने में बहुत बढ़िनाई अनुभव होने लगी। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में चादी की उत्पत्ति तथा इमारा मूल्य इतना अस्थिर हो गया कि हर्शल कमेटी (Hershall Committee) के सुभाव के अनुसार सन् १८६३ में भारतवर्ष की

सरकार को चांदी का स्वतन्त्र टक्का (Free Coinage) बन्द करना पड़ा इस तरह सन् १८६३ म रजत मान भी समाप्त हो गया और इसके स्थान पर देश में स्वर्ण विनियम मान (Gold Exchange Standard) आ गया।

रजत मान के नियम (Rules of the Silver Standard) और इसकी कार्य-प्रणाली स्वरूपमान की ही भाँति होती है, परन्तु रजत मान में मुद्रा के मूल्य की आन्तरिक एवं बाह्य स्थिरता बहुत कम होती है क्योंकि चांदी के मूल्य में सोने के मूल्य की तुलना में बहुत उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। यही कारण है कि रजत-मान अधिक देशों में बहुत समय तक प्रचलित नहीं रहा और तुलना में स्वरूप-मान ही अच्छा समझा गया।

### स्वरूपमान (Gold Standard)

(ल) स्वरूपमान की परिभाषाएँ (Definitions of the Gold Standard) — स्वरूपमान की अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण परिभाषायां यद्य हैं जिनमें से तीन का नीचे विवेचन किया गया है—

(१) प्रो॰ रोबर्टसन (Robertson) के शब्दों में—“स्वरूपमान वह व्यवस्था है जिसमें कोई एक देश अपनी मुद्रा को एक इकाई का मूल्य और सोने की एक निश्चित मात्रा का मूल्य एक-दूसरे के बराबर रखता है।”<sup>१</sup>

(२) कैमरर के अनुसार स्वरूपमान ‘वह पढ़ति है जिसमें कोमते, ब्रह्मण और मजहूरी उस मुद्रा से व्यवत की जाती हैं और इनका भुगतान उस मुद्रा ने किया जाता है जिसका मूल्य किसी स्वतन्त्र स्वरूप चाजार में एक निश्चित सोने की मात्रा के बराबर होता है।’<sup>२</sup>

(३) कौलबोर्न (Caulborn) ने स्वरूप-मान की परिभाषा इस प्रकार दी है—“स्वरूपमान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी देश की मुद्रा की इकाई एक निश्चित किसी के सोने की एक निश्चित मात्रा में बदली जा सकती है।”<sup>३</sup>

उत्तरित परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि स्वरूप-मान में स्वरूप मूल्यमापन (Measurement of value) का कार्य करता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि इस मान में स्वरूप के मिक्के चलन महा बरन् जा भी मुद्रा चलन महानी है उसका परिवर्तन स्वरूप महाना आवश्यक होता है। इस तरह चाहूँ मुद्रा संवेतित है या पत्र-मुद्रा है, परन्तु यदि यह स्वरूप में परिवर्तनीय है, तब इस व्यवस्था को स्वरूप-मान ही

1—“Gold Standard is a state of affairs in which a country keeps the value of its monetary unit and the value of a defined weight of Gold at an equality with one another”—Robertson Money P 97

2—“Gold Standard is a money system where the unit of value, in which prices and wages and debts are customarily expressed and paid, consists of the value of a fixed quantity of Gold in a fine gold Market”—Kemmerer Gold and the Gold Standard P 135—36

3—“The Gold Standard is an arrangement where by the chief piece of money of a country is exchangeable with a fixed quantity of gold of a specific quality”—W A L Caulborn An Introduction to Money, P 117

कहते हैं। अतः सरल शब्दों में यह बहा जा सकता है कि “प्रदि किसी देश की प्रचलित मुद्रा स्वरूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिवर्तनीय है, तब देश का मुद्रा-मान स्वरूप-मान कहलायेगा।”

### स्वरूप-मान की विशेषताएँ (Characteristics of the Gold Standard):—

स्वरूप-मान के कुछ मुख्य गुण एवं विशेषताएँ इस प्रकार हैं:—(i) देश की सरकार प्रामाणिक मुद्रा की इवाई की कीमत तथा इनका बजन व शुद्धता आदि स्वरूप में परिभासित (या वर्णित) करती है। यह दो प्रकार से विया जाता है—या तो मुद्रा की इकाई में शुद्ध सोने की मात्रा को घोषित कर दिया जाता है या सोने का टक्साली मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है। पहला तरीका इंगलैंड ने और बाद वह तरीका अमेरिका व भारत ने अपनाया था। भारत ने एक तोले सोने का सरकारी मूल्य २१ रु० ७ प्राप्ते १० पाई रखा था। (ii) स्वरूप-मुद्रा की इकाई सब प्रकार के भुगतानों के लिए पूर्णतया धैधानिक ग्राह्य (Legal Tender) होती है। इस तरह तमाम अद्यो व अन्य प्रसन्निदो (Contracts) का भुगतान स्वरूप में होता है या जिस मुद्रा द्वारा यह भुगतान होता है वह स्वरूप में परिवर्तनशील होती है। (iii) निर्धारित मूल्य पर सरकार द्वारा अपरिमित मात्रा में सोने को खरीदने-वेचने की व्यवस्था बीं जाती है। (iv) स्वरूप का स्वतन्त्र टक्न (Free Coinage) रखा जाता है। (v) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए सोने की आयात-निर्यात स्वतन्त्र होती है। (vi) देश में प्रचलित सभी प्रकार की मुद्राये स्वरूप में परिवर्तनशील होती है अर्थात् देश में चालू सभी मुद्राओं की प्राप्ति में परिवर्तनशीलता सरकार द्वारा कायम रखती जाती है। अतः स्वरूप-मान में देश की मुद्रा का मूल्य (यह मुद्रा चाहे सोने की हो या अन्य किसी धातु की हो या पत्र-मुद्रा हो या साथ मुद्रा हो) सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार द्वारा कुछ नियम बनाकर ही बीं जाती है।

स्वरूप-मान के विभिन्न रूप (Types of Gold Standard):— स्वरूप-मान के आजकल पांच भेद बताय जाते हैं—(क) स्वरूप-चलन मान, (ख) स्वरूप-धातुमान, (ग) स्वरूप-विनियम मान, (घ) स्वरूप-तिपि मान तथा, (ङ) स्वरूप-समता मान।

### स्वरूप-चलन मान (Gold Currency Standard)

(क) स्वरूप-सन-मान की विशेषताएँ (Characteristics of Gold Specie or Gold Currency Standard):— इस प्रकार के स्वरूप-मान के कई और नाम भी हैं, जैसे—स्वरूप टक-मान (Gold Coin Standard), स्वरूप-मान मुख्य (Gold Standard Proper), या पूर्ण स्वरूपमान (Full Gold Standard)। स्वरूप-मान पढ़ति वा प्रारम्भ इसी प्रकार के मान से हुआ था। प्रथम महायुद्ध से पहले यह मान बित्तने ही देशों में प्रचलित था, जैसे—इंगलैंड, फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी तथा मूरोप के कुछ अन्य देश। पढ़पि प्रथम महायुद्ध बाल में सभी देशों ने इस मान का चलन बन्द कर दिया, परन्तु अमेरिका में यह मान सन १९३३ तक प्रचलित रहा। इस मान

की विशेषतायें इस प्रकार हैं—(i) स्वर्ण के सिक्कों का चलन—स्वर्ण-प्रबलन मान में सोने के सिक्कों का बास्तव में प्रचलन किया जाता है। देश के विधान द्वारा वह तथ कर दिया जाता है कि मुद्रा की एक इकाई में इतनी मात्रा में हो रहेगा। उदाहरणार्थ, सन् १९१४ के पहले इगलेंड में सोने का मिक्के बाबरन बहलाता था, इसका वजन १२३ १७४४७ ग्रॅन था तथा, इसकी शुद्धता  $\frac{1}{2}$  थी अर्थात् एक साबरन में ११३५२ ग्रॅन शुद्ध सोना था और बाकी टाका (विशुद्ध घातु) था। यह एक साबरन का मूल्य ३ पौंड १७ शिलिंग १० शै पंस था जबकि बास्तव में बैक आँफ इगलेंड १ औंस सोने के बदले में ३ पौंड १७ शिलिंग ६ पंस ही देता था। ये मिक्के (साबरन) प्रामाणित व अपारिमित कानूनी द्रव्य थे तथा इनका बाह्य मूल्य (Face Value) और आन्तरिक मूल्य (Intrinsic Value) समान रहता था। (ii) स्वतन्त्र डंकन (Free Coinage)—स्वर्ण-चलन मान में टक्साल जनता के लिए खुली रहनी है। कोई भी व्यक्ति सोना ले जाकर इसके बदले में सिक्के ला सकता है। \* (iii) सरकार द्वारा सोने का क्रय-विक्रय होता है:—स्वर्ण-चलन मान में सरकार सोने को एक निर्धारित

### स्वर्ण-चलन मान की विशेषतायें इस प्रकार हैं :—

१. स्वर्ण के सिक्कों का चलन।
२. स्वतन्त्र टक्सन।
३. सरकार द्वारा सोन का क्रय-विक्रय होना।
४. सोन की स्वतन्त्र प्रायात्मिकी।
५. पद मुद्रा तथा मानेतिक मुद्रा का भी चलन।
६. स्वर्ण मूल्य-मापन का कार्य करता है।

वाजार में १ औंस सोने का मूल्य ? औंस मोने के मिक्के में कम हो जाना है, तब मनुष्य मान को टक्साल पर ल जाकर टमके मिक्के बढ़ावायेंगे और इस कार्य में लाभ उठायेंगे। परिणाम यह होगा कि अनन्त मूल्यों में ममीनता स्थापित हो जायगी। अन स्वर्ण-चलन मान में सरकार मोने का एक निर्धारित मूल्य पर क्रय विक्रय करके प्राप्त

दर पर स्थानीय बेचती है। इगलेंड में टक्साल १ औंस सोना ३ पौंड १७ शिलिंग ६ पंस पर स्थानीय थी और  $\frac{1}{2}$  शुद्धता का सोना ३ पौंड १७ शिलिंग १० शै पंस पर बेचती थी। इस तरह टक्साल ११ पंस प्रति औंस सिक्का बेलाई का मूल्य लिया करती थी। सरकार द्वारा स्वर्ण के क्रय-विक्रय का परिणाम यह होता था कि भरकार साबरन का मूल्य ११३५२ ग्रॅन ये न थुद्ध सोने के मूल्य के बराबर बनाये रखने में सफल हो जाया करती थी। इसका कारण स्पष्ट है। मान लो, बाजार में ? औंस सोने का मूल्य १ औंस मोने के मिक्के में बढ़ जाता है। इस अवस्था में मनुष्य मिक्के को पिघला लेंगे और मोन को बाजार में बच देंगे। बाजार में स्वर्ण की पूर्ति दढ़ जाने के कारण, इसका बाजार में मूल्य कम हो जायेगा और अन्ततः पूर्ववत् सीमा पर आ जायेगा। इसी तरह यदि

ऐक सिक्के का नियत मूल्य (Face Value) और इसकी धातु के बाजारी-मूल्य में समानता स्थापित करती है। (iv) स्वरं की आयात-निर्यात स्वतन्त्र होती है:—स्वरं-चलन-मान में स्वतन्त्र स्वरं बाजार (Free Gold Market) होता है। मनुष्य सोने का उपयोग किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, वे इसकी आयात-निर्यात बिना किसी रोक-टोक के कर सकते हैं। तथा अपनी स्वरं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खानों सक से सोना खरीद सकते हैं। वे स्वरं का सचय कर सकते हैं, स्वरं के सिक्कों को पिघला सकते हैं तथा इसका टंकन करा सकते हैं आदि (v) पत्र-मुद्रा तथा सांकेतिक मुद्रा का भी चलन:—स्वरं-चलन-मान में स्वरं की वज्र के लिए पत्र-मुद्रा तथा सांकेतिक मुद्रा का भी चलन किया जा सकता है। परन्तु वे सब मुद्रायें हर समय स्वर्ण में परिवर्तनीय होती हैं तथा इनका स्वरं मुद्रा से एक निश्चित सम्बन्ध रहता है यद्योंकि तब ही इनकी क्रय-शक्ति को स्वरं की मुद्रा के मूल्य के बराबर रखता जा सकता है। इस तरह किसी एक प्रकार की मुद्रा दूसरी प्रकार की मुद्रा में पूर्णतया परिवर्तनीय होती है। (vi) स्वरं मूल्यमापन का कार्य करता है:—मुगतान के लिए स्वरं-मुद्रा अपरिमित विधिभाष्य होती है तथा देश में चलन की मात्रा स्वरं-निधि पर आधारित होती है।

### स्वरं-चलन-मान के लाभ-दोष

#### स्वरं-चलन-मान के साम (Advantages of the Gold Currency Standard)

—स्वरं-चलन-मान के समर्थकों ने इस मान में अनेकों लाभ बताए हैं:

(i) जनता का विश्वास (Confidence):—स्वरं सर्वभाष्य है इसलिए इसमें जनता वो विश्वास होता है जिससे इस मान में भी जनता का विश्वास होता है। इसका बारण स्पष्ट है। प्रथम, इस मान में सिक्के का बाह्य-मूल्य (Face Value) इसके आन्तरिक मूल्य (Intrinsic Value) के बराबर होता है। द्वितीय, यदि स्वरं का सिक्का मुद्रा के रूप में चलना बन्द भी हो जाय, तब सिक्के को पिघला वर उम्मीदी धातु का उपयोग किया जा सकता है। तृतीय, यद्यपि इस मान में साख-मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा का भी चलन हो सकता है, तब भी जनता का इस मान में विश्वास होता है

बयोंबि ये सब मुद्रायें स्वरं में परिवर्तनीय होती हैं। अन्तिम, चूंबि मुद्रा की मात्रा स्वरं भी मात्रा (स्वरं-निधि) पर निर्भर होती है, इसलिए मुद्रा के परिमाण में अनावश्यक अत्यधिक प्रमाण का भय नहीं रहता है। अत इन चार बारणों से जनता का स्वरं-चलन-मान में बहुत विश्वास होता है। (ii) मुद्रा-प्रणाली की स्वयं-चालकता

#### स्वरं-चलन-मान के चार लाभ हैं:—

१. जनता का विश्वास।
२. मुद्रा-प्रणाली में स्वयं चाल-करता होती है।
३. देश के आन्तरिक मूल्य-स्तर में स्थिरता रहती है।
४. यिदेशी विनियम दर में स्थिरता रहती है।

(Automatic operation of the Monetary System) —स्वर्ण-चलन-मान में स्वयं चालकता होती है। इस मान को चालू रखने के लिए सरकार के किसी भी प्रबाल के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यदि स्वर्ण-चलन मान वाले देश की सरकार मुद्रा सम्बन्धी कोई गलती भी करती है, तब इस मान में इस गलती का सुधार अपने आप ही हो जाता है। इस मान में स्वयं चालकता किस प्रकार आती है? सरकार स्वर्ण-कोपों के सम्बन्ध में कुछ नियम बना देती है। इन नियमों के प्रभुसार मुद्रा की मात्रा में स्वर्ण-कोपों के परिमाण के अनुसार घट-घट होती रहती है। जूँकि स्वर्ण की आयात निर्यात पर कोई प्रतिवन्ध नहीं होता है, इसके आयात निर्यात से स्वर्ण-कोप की मात्रा भी घटती-घटती रहती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश में बस्तुओं की आयात अधिक और निर्यात कम हुई है, तब यह देश दूसरे देशों का ऋणी रहेगा जिससे इस देश को अपने ऋण-भुगतान के लिए विदेशी बो सोना भेजना पड़ेगा। सोने का निर्यात हो जाने पर उस देश में स्वर्ण निधि कम हो जायगी जिससे उस देश में मुद्रा का नकुचन हो जायगा और मूल्य स्तर (Price Level) भी निर जायगा। अन्य देशों की तुलना में इस देश में मूल्य-स्तर नीचा होने से इस देश का विदेशी व्यापार बढ़ जायगा और बस्तुओं का अत्यधिक निर्यात होगा। जिससे यह देश भुगतान में सोना प्राप्त करेगा। सोने का आयात होते ही इस देश में मुद्रा प्रसार होगा और मूल्य-स्तर भी ऊचा हो जायगा। इस तरह स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा विश्व मूल्यों में समानता एवं स्थिरता आ जायगी और यह तर्फ बिना किसी के हस्तक्षेप के होता रहेगा। इसीलिए इस कार्य-प्रणाली को स्वर्ण-चलन मान की स्वयं चालकता कहते हैं। (iii) देश के आन्तरिक मूल्य-स्तर में स्थिरता (Stability in the Internal Price Level) —स्वर्ण-चलन-मान में मुद्रा-प्रणाली का आधार स्वर्ण होने से आन्तरिक मूल्य-स्तर में स्थिरता पाई जाती है। इसका कारण स्पष्ट है। मूल्य-स्तरों में परिवर्तन का मुख्य कारण मुद्रा की क्रय-शक्ति में परिवर्तन होता है। जब हम स्वर्ण का मूल्य मापन के दृष्टि में उपयोग बरतते हैं, तब मुद्रा की क्रय-शक्ति में सम्पन्नमय पर परिवर्तन नहीं होता। है यथोचिं स्वर्ण की मात्रा व इसकी पूर्ति लगभग स्थिर रहने के कारण इसका मूल्य में सामयिक (Seasonal) तथा अत्यवालिक परिवर्तन नहीं होने पाता है जिससे स्वर्ण की मुद्रा की क्रय-शक्ति में भी बहुत उनार-चढ़ाव नहीं होने पाता है। यह स्वा विक ही है कि जबकि मुद्रे की क्रय-शक्ति लगभग स्थिर रहती है तब देश में मूल्य-स्तरों में भी स्थिरता रहती है। अत स्वर्ण-चलन-मान में पक्ष में एक महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि इस मान में देश के अन्दर मूल्य-स्तर चिकिरण रहता है और कोई भी मुद्रा-प्रणाली तब ही अच्छी बहलाती है जबकि दीर्घ-वाले में देश में मूल्य-स्तर में ममानता रहती है। (iv) विदेशी विनियम दर में स्थिरता (Stability in the Foreign Exchange Rates) —स्वर्ण-चलन मान में विदेशी विनियम दर में स्थिरता रहती है जिससे स्वर्ण-मान पर आधारित राष्ट्रों के साथ व्यापार करने में सुगमता होती है। इसका कारण स्पष्ट है। जब दृढ़ता में दरों में

स्वर्ण-चलन-मान होता है और इनकी मुद्राओं का मूल्य सोने की एक निश्चित मात्रा में व्यवहृत किया जाता है, तब इन सब देशों की पारस्परिक विनियम दरों में अपने माप ही स्थिरता भा जाती है (स्वर्ण का अवधित आयात-नियति इस कार्य में सहायक होता है)। स्वर्ण-चलन-मान में विदेशी विनियम दर नी स्थिरता एक ऐसा गुण या जिसका महत्व प्रथम महायुद्ध के पश्चात् और सारा तौर से रेवर्ण-मान के रायाने के बाद ही पता चलता है क्योंकि प्रथम महायुद्ध के पश्चात् विदेशी विनियम दरों में भूत्यकिप परिवर्तनों के कारण विदेशी व्यापार में भी बहुत कमी हो गई थी। अतः स्वर्ण-चलन मान में विदेशी विनियम दर में स्थिरता रहती है जिससे विभिन्न देशों के मूल्य-स्तरों में भी स्थिरता रहती है और इस विशेषता के कारण विदेशी व्यापार को भी बहुत प्रोत्साहन मिला करता है।

स्वर्ण-चलन-मान के दोष (Demerits of the Gold Currency Standard):—स्वर्ण-चलन मान के आसोचकों का मत है कि इस मान के जो बुद्धि गुण ऊपर बताये गये हैं, वे सब बल्पनात्मक हैं, दिलाकटी है व वास्तविक कम है। इस मान

### स्वर्ण-चलन-मान के दोष हैं:-

१. स्वर्ण-चलन-मान के बल मनु-दूत परिस्थितियों का मान है।
२. मन्तरार्द्धीय सहयोग के अभाव के कारण स्वर्ण-चलन-मान में स्वयं सचालन नहीं होती है।
३. मूल्यों में स्थिरता नहीं रहती है।
४. सोने का उपयोग बहुत होता है तथा इसमें मूल्यवान पातु भी हानि होती है।

के विहृद जो आधोप लगाये गये है, उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैः—(i) स्वर्ण-चलन-मान के बल मनुदूत परिस्थितियों का मान है (Gold Currency Standard is only a Fair Weather Standard):—प्रालोचकों का मत है कि स्वर्ण-चलन-मान बेबल मनुदूत स्थिरितियों में ही ठीक-ठीक चलता रहता है, परन्तु प्रायिक संबंध के काल में यह व्यायंशील नहीं रहता जिससे इसे ऐसे समय में रायाना पड़ता है। इसीलिये इसे बेबल मनुदूत परिस्थितियों का मान (Fair Weather Standard) पहले है। यह मान भार्यिक संबंध काल में यो नहीं ठीक-ठीक चलने पाता ? इसका एवं ही कारण है। यह मान देश की मुद्रा-प्रणाली को बेलोच (Inelastic) बना देता है। इस मान में स्वर्ण दोष की मात्रा को बिना बढ़ाये मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं की जा सकती है। प्रायिक संबंध के काल में स्वर्ण-दोष की मात्रा को बढ़ाना अठिन रहता है जिससे ऐसे समय में मुद्रा की मात्रा में प्रगार नहीं होने पाता है जबकि ऐसे समय में देश को संबंध से बचाने के लिये मुद्रा-प्रसार की बहुत ही आवश्यकता हुमा करती है। परिणामतः प्रायिक संबंध काल में सरकार को इस मान को रायाना पड़ता है। (ii) मन्तरार्द्धीय सहयोग के अभाव के कारण स्वर्ण-चलन-मान में स्वयं-संचालन नहीं रहता है (Lack of

**Automatic working due to absence of International Co-operation) —** स्वर्ण-चलन-मान वा एक महत्वपूर्ण गुण यह बताया जाता है कि इसमें स्वयं-सचालवता होती है, परन्तु वास्तव में आधिक सबट काल में इस मान में यह गुण नहीं रहने पाया। यह तो सच है कि प्रथम महायुद्ध से पहले यह मान स्वतः सचालव था, परन्तु युद्धकाल में और इसके बाद इस मान में यह गुण नहीं रहा। इस मान में यह गुण तब ही रह सकता है जबकि इस मान को कायम रखने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग भी हो। वास्तव में प्रथम महायुद्ध बाल में और इसके बाद कुछ देशों ने स्व हित में इस मान के नियमों का पालन नहीं किया और इस अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अभाव के बारण, इस मान के स्वयं-सचालवता के गुण का भी लाभभग अन्त हो गया। मुद्रा काल में कई देशों ने स्वर्ण के नियम पर प्रतिवन्ध लगा दिये, देश में मुद्रा के परिमाण में स्वर्ण-कोष की मात्रा में घटन-वढ़ के अनुसार परिवर्तन नहीं होने दिये तथा कुछ देशों ने सोने के बहुत बड़े खोप जमा कर लिये और कुछ देशों में स्वर्ण-कोष की मात्रा में बहुत कमी हो गई। इन परिस्थितियों से स्वर्ण की आयात-नियंत्रण पर प्रतिवन्ध लग जान से, स्वर्ण-चलन मान का स्वयं-सचालवता भी खत्म हो गई। अत स्वर्ण-चलन मान में स्वयं-सचालवता वा गुण भी अनुवूल परिस्थितियों (Fair Weather Conditions) में ही पाया जाता है और आधिक सबट काल में यह प्रणाली भी प्रबन्धित (Managed) हो जाती है। (iii) मूल्यों में स्थिरता नहीं रहती है (There is no Stability in Prices) — आत्मोक्षणी का मत है कि स्वर्ण-चलन-मान में मुद्रा की एक इकाई के मूल्य को स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के मूल्य के बराबर रखने की नीति स्वयं मूल्यों की स्थिरता को नहीं रहने देती है। इसका कारण स्पष्ट है। सोने के मूल्य में परिवर्तन हो जाने पर देश के मूल्य-स्तर में भी अवश्य ही परिवर्तन हो जाता है और सोने के मूल्य में परिवर्तन के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे—नई-नई खानों की खोज व पुरानी खानों का बद्द होना, तान में से योना निकालने की विधि में परिवर्तन व सुधार, सोने के उपयोग में परिवर्तन, मजदूरी की दर में परिवर्तन, आयात-नियात में अन्तर आदि। इस तरह सोने की मात्रा व पूर्ति भ परिवर्तन हो जान पर सोन के मूल्य भ परिवर्तन हो जाता है और जब स्वयं मान के मूल्य में परिवर्तन हो जाता है तब दश के मूल्य-स्तर में स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। अत स्वर्ण-चलन मान में यह आवश्यक नहीं है कि मूल्यों में तथा विदेशी विनियम दरों में स्थिरता रह। (iv) अन्य दोष — (क) इस मान में स्वर्ण के मिक्कों का प्रचलन होने से मुद्रा-प्रणाली में सोना भी अधिक सगता है। (ख) स्वर्ण के मिक्कों में घिसावट हो जाने के देश को मूद्यवान धातु की हानि होती है तथा (ग) जिन देशों में स्वर्ण वा अभाव रहता है, वे देश मान को नहीं अपना सकते हैं जिससे दून देशों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी बहिनाई अनुभव होती है।

### स्वर्ण-धातु-मान (Gold Bullion Standard)

(ख) **स्वर्ण-धातु मान (Gold Bullion Standard)** — स्वर्ण-धातु मान वा स्वर्ण-चलन-मान से बहुत कम अन्तर है और यह मान स्वर्ण-चलन-मान वा एक सघी-वित्त है। इस मान का जन्म युद्ध काल में हुआ था। उस समय अमेरिका को

छोड़ कर अन्य सब देशों ने इस मान को अपनाया था। वास्तव में, इस मान का जन्म स्वर्ण-चलन-मान की युद्धकालीन कठिनाइयों द्वारा ही हुआ था। ये कठिनाइयों क्या थीं? युद्ध-काल में लगभग प्रत्येक घूरोपीय देश को अपनी मुद्रा के प्रसार करने की आवश्यकता अनुभव हुई थी, परन्तु इस प्रकार की वृद्धि के लिये उनके पास स्वर्ण का कोप पर्याप्त मात्रा में नहीं था। युद्ध के कारण स्वर्ण का आयात-निर्यात भी स्वतन्त्रता-पूर्वक नहीं हो सका तथा कुछ सरकारों ने स्वर्ण की आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध भी लगा दिये। इन कठिनाइयों के कारण युद्धकाल में कुछ देशों में स्वर्ण-चलन-मान का लोप हो गया और इसके स्थान पर इन देशों ने स्वर्ण-पाट-मान का अवलम्बन लिया। युद्धकाल के बाद स्वर्ण-चलन-मान को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु इंगलैंड तथा अन्य किसने ही देशों के विरोध के कारण इस मान को दुबारा नहीं अपनाया जा सका। इन देशों ने विरोध कई कारणों से किया था:—(च) युद्धकाल में प्रत्येक देश ने पश्च-मुद्रा का बांको प्रचलन किया था, इस मुद्रा को सोने वा प्रति-निधित्व प्रदान करने के लिये सोने की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती। यह स्वाभाविक ही है कि कोई भी देश सोने की इतनी अधिक मात्रा की व्यवस्था नहीं कर सकता था। (छ) उक्त समस्या वा हल पश्च-मुद्रा की मात्रा वो बहुत बड़ी तथा इसे स्वर्ण कोप के बावाबर करके भी किया जा सकता था। परन्तु मुद्रा वी मात्रा में इतनी भारी मात्रा में बमी कर देने का देश वी भार्यिक दशा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता (मुद्रा-संकुचन से देश में भारी भन्दी आ जाती), इसलिये कोई भी देश इस रीति वो अपनाने के लिये तेहार नहीं था। (ज) उक्त दोनों कारणों से अधिकांश देश यह चाहते थे कि वे एक ऐसी मूद्रा-पद्धति अपनायें जिससे एक तरफ तो उन्हें मुद्रा वी मात्रा में बमी नहीं करनी पड़े और दूसरी तरफ यह पद्धति स्वर्ण-मान का भी अवलम्बन कर सके। इस अवस्था में समस्या का हल एक ही तरह से हो सकता था और वह यह था कि स्वर्ण-चलन-मान को त्याग वर स्वर्ण-धातु-मान अपना लिया जाये ताकि स्वर्ण कोप वी योड़ी सी मात्रा से ही स्वर्ण-मान स्थापित हो जाये। इस प्रबार वा मान ही स्वर्ण-पाट-मान कहलाता है। संक्षेप में, इस मान की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं:—

- (i) इस मान में सोना मूल्यमापक तो होता है, परन्तु सोने के सिवके न तो ढाले जाते हैं और न ये चलन में ही रहते हैं। अतः स्वर्ण विनिमय-माध्यम वा वार्य नहीं करता है। (ii) देश के घन्दर पश्च-मुद्रा तथा अन्य निम्न धातुओं वा चलन किया जाता है और इनके द्वारा ही विनिमय-माध्यम वा वार्य होता है। परन्तु पश्च-मुद्रा तथा मिक्कों वा मूल्य स्वर्ण में सूचित किया जाता है। यह स्मरण रहे कि स्वर्ण-पाट-मान में पश्च-मुद्रा के पीछे १०० प्रतिशत स्वर्ण-कोप नहीं रखता जाता है, वरु इनके पीछे देवल एक निर्दित प्रतिशत में ही स्व-कोप रखता जाता है, जैसे—३० प्रतिशत या ४० प्रतिशत। परन्तु तभाम पश्च-मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। तभाम मुद्रा पश्च-मुद्रा के पीछे १०० प्रतिशत स्वर्ण-कोप न रहते हुए भी सरकार नोटों की स्वर्ण में परिवर्तनीयता इसलिये बायम रखने में सक्षम हो जाती है ब्याकि निसी समय पर कुल नोटों वा एक छोटा सा प्रतिशत ही स्वर्ण में बदलने के लिए सरकार के पास

आता है। जू कि सरकार में जनता का यह विश्वास होता है कि वह मात्र बरने पर पन मुद्रा के बदले स्वर्ण दे देगी, इसलिए बागजी नोट स्वतं चलन में रहते हैं। (iii) सरकार सभी प्रकार की मुद्राओं को एक पूर्व निर्धारित दर पर सोने की सलाल (Gold Bars) में बदलने का आद्वासन दिया करती है। परन्तु सोने में प्रतीक मुद्रा का परिवर्तन एक निश्चित बजन से कम नहीं लिया जाता। इस पद्धति में सोना किसी भी वार्षिक के लिये लिया जा सकता है। परन्तु निश्चित बजन की सीमा निर्धारित बरने का उद्देश्य ही यह या कि सोना बेचने विदेशी भुगतान के लिए ही लिया जाय। इसके अतिरिक्त, एक न्यूनतम मात्रा इसलिए भी निश्चित की जाती है ताकि सोना खरीदने की प्रवृत्ति हतोत्साहित हो तथा सरकारी वर्मनारियों की सुविधा भी हो। जू कि सरकार सोने को बेचने का वचन देती है, इसलिये इसे इस वार्षिक के लिए अपने पास कुछ स्वर्ण-बोप रखना पड़ता है। इ गलैंड में सन् १९२५ में तथा भारत में सन् १९२७ में उक्त पद्धति अपनाई गई थी। इ गलैंड में मुद्रा को ३ पौंड १७ शिलिंग १० ई पैस प्रति औंस की दर पर चार-चार सौ औंस (Gold Bars of 400 Ounces) की सोने की छड़ी से बदलें जा सकता था। इसी तरह भारत में भी मुद्रा को २१ रुपये ७ आने १० पाई प्रति तोला की दर पर चार-चार सौ औंस (१०६५ तोले की छड़ी) की छड़ी में बदला जा सकता था। इस तरह इ गलैंड और भारत दोनों में ही मुद्रा के बदले स्वर्ण कम से कम ४०० औंस लिया जा सकता था। (iv) इस मान में सोने की आयात निर्धारित पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है जिससे सब देशों में सोने का मूल्य लगभग समान रहता है। (v) इस मान में सोने का स्वतन्त्र ट्रैण्ड (Free Coirage) भी नहीं होता है।

इ गलैंड में स्वर्ण पाट मान सन् १९३१ तक प्रचलित रहा, परन्तु इस वर्ष इ गलैंड को अनेक वैट्टन-इयो का सामना बरना पड़ा जिसके कारण इसी वर्ष इ गलैंड को इस मान का परित्याग करना पड़ा। भारत ने भी इ गलैंड का अनुकरण किया और इसी वर्ष भारत ने भी स्वर्ण पाट मान को त्याग दिया। अमेरिका जैसे इस मान को सन् १९३३ तक और फ्रांस ने इसे १९३६ तक अपनाया। परन्तु सन् १९३६ तक शनै शनै प्रत्येक देश ने स्वर्ण-पाट-प्रणाली की छोड़ दिया और आज यह मान कही भी नहीं पाया जाता है।

### स्वर्ण पाट मान के लाभ-दोष

स्वर्ण-पाट-मान के लाभ (Advantages of the Gold Bullion Standard) — इस मान के समर्थनों ने इस मान में वर्द्ध महत्वपूर्ण लाभ बताए हैं और इसलिये कुछ तो इसे स्वर्ण चलन मान की अपेक्षा बहुत अच्छा मान मानते हैं। इसके कुल लाभ इस प्रकार हैं—(१) स्वर्ण के उपयोग में मितव्ययिता —स्वर्ण पाट मान में स्वर्ण के उपयोग में तीन तरह से मितव्ययिता होती है—(क) स्वर्ण के सिक्कों प्रबलन में नहीं होने से घिसावट द्वारा सोना नष्ट नहीं होन पाता है। (ख) सोने के सिक्कों को दालतने में किया जाने वाला व्यय बच जाता है तथा (ग) सोने के उपयोग में बचत होती है क्योंकि अब मुद्रण के लिये बहुत अधिक मात्रा में सोने की आवश्यकता नहीं रहती।

है। इस मान में सोना केवल स्वर्ण-कोपों में जमा रहता है और सोने की मात्रा चलन की अपेक्षा निधि में कम रखनी पड़ती है।

## स्वर्ण पाट मान के लाभ

हैं:-

१. स्वर्ण के उपयोग में मित्रव्ययिता।
२. स्वर्ण का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिये होता है।
३. मुद्रा में लोच होता है।
४. विनिमय-दर में स्थिरता होती है।
५. मुद्रा प्रणाली में जनता का विश्वास होता है।
६. स्वर्ण-पाट मान में स्वर्ण संचालन का गुण होता है।

परिणामतः इस मान को वह देश भी अपना सकता है जिसके पास स्वर्ण कम मात्रा में उपलब्ध है। यह इस कारण भी सम्भव है क्योंकि इस मान में एक निश्चित मात्रा से कम सोना नहीं खरीदा जा सकता है और चूंकि निश्चित मात्रा से अधिक प्रत्येक व्यक्ति सोना नहीं खरीद सकता, इसलिये भी निधि में बहुत कम सोने को आवश्यकता हुआ करती है। अतः इन तीनों कारणों से यह कहा जाता है कि स्वर्ण-चलन-मान की अपेक्षा स्वर्ण पाट मान में अपेक्षाकृत अधिक मित्रव्ययिता (Economy) रहती है।

(ii) स्वर्ण का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिए होता है—स्वर्ण-पाट-मान के समर्थकों ने यह कहा है कि इस मान का एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस मान में स्वर्ण का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिये नहीं बरत् सामान्य व सार्वजनिक लाभ के लिये होता है। इसका कारण स्पष्ट है। स्वर्ण-चलन-मान में सोना छोटे-छोटे व्यक्तिगत कोपों में जमा रहता है क्योंकि चलन-मान में सोने के सिवके व्यक्तियों के पास होते हैं। यह सबं विदित है कि सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य साख-मुद्रा (नोट) या संकेतिक मुद्रा का ही अधिक उपयोग करते हैं और धातिक-मुद्रा का उपयोग कम करते हैं। परन्तु आर्थिक संकट-काल में मनुष्य न केवल नोटों का उपयोग कम और स्वर्ण-मुद्रा का उपयोग अधिक करते लगते हैं बरत् वे स्वर्ण-मुद्रा का संग्रह (Hoarding) करने लगते हैं। ऐसे सकट काल में सोने का संग्रह व्यक्तियों के पास न होकर यदि सरकार के पास हो जाय, तब यह बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ऐसा हो जाने पर एक और तो जनता का सरकारी मुद्रा में विश्वास बना रहता है और दूसरी ओर सोने का व्यक्तिगत हित में उपयोग हो सकता है। परन्तु यह तब ही सम्भव है जबकि देश में स्वर्ण-चलन-मान के स्थान पर स्वर्ण-पाट-मान होता है व्यक्ति तब ही स्वर्ण-निधि सरकार के पास हो सकती है। अतः स्वर्ण-पाट-मान में स्वर्ण का उपयोग सार्वजनिक हित में हुआ करता है। (iii) स्वर्ण-पाट-मान में मुद्रा में लोच होती है—इस मान का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसमें लोचकता होती है। इस मान में चलन और स्वर्ण-कोप की मात्रा के बीत्र एक निश्चित मनुष्यात होता है, जैसे—स्वर्ण कोप की मात्रा मुद्रा की मात्रा का ३०% या ४०% या इससे कम अधिक होता है। सरकार द्वारा आवश्यकता पड़ने पर

मुद्रा की मात्रा और स्वर्ण-निधि के बीच के अनुपात में परिवर्तन कर देने पर मुद्रा की मात्रा में प्रसार व सकुचन दिया जा सकता है। अतः स्वर्ण-पाट मान में व्यापारिक व श्रीधोगिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा चलन की मात्रा में घट-बढ़ आसानी से की जा सकती है। (iv) विनिमय दर की स्थिरता —विनिमय दर की स्थिरता के हास्त-कोण से भी सोना चलन में रहने की अपेक्षा मुद्रा-अधिकारी के कोष में रहना अधिक उपयोगी होता है क्योंकि इस दशा में मुद्रा अधिकारी विनिमय दर में स्थिरता लाने में अधिक सफल होता है। (v) मुद्रा प्रणाली में जनता का विश्वास होता है —जूँकि सरकार माग बरने पर पत्र-मुद्रा अधिकारी साकेतिक मुद्रा के बदले में स्वर्ण देने के लिये हर समय तंयार रहती है, इसलिए स्वर्ण-पाट-मान में जनता का विश्वास होता है तथा देश की साल (Credit) भी बनी रहती है। (vi) स्वर्ण-पाट मान में स्वयं अचालक्ता का गुण होता है —स्वर्ण-चलन-मान की तरह इस मान में भी स्वर्ण-मान के नियमों का पालन करने से स्वयं-सचालक्ता का गुण पाया जाता है। इसका बारण स्पष्ट है। जिस समय मुद्रा की मात्रा कम होती है, मनूष्य सोना खरीदते हैं जिससे एक तरफ तो स्वर्ण-कोष में सोने की मात्रा कम हो जाती है और दूसरी ओर चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और यह इसकी माग के बराबर हो जाती है। इसी तरह जब देश में मुद्रा की मात्रा अधिक होती है, तब मनूष्य अपने पास का सोना बेचते हैं और यह सोना सरकार के स्वर्ण-कोष में जमा होकर कोष की मात्रा को बढ़ा देता है। कोष की मात्रा बढ़ जाने पर मुद्रा की मात्रा भी बढ़ जाती है और पूर्ति इसकी माग के बराबर हो जाती है। इस तरह स्वर्ण-चलन-मान की तरह स्वर्ण-पाट-मान में भी स्वयं-सचालक्ता का गुण पाया जाता है और देश में मुद्रा की मात्रा और पूर्ति का स्वतं समायोजन (Adjustment) होता रहता है। परिणामतः मूल्य-स्तर तथा विनिमय भी दर में भी स्थिरता कायम रहती है।

स्वर्ण-पाट मान के दोष (Disadvantages of the Gold Bullion Standard) —यद्यपि प्रथम महायुद्ध के बाद स्वर्ण-पाट-मान अपेक्षाकृत अधिक अच्छा मान समझा गया क्योंकि इस मान में सोने की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं रहती है, परन्तु बुद्ध भयानक दोपो ने बारण यह मान अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। स्वर्ण-पाट-मान में कुछ मुख्य दोष इस प्रकार हैं—। जनता का विश्वास कम होता है—स्वर्ण-चलन मान की अपेक्षा स्वर्ण-पाट-मान में जनता का विश्वास कम होता है क्योंकि इस मान में स्वर्ण के सिक्के प्रबल्लन में नहीं होते और जनता को विनिमय का कार्य-स्वरूप मुद्रा तथा साकेतिक मुद्रा हारा ही बरना पड़ता है। यह अवश्य है कि तमाम मुद्रा स्वर्ण में बदली जा सकती है, परन्तु मान के इस परिवर्तन-शीलता में गुण से जनता का विश्वास बढ़ने नहीं पाता है। (ii) मान के बल अनुकूल परिस्थितियों का मान है—स्वर्ण-चलन मान की तरह स्वर्ण-पाट मान भी बेबल अनुकूल परिस्थितियों का मान (Fair Weather Standard) है। आधिक सकट वाले में यह मान ठीक-ठीक नहीं चलने पाता है। (iii) मान में स्वयं तचालक्ता का गुण कम और नियन्त्रित

### स्वर्ण-पाट-मान में दोष हैं:-

१. जनता का विश्वास कम होता है।
२. यह वैवल एक अनुरूप परिस्थितियों का मान है।
३. मान में स्वयं-संचालकता का गुण-वर्म और नियन्त्रित पद्धति का गुण अधिक पाया जाता है।
४. यह एक अभित्वयी मान है।

पद्धति का गुण अधिक पाया जाता हैः—इस मान में स्वर्ण-चलन-मान की अपेक्षा स्वयं संचालकता का गुण बहुत ही पाया जाता है। बास्तव में वह एक नियन्त्रित-पद्धति (Managed System) है, क्योंकि मान में मुद्रा-अधिकारी अथवा सरकार द्वारा ही पर-मुद्रा तथा साकेतिक मुद्रा और स्वर्ण-निधि का संचालन किया जाता है। अतः स्वर्ण-पाट-मान में सरकारी हस्तक्षेप की अधिक आवश्यकता पड़ा करती है। (iv) यह मान अभित्वयी भी हैः—इस मान में सोना स्वर्ण-कोष में वेकार पड़ा रहता है तथा इस मान का प्रबन्ध करने में भी बहुत व्यय होता है।

### स्वर्ण विनियम मान (Gold Exchange Standard)

(ग) स्वर्ण-विनियम-मान (Gold Exchange Standard):—यद्यपि भारत तथा अन्य बुद्ध देशों में इस मान का प्रचलन २०वीं शताब्दी के आरम्भ में ही हो गया था, परन्तु मूल रूप से इस मान का प्रचलन प्रथम महायुद्ध के बाद ही हुआ था। स्वर्ण-विनियम मान के दो मुख्य रूप हैंः—(क) वह स्वर्ण-विनियम-मान जिसमें स्वर्ण का कोष विलकुल भी नहीं रखला जाता है। ऐसा देश अपनी स्वर्ण की सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशी स्वर्ण-कोषों पर निर्भर रहता है। (ख) वह स्वर्ण-विनियम-मान जिसमें कुछ स्वर्ण-कोष रखला जाता है और कुछ हिस्से के लिये अपनी जमा स्वर्ण-मान थाले देशों के अल्पकालीन विनियोग (Investments) रखते जाते हैं। अर्थशास्त्रियों में इस सम्बन्ध में वटा मतभेद है कि उक्त में से कौनसा स्वर्ण-विनियम मान है। कुछ अर्थशास्त्री स्वर्ण-विनियम मान के उक्त द्वासरे रूप को स्वर्ण-विनियम मान के अन्तर्गत नहीं रखते हैं और वे इसका पहला रूप ही मानते हैं। परन्तु बास्तव में उक्त दोनों रूपों का उपयोग होता है और आजकल दोनों को ही स्वर्ण-विनियम-मान का नाम दिया गया है। इस मान की विदेशीयों में निम्न प्रकार हैः—

- (i) स्वर्ण-विनियम-मान में न तो स्वर्ण के मिक्कों का प्रचलन होता है और न स्वर्ण के सिक्कों ही ढाले जाते हैं। यह आवश्यक है कि स्वर्ण परोक्ष रूप में मूल्य-मापन का बायं करता है। अतः इस मान में स्वर्ण विनियम-माध्यम का कायं नहीं करता है।
- (ii) देश के आन्तरिक चलन में पत्र-मुद्रा तथा अन्य सस्ती-धातु वी साकेतिक मुद्रा का चलन किया जाता है। इन मुद्राओं का सम्बन्ध स्वर्ण की निश्चित मात्रा एवं धूदता में निश्चित किया जाता है परन्तु मुद्रा अधिकारी का यह दायित्व नहीं होता कि वह देश

ये मुद्रा को स्वर्ण में बदले। सिद्धान्त में (Theoretically) ये मुद्रा अधिकारी देश की मुद्रा को एक निश्चित दर पर सोने या विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) में परिवर्तित करने का उत्तरदायी होता है परन्तु वास्तव में (In Practice) सोना केवल विदेशी-मुगातानों के लिये ही दिया जाता है और वह भी केवल विदेशी विनिमय के रूप में। स्वर्ण-मुद्रा-मान में स्वर्ण ने चिकितों की स्वतन्त्र छालाई होती है, स्वर्ण-पात्र-मान में स्वर्ण की छड़ी का क्रय-विक्रय होता है, परन्तु स्वर्ण-विनिमय मान में सरकार द्वारा प्रबन्धित सोने के ड्रापट या प्रसीमित बाजार होता है। दूसरे शब्दों में, स्वर्ण-विनिमय-मान में मुद्रा का परिवर्तन एक वैधानिक दर पर विसी दूसरे देश की मुद्रा से जो स्वर्ण-मान (स्वर्ण-चलन-मान या स्वर्ण पाट-मान) पर आधारित है किया जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन से सम्बन्ध रखने वाले निष्ठम केन्द्रीय अधिकारियों वी इच्छा पर निर्भर रहते हैं। केन्द्रीय अधिकारी स्वर्ण ड्रापटों की साख-मुद्रा के बदले में देते हैं और ये ड्रापट विदेशी में स्वर्ण से परिवर्तित लिये जा सकते हैं। इस तरह इस मान में सरकार का उत्तरदायित्व केवल इतना होता है कि वह देश की मुद्रा को एक ऐसी मुद्रा में परिवर्तित करे जो स्वयं स्वर्ण में परिवर्तनशील हो और एक निर्धारित दर पर विदेशी मुद्रा की सम्पूर्ण मान की पूति करे। अतः स्वर्ण-विनिमय मान में देश की मुद्रा वा सोने से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध (Direct Relationship) नहीं होता है बरत् इसका सोने से परोक्ष सम्बन्ध (Indirect Relationship) होता है क्योंकि देश की मुद्रा के बदले में विदेश में सोना मिल सकता है। (iii) देश की सरकार या केन्द्रीय बैंक विदेशी बैंकों में स्वर्ण-कोष रखती है और अपने देश में भी एक बोप में विदेशी विनिमय या विदेश के सिक्के रखती है। इस तरह इस मान में दो कोषों का ग्रहना बहुत आवश्यक होता है— पहला उस देश में जो उसे अपनाये और दूसरा विदेश में, जिससे इस देश की मुद्रा वा सम्बन्ध स्थापित किया गया है। इस मान की सफलता बहुत कुछ इन कोषों पर ही निर्भर रहती है। यह स्वाभाविक ही है कि जो देश इस मान को अपनाता है वह उस देश पर निर्भर रहता है जिससे इसने अपनी मुद्रा वा सम्बन्ध स्थापित किया है। (iv) स्वर्ण में मुक्त बाजार (Free Market in Gold) नहीं होता है। सरकार द्वारा यह बाजार नियन्त्रित व नियमित (Govt Controlled and Managed) होता है जिससे कोई भी व्यक्ति सोने की न लो आयात कर सकता है और न निर्यात हो।

स्वर्ण-विनिमय मान प्रणाली का अवलम्बन सर्वप्रथम जाया में हमारा और बाद में ही भारत, पिनामा, मैक्सिको, फ़िलिपाइन्स आदि देशों में हुआ था। भारतवर्ष में सन् १६०० में इस मान को अपनाया गया था। उस समय भारतीय रूपये को विटिश पौड़ से सम्बन्धित किया गया था और इसकी विनिमय दर १ रुपये ४ पैसे प्रति रूपया रखी गई। भारत सरकार ने सन्तुत में एक बहुत छाता कोष रखाया था। प्रथम महायुद्धकाल में भारत सरकार ने इस मान को घड़ी मुश्किल से चातुर रखा था और अन्ततः सन् १६१७ में भारत सरकार ने इसे स्थगित (Postpone) करना पड़ा। सन् १६२० में भारत में युद्ध के परिणाम से प्रति रूपया २ रुपये ५ पैसे की दर पर इस मान को अपनाने का प्रयत्न किया गया, परन्तु यह प्रयत्न प्रसफल रहा क्योंकि सरकार २ रुपये ५ पैसे प्रति रूपया की दर

पर स्टॉलिङ्ग वेचने में असमर्थ रही। इसका कारण स्पष्ट है। एक और चादी का मूल्य बहुत गिर गया और दूसरी और देश में आयातों नियर्तों से बहुत अधिक हो गई जिनके कारण भारत में स्टॉलिंग की मांग बहुत बढ़ गई और भारत सरकार स्टॉलिंग की इतनी अधिक मात्रा की व्यवस्था नहीं कर सकी। अन्ततः सन् १९२७ में भारत ने स्वर्ण-धातु-मान (Gold Bullion Standard) प्रपना लिया।<sup>१०</sup>

मुद्राकाल में चांदी का मूल्य बढ़ जाने के कारण रूपयों की मांग बढ़ गई जिससे स्वर्ण-विनिमय-मान को कायम रखने में सरकार छठिनाई अनुभव करने लगी। इस मान को बनाये रखने के लिये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (Secretary of State for India) ने लंदन में कौसिल-विल्स (Council Bills) या रुपए-विल्स (Rupee Bills) नाम के पत्रों को ऐसे व्यक्तियों को देचना शुरू किया जो भारत में भुगतान करना चाहते थे अर्थात् जो व्यक्ति भारत में रूपये का भुगतान करना चाहते थे, वे इन विल्स को स्टॉलिंग देकर खरीदते थे और इन्हे भारतीय व्यापारियों को भेज देते थे जो इनके आधार पर एक निश्चित दर पर भारत सरकार से रूपया ले लिया करते थे। इसी तरह भारत सरकार ने रिवर्स कौसिल विल्स (Reverse Council Bills) या स्टॉलिंग-बिल (Sterling Bills) उन भारतीय व्यापारियों को रूपये के बदले में देचना आरम्भ कर दिये जो इंगलैंड में व्यापारियों को भुगतान में भेजना चाहते थे। इंगलैंड के व्यापारी इन विल्स के आधार पर एक निश्चित दर पर अंग्रेजी सरकार से पौड़ ले लिया करते थे। इसी तरह उक्त विल्स द्वारा इंगलैंड और भारत के व्यापारियों के सोइंगों की अदायगी बहुत आसानी से हो जाया करती थी। इन विल्स का क्रय-विक्रय इस प्रकार किया जाता था कि भारत और इंगलैंड के बीच विनिमय की दर (Rate of Exchange) १ रुपया ४ पैसे प्रति रूपया

<sup>१०</sup> विद्यार्थियों को स्वर्ण-विनिमय-मान तथा पत्र-मुद्रा-विनिमय-मान (Currency Exchange Standard) में भेद समझ लेना चाहिए। स्वर्ण-विनिमय-मान में देश की मुद्रा के बदले में सरकार एक ऐसी विदेशी मुद्रा देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है जिसके बदले में विदेश में स्वर्ण लिया जा सकता है। भारत में सन् १९२७ तक इसी प्रकार का मान रहा। परन्तु सन् १९३१ में जब इंगलैंड ने स्वर्ण मान का परिस्थित घटाया, तब स्टॉलिंग स्थिर एक अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा बन गया एवं कि इसके बदले में स्वर्ण नहीं दिया जा सकता था। इसलिये सन् १९३१ से भारत में स्वर्ण पत्र-मुद्रा विनिमय-जान (पा पत्र-मुद्रा मान या स्टॉलिंग विनिमय मान) स्थापित हो गया एवं कि भारतीय १० के बदले में सरकार एक निश्चित दर पर स्टॉलिंग का क्रय-विक्रय किया जाता था। सन् १९४७ तक स्टॉलिंग और भारतीय रूपये दोनों का स्वर्ण से कोई सम्बन्ध नहीं था जिससे विनिमय दर में काफी परिवर्तन होते रहते थे। परन्तु सन् १९४७ में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा क्रीड़ की स्थापना से, भारतीय रूपये का भी स्वर्ण में मूल्य परिवर्तित कर दिया गया जिससे अब विनिमय दर में भी स्थिरता आ गई है। अतः सम् १९३१ से सन् १९४७ तक भारत में पत्र मुद्रा विनिमय-मान (Currency Exchange Standard) रहा और सन् १९४७ से स्वर्ण मान (Gold Parity Standard) है।

या इसके आस-पास बनी रहे। अतः भारत में स्वर्ण-विनिमय मान के प्रचलन में कौशिल विल्स तथा रिवर्स कौशिल विल्स का बहुत महत्व रहा है।

### स्वर्ण-विनिमय-मान के लाभ-दोष

स्वर्ण-विनिमय-मान के लाभ (Advantages of the Gold Exchange Standard) :—इस मान के समर्थकों ने इस मान के कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार बताये हैं (१) यह मान बहुत ही कम खर्चोंसा है—इसके बड़ी कारण है—(क) इस मान में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता है जिससे देश को सोने की विसावट से होने वाली हानि की बचत हो जाती है। (ख) सरकार पत्र-मुद्रा या अन्य साकेतिक मुद्रा के बदले में स्वर्ण देने के लिये बाध्य नहीं होती है जिससे अर्थर्ण कोप में बेकार में सोना नहीं पड़ा रहता है। विदेशी कोपों में भी सोना बहुत कम मात्रा में जमा बरता पड़ता है। परिणामतः सोने का उपयोग मुद्रा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में किया जा सकता है। (ग) इस मान में सोने का स्वतन्त्र बाजार (Free Market in Gold) नहीं होता है जिससे सोने की आयात-नियति का खर्च बच जाता है। अब इसकी वस्तों में बन्द करने, धीमा बराने तथा यातायात पर व्यय करने वीं विशेष आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह मान बहुत ही भित्त्यवित्तापूर्ण होता है। (२) स्वर्ण विनिमय-मान बहुत लोचदार होता है :—तू कि इस मान में मुद्रा का प्रसार सीने की उपलब्धता पर निर्भर नहीं होता है, इसलिये यह मान बहुत लोचपूर्ण होता है। इस मान में मुद्रा-अधिकारी मुद्रा के बदले में स्वर्ण देने के लिये बाध्य नहीं होता, इसलिए मुद्रा का प्रसार देश की व्यापारिक आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। (३) इस मान में स्वर्णमान के सब लाभ प्राप्त होते हैं तथा यह मान एक ऐसे देश द्वारा भी प्रयोगयाजा जा सकता है जिसके पात सोना बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है—स्वर्ण-विनिमय मान की यह विशेषता है कि विना स्वर्ण के सिक्के चलाय स्वर्ण-मान के सब लाभ उठाये जा सकते हैं। इसलिये यह मद्दति एक निर्वन व कम विकसित देश के लिए बहुत उपयोगी है। (४) सरकार विदेशी विनियोगों से लाभ प्राप्त करती है।—इस मान में एक देश को विदेश में कोप

### स्वर्ण-विनिमय-मान के लाभ हैं:-

१. यह मान बहुत ही कम खर्चोंसा है।
२. स्वर्ण-विनिमय-मान बहुत लोचदार होता है।
३. इस मान में स्वर्ण-मान के सब लाभ प्राप्त हो जाते हैं और यह एक ऐसे देश द्वारा भी अपनाया जा सकता है जिसके पात सोना बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है।
४. सरकार विदेशी विनियोगों से लाभ प्राप्त करती है।
५. इस मान में अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में सुविधा रहती है।

व्यापारिक आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। (६) इस मान में स्वर्णमान के सब लाभ प्राप्त होते हैं तथा यह मान एक ऐसे देश द्वारा भी प्रयोगयाजा जा सकता है जिसके पात सोना बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है—स्वर्ण-विनिमय मान की यह विशेषता है कि विना स्वर्ण के सिक्के चलाय स्वर्ण-मान के सब लाभ उठाये जा सकते हैं। इसलिये यह मद्दति एक निर्वन व कम विकसित देश के लिए बहुत उपयोगी है। (७) सरकार विदेशी विनियोगों से लाभ प्राप्त करती है।—इस मान में एक देश को विदेश में कोप

स्थापित करना पड़ता है जिस पर इसे व्याज प्राप्त होता है। (v) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में सुविधा रहती है:—इस मान में सरकार पर विदेशी विनिमय की दर वो नियन्त्रित व नियमित करने का दायित्व होता है। वह विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयत्न किया करती है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में आसानी रहे। अतः स्वर्ण-विनिमय-मान अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में सुविधाजनक होता है।

स्वर्ण-विनिमय-मान के दोष (Defects of the Gold Exchange Standard):—इस मान के आलोचकों ने इसमें कई दोष बताये हैं। इनमें से कुछ मुख्य दोष इस प्रकार हैं:—(i) स्वर्ण-विनिमय मान में जनता का कम विश्वास होता है:—यह मान अत्यधिक कठिन व जटिल होता है और जन साधारण इसे आसानी से समझने नहीं पाते

### स्वर्ण-विनिमय-मान के दोष हैं:—

१. इस मान में जनता का कम विश्वास होता है।
२. इस मान में विदेश में स्वर्ण-कोप जमा करने वाले देश को हानि का भय रहता है।
३. इस मान में कोपों की अधिकता रहती है।
४. यह स्वयं-चालित मान नहीं है।
५. इसमें लोचकता का गुण नहीं है।
६. इस मान में देश वा चलन विदेशी चलन पर आधिकता ही जाता है।
७. स्वर्ण-विनिमय-मान में आधार देश की मुद्रा-प्रणाली असुरक्षित रहती है।

है जिनसे जनता मुद्रा-अधिकारी को सदा शब्दाकारी देखती है। परिणामतः इस मान में जनता का कम विश्वास होता है। विश्वास के अभाव का एक कारण यह भी होता है कि सरकार मुद्रा के बदले स्वर्ण नहीं देती है वरन् यह केवल विदेशी भुगतान के लिये ही विदेशी विनिमय या ऐसी विदेशी मुद्रा देती है जो स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। इस कारण यह पद्धति सेहतान्त्रिक (Theoretical) प्रतीत होने लगती है, यहाँ तक कि एक शिक्षित व्यक्ति तक इसे बहुत कठिनाई से समझने पाता है। (ii) इस मान में विदेश में स्वर्ण-कोप जमा करने वाले देश को हानि का भय रहता है—स्वर्ण-विनिमय मान में विदेशी भुगतान की सुविधा के लिये विदेशी बैंक में स्वर्ण-कोप जमा करना पड़ता है। इस बैंक के फूट जाने (Failure of the Bank) पर उक्त कोप को जमा करने वाले देश को हानि का भय रहता है। (iii) इस मान में कोपों की अधिकता थी—भारत में इस मान के अन्तर्गत तीन कोपों वा निर्माण करना पड़ता

था—स्वर्ण-मान-कोप, पत्र-मुद्रा कोप तथा भारत सरकार की इंगलैंड और भारत में जमा की गई रकम। (iv) यह मान स्वयं-चालित नहीं है:—स्वर्ण-विनिमय-मान मुख्यतः राज्य द्वारा नियन्त्रित व नियमित (Controlled and Managed) मान है। जूँकि

राज्य को ही विदेशी विनिमय का नियन्त्रण करना पड़ता है, इसलिये यह एक प्रबन्धित मान (Managed Standard) नहता है। (v) इस मान से सोचकता का गुण नहीं है:—इस मान में मुद्रा का प्रसार तो आसानी से हो जाया करता था, परन्तु यदि एक बार इपये बन गये तब इनका प्रचलन बदावर रहता था क्योंकि इस मान में कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे मुद्रा का संकुचन आसानी से हो जाय। (vi) देश का असन विदेशी चलन पर आधित हो जाता है:—इस मान में स्वतन्त्रता का अभाव रहता है क्योंकि स्वर्ण विनिमय मान को अपनाने वाले देश की मुद्रा-नीति आधार देश (Planet Country) की मुद्रा-नीति पर अवलम्बित हो जाती है। यूं तो यह व्यवस्था सही व मुविधाजनक होती है, परन्तु इसमें हानि का भय भी बहुत होता है। यदि जिन्होंने कारण से आधार देश (Planet Country) को स्वर्ण-मान का परित्याग करना पड़ जायगा क्योंकि इस दशा में इन सभी देशों ने भी स्वर्ण-मान का परित्याग करना पड़ जायगा क्योंकि इस दशा में इन सभी देशों की मुद्रा के बदले में दो जाने वाली आधार-देश की मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं रहती है। अतः स्वर्ण-विनिमय-मान को अपनाने वाला देश अपने व्यापार तथा विनियोगों के लिये आधार-देश पर आधित हो जाता है। (vii) स्वर्ण-विनिमय-मान में आधार-देश की मुद्रा प्रणाली असुरक्षित रहती है:—इसका कारण भी स्पष्ट है। आधार-देश के पास स्वर्ण-कोय एक सीमित मात्रा में ही रहता है। परन्तु इस कोय पर न केवल आधार देश का ही अधिकार रहता है बरन् उन सभी देशों का अधिकार होता है जिन्होंने अपनी मुद्रा प्रणाली वो आधार-देश की मुद्रा से सम्बन्धित किया है। इस दशा में यदि आधार देश तथा अन्य देशों वी स्वर्ण पी मार्ग बहुत अधिक हो जाय, तब आधार-देश की मुद्रा-प्रणाली सकट में पड़ सकती है। अतः स्वर्ण-विनिमय-मान में आधार-देश की मुद्रा प्रणाली का जीवन सकट में रहता है।

स्वर्ण विनिमय-मान के उक्तलिखित दोषों के कारण हिल्टन-यॉग-कमीशन (Hilton Young Commission) ने इस मान को भारत में अध्यवहारिक घोषित किया और इस कमीशन के सुभाव के अनुसार यह मान भारत में सन् १९२७ में समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर स्वर्ण-धातु मान स्थापित हुआ।

### स्वर्ण-निधि-मान (Gold Reserve Standard)

(viii) स्वर्ण निधि मान (Gold Reserve Standard) —स्वर्ण निधि-मान एक सदृश्यता देश का ही एक सदृश्यता देश है। यह मान सन् १९३६ से सितम्बर १९३८ तक कुछ पाँचचाहर देशों से प्रचलित रहा, जैसे बेल्जियम, प्राप्त, स्विटजरलैंड तथा अमेरिका। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ हो जाने पर यह मान प्रचलित नहीं रह सका। इस मान की विशेषताये इन प्रकार हैं:—(i) सीने की आमत-निर्यात बेवल सरकार द्वारा ही ही का सकती है।—स्वर्ण-निधि मान में स्वर्ण के रखने वाला देश का अन्त हो जाता है। व्यक्ति एवं व्यापारी स्वर्ण का आमत-निर्यात नहीं कर सकते हैं। इसका एकाधिकार बेवल सरकार के हाथ म होता है। सोने का आमत-निर्यात सरकार द्वारा बेवल विनिमय वी दर में स्थिरता लाने के लिए किया जाता है। सन् १९३६ में कुछ पाँच देशों में इसी

प्राण्य का एक समझौता हुआ जिसके अनुसार एक देश से दूसरे देश को सोना केवल मुद्रा सम्बन्धी नामों के लिए आ-जा सकता था। (ii) विनिमय-समीकरण कोषों की स्थापना:- विनिमय की दर में स्थिरता लाने के लिए, इस मान के अन्तर्गत सभी देशों के केन्द्रीय बैंकों ने विनिमय-समीकरण कोषों (Exchange Equalisation Funds) की स्थापना

की थी। इन कोषों को कभी-कभी विनिमय समातुलन लेखे (Exchange Equalisation Accounts) या विनिमय-बोय (Exchange Funds) के नाम से भी पुकारा जाता है। इस मान में एक देश के कोप से दूसरे देश के बोय को सोना आ-जा सकता था, परन्तु सोने की इस प्रकार की आयात-नियंत्रित, केवल सरकार द्वारा ही हो सकती थी और यह कार्यवाही जनता से पूर्णतया गुप्त रहती थी। जनता को यह मालूम भी नहीं होने पाता था कि किसी समय पर कोई देश वित्ती स्वरूप खरीद बेच रहा था या किसी बोय के पास विभिन्न देशों की मिल-भिन्न मुद्राये कितनी-कितनी मात्रा में किसी समय पर रहती थीं (विनिमय-समीकरण कोषों द्वारा विस्तृत देश में विनिमय की दर में स्थिरता आती थी, इस सम्बन्ध में 'विनिमय की दर' नामक अध्याय में विस्तार से लिखा गया है)। विनिमय-समीकरण कोषों में वह सोना जमा होता था जिसे वे दूसरे देशों से खरीदते थे। औंकि इस मान में स्वरूप एक देश के विनिमय-समीकरण कोप से दूसरे देश के समीकरण कोप की वरावर

हस्तान्तरित होता रहता था, इसलिए इस पद्धति को कुछ लेखकों ने स्वरूप-निधि पद्धति (Gold Reserve Standard) कहा है। (iii) इस मान की एक विशेषता यह थी कि देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में बिना किसी हस्तक्षेप किए तथा व्याज की दर में बिना कोई परिवर्तन किए, विनिमय को दर में स्थिरता लाई जा सकती थी:— इसका कारण स्पष्ट है। सरकारें विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) की माँग और पूर्ति का समायोजन (Adjustment) विनिमय-समीकरण कोषों द्वारा, गुप्त रूप में, आसानी से कर लिया करती थी और इस प्रकार का समायोजन बिना आन्तरिक आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किए ही हो जाया करता था।

स्वरूप-निधि-मान में उक्त गुण एवं विशेषतायें होते हुए भी यह मान द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होते ही टूट गया क्योंकि यह मान विदेशी विनिमय (Foreign

Exchange) के कानून में युद्ध द्वारा उत्तरान्ध असाधारण परिस्थितियों का सामना नहीं कर सका।

### स्वर्ण समता प्रणाली (Gold Parity Standard)

• (न) स्वर्ण-समता प्रणाली (Gold Parity Standard) — यह मान स्वर्ण-मान का एक साधारित एवं सबसे नवीन रूप है। इस मान का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) की स्थापना से ही हुआ भाना जाता है। स्वर्ण-चलन मान के विकल्प विपरीत इस मान में स्वर्ण के सिक्का का प्रचलन नहीं होता है और न इस मान में स्वर्ण विनिमय-भाव्यम् का ही कार्य करता है। परन्तु इस मान की यह विशेषता है कि मुद्रा-व्यधिकारी दक्षि मुद्रा की विदेशी विनिमय दर (Foreign Rate of Exchange) स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखने का वायिदत्व अपन उपर से लेती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के जितने भी राष्ट्र सदस्य हैं, उन सब ही ने अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के बराबर कोष को सूचित कर रखता है, इसीलिए स्वर्ण-समता-मान (Gold Parity Standard) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के समस्त सदस्य राष्ट्रों से प्रचलित माना जाता है। ऐसे राष्ट्र जिनमें यह मान पाया जाता है, वे इस मान को अपनात हुए भी आन्तरिक मोदिक्व मामलों में पूर्णतया स्वतन्त्र रहते हैं। (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विभिन्न सदस्य राष्ट्र अपनी मुद्रा की विदेशी विनिमय दर स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के बराबर किस प्रवार स्थापित रखते हैं, इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष नामक अध्ययन पढ़ियें)।

### स्वर्ण मान के नियम (Rules of the Gold Standard)

स्वर्ण-मान के दो नियम (The two Rules of the Gold Standard) — अब तब हमन स्वर्ण-मान के विभिन्न रूपों का विस्तार से विवेचन किया है। इससे यह स्पष्ट है कि स्वर्ण-मान में व्यापक सचालकता का गुण पाया जाना है। परन्तु स्वर्ण-मान में यह गुण तभी पाया जाता है जबकि इस मान में दो नियमों का पालन किया जाता है। यहीं बारण है कि इन नियमों को स्वर्ण-मान के नियम (Rules of the Gold Standard) कहा गया है। ये दोनों नियम इस प्रकार हैं — (१) स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनाई जानी चाहिये (Policy of Unrestricted Trade) — स्वर्णमान द्वीक दीक प्रकार में तभी चल सकता है जबकि इसमें व्यापारिक स्वतन्त्रता होती है अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की आयात-निर्यात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगा होता है। यदि सरकार सरकार (Protection) की नीति अपना लेती है और वस्तुओं के स्वर्ण की आयात नियात पर कोटा (Quota) तथा लाइसेंस (License) ग्राहि करने में व्यापारिक प्रतिबन्ध लगा दती है तब इसका परिणाम यह होगा कि मुद्रानाम असमता (Inequality of Payments) उत्पन्न हो जायगी और यह असमता (Dis-equilibrium) स्वर्ण के आयात नियात द्वारा दीक नहीं हो सकती। स्वर्ण मान

में स्वयं सचालकता (Automatic operation) का गुण तभी रहता है जबकि व्यापाराधिक्य की त्रुटियों को बस्तुओं तथा स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा ठीक होने दिया जाता है यद्योऽपि तब ही मूल्य-स्तर में इस प्रकार का परिवर्तन हो सकेगा कि विदेशी व्यापार में सतुलन (Equilibrium in the Foreign Trade) स्थापित हो जाये। अतः व्यापाराधिक्य की त्रुटियों तथा स्वर्ण के विवरण की असमानता को ठीक करने के लिये यह आवश्यक है कि देश में किसी भी रूप में व्यापारेक प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। इस प्रकार की देश में ही स्वर्णमान में सचालकता का गुण पाया जायगा। (ii) देश का आर्थिक ढांचा लोचपूर्ण होना चाहिये (Economic structure of the country should be Elastic):—स्वर्णमान का सफल संचालन तभी हो

### स्वर्णमान के दो प्रसिद्ध नियम हैं:—

१. स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनाई जानी चाहिये।
२. देश का आर्थिक ढांचा लोचपूर्ण होना चाहिये।

संक्षेप में जबकि देश का आर्थिक ढांचा पूर्णतया लोचपूर्ण होता है अर्थात् जबकि सरकार या केन्द्रीय बैंक स्वर्ण के आयात-निर्यात से देश के मूल्य-स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को किसी भी प्रकार से कम या समाप्त करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। स्वर्णमान में स्वर्ण-कोषों के अनुपात में ही मुद्रा की मात्रा में घट-बढ़ हुआ करती है और मुद्रा की मात्रा की इस घट-बढ़ से ही देश के मूल्य-स्तर में घट-बढ़ हो जाया करती है। मूल्य-स्तर में यह घट-बढ़ किस प्रकार होता है? जब किसी देश में बस्तुओं की आयात अधिक और निर्यात कम होती है, तब इस प्रतिकूल व्यापाराधिक्य (Unfavourable Balance of Trade) को ठीक करने के लिये देश से स्वर्ण निर्यात किया जाता है, स्वर्ण का निर्यात हो जाने पर देश में स्वर्ण-कोष की मात्रा कम हो जाती है जिससे अन्ततः देश में मुद्रा की मात्रा भी कम हो जाती है। मुद्रा की मात्रा के कम हो जाने पर मूल्य-स्तर नीचा हो जाता है (मुद्रा-संकुचन का यही प्रभाव होता है)। मूल्य-स्तर के घिरजाने पर निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है और कुछ समय बाद व्यापाराधिक्य की त्रुटियों में सुधार हो जाता है। इसी प्रकार जिस देश को सोना गया है, वहाँ स्वर्ण-कोष की मात्रा बढ़ जाने के कारण मुद्रा का परिमाण बढ़ जायेगा जिससे अन्ततः मूल्य-स्तर भी ऊँचा हो जायेगा। मूल्य-स्तर ऊँचा हो जाने से इस देश की आयात अधिक और निर्यात कम हो जायेगी जिससे कुछ समय बाद इस देश में अनुकूल व्यापाराधिक्य (Favourable Balance of Trade) की स्थिति नहीं रहेगी। अतः सोने के आयात व निर्यात से स्वर्ण-कोष के घटने-बढ़ने से मूल्य-स्तर पर और मूल्य-स्तर के घटने-बढ़ने से देश की भुगतान की स्थिति पर प्रभाव पड़ा बरता है। जब किसी देश में सोने के आयात-निर्यात का उक्त आर्थिक प्रभाव पड़ता है तब यह वहाँ जाता है कि अमुक देश की आर्थिक स्थिति लोचपूर्ण है और स्वर्णमान के सफल संचालन के लिये इस प्रकार

की लोचपूर्ण आर्थिक स्थिति का होना आवश्यक होता है। यह स्मरण रहे कि देश की सोचपूर्ण आर्थिक स्थिति वा यह भी अर्थ है कि देश में स्वर्ण को मुद्रा में और मुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तित करने की सुविधा होनी चाहिये।

अत स्वर्णमान के सफल सञ्चालन के लिये दो नियमों का पालन करना परमाबश्यक है—(८) सरकार को स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनानी चाहिये तथा (९) सरकार को देश का ढाढ़ा पूर्णतया लोचपूर्ण रखना। चाहिये। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया, तब स्वर्णमान का सञ्चालन भी ठीक-ठीक नहीं हो सकेगा। वास्तव में, प्रथम महायुद्ध काल में और इसके बाद के काल में स्वर्णमान के नियमों का पालन नहीं हो सका जिसके कारण ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न होती चली गई कि बहुत से देशों को स्वर्णमान त्यागना पड़ा।

### स्वर्ण-मान का खण्डन

#### (Breakdown of the Gold Standard)

स्वर्ण-मान के ट्रट जाने के कारण (Causes of the breakdown of the Gold Standard):—स्वर्ण-मान के पूनः स्थापित हो जाने पर कुछ देशों ने चलने में सूख्य-स्थैर्य (Price Stability) आ गया था जिससे १९२५-२८ के काल में इन देशों के व्यापार, विदेशी विनियम तथा धनोत्पादन में पर्याप्त स्थिरता आ गई थी। परन्तु यह स्थिरता बहुत ही अल्पाकालीन रही क्योंकि सन् १९३१ में इंग्लैण्ड ने स्टिलिंग की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता को स्थगित कर दिया जिससे इसी अपर्याप्त इंग्लैण्ड में स्वर्ण-मान का अन्त भी हो गया। तत्पश्चात् १९३३ में अमेरिका ने भी डालर की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता को बन्द कर दिया। इस तरह अमेरिका सब ही देशों ने स्वर्ण-मान का एक मीद्रिक-मान के रूप में चुनून कर दिया है। स्वर्ण-मान के पतन एवं ट्रटने के निम्न-लिखित मुख्य कारण हैं—

(१) स्वर्ण-मान के नियमों का परिवर्तन (Violation of the Rules of the Gold Standard):—स्वर्ण-मान के ट्रटने का एक कारण यह था कि स्वर्ण-मान जाने देशों ने इस मान के नियमों का उल्लंघन किया जिससे इस मान में स्वयं सञ्चालनकर्ता के गुण का अन्त हो गया। विभिन्न देशों में स्वर्ण-मान की सफल कार्यशीलता का एक ऊर्घ्य कारण इसकी स्वयं-सञ्चालनकर्ता रहा है और जब स्वर्ण-मान के नियमों के भगवरने से स्वर्ण-मान में इस गुण का अन्त हो गया, तब स्वर्ण-मान के चलन में भा वटिनाई अनुभव होने लगी और अन्ततः यह मान ट्रट भी गया। ऐसे कितन ही उदाहरण हैं जिससे यह स्पष्ट है कि स्वर्ण-मान के उत्तरित्वित दोनों नियमों का उल्लंघन किया गया था। (२) स्वर्णमान का प्रथम नियम है कि देश में स्वतन्त्र व्यापार की नीति होनी चाहिए। परन्तु पास तथा अमेरिका ऐसे देश थे जिन्होंने इस नीति को प्रथम त्यागा और बस्तुयों की आयातों तथा मोने की नियंत्रण पर प्रतिबंध लगाये। तत्पश्चात् इंग्लैण्ड ने भी नीति का आपनाहा। इन दोनों ने अनेक वार्षिक आयात कर (Import Duties)

लगा कर विदेशों से बस्तुएँ नहीं आने दी। परिणामतः अद्यती (Debtor) देशों को सोने में ही अपने ऋणों का भुगतान करना पड़ा। (ख) स्वर्ण-मान का दूसरा नियम है कि देश का आधिक हाँचा पूर्णतया सोबहार होना चाहिए। परन्तु लगभग सब ही देशों ने, विशेषकर इंग्लैंड और फ्रांस ने, स्वर्ण-मान के इस महत्वपूर्ण नियम का भी उल्लंघन किया और स्वर्ण की गति का मूल्यों पर स्वाभाविक प्रभाव नहीं पड़ने दिया। जिस समय इंग्लैंड ने स्वर्ण-मान को पुनः स्थापित किया था, उस समय टर्लिङ्ग का स्वर्ण में अतिमूल्यन (Overvaluation) कर दिया गया था जिससे इंग्लैंड में प्रतिदूल व्यापाराधिक्य (Unfavourable Balance of Trade) हो गया और भुगतान में स्वर्ण बराबर इंग्लैंड के बाहर जा रहा था। स्वर्ण-मान के नियम के अनुसार इस व्यवस्था में इंग्लैंड में मुद्रा-संकुचन होना चाहिये था तथा मूल्य-न्तर नीचा हो जाना चाहिये था। परन्तु इंग्लैंड ने ऐसा नहीं होने दिया बरत् सरकार ने सिक्यूरिटीज (Securities) खरीद कर स्वर्ण-नियति का घरेलू मूल्य-न्तर पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया अर्थात् मूल्यों को गिरने से बचाये रखा। सरकार की इस त्रिया का परिणाम यह हुआ कि एक तरफ तो इंग्लैंड से सोना बराबर बाहर जाता रहा और दूसरी तरफ बस्तुओं की ऊँची लागत तथा ऊँचे मूल्य होने के कारण, इंग्लैंड का माल विदेशों में जाकर नहीं बिक सका जिससे निर्यात-व्यवसाय (Export Trade) में बहुत कमी हो गई, विनियम-दर इंग्लैंड के विपक्ष में हो गई और स्वर्ण का नियत इंग्लैंड से और भी अधिक मात्रा में होने लगा। इसी तरह का एक उदाहरण फ्रांस से भी मिलता है। फ्रांस ने स्वर्ण-मान को पुनः स्थापित करते समय अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में अबमूल्यत (Under valuation) कर दिया था जिससे उस देश में अनुदूल व्यापाराधिक्य (Favourable Balance of Trade) हो जाने से स्वर्ण की निरन्तर आयात होती रही। परन्तु फ्रांस की सरकार ने आयात किये गये स्वर्ण को स्वर्णकोषों में बन्द करके इसे इस प्रकार प्रभावहीन बना दिया कि इसकी आयात से देश में मुद्रा-प्रसार होकर मूल्य-न्तर में बढ़ि नहीं होने पाये। सरकार हस्तक्षेप का परिणाम यह हुआ कि एक तरफ देश में अनुदूल व्यापाराधिक्य बना रहा और दूसरी तरफ देश में स्वर्ण का आयात बराबर होता रहा। इसी प्रकार अमेरिका ने भी आयात हुए सोने को सुरक्षित-कोषों में बन्द करके इसे प्रभावहीन बना दिया। अतः स्वर्ण-मान के नियमों का उल्लंघन करने का परिणाम यह हुआ कि भुगतान के सन्तुलन में काफी कठिनाई होने लगी, स्वर्ण का असमान वितरण हो गया तथा स्वर्ण मान की स्वयं संचालकता के गुण का अन्त हो गया। परिणामतः स्वर्ण-मान का भी मन्त्र हो गया।

(२) स्वर्ण का असमान वितरण (Maldistribution of Gold):—प्रथम

युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण स्वर्ण का विभिन्न देशों में असमान वितरण हो गया और कुछ बड़े-बड़े राष्ट्रों के पास इसका काफी प्रभाव हो गया। एक तरफ यदि अमेरिका और फ्रांस के पास बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण जमा हो गया था, तब दूसरी ओर जर्मनी तथा पूर्वी यूरोप के कुछ राष्ट्रों के पास इसकी अत्यधिक कमी हो गई थी।

यहा तक कि इन राष्ट्रों ने स्वर्ण के नियंत्रित दो रोकने के लिए अनेक उपाय किये ताकि उनकी स्वर्ण पर आधारित मुद्रा-प्रणाली अस्त व्यस्त नहीं होने पाय। जिन राष्ट्रों के पास स्वर्ण की भ्रष्टाचारिता आयात हुई, उन्होंने इसे प्रभावहीन बनाने के बदल उठाये और जिन राष्ट्रों के पास स्वर्ण की कमी होती जा रही थी, उन्होंने इसको बचाने के लिए उसके नियंत्रित पर प्रतिबन्ध लगाए। परिणामतः इन उपायों तथा प्रतिबन्धों के कारण स्वर्ण मान के स्वयं सचालकता के गुण का अन्त हो गया और अन्ततः इन राष्ट्रों को स्वर्ण-मान का भी परिवर्तन बरना पड़ा।

(३) आर्थिक राष्ट्रीयवाद का विकास (Development of Economic Nationalism) —प्रथम महायुद्ध काल में अनेक राष्ट्रों ने ऐसी बस्तुओं की बहुत कमी अनुभव की जिन्हे वे विदेशों से मात्रते थे जिससे इन राष्ट्रों के नागरिकों को युद्धकाल में बहुत कष्ट सहना पड़ा। ऐसे राष्ट्र जो खाद्य सामग्री तथा अन्य श्रीदोगिक बच्ची-सामग्री में लिए विदेशों पर निर्भर रहते थे, उनकी आर्थिक दशा तो और भी खराद हो गई। इन काटों से बचने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने ऐसी नीति अपनाई कि वे उक्त कंकों में आत्म-निर्भर हो जाए। इन्होंने उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया, अन्य हविम उपायों द्वारा देश में उद्योगों के विकास की योजनाएँ बनाई, कोटा (Quota) तथा लाईसेंस (License) प्रणाली द्वारा आयातों को नियन्त्रित किया तथा अनेक रोतियों को अपना कर नियंत्रित को प्रोत्साहित किया। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उक्त सब बातें स्वर्ण-मान के नियमों के विद्ध थीं जिससे स्वर्ण-मान के स्वयं-सचालकता के गुण का अन्त हो गया। अत आर्थिक राष्ट्रीयवाद के विकास के कारण भी स्वर्ण-मान का अन्त हो गया।

(४) प्रथम महायुद्ध की क्षति पूति का भुगतान (Payment of the Reparations of the First World War) —प्रथम महायुद्ध के पश्चात् जर्मनी को विजेता तथा शक्तिशाली देशों को युद्ध की क्षतिपूति के लिए काफी धन देना पड़ा था। दुच्छ देशों को अपना युद्ध-कालीन ऋण (Debt) वापिस देने के लिए भी बाध्य किया गया था, जर्मनी क्षतिपूति-धन का भुगतान बस्तुओं के हृष में बरना चाहता था, परन्तु ऋणदाता (Creditor) देशों ने जर्मनी को इस धन का भुगतान सौने म द्वी बरने के लिये बाध्य किया परिणामतः क्षतिपूरक धन व मुद्रकालीन ऋण के भुगतान के लिये स्वर्ण एक देश से दूसरे देश को जाने लगा। परन्तु इम्बा व्यापार से बोई भी सम्बन्ध नहीं था। इस प्रवार के भुगतानों ने शनै शनै स्वर्ण समेरिका को पहुँचा दिया, यद्यपि-वहा पर पहने से ही स्वर्ण नियंत्रित बहुत अधिक मात्रा में थी। दूसरी ओर जिन राष्ट्रों में स्वर्ण नियंत्रित थीं, वहा यह और भी कम हो गई। इन राष्ट्रों में स्वर्ण की नियंत्रित इतनी कम हो गई कि यह स्वर्ण-मान को सफलतापूर्वक बचाने के लिए बहुत ही अपर्याप्त हो गई। इसीलिए ऐसे राष्ट्रों को परिस्थितिकरा स्वर्ण मान को त्यागना पड़ा।

(५) अल्पकालीन पूँजी का भ्रष्टाचार (Havoc caused by the Short Period Capital) —प्रथम महायुद्ध से पहले बहुत से देश विदेशों में, मुख्यतः लाभ-प्राप्ति के लालच में, पूँजी का अल्पकालीन विनियोग (Investment) किया बरते

थे। परन्तु युद्ध के पश्चात् शनैः शनैः सब ही देशों में विदेशी-पूँजी पर विभिन्न प्रकार के प्रतिवन्ध लगाए गए (जैसे, विदेशी पूँजी पर व्याज के भुगतान पर रोक, विदेशी पूँजी के भुगतान पर प्रतिवन्ध) जिससे पूँजी के ये अल्पकालीन कोष सुरक्षा (Security) तथा लाभ (P. & F.) की खोज में एक देश से दूसरे देश को बहुत जल्दी-जल्दी हस्तान्तरित होते रहते थे। जिस देश में विदेशी पूँजी को अधिक सुरक्षा दिखाई देती थी, पूँजी का हस्तान्तरण उसी देश को हो जाया करता था। तूँकि इस पूँजी का आवागमन बहुत शीघ्र तथा अकस्मात् होता था, इसीलिये यह पूँजी शरणार्थी पूँजी (Refugee Capital) के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस शरणार्थी-पूँजी ने अपने आवागमन से विभिन्न देशों में आरंक मचा दिया (Havoc) क्योंकि इस पूँजी के हस्तान्तरण के अनुसार विभिन्न राष्ट्र अपने मूल्य-स्तरमें परिवर्तन करने में असमर्थ रहते थे। इसके अतिरिक्त कुछ राष्ट्र इस पूँजी के भुगतान में यकायक इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण भी नहीं दे सके जिसके कारण वाध्य होकर इन्हे स्वर्ण-मान को त्यागना पड़ा। इसका उदाहरण इंगलैंड से फांस को जाने वाली अल्पकालीन पूँजी से मिलता है। जब फांस ने स्वर्ण-मान पुनः स्थापित किया, तब इसने अपनी मुद्रा की स्वर्ण में कीमत घटा दी (Mark was Under valued)। परिणामतः फांस निवासियों की जो पूँजी इंगलैंड में थी उसकी मात्रा बढ़ गई जिससे फांस के पूँजीपतियों ने अपनी पूँजी इंगलैंड से मगाना आरम्भ कर दिया। परन्तु वे के आँफ इंगलैंड इतने कम समय में फांस के पूँजीपतियों को इतनी अधिक मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय अल्पकालीन पूँजी (International Short Term Capital) के भुगतान में सोना देने के लिये तैयार नहीं था। परिणामतः सन् १९३१ में इंगलैंड को स्वर्ण-मान को त्यागना पड़ा।

(६) सन् १९२९ की महान् मन्दी (The Great Depression of 1929) — स्वर्ण-मान पर सबसे बड़ा आघात सन् १९२९ की मन्दी ने किया और इस आघात को नहीं सह सकने के कारण अन्ततः यह मान दूष गया। यह मन्दी-काल अमेरिका में सन् १९२९ की बाल स्ट्रीट संकट (Wall Street Crash) से आरम्भ हुआ और स्वर्ण मान के प्रचलन के कारण यह संकट तमाम संसार में शीघ्र ही फैल गया। इस संकट के प्रारम्भ होने के कई कारण थे—विश्व के सभी देशों में मुद्रा की कमी के कारण मूल्य-स्तर गिरने लगे थे तथा वस्तुओं की मांग और इनके उत्पादन का संतुलन (Equilibrium) नहीं हो गया था। इस संकट के कारण ही अमेरिका के स्वर्ण के सट्टा बाजार में सटोरियों को बहुत हानि हुई जिसे सन् १९२९ का बाल-स्ट्रीट-संकट (Wall Street Crash) का नाम दिया गया है। जैसे-जैसे इस महान् मन्दी काल का प्रभाव अन्य देशों पर पड़ा, वैसे ही वैसे उन देशों में भी आर्थिक संकट की दंशाये उत्पन्न हो गई। इन्हीं परिस्थितियों के कारण आस्ट्रिया वा केन्द्रीय बैंक भी फैल हो गया क्योंकि इसने अपने कोष का एक बहुत बड़ा भाग दूर्घोगों में विनियोजित किया था और इन उद्योगों को मन्दी के कारण बहुत धनि पहुँची थी। परिणामतः यह वैक जनता की स्वर्ण-परिवर्तन की मांग को पूरा करने में असमर्थ हो गया और मुद्रा की

स्वर्ण-परिवर्तनशीलता के गुण के समाप्त हो जाने पर इस देश में स्वर्ण-मान का भी अन्त हो गया। जैसे ही आस्ट्रिया का केन्द्रीय बैंक फेल हुआ, अन्य देशों से भी जनता द्वी मुद्रा के बदले में स्वर्ण की मात्र होने लगी और इन देशों के केन्द्रीय बैंकों भी आर्थिक परिस्थितियों वश इस मात्र को पूरा करने में असमर्थ हो गए। परिणामतः शनैं शनैं सब ही राष्ट्रों में उनकी मुद्रा के स्वर्ण परिवर्तनशीलता के गुण का अन्त हो गया और इस गुण के समाप्त हो जाने पर उन राष्ट्रों में स्वर्ण मान का भी अन्त हो गया।

(७) अन्य कारण :—स्वर्ण मान के टूटने के उक्त के प्रतिरक्त तुष्ट अन्य कारण भी हैं—(क) युद्धोत्तर काल में स्वर्ण पाट मान तथा स्वर्ण मान का ग्रोग—इन मानों को अपनाने के कारण स्वर्ण मान में शिखिलता आ गई क्योंकि इन मानों में स्वय-सचालवता के गुण का आभाव था और इन मानों में स्वर्ण की गति आवश्यक नहीं रही थी। (ल) मूर्खों में हड्डता (Sickness of Price) —व्यापारिक सधों, मजदूर सधों, बड़ी-बड़ी बम्पनियों तथा अन्य अनेक प्रवार की सहकारी संस्थाओं के विकास के कारण विभिन्न देशों में उनकी स्वर्ण निधि के अनुसार मूल्य रक्तर में समय समय पर परिवर्तन नहीं हो सके जिससे स्वर्ण मान के स्वय सचालवता के गुण का अन्त हो गया और अन्ततः इन राष्ट्रों को स्वर्ण मात्र बो त्यागना पड़ा। (ग) राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) —युद्धोत्तर काल वीर राजनीतिक अस्थिरता ने भी स्वर्ण-मान के टूटने में सहायता दी थी। घरेलू भगड़े, युद्ध वा भय, मुद्रा प्रणाली की सुरक्षा में भय आदि ऐसे वारण वे जिससे बंकों के कोप व व्यवितयों की पूजी विनियोग (Investment) के लिए एक देश से दूसरे देश को चली जाया रहती थी। सन् १९२०-३० के काल में इन्हीं कारणों से पूजी का हस्तान्तरण काफी बड़े पैमाने पर हुआ था। बहुत से देश पूजी के इस प्रकार के हस्तान्तरण के लिए स्वर्ण में भुगतान करने में असमर्थ थे जिससे इन्हें बाध्य होकर स्वर्ण मान त्यागना पड़ा। (घ) स्वर्ण मान एक अनुसूल परिस्थितियों का मान है (A fair weather Standard)—आर्थिक सकट काल में स्वर्ण मान ने कभी भी साध नहीं दिया था, इसलिए सकट पड़ने पर बहुत से दशों वो इस मान को छोड़ना पड़ा था तथा (न) एक स्वर्ण मान देश अन्य सभी स्वर्ण मान देशों की आर्थिक परिस्थितियों पर अधिकत रहता है—यदि किसी एक स्वर्ण-मान देश की आर्थिक स्थिति किन्हीं कारणों से खराब हो जाती है, तब इसका प्रभाव अन्य दशों पर भी पड़ता है। स्वर्ण मान का त्याग इस प्रकार की निर्भरता वो दूर करने के लिए भी किया गया था।

**सारांश**—उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि स्वर्ण मान वाले देशों में सन् १९२१ तक शनैं शनैं ऐसी आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थीं कि स्वर्ण मान का चलन असम्भव हो गया था। जबकि अमेरिका और फ्रान्स में सासार के तमाम स्वर्ण कोप का ६० प्रतिशत भाग एकत्रित हो गया और दावी वाले राष्ट्रों में यह केवल ४० प्रतिशत रह गया, तब तो स्वर्ण मान को कायाविठ करना और भी नहिं

हो गया था। सन् १९२६ की मन्दी एक ऐसा अन्तिम कारण बन गई जिसने स्वर्ण-मान के हटाने की प्रवृत्ति को और भी अधिक प्रोत्साहन दिया और अन्ततः परिस्थितिवश यह मान हट भी गया।

### स्वयं संचालित या प्रबन्धित मान

क्या स्वर्ण-मान एक स्वयं-संचालित मान था या यह एक प्रबन्धित मान था?

(Was the Gold Standard an Automatic Standard or a Managed Standard?) :—इस सम्बन्ध में लेखकों में बड़ा भत्तेद है कि स्वर्ण-मान एक स्वयं-संचालित मान था या यह एक प्रबन्धित मान था। स्वर्ण-मान के कुछ समर्थकों का यह मत है कि यद्यपि प्रथम-महायुद्ध के पश्चात् तो इस मान में स्वयं-संचालकता के गुण में कभी ही गई थी, परन्तु युद्ध के पूर्व यह मान पूर्णतया स्वयं-संचालित था। दूसरी ओर इस मान के कुछ आलोचकों का यह भत्त है कि यह मान जिस प्रकार कार्यशील हो रहा था उससे यह स्पष्ट है कि इस मान में पूर्णतया स्वयं-संचालकता का गुण कभी भी विद्यमान नहीं था वरन् यह मान सदा ही कम अधिक मात्रा में एक प्रबन्धित मान (Managed Standard) था। इसका कारण स्पष्ट है। इस मान में स्वर्ण-किनिमय मान के रूप में हो, यदि देश में मूल्यों वित्तिमय-दर में स्थिरता रहती है तब यह स्थिरता स्वतः नहीं, रहती है वरन् यह केन्द्रीय बैंक की मुद्रा की मात्रा को कम अधिक करने वाली 'नीति' द्वारा होती है। यह अवश्य है कि आरम्भ में इस मान में प्रबन्ध का अंश बहुत कम था, परन्तु शान्तः शान्तः इस मान में प्रबन्ध का अंश बहुत बढ़ गया था। खुले बाजार की नीति (Open Market Operations) का विकास भी प्रथम महायुद्ध से पहले ही हुआ था। केन्द्रीय बैंक इस नीति को अपना वरदेश में मूल्यों में स्थिरता रखना करते थे (बैंक दर नीति और खुले बाजार की नीति के सम्बन्ध में 'केन्द्रीय बैंक'? नामक अध्याय में विस्तार से लिखा गया है)। युद्धोत्तर काल में तो बैंकों ने इस नीति का बहुत ही अधिक उपयोग किया था। इसी नीति को अपनाकर ही केन्द्रीय बैंकों ने स्वर्ण के आपात-नियंत्रण का बही की आर्थिक स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने दिया था अतः यह स्पष्ट है कि स्वर्ण-मान मुश्यतः एक प्रबन्धित मान (Managed Standard) था।

### स्वर्ण-मान का भवित्व (Future of the Gold Standard)

यह स्वर्ण-मान पुनः स्थापित किया जा सकता है? (Can there be a Restoration of the Gold Standard?) —सन् १९३१ में स्वर्ण-मान के परियाग के कुछ ही वर्ष बाद द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और संसार के अधिकांश देशों में पुनः अपरिवर्तनीय पद्धति-मुद्रा वाली बड़ी मात्रा में निर्गमित (Issued) की गई जिससे मूल्यों में बहुत अस्थिरता (Instability) था गई। इसीलिये युद्ध काल में भवित्व की चलन-

सम्बन्धी अनेक योजनाएं बनाई गई ताकि मुद्रोत्तर-वाल में अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान आसानी से निया जा सके। इसी समय अधिकारीहियों के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुआ— क्या स्वर्ण-मान को पुन श्वापित किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि स्वर्ण-मान के पुन श्वापन की क्या-क्या शर्तें हैं अथवा हमें जानना चाहिये कि स्वर्ण-मान की क्या-क्या आवश्यकताएं एवं शर्तें हैं जिनकी उपस्थिति म ही यह मान सफलतापूर्वक चल सकता है। स्वर्ण मान की कुछ आवश्यकताएं एवं शर्तें इस प्राप्त हैं— (i) स्वर्ण मान का अनेकों देशों द्वारा अपनाना (Adoption of the Gold Standard by many countries) —स्वर्ण मान तभी सफल हो सकता है जबकि इसे अनेकों देश अपनाते हैं (विशेषकर दृढ़-दृढ़ व शक्तिशाली राष्ट्र) क्योंकि तब ही स्वर्णमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य मापन व विनियम माध्यम वे लिये उपयोगी हो सकता है। (ii) स्वर्ण निधि पर्याप्त होनी चाहिए तथा इसका समान वितरण होना चाहिये (Adequate Reserves and their Equitable Distribution) — जो देश स्वर्ण मान अपनाना चाहते हैं उनके पास उनकी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण की निधि होनी चाहिये और स्वर्ण को पर्याप्त ही नहीं होना चाहिए वरन् इसका विभिन्न देशों में समान व न्यायपूर्ण वितरण भी होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि एक ऐसा देश जिसके पास स्वर्ण नहीं है,

## स्वर्ण-मान को पुनः श्वापित करने की मुख्य शर्तें हैं:-

- १ स्वर्ण मान को अनेक दशों द्वारा अपनाया जाना चाहिये।
- २ स्वर्ण निधि पर्याप्त होनी चाहिए तथा इसका समान वितरण होना चाहिए।
- ३ विदेशी व्यापार की स्वतन्त्रता होनी चाहिये।
- ४ स्वर्ण मान के नियम का पालन होना चाहिए।
- ५ राजनैतिक स्थिरता रहनी चाहिये।
- ६ अंतर्राष्ट्रीय ऋणों पा भार व म होना चाहिये।
- ७ विभिन्न देशों के बीच सहयोग होना चाहिये।

वह स्वर्ण-मान नहीं अपना सकता क्योंकि स्वर्ण के अभाव म वह अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान नहीं कर सकेगा (iii) विदेशी व्यापार की स्वतन्त्रता (Freedom of Foreign Trade)-स्वर्ण-मान तब ही सफलतापूर्वक चल सकता है जबकि विदेशी व्यापार पर विस्तीर्णी भी प्रबाल का प्रतिबन्ध नहीं होता है। व्यापारिक स्वतन्त्रता होने पर एक ऐसा देश भी विदेशों से स्वर्ण प्राप्त कर सकेगा जिसके पास स्वयं स्वर्ण नहीं है। या जिस देश के अन्दर स्वर्ण का उत्पादन नहीं होता है। (iv) स्वर्ण-मान के नियमों का पालन होना चाहिए (Observance of the Rules of the Gold Standard) —स्वर्ण मान के सफल सञ्चालन के लिये यह भी आवश्यक है कि इस मान के नियमों का पूर्णतया पालन होना चाहिये। स्वर्ण का स्वतन्त्र आयात नियंत्रित होना चाहिये ताकि इसी गति से मूल्य पर दूर्घ प्रभाव

पड़ सके। देश की आन्तरिक आर्थिक दशा लोचदार होनी चाहिये। स्वर्ण-निधि की गति का मूल्यों व ब्याज की दर पर पूर्ण प्रभाव पड़ने देना चाहिये। (v) राजनीतिक स्थिरता (Political Stability):—देश में राजनीतिक अशान्ति से जनता में भविष्य के लिए भय उत्पन्न हो जाता है, मनुष्य घन वा सग्रह (Hoarding) करने लगते हैं, खेकों पर दौड़ (Run on the Banks) हो जाती है तथा पूँजी का विदेशों को निर्धारित हो जाता है। स्वर्ण-निधि पर इस प्रकार का आधार, स्वर्ण-मान को शिथिल बना देता है। अतः स्वर्ण-मान के सफल संचालन के लिए देश में राजनीतिक शान्ति परमावश्यक है। (vi) अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का भार कम होना चाहिये (Avoidance of the Burden of International Indebtedness):—ताकि स्वर्ण-मान सफलता से चल सके, यह आवश्यक है कि एक देश का दूसरे देश पर ऋण का भार नहीं होना चाहिये। इसका कारण स्पष्ट है। यदि किसी देश पर विदेशी ऋण का भार बहुत है, तब इस देश की निर्धारित का बहुत बढ़ा भाग इस ऋण के ब्याज या मूलधन के भुगतान में ही समाप्त हो जायगा और इस देश के लिए विदेशों से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करना बहुत कठिन हो जायगा और अन्ततः इन वस्तुओं की आवाहन के लिए उसे अपनी स्वर्ण-निधि को बाहर भेजना पड़ेगा। परिणामतः इस देश में स्वर्ण-मान शिथिल हो जायगा (vii) देशों के बीच सहयोग होना चाहिए (International Co-operation):—स्वर्ण-मान में स्वयं संचालन का गुण तभी रह सकता है जब इस मान को अपनाने वाले विभिन्न राष्ट्रों में सहयोग भी हो।

क्या हम उत्तित शर्तों को आधुनिक सासार में पूरा कर सकते हैं? आर्थिक राष्ट्रीयवाद के वर्तमान युग में उक्त तमाम शर्तों को पूरा करना कठिन ही नहीं है बरबूं यह असम्भव भी है और इसीलिए स्वर्ण-मान की पुनः स्थापना भी सम्भव नहीं है। ग्राऊथर (Crowther) ने ठीक ही कहा है कि ब्याज के स्वार्थी व्यापारिक प्रणाली के युग में कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली सफलीभूत नहीं हो सकती है।<sup>१०</sup> कीन्स (Keynes), गुस्टव (Gustav), तथा कैसेल (Cassel) जैसे विद्वान् अर्थशास्त्रियों ने भी यह मत प्रकट किया है कि स्वर्ण के मूल्य में अस्थिरता (Instability of the Price of Gold) के कारण इसका अब भीशिक्षक स्तर में बहुत कम महत्व रह गया है जिसके कारण भविष्य में स्वर्ण-मान की पुनः स्थापना असम्भव नहीं तो बिना अवश्य हो गई है और इसीलिए इन्होने भविष्य में स्वर्ण-मान के स्थान पर प्रबन्धित पत्र-मुद्रा-मान (Managed Paper Currency Standard) को ही अधिक सम्भव बताया है। इसके अतिरिक्त इस समय अमेरिका के पास मसार का ढूँ भाग सोना है। इस निधि का उचित वितरण तत्र ही हो सकेगा जबकि विभिन्न राष्ट्रों के बीच निर्वाच व्यापार होगा और भिन्न-भिन्न राष्ट्र मुद्रा-स्फीति को नीति का व्याप कर देंगे। यह स्पष्ट है कि अमेरिका, कास व इङ्ग्लैंड जैसे देश अपनी संरक्षण भी नीति की उपेक्षा कभी भी सहन नहीं करेंगे। अतः स्वर्ण-

<sup>१०</sup> "It is impossible to have an International Financial System alongside a Commercial System that is fiercely and jealously national."—

G. Crowther, Outline of Money; P. 319.

मार का भविष्य प्रभकारमय है और इसका पुराने ढंग पर पुन संस्थापन नहीं किया जा सकता है।

### स्वर्ण-मान और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

क्या अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोष के निर्माण करने से सासार में पुन स्वर्ण-मान को स्थापना हो गई है? (Is the establishment of the International Monetary Fund a return to the Gold Standard?) —यह तो स्पष्ट है कि पुराने ढंग का स्वर्ण मान दुबारा स्थापित नहीं किया जा सकता है, परन्तु प्रबन्धित-पत्र-मुद्रा-मान में दो महत्वपूर्ण दोष हैं। प्रथम, इस मान में चलनाधिक्य (Over Issue of Currency) का सदा भय रहता है जिससे इस मान में जनता का कम विश्वास होता है। द्वितीय, पत्र मान में अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में कठिनाई होती है वयोंकि कोई भी देश किसी अन्य देश की पत्र मुद्रा को भुगतान में स्वीकार करने के लिए संयार नहीं होता है। इसीलिए द्वितीय महायुद्ध काल में अमेरिका व युनाइटेड किंगडम जैसे स्वर्ण उत्पादक देश अन्तर्राष्ट्रीय ढंग पर विसी ऐसी मुद्रा-प्रणाली को सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें वर्ण को प्रमुख स्थान नहीं दिया गया है वयोंकि इन देशों का इवां थी इसमें है कि सोने का मूल्य हड़ बना रहे। यही नहीं, जनता का विश्वास भी दीर्घ-काल में ऐसी मुद्रा-प्रणाली म ही हो सकता है जिसका आधार स्वर्ण है।

स्वर्ण मान के परित्याग के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा लेन देन में बहुत सी कठिनाइया उत्पन्न हा। गई थी तथा द्वितीय महायुद्ध ने इस समस्या को और भी जटिल बना दिया था। इस समस्या को हल बरने के लिए सन् १९४४ म ब्रेटन वुड्स (Bretton Woods) में सब प्रमुख देशों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा महयोग की एक योजना स्वीकार की थी जिसके अन्तर्गत एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development) का निर्माण हुआ। ब्रिटन बुड्स की इस योजना के उद्देश्य थे— अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में स्थिरता रखना, विदेशी विनियम दर में स्थैर्य लाना तथा विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति करने में सहायता दना। इस योजना की पह विशेषता है कि इसके अन्तर्गत स्वर्ण मान के सब लाभ तो प्राप्त होते हैं, परन्तु इसमें जो कुछ दोष थे उनका निवारण अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से किया गया है। इतना होते हुए भी प्रत्येक राष्ट्र अपनी आन्तरिक मुद्रा-प्रणाली को राष्ट्र हित में सचालित कर सकता है। इस योजना में स्वर्ण की भी अधिक आवश्यकता नहीं रहती वयोंकि आन्तरिक चलन में तो पत्र-मुद्रा व साकेतिक मुद्रा होती है और अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F.) द्वारा किया जाता है। यह योजना इस प्रकार की है कि यद्यपि इसके द्वारा स्वर्ण मान की तो स्थापना नहीं हुई है, परन्तु स्वर्ण को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर तथा विनियम दरों का आधार बना दिया गया है (इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्र आवस्थकतानुसार अपनी विदेशी विनियम दर में समय-समय पर कोप की अनुमति से परिवर्तन कर सकता है)।

इस तरह सोना आज भी मौद्रिक जगत में प्रमुख बायं कर रहा है। इस नई व्यवस्था में स्वर्ण का स्थान निम्न प्रकार है—

(i) प्रत्येक भद्रस्य देश को अपने अम्यंश (Quota) का २५% या अपने पास के सोने का १०% सोना कोप में जमा करना पड़ता है। (ii) प्रत्येक सदस्य देश को अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में निर्धारित करना पड़ता है और इसी के आधार पर विदेशी विनियम दरे निर्धारित की जाती हैं। (iii) जब कोप के पास किसी दुर्लभ-मुद्रा (Scarce Currency) की कमी हो जाती है, तब यह कोप इस मुद्रा को स्वर्ण के बदले खरीद सकता है तथा (iv) कोप ने स्वर्ण का मूल्य ३५ डालर प्रति विशुद्ध और निश्चित किया है। इसमें वृद्धि हो जाने की सम्भावना है।

### अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के लाभ-दोष

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के लाभ (Advantages of the International Gold Standard) :—स्वर्ण-मान के विभिन्न हपो तथा इनमें से प्रत्येक के गुण-दोषों के विस्तारपूर्वक व्यवधान से यह स्पष्ट है कि स्वर्ण-मान का उपयोग व महत्व, देशी चलन के आधार के रूप में, इतना अधिक नहीं है जितना कि इसका उपयोग व महत्व अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य-मान और विनियम-माध्यम के रूप में सासार को प्राप्त होता है। जहाँ तक आन्तरिक मौद्रिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, प्रत्येक देश पत्र-मुद्रा मान को अच्छी प्रकार से चला सकता है क्योंकि देश के नागरिक इस बात पर कम ध्यान दिया करते हैं कि मुद्रा परिवर्तनशील है या नहीं और वे पत्र-मुद्रा को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया करते हैं। परन्तु प्रत्येक देश को विदेशों से ध्यापारिक व वाणिज्यिक सम्बन्ध भी स्यापित करने पड़ते हैं। ऐसे देश को जिसने बिना किसी मूल्यवान धातु को अपनी पत्र-मुद्रा का आधार बनाये, देश में पत्र मुद्रा मान का प्रचलन वर रखा है, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में बहुत कठिनाई सहनी पड़ती है क्योंकि विदेशी पत्र-मुद्रा में प्रायः विश्वास नहीं रखता करते हैं और इसे अपनी वस्तुओं के मूल्य के भुगतान में स्वीकार नहीं किया करते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से आन्तरिक कठिनाइयाँ होते हुए भी सासार के अधिकांश देशों ने स्वर्ण-मान को अपनाया था क्योंकि ये देश इस बात को अली प्रकार जानते थे कि स्वर्ण सर्वप्राप्त होने के कारण देश की मुद्रा-प्रणाली के लिये ही महत्वपूर्ण नहीं है वरन् यह अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य-मान व अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः स्वर्ण-मान का प्रमुख महत्व इसके अन्तर्राष्ट्रीय उपयोगिता के कारण ही है। यही कारण है कि स्वर्ण-मान को पुनः भस्यापित नहीं करते हुए भी आज की अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक-व्यवस्था में स्वर्ण को एवं महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के लाभ इस प्रकार बताये गये हैं—(i) स्वर्ण अन्तर्राष्ट्रीय विनियम के आध्यम तथा मूल्य मान का कार्य करता है (Gold acts as an International Medium of Exchange and International Standard of Value);—पन्तराष्ट्रीय स्वर्ण-मान में स्वर्ण को विनियम के आध्यम घोर मूल्य मान के रूप में सर्वप्राप्त होती है। जैसे स्वर्ण का आपात-निर्यात हो

सकता है, इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वे इसके मुगतानों में बहुत सुविधा हो जाती है। जिस देश के पास स्वर्ण होता है उसके पास विदेशी रोप वस्तुयें व सेवायें खरीदने के लिए अब जाति होती है। अत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधाजनक हो जाता है।

(ii) विदेशी विनियम दर से स्थिरता (Stability in Foreign Rate of Exchange) —स्वर्ण मान से विनियम दरों में भी स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इस

### एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान के लाभ हैं—

१. स्वर्ण अन्तर्राष्ट्रीय विनियम के माध्यम तथा मूल्य-भागन वा कार्य बरता है।
२. इस मान में विदेशी विनियम दर की स्थापना होती है।
३. मूल्य-स्तर में स्थिरता होती है।
४. यह मान मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति को रखता है।

मान में प्रत्येक देश अपनी मुद्रा-इकाई का मूल्य विशुद्ध स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में घोषित कर देता है तथा एक पूर्ण निर्धारित दर पर स्वर्ण के अब विक्रय वा दायित्व अपने कपर लेता है। इस दशा में एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा में बहुत आसानी से जाना जा सकता है। परिणामतः विनियम की दरों में उच्चावचन (Fluctuations) की भीमायें बहुत ही सकुचित होती हैं यदोंकि जब विनियम की दर स्वर्ण आयात विन्दु (Gold Import Point) या स्वर्ण नियाति विन्दु (Gold Export Point) को पार कर जाती है, तब स्वर्ण वा बास्तव में हस्तान्तरण होने लगता है। (इस सम्बन्ध में विदेशी विनियम नामक अध्याय में गिस्तार से लिखा गया है)। अत स्वर्ण मान में विनियम की दर में बहुत स्थिरता रहती है जिससे आयात व नियातिकरणों, बैंकस

तथा विनियोगकर्ताओं को बहुत लाभ हाना है वयावि इस दशा में उन्ह विनियम की दर म परिवर्तन के कारण हानि का भय नहीं रहता है। (iii) मूल्य-स्तर में स्थिरता होती है—(Stability in the Price Level)—स्वर्ण मान में मूल्य-स्तर में भी समानता रहती है जिसमें प्रत्येक देश को समान आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। इसका कारण स्पष्ट है। स्वर्ण-कोपा वा आवागमन होने से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य-स्तर म सतुरन स्थापित हो जाता है। स्वर्ण-मान की स्वयं सचालकता के गुण को स्पष्ट करते समय इस सम्बन्ध म विस्तार से लिखा जा चुका है। (iv) स्वर्ण-मान मुद्रा-स्फीति (Inflation) की प्रवृत्ति को रोकता है—इसका कारण यह है कि मुद्रा स्वर्ण का स्वयं पर आयातित मुद्रा म परिवर्तनोंय होती है। अत मुद्रा का परिमाण बहुत कुछ गोन की मात्रा में सीमित होता है। जनता का इस मान में विश्वास का भी यही कारण है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के बोय (Deficits of the International Gold

Standard):—अन्तर्राष्ट्रीय विचार से स्वर्ण-मान में दोष इस प्रकार बताये जाते हैं—  
 (i) स्वर्ण-मान में आन्तरिक मूल्य-स्तर की स्थिरता की वलि देकर विनियम दर में स्थिरता लाई जाती है—स्वर्ण-मान के आलोचकों वा मत है कि स्वर्ण-मान में

### एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान के दोष हैं:-

१. इस मान में आन्तरिक मूल्य-स्तर की स्थिरता की वलि देकर विनियम दर में स्थिरता लाई जाती है।
२. स्वर्ण-मान वाले विसी एक देश के आर्थिक संकट का प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़ता है।
३. स्वर्ण-मान में बस्तुओं के मूल्य भी स्थिर नहीं रहते।
४. स्वर्ण-मान में प्रत्येक देश अपनी आन्तरिक मुद्रा-नीति में स्वतन्त्र नहीं होता।
५. स्वर्ण-मान में मुद्रा-प्रणाली महगी व बेलोचदार होती है।

विभिन्न राष्ट्र विनियम दर में स्थिरता लाने के लिये आन्तरिक मूल्य-स्तर में समय-समय पर परिवर्तन इस प्रकार करते हैं कि इसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य-स्तर से समायोजन (Adjustment) हो जाय। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका एक ही मुख्य कारण है। स्वर्ण-मान में विदेशी विनियम दर में बहुत परिवर्तन नहीं हो सकता है यद्योकि यदि यह दर स्वर्ण आयात व स्वर्ण-नियांत्रित विद्युओं को पार कर जाती है, तब वास्तव में स्वर्ण का हस्तान्तरण होने लगता है। इसनिये जब कभी किसी स्वर्ण-मान देश में असन्तुलन की दशा उत्पन्न हो जाती है, तब इस देश को विनियम दर के इस असन्तुलन को, आन्तरिक मूल्य-स्तर में परिवर्तन करके ही ठीक करना पड़ता है। अतः जब दो या दो से अधिक स्वर्ण-मान देशों में मूल्यों में अन्तर हो जाता है, तब इन्हें विनियम की दर में स्थिरता लाने के लिये, मूल्यों में समानता लानी पड़ती है। इस तरह यदि दूसरे देशों की तुलना में किसी देश में मूल्य नीचे है तब इस देश का मूल्य नीचा करना पड़ता है। सदैप में, यह कहा जा सकता है कि स्वर्ण-मान में विदेशी व्यापार के हितों की रक्खा करने के लिये आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था के हितों का बलिदान करना पड़ता है। (ii) स्वर्ण मान वाले किसी देश के आर्थिक संकट का प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़ता है—अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान का एक बहुत महत्वपूर्ण दोष यह है कि इसमें स्वर्ण के आवागमन से विसी एक देश के आर्थिक संकट बहुत आसानी से दूमरे देश को स्थानान्तरित हो जाने वाले हैं। किसी एक देश से स्वर्ण का नियांत्रित हो जाने पर इस देश की अर्थ-व्यवस्था भ्रस्त-व्यस्त हो जाती है। मुद्रा-राकुचन से मूल्य-स्तर नीचा हो जाता है तथा नियंत्रित देश की प्रोत्साहन मिलता है। इसी तरह जिस देश को सोना जाता है उस देश वी अर्थ-व्यवस्था भी भ्रस्त-व्यस्त हो जाती है। मुद्रा-प्रणाली से मूल्य-स्तर ऊचे हो जाने हैं जिससे नियांत्रित होतोलाहित होने हैं और आयात वी प्रोत्साहन मिलता है। परिणामतः इस देश से स्वर्ण का नियांत्रित होने लगता है। इसी तरह सोने से आवागमन से राजनीतिक मध्यस्था

उत्पन्न हो जाती है, राजदो को नये नये नियम बनाने पड़ते हैं, अभिको मे भवान्ति हो जाती है, व्याज की दरो मे घट बढ़ हो जाती है, तथा पूँजी का एक देश से दूसरे देश को मुरला व लाभ के हित मे हस्तान्तरण होने लगता है आदि। अतः स्वर्ण मान मे स्वर्ण का आवागमन केवल उसी राष्ट्र को प्रभावित नहीं बरता है जिससे स्वर्ण का नियंत्रित हुआ है बरन् यह स्वर्ण प्राप्त बरने वाले अन्य स्वर्ण मान देशों की अर्थ-व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। (iii) स्वर्ण मान मे बस्तुओं के मूल्य भी स्थिर नहीं रहते हैं—जब कभी खानों से स्वर्ण का उत्पादन अधिक हो जाता है, मूल्यो मे वृद्धि हो जाती है और जब कभी स्वर्ण का उत्पादन अपेक्षाकृत कम हो जाता है, मूल्यो मे वृद्धि हो जाती है। उनीसवी शताब्दी का अनुभव ऐसा ही रहा है। आस्ट्रेलिया व कैलिफोर्निया मे खानों से स्वर्ण का अधिक उत्पादन हो जाने पर, सब ही देशों के मूल्यो मे वृद्धि हो गई थी। (iv) स्वर्ण-राज मे प्रत्येक देश अपनी अतिरिक्त मुद्रा-नीति मे स्वतंत्र नहीं होता है—इस मान मे यह भी सम्भव है कि किसी एक देश को एक ऐसी मुद्रा-नीति भी अपनानी पड़े जो देश हित मे नहीं होती है। (v) स्वर्ण-मान मे मुद्रा प्रणाली महगी व बेतोचदार होती है—कूँ कि मुद्रा का परिमाण सोने की मात्रा पर निर्भर रहता है, इसलिए मुद्रा-प्रणाली न केवल बहुत महगी होती है बरन् इसमे लोक के गुण का अभाव रहता है।

### (iii) पत्र-मुद्रा-मान या प्रबन्धित पत्र-मुद्रा-मान

(Paper Currency or Managed Paper Currency Standard)

पत्र मुद्रा मान की विशेषताएं (Salient Features of the Paper Currency Standard)—इस मान को कभी-कभी प्रबन्धित पत्र-बलन-मान (Managed Paper Currency Standard) भी कहते हैं। इस मान की मूल्य विशेषताएं इस प्रकार हैं— (i) देश म पत्र मुद्रा तथा सस्ती धातु के सिक्को का प्रचलन होता है। सिक्को का स्वतंत्र मुद्रा (Free Coinage) नहीं होता है। (ii) पत्र-मुद्रा देश की मूल्य एवं प्रभारिक मुद्रा होती है तथा यह अपरिमित विद्युतिया होती है। पत्र-मुद्रा ही विनियम-माध्यम का बाये करती है। (iii) इस मान मे पत्र-मुद्रा वा मूल्य स्वर्ण या अन्य किसी धातु मे निर्धारित नहीं किया जाता है अर्थात् पत्र मुद्रा स्वर्ण या अन्य किसी धातु मे परिवर्तनीय नहीं होता है। (iv) इस मान म चलन (Currency) का प्रबन्ध एवं नियमन (Regulation) सरकार या किसी अन्य केन्द्रीय मुद्रा-बलन-अधिकारी (Central Currency Issuing Authority) द्वारा किया जाता है। यह अधिकारी चलन का नियन्त्रण व नियमन इस प्रकार करता है अर्थात् यह मुद्रा की मात्रा मे इस प्रवार घट बढ़ करता रहता है कि देश म मूल्यो मे स्थिरता (Stability of Prices) बनी रह। मुद्रा अधिकारी को इस क्रिया को ही 'चलन का प्रबन्ध' (Management of the Currency) कहा गया है। मूल्य-व्यवधारणा व नियमन इस प्रकार करता है अर्थात् यह मुद्रा की मात्रा मे इस प्रवार घट बढ़ करता रहता है कि देश म मूल्यो मे स्थिरता (Stability of Prices) बनी रह। मुद्रा अधिकारी को इस क्रिया को ही 'चलन का प्रबन्ध' (Management of the Currency) कहा गया है।

भवित्वायियो को प्रबन्धित पत्र मुद्रा मान तथा प्रबन्धित-स्वर्ण मान मे भेद समझ लेना चाहिये। प्रथम मे मुद्रा अधिकारी को नई मुद्रा बनाने का पूर्ण अधिकार एवं स्वतंत्रता

की पूर्ति इसकी माग के बराबर की जाती है। (v) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिये इस मान में भी मुद्रा-अधिकारी को स्वर्ण का थोड़ा सा कोप रखना पड़ता है व्योकि विदेशी किसी देश की पत्र मुद्रा को स्वीकार नहीं किया करते हैं। यह अवश्य है कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोप (I. M. F.) की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय झुग्णों के भुगतान में बहुत सुविधा हो जाती है जिससे चब प्रत्येक देश को उत्तम भुगतानों के लिये अपने पास स्वर्ण-निधि रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रही है।

सन् १९२९ की महान मन्दी (Great Depression of 1929) के बाद जिन देशों ने स्वर्ण-मान का परित्याग किया था उन्होंने पत्र-मुद्रा-मान को ही अपनाया था। भारत और इंग्लैंड ने भी ऐसा ही किया था।

### पत्र-मुद्रा मान के गुण-दोष

पत्र-मुद्रा-मान के गुण (Merits of the Paper Currency Standard):—

पत्र-मुद्रा-मान के समर्थकों ने इस मान में कई गुण बताए हैं, जो इस प्रकार हैं:—(i) मूल्यों में स्थिरता:—मुद्रा अधिकारी या केन्द्रीय बैंक आवश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा में घट-बढ़ कर के देश में मूल्यों में स्थिरता स्थापित कर सकता है और इस कार्य के लिये उसे अपने पास स्वर्ण-निधि रखने की आवश्यकता नहीं रहती है। (ii) मुद्रा प्रणाली के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता:—इस मान में मुद्रा किसी धातु पर आधित नहीं रहती है जिससे मुद्रा-अधिकारी मुद्रा प्रणाली के प्रबन्ध में स्वतन्त्र रहता है। किसी दूसरे देश की मुद्रा पर निर्भर नहीं रह कर प्रत्येक देश अपनी इच्छानुसार अपनी मुद्रा का प्रबन्ध कर सकता है। (iii) देश में उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग होने की सम्भावना रहती है—श्रीमती रोबिन्सन (Mrs. Robinson) द्वारा मत है कि स्वर्णमान की प्रवृत्ति मुद्रा-संकुचन की ओर रहती है जिससे देश में बेकारी व बेरोजगारी रहती है तथा उत्पत्ति के साधनों का भी पूर्ण उपयोग नहीं होने पाता है। परन्तु पत्र-मुद्रा-मान में प्रत्येक देश अपनी मुद्रा-नीति इस प्रकार निर्धारित कर सकता है कि देश में उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग हो सके व्योकि इस मान में देश को धन्य किसी देश पर निर्भर रहने की

होती है और वह इसकी मात्रा में स्वेच्छानुसार घट-बढ़ कर सकता है। परन्तु प्रबन्धित स्वर्ण मान में मुद्रा अधिकारी मुद्रा की मात्रा में स्वर्ण मात्रा के प्रतुसार ही घट-बढ़ कर सकता है। इस मान में मुद्रा अधिकारी स्वेच्छानुसार धन्या अपरिमित मात्रा में नई मुद्रा का निर्माण नहीं कर सकता है। इतः प्रबन्धित पत्र-चलन मान ही वास्तव में एक मुसंचालित प्रबन्धित मान है।

या उसका अनुवरण करने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रतः पत्र-मुद्रा मान आर्थिक सकट उत्पन्न करने के स्थान पर देश में आर्थिक विकास करने की सुविधाये प्रदान करता है क्योंकि देश ने बदलती हुई आर्थिक दशाओं के अनुसार मुद्रा नीति में भी उचित परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह पत्र-मुद्रा-मान पूर्णतया लोचदार होता है और यह युए स्वर्ण-मान से नहीं पाया जाता है।

### पत्र-मुद्रा-मान के दोष (Demerits of the Paper Currency Standard)-

पत्र-मुद्रा मान के आलोचकों ने इस मान में कई मुख्य दोष बताए हैं, जो इस प्रकार हैं—  
(१) मुद्रा प्रसार का भय होता है:—पत्र-मुद्रा-मान का सबसे बड़ा दोष यह है कि इस मान में मुद्रा प्रसार वा सदा भय रहता है क्योंकि मुद्रा निसी धातु से सम्बन्धित नहीं होती है। युद्ध या अन्य आर्थिक सकट के समय केवल वैक या सरकार आधिकारिक मात्रा में नोट छापकर अपना वाम चलाने वा प्रयत्न किया करनी है। मुद्रा-स्कौति की दशा उत्पन्न हो जाने से देश की आर्थिक दशा अस्त-च्यास्त हो जाती है, मुद्रा में से जनता का विद्वास उठ जाता है तथा आर्थिक प्रणाली में असमानता पैदा हो जाती है। धातु-

### पत्र-मुद्रा-मान के मुख्य दोष हैं।

१. इस मान में मुद्रा-प्रसार का भय होता है।
२. विदेशी विनिमय दर में स्थिरता नहीं रहती है।
३. किसी एक देश की आर्थिक स्थिति का दूसरे देशों पर प्रभाव पड़ता है।
४. पूँजी का अन्तर्राष्ट्रीय प्रावागमन स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं होने पाता है।

मान में अन्य कोई भी दोष भले ही हो परन्तु उसमें मुद्रा-प्रसार के भय वा दोष नहीं होता है क्योंकि इस मान में मुद्रा वा निर्माण एक सीमित मात्रा में ही किया जा सकता है (धातु-निधि से आधिक साल-मुद्रा का निर्माण नहीं हो सकता है)। इस तरह अपरिवर्तनीय कागजी-मुद्रा के सभी दोष पत्र-मुद्रा-मान में पाये जाते हैं। (१) विदेशी विनिमय दर में स्थिरता नहीं रहती है—पत्र-मुद्रा-मान में मुद्रा का किसी भी धातु से सम्बन्ध नहीं होता है जिससे देश की मुद्रा का अन्य किसी देश की मुद्रा-प्रणाली से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता है अर्थात् देश की मुद्रा-इकाई और विदेश की मुद्रा-इकाई में कोई प्रत्यक्ष (Direct) सम्बन्ध नहीं होता है। स्वर्ण-मान में यह युए है कि स्वर्ण-मान वाले देशों वी मुद्रा में स्वर्ण के माध्यम द्वारा एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता जाता है जिससे विनिमय की दर में भी बहुत उच्चावचन (Fluctuation) नहीं होने पाता है। परन्तु पत्र-मुद्रा-मान में विनिमय वी दर में बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन हो सकते हैं अर्थात् देश के आर्थिक भूल्यों की भाँति विनिमय दर के परिवर्तनों की भी कोई सीमा नहीं होती है। परिणामत इस मान में विदेशी व्यापार में सदा अड़चनें पड़ने की सम्भावन रहा करती है क्योंकि व्यापार में अनिवार्यतां वा वातावरण रहता है। इसीलिए इन दोष को दूर करने के लिए आजकल लगभग प्रत्येक देश विनिमय-नियन्त्रण की नीति

(Policy of Exchange Control) अपनाने लगा है ताकि विनिमय की दर में अधिक उच्चावचन नहीं हो सके। (iii) एक देश की आर्थिक स्थिति का दूसरे देशों पर प्रभाव पड़ता है:—जिस प्रकार स्वर्ण-मान में विसी एक देश की प्रार्थिक स्थिति के परिवर्तनों का प्रभाव अन्य दूसरे गमी स्वर्ण-मान देशों पर पड़ा करता है, ठीक इसी प्रकार पत्र-मुद्रा-मान में भी एक देश की प्रार्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन का प्रभाव अन्य दूसरे देशों की आर्थिक दशाओं पर पड़ा करता है। यह स्मरण रहे कि इस प्रकार का प्रभाव तब ही बहुत पड़ता है जबकि विभिन्न देशों में व्यापारिक स्वतन्त्रता होती है। परन्तु पत्र-मान के युग में वास्तव में इस प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं पाई जाती है जिससे पत्र-मान का यह दोष बहुत अधिक प्रभावपूर्ण नहीं रह गया है। (iv) पूँजी का अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं होने पाता है:—स्वर्ण-मान में पूँजी का अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन बहुत आसानी से हो जाया करता था, परन्तु पत्र-मुद्रा-मान में अनेक कठिनाइयों के कारण पूँजी के आवागमन में बाधा पड़ती है।

स्वर्ण-मान के परिवर्तन के पश्चात् जब पत्र-मुद्रा-मान विभिन्न देशों में अपनाया गया तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व लेन-देन में बहुत सी कठिनाइयां अनुभव वी गईं। द्वितीय महायुद्ध बाल में लगभग तमाम देशों में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा वा अत्यधिक प्रचलन किया गया जिसने उक्त कठिनाइयों में और भी तीव्रता ला दी। इसीलिए इस समस्या को हल करने के लिए रान् १९४४ में ब्रिटेन वुड्स (Brierton Woods) में प्रमुख राष्ट्रों का एक मोद्रिक सम्मेलन बुलाया गया। एक पोजिना के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I. M. F.) और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (I. B. R. D.) की स्थापना की गई है जिन्होंने पत्र-मुद्रा-मान की कठिनाइयों को एक बहुत बड़े अंश तक छोड़कर दिया है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रातान पर इन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में स्थिरता लाना, विदेशी-विनिमय दर में स्थिरता लाना, विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक उन्नति में सहायता देना, विदेशी पूँजी के आवागमन में महायता देना, अन्तर्राष्ट्रीय शुल्कों को प्रोत्साहित करके इनकी मात्रा को बढ़ाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व मोद्रिक सहयोग के लिए अनुरूप दिशायें उत्पन्न करना है। अतः आजवन अटेन वुड्स संस्थाओं द्वारा पत्र-मुद्रा-मान के महत्वपूर्ण दोषों के प्रभाव को पहुँच समाप्त कर दिया गया है।

### एक अच्छे मुद्रा-मान के गुण

(Essentials of a good Monetary System)

अच्छे दृष्ट्य-मान के स्थान (Essentials of a Good Currency System)—

यह कहना काफी कठिन है कि एक अच्छे दृष्ट्य-मान के क्या-क्या गुण हैं वयोंकि विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न मानों ने अच्छी प्रकार कार्य किये हैं। एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली में घाते यह पात्र-मुद्रा पर या पत्र-मुद्रा पर आधारित हो, कुछ गुणों का होना आवश्यक है जिनमें से कुछ मुख्य-मुख्य इन प्रशार हैं:—(i) स्थिरता (Stability of Value) — ताकि अच्छी मुद्रा-प्रणाली नी यह विनोदता होनी है कि यह मुद्रा

के आन्तरिक व बाहरी मूल्यों में स्थिरता रखती है। देश के अन्दर वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक उच्चावचन (Fluctuation) होना एक अच्छी मुद्रा प्रणाली के लक्षण नहीं होते हैं। इसी तरह एक अच्छा मुद्रा-मान वही है जो विदेशी विनियम दर में स्थिरता रखता है वयोंकि विनियम दर की परिवर्तनशीलता अनिवार्यता का बातावरण उत्पन्न करके विदेशी व्यापार के लिए घातक हो जाती है। अत एक स्वस्थ मुद्रा मान को मुद्रा के आन्तरिक व बाह्य मूल्य में स्थिरता रखनी चाहिये क्योंकि तब ही दश में व्यापारिक श्रद्धांगिक व आर्थिक विकास हो सकता है। यह मूल्य स्थिरता तब ही रह सकती है जबकि सरकार का मुद्रा के तिग मन (Issue) पर कड़ा नियन्त्रण होता है।

(ii) सरलता (Simplicity) —मुद्रा प्रणाली सरल और साधारण होनी चाहिये ताकि व्यापारी, उद्योगपति व जन-साधारण उसे आसानी से समझ सकें क्योंकि मुद्रा प्रणाली की जटिलता इसके प्रबंध के व्यय को बढ़ा देती है और इसके प्रबंधन में अकुशलता

### एक अच्छे मुद्रा-मान के लक्षण हैं—

- १ मूल्य की स्थिरता।
- २ सरलता।
- ३ लोचकता।
- ४ मितव्ययिता।
- ५ परिवर्तनशीलता।
- ६ स्वयं सनातनता।
- ७ मुद्रा प्रणाली अनिवार्यता से मुक्त होनी चाहिये।

तथा ब्रूटियों का भी भय रहता है। इसके अति रिक्त जब चलन प्रणाली सरल होती है और जनता उसे भली भांति समझती है, तब इसमें जनता का विश्वास भी स्वतं शीघ्रता से हो जाता है। इस दशा में मुद्रा-अधिकारी वो समाज के विभिन्न वर्गों का चलन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सहयोग भी आत्मानी से मिल जाता है। (iii) लोचकता (Elasticity) —चलन प्रणाली में सरलता और शीघ्रतापूर्वक प्रसार व सकुचन का गुण भी होना चाहिये। मदि मुद्रा में लोच वा अभाव है तब देश को आर्थिक सुवर्ण कान में बहुत बड़ियाँ होगी और इसमें दश के ड्यूग व व्यापार का बहुत क्षति पहुँचगी। इसी तरह यदि मुद्रा में सकुचन का गुण नहीं है तब दश को अत्यधिक मुद्रा प्रसार से उत्पन्न होने वाले दोषों का सदा भय रहेगा। अत मुद्रा मान में आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा की मात्रा में कृदि या एमी हो जान का गुण होना चाहिये क्योंकि तब ही दश में मूल्यों में स्थिरता लाई जा सकती है। (iv) मितव्ययिता (Economy) —विनियम का माध्यम सस्ता होना चाहिये ताकि दश को इसके प्रबंधन में अधिक व्यय नहीं करना पड़े। आत्मिक मान में दोनों व चारों के सिक्कों के प्रबंधन से सिक्का की धिसाइट द्वारा दश को काफ़ा हानि होती है और स्वरूप व चादा के बोया का निर्माण करने के लिए अनावश्यक ही इन घातुओं की व्यवस्था करनी पड़ती है। एक निष्पत्ति दश के लिए आत्मिक मान तो और भी अधिक अमितव्ययी हो जाता है। इसनिए व्यय पूरा मुद्रा प्रणाली अच्छी हात हृषि भी यह रूप के लिये भार बन जानी है। अत मितव्ययिता एक अच्छी चलन प्रणाली

का आवश्यक गुण होता है। (v) परिवर्तनशीलता (Convertibility):—एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली का यह उद्देश्य होना चाहिये कि उसमें पत्र-मुद्रा सोने व चार्डी में परिवर्तनीय रह सके। इस प्रकार की परिवर्तनशीलता के दो मुख्य लाभ होते हैं—प्रथम, मुद्रा-प्रणाली में जनता का विश्वास रहता है तथा द्वितीय, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में सुविधा रहती है। आजकल प्रत्येक देश में मुद्रा का प्रचलन सरकार की साथ (Credit of the Govt.) पर निर्भर रहता है। इसलिए देश में मुद्रा के बदले में बिना सोना दिये भी काम चल जाता है, परन्तु विदेशी भुगतानों के लिए घोड़ा-बहुत सोना अवश्य देना पड़ता है। उदाहरणार्थ, अल्पकालीन प्रतिकूल व्यापाराधिक्य (Unfavourable Balance of Trade) को दूर करने के लिये सोना कभी-कभी उपयोग में लाया जाता है, इसलिये प्रत्येक सरकार को इतना सोना अवश्य अपने पास रखना चाहिये कि इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में कठिनाई नहीं होने पाये। इस तरह बहुत कम स्वरूप-निधि रख कर मुद्रा की यह परिवर्तनशीलता रखती जा सकती है। अतः एक अच्छी चलन-प्रणाली को मुद्रा की परिवर्तनशीलता रखनी चाहिये। आजकल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-वौप की स्थापना से स्वरूप में भुगतान की आवश्यकता बहुत ही कम हो गई है। (vi) स्वयं संचालकता (Automatic Operation):—अच्छी मुद्रा-प्रणाली में स्वयं-संचालकता का भी गुण होता है। वही मुद्रा-व्यवस्था अच्छी होती है जिसमें उद्योग व व्यापार की आवश्यकतानुसार स्वतः घटने-वडने का गुण होता है अर्थात् जिसमें सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होता है वयोंकि सरकार के अत्यधिक हस्तक्षेप से जनता का मुद्रा-चलन में विश्वास बहुत कम हो जाता है। स्वरूप-चलन-मान (Gold Currency Standard) में तो यह गुण विवामन था जिसके कारण यह प्रणाली बहुत अच्छी मानी जाती थी। परन्तु आजकल इस गुण का महत्व अपेक्षाकृत बहुत कम हो गया है वयोंकि स्वरूप-मान के परित्याग से जिस मान की स्थापना हुई है व सरकारी नियन्त्रण व नियमन (Regulation) से ही वापरशील रहती है जिससे इसे प्रबन्धित-मान (Managed Standard) का नाम दिया गया है। परन्तु यह अवश्य वहा जा सकता है कि पत्र-मुद्रा-मान प्रबन्धित-मान होते हुए भी इसके संचालन में सरकारी हस्तक्षेप अत्यधिक नहीं होना चाहिये वयोंकि तब ही जनता का पत्र-मान में विश्वास बना रह सकता है। (vii) मुद्रा-प्रणाली अनिदिच्छतता से मुक्त होनी चाहिये (Freedom from Uncertainty):—मुद्रा-मान में किसी भी प्रकार की अनिदिच्छतता नहीं रहनी चाहिये अर्थात् मुद्रा-मान की प्रत्येक बात विधान द्वारा स्पष्ट होनी चाहिये। अतः मुद्रा-प्रणाली सरकार की इच्छानुसार नहीं चलनी चाहिये वयोंकि यदि प्रत्येक बात विधान द्वारा स्पष्ट नहीं बो गई है तब जनता का प्रणाली में विश्वास कम हो जायगा।

सारांश:—उक्तसिद्धि एक अच्छे-मान के गुणों को एक में रखकर तथा देश की आधिक परिस्थितियों का विधार करके ही, यह तय किया जाना चाहिये हि किसी

देश के लिए कौन-सा मान उपयुक्त होगा। इस निर्णय पर द्रव्य-नीति (Monetary Policy) तथा जनता का स्वभाव व आदत का भी प्रभाव पड़ता है।

एक अच्छे मान के उत्तराधिक गुण भारत को बताना चलन-पढ़ति में कहाँ सक पाये जाते हैं ? (To what extent do we find the Essentials of a Good Monetary System present in our Indian Currency System ?) —भारतीय चलन पढ़ति में एक अच्छे मुद्रा मान के उपरोक्त गुणों में से अनेक गुण पाये जाते हैं। यह पर्याप्त रूप में मितव्ययी (Economical) तथा सुनिश्चित (Certain) है। इसमें लोचकता (Elasticity) भी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दोष की स्थापना से भारतीय चलन-पढ़ति में परिवर्तनशीलता (Convertibility) के गुण की कोई विशेष आवश्यकता ही नहीं रही है। परन्तु भारतीय मुद्रा मान से कई दोष पाये जाते हैं। यह बिल्डुल भी सरल (Simplicity) नहीं है और यह साधारण जनता की समझ के बाहर है। इसके अतिरिक्त इसमें आन्तरिक मूल्य-स्तर की स्थिरता का बाह्य स्थिरता की वेदी पर वलिदान कर दिया गया है।

### कुछ अन्य मुद्रा-मान (Some other Monetary Standards)

(१) बहु धातु मान (Multi metalism) —इस प्रणाली के अन्तर्गत बहुत-सी धातुओं का उपयोग एक ही साथ मूल्य मान के रूप में किया जाता है। प्रत्येक धातु के सिवाय प्रामाणिक तथा असीमित विधि ग्राह्य होते हैं। सिवाय वी स्वतन्त्र मुद्रा ढाई भी होती है। सरकार तमाम सिवायों के बीच की विनियम-दर विधान द्वारा निश्चित कर देती है। छहशी को किसी भी धातु के सिवायों में छुट्टा के छुकाने का अधिकार होता है। परन्तु अवहार में यह मुद्रा प्रणाली बहुत बठिन है। इसका कारण स्पष्ट है। विभिन्न धातुओं के मूल्य में समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं जिससे सरकार जो इन धातुओं के बीच की विनियम दर जो स्थायी बनाये रखना अस्यधिक बठिन होता है। इसी बारण इस मान जो अब तक किसी भी देश ने नहीं अपनाया है। यह अवश्य है कि इस मान में यह गुण है कि मूल्यों में स्थिरता बहुत आसानी से न बेबल स्थापित की जा सकती है वरन् इसे स्थिर बनाये रखने की भी बहुत समावना रहती है।

(२) सूचनाक-मान (Tabular or Index Number Standard) —इस प्रणाली का सुभाव फिशर (Fisher) ने दिया है। इस मान में एक आधार-वर्ष (Base year) चुन लिया जाता है और इस वर्ष के मूल्यों के आधार पर सामान्य मूल्यों के सूचक अंक (General Price Index Number) बनाए जाते हैं। इस आधार वर्ष के अबों जी सहायता से भविष्य में देश में मुद्रा का मूल्य नियत किया जाता है। इस तरह इस मान में देश की मुद्रा का मूल्य स्थिर रखने के लिए ही सूचक अंक बनाए जाते हैं। यह स्मरण रहे कि इस मान में एक बार निर्धारित किया गया मुद्रा

का मूल्य मदा के तिए स्थिर नहीं रहता है। जब कभी देश में मूल्यों में परिवर्तन हो जाते हैं, तब इस परिवर्तन के साथ ही साथ मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन हो जाता है जिससे भविष्य के लेन-देन में समता रहती है और ऋणदाता अथवा श्रृंखले दोनों से किसी भी पक्ष को हानि नहीं होती है। यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट बी जा सकती है। मान लो, देश में आधार वर्ष की तुलना में सामान्य-मूल्यों का सूचक अंक ५% यढ़ गया है वजौकि मूल्य बढ़ गया है तब इसका यह अर्थ हुआ कि मुद्रा का मूल्य ५% घट गया है। परिणामतः सरकार स्वरूप के विधान द्वारा नियत मूल्य में भी ५% कमी कर देगी जिससे देश में मुद्रा की मात्रा कम हो जायगी और इससे साख-मुद्रा में भी बड़ी हो जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि मुद्रा का मूल्य और अधिक कम नहीं होने पायेगा। इसी प्रकार यदि वस्तुओं का मूल्य कम हो गया है (यह वित्तना बम हुआ है, इसका ज्ञान सूचक अंक से पता चल जाता है) तब स्वरूप के मूल्य में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। यद्यपि इस प्रणाली का यह गुण है कि इसमें मुद्रा के मूल्य तथा सामान्य मूल्यों में स्थिरता लाई जा सकती है, परन्तु यह मान संदातिक (Theoretical) अधिक है और व्यावहारिक (Practical) कम है। इसके कई कारण हैं। प्रथम, इस मान में सूचक अंक मूल्य-स्तर के परिवर्तनों को सूचित करते हैं, परन्तु यह सूचना ठीक नहीं होती है वजौकि मूल्य अंक स्वरूप ठीक नहीं बनाये जाते हैं जिससे में वास्तविक स्थिति को बताने में असमर्थ होते हैं। द्वितीय, इस मान में सामान्य सूचक अंक के बल भूतवालीन होते हैं जिससे बत्तमान तथा भविष्य में इनका उपयोग केवल अनुमान-ज्ञनक फैल देता है। ये अंक ऐसे बत्तमान वारणों का विशेषण करने में असमर्थ होते हैं जिनसे मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। परिणामतः ये अंक एक निश्चित व टीक-टीक निष्पत्ति नहीं देने पाते हैं। तृतीय, इस मान में सरकार को सूचक अंकों को वार-वार घनाना पड़ता है जिससे इस मान के प्रचलन में बहुत कठिनाई पड़ती है। इन सब दोषों के कारण निर्देशाक-मान को कभी-भी बिरी देश ने नहीं अपनाया है।

(३) सिंधित-धातु-मान (Symmetallism):—सन् १९८१ में प्रो० मार्शल (Marshall) ने इस मान का सुझाव दिया था। डिपातु-मान का हम विस्तार से प्रम्ययन कर चुके हैं। इसके असफल होने का बारण प्रायः योगम का नियम था। मार्शल एक ऐसी मुद्रा-पद्धति को अपनाना चाहता था जिसमें डिपातु-मान के सब गुण हों और योगम के नियम के क्रियाशील होने को तनिक भी सम्भावना नहीं हो। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु उन्हें जिन मान पा सुझाव दिया था उसमें पई विशेषताएँ थीं—(क) योगम व चांदी दोनों पातुओं को एक ही साथ मूल्य-मान के रूप में उपयोग में लाया जाए ताकि डिपातु-मान के सब गुण प्राप्त हो सकें। (ख) देश में मुद्रा को सोने व चांदी में बदलने की मुविधा नहीं होनी चाहिये। (ग) सोने व चांदी को एक निश्चित अनुग्राम में मिलाकर एक द्वार (Bar) तैयार कराई जाये और देश में मुद्रा को केवल इस सिंधित-धातु की द्वारा में परिवर्तन की ही मुविधा की जानी चाहिये। देश में मिलाकर वा प्रचलन भी इसी पातु का होता है। इस तरह इस मान में कियी व्यक्ति वो

अपनी पत्र-मुद्रा के बदले में दोनों ही धातुएँ लेनी पड़ेंगी। इसका परिणाम यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय का नियम इस मान पर वियासील नहीं हो सकेगा क्योंकि सोने व चादी की कीमतों के तुलनात्मक परिवर्तनों का इस मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। अनुभव से पता चलता है कि मार्शल का यह सुझाव व्यावहारिक (Practical) नहीं था। यही कारण है कि किसी भी देश ने इस सुझाव को उपयुक्त नहीं समझा और इस मान को किसी भी देश में नहीं अपनाया गया।

(४) प्रादिष्ट-मान (Fiat Standard).—जिस देश में प्रादिष्ट मुद्रा (या आज्ञा प्राप्त मुद्रा) होती है (Fiat Money), उसी देश में इस प्रबार का मान पाया जाता है। थी कैन्ट (Kent) के अनुमार प्रादिष्ट-मुद्रा से तीन गुण होते हैं—(१) इस मुद्रा का पदार्थ के हृप में मूल्य या मुद्रा का वस्तु मूल्य लगभग कुछ भी नहीं होता है। (२) यह मुद्रा ऐसी किसी भी वस्तु में परिवर्तनीय नहीं होती जिसका मूल्य प्रादिष्ट-मुद्रा के अन्त मूल्य के बराबर हो और (३) इस मुद्रा की क्रय दक्षि किसी भी वस्तु की क्रय दक्षि के समान नहीं रखती जाती है। सक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि प्रादिष्ट मुद्रा ऐसी पत्र मुद्रा होती है जो न तो किसी वस्तु में भी न स्वर्ण में ही परिवर्तनीय होती है और इस मुद्रा की क्रय-दक्षि भी न तो किसी वस्तु द्वारा और न स्वर्ण द्वारा ही नियत की जाती है। अत यदि कोई मुद्रा स्वर्ण में तो परिवर्तनशील नहीं है परन्तु इसके मूल्य को यदि स्वर्ण की नियन्त्रित इकाई की समानता में रखता जावा है तब हम ऐसी मुद्रा को प्रादिष्ट मुद्रा नहीं कहते हैं। इस प्रबार की मुद्रा का निर्माण दो प्रकार से किया जाता है—(१) सरकार द्वारा जात-वूभक्त ऐसे नोटों को निर्गमित (Issue) करता जो मुद्रा-अधिकारी द्वारा स्वर्ण या अन्य किसी वस्तु में परिवर्तनीय (Convertible) नहीं होते हैं। इसलिए प्रादिष्ट-मुद्रा का माध्यम मुख्यतः कागज ही होता है। (२) सरकार द्वारा (यदि देश एक पातु मान पर है) मुद्रा की धातु में परिवर्तनशीलता को समाप्त कर देना। इस तरह देश में प्रादिष्ट मुद्रा का प्रचलन इन दोनों में से किसी पक्ष या दोनों रीतियों को अपना कर किया जाता है। सन् १८६२ से सन् १८७६ तक अमेरिका में प्रादिष्ट मान (Fiat Standard) ही चलन म था। उस समय अमेरिका में शूह युद्ध चल रहा था। इस शूह-युद्ध काल म ग्रीनबैंक्स (Greenbacks) जारी किए गए थे, परन्तु ये स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं थे और इनका मूल्य भी सोने की एक नियन्त्रित मात्रा के बराबर नियत नहीं किया गया था।

### प्रादिष्ट-मान के गुण-बोध

प्रादिष्ट-मान के गुण (Merits of the Fiat Standard)—इस मान में कई गुण हैं—(१) वर्तमान समय में प्रादिष्ट मुद्रा मान को सरकारी नीति का एक स्थायी आधार बनाना। उपयुक्त है—ग्राजवल अधिकार अर्थशास्त्रियों का ऐसा ही मत ही गया है। उनका कहना है कि प्रादिष्ट-मान को इस कारण नहीं अपनाना चाहिये क्योंकि सरकारें धातु मान को अपनाने से कठिनाई अनुभव करती हैं बरन् इस मान को अपने

निजी गुणों के बारण ही प्रहरण करना चाहिये। इस मात्र के समर्थन में तक इस मदार दिया जाता है—धातु-मान में मुद्रा की भावु में परिवर्तनशीलता केवल एक भ्रम है तथा यह वहना भी भ्रम ही है कि धातु-बोप मुद्रा के प्रति जनता में विश्वास उत्पन्न कर देता है। इसका बारण भी स्पष्ट है। ये दोनों बातें सामारण परिस्थितियों में तो ठीक ही हैं, परन्तु ऐसी परिस्थितियों में तो विस्ती भी प्रकार की मुद्रा वा चलन हो सकता है। जब देश में असाधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तब धातु-मान तक में मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता समाप्त हो जाती है और स्वर्ण बोप समाप्त हो जाने पर जनता ना इस मुद्रा में से विश्वास भी हट जाता है। इस तर्क के आधार पर प्रादिष्ट-मान के समर्थकों ने वहाँ नि तब किर हम प्रादिष्ट-मुद्रा को ही नयो नहीं प्राप्त। गुण-मुद्रा के भव में अपना लें। (ii) साधनों वा पूर्ण उपयोग तथा देश का उचित आर्थिक विकास—प्रादिष्ट-मान एक पूर्णतया प्रबन्धित पत्र-मुद्रा-मान (Managed Paper Currency Standard) होता है जिससे इस मान में मुद्रा वा प्रसार व संकुचन बहुत आसानी से विद्या जा सकता है। इस बारण सरकार एक ऐसी मौद्रिक-नीति आसानी से अपना सकती है जिससे देश के उत्पत्ति के बाधनों का पूर्ण उपयोग हो सके तथा राष्ट्र में हर और उचित आर्थिक विकास हो सके। अठः प्रादिष्ट-मान में सरकार देश की आर्थिक-व्यवस्था वो अस्त-व्यरत होने से आसानी से रोक सकती है क्योंकि इस मान में स्वर्ण का बिना बोप रखने ही भूल्यों में स्थिरता लाई जा सकती है। इस मान में मुद्रा में लोच (Elasticity) भी बहुत होती है। (iii) यह मान प्रबन्ध की स्वतंत्रता देता है—प्रादिष्ट-मान का एक और गुण है और वह है कि इस मान में प्रबन्ध की पूर्ण स्वतंत्रता होती है जिससे एक देश की मौद्रिक व आर्थिक नीति विस्ती दूसरे देश पर आश्रित नहीं होती है।

प्रादिष्ट-मान के दोष (Defects of the Fiat Standard)—इस मान में दो मुख्य दोष हैं—(i) मुद्रा के आर्थिक प्रसार वा भव रहता है—इस प्रकार के प्रसार से देश की आर्थिक प्रणाली अस्त-व्यरत हो जाती है, देश में आसानि फैलती है तथा मुद्रा में से जनता वा विद्वान् हट जाता है। परन्तु धातु-मान में यह सबसे बड़ा गुण है कि इसमें मुद्रा की मात्रा मुद्रा-प्रधिकारी के धातु-बोप से सीमित होती है। (ii) विनियन दर में अस्तिरता तथा अन्तरार्द्विय व्यापार में हकावटें—चूंकि प्रादिष्ट-मुद्रा-मान में देश की पत्र-मुद्रा वा बहुभूल्य धातुओं से बोई सम्बन्ध नहीं होता है, इस लिये इस मुद्रा वा अन्य देशों की मुद्राओं से भी बोई प्रत्यक्ष मम्बन्ध नहीं होता है। परिणामतः दो देशों के बीच विनियन दर में परिवर्तन को बोई सीमा नहीं होती है जिसमें अन्तरार्द्विय-व्यापार में छलभूमि एवं रकावट पड़ती है।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B. A. & B. Sc.

१. स्वर्ण विनियन-प्रमाण की बाईवाही की पालोचनात्मक व्याख्या दीजिये। इस बाईवाही में बाउनिग्रेव विना तथा रिकम बाउनिल्म के महत्व पर प्रकाश दाते

(१९५०) २ स्वर्ण-मान पर नोट लिखिये। (१९५६ S, १९५८) ३ स्वर्ण मान क्या है, स्पष्ट कीजिये। अन्य मानों की अपेक्षा यह विस प्रकार उत्तम है? उदाहरण सहित समझाइये। (१९५८ S) ४ नोट लिखिये—स्वर्ण विनियम मान। (१९५८) ५ स्वर्ण मान के नियम पर नोट लिखिये। (१९५७ S) ६ स्वर्ण मान पद्धति का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिये। (१९५७) ७ "जब अच्छे द्रव्य और बुरे द्रव्य मुद्रा में प्रचलित हैं और दोनों में से किसी से भी ऋण वा मुगतान विद्या जा सकता है, तो अच्छे द्रव्य को या तो गला लेते हैं, या देश के बाहर भेज देते हैं।" अपर लिखित नियम की विवेचना कीजिये। (१९५७) ८ What are the tests of a good monetary system? How far are these satisfied in India? (1951 S) ९ Point out the characteristics of the various forms of Gold Standard. (1956 S) १० Discuss the advantages and disadvantages of the Gold Standard. (1956 S, 1955 S) ११ 'The case for the Gold Standard is a case for a strict *de jure* Gold Standard, with each country following "the rules" so that no gold currency becomes distrusted' Explain and comment (1956) १२ India's admission to the International Monetary Fund marks the inauguration of a new currency standard for India. Explain carefully and examine the existing Indian currency system (1956) १३ What is meant by managed currency? Examine the advantages and disadvantages of the same (1956) १४ What are the essentials of a good monetary system in a country with mixed economy—both agricultural and industrial (1957)

#### Agra University, B. Com.

१ एक अच्छी चलन प्रणाली के गुण क्या हैं? मारतीय चलन प्रणाली में कैसे गुण कहा तक पाये जाते हैं? (१९५०) २ नोट लिखिये—स्वर्ण विनियम मान और स्वर्ण पाट मान। (१९५०) ३ तुलनात्मक द्विधातु मान चलन-पद्धति की व्याख्या करिये और उसके गुण-दोग की विवेचना करिये (१९५६ S) ४ टिप्पणी लिखिये—स्वर्ण पाट मान (Gold Bullion Standard) (१९५८ S, १९५७ S) ५ स्वर्ण मान के प्रयोग (Working) का आलोचनात्मक परीक्षण करिये। उसकी विफलता के क्या कारण हैं? (१९५६) ६ नोट लिखिये—योशम का नियम (१९५६, १९५८, १९५६, १९५५ S) ७ Explain the difference—Gold Standard and Gold Bullion Standard (1958 S, 1954) ८ Write a note on Bi-metallism (1958 S, 1957) ९ Discuss the essentials of a good currency system. Does the Indian Currency System satisfy the tests of a good currency system? (1957 S, 1956, 1955) १० Explain the difference between—Gold Exchange Standard and Sterling Exchange Standard (1951) ११ Describe the essential features of bi-metallism and discuss whether prices are steadier under bi-metallism or under mono-metallism (1956 S) १२ Write a note on Compensatory action of the double standard (1956 S) १३ Write a note on—Gold Exchange Standard (1956 S) १४ Write a note on Sterling Exchange Standard (1956) १५ Examine the working of the Gold Exchange and Gold Bullion Standards in India before World War II 1955 S)

#### Gorakhpur University, B. Com.

१ Describe the essential features of Bi-metallism, and discuss its

advantages and disadvantages. (Pt. I. 1959) 2. Write a note on—Compensatory action of the Double Standard (Pt II 1959).

**Rajputana University, B. A. & B. Sc.**

1. Explain what do you mean by Gold Standard (स्वर्ण-मान) and state under what conditions it works smoothly ? (1958) 2. Discuss the essential conditions which you think necessary for successful working of 'Gold Standard'. What led to the abandonment of 'Gold Standard' by countries ? (1957) 3. Distinguish between— Mono-Metalism and Bi-metallism. (1956) 4. Write a short note on— Gresham's Law (1955) 5. Write a note on—Bi-metallism (1955) 6. Write a note on—Gold Standard. (1954)

**Rajputana University, B. Com.**

1. Enumerate and explain the functions of Gold Standard (स्वर्ण-मान) Is the managed paper currency system an improvement over it ? If so, give reasons. (1959) 2. Write a short note on—Council and Reverse-Council Bills (1959) 3. Examine carefully the working of the Gold Standard (स्वर्ण-मान) and indicate the reasons for its break-down. (1958) 4. Examine critically the working of the Gold Exchange Standard (स्वर्ण विनियोग मान) Discuss the position of Gold under it. What are the objections against it ? (1957) 5. Give a critical estimate of the Gresham's Law of Money Take necessary illustrations from the Indian currency system. (1956) 6. Discuss the essential features of bi-metallism and examine whether bi-metallic standards keep prices Steadier than mono-metallic Standard. (1955) 7. Discuss the limitation of Gold Standard in the context of an expansionist economy. What led to its breakdown in the inter-war period ? Explain. (1954) 8. Examine the relative merits of Gold Standard and managed currency system as Stabilisers of Price and Foreign Exchange Rates. (1954) 9. Write a note on— Gresham's Law of Circulation of money (1954).

**Sagar University, B. A.**

1. Is it possible to have Gold Standard without Gold Currency ? Give reasons for your answer and explain the merits and demerits of such a Standard. (1958) 2. नोट लिखिए—प्रतिवर्गित चलायें। (१६५५)

**Sagar University, B. Com.**

1. द्विषानु-मान का क्या अर्थ है ? द्विषानु-मान में प्रेशम का नियम विस प्रभार वापेशील होता है ? (१६५६) 2. एक घरच्छे मुद्रा-मान की क्या-क्या मुख्य विवेषणायें हैं ? यह मान पूँजी में प्रबन्धित पान-मुद्रा-मान की सोविधिता के क्या वाराण्य हैं ? (१६५६) 3. स्वर्ण-विनियोग-मान और स्वर्ण-पाट-मान के मानसों की वताइयें। (१६५६) 4. नोट लिखिए—प्रेशम का नियम। (१६५८) 5. अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण प्रभाग विना इमी एवाट के गरलनायूर्वक कार्य कर सके, इसके लिये कौन सी अनियायी शर्तों का होना आवश्यक है, उनकी विवेचना कीजिये। उन वाराणों जैसी परीक्षा कीजिये जिनके परस्पर १६३१ में अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण प्रभाग समाप्त हो गया ? (१६५४)

**Jabalpur University, B. A.**

1. स्वर्ण प्रभाग की प्रमुख विवेषणायें वताइयें। (१६५८)

**Jabalpur University, B. Com.**

१ द्विपात्रना प्रयवा द्विपात्री मुद्रा प्रणाली ने सम्बन्ध में 'प्रेशम सिद्धान्त' की विवेचना कीजिये। इस सिद्धान्त के बार्य के बया कोई अपवाद है? (१९५८)

**Vikram University, B. A. & B. Sc.**

१ द्विपात्रता से प्रापवा बया अभिप्राय है? इसके गुणों तथा अवगुणों का विवेचन कीजिये। (१९५६)

**Vikram University, B. Com**

1 Describe the essential features of Bi metallism. Discuss fully whether Bi metallism keeps prices steadier than mono metallism? (1959)  
2 Write a short note on— Managed Currency. (1959)

**Bihar University, B. A.**

1 Discuss the present position of gold in monetary affairs. Can Gold Standard be restored? (1959) 2 Describe the different kinds of Gold Standard. Can Gold Standard secure Stability of prices? (1958).

**Bihar University, B. Com.**

1. Describe the advantages and disadvantages of Gold Standard and say how far its shortcomings have been overcome? (1959) 2 Describe the functions of Gold Standard. Do you advocate its re-introduction? (1958)

**Patna University, B. A.**

1 Gold Standard failed primarily because it could not reconcile Exchange Stability with Price Stability." Discuss (1957).

**Allahabad University, B. A.**

१ नोट लिखिए—स्वर्ण विनियम मान। (१९५७)

**Allahabad University, B. Com.**

1. Write a note on— Gresham's Law (1957) 2 Write a note on— Gold Standard (1957) 3. Write a note on— Bi metallism (1957) 4 Describe briefly the working of the Gold Standard system after 1914 especially the form in which it has been found acceptable in the post war world (1956)

**Banaras University, B. Com**

1 Examine the working of the Gold Standard and indicate the reasons for its breakdown (1959) 2 Write a note on— Bi metallism (1959)

**Nagpur University, B. A.**

१ स्वर्ण प्रमाप की कार्यप्रणा (Mechanism) का वर्णन कीजिये। वया यह माना जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की प्रस्थापना स्वर्ण प्रमाप मुन् एक बार प्रयोग में लाने के बराबर है? (१९५६) २ स्वर्ण प्रमाप की प्रमुख विशेषताओं को समझाइये और इससे गुण-दोषों का विवेचन कीजिए। (१९५८) ३ स्वर्ण विनियम-प्रमाप (Gold Exchange Standard) किसे बहते हैं? वह स्वर्ण-चलार्य प्रमाप (Gold Currency Standard) से किन बातों में भिन्नता रखता है? (१९५६) ४. प्रेशम का नियम समझाइये। पन मुद्रा और रजत टक (Paper Money and Silver Coins) किन परिस्थितियों में एक साथ प्रबलित रह सकते हैं। (१९५५)

## परीक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत

**प्रश्न १:-** i) What are the essentials of a good monetary system in a country with mixed economy—both agricultural and industrial? (Agra, B. A. 1953), ii) How far are these (tests or essentials) satisfied in India? (Agra, B. A. 1956, Agra, B. Com. 1957, 1956, 1955), iii) एक अच्छे मुद्रा-मान की व्यापा-व्या मुख्य विशेषताएँ हैं? वर्तमान पुण में प्रबन्धित पथ-मुद्रा-मान की लोकप्रियता के बाबा कारण हैं? (Sagar, B. Com. १९५६)

**संकेत :-**—उत्तर के आरम्भ में दो-चार वाक्यों में मुद्रा-मान का अर्थ लिखिये, और फिर बताइये कि एक अच्छे मुद्रा-मान की व्यों आवश्यकता पड़ती है—कि किसी देश की आर्थिक स्थिरता व आर्थिक विकास वहाँ पर प्रचलित मुद्रा-मान पर निर्भर रहता है, कि देश का सामान्य मूल्य-न्स्तर व विदेशी विनियम की दर का भी वहाँ के मान से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, इस कारण यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश में एक बहुत ही अच्छा मुद्रा-मान होना चाहिये, यद्यपि यह बहना कठिन है कि कौन-सा मान सबसे अच्छा है यद्योकि विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न मानों ने सफलता पूर्वक कार्य किया है, तथापि आज की परिस्थितियों में वही मुद्रा-मान सर्वोत्तम माना जाता है जिसमें निम्न गुण पाये जाते हैं—मूल्य की स्थिरता, सरलता, लोचकता, पितॄ-व्यापिता, परिवर्तनशीलता, स्वर्य संचासकता तथा अनिश्चितता का अभाव (प्रत्येक गुण एवं विशेषता का अर्थ विस्तार से समझाइयें) (तीन-चार पृष्ठ)। द्वितीय भाग में यह बताइये कि ये गुण भारत की वर्तमान मुद्रा-प्रणाली में कहाँ तक पाये जाते हैं?—कि भारत की वर्तमान मुद्रा-प्रणाली अपरिवर्तनशील पा-मुद्रा पर आधारित है, (भारतीय चलन में कौन-कौन सी मुद्राएँ हैं तथा इनका निर्गम किस प्रकार तथा विस्तक द्वारा किया जाता है संधेष में लिखिये) वि भारतीय मुद्रा वा सोने-चांदी में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, कि अप्रत्यक्ष रूप में, ग्रन्तरांगीय चोप का सदस्य होने के नाते, भारतीय मुद्रा का सोने से सम्बन्ध अवश्य है आदि। उपरोक्त गुणों में से अनेक गुण भारतीय मुद्रा-प्रणाली में पाये जाते हैं—इसमें मितव्ययिता व निश्चितता वा गुण है (मोने-चांदी के सिक्कों वा प्रचलन नहीं है, न रिवर्ब बैंक वो बहुत अधिक मात्रा में इन मूल्यवान पातुओं को ही रखने की आवश्यकता होती है, सोने-चांदी के कोम प्रदोग से मितव्ययिता है, किंतु विसावट-व्यय से भी हानि नहीं होती है यद्योकि अदिकाय चलन नोटों के इष में है, रिवर्ब बैंक एवट के घनुसार मुद्रा-चलन किया जाता है जिसमें मुद्रा-प्रणाली मुनिश्चित भी है अर्थात प्रणाली के बाल भारतीय सरकार वो इच्छानुसार नहीं चलती है जिसमें जमता वा मुद्रा-प्रणाली में विरवास है) यह लोचदार है (हमारे देश वो मौद्रिक प्रावश्य-कला के घनुसार मुद्रा-मात्रा में समय-समय पर दृढ़िया वर्षी होनी रहती है। लोच वा गुण प्रत्येक अपरिवर्तनशील पथ-मुद्रा प्रणाली में पाया जाता है, इस कारण भारतीय प्रणाली में भी यह गुण विद्यमान है) यह स्वयं चालित प्रणाली भी है (स्वर्णमान में सो यह गुण पाया ही जाता या परन्तु पथ-मुद्रा मान में भी प्रणाली स्वयं चालित बनाई जा

सकती है। विना भारतीय सरकार के हस्तक्षेप के रिजर्व बैंक मुद्रा प्रणाली को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि इसमें आवश्यकतानुसार समय समय पर वृद्धि या कमी होती रहती है) वर्तमान युग में द्रव्य का सोने-चांदी में परिवर्तनशीलता के गुण वा महत्व बहुत कम रह गया है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-क्रोप की स्थापना से तो भारतीय मुद्रा पद्धति में परिवर्तनशीलता के गुण की कोई आवश्यकता ही नहीं रही (दो ढाई पृष्ठ)। अन्त में, सक्षेप में यह बताइये कि मारतीय मुद्रा-प्रणाली में उक्त गुण हीते हुये भी अनेक दोष हैं, जैसे—(i) इसमें मुद्रा प्रसार की प्रवृत्ति है—सरकार के भरसक प्रयत्न करने पर भी युद्ध तथा युद्धोत्तर वाले में प्रत्यधिक मुद्रा प्रसार हुआ है, योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने घाटे वी वित्त व्यवस्था की नीति को अपनाया है जिससे अनिवार्यत मुद्रा प्रसार होता है। (ii) इसमें सुरक्षा वा बहुत कम ध्यान रखता गया है—रिजर्व बैंक के बदल २०० करोड़ रुपये के सुरक्षित क्रोप जिसमें स्वर्ण, स्वर्ण के सिक्के (स्वर्ण व स्वर्ण के सिक्कों की वीमत ११५ करोड़ रुपये से कम नहीं) तथा विदेशी प्रतिशुतियों के आधार पर पत्र-मुद्रा वा निर्भम करता है। (iii) यह अबूत जटिल प्रणाली है—इसमें सखलता के गुण वा अभाव है, यह साधारण जनता की समझ के बाहर है। (iv) आन्तरिक मूल्य स्तर की स्थिरता वा बाह्य मूल्य की स्थिरता पर बलिदान कर दिया गया है जो अनुचित है। इन दोषों के होते हुए भी भारतीय पत्र मुद्रा प्रणाली अन्य बहुत से देशों की तुलना में अच्छी है, सुव्यवस्थित है, सुहृद है (आधा या एक पृष्ठ)।

**नोट—प्रबन्धित पत्र मुद्रा-मान की लोकशियता के लिये अगला प्रश्न पढ़िये।**

**प्रश्न २—**(i) प्रबन्धित मुद्रा मान से आप क्या समझते हैं? इसके गुण-दोषों की व्याख्या कीजिये (Agra B.A. १९५६), (ii) वर्तमान युग में प्रबन्धित पत्र मुद्रा मान की लोकशियता के क्या कारण हैं? (Sagar B. Com १९५६) (iii) Enumerate the relative merits of Gold Standard and managed currency system as stabilisers of prices and foreign exchange rates (Raj. B Com 1954), (iv) Enumerate and explain the functions of Gold Standard Is the managed paper currency system an improvement over it? If so give reasons (Raj. B Com 1959)

**संकेत—**उत्तर के आरम्भ म प्रबन्धित पत्र-मुद्रा मान का अद्य तथा इसकी विकासायां बताइय जैसे—यह वह मुद्रा प्रणाली है जिसमें देश की प्रधान व प्रामाणिक मुद्रा वाणी यी होती है। यह पत्र मुद्रा अपरिवर्तनशील होती है—इसके बदल में सोने चांदी के सिक्के प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं और न इनके प्राप्तानन का आधार कोई धातु ही होनी है, मुद्रा प्रणाली प्रबन्धित होती है अर्थात् मुद्रा अधिकारी आवश्यकता-नुसार मुद्रा की मात्रा भ कमी-वृद्धि करता रहता है, इसमें मुद्रा की क्रय शक्ति की समानता किसी भी वस्तु की क्रय शक्ति से नहीं रखती जाती है अर्थात् इस प्रणाली में मुद्रा की कमी धा वृद्धि के अनुसार इसकी क्रय शक्ति में घट वह होती रहती है, नोटों में असंगत ग्राहण होती है य नोट मूल्य मान व मुद्रा-मान दोनों वा ही कार्य करते हैं सही धातु के सिक्का का प्रबलन किया जाना है और इनका स्वतन्त्र मुद्रण नहीं होता

है, प्रबन्धित मुद्रा-मान की इन विशेषताओं को विस्तार से लिखिये (एक-डेढ़ पृष्ठ)। द्वितीय भाग में पन-मुद्रा-मान के गुणों को लिखिये—कि इस प्रणाली में अत्यधिक लोच है (देश की व्यापारिक व श्रौद्धोगिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा-मान में घट-बढ़ की जा सकती है वयोंकि मुद्रा का आधार सोना-चांदी नहीं है) यह सस्ती व मितव्यप्रियता पूर्ण है (न तो धातु घिस कर क्षीण होती है और न सिक्कों की ढलाई पर अधिक व्यय होता है) धातु की बचत तथा प्रणाली के प्रबन्ध में स्वतन्त्रता होती है (पन-मुद्रा का आधार सोना-चांदी धातु अथवा अन्य किसी देश की मुद्रा नहीं होती है जिससे एक और इसमें बचत का गुण और दूसरी और इस प्रणाली में स्वतन्त्र प्रबन्ध का गुण होता है) देश में मूल्य की स्थिरता लाई जा सकती है (वयोंकि मुद्रा-मान में आवश्यकतानुसार घट-बढ़ की जा सकती है) उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग, बाकारी आदि (उचित मुद्रा नीति अपनाकर इन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है) व्यवहारिक इक्षित से सरल व सुविधाजनक है (पन मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से ले जाया जा सकता है आदि) आर्थिक संकट के समय उपयोगी होती है (धाटे की वित्त-व्यवस्था द्वारा सरकार आर्थिक संकट का सामना करते पाती है) प्रबन्धित मुद्रा-मान के इन गुणों को विस्तार से लिखिये और बताइये कि कीन्स ने इन्हीं गुणों के कारण इस मान को सर्वोत्तम मुद्रा-मान बताया है। इन्हीं गुणों के आधार पर बताइये कि यह प्रणाली वर्तमान समय में सधरे अधिक लोकप्रिय हो गई है। स्वर्ण-मान प्रणाली की विशेषताओं व इनके गुणों से तुलना करके बताइये कि ये दोष इस प्रणाली में नहीं पाये जाते हैं जिसके कारण पन-मान प्रणाली स्वर्ण-मान से अधिक उत्तम है (तीन-चार पृष्ठ) तृतीय भाग में यह बताइये कि चूंकि स्वर्ण-मान में लोच का अत्यधिक अभाव होता है और पन-मुद्रा-मान में लोच का गुण होता है (लोचकता के गुण को सविस्तार समझाइये) इसलिये उचित मोद्रिक नीति अपना कर पन-मान में मूल्य-स्थैर्य लाया जा सकता है परन्तु तुलना में स्वर्ण-मान में यह गुण नहीं है। यद्यपि स्वर्ण-मान में विनियम की दर में स्थैर्य आसानी से लाया जा सकता है और पन-मान में यह दोष है कि इसमें विनियम की दरों में स्थैर्य लाने की कोई व्यवस्था नहीं है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से समस्या हल हो गई है (आधा पृष्ठ)। चतुर्थ भाग में पन-मुद्रा मान के दोषों को लिखिये—मुद्रा-प्रसार का भय, विदेशी विनियम-दर में अस्थिरता, चूंकि पन-मुद्रा का चलन देश की सीमाओं तक ही सीमित रहता है, इसलिये पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन में कठिनाइया पड़ती हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कठिनाई होती है, प्रणाली में जनता का कम विश्वास होता है, प्रबन्धित पन-मुद्रा सटटे की प्रवृत्ति को प्रोत्ताहित करती है (इन दोषों को विस्तार से लिखिये) अन्त में निष्कर्ष के रूप में बताइये कि इन दोषों के होते हुये भी पन-मुद्रा-मान वर्तमान युग में, सर्वथ्रेष्ठ है क्योंकि उक्त दोष पन-मुद्रा प्रणाली के नहीं हैं वरन् वे इस प्रणाली के दोष पूर्ण संचालन के हैं (एक-डेढ़ पृष्ठ)।

प्रश्न ३:—(i) “जब अच्छे द्रव्य और भुरे द्रव्य मुद्रा में प्रचलित हैं और दोनों में से किसी से भी अदृश्य का भुगतान किया जा सकता है, तो अच्छे द्रव्य को या तो गला

लेते हैं, या देश के याहर भेज देते हैं।" अपर लिखित नियम को विवेचना कीजिए (Agra B. A. १६५७) (ii) डिपार्टमेंट का क्या अर्थ है? डिपार्टमेंट में प्रेशम का नियम किस प्रकार कार्यशील होता है? (Sagar, B. Com १८५६), (iii) डिपार्टमेंट द्वारा दिधात्वी मुद्रा प्रणाली के सम्बन्ध में 'प्रेशम सिद्धान्त' की विवेचना कीजिये। इस सिद्धान्त के कार्य के क्या कोई प्रभवाद है? (Jabb, B. Com १६५८) (iv) Give a critical estimate of Gresham's Law of Money Take necessary illustrations from the Indian currency system (Raj, B. Com 1956)

**उत्तर —** उत्तर के आरम्भ में परिचय स्वरूप दो चार वाक्यों में दत्ताद्येवि—  
 'प्रेशम का नियम सर टॉमस प्रेशम ने किन परिस्थितियों में प्रतिपादित किया था और किर एक दो परिभाषाओं (प्रेशम व मार्शल आदि के बाब्द) के आधार पर नियम की व्याख्या कीजिए (आधा एवं पृष्ठ)। द्वितीय भाग में प्रेशम के नियम का कार्यक्रम दत्ताद्येवि—कि यह नियम एक घातु मान व दिधातु मान में तथा घातु-मान व पत्र-मुद्रा-मान में विस्त प्रकार लागू है (दो-दोई पृष्ठ)। तृतीय भाग में नियम की सीमायें दत्ताद्येवि—कि यह नियम उस समय क्रियाशील नहीं होता (i) जबकि चलन की मात्रा कुल मांग से कम हो, (ii) जब देशदासी दुरी मुद्रा को स्वीकार नहीं करें तथा (iii) जबकि दुरी मुद्रा को साकेतिक व अच्छी मुद्रा को प्रमाणिक सिक्कों के हृष में रखा जाता है (एक-दोई पृष्ठ)। अन्त में एवं पैरे में निष्कर्ष स्वरूप पुनर प्रेशम के नियम के शब्दों को दुहराइये और दत्ताद्येवि नियम क्या है और वह क्रियाशील होता है? (दो-चार वाक्य)। चतुर्थ भाग में भारतीय मुद्रा के इतिहास से उदाहरण लेकर प्रेशम के नियम की पुष्टि कीजिये—(i) प्रेशम का नियम उस समय भारत में क्रियाशील हुया। या जबकि रानी विक्टोरिया (Queen Victoria) के सासन काल के सिक्कों के साथ ही साथ जर्ज एल्बर्ट (King George VI) के सिक्के प्रचलन में आये। विक्टोरिया के सिक्कों में अधिक चाँदी थी इसलिये वे सिक्के अच्छे और जूँ कि जांबं पट्टम के सिक्कों में कम चाँदी थी, इसलिये वे सिक्के अच्छे और जूँ कि जांबं पट्टम के सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर दिया। (ii) द्वितीय युद्धकाल म जब १८० का अपरिवर्तनशील वागजी नोट जारी किया गया, उस समय भारत में जो चाँदी का सिक्का प्रचलन में था उसमें काफी चाँदी थी। फलत युरे सिक्कों न घट्टे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर दिया। बाल्प होकर सरकार जो चाँदी के सिक्कों में चाँदी की मात्रा बम करनी पड़ी और इस तरह के नये सिक्के जारी करने पड़े। कुछ समय बाद सरकार जो ऐसे सिक्के जारी करने पड़े जिनमें चाँदी की मात्रा बिलकुल भी नहीं थी और साथ ही साथ बिना चाँदी के सिक्कों जो गंगे कामुनी बोयित कर दिया गया। परस्त इन नये बिना चाँदी के १८० के सिक्कों में घोट कागज के १८० के नोटों में कुछ भी घन्तर नहीं रह गया है। अतः इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रेशम का नियम भारत में भी क्रियाशील हो चुका है (एक-दोई पृष्ठ)।

**प्रश्न ४ —** (i) स्थानीय मान के प्रयोग (Working) का आलोचनात्मक परिचय

करिये। उसकी विफलता के क्या कारण है? (Agra, B. Com. १९५६, Raj., B. Com. १९५८), (ii) अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-प्रमाप बिना किसी रकावट के सरलतापूर्वक कार्य कर सके, इसके लिये कौन सी अनिवार्य शर्तें का होता आवश्यक हैं, उसकी विवेचना कीजिये। उन कारणों की परीक्षा कीजिए जिनके फलस्वरूप सन् १९३१ में अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण प्रमाप समाप्त हो गया। (Sagar, B. Com. १९५४, Patna, B. A. १९५२) (iii) The case for the Gold Standard is a case for a strict de Jure Gold Standard, with each country following 'The rules' so that no gold currency becomes distrusted". Explain and comment. (Agra, B. A. 1956), (iv) Explain what do you mean by Gold Standard and state under what conditions it works smoothly? (Raj., B. A. 1958) (v) What led to the abandonment of "Gold Standard" by countries? (Raj., B. A. 1957, Bihar, B. A. 1956 B. Com. 1956) (vi) Discuss the limitations of Gold Standard in the context of an expansionist economy. What led to its breakdown in the inter war period? (Raj., B. Com. 1955) (vii) The Gold Standard has been described as a "fair weather device". Why? Describe the causes that were responsible for its breakdown in 1931. How far do you think its reintroduction possible and desirable? (Bihar, B. Com. 1958, 1954) (viii) Is national planning compatible with automatic Gold Standard? (Patna, B. A. 1952)

**संकेतः**—उपरोक्त प्रश्नों में मुख्यतः छः बातें पूछी गई हैं—स्वर्ण-मान किसे कहते हैं? स्वर्ण-मान का कार्य संचालन किस प्रकार होता है? स्वर्ण-मान के सफल संचालन के लिये कौन-कौन सी शर्तें हैं? स्वर्ण-मान की असफलता के क्या-क्या मुख्य कारण रहे हैं जिनके कारण विभिन्न देशों को इस मान को रायगना पड़ा था? क्या स्वर्ण-मान पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है अथवा क्या इसे पुनः प्रयोग में लाना सम्भव तथा उचित है? क्या स्वचालित स्वर्ण-मान में राष्ट्र का विकास आयोजित अर्थ-व्यवस्था के आधार पर सम्भव है? प्रथम भाग में स्वर्ण-मान का अर्थ समझाने के लिये मुद्रा-मान की एक या दो परिभाषाये (रोबर्टसन, केमरट आदि की परिभाषाये) लिखिये और इनका अर्थ समझाइये तथा संक्षेप में स्वर्ण मान की विशेषताओं को लिखिए (एक पृष्ठ)। द्वितीय भाग में स्वर्ण-मान के कार्य संचालन को संक्षेप में बताइये—स्वर्ण-मान में या तो स्वर्ण के सिक्के चलन में होते हैं और नोट स्वर्ण या स्वर्ण के सिक्कों में परिवर्तनशील होते हैं अथवा यदि स्वर्ण के सिक्के चलन में नहीं रहते, तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सोना प्राप्त करने की व्यवस्था होती है अथवा देश की मुद्रा किसी ऐसे देश की मुद्रा से सम्बन्धित होती है जो स्वर्ण-मान पर होता है। स्वर्ण-मान इन्हीं तीनों में से किसी एक रूप में समय-समय पर, परिस्थितियों के अनुसार, प्रचलन में रहा। परन्तु इन सब में यह विशेषता रही कि स्वर्ण का अवरत-नियंत्रित स्वतंत्र रूप में होता था तथा सरकारें एक निश्चित दर पर सोने का क्रय-विक्रय करती थीं जिससे देशों के मध्य विनियम-दर स्वाभाविक रूप में स्थापित होती रहती थी और इनमें उच्चावचन एक निश्चित सीमा के अन्दर ही होता रहता था जिन्हे स्वर्ण का आयात नियंत्रित थिए रहते हैं। देश में सोने की आयात अधिक होने पर व्यापारी इसके बदले सरकार (टक्साल) से 'मुद्रा ले लिया करते थे जिससे मूल्य-स्तर में वृद्धि हो जाया

करती थी (मुद्रा मात्रा की वृद्धि से मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी और मूल्य स्तर बढ़ जाया करते थे), फलतः निर्यात हतोत्साहित और आयात घोत्साहित हो जाया करते थे। परिणामतः सोना विदेशों को जाने लगता था, मुद्रा का सकुचन हो जाता था, मूल्य स्तर नीचे हो जाते थे। इस तरह यद्यपि विनियम की दर में परिवर्तन—/नहीं होता था परन्तु आन्तरिक मूल्य स्तरों में उच्चावचन होता रहता था और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चलता रहता था। इसी पौ स्वर्ण-मान की स्वयं सचालनता कहते हैं (इसे विस्तार से उदाहरण सहित समझाइये) (दो पृष्ठ)। तृतीय भाग में उन शर्तों को बताइये जिनकी उपस्थिति में स्वर्ण मान का सचालन होता रहता था—(i) व्यापारिक स्वतन्त्रता—देशों के बीच वस्तुओं के सोने की आयात-निर्यात स्वतन्त्रतापूर्वक होनी चाहिये ताकि भुगतान का असन्तुलन वस्तुओं की गतियों से व्यवस्थित हो जाय तथा स्वर्ण की आवाजाही केवल छोटे अन्तरों को पूरा करने के लिये हो, (ii) स्वर्ण मान वाले देशों का आधिक द्वाचा पूर्णतया लोचदार होना चाहिये—ताकि वस्तुओं के मूल्य तथा मजदूरी आदि म स्वर्ण की आयात निर्यात के अनुकूल परिवर्तन हो सके, (iii) स्वर्ण की आवाजाही के प्रभावों को केन्द्रीय बैंक व सरकारों को अप्रभावी नहीं बनाना चाहिये—जब सोने की आयात हो रही हा, तब इन्हे मूल्य स्तर में वृद्धि तथा जब सोने की निर्यात हो रही हो, तब मूल्य स्तर में कमी होने देना चाहिये, (iv) स्वर्ण मान वाले देशों के बीच उचित सहकारिता होनी चाहिये आदि (इन स्वर्ण-मान के नियमों को विस्तार से समझाइए) यह बताइये कि यदि स्वर्ण मान के नियमों का पालन किया जाय, तब तो यह मान सफलतापूर्वक चल सकता है वरना नहीं, इसीलिए इन्हे स्वर्ण मान की शर्तें अथवा सीमायें बताइये हैं (दो ढाई पृष्ठ)। चतुर्थ भाग में बताइये कि सन् १९३१ म स्वर्ण मान के टटने वे क्या क्या मुख्य कारण थे—जैसे स्वर्ण मान के नियमों का परित्याग किया गया स्वर्ण का असमान वितरण, आधिक राष्ट्रीयवाद का विकास, प्रथम महायुद्ध की क्षति पूर्ति का भुगतान, अल्पकालीन पूँजी की आवाजाही सन् १९२६ की महान् मन्दी से उत्पन्न परिस्थितियाँ तथा राजनीतिक अस्थिरता व मूल्यों में हटता आदि (इन सब कारणों को उदाहरण सहित लिखिय) (तीन चार पृष्ठ)। इन्ही कारणों से यह कहा जाता है कि स्वर्ण मान एक “अच्छे दिनों का मिन है” (Fair Weather Standard) प्रथर्तु जब तब स्वर्ण मान के नियमों का पालन किया जाता है, यह मान चलता रहता है और जैसे ही सामान्य स्थिति में परिवर्तन हो जाता है (इन नियमों का पालन नहीं होने के कारण) वैसे ही स्वर्ण मान भी सफलतापूर्वक नहीं चलने पाता और इसके सचालन में दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा जनता वा इसमें से विद्यास हट जाता है (आघोष पृष्ठ)। पाचव भाग म बताइए कि क्या स्वर्ण मान की पुनः स्थापना सम्भव व उचित है—कारण देवर बताइये कि स्वर्ण-मान (शुद्ध स्वर्ण-मान) की पुनः स्थापना न तो सम्भव है और न उचित ही है—आयुनिव युग में आधिक परिस्थितियों म बहुत परिवर्तन हो गया है, जैसे उत्पादन-प्रणाली बहुत हर पर बाली तथा उन्नत हो गई है जिसमें उत्पादन की मात्रा म अस्थिक वृद्धि हो जाने के कारण

मुद्रा की मात्रा में भी वृद्धि करने की बहुत आवश्यकता हो गई है, परन्तु स्वर्ण-मान में मुद्रा की मात्रा में इतनी अधिक वृद्धि नहीं हो सकती है (सोने की मात्रा सीमित होने के कारण) मजदूर सध बहुत समर्थित हो गए हैं (ये मजदूरी कम नहीं होने देंगे), मुद्रे के कारण विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक-व्यवस्था की ओर बहुत कुछ समाप्त हो गई है, राष्ट्रों में शैमनस्य की भावना है जिससे प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक हाप्टि से स्वावलम्बी बनना चाहता है, स्वतन्त्र विदेशी व्यापार की सम्भावना नहीं रही है, सोने की स्वतन्त्र आयात-निर्यात नहीं हो सकती है तथा संसार का अधिकांश सोना प्रमेरिका जैसे देश में जाकर एकत्रित हो गया है, आज राष्ट्रों की मौद्रिक नीति का उद्देश्य आन्तरिक मूल्य-स्तर का स्थैर्य हो गया है (स्वर्ण मान में मूल्य-स्तर के उच्चावचन को रोका नहीं जाता था, यह स्वराव भी नहीं माना जाता था वरन् इस उच्चावचन से ही स्वर्ण-मान कार्यशील होता था) इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये मौद्रिक अधिकारी द्वारा कभी मुद्रा-प्रेसार तब कभी मुद्रा-संकुचन किया जाता है, परन्तु स्वर्ण मान स्वःचालित होता है जिसमें मुद्रा स्फीति (सोने की मात्रा सीमित होने के बारण भी यह नहीं किया जा सकता है) व संतुलन नहीं किया जा सकता है। इन सब को विस्तार से समझाकर निष्कार्प निकालिये कि स्वर्ण-मान की पुनः स्थापना न तो सम्भव है और न उचित ही है (एक-डेढ़ पृष्ठ)। छटे भाग में कारण सहित बताइये कि आयोजित अर्थ-व्यवस्था में स्वर्ण-मान का संचालन असम्भव है—आर्थिक धोजनाओं का उद्देश्य रहता है आन्तरिक आर्थिक उन्नति तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक है—आन्तरिक मूल्य-स्तर की स्थिरता अथवा मूल्य-स्तर का इस प्रकार नियमन व नियन्त्रण कि पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम करे। परन्तु स्वर्ण-मान एक अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति है, जिसमें राष्ट्रीयता को त्यागना पड़ता है, आन्तरिक मूल्य-स्तर के उच्चावचन पर हम कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं (विनिमय दर की स्थिरता के नाम पर हमें आन्तरिक मूल्य-स्तर की स्थिरता को त्यागना पड़ता है) इसी तरह जबकि स्वर्ण-मान में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व स्वर्ण के आयात-निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है, आयोजित अर्थ-व्यवस्था में इन दोनों पर ही नियन्त्रण रखा जाता है। स्वर्ण-मान का आधार हर और स्वतन्त्रता है, परन्तु आयोजित अर्थ-व्यवस्था का आधार हर और नियन्त्रण है। चूंकि स्वर्ण-मान नियन्त्रण एवं नियमन सह नहीं सकता है, अतः एक आयोजित अर्थ-व्यवस्था में स्वर्ण-मान की स्थापना नहीं हो सकती है। चूंकि वर्तमान पुण्य आयोजित-व्यवस्था का है, इस कारण भी स्वर्ण-मान की पुनः स्थापना सम्भव व उचित नहीं है। अत. जैसा कि कीन्तु ने कहा है प्रवन्धित पद भुद्रा प्रणाली ही वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में सर्वथोष्ठ प्रणाली है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोण की स्थापना से वो इस मत की ओर भी अधिक पुष्टि हो गई है क्योंकि इसने सीमित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान को स्थापित कर दिया है, राष्ट्रों को स्वर्ण-मान के सब लाभ प्राप्त होने लगे हैं और इसके दोषों से वे बचित हैं (एक-डेढ़ पृष्ठ)।

प्रश्न ५ :—(i) स्वर्ण-मान पद्धति का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिये (Agra B. A. १९५७), (ii) स्वर्ण-विनिमय मान और स्वर्ण-पाट मान के अन्तरों को व्यापारिये (Sagar, B. Com १९५६), (iii) स्वर्ण-प्रमाप की कार्य प्रक्रिया (Mechanism)

का वर्णन कीजिए। यदा यह माना जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को प्रस्थापना से स्वर्ण-प्रमाण पुन एक बार प्रयोग में सामें के बराबर है? (Nagpur B. A. १९५६), (iv) स्वर्ण-विनियम प्रमाण किसे कहते हैं? यह स्वर्ण चलाये प्रमाण से किन बातों में भिन्नता रखता है? (Nagpur, B. A. १९५६). (v) Describe the advantages and disadvantages of Gold Standard and say how far its shortcomings have been overcome? (Bihar, B. Com 1959) (vi) Is it possible to have Gold Standard without Gold Currency? Give reasons for your answer and explain the merits and demerits of such a standard (Sagar, B. A. 1958).

**संकेत** —उक्त प्रश्नों में चार बातें पूछी गई हैं—स्वर्ण-मान के विभिन्न रूप क्या-क्या हैं तथा इनमें से प्रत्येक की क्या-क्या विशेषताएँ और भिन्नताएँ हैं? क्या दिना स्वर्ण-मुद्रा के चलन के स्वर्ण-मान का चलन हो सकता है? स्वर्ण-मान के गुण दोप क्या-क्या हैं? क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से स्वर्ण मान को पुन स्थापना कही जा सकती है? प्रथम भाग में स्वर्ण मान का अर्थ 'एक-दो परिभाषाओं के आधार पर दीजिये, इसके तीनों रूपों (स्वर्ण-चलन मान, स्वर्ण-पाठ मान तथा स्वर्ण विनियम मान) का अर्थ और विशेषताओं को बताइये तथा इनकी तुलना कीजिये (डाई-सीन पृष्ठ)। द्वितीय भाग में यह बताइये कि बिना स्वर्ण-मुद्रा के चलन के भी स्वर्ण-मान का चलन हो सकता है और हुआ भी है, जैसे स्वर्ण-पाठ-मान व स्वर्ण विनियम-मान में। इन मानों के गुण-दोषों को बताइये (टेड दो पृष्ठ)। तृतीय भाग में यह बताइये कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब तथा किन उद्देश्यों से हुई कि इसमें स्वर्ण के रूप में अध्ययन (Quotas) किस प्रकार लिये गये हैं तथा कोष में स्वर्ण का क्या स्थान है?—यह स्पष्ट कीजिये कि इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में स्थिरता लाना, विदेशी विनियम दर में स्थैर्य लाना तथा विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक उपस्थिति बरने में सहायता देना प्राप्ति है। कोष की स्थापना से स्वर्ण-मान के सब लाभ प्राप्त हो गये हैं और इसमें जो दोष थे उनका निवारण अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से सम्भव हो गया है—विभिन्न राष्ट्र अपनी आन्तरिक मुद्रा प्रणाली का सचालन व मूल्य स्तर वा नियमन राष्ट्र हित में बदल सकते हैं, मुद्रा प्रणाली के सचालन के लिये भी अब स्वर्ण की बहुत आवश्यकता नहीं रही है क्योंकि आन्तरिक चलन में पव मुद्रा व साकेतिक सिक्के होते हैं और विदेशी भुगतान कोष द्वारा किया जाता है। अत कोष की स्थापना यद्यपि युद्ध स्वर्ण मान की स्थापना नहीं कही जा सकती है तथापि इसने अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य-स्तर-तथा विनियम दरों का आधार बना दिया है (स्वर्ण मान का भी यही प्रमुख गुण था)। इस तरह कोष से स्वर्ण मान के सब गुण प्राप्त होने लगे हैं ('विस्तृत अध्ययन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष') नामक अध्ययन पढ़िये) (एवं टेड पृष्ठ)।

**प्रश्न ६.**—(i) 'Gold Standard failed primarily because it could not reconcile exchange stability with price stability.' Discuss (Patna, B. A. 1957) (ii) Describe the different forms of Gold Standard Can Gold Standard secure stability of prices? (Bihar, B. A. 1958)

**सकेतः—**आरम्भ में दो चार वावयों में स्वर्णमान का अर्ध व विशेषतायें बताइये । फिर इसका कार्य संचालन लिखिये और यहाँ पर विशेषतया स्पष्ट कीजिये कि स्वर्ण मान में विनिमय की दर में स्थैर्य रहता है (इसमें स्वर्ण आयात-निर्यात बिन्दुओं के बीच में ही परिवर्तन होता है) परन्तु देश के आन्तरिक मूल्य-स्तर में विदेशी व्यापार अथवा स्वर्ण की आयात-निर्यात की स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहा है । (यहाँ पर केवल स्वर्ण चलन मान का ही कार्य संचालन लिखिये—इसके अन्य रूपों के बारे में लिखना अनावश्यक है) और फिर स्वर्ण मान के नियमों के बारे में बहुत संक्षेप में लिखिये—कि इन शर्तों की उपस्थिति में ही स्वर्ण-मान कार्यशील होता है (दो-डाई पृष्ठ) । द्वितीय भाग में बताइये कि स्वर्ण-मान में इसके नियमों के अनुसार स्वर्ण व वस्तुओं की आयात-निर्यात आदि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है । मुद्रा का प्रसार व संकुचन स्वर्ण की आयात-निर्यात पर निर्भर रहता है आदि जिसके कारण इस मान में आन्तरिक मूल्य-स्तर में स्थिरता लाना सम्भव नहीं होता है अर्थात् विनिमय-दर की स्थिरता के लिये देश के आन्तरिक मूल्य स्तर की स्थिरता का बलिदान किया जाता है । सत्र १९३१ के बाद की परिस्थितियों से उदाहरण देकर बताइये कि उस समय विनिमय-दर की स्थिरता की तुलना में आन्तरिक मूल्य-स्तर की स्थिरता लाना अधिक महत्वपूर्ण हो गया था । चूंकि स्वर्ण-मान में यह सम्भव न था, इसलिये यह दूट गया (एक-दो घण्ट) ।

**प्रश्न ७:**—(i) द्विधातु-मान चलन पद्धति की व्याख्या करिये और इसके गुण-दोष की विवेचना करिये । (Agra B. Com. १९५६, Vikram, B. A. १९५६, Gorakhpur, B. Com. १९५६) (ii) Describe the essential features of be metallism and discuss whether prices are steadier under bi metallism or under mono-metallism (Agra, B Com. 1956, Raj., B. Com. 1955, Vikram. B. Com. 1959)

**सकेतः—**उत्तर के दो भाग हैं—प्रथम भाग में द्विधातु मान का अर्थ, विशेषतायें तथा इसके गुण-दोषों को लिखिये (चार पाँच पृष्ठ) । द्वितीय भाग में, द्विधातु मान में धतिपूरक क्रिया को संक्षेप में समझाकर बताइये कि चूंकि एक धातु का अभाव दूसरी धातु की अधिक पूर्ति से दूर हो जाता है (अन्तर्राष्ट्रीय स्तर द्विधातु मान को अपनाने पर) इसलिये दोनों धातुओं के मूल्यों में स्थिरता रहती है । **फलतः** मूल्य-स्तर में भी स्थैर्य रहता है । परन्तु एक धातु मान में धातु की पूर्ति में घट बढ़ होने पर, मुद्रा की पूर्ति में घट बढ़ हो जाती है जिससे द्रव्य की ज्यय-शक्ति में भी घट-बढ़ हो जाती है और इस तरह मूल्य स्तर में स्थिरता नहीं रहती है । **श्रद्धः** एक धातु-मान की तुलना में द्विधातु-मान में मूल्यों में अधिक स्थिरता रहती है (दो-डाई पृष्ठ) ।

## अध्याय ७

### नोट-निर्गम के सिद्धांत तथा रीतियाँ

(Principles and Methods of Note Issue)

### नोट-निर्गम के सिद्धांत (Principles of Note Issue)

नोट-निर्गम के दो मुख्य सिद्धांत हैं जो विभिन्न पक्षों द्वारा प्रकट किये गये हैं।

ये दोनों सिद्धांत एक-दूसरे के पूर्णतया विपरीत हैं और इन दोनों के समर्थक अपने-अपने सिद्धांत को ठीक बताते हैं। ये दोनों सिद्धांत इस प्रकाश हैं—(i) करेन्सी या मुद्रा-सिद्धांत तथा (ii) वैकिंग सिद्धांत।

(i) करेन्सी या मुद्रा सिद्धांत (Currency Principle) :—इस सिद्धांत को कभी-कभी सुरक्षा-सिद्धांत (Security Principle) भी कह देते हैं। करेन्सी या मुद्रा-सिद्धांत बताता है कि देश में नोटों के चलन की सुरक्षा (Security) तथा जनता का इनमें विश्वास (Confidence) के हेतु नोटों को मात्रा के बराबर धात्विक निधि (Metallic Reserve) रखने जानी चाहिये। इस तरह इस सिद्धांत वे अनुसार देश में जितनी रकम के नोट निर्गमित किय जाती है, उतनी ही रकम के बराबर बहुमूल्य धातु-मुद्रा चलन-घटिकारी (Note Issuing Authority) के पास अमा रहनी चाहिये अर्थात् मुद्रा-सचालक को नोटों के पीछे १००% सोने चांदी की आड रखनी चाहिए। यह स्टैट है कि यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि पत्र-मुद्रा की निकासी का उद्देश्य केवल यही है कि नोटों की निकासी वरन्ते धातु मूल्य का प्रयोग कम कर दिया जाय ताकि समाज को विनियम का एक सुविधाजनक माध्यम उपलब्ध हो जाये और मूल्यवान धातुओं की भी घिसावट भे वचत हो जाये। अत वरेन्सी सिद्धांत पर आधारित पत्र मुद्रा चलन में नोटों का प्रसार एव सकृचन धात्विक-निधि की कमी अथवा अधिकता पर निर्भर रहता है।

### गुण-दोष

करेन्सी सिद्धांत के गुण दोष—मुद्रा सिद्धांत में दो गुण पाये जाते हैं— i) मुद्रा चलन पूर्णतया सुरक्षित रहता है—जूँ कि नोटों की निकासी का आधार १००% बहु-मूल्य धातु निधि होती है, इसलिए इसमें सुरक्षा (Security) का गुण पाया जाता है क्योंकि इसमें चलनाधिकरण (Over Issue) का कोई मर्य नहीं रहता है। (ii) जनवाचा विनियम —जूँ कि नोट बहुमूल्य धातुओं में सदा परिवर्तनीय (Convertible) होते हैं, इसलिये इस सिद्धांत वे आधार पर चलित मुद्रा-प्रणाली में जनता का विश्वास (Confidence) भी बहुत होता है। परन्तु इस सिद्धांत के दो मुख्य दोष भी हैं—लोक का अनावश्यक—इस सिद्धांत के अनुसार निर्मित मुद्रा-प्रणाली में लोक (Elasticity) का बहुत अभाव रहता है क्योंकि नोटों की मात्रा को व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार पटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता है वरन् चलन त्रा प्रसार व सकृचन धात्विक-निधि की

अधिकता या कमी पर निर्भर रहता है। एक अच्छे चलन का यह गुण होता है कि उसमें मुद्रा का प्रसार व संकुचन व्यापारिक आवश्यकताओं, न कि सोने व चांदी की खानों की उत्पत्ति के अनुसार हो सकता है ताकि देश में व्यापार व उद्योग के विकास में वाधा नहीं पड़े। अतः इस सिद्धान्त ने साल (Credit) को महत्ता को नहीं पहचाना है और यह मुद्रा की लोच को उसकी मुख्यता वी वेदी पर बलिदान कर देता है।

(ii) प्रमितव्ययिता :—इस सिद्धान्त के आधार पर बनाई गई मुद्रा-प्रणाली में अमितव्ययिता वा भी दोष पाया जाता है क्योंकि इसमें सोने व चांदी की वजत नहीं होती है। इसमें सोना व चांदी सुरक्षित निधि के रूप में वेकार रड़ा रहता है।

(2) बैंकिंग सिद्धान्त (Banking Principle) :—इस सिद्धान्त को कभी कभी सोच-नियम (Elasticity Principle) भी कह देते हैं। यह सिद्धान्त इस तथ्य पर आधारित है कि मुद्रा में लोच होनी चाहिए प्रथात् विनियम-माध्यम का कार्य सुचारू रूप से करने के लिए मुद्रा में देश की व्यापारिक आवश्यकतानुसार प्रसार व संकुचन का गुण होना चाहिए। यह तब ही सम्भव है जब कि नोट-निर्गम अधिकारी नोटों की निकासी तथा नियमन (Regulation) के सम्बन्ध में पूर्णतया स्वतन्त्र होता है। यह वायं प्रायः एक वैकं द्वारा ही अच्छा किया जाता है क्योंकि वह सदा व्यापारी वर्ग तथा जनता के सम्पर्क में रहता है। जब बैंकस नोट चलाने के सम्बन्ध में स्वतन्त्र छोड़ दिए जाते हैं, तब वे अपने आप ही बहुत सोच-विचार करके नोटों का प्रसार करते हैं और नोटों में जनता का विश्वास एवं इनमें परिवर्तनशीलता का गुण बनाये रखने के लिए स्वयं ही उचित मात्रा में रक्षित-निधि (Reserve Fund) रखते हैं ताकि जनता वी मांग होने पर वे नोटों के बदले में धातु-मुद्रा दे सकें। अत बैंकिंग-सिद्धान्त यह बताता है कि देश में नोटों को निर्गमित मात्रा के ज्ञात-प्रतिशत धरायर सोना-चांदी के रूप में निधि नहीं रखनी चाहिए वरन् एक वैकं देश में नोटों का कितना घलन करे और इनके लिए कितनी रक्षित-निधि रखें इस सम्बन्ध में उसे पूर्ण स्वतन्त्र छोड़ देना। ताकि मुद्रा-प्रणाली में लोच रहे और साल-पद्धति का पूरा पूरा साम उठाया जा सके।

### गुण-बोध

बैंकिंग सिद्धान्त के गुण-बोध :—इस सिद्धान्त के दो मुख्य गुण हैं:—(i) चलन-प्रणाली में अत्यधिक लोच रहती है :—बैंकिंग सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा-प्रणाली वा सबसे महत्वपूर्ण गुण इसकी लोचकता (Elasticity) है। इसमें मुद्रा-अधिकारी के लिए यह सम्भव है कि वह देश की व्यापारिक व श्रौद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार चलन की मात्रा में घट-बढ़ कर सके। इसका कारण स्पष्ट है। उसे नोटों वी निकासी के लिए १००% बहुमूल्य धातुओं की निधि नहीं रखनी पड़ती है वरन् वह कुल नोटों वा एक निश्चित भाग ही सोने व चांदी के रूप में रखता है और इसी से नोटों वी परिवर्तनशीलता काप्रमाण रखता है। यह इसलिए सम्भव है क्योंकि वैकं को अनुभव से यह

पता है कि एक निश्चित बाल में कुल नोटों का एक निश्चित भाग ही सोने व चादी में बदलने के लिए पेश किया जाता है तू कि इन नोटों के बदले बहुमूल्य धातुयें देने के लिए व्यवस्था बर दी जाती है, इसलिए एक और तो जनता का इनमें विश्वास उत्पन्न हो जाता है और दूसरी ओर चलने के प्रसार व सकुचन की बहुत सम्भावना रहती है।

(ii) बहुमूल्य धातुओं के उपयोग में बचत — तू कि वैरिंग सिद्धान्त पर निर्मित मुद्रा-प्रणाली में धातु निधि नोटों की कुल मात्रा की निकासी की तुलना में बहुत कम रखी जाती है, इसलिए इस प्रणाली में सोने-चादी के उपयोग भ बहुत बचत होती है और देशकों इसकी धिसावट के कारण भी क्षति बहुत कम सहनी पड़ती है परन्तु इस सिद्धान्त में दो दोष भी पाये जाते हैं। (i) चलनाधिवय वा भय (Danger of Over Issue) — तू कि नोटों की निकासी के पीछे १०० प्रतिशत पातु-निधि नहीं रखी जाती है, इसलिये इस प्रणाली में नोटों के अति निर्गम का भय रहता है। (ii) सुरक्षा में कमी रहती है — उक्त कारण से इस प्रणाली में सुरक्षा की भी कमी पाई जाती है।

दोनों में से कौन-सी प्रणाली अच्छी है? — ससार की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में यह कहना कि उक्त म स कौन सी मुद्रा प्रणाली अच्छी है, कठिन नहीं है। नरेन्सी सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा-प्रणाली से द्वान्तिक हृष्टि से अच्छी भले ही हो, परन्तु इसमें व्यवहारिकता के गुण का अभाव है। कोई भी देश अपने नोटों की कुल मात्रा के पीछे १०० प्रतिशत बहुमूल्य धातुओं की निधि नहीं रख सकता है क्योंकि प्रथम तो इन धातुओं की कमी है और फिर इनका विभिन्न देशों के बीच बहुत असमान वितरण हुआ है। फिर, इस प्रणाली में लोक का अभाव होने से यह देश के व्यापारिक व अद्योगिक विकास में वाधा-स्वरूप रहेगी। यही कारण है कि आजकल सभी राष्ट्रों ने अपनी-अपनी मुद्रा-प्रणाली का निर्माण बैंकिङ सिद्धान्त पर आधार पर किया है क्योंकि इसमें कम अधिक मात्रा में धातु निधि की व्यवस्था बरबे एक तरफ सुरक्षा व जनता के इसमें विश्वास की व्यवस्था की जाती है और दूसरी ओर इसमें अत्यधिक लोक का गुण पाया जाता है। एक अच्छी पत्र-मुद्रा-चलन प्रणाली वही मानी जाती है जिसमें सुरक्षा व लोक दोनों ही गुणों का सम्मान होता है और बैंकिङ सिद्धान्त के आधार पर नियित पत्र मुद्रा प्रणाली इस गुण को पूर्णतया सन्तुष्ट करती है। इसीलिए ससार के समस्त देशों ने बैंकिङ सिद्धान्त पर आधारित एक संकृचित व नियन्त्रित पत्र मुद्रा प्रणाली की अपनाया है।

अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि पत्र-मुद्रा-चलन की कौन कौन सी विधियाँ हैं तथा इनमें मुख्यवस्था नियंत्रण कार लाई जाती है?

### नोट-निर्गम की विधियाँ (Methods of Note Issue)

नोट-निर्गम की स्व.मूल्य रीतियाँ हैं — (i) निश्चित असुरक्षित नोट-चलन की रीति, (ii) अधिकृतम असुरक्षित नोट चलन की रीति, (iii) अनुपातिक निधि पद्धति, (iv) वह अनुपातिक पद्धति जिसमें न्यूनतम स्वर्ण-निधि रहती है (v) सापारण जमा पद्धति तथा (vi) सरकारी दो-इस जमा पद्धति।

(i) निश्चित असुरक्षित नोट चलन की रीति (Fixed Fiduciary Sys-

करने पर इनके पीछे शब्द प्रतिशत् सोने की निधि रखनी पड़ती है। यदि आर्थिक स्वरूप में समय में देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि बरनी है, तब इसके दो ही तरीके हैं— प्रथम, विदेशों से सोना गणकर स्वर्ण निधि कोष को बढ़ाया जाय और किर नोटों की निकासी में वृद्धि की जाय या द्वितीय, इस प्रणाली के नियमों को तोड़ दिया जाय। प्रथम में दोष यह है कि स्वर्ण की आयत बरने में बहुत कठिनाई होती है और द्वितीय में दोष यह है कि प्रणाली के नियमों को बार बार तोड़ने से इसके प्रति जनता का विद्वास बम हो जाता है। अत इस प्रणाली में अभाव है। (ii) सुगमता का अभाव— इस प्रणाली में मुगमता वा भी अभाव है क्योंकि यदि किसी बरणवदा कोष में से सोने या चादी की धातु बम हो जाय, तब चलन में से उतनी ही मूल्य की पत्र मुद्रा बम करनी पड़ती है जाहे उस समय मुद्रा की मात्रा बितनी ही अधिक क्यों न हो। अत इस पद्धति की बायं प्रणाली में मुगमता का अभाव रहता है। परन्तु इस प्रणाली के समर्थकों का मत है कि नोट निर्गमन की इस विधि के बेलचकीलेपन के दोष को असाधारण परिस्थितियों में नोटों के अरक्षित भाग की सीमा को बानून ढारा आगे को बढ़ा बर दूर बिया जा सकता है (जैसा कि इङ्लैंड में वास्तव में समय समय पर हुआ है)। परन्तु ऐसा बायं करने पर जनता वा नोटों में बम विद्वास हो सकता है क्योंकि नोटों की अरक्षित सीमा वा बढ़ाना बैंक अथवा नोट निर्गम अधिकारी की आर्थिक बमबोरी का चिन्ह है।

(2) प्रथिकतम असुरक्षित नोट चलन की रीति (Fixed Maximum Fiduciary System)—यह रीति सन् १८७० से सन् १९२५ तक फ्रास में प्रचलित रही और वहाँ पर नोट निकासी की अधिकतम सीमा ५,६४,३१० लाख फ्रैंक (Francs) थी। इङ्लैंड में भी इसी रीति को अपनाने के लिए मेक्सिलन कमेटी (Macmillan Committee) ने मुद्राव रखाया था। इस रीति में सरकार एक विधान-ढारा पत्र मुद्रा की एक निश्चित सीमा तय कर देती है और देश का मुद्रा अधिकारी या केन्द्रीय बैंक के बल इस निर्धारित सीमा तक दिना किसी प्रकार के धातु कोष के नोटों वा चलन कर सकता है। इस तरह इस रीति में धार्तिक-निधि का पत्र मुद्रा चलन से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है। परन्तु यह स्मरण रहे कि इस रीति में मुद्रा-अधिकारी को निर्धारित अधिकतम सीमा के परे नोटों की निकासी करने का विलुप्त भी अधिकार नहीं होता है, जाहे वह इसके लिए शब्द प्रतिशत् स्वर्ण निधि की व्यवस्था करने के लिये ही क्यों न तैयार हो। इसमें सन्देह नहीं कि सरकार नोट निकासी की अधिकतम सीमा बहुत सोच-विचार के बाद निश्चित करती है और इस प्रकार का निर्णय लेते समय वह देश की व्यापारिक व वाणिज्यिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखती है। यह स्मरण रहे कि सरकार उक्त अधिकतम सीमा इतनी अवश्य रखती है कि देश की साधारण चलन की आवश्यकता ए किना किसी कठिनाई के पूरी हो सके। यह सीमा औसत आवश्यकता से अधिक ही बाधी जाती है और आवश्यकता पढ़ने पर इस अधिकतम सीमा में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, फ्रास में जब कभी पत्र मुद्रा वी मात्रा अधिकतम सीमा के पास पहुँचती थी, तब सरकार मुद्रा प्रणाली में लोच रखने के हेतु

नोट निकासी की अधिकतम सीमा को भी आगे को बढ़ा दिया करती थी।

— एल-दोप:—इस पद्धति में कई गुण हैं:— (i) स्वर्ण को निधि में बदल रखने की आवश्यकता नहीं रहती है:— इस रीति का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें सोने-चांदी को अनावश्यक रूप में धातु-निधि में बांध कर डालने की आवश्यकता नहीं रहती है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मुद्रा-अधिकारी धातु-निधि के स्वप्न ये सोना या चांदी बिल्कुल भी नहीं रखता है। मुद्रा-अधिकारी नोटों की परिवर्तनशीलता को बनाये रखने के लिए इस पद्धति में भी प्रायः कुछ बहुमूल्य-धातु दोप में रखता है, परन्तु निधि की मात्रा का निर्णय ऐन्ड्रीय बैंक या मुद्रा अधिकारी की स्वेच्छा पर ढोड़ दिया जाता है। इसीलिए यह पद्धति बहुत सरल व सस्ती है। (ii) मुद्रा-प्रणाली में लोन रहती है— भू कि सरकार देश की ध्यापारिक व वाणिज्यिक आवश्यकताओं वो ध्यान में रखकर ही अधिकतम नोट निकासी की सीमा निर्धारित रखती है, इसीलिए इस पद्धति में आवश्यक भूमि भी पाया जाता है। इस प्रणाली में चलनाधिक्य (Over Issue) का भी भय नहीं रहता है। (iii) सरकार की अर्थात् वर्ग-रहती है:—इस पद्धति में सरकार की ल्यानि (Goodwill) कम नहीं होनी चाहोकि जनता वा यह विश्वास रहता है कि मुद्रा-अधिकारी निर्धारित सीमा में अधिक मात्रा में नोटों की निकासी नहीं कर सकती है। परन्तु इस प्रणाली में कई दोप भी हैं—(i) पद्धति अधिकार में या तो अधिक स्थूल (Rigid) या बहुत अधिक सचकीली हो जाती है:— यदि सरकार नोट निकासी की अधिकतम सीमा में परिवर्तन नहीं रखती है, तब यह पद्धति देश के बढ़ते हुए ध्यापार की माग को सन्तुष्ट नहीं करने पाती है वयोकि नोटों वा चलन अवश्यकतानुसार बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस हॉप्टि से यह स्थूल या कम लचीली पद्धति बन सकती है। इसके विपरीत यदि सरकार इस पद्धति का दुष्परिणाम प्रकट होने लगें और इस हॉप्टि से यह प्रणाली अत्यधिक लोचदार हो जाती है। अतः अधिक स्थूल या अधिक लचीली मुद्रा-प्रणाली बहुत दोप-पूर्ण होती है। (ii) यह एक रुदिकावी प्रणाली है:—यह प्रणाली नोट-निर्गम के बैंकिंग सिद्धान्त (Banking Principle) की अपेक्षा नोट निर्गम के करेन्सी मिडान्ट (Currency Principle) पर अधिक निर्भर रहती है जिसके कारण यह एक रुदिकावी प्रणाली मानी जाती है।

(3) अनुपातिक निधि पद्धति (Proportional Reserve System):—इस रीति को सबसे पहले अमेरिका, फ्रांस (सन् १८२८ में अधिकतम अरक्षित पद्धति को त्याग पर तथा जर्मनी में अपनाया गया था। सन् १८२७ के हिल्टन-यंग अभीशन की सिफारियों के आधार पर इसे भारत ने भी प्रहृण किया था और रिजर्व फंड के एकट में इस पद्धति को स्थान दिया गया था। (परन्तु सन् १८५६ से भारत में धारुपात्रिक स्वरूप-कोप प्रणाली के स्थान पर अनुपातिकोप प्रणाली (Minimum Gold

Reserve System) को प्रयोग करा गया है। यह पद्धति इगलैंड में भी प्रचलित है। प्रथम महायुद्ध के बाद ही यह पद्धति अधिक लोक प्रिय हुई है। इस पद्धति में वैकिंग सिद्धान्त (Banking Principle) का शब्दलम्बन लिया गया है। इस पद्धति में नोटों की कुल मात्रा तथा धातु निधि का अनुपात निर्धारित कर दिया जाता है। प्रथांत् कुल नोटों का विताना न्यूनतम प्रतिशत मात्र धातु मा धात्तिक द्रव्य के स्पष्ट म रखा जायगा, यह निश्चित रूप दिया जाता है और दोष घरेक्षित नोटों (Fiduciary Issue) की आड मे सरकारी प्रतिमूलिया (Securities) या व्यवसायिक बिल्स (Commercial Bills) या अन्य प्रकार के स्वीकृत विनियोगों (Gilt edged Securities and Investments) या प्रमाण पत्रों को रखा जाता है। अत इस प्रणाली में कुल जारी किये गये नोटों का एक निश्चित प्रतिशत ही धातु निधि के स्पष्ट में रखा जाता है, जैसे—३०% द्वा६०% या इससे कम या अधिक और इस प्रतिशत को रखने के बाद केंद्रीय बैंक को दश की व्यापारिक मात्रा के अनुसार नोट नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है। यह प्रतिशत सरकार की अनुमति से कम या अधिक दी जा सकती है। बाद मे चलकर कुछ दशों ने ऐसा भी प्रबन्ध कर लिया था कि अगर निश्चित की गई प्रतिशत मे केंद्रीय बैंक के पास धातु दोष नहीं है तब भी वह नोट नियंत्रण कर सकता है परन्तु उसे धातु को पर भारी जुमाना दना पड़ता है।

**गुण दोष**—इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण इसकी सोचकता (Elasticity) है। इहके अतिवित्त इसमे बलनाधिक्य पर रोक-याम लिनेवित्ता तथा परिवर्तनशीलता के गुण भी शामि जाते हैं। इस पद्धति में लच्छीनेपन वे गुण का अनुभाव इस बात से उत्पन्न जाता है कि बैंक के पास एक धातु का सिक्का होने पर वह बागजी द्रव्य को २५% या ३ गुना बढ़ा सकता है। इसी प्रकार एक धातु का सिक्का कम हो जाने पर बैंक को २५% या ३ गुनी पत्र गुदा कम करनी पड़ती है। यही नहीं आवश्यकता पड़ते पर स्वयं निधि का प्रतिशत पटाकर पत्र गुदा का आवश्यक विस्तार लिया जा सकता है या निश्चित की गई प्रतिशत से कम धातु दोष होने पर भी केंद्रीय बैंक कुछ जुमाना दफ्तर नोट जारी कर सकता है। इस प्रकार नी प्रथा मे मुद्रा प्रणाली म बहुत ही ज्यादा सोच हो जाता है। बैंक या मुद्रा अधिकारी नोटों की परिवर्तनशीलता भी बहुत आसानी मे बनाये रखना है क्योंकि एक तरफ उसके पास निधि म सोना चाही होता है और दूसरी तरफ तमाम नोट भी एकदम परिवर्तन के लिय प्रस्तुत नहीं दिये जाते हैं। परन्तु इस पद्धति मे श्रनेक दोष भी है—(1) सोना चाही बकार मे बद्ध पड़ा रहता है—बीक्स (Keynes) के मतानुसार इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि नोट नियंत्रण करने वाले अधिकारी के पास एक कानूनी बड़ी रखम का सोना चाही धातु दोष के स्पष्ट में बैंकर म बधा पड़ा रहता है। (2) मुद्रा का प्रभार करना तो सरल होता है, परन्तु इस के सम्बन्ध मे कठिनाई अनुभव होती है—इस प्रणाली मे धातु के एक सिक्के के कम ही जाने पर २५% या ३ गुने नोटों मे कमी तुरन्त होनी चाहिये परन्तु अनुभव से पता चलता है कि नोटों के बलन मे कमी तुरन्त नहीं होन पानी है और य नोट कुछ समय तक

प्रचलन में रहते हैं वयोकि वैकं इन नोटों का प्रचलन तब ही बन्द कर सकता है जबकि ये इसके पास वापिस आ जायें। परिणामतः रक्षित कोष की अनुपातिक दर का हर समय पालन नहीं होने पाता है।

(४) वह अनुपातिक पद्धति जिसमें ग्यूनतम रूबर्ड-निधि रहती है (Proportional System with a Maximum Gold Reserve):—यह रीति उक्त तीसरी अनुपातिक निधि पद्धति का ही एक संशोधित रूप है। इस पद्धति में भी नोटों की कुल मात्रा वा एक निश्चित अनुपात स्थर्ण व चादी निधि के रूप में रखता जाता है। परन्तु इन रीति में यह विशेषता है कि इस धातु-निधि का एक निश्चित व ग्यूनतम भाग तो धातु के रूप में रखता जाता है और शेष किसी दूसरे देश के साल्व-पत्रों (Foreign Securities) यथवा विदेशी बैंकों की हुणियों एवं विनियम विलास के रूप में रखता जाता है। इस निधि में सोने-चादी की जो मात्रा देश में रखती जाती है, उसकी मात्रा निश्चित होती है और इसमें किसी भी समय कमी नहीं आने पाती है। उदाहरणार्थ, भारत में सन् १९५६ से पहले रिजर्व बैंक के नोट प्रकाशन विभाग में नोटों की कुल मात्रा का कम से कम ४०% भाग धातु-निधि (इसमें सोने के सिक्के, सोनों तथा स्टॉलिंग साल्व-पत्र रहते थे) और ६०% अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रहता था। सोने की मात्रा किसी भी समय ४० करोड़ रुपये (२१ ह० ३ आने १० पाई प्रति तोले के हिसाब से) से कम नहीं होने दी जाती थी।

गुण-दोष.—इस पद्धति में कई गुण हैं:— (i) सोने की वचतः—इस रीति का बहुत बड़ा साम यह है कि इसमें सोने की वचत होती है। (ii) अनुपातिक निधि पद्धति के सब लाभ प्राप्त होते हैं:—इसमें सोने की वचत होती है, मितव्यधिता है तथा परिवर्तनशीलता का भी गुण है। परन्तु इसमें वे सब दोष भी हैं जो अनुपातिक निधि पद्धति में पाये जाते हैं।

(५) साधारण जमा पद्धति (Simple Deposit System):—यह वह पद्धति है जिसमें नोट-निर्गम अधिकारी को नोटों की कीमत के बराबर सोना-चादी एवं कोष में जमा रखना पड़ता है। इस तरह इस पद्धति में नोट प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा (Representative Paper Currency) के रूप में प्रचलित रहते हैं वयोकि इनकी आड़ में १००% धातु-निधि रहती है। गुण-दोष:—इस पद्धति में जनता वा अत्यधिक विदेशी होता है क्योंकि इसमें नोट पूर्णतया परिवर्तनीय होते हैं। इसमें मुद्रा-प्रसार वा भी भय नहीं रहता है क्योंकि नोटों के निर्गम के लिए सत-प्रतिशत धातु-कोष रखना पड़ता है। परन्तु इस पद्धति का यह दोष है कि इसमें धातु की वचत नहीं होती है जिससे इसमें अमितव्यधिता है और न इसमें सोने की वचत नहीं होती है वयोकि मुद्रा प्रसार के लिये सोने-चादी की बहुत योड़ी मात्रा में कोषों परीक्षा वालदयकता पड़ती है। इन सब दोषों के कारण ही यह पद्धति मान्य नहीं रही है।

(६) सरकारी बोड्स जमा पद्धति (The Bonds Deposit System):—भारत सरकार ने इस पद्धति को कुछ घंटों में १९०२ में घपनाया था, परन्तु १९०५ में विदेशी

विनिमय सकटकास में इसे छोड़ना पड़ा। इसी तरह अमेरिका ने भी सद १९१३ के पहले इस रीति को अपनाया था। परन्तु इस प्रणाली की अत्यधिक अस्थिरता तथा लोचंडीनता के कारण इसे त्याग दिया। यह वह पढ़ति है जिसमें केन्द्रीय बैंक नोटों के निर्गम के लिये धातु-कोप नहीं रखता है वरन् वह नोटों की निकासी सरकार साथ-साथ (Bonds) तथा ट्रेजरी विल्स (कोपागार-विपत्र) के आधार पर करता है। सरकार इन विल्स को बैंक को दे देती है जो उन्हें प्रतिशुति मान कर उनके मुख्य के बराबर नोट जारी कर देता है। यूं तो सरकार की इन विल्स पर व्याज मिलता है, परन्तु इन विल्स के जारी करने का मुख्य उद्देश्य व्याज कमाना नहीं बरन् पत्र-मुद्रा की सुधारकस्ता परन्तु है। गुण दोष — इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें चलनाधिकरण (Over Issue) का भय कम रहता है क्योंकि बैंक सरकारी बोड़स या ट्रेजरी विल्स को लारीदे विना नोटों का निर्गम नहीं कर सकता है। परन्तु इस पढ़ति का मुख्य दोष यह है कि इसमें लोचंडी बहुत कमी रहती है।

(७) म्यूनतम निधि प्रणाली (Minimum Deposit Method) — भारत में इस समय न्यूनतम निधि प्रणाली का ही प्रचलन है। इस प्रणाली में धात्विक निधि की एक निश्चित व न्यूनतम मात्रा निर्धारित कर दी जाती है और केन्द्रीय बैंक को यह सूट होती है कि वह इस न्यूनतम निधि को रखकर, चाहे जितनी मात्रा में नोटों का निर्गम कर सकता है। सद १९५६ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एकट में सशोधन करके भारत सरकार ने इस पढ़ति को प्रमुखातिक नोट-निर्गम प्रणाली के स्थान पर ग्रहण किया।

गुण दोष — इस प्रणाली के गुण इस प्रकार है — (१) लोचंडता — इस प्रणाली में शाय य सब प्रणालियों की तुलना में सबसे अधिक लोचंड है क्योंकि रिजर्व बैंक केवल कम से कम २०० करोड़ रुपये का स्वरूप, स्वल्प के सिव्वों (ये दोनों कम से कम ११५ करोड़ रुपये वे हान चाहिये) तथा विदेशी प्रतिशुतियों के आधार पर मनजाही मात्रा म नोटों का निर्गम कर सकता है, (२) सोने को बचत — इस प्रणाली में भी सोने की बहुत बचत होती है। (३) मित्रव्यविधि — यह प्रणाली बहुत मित्रव्ययों भी है क्योंकि इसमें वितने ही प्रकार के कोप न रहकर केवल एक बोप रहता है तथा इसमें भी बहुत कम मात्रा में स्वरूप रखका जाता है। इस प्रणाली में कई दोष भी है — (१) मुद्रा प्रसार की सम्भावना — इस प्रणाली में अन्य प्रणालियों की तुलना म मुद्रा प्रसार का सबसे अधिक भय रहता है। वास्तव म भारत में धाटे की वित्त-व्यवस्था का कुशल सचातन इसी प्रणाली से सम्भव भी हुआ है। (२) अटिलता — मुद्रा-प्रणाली बहुत अधिक कृतिम व प्रबन्धित होती है जिससे यह जनन्याधारण के आसानी से समझ में भी नहीं आती है।

पत्र मुद्रा चलन (या निकासी) की कौन सी रीति सबसे अच्छी है? (Which is the best system of 'Note-issue') — नोट-निर्गम की उत्तीर्णी छात्र-रीतियों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक में यदि कुछ गुण हैं, तब उसमें कुछ दोष भी हैं। इसीलिये यह एक स्वाभाविक प्रश्न है कि पत्र-मुद्रा-चलन की कौन सी रीति सब से अच्छी है? एक अच्छी पत्र मुद्रा चलन पढ़ति वही है जिसमें ये गुण पाये जाते हैं—

(i) लोचकता, (ii) मितव्ययिता, (iii) परिवर्तनशीलता तथा (iv) चलनाधिक्य (Over Issue) पर रोक। विसी भी देश की पत्र-मुद्रा में लोचकता (Elasticity) इसलिए आवश्यक है कि देश की व्यापारिक व बाणिज्यिक आवश्यकताओं के अनुसार इसमें घट-बढ़ हो सके। नोटों की निकासी इस प्रकार होनी चाहिए कि इससे मूल्यवान धातुओं के उपयोग में बचत हो और इनका अन्य कोई दूसरा लाभप्रद उपयोग हो सके। अतः पत्र-मुद्रा-चलन की वही रीत अच्छी है जिसमें कम से कम मात्रा में सोने-चांदी की आवश्यकता पड़ती है अर्थात् इसमें मितव्ययिता (Economy) का गुण होना चाहिये। परन्तु मितव्ययिता का यह अर्थ नहीं है कि पत्र-मुद्रा परिवर्तनीय नहीं हो वरन् नोटों की निकासी की रीत ऐसी होनी चाहिये कि उसमें नोटों में परिवर्तनीयता का भी गुण हो क्योंकि यदि नोटों के बदले में मांगने पर सोना-चांदी नहीं दिया जाता तो जनता का मुद्रा-प्रणाली में से विश्वास हट जाता है। इसलिये मुद्रा अधिकारी वो नोटों में परिवर्तनीयता का गुण रखने के लिये कुछ न कुछ सोना या चांदी अपनी निधि में रखता चाहिए। यह आवश्यक है कि इस प्रकार की निधि पर सरकारी निरीक्षण व नियन्त्रण होना चाहिए। अन्त में, एवं अच्छी पत्र-मुद्रा-चलन-रीति वही है जिसमें नोटों के चलनाधिक्य (Over Issue) पर रोक-धाम रहती है। इस हृष्टि से भी नोटों की आड में कुछ न कुछ धातु-निधि रखनी भी आवश्यक है।

अब हमें यह देखना है कि एक अच्छे पत्र-मुद्रा चलन के उत्तरालिखित गुण वि प्रकार किस मुद्रा-व्यवस्था में प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त सब गुणों को प्राप्त करने के लिए पत्र-मुद्रा नियम का कार्य केन्द्रीय बैंकों को सौप देना चाहिये और उसे यह पूर्ण अधिकार दें देना चाहिये कि वह नोटों की मात्रा तथा धातु निधि का प्रबन्ध स्वतन्त्रता-पूर्वक कर सकता है। यह आवश्य है कि सरकारी हस्तक्षेप भी दो प्रकार से होना चाहिये, एक और तो सरकार को न्यूनतम स्वरूप-निधि की मात्रा निर्दिचत कर देनी चाहिये और दूसरी ओर सरकार वो नोटों की मात्रा की अधिकतम सीमा तय कर देनी चाहिये। अतः मुद्रा-प्रणाली की सुरक्षा व परिवर्तनशीलता वो हृष्टि से न्यूनतम धार्तिवक्त-कोष तथा पत्र-मुद्रा की अधिकतम सीमा सम्बन्धी यदि कोई नियम बना भी दिया जाय, तब इस नियम में भी मुद्रा-वाजार, सोने चांदी की उपलब्धता, देश की व्यापारिक व वैज्ञानिक स्थिति आदि के अनुसार समय-समय पर संशोधन एवं परिवर्तन की भी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, तब इसके कार्यों पर सरकार का कड़ा नियमन होना चाहिये। नोट नियम प्रणाली ऐसी होनी चाहिये कि इसमें न तो सुरक्षा का नियम,

यह स्मरण रहे कि कोई भी नोट नियम भी प्रथा किसी देश के लिए हमेशा वे सिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। विसी समय पर देश में कौनसी प्रथा अपनाया जाय, यह देश में उस समय मोने वी पूर्ति, मुद्रा-वाजार की दशा, व्यापारिक आवश्यकतायें तथा जनता का स्वभाव आदि पर निर्भर रहता है। मदि नोट नियम का कार्य केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, तब इसके कार्यों पर सरकार का कड़ा नियमन होना चाहिये। नोट नियम प्रणाली ऐसी होनी चाहिये कि इसमें न तो सुरक्षा का नियम,

वेंविंग नियम के लिए वलिदान विधा गया है और न वेंविंग नियम का सुरक्षा के नियम के लिए वलिदान विधा गया है प्रथाद मुद्रा प्रणाली में बरेसी के दोनों हिफाजों का समुचित व्यापार खोला गया है।

### पश्च-मुद्रा का सचालन कौन करे ?

(Who should Issue the Paper Currency ?)

प्राक्षङ्ख्यन —यह एक सदा हो विकाद-प्रस्त व्रश्न रहा है कि देश में पश्च-मुद्रा का नियंत्रण एक वैक करे या सरकार वैक करे हस्ती तरह यह भी एक भरत्वपूर्ण व्रश्न रहा है कि देश में पश्च-मुद्रा का नियंत्रण एक वैक करे या अन्तर्वैक करे। अर्थशास्त्रियों में एक वर्ग यह है जो नोटों की निकासी व सचालन का कार्य सरकार द्वारा किये जाने के पक्ष में है और दूसरा वर्ग वह है जो नोटों की निकासी व सचालन का कार्य वैक या वैकों के द्वारा किये जाने के पक्ष में है।

### सरकार द्वारा नोट निर्गमन का कार्य

सरकार द्वारा नोट नियंत्रण का कार्य करने के पक्ष में इलोग्ने (Arguments in favour of Government Issuing the Notes) —सरकार द्वारा नोटों की निकासी के पक्ष में अनेक तरफ विद्ये जाते हैं जिनमें से मुख्य-मुख्य हम प्रकार हैं—

- (i) जनता का विश्वास —सरकार की साथ अधिक होती है, इसलिए सरकार द्वारा प्रकाशित नोट वैकों द्वारा प्रकाशित नोटों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। जब तक जनता का राज्य में विश्वास है, तब उक्त सरकारी नोटों में अविश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। (ii) परिवर्तनशीलता —सरकार के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह नोटों की आड में कोई भालू-बोय (Metallic Reserve) रखें यद्योऽपि राष्ट्र की सारी सम्पत्ति और राष्ट्र की सारी प्रतिष्ठा नोटों की परिवर्तनीयता का कार्य करती है। परन्तु वैरों के नोटों में इतनी अधिक सुरक्षा और परिवर्तनीयता मर्दी पाई जाती है। (iii) मुद्रा-प्रणाली के प्रदान की सुविधा —वैकों की व्यापेजा सरकार के पास मुद्रा-प्रणाली के प्रदान की सुविधायें रहती हैं क्योंकि उसके पास विद्युपत्र होते हैं और वह इनके द्वारा समय-समय पर समाज की मोट्रिक अविश्वकरताओं का पता समाप्ती रहती है। इसके अतिरिक्त सरकार के हाथ में नियम बनाने का अधिकार भी होता है। परिणामतः सरकार दश की मुद्रा की मात्रा सदा साथ व्यवस्था पर उचित नियन्त्रण रखने में सफल रहती है और वह इसमें आवश्यकता पड़ने पर, अन्य सहपात्रों की अपेक्षा घटत जटिल ही पटत-बढ़त भी कर सकती है। (iv) साम वा उपयोग समाज के लिए होता है —नोट नियंत्रण के कार्य से काफी साम हुआ बरता है और यह साम अनता का इन नोटों में विश्वास के बारण ही उत्पन्न हुआ बरता है। ग्रत. नोट-नियंत्रण के लाभों का उपयोग भी जनता या समाज हित में ही होना चाहिये। जब नोटों की निकासी हिम्मेदारी के रैकों द्वारा की जाती है, तब तो यह साम व्यतिगत हिस्से-नारी को प्राप्त हो जाता है। परन्तु उक्त नोट नियंत्रण का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है, तभी इस कार्य का जाम होता है वह गरकारी स्वतान्त्र में व्यापा हो जाता है।

और इसका उपयोग देश-हित एवं समाज हित में किया जाता है। (v) सरकार का बैंक के नोट निर्गम के बार्थों में सदा से ही बहुत नियन्त्रण रहा है:—उन देशों में जहाँ नोटों की निकासी बैंकों द्वारा की जाती है, इस सम्बन्ध में बनाये गए नियमों पर सरकार का पूरा-पूरा नियन्त्रण रहता है और सामान्यतया सरकारी आज्ञा ही आखिरी आज्ञा रहती है। अतः जिस कार्य के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होता है, तब वास्तव में यह कार्य पूर्णरूप से ही सरकार द्वारा कियो न किया जाय? इसके अतिरिक्त मुद्रा की व्यवस्था वा कार्य बहुत प्राचीन काल से ही राज्य द्वारा किये जाने में सामने है। (vi) अनुचित नोट-निर्गम नीति के प्रभाव बहुत घातक एवं गम्भीर होते हैं—इसलिए एक अनुचित व अव्यवस्थित नोट-निर्गम वी नीति से देश को बहुत हानि हो सकती है। तब इस कार्य को किसी सत्या पर छोड़ देना बहुत हानिकारक हो सकता है क्योंकि यह सत्या राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपने निजी स्वार्थ में कार्य कर सकती है।

### बैंक द्वारा नोट-निर्गम का कार्य

बैंक द्वारा नोट-निर्गम का कार्य करने के पक्ष में ज्ञातीये (Arguments in favour of a Bank or Banks Issuing Notes)—उक्त के विपरीत वे व्यक्ति हैं जो नोट निर्गम वा कार्य बैंकों द्वारा किये जाने के पक्ष में हैं। अपने मत के समर्थन में उन्होंने जो दख्तीये दी है, वे इस प्रकार हैं:—(i) चलन में स्लोच:—बैंक द्वारा नोट-प्रकाशन की प्रणाली में आदृशक स्लोच (Elasticity) रहती है क्योंकि वह देश की व्यापारिक व वाणिज्यिक आवश्यकताओं के अनुसार नोटों की मात्रा में घट-चढ़ करता रहता है। बैंक ये कार्य सरकार की अपेक्षा अधिक सुगमता से इस कारण करने पाते हैं क्योंकि उनका देश के व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग से सदा अनिष्ट सम्बन्ध रहता है और वे देश की मौद्रिक आवश्यकताओं का अनुमान तुरन्त व मुगमता से लगा लेते हैं। इसके विपरीत सरकार का उत्त से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता है जिससे सरकार द्वारा चलाई गई मुद्रा-प्रणाली में स्लोच का अभाव रहता है क्योंकि वह देश की व्यवसायिक आवश्यकता के आधार पर निश्चित नहीं होती है। (ii) बैंकों द्वारा नोट-निर्गम का कार्य बहुत ही अच्छी प्रकार से किया जाता है:—बैंक सरकार की तुलना में नोट निर्गम का कार्य बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से कर सकता है। इसका कारण स्पष्ट है—सरकारी वाम में डिलाई रहती है, प्रत्येक निर्णय बहुत ही विलम्ब से लिया जाता है जिससे कोई कार्य ठीक समय पर हो जाय, यह बहुधा असम्भव ही रहता है। परिणामतः विशी समय पर मुद्रा की बहुत आवश्यकता होते हुए भी, यदि नोट निर्गम का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है तब उसकी पूर्ति प्राप्त असम्भव होने पाती है। (iii) मौद्रिक-नीति स्वस्थ आर्थिक विचारों पर आधारित रहती है:— जब कभी बैंक द्वारा नोट निर्गम का कार्य किया जाता है, तब देश की मौद्रिक नीति प्राप्त देश हित में हुआ करती है। परन्तु सरकार द्वारा नोट निर्गम में यह दोपहरे कि देश की मौद्रिक नीति आर्थिक विचारों पर आधारित नहीं होकर यह राजनीतिक तथा

वित्तीय आवश्यकताओं पर आधारित हो जाती है। प्रजातन्त्र वे विशेषवर प्रत्येक राजनीतिक दल जनता से प्रशसा प्राप्त करने का प्रयत्न किया करता है। इसलिये यह सम्भव है कि सरकार नये-नये करों को न सगाकर अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा प्रसार से पूरी कर सकती है और यह नीति देश के लिये बड़ी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अत सरकार द्वारा नोट निर्गम की रीति में यह दोष सम्भव है कि देश की मौद्रिक नीति आर्थिक आवश्यकताओं के स्थान पर राजनीतिक प्रभावों एवं वित्तीय आवश्यकताओं पर आधारित हो सकती है। (१७) बैंक बैंकिंग के नियमों का पालन करता है —सरकार की अपेक्षा बैंक नोट निर्गम सम्बन्धी बैंकिंग के नियमों का अधिक अच्छी प्रकार से पालन करता है जिससे बैंक द्वारा नोट निर्गम में चलनाभिकर (Over Issue) का भय कम रहता है। परन्तु जब नोट प्रकाशन का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है, तब यह बैंकिंग के नियमों का उल्लंघन करके अपने बजट की हानि नोट छाप कर पूरा करने का प्रयत्न किया करती है जिससे समाज को मुद्रा-स्फीति से प्राप्त होने वाली हानि का सदा भय रहता है। (१) बैंक द्वारा नोट निर्गम की रीति में भी जो लाभ होता है, इसका अधिकांश भाग सार्वजनिक हित में व्यय होता है —बैंक बैंक नोट निर्गम का कार्य करता है और इस कार्य में उसे जो कुछ लाभ होता है, वह इसका थोड़ा बहुत भाग ही अपने हिस्सेदारों में बाटता है और शेष भाग सरकारी खजाने में जमा होता है जिसका सार्वजनिक हित में उपयोग होता है। अत बैंक द्वारा नोट निर्गम की रीति में भी लाभ, सरकार द्वारा नोट निर्गम की रीति की तरह, सार्वजनिक कार्यों में व्यय होता है।

उक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि बैंक द्वारा नोट निर्गम की रीति के पक्ष में जो तक है, वे सरकार द्वारा नोट निर्गम की रीति के विषय में तक हैं और इसी तरह सरकार द्वारा नोट प्रकाशन के पक्ष में जो तक हैं वे बैंक द्वारा नोट निर्गम के विषय तक हैं। सरकार द्वारा नोट निर्गम के जो दोष हैं उनसे यह स्पष्ट है कि नोट-निवास का कार्य बैंकों द्वारा ही किया जाना चाहिय ताकि (अ) पत्र मुद्रा चलन में लोन (Elasticity) रह अथवा मुद्रा प्रसार व मुद्रा सकुचन इसकी मांग के अनुसार ही हो सके तथा (आ) दश में साल पर उचित नियन्त्रण रह सके (साल नियन्त्रण का कार्य सरकार द्वारा छोड़-ठोक नहीं किया जा सकता है)। सरकार की अपेक्षा बैंक उक्त कार्य इसलिए अच्छी प्रकार से कर सकता है यदोंकि उसका दश के व्यापारियों एवं उद्योग पतियों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है और वह देश की मौद्रिक आवश्यकताओं का बहुआसानी से अनुमान लगा सकता है। यदि यरवार केवल बाहून द्वारा बैंकों का कुछ सोना चाँदी धातु-निधि के हप में जमा रखने के लिए बाध्य कर द, तब तो बैंकों द्वारा नोट निर्गम की रीति में भी सुरक्षा (Security) रहती है तथा इसमें परिवर्तनशीलता (Convertibility) का भी गुण रहता है। अत बैंक द्वारा नोट निर्गम की रीति में मौद्रिक प्रणाली में सुरक्षितता, सोचकता, चलनाधिकृत पर रोक, परिवर्तनशीलता तथा लकड़पक्ष्म का गुण पर्याय जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें मितव्यधिता का भी गुण

रहता है और यदि सरकार नोट-निर्गम सम्बन्धी उचित नियम बना दे तथा वैकों के नोटों को परिष्टप्तनशीलता की सरकार वी ओर से गारन्टी कर दी जाय, तब तो वैकों द्वारा जारी किये गये नोटों की प्रतिलिपा सरकारी नोटों की प्रतिलिपा से किसी भी तरह से कम नहीं हो सकती है जिससे मुद्रा-प्रणाली में किसी भी प्रकार वा जनता वा अधिकारी नहीं रह सकता है। अतः वैक द्वारा नोट निर्गम वी व्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त रहती है। यही कारण है कि आजकल समस्त देशों में नोट प्रकाशन का कार्य केंद्रीय वैक द्वारा किया जाता है और केंद्रीय वैक देश के अन्य वैकों व सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।

## एकाकी नोट-निर्गम प्रणाली अथवा अनेक नोट-निर्गम प्रणाली (Single Note Issue System Versus Multiple Note-Issue System)

एक अथवा अनेक वैकों द्वारा नोट-निर्गम का कार्य—उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि नोट-निर्गम का कार्य सरकार द्वारा नहीं वरन् वैक द्वारा किया जाता चाहिए। परन्तु इस निर्णय के बाद यह एक स्वाभाविक प्रश्न है कि नोट निर्गम का कार्य क्या किसी एक वैक द्वारा किया जाना चाहिये या यह कार्य अनेक वैकों द्वारा किया जाना चाहिये? दूसरे शब्दों में, देश में नोट-निर्गम वी क्या एकाकी-नोट-निर्गम प्रणाली (Single Note Issue System) होनी चाहिए या यह अनेक-नोट-निर्गम प्रणाली (Multiple Note Issue System) होनी चाहिये? कुछ समय पहले नोट-निर्गम वा कार्य एक ही देश में अनेकों वैकों द्वारा किया जाता था, जैसे—भारत में नोटों की निकासी का कार्य प्रेजीडेंसी वैकों द्वारा किया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दोष थे:—(i) समानता वा अभाव :—विभिन्न वैकों द्वारा संचालित मुद्राएं भिन्न-भिन्न प्रकार वी थीं जिससे इसमें समानता वा अभाव था और इस कारण खरी ब सोटी मुद्रा भी पहचानी नहीं जाती थी। (ii) वैकों में प्रतिस्पर्धा :—किस वैक की मुद्रा अपेक्षाकृत अधिक मार्गी जाती है, इस सम्बन्ध में भी वैकों में अपेक्षा में प्रतिस्पर्धा रहती थी और इस प्रकार की स्थिरा जनहृत की इटि से हानिकारक रहती थी। (iii) मुद्रा-चलन-निधि में मितव्ययिता नहीं है :—प्रत्येक वैक अपने पास अपने नोटों की मात्रा के अनुसार कुछ न कुछ पत्र-मुद्रा-चलन निधि रखता है जिससे नोट-निर्गम वी इस रीत में निधि के रखने में मितव्ययिता नहीं होती है। (iv) नोट-निर्गम नीति में भिन्नता रहती है :—जूँ बि नोटों की निकासी विभिन्न वैकों द्वारा वी जाती है, इसलिये मुद्रा-सचालन की नीति में बहुत भिन्नता पाई जाती है। इन दोषों के कारण ही आजकल नोट-निकासी वी प्रवृत्ति एकाथी पढ़ति वी ओर है और अधिकांश देशों में नोट-निर्गम का कार्य वहीं के केन्द्रीय वैक को सौंप दिया जाता है। नोट-निर्गम वी एकाकी प्रणाली (Single Note Issue System) में बहुत साम है :—(i) धातु-निधि में मितव्ययिता :—इस पढ़ति में धातु-निधि वैकल एक वैक में ही केन्द्रित रहनी है जिससे इसमें मितव्ययिता (Economy) रहनी है तथा सकृद के समय में झलका

अधिक सप्रभावी व सामग्री उपयोग हो सकता है। (ii) मुद्रा प्रणाली वा नियन्त्रण व नियमन हुमें हो जाता है—जूँ कि पत्र-मुद्रा-चलन की नीति बैबल एक केन्द्रीय बैंक द्वारा ही नियन्त्रित व नियमित रहती है, इसलिये इस प्रकार के चलन में जनता का विश्वास रहता है। इसके अतिरिक्त बैंक वा मुद्रा-नीति पर नियन्त्रण भी अधिक सप्रभाविक तथा व्यापक होता है और बैंकों में नोट-नियंत्रण के सम्बन्ध में आपस में प्रतियोगिता भी नहीं होती है जिससे नोट-प्रकाशन सुरक्षा को सीमा का लाघने नहीं पाता है। (iii) पत्र मुद्रा में एक हपता—जूँ कि नोटों का सचालन एक केन्द्रीय संस्था द्वारा किया जाता है, इसलिये मुद्रा प्रणाली में एक हपता रहती है अर्थात् नोट भी बनावट, साइज व मूल्य समान रहते हैं तथा इनमें लोच व गति (Velocity) भी समान होती है। इसके अतिवित खरी व खोटी मुद्रा भी आसानी से पहचान ली जाती है।

उक्तलिखित अनेक नोट प्रकाशन प्रणाली के दोषों और एकाकी नोट-प्रकाशन प्रणाली के लाभों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि तुलना में एकाकी नोट-प्रकाशन प्रणाली (Single Note Issue System) ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। यदि यह बात भी ली जाय कि नोट प्रकाशन का एकाधिकार एक ही बैंक के पास रहना चाहिये, तब यह एक स्वाभाविक प्रदर्श है कि यह एकाधिकार कीन से बैंक के पास होना चाहिए? यह स्पष्ट है कि देश के अन्य अनेक बैंकों की तुलना में नोट-निकासी वा कार्य वहाँ का केन्द्रीय बैंक ही अधिक अच्छी प्रकार से कर सकता है। इसीलिए भारत, इंग्लैंड, फ्रांस तथा जर्मनी आदि देशों में नोट-प्रकाशन का एकाधिकार वहाँ के केन्द्रीय बैंकों को सौंप दिया गया है।

### परीक्षा-प्रश्न

#### Agra University, B. A & B Sc

- What principles should govern the note issue in a country? In this connection examine the provisions of the Reserve Bank of India Act (1934). 2 Expl in the different methods of note issue Which of these do you prefer? Give reasons for your answer (1955 O.S.)
- Explain briefly the principles on which note issue should be regulated in a country (1955).
- Write a note on Currency Principle VS Banking Principle of Note Issue (1954)

#### Agra University, B. Com

- पत्र मुद्रा के सचालन को नियन्त्रित करने के विभिन्न उपायों (Methods) का आनोचनात्मक परिचय दीजिय। उनमें से हमारे देश न किसका अपना है और क्यों? (1954 S)
- नोट लिखिये—वहमुखी पत्र-मुद्रा सचालन प्रणाली (Multiple Note Issue System) (1954)
- Explain the principal methods of note issue and discuss their relative merits and demerits (1958 S)
- Explain the difference between Currency Principle and Banking Principle of Note Issue (1957 S, 1956 S)
- Explain the Various systems of 'note-issue' Which of these systems has been adopted in India? (1957, 1954)
- Explain the difference between fixed fiduciary and proportional

reserve system of note-issue. (1955) 7. Write a note on-Elasticity of Currency. (1955)

**Rajputana University, B. Com**

1. Write a note on—Methods of Note Issue. (1958)

**Sagar University, B. A.**

1. किसी देश में नोट निर्गम पर नियन्त्रण रखने वाले सिद्धांतों का विवरण दीजिये। भारत की नोट निर्गम पद्धति का आलोचनात्मक विवरण दीजिये। (१९५६)

**Sagar University, B. Com.**

1. सरकार द्वारा नोट-निर्गम और वेच द्वारा नोट निर्गम के सापेक्षिक लाभों को बताइये। (१९५६) 2. टिप्पणी लिखिदे—निरचित असुरक्षित नोट निर्गम प्रणाली (१९५६) 3. नोटों के प्रकाशन को नियन्त्रित करने वालों विभाग पद्धतियों का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। आपकी सम्भावित में उनमें से बैन सी पद्धति सबसे अधिक संतोषजनक है? (१९५८) 4. नोट लिखिये—प्रनुपातिक निषेच विधि (Proportional Reserve System) (१९५७).

**Allahabad University, B. Com.**

1. Discuss the merits and defects of different systems of regulating note issue. How is the note issue in this country controlled by the Reserve Bank of India? (1957) 2. Write a note on—Proportional System of note issue. (1958)

**Gorakhpur University, B. Com.**

1. Point out clearly the comparative merits of the Fixed Fiduciary Issue System and Proportional Reserve System of note issue in light of the recent changes in the currency regulation of the country (i.e. India). (Pt. II. B. Com.)

**परीक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत**

प्रश्न १ - (i) किसी देश में नोट निर्गम पर नियन्त्रण रखने वाले सिद्धांतों का विवरण दीजिये। भारत की नोट निर्गम पद्धति का आलोचनात्मक विवरण दीजिये (Sagar, B. A. (१९५६), (ii) What principles should govern the note-issue in a country? In this connection examine the provisions of the Reserve Bank of India Act. (Agra B. A. 1956) (iii) Explain briefly the principles on which note-issue should be regulated in a country (Agra B. A. 1955), (iv) Explain the difference between Currency principle and Banking Principle of Note Issue (Agra, B. Com. 1957, 1956) (v) Which of them principles do you prefer for India and why? (Patna, B. A. 1949, Bihar B. A. 1954).

संकेत:—उत्तर के प्रथम भाग में नोट निर्गम के दोनों सिद्धांतों की व्याख्या दीजिये और उनकी वित्तोपताथ्रो को बताइये—कि नोट धापते के दो सिद्धांत मात्रे जाते हैं बैंकिंग सिद्धांत या नरेन्सी सिद्धांत, कि समय-समय पर नोट धापने की जो रीतियाँ एवं प्रणालियाँ समनाई गईं हैं, वे इन्हीं दोनों सिद्धांतों में से किसी एक पर प्रधान

मिश्रित रूप में दोनों पर आधारित रही हैं (जैसे-ग्रनुपातिक सुरक्षित प्रणाली में दोनों सिद्धान्तों की विदेशीयों हैं, परन्तु यह रीति वैविग्रह सिद्धान्त की ओर अधिक मुश्ती है, भारत के उदाहरण से स्पष्ट कीजिये) जिसे जैसे जैसे राष्ट्रों की आर्थिक मीट्रिक परिस्थितियाँ बदलती रही वैसे ही वैसे उस देश ने अपनी मुद्रा प्रणाली में भी परिवर्तन किया (भारत में सन् १९५६) में जो परिवर्तन हुआ उसका उदाहरण दीजिये) (एक-डेढ़ पृष्ठ)। द्वितीय भाग में उक्त दोनों सिद्धान्तों के गुण दोर्पों को सविस्तार नूलनात्मक इण से लिखिए (तीन-चार पृष्ठ)। द्वितीय भाग में यह बताइये कि यह बहुना कठिन है कि भारत के लिये अथवा किसी भी देश के लिये उक्त दोनों सिद्धान्तों में से कौन-सा सिद्धान्त श्रेष्ठ है क्योंकि दोनों में ही गुण हैं अथवा दोप हैं (मुरक्का व लोच में गुणों के आधार पर इस तथ्य को पुन उपलब्ध कीजिये)। इसलिए धातु की वसी के बारण बैबल बरेन्सी सिद्धान्त अपनाना कठिन है और मुरक्का पर रोड व मुद्रा प्रसार को इटिंग से बैबल वैविग्रह सिद्धान्त को अपनाना बाधनीय नहीं है पर जब कभी सरकार नोट निर्गम की ऐसी प्रणाली अपनाती है कि उसमें उक्त दोनों सिद्धान्तों का सम्मिश्रण होता है, तब यही व्यवस्था सर्वोत्तम मानी जाती है। जब न्यूनतम मात्रा में अथवा एक निश्चित प्रतिशत में सुरक्षित बोप रखने की व्यवस्था होती है, तब इस प्रणाली में मुरक्का के साथ ही साथ लोच का गुण भी उत्पन्न हो जाता है। इसीलिय नोट छापन की सब ही अच्छी पद्धतियों में उक्त दोनों सिद्धान्तों का मिश्रण किया गया है (एक-डेढ़ पृष्ठ)। चतुर्थ भाग में भारत में नोट निर्गम की बताना रीति का वर्णन कीजिये ('भारत में नोट निर्गम का इतिहास तथा बत्तमान—स्थिति' नामक अध्याय पढ़िये)। भारतीय बत्तमान रीति का वर्णन करते समय यह बताइये कि सन् १९५६ के साथौरण ने भारतीय रीति को किस प्रकार अधिक लोचपूर्ण बना दिया है, कि इसने मुरक्का के गश को बम कर दिया है और लोच के अश को बढ़ा दिया है। इस तरह निष्पर्य निवालिय कि अब प्रत्येक देश में चलन सिद्धान्त की अपेक्षा वैविग्रह सिद्धान्त को अधिक महत्व दिया जाता है और सब ही देशों की नोट निर्गम की रीति मूलत वैविग्रह सिद्धान्त का अनुसरण करती है (तीन पृष्ठ)।

प्रश्न २—(i) पश्च मुद्रा के सबालन को नियंत्रित करने के विभिन्न उपार्थों का आलोचनात्मक परिचय दीजिये। उन में से हमारे देश ने किसको अपनाया है और क्यों (Agra, B. Com. १९५६, १५८) (ii) आप की सम्मति में उनमें से कौन सी पद्धति सबसे अधिक सान्तोषजनक है? (Sagar, B. Com. १९५८), (iii) नोट निर्गम की विभिन्न रीतियों की व्याप्ति कीजिये। इनमें से कौन सी आपको अधिक पसंद है? आरण उहित उत्तर कीजिये। (Agra, B A १९५६) (iv) Discuss the merits and defects of different systems of regulating note issue. How is the note issue in this country controlled by the Reserve Bank of India? (Allahabad, B Com 1957).

संकेत—आरम्भ में परिचय स्वरूप एक परे में लिखिये कि उमय-समय पर, विभिन्न देशों में, नोट निर्गम की विभिन्न रीतियाँ अपनाई गई हैं अथवा प्रत्येक राष्ट्र

ने समय समय पर अपनी आधिक व मोद्रिक परिस्थितियों के अनुसार नोट-निर्गम वीरीति में संशोधन किये हैं (भारतीय उदाहरण सब १९५६ का संशोधन), कि नोट-निर्गम की रार्टेंटम् रीति कौन-सी है, इसका भी कोई निश्चित उत्तर देना बहिन है क्योंकि प्रत्येक देश की आधिक, व्यापारिक, भौद्योगिक व मोद्रिक परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं और किसी राष्ट्र को इन्हीं के अनुकूल नोट-निर्गम वीरीति को अपनाना पड़ता है, कि कोई एक रीति जो एक देश के लिये उपयुक्त होती है वही रीति दूसरे देश के लिए अनुपयुक्त हो सकती है, यह अवश्य है कि प्रत्येक रीति को नोट निर्गम के करेन्सी व बैंकिंग दोनों ही सिद्धान्तों का अनुसरण करना चाहिए और वास्तव में समय-समय पर प्रचलित तथा वर्तमान नोट-निर्गम वीरीतियों ने ऐसा किया भी है अतः यही रीति सर्वथेट है जिसमें सोचकता, मितव्यविता, परिवर्तनशीलता तथा चलनाधिक्य पर रोक आदि गुण पाये जाते हैं (दो पृष्ठ)। द्वितीय भाग में नोट-निर्गम वीरीतियों को उनके गुण-दोषों सहित लियिये जैसे—निश्चित अगुराधित नोट-निर्गम प्रणाली, अधिकृतम् सुरक्षित नोट-क्षेत्र वीरीति, अनुपातिक निधि प्रणाली, बौद्ध समा पद्धति तथा न्यूनतम् निधि प्रणाली। (पांच छ: पृष्ठ)। तृतीय भाग में भारत में अपनाई गई न्यूनतम् निधि प्रणाली का वर्णन कीजिए और बताइये कि रान् १९५६ में रिजर्व बैंक एस्ट में संशोधन करके इग नई प्रणाली को यदों अपनाया गया ? यह निष्कर्ष निकालिये कि वर्तमान आधिक व व्यापारिक परिस्थितियों में भारत में प्रचलित रीति ही सर्वथेट है क्योंकि इसमें गुरुका के साथ ही साथ सोच का भी गुण है। ("भारत में नोट-निर्गम का इतिहास तथा इसकी वर्तमान स्थिति" नामक अध्याय परिये) (दो-दोहरा पृष्ठ)।

प्रश्न ३—सरकार द्वारा नोट-निर्गम और बैंक द्वारा नोट निर्गम के सार्वेतिक तार्भों को बताइये (Sagar, B. Com. १९५६)।

संकेतः—उत्तर में सरकार द्वारा तथा बैंकों द्वारा नोट निर्गम के कार्यों के पक्ष में हमीर्सें दीजिये और ग्रात में सुरक्षितता, सोचकता, चलनाधिक्य पर रोक, परिवर्तन-शीलता आदि गुणों की हास्टि रो यह निष्कर्ष निकालिये कि रारकार वी सुलना में केन्द्रीय बैंक द्वारा नोट-निर्गम व नियन्त्रण की पद्धति अधिक उपयुक्त है इतीतिए गमरस देखों में नोट-निर्गम का वार्ष वहाँ के केन्द्रीय बैंक वर रहे हैं। (पांच पृष्ठ)।

## चुने प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत

प्रत्येक अध्याय के अन्त में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्न कमवार दिये गये हैं। विद्यार्थियों को विषय की तैयारी करते समय इन प्रश्नों को समय-समय पर कई बार पढ़ना चाहिये तथा यह विचार करना चाहिये कि अमुक प्रश्न के उत्तर में क्या लिखा जायगा? ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में कई बार आ चुके हैं या परोक्षोपयोगी हैं, उनके उत्तर के संकेत भी अध्याय के अन्त में ~~दिया जाता है~~ विद्यार्थियों को संकेत (HINTS) दिये गये प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये और इन्हे अपनी परीक्षा के लिए विशेष रूप से याद करना चाहिए।

## उत्तर के लिखें ?

प्रस्तुत पुस्तक के अन्त में एक नये परिशिष्ट में विद्यार्थियों को यह बताया गया है कि उन्हे अपने उत्तर किस प्रकार लिखने चाहिये। निन्यनवे फी सदी विद्यार्थी इस बात को जानते ही नहीं कि एक उच्च कौटि के उत्तर की क्या-व्या विशेषताएँ हैं तथा उन्हें किस प्रदेश के उत्तर का प्रारम्भ किस प्रकार करना चाहिए? इस परिशिष्ट में उन बातों की ओर संकेत किया गया है जिनको ग्रहण करके मुद्रा और बैंकिंग का बहुत ही साधारण रान रखने वाला विद्यार्थी भी परीक्षा में उच्चन्तर के नम्बर ला सकता है। अत उच्च श्रेणी में पास होने के लिए इस परिशिष्ट का अध्ययन आवश्यक है।

"The Present day banker has three ancestors—merchants, money-lender and goldsmith. A modern bank is something of each of these. It is said that money has two properties. It is flat so that it can be piled up, and it is round so that it can circulate. The progeny of money-lender are concerned with flat money, piled up money, savings. The progeny of the goldsmith are concerned with round money; circulating money, cash."

—Crowther.



: संखड २

## बैंकिंग (Banking)

:[अध्याय ८. मात्र और सात-पन, ६. दंशस—विशास, परिमाणा, वापे तथा वर्णीकरण,  
१०. देह की विनियोग नीति तथा स्थिति विवरण, ११. देह और आहुक जा  
समवय, १२. इकाई देविग या शाता देविग, १३. वेच्चीम देविक्षण,  
१४. अन्तराळ्डीय मृद्गान्त्रोय, १५. अन्तराळ्डीय मूलनिकाण व  
विशासार्थ देवक ।]

## THESE QUOTATIONS CAN HELP YOU IN YOUR EXAMINATIONS

- (A) *It (credit) is an exchange which is complete, after the expiry of a certain period of time—after payment* —Gide

*The term credit is now applied to that belief in a man's probity and solvency which will permit of his being entrusted with something of value belonging to another whether that something consists of money goods services or even credit itself as when one man entrusts to another the use of his good name and reputation* —Thomas

- (B) *Bank (Commercial Bank) is an establishment which makes to individual such advances of money as may be required and safely made and to which individuals entrust their money when not required by them for use* —Kinlay

*A banker is one who in the ordinary course of his business, receives money which he repays by honouring cheques of persons from whom or on whose account he receives it* —Hart

- (C) *A Central Bank has been described as the people's agency to govern their supply of currency and credit free from any undue influence of politics or profits* —L C Jain

*An ordinary bank is run on business lines with a view of earning profits and a central bank on the other hand is primarily meant to shoulder the responsibility of safeguarding the financial and economic stability of the country it acts only in the public interest and for the welfare of the country as a whole and without regard to profit as a primary consideration* —De-Kock

*Clearing House is a general organisation of banks of a given place having of its main purpose the off setting of cross obligations in the forms of cheques* —Taussig

### DO NOT FORGET IT

- 1 It is the quality and not the quantity that counts with the Examiner Hence be clear and to the point Do not be vague and irrelevant
- 2 How to write is more important than what to write in order to secure more marks (Read Appendix)
- 3 Good handwriting is an asset these days

## अध्याय ८

### साल और साल-पत्र

### (Credit and Credit Instruments)

### साल का अर्थ

साल किसे कहते हैं ? (What is Credit ?):—हिन्दी शब्द 'साल' का प्रयोग जी में पर्यायवाची शब्द 'क्रेडिट' (Credit) है जिसकी उत्पत्ति 'Credo' अर्थात् 'विश्वास' शब्द से हुई है। चूंकि "Credo" शब्द का अर्थ "मैं विश्वास करता हूँ" (I Believe) है, इसलिये 'साल' शब्द का अर्थ 'विश्वास' या 'यकीन' या 'भरोसा' (Trust or Confidence) होता है। अंग्रेजी भाषा में Credit शब्द का उपयोग कितने ही अर्थों में किया जाता है जिनमें से एक है व्यापार की रुचि (Good will of the Business)। परन्तु अर्थशास्त्र में 'साल' शब्द वां उपयोग संकुचित अर्थ (Narrow point of view) में होता है अर्थात् अर्थशास्त्र में इस शब्द का सम्बन्ध सदा ही 'उपार लेने-देने' या 'स्थगित भुगतान' से होता है। अर्थशास्त्र में 'साल' शब्द की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है—

(१) 'साल' किसी भी व्यक्ति को वह शक्ति है जिसके प्रतीभान से कोई अन्य व्यक्ति अपनी आर्थिक वस्तुओं (Economic Goods) का उपयोग या धन का उपयोग करने की अनुमति उस व्यक्ति को देता है और वह व्यक्ति उन आर्थिक वस्तुओं को इनके देने वाले को भविष्य में किसी निश्चित अवधि में लौटाने की प्रतिशत भरता है।' इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि साल किसी भी व्यक्ति की वह शक्ति या परिस्थिति है जिसके बल पर वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से धन या वस्तुएँ किसी अवधि के लिए लेता है। अतः मनुष्य की इस शक्ति एवं परिस्थिति को ही साल (Credit) कहते हैं।

(२) जीड (Gide) के शब्दों में "साल एक ऐसा विनियम कार्य है जो कुछ समय पश्चात् भुगतान करने पर पूरा हो जाता है।"<sup>1</sup> इस परिभाषा से स्पष्ट है कि जीड (Gide) ने समय पर विशेष जोर दिया है। परन्तु प्रो॰ टॉमस (Thomas) उस विश्वास पर जोर देते हैं जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में करके अपनी कुछ वस्तुएँ दूसरे को देता है, फिर चाहे मेरे वस्तुएँ मुद्रा, माल, सेवा या साल ही वर्षों न हों।<sup>2</sup>

1—"It is an exchange which is complete after the expiry of a certain period of time—after payment" ~ Gide.

2—"The term credit is now applied to that belief in a man's probity and solvency which will permit of his being entrusted with something of value belonging to another, whether that 'Something' consists of money, goods, services or even Credit itself as when one man entrusts to another the use of his good name and reputation" —Dr. S. E. Thomas; Elements of Economics,

साख नी उल्लिखित परिमापाओं से यह स्पष्ट है कि साख इस प्रकार का विनिमय-वार्य होता है जिसमें ऋणदाता (Creditor) ऋणी (Debtor) को बत्तमान समय में कुछ वस्तुएँ या एप्ये या सेवाएँ प्रदान करता है और विश्वास बरता है कि ऋणी (Debtor) कुछ समय पश्चात् उसे उतने ही मूल्य के एप्ये व्याज सहित वापिस कर देगा। इस तरह ऋणी बत्तमान समय में एप्ये वस्तुएँ व सेवाएँ प्राप्त करता है और उतने ही मूल्य की मुद्रा व्याज सहित कुछ अवधि के बाद, सौटाने का बचन देता है।

### साख के आधार

साख के आधार (Basis of Credit) — यही व्यक्ति की साख किन बिन बातों पर निभर हाथी है इस सम्बन्ध में अथाविधियों में बहुत मत भेद है। इही बातों वो कभी कभी साख के आवश्यक तत्व (Essential Elements of Credit) भी कहते हैं। अप्सर साख के कुछ मुख्य आधार माने जाते हैं जो इस प्रकार हैं—

(i) विश्वास (Confidence) — कुछ नेतृत्वों का यह विचार है कि विश्वास ही साख का एक मात्र आधार है। यदि किसी मनुष्य को रुपया उधार लेने वाले मनुष्य के बारे में यह विश्वास नहीं है कि वह उसके ऋण को लोटा देगा तब वह ऐसे व्यक्ति को

साख के मुख्य आधार हैं—

- १ विश्वास।
- २ सामर्थ्य।
- ३ चरित्र।
- ४ ऋणी की पूँजी और सम्पत्ति।
- ५ ऋणी की रकम।
- ६ साख की समय अवधि।

रुपया उधार नहीं देगा (मित्रता या पैतृक सम्बन्ध में यह बात सामूह नहीं होती है)। अत ऋणी में विश्वास साख का एक महत्वपूर्ण आधार है। (ii) सामर्थ्य (Capacity) — ऋणी में विश्वास का प्राप्तार उसकी व्यवसाय वो सफल बनाने वी सामर्थ्य या क्षमता (Efficiency) होती है। इस तरह किसी व्यक्ति वी साख पर रुपया या वस्तुये तब ही मिलती हैं जबकि ऋणदाता वा उसकी मुआवता बरने वी योग्यता में विश्वास होता है या जब कि ऋणदाता वो ऋणी की आविक दाम' में विश्वास होता है। ऋणी की शिक्षा व उसकी अनुभव उसकी सामर्थ्य को प्रभावित बरता है।

यह स्वाभाविक ही है कि एक गिरित योग्य तथा मनुभवी ऋणी में ऋण की आदायगी भी अपेक्षाकृत अधिक क्षमता होती है जिससे उसकी साख भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। (iii) चरित्र (Character) — ऋणी वा चरित्र भी उसकी साख का एक महत्व पूर्ण आधार होता है। यदि ऋणी अपनी सच्चाई के लिए प्रतिष्ठित है तथा उसने मूलधार में सदा ही ठीक ठीक समय पर वायदे के मनुसार ऋण का मुण्डान किया है और उसका सामान्य चरित्र निष्कल कित है तब ऐसे व्यक्ति की साख बहुत ज्यादा

होती है। इस तरह मनुष्य की सच्चाई, ईमानदारी व चरित्रता का उसकी साख पर बहुत प्रभाव पड़ा करता है। (iv) ऋणी की पूँजी और सम्पत्ति (Capital and Wealth):—बड़ी मात्रा में ऋणों के लिये वेकों पर निर्भर रहता पड़ता है। वेक से ऋण ग्राह्य करने या साख-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उधार लेने वाले की पूँजी या उसके आर्थिक साधन एवं सम्पत्ति बहुत महत्व के होते हैं। क्योंकि रुपया उधार देने से पहले वेक यह अच्छी प्रकार से देख सेता है कि ऋणी के पास उपयुक्त मात्रा में प्रतिभूतियाँ (Securities) हैं या नहीं। ऋणी के पास जितनी अधिक पूँजी होती है, उसकी साख उतनी ही अधिक होती है जिससे वह उतना ही अधिक ऋण लेने में सफल हो जाता है। ऋणी की पूँजी अथवा सम्पत्ति के सम्बन्ध में एक बात और स्मरणीय है। उसकी पूँजी अथवा सम्पत्ति में जितनी अधिक तरलता (Liquidity) होती है ग्रथांद यह बाजार में जितनी आसानी से बिकने योग्य होती है या व्यापारी इसे जितनी जल्दी से नकद में परिवर्तित कर सकता है (जैसे स्टॉक, बॉड्स आदि) ऋणी की साख उतनी ही अधिक मानी जाती है इसीलिए जब ऋणी की पूँजी व सम्पत्ति ग्रचल होती है या यह अक्रय होती है, सब ऋणदाता ऐसे व्यक्ति को ऋण देने में मुश्कोच करता है। परन्तु साख में पूँजी या सम्पत्ति के रूप में प्रतिभूति या जमानत (Security) का होना अत्यादृश्यक नहीं होता है। कभी-कभी ऋण वैयक्तिक प्रतिभूति (Personal Security) या वैयक्तिक साख (Personal Credit) पर भी दे दिया जाता है। (v) ऋण की रकम:—साख इस ब्रात पर भी निर्भर होती है कि साख-सौदों (Credit Transactions) में कितनी रकम का आदान-प्रदान होता है। अनिश्चित मात्रा में ऋण का कोई भर्य नहीं होता है। अतः ऋण की रकम का साख पर बहुत प्रभाव पड़ता है। साल की समय-प्रवधिः—साख-सौदा तब ही माना जाता है जब वर्षमान आर्थिक वस्तुओं का मुग्धतान एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। अतः ऋण का कितने समय पश्चात् मुग्धतान होगा, इसका भी साख पर प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि जबकि किसी सौदे (Transaction) में उक्त तत्व पाये जाते हैं, तब ही यह सौदा साख-सौदा (Credit Transaction) बहलाता है।

### साख के भेद

साख के भेद (Types of Credit).—साख के वर्गीकरण की कई रीतियाँ हैं:—ऋणी की स्थिति के अनुसार वर्गीकरण, ऋणदाता की स्थिति के अनुसार वर्गीकरण, ऋण की समय-अवधि के अनुसार वर्गीकरण तथा ऋण के उपयोग के अनुसार वर्गीकरण। वास्तविक वर्गीकरण वही है जो कि साख के उपयोग के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित में माए के कुछ मुख्य भेद दिये गये हैं:—(i) उपभोक्तामों की साख तथा उत्पादनकर्ताओं की साख (Consumer's Credit and Producer's Credit):—साख का वर्गीकरण उपभोग्य साख (Consumption Credit) तथा उत्पादकीय-साख (Production Credit) में किया जाता है। उपभोग्य साख में ऋण-व्यक्ति अथवा वस्तुओं के ऋण उपभोक्ताओं को उद्देश उपयोग है।

कार्यों के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार के ऋण से भूणी कोई आय प्राप्त नहीं करता है जिसके बारण ऋण के मूलधन (Principal) तथा व्याज के भुगतान की व्यवस्था उसे अपनी अन्य आय में से करती पड़ती है क्योंकि इनका भुगतान वह लिए हुए ऋण से नहीं कर सकता है। उसने जो भी ऋण लिया है उसका उपयोग वह केवल अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति में बरता है। दूकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को दिया गया उधार [ऋण विक्रय पद्धति (Hire-Purchase System) भी इसके अन्तर्गत है], साहूकारों अथवा वैकों द्वारा उपमोग-कार्यों के लिए दिये गये ऋण जिनकी वापिसी छोटी छोटी किश्तों में की जाती है भादि, उपभोग्य साल के उदाहरण हैं। उपभोग्य-साल के विलक्षण विपरीत उत्पादकीय-साल (Production Credit) है। इस प्रकार की साल में उन सब ऋणों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्तियों, कम्पनियों तथा फर्मों द्वारा उत्पादन कार्यों के लिए प्राप्त किये जाते हैं। ऋणी जो इस प्रकार के ऋण

### साल के मुख्य भेद हैं:-

- १ उपभोक्ताओं की साल तथा उत्पादनकर्ताओं की साल।
- २ व्यापारिक साल।
- ३ श्रोद्योगिक साल।
- ४ वैक साल।
- ५ व्यक्तिगत साल और सार्वजनिक साल।

से आय प्राप्त होती है और वह मूलधन तथा ऋण के व्याज का भुगतान इस आय में से ही दिया करता है। वर्तमान आर्थिक जगत में इस प्रकार के ऋणों का बहुत महत्व है। (ii) व्यापारिक साल (Commercial Credit) — इस प्रकार की साल को वाणिज्य-साल भी कहते हैं। प्रत्येक व्यवसायी जो दो प्रकार के ऋणों की आवश्यकता हुआ करती है—दीर्घ-कालीन और अल्पकालीन। व्यापारिक-साल का सम्बन्ध यलाकालीन ऋण से होता है प्रथम् इसका सम्बन्ध चालू व्यापारिक कार्यों से होता है। प्रत्येक व्यवसायी जो कच्ची सामग्री खरीदने,

श्रमिकों को मजदूरी देने, विज्ञापन करने एवं तैयार माल के बचने तथा सरकारी टैक्स आदि देने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ा करती है। ऐसे ऋण प्राय एक महीने से दो महीने के लिए होते हैं क्योंकि इसके बाद तो उत्पादक अपने माल को बेचकर उन प्राप्त कर लिया करता है। इन ऋणों का भुगतान व्यवसाय की आय से किया जाता है तथा इनका आधार ऐसी तरल सम्पत्ति (कच्ची सामग्री तथा तैयार माल) होती है जिसे दूर समय आसानी से बेचकर ऋण का भुगतान किया जा सकता है। (iii) श्रोद्योगिक-साल (Industrial Credit) — उद्यागपतियों को भूमि, मकान, मशीन व औजार आदि खरीदने के लिए दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता हुआ करती है। यह ऋण तब ही लिया जाता है जबकि कारखाने वाले के पास उभत कार्यों के लिए प्रपर्याप्त मूल्यी होती है। इस प्रकार के ऋणों का भुगतान भी व्यवसाय की आय से ही होता है। यदि व्यापार में उद्योगपति को सफलता मिल जाती है और वस्तुओं को बेचकर उसे पर्याप्त आय प्राप्त हो जाती है जिसका कुछ हिस्सा वह सचित भी कर सकता है, तब

तो ऋणी अपने ऋण का भुगतान समय से पूर्व करके ही अपने ऋण के भार से मुक्त होने को प्रदत्त किया करता है। चूंकि विनियोग (Investment) कार्यों के लिए ऋण बहुत सम्भवी अवधि के लिए लिये जाते हैं, इसलिये इन्हें एक विशेष प्रकार के साख-पत्र जिन्हें प्राधि-बांड (Mortgage Bonds) कहते हैं, इनके उपयोग से लिया जाता है। ये बांड क्या है? जब ऋणों किसी कागज पर यह इकरारनामा लिख देता है कि वह ऋण की अदायगी वसित शर्तों पर करेगा तथा अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग जमानत (Security) के बतौर ऋणदाता के पास गिरवी (Mortgage) रख देता है और इस सम्पत्ति का अधिकार भी कुछ शर्तों द्वारा ऋणदाता को दे देता है, तब इस प्रकार के पत्र को प्राधि-बांड (Mortgage Bond) कहते हैं। यह स्मरण रहे कि यदि ऋणी प्राधि-बांड में वर्णित शर्तों को ठीक-ठीक तरह से पूरा कर देता है, तब अपनी तमाम सम्पत्ति पर उसका स्वतन्त्र अधिकार रहता है बरना उसका उक्त सम्पत्ति पर से स्वामित्व का अधिकार समाप्त हो जाता है। प्राधि-बांड (Mortgage Bond) के आधार पर लिया गया ऋण कभी-कभी विनियोग-साख (Investment Credit) कहलाता है। (iv) बैंक-साख (Bank Credit):—बैंक-साख के अन्तर्गत वे सब साख-पत्र (Credit Instruments) आ जाते हैं जिन्हें बैंक को ज्ञारी करने का अधिकार होता है। इस प्रकार की साख में नोट, बैंक के डिबेंचर्स (Debentures), बॉंड्स (Bonds), रोक-साख पत्र (Letters of Credit), मांग जमा (Demand Deposits), समय जमा (Time Deposits) तथा बैंकों की स्पोष्टियाँ (Banker's Acceptances) सम्मिलित हैं। बैंक-साख के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रचलित नोट, उनकी जमा दायित्व (Deposit Liabilities) भी हैं। अतः प्रत्येक बैंक अपनी साख उधार देता है और इसे ही हम बैंक-साख कहते हैं। (v) व्यक्तिगत-साख और सार्वजनिक साख (Private Credit and Public Credit):—सरकार के अलावा तमाम व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण व्यक्तिगत-साख में आते हैं। इस तरह व्यक्तियों तथा संस्थाओं की साख को व्यक्तिगत-साख भी है। इसके अन्तर्गत बैंक-साख, उपभोग्य-साख, व्यापारिक-साख आदि हैं। सरकार द्वारा जो ऋण लिया जाता है या जब सरकार वस्तुओं व सेवाओं को इस वायदे पर लेती है कि इनके मूल्य का भुगतान भविष्य में कर दिया जायगा तब इन्हें सरकारी साख के अन्तर्गत रखते हैं।

साख की मात्रा को प्रभावित करने वाली बातें (Factors influencing the amount of Credit in a Country):—वर्तमान आर्थिक जगत में देश के आर्थिक व श्रोदोगिक विकास के लिए साख की बहुत आवश्यकता होती है। जिस देश में साख-व्यवस्था जितनी अधिक विशाल व विस्तृत होती है आर्थिक हाव्य से उस देश में उतना ही अधिक विकास हो जाने की सम्भावना रहती है क्योंकि आज के युग में श्रोदोगिक-संगठन इस प्रकार का हो गया है कि साख इसके लिए जान है। किसी देश में साख का विस्तार जिन बातों पर निर्भर रहता है उनमें से कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं:—  
(i) लाभ की मात्रा (Rate of Return):—विनियोगों (Investments) पर लाभ

की मात्रा (या दर) जिसी अधिक होती है तब विनियोग जितने अधिक<sup>1</sup> सुरक्षित होते हैं, साल का विस्तार भी उतना ही अधिक हो जाता है क्योंकि इस दशा में ऋणदाता को ऋण देने की सत्परता भी अधिक होती है। (ii) व्यापार की दशायें (Trade Conditions) — साल की मात्रा पर व्यापार की दशाओं का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तैमी व व्यापारिक समृद्धि के काल में (Boom Period) व्यापारी बहुत बड़ी मात्रा में रप्या उधार लेकर व्यवसाय में लगाते हैं क्योंकि इस काल में उन्हें सामग्री हो जाता है। ऐसे समय में व्यापार व व्यवसायों में अत्यधिक विस्तार हो जाने से पूँजी की बहुत आवश्यकता पड़ा करती है जिससे व्याज की दर में भी बढ़ि हो जाती है। अधिक लाभ कमाने के लालच से पूँजीपति व बैंक शादि सम्बन्धों साल का काफी प्रसार वर दिया करती हैं क्योंकि ये जातती हैं कि उत्पादकों को लाभ होने से वे उनका रप्या अवश्य ही लौटा देंगे। परन्तु मूल्दी काल (Depression Period) में उक्त के विलुप्त विपरीत प्रभाव पड़ा करता है। व्यापार मुरत पड़ जाता है, सामग्री की मात्रा कम हो जाती है, व्यापार जोखिम में पड़ने लगते हैं, व्याज की दर कम हो जाती है आदि। इन सब बारणों से पूँजीपति व बैंक बहुत कम मात्रा में पूँजी उधार दिया करते हैं। (iii) राजनीतिक दशायें (Political Conditions) — देश में राजनीतिक स्थिरता अधिक दिवास के लिए उपयुक्त दशायें उत्पन्न करती हैं जिससे उत्पत्ति वायों के लिए ऋण की मात्रा बढ़ जाती है और साल का विस्तार हो जाता है। इसके विपरीत राजनीतिक अस्थिरता देश में अनिश्चित धारावरण उत्पन्न कर देती है जिससे उत्पत्ति-वायों हृदोत्साहित होते हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी पूँजी नये-नये कायों में मही लगाता है। इस तरह जिस देश में स्थायी सरकार नहीं होती, मन्त्रियों द्वारा द्वारा देने वाले प्राप्ति होते हैं, समाज में अव्याहनित होती है, वही व्यापारियों द्वारा नये-नये व्यवसाय नहीं खोड़ जाते तब उन्होंने व्यवसायों में भी अधिक पूँजी भा विनियोग मही किया जाता है जिससे गाल का प्रसार नहीं होने पाता है। यत् शान्ति व राजनीतिक स्थिरता के समय म साल का बहुत विस्तार हुआ करता है। (iv) सट्टे के कार्य (Speculative Activities) — स्टोरियो (Speculators) की विधायो वा भी साल की मात्रा पर बायी प्रभाव पड़ा करता है। जब स्टोरिय भविष्य में मूल्यों में बढ़ि की आशा करते हैं, तब सट्टे बाजार में बहुत उत्सुक पहल हो जाती है, व्यापारियों द्वारा नये-नये खोड़ लारीदे जाते हैं। इन वायों के लिए ऋण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे साल का विस्तार हो जाता है। इसके विपरीत जब सट्टे बाजार में मूल्य होती है, तब स्टोरियो द्वारा ऋण की मात्रा कम हो जाने के बारण साथ वा सकुचन हो जाता है। (v) केन्द्रीय बैंक की मोनिटरी नीति (Monetary Policy of the Central Government) — यदि केन्द्रीय-बैंक की सरकारी-मुद्रा-नीति है अर्थात् वह बैंक दर (Bank Rate) कम करके कम व्याज की दर पर ऋण दिलाना चाहता है ताकि देश में अधिक धार्यक वित्तास हो सके, तब देश में साल का प्रसार होगा। इसके विपरीत यदि बैंक दर अधिक है या केन्द्रीय बैंक की नीति ही इस प्रकार ही है कि व्यापारियों को कम व्याज की दर पर रप्या उगार नहीं पाना है, तब देश में साल का सकुचन होगा। यत्

सरकार प्रथमा केन्द्रीय बैंक की मोद्रिक नीति का देश में साख की मात्रा पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा करता है। (vi) बैंकिंग-प्रणाली का विकास (Development of the Banking System).—वर्तमान आर्थिक समाज में अधिकांश साख का निर्माण बैंकों द्वारा किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि जिस समाज में बैंकिंग-प्रणाली जितनी अधिक विविसित होती है, वहाँ पर साख का विस्तार भी उतना ही अधिक हो जाने की सम्भावना रहती है। (vii) देश की चलन ध्यवस्था (Currency, System) तथा साख-मुद्रा के उपयोग की प्रथा एवं आदत:—इनका साख की मात्रा पर बहुत प्रभाव पड़ा करता है। अतः हम यह वह सत्ते हैं कि किसी देश में जितना अधिक राजनीतिक, आद्योगिक, व्यापारिक व आर्थिक विकास होता है उस देश में साख का प्रसार भी उतना ही अधिक हो जाता है।

### साख की मात्रा को प्रभावित करने वाली मुख्य बातें हैं:-

१. लाभ ही मात्रा। ✓
२. व्यापार की दशायें। ✓
३. राजनीतिक दशायें। ✓
४. सट्टे के बार्ये। ✓
५. केन्द्रीय बैंक की मोद्रिक नीति।
६. बैंकिंग-प्रणाली का विकास,
७. देश की चलन ध्यवस्था तथा साख-मुद्रा के उपयोग की प्रथा एवं आदत।

### साख और पूँजी (Credit and Capital) (१९५५)

या साख पूँजी है? (Is Credit Capital?):-इस सम्बन्ध में अर्थ-शास्त्रियों में काफी वाद-विवाद है कि "या साख पूँजी है" ? तथा "या साख भूमि व पूँजी की तरह एक वृद्धक उत्पत्ति का साधन है" ? एक ओर तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी मैकलिमोड (Macleod) है जिन्होने कहा है कि "मुद्रा और साख दोनों ही पूँजी हैं। व्यापारिक साख एक प्रकार की व्यापारिक पूँजी है।" \* मैकलिमोड के इस प्रकार के मत वा एक ही कारण है। अधूनिक आर्थिक जगत में उत्पादन से उपभोग तक की सब क्रियाएं साख पर ही भवलभित्ति हैं। साख-पत्रों (चैक और विल-आॉफ एक्सचेंज) का दृष्ट्य के समान प्रयोग होता है। प्रभाव में ये पत्र पूँजी के समान बार्य करते प्रतीत होते हैं अर्थात् इनका उपयोग और अधिक मात्रा में उत्पत्ति करने में किया जाता है। इसलिए मैकलिमोड जैसे अर्थशास्त्रियों ने यह मत है कि "साख ही पूँजी है।" परन्तु मैकलिमोड (Macleod) के उक्त विचार भ्रमपूर्ण हैं। इसके तीन मुख्य कारण हैं।—(क) साख न तो पूँजी है परंतु यह पूँजी का निर्माण ही करती है जिसके कारण यह कहना कि पूँजी साख है गलत है। साख या है? साख झूणी की वह धाति या परिस्थिति है जिसके आधार पर वह अरुणादाता से रप्या, वस्तुएँ या सेवाएँ इस वायदे पर प्राप्त करते हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद वह इनके मूल्य के

\* "Money and Credit are both Capital, Mercantile Credit is Mercantile Capital"— Macleod Elements of Banking Chap, IV.

बरावर रकम (व्याज सहित) का भुगतान कर देगा। इस तरह 'साख' धन या बस्तुओं को एक ऐसे मनुष्य से जो इनका उचित उपयोग नहीं कर रहा है, एक ऐसे मनुष्य के पास हस्तान्तरित कर देती है जो इनका उचित उपयोग कर सकता है। मानलो, अखण्डी को साख द्वारा धन प्राप्त नहीं होता है, तब अखण्डी की 'साख' उसको धनोत्पत्ति में कुछ भी सहायता नहीं दे सकती है। इसका यह अर्थ हृष्णा कि यद्यपि अखण्डी के पास 'साख' है परन्तु उत्पादन के अन्य साधनों की तरह 'साख' उसे उत्पादन करने में सहायता नहीं होती है अर्थात् अखण्डी वो 'साख' उसे केवल उत्पत्ति के अन्य साधन प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, साख अर्थ धर्कि की पूँजी का उपयोग करने का अधिकार है परन्तु यह स्वयं पूँजी नहीं है। इसे एक उदाहरण से इस प्रकार भी स्पष्ट कर सकते हैं—मानलो, राम ने श्याम को १०० रु० उधार दिये हैं। राम १०० रु० का मालिक है यद्यपि उसकी यह रकम श्याम के पास है। समाज में धन की बुल मात्रा केवल १०० रु० है, यह दुगुनी तिगुनी नहीं हो जाती है। साख द्वारा राम से १०० रु० का श्याम के पास हस्तान्तरण हो गया है, साख इस हस्तान्तरण का केवल एक साधन मात्र है। परन्तु यदि श्याम को राम से १०० रु० प्राप्त नहीं हो, तब श्याम की साख उसको उत्पादन में सहायता नहीं कर सकती है। इस उदाहरण से भी स्पष्ट है कि साख उत्पत्ति का एक स्वतन्त्र साधन नहीं है जिससे यह धनोत्पत्ति नहीं कर सकती है और इनीलिये हम इसे पूँजी नहीं कह सकते हैं। थी जे० एस० मिल (J S Mill) ने उक्त मत का समर्थन किया है और कहा है कि, "उधार देने से नई पूँजी का निर्माण नहीं होता है ऐसा करने पर केवल उस पूँजी का जो पहले से ही अखण्डाता के पास थी अखण्डी को हस्तान्तरण होता है। साख तो केवल दूसरे की पूँजी का उपयोग करने का अधिकार है, इससे उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि नहीं की जा सकती है वरन् इनका केवल हस्तान्तरण ही हो सकता है।"<sup>1</sup> थी रिकार्डो (Ricardo) ने भी उक्त मत को इन शब्दों में प्रमाणित किया है—“साख पूँजी का निर्माण नहीं करती उससे केवल यह निवित होता है कि पूँजी का उपयोग विसके द्वारा होगा।”<sup>2</sup> अत मिल व रिकार्डो के विचारों से यह स्पष्ट है कि साख ही पूँजी है या साख से पूँजी का निर्माण होता है, यह भ्रमात्मक व अशुद्ध धारणा है। (ब) साख एक उत्पादन विधि मात्र है—विस प्रकार विनियोग व अम विभाजन केवल उत्पादन की रीतियाँ हैं और हन्ते द्वारा बस्तुओं में उपयोगिता वृद्धि की जाती है, ठीक इसी प्रकार साख भी उत्पादन की एक रीति

1—‘New Capital is not created by the mere fact of lending only the capital that was in the hands of the lender is now transferred to the hands of the borrower Credit being only the permission to use the Capital of another person The means of production cannot be increased by it but only be transferred — J S Mill Principles of Political Economy

2—Credit does not create Capital it only determines by whom that Capital should be employed’—Ricardo Principles of Political Economy and Taxation

मात्र है और इसके द्वारा भी वस्तुओं में उपयोगिता की वृद्धि की जाती है। अतः जिस प्रकार हम श्रम-विभाजन तथा विनियोग-क्रियाओं को पूँजी एवं उत्पत्ति के पृथक् साधन नहीं कहते हैं, ठीक इसी प्रकार हम साख को भी पूँजी एवं उत्पत्ति का एक पृथक् साधन नहीं कह सकते हैं। (ग) साख-पत्र (Credit Instruments) पूँजी का केवल प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पूँजी का जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास केवल हस्तान्तरण करते हैं। इस तरह साख-पत्र धन के हस्तान्तरण का केवल एक साधन है। परन्तु इससे साख स्वयं पूँजी नहीं हो जाती है यद्यपि धन में उत्पादकता व गतिशीलता इस हस्तान्तरण द्वारा ही हुई है। अतः उक्ततित्वित कारणों से आज इस मत के अनेकानेक समर्थक हो गये हैं कि “साख न तो पूँजी है और न यह उत्पत्ति का एक पृथक् साधन ही है।”

### साख और मूल्य (Credit and Prices)

#### साख और मूल्य का सम्बन्ध (Relationship of Credit and Price):

—अर्थशास्त्रियों में इस सम्बन्ध में भी बड़ा वाद-विवाद है कि साख और मूल्यों में आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध होता है। एक तरफ मिल (Mill) तथा उसके समर्थकों का मत है कि साख के प्रसार व सकूचन का वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर ठीक उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार मुद्रा के प्रसार व संकूचन का वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों पर पड़ता है। इसका एक ही कारण बताया जाता है। साख-पत्रों में मुद्रा की तरह क्रद-शक्ति होती है अर्थात् मुद्रा की तरह साख-पत्रों द्वारा भी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय-विक्रय किया जाता है। इसीलिये किसी समय पर मुद्रा की कुल मात्रा<sup>प्रमाण</sup> (क) चलन की वास्तविक मात्रा तथा (ख) साख की मात्रा, इन दोनों का समावेश होता है। यही कारण है कि आजकल सरकार तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा साख-नियन्त्रण (Credit Control) व साख-नियमन (Credit Regulation) की एक सुनिश्चित नीति प्रपनाई जाती है ताकि देश में आवश्यकता से अधिक मुद्रा का चलन (साख-प्रसार द्वारा) नहीं हो सके क्योंकि ऐसा हो जाने पर देश की प्राप्तिक दशा अस्त-व्यस्त हो जाया करती है। परन्तु मिल (Mill) के विचारों के बिल्कुल विपरीत प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्री वॉकर (Walker) तथा लौग्लिन (Laughlin) के विचार हैं। इनका मत है कि साख का वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका बारण यह बताया गया है कि यद्यपि साख-पत्रों में क्रय-शक्ति तो होती है परन्तु इनमें निस्तारण-शक्ति (Liquidation Power) नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, साख-मुद्रा द्वारा जो क्रय-विक्रय होता है उसमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया से सन्तुलन हो जाता है जिससे साख-पत्रों द्वारा लेन-देन का मूल्यों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है।

परन्तु सत्य उक्त दोनों भन्तिम मतों (Extreme Views) के बीच में ही है। स्वर्गीय जे० एम० कीन्स (J. M. Keynes) के अनुसार साख सामान्य मूल्य-स्तर पर प्रभाव तो डालता है, परन्तु इतना नहीं जितना की चलन में क्रैम्सी का पड़ता है। एक तरफ ऐसी वात्तियाँ हैं जिनकी प्रवृत्ति मूल्य में वृद्धि करना है और दूसरी तरफ ऐसी

शक्तियाँ हैं जिनकी प्रवृत्ति मूल्यों में कमी करना है। यह प्रबल्द्य है कि साख-पत्रों को देकर यदि न्युएली पूर्णतः भुगतान के दायित्व से मुक्त हो जाते तब साख-पत्रों का मूल्यों पर उनी अत्याहर प्रभाव पड़ता जिस प्रकार कि बलन ('Currency') का पड़ता है, परन्तु साथ पत्र में 'चलन' जैसा विश्वास व निस्तारण-शक्ति नहीं होती है। अन्ततः इन सभी साख पत्रों का भुगतान नकद में करना पड़ता है। इस प्रकार का भुगतान करने के लिए सभी वेक्टों को अपने पास नकद-कोष (Cash Reserves) रखने पड़ते हैं। वेक्टों के पास जितना-जितना नकद-कोष बढ़ता जाता है, वे जाने: शनै। उन्हीं ही अधिक मात्रा में साख-मुद्रा का प्रसार कर देते हैं। यदि वेक्ट अपने पास नकद-कोष रखते हैं तब स्वाभाविक ही है कि वास्तविक खलन की मात्रा इन नकद-कोषों की मात्रा के वरावर बन हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि साख मुद्रा का निर्माण होते नमय समाज में दो प्रवृत्तियाँ साथ ही साथ कार्यशील हो जाती हैं। एक तरफ साख-पत्रों की मात्रा के बढ़ने से मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति स्थापित हो जाती है, परन्तु यह वृद्धि उसी अनुपात में नहीं होती जिस अनुपात में साख-पत्रों का निर्माण किया गया है और दूसरी तरफ मूल्यों में कमी हो जाने की प्रवृत्ति स्थापित हो जाती है। योकि इन पत्रों के निस्तारण के लिये वेक्टों को अपने पास नकद-कोष रखना पड़ता है जिसकी प्रवृत्ति मूल्यों को कम करने की होती है। इस तरह साख-पत्रों का निर्माण होना मूल्यों में वृद्धि (स्पीटिक प्रवृत्ति) और नकद-कोषों का रखना जाना मूल्यों में कमी हो जाने की प्रवृत्ति (विस्पीटिक प्रवृत्ति) स्थापित करते हैं। चूंकि नकद-कोषों की तुलना में साख-पत्रों की मात्रा कई गुनी अधिक होती है इसलिए अन्तत साख पत्रों की प्रवृत्ति बहुमात्रा और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि करने की ही पाई जाती है। अतः वॉकर (Walker) का यह मत कि साख का मूल्यों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अमात्मक व गलित है। नमाज में जैसे-जैसे साख का खाता है, मूल्य भी वेक्ट में अधिक हो जाते हैं।

### साख के कार्य व इसकी उपयोगिता (Functions and Utility of Credit)

—वर्तमान मुग्य में साख का इतना अधिक महत्व है कि इसे हम ग्रोडीगिक-प्रणाली का हृदय तथा उद्योग व व्यापार का रक्त कहते हैं। पूर्णवारी आर्थिक प्रणाली में तो इसका महत्व और भी अधिक है। साख के कार्यों के आधार पर इसने जो लाभ बताये जाते हैं, उनमें से कुछ मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं—(i) बहुमूल्य-भानु की बचत—ग्रास द्वारा साख-पत्रों का निर्माण होता है। साख-पत्र बहुमूल्य भानु तथा भानु-मुद्रा के प्रयोग में बचत करते हैं। चूंकि व्यापारी वर्ग भुगतान का कार्य शाय साख-पत्रों द्वारा ही करते हैं, इसलिए कागजी नोटों की भी कम आवश्यकता पड़ा करती है। (ii) विनियम भाव्यमें वृद्धि हो जाती है—साख-पत्रों का विनियमें मालयमें स्पष्ट में उपयोग होना है जिससे देश में विनियम-भाव्यमें भी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस देश में व्यापार व यवसाय मुद्रियाजनक हो जाते हैं। (iii) पूजों की उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है—नमाज में ऐसे वृद्धि ने व्यक्ति हात हैं जिनके पाम रख्या ना होना है परन्तु वे इमाना उचित उपयोग नहीं करने पाते हैं या वे इसके उपयोग की उनमें अभ्यता एवं याक्षता भी नहीं होती है। निकल्य (Passive)

या अनुपयोगी पूँजी वक द्वारा ऐसे उत्पादकों के पास पहुँच जाती है जो इसका उत्पादक कार्यों में उपयोग करते हैं। अतः साख द्वारा घन गतिशील हो जाता है और जब यह एक पक्ष में दूसरे पक्ष को उत्पत्ति-कार्यों के लिये हस्तान्तरित हो जाता है, तब पूँजी की

### साख के कार्य एवं उपयोगिता है:-

१. बहुमूल्य धातु की वचत।
२. विनिमय-माध्यम में वचत हो जाती है।
३. पूँजी की उत्पादन-शक्ति बढ़ जाती है।
४. अन्तर्राष्ट्रीय-भुगतान में सहायता मिलती है।
५. सुधूर के स्थानों तक मुगतान मुगमता से हो जाता है।
६. वचत को प्रोत्साहन मिलता है।
७. देश के आर्थिक-विकास में अत्यधिक सहायता मिलती है।
८. मूल्यों में स्थिरता सार्वजनिक होती है।
९. साख से मुद्रा-प्रणाली में लोच सम्भव होता है।
१०. इससे उत्पत्ति के साधनों का अधिकतम उपयोग सम्भव हो जाता है।
११. आर्थिक-सरकटों का आसानी से मुकाबला किया जा सकता है।

उत्पादन-शक्ति में बढ़ि हो जाती है जिससे समाज का बहुत हित होता है। (iv) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अन्य प्रकार के लेन-देनों के भुगतान में सुविधाहोती है। (v) देश में दूर-दूर के स्थानों तक भुगतान:-साख-पक्ष द्वारा देश में दूर-दूर के स्थानों तक बड़ी से बड़ी रकम का मुगता। सुविधापूर्वक तथा बहुत बहुत समय पर हो जाता है। ये मुगतान विना वास्तव में कोप दिये ही हो जाते हैं। (vi) वचत को प्रोत्साहन:-साख से वचत दो प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि वैवस छोटी से छोटी रकम तक दो जमा पर प्राप्त कर लेते हैं। अतः साख से पूँजी की मात्रा बढ़ जाती है। (vii) देश के आर्थिक विकास में आर्थिक सहायता मिलती है—उभार लेने वी सुविधा व्यापारियों व उद्योगपतियों को नये-नये क्षेत्रों में साहस लेने के लिए प्रोत्साहन देती है। इसके अतिरिक्त जब इसी व्यापारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा असाधारण समय में बहुत बढ़ जाती है, तब वह पूँजी उधार लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ा लेता है। अतः देश की आर्थिक, व्यवसायिक व वाणिज्यिक उन्नति में साख व साख-पक्षों का बहुत महत्व होता है। (viii) मूल्यों में स्थिरता:-सरकार या केन्द्रीय बैंक देश में साख की मात्रा पर उचित नियन्त्रण करके मूल्य-स्तर में स्थिरता साती है जिससे देश को बहुत लाभ होते हैं। (ix) मुद्रा-प्रणाली में स्थोदः—साख निर्माण का कार्य बैंकों द्वारा किया जाता है। ये देश की आर्थिक व विदेशी व्यापार की मात्रा के अनुसार साख की मात्रा में प्रसार व सुनुचम समय समय पर करते हैं। अतः साख प्रणाली में लोच स्थापित किया जाता है।

(x) उत्पत्ति के साधनों का अधिकतम उपयोग—साख पक्ष द्वारा सरकार अपनी आय

में बृद्धि कर लिया करती है। इनके उचित उपयोग से सत्यता के तामाम साधनों पर अधिकतम उपयोग सम्भव हो जाता। (xi) अधिक सकटों का आसानी से मुकाबला किया जाता है — साल से व्यक्ति तथा सरकार अपनी क्षणिक बटिनाइयों को दूर कर लेती है। अत उक्त से यह स्पष्ट है कि वर्तमान विशालकाय आर्थिक दाचे को चलाने के लिए साख का बहुत महत्व होता है। व्यक्ति व सरकार दोनों को ही इससे बहुत लाभ होता है।

**साल से हानियाँ (Dangers of Credit)** — साल के दुरुपयोग से जो हानियाँ हो सकती हैं, उनमें से कुछ मुख्य मुश्य इस प्रकार हैं — (1) साल के अत्यधिक प्रसार का सदा भय रहता है — साल प्रणाली का एक बहुतबड़ा दोष यह है कि तेजी काल में इसमें अत्यधिक प्रसार और मदी काल में अत्यधिक सकुचन हो जाता है। साल के प्रसार से स्फीतिक दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं जिससे मूल्यों में बृद्धि हो जाती है और साल के सकुचन से विस्फीतिक दशाएँ उत्पन्न होती हैं जिससे मूल्यों में कमी हो जाती है। इस तरह साल के समय-समय पर प्रसार व सकुचन से व्यापार में अनिश्चितता आ जाती है और आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है। यह भी समरण रहे कि साल पर भानव नियन्त्रण होता है, यदि यह नियन्त्रण दोपूर्ण है तब इससे समाज को अत्यधिक क्षति होने की सम्भावना रहती है। (ii) अपव्ययिता का डर — जब समाज में छह आसानी से मिल जाता है, तब यह अपव्ययिता को प्रोत्साहन देता है। अन्तत इससे समाज का नेतृत्व स्तर भी बहुत नीचा हो जाता है। अत साल प्रणाली तब ही तक अच्छी है जब तक यह मनुष्य के नियन्त्रण में रहती है परन्तु यदि यह मनुष्य पर ही विजय प्राप्त कर लेती है, तब यह मनुष्य को बर्दाद कर देती है।

- इसीलिए कुछ ने नहा है—“Credit is a good servant but a bad master when it teaches us misuse”
- (iii) साल द्वारा बहुत से व्यापारी, उद्योगपति तथा सरकारें अपनी अयोग्यता व अदृष्टक्षता को छिपाने में सफल हो जाती हैं — जब हमारा आसानी से मिलने लगता है तब अयोग्य तथा आर्थिक हृष्टि से कमज़ोर व्यापारों तक में अधिकाधिक मात्रा में रुपये का विनियोजन (Investment) होने लगता है। ऐसे व्यवसायों के व्यापारी अपनी बम्जोरियों को सुपाकर, छह द्वारा प्राप्त पूँजी से ढपरी तरीकों से सो आपने व्यवसाय में

साम दिलाते हैं परन्तु बास्तव में वे आर्थिक संकट में फसे हुए होते हैं और अबी काल में तनिक सी आर्थिक उत्तर-पुथल में ही नीचे-गिर जाते हैं। ऐसे व्यापारियों की ज़ियाओं से देखने में तो देश में आर्थिक प्रगति होती है, परन्तु यह आर्थिक समृद्धि पूर्णतया खोखली होती है। इन दशाओं में व्यापार में असफलता हो जाते पर झृणुदाताओं का रूपया मारा जाता है। परन्तु यदि ऐसे व्यवसायियों को झृणु आसानी से नहीं मिलता तब उनके व्यवसाय बहुत पहले ही बढ़ हो जाते और झृणुदाताओं को अधिक हानि नहीं होने पाती। (iv) आप का असमान वितरण:- साख द्वारा पूँजी का संचय कुछ ही व्यक्तियों व संस्थाओं के पास ही जाता है। जब समाज का अधिकाश धन कुछ ही हाथों में केन्द्रित हो जाता है, तब इस प्रकार भी दशा से सामाजिक असानित उत्पन्न हो जाती है व्योकि ऐसे व्यक्ति व संस्थायें अनुचित व्यापारिक तरीके अपनाकर मजदूरों व उपभोक्ताओं का घोषण करते हैं। (v) उत्पादनाधिकरण की समस्या का भय रहता है:- देश में साख की मात्रा अधिक हो जाने पर उत्पादन बढ़ जाता है, परन्तु कभी-कभी यह इतना अधिक बढ़ जाता है कि इससे समाज में उत्पादनाधिकरण (Over-production) की समस्या अधिक उत्पन्न हो जाती है। परिणामतः मूल्य-स्तर गिरने लगते हैं जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो जाती है। (vi) एकाधिकारी संस्थाओं के खस जरने की प्रवृत्ति स्थापित हो जाती है:- चूँकि साख-प्रणाली में पूँजी कुछ ही हाथों में केन्द्रित हो जाती है, इससे देश में एकाधिकारी (Monopoly) संस्थाओं का नियंत्रण होने लगता है और यह प्रवृत्ति देश के लिए बहुत अहितकर होती है। यही नहीं, जब किसी देश में एकाधिकारी की प्रवृत्ति बहुत अधिक बलशाली हो जाती है, तब एकाधिकारी ही देश की सरकार पर अपना नियन्त्रण कर लेते हैं और यह स्थिति जन-साधारण के लिए बहुत ही हानिकारक होती है।

सारांश—उत्तर विवेचन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि साख से समाज को बहुत साम प्राप्त होते हैं, तब इसी से समाज को बहुत हानि भी हो सकती है। परन्तु साख से समाज को हानि तब होती है जबकि यह इसका असाधारी से उपयोग करता है। प्रतः देश में एक सुधोम्य तथा सुनिश्चित अधिकारी द्वारा ही साख का नियन्त्रण व नियमन (Regulation) होना चाहिए क्योंकि तब साख से समाज को होने वाली बहुत सी हानि दूर हो जायगी। यही कारण है कि आजकल यह कार्य प्रत्येक देश में केन्द्रीय देक्षा द्वारा किया जाता है।

### साख-पत्र (Credit Instruments)

साख-पत्रों का अर्थ (Meaning of Credit Instruments):—साख-पत्रों से अभिश्वास उन सब नोटों, पत्रों, परचों तथा साथनों से होता है जिनका साख-मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। ये वे पत्र होते हैं जिनके आधार पर झृणु का आदान-प्रदान होता है तथा जिनके माध्यम द्वारा वस्तुओं व सेवाओं का आसानी से क्रय-विक्रय होता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि साख-पत्र मुद्रा की तरह कार्य करते हैं, परन्तु मुद्रा (बैंक, नोट तथा तिक्के) और साख-पत्रों में कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं:- करेन्सी नोट तथा दातिक

सिवर्वों में कानूनन ग्राह्यता (Acceptability) होती है, परन्तु साख-पत्रों में मुद्रा वी तरह कानूनन ग्राह्यता नहीं होती है। इन पत्रों को लेने वाले व्यक्ति एवं सस्ता की इच्छा पर बहुत कुछ निभर होता है कि वह प्रपत्रे गुणात्मक तथा पत्रों की स्वीकार वरे या स्वीकार नहीं करे। तू कि इन पत्रों की ग्राह्यता ऐच्छिक होती है, इसोलिए इन पत्रों का प्रचलन भी प्रायः बहुत ही सीमित धोन में होने पाता है। आधुनिक समाज में अनेक प्रकार के साख पत्रों का उपयोग किया जाता है, परन्तु हम नीचे कुछ प्रमुख ० साख पत्रों का ही वर्णन कर रहे हैं ।

(१) रेक्टा या प्रतिज्ञा पत्र या प्रण न्यू (Promissory Note)—भारतीय परकार्य-विलेख विधान (Indian Negotiable Instruments Act) के अनुसार इनके वी परिभाषा इन प्रकार है—“यह वह लिखित पत्र होता है जिसमें इनके लिखने वाला, इसमें तिथी हुई रात्रि, इसमें दिये हुये किसी व्यक्ति या पक्ष को या इसके आदेशानुसार या इसके बाहक (Bearer) को, विना किसी शर्त के देने की प्रतिज्ञा करता है।” इस साखगत में दो पक्ष होते हैं—एवं लिखने वाला और दूसरा इसपर पाने वाला। यह एक सबमें सरल व सीधा-साधा साख-न्यू है जो शाय बैंकल रूपये के लेन-देन के बान म ही आता है। इसे तीन प्रकार के होते हैं—(१) बैंक प्रतिज्ञा-पत्र (Bank Promissory Note)—यह वह प्रण-न्यू होता है जिसको कि किसी देश वा के शीर वैर भारतगणराज प्रते रक्त है और इनका भुगतान बाहर (Bearer) वी माता पर तुरन्त वर दिया जाता है जैसे—भारतराज का दस रुपय वा नोट जिसका प्रचलन रिजर्व बैंक ने किया है। (२) बैंकोंप्रतिज्ञा पत्र (Currency Promissory Note)—यह वह प्रण पत्र है जिसे देश की सरकार के अद विभाग (Finance Department), मुद्रा अधिकारी (Controller of Currency) या सरकारी खजाने (Treasury) ने प्रचलित किया है जैसे—भारतबंध में १ रुप वा नोट जिसे भारतीय सरकार के अद विभाग न प्रचलित किया है। इस तरह ये बैंक प्रण पत्र और बैंकोंप्रतिज्ञा पत्र म एक ही अन्तर है—प्रथम यदि कन्दीय बैंक द्वारा चालू किये जाते हैं, तब द्वितीय देश की सरकार के अद विभाग या मुद्रा सचालन द्वारा जारी किये जाते हैं अन्य सभी बातों में दोनों एक समान हैं। (३) व्यापारिक प्रण पत्र (Commercial Promissory Note):—यह पत्र विनी सरकार द्वारा नहीं लिखा जाता है बरवय यह व्यापारिक मनुष्यों या देवकों के द्वारा प्रचलित होता है। यह वह दशर्व वाला लिखित प्रण पत्र है जिस पर लिखन वाला हस्ताक्षर बरके (देनदार) इसे लेनदार को दे दता है, व्यापारिक प्रण पत्र और विनियम विल म एक ही मूल्य अतर है। प्रथम मे देनदार लिखता है और हस्ताक्षर बरके उसे लेनदार को दे दता है। परन्तु द्वितीय मे लेनदार लिखता है और स्वीकृति के लिए देनदार के पास भेज दता है और देनदार इसको स्वीकृति बरके किए लेनदार के पास भेज देता है।

(२) हूण्डी (Hundi) — कुछ व्यक्तियों का अनुमान है कि हूण्डीयों का प्रयोग

\* For a detailed study of these Credit Instruments readyary book on Banking and Currency meant for the Intermediate Class Students.

हमारे देश में १०वीं शताब्दी से ही है। हुण्डियाँ स्थानीय भाषा (Local Language) में लिखी जाती हैं और ये मनुष्यों के स्वभाव तथा रीति-रिवाज के कारण साल-पत्र या कार्य करती है। वैकों, व्यापारियों तथा अन्य सत्त्वामों द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। विनियम-विल की तरह इन पर भी टिकट (Stamp) लगाया जाता है। हुण्डियाँ प्रकृति में बहुत कुछ विनियम-विल की तरह भी होती हैं। जब हुण्डी का मुगतान हो जाता है, तब इसे खोखा कहते हैं। हुण्डियाँ भी कई प्रकार की होती हैं:—(i) दर्शनी हुण्डी:—यह वह हुण्डी होती है जिसका मांग पर तुरन्त मुगतान होता है। (ii) मुद्रती हुण्डी:—यह वह हुण्डी होती है जिसका मुगतान एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। हुण्डी में मुगतान की तारीख लिखी हुई होती है। (iii) देखमहार हुण्डी:—यह वह हुण्डी है जिसका मुगतान इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ही कर दिया जाता है। (iv) धनीजोग हुण्डी:—यह वह हुण्डी है जिसका मुगतान केवल एक निश्चित पाने वाले को ही होता है। (v) नामजोग या करमान जोग हुण्डी:—यह वह हुण्डी है जिसका मुगतान पाने वाले धनी के आदेशानुसार किया जाता है। इस प्रकार की हुण्डी में बेचान (Endorsement) की आवश्यकता हुआ करती है। (vi) शाहजोग हुण्डी:—यह वह हुण्डी है जिसका मुगतान केवल किसी आदरणीय व्यापारी को ही हो सकता है।

(३) बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft):—यह विनियम विल की भाँति एक साल-पत्र है। ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा (Branch) पर या अन्य किसी बैंक को लियता है और उसे आज्ञा देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशित व्यक्ति को दे दी जाये। ड्राफ्ट देशी या विदेशी दोनों प्रकार के होते हैं। इस तरह इन पत्रों द्वारा द्रव्य बहुत आमानी से और कम खर्च पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वैकों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। भारतीय परकार्य विधान (Indian Negotiable Instruments Act) के प्रमुखान् इनको चंक के समान ही समझा जाता है। व्यापार में और विशेषतः विदेशी व्यापार में इनका बहुत महत्व होता है।

(४) साल-प्रमाण-पत्र (Letters of Credit):—जैसा कि इस पत्र के नाम से ही स्पष्ट है कि साल-प्रमाण-पत्र एक व्यक्ति, फर्म या बैंक द्वारा लिखा हुआ एक ऐसा पत्र है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या बैंक से यह प्रार्थना की जाती है कि वे पत्र में अंकित व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा के अन्दर किसी भी अंदा तक साल प्रदान कर दें। इन पत्रों में एक तिथि भी लिखी जाती है और साल इस तिथि तक ही प्रदान करने की प्रार्थना भी जाती है। ये साल-प्रमाण-पत्र दो प्रकार के होते हैं—(i) साधारण साल-प्रमाण-पत्र (Ordinary Letter of Credit):—यह वह पत्र है जिसे अक्सर एक फर्म या बैंक के नाम ही लिखा जाता है। (ii) चलायमान साल-प्रमाण पत्र (Circular Letters of Credit):—यह वह पत्र है जिसे बैंक की धनेक शाखामों तथा अन्य सम्बन्धित वैकों द्वारा लिखा जाता है। यह स्मरण रहे कि उक्त दोनों प्रकार के साल-प्रमाण-पत्रों के आधार पर ऋण, नकदी में (Cash) या विनियम-पत्रों के रूप में लिया

जा सकता है। रुपया पाने वाले रुपया चाहे चैक की एक शाखा से नैं या कई जगह से लें, परन्तु रकम जितनी सात पन में लिसी गई है उसमें अधिक नहीं ली जा सकती है। रुपया देने वाला इन पनों की पीठ पर लिख देता है कि उसने कितना रुपया दिया है।

(५) यात्रियों के चैक (Traveller's Cheques) — इस प्रकार के चैक यात्रियों के लिये बहुत उपयोगी हैं क्योंकि यात्री इनको प्रस्तुत करवे चैक निकालने वाले चैक की विसी भी शाखा या इसमें सम्बन्धित सरकार से रुपया से सकता है। यात्री के चैक का भुगतान करने वाली जितनी ग्राहिक सरकारें या चैक की शाखाएँ होती हैं, यात्री को इस प्रकार के चैक उतने ही अधिक उपयोगी होते हैं। प्रत्येक चैक पर उसकी निश्चित रकम छपी रहती है। इस प्रकार के चैकों पर एक ऐसा नियम होता है कि उसकी पर रुपये लेने वाले को भुगतान बरने वाले चैक के सामने अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। इन चैकों को जारी बरने वाला चैक प्रत्येक चैक पर चैक के लिये बातें के भी हस्ताक्षर बरा देता है। इस तरह रुपये का भुगतान बरने वाला चैक रुपये लेने वाले के हस्ताक्षर मिला जाता है और अपने आप मह निश्चय बर लेता है कि चैक का भुगतान उचित व्यक्ति को ही दिया जा रहा है या नहीं। इस तरह इन चैकों के साथ जाने या घोड़ेबाजी से हानि की रकम सम्भावना हो जाती है।

(६) ट्रेजरी बिल्स या फोदारार विपत्र या सरकारी हुण्डिया (Treasury Bills) — सरकार अल्पबालीन ऋणग प्राप्त बरने के लिए ही ट्रेजरी बिल्स को जारी किया करती है। इन बिल्स की अवधि ३, ६, ९ मा १२ महीन होती है अर्थात् अवधि समाप्त हो जाने पर सरकार इन बिल्स का भुगतान बर देती है। ये नियम सरकार द्वारा क्यों जारी किये जाने हैं? इनकी एक ही व्याख्या है: सरकार के आमदनी प्राप्त बरने का ममत्र प्राप्त निश्चित ही होता है, परन्तु इस आमदनी प्राप्त बरने से बहुत पहले ही सरकार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धन की आवश्यकता पड़ा करती है। इसीलिए इस आवश्यकता के लिए सरकार ऋण लिया करती है। इस प्रकार के ऋण लेने का प्राप्त व्या क्या करीबा है? सरकार ट्रेजरी विन्स को बेचती है। इनके लिए यह टेंडर (Tenders) मागनी है, जिन्हे वह हर मासिकार के दिन खोलती है। जिस टेंडर में कम से कम व्याज के बट्टे की दर की मात्रा की जाती है, वह स्वीकार बर लिया जाना है। इस स्वीकृति के बाद स्वीकृत टेंडर वाल को निश्चित रकम का भुगतान बरने पर सरकार ट्रेजरी बिल्स के दर्ता है। यह भरणे रहे जि सरकार किसी भी टेंडर को स्वीकार बरने के लिय दाल्य नहीं होती है। सरकार द्वारा स्वीकार विए गए किसी टेंडर (या बिल्स) की रकम उसम दिये गये बट्टे का व्याज की दर पर निभार होती है और इन बिल्स का भुगतान बराबर मूल्य (Par Value) पर होता है। इस प्रकार इन दोनों रकमों का अन्तर वह व्याज है जिसे ऋणदाता सरकार को दिये गये रुपयों पर प्राप्त करता है।

(७) बुक क्रेडिट या पुस्तकीय-साख (Book Credit) :—जब कोई व्यापरी अपना माल उधार लेचता है या कोई बैंक ऋण देता है, तब ये दोनों उधार दी गई रकम को अपने खाते में दिखाते हैं। इस प्रकार के ऋण की ही हम पुस्तकीय-साख कहते हैं। यह स्मरण रहे कि हिसाब की पुस्तकों में इस प्रकार लिखा हुआ ऋण रातूनी रूप से भी उधार मान लिया जाता है और यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के उधार पर ऋणी के दस्तखत हो। वर्तमान व्यापारिक जगत में बुक-क्रेडिट के रूप में ऋणों का बहुत महत्व है क्योंकि साख के एक बहुत बड़े टाचे के आधार पर ही आज के व्यापार चलते हैं। बुक क्रेडिट के रूप में दिये गये उधारों द्वा बहुत-कुछ आपसी ऋणों के समायोजन (Adjustment) से ही भुगतान हो जाता है। यदि इस प्रकार के समायोजन के पश्चात् भी किसी एक पक्ष पर कुछ उधार रह जाता है, तब इसका भुगतान प्रायः नवदी द्वारा हो जाता है। बैंकों के आपस के ऋणों का भुगतान समाशोधन-गृहों (Clearing House) द्वारा ही होता है।

(८) चेक (Cheques):—भारतीय परक्राम्य विधान (Indian Negotiable Instruments Act) के अनुसार चेक की परिभाषा इस प्रकार है—“चेक बैंक में रूपया जमा करने वाले व्यक्ति द्वारा, अपने बैंक के लिये एक लिखित आदेश है, जिसमें यह बैंक को यह आदेश देता है कि चेक में लिखित रूपम को, उसमें लिखित व्यक्ति को या उसके आदेश प्राप्त व्यक्ति को या इसके धारक (Bearer) को, मानने पर प्रदान करे।” तथाम साख-पत्रों में चेक सबसे अधिक परिचित व महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान आधिक जगत में इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। चेक सदैव एक बैंक के लिये ही लिखा जाता है और बैंक को इसका भुगतान तुरन्त ही बरना होता है। चेक में तीन पक्ष (Parties) होते हैं—(i) चेक जारी करने वाला या आहार्ता (Drawer or Maker), (ii) वह पक्ष जिसे आदेश दिया जाता है या आहार्या (Drawee) तथा (iii) वह पक्ष जिसे रूपये का भुगतान विया जाता है या आदाता (Payee)। चेक की सात मुख्य विशेषताएँ होती हैं—(i) चेक जिना किसी शर्त वाला आदेश होता है अर्थात् इसके भुगतान पर किसी भी प्रवार की शर्त नहीं लगाई जाती है। (ii) यह सदैव एक लिखित आदेश होता है। (iii) चेक रादा ही किसी एक बैंक-विशेष पर लिखा जाता है। (iv) इसमें भुगतान की जाने वाली रकम बो साफ-साक तथा स्पष्ट रूप में लिखा जाता है। (v) चेक पर आदेश देने वाले व्यक्ति या इसको जारी करने वाले व्यक्ति या आहार्ता (Drawer or Maker) के हस्ताक्षर होते हैं। (vi) चेक चेक में लिखित रकम का भुगतान तुरन्त ही मान पर बर देता है तथा (vii) चेक जो भुगतान निर्दिष्ट व्यक्ति व्यथवा उसके आदेश के अनुसार ही विया जाता है।

चेक कई प्रकार के होते हैं—(i) बैयरर चेक या याहक चेक (Bearer Cheque):—यह वह चेक है जिसका भुगतान निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा देसे अन्य किसी भी व्यक्ति को हो सकता है जो इसे यौक में प्रभुत करता है। इस प्रकार के चेक पर जैव में लिखे हुए व्यक्ति

या आदाता (Payee) के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होते हैं। वेक के बल मुक्ताना की हाप्ति गे ही स्पष्टा प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर करा लेता है। अत इस प्रकार का चेक पूर्णतया हस्तान्तरीय होता है और इसका भुगतान बोई भी ले सकता है। (ii) आईंडर चेक या आदेश चेक (Order Cheque) —यह वह चेक है जिसमें सिल्ही रकम के बल उसी व्यक्ति को मिल सकती है जिसका नाम चेक पर लिखा है। इसलिये इस चेक को भुगताने के लिये आदाता (Payee) के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। परन्तु इस प्रकार के चेक का भुगतान उम्म व्यक्ति को भी हो सकता है जिसने लिये आदाता चेक के पीछे आदेश देता है। एक बैंयरर चेक बहुत आमानी से आईंडर चेक में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा करने के लिये चेक पर बैंयरर शब्द को लिखा (ग) एक लाईन द्वारा काट दिया जाता है या काट कर आईंडर शब्द छपा होता है, दहीं ऐसा नहीं किया जाता है। (iii) रेलाक्षित चेक (Crossed Cheque) —बब इसी चेक पर बाईंड और चेक के ऊपरी हिसे में दो आड़ी रेखायें खीचकर अपेक्षी में ' & Co ' सिल लिया जाता है, तब हम ऐसे चेक को रेलाक्षित चेक कहते हैं। अन्य साधारण चेकों का नकद में भुगतान चेक के काउन्टर (Counter) पर मरलता से लिया जा सकता है, जिससे ऐसे चेकों को खुले चेक (Open Cheques) कहते हैं। परन्तु रेलाक्षित चेक का भुगतान विसी भी व्यक्ति द्वारा नकद में नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकार के चेक में लिखित रकम आदाता (Payee) या अन्य किसी आदेश प्राप्त व्यक्ति के खाते में ही हस्तान्तरित की जा सकती है। यह अवश्य है कि इस प्रकार के हस्तान्तरण के पश्चात् जब चाहे तब इस रकम को आसानी से निकाला जा सकता है। अत रेलाक्षित चेक के खो जाने या चुराय जाने से किसी भी व्यक्ति को कुछ भी दानि नहीं होती है क्योंकि यदि घोटे से कोई व्यक्ति इन चेकों का स्पष्टा प्राप्त भी कर लेता है, तब चेक को यह आसानी से पता चल जाता है कि अपुक चेकों का स्पष्टा किस व्यक्ति या सरका के खाते में जमा हुआ है और वेक उस खाते में से स्पष्टा वापिस भी ले सकता है। रेलाक्षित चेक भी कई प्रकार के होते हैं—(क) साधारण रेलाक्षित चेक (General Crossed Cheque) —इस प्रकार का चेक वर्ते दिस पर दो लाधारण व आड़ी रेलाएँ खीच दी जाती हैं। वभी कभी इन दोनों रेलाओं के दीच म ' & Co ' या ' Not Negotiable ' लिख दिया जाता है। जब चेक पर ' Not Negotiable ' लिखा होता है तब इसका अर्थ यह नहीं है कि चेक हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है बरत्य इसका यह अर्थ है कि हस्तान्तरणकर्ता के बल उसी प्रकार के अधिकार का हस्तान्तरण कर सकता है जैसा कि उसे स्वयं प्राप्त है। (ख) विशेष रेलाक्षित चेक (Special Crossed Cheque) —यह वह चेक है जिस पर रेलाक्ष (Crossing) दो पूर्ववर्त होता है, परन्तु साथ ही आप भुगतान लेने वाले चेक का नाम भी लिखा हुआ होता है। विशेष रेलाक्ष का लाभ यह है कि यह चेक वो और भी अधिक सुरक्षित बना देता है क्योंकि इस चेक का भुगतान तब ही किया जायगा जबकि यह चेक उसी चेक द्वारा भुगतान के

लिये प्रस्तुत किया जायगा जिसका कि नाम लाइनों के बीच में लिखा हुआ है। (ग) केवल एकाउन्ट पेयी चेक ('Account Payee only' Cheques):—जब रेखांकित चेक को दोनों लाइनों के बीच में "Account Payee Only" लिखा हुआ होता है, तब इससे भी चेक बहुत सुरक्षित हो जाता है क्योंकि चेक में लिखी रकम का भुगतान केवल आदाता (Payee) के साते में ही जमा किया जा सकता है। इसलिए यदि आदाता (Payee) का किसी भी बैंक में साता (Account) नहीं है, तब चेक का भुगतान लेने के लिये उसको किसी बैंक में साता खोलना पड़ेगा और तब ही इस साते द्वारा उसे रुपयों का भुगतान हो सकेगा। अतः इस प्रकार के रेखांकन में चेक को बहुत सुरक्षा हो जाती है।

(६) विल आफ एक्सचेज (Bill of Exchange):—भारतीय परक्रान्त विधान (Indian Negotiable Instruments Act) के अनुसार विल आफ एक्सचेज की परिभाषा इस प्रकार है:—"यह एक ऐसा लिखित पत्र है जिस पर इसे लिखने वाले के हस्ताक्षर रहते हैं और जो उसमें लिखित किसी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति को उसके आवेदनानुसार या उसके धारक (Bearer) को उसमें लिखित रकम किसी शर्त के बिना देने को आता देता है।" \* प्रत्येक विनिमय विल (Bill of Exchange) में तीन पक्ष होते हैं—प्रथम, आहार्ता (Drawer or Maker):—वह व्यक्ति जो विल को दूसरे व्यक्ति पर लिखता है और अपने हस्ताक्षर करके स्वीकृति के लिये भेज देता है। द्वितीय, आहार्या (Drawee or Acceptor):—वह व्यक्ति जिस पर विल लिखा जाता है और जो उसे स्वीकार करता है। तृतीय, आदाता (Payee):—वह व्यक्ति जिसे विल की रकम मिलती है। परन्तु ऐसी अवस्था जिसमें जबकि विल की रकम आहार्ता (Drawer) को ही मिलती है, तब विल में केवल दो ही पक्ष होते हैं—आहार्ता और आहार्या। प्रत्येक विनिमय विल में आठ विशेषताएँ होती हैं—(i) विल आफ एक्सचेज एक बिना शर्त वाला आज्ञा-पत्र है। (ii) यह लिखित में आदेश होता है। (iii) यह ऋणदाता (Creditor) द्वारा ऋणी (Debtor) के ऊपर लिखा जाता है। (iv) इस पर विल जारी करने वाले या आहार्ता (Drawer or Maker) के हस्ताक्षर होते हैं। (v) विल पर आहार्या (Drawee) या जिस पर विल जारी किया गया है, उसकी स्वीकृति को संकेत करने के लिये हस्ताक्षर होते हैं। (vi) विल का माग पर या कुछ अवधि के पश्चात् भुगतान किया जाता है। (vii) विल की रकम द्रव्य के स्वरूप में निश्चित होती है। (viii) विल किसी विशेष मनुष्य या उसके आदेशित व्यक्ति को या धाहक (Bearer) को भुगतान के लिये दिया जाता है।

विल आफ एक्सचेज दो प्रकार के होते हैं:—(i) देशी विनिमय विल (Inland Bill of Exchange):—यह एक ऐसा विल होता है जो जिस देश में लिखा जाता है, उसी देश में उसका भुगतान होता है। इसीलिए जो विल देश के ही किसी व्यापारी

\* "An instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to, or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument."

के ऊपर लिपा जाता है, वह देशी विनिमय विल कहलाता है। (ii) विदेशी विनिमय विल (Foreign Bill of Exchange) —यह एक ऐसा विल होता है जो एक देश में लिपा जाता है लेकिन इसका भुगतान दूसरे देश में किया जाता है। यह स्मरण रखे कि विल का आहार्ता (Drawer) या आहार्य (Drawee) दोनों में से कोई भी एक विदेशी है तो भी वह विदेशी विल होगा। एक विदेशी विल की तीन प्रतिलिपियाँ (Copies) होती हैं। यदि पहली या दूसरा प्रतिलिपि खो जाये, तब तीसरी प्रतिलिपि काम में लाई जा सकती है। विल ऑफ एक्सचेंज की यह विशेषता होती है कि तीन दिन का समय विल के पक्के की तारीख (Date of Maturity) में जोड़ दिया जाता है। व्यापारिक भाषा में हम 'रियायती दिन' (Days of Grace) कहते हैं। प्रया के अनुसार विल तीन महीने की अवधि का होता है अर्थात् विल लिखने की तिथि के ६० दिन पीछे उसका भुगतान करना आवश्यक होता है। परन्तु जब कभी दर्शनी विल (Demand Bills) लिख जाते हैं, तब इनका भुगतान मागन पर तुरन्त ही किया जाता है। यह स्मरण रखे कि कोई भी विनिमय विल प्रकल्पन्य पन (Negotiable Instrument) या वैध विल (Legal Bill) नहीं होता जब तक कि आहार्य (Drawee) उसे स्वीकृत (Accept) करके उस विल पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है। यदि कभी ऐसी दसा उत्पन्न हो जाती है कि विल के पक्के जाने की अवधि पर विल का भुगतान नहीं होता है, तब हम इसे विल का अनादर (Dishonour) कहते हैं और ऐसी दसा में विल के भुगतान का दायित्व (Liability) इसके लिखने वाले या आहार्ता (Drawer) पर होता है।

व्यापारिक व वाणिज्यिक क्षेत्र में विल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय विल्स का बहुत महत्व होता है क्योंकि व्यापारी तथा उद्दोगपत्रियों को इनसे धनवा लाभ प्राप्त होता है —(i) विनिमय विल्स की सहायता से खरीदार विना नकदी (Cash) में तुरन्त भुगतान किए माल खरीद लता है। जब तक विल के पक्के (Date of Maturity) का समय प्राप्त है, यह व्यापारी इस माल को बचावर रखम प्राप्त कर लेता है और समय प्राप्ते पर विल का भुगतान कर देता है। (ii) निर्यातकर्ताओं (Exporters) को भी विनिमय विल्स से अपने व्यापार में बहुत सहायता मिलती है क्योंकि इन्हें अपने देश में अपने माल का अपनी मुद्रा ग मूल्य मिल जाता है। (iii) विनिमय विल्स से प्रयोग से बहुमूल्य धातुओं को एक देश से दूसरे देश में भेजने का व्यय बच जाता है और वीमे के व्यय की भी बचत हा जाती है। अत अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में विल्स ऑफ एक्सचेंज का बहुत महत्वपूर्ण बायं होता है। (iv) विनियोगकर्ताओं (Investors) के विल्स आफ एक्सचेंज एवं तरल व सुविधाजनक साधन होते हैं जिनमें काफी बड़ी मात्रा में अपनी पूँजी का विनियोग करते हैं क्योंकि इन्हें इनकी परिपक्षता (Maturity) से बहुत पहले भी भुगताया जा सकता है। इनके इस गुण के कारण ही यह बहु जाता है कि विनिमय विल्स में बहुत तरक्कता (Liquidity) होती है। (v) विल्स अपने स्वरूपी

को एक निश्चित रकम, निश्चित स्थान व समय पर प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। विल्स का स्वामी अपने इस अधिकार को स्तरीदंवेच सकता है अर्थात् यदि परिपक्वता (Maturity) से पहले रूपये की आवश्यकता पड़ती है, तब विल्स की बैंकों द्वारा मुनाया जा सकता है।

विनियम विल्स की कार्य-प्रणाली के लिए 'विनियम की दर' (Rate of Exchange) नामक अध्याय को

### परीक्षा-प्रश्न

#### Agra University, B. Com.

1. Explain the meaning of the term 'credit' and discuss the part it plays in modern business. (1958)

#### Allahabad University, B. Com.

1. (a) How can the use of cheques be made popular in an under-developed country? (b) How would you find out whether endorsement on cheques are in order or not? (1957) 2. Write a note on—Bills for Exchange. (1957) 3. Write a note on—Buy Low & Sell High. (1957)

4. Describe the circumstances under which banker's authority to pay cheques is terminated. (1956) 5. Write a note on—Buy high, sell low. (1956)

#### Rajputana University, B. A & B. Sc.

1. Write a note on—Bills of exchange. (1955) 2. What is credit and how do commercial banks create credit. (1954)

#### Rajputana University, B. Com.

1. Write a note on—Does credit create capital? Examine. (1955)

#### Sagar University, B. A.

1. टिप्पणी लिखिये—विनियम-पत्र (१९५६)

### अध्याय ६

## बैंकस—विकास, परिभाषा, कार्य तथा वर्गीकरण (Banks—Origin, Definition, Functions and Classification)

### बैंकिंग का विकास (Evolution of Banks)

बैंक का उद्गम (Origin of Banks):—बैंक शब्द "Banco" से निकाला है। "Banco" शब्द का प्रचलन इटली में युन. १३७३ में Venice नगर में प्रथम बैंकिंग-गृह दो स्थापना के प्रचालन हुआ था। प्राचीन इटली में Banco शब्द का अर्थ "बैंकों पर देढ़कर दृव्य बदलना" था। प्राचीन बाल में यूरोप, मारत तथा अन्य देशों में सुनार (Goldsmith) या सर्वांक व घनी लोग—बैंकों पर देढ़कर-मुद्रा-परिवर्तन

(Money Exchange) का कार्य किया करते थे। ये मुद्रा-परिवर्तन करने वाले व्यक्ति मुद्रा का परिवर्तन करने के हेतु अपने पास देश-विदेश की मुद्रा बहुत बड़े पैमाने पर रखता करते थे ताकि जब कोई भी व्यक्ति (विदेशी या भारी या व्यापारी) उनके पास मुद्रा-परिवर्तन करने प्राये, तब ये उसकी इच्छानुसार उसे मुद्रा दे सकें। इनके इस प्रकार के कार्य से यात्रियों तथा व्यापारियों को बहुत सुविधा होती थी। जब कोई महाजन असफल या दिवालिया हो जाया करता था, तब उसकी बंध को तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते थे। Banco को सोडने से ही ये ग्रेजी शब्द Bankrupt (दीवालिया) की उत्पत्ति हुई है। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि ये ग्रेजी शब्द Bank जर्मन शब्द Back से बना है जिसका अर्थ है मिथित-स्कन्ध-न्योप (Joint Stock Fund)। परन्तु ये ग्रेजी शब्द Back का इटेलियन नामा में अर्थ Banco ही है।

प्राचीन काल में मुद्रा सोने व चाढ़ी की अथवा मूल्यवान घातुओं की हुआ करती थी जिससे इन सर्फों को अपने घन की रक्षा करने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। शब्द: शब्द: जनता का इन मुद्रा-परिवर्तन करने वालों (Money Exchangers) में बहुत विवास हो गया जिससे ऐसे व्यक्ति जिनके पास घन था, वे सुरक्षा की हालिये अपने रूपये इन सर्फों के पास अमानत (धरोहर) के रूप में जमा करने लगे। इन व्यक्तियों वो यह सुविधा थी कि ये जिस समय चाहे अपने उपयोग के लिये आपने रूपये व्यापिस ले सकते थे। इस अमानत के बदले सर्फ मुद्रा जमा करने वाले व्यक्तियों को रसीद (Receipts) दे दिया करते थे। सर्फ व सुनार मुद्रा की सुरक्षित रखने के कार्य के बदले में आरम्भ में कुछ शुल्क (Fees) लिया करते थे। सर्फ अपने घास के घन को झूण के रूप में दूसरों को व्याज के रूप में दिया करते थे। इनको शब्द यह अनुभव हुआ कि भनुप्य जितना घन इनके पास जमानत के रूप में जमा (Deposit) करते थे, उसमें से बहुत ही कम वे निकालते थे और वाकी रकम इनके पास बेकार रही रहती थी। सर्फों ने अपने पास पढ़ी इस बेकार रकम को भी झूण पर देना आरम्भ कर दिया और जमाकर्ताओं से न केवल उनकी अमानत पर शुल्क (Fees) लेना बन्द कर दिया बल्कि उनकी अमानत पर उन्हें व्याज देना आरम्भ कर दिया। परिणामत उनकी अमानतें धीरे-धीरे बहुत बढ़ गई। यह स्वाभाविक ही है कि जमा कर्ताओं को दी जाने वाली व्याज की दर झूणियों से लो जाने वाली व्याज की दर से कम ही होती थी। व्याज की दरों का यह अन्तर ही सर्फों का लाभ होता था। इस तरह जमा बैंकिंग (Deposit Banking) प्रणाली का आरम्भ हुआ।

अमर यह बताया गया है कि सर्फ जमाकर्ताओं को उनकी अमानत प्राप्त करन की रसीद (Receipts) दिया करते थे। जूँ कि जनता का इन सर्फों में बहुत विवास था, इसलिए कालान्तर में ये रसीदें, बर्गर मुद्रा में परिवर्तित हुए ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास लेन-देन के मुगाबाले के रूप में हस्तान्तरित होने लगी। इस तरह सर्फों की ये रसीदें चैक (Cheque) का काम करने लगी। कभी-कभी ये सर्फ झूणियों को उधार म सोना या बारम्ब म मुद्रा देने के बजाय, उपन रसीद (पैसे) पर

रूपया उधार देने का वचन (Promise to pay the bearer on demand) ही दे दीते थे जिनका चलन समाज में इन सर्टफो की साख के क्षेत्र में सोने के सिल्को की तरह होता था। इसीलिए कभी-कभी ये रसीदें अखण्ड-भुगतान तक में स्वीकार की जाने लगी। ये रसीदें ही पत्र-मुद्रा या नोटों (Bank Notes) का प्राथमिक रूप था। इस व्यापार में अधिकाधिक साम्राज्य होता देखकर अनेक नये-नये ध्यवित भी उक्त व्यवसाय करने लगे जिससे दाने: शाने: बैंकिंग व्यवस्था का बहुत विकास हो गया। सन् १६६४ में बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) की स्थापना हुई जिससे उक्त प्रणाली को एक वैज्ञानिक रूप मिल गया। सन् १७०८ तक नोट निर्यातित (Issue) करने का अधिकार या तो सरकार के हाथ में आ गया या देश का केन्द्रीय धैर्यक इस कार्य को करने लगा। शाने: शाने: अट्टाइहबी-इताव्ही-के-अन्त तक “बैंक प्रणाली” का प्रत्यधिक विकास हो गया और इसने एक वैज्ञानिक रूप ले लिया। जब बैंकिंग का कार्य मिश्रित पूँजी बाली कम्पनियों (Joint-Stock-Companies) द्वारा किया जाने लगा, तब तो बैंकिंग व्यापार ने और भी अधिक उन्नति की क्योंकि इन कम्पनियों का आधार सीमित दायित्व (Limited Liability) प्रणाली था। बैंक प्रणाली में इतना अधिक विकास हुआ है कि ये बत्तमात्र आधिक व व्यापारिक जगत के एक आवश्यक अंग हो गये हैं।

### भारत में बैंकिंग का विकास (Evolution of Banking in India):—

भारत में भी पूरोप के सरोको व सुनारो को तरह बहुधा जैन तथा वैश्य जाति के मनुष्य बैंकिंग का कार्य किया करते थे। कोटिल्य के ‘अर्थशास्त्र’ तथा ‘मनुस्मृति’ में भी बैंकिंग-पद्धति का उल्लेख मिलता है। १३ वीं शताब्दी में टेबनियर नामक फ्रांसीसी यात्री ने भारत के विषय में लिखते हुये इस बात ना उल्लेख किया है कि ‘बहुधा प्रत्येक देहांत में एक मुद्रा-परिवर्तनकर्ता (Money Exchanger) रहता था जिसे सरांक कहते थे और ये मुद्रा का परिवर्तन तथा इसके हस्तान्तरण (Remittance) का कार्य करते थे।’ कुछ व्यक्तियों का यह विचार है कि ये सरांक बैंकिंग का जो कुछ भी कार्य करते थे वह उसी समय के यूज (Jews) के बैंकिंग कार्यों से बहुत बढ़ा-बढ़ा था। हृषिङ्गों के प्रयोग के सम्बन्ध में भी हमारे प्राचीन साहित्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है। यह अवश्य है कि उस समय के सर्टफों या बैंकस के दो ही मुख्य कार्य थे—रूपया\_जमा पर प्राप्त करना (Acceptance of Deposits) तथा रूपया उधार देना (Granting of Loans) परन्तु अब जो दोनों बैंकों की स्थापना तथा इनका विकास अंग्रेजों के भारत में आने के बाद ही हुआ है। (इस सम्बन्ध में ‘भारत में मिश्रित पूँजी के वैक्स’ शीर्षक नामक अध्याय में विस्तार से लिखा गया है)। अत एक तरह से यह इहा जा सकता है कि भारत में बत्तमात्र बैंकों का उद्गम भी अंग्रेजों द्वासन का प्रतीक है।

### परिभाषायें (Definitions)

बैंक की परिभाषा (Definition of a Bank):—प्राथमिक बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं (इनका उल्लेख आगे किया गया है) इसीलिए इन विभिन्न,

प्रकार के कार्यों को करने वाली सत्त्या—बैंकस, की एक शीक हीक व नप तुले शब्दों में परिभाषा बरता बहुत ही बठिन व गुरुतर कार्य है। यही कारण है कि विभिन्न लेखकों ने एक बैंक की भिन्न भिन्न परिभाषायां दी हैं। नीचे इनमें से कुछ प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण परिभाषाओं का ही विस्तारपूर्वक व्याख्यन किया गया है—

(१) दी शीरटर ऑफिसर्ड इंग्लिश डिक्षनरी (The Shorter Oxford English Dictionary) ने आधुनिक वैकिंग को इस प्रकार प्रभावित किया है—  
 ‘बैंक एक ऐसी सत्त्या है जो अपने प्राहकों से प्राप्त या उनकी (प्राहकों) और से प्राप्त धन को अपने उरक्षण (Custody) में रखती है। इसका मुद्रण-कार्य-उनके (प्राहकों) द्वारा बैंक पर जारी किए गए ड्राफ्टों (Drafts) का भुगतान करता है और इसका (बैंक) लाभ उन द्रव्यों के प्रयोग द्वारा उत्पन्न होता है जो इसके पास निवृत्योगी (Unemployed) घंथ जाता है।’ इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि बैंक वह सत्त्या है जो जमा पूँछ रुपया प्राप्त करती है और जो इस जमा (Deposits) का माँग पर भुगतान करती है।

(२) सन् १८४६ के भारतीय वैकिंग कम्पनीज एक्ट ने बैंक की एक उचित व ठीक परिभाषा दी है। इस एक्ट ने अनुसार बोई भी सत्त्या अपने नाम व आग ‘बैंक, ‘बैंकर या वैकिंग शब्द का उपयोग तभी कर सकती है जबकि उसमें कुछ बात होती है और ये इस प्रकार है—बैंक या वैकिंग कम्पनी वह कम्पनी है जो ‘जनता से उपार देने के लिए माल-दृश्यका वित्तियोजन (Investment) करने के लिए मुद्रा को जमा (Deposits) पर प्राप्त करती है और जो इसका सामग्री पर या चंक, ड्राफ्ट, आर्डर (Order) तथा अन्य विस्तीर्णार से भुगतान करती है।’

फिडल शिरास (Findlay Shirras) ने ‘बैंकर उस व्यक्ति, फर्म या कम्पनी को बताया है जिसने पास कोई ऐसा व्यापारिक स्थान हो जहा द्रव्य या करेंसी की जमा द्वारा साख या कार्य किया जाता है और जिसकी जमा का ड्राफ्ट, चंक या आर्डर द्वारा भुगतान किया जाता हो या जहा स्टाक बौड, युलियन और विप्रों पर ड्रव्य उपार दिया जाता हो या जहा प्रेण-पन (B/E. and P/E.) बट्टे पर या बचने के बास्ते लिये जाते हो।’ प्रो० शिरास वी० यह परिभाषा व्यापि बहुत निस्तृत है परन्तु यह सतोप्रद मानी जाती है व्याक्ति उसने इसमें न बैंकल बैंक के उधार लेने और उधार

\*— An establishment for the custody of money received from or on behalf of its customers. Its essential duty is to pay their drafts on it; its profits arise from the use of the money left unemployed by them.—The Shorter Oxford English Dictionary

†— The accepting for the purpose of lending of investment of deposits of money from public repayable on demand or otherwise and withdrawable by cheque, draft order or otherwise.—The Indian Companies Act 1949

‡—Findlay Shirras has defined a banker as a person, firm or company having place of business where credits are opened by the deposit or collection of money or currency subject to be paid or remitted upon draft, cheques, order or where money is advanced or loaned on stocks, bonds, bullion and B/E and P/N are received for discount and sale.

देने के कार्य वरन् साख उत्पन्न बरने और एजेंसी के कार्य भी सम्मिलित किये हैं। कुछ व्यक्तियों का यह विचार है कि प्रो० फिल्डले शिरास (Findlay Shirras) की बैंक की यह परिभाषा ठीक नहीं है क्योंकि उसने इस परिभाषा में बैंक द्वारा करेन्सी के विनियम तथा द्रव्य द्वारा व्यापार को सहायता पहुँचाने के कार्यों का समावेश नहीं किया है। परन्तु इस दोष के होते हुए भी शिरास की बैंक की परिभाषा आज सर्वमान्य प सरकारी कृत है।

(४) एक अन्य लेखक ने बैंक की परिभाषा इस प्रकार दी है—“बैंक वह संस्था है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है।” (Bank is an Institution dealing in money and credit)। बैंक की यह परिभाषा बहुत ही सधिष्ठित तथा मुन्द्र है। जिस प्रकार समाज में अनेकों दूकानें होती हैं और ये अनेक वस्तुओं का क्रय-विक्रय करती हैं, ठीक इसी प्रकार बैंक भी एक ऐसी दूकान है जो मुद्रा तथा साख का क्रय-विक्रय करती है। यह अवश्य है कि द्रव्य व साख में व्यापार करने वाली दूकान वा कार्य-क्रम अपेक्षाकृत अधिक जटिल तथा वैज्ञानिक होता है। परन्तु मुद्रा व साख के व्यवसाय (इनके क्रय-विक्रय) का क्या अर्थ है? मुद्रा के क्रय वा अर्थ ऋण लेना और मुद्रा के देचने का अर्थ ऋण देना होता है। इन दोनों दशाओं में मुद्रा का मूल्य व्याज के रूप में दिया जाता है। चूंकि व्यक्ति भी ऋण वा लेन-देन करते हैं, इसलिए, इस हाईटकोड से एक बैंक और एक लेन-देन करने वाला व्यक्ति एक समान होते हैं। परन्तु इनमें इस समानता के होते हुए भी हम व्यक्ति को बैंक नहीं कहते क्योंकि व्यक्ति साख का क्रय-विक्रय नहीं करता है और बैंकों का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस तरह साहूकार और बैंक में एक साथ अन्तर होता है जिससे हम यह वह सकते हैं कि प्रत्येक बैंक साहूकार का कार्य करता है, परन्तु प्रत्येक साहूकार बैंक वा बैंक नहीं करता है। बैंक द्वारा साख के क्रय-विक्रय का क्या अर्थ है? बैंक जो भी ऋण देता है वह उसके पास जमा के रूप में (Deposits) रह जाता है और इस प्रकार बैंक अपने ग्राहक वी साख वा निर्माण करता है। इस क्रिया को बैंक द्वारा साख का विक्रय कहते हैं। जब ग्राहक चैक घाटते हैं और जब यह चैक धैक के पास भुगतान के लिए आता है, तब ग्राहक वी साख बैंक वी साख में हस्तान्तरित हो जाती है। इस क्रिया को बैंक द्वारा साख वा अर्थ कहते हैं। स्पष्टतया साख वा इस प्रकार वा क्रय-विक्रय साहूकारों द्वारा नहीं किया जाता है जिसके बोरण इन्हे बैंक नहीं कहते हैं।

**निष्कर्षः—** ऊपर बैंक वी केवल चार मुख्य परिभाषाएँ दी गई हैं, परन्तु बैंक वी और बहुत सी परिभाषाएँ हैं। इन सभी परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बैंक व संस्था है जिसके दो मुख्य कार्य होते हैं—प्रयम, जनता से जसा

\*१—किनले (Kinley) के अनुगार, “बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों वो ऋण देती है जिन्हे इसकी आवश्यकता है प्रीर जिसके पास व्यक्ति अपना ऐसा रप्या जमा कर देने हैं जो उनके पास फालतू होना है।”

(दोप्रथा पृष्ठ पर)

(Deposit) पर स्पदा प्राप्त करना और द्वितीय, मांग होने पर चेक, ड्राफट या अन्य किसी पत्र द्वारा जमा हुई रकम का मुग्जतान करना। विभिन्न लेखकों की बैंक की परिमापाओं से यह भी पता चलता है कि प्रत्येक लेखक ने परिमापा के स्थान पर वर्णन

("Bank is an establishment which makes to individuals such advances of money as may be required and safely made and to which individuals entrust money when not required by them for use"—Kinley)। इस परिमापा का यह दोप है कि इसमें बैंक के केवल उधार देने और उधार देने के कार्यों पर ही बल दिया गया है परन्तु बैंक के अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य भी हैं (जैसे, साख उत्पन्न करना, ऐजेन्सी के कार्य करना आदि) जिनकी इस परिमापा ने अवहेलना की है। इसीलिये किनसे भी परिमापा दोषपूर्ण है।

२—डा० एच० एस० हार्ट (H L Hart) ने बैंक की परिमापा इस प्रकार की है—"बैंकर वह व्यक्ति है जो अपने खाधारण व्यवसाय के अन्तर्गत, स्पदा प्राप्त करता है और जिसे वह उन व्यक्तियों के चेकों का मुग्जतान करके छुकाता है जिन्होंने या जिनके साते में यह स्पदा जमा किया गया है।" ("A banker is one who in the ordinary course of his business, receives money which he pays by honouring cheques of persons from whom or on whose account he receives it"—Dr H L Hart)। प्रो० किल्से की तरह डा० हार्ट की बैंक की परिमापा भी दोषपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भी बैंक के समस्त कार्यों का अपनी परिमापा में समावेश नहीं किया है।

३—वाल्टर लीफ (Walter Leaf) ने बैंक की परिमापा इस प्रकार दी है—"बैंक वह व्यक्ति या संस्था है जो हर समय जमा के स्पद में द्रव्य सेन को रुकार हो और जो जमा करने वालों को उनके लिये हुए चेकों द्वारा वापिस करती हो।" ("A Bank is that institution or individual who is always ready to receive money on deposits to be returned against the cheques of their depositors"—Walter Leaf)। उक्त भी भावि इस परिमापा में भी दोष हैं।

४—जॉन पेगेट (John Paget) न बैंक की परिमापा देते समय बहुत निश्चित रहने का प्रयत्न किया है। उन्होंने बैंक की परिमापा इस प्रकार दी है—"कोई भी व्यक्ति या संस्था [समिलित (Corporate) या व्यक्तिगत न्यून] बैंकर नहीं कहता सकता, जब तक कि वह (i) द्रव्य को जमा (Deposits) के स्पद में नहीं लेता है, (ii) चालू खाते में स्पदा जमा नहीं करता है, (iii) चेकों को निर्गमित करने और अपने ऊपर लिये हुए चेकों के बदल में द्रव्य दिन का कार्य नहीं करता है, (iv) चेकों को चाहे ये सादे हो या रेखांकित हो (Uncrossed or Crossed) अपन ग्राहकों के लिये एकत्रित (Collect) नहीं करता है। यह कहा जा सकता है कि चाहे ये सब उपरोक्त कार्य एक व्यक्ति या बहुत से समिलित व्यक्तियों (Corporate Body)

(शप अगले पृष्ठ पर)

को अधिक महत्व दिया है अर्थात् प्रत्येक अर्थशास्त्री ने बैंक की परिभाषा देते समय इनके ऐसे वायों पुर्व-ऐसे व्यवसायों दो गिनवाने का प्रयत्न किया है जोकि बैंक के लिये आवश्यक होते हैं जिससे उनकी परिभाषाओं में मरलता के स्थान पर जटिलता का पृष्ठ आ जाता है।

### कार्य तथा सेवाएँ

#### (Functions and Services)

आधुनिक बैंक के कार्य तथा सेवाएँ (Functions and Services of a Modern Bank):—प्रथमशताब्दी में जब कभी भी केवल बैंक शब्द का प्रयोग होता है,

द्वारा किये जाते हैं, परन्तु कोई भी बैंकर या बैंक नहीं कहला सकता, जब तक कि वह निम्न शर्तें पूरी न करता हो—(i) बैंकिंग उसका मान्य या ज्ञात व्यवसाय हो, (ii) वह अपने आपको बैंकर या बैंक मानता हो और जनता भी ऐसा ही समझती हो, (iii) उसका विचार भी ऐसा कार्य (बैंक का) करके रखा कराना हो, (iv) यह व्यवसाय (बैंकिंग) उसका गौण (Subsidiary) व्यवसाय न हो बल्कि यह मुख्य व्यवसाय हो। ("No one and no body; corporate and otherwise, can be a banker who does not:—(i) take deposit accounts, (ii) take current accounts, (iii) issue and pay cheques drawn upon himself, (iv) collect cheques, crossed and uncrossed, for his customers and it might be said that even if all the above functions are performed by a person or body corporate, he or it may not be a banker or bank unless he or it fulfills the following conditions—(i) Banking is his or its known occupation, (ii) he or it must profess to be a banker or bank and the public take him or it as such, (iii) has an intention of earning by doing so and (iv) this business is not 'subsidiary'"—John Paget.) । यह तो स्पष्ट है कि जॉन पेंगट ने अपनी परिभाषा में बहुत ही निश्चित व ढीक रहने का प्रयत्न किया है, परन्तु किर भी उसकी बैंक की परिभाषा में एक दोष है। यह दोष मुख्यतः बाबून वी हॉटि से पाया जाता है। पेंगट ने बैंक के चार कार्य घटाये हैं, परन्तु यदि कोई व्यवित या बैंक इनमें से केवल एक कार्य को ही कर रहा है, तब व्यवहारिक रूप में वह भी बैंक कहलायेगा, चाहे वह बैंकर के रूप में प्रसिद्ध हो या नहीं भी प्रसिद्ध हो या वह अपने प्राप्त को ऐसा मानता हो या नहीं भी मानता हो और चाहे उसका व्यापार गौण (Subsidiary) हो या मुख्य हो क्योंकि बाबून वी हॉटि से इन सब घटाओं का कोई महत्व नहीं होता है।

परन्तु जहां तक बैंक के मुख्य कार्यों का सम्बन्ध है—जमा (Deposit) पर रखा प्राप्त करना और मांग पर इनका मुग्धतान बरना, उक्त सभी परिभाषाओं में पाये जाते हैं। इसलिए उक्त बैंक वी सब ही परिभाषाएँ आजबल सर्वमान्य तथा सर्वस्वीकृत हैं।

तब इसका अभिप्राय विशेषता व्यापारिक बैंक (Commercial Bank) से होता है। क्योंकि वर्तमान समाज में इन प्रकार के बैंक ही बहुत प्रचलित हैं और इनके वार्य भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सामान्य रूप से एक आधुनिक बैंक के निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं—

(१) जमा पर रूपये प्राप्त करना (Acceptances of Deposits).—जमा पर रूपया प्राप्त करने का कार्य प्रत्यक्ष आधुनिक बैंक का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। समाज में अधिकाश व्यक्ति अपनी आमदनी में से रकम-अधिक भाग में रूपया बचाकर रखते हैं। मूँ तो ऐसे व्यक्ति इस बचत का स्वयं ही उत्पादक प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु यदि यह बचत बहुत कम मात्रा में है या संग्रहकर्ता में व्यवसायिक बुद्धि या जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है, तब वे इसे किसी सम्पत्ति में घोरी का डर या व्याज के लालच से जमा कर देते हैं। इस तरह धन समय बरने वालों द्वारा अपनी बचत पर आमदनी प्राप्त होने के अतिरिक्त उन्हें यह भी सुविधा होती है कि आवश्यकता पड़ने पर वे इस रकम को बैंक से बांपिस ले सकते हैं। बैंक व्यापार के लिए रूपया मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त करता है—प्रथम, दोनों या बैंक के शेयर (Shares) बेचकर और द्वितीय, जमा पर रूपया प्राप्त करके। परन्तु बैंक जिस रूपये से व्यापार करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा भाग जमा के रूप में प्राप्त होता है और बहुत बड़ा भाग ही शेयरहोल्डर्स या शेयरहारियों (Shareholders) का होता है। बैंक के पास जमा (Deposits) कई प्रकार के लातों से प्राप्त होती है—(१) निश्चितकालीन जमा-लात (Fixed Deposit Accounts)—यह एक ऐसा लाता (Account) होता है जिसमें रकम एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है। यह समय प्राय ३ महीने से ५ वर्ष तक का होता है। परन्तु बैंक आहकों की सुविधा के लिए इस प्रकार के लातों में से रकम, अवधि समाप्त होने से पहले भी कुछ पर्याप्ती काट कर (Discount) दे दिया करता है। इस प्रकार की जमाओं (Deposits) पर व्याज की दर भी माध्यरण्तर तथा ऊँची होती है क्योंकि बैंक भी इस रकम को विना किसी हिचकिचाहट के एक निश्चित अवधि के लिए उधार दे सकता है। रूपया जमा बरत समय जमाकर्ता (Depositor) को एक रसीद दी जाती है, परन्तु यह रसीद हस्तातरित नहीं (Not Negotiable) की जा सकती है और न इनका चेक की तरह उपयोग ही हो सकता है। इसीलिए लाते में से रूपया बांपिस लेने समय जमा-रसीद (Deposit Receipt) को बांपिस लोटाना पड़ता है। कभी कभी इस प्रकार के लाते में रूपया बिशेष लाती पर भी जमा दिया जाता है। (२) सेविंग बैंक के लाते (Savings Bank Accounts)—इस प्रकार का लाता प्राय उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है जो नभी कभी वे बहुत छोटी छोटी मात्राओं में रूपया जमा बरता चाहते हैं। इस लाते में रूपया लोटाने में नन चाहे जितनी बार जमा दिया जा सकता है, परन्तु इनसे कांपिस लेने का अधिकार बहुत सीमित होता है। अक्सर हफ्ते में एक या दो बार ही रूपया निकाला जा सकता है। इसके अनियन्त्रित इस लाते में रूपया निकालने की एक अधिकतम

मीमा (Maximum Limit) भी होती है और यदि ग्राहक इस निर्धारित सीमा ने अधिक रकम निवालना चाहता है, तब उसे बैंक द्वारा पहले से ही नोटिस देना पड़ता है। सेविंग बैंक के साते मुख्यतः निश्चित व कम आय वाले गृहरियों की सुविधा के लिए तथा उनमें घन-सचय की आदत जाप्रत करने के लिए खोले जाते हैं। इन सातों पर निश्चित वालीन जमा की अपेक्षा व्याज की दर बहुत होती है और अक्षर यह दर १ से २ प्रतिशत तक होती है। जब साते में जमा की गई रकम, बैंक द्वारा निश्चित की हुई सीमा से ऊपर चली जाती है, तब बैंक ग्राहकों को सीमित रूप से साते में बैंक द्वारा ग्राहक निवालने की मुश्विधा (Restricted Cheque Facilities) भी ग्राहक द्वारा ही देता है। कभी कभी बैंक व्याज की आदत बैंक द्वारा निश्चित के लिए एक गुलक (A Small Safe) भी बैंक ग्राहकों को दे दिया जाता है जिसमें वे अपने घर पर समय-समय पर अपनी छोटी-छोटी व्यवहार लालते रहते हैं। समय-समय पर ऐसे व्यक्ति इन गुलकों को बैंक में ले जाते हैं और बैंक अपनी चाही से इसे खोलकर इसमें जमा की गई रकम वो निवाल लेते हैं और ग्राहक के साते में जमा कर देते हैं। इस प्रकार वी सुविधा प्राप्त लातों में व्याज की दर बैंक द्वारा नाम मात्र की ही होती है। पुढ़ से पूर्व दी संष्टुल बैंक ऑफ इण्डिया (Central Bank of India) ने इसी प्रकार के साते के अन्तर्गत ग्राहकों को एक ऐसी घटी (Watch) दी थी जिसे नियमपूर्वक १ शाना प्रतिदिन उसमें डालने पर ही चलाया जा सकता था। इसी तरह कुछ बैंकों ने विवाह साते (Marriage Accounts) खोले थे जिनसे भी नागरिकों में व्यवहार के प्रोत्साहन मिलता था। (iii) प्रनिश्चितवालीन जमा (Deposits for an Indefinite Period):—यह एक साता होता है जिसमें जमा की गई रकम, कुछ विशेष दमायों को दोड़कर, कभी भी निवाली नहीं जा सकती है। जमावर्ती बैंक द्वारा इस रकम के व्याज को ही निवाल सकता है। यूंकि बैंक इसका दीर्घकालीन तथा स्थायी विनियोग (Investment) कर सकते हैं, इसलिये इस जमा पर व्याज की दर भी मध्यम ऊंची होती है। परम्परा व्यापारिक बैंकों के जीवन में इस प्रकार की जमा का बहुत कम महत्व होता है क्योंकि ऐसे साते बहुत कम ही खुला जाता है। (iv) चालु साते (Current Accounts):—यह एक ऐसा साता है जिसमें जमावर्ती अपनी इच्छा-नुसार कभी भी रूपया जमा जारी कर सकता है और कभी भी इसे अंदर या पूर्णतः निवाल सकता है। इसीलिये ये साते व्यापारियों तथा बड़ी-बड़ी संस्थायों की सहायता के लिए ही होते हैं जिन्हे दिन भर में बितने ही चंड जारी करने पड़ते हैं तथा हजारों व लाखों रुपयों का प्रति दिन लेन-देन वरना पड़ता है। इन सातों से रूपया चंड द्वारा निवाला जाता है और अक्षर बैंक-टन सातों पर कुछ भी व्याज नहीं देने हैं बरन् चंड द्वारा रूपया निवालने की सुविधा एवं प्रबन्ध के लिये प्रति दूःमाह कुछ मामूली रकम (Incidental Charges) तक ग्राहकों से ले लेने हैं। यह अवश्य है कि कुछ बैंक इस साते पर भी जमा की रकम एक निश्चित मात्रा से नीचे नहीं गिरते पर, कुछ मामूली व्याज दे देते हैं परन्तु जब कभी जमा की रकम इस निश्चित राशि से बहुत हो जाती है, तब ये दोनों के अन्तर पर उल्टा ग्राहक से व्याज ले लेते हैं।

(२) ऋण देना (Advancing of Loans) — जु़ही देना या प्रधिम देना (Advances) व्यापारिक देने का दूसरा महत्वपूर्ण वार्य है। यह सभ्या जमाकर्ताओं (Depositors) का एप्या प्राप्ति उत्पत्ति वालों के लिए उत्पादकों को उधार दिया करती है। जमा बरने वालों को दी जाने वाली व्याज की दर ऋणियों से ली जाने वाली व्याज की दर से बहुत कम होती है। इन दोनों का अन्तर ही दोंक का एक मध्यस्थ रूप में वार्य करने का लाभ है। दोंक उचित जमानत या सुरोहर (Security) मिलने पर ही जु़ही की एप्या उधार देता है ताकि एप्या न लौटाये जाने पर वह इस जमानत की वेचवर रूपया प्राप्त कर सके। यह स्मरण रहे कि एक दोंक बेचल जमा द्वारा प्राप्त रकम को ही उधार नहीं देता बरन् स्वयं जमा की उत्पत्ति (Creation of Deposits) करके भी ग्राहकों की जमा की गई रकम से कई गुनी अधिक रकम उधार दे देता है। मह क्षिया किस प्रकार से होती है? दोंक जो भी जु़हा देते हैं, वह प्राय नबद में नहीं दिया जाता है बरन् दोंक जु़ही के नाम ना एवं चालू खाता (Current Account) खोलवर उसमें जु़हा की रकम जमा न देते हैं और जु़ही को एक चैक-बुक दे देते हैं। परिणामतः जु़ही समय-समय पर आवश्यकतावासर चालू खाते में से एप्या निकाल सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था का लाभ यह है कि ब्रव्य के स्थान पर दोंक की साल का बहुत हृद तक प्रयोग किया जाता है क्योंकि ग्राहकों को तमाम जु़हा एक साथ नहीं मिलता बरन् यह उस समय ही मिलता है जबकि उसे इसकी आवश्यकता होती है जिससे साल के उपयोग में बहुत बचत हो जाती है। इसी को अर्थशास्त्र में कहते हैं कि “जु़हा जमा की उत्पत्ति करते हैं।” (Loans Create Deposits)। यह स्मरण रहे कि प्रत्येक दोंक को इस प्रकार जु़ही से ही अपनी प्राय या लाभ का प्रधिकास भाग प्राप्त होता है। इसीलिए किसी दोंक की सफलता भी बहुत कुछ इस बात पर निर्भर रहती है कि वह अपने जु़ही की किस प्रकार व्यवस्था करता है क्योंकि जु़हा-सम्बन्धी दोपूर्ण नीति अपनाने पर दोंक के फैल तक हो जाने का भय उत्पन्न हो सकता है। दोंक दोभी-दोभी व्यक्तिगत जमानत (Personal Security) पर या दो और दो से प्रधिक व्यक्तियों की समिलित जमानत (Joint Security) पर रूपया उधार देते हैं। परन्तु अधिकास जु़हा नियो-साध्य जमानत पर ही दिये जाते हैं। प्रत्येक दोंक कई प्रकार से जु़हा देने का वार्य करता है—

नबद साल (Cash Credit)—नबद साल द्वारा रूपया उधार देने की प्रणाली का जन्म स्कॉटलैंड (Scotland) में हुआ था। वहां पर इस प्रणाली ने व्यापारियों की बहुत सहायता की जिससे स्कॉच मनुष्यों (Scottish People) की आर्यिक समृद्धि भी बहुत बढ़ी थी। नबद-साल द्वारा जु़हा देना एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोंक अपने ग्राहकों को बैंड्स (Bonds) या व्यापारिक माल (Commercial Goods) या अन्य स्वीकृत प्रतिशुलियों (Securities) के आधार पर जु़हा दे देते हैं। यदि जु़हा व्यापारिक माल की जमानत पर दिया गया है तब दोंक इस माल को अपने गोदामों (Godowns) में रख लेते हैं। जब जु़ही रूपया लोटा देवे हैं तब दोंक

भी माल को छोड़ (Release) देते हैं। अबसर बैंक गोदाम में जमा विदेंगे माल की जमानत पर इसके मूल्य का ७५% से अधिक छूटा नहीं देते हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि यदि व्यापारी रूपये लौटाने में असमर्थ हो जाय या माल के मूल्य में घोड़ी-बहुत कमी हो जाये, तब माल के बेचने पर बैंक को हानि नहीं उठानी पड़े। भारतीय व्यापारियों के लिये छूटा लेने की यह प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक सिद्ध हुई है, इसीलिये ये इसे बहुत प्रशंसन करते हैं। (ii) अधिविकर्ष मुदिधार्य (Over-Draft Facilities):—जब कभी बैंक अपने ग्राहक द्वारा उसके खाते में जितनी रकम जमा है उससे अधिक रुपये निवालने की अनुमति दे देता है, तब इसे अधिविकर्ष सुविधा कहते हैं। बैंक इस प्रकार के अन्तर पर सूद लिया करता है। सूद की दर भी बहुत ऊँची होती है क्योंकि बैंक इस प्रकार के छूटा को हतोत्साहित किया करता है। यह सुविधा केवल अल्पालीन ही हुआ करती है। बैंक अपने ग्राहकों को इस प्रकार की सुविधा देते समय प्रायः उचित जमानत भी लिया करता है। नकद-साल और अधिविकर्ष मुदिधार्य में एक ही अंतर है। प्रथम प्रणाली का उपयोग तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, परन्तु द्वितीय प्रणाली का उपयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो बैंक में रूपया जमा करके अपने नाम में खाता खोलता है। इसके अतिरिक्त अधिविकर्ष सुविधा केवल पुराने तथा प्रसिद्ध ग्राहकों को ही दी जाती है। (iii) छूटा तथा प्रग्राम (Loans and Advances):—प्रत्येक बैंक एक उचित जमानत (Security) मिलने पर स्पष्ट उधार देने वा कार्य भी करता है। इस प्रकार बा छूटा एक पूर्व निश्चित बाल के लिए दिया जाता है। जब तक छूटा का पूर्णतया भुगतान नहीं हो जाता, तब तब छूटा वा अन्त नहीं माना जाता है। छूटा कभी भी चालू नहीं रहता है अर्थात् यदि छूटा ने छूटा के नुच भाग वा भुगतान कर दिया है और तत्पश्चात् यदि वह इस भुगतान की गई रकम को फिर उधार लेना चाहता है, तब वह इस रकम को वापिस नहीं ले सकेगा जब तक कि बैंक उसे एक नया छूटा प्रदान नहीं करता है। परन्तु नकद-साल तथा अधिविकर्ष (Over Draft) के रूप में दिये गये छूटा भी इस प्रकार की वाधा नहीं होती है। यह स्मरण रहे कि बैंक जब कभी इस प्रकार के छूटा देता है, तब वह छूटा को रूपया नकद में न देकर उसके नाम वा एक चालू साला खोल देता है और उसमें दी गई रकम को अमावर देता है जिससे बैंक अपने बहुत घोड़े से नकद-बोग (Cash Reserves) से बहुत बड़ी मात्रा में छूटा देने में सफल हो जाता है। (iv) हूडिडी तथा अन्य व्यापारिक विलों का भुगतान (Discounting of Hundies and Other Trade Bills):—बैंक द्वारा व्यापारियों को रूपया उधार देने की यह भी एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। बैंक हूडिडी, विनिमय विलों तथा अन्य व्यापारिक विलों वा भुगतानी को छूटा दिया करते हैं। ये छूटा भुगतानी (प्रायः तीन महीने) होते हैं और गमुचित जमानत के आधार पर ही दिये जाया करते हैं। दूष्टी तथा विलों पर बैंक वितना बट्टा (Discount) होते हैं? यह दो बातों पर निर्भर रहता है—प्रथम, विल की परिपत्रना

जी अवधि (Time of Maturity) तथा द्वितीय, विल की जोखिम (Risk)। यह समरण होते हैं कि व्यापार में अविकास सोदे साल-सोदे (Credit Transactions) होते हैं। परन्तु विक्री तथा उत्पादक की भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह असीमित मात्रा में माल पर नोटा बेचता रहे। इसलिए वह साल पर नोटा बेचकर खरीदने वाले के नाम एक विल या हृण्डी जारी कर देता है। खरीदार इस हृण्डी को स्वीकार कर लेता है (Acceptance of Hundi<sup>o</sup>) और स्वीकार करके इसे वापिस विक्रेता के पास भेज देता है। तत्पश्चात् विक्रेता इस हृण्डी को अपने दोहरे से भुना लेता है अर्थात् दोष हृण्डी की अवधि का सूद बाटकर वाकी रकम हृण्डी भुनाने वाले व्यापारी को दे देता है। जब हृण्डी पक जाती है (On Maturity of the Hundi) तब, बैंक डमका या कित मूल्य प्राप्त कर लता है। इस प्रवार वास्तव में वस्तु विक्रेता के स्थान पर दोहरे ही खरीदार को वस्तु साल पर बेचते हैं वयोंकि दोनों विक्रेता को हृण्डी द्वारा उसके माल का भुगतान कर दता है।

(३) एजेन्सी कार्य (Agency Functions) — एक बैंक अपने ग्राहकों के लिये एजेन्सी के भी कार्य करता है। इनमें से कुछ मुख्य मूल्य इस प्रकार हैं—(i) विनियम साध्य साल-पत्रों का भुगतान एकत्रित करना (Collection of Negotiable Instruments) — बैंक में पास उसके ग्राहक समय समय पर विनियम साध्य साल पत्र (Negotiable Instruments) इसलिए भेजा करते हैं ताकि बैंक उनकी ओर से इनकी रकम को एकत्रित कर सके। चंकि, विनियम विला, प्रण पत्र (Promissory Notes) आदि विनियम साध्य साल पत्रों के अन्तर्गत रखने जाने हैं। (ii) ग्राहकों की ओर से रूपए का भुगतान करना—बैंक अपने ग्राहकों की ओर से और उनके आदेश नुसार विराए, बीमे की प्रीमियम, झुरेणों की किस्तें, आय कर, व्याज तथा चर्दे आदि का भुगतान करते हैं और इस कार्य के लिये मामूली कमीशन लेते हैं। (iii) भुगतानों को प्राप्त करना—बैंक अपने ग्राहकों की ओर से तथा उनके आदेश नुसार भुगतान भी प्राप्त करते हैं, जैसे लाभादा (Dividend) तथा व्याज वसूल करना, विराया वसूल करना, आए की रकम प्राप्त करना आदि। बैंक इस कार्य के लिए भी कुछ मामूली सा कमीशन लेते हैं। (iv) प्रतिभूतिकों का क्रय विक्रय (Sale and purchase of Securities) — बैंक अपने ग्राहकों की ओर से और उनके आदेश नुसार प्रतिभूतियों (Securities) का क्रय विक्रय करते हैं। (v) रूपए का हस्तान्तरण (Remittance Facilities) — बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान या बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास रूपए भेजने की सही व शीघ्रगति (Quick) सुविधाएँ भी देते हैं। ये सुविधाएँ ड्राफ्ट (Drafts), तार डाग हस्तान्तरण (Telegraphic Transfers) तथा टाक हस्तान्तरण (Mail Transfers) द्वारा दी जाती हैं। (vi) मुख्तार की तरह काम करना (To Act as Attorney) — बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रतिनिधि या मुख्तार (Attorney) की तरह भी कार्य करते हैं। ये उनकी ओर से उत्तर साधक (Executors) तथा प्रम्यासी (Trustee) की तरह भी कार्य करते हैं।

ये अपने ग्राहकों वी घोर से पास-पोट तथा यात्रा-सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भी पत्र-व्यवहार करते हैं।

(४) चंकों की साथ उपयोगी सेवाएं (Miscellaneous and General Utility Services of the Banks):—बैंक अपने ग्राहकों द्वारा बताई गई अन्य बहुत सी सेवाओं का भी सम्पादन करता है जिनसे व्यवसायी यांग को बहुत लाभ पहुँचा है। इनमें से कुछ मुख्य-मुख्य सेवाएं इस प्रकार हैं—(i) साथ-प्रमाण-पत्रों तथा यात्रियों के चंकों को आरी करना (Issue of Letters of Credit and Traveller's Cheques)—कुछ बैंक अपने ग्राहकों के लिए साथ प्रमाण-पत्र (Letters of Credit) तथा यात्रियों के चंक (Traveller's Cheques) जारी करते हैं। इन साथ प्रमाण-पत्रों वी सहायता से व्यापारी विदेशी मे आसानी से माल उधार खरीद सकते हैं व्योकि विदेश का अज्ञात व्यापारी भी बैंक के इन ग्राहकों वी साथ से परिचित हो जाता है। यात्रियों के चंकों द्वारा व्यक्तिशोकों विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार मुद्रा मिल जाती है। (ii) विदेशी विनियम का कर-विकल्प (Dealing in Foreign Exchange)—कुछ बैंक अपने ग्राहकों के लिए विदेशी विनियम के व्यय-विकल्प वा भी कार्य करते हैं जिससे ये विदेशी व्यापार के लिए बहुत सहायक होते हैं। प्रायः यह वार्ष एक विदेश-प्रबन्धर के द्वे द्वारा (विदेशी विनियम वेक्स) ही किया जाता है। परन्तु भारत मे कुछ प्रसिद्ध व्यापारिक बैंक अपने अन्य वैकिंग कार्यों के साथ ही साथ विदेशी मुद्रा के व्यय विनियम का वार्ष भी करते हैं। (iii) नियंत्रणकर्ता के हृष में कार्य करना (To Act as Referees)—भी-भी व्यापारी बैंक के ग्राहकों के सम्बन्ध मे धन-सम्बन्धी पूछताछ करते हैं। बैंक इस प्रवार की सूचना चाही जाँच पड़ताल करके तथा वडी सायधानी से दिया करते हैं। इस सूचना से व्यापारियों वो यह पता चल जाया करता है कि जिन व्यक्तियों के साथ वे अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं, उनकी आधिक विधि तथा साख बैंसी है। इस प्रवार की जनकारी व्यापारियों वो व्यापार मे बहुत सहायता पहुँचाती है। (iv) व्यापारिक सूचना तथा आंकड़े इकट्ठा करना (Compilation of Statistics):—मुख्य बड़े-बड़े बैंक व्यापार सम्बन्धी अनेक आंकड़े व सूचनायें एकत्रित करते हैं और या तो इन्हें प्रकाशित करके या मीमने पर इन्हे अपने ग्राहकों तक पहुँचा देते हैं। इन प्रवार की सूचनायें इनके ग्राहकों के व्यापार वो ढांगों से बहुत सहायक होती है। (v) सुरक्षा सम्बन्धी कार्य (Safe Custody Functions).—बैंक अपने ग्राहकों को जेवर, दरतावेज तथा अन्य मूल्यवान कागज व दरतुएं तिजोरी (Safe Deposit Vaults) मे रखने की सुविधायें देते हैं। इनकी एक ताली ग्राहक के पास होती है। बैंक वी जिम्मेदारी वेवल इनको सुरक्षित रखने की है और वैन इन कार्य के लिये ग्राहकों से कुछ मामूली-गा कमीशन ले सकता है। (vi) रखार तथा द्वारा संरचामों के द्वारा द्वा अभियोग वरता (Under-writing Business).—बैंक रखार तथा द्वाय व्यापारिक संस्थाओं के अहलों वा अभियोग भी करता है जिससे इन्हे अहलों के प्राप्त करने मे बहुत सुविधा

हो जाती है। बैंक इस वार्यं के लिये बहुत थोड़ा सा व्यय करता है। (viii) धन सम्बन्धी सलाह (Advice in Financial Matters)—बैंक अपने ग्राहकों को विदेशी धन-सम्बन्धी सलाह (Expert advice in Financial Matters) भी देते हैं।

निष्कर्ष—बैंकों के वार्यों एवं सेवाओं के सम्बन्ध में जो कुछ भी ऊपर लिखा गया है उससे यह स्पष्ट है कि बैंकों आधिक जगत में देश के आधिक व औद्योगिक विकास के लिये बैंकों का एक विदेशी महत्व है वयोंविव्यापार एवं व्यवसाय सम्बन्धी कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे एक बैंक अपने ग्राहकों के लिए सम्पन्न नहीं करता है। ये जनता में धन सचय की आदत उत्पन्न करते हैं, निःपयोगी धन को इकट्ठा करके उसका उचित विनियोग (Investment) करते हैं, ऋण देकर साल पत्रों का निर्माण करते हैं, साथ-व्यवस्था को सुसंगठित करते हैं तथा देश में अपने प्राह्वा की प्रनेक प्रकार से सेवायें करके उन्हें व्यापार व व्यवसाय में उत्तेजना देते हैं।<sup>१०</sup>

### ✓ साल का निर्माण (Creation of Credit)

साल की उत्पत्ति कैसे होती है? (How is Credit Created?)—बैंकों द्वारा साल के निर्माण का कार्य एक महत्वपूर्ण वार्य है। साल का निर्माण वह तरह से किया जा सकता है—(i) बैंक नोटों के निर्माण हारा साल सूजन करना (To create Credit by issuing Notes)—बैंक नोटों को निर्गमित करके साल का निर्माण करते हैं। एक समय या जबकि प्रत्येक बैंक को नोट निर्गमित करने का अधिकार था। परन्तु आजकल लगभग सब ही देशों में यह अधिकार देश के केन्द्रीय बैंक को सौंप दिया गया है जिसका नोट निर्गमन (Note Issue) पर एकाधिकार होता है। बैंक जितने भी नोट जारी करता है, उनके पीछे एक कोष रखता जाता है जिसमें कुछ मूल्यवान धातु और शेष अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ (Approved Securities) रहती हैं। इस तरह नोट जारी करने वाले बैंक साल उत्पन्न करते हैं और इस साल हारा व्यवसायों को क्रय शक्ति प्रदान करते हैं। (ii) नकद-जमा तथा साल जमा हारा साल का निर्माण करना (Creation of Credit through Cash Deposits and Credit Deposits)—साल के निर्माण की यह रीत अत्यधिक महत्वपूर्ण रीति है। सेयर्स (Sayers)<sup>११</sup> ने टीक ही कहा है कि “बैंक्स बैंकल एक द्रव्य खुटाने वाली सम्पायें नहीं हैं बरन्त ये द्रव्य की निर्माता (Manufacturer of Money) भी हैं।”<sup>१२</sup> प्रत्येक बैंक कुछ न कुछ रकम नकद जमा (Cash Deposit) के रूप में प्राप्त करता है। वह इस जमा का

\* Banks organise and control the issue and currency of Credit Instruments they regulate the granting of banks credit in the form of advances and loans they facilitate the investment of loanable capital and make possible its distribution and use to the best advantage they act as currency when and where it is required and transfer surplus currency from some areas to places that are short of supplies—Principles of Banking S E Thomas

† “Banks are not merely purveyors of money, but also, in an important sense manufacturers of money”—Sayers

एक निश्चित प्रतिशत नकद कोष (Cash Reserves) में रखकर बाकी स्पया ऋण के रूप में दे देता है। वैकों द्वारा उधार दिया हुआ दृष्ट्य ग्राहकों को फौरन नहीं दिया जाता वरन् यह रकम उनके खाते में जमा करदी जाती है जिसे साख-जमा (Credit Deposits) कहते हैं। बैंक इन ऋणियों को इस रकम को चेक या अन्य प्रकार के साख-पत्रों की सहायता से निकालने की सुविधा दे देता है। इस तरह बैंक जितना अधिक ऋण देता है, उतनी ही अधिक मात्रा में उसके पास जमा प्राप्त हो जाती है (Loans create Deposits) और बैंक के पास जितनी अधिक जमा प्राप्त होती है वह उतना ही अधिक ऋण दे देता है (Deposits create Loans or Loans are the Children of Deposits)। इस तरह यह स्पष्ट है कि बैंक को जो भी जमा प्राप्त होती है, चाहे यह नकद-जमा (Cash Deposit) हो या साख-जमा (Credit Deposit) हो, उसका यह कुछ भाव अपने पास रखकर, शेष को ग्राहकों को उधार दे देता है और इस विधि द्वारा साख का एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार कर देता है। प्रत्येक बैंक इस वार्य को करके बहुत बड़ी मात्रा में लाभ उठाया करता है और यह उसके लाभ का एक प्रमुख साधन है। यह बात एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट की जा सकती है:— मानलो, किसी बैंक में कोई व्यक्ति १०० रु. जमा करता है। बैंक को इस जमा पर कुछ ब्याज देना पड़ेगा इसलिये वह इस रकम को उधार दे देता है ताकि वह स्वयं भी कुछ ब्याज कमा सके। ऋणी को जो भी रकम वह उधार देता है, वह उसके नाम के एक खाते खाते में जमा कर देता है और उसे चेक द्वारा निकालने का अधिकार दे देता है। प्रत्येक बैंक को अपने अनुभव से पता रहता है कि वह कुल दायित्व (Total Liabilities) का कितना प्रतिशत नकद-कोष (Cash Reserves) में अपने पास रखते ताकि वह चेकों या अन्य साख-पत्रों के बदले में मांग होने पर स्पया नकद दे सके। यह प्रतिशत भिन्न-भिन्न देशों में और विभिन्न बैंकों में पृथक्-न्यून्यक् होता है। भारत में कुल दायित्व का नकद में अनुपात (Percentage of Cash to Total Liabilities) ग्राह्य देशों से कंचा रहता है वयोंकि यहाँ के निवासियों में चेक के प्रयोग की कम आदत है, परन्तु इङ्लैण्ड और अमेरिका में चेक आदि पत्रों का इतना अधिक प्रयोग होता है कि चेक ही वहाँ भी मुद्रा है। इसीलिये हार्टले विदसं ने बहा है कि “आपुनिक अपेक्षी व्यवसाय तथा चित्त हा द्रग्य चेक है और सम्बन्ध के द्रग्य-बाजार में जिस साख का घयहार होता है वह केवल चेक १०० रुपये का अधिकार है।”<sup>१०</sup> अत. मानलो, सामान्यतया भारत में बैंक अपने कुल दायित्व का २०% नकद कोष में रखते हैं। इस तरह उक्तविवित बैंक अपने पास २० रु. रखकर शेष ८० रु. उधार दे देगा। उधार दी गई ८० रु. की रकम बैंक के पास साख-जमा (Credit Deposit) के स्पष्ट में जमा हो जाती है। बैंक इस साख-जमा का पुनः २०% अपने पास नकद-कोष में रखकर बाबी ६० रु. उधार दे देगा। इस प्रकार बैंक बार-बार

\* The money of modern English Commerce and Finance is the cheque, and the credit dealt in the London Money Market is the right to draw a cheque—Hartley Whithers : The Meaning of Money.

साल-जमा प्राप्त करके उसका एक विशिष्ट प्रतिशत अपने पास नकद बोध में जमा करके बाबी भाग उधार देता चला जायगा और अन्ततः इस विधि द्वारा अपनी नकद-जमा (Cash Deposit) का ५-६ शुनी रकम उधार देने में सफल हो जायगा अर्थात् उक्त बैंक अपनी १०० रुपये की नकद जमा के शाखार पर वह लगभग ५०० रुपये या ६०० रुपये बहुत आसानी से उधार द दगा। यह स्पष्ट है कि एक बैंक नकद-बोध में अपने मुल दायित्व का जितना वर्तमान प्रतिशत रखता है वह उतनी ही व्यक्ति रकम छूटा में देते में सफल हो जाता है। उधार ली जाने वाली उतनी वही रकम से प्राप्त होने वाली ब्याज की बुल रकम, १०० रुपये जमा बरने वाले व्यक्ति द्वारा जाने वाली ब्याज की रकम से कई गुना अधिक होती है। बैंक का एक अव्यस्था के रूप में यही लाभ है।

यह स्मरण रहे कि अधिकारी (एक्सी) अपने चालू खाते में से चैक या अन्य साल-पत्र द्वारा ही रखा जिराते हैं। यह चैक प्राय विसी व्यक्ति को उत्तमी रकम के भुगतान में दिया जाता है। वह व्यक्ति जिसे चैक मिला है, वैक से इस चैक का प्राय नकद रखा नहीं लेता बरत इसे बैंक से या अन्य विसी बैंक ने जिसमें उसका खाता खुला हुआ है, जमा करता है। परन्तु बैंक में वेबल विताकी जमा-तर्ज (Bank Entries) ही होने पाता है और बैंक का नकद बोध (Cash Reserve) पूरबवद्द ही रहता है। यदि चैक जिसी दूसरे बैंक में जमा किया गया है, तब भी बैंकों के आपस के दायित्व के भुगतान की पढ़ति के अनुसार इनका भुगतान हो जाता है। प्राय एक बैंक से दूसरे बैंक को नकद रखा वर्तमान में जाता है और यदि दिया जाता भी है तब दूसरे बैंक का नकद बोध यह जाने पर वह बैंक पहले से अधिक मात्रा में साल का निर्माण कर देता है और वह बैंक जिसका नकद बोध वर्तमान हो जाता है, उसे साल बीमारा वर्तमान बोध की जाती है। प्रत बैंक की इस रीति से साल निर्माण करने की शक्ति पर नकद जमा, साल-जमा तथा बुल दायित्व का नकद बोध में वितनी प्रतिशत रकम जमा की जाती है, इन सब बातों वा प्रभाव पड़ता है।

बैंक साल निर्माण न वेबल नकद-जमा अद्यवा साल जमा के द्वारा करते हैं बरत्ये ये अधि विवरण बी सुविधाए (Overdraft facilities) देकर भी साल वा सृजन ('cat e' 'Credit') करते हैं। यह सुविधा ऐनल उन प्रतिवित व्यापारीयों को दी जाती है जिनका दब म खाता होता है तथा जो अपनी साल के लिये अधिक है। इस अद्यवत देने प्रतिविती (Overdraft) को स्थानीय दब इसका भुगतान अपन चैकों द्वारा करने भी साल वा निर्माण करते हैं। जिन देशों में एक केन्द्रीय देश की स्थापना हो गई है वहां पर इस बैंक के नियमित हो जाने से अधिक देश देशों दी साल वा निर्माण करते हैं विदेशी देश इस देशों को द्वारा देने वाले देशों को आदेशकरता पड़ते पर द्वारा प्रतिविती (Overdraft) को स्थानीय देश इस देशों को आदेशकरता प्रतिविती (Overdraft) को स्थानीय देश से सहायता मिल जाती है।

में अपने अति विद्यास उत्पन्न बरना है तथा अपने दायों का आधार इड बनाना है, तब उसे उस सिद्धान्तों का पालन करना आवश्यक है।

### बैंकिंग का महत्व

#### (Importance of Banking)

बैंकों के लाभ (Usefulness of Banks):—बत्तमान युग में किसी देश की बैंकिंग प्रणाली वहाँ की उत्पत्ति, व्यापार व व्यवसाय एवं समृद्धि आर्थिक ढांचे की घमनी केन्द्र (Nerve Centre) होती है। इनके द्वारा ही देश में तमाम वित्त-व्यवस्था सचालित होती है तथा इन्हीं के द्वारा तमाम साख-व्यवस्था समर्थित होती है। इसीलिये वैक तथा बैंकिंग का बत्तमान समाज के लिए बहुत महत्व होता है। बैंकस के कार्यों पर हृष्ट डालने से इनका महत्व स्पष्ट हो जाता है। सक्षेप में बैंकस के कार्य इस प्रकार हैं—

(i) धन एकान्तित करके उत्पन्न कामों में लगाना:—प्रत्येक वैक समाज के उन व्यक्तियों न संस्थाओं से धन एकान्तित करता है जिनके पास यह फालू पड़ा होता है या कम उपयोगी होता है और इसे उन व्यक्तियों द्वारा उधार देता है जिन्हे इसकी बहुत आवश्यकता होती है। इस तरह बैंकस मध्यम (Middlemen) का कार्य करके देश व समाज की बहुत सेवा दरते हैं क्योंकि ये धन संचय करने वालों और उत्पादकों को आपस में मिलाकर एक और धन-संग्रह को प्रोत्साहन देते हैं और दूसरी ओर उत्पादकों द्वारा उत्पादकों द्वारा आर्थिक सहायता देते हैं। अतः बैंकस देश में प्रौद्योगिक पूँजी का निर्माण करके राष्ट्र के आर्थिक, ध्यापारिक व आर्थिक विकास में बहुत सहायक होते हैं।

(ii) मुद्रा वा स्थानान्तरण:—बैंकस एक स्थान से दूसरे स्थान को बहुत बहुत व्यय पर धन का हस्तान्तरण करने में सहायता प्रदान करते हैं। वैकों द्वारा धन का हस्तान्तरण सुरक्षित तथा सुविधाजनक भी होता है।

(iii) बैंकस बैंकिंग की आदत करते हैं—देश में बैंकिंग वी आदत (Banking Habits) को जन्म देकर ये चैक जैसे सस्ते विनियम के माध्यम वा निर्माण करते हैं जिससे न केवल देश में विनियम के माध्यम वा पर्याप्त प्रसार हो जाता है बरन् बहुमूल्य धातुओं के उपयोग में भी बचत हो जाती है। इसके अतिरिक्त धन गिनने, जाचने तथा हस्तान्तरित करने में भी बहुत सुविधा रहती है।

(iv) मुद्रा प्रणाली में लोच.—वैकों द्वारा देश वी मुद्रा-प्रणाली में लोच उत्पन्न हो जाती है क्योंकि ये देश में आवश्यकतानुसार सास वा प्रसार व सकुचन समय-समय पर करते हैं। इस तरह सास-मुद्रा (Credit Money) के तमाम लाभ बैंकिंग प्रणाली द्वारा ही प्राप्त होते हैं।

(v) संरक्षण-सम्बन्धी कार्य:—बैंकस अपने ग्राहकों द्वारा ही प्राप्त होते हैं।

(vi) ऐजन्सी का कार्य—देश अपने ग्राहकों वी धोर, में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं—मुगाना वा लेन-देन बरन जुग व्यवस्था बरना, हिसों तथा ज्ञाण-पत्रों वी सरीदाना-देवना, उत्तर-साधन (Executor), ट्रस्टी (Trustee) तथा प्रतिनिधि (Representative) के रूप में दार्त बरना, विभिन्न वस्तुओं वी हिस्सा पूँजी वा

**निर्गम (Issue)** तथा अभिगोपन (Underwriting) करना, व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, आर्थिक सूचनायें तथा व्यापारिक आवडे एकत्र बरके प्रकाशित करना, आदि। ऐसे कार्यों को बरके ये अपने ग्राहकों को चिन्ताश्रो से मुक्त कर देते हैं। (viii) विदेशी दूता की व्यवस्था करना, आधिकारियों के घंक तथा गश्ती साख-पत्र जारी करना।—बैंक के इन कार्यों से विदेशी व्यापार को बहुत सहायता मिलती है।

बैंकों के उत्तरलिखित कार्यों से यह स्पष्ट है कि देश में औद्योगिक विकास की कोई भी योजना वैविध्य के विकास के बिना सफल नहीं हो सकती है। इसलिये समुचित आर्थिक विकास की हाफ्ट से आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में बैंकों वा स्थान प्रत्यन्त महत्व पूर्ण है।

### बैंकों का वर्गीकरण (Classification of Banks)

**प्राक्कर्यन**—बैंकों के वार्य, इनका सगठन तथा स्वभाव विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न पाये जाते हैं जिससे इनका स्पष्ट वर्गीकरण करना बहुत कठिन होता है बल्कि एक बैंक जो एक वार्य-विशेष बरने में निपुण है दूसरे वार्य भी, जो विसी दूसरे बैंक के क्षेत्र में आते हैं, कर सकता है और वामीन्कमी किया भी करता है। अतः कुछ परिस्थितियों में वर्गीकरण की एक स्पष्ट रेखा स्थिता सम्भव नहीं होती है। परन्तु किर भी बैंकों को उनके स्पष्ट कार्यों के प्राधार पर निम्न प्रकार से वर्गित किया जा सकता है :—

(1) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)—ये वे बैंक हैं जो मुख्यतः व्यापारियों को अल्पकालीन ऋण तथा अग्रिम (Advances) प्रदान करते हैं। प्रायः ऋण की अवधि ३ महीने की होती है, परन्तु कभी कभी ऋण १२ महीने के लिये दे दिया जाता है। ये ऋण अथवा अग्रिम बौद्धिक, सिव्यूरिटीज, विनियम बिल्स, तंयार माल तथा अन्य उपयुक्त तरल सम्पत्ति (Liquid Assets) के आधार पर दिया करते हैं। भारत में अधिकास मिथित पूँजी वाले बैंक (Joint Stock Banks) इसी प्रकार हैं। परन्तु भारत में ये बैंक न बैंक व्यापार की वित्तीय-व्यवस्था में सहायक होने हैं वरन् ये अन्य बहुत ने कार्य भी करते हैं, जैसे—ग्राहकों को विदेशी विनियम दिलवाना, दीर्घ-वालीन औद्योगिक कार्यों के लिये ऋण देना आदि। (2) औद्योगिक बैंक (Industrial Banks):—ये बैंक औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करते हैं। यह कार्य में दीर्घ-वालीन तथा अनियन्त्रित कालीन जमा शाप्त करके सम्पन्न किया करते हैं। इनके द्वारा ऋण भी दीर्घ-वालीन दिया जाता है जिससे बारतामे वाले मरीन, विल्डिंग तथा फर्माचर आदि के लिये इन्हीं से ऋण मिलते हैं। ऋण देने के अतिरिक्त ये बैंक और भी बहुत से कार्य करते हैं, जैसे—औद्योगिक कम्पनियों के शेयर्स को सटीदना-देचना, इन कम्पनियों को आर्थिक सलाह देना आदि। इस प्रकार ये बैंकों ने जर्मनी और

\* "There is no line of demarcation with regard to the functions which a bank has to perform. An exchange bank may engage itself in commercial business as well, while indigenous bankers may not only invest their capital in long term industrial loans but also in side business as well."

जापान में बहुत सफलता प्राप्त की है, (जर्मनी के औद्योगिक बैंक व्यापारिक बैंक वा भी कार्य करते हैं) परन्तु भारत में इस प्रकार के बैंक नहीं पाये जाते हैं। यह अवश्य है कि इण्डस्ट्रियल फार्मेन्ट्स कॉर्पोरेशन्स (Industrial Finance Corporations) इन बैंकों जैसे ही कार्य कर रहे हैं क्योंकि ये उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं।

(iii) विदेशी विनियम बैंक्स (Foreign Exchange Banks):—इन बैंकों द्वारा “विनियम बैंक्स” (Exchange Banks) भी कहते हैं। ये बैंक्स विदेशी बिल्स का क्रय विक्रय करके विदेशी भूगतान में सहायता पहुँचाते हैं। यह नार्य मुख्यतः बिल्स आँफ एक्सचेंज द्वारा सम्पन्न किया जाता है। अक्सर विनियम बैंक्स बैंकों के और भी लगभग सभी प्रकार के कार्य निया करते हैं। भारत में इस समय पूर्णतया भारतीय विनियम बैंक बोई भी नहीं है। भारतवर्ष में विदेशी बैंकों को शाखायें ही मुख्यतः विदेशी बिल्स के क्रय विक्रय कर कार्य करती हैं, परन्तु हाल में ही कुछ भारतीय व्यापारिक बैंकों ने भी इस कार्य को करना आरम्भ कर दिया है। (iv) कृषि बैंक्स (Agricultural Banks):—कृपकों की वित्त की आवश्यकता दो प्रकार की होती है—प्रथम, बीज, खाद, फसलों की बिन्दी के लिये अल्पवालीन ऋण तथा द्वितीय, भूमि के सरीदाने या इसमें स्थायी सुधार करने के लिये दीर्घवालीन ऋण की आवश्यकता पड़ा करती है। परन्तु कृपक ऋण लेने के लिये कोई खास सिवयूरिटी जमानत के रूप में नहीं देने पाता है क्योंकि वह निर्धन है और उसके पास इस प्रकार वीं बोई स्वीकृत प्रतिभूतियां (Securities) भी नहीं होती हैं। परिणामतः कृषि की वित्त-व्यवस्था करने के लिये हमें एक पृथक् से बैंक की आवश्यकता पड़ती है और कृषि बैंक इस प्रकार वीं आवश्यकता की पूर्ण पूर्ति करता है। कृषि-सम्बन्धी दो प्रकार के बंकम होते हैं—प्रथम, सहकारी साख-समिति (इसे सहकारी बैंक भी कह सकते हैं) जो अल्प-कालीन ऋण देने की व्यवस्था करती है तथा द्वितीय, भूमि-बन्धक बैंक्स (Land Mortgage Banks) जो दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं। इस समय भारत में दोनों ही प्रकार के बैंक्स पाये जाते हैं। सहकारी बैंक्स (Co-operative Banks) या सहकारी साख-समिति का निर्माण दस या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। ये समितियां प्रान्तीय सहकारी बैंक्स या केन्द्रीय बैंक से रपया उपाय ले सकती हैं। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य कृपकों को कुम व्याज वीं दर पर अल्प-वालीन ऋण प्रदान करना है। भारत में इस प्रकार वीं समितियां बहुत पाई जाती हैं। इनका निर्माण भ्रसीमित दायित्व के आधार पर प्रायः किया जाता है। प्रान्तीय सरकार द्वारा इन समितियों पर नियन्त्रण रखता जाता है। कुछ समय से भारत में इन समितियों के स्थान पर बहु-पंधीय सहकारी साख-समितियां (Multipurpose Co-operative Societies) वा निर्माण किया जा रहा है जो ऋण देने के अतिरिक्त अन्य बहुत से कार्य भी करती हैं। भूमि बन्धक बैंक्स (Land Mortgage Banks) कृषि कार्यों के लिये ५ वर्ष से १० वर्ष तक वा ऋण देते हैं और एको-भी ऋण की अवधि ५० वर्ष तक होती है। ऋण जमीन को गिर्वाँ रखकर किया जाता है। परन्तु इन ऋणों

या उद्देश्य भूमि से स्थायी सुधार करना, पशु खरीदना, मुए व बाढ़ बनवाना, बाड़ नियन्त्रण की व्यवस्था करना, चबूत्री करना आदि हुआ करता है। अत इन बैंकों द्वारा दिया गया कुण सदा दीवकालीन हुआ करता है। भारत म इस प्रकार की समितिया या बैंकों पाये जाते हैं। इनका नियाण सहकारी तथा नियित पूँजी कम्पनी दोनों ही आधार पर बिया जाता है। इन दोनों मे ही सीमित दायित्व होता है। (v) पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक (Post Office Savings Banks) —भारतीय डाकखाने इस प्रकार के सारे खोलने की नियमित देवर ऐसे व्यक्तियों को जिनकी आमदनी बहुत बहुत बहुत होती है थन सचय करने के लिय प्रोत्ताहन दते हैं। (vi) देशी बैंक्स (Indigenous Bankers) —इनको देशी बैंक भी कहते हैं। महाजन व साहूवार हमारे देश म बोने-बोने मे पाय जाते हैं। ये आतंरिक व्यापार व कृषि कार्यों को विदेशी आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। (vii) बेंड्रेट बैंक (Central Bank) —किसी दद मे यह बैंक सद्या म बेंधल एवं होता है यद्यपि यह स्वय अपनी वितनी ही दाखायें खोल सकता है। नाट नियम (Note Issue) पर इस बैंक वा एवं धिकार होता है यह बैंको वा बैंक तथा सरकार वा बैंक होता है। जब कभी सरकार नो रघ्यो वी आवश्यकता होती है तब यह बैंक सरकार को भी त्रृण दे दता है। यह देश म साथ वा नियन्त्रण तथा नियमन करता है सरकार म आर्थिक तथा वित्तीय (Financial) मामला म उल्लङ्घन करता है तथा दरा म आर्थिक तथा वित्तीय सूचनाओं व आवहों वो एकत्रित करने इन्ह प्रधानित करता है। यह बैंक देश वी वैदिक-व्यवस्था वो समुचित दह से उन्नत वरने वा लुम्डेवार होता है। इन सब कार्यों से देश के वेद्वीय बैंक वो राष्ट्रीय बैंक वहा जाता है। भारत म ऐसे बैंक वा नाम 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया' है।

यह स्मरण रहे कि इन सब बैंकों वा विस्तृत वरण 'भारतीय बैंकिंग' नामक अध्याय मे विया गया है।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B A & B Sc.

- १ व्यवसायिक बैंको के कामो की व्याख्या दर्दे। बनमान आर्थिक व्यवस्था म उनका वया महत्व है? (१६६०)
- २ व्यापारिक बैंको वे मुख्य कामो का वर्णन कीजिये। उद्योग के लिय ये किस प्रकार आर्थिक सहायत हो सकत है, समझाइये। (१६५६ S)
- ३ साल की परिभाषा कीजिय और बननाइये कि व्यापारिक बैंक इसका नियाण किस प्रकार करते है? (१६५६)
- ४ व्यापारिक बैंको वे मुख्य कार्य क्या हैं? वया इन बैंको को उद्योग बन्दो के लिये स्थायी पूँजी व्यवस्था करना उचित है?
- (१६५६ S) ५ Give the main functions of commercial banks and show how they create credit? (19 S)
- ६ Write notes on—Fixed Deposits (1956 S)
- ७ How does a bank create credit? Examining the limitations on the power of banks to create credit (19 G)
- ८ Banking consists of receiving other people's money and lending it out again to the

which enable the bankers to create a vast credit structure" Explain. (1958) ४ बैंकों द्वारा और व्यापारी बैंकों के कार्यों में अन्तर समझाइए। (१९५७) ५ बैंक साथ कैसे उत्पन्न करते हैं? साथ उत्पन्न करने में बैंक की शक्ति कैसे सीमित है? (१९५७)

### Sagar University, B. Com

१ 'ऋण साथ का निर्माण करते हैं' (Loans Create Credit) इस मत की व्याख्या कीजिए और बताइए कि बैंकों या अधिकारीयों के द्वारा साथ निर्माण कर सकते की क्या सीमाएँ हैं? (१९५४)

### Jabalpur University, B. A.

१ व्यापारी-अधिकारीय (Commercial Bank) प्रत्यय निर्माणी (Creation of credit) विस प्रकार करता है? प्रत्यय निर्माण की शक्ति किस तरह सीमित होती है? (१९५६) २ व्यापारी बैंकों (Commercial Banks) के मुख्य कार्यों का बहुत बीजिए और समझाइये किसी देश की ग्रोथोग्रोव उन्नति में ये विस प्रकार सहायक हैं? (१९५८)

### Jabalpur University, B. Com.

१ "ऋणों से प्रत्यय उत्पन्न होता है" (Loans Create Credit)। इस कथन की विवेचना कीजिए और अधिकारीयों के प्रत्यय निर्माण की परिसीमाओं का निर्देशन कीजिए। (१९५८)

### Vikram University, B. A. & B. Sc

१ बैंकों के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिये तथा उनके कार्य (Functions) का स्वरूप भी बताइये (१९५८)

### Banaras University, B. Com

1 Discuss briefly the functions of a modern bank and explain the main considerations that guide a bank in investing its funds (1959) 2 Write a note on—Derivative Deposits (1959)

### Bihar University, B. Com.

1 Examine the economic functions of commercial banks. Can you suggest some special functions to be discharged by the commercial banks in India to make them more useful? (1954) Cash Reserve is the foundation of all credit that can be created by "bank". Do you agree with the above statement? Give reasons for your answer (1959 Ad Bank & Cur.)

### Nagpur University, B. A.

१ व्यापारी अधिकारीयों के साथ निर्माण के कार्य का बहुत हुये उसकी सीमाएँ बताइये (१९५६) २ प्रत्यय निर्माण (Creation of Credit) से आप क्या समझते हैं? व्यापारी अधिकारीय की प्रत्यय निर्माण शक्ति का परिसीमन करने वाले कारबोरो, कोर, समझौता, (१९५८),

परोक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत

प्रश्न १ — (१) व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये। उदोग के

सिये ये किस प्रकार' अधिक सहायक हो सकते हैं, समझाइये (Agra, B. A. १९५६, Jabb., B. A. १९५८) (ii) वया इन दोनों को उद्योग-घन्थों के लिये स्थापी पूँजी की घट्यस्था करना उचित है? (Agra B. A. १९५८) (iii) नियित पूँजी के देश के आर्थिक विकास के लिये विस प्रकार सहायक होने हैं? (Agra, B. A. १९५५) (iv) दोनों के विभिन्न प्रकारों के नाम लिये तथा उनके फलों (Functions) का स्वरूप भी यताइये (Vikram, B. A. १९५६) (v) What is a commercial Bank? Discuss the services it renders to industry and trade and point out the sources of its profits (Agra, B. Com. 1957, Raj., B. A. 1958)

**संकेतः**—उक्त प्रश्नो में छः वार्य पूछी गई हैं—व्यापारिक बैंक विसे कहते हैं? दोनों के विभिन्न प्रकारों के नाम बताइये, दोनों के वार्य व्या-व्या हैं? वैक्ष उद्योगों व व्यापार तथा देश के आर्थिक विकास में कहाँ तक सहायक होते हैं? वया दोनों को उद्योग-घन्थों में स्थायी रूप में अपनी पूँजी का विनियोग बरना उचित है? दोनों के लाभ के दण स्रोत हैं? प्रथम भाग में व्यापारिक दोनों का अर्थ एक-दो परिभाषाओं के आधार पर बताइये (आधा पृष्ठ)। द्वितीय भाग में दोनों के विभिन्न प्रकारों के नाम तथा इनके कार्य संदेश में बताइये, जैसे—व्यापारिक वैक्ष, श्रीयोगिव वैक्ष, सहकारी वैक्ष, विदेशी विनियोग वैक्ष, केन्द्रीय देश, भूमि बन्धन वैक्ष (एक पृष्ठ)। तृतीय भाग में दोनों के मुख्य-मुख्य वार्य बताइये (यह स्मरण रहे कि जबकि प्रश्न में 'दोनों के वार्य' पूछे जाय तब वैक्ष व्यापारिक दोनों के वार्यों का उल्लेख बरना चाहिये) जैसे—जमा प्राप्त बरना (यही विभिन्न प्रकार के खातों की विशेषताओं को बताइये), घन उधार देना (उधार देने की विभिन्न रीतियों को बताइये, जैसे—नकद उधार, अधि-विवरण द्वारा हिस्से व मान वी जमानत पर अमुण्ड परन्तु यहाँ पर वैक्षो हारा सार-भूजन वी रीति को विस्तार से भत लियिये) हुण्डियों व निनियोग-पत्रों को भुनाना सथा ग्रन्थ पंचमेत कार्य (जैसे-भुद्रा का हम्मतान्तरण, वटमूल्य बस्तुओं को सुरक्षित रखना, एजेन्सी वार्य आदि) (चार-पाच पृष्ठ)। चतुर्थ भाग में वैक्षो के लाभ एवं महत्व को लियिये तथा यताइये कि ये उद्योगों व व्यापार वो विस प्रकार महापता प्रदान बरते हैं—यही पर सार-भत्रो जैसे—चंद्र, ड्रापट, ब्रिल आदि के प्रयोग में उत्पन्न होने वाले लाभों को लियिये, यह स्पष्ट कीजिए कि मान-पत्र तात्त्व व मुगम विनियोग के माध्यम के साधन है, कि इनमें व्यापारिक वार्यों में मुसिया मिलनी है, कि वैक्ष वैक्ष व्यापनियों के हिस्सों वा प्रय-विक्रय तथा इन पर व्याज व सामाजिक मूल्य बरने वा भी वार्य बरते हैं, कि वैक्ष उद्योगपतियों, व्यापनियों व व्यापारियों के एजेन्ट के रूप में वार्य बरते हैं कि वैक्ष सार-भूजन बरते व्यापारियों व उद्योगों वी घन वी पादश्यकता वी पूर्ण बरते हैं, वैक्ष देश में पूँजी के मच्चप को प्रोत्तराहित बरते हैं, पह-रक्षम वैक्षो के पास विभिन्न गानों में जमा के रूप में जमा हो जानी है, वैक्ष इन जमा-घन के आधार पर सार-भूजन बरते हैं तथा उत्पादों वो पूँजी उधार देते हैं, वैक्ष ग्रनुलाद्व थोंगों से भन को एकत्रित करके इने उत्पादक थोंगों को उपलब्ध बराने हैं जिनमें देश में वाणिज्य

ये व्यापार का विकास होता है अथवा देश की आधिक उन्नति होती है, कि वेक्षण विदेशी मुद्रा की व्यवस्था बरबे देश के विदेशी व्यापार को मुगम बना देते हैं आदि (एक-डेढ़ पृष्ठ)। पांचवे भाग में यह बताइये कि व्यापारिक बैंकों को देश के उद्योग-घन्थों में स्थानी स्प में पूँजी वा लगाना अनुचित है—कि बैंकों के पास अस्थाई अथवा अल्पवालीन जमा प्राप्त होती है जिसे जमाकर्ता जब चाहे तब निवाल सचना है (मिवाय अल्पवालीन जमा गातों में), कि इस प्रकार की अस्थाई जमा के आधार पर यदि बैंकों ने दीर्घ बालीन अथवा स्थायी स्प में पूँजी का विनियोजन कर दिया, तब वे अपने आपको सकट में ढाल लेंगे आदि बैंक के विनियोग के मिळान्तों को संखेय में लिखावर, उनके आधार पर उक्त मत को पुष्ट की जा सकती है (आधा पृष्ठ)। छठे भाग में अधेष्ठ में बैंकों वे साम वे औत बताइये—वम द्याज पर जमा प्राप्त बरबे आधिक व्याज वी दर पर छूण देना, हृण्डयो व विस्तो को मुनाना, एजेन्सी बायो आदि में बमीशन लेना आदि।

प्रश्न २—(i) साल की परिभाषा कीजिए और बताइये कि व्यापारिक बैंक इसका निर्माण किस प्रकार करते हैं? (Agra, B A १९५६), (ii) अधिकारीयों हारा किस प्रकार साल निर्माण किया जाता है? उनकी वया सीमायें हैं? (Agra, B Com. १९५६, Jabb., B A. १९५६, Bihar B A. 19-6, 1955) (iii) पत्र-मुद्रा और बैंक-मुद्रा के भेदों को स्पष्ट रूप से समझाइये। बैंकों के ऊपर बैंक-मुद्रा के निर्माण में कौन से प्रतिबन्ध हैं? (Sagar B A १९५६), (iv) "Barking consists of receiving other people's money and lending it out again to the people who deposited it. The banker really borrows the depositor's money, usually for nothing and than lends the same money back again on interest" Comment on this statement (Agra, B A 1955), (v) "Every loan creates a deposit". How does it happen? (Agra, B Com. 1956, Sagar, B Com 1954 Jabb. B. Com 1958), (vi) Show how such credit can be useful for the economic planning of a country? (Raj, B A 1952, 1956), (vii) 'If all the insured people conspire to die on the same day, the insurance companies will fail, banking similarly is based on certain assumptions which enable the bankers to create a vast credit structure' Explain (Sagar, B. A 1958). (viii) 'Bank Deposits have, in modern times, changed from Deposits of Cash to Deposit of Credit' (Allahabad B A 1953, Agra B A 1952)

उत्तर—उपरोक्त प्रश्नों में ये बातें पूँछी गई हैं—माल जिसे बहने हैं? बैंक-मुद्रा और पत्र-मुद्रा में वया भेद है? वया प्रत्यक्ष छुण्ग जमा को जन्म देता है और कैसे? व्यापारिक बैंक साल का निर्माण किस प्रकार तथा जिन मान्यताओं के आधार पर करते हैं? बैंक-मुद्रा के निर्माण का सरक-नृजन की सीमायें क्या हैं? बैंकों द्वारा साल-भूजन देश के आधिक नियोजन में विस प्रकार सहायक है? प्रधम भाग में दो-चार बावधों में एक दो परिभाषाओं के आधार पर 'माल' शब्द का अर्थ समझाइये (आधा पृष्ठ)। द्वितीय भाग में पत्र-मुद्रा और बैंक-मुद्रा में भेद बताइये—पत्र-मुद्रा की

परिभाषा दीजिये, बताइये कि यह पत्र मुद्रा (नोट) सरकार या वैनिंग बैंक द्वारा जारी की जाती है और इस पर वायदा द्वारा रहने पर नोट निर्गम अधिकारी इसके बदले में देश की प्रधान मुद्रा देता है, कि आधुनिक युग में इसके अनेक लाभों के बारण समस्त राष्ट्रों में पत्र-मुद्रा का निर्गम होता है, यह प्रायः तीन प्रकार की होती है—प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र-मुद्रा तथा अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा (इनके सम्बन्ध में सक्षेप में लिखिये)। इसके विपरीत बैंक-मुद्रा वह मुद्रा है जिसका निर्माण इसी बैंक द्वारा किया जाता है, जैसे—बैंक, ड्राफट, बिल्म आदि। जबकि पत्र-मुद्रा कानूनी ग्राह्य होनी है यह बैंक मुद्रा (या इस प्रकार की मानव-मुद्रा) कानून की इच्छा से सर्वश्रद्धा नहीं होती बरन् ऐच्छिक होनी है, जबकि पत्र-मुद्रा का निर्गम प्रायः आजकल बैंकल देश के वैनिंग बैंक की सौंप दिया गया है अथवा उसका पत्र-मुद्रा (नोट) के निर्गम पर एकाधिकार होता है, बैंक मुद्रा का निर्गम प्रत्येक बैंक द्वारा किया जाता है (पत्र-मुद्रा व बैंक-मुद्रा के गुण-दोषों में बहुत कुछ समानता पाई जाती है, सक्षेप में स्पष्ट भीजिये) (एक-डेढ़ पृष्ठ)। तृतीय भाग में बताइये कि बर्तमान बैंकिंग की वार्ष-प्रणाली ही ऐसी है कि “प्रत्येक भ्रूण जमा को जन्म देता है”—कि बैंक जब व्यापारियों को रप्या उधार देता है, तब वह इसे नकद के रूप में फौरन नहीं देता (यद्यपि ऐसा भी किया जा सकता है बरन् वह इस भ्रूण की रकम को भ्रूणी के नाम के साथ से जमा कर देता है (यह नया साता वह अपने पास सोल लेता है) और भ्रूणी को यह अधिकार देता है कि वह जब चाहे तब चैंक (या अन्य प्रकार से) द्वारा इस रकम को खाते में से निकाल सकता है, इस तरह बैंक जितना अधिक भ्रूण देता है, उतनी ही अधिक मात्रा में उसके पास जमा (Deposits) की रकम प्राप्त होती है और बैंक के पास जितनी रकम जमा होती है, वह उतनी ही अधिक मात्रा में भ्रूण दे देता है। स्पष्ट है यि प्रत्येक भ्रूण जमा को जन्म देता है (उदाहरण देकर इस मत की पृष्टि भीजिये) (एक-डेढ़ पृष्ठ)। चतुर्थ भाग में बताइये कि बैंक साथ-भृजन का वार्य किस प्रकार करते हैं—(i) नोट-निर्गम द्वारा—नोट-निर्गम का वार्य आजकल देश के वैनिंग बैंक को सौंप दिया गया है। इस कारण व्यापारिक बैंकम इस नीति द्वारा साथ-निर्माण का वार्य विस बैंकार करते हैं—(ii) नकद-जमा या साथ-जमा द्वारा साथ का निर्माण—व्यापारिक बैंकम इस नीति द्वारा साथ-भृजन करते हैं यह दताइये यि मात्र-भृजन के लिये बैंकम सबंप्रथम साथ की जमा सार्वों के रूप में उत्पन्न करते हैं। अर्थात् बैंकों के पास जो उन नकद-जमा के रूप में प्राप्त होता है, उसे ये भ्रूण के रूप में देते हैं और इन भ्रूणों की रकम को साथ-जमा के रूप में अपने पास जमा कर लेते हैं तथा भ्रूणियों की इस रकम को बैंक द्वारा निकालने का अधिकार दे देते हैं। इन तरह नकद-जमा की बैंक साथ जमा में परिणाम कर देते हैं। (ऐसा उदाहरण महिन रिस्ट्रार में गम्भार्ये)। साथ-भृजन का वार्य हीन भाव्यताओं पर व्यापारित है—(i) सभी ग्राहक अथवा जमा-कर्ता एक ही समय पर रप्या बैंक से नहीं निकालते हैं, (ii) जो रुपाया निकालता जाता

है वह अधिकादत चैको द्वारा निवाला जाता है, (iii) ये चैक दूसरे चैक से अथवा इसी दौक और दूसरी माला के लगाते से जमा होते हैं जिससे केबल कागज की लिला पड़ी होती है और वास्तव में रपये के लेन-देन की आवश्यकता बहुत कम होती है (उदाहरण दीजिये), (iv) दौक अपने अनुभव के आधार पर यह तय कर सकता है कि कितने मनुष्य वास्तव में कितना रपया निवालने के लिये आते हैं या वह प्रतिदिन कितने रपये का वास्तव में लेन-देन करता है। इस अनुभव के आधार पर, यह मानकर कि उसे अमुक रकम से अधिक धन की किसी दिन भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह अपनी जमा-राशि में से इस रकम को तो अपने पास नकद में रख लेता है और योंप उधार दे देता है (आवश्यकता पड़ने पर वह अन्य दौकों या केन्द्रीय दौक से रपया मगा सकता है)। इन मान्यताओं को विरतार से समझाकर बताइये कि इन्हीं के आधार पर प्रत्येक दौक साख-मृजन का वार्य बरता है (तीन-चार पृष्ठ)। पचिवें भाग में बताइये कि उत्तर साख-मृजन की व्याख्या सीमाएँ हैं—जैसे—देश में मुद्रा की कुल मात्रा, जनता में वैकिंग की आदत (नकदी को दौकों में जमा करने तथा चैक के उपयोग की आदत), कुल शायित्व वा नवदन्त्रोप में प्रतिशत व्यापारिक दौकों की केन्द्रीय दौक के पास जमा की रकम, केन्द्रीय दौक की साथ नियन्त्रण नीति अच्छी जमानत की उपलब्धि, दसा की आर्थिक स्थिति, आदि (तीन-चार पृष्ठ)। इन व अन्तिम भाग में बताइये कि ऐको हारा साख-मृजन देश के आर्थिक नियोजन में बहुत सहायक होता है—कि उत्तर मान व्यापार व उद्योगों के लिए अल्पवालीन ऋण (एक दिन या इसके आस पास) की अत्यधिक आवश्यकता रहती है, कि व्यापारी व बाण्डनियों अपार्ह स्थायी पूँजी की व्यवस्था तो अन्य साधनों एवं तरीकों से कर लती है और दिन प्रतिदिन की मीटिंग आवश्यकताओं की पूर्ति व्यापारिक दौकों हारा कर लती है, इसलिए इनकी सह्या व कार्यों में अत्यधिक उन्नति हुई है, एक और साख मृजन वा वार्य सम्पन्न करने के लिए वेक्स अनुताइक धन को एकत्रित करके इसे देश के उत्पत्ति वार्यों में लगाते हैं और दूसरी ओर दश में मुद्रा की मात्राम आवश्यकतानुसार वृद्धि करवा ये देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। आर्थिक नियोजन के बाल में एक और दश में भई नई वाण्डनियों व उद्योगों के निर्माण की व्यवस्था भी जाती है उनके अल्पवालीक धन की आवश्यकता भी पूर्ति दौकों हारा साख मृजन से किया जाता है और दूसरी ओर, ऐसे बाल में जूँनि अत्यधिक मुद्रा प्रसार होता है, ये जनता वे हाथों में से शतिरिकत मुद्रा को खीचते हैं जिससे इस धन का उपभोग के स्थान पर उत्पादक-कार्यों में प्रयोग होता है (इससे मुद्रा-स्फीति की दशाओं में रोक लगती है, देश के मूल्यन्तर में स्थैर्य भी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, योजना के सफल होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है आदि), केन्द्रीय दौक भी दौकों की साख-मृजन शक्ति को नियन्त्रित करते, इसका देशहित में प्रयोग करते हैं आदि। अत वैको के साख-मृजन के कार्य एवं शक्ति का आर्थिक नियोजन के बाल में बहुत लाभ एवं महत्व है (दो-दोई पृष्ठ)।

**प्रश्न ३ :—**(i) केन्द्रीय बैंक और याणिङ्ग बैंक के कार्यों में अन्तर समझाइये (Sagar, B. A. १९५७) (ii) Explain fully the difference between Commercial and Central Banking and state the functions of a Commercial Bank. (Sagar, B. A. 1958)

**संवेदनः—**उत्तर के भारम्भ में केन्द्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक की प्रकृति व थर्य में अन्तर बताइये, जिन मिदान्तों पर दोनों बैंक वार्य करते हैं उन्हें भी संक्षेप में बताइये। तदरक्तात् दोनों के कार्यों को बताने हुए, इनके कार्यों में अन्तर बताइये (पाच-छ: पृष्ठ)।

**प्रश्न ४ :—**(i) 'Banks are not merely purveyors (Supply) of money but also in an important sense, manufacturers of money.' Discuss. (Bihar, B. A. 1956), (ii) In what sense is it true to say that the main function of a bank is to exchange its own credit for its customer's credit ? (Allahabad, B. A. 1940) (iii) "The Bank does not create money out of air, it transmutes other forms of wealth into money" Discuss.

**संवेदनः—**उत्तर के भारम्भ में दो-चार वाक्यों में बैंक का थर्य लिखिये और संक्षेप में बताइये कि सात-निर्माण का वार्य प्रत्येक बैंक का एक महत्वपूर्ण वार्य है (यहीं बैंक के अन्य कार्यों को लिखने की आवश्यकता नहीं है) (एक पृष्ठ)। द्वितीय भाग में बताइये कि बैंक प्रायः सम्पत्ति या प्रतिभूतियों (ध्यार-बौद्ध शादि) की जमानत के आधार पर ऋण दिया जाता है, उसे ऋणी की साथ में विश्वास होना है कि वह निर्धारित समय में ही ऋण की अदायगी कर देगा, वह ऋण नकद रूप में नहीं देता वरन् ऋण की रकम को ऋणी के नाम में अपने पास एक गाने में जमा जाने लेता है और ऋणी को इस रकम को चंक ढारा निवालने का अधिकार द देना है। इसी इम प्रकार के बैंक इम बारए स्वीकार करते हैं कि उन्हें विश्वास होना है कि वे उनके चंकों को स्वीकार करके रकम का भुगतान वर देंगा। अतः बैंक नकद में रूपा न देकर ऋणी की मार के बदले में अपनी मान दे देता है और इन तरह इसी भी सम्पत्ति के रिभिन्न प्रकारों (प्रतिभूतियाँ, सोयसं, माल) को मुद्रा के रूप में बदल देता है। इसी को बैंक ढारा साम-मृजन कहते हैं (एवं उदाहरण ढारा विनार ने बनाइये कि बैंक विन प्रकार तथा इन मान्यताओं ने आधार पर मान-मृजन जरता है) मध्ये में, शीत की मार-निर्माण शक्ति की मीमांसे भी बनाइये तथा इन में शीत के मार-निर्माण वार्य के भाविक महत्व को भी संक्षेप में बताइये (पाच-छ: पृष्ठ)।

## अध्याय १०

### बैंक की विनियोग नीति तथा स्थिति विवरण

(The Investment Policy and the Balance-Sheet of a Bank)

### बैंक की पूँजी (Capital of the Bank)

एक बैंक पूँजी किस प्रकार प्राप्त करता है? (How does the Bank obtain Capital?) —प्रत्येक बैंक के पूँजी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साधन होते हैं।

(1) अश पूँजी (Share Capital) —वरमान सभाज में वैको का निर्भार्ण मिश्रित पूँजी वाली कम्पनिया (Joint Stock Companies) के आधार पर किया जाता है। इस तरह प्रत्येक वैक के कुछ हिस्सेदार होते हैं जो वैक के कुछ निरिचित रकम के शेयर्स खरीदने हैं। बैंक का सचालक माइल (Board of Directors) आरम्भ म ही यह तय कर लेता है (यद्यपि इसम वाद में भी वरिवर्तन हो सकता है) कि वैक व्यापार का सचालन जितनी पूँजी से आरम्भ करेगा तथा वैक की कुल प्राधिकृत पूँजी (Authorised Capital) जितनी होगी। इस पूँजी का कुछ भाग वैक जनता को खरीदने के लिए देते हैं, जितनी रकम के शेयर (Shares) जनता को

किसी बैंक को पूँजी  
के साधन हैः—

- १ अश पूँजी।
- २ जमावन।
- ३ ऋण।
- ४ सामन का निर्भार्ण करने की योग्यता।
- ५ सुरक्षित-नोय।

खरीदने के लिए दिये जाते हैं, उसे निर्गमित पूँजी (Issued Capital) कहते हैं। इन निर्गमित शेयर म से जनता जितन अश खरीदेगी, उस भाग को प्राधिक पूँजी (Subscribed Capital) कहते हैं। इस प्राधिक पूँजी का जितना भाग चुकना होगा, उसे दत्त-पूँजी (Paid up Capital) कहते हैं। बैंक की वास्तविक पूँजी यही होती है। सचालक माइल यह भी तय कर दिया बरता है कि कोई एक व्यक्ति अधिक से अधिक जितने शेयर्स खरीद सकता है। भारतीय नैंबिंग कम्पनी विधान ११४६ (Indian Banking Companies Act

\* आगरा यूनिवर्सिटी के बी० ६० के विद्यार्थियों के लिये वरीका की हाईट से यह अध्याय अधिक सामनप्रद नहीं है। अत उन्हें इस अध्याय को बेकल एवं दरसारी निगाह से ही पढ़ना चाहिये।

1949) के प्रनुसार बैंक की प्राधिक-पूँजी (Subscribed Capital) प्रधिकृत पूँजी (Authorised Capital) की आधी से कम नहीं होनी चाहिये और दस्त-पूँजी (Paid-up Capital) भी प्राधिक पूँजी की आधी से कम नहीं होनी चाहिये। पूँजी में बैंकल साधारण हिस्से (Ordinary Shares) होने चाहिये। इस तरह अंशों (Shares) की विकी ने प्राप्त राशि ही बैंक की वास्तविक पूँजी होती है और कभी-कभी बैंक वी कुल पूँजी का एक बड़ा भाग अंश-पूँजी (Share Capital) के रूप में होता है। (ii) जमा-धन (Deposits):- यह बैंक की पूँजी का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। यह हम पढ़ चुके हैं कि बैंक के दो ही महत्वपूर्ण कार्य हैं—जनता से धन प्राप्त बरना तथा इसे व्यापारियों को उधार देना। बैंक के छुरुए में जमा धन का भाग बहुत बड़ा हुआ करता है। जमावर्ती कुछ शर्तों पर अपना धन बैंक में जमा कर देते हैं और इन शर्तों के प्रनुसार जब चाहे तब अपना रूपया बापिस ले लेते हैं। जनता का यैंक में जितना अधिक विद्वास होता है, बैंक को जमा-धन (Deposits) उतना ही अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाता है और इस तरह एक अच्छे बैंक की पहचान ही यह है कि उसे जितना जमा-धन प्राप्त हुआ है। बैंक जमा-धन कितने ही प्राप्त के गातों द्वारा प्राप्त बरना है—चालू खाते, निश्चित कालीन खाते, अनिश्चित दालीन खाते, मेविस बैंक याते आदि। प्रत्येक खाते में रूपया जमा करने तथा इसको निवालने के सम्बन्ध में अलग-अलग शर्तें होती हैं। इन शर्तों में जमावर्ती छोटी से छोटी रकम से लेकर बड़ी से बड़ी रकम जमा कर सकता है। घरतः जमा-धन (Deposits) द्वारा यैंक एक बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी प्राप्त करते हैं। (iii) ऋण (Loans):- प्रत्येक बैंक ने बैंकल जमा-धन (Deposits) के रूप में छुरुए लेता है बरन् वह प्रत्यक्ष रूप में भी छुरुए लेता है। ये छुरुए व्यक्तियों में न लेकर मुद्राध्यामों में लिये जाते हैं। केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंक तथा अन्य विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं को समय-समय पर छुरुए दिया करता है। यह स्मरण रहे कि कोई भी बैंक माधारण परिस्थितियों में छुरुए नहीं भेता है बरन् वह अमाधारण परिस्थितियों में या मरट बाल में जब कभी वह जमावर्तीप्रो की रूपयों की मात्रा अपने निजी साधनों में पूरा नहीं बरने पाता है, तब ही उसे छुरुए लेने की अवश्यकता पड़ा करती है। इसीलिए बैंकग इग प्रबार के छुरुए बहुत अलगाव के लिए ही निते हैं और मरट के टल जाने पर तुरन्त ही बापिस कर देते हैं। (iv) साधक का निर्माण (Credit Creation):- बैंक में जमावर्ती वा यह विद्वाम होता है कि मात्रा होने पर वह नदा ही अपने वा भुगतान कर देगा। यैंकम जमावर्तीयों के इस विद्वाम का साभ उदार बहुत बड़े २७ पैमाने पर साधक वा मृजन कर देते हैं। इसीलिए निर्मित-भाल में व्यवसाय बरना ये दूषी एवं बिनोपता होती है। गाय-मृजन द्वारा बैंकों को एवं बहुत बड़े पैमाने पर पूँजी उपलब्ध हो जाती है और इसी में वे साभ भी बहुत उठाने हैं। इस सम्बन्ध में कि बैंकग गाय वा निर्माण बैंकों बरने हैं और उनकी इस दृष्टि की बयानया भीमाएँ हैं, यिद्धने अध्याय में विस्तार ने लिया जा चुका है। (v) सुरक्षित रोप (Reserve

Fund) — प्रत्येक बैंक ने अपने तमाम कार्यों की सम्पत्ति वरके आवासर कुछ ने कुछ लाभ प्राप्त होता है। इस लाभ का दो प्रकार से उपयोग होता है— प्रथम, इसका कुछ भाग शेयरहातियों (Shareholders) को लाभांश (Dividend) के रूप में बांट दिया जाता है और द्वितीय, लाभ का शेयर भाग सुरक्षित बोध में लमा कर दिया जाता है। यह स्मरण रहे कि लाभांश एक निश्चित सीमा में बाटा जाता है। परिणाम यह होता है कि रक्षित कोप का आकार घने घने बढ़ता जाता है। इस बोध का उपयोग प्राप्त: असम्भाव्य हानि (Contingent losses) की पूर्ति तथा प्रति वर्ष दिए जाने वाले लाभ को समान रखने के लिए किया जाता है। विपान के अनुसार प्रत्येक बैंक को इस प्रकार वा कोप रखना अनिवार्य होता है। भारत में भी सद् १९४६ के वैविध्य विधान के अनुसार रक्षित-जोप (Reserve Fund) की रकम दत्त-पूँजी (Paid-up Capital) के बराबर होनी चाहिए। इसीलिए इस बानून ने प्रत्येक बैंक को अपने लाभ का २० प्रतिशत भाग सुरक्षित कोप में जब तक यह दत्त-पूँजी (Paid up Capital) के बराबर नहीं हो जाय, स्वानान्तरित करना अनिवार्य कर दिया है। रक्षित कोप में जितना अधिक धन एकत्रित होता चला जाता है, उतना ही बैंक के प्राहृष्टों को बैंक की सुरक्षा का प्रमाण मिलता है और इससे बैंक के सचालकों की वुद्धिमत्ता वा भी परिचय मिल जाता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि आरम्भ में बैंक को वार्षिक धूंजी (Working Capital) दत्त-पूँजी (Paid up Capital) से प्राप्त होती है और जैसेजैसे रक्षित धूंजी वी मात्रा बढ़ती जाती है, बैंक की वार्षिक धूंजी में भी वृद्धि होती है। ताकि रक्षित-कोप विस्तीर्ण भी समय बैंक के उपयोग में साधा जा सके, इसीलिए इसका विनियोग (Investment) केवल प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों (First Class Securities) में किया जाता है।

### बैंकों की विनियोग-नीति

#### (Investment Policy of a Bank)

प्रावक्षयन — प्रत्येक बैंक को लाभ अपनी पूँजी के उचित उपयोगों से होता है। अपर हमने यह जान ही लिया है कि बैंक को पूँजी किन-किन साधनों से उपलब्ध होती है। जब वह इस पूँजी का लाभप्रद तरीके से विनियोग करता है, तब ही वह लाभ कमाता है। बैंक को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वह पूँजी का इस प्रकार विनियोग करे कि वह किसी भी समय माग होने पर ज्ञानावशिष्टों की रकम का भुगतान कर सके क्योंकि गाग होने पर यदि बैंक भुगतान नहीं कर सका तब अनंता वा उसमें से विश्वास उठ जायगा और धार्यिक स्थिति अच्छी होते हुये भी उसे व्यापार बन्द करना पड़ेगा। परन्तु क्या बैंक अपनी तमाम पूँजी को अपने पास नकद में रख सकता है? नहीं। वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि इसका उद्देश्य लाभ करना ही होता है। इसीलिये बैंक की पूँजी को निश्चित उपयोगों एवं विनियोगों (Investments) में बाटा जाता है, जैसे—नकद-कोप, तरल आदेय (Liquid Assets) आदि। एक बैंक अपनी तमाम पूँजी वा धन विभिन्न विनियोगों पर वित्त

आधार पर बाटता है ? यह स्मरण रहे कि इस बंटवारे के सम्बन्ध में क्रोई निश्चित नियम नहीं हो सकता है, परन्तु फिर भी बैंक को बड़ी सावधानी से कार्य करना पड़ता है और वह पूँजी विनियोग कुछ सामान्य वातों को ही ध्यान में रखकर करता है। एक बैंक जो भी वातों ध्यान में रखकर अपनी निजी विनियोग की नीति निर्धारित करता है, वह तामाम देशों में एवं सी नहीं होती है क्योंकि विभिन्न देशों में जनता की आदत व्यापारिक एवं आर्योगिक परिस्थितियाँ, विल-वाजार की दशायें भिन्न-भिन्न होती हैं। इसीलिये द्रव्य के विनियोग के लिये बैंक अधिकारियों में सबसे अधिक फॉरेसाइट (Foresight) अनुभव (Experience) और अनुमान (Judgement) की आवश्यकता है। बेजहाँट (Bagehot) के शब्दों में, “साहस व्यापार का जीवन है, परन्तु सावधानी (Caution) न कि भीषणता (Timidity) आधुनिक बैंकिंग का सार (Essence) है।”

### विनियोग-नीति के सिद्धान्त

#### (Principles of a Sound Investment Policy)

बैंक वर्ते विनियोग-नीति के सिद्धान्त (Principles of a Sound Banking Investment Policy) :—इन्हीं को हम कभी-कभी व्यापारिक बैंकिंग के सिद्धान्त (Principles of Commercial Banking) भी कह देते हैं। व्यापारिक बैंक अपने धन का विनियोग करते समय निम्न वातों ध्यान में रखते हैं अर्थात् बैंकों की विनियोग-नीति के निम्न आधार हैं:—

(१) धन की सुरक्षा (Safety of the Funds):—विनियोग चाहे जितना सामर्दायक वयों न हो, परन्तु बैंकों को धन की सुरक्षा का विचार कभी नहीं भूलना चाहिये। यदि सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता गया, तब बैंक का जीवन स्वयं सकट में पड़ जायेगा। सुरक्षा की धलि पर बैंक को लाभ के पीछे कभी भी नहीं दौड़ा चाहिये। कुछ ध्यतियों वा यह विचार है कि बैंक पूर्ण सुरक्षा के बिना कभी भी ऊरुण नहीं देते, परन्तु वास्तविकता यह है कि कभी-कभी ऐसा नहीं होता है। अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा होने पर कभी-कभी बैंकों को कम विश्वसनीय जमानतों पर या व्यक्तिगत जमानत तक पर ऊरुण देना पड़ जाता है। अतः बैंक की आर्यिक दशा समुचित रखने के लिये प्राहकों को दिखे यद्ये ऊरुण पूर्णतया मुरक्कित होने चाहिये। विनियोगों की रक्षा भी कई बातों पर निर्भर रहती है।—(i) बैंक को अपना तमाम द्रव्य किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष उद्योग-बन्धे को ही उधार नहीं देना चाहिए क्योंकि व्यक्ति या घन्घे का असफलता बैंक को बहुत घातक सिद्ध हो जायगी। कुछ देशों में कानून एक अधिकतम सीमा निश्चित कर देता है। जिसके एक बैंक एक व्यक्ति को साल दे सकता है। (ii) बैंक को ऊरुण देने से पहले ग्राहक की जमानत (Security) के बाजार मूल्य की जाए पूर्णतया बरनी चाहिये ताकि ऊरुण की अदायगी नहीं होने पर जमानत

\* \* Adventure is the life of Commerce, but caution, if not timidity, is the essence of modern banking”—Bagehot

मेरक्षती हुई वस्तुओं की विक्री से बक वो हानि नहीं होने पाये। (iii) बैंक को अपने रपये को अल्पकाल के लिये तथा अस्थाई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही देना चाहिये। (iv) बक को सस्ती साख नीति (Cheap Credit Policy) नहीं अपनानी चाहिये क्योंकि सस्ती साख नीति ऋणियों को अमितव्ययी (Extravagant) बता देता है। (v) ऋण देने से पहले ऋणी के आचरण (Conduct) की जाव पूरी तरह कर लेनी चाहिये। यदि बक न ऋण देते समय इन सब बातों का ध्यान रखता तब ऋण मेरुदण्ड के नियम की सतुष्टि हो जायगी।

(२) कोप की तरलता (Liquidity of Funds) —बैंक का विनियोग विक्री के योग्य (Marketability of Investment) होना चाहिये अर्थात् इसमें तरलता होनी चाहिये। यदि विनियोग में इस प्रवार की तरलता नहीं हुई तब बक वो आवश्यकता के समय अपने विनियोग से धन वापिस नहीं मिल सकेगा और उसका जीवन सकट में पड़ जायगा। अत बैंक के विनियोग ऐसे होने चाहिये कि इह गीधता से नेबुदी में बदला जा सके। तरलता की हाँट से भी ऋण अल्पकालीन होन चाहिये। इसीलिये बैंक को अपना धन इमारत, अचल सम्पत्ति तथा अविक्री साध्य सिव्यूरिटीज में नहीं बदल करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने पर विनियोग की तरलता समाप्त हो जायगी। इसीलिये श्री एम॰ एल॰ टेनन (M. L. Tannan) ने ठीक ही कहा है कि एक सफल बैंकर को विनियमय बिल सवा प्राप्ति (Mortgage) में अतर समझ लेना चाहिये। \* इसका अर्थ यह है कि विनियमय बिल से एक अल्पकालीन साख पर होता है जो प्राप्त ३ महीने में परिपक्व (Mature) हो जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसे वैन्ड्रीय बक से भी भुनाया जा सकता है या अब किसी बक को बेचकर इसका रपया प्राप्त किया जा सकता है परन्तु प्राप्ति (Mortgage) में इसके बिल्कुल विशीर्ण युग्म पाय जाते हैं। यह बहुत ही प्रतरल आदेय Non Liquid Asset है और यदि बैंक का श्रधिकाश धन इसी प्रकार के आदेय (Assets) में लगा है तब इस बक को आर्थिक सकट वा सदा भय रहेगा क्योंकि जमावरताओं की नकदी वो मांग होने पर वह प्राप्तानी से इनका भुगतान नहीं कर सकेगा। इसीलिये बक को अपना धन प्रथम श्रणी की प्रतिश्रुतियों (Govt or First Class Securities आ उत्तम किसम के हिस्सों या ऋण पत्रों (Shares and Debentures में लगाना चाहिये। अत एक बक वो तरल आदेय (Liquid Assets) में अपना धन लगाना अत्यावश्यक होता है। स्टीड (Stead) का मतन है कि बैंक के ऋण के बाल कादवाहन पूजी की पूर्ति करने के लिए हैं न विस्तय प्रचल पूजी बनने में निए। (Bank's Advances are only to supplement the working capital and not to become fixed capital —Stead.)

(३) जोखिम को विविधता (Diversification of Risk) —प्रत्यक्ष बक को

\* A Successful banker is he who can distinguish between a Bill of Exchange and a Mortgage —M. L. Tannan Banking Law and Practice in India

अपने धन के विनियोग की जोखिम में विविधता रखनी चाहिये। यह तब ही सम्भव है जबकि वह अधिकाश धन एक ही प्रकार के ऋण, व्यवसाय, प्रतिभूति (Security) एवं विनियोग में नहीं लगाकर विभिन्न प्रकार के ऋणों, व्यवसायों, प्रतिभूतियों में लगाता है। बैंकों के लिये यह भी उचित है कि वे बड़ी मात्रा में घोड़े से ग्राहकों को ऋण देने की अपेक्षा, घोड़ी और मध्यम मात्रा में अधिक ग्राहकों एवं उद्योगों को ऋण दें क्योंकि यदि तमाम अँडे एक टोकरी में जहाँ रखे जाते हैं तब इनके फूटने का भय नहीं रहता है। इससे यह भी लाभ होता है कि बैंक के पास नकदी का सदा एक ऐसा प्रवाह (Flow of Funds) रहता है कि उसे ग्राहकों की नकदी की मांग पूरा करने में कभी भी कठिनाई नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यदि अधिकाश धन का विनियोग एक ही उद्योग या व्यवसाय में कर दिया गया और यदि यह व्यवसाय धारे में आ गया, तब उद्योग के असफल हो जाने पर बैंक भी स्वतः फेल हो जायगा।

#### (४) विनियोग की उत्पादकता (Productivity of the Investment):

—बैंक को अपने धन का इस प्रकार विनियोग करना चाहिये कि उसे इससे एक अच्छी और स्थायी आय प्राप्त हो सके। इसका कारण भी स्पष्ट है। प्रत्येक बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है और उसकी आय मुख्यतः उसके विनियोगों से ही प्राप्त होती है। इसलिए उसके आदेय (Asset) की उत्पादकता जितनी अधिक होगी, वह इसे उतना ही अधिक प्रसन्न करेगा। परन्तु लाभ के साथ ही साथ बैंक को सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सुरक्षा की बलि पर लाभ कमाना धातक हो सकता है। जो धन बैंक विनियोगों में लगाता है, वह उसका निजी नहीं होता है बरत यह ग्राहकों से लिया हुआ होता है जिसकी सुरक्षा एवं भुगतान की जिम्मेदारी बैंक पर होती है। इसीलिए बैंक को कभी भी स्टॉट-व्यवहारों में नहीं पड़ना चाहिए।

#### (५) प्रतिभूतियों की विक्री-साध्यता (Marketability of the Securities):

—बैंक का विनियोग ऐसा होना चाहिये कि इसे भासानी से बेचकर धन प्राप्त किया जा सके। इस नियम का पालन भी सुरक्षा की हाईट से किया जाता है। इसीलिये प्रथम श्रेणी के शेयर्स या स्टॉक्स (First-class Shares and Stocks), तंयार माल (Ready Goods) तथा ऋण-पत्रों पर दिये गए ऋण आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं। इस प्रकार के विनियोगों में तरलता तथा सुरक्षा दोनों ही गुण पाये जाते हैं क्योंकि इनमें पूर्णतया विक्री-साध्यता (Marketability) का गुण पाया जाता है। इसके विपरीत अचल सम्पत्ति (Immovable Property) में इस प्रकार का गुण नहीं पाया जाता है।

**आन्ध्र सिद्धान्त :**—(i) करों से मुक्ति (Freedom from Taxes) :—बैंक को अपने धन को ऐसी सिक्यूरिटीज में लगाना चाहिए जो आम-कर या आन्ध्र दूसरे करों से पूर्णतया मुक्त हों। (ii) विनियोगों के मूल्य में स्थिरता (Stability in the Price of Investments) :—बैंक को धन का विनियोग ऐसे विनियोगों में करना चाहिये जिनके मूल्य में अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता रहती है। यदि विनियोग ऐसे हैं,

जिनके मूल्य में अस्थिरता रहती है, तब इनके मूल्यों में अचानक कमी हो जाने पर बैंक को बहुत हानि का भय रहगा।

### विनियोग की पद्धति (Investment of a Bank)

**प्राप्तिहक्षयन** —बैंक घण धन का दो प्रकार से विनियोग करता है—(अ) लाभकर विनियोग (Profitable Investments) तथा (आ) लाभक्षय विनियोग (Profitless Investments)। प्रत्येक बैंक को अपना घण दो ही प्रकार से लगाना आवश्यक होता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बैंक अपने घण का वितरण इन दोना विनियोग में किस अनुपात में करते हैं? इस सम्बन्ध में बोई नियम सो नहीं है, परन्तु यह अवश्य है कि बैंक इस प्रकार का निर्णय बड़ी सावधानी (Caution) से लिया करता है। निर्णय लेने समय उसे मुरक्का और लाम दोनों ही इटिकोण के बीच समाप्तोजन (Adjustment) करता होता है। बैंक को लाभहीन विनियोग मुरक्का (Security) तथा तरलता (Liquidity) के इटिकोण से रखने पड़ते हैं, ताकि जब वह भी जमानताओं की घण की मांग हो, वे इसका आसानी से मुगवान कर सकें। परन्तु दूसरी ओर बैंक को सामकर विनियोग इसलिये आवश्यक होते हैं क्योंकि लाम कमाने उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसे न बेवल दैनिक काये के लिये ही घण की आवश्यकता होती है बल्कि उस पर शेयरहोल्डर्स (Shareholders) को उनके शेयर पर सामाद (Dividend) बाटन का भी दायित्व होता है। इसके अतिरिक्त उसे एक ऐसे रक्षित कोष (Reserve Fund) का भी निर्माण करना होता है जिसका बैंक वे सकटकाल में उपयोग हो सके और इस तरह बैंक की दिक्षितता का भय उत्पन्न नहीं होने पाये। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि बैंक को मुरक्का की दिक्षित देकर अधिकतम लाम कमाने के स्वार्थमयी नीति अपनानी चाहिये। यदि उसने एसा किया तब बैंक के फर ही जान का सदा भय रहगा जिसमें न केवल अ शवारियों का भारी हानि की सम्भावना रही वरन् बैंक के फर ही जान के दश और समाज को भी बड़ी शक्ति हो जान का ढर रहगा। अतः यह स्पष्ट है कि बैंक का अपना धन का विनियोग लाभकर और लाभकर विनियोगों में बड़ी वृद्धिमत्ता तथा सावधानी से करना पड़ता है।

### (अ) लाभहीन विनियोग (Profitless Investments)

**(अ) अलाभकर विनियोग** (Profitless Investments) —बैंक के इन प्रकार के विनियोग (न) नकद कोष (Cash Reserves) तथा (न) मृत स्टॉक्स (Dead Stocks) के रूप में होते हैं।

**(न) नकद कोष (Cash Reserves).**—विसी बैंक का नकद काये वह बोग होता है जो बैंक अपन पाय मां अन्य बैंकों के पाय अपन दायित्वा (Liabilities) के मुगवान के लिय रखता है। बैंक के नकद कोष जनता में विश्वास उत्पन्न करते हैं क्योंकि इनमें अधिकार तरलता (Liquidity) होती है। परन्तु बैंक अपने तभाम धन को तरनुता की हाफ्ट गे नकद कोष के रूप में ही नहीं रख यहत क्योंकि उन्हें दिन

प्रतिदिन का व्यय करने तथा अंशधारियों को उनके अंश (Shares) पर लाभांश (Dividend) बाटने के लिए लाभ उत्पन्न करना आवश्यक होता है और यह लाभप्रद विनियोगों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यह आवश्यक है कि बैंक के तमाम विनियोगों में नकद-कोषों (Cash Reserve) का सबसे अधिक महत्व होता है क्योंकि नकदी से अधिक तरलता किसी भी विनियोग में नहीं होती है। यह स्मरण रहे कि आजकल बैंक के नकद-कोष में न केवल वह रकम सम्मिलित होती है जो बैंक अपने पास आलमारियों में सचित रखता है बरन् इसमें वह रकम भी गिनी जाती है जो बैंक अन्य दूसरे बैंकों में या केन्द्रीय बैंक में जमा रखता है और जिसे वह जब चाहे तब निकाल सकता है।

### नकद-कोष सम्बन्धी सिद्धान्त (Principles of Cash Reserves)

बैंकों के नकद-कोष को निर्धारित करने वाली बातें (Factors determining

Cash Reserves of a Bank) :—उक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट हो गया है कि बैंक के विनियोगों में नकद-कोष का बहुत महत्व है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रत्येक बैंक किन नियमों के आधार पर अपने पास नकद-कोष रखते? यह स्मरण

रहे कि बैंकों के नकद-कोषों के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है जिनको पूर्ण रूप से सब स्थानों या सब बैंकों पर काम में लाया जा सके। इसीलिये पृथक्-पृथक् लेखकों के इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत है। यह निधि मुहूर्तः बैंक के पूर्व अनुभव, उसकी दूरदृशिता तथा उस क्षेत्र की व्यापारिक स्थिति पर निर्भर होती है जहाँ पर बैंक स्थित है। परिणामतः विभिन्न बैंकों इसको भिन्न-भिन्न परिमाण में अपने पास रखते हैं। यद्यपि बैंक के नकद-कोष के सम्बन्ध में कोई हड्ड नियम नहीं बनाया जा सकता है परन्तु फिर भी कुछ ऐसे सामान्य नियम एवं बातें बताई जा सकती हैं, जिन बातों को ध्यान में रखने का परिणाम यह हो सकेगा कि बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर नकदी भुगतान करने

- १. वैधानिक आवश्यकतायें।
- २. प्राहकों की आदत तथा स्थानीय व्यापारिक स्थिताएं।
- ३. समाजोधन-गृहों की उपलब्धता।
- ४. खातों की प्रकृति।
- ५. जमा की मात्रा।
- ६. दूसरे बैंकों की नकद-कोष नीति।
- ७. विनियोगों की प्रकृति।

में किसी प्रकार भी कठिनाई अनुभव नहीं हो सकेगी।<sup>1</sup> ये नियम एवं बातें इस प्रवार है :—(i) वैधानिक प्रायशकृतये :—कुछ देशों में बैंकों के नकद-बीपों की न्यूनतम सीमा के सम्बन्ध में नियम बने हुये होते हैं। भारत में भी ऐसा ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एकट के अनुसार अनुसूचीबद्ध-बैंकों (Scheduled Banks) को

1—Also read "Banking Law & Practice" by M. L. Tappan, p. 196—199.

अपने माग-दायित्व (Demand Liabilities) का ५ प्रतिशत और अपने समय-दायित्व (Time Liabilities) का २ प्रतिशत हर समय रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। अन्य बैंकों के लिये भी यह नियम है कि ये भी अपने माग-दायित्व का ५ प्रतिशत और काल-दायित्व का २ प्रतिशत नकद कोष अपने पास या रिजर्व बैंक के पास या कुछ अपने पास और वाकी रिजर्व बैंक के पास जमा रखें (अनुसूची वैक्स की तरह इन्हे यह रकम रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से नहीं रखनी पड़ती है)। परिणामत बैंकों इस न्यूनतम सीमा के बराबर तो हर समय नकद कोष रखते ही हैं, परन्तु बास्तव में व्यवहार में इन्हे इस न्यूनतम सीमा से बहुत अधिक नकद कोष अपने पास रखना पड़ता है। यह स्मरण रहे कि जबकि इन्हें डे में नकद कोष बुल जमा का १० प्रतिशत या ११ प्रतिशत है, तब भारत में यह अपेक्षाकृत बहुत कम है।<sup>2</sup> अतः कुछ व्यक्तियों का मत है कि भारत में एक मुस्तैदित बैंकिंग पद्धति के निर्माण के लिये इस वैधानिक अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए। (ii) प्राहृष्टों की आदत तथा स्थानीय व्यापारिक अवस्थायें—प्राहृष्टों की आदत तथा कानूनी विधियों की व्यवसायिक दशाओं का भी बैंक के नकद-कोष पर प्रभाव पड़ा बरता है। यदि मनुष्यों में बैंकिंग की आदत (Banking Habits) काफी उन्नत हो गई है अर्थात् ये अपने लेन देन में चैक तथा अन्य साझे पत्रों का बहुत उपयोग करते हैं, तब वैक बहुत कम मात्रा में ही नकद कोष रखकर अपना बाम छला लेंगे। इसके विपरीत मनुष्यों को भुगतान के लिये यदि नकदी वो सदा आवश्यकता रहती है, तब वैकों को भी अपने पास काफी बड़ी मात्रा में नकद-कोष रखना पड़ेगा। भारत में इसी प्रकार की दशा पाई जाती है। जिससे दैवतों को अपेक्षाकृत अधिक नकद-कोष अपने पास रखना पड़ता है। इसी तरह क्षेत्र की व्यवसायिक दशाओं का भी नकद कोष पर प्रभाव पड़ता है। जिस क्षेत्र में दैवत स्थित है, यदि वहां पर सट्ट व्यवहार अधिक किये जाते हैं या यह औद्योगिक तथा व्यापारिक कारों का क्षेत्र है जिससे इस क्षेत्र में विनियम के कार्य जल्दी-जल्दी किया जाते हैं, तब वैकर को अपने पास अधिक मात्रा में नकद-कोष रखना पड़ेगा। परन्तु एक कृपि प्रधान क्षेत्र में दैवत अपने पास बहुत कम मात्रा में नकद-कोष रखकर ही बाम छला लेंगा। (iii) समाजोधन गृहों की उपलब्धता—जिस क्षेत्र में समाजोधन-गृह (Clearing House) होता है, वहाँ वैकर को अधिक मात्रा में नकद-कोष नहीं रखने पड़ने कीविं अधिकार नैर इस समाजोधन गृह में होकर ही आते-जाते हैं जिससे दैवतों में आपस में भुगतान प्राप्त बहुत ही कम मात्रा में घन का हस्तान्तरण करके हो जाता है। इस गृह के अभाव में दैवत को प्रत्येक दैवत का भुगतान नकद में बरता पड़ता। भारत में समाजोधन-गृहों के अभाव के कारण दैवतों को काफी बड़ी मात्रा में घन अपने पास रखना पड़ता है। (iv) सातों की प्रकृति—दैवत का

2--In Argentina, it is 8% of the Time and 16% of the Demand Liabilities  
in Denmark, it is 10% of the Time and 25% of the Demand Liabilities, whereas  
in India it is 2% of the Time and 5% of the Demand Liabilities (Statutory Limit)  
but in practice, it is 10 to 15% of the Total Liabilities at the present time

पूँजी के बराबर होनी चाहिए (Reserve Fund should be equal to Paid-up Capital)। इसीलिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि जब तक संचित कोष बैंक की दत्त-पूँजी के बराबर नहीं हो जाय, प्रत्येक ऐसे बैंक को अपने आधिक लाभ का २० प्रतिशत भाग संचित-कोष में हस्तान्तरित (Transfer) करना होगा। यह कोष धोंक की कुल सम्पत्ति (Total Assets) दत्त-पूँजी (Paid-up Capital) तथा अन्य देय (Other Liabilities) से मिलाकर जितना आधिक होता है, उतना ही ग्राहकों द्वारा बैंक की सुरक्षा का प्रमाण तथा बैंक के चलाने वालों का बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है यद्योंकि इस कोष का निर्माण तब ही होता है जबकि बैंक क्षमता से दार्य कर रहा हो। इस तरह वास्तव में यह कोष धोंक के हिस्सेदारों (Shareholders) का है यद्योंकि इसकी उत्पत्ति धोंक के सामने ही है। इसीलिए किसी भी समय यह उनके हित के लिये उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे—हिस्सेदारों के लाभांश (Dividend) की दर समान रखने के लिए या उन्हें अधिलाभाश (Bonus on Shares) देने के लिए इस कोष का विनियोग (Investment) प्रयम थे एवं वी की प्रतिभूतियों (First Rate Securities) के खरीदने में किया जाता है ताकि इस कोष का उपयोग किसी भी समय किया जा सके। यद्यपि आरम्भ में धोंक की कार्यशील पूँजी केवल इसकी दत्त-पूँजी ही होती है, परन्तु तत्पश्चात् रक्षित-कोष के निर्माण से इसकी कार्यशील पूँजी में भी वृद्धि हो जाती है। कभी-कभी नये-नये शेयर्स के निर्गमन (Issue) से जो प्रीमियम (प्रभाजि) प्राप्त होती है (Premium on New Issues of Shares) वह भी रक्षित-कोष में जमा कर दी जाती है।

यह स्मरण रहे कि कभी-कभी कुछ धौंकस अपनी आधिक स्थिति को दृढ़ बनाने के लिये गुप्त रक्षित-कोष (Secret Reserves) तक वा निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार के कोष का उल्लेख धौंक अपने स्थिति विवरण (Balance Sheet) में नहीं करता है। इस कोष का निर्माण धौंक अपनी स्थायी सम्पत्ति को, इसके वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर लेखा-पुस्तकों (Account Books) में दिखाकर करता है। उदाहरण के लिये, प्रत्येक धौंक में लालों स्पष्ट का फर्नीचर, अलमारियाँ तथा विल्डग्रूप हुआ करती हैं, परन्तु यदि वह दैन-लेखा-पुस्तकों में इनका मूल्य या तो दिखाए ही नहीं या बहुत कम दिखाता है, तब इस प्रकार से गुप्त संचित-कोष (Secret Reserves) वा निर्माण हो जाता है जिसका उपयोग आधिक सबृद्धि के समय किया जाता है।

(3) जमा धन और अन्य खाते (Deposits and other Accounts):— किसी धौंक में जनता वा कितना विश्वास है यह इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जमा-रकम दिखती है और किसी धौंक में जमा की रकम उसके स्थिति विवरण से पता चल जाती है। प्रत्येक धौंक के पास जमा वई प्रबार से प्राप्त होती है जिनमें बचत-खाते (Saving Bank Accounts) चालू-खाते (Current Accounts) तथा निश्चित अवधि खाते (Fixed Deposit Accounts) मूल्य हैं। इन तीनों प्रकार के खातों से धौंक को कार्यशील पूँजी (Working Capital) मिलती है। वह

इन सातों से प्राप्त रकम का कुछ भाग अपने पास नकद कोप (Cash at Hand) में रखकर बैंक विनियोग (Investment) करके बहुत लाभ कमाता है। जमा-धन की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक पर होती है। इसीलिए वह इस रकम का विनियोग वही सावधानी से करता है क्योंकि इस रकम की वही भी मांग हो सकती है और यदि मांग होने पर वैक्षणिक वापिस नहीं कर सका तब जनता का उसमें से विश्वास उठ जायगा और तब सम्भव है कि बैंक का अस्तित्व ही मिट जाय। सब १९४६ से पहले भारतीय बैंक अपने स्थिति-विवरण (Balance Sheet) में जमा के मद में विभिन्न प्रकार के सातों से प्राप्त रकम को भिन्न-भिन्न नहीं दिखाता था जिसमें इस मद में जमा कुल रकम और की व्यापारिक स्थिति में सम्बन्ध में कुछ भी नहीं दिखाती थी। परन्तु सब १९४६ के विधान ने अब यह अनिवार्य कुर दिया है कि बैंक अपने स्थिति-विवरण में विभिन्न सातों में जमा की रकम भी भिन्न भिन्न दिखायें। जब इन सातों में जगा रकम अलग-अलग दिखाई जाती है, तब नि सन्देह विवरण से इस देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो सकता है। यह जानवारी के से प्राप्त हो सकती है? व्यापारिक तेजी-वाल (Boom Period) में अन्य सब सातों की अपेक्षा चालू-सातों (Current Accounts) में जमा अपेक्षाकृत अधिक पाई जायगी क्योंकि नया नया व्यवसाय व उद्योग लुलन से तथा पुण्य व्यवसाया में समृद्धि आ जाने से बैंकों में चालू सातों में जमा की रकम बहुत बढ़ जाया बरती है। इसके विपरीत मन्दी-वाल (Depression Period) में चालू सातों में जमा की रकम कम हो जायगी। अतः विभिन्न सातों में जमा के अनुपात (Ratios) न बेबल देगा की ओर्डोगिक एवं व्यापारिक परिस्थिति को गति विधि कहा है, इसका परिचय के देन हैं बरन्त य बैंक व्यापार की पूरी पूरी झूचना भी दे देते हैं।

(४) ग्राहकों के लिए स्वीकृतिशास्त्रीय प्रतिज्ञायें (Acceptances for Customers and other obligations) — इस मद (Item) में उन पत्रों एवं सामग्री-पत्रों का समावेश होता है जो बैंक अपने ग्राहकों से सम्प्रत्यक्ष (Collection) के लिए लेता है। बैंक इन पत्रों की रकम की बहुत करने के बाद अपने ग्राहकों के लाते में जमा कर देता है। जूँ जि ग्राहक इस रकम को पत्र के सम्प्रत्यक्ष (Collection) के बाद जब चाहे तब निकाल सकता है, इसलिए बैंक को यह रकम देनदारी (Liability) होती है। इसके अतिरिक्त इस शीर्षक में उस रकम को भी दिखाया जाता है जिसके भूल्य में विनियोग विल्स बैंक ने अपने ग्राहकों की ओर से स्वीकार कर सिए हैं। स्वीकार किये हुये विल्स का हथियार ग्राहक से मिल जाता है और विल का मुगलान कर दिया जाता है। परन्तु जब तक दिन का मुगलान नहीं हो जाता, यह बैंक की देन ही रहती है।

(५) लाभालाभ लेला (Profit and Loss Account) — बैंक को जो कुछ भी लाभ हुआ है, वह इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाता है। यह भी दिखाया जाता है ति इस लाभ का विभाजन शेयर-होल्डर्स में किस प्रकार किया गया है। जूँ कि

लाभ देयर-होल्डसं को देना होता है, इसलिये लाभ की रकम बैंक के लिये भी देय (Liability) होती है।

### बैंक की लेनदारी या आदेय (Assets of a Bank)

प्राक्षकथन—बैंक के स्थिति-विवरण के दाईं खंड (Column) में उस रकम का भ्योरा दिया जाता है, जो बैंक वो प्राप्त करनी होती है। इस खंड के अध्ययन से मह स्पष्ट हो जाता है कि बैंक ने अपनी पूँजी का किस प्रकार उपयोग किया है, अपने दायित्वों (Liabilities) के भुगतान के लिए उसने अपने पास वित्ती रकम नकद-बोय (Cash Reserves) में रखती है तथा वित्ती रकम तरल सम्पत्ति (Liquid Assets) के रूप में रखती है। इस खंड में भिन्न-भिन्न प्रकार की सम्पत्ति उनकी तरलता के अनुसार क्रमशः दी जाती है—

(१) नकदी (Cash in Hand)—प्रत्येक बैंक अपनी देनदारी के भुगतान के लिये अपने पास कुछ नकद रोकड़ (Cash) रखता है ताकि ग्राहकों की मांग होने पर वह भुगतान कर सके। बैंक अनुभव से यह जानता है कि कुल जमा देय का एक अंश ही निकाला जाता है। वह बेवल इस भुगतान के लिए ही अपने पास नकद में रखता है और बाकी जमा को उधार दे देता है या इसका इस प्रकार से विनियोग (Investment) करता है कि उसे जहाँ तक हो सके आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही रूपया वापिस मिल सके। नकद-रोकड़ “बैंक वो सुरक्षा की प्रथम दीवार” (First Line of Defence of a Bank) कहलाती है।

(२) अन्य दौकों व केन्द्रीय बैंक में जमा (Cash at other Banks including the Central Bank)—प्रत्येक बैंक वो कुछ रोकड़ अन्य दौकों व केन्द्रीय बैंक में जमा रहती है। कुछ देशों में प्रत्येक अनुसूचीवाल बैंक (Scheduled Bank) वो कानूनन कुछ रकम वहाँ के केन्द्रीय बैंक में जमा करनी होती है। जो रकम इस प्रकार अन्य दौकों या केन्द्रीय बैंक के पास जमा रहती है, वह भी नकद-बोय (Cash in Hand) वो तरह ही होती है जिसकि आवश्यकता पड़ने पर दौव इस जमा वो रकम को अपने भुगतानों के उपयोग में ला सकता है।

(३) प्रभियाचित या अत्यकालिक ऋण (Money at Call or Short Notice)—इस दीर्घक के अन्तर्गत उन सब धनों वो सम्मिलित किया जाता है जो मागने पर तुरत मिल जाते हैं। प्रत्येक बैंक कुछ ऋण अति अत्यवाल के लिये और कुछ क्रहण इस शर्त पर देते हैं कि उनका भुगतान याचना या सूचना पाते ही कर दिया जाएगा। इसी तरह कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो सूचना पाने के ३५ फ्लटे से ७ दिन के अन्दर वापिस किये जाते हैं। इस प्रकार के क्रहण प्रायः अपहारन्यहो (Discount Houses), विल बुलालो (Bill Brokers) तथा शेयर-बलालो (Stock Brokers) वो उचित प्रतिभूतियों (Securities) के आधार पर ३% से, २% प्रतिवर्ष व्याज वो दर पर दिये जाते हैं। इस प्रकार के न्यून अन्य अच्छे दौकों को भी दिये जाते हैं। बैंक

उस प्रकार बैंक के विनियोगों में स्पष्ट लगातार, उस रद्दम को जो बैंक देय (Liabilities) भगतान के लिये अपने पास रखते हैं उस पर तक व्याज बमा लेते हैं। बैंक के अभियाचित् ऋण प्रायः तीन प्रकार के होते हैं—(i) रात्रि के उपयोग के लिये दिया गया करण—यह वह करण है जो बैंक अपने व्यापार के अंत में कबल रात्रि के उपयोग के लिए देने हैं और जिसका भुगतान दूसरे दिन बैंक के बायं बैंक के आरम्भ होने से पहले हो जाता है। इस प्रकार के करण सूटदाव्यवहारों (Speculative Businesses) के लिए ही प्रायः लिए जाते हैं। (ii) विना किसी पूर्व सूचना के मान पर वापिस लिये जाने वाला करण—बैंक कुछ घन इस शर्त पर भी उधार देते हैं कि इसका भुगतान विना किसी पूर्व सूचना के बेबल माम होने पर किया जायगा। वास्तव में इसे ही “वाचना पर भुगतान होने वाला करण” (Money at Call) कहते हैं तथा (iii) अल्प-कालिक करण—बैंक कुछ घन इस शर्त पर उधार देते हैं कि इसका भुगतान सूचना पाते ही २४ घण्टे से ७ दिन के अन्दर किया जायगा। अतः अभियाचित् करण बैंक की मुरदशा की दूसरी दीवार (Second Line of Defence) है।

(4) विलों को भुनाने व खरीदने से ग्रन्तियोग (Bills Discounted and Purchased)—इस शीघ्रक के अन्तर्गत बैंक का वह विनियोग आता है जो बैंक विलों या ट्रैजरी विल्स (Treasury Bills) के भुनाने या खरीदने में लगाता है। प्रायः बैंक प्रत्यक्ष शेषी की प्रतिभूतियों (First Rate Securities) को ही भुनाता है अथवा खरीदता है। इन विलों में प्रायः इस तरकीब से स्पष्ट का विनियोग होता है कि एक के बाद दूसरे विल का भुगतान होता रहे जिससे किसी भी समय उसके पास नवद स्थाये की कमी नहीं रहे। परन्तु बैंक आवश्यकता पड़ने पर इन पना को बेचकर या इनकी बेन्ड्रीय बैंक से पुनः भुनाकर स्पष्ट प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ये बैंक की मुरदशा की तीसरी दीवार (Third Defence Line) कहलाती है। विना का भुगतान प्रत्यक्ष बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिससे बैंक के अधिकार घन का इन विलों के भुनाने से ही विनियोजन हो जाता है। भारत में विन-व्याजार (Bill Market) मुख्यालित एवं मुसँगठित नहीं होने के कारण भारतीय बैंक विदेशी के बैंकों की तुलना में उत्त मद में बहुत कम रपये का विनियोग करने पाते हैं। जबकि विदेशी में इस शीघ्रक के अन्तर्गत अधिकोपो की कापशी दूजी (Working Capital) का २५—३० प्रतिशत भाग विनियोजित होता है तब भारत में इसी मद के अन्तर्गत कार्य कील पूजी का २—३ प्रतिशत विनियोग होता है।

(5) याहरों को करण व अग्रिम (Loans and Advances to Customers)—प्रत्येक बैंक अपने घन को याहरों को करण व अग्रिम के स्पष्ट में देवर भी सबसे अधिक लाभ कमाता है। ये करण काफी ऊंची व्याज की दर पर दिये जाने हैं, प्रायः व्याज की दर ६ प्रतिशत से १२ प्रतिशत प्रतिवय होती है और करण की अवधि भी ६ से ८ महीने हुआ बरती है। करणों तथा अग्रिम के साथ यह शर्त होती है कि मान पर उनका भुगतान करना होगा। परन्तु बैंक इन करणों पर निम्न नहीं रह सकता है क्याकि यदि

आर्थिक संकट बाल में उसने सब ग्राहकों से ऋण का भुगतान मांग लिया तब एक तरफ तो जनता का बैंक में से विश्वास उठ जायगा और दूसरी तरफ जो व्यापारी ऋण को याचयक मांग पर चुप्ताने में अमर्मधं होगे वे दिक्षिणीय (Bankrupt) हो जायेंगे जिससे देश की आर्थिक स्थिति की बड़ी क्षति हो जायगी। परन्तु बैंक को भी इस प्रकार का ऋण व्यापारियों को देना ही पड़ता है क्योंकि इन विनियोगों पर उसे सब से अधिक लाभ मिलता है। यह मद बैंक की मुरक्का की चौथी दीवार (Fourth Line of Defence) बहलाती है।

(६) विनियोग (Investments) :—इस मद में उन विनियोगों का समावेश है जो सरकारी प्रतिभूतियों, सम-सरकारी प्रतिभूतियों (Semi-Govt. Securities), अन्य जन-उपयोगी संस्थाओं के ऋण-पत्रों तथा आंदोलिक व व्यापारिक कम्पनियों के द्वारा देयमं अथवा ऋण पत्रों में किया जाता है। जब बैंक इस प्रकार के पत्रों में विनियोग बरता है तब उसे सरकारी प्रतिभूतियों व ऋण पत्रों पर व्याज मिलता है और कम्पनियों के द्वारा पर लाभाद (Dividend) मिलता है। इस तरह उक्त विनियोग से बैंकों को लाभ मिलता है। इस प्रकार की प्रतिभूतियों में जोखिम तो अधिक नहीं होती, परन्तु तरलता (Liquidity) की बहुत कमी होती है क्योंकि संकट के समय बैंक को इन्हें नकद में परिवर्तित बरने में बड़ी कठिनाई पड़ा करती है। इसका बाराण स्पष्ट है। जिस बाल में मुद्रा की अधिक आवश्यकता रहती है, उस समय प्रतिभूतियों आसानी से बेची भी नहीं जा सकती है क्योंकि उस समय मुद्रा बाजार में मुद्रा वा अभाव रहता है। इसके अतिरिक्त जब प्रत्येक बैंक अपनी प्रतिभूतियों (Securities) को बेचने का प्रयत्न बरता है, तब इनके मूल्य में भी बहुत कमी हो जाती है जिसका आधिक प्रभाव भी बहुत खराब रहता है क्योंकि जनता का बैंकों में से विश्वास उठ जायगा और अन्ततः व्यापार में अनिविच्छिन्नता था जायगी। यही बारण है कि स्पष्ट की आवश्यकता पर भी व्यापारिक बेचा प्रायः इन सिक्यूरिटीज को बाजार में नहीं बेचा करते हैं बरन् के इनको बेन्ड्रीय बैंक के पास गिरवी रखकर उसमें रखा जायार ले लिया करते हैं। अतः बैंक के इस प्रकार के विनियोग में यद्यपि तरलता (Liquidity) अपेक्षाकृत बहुत कम होती है परन्तु ये बहुत सामग्रद होते हैं और आवश्यकता पटने पर बैंक इनको पुनः चुनावकर रूपया प्राप्त कर सकता है।

(७) ग्राहकों की देय स्वीकृतियाँ (Liabilities of the Customer - for Acceptance) :—इस मद में उन विनों का भी सही रूप दिलाई गई है जिन्हें बैंक ने अपने ग्राहकों की ओर से स्वीकार किया है। यह स्मरण रते पर आय (Assets) यम्य के अन्तर्गत जो एक “ग्राहकों की देय स्वीकृतियाँ” के इनाम दिलानाई गई है, उसका मनुलन (Balancing) देनदारी (Liabilities) सम्बन्ध के अन्तर्गत “ग्राहकों के देय स्वीकृतियाँ” में दिलानाई गई रूपमें हो जाता है।

(८) बैंक के मकान, फर्नीचर तथा आय सम्पत्ति (Houses, Furniture and Income) :—

समावेश होता है। यह मद आदेय (Assets) खन्द में सबसे अन्त में होता है क्योंकि यह सबसे कम तरल सम्पत्ति होती है और इसका नकद में परिवर्तन भी बैंक के बन्द हो जाने पर ही किया जाता है। ऐसी अचल सम्पत्ति में बैंक के कार्य-स्थान की विलिंग, फर्नीचर, ग्रालमारिया आदि के मूल्य का समावेश होता है। यह सब सम्पत्ति बैंक की मृत-प्रतिभूति (Dead Security) के रूप में होती है। इस प्रकार जो जो भी सम्पत्ति होती है प्रायः उसका मूल्य उसके बास्तविक मूल्य से बहुत कम ही दिखाया जाता है जिससे बैंक आकस्मिक हानि की पूति के लिए "गुप्त निधि" (Secret Reserves) का निर्माण कर लेता है। इस मद में प्रतिवर्ष जो भी नवीन सम्पत्ति खरीदी जाती है, वह भी पृथक् से दिखलाई जाती है। इसी तरह सम्पत्ति का प्रतिवर्ष जो भी अनमूल्यन होता है वह भी पृथक् से दिखलाया जाता है।

### बैंक के स्थिति-विवरण बनाने के लाभ

(Advantages of the Construction of the Balance-sheet of a Bank)

बैंक के स्थिति विवरण के बनाने, अध्ययन तथा विश्लेषण के सामने—कियों भी

### स्थिति-विवरण बनाने के लाभ हैं—

- १ बैंक की बतंगान आर्थिक स्थिति और जानकारी प्राप्त हो जाती है।
- २ बैंक की आर्थिक स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में जो सुधार हो सका है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है।
- ३ बैंक में जनता के विश्वास का प्रमाण प्राप्त हो जाता है।
- ४ इनकी सहायता से दो या अधिक बैंकों की आर्थिक स्थिति की तुलना सम्भव है।
- ५ बैंक की सुरक्षा तथा आदेयों की तरलता की जानकारी प्राप्त हो जाती है।

बैंक के तलपट के अध्ययन एवं विश्लेषण से हम निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त होती है—(1) बैंक की यत्नमान आर्थिक स्थिति की जानकारी—किसी भी बैंक की बास्तविक आर्थिक स्थिति का सही अनुमान उसमें चिट्ठे एवं आँकड़े से जरूरतम् होता है क्योंकि इसमें बैंक की सम्पूर्ण लेनदारी और देनदारी का विस्तृत विवरण होता है इसी से बैंक की सम्पूर्ण पूँजी, उसके विनियोग व पूँजी की तरलता तथा व्यापारिक कुशलता का पता लग जाता है। यदि बैंक के पूँजी, विनियोग तथा जमा धन में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है, तब इसमें स्पष्ट है कि व्यापार प्रगति के पथ पर है। अत बैंक के चिट्ठे से हम उसकी व्यापारिक गति विधि की समुचित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। (ii) बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार की जानकारी—प्रत्येक बैंक में निर्दृढ़ा आर्थिक स्थिति पर विनाया जाता है। दो-तीन वर्षों के चिट्ठों की तुलना बनाने से यह आसानी से पता चल जाता है कि इन दो-तीन वर्षों में बैंक की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हुआ है या नहीं या इनकी स्थिति पहले की तुलना में

खराब तो नहीं हो गई है। (क) यदि बैंक का संचयन-कोष (Reserve Fund) बढ़ता जा रहा है, तब तो इससे स्पष्ट है कि बैंक का आधार दृढ़ है तथा इसके कार्यों में प्रगति हो रही है। अतः बैंक के रक्षितकोष को देखकर हम इसकी स्थिति को समझ लेते हैं। इसी तरह यदि प्रतिवर्ष बैंक का लाभाश (Dividend) बढ़ता जा रहा है, तब तो बैंक का कार्य सुसज्जित व सुसगठित है वरना बैंक की दशा खराब होती जा रही है। (iii) बैंक में जनता के विद्वास का प्रमाण—बैंक में जनता का जितना विद्वास है उसका प्रमाण भी तलपट के अध्ययन एवं विश्लेषण करने से मिल जाता है। यदि बैंक की जमा-पूँजी (Total Deposits) का दस्त-पूँजी (Paid-up Capital) से अनुपात बढ़ता जा रहा है या कुल जमा का कुल पूँजी से अनुपात बढ़ गया है, तब इससे स्पष्ट है कि बैंक की कार्यशील-पूँजी में वृद्धि होती जा रही है जिससे बैंक को भी लाभ अधिक होगा। बैंक को जितना अधिक लाभ होगा, उतना ही लाभाश (Dividend) तथा रक्षित-कोष बढ़ जायगा। परिणामतः जनता का बैंक में विद्वास अधिक हो जायगा। (iv) दो या अधिक बैंकों की आर्थिक स्थिति की तुलना:—दो या अधिक बैंकों में से कौन-सा बैंक अच्छा है, इसकी जानकारी भी उन सब बैंकों के स्थिति-विवरण (Balance Sheet) को तुलना करके की जा सकती है। एक अच्छा बैंक वह है जो जमा पर कम ब्याज देता है और इसी प्रकार उत्तरण तथा अन्य विनियोगों पर कम ब्याज लेता है। यह स्परण रहे कि उत्तरणों पर ब्याज की दर जितनी कम होगी, उनमें उतनी ही अधिक सुरक्षा (Security) होगी। (v) बैंक की सुरक्षा (Security) तथा आदेयों को तरलता (Liquidity of Assets):—किसी भी बैंक के चिट्ठे के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी देनदारी (Liabilities) किस-किस प्रकार की है, घन का विनियोग किस-किस प्रकार से किया गया है, आदेयों की तरलता किस प्रकार की है, विनियोग और जमा का क्या अनुपात है आदि। तरलता की दृष्टि से विनियोग प्रयम श्रेणी की प्रतिभूतियों में तथा शीघ्र नकदी में परिवर्तनीय होने चाहिये। सुरक्षा की दृष्टि से उत्तरणों की रकम जमा की रकम से अधिक नहीं होनी चाहिये। इन सब बांतों की जानकारी हो जाने पर बैंक की सुरक्षा का ज्ञान स्वतः हो जाता है क्योंकि हमें उसके व्यापार के स्वरूप की समुचित जानकारी हो जाती है।

बैंकों के स्थिति-विवरण के उस लाभ होने के कारण ही सन् १९४६ के बैंकिंग एक्ट ने चिट्ठा बनाने की एक निश्चित विधि निर्धारित कर दी है और अब प्रत्येक भारतीय बैंक इसी रीति के अनुसार अपना तलपट बनाता है।

### परोक्षा-प्रश्न

Agra University, B. A. & B. Sc.

1. What are the tests of the soundness of a Bank? Is there any necessary relation between the size of a bank and its soundness? (1956 S)

### Agra University, B. Com.

१ विसी अधिकोप के सुरक्षा रोकड़ (Cash Reserves) को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण चारणों की व्याख्या बतायें (१९५६) २ Write a note on—Liquid Assets of a Bank (1957, 1954) ३. Describe the functions of a Commercial Bank. What are the sources of its profits and what considerations guide the investments of its funds ? (1956 S) ४. Explain the functions of a Commercial Bank and discuss in this connection the importance of cash reserves and investment policies. (1955 S) ५ Write a note on—Money at Call and Short Notice. (1955)

### Allahabad University, B. Com.

१ (a) By what principles should a banker be guided in granting credits to his customers ? (b) What investments are most suitable from the point of view of a commercial bank ? (1957) २ Consider if it would be advisable for a commercial bank to give advances against agricultural produce. Is this mode popular in India ? (1957) ३ Estimate the value of discounting bills. Show how a banker can protect himself against the risks of bills discounting ? (1956) ४ "The Secret of Successful banking is to distribute resources between the various forms of assets in such a way as to get a sound balance between liquidity and profitability. Discuss critically, (1956) ५ (a) What are the main functions of the branch manager of a bank ? (b) Explain why banks do not consider immovable properties as good security for advances ? (1958)

### Rajputana University, B. Com.

१ You are the branch manager of the Bank of Bikaner Ltd. Jaipur with Rs 20 lakhs to invest. Describe the various channels for such investment and indicate the various points which you would consider while selecting securities for employment of the funds (1959) २ Briefly discuss the functions of a modern bank and explain the main considerations that guide a banker in investing his funds (1958)

### Sagar University, B. A.

१ टिप्पणी लिखिये—झुणा देते समय देवर्जे की सावधानिया। (१९५६)

### Sagar University, B. Com

१ एक अधिकोप का बाल्यनिव स्थिति-विवरण (Balance-Sheet) बनाए यह बनाइये कि उसमें मिल मिल पढ़ो का क्या महत्व है ? (१९५६)

### Banaras University, B. Com

१ Discuss briefly the functions of a modern bank and explain the main considerations that guide a bank in investing its fund (1959)

### Jabalpur University, B. Com.

१ अधिकोपों के स्थिति-विवरण के दोनों प्रोट के मुख्य पढ़ो (Items) के बनाइये और उनमें परिमण्य (Assets) के विवाह में तरलता को प्राप्तिकर्ता तथा देशभूत (Liabilities) के विवाह म आनुवात को प्राप्तिकर्ता देने के विचारों का

स्पष्टीकरण कीजिये (Explain the part played by the considerations of 'liquidity' in arranging in order of priority, the assets and those of 'urgency', in arranging Liabilities.) । स्थिति-विवरण के कुछ पदों (Items) को प्रति-पक्ष-प्रवृत्तियों यथा 'per contra enteries' के स्थान में क्यों दर्शाया जाता है? (Why are some items shown on both sides of balance sheets viz per contra enteries?) (१९५८) २. व्यापारी अधिकोप विनियोग नीति की विवेचना कीजिये तथा दर्शाइये कि एक आयुनिक बैंक अधिकतम सामना की कामना के साथ अपने कोप (Funds) की तरलता (Liquidity) का संयोग कैसे करता है? (१९५७) ३. "एक अच्छे बैंक को चाहिए कि वह तरलता तथा सामना के बीच सन्तुलन बनाये रखें।" व्याख्या कीजिए। (१९५५) ४. वाणिज्य अधिकोप की तरलता और सुरक्षिता बिन बातें पर निभंर हैं? विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिये। (१९५४)

### Bihar University, B. A.

१. Draw an imaginary balance sheet of a commercial bank and explain the items mentioned therein. (१९५९, १९५३) २. "Solvency alone, without liquidity of assets, is not adequate for the sound position of a bank". Discuss the statement and explain how banks keep their assets liquid? (१९५६).

### Bihar University, B. Com.

१. Analyse the concept of "liquidity" in relation to the assets of commercial banks. How far do the provisions of the Indian Banking Companies Act ensure the "liquidity" of Indian Commercial Banks? (१९५८)

### Nagpur University, B. A.

१. वाणिज्य-अधिकोपों (Commercial Banks) की रोकता (Liquidity) और सुरक्षिता (Safety) बिन कारणों (Factors) से निर्धारित होती है, वह समझाइये। (१९५७)

### परीक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत

प्रश्न १.—(i) एक अच्छे बैंक को चाहिये कि वह तरलता तथा सामनाकरण के बीच सन्तुलन बनाये रखें।" व्याख्या कीजिये (Jabb., B. Com. १९५५), (ii) वाणिज्य-अधिकोपों की रोकता (Liquidity) और सुरक्षिता (Safety) बिन कारणों से निर्धारित होती है, समझाइये (Nagpur, B. A. १९५७, Jabb., B. Com. १९५४) (iii) "Solvency alone, without liquidity of assets, is not adequate for the sound position of a bank." Discuss the statement and explain how banks keep their assets liquid? (Bihar B. A. 1956) (iv) "Efficient management of a Commercial Bank consists in the proper balancing of the conflicting principles of liquidity and profitability". Explain (Bihar, B. A 1953) ~~(v)~~ The secret of successful banking is to distribute resources between the various forms of assets in such a way as to get a sound balance between liquidity and

profitability" Discuss critically (Allahabad, B. Com. 1956) (vi) "The policy of commercial bank may be regarded as a compromise between three conflicting aims" Discuss the above statement and the three aims (Patna, B. Com 1951) (vii) Analyse critically the concept of "liquidity" in relation to the "assets" of commercial banks. What are its chief criteria? How far the provisions of the present Banking Companies Act ensure the liquidity of the assets of the Indian Commercial Banks? (Bihar, B. Com 1953) (viii) Explain the functions of a Commercial Bank and discuss in this connection the importance of cash reserves and investment policies (Agra, B. Com 1955)

**सुनेतः—** उत्तर के अन्तर्मध्य में परिचय स्वरूप लिखिये कि एवं बैंक अनेक साधनों से पूँजी प्राप्त करता है, जैसे—अद्योतक, नकद-जमा, साख-जमा आदि से, परन्तु इनमें सबसे महत्वपूर्ण साधन ग्राहकों की नकद-जमा तथा साख-जमाओं हैं, कि बैंक को अपनी पूँजी वा विनियोग न केवल अधिकतम लाभ वी हैटि से करना होता है वरन् उसे पूँजी इस प्रकार रखनी होती है कि ग्राहकों द्वारा विस्तीर्ण समय भी मांग होने पर, वह उसकी अदायगी कर सके कि ग्राहकों में विश्वास उत्पन्न बरते वी हैटि से वह तमाम धन को केवल नकद रूप में भी रख सकता (यदि ऐसा करे तब विश्वास तो अधिकतम हो जायगा) क्योंकि उसका उद्देश्य लाभ कमाना भी होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से उसे पूँजी का अनेक अकार से उपयोग करना चाहता है (उदाहरण दीजिए)। वह अपनी पूँजी का इन विभिन्न तरीकों में उपयोग कुछ सिद्धान्तों के आधार पर ही करता है (इन सिद्धान्तों के प्रयोग भी भी विभिन्न देशों अथवा विभिन्न देशों की अपनी निजी परिस्थितियों के प्रतिसार मिलता होती है), कि बैंक की सावधानियां शक्ति अथवा बैंक-मुद्रा के विभिन्न वी शक्ति अथवा क्रेडिट देने वी की क्षमता बहुत कुछ उसकी साथ एक विश्वास (माने जाने पर धन वा मुगातान होने का आदावामन) पर निर्भर रहती है—बैंक की सायं नष्ट होने पर उसका व्यवसाय समाप्त हो जाता है, फिर चाहे उसके पास स्थूल सम्पत्ति वी रूप में कितना ही धन बचा न हो, इसी कारण बैंक को अपनी सम्पत्ति तरल रूप में रखना अर्थावद्यवाह होता है? (दो पृष्ठ)। द्वितीय भाग में विनियोग के अनेक सिद्धान्तों का जिक्र करते हुये तरलता, लाभदायकता व सुरक्षितता के सिद्धान्तों की विस्तार में तथा तुलनात्मक रूप में भारतीय उदाहरणों सहित व्याख्या बरती चाहिए—तरलता—इस हैटि से बैंक के पास जो कुछ भी नकद रूप में धन होता है उसमें अत्यधिक तरलता होती है, यदि समस्त धन इस रूप में रह कि बैंक जमाकर्ताओं को व्याप्त तथा अशधारियों को लाभ व नेतिक व्यय कहाँ से चलायेगा? बैंक का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है इसलिये बैंक अपना धन केवल नकद रूप म नहीं रख सकता इसके विपरीत बैंक दो मुरदाः व तरलता के मुण्डों का बलिदान बरके धन वा विनियोजन इस प्रकार भी नहीं बरता चाहिए कि लाभ तो अधिक प्राप्त होने वी सम्भावना हो परन्तु फिर चाहे धन दूब जाये अथवा मकार के समय इसे बचाकर धन प्राप्त नहीं किया जा सके या इस विक्री से बहुत कम धन प्राप्त हो सके (उदाहरण

दीजिये) इस कारण प्रत्येक बैंक को विनियोग के साधनों का चुनाव करते समय लाभ, तरलता व सुरक्षा (इसमें बिक्री से घाटा नहीं होना भी सम्मिलित है) इन तीनों ही सिद्धान्तों को ध्यान में रखना पड़ता है (दो पृष्ठ)। तृतीय भाग में बताइए कि सन् १९४६ के बैंकिंग कार्पनीज एकट ने बैंक के विनियोगों की तरलता को कैसे बनाये रखने का प्रयत्न किया है, जैसे—(i) एकट के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा का २० प्रतिशत नकद मुद्दा, सोना तथा स्वीकृत अरण-पत्रों (Approved Securities) के रूप में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। (ii) बैंक के कुल स्थायी जमा का २ प्रतिशत तथा चालू खाते की जमा का ५ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य कर दिया गया है आदि (आधा पृष्ठ)।

**प्रदन २:**—हिस्ती अधिकोप के संरक्षण रोकड़ (Cash Reserves) को निष्पारित करने वाले महत्वपूर्ण कारणों की व्याख्या करिए (Agre, B Com. १९५६)।

**संकेत:**—आरम्भ में परिचय-स्वरूप बताइये कि प्रत्येक बैंक अपने पास कुछ न कुछ धन नकद में रखता है ताकि ग्राहकों की धन की माँग होने पर वह गुणतान कर सके, कि विनियोग में तरलता के सिद्धान्त की हृष्टि से नकद में धन रखने से अमुक सिद्धान्त की सबसे अधिक पुष्टि होती है, कि प्रत्येक बैंक को किन नियमों के आधार पर नकद में धन रखना चाहिये, इनमें देश-देश व भिन्न-भिन्न बैंकों की परिस्थितियों के अनुसार भिन्नता होती है, कि यह निधि मुख्यतः बैंक के पूर्व अनुभव, दूरदृश्यत, देश की व्यापारिक स्थिति, बैंक की निजी आर्थिक स्थिति पर निभंग रहती है जिसके कारण भिन्न-भिन्न बैंकस विभिन्न परिमाण में अपने पास नकद कोप रखते हैं कि सामान्यतया कुछ नियम अवश्य ऐसे हैं जिनके आधार पर बैंकस अपने पास नकद निधि रखते हैं, जैसे—बैंकिंग आवश्यकताओं, ग्राहकों की आदत व क्षेत्र की व्यवसायिक स्थिति, समाजोधन-गृहों की उपलब्धता, जमा धन की मात्रा, खातों की प्रकृति, अन्य बैंकों की नकद-कोप नीति, विनियोगों की प्रकृति आदि (प्रत्येक को विस्तार से उदाहरण सहित लिखिए) (पाँच-छ. पृष्ठ)।

**प्रश्न ३:**—(i) एक अधिकोप का काल्पनिक स्थिति विवरण बनाकर पह यताइये कि उसके भिन्न-भिन्न पदों का क्या महत्व है? (Bihar, B. A. १९५६, Sagar; B. Com. १९५८), (ii) अधिकोपों के स्थिति-विवरण के दोनों ओर में मुख्य पदों को बताइये और उसमें परिस्थिति के विषयमें तरलता को प्रायमिकता तथा वेष्य-घन के विषयमें आधुता को प्रायमिकता देने के विचारों का स्पष्टीकरण दीजिए। स्थिति-विवरण के कुछ पदों को प्रति-पक्ष प्रदृष्टियों द्वारा “per contra entries” के स्पान पर क्यों दर्शाया जाता है? (Jabb. B. Com. १९५८)।

**संरेत**—उत्तर के आरम्भ में स्थिति-विवरण का ग्रन्थ समझाइए। फिर किसी काल्पनिक बैंक का स्थिति-विवरण बनाइए और उसमें दोनों ओर लिखित मदों को घास्ता कीजिए। तद्पश्चात् विनियोग के सिद्धान्तों की चर्चा करते हुए बताइए कि तरलता, सुरक्षा व साभदादता के सिद्धान्तों की पुष्टि अमुक स्थिति-विवरण में नित प्रकार नी गई है (ग्र.म.-छ. पृष्ठ)।

## अध्याय ११

### बैंक और ग्राहक का सम्बन्ध\*

(Relationship between the Bank and the Customer)

#### बैंक और ग्राहक को परिभाषायें

बैंक और ग्राहक को परिभाषायें (Definitions of a Bank and a Customer) —बैंक और ग्राहक के सम्बन्ध को ठीक-ठीक समझने के लिये यह आवश्यक है कि हम इन दोनों का अर्थ भी समझ लें। 'बैंक और उनके कार्य' नामक अध्याय में हमने बैंक की विभिन्न लेखकों द्वारा दी गई बैंक की परिभाषायें दी हैं। सक्षेप में, बैंक वह व्यक्ति अथवा सत्त्व है जो मुद्रा व साक्ष में व्यवसाय करती है अर्थात् जो द्रव्य का लेन-देन तथा साख का कल्य विक्री करती है। इस तरह बैंक वह व्यक्ति अथवा सत्त्व है जो जमता से धन जमा पर प्राप्त करती है और इसका भुगतान बैंक आदि पत्रों द्वारा मांगने पर करती है। परन्तु ग्राहक (Customer) की परिभाषा काफी विवादपूर्ण है और यह समय-समय पर भिन्न भिन्न दी गई है। तापारत्यात्यर ग्राहक उस मनुष्य, फर्म, कम्पनी या किसी शासुनी सत्त्व को कहते हैं जिसका किसी बैंक में खाता होता है और जिसे व्यापा चैक द्वारा या किसी दूसरी प्रकार से, बिना पूर्व भूचना के, निकालने का अधिकार होता है। ग्राहक बनाने के लिए दो बातों का होना जरूरी है—प्रथम, बैंक और ग्राहक के बीच स्वाभाविक व्यवहार (Habitual dealings) होना चाहिये। जिस प्रकार किसी दुकान के एक आवासमिक (Casual) खरीदार और एक ऐसे ग्राहक में जो नियमित रूप से वस्तुये खरीदता है, भेद होता है उसी प्रकार बैंक से कभी-कभी सौदा करने वाले में और नियमित रूप से सौदा करने वाले ग्राहक में भेद होता है। यहा पर बैंक के ग्राहक (Customer of a Bank) का अभिप्राय ऐसले एक ऐसे पक्ष से है जिसका बैंक से स्वाभाविक व्यवहार (Habitual dealings) रहता है अर्थात् जो पक्ष नियमित रूप से बैंक से सौदे करता है। द्वितीय, खाता नियमित बैंकिंग व्यापार से सम्बन्धित होना चाहिये अर्थात् वही पक्ष बैंक का ग्राहक माना जाता है जिसके बैंक से सौदे आर्थिक (Financial) तथा नियमित (Continuous) रूप में होते हैं। आर्थिक सौदे का अभिप्राय है कि ग्राहक का बैंक में किसी भी प्रकार का खंडा (Account) है और वह इस खाते में समय-समय पर रूपया जमा करता रहता है और शावद्यकता पन्ने पर इसे निकालता भी रहता है। यह स्मरण रहे कि बैंक का

\*आगे रा यूनिवर्सिटी के बी० ए० ने विद्यार्थियों के लिए परीक्षा भी हृषि से यह अध्याय लाभप्रद नहीं है। अतः उन्हें यह अध्याय नहीं पढ़ना चाहिये।

ग्राहक बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति-विशेष काफी समय से बैंक के साथ व्यवसाय करे अर्थात् ग्राहक और बैंक के बीच मे किसी निश्चित समय तक व्यवहार होना ही चाहिये, यह आवश्यक नहीं है। अतः बैंक का ग्राहक बोई भी ऐसा व्यक्ति एवं संस्था हो सकती है जिसका बैंक भे इस प्रकार का स्राता है कि उसमें से बैंक या अन्य विधियों द्वारा रूपया निकाला जा सकता है। इस तरह बैंक का ग्राहक वही पक्ष होता है जो बैंक मे रूपया जमा करता है, चाहे यह रूपया नकद जमा (Cash Deposit) या गाल जमा (Credit Deposit) के रूप मे होती हो। इसीलिए बैंक के ग्राहक उसमे नकद रूपया जमा करने वाले जमाधारी (Depositors) तथा ऋणी (Debtors) दोनों ही होते हैं।

### ग्राहकों के प्रकार (Types of Customers)

बैंक के ग्राहकों के प्रकार (Types of Customers of a Bank):—प्रत्येक बैंक के अनेक प्रकार के ग्राहक होते हैं, जिनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—(i) व्यक्ति तथा उसका एजेन्ट (A person and his Agent):—बैंक किसी व्यक्ति के नाम स्राता खोल सकता है। यह अवश्य है कि स्राता खोलने से पहले वह उसके चरित्र, उसकी साख व आविक स्थिति, ईमानदारी तथा व्यवसायिक प्रसिद्धि के बारे मे खूब जाव-प्रड़ताल कर लेता है। यही कारण है कि बैंक किसी व्यक्ति अथवा संस्था को ग्राहक बनाने से पहले, उसके सम्बन्ध मे पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया करता है। इसीलिए बैंक अपने नवे ग्राहक से उसका परिचय (Introduction) मांगता है या स्वयं इस भावी ग्राहक के बारे मे अपने पुराने ग्राहकों से या अन्य बैंकों से गुप्त जांच किया करता है। बैंक का ग्राहक अपना एक एजेन्ट (Agent) भी नियुक्त कर सकता है, परन्तु बैंक मुख्य ग्राहक से इस आशय की लिखित माजा ले लेता है जिसके आधार पर एजेन्ट को बैंक के साते से रूपया निकालने या अन्य व्यवहार का अधिकार मिल जाता है। कभी-नभी व्यक्ति न केवल अपने निजी नाम मे ही स्राता खोलता है बरन् वह दूसरों (विदेशी व्यक्ति या अपने व्यवसाय मे साझी) के साथ मिलकर बैंक मे स्राता खोलता है जिसे हम सम्युक्त स्राता (Joint Account) कहते हैं। (ii) संघ तथा मिश्रित पूँजी की कंपनियां (Joint Stock Companies)—प्रत्येक बैंक मे कुछ स्राते कल्प, मजदूर सम्प, सम्युक्त या मिश्रित पूँजी की कंपनियों, सभायो, संघो तथा अन्य व्यापारिक फर्मों के भी होते हैं। (iii) नाबालिग (Minors)—बैंक का ग्राहक एक नाबालिग भी हो सकता है। तूँकि एक नाबालिग विचारयुक्त नियंत्रण नहीं ले सकता, इसलिए उसका स्राता प्रायः उसके संरक्षकों द्वारा ही चलाया जाता है।

\* Sir John Paget has emphasised the importance of "Duration of time" between the relationship of a Bank and its Customer. But there are persons like Lord Duredin who have rejected the Principle of Duration of Time between the Bank & its Customer—"The word customer signifies a relationship in which duration of time is not of essence."

## बैंक और ग्राहक का पारस्परिक सम्बन्ध

### (Relationship Between the Bank and the Customer)

**प्रावधन** — एक बैंक और ग्राहक के बीच में तीन प्रकार के सम्बन्ध होते हैं—

- (अ) ऋणदाता और क्रहणी वा सम्बन्ध, (आ) प्रतिनिधि और प्रधान वा सम्बन्ध तथा  
(इ) परोहर दारी और धरोहर घटां वा सम्बन्ध। नीचे प्रत्येक वा विस्तार से वर्णन किया गया है—

(अ) ऋणदाता और क्रहणी वा सम्बन्ध (Relationship of Creditor and Debtor) — सर जॉन पेगेट (Sir John Paget) के मनुसार बैंक और ग्राहक के बीच सबसे मुख्य एवं महत्वपूर्ण सम्बन्ध क्रहणी (Debtor) और ऋणदाता (Creditor) का होता है। प्रत्येक बैंक यदि एक समय क्रहणी (Debtor) होता है तब दूसरे समय वही बैंक ऋणदाता (Creditor) भी होता है। इसी प्रकार ग्राहक भी क्रहणी तथा ऋणदाता हो सकते हैं—(1) एक बैंक उस समय क्रहणी माना जाता है जबकि वह जमाधारियों (Depositors) से जमा पर रपया प्राप्त बरता है। इस अवस्था में जमाधारी या बैंक वा ग्राहक क्रहणी दाता होता है। अत बैंक तथा ग्राहक वा ग्रन्ति क्रहणी तथा क्रहणी दाता वा सम्बन्ध उम समय स्थापित हो जाता है जबकि जमाधारी (ग्राहक) बैंक में कुछ रकम अपने नाम वे खाले में जमा बर देता है। (ii) परन्तु एक बैंक उस समय क्रहणी दाता (Creditor) माना जाता है जबकि वह ग्राहक को अधिक विवरण (Over Draft) या नकद माल (Cash Credit) या अन्य प्रकार से क्रहण देता है। इस अवस्था में ग्राहक बैंक का क्रहणी (Debtor) होता है। अत प्रत्येक बैंक अधिक धर्षण बैंक वा ग्राहक यदि एक समय क्रहणी है तब वह दूसरे समय क्रहणी दाता होता है।

बैंक और ग्राहक के उत्तरालिकित सम्बन्ध की दुख विशेषताएँ होती हैं जो सामान्यतया अन्य साहकारी और क्रहणी व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बंधों में नहीं पाई जाती हैं। ये विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(1) क्रहण के भुगतान करने की स्वतंत्रता — जब ग्राहक बैंक में रपया जमा बरता है तब बैंक क्रहणी और ग्राहक क्रहणी दाता है। बैंक में जमा दिया गया अभ क्रहण है। इस क्रहण वा स्वभाव उस क्रहण के समान है जो एक सामान्य व्यक्ति या साहकार (Money Lender) हारा विसी व्यक्ति या क्रहणी (Debtor) को दिया जाता है अर्थात् जो अधिकार साहकार या महाजन को अपने क्रहणी पर प्राप्त होने हैं विलकृत वही अधिकार बैंक के ग्राहक के बैंक पर प्राप्त होते हैं। इतनी समानता होने हुए भी बैंक के क्रहण में और साहकार के क्रहण में एक अन्तर रहता है और वह यह है कि एक साधारण क्रहणी क्रहण की रकम को महाजन को जब चाहे वापिस बर सकता है और अपने क्रहण से मुक्त हो सकता है व्यक्ति क्रहण के भुगतान के सम्बन्ध में जोई ऐसी शर्त नहीं होती है कि क्रहणी अपने क्रहण को अमुक्त समय से रहले नहीं चुका सकता है अर्थात् क्रहणी जब चाहे तब क्रहण वा भुगतान करते

में स्वतन्त्र होता है। परन्तु बैक अपने ग्राहक (जमाकर्ता) का जमान्दार (दूरण) जब चाहे तब वापिस नहीं वर सकता है क्योंकि यह घन उसके पास जमानत के हृष में नहीं होता वरन् यह ऋण के रूप में होता है, जिसका वह लाभ बमाने की हासिल से अनेक प्रकार से उपयोग करता है। बैक (श्रृंगी) अपने ग्राहक (ऋणदाता) का खाता (Account) ग्राहक की प्रार्थनों पर ही बन्द विया वरता है और ग्राहक द्वारा विनाशप्रयोग की मांग किए, यह उसके रूपमें का भुगतान नहीं कर सकता है। अत एक साधारण ऋण के भुगतान की स्वतन्त्रता एवं प्रायमिकता ऋणी में होती है परन्तु बैक के ऋण में भुगतान की स्वतन्त्रता एवं प्रायमिकता ऋणी (बैक) में नहीं होती है।

(ii) ऋण का उपयोग:—एक साधारण ऋण साहूकार द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही दिया जाता है और ऋणी ऋण की रकम का उपयोग बेबल पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार ही वर सकता है। परन्तु बैक (श्रृंगी) के पास जो घन जमा होता है उसके उपयोग के सम्बन्ध में वह पूर्ण स्वतन्त्र रहता है, वह इसका जब चाहे तब और जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से उपयोग कर सकता है अर्थात् घन के उपयोग के सम्बन्ध में बोई प्रतिबन्ध नहीं होता है। उस पर बेबल एवं ही जिम्मेदारी होती है कि ग्राहकों (ऋणदाता) की मांग पर उसे रूपमें का भुगतान दरना पड़ेगा।

(iii) ऋणदाता द्वारा रण द्वारा समय-समय पर मांग और इसका भुगतान:—एक साधारण ऋण साहूकार द्वारा किसी निश्चित अवधि के लिये दिया जाता है जिससे वह ऋणी को इस अवधि से पहले ऋण का भुगतान करने के लिये आघ्य नहीं वर सकता है। परन्तु बैक के ग्राहक (जमाकर्ता या ऋणदाता) को यह अधिकार होता है कि वह पूर्व निर्धारित शर्तों वे आधार पर चैक तथा अन्य पत्रों द्वारा अपनी जमा की गई रकम (ऋण) को वापिस ले सकता है। विधान के अनुसार बैक के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह ग्राहक की आज्ञानुसार उसके खाते में से उसके द्वारा भीगी हुई रकम का भुगतान वरे अर्थात् जैसे ही बैक के पास चैक या अन्य पत्र आये, तब वह इनका भुगतान करे (यदि चैक देव के बायं वरने के समय में ही पेश किया गया है, यदि खाते में पर्याप्त रूपमा है आदि)। यदि बैक ने अवारण (Without any valid reason) ही किसी चैक का अनादर किया है, तब वह बैक पर मान हानि का दावा उठ कर सकता है। (iv) ग्राहक की आधिक स्थिति की सूचना:—प्रत्येक बैक अपने ग्राहक के खाते से सम्बन्धित त्याम दातों को शुप्त (Secret) रखता है। परन्तु अन्य किसी बैक, सुरक्षा-गृहो (Protecting Houses) या ग्राहक द्वारा अन्य किसी भूमिका व्यवित या सत्या से की गई पन सम्बन्धी सूध तादृ का वह उत्तर दे देता है, यदि इस प्रकार ही गई सूचना देखित या आपार के हित में है। बैक जो सूचना देते समय वहाँ सावधान रहना पड़ता है क्योंकि भी गलत सूचना देने पर उसके ग्राहकों को अहृत हानि हो सकती है। बैक जो यह सूचना; तब भी देनी पड़ती है जबकि इसकी अंग न्यायालयों द्वारा की जाती है, या सूचना देना देशों के हित में होता है वा वह कनूनित

व समाजहित तथा व्यवसायिक हित में है या ग्राहक की आयिक हिति की सूचना देना स्वयं वेक के हित में होता है या जब ग्राहक स्वयं ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए अपने वेक का हक्काजा देता है। परन्तु एक माध्यरण अग्रण में इस प्रकार की वार्ता न तो गुण ही रहती है और न ये पूछी ही जाती हैं।

(ए) प्रतिनिधि और प्रधान का सम्बन्ध (Relationship of Agent and Principal) —वेक और ग्राहक का दूसरा महत्वपूर्ण सम्बन्ध एक प्रतिनिधि या आठतिये (Agent) और प्रधान या मालिक (Principal) का है। आयुनिक बाल में प्रत्येक वेक न केवल हपया जमा पर प्राप्त करने और इसके उधार देने का कार्य करता है बरन् वह अपने ग्राहकों का अनेक प्रकार से एजेंट का भी कार्य करता है। मक्षेप में, प्रत्येक व्यापारिक वेक अपने ग्राहकों का एजेंट के रूप में इस प्रकार कार्य करता है—वेकों का मुनेला व नगदूण (Collect) करना, चिनिमय विस्त को ग्राहकों की ओर में स्वीकार करना तथा भग्रहण करना, धन का हस्तान्तरण करना, शेयर्स व छूण-पत्रों का व्रय-विक्रय करना, व्याज व मूलधन व शेयर्स पर लाभाद्य एकत्रित करना या इनका मुग्यतान करना, प्रियमय व छूण व व्याज की वित्ती को बमूल करना या इनका मुग्यतान करना, ग्राहकों की ओर में प्रन्यासी (Trustee), मुस्तार (Attorney), उत्तर-साधक (Executor) प्रादि के रूप में कार्य करना (“वेक और इसके कार्य” नामक अध्याय में इनके बारे में विस्तार से लिखा जा चुका है)। जर्तमान व्यापारिक व वाणिज्यिक जगत में वेक के उच्चत वार्तों की मह्या तथा दूका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन वार्तों में एक और तो ग्राहकों को अनेक मुकियाएं उपलब्ध हो जाती हैं और दूसरी ओर वेकों को भी इन वार्तों को सम्पन्न करने के अविकल लाभ प्राप्त होता है। यह स्मरण रहे कि वेक एजेंटी के सब कार्य के लिये ग्राहक ही उनकार्यी (Responsible) होता है। यह अवश्य है कि यदि वेक लापरवाही से कार्य करता है या अपन अधिकार में बाहर नाम करता है या अपने अधिकारों का दुष्प्रयोग (Misuse) करता है या भौदो व अवहारा में वर्दमानी करता है, तब इन सब का उत्तरदायी वेक भी होता है।

(इ) घरोहर धारी और घरोहर-घर्ता का सम्बन्ध (Relationship of Bailee and Bailor) —वेक और ग्राहक का तीसरा महत्वपूर्ण सम्बन्ध घरोहर धारी (Bailee) और घरोहर-घर्ता (Bailor) के रूप में है। कुछ आयुनिक वेकम अपने ग्राहकों के जेवर, सोना, चांदी, हीरे जबाहरात, बहुमूल्य प्रतिमूलिया (Securities) तथा अन्य पत्र अपने पान घरोहर के रूप में रखते हैं और इन तरह वेक्स इन वस्तुओं के सरकार (Custodian) के रूप में कार्य करते हैं। इन बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने का कार्य वेक को घरोहर धारी या जायिन (Bailee) या प्रन्यासी (Trustee) का देता है और ग्राहक को जिम्मत उच्चत नरतुदों को वेक में सुरक्षित रखता है घरोहर धर्ता या जमानहरदार (Bailor) या लाभदारी (Beneficiary) का देता है। वेक इन

वस्तुओं को प्राप्तः एक मुहरबन्द लिफाफे या मुहर लगे हुए तालेबन्द चक्स में लेता है और जमानत द्वारा वापिस भागे जाने पर इसी दशा में वापिस वर देता है। बैंक इस संरक्षण कार्य को कभी-कभी नि-शुल्क (Free) करते हैं और कभी-कभी इसके लिए कुछ शुल्क (Fees) भी ले लेते हैं। बैंकों की जिम्मेदारी पूर्ण होती है, यदि उनके संरक्षण में वस्तु खो जाय या नष्ट हो जाय, तब वे इसके उत्तरदायी होते हैं और वस्तु की वीमत चुकाते हैं। इसी तरह यदि वे बम्बुओं को अनाधिकृत व्यक्ति (Unauthorised Person) वो लोटा देते हैं, तब भी वे इसके उत्तरदायी होते हैं। यही बारण है कि बैंक जिस समय एक धरोहर-धारी के रूप में कार्य करता है, वहाँ ही सावधानी से कार्य करता है।

बैंक की अपने ग्राहकों के प्रति विदेश जिम्मेदारियां—प्रत्येक बैंक अपने ग्राहकों से उक्तलिखित सम्बन्ध से रखता ही है परन्तु व्यवहारिक जीवन में उसे अपने ग्राहकों के प्रति कुछ विदेश जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। इनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं:—(i) चैकों का भुगतान करना:—प्रत्येक बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जारी किये गये चैकों के भुगतान करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। परन्तु वह यह जिम्मेदारी अपने ऊपर तब ही लेता है जबकि चैक हर प्रकार से ठीक होते हैं तथा ग्राहक के साते में पर्याप्त रकम जमा होती है। (ii) बैंकर वा सापारण पर्हणाधिकार:—(Banker's General Lien):—यदि कोई पूर्व रामभौता नहीं हुआ है, तब वैकं अपने ग्राहक के हिसाब में कोई भी रकम या भुगतान दाढ़ी रहने पर, ग्राहक का उसके पास जमा माल या सरक्षण में रखनी हुई उम्मी प्रतिभूतियों (Securities) को रोक सकता है। इस प्रकार के प्रहणाधिकार (Right of Lien) पर समय की मियाद के नामून (Law of Time Limitation) द्वारा कोई रखावट नहीं पड़ती है। (iii) ग्राहक के लातों की गोपनीयता (Secrecy of the Accounts of the Customers):—बैंक वी यह जिम्मेदारी है कि वह अपने ग्राहकों की लातों को गुप्त रखें। इसका बारण रूप है। ग्राहक की आर्थिक स्थिति की गुप्त लातों के खुल जाने पर उसकी साल तथा व्यापार को बहुत हानि हो सकती है। यही बारण है कि बैंक सामान्यतया अपने ग्राहकों के लातों का विवरण प्रवासित नहीं होने देते हैं। परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें बैंक को गुप्त सूचनाओं तक को बताना पड़ता है, जैसे—यात्रासमय द्वारा मार्ग होने पर, बैंक के अपने नियम द्वारा जन-हित व समाज हित में, ग्राहक द्वारा ऐसी मूचना देने के लिये परिधिकार प्राप्त हो जाने पर, यादि। (iv) सारहस्तिर रुपय (Incidental Charges):—जब ताकि बैंक और ग्राहक वा ग्राहक वा सम्बन्ध रहता है, तब तक बैंक को अपने ग्राहक से आवश्यक माला में आवस्थित रुपय बमूल बरने वा अधिकार होता है। ग्राहक भी इसे देने से मना नहीं कर सकता है। (v) घटदृढ़ि रुपाज (Compound Interest)—रुपाज प्रत्येक दूसरे माह के बाद लगाया जाता है। जिसी पूर्व समझौते के प्रभार में, बैंक जो अपने ग्राहकों को दिये हुए शूण्य १८ घटदृढ़ि रुपाज देने का अधिकार होता है। (vi) समय-सीमा-यितान (Time Limitation Law)

—ऐसे अपने ग्राहकों को यह गारण्टी दिया करता है कि चाहे ग्राहक को अपनी जमा तथा व्याज निकाले तीन साल हो गये हो, परन्तु उसे अपने खाते भ से रख्ये निकालने का पूर्ण अधिकार रहेगा। इस तरह बैंक यह आइवासन दिया करता है कि जमाकर्ताओं द्वारा जमा की हुई राशि पर समय-सीमा नियम (Time-Limitation Law) लागू नहीं होगा। यह स्मरण रहे कि समय-सीमा नियम के अनुसार यदि कोई रकम तीन वर्ष से निकाली नहीं गई है, तब यह अशोबनीय होती है। परन्तु बैंक और ग्राहक के समन्वय में इस प्रकार का समय-सीमा नियम लाग नहीं होता है।

### अध्याय १२

## इकाई बैंकिंग या शाखा बैंकिंग

### (Unit Banking or Branch Banking)

प्रावक्षयन —बैंकों के कार्यों एव संगठन के आधार पर हम इह दो मुख्य बगों में विभाजित कर सकते हैं—प्रयम, व्यापारिक बैंकिंग (Commercial Banking) तथा द्वितीय, विनियोग बैंकिंग (Investment Banking)। व्यापारिक बैंक वेवल अल्पकाल के लिए तथा उत्पादन कार्यों के लिये ध्वनि देते हैं और ग्राहकों से जो धन जमा पर प्राप्त करते हैं वह भी अल्पवालीन होता है। इसके तुम्हरीत विनियोग बैंक दीर्घवाल के लिए तथा उत्पादन कार्यों के लिये धरण देते हैं और ग्राहकों से जो धन जमा पर प्राप्त करते हैं वह भी दीर्घकालीन होता है। व्यापार बैंकिंग प्रथा जो हम दो मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं—(अ) शाखा बैंकिंग तथा (आ) एकाई बैंकिंग प्रथा।

### शाखा बैंकिंग (Branch Banking)

(आ) शाखा बैंकिंग का अर्थ (Meaning of Branch Banking)—वह प्रणाली जिसमें बैंकिंग कम्पनी की बहुत सी शाखाएँ (Branches) तमाम देश में पा कम से कम देश के एक बहुत बड़े भाग में फैली रहती हैं, शाखा बैंकिंग प्रणाली (Branch Banking System) कहलाती है। इस प्रवार नी प्रथा इगलैण्ड, भारत-दर्या, बंगाल, जमनी व आस्ट्रेलिया आदि देशों में पाई जाती है। ब्रिट लेखकों ने शाखा बैंकिंग को बैंकिंग की विकेन्द्रित पद्धति (Decentralised System of Banking) बोला है। इगलैण्ड म पाच ही ऐसे बड़-बड़े बैंक हैं जिनका देश की अधिकार बैंकिंग संस्थाओं पर अधिष्ठित पाया जाता है। इगलैण्ड मे इह “महान् पांच” (The Big Five) के नाम से पुकारा जाता है।

\* आगरा यूनिवर्सिटी के बी० ए० के विद्यार्थियों ने लिये परीक्षा की हाप्टि से यह मन्त्रालय उपयोगी नहीं है। भत उन्हें इस मन्त्रालय को नहीं पढ़ना चाहिये।

## शाखा बैंकिंग के सामने और दोष

शाखा बैंकिंग पद्धति के सामने (Advantages of the Branch Banking System)—शाखा बैंकिंग पद्धति में एक बैंकिंग प्रणाली की तुलना में कई महत्वपूर्ण सामने हैं—(i) बड़े पैमाने की उत्पत्ति तथा अम-विभाजन के सामने—शाखा बैंकिंग

### शाखा बैंकिंग के मुख्य सामने हैं:-

१. इस प्रणाली में बड़े पैमाने की उत्पत्ति तथा अम-विभाजन के सामने प्राप्त होते हैं।
२. इसमें अपेक्षाकृत रूप मात्रा में रक्षित-बोय रखना पड़ता है।
३. मुश्त का हस्तान्तरण सत्ता व मुगमता से हो जाता है तथा व्याज की दर की असमता दूर हो जाती है।
४. व्यवसायिक जोखिम का भोगोनिक वितरण हो जाता है।
५. स्थान स्थान पर बैंकिंग की मुविधायें उपलब्ध हो जाती हैं।
६. बैंक अपने साधनों वा अच्छी प्रतिभूतियों में विनियोग बरतने में सक्षम हो जाते हैं।
७. अंतर्राष्ट्रीयों की दैनिक की मुविधा रहती है।

सामने के विस्तार की तुलना में शाखा बैंकिंग की मुविधा बहुत रूप मात्रा

प्रणाली में अम-विभाजन पद्धति वा उपयोग होता है, जिससे इसमें अम-विभाजन प्रणाली के अन्तर्गत सामने उपलब्ध हो जाते हैं। शाखा बैंकिंग में क्योंकि एक विशालकाय बैंक होता है और उसकी विभिन्न स्थानों पर शाखायें होती हैं, इसलिए बैंक का संगठन विशाल होता है तथा इसके पास पूजी काफी बड़ी मात्रा में होती है। बैंक अपने कार्यों के सचालन के लिये बड़ी-बड़ी तनावहारी पर कुशल तथा विशेषज्ञ प्रबन्धक रख सकता है जिससे बैंक के कार्यों वा सम्पादन वैज्ञानिक आधार पर किया जा सकता है। जूँकि बैंक की सब शाखायों वा सचालन एक वैश्वीय कार्यालय से होता है, इसलिए इसको कार्यक्षमता बढ़ा जाती है। अतः शाखा बैंकिंग में बड़े पैमाने की बचत आमानी से उपलब्ध हो जाती है। (ii) शाखा बैंकिंग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में रक्षित-बोय (Lower Cash Reserves) रखने पड़ते हैं—जब एक बैंक विशाल होता है और इसकी स्थान-स्थान पर अनेक शाखायें होती हैं, तब यह प्रत्येक शाखा में बहुत शोटी-शोटी मात्रा में ही नवद-बोय (Cash Reserve) रखता है अपने कार्य का संपादन कर सकता है क्योंकि आपसमें एक शाखा पड़ने पर बैंक की एक शाखा में अपना दूसरी शाखा को हस्तान्तरित किया जा सकता है। परन्तु यदि बैंक ऐसा है कि इसकी शाखायें नहीं होती हैं भी, तब ये बहुत ही कम संख्या में हैं, तब इसे अपने कार्य को बचाने के लिये अपेक्षाकृत बहुत बड़ी मात्रा में रखने परम नवद-बोय रखना होता है। अतः व्यवसाय के विस्तार की तुलना में शाखा बैंकिंग की मुविधा बहुत रूप मात्रा

में रक्षित-बोप रखना पड़ता है जिससे बैंक दाएँ बड़ी मात्रा में साखन्मृजन करके लाभ कमाते हैं। (iii) मुद्रा का हस्तान्तरण सहस्राष्ट मुगमता से हो जाता है तथा व्यापारी पी दर की सममता दूर हो जाती है—शाखा बैंकिंग में इच्छा का हस्तान्तरण (Remittance of Funds) सरल, सहस्राष्ट तथा तीव्रात्मति से हो जाता है क्योंकि बैंक की एक शाखा से धन का हस्तान्तरण इसकी दूसरी शाखा को हो सकता है। इस प्रणाली में एक जगह का अधिक धन ऐसे स्थान को जहाँ धन का अभाव है, स्थानान्तरित हो जाया चर्ता है जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ की सौमित्री (Seasonal) आवश्यकता-मुद्रार धन का वितरण हो जाता है। परिणामतः विभिन्न क्षेत्रों में व्याज और दर में समानता की प्रवृत्ति पाई जाती है। iv) व्यापारियक जोखिम का भौतिक वितरण हो जाता है—शाखा बैंकिंग में बैंक का कुल व्यवसाय किसी एक क्षेत्र में केन्द्रित न होकर यह बहुत बड़े क्षेत्र से फैला हुआ होता है। इसी तरह बैंक के विनियोग भी किसी एक उद्योग में न होकर अनेक उद्योगों में होते हैं। परिणामतः एक उद्योग के स्थान की हानियों को दूसरे उद्योग के स्थान के लाभों से सुमायोजन (Adjustment) होता रहता है। (v) स्थान-स्थान पर बैंकिंग की सुविधायें उपलब्ध हो जाती हैं—शाखा बैंकिंग पद्धति में बैंकों की पालायें दोटे-दोटे नगरों, अपेक्षाकृत वर्ष विवरित क्षेत्रों वर्ष में कुल जाती है जिस से एक तरफ बैंकों में स्थायित्व (Stability) रहता है और दूसरी तरफ देश का अत्यधिक यात्रिक हित होता है। अतः शाखा बैंकिंग में देश में उन क्षेत्रों तक में बैंकिंग की सुविधायें उपलब्ध हो जाती हैं जहाँ स्वतन्त्र हृषि में बैंक के कुलने की सम्भावना नहीं होती है। (iv) प्रणिभूतियों का उत्ताप सम्भव हो जाता है—शाखा बैंकिंग में बैंकों के कमचारी सुधोग्य व कुशल होने हैं, तथा इनके पास विनियोग के लिये इच्छा की मात्रा भी बहुत होती है। परिणामतः बैंक अपने साधनों का अच्छी प्रतिभूतियों में ही विनियोग करते हैं। (vi) कमचारियों की द्वेषिता—शाखा बैंकिंग में बैंकों का कार्य-सेवा दृढ़त विस्तृत होता है जिससे इस पद्धति में कमचारियों की बैंकिंग की सर्वसे उत्तम द्वेषिता मिल जाती है।

**शाखा बैंकिंग पद्धति के दोष (Defects of the Branch Banking System)**—मुख्य-मुख्य दोष इस प्रकार हैं—(i) प्रबन्ध, नियंत्रण तथा नियन्त्रण की अविनाई—शाखा बैंकिंग में प्रत्येक बैंक विद्यालय काम होता है, इसकी कार्यों-भी संकेतों शाम्बायें होती हैं। इस कारण बैंक के प्रबन्ध व नियंत्रण तथा नियन्त्रण वो अनेक समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। प्रत्येक शाखा को मुख्य कार्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है जिसमें समय की भी बहुत हानि होती है। दूसरे शब्दों में, शाखा बैंकिंग में बड़े समाने की उत्पत्ति के लगभग सभी दोष पाय जाते हैं। (ii) प्रारम्भन प्रेरणा का अभाव होता है—शाखा बैंकिंग में बैंक की प्रत्येक शाखा लगभग प्रत्येक समस्या पर अपना निजी निरंय नहीं ले सकती है, उसे प्रत्येक समस्या पर निरंय अपने प्रधान कार्यालय से पूछ कर एवं मनुमति लेकर करना पड़ता है। परिणामतः शाखायें अपने बैंक की स्वामीय परिस्थितियों के अनुसार अपनी कार्य-विधि आसानी से नहीं अपनाने पाती हैं।

इसीलिए यह कहा जाता है कि शास्त्रा धीविग में कार्य के लोच और प्रारम्भन की प्रेरणा का अभाव (Lack of Initiative) रहता है। (iii) देश की आधिक स्थिति पर कुछ ही व्यक्तियों का एकाधिकार हो जाता है—शास्त्रा धीविग प्रणाली में अत्यधिक केन्द्रीयकरण (Centralisation) हो जाता है जिससे देश की आधिक स्थिति कुछ

शाखा वंकिंग के मुख्य दोष हैं:-

१. इस प्रणाली में प्रबन्ध, निरीक्षण तथा नियन्त्रण की कठिनाई होती है।
  २. प्रारम्भन-प्रेरणा का अभाव होता है।
  ३. देश की प्रार्थिक स्थिति पर कुछ ही व्यक्तियों का एकाधिकार हो जाता है।
  ४. यह प्रणाली व्यवस्थाएँ होती है।
  ५. विभिन्न सेवाओं का अनावश्यक ही दुहराव हो जाता है।
  ६. वैकं भी निसी एक दासता पा धन्य तमाम शासामों पर प्रभाव पड़ता है।

बुद्ध शासनों की हानि होती है, हब इसका प्रभाव देके की मन्त्र शासनों पर भी पड़ता है।

एकक या इकाई बैंकिंग (Unit Banking)

एक या इकाई बैंकिंग का मर्यादा—(Meaning of Unit Banking):—बहुप्रलयी नियमे वे हैं जो प्राप्तिक रूप से साधारणतया एक ही शार्यन्त्र तक सीमित रहते हैं, यद्यपि उनमें से दूसरे को जारीरये एक सीमित क्षेत्र में हो सकते हैं, एक या इकाई बैंकिंग प्रणाली (Unit Banking System) कहलाती है। इन प्रणाली में धनों के हस्तान्तरण (Remittance of Funds) तथा कारों की संविधान के लिए विभिन्न बैंकों में घासपत्र में सम्बन्ध रहता है। इन प्रकार की पद्धति अमेरिका में पाई जाती है।

जहाँ बैंकिंग कार्य एक ही बैंक द्वारा सीमित है। इकाई बैंकिंग पद्धति द्वीपुलना में बहुत छोटे पैमाने पर कार्य करते हैं। इकाई बैंकिंग पद्धति में एक बैंक द्वारा अपने नकद बौणों (Cash Reserves) को पास बाले बढ़े शहर के किसी दूसरे बैंक में जमा कर देते हैं। (इन देवों को Correspondent Banks कहते हैं)। इन बैंकों ने सहायता से ही दूसरे देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को हस्तान्तरित किया जाता है। एक बैंकिंग प्रणाली (Unit Banking System) के समर्थकों ने इस प्रणाली का समर्थन इस सिद्धान्त के आधार पर किया है कि एक बैंक का प्रारंभन तथा इस पर स्वामित्व स्थानीय व्यक्तियों का ही होना चाहिये क्योंकि जिस क्षेत्र में बैंक है उसका बायं स्थानीय उद्योगपतियों, वृषकों तथा व्यापारियों से ही सम्बन्धित होता है और इस तरह एक बैंक प्रणाली में एक बैंक का स्थानीय आधिक और सामाजिक समर्थन के साथ एकीकरण (Co ordination) हो जाता है। यही कारण है कि अमेरिका में हम विभिन्न स्थानों पर छोटे-छोटे व स्वतंत्र बैंक पाते हैं और इनका स्वामित्व भी स्थानीय पाया जाता है। परन्तु इन सब पर वहाँ के बैंकों द्वारा बैंक की देख-रेख (Supervision) रहती है।

### एकक बैंकिंग के लाभ व दोष

#### एकक बैंकिंग प्रणाली के गुण हैं:-

- १ इस प्रणाली में प्रबन्ध तथा नियन्त्रण की सुविधा रहती है।
- २ एक अकुशल व कमज़ोर बैंक जीवित नहीं रहने पाता है।
- ३ बायों में दीघ-सूनता नहीं रहती है।
- ४ स्थानीय बल्याण का विद्यमान रखना जाता है।
- ५ एकामिकारी स्थायों के निर्माण पर रोक रहती है।
- ६ यह प्रणाली स्वतन्त्र व्यवसाय के निर्धारण के अनुकूल है।

इकाई बैंकिंग के लाभ (Advantages of the Unit Banking System) —मुख्य-मुख्य लाभ इस प्रवार है—(1) प्रबन्ध तथा नियन्त्रण की सुविधा —शास्त्रा बैंकिंग की तरह एक बैंकिंग में नियन्त्रण, नियन्त्रण तथा प्रबन्ध की कोई समस्या नहीं रहती है क्योंकि इस प्रणाली में दश भर में अनगिनत शास्त्रायों का जाल नहीं बिद्या हुआ होता है। (ii) एक अकुशल व कमज़ोर बैंक जीवित नहीं रहने पाता है—शास्त्रा बैंकिंग में यदि किसी बैंक की काय सन्तोषजनक नहीं है, तब भी यह शास्त्रा अन्य शास्त्रायों की सहायता से जीवित रहती है। परन्तु इकाई बैंकिंग पद्धति में ऐसा होना सम्भव नहीं है। यदि बैंक अकुशल एवं कमज़ोर (Weak Bank) है, तब यह स्वतंत्र ही अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगा। (iii) बायों में दीघ सूनता (Red Tapism) नहीं रहती है—एकक बैंकिंग वा यह गुण है कि इसमें बायों में दीघ-सूनता से चर्तवाल होने वाली हानि नहीं होती है। अधिकारी-वर्ग दिव-

प्रतिदिन की समस्याओं के सम्बन्ध में शीघ्रता से ही निर्णय ले लेते हैं। (iv) स्थानीय कल्याण का विशेष ध्यान रखा जाता है—एकक बैंकिंग प्रणाली में अधिकारियों का स्थानीय व्यापारिक समस्याओं के सम्बन्ध में व्यक्तिगत ज्ञान होता है क्योंकि इस पद्धति में अधिकारियों वा स्थानीय जनसम्प्रया से प्रत्यक्ष व व्यक्तिगत सम्बन्ध होता है। शाखा बैंकिंग स्वभाव से ही ऐसी होती है कि उसमें स्थानीय जनसम्प्रया के हितों वा अपेक्षाकृत कम ध्यान रखा जाता है। यतः एकक बैंकिंग में चूंकि बैंक की कार्य-विधि तथा इसका मचालन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होता है, इसलिए इस प्रणाली से कल्याण बहुत होता है। (v) एकाधिकारी संस्थाओं के निर्माण पर रोक—इकाई बैंकिंग में बैंक छोटे-छोटे होते हैं जिससे बड़ी-बड़ी एकाधिकारी बैंकिंग संस्थाओं का निर्माण नहीं होने पाता है। (vi) इकाई बैंकिंग स्वतन्त्र व्यवसाय के सिद्धांत (Principle of Free Enterprise) के अनुकूल होता है।

एकक बैंकिंग प्रणाली के दोष (Defects of the Unit Banking System):—

मुख्य-मुख्य दोष इस प्रकार हैं—(i) जोखिम का वितरण नहीं होने पाता है—शाखा

### एकक बैंकिंग प्रणाली के दोष हैं—

१. इस प्रणाली में जोखिम का वितरण नहीं होने पाता है।
२. कोपों का हस्तान्तरण कठिन तथा व्ययपूर्ण होता है।
३. विभिन्न धोनों में व्याज की दर में भिन्नता पाई जाती है।
४. बैंकिंग सुविधाओं का अधिक प्रसार नहीं होने पाता है।
५. इस प्रणाली में बैंकों के बायों में भी कुशलता नहीं रहती है।

बैंकिंग में व्यवसाय की जोखिम का बहुत फैलाव हुआ करता है क्योंकि बैंक का कार्य-क्षेत्र विभिन्न धोनों तथा उद्योगों से सम्बन्धित होता है। परन्तु एकक बैंकिंग में जोखिम के फैलाव के अभाव के कारण तनिक से संकट में बैंकों के फेल हो जाने तक का भय रहता है। (ii) कोपों का हस्तान्तरण कठिन तथा व्ययपूर्ण होता है—बैंक की स्थान-स्थान पर अपनी निजी शाखायें नहीं होने के कारण कोपों के हस्तान्तरण में बढ़िनाई रहती है और यह व्ययपूर्ण भी होता है। (iii) विभिन्न धोनों में व्याज की दर में भिन्नता पाई जाती है—एकक बैंकिंग पद्धति में चूंकि धन के स्थानान्तरण की कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए इस प्रथा में पुराने व समृद्ध धोनों में व्याज की दर कम और नए, अविकसित तथा असमृद्ध धोनों में व्याज की दर अधिक पाई जाती है (क्योंकि इस धोन में आवधि एवं आवौद्योगिक विकास के लिए धन की आवश्यकता अधिक रहती है)। (iv) बैंकिंग सुविधाओं का अधिक प्रसार नहीं होने पाता है—एकक बैंकिंग प्रणाली में बहुत छोटे-छोटे नगरों या अविकसित धोनों में नये-नये व स्वतन्त्र दौकों की स्थापना में बढ़िनाई होती है क्योंकि इस धोनों पर प्राप्त दौकों को

एकक दौकिंग प्रणाली में बहुत छोटे-छोटे नगरों या अविकसित धोनों में नये-नये व स्वतन्त्र दौकों की स्थापना में बढ़िनाई होती है क्योंकि इस धोनों पर प्राप्त दौकों को

इतना व्यवसाय नहीं मिलने पाता है कि वे स्वतन्त्रतापूर्वक लड़े रह सकें। परिणामतः एक बैंकिंग प्रणाली में बैंकिंग सुविधाओं का अधिक विस्तार नहीं होने पाता है। (v) कार्पोरेट में भी कुशलता नहीं रहती है—एक बैंकिंग प्रणाली में जूँकि बैंक छोटे-छोटे होते हैं, इसलिये इनकी वार्षिक विधि भी नवीनतम ढंग की नहीं होने पाती है और वार्षिक विधि में सुधार भी आसानी से नहीं होने पाता है।

एकक-बैंकिंग-पद्धति के दोषों को दूर करने के उपाय :—एकक बैंकिंग पद्धति के उत्तरित दोषों की ओर यमारका मध्यान आकर्षित हुआ, इसीलिये इन दोषों को दूर करने के लिये अमेरिकन एकक बैंकिंग पद्धति में कई महत्वपूर्ण सुधार किये गये हैं। ये इस प्रकार हैं—(i) शाखाओं को खोलने का अधिकार :—अमेरिका में एकक बैंकिंग प्रणाली का अवलम्बन होते हुए भी अब बैंकों को अपनी शाखायें खोलने का अधिकार दे दिया गया है ताकि बैंकों को शाखा बैंकिंग प्रणाली के कुछ लाभ भी उपलब्ध हो सकें। (ii) भूखलाकारी बैंकिंग पद्धति को ब्रोरसाहम (Encouragement to the Chain Banking System) .—शाखा बैंकिंग के कुछ लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से अमेरिकन बैंकरों ने शृखलाकारी (Chain) बैंकिंग पद्धति को अपनाया है। इसका अर्थ यह है कि एक साथ ही व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का अनेक बैंकों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, यद्यपि प्रत्येक बैंक की पूँजी, इनका प्रबन्ध तथा इनके कर्मचारी पूर्णतया पृथक् पृथक् होते हैं। (iii) कोरसपोनेन्ट बैंकस का निर्माण करना (Establishment of Correspondent Banks) .—एकक बैंकिंग प्रणाली में बैंकस अपने नकद-कोषों को पास बाले बढ़े शहर के किसी बड़े बैंक में जमा कर दिया करते हैं। इस प्रकार के बड़े-बड़े बैंकों को ही कोरसपोनेन्ट बैंकस (Correspondent Banks) का नाम दिया गया है। जब छोटे-छोटे बैंकस इन बड़े बैंकों में खाता खोलकर अपना कुछ धन जमा कर देते हैं, तब स्वतः ही इनका एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है। कभी-कभी ये बड़े-बड़े बैंकस छोटे बैंकों को आर्थिक व व्यवसायिक सलाह भी देते हैं, समय-समय पर इन्हें एक से दूसरे के पास धन को हस्तान्तरित (Remittance of Funds) करने में मदद करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी आर्थिक सहायता भी करते हैं। परिणामतः छोटे-छोटे बैंकों का आपस में बड़े बैंक के माध्यम से व्यापार सम्बन्धीकरण हो जाता है और ये शाखा बैंकिंग के लाभ उठाने लगते हैं।

विषयवस्तु :—यह एक विवाद-प्रस्त व्रश्न है कि शाखा बैंकिंग और एकक बैंकिंग में से कौन सी पद्धति अच्छी है? प्रो॰ टोमस (Thomas) के अनुसार इन दोनों पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन दरने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि दोनों ही दोषपूर्ण हैं, परन्तु एकक बैंकिंग नी अपेक्षा शाखा बैंकिंग अधिक उत्तम है। अमेरिका में उसकी निजी परिस्थितियों के बारण ही एकक बैंकिंग प्रणाली सफलतापूर्वक चल सकती है और आज भी चल रही है, परन्तु अन्य ऐसे देशों में जहाँ प्रति व्यक्ति आप (Per Capita Income) बहुत कम है, बैंकिंग का विस्तार अभी सम्भग नहीं के दरावर हुआ है तथा दूसरे आर्थिक व श्रोद्योगिक एवं आपारिक हाउट से बहुत कम

विकसित है, एक बैंकिंग प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती है। ऐसे देशों के लिये तो शाखा बैंकिंग प्रणाली ही अधिक उपयुक्त है।

भारत और शाखा बैंकिंग-प्रणाली (India and the Branch Banking System):—भारतवर्ष ने इंग्लैंड का अनुकरण करते हुये शाखा बैंकिंग पद्धति को ही अपनाया है और देश के बैंकिंग इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि यह पद्धति देश के लिये बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हुई है। अमेरिका में सन् १९२६-३३ में जब बैंकों को महान् अवसाद (Depression) का सामना करना पड़ा था, उस समय वहाँ की एक बैंकिंग पद्धति उस बैंकिंग संकट को सहन नहीं कर सकी और थोड़े से ही समय में अनेक बैंक टूट गये थे। उसी समय इंग्लैंड के बैंकों ने उस संकट का बड़ी सफलतापूर्वक सामना किया था और इंग्लैंड के बैंक यह सब कुछ अपनी शाखा बैंकिंग पद्धति के कारण ही कर सके थे। यही कारण है कि एक बैंकिंग प्रणाली का जन्म-दाता देश अमेरिका सन् १९१३ के पश्चात् थाने: थाने: शाखा बैंकिंग की ओर बढ़ा है और आज यह कोरसेपोनेन्ट बैंकिंग पद्धति (Correspondent Banking System) द्वारा शाखा बैंकिंग के लाभ उठा रहा है। भारत में भी सन् १९४७ में देश के विभाजन के पश्चात् पञ्च नेशनल बैंक तथा सेन्ट्रल बैंक को बहुत बड़े संकट वा सामना करना पड़ा था, परन्तु इन दोनों बैंकों ने उस संकट का सफलता से मुकाबला किया। इसका कारण भी यही था कि इन बैंकों की सम्पत्ति एक विनियोग देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैले हुए थे। अतः हमारे देश भी अर्थिक स्थिरता की हालिंग से शाखा बैंकिंग पद्धति बहुत ही उपयुक्त है।

### परीक्षा-प्रश्न

Rajputana University, B. Com.

1. Write a note on—Unit versus Branch Banking. (1955)

Bihar University, B. A.

1. Discuss the relative merits and demerits of branch and unit banking systems. (1955)

Bihar University, B. Com.

1. Compare the advantages and disadvantages of 'Unit Banking' and 'Branch Banking'. (1953)

Patna University, B. A.

1. Discuss the advantages and the disadvantages of unit and branch banking. Which of them is suitable for India? (1957)

Allahabad University, B. Com.

1. Write a note on—Branch Banking in India. (1956)

## अध्याय १३

### केन्द्रीय बैंकिंग

#### (Central Banking)

प्रारम्भन—यद्यपि केन्द्रीय बैंकिंग वा विशाल समय पहले ही हो चुका था, परन्तु केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली को एक वैज्ञानिक रूप दीखवा जाताथी में ही प्राप्त हुआ है। प्रथम महायुद्ध वे बाद विद्व में आर्थिक संकट की समस्या ने बड़ा विशाल स्पष्ट लिया जिससे सन् १९२० से ब्रूसल्स (Brussels) में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन (International Monetary Conference) हुआ जिसन प्रत्येक देश में एक केन्द्रीय बैंक स्थापित करने वा सुभाव दिया। परिणामतः कुछ ही समय में लगभग सब ही बड़े-बड़े देशों में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना हुई। भारत में भी सन् १९३५ में हिंजबं बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India) नाम का एक केन्द्रीय बैंक स्थापित किया गया। एक केन्द्रीय बैंक को केन्द्रीय बैंक इसलिये कहा जाता है क्योंकि इसका देश के बैंकिंग बौद्धिक दावे में एक केन्द्रीय (महत्वपूर्ण) स्थान होता है, यह सभ्य सब बैंकों का सिरताज होता है और उनके लिये एक मित्र (Friend), दार्शनिक (Philosopher) तथा पथ प्रदाता (Guide) वा शायं बतता है। जूँकि सभी बैंकस आद्यवा अन्य आर्थिक सम्याएँ इस बैंक पर निर्भर रहती हैं और इसी के आदेशानुसार कार्य करती हैं, इसलिये इसे केन्द्रीय बैंक कहते हैं।

#### परिभाषायें<sup>1</sup> (Definitions)

केन्द्रीय बैंक की परिभाषायें (Definitions of a Central Bank)—विभिन्न विद्वानों ने केन्द्रीय बैंक की परिभाषा भिन्न-भिन्न प्रकार से दी है। द्रव्य की तरह केन्द्रीय बैंक की परिभाषा भी इसके विभिन्न बायों पर जोर देकर की जाई है। मीठे हम कुछ मुख्य मुख्य परिभाषाएँ दे रहे हैं—

(१) “केन्द्रीय बैंक वह सम्या है जो देश से मुद्रा व साल का जन माधारण के हित में सम्बन्ध स्थापित करके तथा इनका देश हित में नियन्त्रण करके, देशी व विदेशी मूल्यों में स्थिरता (Stability) लाती है और बैंकों व बैंकिंग व्यवस्या वा विशाल तथा संगठन बरती है। देश में आर्थिक स्थिरता (Economic Stability) स्थापित करने वाली सम्या का नाम ही केन्द्रीय बैंक है।”

(२) “केन्द्रीय बैंक वह सम्या है जो आर्य बैंकों तथा साथ सम्याओं की मुद्रा तथा साल दी हास्तान्तरामों दी प्रूति करती है, जो बैंकों व बैंक तथा सरकारी बैंक कर कार्य करती है, जो राष्ट्र के आर्थिक हितों की रक्षा करती है तथा जो देश की मुद्रा तथा साल पद्धति वा इस प्रकार नियन्त्रण करती है जिससे कि देश के आगतरिक मूल्य स्तरों तथा विदेशी विनियोग दरों में स्थापित रखा जाए, देश की बेकारी दूर

हो सके और उसकी वास्तविक प्राप्ति के स्तर में बढ़ि हो सके। अतः केन्द्रीय बैंक यह संस्था है जो केन्द्रीय बैंक के कार्य करे।”

(३) बैंक ऑफ इन्टरनेशनल सेटिलमेंट्स (Bank of International Settlements) के विधानानुसार “केन्द्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जो देश की साल तथा चलन-प्रणाली को देख-रेख करे।” (“A Bank regulating the Volume of Currency and Credit of a Country”—Bank of International Settlements)।

उत्तरित केन्द्रीय बैंक के कार्यों के आधार पर दो गई परिमापाओं से स्पष्ट है कि केन्द्रीय बैंक के कार्य अन्य सब प्रकार के बैंकों से मूलत भिन्न होते हैं। ताकि यह बैंक अपने कार्यों को समुचित रूप से कर सके, इसलिये सरकार द्वारा इसे कुछ विशेष अधिकार भी मिले होते हैं—नोट निर्गम (Issue) का एकाधिकार, सरकार का बैंकर के रूप में कार्य करना और सरकारी कोप को अपने पास रखना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना तथा उन्हें सबटकाल में सहायता देना, चलन-निधि को रखना, बैंकों के नकद-कोप को रखना, आदि। ताकि केन्द्रीय बैंक अपने इन विशेष अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सके, इसीलिये उस पर बुद्ध प्रतिवर्त्त भी लगे होते हैं, जैसे—वह व्यापारिक बैंक से प्रति-स्पर्धा नहीं कर सकता है, साम कमाना उसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है, जन-हित व राष्ट्र-हित की रक्षा करना तथा सरकार की मीटिंग तथा आर्थिक नीति बो सफल बनाना उसका प्रधान कर्तव्य है। इसीलिए यह अनिवार्य है कि केन्द्रीय बैंक सरकार के नियन्त्रण में कार्य करे।

### एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता

केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता (Necessity of a Central Bank):—आधुनिक आर्थिक समाज में केन्द्रीय बैंक का बहुत महत्व है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं:—  
 —(i) साल के निर्माण पर नियन्त्रण (Credit Control):—प्रत्येक बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य साल का निर्माण (Credit Creation) है। बैंक के इस कार्य से न केवल समाज व राष्ट्र का बहुत मार्यादित हित है बल्कि बैंक स्वयं भी काफी बड़ी मात्रा में साम कमाना है (इस सम्बन्ध में ‘बैंक और इसके कार्य’ नामक ग्रन्थाद्य में विस्तार से लिया जा चुका है)। परन्तु किसी देश में साल के अधिक निर्माण से जनता व देश दो सुरक्षा सतरे में पड़ सकती है। इसलिये आवश्यकता इस बात की रहती है कि साल का निर्माण देश हित में एक सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। परन्तु यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बैंकों की साल-निर्माण शक्ति पर कान नियन्त्रण करे? यह बहा जा सकता है कि साधारणतया प्रत्येक बैंक अपनी सुरक्षा की हाई से ही साल का निर्माण करता है, वह स्वयं ही अपने पास पर्याप्त मात्रा में नकद-कोप (Cash Reserves) रखता है ताकि द्राट्सों की मात्रा होने पर उनके बैंकों आदि पश्चो वा भुगतान बर सके, तब विनी बैंद्रीय बैंक की वया आवश्यकता है? परन्तु वास्तव में बैंक, यदि उनकी साल-निर्माण शक्ति पर योई नियन्त्रण नहीं है, अधिक साम बमाने वे लालच में,

अपनी मुख्या को खतरे में डालकर आवश्यकता से अधिक साल का निर्धारण न कर देते हैं। इसमें न बेवल अमुक दौकों को उत्था उसके अंशधारियों (Shareholders) को हानि होने का मय रहता है वरन् इसका देश की समस्त आर्थिक स्थिति तथा बैंकिंग-व्यवसाय पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है यद्योऽकि किसी एक दौक में से जनता का विस्वाम उठ जाने पर, अन्य दौकों में से भी जमाकर्ता (Depositors) अपनी जमा, निवालने लगते हैं जिसमें अच्छे एवं मुमचालित दौकों का प्रस्तुत भी छूट में पड़ जाता है इससे यह स्पष्ट है कि इसी बाहरी घटित तथा सस्या द्वारा देश में साल का नियन्त्रण होना चाहिए। यह बाहरी संस्था बोन सो हो, यह एक स्वाभाविक प्रदूष है? यह चाहये संस्था एक बैंक्रीय बैंक ही होना चाहिये। इसके दो मुख्य कारण हैं—प्रथम, साल-नियन्त्रण जनता की आवश्यकताओं को बैंक्रीय दौक ही ठीक-ठीक माप सकता है। द्वितीय, साल-नियन्त्रण का कार्य उसी के द्वारा ठीक-ठीक किया जा सकता है जिसमें कोई श्रेणी की योग्यता एवं ताकिंग-समता (Technical Efficiency) होती है। इस प्रकार की योग्यता एवं ताकिंग न तो किसी एक व्यक्ति में होती है और न सरकारी अमंथारी में ही हो सकती है। परन्तु बैंक्रीय दौक में इस प्रकार की योग्यता व ताकिंग पाई जाती है जिसमें साल-नियन्त्रण के कार्य के लिये देश का बैंक्रीय बैंक ही सबसे उपयुक्त संस्था होती है। (ii) बैंकों को आर्थिक सहायता—बैंक्रीय दौक आर्थिक सुरक्षा के समय देश के दौकों को आर्थिक सहायता भी देते हैं। जिस देश में बैंक्राय दौक नहीं पाया जाता है, वहां पर दौकों अन्तरर तकिंग-सी आपत्ति पड़ जाने पर फेल हो जाया करते हैं। (iii) सरकार की मौद्रिक नीति को सफल बनाने का कार्य—एक बैंक्रीय दौक देश की दौकिंग-प्रणाली पर इस प्रकार का नियन्त्रण रखता है कि राज्य की सामान्य मौद्रिक नीति सफल बन सके। उसके अतिरिक्त एक बैंक्रीय दौक कितने ही अन्य कार्य करता है जिनमें भी इसका महत्व एवं आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है।

बैंक्रीय दौक की इतनी अधिक आवश्यकता एवं महत्व होते हुये भी प्रथम महायुद्ध में पहले बैंकिंग अमेरिका व इंगलैंड जैसे कुछ ही देशों में इस प्रकार का बैंक या, परन्तु सन् १९२० में ब्रूनेस्ल (Brussels) में एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन (International Monetary Conference) हुआ जिसने प्रत्येक देश में एक बैंक्रीय दौक स्थापित करने का मुमाल दिया और तब में ही शनै शनै विभिन्न देशों में इस प्रकार के दौक का नियाय होता जा रहा है।

### बैंक्रीय दौक का विकास

बैंक्रीय दौक का विकास (Growth of Central Banking)—दर्शान केन्द्रीय बैंकिंग का मूलभूत स्वीडन (Sweden) के Riks Bank की स्वामता से माना जाता है। परन्तु एक सबसे पहले आदर्श बैंक दा श्रेय बैंक आफ इंगलैंड (Bank of England) को ही है। इस बैंक का म्यापना सन् १६२४ में सरकार ने दृप्ये उधार देने के लिये की गई थी। सन् १६३६ में इसके नोट वानूनी प्राय दृप्य (Legal Tender Money) घासित कर दिये गये। सन् १६४४ के बैंक एकट (Bank

Act) ने अन्य दूसरे बैंकों के नोटों की संस्था सीमित कर दी। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने सन् १८२६ से ही देश के अन्य भागों में अपनी 'शासाए' खोलनी आरम्भ कर दी थी। तब ही ने यह सरकारी बैंक और बैंकसंघ-बैंक के रूप में पार्श्व करने लगा। सन् १८५४ से इसने रामाशोधन-गृह (Clearing House) के रूप में वाम परना आरम्भ कर दिया। इसने बैंकों को रप्या उधार देने तथा देश की चलन-प्रणाली के मूल्य को स्थिर रखने का कार्य भी समझ आरम्भ कर दी थी। संघेष में, इङ्लैण्ड में धीरे-धीरे बैंक ऑफ इङ्लैण्ड एक पूर्ण बेंद्रीय बैंक बन गया। यह स्मरण रहे कि स्वीडन का Riks Bank आरम्भ में एक गैर-सरकारी बैंक था, परन्तु सन् १७१८ में सरकार ने इसे एक सरकारी बैंक बना दिया। शनैः शनैः अन्य देशों में भी बेंद्रीय बैंक स्थापित हो गये। फ्रांस में १८०० में, हॉलैण्ड में १८१४ में, आस्ट्रिया में १८१७ में, हस्त में १८६० में, जर्मनी में १८७५ में, भारतवर्ष में १८३५ में, आयरलैण्ड व आईरैण्ड में १८४२ में तथा पाकिस्तान में सन् १९४८ में बेंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। यद्यपि समझ सभी प्रगतिशील देशों में १९वीं शताब्दी में केन्द्रीय बैंक स्थापित हो गये थे, परन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद जो आर्थिक मन्दी (Depression) का भास, आया, उस संकट काल में विभिन्न देशों में अनेक बौक छूट गये जिसके परिणामस्वरूप जन-हित तथा सामग्री-मुद्रा पर उचित नियन्त्रण करने के लिये बेंद्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता घिनित देशों में अनुभव हुई। इसीलिये सन् १९२० के ब्रूसेल्स (Brussels) के मुद्रा-सम्मेलन के पश्चात् चीन, पीर, चीली, बानाणा, हगरी, आस्ट्रेलिया, टर्की, पीलैण्ड आदि अनेक देशों में बेंद्रीय बैंकों की स्थापना हुई। आजकल सब ही प्रगतिशील देशों में बेंद्रीय बैंक सरकारी बौक बना दिये गये हैं। भारत में भी सन् १९१६ में रिजर्व बौक ऑफ इण्डिया पूर्णतया सरकारी बौक बना दिया गया।

## बेंद्रीय बैंकिंग सिद्धांत तथा व्यापारिक बैंकिंग सिद्धांतों की तुलना

### (Comparison of Central Banking Principles and Commercial Banking Principles)

#### बेंद्रीय बैंकिंग सिद्धांत

#### (Central Banking Principles) (Commercial Banking Principles)

#### समानताओं (Similarities)

१. बेंद्रीय बैंक जो अचल पूँजी (Fixed Capital) के लिये रप्या उधार अचल-पूँजी के लिये रप्या उधार नहीं देना चाहिये।

२. बेंद्रीय बैंक जो मृत-प्रतिभूतियों (Dead Securities) जैसे—गान, मकान य नारामाने की गिल्ड आदि पर ग्रहण नहीं देना चाहिये।

#### व्यापारिक बैंकिंग सिद्धांत

१. व्यापारिक बैंकों जो भी अचल-पूँजी के लिये रप्या उधार नहीं देना चाहिये।

२. व्यापारिक बैंकों जो भी मृत-प्रतिभूतियों पर ग्रहण नहीं देना चाहिये।

१ केन्द्रीय बैंक को रूपया के बैल अल्पकालीन ऋण के रूप में ही देना चाहिये ताकि आदेयो (Assets) में अधिकतम तरलता (Liquidity) रह सके। यह अवश्य है कि वेन्द्रीय बैंक की सम्पत्ति में इन्वेस्ट व्यापारिक बैंकों की सम्पत्ति की अपेक्षा अधिक होनी चाहिये।

#### असमानताएँ (Dissimilarities)

१ लाभ प्राप्त करना वेन्द्रीय दीक्षिण का प्राथमिक (Primary) उद्देश्य नहीं होना चाहिये। यह उसका गोण (Secondary) उद्देश्य होता है। यही कारण है कि यह बैंक जमा (Deposits) पर व्याज नहीं देता है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य देश में आर्थिक स्थिरता (Economic Stability) स्थापित करना तथा दीक्षिण द्वारा सुभगठित करना होता है।

२ केन्द्रीय दीक्षिण को सबसे बड़े व अन्तिम ऋणदाता (Lender of the Last Resort) या साख के दोष (Reservoir of Credit) के रूप में कार्य करना चाहिये। देश की विभिन्न बैंकिंग संस्थाएँ इसी के पास रूपये की आवश्यकता की पूर्ति के निय पहुँचा करती हैं। परन्तु इस बैंक को दून संस्थाओं में आर्थिक सहायता की आशा नहीं करनी चाहिये।

३ वेन्द्रीय दीक्षिण की नीति क्रियाशील (Active Policy) होनी चाहिये। जब कभी राष्ट्र में कोई आर्थिक उल्लंघन उत्पन्न हो जाये या देश में साख रचना या साख संकुचन इसकी निजी नीति के अनुरूप नहीं हो, तब इसे तमाम स्थिति को बुपचाप ही सहन नहीं करना चाहिये।

३ व्यापारिक बैंकों की भी रूपया बैल अल्पकालीन ऋणों के रूप में ही देना चाहिये ताकि इनके आदेयों में भी तरलता रह सके।

१ व्यापारिक दीक्षिण का प्राथमिक उद्देश्य लाभ करना होना चाहिये। इसलिये ये अधिक जोखिम के बायों तक भ रूपये का विनियोग बर देने हैं। परन्तु वेन्द्रीय बैंक जोखिम के बायों में रूपये का विनियोग नहीं करता है जिसमें यह अन्य बैंकों से प्रतियोगिता नहीं करता है।

२ व्यापारिक बैंक इस प्रकार के बड़े व अन्तिम ऋणदाता के रूप में कार्य नहीं करते हैं और न इन्ह इस रूप में कार्य ही करना चाहिये।

३ व्यापारिक बैंकों देश में मुद्रा व साख को स्थिति में सुधार करने के लिए इस प्रकार की नीति नहीं अपना सकते हैं।

धरनु प्रियारम्भ कीति अपना वर विगड़ी  
हुई दशा वो तुरन्त मुधार देना चाहिये ।

४. केन्द्रीय बैंक वा मुद्रा-चलन  
पर एकाधिकार होना चाहिये । इसे सर-  
पार के बैंक तथा बैंकों के बैंक के हृषि भी  
वार्ष बरना चाहिये ताकि यह देश की  
सार, मुद्रा वैकिंग-व्यवस्था पर अपना  
चित नियन्त्रण रख सके ।

५. केन्द्रीय बैंक को विसी राज-  
नीतिक दल के प्रभाव में वार्ष नहीं करना  
चाहिये ताकि यह देश-हित में निष्पक्ष  
नीति अपना सके ।

४. व्यापारिक दौसस इम प्रशार  
के वार्ष नहीं वर सकते हैं और न इन्हें  
ये कार्य करने ही चाहिये ।

५. व्यापारिक दौसस विसी राज-  
नीतिक या विसी एक व्यक्ति-विशेष के  
प्रभाव में रहकर भी मुचाए रूप से कार्य  
कर रहते हैं ।

### केन्द्रीय बैंक के कार्य

#### (Functions of a Central Bank)

केन्द्रीय बैंक कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रथंशास्त्रीयों ने भिन्न भिन्न विचार प्रगटविये हैं । यदि विभी प्रथंशास्त्री ने विसी एक वार्ष पर बत दिया है, तब दूसरे प्रथंशास्त्री ने अन्य विभी दूसरे कार्य पर, परन्तु फिर भी बैंक के छः निम्नलिखित वार्ष बतलाए जाते हैं—(अ) नोट निर्गम का एक-मात्र अधिकार, (आ) सरकार के बैंक के रूप में वार्ष, (इ) बैंकों वा बैंक, (ई) अस्तराधीय मुद्राओं वा राष्ट्रीय बोप का गरकाक, (उ) गूचनाओं और प्राकड़ों वो एकाधित बरना और प्रवासित बरना तथा (ऊ) गार-मुद्रा वा नियन्त्रण ।

#### [अ] नोट निर्गम का एक-मात्र अधिकार

#### (Monopoly of Note Issue)

केन्द्रीय बैंक वा एक प्रमुख वार्ष सरती और उपयुक्त चलन प्रणाली की व्यवस्था  
करना तथा उसका मूल्य स्थिर रखना होता है (A Central Bank Supplies Cheap  
and Adequate Currency and maintains its Value)—केन्द्रीय वैकिंग पद्धति के विराग से पहले नोट निर्गम (Issue) वा वार्ष या तो राज्य द्वारा या व्यापारिक दौसों द्वारा दिया जाता था । राज्य द्वारा नोट निर्गम वा वार्ष मन्त्रतापूर्वक नहीं दिया जाता था । व्यापारिक दौसों द्वारा नोट जारी करने की प्रथा में भी ही ऐसी दोष थे—(i) इनसे नोटों में भिन्नता पाई जाती थी जिससे मुद्रा-व्यवस्था टीक नहीं रहती थी । (ii) दौस नोट आपनी गार के अनुमार ही जारी किया बरने थे, परन्तु इन दौसों की गार भीमित रहने के गारण, इन नोटों की मात्रा भी भीमित रहती थी तथा (iii) व्यापारिक दौस जनना भी गार होने पर ग्रायः नोटों के बदले इच्छा देने में घगमय रहते थे । परिणामतः यह अनुभव किया गया कि राज्य तथा व्यापारिक दौस

दोनों ही नोट-निकासी के कार्य के लिये अनुपयुक्त थे। इसलिए मुद्रा तथा मूल्यों की व्यवस्था वो दूर करने के लिये प्रत्येक देश में मुद्रा चलन का एक मात्र अधिकार शनैः शनै बैन्द्रीय दौंक वो सौंप दिया गया है। बैन्द्रीय दौंक का यह कार्य इतना मुख्य माना जाने लगा है कि कुछ बैन्द्रीय दौंकों ने अपने आपको दो विभागों में बाट लिया है—प्रथम दौंकिंग विभाग (Banking Department) तथा डिस्ट्रीब्युशन विभाग (Issue Department)। दौंकिंग विभाग दौंक के साधारण कार्य करता है और ईश्यु विभाग (निर्गम-विभाग) नोट-निर्गम का कार्य करता है। सबसे पहले सन् १९४४ में दौंक ऑफ इंग्लैंड को नोट निर्गम का कार्य सौंप गया था, परन्तु आजकल नोट चलाने का अधिकार जगभग सभी देशों ने अपने-अपने बैन्द्रीय दौंक को सौंप दिया है। इसके बई मुख्य कारण हैं—(i) मुद्रा प्रणाली में अनुरूपता (Uniformity) लाने तथा इस पर उचित नियन्त्रण रखने के लिये यह आवश्यक समझा गया है कि नोट निर्गम का एकाधिकार बैन्द्रीय दौंक के पास ही होना चाहिए। इससे व्यापार व व्यवसाय में सुविधा भी बहुत रहती है। (ii) मुद्रा प्रणाली में सोच—बैन्द्रीय दौंक वो नोट-निकासी वा अधिकार सौंप देने से मुद्रा प्रणाली में सोच आ जाती है। इसका कारण स्पष्ट है। जब नोट निर्गम का कार्य व्यापारिक दौंकों द्वारा किया जाता है तब नोटों की मात्रा वे सम्बन्ध में नियंत्रित, इसका प्रचलन तथा देश की व्यापारिक आवश्यकताओं में बोई सम्बन्ध नहीं रहता है। परन्तु जब नोट निर्गम का अधिकार बैन्द्रीय दौंक वे पास रहता है, तब उसे पता रहता है कि इसी समय पर प्रचलन में नोटों की मात्रा व्यापार के लिये यथेष्ठ है या कम अधिक है और इस दशा में वह नोटों की मात्रा को आवश्यकतानुसार बढ़ा बढ़ा सकता है—(iii) सार्व-निर्माण शक्ति पर नियन्त्रण—वर्तमान समय में व्यापारिक दौंकों द्वारा साल बा निर्माण करने की शक्ति पर नियन्त्रण रखने की समस्या बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। यह अनुभव किया गया है कि बैन्द्रीय दौंक वो नोट निकासी का नयं सौंप देने से देश में सात नियन्त्रण की समस्या भी बहुत कुछ सुलझ जाती है क्योंकि सार्व-मुद्रा की प्रत्येक वृद्धि के लिये चलन (Currency) की वृद्धि की आवश्यकता हुआ करती है। अत साल के सबुचन व प्रतार पर उचित नियन्त्रण बैन्द्रीय दौंक द्वारा आसानी से किया जा सकता है। (iv) नोटों के प्रति जनता का विश्वास—इसी ऐसे दौंक को जिसे जनता का सरकारी प्राप्ति है, नोट निर्गम का एकाधिकार सौंप देने वा यह लाभ भी हीता है कि नोटों के प्रति जनता का बहुत विश्वास हो जाता है। (v) राज्य को मुद्रा निर्गम का सभी प्राप्ति होता है—नोट निर्गम एक लाभदायक व्यवसाय है। जब नोट-निकासी वा कार्य विसी एक दौंक को ही सौंप दिया जाता है, तब नोट-निर्गम व्यवसाय से जो लाभ होता है वह बहुत आसानी से सरकारी कोष में भेजा जा सकता है। (vi) मुद्रा के आन्तरिक और बाह्य मूल्य में स्थिरता—बैन्द्रीय दौंक वो जब नोट-निकासी वा एक मात्र अधिकार मिल जाता है, तब वह देश में मुद्रा वा आन्तरिक व बाह्य मूल्य बहुत आसानी से स्थिर रख सकता है। परिणामतः विदेशी विनियम की

करता है। सुकट काल में सरकार ट्रैजरी बिल्स (Treasury Bills) बेचकर जनता ऐ रुपया प्राप्त किया करती है। ऐसे समय में बैंक इन सरकारी बिलों को खाते थे प्रत्यक्ष (Directly) याए हों या अन्य बैंकों द्वारा आए हों मुनाकर (Discount) सरकार की धार्मिक सहायता किया करता है। मनुभव से पता चला है कि सरकारें कभी-नभी केन्द्रीय बैंक से छह लेने की सुविधा का अनुचित लाभ उठाती है। ये अत्यधिक छह लेकर देश में मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न कर देती है। यही कारण है कि आजकल सरकार द्वारा केन्द्रीय बैंक से लिये जाने वाले छह की मात्रा पर रोक लगाने के लिये कानून द्वारा कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं जो आप सुकट काल में दीते करने पढ़े हैं। केन्द्रीय बैंक सरकार के एजेन्ट व बैंकर के रूप में तमाम सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है, सरकारी मात्र तथा विदेशी प्रतिसूतियों (Securities) का क्रय विक्रय करता है, सरकार के विनाह पर रुपया प्राप्त करता है, छह या छह पर ब्याज या अन्य किसी प्रकार के रुपयों का मुण्डान करता है, सरकार की ओर से द्रव्य को हस्तान्तरण (Remittance) करता है, तथा सरकार को विभिन्न प्रकार की मुद्रा सम्बन्धी सुविधाएं देता है। सरकार जितने भी छह जारी करती है, उनकी व्यवस्था तथा उनका हिसाब वित्ताव व मुण्डान यह बैंक ही करता है। सरकार के बैंकर के नाते ही यह बैंक विदेशी विनियम (Foreign Exchange) की व्यवस्था एवं व्यापार करता है तथा सरकार की ओर से देश विदेश के मुद्रा सौदे (Monetary Transactions) करता है। चूंकि यह ठीक सरकार के नियन्त्रण में कार्य करता है तथा इसको नोट-नियम का एक-मात्र अधिकार प्राप्त होता है, इसलिये यह सरकार को उसकी मोद्रिक व दैविंग नीति सफल बनाने में सहायता देता है। यह स्मरण रहे कि सरकार की उत्तरिति लगभग तमाम ऐवाएं केन्द्रीय बैंक नि शुल्क करता है व्योकि यह सरकारी कोष पर कोई ब्याज नहीं देता है। इन तमाम कार्यों के करने से केन्द्रीय बैंक का द्रव्य बाजार (Money Market) पर भी पूरा नियन्त्रण हो जाता है और मुद्रा के मूल्य में भी बहुत उच्चावचन (Fluctuation) नहीं होने पाता है।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया भी भारत व राज्य सरकारों वा बैंक है और सरकारों का बैंक होने के नाते यह उत्तरिति तमाम कार्य करता है।

### [इ] बैंकों का बैंक (Banker's Bank)

केन्द्रीय बैंक देश में बैंकों का बैंक होता है (A Central Bank acts as a Banker's Bank) — देश के केन्द्रीय बैंक वा अन्य बैंकों से लगभग उसी प्रकार का सम्बन्ध होता है जैसा कि एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों से होता है। इसलिये एक केन्द्रीय बैंक बैंकों का बैंक होन के बारें उनकी मुख्यत बीन प्रकार से सहायता करता है—

(१) केन्द्रीय बैंक अपने बैंकों के नकद कोष (Cash Reserves) वा कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है—प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने पास कुछ नकद कोष के रूप में रुपया रखना पड़ता है ताकि वह दूष्कोषों द्वारा दो पर दबावे घन की अदायगी कर सके। ये दबाव इस कोष को मुख्यत दो रूप में रखते हैं—दृष्टि, दबावे पास

नकद में (Cash at Hand) वथा द्वितीय, देन्द्रीय बैंक के पास जमा के रूप में (Deposits with the Central Bank)। इस तरह किसी देश का नकद-कोष (Cash Reserves) इन दोनों प्रकार की रकमों का योग होता है। केन्द्रीय बैंक में रक्षित कोष के कुछ अंश को जमा करने की प्रणाली का विकास बहुत पीरे-पीरे हुआ है। भारतमें तो इस प्रकार की जमा रकमा व्यापारिक बैंकों की इच्छा पर निर्भर था, परन्तु धीरे-धीरे अधिकार्य देशों में इस प्रकार की जमा रखने के सम्बन्ध में बानूनी बन्धन लगा दिये गये हैं। भारत में भी बैंकों को अपने कुल दायित्व का कुछ प्रतिशत रिजर्व बैंक बौफ इण्डिया में जमा करना पड़ता है। बैंकों द्वारा अपने रक्षित कोष का कुछ भाग केन्द्रीय बैंक में जमा करने की प्रणाली के कई लाभ हैं। (i) साप-प्रणाली में सोब उत्पन्न हो जाती है (Elasticity in the Credit Structure):—बैंकों द्वारा बैन्ड्रीय बैंक में अपनी रोक-निधि (Cash Reserve) का कुछ अव जमा कर देने से उनकी साप-निर्माण दक्षित अधिक लोचदार हो जाती है। इसका कारण स्पष्ट है। जबकि द्विसी बैंक की कुछ रकम केन्द्रीय बैंक में जमा रहती है, वह अपने पास की रकम के भाष्टार पर अधिक से अधिक मात्रा में साप का निर्माण कर सकेगा वयोंकि वह जानता है कि वह भावशक्ता पठने पर आठकों की रपए की मात्रा को केन्द्रीय बैंक की सहायता से पूरा कर सकेगा। बैन्ड्रीय बैंक भी इस प्रकार के केन्द्रीय कोष (Central Fund) को किसी एक या अधिक बैंकों की सहायता के लिये बड़ी सुविधा से प्रयोग में ला रहता है। इस तरह केन्द्रीय बैंकों द्वारा व्यापारिक बैंकों की साप-निर्माण नीति द्वया न्हए-नीति को नियन्त्रित करने का अवसर प्राप्त होता है। (ii) बैंकों के नकद-कोष का अविकल्प उपयोग सम्भव होता है:—बैन्ड्रीय बैंक के पास नकद-कोष का कुछ भाग जमा रखने की प्रणाली का दूसरा लाभ यह है कि इस प्रया में व्यापारिक बैंकों के पास एक बहुत बड़ी मात्रा में धन वथा नहीं पड़ा रहता है वरन् यह एक स्थान पर केन्द्रित हो जाता है जिससे इसके उपभोग के लिये वहाँ का वहू विस्तार हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जबकि बैंक वा कोष एक ऐसी स्थान में एक नित हो जाता है जो राष्ट्रीय आर्थिक हित की उत्तरदायी होती है, तब आर्थिक स्थित या अन्य दिसी मौसमी संकट (Seasonal Crisis) के काल में इस राजि का अवयन्त्र उचित इप में उपभोग हो जाता है तथा (iii) नकद-कोष के उपयोग में बहुत मितव्यविता वा जाती है:—इस प्रया में बैंकों का आपस का सेन-देन बैन्ड्रीय बैंक के द्वारा होने आगता है और यह सेन-देन बहुत कुछ विना द्व्य के प्रयोग करे ही हो जाता है इसकि एक बैंक दूसरे बैंक को भुगतान बैन्ड्रीय बैंक के नाम धंक लिमकर कर देता है। बैन्ड्रीय बैंक बैंक एक ताते में से एक निकाल कर दूसरे ताते में जमा कर देता है जिससे नकद-बौद्ध के वास्तव में हस्तान्तरण वी आवश्यकता नहीं होती है। घट: इस प्रणाली में भुगतान में बहुत मितव्यविता हो जाती है। संशोधने, जब हम बैन्ड्रीय बैंक के नोट नियंत्रण के एकमात्र अधिकार के भाव उत्तरी व्यापारिक चर्चों वा रक्षित-निधि वा निर्धारित रकमे जी बोह देते हैं, तब हम यह अनुभव करते हैं कि बैन्ड्रीय बैंक के पास अपने दायों को मनुष्ठित इप से बचने के लिए पर्याप्त गापन उपलब्ध हो जाते हैं।

(2) बैन्ड्रीय बैंक अनिवार्य अद्दान्ता के इप में बायं बरता है (A Central Bank acts as a Lender of the Last Resort):—बैन्ड्रीय बैंक वो अनिवार्य

इस शाखिका से यह स्पष्ट है कि निकासी-गृह को ( $100 + 160 + 425 =$ )  
१००५ रु. का हिसाब लग करना है। इदि बैंक के और ग्राम्य २० और ७५ रु.  
खंचिक को दे दें, तब तीनों बैंकों का ग्रापस का भुगतान ( $20 + 75 =$ ) १५ रु. की  
रकम लेने-देकर पूरा हो जाता है। इस कार्य को मुविधापूर्वक करने के लिए प्रत्येक बैंक के  
कर्मचारी, उक्त सूची घनाकर, एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, जहाँ वे एक दूसरे पर  
जारी किये गये बैंकों का भुगतान (Off Setting) करके, देव राशि को बैंकीय बैंक के  
नाम चैक जारी बरके अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं।

समाशोधन-गृह के लाभ (Advantages of Clearing Houses) — इन गृहों  
कि कई लाभ हैं—(i) बैंकों का ग्रापस का भुगतान बहुत सरल हो जाता है—एक बैंक का  
दूसरे बैंक से लेने-देने का कार्य व्यक्तिगत के स्थान पर सामूहिक हो जाने से यह भुगतान  
का कार्य बहुत ही सरल एवं सुगम हो जाता है। (ii) भुदा के उपयोग से मितव्यविता  
होती है—समाशोधन गृहों से बैंकों के परस्पर दायित्व का भुगतान किवल आधिकार्य का  
ग्राहान-प्रदान करके ही ही जाता है। यह भुगतान किस प्रकार होता है? यह भुगतान  
बैंकीय बैंक या समाशोधन गृह के नाम बैंक जारी बरके होता है। केन्द्रीय बैंक या  
समाशोधन गृह में बैंकों के साते खुले होते हैं, जिससे निकासी-गृह चैक प्राप्त होने पर  
एक बैंक के साते में से रूपया निकाल बर (Debit) दूसरे बैंक के खाते में रूपया जमा  
(Credit) कर देता है। इस क्रिया में, वास्तव में, न हो बैंकीय बैंक को और न अन्य  
बैंकों को ही रूपया एक स्थान से दूसरे स्थान को मगाना या भेजना पड़ता है। अत  
बैंकों के पारस्परिक दायित्वों का भुगतान बैंकीय बैंक या समाशोधन गृह के द्वारा होने  
से देश में भुदा के उपयोग में मितव्यविता होती है। (iii) बैंक बहुत कम मात्रा में  
नकद क्रेड रखकर साक्ष का काको बड़ी मात्रा में निर्माण कर देते हैं—गृहों के विकास  
से एक बहुत बड़ा लाभ यह भी है कि बैंक अपने पास नकद क्रेड (Cash  
Reserves) बहुत कम मात्रा में साक्ष का निर्माण कर देते हैं में सफल हो जाते हैं जिससे  
देश का ध्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग बहुत उद्यत होता है।

### भारत में समाशोधन गृह

भारत में समाशोधन गृह (Clearing Houses in India)— भारतवर्ष में  
निकासी-गृहों का विकास हाल ही म हुआ है। सन् १९२० में इम्पीरियल बैंक (वर्तमान  
स्टट बैंक) की स्थापना हुई थी और तब ही से देश में बैंकिंग व्यवस्था सुव्यवस्थित तथा  
सुसंगठित हो सकी है। इससे पहले की अर्थात् व्यवस्था ही ऐसी थी कि आधिक ध्यवहारों  
में बैंकों ने प्रयोग बहुत कम होता था जिसके कारण निकासी कोटियों की विदेष  
आवश्यकता प्राप्त नहीं हुई थी। परन्तु सन् १९२० के आस-पास जब देश में एक तरफ  
इम्पीरियल बैंक स्थापित हो गया और दूसरी तरफ बैंकों का प्रयोग बहुत बढ़ गया, तब  
निकासी गृहों ने बहुत प्राप्तनकार्य महसूस हुई। परिणामतः उस समय खलकचा,  
बम्बई, मद्रास आदि स्थानों पर मैं यह स्थापित हुए और इम्पीरियल बैंक ने निश्चिन्त  
में यह गृह स्वतंत्र स्थानों के रूप में कार्य करने लगे। परन्तु जब सन् १९३५ में रिजर्व  
बैंक की स्थापना हो गई, समाशोधन का कार्य व इसकी व्यवस्था रिजर्व बैंक के हाथ में

था गया। चूंकि रिजर्व बैंक एकट के अनुसार अनुसूचीबद्ध-बैंकों (Scheduled Banks) को अपनी मांग-देय (Demand Liabilities) का ५% और काल-देय (Time Liabilities) का २% भाग रिजर्व बैंक में कानून जमा करना पड़ता है, इसलिये ये बैंक आपस के दायित्वों का भुगतान रिजर्व बैंक पर चेक काटकर बहुत शासानी से कर देते हैं। आजकल भारत में कुल २२ समाशोधन-गृह हैं। ऐसे स्थानों पर जहाँ रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित व नियन्त्रित कोठियां नहीं हैं, वहाँ बैंकों के परस्पर भुगतान का कार्य स्थानीय स्टेट बैंक के माध्यम द्वारा किया जाता है। जिन स्थानों पर गृह स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं, उनके नियम भी स्वतन्त्र हैं, यद्यपि इनका नियन्त्रण तथा ध्यवस्था रिजर्व बैंक की स्थानीय शाखा या इसके अभाव में स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा की जाती है। इस प्रकार के स्वतन्त्र गृहों के सदस्य विनियम बैंक, स्टेट बैंक तथा संयुक्त पूँजी बाले तमाम अनुसूचीबद्ध-बैंकों (Scheduled Banks) होते हैं। गृहों की सदस्यता अन्य दूसरे बैंकों के लिए भी खुली हुई होती है, परन्तु अन्य बैंकों गृहों के सदस्य तब ही बन सकते हैं जबकि इन्हें तीन-चौथाई सदस्य बैंकों की अनुमति प्राप्त हो जाती है तथा जब ये पूँजी सम्बन्धी कृद्ध शर्तें भी पूरी करते हैं। समाशोधन-गृह के संचालन के लिये प्रत्येक सदस्य बैंक को निरीक्षक-बैंक (यह रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक होता है) के पास एक निदिवित रकम जमा करनी पड़ती है ताकि इस तरह जारी किये गये चैकों द्वारा एक बैंक दूसरे बैंक का भुगतान कर सके। इन स्वतन्त्र समाशोधन-गृहों का प्रबन्ध ध्यवस्थापक समितियों (Management Committees) द्वारा किया जाता है जिसमें रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक की स्थानीय शाखाओं का भी एक-एक प्रतिनिधि भी होते हैं। इनके अतिरिक्त इन समितियों में अन्य सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि भी होते हैं। अम्बई य कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े ध्यापारिक केन्द्रों में एक से अधिक समाशोधन-गृह पाये जाते हैं जिनमें बैंकों का आपस का भुगतान भी दिन में दो तीन बार होता है। कलकत्ता और अम्बई में समाशोधन-गृह काफी उप्रति कर चुके हैं। कलकत्ता के दो बड़े गृहों के नाम हैं—कलकत्ता किलियरिंग बैंक्स एसोसियेशन (Calcutta Clearing Banks Association) तथा मेट्रोपोलिटन किलियरिंग हाउस (Metropolitan Clearing House)। अतः समाशोधन-गृहों की बनावट व कार्यों से यह स्पष्ट है कि किसी देश में बैंकिंग-ध्यवस्था के विकास के लिये वहाँ पर इन गृहों का विकास अत्यावश्यक है क्योंकि ये ध्यक्तिगत ध्यवहार के स्थान पर सामूहिक ध्यवहार प्रणाली को प्रतिपादित करते हैं।

### [ई] अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के राष्ट्रीय कोष का संरक्षण (Custodian of the Nation's Reserves of International Currencies)

केन्द्रीय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के राष्ट्रीय कोष के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है (A Central Bank acts as a Custodian of the Nation's reserves of International Currencies):— प्रत्येक केन्द्रीय बैंक प्रायः दो प्रकार के कोष रखता है:—आन्तरिक (Internal) और बाह्य (External)। आन्तरिक कोष

देश के आन्तरिक चलन की अभानत के रूप में रखता जाता है और बाह्य कोप विदेशी विनियम दर को स्थिर रखने के लिये प्रयोग में लाया जाता है। आन्तरिक-कोप रखने की रीत का उदय कागजी नोट चलने के कारण हुआ था यद्योंकि इनको, माझे पर, सोने के सिवको मे परिवर्तित करना पड़ता था। सन् १९३१ में स्वर्ण-मान के दूट जाने के पश्चात् आन्तरिक-कोप में स्वर्ण का प्रतिशत बहुत कम हो गया। द्वितीय महायुद्ध मे तो कुछ देशों के स्वर्ण के इस प्रतिशत को और भी कम कर देने के लिये बाध्य कर दिया। यहीं तक कि फिनलैंड (Finland) और बल्गेरिया (Bulgaria) मे तो सोने की जगह विदेशी-विनियम का प्रयोग भारतम बर दिया है। धीरेंधीरे लगभग सब ही देशों मे उनके आन्तरिक-कोप मे स्वर्ण के स्थान पर विदेशी विनियम का भाग बढ़ता जा रहा है। देश का बेन्द्रीय बैंक आन्तरिक-कोप तथा बाह्य-कोप दोनों का ही सरकार होता है। वर्तमान समय मे भान्तराष्ट्रीय मुद्राओं के राष्ट्रीय कोप के उचित नियन्त्रण का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है यद्योंकि कोई भी देश भुगतान के विपरीत सनुलन (Unfavourable Balance of Payment) की दशा मे, इस कोप का प्रयोग नहरके ही देश की मुद्रा के बाह्य-मूल्य में व्यिरता कापम रख सकता है। यह अवश्य है कि केन्द्रीय बैंक चूंकि नोट-प्रकाशन का कायं करता है, इसलिये उसे एक न्यूनतम रिजर्व स्वर्ण तथा विदेशी-विनियम में रखना पड़ता है और वह इस न्यूनतम रिजर्व-वा उपयोग भुगतान के सनुलन को ठीक करने मे नहीं बर सकता है।

[उ] सूचनाओं और आकड़ों को एकनित करना और प्रकाशित करना।

(To collect and publish Statistical and other material)

केन्द्रीय बैंक आधिक सूचनाओं और आौकड़ों को एकनित करता है तथा इन्हे समय-समय पर प्रकाशित करता है (A Central Bank collects and publishes Statistics & other Economic Informations) —सारे शृंगे केन्द्रीय बैंक का यह एक आवश्यक बायं हो यदा है कि वह देश की आधिक सूचनाओं और आौकड़ों को एकनित करे और यदि आवश्यक हो सब इन्हे जन-हित मे प्रकाशित करे। जब केन्द्रीय बैंक देश मे वैज्ञाग, मुद्रा तथा विदेशी विनियम सम्बन्धी आौकड़े प्रकाशित करता है, सब इनसे देश की आधिक प्रगति का बेग बहुत कुछ ठीक ठीक जाना जा सकता है। देश में आधिक नियोजन (Economic Planning) को सफल बनाने के लिये तो उक्त सूचनाये एवं आौकड़े भव्यावश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों की आधिक स्थिति वा तुलनात्मक अध्ययन इन आौकड़ों की सहायता से बहुत आसानी से किया जा सकता है।

[ऊ] साल-मुद्रा का नियन्त्रण (Control of Credit Money)

केन्द्रीय बैंक देश मे साल-मुद्रा एवं साल के ढाँचे का नियमन सम्पूर्ण करता है (A Central Bank Regulates and Controls the Credit-money or Credit-structure of the country) —साल-मुद्रा एवं साल के ढाँचे का उचित नियमन तथा नियन्त्रण केन्द्रीय बैंक का एवं प्रमुख व महत्वपूर्ण कायं माना जाता है। यह कहना बहुत कुछ ठीक ही है कि केन्द्रीय बैंक का यह इतना आधिक महत्वपूर्ण कायं

है कि इसके अन्य कार्यों का सुनपात भी इसी कार्य से होता है क्योंकि इस बैंक के लगभग उमाम कार्यों का अन्तिम उद्देश्य मुद्रा की मात्रा (इसमें साख-मुद्रा भी सम्मिलित है) पर उचित नियन्त्रण रखना होता है। साख-मुद्रा यदि एक समय पर समाज की सेवा करती है तब यही मुद्रा, यदि इस पर उचित नियन्त्रण नहीं रखता गया है, समाज को अत्यधिक हानि में पड़वा सकती है। केन्द्रीय बैंक साख की मात्रा पर उचित नियन्त्रण रखकर देश में सामान्य मूल्य-स्तर में स्थिरता रख सकता है, विनियम भी दर में स्थेयं ला सकता है, उत्पत्ति तथा रीजार में वृद्धि करवा सकता है तथा देश में व्यापार में बहुत प्रसार कियो जा सकता है। यही कारण है कि केन्द्रीय बैंक द्वारा साख-नियन्त्रण की आवश्यकता समस्त संसार में समझी जाती है। केन्द्रीय बैंक देश में साख-मुद्रा के नियमन तथा नियन्त्रण के लिये किन-किन तरीकों को अपनाता है तथा साख-नियन्त्रण के क्या-क्या उद्देश्य होते हैं, इस सम्बन्ध में इसी अध्याय में आगे चलकर विस्तार से लिखा गया है।

निधर्ष-केन्द्रीय बैंक के जिन कार्यों का वर्णन किया गया है वे ऐसे हैं जो ग्राम: प्रत्येक देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा किये जाते हैं। परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि एक केन्द्रीय बैंक के केवल इतने ही कार्य होते हैं क्योंकि इसके कार्यों में निरन्तर विस्तार होता जा रहा है। विभिन्न अर्थसास्थियों तक में इस सम्बन्ध में मतभेद है कि एक केन्द्रीय बैंक के कार्य किस सीमा तक निर्धारित किये जायें। परन्तु व्यवहार में प्रत्येक देश के केन्द्रीय बैंक के कार्यों का बहुत विस्तार हो गया है और होता जा रहा है। संक्षेप में, आजकल किसी केन्द्रीय बैंक के क्या-क्या कार्य हैं, अथवा क्या-क्या कार्य होने चाहिये, यह बैंक भाँक इंगलैंड के एक भूतपूर्व गवर्नर ने भारतीय चलन और वित्त आयोग (Royal Commission on Indian Currency and Finance, 1926) के सामने गवाही देते हुए इन शब्दों में बताया था:—“केन्द्रीय बैंक द्वारा नोट-निर्गम का एकाधिकार होना चाहिये, विधिवाल्मीकी मुद्रा (Legal Tender Currency) का प्रसार (निकासी) करने अपदा इसे चलन से हटाने का एक-मात्र अधिकारी यही होना चाहिये, इसके पास सरकार के तमाम कोष रहने चाहिये, यह देश के तमाम बैंकों और उनकी तमाम खाताओं के-सभी दोष-घन (Balances) का धारक (Holder) होना चाहिये, यह सरकार का एक ऐसा एजेंट (अभिकर्ता) होना चाहिये कि इसके द्वारा ही सरकार की तमाम देशी और विदेशी आपिक क्रियाएं ताप्तन की जा सके, केन्द्रीय बैंक का यह भी कर्तव्य होना चाहिये कि यह देश के चलन के आन्तरिक और बाह्य-मूल्य में स्थिरता को यातान्त्रिक बनाये रखते हुये चलन-प्रणाली में उपयुक्त विस्तार व संकुचन करे, संकट काल में एवं आवश्यकता के समय यही एकमें एक ऐसा लोक होना चाहिये जो सरकारी प्रतिमूलियों (Securities) पा अन्य स्वीकृत (Approved) अल्प-कालीन प्रतिमूलियों के आपार पर शुण प्रदान कर सके या जो अन्य मान्य विपत्रों (Bills) का पुनः बटा (Re-discount) करके अप्रिम (Advances) के दृष्टि में संकट कालीन साख (Emergency Credit) प्रदान कर सके।”<sup>१०</sup> यह एक महत्वपूर्ण कथन (Statement) है

<sup>१०</sup> “It should have the sole right of note-issue, it should be the channel, and the only channel, for the out-put and the in-take of legal tender currency.

विसमें प्रत्येक केन्द्रीय बैंक के समाम वर्तमान कार्यों का समावेश है।

### केन्द्रीय बैंक और मुद्रा-नीति

### (The Central Bank and the Monetary Policy)

मुद्रा नीति का अर्थ (Meaning of Monetary Policy) —कुछ विशेष

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये मुद्रा की मात्रा के विस्तार और सकृचन के प्रबन्ध<sup>1</sup> को ही मुद्रा नीति (Monetary Policy) कहते हैं। वर्तमान आधिक प्रणाली में इस प्रकार की मुद्रा-नीति का सम्बन्ध मुच्चरतया बैंक के साथ के विस्तार व सकृचन से ही है वयोंकि इनके द्वारा ही प्रधानतया आधुनिक द्रव्य का निर्माण होता है। इस तरह बाजार में मुद्रा-नीति का ग्रन्तिप्राप्त बैंकों द्वारा निर्मित साख का नियन्त्रण (Credit Control) ही है। केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली में जाने फाने बहुत विकास हुआ है और सरकारों ने अपनी मुद्रा-नीति को इस बैंक द्वारा ही वार्यान्वित किया है। यही कारण है कि आज साख नियन्त्रण का कार्य केन्द्रीय बैंक का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। केन्द्रीय बैंक के इस कार्य का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि यह आधुनिक बैंकों द्वारा सभी सेवाओं को ही सम्प्रसित नहीं करता बल्कि सारे द्रव्य बाजार का नियन्त्रण तथा स्थिरता भी इसी में सम्मिलित है।

### साख-नियन्त्रण के उद्देश्य

### (Objects of Credit Control)

मुद्रा नीति या साख-नियन्त्रण के उद्देश्य (The Objectives of Monetary Policy or Credit Control) —साख-नियन्त्रण का ग्रन्थ है—साख की पूर्ति का देश की आपारिक आवश्यकताओं के अनुमान सतुरित समायोजन करना वयोंकि यदि व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार साख की पूर्ति नहीं होती है, तब या तो मूल्य-स्तर गिरेगा या ऊँचा हो जायगा; जिससे देश को हानि होती है। आजकल साख नियन्त्रण के नियन्त्रित तीन मुख्य उद्देश्य हैं—(i) आनंदिक मूल्यों में स्थिरता साना (Stabilisation of

it should be the holder of all the Govt balances, the holder of all the reserves of other banks and branches of banks in the country. It should be the agent so to speak through which the financial operations at home and abroad of the Govt would be performed. It would further be the duty of the Central Bank to effect as far as it could suitable contraction and suitable expansion, in addition to aiming generally at Stability, and to maintain that Stability within as well as without. When necessary, it would be the ultimate source from which necessary credit might be obtained in the form of rediscounting of approved bills or advances on approved short securities or Government paper"—Governor, Bank of England

\* साख नियन्त्रण नीति का एक चौथा उद्देश्य स्वर्ण-नियंत्रण द्वारा बचाना (Protection of the Gold Reserves) भी होता है। स्वर्ण मान के टूट जाने पर इस उद्देश्य का महत्व बहुत कम हो गया है वयोंकि अब मुग्रतान वे ग्रान्तित देशों ने स्वर्ण मान अपना रखना था, उस समय के बैंकों द्वारा साख नीति का यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि देश की स्वर्ण नियंत्रण देश से बाहर नहीं जाने लाये (वयोंकि स्वर्ण-मान में स्वर्ण की आपारिक नियंत्रित पर कोई कानूनी प्रतिवध नहीं होता)

\* \* \* \* \*

### साल नियन्त्रण के मुख्य उद्देश्य है :—

१. आन्तरिक मूल्यों में स्थिरता लाना ।
  २. विदेशी विनिमय दर में स्थायित्व लाना ।
  ३. देश के उत्पादन तथा रोजगार में स्थायित्व लाना ।
- \* \* \* \* \*

**Internal Prices):**—स्वर्ण-मान के हूट जाने के पश्चात् तभान संसार में मूल्य-स्तर को स्थिर रखने के हेतु साल-नियन्त्रण के प्रश्न को बहुत प्रधानता दी गई है। यदि किसी देश में साल की पूर्ति वहाँ की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, तब यह स्थिति देश-हित में नहीं होगी व्योकि साल की पूर्ति आवश्यकता से कम होने पर मूल्य-स्तर घिरने और साल की पूर्ति आवश्यकता से अधिक होने पर मूल्य-स्तर बढ़ेगे। किसी देश के मूल्य-स्तर में सदैव घटना का वहाँ के उत्पाति-कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा करता है। इसीलिये केन्द्रीय बैंक साल-व्यवस्था को नियन्त्रित य सुनिश्चित करके आन्तरिक मूल्यों में स्थिरता लाने का प्रयत्न किया जाता है। अतः साल-नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है मूल्यों में स्थायित्व लाना। (ii) विदेशी विनिमय दर में स्थायित्व लाना (Stability in Foreign Rate of Exchange):—साल-नियन्त्रण नीति का उद्देश्य विदेशी विनिमय की दर में स्थायित्व लाना भी हो सकता है क्योंकि विनिमय-दर को स्थिरता से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज भी यह एक विदाइप्रस्त प्रश्न है कि क्या केन्द्रीय बैंक की विदेशी विनिमय की दर की स्थिरता की अनेकांश देश के आन्तरिक मूल्य-स्तर की स्थिरता पर अधिक ध्यान देना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। बहुत बड़े पंभाने पर विदेशी व्यापार करने वाला देश स्वभावतः ही विनिमय-दर की स्थिरता पर अधिक ध्यान देगा। एक ऐसा देश जिसका विदेशी व्यापार बहुत कम होता है वह देश के आन्तरिक मूल्य-स्तर की स्थिरता पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देगा। परन्तु आजकल लगभग प्रत्येक केन्द्रीय बैंक देश के आन्तरिक मूल्य-स्तर की स्थिरता पर अधिक ध्यान देता है और विनिमय-दर को अपने आप परिस्थितियों के अनुसार हो जाने के लिये धोड़ देता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह विनिमय-दर की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है। अतः केन्द्रीय बैंक की साल-नियन्त्रण की नीति का उद्देश्य देश के आन्तरिक मूल्य-स्तर तथा विनिमय की दर में स्थायित्व बनाए रखकर देश का समुचित आर्थिक-विकास करना होता है। (iii) देश के उत्पादन तथा रोजगार में स्थायित्व रखना (Stability in Production and Employment).—केन्द्रीय बैंक को साल-नियन्त्रण की नीति का उद्देश्य व्यापारिक कार्यों (Business Activity) में स्थायित्व स्थापित करना भी होता है। इसका अभिप्राय यह है कि देश में एक ऐसी साल-नियन्त्रण एवं मुद्रा-नीति अपनाई जाती है कि इससे राष्ट्र के समस्त भीतक व मानसिक साधनों का पूर्ण उपयोग हो जाय, व्यापार व उद्योग में निरन्तर विस्तार होता रहे, अर्थात् मंदी या अर्थात् तेजी का काल नहीं आये, है। अतः स्वर्ण-मान में केन्द्रीय बैंक की साल-नियन्त्रण-नीति का उद्देश्य देश की स्वर्ण-नियंत्रिति की रक्षा करना भी होता है।

अति उत्पादन या न्यूनतम उपभोग की अवस्था उत्पन्न नहीं होने पाये, आदि। अत साख-नियन्त्रण की नीति का उद्देश उत्पादन और रोजगार में उच्चावचन (Fluctuation) को दूर करके इनमें स्थिरता लाना हमें करता है।

### साख-नियन्त्रण की विधियाँ (Methods of Credit Control)

प्राक्तिक्यन —केन्द्रीय बैंक ने सरकार की मुद्रा-नीति को सफल बनाने घटवा देश में साख का नियन्त्रण (Regulation) व नियन्त्रण करने के हेतु समय-समय पर अनेक रीतियाँ प्रयत्नाई हैं। इनमें से दो मुख्य हैं—प्रथम, बैंक दर नीति तथा द्वितीय छुले बाजार की क्रियाएँ। इन दो रीतियों के अतिरिक्त और भी कई ऐसी रीतियाँ हैं जिन्हे अपनाकर के केन्द्रीय बैंक ने देश में साख नियन्त्रण की नीति को कार्यान्वित किया है। यह स्परण रहे कि आवश्यकता पड़ने पर बैंद्रीय बैंक ने न केवल किसी एक ही रीति को अपनाया है बल्कि कभी-कभी उसने एक ही समय पर दो या अधिक रीतियों को भी अपनाया है। केन्द्रीय बैंक ने जिन साख नियन्त्रण की रीतियों को समय-समय पर अपनाया है, वे इस प्रकार हैं—(अ) बैंक दर की नीति, (आ) छुले बाजार की क्रियाएँ तथा (इ) अन्य रीतियाँ।

#### (अ) बैंक दर की नीति (Bank Rate Policy)

बैंक दर की नीति का अर्थ और इसके प्रभाव (Meaning and effects of the Bank Rate Policy):—“बैंक दर द्याज पर यह न्यूनतम दर है जिस पर देश का केन्द्रीय बैंक आपारिक बैंकों को प्रथम थेगी के बिलों को पुन भुनाने या स्वीकृत प्रतिभूतियों (Securities) पर क्रहन या अग्रिम (Advance) देने की सुविधा देता है।” कुछ देशों में बैंक दर (Bank Rate) को केन्द्रीय बैंक की बटोती की दर (Discount Rate) कहते हैं। यहाँ पर बैंक दर’ तथा ‘बाजार-दर’ (Market Rate) में भेद समझलेना चाहिये।\* “बाजार दर द्याज की उस दर को कहते हैं जिस पर आपारिक बैंक, डिस्काउंट-गृह (Discount Houses) तथा अन्य क्रहनदाता सम्पाद सुद्धा बाजार में हृदियों या अन्य स्वीकृत बिलों को भुनाती हैं। पा जिस पर पै सम्पाद प्रथम थेगी की प्रतिभूतियों (Securities) के बाजार पर क्रहन या अग्रिम (Advance) देती है।” इस तरह बैंक दर और बाजार दर इन दोनों की परिभाषाएँ से यह स्पष्ट है कि बैंक दर तो केन्द्रीय बैंक को पुन बढ़ा (Re-discount) दर होती है, परन्तु बाजार दर मुद्रा बाजार की अन्य क्रहनदाता सम्पादों वा बढ़ा (Discount) करने की दर होती है। परन्तु बैंक-दर और बाजार दर का आपस का बाया सम्बन्ध होता है।<sup>2</sup> इन दोनों दरों का आपस में संनिधि

\*The students should clearly understand the distinction between the Bank Rate, Market Rate, Rate of Interest, Deposit Rate and the Call Rate. Bank Rate (Discount Rate) is the rate at which the Central Bank discounts the First Class Bills of the Lending Institutions of the Money Market. Market Rate is the rate at which the other Lending Institutions discount the Bills or Bonds of the customers or grant loans to Debtors. Rate of Interest is the rate of yield of the Long Term Investment Deposit Rate is the rate which is paid by the Commercial and other Banks on the deposits of the Depositors. Call Rate is the rate at which the money is advanced to Broker's Houses etc., for very short periods and on the condition that the money would be returned either on Demand or within the stipulated period.

तंत्रमें होता है, जब बैंक दर बढ़ा दी जाती है तब बाजार दर भी बढ़ जाती है और जब बैंक दर कम कर दी जाती है तब बाजार दर में भी कमी हो जाती है। यह स्मरण रहे कि बैंक दर साधारणतया बाजार दर से अधिक होती है; इसका कारण स्पष्ट है। केन्द्रीय बैंक मुद्रा-बाजार की अन्य ग्रहणदाता संस्थाओं के लिये केवल एक अन्तिम ग्रहणदाता (Lender of the Last Resort) के रूप में हो कायं करता है अर्थात् जब इन संस्थाओं को ग्रहण अन्य किसी दूसरे द्वाते से नहीं मिल पाता है, तब ही वे केन्द्रीय बैंक के पास अपनी आधिक कठिनाई में दस से राहायता लेने के लिये आती हैं। ऐसी दशा में केन्द्रीय बैंक द्वारा बैंक दर एक दण्ड के रूप में व्यूल किया जाता है। परन्तु इसका परिणाम यह होता है कि जब मुद्रा बाजार की अन्य ग्रहणदाता संस्थाओं को केन्द्रीय बैंक से एक ऊंचे व्याज की दर पर लगा उधार मिलता है, तब वे स्वयं भी अपने ग्राहकों से बाजार दर (Market Rate) पहले से ऊंची मांगने लगते हैं। परिणामतः अन्ततः बाजार दर भी शान्तः शान्तः बढ़कर बैंक दर के बराबर हो जाती है। इस दशा में यह स्वभाविक ही है कि साख का प्रसार और अधिक नहीं होने पाता है। इसी बात को हम यू भी कह सकते हैं कि बाजार दर सामान्यतया बैंक दर से कम ही होती है, परन्तु इसमें बैंक दर के बराबर हो जाने की प्रवृत्ति रहती है और वास्तव में कभी-कभी ये दोनों दरों बराबर हो जाती है।

बैंक दर में परिवर्तन द्वारा समाज पर जो प्रभाव पड़ते हैं, वे इस तथ्य पर आधारित हैं कि केन्द्रीय बैंक के बैंक दर के परिवर्तन से मुद्रा-बाजार की अन्य तमाम व्यवहारों में भी परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम बैंक दर की नीति का तिदान्त (Theory of the Bank Rate Policy) कहते हैं। यदि बैंक दर बढ़ा दी जाती है, तब समाज में सभी प्रकार की व्याज की दरें ऊंची हो जाती हैं, ग्रहणों का लेना महंगा तथा कम लाभदायक हो जाता है, जिससे साख-संकुचन हो जाता है। इसके विपरीत जब बैंक दर घट जाती है, तब समाज में अन्य व्याज की दरों में कमी हो जाने के कारण ग्रहणों का लेना साभदायक होता है जिससे साख का प्रसार हो जाता है। परन्तु बैंक दर का परिवर्तन का अन्य द्रव्य दरों पर प्रभाव तब ही पड़ता है जबकि देश का द्रव्य-बाजार विकसित एवं सुसंगठित होता है। एक सुसंगठित व्यूण विलेखित मुद्रा बाजार में बैंक-दर में जिस और परिवर्तन होता है व्याज की अन्य दरों में भी परिवर्तन उसी ओर होता है अर्थात् बैंक दर में वृद्धि हो जाने पर बाजार-दर (Market Rate) या ग्रहण देने की अन्य दरें भी बढ़ जाती हैं और बैंक-दर के कम हो जाने पर ये दरें भी कम हो जाती हैं। अतः बैंक-दर और बाजार में व्याज की अन्य दरों में बहुत परिवर्तन गम्भीर होता है।

#### बैंक-दर में परिवर्तन के प्रभाव (Effects of a Change in the Bank Rate):-

बैंक-दर में परिवर्तन के पुरुष प्रभाव इस प्रकार पड़ते हैं:—(i) साख का संकुचन और प्रसार:—बैंक-दर में परिवर्तन का मुद्रा की मांग पर प्रभाव पड़ा करता है। जब देश में बैंक दर बढ़ा दी जाती है, तब मुद्रा की मांग कम हो जाती है और जब बैंक-दर घटा दी जाती है तब मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। इसका कारण स्पष्ट है। बैंक दर के बढ़ जाने से व्याज की अन्य दरें बढ़ जाती हैं जिससे व्यापारियों को ग्रहण लेना सामरप्रद नहीं

बैंक-दर में परिवर्तन के मुख्य प्रभाव हैं—

१. साल का सकुचन या साल का प्रसार होता है।
२. आन्तरिक मूल्य-स्तर तथा मजदूरी में कमी या वृद्धि होती है।
३. विनियोग के लिये पूँजी या तो विदेशों से आने लगती है या वह विदेशों की जाने लगती है।
४. विनियम की दर या तो देश के अनुकूल हो जाती है या यह देश के प्रतिकूल हो जाती है।

रहता है और वे इच्छा लेना कम कर देते हैं। इसी तरह बैंक दर के कम हो जाने पर व्याज की अन्य दरें कम हो जाती हैं जिससे व्यापारियों को इच्छा लेना लाभप्रद हो जाता है और वह पहले से अधिक इच्छा लेने लगते हैं बत बैंक दर के बढ़ने पर साल सकुचन (Credit Contraction) और बैंक दर के कम हो जाने पर साल का प्रसार (Credit Expansion) हो जाता है। (ii) आन्तरिक मूल्य-स्तर तथा मजदूरी पर प्रभाव—बैंक दर में वृद्धि हो जाने पर साल सकुचन हो जाता है, उत्पादक उत्पत्तिकार्यों में रपवा इच्छा लेकर लगाना बन्द या कम कर देते हैं, उत्पत्ति कार्य होतोत्पादित होते हैं तथा व्यापारिक और औद्योगिक कार्यों में विधिलता आ जाती है। परिणामत आन्तरिक मूल्य-स्तर और मजदूरी कम होने लगती है। इसके विपरीत बैंक-दर में कमी हो जाने पर साल का प्रसार हो जाता है तथा औद्योगिक व व्यापारिक कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है, यहाँ तक कि सट्टे-व्यवहारों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है। परिणामत आन्तरिक मूल्य स्तर और मजदूरी जाने शने बढ़ने लगती है। (iii) विनियोग के लिये पूँजी के प्रवाह पर प्रभाव—बैंक-दर में परिवर्तन का विनियोग (Investment) के लिये पूँजी के प्रवाह (Flow of Capital) पर भी प्रभाव पड़ा बरता है। बैंक-दर के बढ़ जाने पर बाजार में व्याज की अन्य दरें बढ़ जाती हैं जिससे देश में अल्पकालीन विनियोग के लिये विदेशों से पूँजी आने लगती है। इसके विपरीत जब बैंक-दर कम हो जाती है, तब व्याज की अन्य दरों के भी कम हो जाने के कारण इस देश से विनियोग के लिये पूँजी का प्रवाह (Flow of Capital)<sup>14</sup> विदेशों की ओर हो जाता है। (iv) विनियम की दर पर प्रभाव (Effects on the Foreign Rate of Exchange)—बैंक दर के परिवर्तन का विनियम की दर पर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा करता है। यद्यपि बैंक दर बढ़ जाती है, तब व्याज की दरों के बढ़ जाने से विदेशों से पूँजी का प्रवाह इस देश की ओर हो जाता है, जिससे इस देश का अनुकूल भुगतान का सत्तुलन (Favourable Balance of Payment) हो जाता है और विनियम की दर भी इस देश के अनुकूल (Favourable Rate of Exchange) हो जाती है। इसके विपरीत यद्यपि बैंक दर कम हो जाती है, व्याज की अन्य दरें कम हो जाती हैं, पूँजी का विदेशों को ओर प्रवाह हो जाता है, भुगतान का सत्तुलन इस देश के प्रतिकूल हो जाता है और तब इस देश की विनियम की दर भी प्रतिकूल हो जाती है। इस स्वस्था में यदि यह देश स्वयं मान यह है, तब स्वयं देश से बाहर जाने लगेगा।

मतः यह स्पष्ट है कि बैंक-दर के घट-बढ़ का दैश की साल-स्थिरता व साल-मात्रा, व्यापारिक व ओडोगिक कार्य, डोजार, व्यायात-निर्यात, आन्तरिक मूल्य-स्तर व मजदूरी, विनियोग के लिये पूँजी का प्रवाह, विदेशी विनियमय की दर व भुगतान के सन्तुलन आदि पर प्रभाव पड़ा करता है।

### बैंक दर में बढ़िया कमी के कारण

#### (Causes of the Increase or Decrease in the Bank Rate)

बैंक दर में बढ़िया कब की जाती है ? (When is the Bank Rate Increased ?)—किसी देश में बढ़िया के चार मुख्य कारण हृषा करते हैं— (i) अन्य देशों में बैंक दर में बढ़िया—जबकि अन्य देशों में बैंक दर में बढ़िया होने लगती है, तब देश की विनियमय पूँजी का एवं अन्य पूँजी का विदेशी को निर्यात होने लगता है। अतः बैंक-दर में बढ़िया इस पूँजी के निर्यात को रोकने के लिये की जाती है ताकि विनियोग-पूँजी का प्रवाह (Flow of Capital for Investment) विदेशी की ओर होने से एक जाये और इस पूँजी का विनियोग देश में ही बना रहे। (ii) विनियमय-दर में गुधार—जब विदेशी विनियमय दर देश के विपक्ष में होती है, तब इसे ठीक करने ग्रथवा इसे देश के पदा में करने के लिये बैंक दर में बढ़िया की जाती है। (iii) स्वर्ण-निधि की मुरादा—जिस समय स्वर्ण आन्तरिक या बाह्य कारणों से निधि से बाहर (Drain on Reserve) जाने लगता है, तब बैंक-दर में बढ़िया करके स्वर्ण के निर्यात पर रोक लगाई जाती है। (iv) सट्टे व्यवहारों पर रोक—जिस समय देश में सट्टे व्यवहारों का अत्यधिक जोर हो जाता है, तब इनसे देश को एक बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक हानि का भय उत्पन्न हो जाता है। सटोरिये अपने व्यापार के लिये बैंकों द्वारा लेते हैं और ये बैंक उल्टे केन्द्रीय बैंक, से छह लेते हैं। ऐसी घब्बता में केन्द्रीय बैंक, बैंक-दर में बढ़िया कर देते हैं ताकि सटोरियों को सट्टे व्यवहारों के लिये कम व्याज की दर पर स्वयं उधार नहीं मिल सके।

### बैंक दर में बढ़िया कब की जाती है—

१. अन्य देशों में बैंक-दर में बढ़िया हो जाने पर।
२. विनियमय-दर में गुधार की आवश्यकता होने पर।
३. स्वर्ण निधि की मुरादा के लिये।
४. सट्टे व्यवहारों पर रोक लगाने के लिये।

बैंक दर में कमी कब की जाती है ? (When is the Bank Rate Decreased ?)—किसी देश में बैंक दर में कमी के तीन मुख्य कारण हृषा करते हैं— (i) मुद्रा-वाजार में दरये की कमी—यदि मुद्रा-वाजार में छह पर दी जाने वाली मात्रा में कमी है, परन्तु केन्द्रीय बैंक के पास इस कार्य के लिये राशि पड़ी है, तब वह बैंक दर में कमी करके मुद्रा वाजार में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देता है जिससे देश में साल बा प्रसार हो जाता है और व्यापारियों को उत्पत्ति-कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में धन मिल जाता है। (ii) मुद्रा-वाजार में मुद्रा की मात्रा का निर्माण करना—यदि देश में केन्द्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक संघ अन्य शहरों के पास एक बहुत बड़ी

**बैंक दर में कमी करने के कारण तीन हैं—**

१. मुद्रा-बाजार में रपये की कमी को दूर करने के लिये।
२. मुद्रा-बाजार में मुद्रा की मांग का निर्माण करने के लिये।
३. विदेशी पूँजी की आयात को इतोसाहित करने के लिये।

भारत में इसलिये रथा एकत्रित हो गया है क्योंकि मुद्रा बाजार में रपये की- मांग बहुत कम है, तब केन्द्रीय बैंक व्यापारियों तथा उत्पादकों की रपये की मांग का निर्माण करने के लिये बैंक दर में इमोर्स कर देता है ताकि वैकों द्वारा भव्य अणदाता सत्याओं के पास पढ़ी फालतू पूँजी का उचित विनियोग (Investment) हो जाय। (iii) विदेशी पूँजी की आयात—जब विदेशी पूँजी का आयात वापी भारत में हो रहा हो तो और पूँजी की यह आयात देश-हित में नहीं हो या जब इस आयात-पूँजी का देश में समुचित उपयोग नहीं हो सकता हो, तब केन्द्रीय बैंक, बैंक दर को कम करके देश को इस अवाक्षीय पूँजी की आयात के कुप्रभाव से बचा लिया करता है और तब देश पर विदेशी-पूँजी के छरण द्वारा भारत नहीं पड़ने पाता है।

**बैंक-दर नीति की सीमाएँ**

**(Limitations of the Bank Rate Policy)**

**बैंक दर नीति की सफलता की शर्तें** (Conditions for the Success of the Bank Rate Policy)—बैंक दर की सफलता की दो मुख्य शर्तें हैं—(i) बैंक दर में परिवर्तन के अनुसार अन्य व्याज की दरों में परिवर्तन—बैंक दर नीति साथ नियन्त्रण की अनेक रीतियों में से एक महत्वपूर्ण रीत है। इस नीति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि बैंक दर में परिवर्तन के साथ-साथ बाजार की व्याज की अन्य दरों में भी परिवर्तन उसी ओर होना चाहिए जिस ओर बैंक दर में परिवर्तन हुआ है। यदि बैंक दर में बढ़दि होनी है तब अन्य दरों में भी बढ़दि और यदि बैंक दर में इमोर्स होती है तब अन्य दरों में भी इमोर्स होनी चाहिये। ऐसा इस दशा में ही बैंक दर अपनी साथ-साक्षरता अपना साथ-प्रसार की नीति में सफल हो सकती है। परन्तु यह शर्त भी उभी पूरी हो सकती है जब कि देश का मुद्रा-बाजार (Money Market) पूर्ण रूप से विवित एवं सुसंगठित होता है। यदि कोई देश ऐसा है, जैसे—भारत जहाँ पर मुद्रा-बाजार पूर्णतया विकसित एवं सुसंगठित नहीं है तब बैंक दर का परिवर्तन अन्य व्याज की दरों में आवश्यक परिवर्तन करने में असफल रहेगा। (ii) देश की अर्थ व्यवस्था में स्थिर—बैंक दर की नीति की सफलता के लिये दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि देश की प्रथं-व्यवस्था पूर्णतया लोचदार (Elastic) होनी चाहिये। एक लोचदार प्रथं-व्यवस्था में बैंक-दर में परिवर्तन का प्रभाव मूल्यों पर, मजदूरी पर, मुद्रा आप पर, उत्पादन पर, व्यापार पर, स्वर्ण की आयात-निर्धारित पर, व्याज की दरों पर तथा अन्य आर्थिक घटनाओं पर पड़ा करता है। यदि देश की अर्थ-व्यवस्था स्थिर नहीं है, तब बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव उक्त पर नहीं पड़ेगा और तब बैंक दर की नीति कार्यान्वित नहीं हो सकेगी। अर्थात् यह नीति अपने साथ-नियन्त्रण के उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेगी।

बैंक-दर नीति के महत्व में कमी हो जाने के कारण (Causes for the declining Importance of the Bank Rate Policy)—लगभग प्रत्येक देश में बैंक दर की नीति द्वारा साख-नियन्त्रण करने का महत्व पहले से बहुत कम हो गया है एवं यह नीति प्रभावशाली (Effective) नहीं रही है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं—  
 (i) अर्थ-व्यवस्था में 'लोच' का अभाव—बैंक दर की नीति की सकात्ता की एक महत्व-पूर्ण शर्त है कि देश की अर्थ-व्यवस्था में लोच होना चाहिये। यदि लोच नहीं है, तब बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव मजदूरी, मूल्य, उत्पादन-कार्य आदि पर नहीं पड़ेगा और साथ-संकुचन अवधारा साख-प्रसार का इन सबसे समायोजन (Adjustment) नहीं हो सकेगा अर्थात् बैंक दर का परिवर्तन देश की सारी अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्था में लोच शर्नः शर्नः बहुत कम हो गया है जिसके कारण धीरे-धीरे बैंक दर नीति भी अप्रभावी (Ineffective) हो गई है। (iii) साख नियन्त्रण की अन्य सप्रभाविक विधियाँ—केन्द्रीय बैंकों ने साख-नियन्त्रण की अन्य विधियों विशेषतः खुले बाजार की क्रियाओं को अधिक प्रभावी अनुभव किया है। परिणामतः वे बैंक दर नीति का अपेक्षाकृत कम उपयोग करने लगे हैं जिससे इस नीति का पहले से कम महत्व हो गया है\*। (iii) आदेयों की तरलता (Liquidity of Assets):—पिछले १५-२० वर्षों से व्यापारिक बैंक अपनी सम्पत्ति (Assets) को अत्यधिक तरल (Liquid) रूप में रखने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि ये अपने ग्राहकों की द्रव्य की मांग की पूर्ति प्राप्त: स्वयं अपने साधनों से पूरी करने लगे हैं और इहें केन्द्रीय बैंक से ऋण लेने की भावशयक्ता नहीं होती है। यही कारण है कि ये केन्द्रीय बैंक की बैंक-दर से प्रभावित नहीं होते हैं। अतः केन्द्रीय बैंक की बैंक दर नीति का महत्व कम हो गया है। (iv) व्याज की दर में बृद्धि—बैंक दर में बृद्धि के प्रभाव को कभी-कभी व्यापारिक बैंक अपने जमाकर्ताओं (De-

} बैंक दर नीति के महत्व में  
कमी के कारण हैं—

१. वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में लोच का अभाव है।
२. साख-नियन्त्रण की अन्य सप्रभाविक विधियों का उपयोग होता है।
३. वैरों के प्रादेयों की तरलता।
४. वैस द्वारा अपनी जमाओं पर व्याज की दर में बृद्धि।
५. बैंक-दर में परिवर्तन का प्रभाव तत्कालीन नहीं होता है।
६. राष्ट्रीय की मुत्तम मुद्रा नीति।
७. ऋणशाता सहायों की केन्द्रीय बैंक पर निर्भरता में वमो।

\* इस बात को हम एक छोटे से चाहाहरण से समझा सकते हैं। भुगतान वा मंत्रुलन (Balance of Payment) स्थापित करने के लिये बैंक-दर नीति एक अच्छी नीति मानी जाती थी, परन्तु इस कार्य के लिए व्याज यह एक अच्छी नीति नहीं मानी जाती है। इसका कारण स्पष्ट है। विनियन्त्रन में स्थिरता बैंक दर में परिवर्तन द्वारा स्थापित की जा सकती है, परन्तु इस प्रकार के परिवर्तन से समाज में बेरोजगारी या

positors) को उनकी जमा (Deposits) पर अधिक व्याज देकर भी दूर कर देते हैं। जब बैंक अपने जमाकर्ताओं को उनकी जमा पर दी जाने वाली व्याज की दर में वृद्धि कर देते हैं, तब इन्हें पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में राशि प्राप्त हो जाती है जिससे ये पहले की अपेक्षा और भी अधिक मात्रा में साख का निमंग करने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि यथापि केन्द्रीय बैंक, बैंक दर में वृद्धि करके साथ-साथ उन करना चाहता था, परन्तु वास्तव में बैंक दर की वृद्धि से साख का प्रसार हो जाता है। अत बैंक व्याज की दर में वृद्धि करके बैंक दर की वृद्धि को अप्रभाविक कर देते हैं। इसीलिये बैंक दर की नीति का महत्व कम हो जाता है। (v) बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव तत्काल नहीं होता — बैंक दर का महत्व इस कारण भी कम है क्योंकि इसके परिवर्तन का प्रभाव तुरन्त नहीं होता है। चूंकि इस प्रकार की नीति को प्रभावित होने में कुछ समय लगता है, इसलिये यह सम्भव है इस बीच में साख नियन्त्रण की अमुक नीति की आवश्यकता ही नहीं रहे। मोद्रिक द्वारा वही नीति प्रभाविक व सामाजिक हो सकती है जिसका प्रभाव धीमा ही तथा अल्पकाल में पड़ता है। चूंकि बैंक दर में इस प्रकार की तुरन्त प्रभाविकता का ग्राहक है, इसलिये बैंक दर की नीति का महत्व शनैं शनैं पहले से बहुत कम हो गया है। (vi) सुलभ मुद्रा नीति — ससार के लगभग सब ही देशों ने सस्ती व सुलभ मुद्रानीति (Cheap Money Policy) अपना ली है। परिणामत इस नीति को सफल बनाने के लिये बैंक दर की नीति रखा ही रखा जाता है और यह ही आजकल प्रत्येक देश की आर्थिक नीति का आधार है। इस प्रवार की नीति अपना लेने से बैंक दर में परिवर्तन का अब कुछ भी महत्व नहीं रह गया है। परिणामत बैंक दर की नीति का महत्व भी बहुत कम हो गया है। (vii) ऋणदाता सस्यार्थों की केन्द्रीय बैंक पर निर्भरता — बैंक दर नीति तब ही सफल हो सकती है जबकि देश के बैंकस एवं ब्य अरणदाता सस्यार्थों आवश्यकता वे समय अरणों के लिये केन्द्रीय बैंक पर निर्भर रहती हैं। परन्तु व्यवहार में प्रथम थण्डी के बैंकस (First Rate Banks) आवश्यकता के समय अरण अर्थवा अग्रिम केन्द्रीय बैंक से नहीं लेते, जिससे बैंक-दर का परिवर्तन उनकी कार्य-प्रणाली में बायक नहीं होता है। इसीलिये उक्त परिस्थिति में बैंक-दर प्रभावी नहीं रहती है और यह उसके महत्व को कम कर देती है।

बैंक दर नीति का सक्षिप्त इतिहास (Brief History of the Bank Rate Policy) — सन् १९१४ से पूर्व स्वर्ण-मान के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक की बैंक दर नीति अन्य मानव कप्ट का भय रहता है जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है। परन्तु वर्तमान सरकारें भुगतान में स तुलन के उद्देश छी प्राप्ति के लिए बैंक दर में परिवर्तन के स्थान पर विनियम नियन्त्रण (Exchange Control) की नीति वो अधिक उपयुक्त समझती हैं ज्योकि इससे देश छी आतंरिक ब्य-व्यवस्था अस्त-व्यस्त नहीं होती है और इस नीति में सफलता भी अधिक मिलती है। अब कभी कभी बैंक दर की नीति के स्थान पर साख नियन्त्रण की अन्य नीतिया अधिक प्रभावी सिद्ध होती है जिससे बैंक दर नीति का प्रभाव कम हो जाता है।

साख-नियन्त्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन था। यही कारण है कि इंग्लैंड में विदेशी विभिन्न देशों के बीच व्यापार के अधिक सफलता से प्रयोग हुआ था। परन्तु इस नीति को संसार के अन्य देशों में इतनी अधिक सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि उन देशों की न तो आर्थिक स्थिति ही लचकीली थी और न मुद्रा बाजार ही सुरांगठित और पूर्ण रूप से विकसित था। यद्यपि आज भी इस नीति का उपयोग प्रत्येक देश में होता है, परन्तु कशी-कमी ऐसी परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें बैंक दर नीति अप्रभावी हो जाती है। यही कारण है कि स्वर्ण-मान के सन् १९३१ में टूट जाने के बाद से साख-नियन्त्रण की अन्य रीतियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यह स्मरण रहे कि विभिन्न समर्थों पर जिन अन्य प्रणालियों का उपयोग हुआ है, वे या तो बैंक-दर से सम्बन्धित होती थीं या इनके सहायक शस्त्र के रूप में उपयोग में लाई जाती थीं। यद्यपि द्वितीय महायुद्ध काल से पहले बैंक दर नीति का महत्व अपेक्षाकृत बहुत कम हो गया था, परन्तु युद्ध के बाद इसका केन्द्रीय बैंक की साख-नियन्त्रण नीति में महत्व फिर से बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। सन् १९५० से संसार के बहुत से देशों में मुद्रा-प्रसार विरोधी नीति के रूप में केन्द्रीय बैंक की बैंक-दर नीति का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। ऐसीलिये संसार के अनेक राष्ट्रों ने समय-समय पर देश में प्रचलित बैंक-दर में बुद्धि की है।

### (२) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)

खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ और इसके प्रभाव (Meaning and Effects of Open Market Operations) :— प्रथम महायुद्ध से पहले लगभग सब ही देशों में (जमनी के अतिरिक्त) यह विवास था कि देश की चलन व साख-प्रणाली को ठीक करने का बैंक दर ही एक उपाय है। परन्तु जमनी ने तो प्रथम महायुद्ध से पहले-भी खुले बाजार की रीति (Open Market Operations) को प्रयोग में लाना आरम्भ किया था। वास्तव में इस रीति का एक वैज्ञानिक रूप में प्रयोग प्रथम महायुद्ध के बाद से ही हुआ है। खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ क्या है? 'विस्तृत अर्थ में खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ है केन्द्रीय बैंक या सरकार द्वारा मुद्रा बाजार में किसी भी प्रकार के विस्तृत या प्रतिभूतियों का खरीदना व बेचना, परन्तु संकुचित अर्थ में इसका अर्थ है केन्द्रीय बैंक या सरकार द्वारा मुद्रा-बाजार में केवल सरकारी प्रतिभूतियों (Govt. Securities) का खरीदना व बेचना।' गत ३०-३५ वर्षों से साख-नियन्त्रण की इस रीति का महत्व बहुत बढ़ गया है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि बैंक-दर की रीति अब बहुत कम प्रभावी हो गई है।

व्यवहार में खुले बाजार की क्रियाओं से एक केन्द्रीय बैंक साख व चलन प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करता है? यह क्रिया इस प्रकार कार्यशील होती है :— जिस समय मुद्रा बाजार में द्रव्य की बाहुतता होती है और केन्द्रीय बैंक इस द्रव्य की मात्रा को कम करना चाहता है, तब वह मुद्रा-बाजार (अर्थात् खुले बाजार में) में उच्चवृद्धिरीज व अन्य शृणु-पर्यों को बेचना आरम्भ कर देता है। केन्द्रीय बैंक की इस क्रिया को तुले

बाजार की क्रियाएँ कहते हैं। चूंकि जनता का केन्द्रीय बैंक में अन्य सभी वैंकों की अपेक्षा अधिक विद्यास होता है इसलिए मनुष्य बचत परवे या वैंकों से रूपया निकाल-कर या इन वैंकों के नाम चंद जारी करवे या अपने दिये हुए छलों को वापिस लेकर, केन्द्रीय बैंक द्वारा येची जाने वाली प्रतिभूतियों (Securities) को खरीदते हैं। परिणाम यह होता है कि प्रचलित मुद्रा की मात्रा घट जाती है साथा व्यापारिक वैंकों के नकद-कोप (Cash Reserves) वर्म हो जाते हैं जिससे वैंकों वे पास छहण पर दी जाने वाली राशि कम हो जाती है और वैंकस पहले को अपेक्षा बहुत वर्म मात्रा में ही छहण देने पाते हैं। इस दशा में वैंकस तथा अन्य अनुदाता संस्थाओं को साझ-मुद्रा के संकुचन की नीति को अपनाने के लिये वाध्य होना पड़ता है और ये संस्थाएँ अपने अद्यतियों (Debtors) से छहण का मुगतान मांगने लगती हैं या छहण मागने वालों को छहण कम मात्रा में देने लगती हैं। मुद्रा की मात्रा में कमी के कारण उत्पादक कम मात्रा में कम्ही सामग्री खरीदने पाते हैं तथा उत्पत्ति के साधनों की ज्यव-जक्ति भी वर्म हो जाती है। इसके प्रतिरक्त वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाने की प्रवृत्ति स्थापित हो जाती है जिससे व्यवसाय हृतोत्साहित होते हैं। अत केन्द्रीय बैंक की प्रतिभूतियों को बेचने की नीति का स्पष्ट परिणाम साझ-संकुचन (Credit Contraction) वे रूप में प्रकट हो जाता है। इसके विपरीत जब मुद्रा बाजार में छहण पर दी जाने वाली राशि की कमी होती है और केन्द्रीय बैंक देश के आर्थिक हित में इस राशि की मात्रा को बढ़ाना चाहता है, तब वह प्रतिभूतियों व छहण पश्चो को सरीदाना आरम्भ कर देता है। केन्द्रीय बैंक की इस प्रकार की त्रुते बाजार की क्रिया से जनता के हाथ में द्रव्य की अधिक मात्रा चली जाती है क्योंकि यह वैंक छहण-पश्चो का मुगतान नकद में या चंद द्वारा करता है। पत्र-वित्तना वहथा इन चंदों या नकदी दो अपने वैंक से जमा कर देता है जिससे व्यापारिक बैंक में जमा या स्वयं उसके पास नकद कोप (Cash Reserves) बढ़ जाता है। वैंकोंतथा अन्य छहण-दाता संस्थाओं के पास जितना अधिक लाभ होने लगता है, वे साख मुद्रा (Credit Money) की उत्तरी ही अधिक मात्रा बरने लगते हैं। अत केन्द्रीय बैंक की प्रतिभूतियों को खरीदने की नीति का स्पष्ट परिणाम साझ-प्रसार (Expansion of Credit) के रूप में प्रकट हो जाता है।

सारांश यह है कि त्रुते बाजार की क्रियाओं या छहण-पश्चों व तिक्कूरिटीज (प्रतिभूतियों) के अन्य विक्रय द्वारा केन्द्रीय बैंक देश में साख पर दी जाने वाली राशि में बाहुलता या कमी ला सकता है और बास्तव में केन्द्रीय बैंक अपनी त्रुते बाजार की क्रियाओं की नीति को इस प्रकार कार्यशील किया करता है कि देश में रोजगार (Employment), उत्पादन (Production), सामान्य मूल्य-स्तर (General Price Level), व्यापार तथा उत्तोग घन्थो आदि में बन्तुसन (Balance) स्थापित होकर देश का आर्थिक ढाँचा हड़ व सुसगठित हो जाय।

## खुले बाजार को क्रियाओं की नीति किन परिस्थितियों में पार्यावृत्त होती है ?

(Under what conditions is the Open Market Operations Policy adopted?):—ये परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं:— (i) स्वर्ण-मान में स्वर्ण की आयात व नियति के प्रभाव को विफल करना (To Sterilise the influence of Imports and Exports of Gold)—स्वर्ण-मान में स्वर्ण की आयात व नियति के प्रभाव को विफल बनाने के हेतु खुले बाजार की क्रियाओं की नीति अपनाई जाती है। स्वर्ण-मान में सोने की आयात होने पर मुद्रा व साल-मुद्रा का परिमाण बढ़ जाने से मूल्य-स्तर बढ़ जाते हैं। यदि यह मूल्य-वृद्धि देश हित में नहीं है, तब केन्द्रीय बैंक ग्रण-पत्रों व सिव्यूरिटीज को बेचकर देश में द्रव्य की मात्रा कम कर देता है जिससे बस्तुधरों की मूल्य वृद्धि पर रोक लग जाती है। इसी प्रकार यदि देश से सोने का नियति हो गया है तब मुद्रा व साल-द्रव्य की मात्रा कम होने से मूल्य स्तर गिरने लगता है। यदि बस्तुधरों का मूल्य-हास देश हित में नहीं है, तब केन्द्रीय बैंक सोने की नियति के प्रभावों को विफल करने के हेतु ग्रण-पत्र व सिव्यूरिटीज खरीदने लगता है जिससे अन्ततः मूल्य में कमी होने की प्रवृत्ति पर रोकलग जाती है। (ii) पूँजी के नियति पर रोक—यदि किसी देश में विनियोग की जाने वाली पूँजी की बढ़ावता है और यह विदेशों को विनियोग के लिये जा रही है, तब केन्द्रीय बैंक इस क्रिया का उपयोग करके (ग्रण-पत्रों व सिव्यूरिटीज को बेचकर) मुद्रा बाजार से अतिरिक्त राशि (Surplus Money) को खीच सेती है। प्रायः यह क्रिया तब ही कार्यान्वित की जाती है जबकि देश से राशि विदेशों को जा रही हो। (iii) बैंकों पर दोड़ (Run on the Banks)—जब कभी किसी संकट काल में या मुद्रा-बाजार में घबराहट के कारण सब ही बैंकों पर मुद्रा निकालने के लिये दोड़ होने लगती है, तब केन्द्रीय बैंक इन ग्रणदाता संस्थाओं की सहायता के हेतु तथा मुद्रा व द्रव्य-बाजार में जनता का विश्वास उत्तेज करने के लिये बैंकों की दृष्टियों व अन्य पत्रों को पुनः भुनाने के अतिरिक्त ग्रण-पत्रों व सिव्यूरिटीज को खरीद कर जनता को अधिक मात्रा में रूपया दे देता है जिससे सभाज में मुद्रा सम्बंधी आपत्ति व बैंकों का आधिक संकट टल जाता है या दूर हो जाता है। (iv) मुद्रा-बाजार में मुद्रा की कमी—फसल कटने या बोने, विवाह या तौहार के समय या ऐसे समय जबकि जनता के पास रुपए की कमी होने लगती है, तब केन्द्रीय बैंक जनता के ग्रण-पत्रों को खरीद कर द्रव्य-बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ा देता है ताकि साल-संचुन्न

खुले बाजार की क्रियाओं की नीति किन दिशाओं में अपनाई जाती है:—

1. स्वर्ण-मान में स्वर्ण की आयात-नियति के प्रभाव को विफल करने के लिए।
2. पूँजी के विदेशों को नियति पर रोक लगाने के लिये।
3. बैंकों पर दोड़ को हतोत्साहित बरने के लिये।
4. मुद्रा-बाजार में मुद्रा की कमी को दूर करने के लिए।
5. बैंक-दर के अप्रभावी होने पर साल पर उचित नियन्त्रण लाने के लिये।

तथा मूल्य-ह्रास के बारें समाज के आर्थिक व्यवहारों में किसी प्रभाव को गठबंध उत्पन्न नहीं होने पाये। (v) बैंक दर के अप्रभावी होने पर—जब वभी बैंक दर की घटन्वद से साल पर उचित नियन्त्रण नहीं होन पा रहा हो या नियन्त्रण प्रभावी (Effective) नहीं ही, तब बैंक दर में घट-बढ़ के साथ ही साथ खुले बाजार की क्रियाओं का भी उपयोग किया जाता है। जब कभी बैंक दर के बढ़ने पर मुद्रा-बाजार की अन्य शृणुदाता सम्मान व्याज की दर नहीं बढ़ाती है क्योंकि उनके पास राशि बाफी मात्रा में है, तब केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में उप पत्र (Securities) को बचकर बैंकों की इस अतिरिक्त निधि को बम कर देता है जिसके परिणामस्वरूप ये सम्मान व्याज की दर बढ़ाने वे लिये बाध्य हो जाती हैं।

### खुले बाजार की रीति या बैंक-दर रीति

#### (Open Market Operations vs Bank Rate Policy)

##### खुले बाजार की रीति तथा बैंक-दर की तुलना (Comparison between the

Open Market Operations and the Bank Rate Policy)—स्मरण रहे कि सन् १९३२ तक खुले बाजार की रीति का उपयोग बहुत कम किया जाता था, परन्तु शार्न शार्न इस रीति का महत्व बहुत बढ़ गया है। इसके दो कारण हैं—(i) दृढ़ (Rigid), प्रत्यक्ष (Direct) तथा चपल (Active) रीति—बैंक दर की नीति की अपका खुले बाजार की रीति अधिक ठड़ प्रत्यक्ष तथा चपल होती है। बैंक दर में परिवर्तन का व्याज की अनुपकालीन दरों पर प्रभाव तुरन्त और व्याज की दीघकालीन दरों पर यह प्रभाव शार्न शार्न तथा परोक्ष रूप में पढ़ा करता है, परन्तु खुले बाजार की क्रियाओं का अल्प-कालीन व दीघकालीन दोनों ही प्रकार की व्याज की दरों पर प्रभाव तुरन्त और प्रत्यक्ष रूप में पढ़ा करता है। इस कारण खुले बाजार की रीति के प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं। (ii) खुले बाजार की रीति को स्वतंत्र कार्यशीलता—इस रीति की यह विशेषता है कि दिनांक दर रीति की सहायता लिये या दिना बाजार दर (Market Rate) में परिवर्तन किये, इस रीति द्वारा चलने वे साल प्रणाली पर उचित नियन्त्रण किया जा सकता है जिसमें इस रीति में स्वतंत्र कार्यशीलता का गुण पाया जाना है। अर्थशास्त्रियों में खुले बाजार की रीति के इस गुण के सम्बन्ध में कुछ मतभेद भी हैं। एक तरफ लाई कीन्स (J M Keynes) तथा कुछ अन्य अंग्रेजी अर्थशास्त्रियों के अनुसार खुले बाजार की रीति, दिना किसी अन्य साल नियन्त्रण करने वाले तरीके को सहायता के लिए, साल व चलन प्रणाली पर उचित नियन्त्रण बर सकती है, तब दूसरी ओर इस विचार के बिलकुल विपरीत हाव्रे (Hawtrey) के अनुसार ड्रेश की चलन व साल प्रणाली पर तब ही उचित नियन्त्रण हो सकता है जबकि खुले बाजार तथा दौंक-दर दोनों रीतियों का साथ ही साथ प्रयोग किया जाता है। यह सच है कि यदि इन दोनों रीतियों का साथ ही साथ प्रयोग किया जाय तब केन्द्रीय नोक के चलन-प्रणाली के सन्तुलित करने के उद्द्योग को भली प्रवार कार्यान्वित किया जा सकता है।

### खुले बाजार रीति को सीमाएँ

#### (Limitations of the Open Market Operations)

##### खुले बाजार की क्रियाओं की सफलताओं की शर्तें (Conditions for the

success of the Open Market Operations):—खुले बाजार की क्रियाएँ कुछ शर्तें पूरी होने पर ही प्रभावोत्पादक हो सकती हैं और ये शर्तें इस प्रकार हैं—(i) सिक्युरिटीज व अन्य अण-पत्रों की मांग व पूर्ति होनी चाहिये—केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार की नीति तब ही सफल हो सकती है जबकि अल्प या दीप्तिशालीन सरकारी प्रतिभूतियाँ (Securities) व अन्य अण-पत्रों की सदा मांग अथवा पूर्ति रहती है। अतः उक्त क्रिया की सफलता के लिये सिक्युरिटीज तथा अन्य अण-पत्रों का बाजार प्राणंतया विकसित तथा सुसंगठित होना चाहिये। (ii) केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं से अन्य बैंकों की निधि प्रभावित होनी चाहिए—खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता के लिये दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इन क्रियाओं से बैंक तथा अन्य अणदाता संस्थाओं की निधि (Cash Reserves) प्रभावित होनी चाहिए। यदि केन्द्रीय बैंक सिक्युरिटीज बेचता है, तब बैंकों की निधि कम होनी चाहिए, परन्तु यह सम्भव है कि केन्द्रीय बैंक द्वारा इन अण-पत्रों के बेचने पर भी बैंकों की निधि कम नहीं होने पाये। यह परिस्थिति तब ही उत्तम होती है जबकि चलार्थ मुद्रा (Money in Circulation) में से कुछ नोट या मुद्रा बैंक में वापिस आ जाती है या बैंक में सोना आ गया है या मनुष्यों ने अपने आसंचित कोणों को खाली कर दिया है जिससे ये बैंकों में जमा हो गये हैं या देश में योधनायिक्य अनुकूल (Favourable Balance of Payments) है और विदेशों से वरावर स्थाया आ रहा है और यह बैंकों में जमा हो रहा है। इसी प्रकार जब केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ खरीदता है, तब बैंकों की निधि में वृद्धि होनी चाहिये, परन्तु यह सम्भव है कि केन्द्रीय बैंक की इस क्रिया के बावजूद भी अन्य बैंकों की निधि में वृद्धि नहीं होने पाये। यह परिस्थिति तब ही उत्तम होती है जिसकि देश में नोटों या मुद्रा के अत्यधिक-संग्रह (Hoarding of Currency) की प्रवृत्ति स्थापित हो जाती है या देश से पूँजी का निर्यात होता है या दोधनायिक्य देश के प्रतिकूल (Unfavourable Balance of Payments) है। अतः खुले बाजार की क्रियाएँ तब ही सफल हो सकती हैं जबकि इन क्रियाओं के साप ही साप बैंकों की निधि भी प्रभावित होती है। (iii) द्यापारिक बैंकों की अण देने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए—खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता की दोसरी

#### खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता की शर्तें:

1. सिक्युरिटीज व अन्य अण-पत्रों की सदा मांग व पूर्ति होनी चाहिये।
2. केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं से अन्य बैंकों की निधि प्रभावित होनी चाहिये।
3. द्यापारिक बैंकों की अण देने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
4. अणों की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
5. केन्द्रीय बैंक की प्रतिभूतियों को खरीदने अथवा बेचने की यक्ति असीमित होनी चाहिए।
6. मुद्रा-बाजार का पूर्ण विवाद होना चाहिए।

महत्वपूर्ण शात यह है कि जिस समय बैंड्रीय बैंक इस रोति को अपनाता है, उस समय अपारिक बैंकों की ऋण देने की नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परन्तु बास्तव में अपारिक बैंकों अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया करते हैं। बैंकों द्वारा समय साल प्रसार या साल सकूचन न बदल अपने पास के नवद कोष के आधार पर बहिर देश की आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों का सोच विचार करके ही किया जाता है। यदि बैंड्रीय बैंक अण पत्र (Securities) को खरीद कर या भुनाकर बैंकों का नवद कोष साल प्रसार के उद्देश से बढ़ा देता है, परन्तु यदि ये बैंक सुदूर बाजार में घटराहट (Panic) या अविश्वास (Lack of confidence) से अपने प्राहृकों की बड़ी हुई मुद्रा की मांग के कारण इस नवदी के आधार पर साल निर्माण नहीं जाता है तब बैंड्रीय बैंक अपनी नीति में सफल नहीं हो सकता। यह बैंकों की निधि में घट बढ़ से अपना साल का सकूचन व प्रसार होने पर ही बैंड्रीय बैंक भी खुले बाजार की क्रियाएं सफल हो सकती हैं। (iv) झट्ठों की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये — युन बाजार की क्रियाओं की सफलता की ओर इस तरह यह है कि जिस समय बैंड्रीय बैंक इस नीति को अपनाता है तब उत्पादकों की अण लेने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए अथात् बैंकों की निधि घटने-बढ़ने पर उत्पादकों की अण की मांग भी क्रमशः घटनी-बढ़नी चाहिये। परन्तु ये भी उत्पादक अपनी अण लेने की नीति में परिवर्तन कर दिया जाता है। यदि केंद्रीय बैंक ने साल प्रसार के उद्देश से अन्य बैंकों का नवद कोष क्रमशः बढ़ा दिया है, परन्तु यदि देश की अनिश्चित आर्थिक व राजनीतिक दशा या मूल्यों के कम होने और भविध में इनके और अधिक गिरने की सम्भावना से उत्पादक बम व्याज की दर पर भी ऋण लेना स्वीकार नहीं करते, तब बैंड्रीय बैंक अपनी साल प्रसार की नीति में सफल नहीं होने पाता है। इस बवस्था में अपारिक बैंकों के पास रुपया फालत्रू पड़ा रहेगा और केंद्रीय बैंक का साल प्रसार का उद्देश पूरा नहीं हो सकेगा। यही कारण है कि तेजी काल (Boom Period) में तो केंद्रीय बैंक अपनी साल सकूचन-नीति से मूल्यों में कमी करने में सफल हो जाता है परन्तु ये दीपाल (Depression Period) में केंद्रीय बैंक के लिए साल निर्माण करना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि बैंकों की उत्पादक को रुपया उपार लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह भविष्य है कि कुछ समय तक व्याज की दर में कमी रहने पर साल प्रसार होने ही लगता है। यह लुले बाजार की क्रिया की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि ये दो की निधि घटने बढ़ने पर द्रष्टव्य बाजार में भी मुद्रा की मांग अपमान घटनी बढ़नी चाहिये। (v) केंद्रीय बैंक की प्रतिभूतियों को खरीदने अथवा बचने की यक्ति असीमित होनी चाहिए — ऐन्ड्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं की संफलता इस बाब पर भी निभर रहती है कि केंद्रीय बैंक कितनी प्रतिभूतियों खरीद सकता है या उसके पास बचने के लिए कितनी प्रतिभूतिया अथवा अण-पत्र हैं। ये किंवद्दन भी केंद्रीय बैंक के पास असीमित मात्रा में पूँजी प्रतिभूतियों हो सकती हैं कि उसके पास अत्यधिक मात्रा में ही प्रतिभूतियां बचने के लिए होती हैं, इसलिए दोनों ही दशाओं में केंद्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं में ही मिरठा होती है। (vi) मुद्रा बाजार का पूर्ण विकास होना चाहिए — केंद्रीय बैंक अपनी खुले

बाजार की क्रियाओं में तब ही सकन होता है जबकि देश में मुद्रा-बाजार का पूर्ण विकास हो जाता है, यह मुसम्मित व सुधृदवस्थित होता है, अणदाता मंस्याओं का केन्द्रीय बैंक से पनिष्ट रामबन्ध होता है, जनता में बैंकिंग आदत जाग्रत हो जाती है, उत्पादक प्रायः वैकों तथा अन्य अणदाता सम्याप्ति से ही उत्पत्ति-कार्य के लिए रघुया उपार लेते हैं और इहों पर पूर्णतया निर्भर रहते हैं आदि। अतः जिस देश में इन सब घातों में जितनी अधिक बमी होती है, केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं का कार्य-क्षेत्र भी उत्तरा ही अधिक सीमित हो जाता है।

सारांशः—उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि खुले बाजार का सिद्धांत (Theory of Open Market Operations) तब ही सकन हो सकता है जबकि उत्तिलिखित शर्तें पूरी की जायें। इसीलिये इन घातों को खुले बाजार की क्रियाओं की सीमाएँ (Limitations of the Open Market Operations) भी काहते हैं। परन्तु यह स्मरण रहे कि इन सीमाओं के होते हुये भी प्रत्येक केन्द्रीय बैंक वो गति व साधन दृढ़तये विद्युत होते हैं कि साख-नियन्त्रण की रीतियों का प्रभाव अवश्यमेव ही हटिगोचर हो जाता है। भारतवर्ष में यद्यपि अभी तक एक अच्छे व सुसम्मित मुद्रा-बाजार का पूर्ण विकास नहीं हो सका है और न तमाम अणदाता सम्याप्ति ही केन्द्रीय बैंक के पूर्ण नियन्त्रण में हैं परन्तु किर भी रिजर्व बैंक की साख-नियन्त्रण की सीति बैंक-दर की घणेदा खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा अधिक प्रभावी है। खुले बाजार की रीति के दृढ़ते हुये महत्व के द्वारा ही इंगलैंड और अमेरिका जैसे देशों ने खुले बाजार की रीति का कार्य-क्रम चलाने के लिये केन्द्रीय बैंक के अन्तर्गत विशेष स्थानित कर दी है ताकि उक्त कार्य सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके।

### (इ) साख-नियन्त्रण की अन्य रीतियाँ (Other Methods of Credit Control)

अन्य रीतियाँ (Other Methods):—बैंक-दर और खुले बाजार की क्रियाओं के परिवर्तक केन्द्रीय बैंक साख-नियन्त्रण के लिए अन्य कई तरीके अपनाता है जिनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—(i) बैंकों वो रक्षित-निधि के अनुपात में परिवर्तन, (ii) साख का राशनिंग करना, (iii) सीधी रायंवाही वो रीति, (iv) नितिक दबाव यथाका सम्भाने की रीति, (v) वित्तावन तथा प्रचार, (vi) उपमोहता-साख का नियमन तथा (vii) अणों की हीमा-आवश्यकता में परिवर्तन।

(१) बैंकों की रक्षित-निधि के अनुपात में परिवर्तन करना (Variation in the Bank Reserve Ratios):—प्रॉफ़ बीजेस (Keynes) ने अपनी मुस्तक A Treatise on Money में उद्देश्यम इस रीति का मुख्य रूप्रा या और भाज मह साख-नियन्त्रण की एक महत्वपूर्ण रीति मानी जाती है। भाजत तम भग प्रत्येक बैंक वो अपनी कुल जमा का कुछ न्यूनतम भाग (प्रत्येक देशीय बैंक इस न्यूनतम भाग या इस न्यूनतम प्रतिशत वो निर्धारित कर देता है) केन्द्रीय बैंक के साथ बान्धन रक्षित-निधि (Reserve Fund) के हर में जमा करना पड़ता है। इस निधि को जमा करने के बाद विधि बैंक के साथ जो कुछ भी देश नकद-कोष (Cash Reserve) रह जाता है, वह इसी के माध्यम

पर और इसी के द्वारा साख-निर्माण का कार्य करता है - अर्थात् बैंकों की साल निर्माण शक्ति इस द्वेष नकद-बोय से सीमित होती है। इस तरह इसी बैंक के पास जितनी अधिक राशि साख-जमा (Credit Deposits) या अन्य प्रकार की जमा के रूप में प्राप्त होती है, उसे उन्होंने ही अधिक राशि केन्द्रीय बैंक के पास जमा बरती पड़ती है। आधुनिक सुग में सभी बैंकों को अपन-अपन देशों के व्यापारिक बैंकों के नकद-बोय की मूलतम-सीमा (Minimum Statutory Limits of Cash Reserves) से परिवर्तन करने का अधिकार दे दिया गया है। यदि केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की बूल जमा के वैधानिक अनुपात (Percentage of the Total Deposits in a Bank with the Central Bank) में वृद्धि कर देता है, तब इन बैंकों को केन्द्रीय बैंक के पास अधिक राशि जमा करनी पड़ती, जिससे इन बैंकों का नकद-बोय (Cash Reserves) कम हो जायगा और इसी साथ निर्माण शक्ति भी इस नकद-बोय से सर्वादित होने के कारण घट जायेगी। इसी तरह जब केन्द्रीय बैंक इस वैधानिक अनुपात को पठा देता है, तब अन्य बैंकों को केन्द्रीय बैंक के पास बहुत कम मात्रा में राशि जमा करनी पड़ती है जिससे इनका नकद बोय घट जायगा और यह अधिक मात्रा में साथ का निर्माण करने में सक्षम हो जायेगे। इस अवस्था में अधिकारी व उत्पादकों को एक अधिक सुगमता से तथा कम दबाव की दर पर मिल जायगा। अत बैंकों के बहुत-कुछ दूर कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उत्तरवाचिक अनुपात में वृद्धि करके मुद्रा बाजार में मुद्रा या साल द्रूप की बाहुलता एव प्रचुरता को कम कर सकता है। अत बैंकों की रक्षित निधि के वैधानिक अनुपात में परिवर्तन करके देश में साथ व चलन की मात्रा पर उचित नियन्त्रण कर सकता है। बैंक-दर नीति तथा सुलेवाजार की क्रियाओं के बाद यह एक तोतरी महत्वपूर्ण रीति है।

यह स्मरण रह कि इस रीति का उपयोग सर्वप्रथम सन् १९३३ में अमेरिका में हुआ था। इस सन् में बही के Federal Reserve System के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (Board of Governors) को यह अधिकार दिया गया था कि वे व्यापारिक बैंकों की वैधानिक मूलतम रक्षित कोष की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं ताकि देश में अनुचित साल का प्रसार व स्कुचन नहीं होने पाये क्योंकि यह सभी मानते हैं कि यदि व्यापारिक बैंकों के पास बनावश्यक कोष रहते हैं तब साल नियन्त्रण का कोई भी तरीका प्रभावी नहीं रह सकता है। यही कारण है कि इन अतिरिक्त कोषों (Surplus Funds) को केन्द्रीय बैंक के पास जमा करके अपमाधी बना दिया जाता है। यद्यपि उक्त रीति का उपयोग सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था, परन्तु तत्पश्चात् इसका अन्य दशों में भी बाधी विस्तृत उपयोग हुआ है। कुछ व्यक्तियों का मत है कि यह रीति सुलेवाजार की क्रियाओं से भी अधिक प्रभावात्पादक होती है। चूंकि यह रीति बहुत कठोर होती है और इसका उपाय बैंकों पर एक साथ प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसके उपयोग करने में केन्द्रीय बैंक पर बहा उत्तरदायित्व आ जाता है और इसे इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना पड़ता है।

(२) साख का राशनिंग करना (Rationing of Credit):—बैंक दर तथा मुद्रा बाजार की क्रियायं बहुत कठोर तथा सस्त होती है जिसके कारण इनका सब और बड़ा विरोप होता है। परन्तु साख-राशनिंग की नीति उक्त के बिल्कुल विपरीत बहुत नियंत्रण तथा सर्वत्रिप्रति नीति है। यह सर्व विदित है कि केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों के लिये अन्तिम ऋणदाता (Lender of the Last Resort) के रूप में कार्य करता है। आपस्ति पाल में तमाम ऋणदाता संस्थाएँ केन्द्रीय बैंक का सहारा लेती हैं। ऐसे समय में यदि केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों की साथ की मात्रा को पूर्णतया पूरा नहीं करे वरन् इसका राशन कर दे या उधार दी जाने वाली रकम पर दृढ़ प्रतिबन्ध लगा दे, तब बैंकों को ऋण-प्रदायक राशि कम हो जाने से उनकी साख-निर्माण शक्ति भी बहुत कम हो जाती है। केन्द्रीय बैंक की इस नीति को साख का राशनिंग कहते हैं। केन्द्रीय बैंक साख का राशनिंग तीन प्रकार से कर सकता है—(क) किसी बैंक की पुनः भुनाने की सुविधा बिल्कुल समाप्त करके या (ख) किसी बैंक की पुनः भुनाने की सीमा (Rediscounting Limit) पर बाधा (Restriction) लगाकर या (ग) विभिन्न बैंकों या विभिन्न व्यवसायों के लिये साध का अध्यन्तर (Quota) निश्चित करके। अतः जब केन्द्रीय बैंक साख-राशनिंग की नीति अपना लेता है तब साख का विस्तार या संकुचन नहीं होने पाता है क्योंकि इसपरी मात्रा तो पूर्व निश्चित होती है और कोई भी बैंक अपने नियांत्रित कोटे से न तो कम और न अधिक साख-निर्माण कर सकता है। यह स्मरण रहे कि घोषित साख-राशनिंग की कठिनीति बहुत प्रभावी होती है परन्तु केन्द्रीय बैंक को इस रीति को कार्यान्वयित करने में बहुत नाईयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसे विभिन्न व्यवसायों की ऋण की आवश्यकताओं तथा इनसे सम्बन्धित साख के नियांण का अनुमान लगाना पड़ता है और फिर इस अनुमान के आधार पर विभिन्न बैंकों के कोटे नियांत्रित करने पड़ते हैं। केन्द्रीय बैंक ये कार्य बहुत भासानी से नहीं कर पाता है।

(३) सीधी कार्यवाही की नीति (Direct Action Method).—जब मुद्रा-बाजार की ऋणदाता संस्थाएँ अद्यता बैंक एक ऐसी नीति अपनाते हैं जो केन्द्रीय बैंक की घोषित नीति के विवर होती है, तब प्रायः केन्द्रीय बैंक ऐसी संस्थाओं के विवर प्रत्यक्ष या सीधी कार्यवाही की नीति अपनाता है। इस प्रत्यक्ष, सीधी व दूबाव द्वालने वाली कार्यवाही के प्रश्नांतर केन्द्रीय बैंक इन असहयोगी संस्थाओं की या तो हैंडिया व वित्त भुनाना बन्द कर देता है या इन्हे कम कर देता है या मुद्रा विनेप प्रशार के कर्त्तव्यों को है। पुनः भुनाना (Rediscount) है या उन्हें स्टूप्ड व्यवहारों (Speculative Activities) तथा आनावश्यक व्यवहारों के लिये कम मात्रा में ऋण देने के लिये बादेता दे देता है। केन्द्रीय बैंक इस प्रशार के आदेता प्रायः ऐसे समय में देता है जिसकि वह साध सबुधन-की आवश्यकता समझता है या वह यह महत्व बरता है कि साध का उचित उपयोग नहीं हो रहा है या इसका प्रसार अवरिमित मात्रा में हो रहा है।

(४) नेतृत्व द्वाव अद्यता समझाने की नीति (Method of Moral Persuasion):—यह भी एक सीधी कार्यवाही की नीति होती है। इस नीति पर अधार यह है कि केन्द्रीय बैंक का मुद्रा-बाजार में बहुत महत्व होता है और यह अग्र ऋणदाता

संस्थाओं का गेहूत्व करता है जिससे अन्य वैदिक संस्थाएँ भी उसकी नीति को सफल बनाने के लिये उससे स्वच्छापूर्वक सहयोग देती हैं। यही कारण है कि केन्द्रीय वैक इन संस्थाओं पर नीतिक दबाव डालकर, इह समझा बुभाव र तथा इसे प्रार्थना करके, उन्हें साख सम्बन्धी नीति को केन्द्रीय वैक के अनुकूल बनाने के लिये प्राप्य बाध्य कर देता है। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय वैक ध्यापारिक वैकों से यह प्रार्थना किया करता है (उन पर वह नीतिक दबाव भी डाला जरता है) कि वे स्टोरियो (Speculators) को उपया चधार दन के लिये उससे उपया उधार नहीं मांगें। यह इन्हें यह प्रार्थना किया करता है कि वे उससे अधिक भाग्रा में साख नहीं मांग। इस तरह नीतिक दबाव ध्यवा समझाने की रीत अपनान से केन्द्रीय वैक को ध्यापारिक वैकों का एक्षुक व सत्तिय सहयोग आसानी से प्राप्त हो जाता है और इनके इस सहयोग से केन्द्रीय वैक अपनी साख व चक्षन प्रणाली के नियन्त्रण की नीति म भी आसानी से सफल हो जाता है। यह रीत इसतिय अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें मिश्रता के भाव से प्रार्थना की जाती है, वैकों के सम्मुख उनकी नीति के दुष्परिणाम स्पष्ट कर दिय जाते हैं जिससे वे स्वतं अपनी नीति में परिवर्तन कर देते हैं तथा यह एक ध्यक्तिगत पहुँच (Personal Approach) की रीत है परन्तु इस रीति का यह दोष है कि इसको बेवल उसी दश में सफलता मिल सकती है जहाँ पर वैक व अन्य अणदाता संस्थाएँ बहुत धोड़ी सी सूखा में हैं। ऐसे देश में जहाँ पे संस्थाएँ बहुत अधिक संदेश में होती हैं इनका और केन्द्रीय वैक का सम्बन्ध घनिष्ठ नहीं हो सकता है जिससे दश में केन्द्रीय वैक की नीतिक दबाव व समझान की रीत अधिक प्रभावी नहीं हो सकती है।

(५) विज्ञापन तथा प्रकाश की रीति (Method of Publicity) — यह भी एक प्रकाश की समझाने की ही रीति है। इस नीति का आधार यह विचार है कि किसी भी नीति को उब ही सकल बनाया जा सकता है जबकि उसके पक्ष मे एक प्रभाविक जनमत (Effective Public Opinion) तंयार कर दिय जाता है। केन्द्रीय वैक प्रकाश एवं विज्ञापन द्वारा अपनी नीति के प्रति इस प्रकाश का जनमत तंयार करने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिय वह समय समय पर मुद्रा बाजार की दशा का पुनर्विचार (Review) तथा ध्यवसाय, उद्योग, ध्यापार आयात निर्यात व राजस्व सम्बन्धी आवडे व विवरण प्रकाशित वरके भी मुद्रा बाजार पर अपना प्रभाव स्थापित किया जाता है। इस प्रकाश की मूलनाएँ प्रकाशित वरके के द्वाय वैक यह दिखाने पा प्रयत्न किया जाता है कि देश के आधिक हित में कौन कौन सी नीति अधिक उपयुक्त है तथा कौन कौन सी अणदाता संस्थाएँ एवं वैक उक्त नीति का पालन कर रहे हैं प्रोर कौन कौन सी संस्थाएँ उक्त नीति का पालन नहीं कर रही हैं। साथ नियन्त्रण के लिए इस रीति का उपयोग अमरिका प्रोर जमनी में बहुत अधिक हुआ है और कमी कभी कुछ मनुष्यों ने यह तक महान् प्रयोग किया है कि इस प्रकाश के विज्ञापन एवं प्रकाश में बहुत सा उपयोग देश में विद्या जाता है। आजवल इस रीति का प्रयोग काफी विस्तार से प्रयोग देश में विद्या जाता है।

(६) उपभोक्ता साख वा नियमन (Regulation of Consumer Credit) —

द्वितीय महायुद्ध काल में सर्वप्रथम अमेरिका ने इस रीति का उपयोग किया था, परन्तु भाजकल लगभग सब ही देशों में यह साख नियन्त्रण की एक बहुत लाभदायक प्रणाली बन गई है। इस प्रणाली में केन्द्रीय बैंक को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वह ऐसे नियम बनाए कि इनके आधार पर उपभोक्ताओं को थोड़ा थोड़ा करके साख सुविधाएं प्राप्त हो जायें। इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक करण का कुछ भाग नकदी के रूप में देना पड़ता है जिससे साख निर्माण एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होने पाता है। उदाहरण के लिये, कनाडा में इस प्रकार की किस्त-साख पर एक ऐसा नियन्त्रण लगाया गया था कि इसके अन्तर्गत अधिकतम टिकाऊ उपयोग्य माल (Durable Consumer's Goods) के क्रम मूल्य का २०% नकद रूप में दिया जाता था और इसकी अवधि १० महीनों तक सीमित थी।

#### (७) प्रतिभूति ऋणों की सीमा-आवश्यकता में परिवर्तन (Changes in Margin Requirements on Security Loans).—

इस प्रणाली का भी उपयोग सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ है। इस रीति का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय बैंकों को प्रतिभूतियों में सट्टे के लिए प्रयोग की जाने वाली साख की राशि पर नियन्त्रण करने में सहायता देना होता है। प्रत्येक बैंक प्रतिभूतियों (Securities) में सट्टे-व्यवहारों के लिये सटोरियों को अरण दिया करता है। ताकि इस प्रकार के व्यवहारों को एक सीमित मात्रा में ही उपर्युक्त साख मिल सके, इसलिये केन्द्रीय बैंकों को व्यापारिक बैंकों द्वारा उक्त कार्यों के लिये दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में, नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं। इस तरह उक्त रीति का प्रयोग मुख्यतः सट्टे-व्यवहारों के लिये दी जाने वाली साख पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिये ही किया जाता है। इस रीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को समय-समय पर यह आदेश दिया करता है कि वे प्रतिभूतियों में सट्टे व्यवहारों के लिये दिये जाने वाले उपर्युक्त के लिए कितनी सीमा (Margin) रखें ताकि बैंकों को ऐसे ऋणों में जोखिम नहीं होने पाये। केन्द्रीय बैंक ऋणों की सीमा-आवश्यकता (Margin Requirements) में समय-समय पर परिवर्तन करके ऐसे कार्यों के लिये साख के प्रत्यधिक प्रयोग पर रोक लगा देता है ताकि ऐसे कार्यों के लिए एक नियन्त्रित मात्रा में ही साख मिल सके। अनुभव से पता चला है कि प्रतिभूतियों में सट्टे पर प्रतिवर्त्य लगाने की चक्क रीति बहुत प्रभावोत्पादक होती है।

सारांशः—उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साख नियन्त्रण को अनेक रीतियों में जिनका प्रयोग करके केन्द्रीय बैंक देश में साख का प्रसार व संचयन बरता है। केन्द्रीय बैंक के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वह केवल एक रीति को ही अपनाए तकि अनुभव से यह भी पता चला है कि योद्दे केन्द्रीय बैंक के बीच एक रोले को अपनाता है, उब उसकी साख-नियन्त्रण की नीति अधिक प्रभावशाली नहीं होती। उक्त रीतियों में से कुछ तो प्रेसी हैं जिनका प्रभाव प्रमाणन न हुए हो जाता है और कुछ ऐसी हैं जो अपरिधिक कठोर तथा हड़ हैं और जिनका प्रभाव परोक्ष व दीर्घकाल में फैटिगर होता है। उब एक केन्द्रीय बैंक को कौन-सा रात या रातियां अपनानी चाहिये? केन्द्रीय बैंक का साख-नियन्त्रण को सोने के सम्बन्ध में नियम बहुत कुछ देश की आधिक व्यवस्था

पर निभंर रहता है। सच तो यह है कि प्राय उत्तलिलित तमाम विधियों का आवश्यकनानुसार समुचित इत्याक्षिप्तप्रयोग करने पर ही केन्द्रीय बैंक अपनी साल नियन्त्रण की नीति से सफल होने पाता है।

### केन्द्रीय बैंक का स्वामित्व तथा प्रबन्ध

#### (Ownership and Management of the Central Bank)

केन्द्रीय बैंक के स्वामित्व तथा प्रबन्ध में भवित्व (Difference of Opinion regarding the Ownership and Management of the Central Bank) — भीदिक इतिहास से ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि किसी भी देश में केन्द्रीय बैंक पूर्णतया स्वतन्त्र रहा हो अर्थात् प्रत्येक काल में केन्द्रीय बैंक पर सरकार का किसी न किसी प्रकार से कम-प्रधिक मात्रा में नियन्त्रण अवश्य रहा है। केन्द्रीय बैंक के स्वामित्व का प्रश्न भी सरकारी नियन्त्रण से सम्बन्धित है। जो व्यक्ति केन्द्रीय बैंक की स्वतन्त्रता के पक्ष में है, वे इसे या तो व्यक्तिगत (Private) या व्यापारिक बैंकों के स्वामित्व में रखना चाहते हैं। उनीसबी शराब्दी में केन्द्रीय बैंकिंग विज्ञान का जन्म होते समय सभी मर्यादास्वी प्राइवेट (Private) केन्द्रीय बैंकों के पक्ष में थे और इनका यह मत था कि इन बैंकों पर किसी भी प्रकार राज्य का नियन्त्रण नहीं होना चाहिये। इन्होंने इसका कारण यह बताया कि यदि केन्द्रीय बैंकों पर राज्य का नियन्त्रण हो गया तब इनका राजनीतिक शोषण होगा तथा ये सरकार की मनमानी वित्त सम्बन्धी नीति वा साधन बन जायगे। इसलिए आरम्भ में जितने केन्द्रीय बैंक स्थापित हुए, वे सब व्यक्तिगत हिस्सेदारों (Shareholders) के देवक थे। इसके विपरीत दुःख व्यक्ति केन्द्रीय देवक पर सरकारी स्वामित्व के पक्ष में हैं। इसलिए जिन देशों में इस विचारधारा को अधिक बल मिला है, वहां पर केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है। राष्ट्रीयकरण के समर्थकों के विचार से केन्द्रीय बैंक के सफल सचालन के लिए राजकीय नियन्त्रण एवं निर्देशन अत्यावश्यक है। इसके बाईं कारण हैं—(अ) विदेशी मुगातानों को प्रदा करने का सरकार पर बढ़ा हुआ उत्तरदायित्व, (आ) सरकार की युद्धकालीन बढ़ती हुई आर्थिक आवश्यकताएं, (इ) मुद्रा-वाजार की बढ़ती हुई साख की भाँग, (ई) सरकार का साख, व्यापार, रोजगार तथा उत्पत्ति आदि के नियन्त्रण में उत्तरदायित्व, (च) आर्थिक मामलों में सरकार का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप, (क) देशों में प्रबन्धित पन मुद्रा-मान (Managed Paper Currency Standard) तथा (ए) केन्द्रीय बैंक बो नोटों के प्रचलन से प्राप्त लाभ। अत इन सब कारणों से आज केन्द्रीय बैंक द्वीपुर्ण नीतियों तथा उनके प्रबन्ध में सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन किया जाता है।

श्री डी-कोक (De-Cock) ने केन्द्रीय बैंकों को उनके स्वामित्व के अनुसार सात भागों के बंदूरा है—(१) ऐसा केन्द्रीय बैंक जिसके कुल दूँजों मरक्कारी है। (ii) ऐसा केन्द्रीय बैंक जिसकी समस्त पूँजी साधारण व्यक्तिगत अवाधारियों की है। (iii) ऐसा केन्द्रीय बैंक जिसकी समस्त पूँजी सरकार तथा जन-साधारण दोनों ही द्वारा दी गई है। (iv) ऐसा केन्द्रीय बैंक जिसकी पूँजी सरकार तथा व्यापारिक देवको दोनों द्वारा दी गई है, जैसे

प्ररबंदिता इनारिपिलिक का केन्द्रीय बैंक जिसकी पूँजी सरकार, जन-साधारण तथा व्यापारिक बैंकों तीनों द्वारा दी गई है तथा (vii) ऐसा केन्द्रीय बैंक जिसकी पूँजी जन-साधारण और व्यापारिक बैंकों दोनों की है। इंगलॅण्ड, प्रांत, स्वीडन, कनेडा, भारत और एशिय के केन्द्रीय बैंक पूरे तौर से सरकार के स्वामित्व में हैं। इनके विपरीत जर्मनी, जापानी, नार्वे तथा हगरी के केन्द्रीय बैंक व्यक्तिगत बंशधारियों (Private Shareholders) के स्वामित्व में हैं। परन्तु अमेरिका का फैंडरल रिजर्व सिस्टम (Federal Reserve System) पूर्णपूर्ण से व्यापारिक बैंकों के स्वामित्व में है। यह अवश्य है कि बंतमान युग से बहुमत केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। यह स्मरण रहे कि केन्द्रीय बैंकों का स्वामित्व तथा प्रबन्ध कभी-कभी साथ ही साथ नहीं भी रहता है क्योंकि बहुत से केन्द्रीय बैंक ऐसे हैं जिनके प्रबन्ध (Management) में तो सरकारें मुख्य भाग लेती हैं परन्तु इनके हिस्से निजी व्यापारियों के हाथ में होने हैं।

### केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण

#### (Nationalisation of the Central Bank)

प्राप्तिकर्त्ता—प्रत्येक देश के मुख्यवित्त आधिक जीवन के लिये वहाँ के केन्द्रीय बैंक का वार्षिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह बैंक नोट-निर्माण (Note Issue) का कार्य करता है, साथ का देशहित में नियन्त्रण वरता है, यह सरकार द्वारा बैंकों पा बैंक होता है तथा यह सरकार को समय-समय पर आधिक सलाह देता है। देश की आधिक स्थिति उन्नत व संगठित बरतने का दायित्व भी इसी बैंक पर होता है। चूंकि केन्द्रीय बैंक अनेक महत्वपूर्ण कार्य विद्या वरता है, इसलिये इसका सचालन प्राय विदेशी (Experts) द्वारा ही किया जाता है यद्यपि आज भी कुछ देशों में केन्द्रीय बैंक व्यक्तिगत हिस्सेदारों (Private Shareholders) के बैंक हैं, परन्तु बंतमान युग में बहुमत केन्द्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है।

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में दोनों :—(Arguments in Favour of Nationalisation)—राष्ट्रीयकरण के समर्थकों ने अपने मत का सम्बन्ध इस प्रतार दिया है :—  
 (i) केन्द्रीय बैंक सार्वजनिक उपयोगिता को संस्था (Public Utility Concern) होनी है, इसलिए इस पर सरकार का ही पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए :— केन्द्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे अपने कार्यों पर पूर्ण एकाधिकार प्राप्त होता है तथा इस पर देश के समुचित आधिक विकास का दायित्व होता है। ऐसी संस्था जन हित तथा देश-हित में तभी कार्य कर सकती है जबकि इस पर सरकार वा पूर्ण स्वामित्व होता है।  
 (ii) साम का उपयोग राष्ट्र हित में हो सकता है—कुछ ऐसे केन्द्रीय बैंक भी हैं जो हिस्सेदारों (Shareholders) के बैंक हैं। केन्द्रीय बैंक यद्यपि जमावर्तीओं (Depositors) को उनकी जमा पर कुछ भी व्याज नहीं देता है, परन्तु किर भी इसके पास एक बहुत बड़ी मात्रा में यन एकत्रित हो जाता है और वह इस यन का उपयोग बरते बहुत बड़ी मात्रा में साम बनाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्रीय बैंक को अपने तरीके से अनेक प्रतार से साम प्राप्त होते हैं। केन्द्रीय बैंक अपने साम का सरकार द्वारा सीमित

सामाज (Dividend) परने हिस्सेदारों को बाटता है और दोष सरकारी कोष में जमा कर देता है। राष्ट्रीयकरण के समर्थकों वा मत है कि लाभ हिस्सेदारों में न बटकर यह समाज के हित में ही उपयोग में लाया जाना चाहिये और यह तब ही हो सकता है। जबकि वेक का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। इसके अतिरिक्त उभया मत है कि जब लाभ हिस्सेदारों को भूलतम दिया जाता है और दास्तव में दोनों वेक एक सरकारी वेक के रूप में कार्य करता है तब जो वास प्रयोग में है, उसे कानून का रूप दे देना ही चाहा है। (iii) वेक के कार्यों में क्षमता आ जाती है — केन्द्रीय वेक के अधिकार कार्य ऐसे हैं जिन पर उसका एकाधिकार होता है। यदि यह वेक पूर्णतया सरकारी प्रबंध व नियन्त्रण में आ जाय, तब तो यह वेक अपना कार्य अधिक सुचारू रूप से कर सकेगा। अतः कार्यकुशलता की इटिंग से भी केन्द्रीय वेक पर सरकार का स्वामित्व आवश्यक है। (iv) केन्द्रीय वेकों के कार्यों का स्वभाव ऐसा है कि इन वेकों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये — प्रत्येक केन्द्रीय वेक के अधिकार कार्य ऐसे होते हैं जिनका सरकार से सम्बन्ध होता है, जैसे — सरकार की आय व्यय की व्यवस्था करना, सार्वजनिक ग्रहण की व्यवस्था करना, मुद्रा व चलन की व्यवस्था करना आदि। ये सब ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं कि यदि इन्हें ठीक ठीक नहीं दिया जाय, तब इसे राष्ट्र को भारी आर्थिक हानि हो सकती है। इसीलिये आइकल केन्द्रीय वेक के राष्ट्रीयकरण का पक्ष बहुत बलवती होता जा रहा है। अब तो समाजवाद के युग में केन्द्रीय वेक ही नहीं बरन बन्ध सब प्रकार की वैदिक संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण को आवाज हर ओर सुनाई देती है।

#### राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में इलाज (Arguments against Nationalisation) —

ये मुख्य मुहूर्ष इस प्रकार हैं — (i) वेक का कार्य सचालन ठीक ठीक नहीं होता है — केन्द्रीय वेक का कार्य इनना जटिल हो गया है कि यह केवल विदेशीों द्वारा ही सुचारू रूप में दिया जा सकता है। प्रजातन्त्र में जो भी मन्त्री चुनाव से राष्ट्रव समीके पद को ग्रहण करता है, यह आवश्यक नहीं है, कि उस वैकिंग सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान हो जिसके परिणामस्वरूप उसे अपने स्थायी कर्मचारियों के हाथ में रहकर ही कार्य करना पड़ेगा। अतः यह सम्भव है कि वेक का सचालन ठीक-ठीक नहीं होने पाये। परन्तु एवं अतिगत अग्रधारियों वाले केन्द्रीय वेक में काय का सचालन एक ऐसे बोर्ड ग्रॉक डाइरेक्टर्स द्वारा दिया जाता है जो वैकिंग के कार्य में बहुत दक्ष होते हैं। इसीलिये कुछ अतिगत ने केन्द्रीय वेक के राष्ट्रीयकरण का बहुत विरोध दिया है। (ii) सरकारी कर्मचारियों की ग्रकुशलता — केन्द्रीय वेक के राष्ट्रीयकरण से वेक पूर्णतया सरकारी कर्मचारियों के हाथ में आ जाता है। इन कर्मचारियों का पद स्थायी है तथा इनकी तरकी प्रायः उनकी नौर री की अवधि के अनुसार होती है, चाहे वे अपने कार्य में वाम-अधिक ग्रकुशल भी बयो न हों। परिणामतः वेक का काय कुशलतापूर्वक नहीं दिया जाता है। परन्तु यदि वेक हिस्सेदारों ना रहता है, तब कर्मचारियों की तरकी या इनकी नौकरी इनकी कार्य-नृशलीग पर निर्भर रहती है जिससे वे मेहनत व बहुत सोच-विचार से वेक का कार्य करते हैं। अतः यदि केन्द्रीय वेक व्यक्तिगत हाथों में रहता है तब यह व्यवसायिक सिद्धान्तों (Business Principles) का अच्छी प्रकार से पालन करना है और वेक के कर्मचारी भी नहूं

कुमालता से कार्य करते हैं। (iii) कार्यों में विलम्ब होने लगता है:—केन्द्रीय बैंक सरकारी बैंक हो जाने पर इसके कार्यों में विलम्ब (Red-Tapism) होने लगता है। यदि बैंक को किसी साधारण-सी बात के सम्बन्ध में निर्णय लेना है, तब सम्बन्धित कागज एक विभाग से दूसरे विभाग तथा एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के हाथों में को निकलता है जिसमें स्वाभाविक ही अनावश्यक देरी होती है। परन्तु एक व्यक्तिगत हिस्सेदारों के केन्द्रीय बैंक में ऐसी समस्या के सम्बन्ध में निर्णय अति शोध्रता से ले लिया जाता है जिससे वार्षों में अनावश्यक विलम्ब नहीं होने पाता है। (iv) राजनीतिक पाठ्यों का प्रभाव:—केन्द्रीय बैंक के कार्यों पर देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत कुछ निर्भर रहती है। राष्ट्रीयकरण में यह डर रहता है कि कही केन्द्रीय बैंक इन राजनीतिक पाठ्यों के प्रभाव में आकर कार्य नहीं करने लगे।

**सारांश:**—केन्द्रीय बैंक के राष्ट्रीयकरण के विषय से जो दलीलें दी गई हैं, ऐसा प्रतीत होता है, कि बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दी गई हैं। जिन देशों में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, वही के अनुभव से पता चलता है कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो ही जाना चाहिये।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B. A. & B. Sc.

- केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये और बताइये कि यह साथ का नियन्त्रण—(क) बाजार में खुले रूप से कार्य करके तथा (द) बैंक-दर के द्वारा किस प्रधार करता है? (1956)
- बैंक दर नीति पर नोट लिखिये। (1957 S)
- केन्द्रीय बैंक किसे कहते हैं? मुद्रा और साथ को यह बैंक किस प्रकार नियन्त्रित करता है, बताइये। (1956)
- बैंक (आर्थिकोप) दर का मुद्रा-नीति में क्या महत्व है? लिटिश बैंक दर ४२ से ५२ प्रतिशत तकों घटाया गया? (1957)
- Write a note on—Open Market Operations. (1956 S)
- What is meant by 'Cheap Money Policy'? Under what circumstances is its adoption profitable? (1956)
- Show how the Central Bank of a country controls credit? Point out the limitations on its power of controlling credit. (1956)
- Write a note on—Bank Rate. (1956, 1955 S)
- What is the importance of open market operations in controlling credit? (1955 S)
- Write a note on—The Clearing House System. (1955, 1954)
- Write a note on—Central Bank. (1954)
- Write a note on—Dear Money Vs. Cheap Money. (1954)

Agra University, B. Com.

- 'आर्थिकोप-दर' की परिभ्रान्ति करिये। किसी देश के आपार एवं उद्योग को आर्थिकोप-दर-परिवर्तन किस प्रकार प्रभावित करते हैं? (1956 S, 1957, 1956)
- किसी केन्द्रीय अधिकोप के साथ-नियन्त्रण के उद्देशों एवं पद्धतियों (Objects and Methods) को विवेचना करिए। (1956)
- Write a note on—Bank Rate. (1958, 1956, 1954)
- What are the functions of a Central Bank? How does it control the volume of currency and credit? (1957)

Rajputana University, B. A. & B. Sc.

- Write a note on—The Clearing House. (1955)

### Rajputana University B Com

1 Write a note on—Bank Rate (1955) 2 Write a note on—Clearing House (1955, 1954) 3 Explain Bank Rate and discuss its effects on the external and the internal situations of a country Can it operate effectively in India ? (1954)

### Sagat University, B A

१. केन्द्रीय बैंक के क्या कार्य हैं ? केन्द्रीय बैंक दूसरे व्यापारिक बैंकों को फेल होने से इस प्रकार बचाता है ? (१९५६) २. केन्द्रीय बैंक और बाणिज्य बैंक के कार्यों में अन्तर समझाइये। (१९५७) १. How does a Central Bank control the volume of currency and credit in a country ? (1958) 2 Write a note on—Clearing House System (1958, 1957)

### Sagar University, B Com

१. केन्द्रीय अधिकोप देश की मुद्रा एवं साल नीति का नियन्त्रण किस प्रकार करता है ? (१९५८) २. केन्द्रीय अधिकोप (Central Bank) के मुख्य कार्य क्या होते हैं ? केन्द्रीय अधिकोप व्यापारी अधिकोपों द्वारा नियंत्रित साल की रत्ति को कैसे नियन्त्रित करता है ? (१९५७) ३. नोट लिखिये—समाशोधन गृह (Clearing House)। (१९५७) ४. मुद्रा नीति के कौन कौन से मुख्य उद्देश्य हैं और इनमें से आप किन को अधिक मूलभूत समझते हैं ? (१९५५) ५. भारत जैसे कम विकसित मुद्रावाजार में केन्द्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिये। (१९५५) ६. मुद्रा पर नियन्त्रण रखने के लिये केन्द्रीय बैंक का खुले बाजार में प्रतिभूतियों का ऋण-विक्रय करना कही तक प्रभावशाली होगा ? विवेचन कीजिये। (१९५५) ७. केन्द्रीय अधिकोप मुद्रा तथा साल के अलिङ्गन को किस प्रकार नियन्त्रित करता है ? रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का यह नियन्त्रण कही तक प्रभावशाली है ? इसकी विवेचना कीजिये। (१९५४)।

### Jabalpur University, B A

१. केन्द्रीय अधिकोप (Central Bank) के मुख्य कार्य कौन से हैं ? (१९५६) २. संघेप में समझाइये—समाशोधन-गृह (Clearing House System)। (१९५६) ३. केन्द्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं ? इसके द्वारा साल का नियन्त्रण किस प्रकार होता है ? (१९५८)।

### Jabalpur University B Com

१. बाणिज्य-अधिकोपण तथा केन्द्रीय अधिकोपण में कौसी मिशन होती है ? प्रत्येषभरिमाण (Volume of Credit) पर केन्द्रीय अधिकोप किन किन श्रीतियों द्वारा नियन्त्रण रखता है ? (१९५८) २. नोट लिखिये—समाशोधन गृह (Clearing House) का गृष्णलाल विवास। (१९५८)।

### Vikram University, B A & B Sc

१. समिप्त टिप्पणी लिखिये—समाशोधन समझौते। (१९५६)।

### Vikram University B Com

1 Write a short note on—Clearing House (1959)

### Allahabad University, B. A

१. केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में क्या अन्तर है ? केन्द्रीय बैंक साल को

किस प्रकार नियन्त्रित करता है ? (१९५७) २. नोट लिलिए—बैंक दर। (१९५७)  
३. What are the main functions of the Central Bank ? How does it co-ordinate currency and credit ? (1955)

Allahabad University, B. Com.

1. What is Bank Rate ? How does it influence other money rates ? Discuss with reference to India. (1957) 2 Write a note on—Open Market Operations. (1957) 3. Describe briefly the functions of the Central Bank as to (a) structure (b) Operation and (c) Supervision of the money market. How far has the Reserve Bank of India succeeded in integrating the banking system of the country. (1956) 4. Write a note on—Clearing House System. (1956)

Gorakhpur University, B. Com.

1. What are the weapons in the hands of a Central Bank to control volume of credit and currency in a country ? How far has the Reserve Bank of India's policy succeeded in checking the rise in the prices of certain commodities ? (Pt. II 1959)

Aligarh University, B. A.

1. Why it is necessary to control the commercial banking system ? How is this control exercised ? (1956)

Bihar University, B. A.

1. Discuss the various methods of credit control by Central Banks. (1959) 2. What are the functions of a central bank ? How does it control commercial banks ? (1958)

Bihar University, B. Com.

1. Give a short account of the various objectives of monetary policy. What should be, in your opinion, its true objective ? (1958) 2. Critically examine the "Variable Reserve Ratio" as a weapon of credit control. Why has it been introduced in India ? Give reasons for your answer. (1958)

Nagpur University, B. A.

१. सेन्ट्रल (Central केन्द्रीय) अधिकोप को प्रत्यय नियंत्रण (Credit Control) के कौन से साधन उपलब्ध हैं ? इसके कार्य और परिसीमाओं को समझाइये। (१९५८) २. समाचोधन-गृह (Clearing House) क्या होता है ? इसके क्या साम हैं ? (१९५६) ।

परीक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत

प्रश्न १:—(i) केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये और बताइये कि पहला का नियन्त्रण—(क) बाजार में खुले रूप से कार्य करके हथा (ख) बंक-दर के द्वारा, किस प्रकार करता है ? (Agra B. A. १९५६, Jabb. B. A. १९५६, १९५८) (ii) केन्द्रीय बैंक किसे कहते हैं ? मुद्रा और साल को पहले बैंक विस प्रकार नियन्त्रित करता है बताइये (Agra B. A. १९५८, Sagar B. Com. १९५८) (iii) किसी केन्द्रीय अधिकोप के साल-नियन्त्रण के उद्देश्यों एवं पद्धतियों (Objects & Methods) को विवेचना करिये (Agra, B. Com. १९५६, (iv) केन्द्रीय बैंक दूसरे

व्यापारिक बैंकों को कल होने से किस प्रकार बचाता है? (Sagar, B. A १९५६), (v) केन्द्रीय अधिकारी अधिकारीयों द्वारा नियमित साल की राशि को बढ़ाने विषय-नियंत्रित करता है? (Sagar, B Com १९५७)। (vi) Comment on the following statement—"The Central Bank has considerable powers over the size of its own assets and hence on the size of the Member Bank's cash reserves, and hence on the money supply of the public." What weapons are used by central banks to influence its member bank's investments (Patna B Com 1950) (vii) Point out the limitations on its power of controlling credit (Agra, B A 1956)

**सवैत —** उपरोक्त प्रश्नों में छ बातें पूछी गई हैं—केन्द्रीय बैंक इसे कहते हैं? केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं? केन्द्रीय बैंक के साथ नियन्त्रण के उद्देश्य क्या है? केन्द्रीय बैंक मुद्रा तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा नियमित साल की मात्रा को बढ़ाने विषय-नियंत्रित करता है या यह बैंक व्यापारिक बैंकों का किस प्रकार नियंत्रण एवं सचालन करता है? साथ नियन्त्रण शक्ति की कीन कीनसी सीमायें हैं? बैंद्रीय बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों को देने होने से क्या बचाता है? प्रयम भाग में एक या दो परिमाणान्वयों के आपार पर केन्द्रीय बैंक का अर्थ स्पष्ट कीजिए और सक्षेप में बताइये कि विशिष्ट राशीं में केन्द्रीय बैंक की स्थापना क्यों की गई है जैसे—साथ नियन्त्रण पर नियन्त्रण करने की हेतु, बैंकों को आयिका सदृश्यता देने के हेतु तथा सरकार की मोद्रिक नीति को समर्थन बनाने के हेतु आदि (एक पृष्ठ)। द्वितीय भाग में केन्द्रीय बैंक के विभिन्न कार्यों को बढ़ाइये, जैसे—नोटों का नियंत्रण तथा चलन-प्रणाली की व्यवस्था, सरकार का सलाहकार व देवर व एजेन्ट, बैंकों का बैंक (अन्तिम अंगुणदाता के रूप में कार्य, अन्य बैंकों के नक्कड़ बोय का कुछ भाग अपने पास रखना, सभाशोधन-गृह का कार्य) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के राष्ट्रीय बोय का सरकारण, मूच्चनामों व आकड़ों को एकत्रित करना व प्रकाशित करना, साथ—नियन्त्रण (पौच-द्वय पृष्ठ) यदि प्रश्न में केन्द्रीय बैंक के समस्त कार्य पूछे गये हैं, तब साथ नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यों को सक्षेप में ही लिखना चाहिए। यदि प्रश्न में साथ-नियन्त्रण के उद्देश्यों अवश्य पद्धतियों को मूल रूप से पूछा गया है, तब प्रश्न में पूछी गई अन्य बातों को सक्षेप में और साथ-नियन्त्रण के कार्यों को विस्तार से पाँच द्वय पृष्ठों में लिखिये, जैसे साथ-नियन्त्रण के उद्देश्य लिखिए (आन्तरिक मूल्यों में स्थिरता लाना, विदेशी विनियम की दर में स्थिरता लाना, देश के उत्पादन व रोजगार में स्थायित्व लाना) साथ नियन्त्रण की अनेक विधियाँ हैं—बैंक दर की नीति (इसका अर्थ, प्रभाव व सीमायें सक्षेप में लिखिये), खुले बाजार की क्रियायें (इसका अर्थ, प्रभाव व सीमायें सक्षेप में लिखिए) बैंकों की रक्षित निधि की अनुपात में परिवर्तन करना, साथ का राष्ट्रिय करना, सीधी कार्यवाही करना, नीति उदाव ढालना विनाशन व प्रशाद बरना, उपभोक्ता साथ का नियमन करना तथा अंगुणों की सीमा आवश्यकता में परिवर्तन करना (पाँच द्वय पृष्ठ)। जब प्रश्न में साथ-नियन्त्रण की सीमायें मूल रूप से पूछी जाएं तब साथ-नियन्त्रण की विधियों को सक्षेप में बढ़ाइये और बैंक-दर व खुले बाजार की क्रियाओं की सीमाओं को विस्तार से बताइये—इसके अतिरिक्त यह बताइये कि बैंद्रीय बैंक साथ नियन्त्रण की नीति में तब ही सफल हो

रहता है जबकि मुद्रा-बाजार के विभिन्न अंगों का केन्द्रीय बैंक से पूरा-पूरा सहयोग हो और उनकी प्रणाली एक समुचित बैंकिंग प्रणाली के रूप में हो आदि (ठीन-चार इल)। अतः केन्द्रीय बैंक अपनी साथ-नियन्त्रण की विभिन्न रीतियों द्वारा व्यापारिक बैंकों पर नियन्त्रण करता है (बैंकिंग कम्पनीज एवं एट में केन्द्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों से नियन्त्रित करने के जो अन्य अधिकार दिये जाते हैं उन्हें भी लिखिए—जैसे नई ग्राहकों को खोलने पर नियन्त्रण, हिसाब-किताबों की जाँच, बैंकों को मिला देने का प्रधिकार, अनेक प्रकार के विवरण मेंगाना और उनको आदेश जारी करना आदि) और इन्हीं रीतियों द्वारा व्यापारिक बैंकों की साझ-सूचन शक्ति नियन्त्रित होती है। जब इन में यह पूँछा जाय कि केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को फेल होने से कैसे बचाता है तब केन्द्रीय बैंक एक अन्तिम अद्यादाता के रूप में जो कार्य करता है उन्हें विस्तार लिखिये।

**प्रश्न २—**(i) अधिकोष-दर (बैंक-दर) को परिभाषा करिये। किसी देश के व्यापार एवं उद्योग को अधिकोष-दर परिवर्तन किस प्रकार प्रभावित करते हैं (Agra B. Com.) १९५६, १९५७, १९५६), (ii) बैंक-दर का मुद्रा-नीति में क्या महत्व है? विदेश बैंक दर ४% प्रतिशत से ५% प्रतिशत क्यों बढ़ाया गया? (Agra B. A १९५७) (iii) Explain Bank Rate and discuss its effects on the external and the internal situations of a country. Can it operate effectively in India? (Raj. B. Com 1954), (iv) What is Bank Rate? How does it influence other money rates? Discuss with reference to India (Allahabad, B. Com. 1957) (v) "The Bank Rate is designed to control and regulate the economic activities in a country." Discuss briefly the important views as to how it works and say how far it is successful in India (Bihar, B. Com. 1954). (vi) Examine the influence of the bank rate on the foreign exchange market. In what manner does it influence the balance of trade? (Patna, B. Com. 1951.)

**संकेत—**उपरोक्त प्रश्नों में पौंच बातें दूरी गई हैं—बैंक-दर की परिभाषा, बैंक-दर का अन्य दरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैंक-दर परिवर्तन का देश के व्यापार व उद्योग (देश की अधिक क्रियाएँ) पर क्या प्रभाव पड़ते हैं अथवा बैंक-दर का देश की बाह्य-स्थिति (विदेशी विनियम बाजार) पर क्या प्रभाव पड़ता भयवा इसका व्यापार के सन्तुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैंक-दर का देश की मुद्रा-नीति में क्या महत्व है? भारत में बैंक-दर नीति की क्या सफलता रही है? उत्तर के भारतमें दो-चार बाब्यों में परिचय स्पष्ट लिखिये कि केन्द्रीय बैंक के विभिन्न कार्यों में साथ-नियन्त्रण का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है ताकि देश में आन्तरिक मूल्य में स्थिरता भावे, विदेशी विनियम की दर में स्थिर भावे उदया देश में रोजगार व उत्पादन में स्थायित्व भावे, कि साथ नियन्त्रण की विभिन्न रीतियों में बैंक-दर की नीति भी एक महत्वपूर्ण नीति है। तदपश्चात बैंक दर नीति का अंग बताइये (एक पृष्ठ)। द्वितीय भाग में यह बताइये कि बैंक-दर में परिवर्तन का मुद्रा-बाजार का अन्य दरों में परिवर्तन से क्या सम्बन्ध है? यह स्पष्ट कीजिये कि बैंक-दर नीति इस तथ्य पर आधारित है कि जब बैंक-दर में वृद्धि-कमी होती है तब बाजार-दर (इसका अर्थ भी समझाइये) उसा

मुद्रा-बाजार की अन्य दरों में भी उसी दिशा में परिवर्तन होते हैं, परन्तु यह तब ही होता है जबकि द्रव्य-बाजार विकसित व सुसंगठित होता है (आपा पृष्ठ)। तृतीय भाग में बताइये कि बैंक-दर में परिवर्तन का देश के व्यापार-उद्योग (देश की भार्दिक क्रियाएँ) व्यापार का सन्तुलन तथा विनियमय की दर पर व्यापार व्यापारियों व उत्पादकों द्वारा मुद्रा की माँग कम हो जाती है (इतनी ऊँची व्याज की दर पर उपयोग उधार सेकर इसका विनियोग करना ये सामन्त्रिक नहीं समझते हैं), व्यापार-उद्योग शिथिल पट जाते हैं। आन्तरिक मूल्य-स्तर व मजदूरी कम हो जाती है, बेरोजगारी के फैलने वा भय उत्पन्न हो जाता है। साख-सकूचन के समस्त प्रभाव प्रतीत होने लगते हैं, कि बैंक-दर के घटने से उक्त के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, मुद्रा-प्रसार की विषयि उत्पन्न होती है और व्यापार-उद्योगों के विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं (उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिये) इसी तरह यह बताइये कि बैंक-दर में परिवर्तन का विनियम-दर व व्यापार के सन्तुलन पर व्यापार व्यापारियों व उत्पादकों के देश में पक्ष में अववा अनुकूल हो जाती है। परन्तु बैंक दर के कम हो जाने पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, विनियमय की दर देश के विषय में हो जाती है। इसी तरह बैंक दर के बढ़ने पर, चूंकि मूल्य स्तर नीचे होने लगते हैं इसीलिये आयात होतोत्साहित व निर्यात प्रोत्साहित होती है, व्यापार-सन्तुलन में देश के पक्ष में होने वी प्रवृत्ति स्थापित हो जाती है। इसके विपुरीत बैंक-दर कम होने पर मूल्य स्तर में ऊँचे हो जाने की प्रवृत्ति हो जाती है, निर्यात होतोत्साहित व आयात प्रोत्साहित होती है जिससे व्यापार-सन्तुलन देश के विषय में हो जाने वी प्रवृत्ति स्थापित हो जाती है (उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये) (वार-पौंछ पृष्ठ)। चतुर्थ भाग में बताइये कि किसी देश की मुद्रा-नीति में बैंक-दर का बहा महत्व है? मुद्रा नीति का अर्थ बताइये कि किसी विशेष समय पर, विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय बैंक विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये मुद्रा प्रसार व सकूचन किया करता है, किसी निश्चित मुद्रा-नीति को कायान्वित करने के लिये केन्द्रीय बैंक साख-नियन्त्रण की अनेक रीतियां अपनाता है और उनम से एक बैंक-दर नीति भी है—यह यताइये कि बैंक-दर नीति अववा बैंक-दर में इमी या बृद्धि किन-किन परिस्थितियों में वी जाती है और इस तरह इस नीति का देश की मुद्रा नीति में महत्व सिद्ध हो जाता है, (दो-डाई पृष्ठ) पीचेवे भाग में बैंक दर नीति की मारत में सफलता को बताइये—यह बताइये कि अन्य दशों में बैंक दर नीति तो बहुत समय से सफलतापूर्वक कायं कर रही है, परन्तु मारत कर्प में सन् १९३५ में रिज़ब बैंक की स्पापना के बाद ही अपनाई गई, कि दितीय युद्ध में खुले बाजार को क्रियाओं का महत्व कम हो जाने से बैंक दर नीति का महत्व बढ़ा और तब से आज तक (विशेषतया अवमूल्यन के बाद) यही स्थिति है, कि सन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज एक्ट के बनने से पूर्व तो भारतीय मुद्रा-बाजार बहुत ही अस्त अस्त व पिछड़ी दशा में था जिसके कारण बैंद्रीय बैंक की साख-नियन्त्रण नीति (बैंक दर अववा खुले बाजार की क्रियाएँ) का सारे मोद्रिंग जगत अववा साख-स्पापनों पर अधिक प्रभाव

महीं पड़ने पाता था, कि देशी बैंकर आज में संगठित मुद्रा-बाजार से बाहर है और ये देश की साख की आवश्यकता की भी बहुत अधिक मात्रा में पूर्ति करते हैं, इन पर केन्द्रीय बैंक की बैंक-दर नीति का माज भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि प्रथम तो ये सुसंगठित संस्थाओं के हृष में कार्य महीं करते और फिर इनका मुद्रा बाजार की अन्य संस्थाओं से भी कोई सम्बन्ध नहीं होता है, कि भारत में व्यवस्थित विल बाजार का भी अभाव है, यद्यपि १९४६ के एकट से स्थिति में सुधार अवश्य हुआ है, केन्द्रीय बैंक का संगठित साख-संस्थाओं पर नियन्त्रण बढ़ गया है, उसके कारण देश में व्यवस्थित विल-बाजार अवश्य मुद्रा बाजार की रचना करने के प्रयत्न जारी हैं (उदाहरण दीजिये) निष्कर्ष के हृष में लिखिये कि यद्यपि अभी तक केन्द्रीय बैंक को अपनी बैंक-दर नीति में (अनेक उक्तलिखित कारणों द्वारा) विशेष सफलता नहीं मिली है, तथापि देश में बैंकिंग का जैसे-जैसे विकास व गठन व रिजर्व बैंक वा इस पर नियन्त्रण होता जा रहा है, जैसे ही ऐसे रिजर्व बैंक की बैंक-दर द्वारा साख-नियन्त्रण नीति भी सफल होती जा रही है और भविष्य में अन्य रीतियों के साथ ही साथ इस नीति द्वारा भी साख-नियन्त्रण बनने में पूर्ण सफलता मिल सकेगी (दोन्हाई पृष्ठ)।

भारत में बैंक-दर-नीति की सफलता-असफलता की जानकारी के लिये “रिजर्व बैंक प्रॉफ इण्डिया” नामक अध्याय पढ़िये।

Q 3—(i) What is the importance of Open Market Operations in controlling credit? (Agra, B. A. 1955), (ii) Examine carefully the Importance of Open Market Operations as an instrument of Central Banking Policy. (Patna B. Com. 1950)

संकेत—उत्तर के भारम्भ में परिचय स्वरूप केन्द्रीय बैंक के साख-नियन्त्रण के कार्य के उद्देश्यों के बारे में लिखिये—इनकी आवश्यकता, उद्देश्य तथा सक्षेप में महत्व बताइये। तदूपरवात् बताइये कि केन्द्रीय बैंक की साख-नियन्त्रण की अनेक रीतियों में से खुले बाजार की क्रियाओं को करने की भी एक महत्वपूर्ण रीति है कि इसका अधिक प्रयोग प्रथम युद्ध के बाद ही हुआ क्योंकि युद्ध से पहले न तो अण्ड-पत्रों की इतनी भर-मार थी, न केन्द्रीय बैंक को ही मोटिक जगत में हस्तक्षेप करने की बहुत आवश्यकता थी, परन्तु युद्ध-काल में परिवर्तन ही जाने के कारण केन्द्रीय बैंक के लिए आर्थिक जगत में सक्रिय हृष में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया, सन् १९३१ में स्वर्ण-मान के ट्रूट जाने पर बैंक-दर का महत्व अपेक्षाकृत कम हो गया और इस कारण खुले बाजार की रीति का महत्व बढ़ा। (आपा पृष्ठ) द्वितीय भाग में खुले बाजार को की क्रियाओं का घर्यं बताइये तथा यह स्पष्ट कीजिये कि केन्द्रीय बैंक इस रीति को अपना कर सायं व चलन-प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित एवं नियन्त्रित करता है (इस रीति का कार्य-संचालन लिखिये)—फिर यह बताइये कि इस रीति को किस परिस्थितियों में अपनाया जाता है और यह भी लिखिये कि दिन-प्रति-दिन खुले बाजार, की क्रियाओं का महत्व ब्यां बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यह रीति हड़, प्रत्यक्ष व चपल है, क्योंकि इस रीति में स्वतन्त्र कार्य-वीतता है, क्योंकि यह बैंक-दर की क्रिया है एक पुरक के हृष में कार्य करती है आदि। (तीन-चार पृष्ठ) चूंकि उक्त प्रस्तों में केवल इस रीति के महत्व को पूछा है, इसलिये इस रीति की सीमाओं को लिखना अनावश्यक है।

प्रश्न ४—(1) देन्द्रीय अधिकोप मुद्रा और साल के परिमाण को जिस प्रकार 'नियन्त्रित करता है ? रिजर्व बैंक आँफ इडिया का यह नियन्त्रण कहीं तक प्रभावशाली है ? इसकी विवेचना कोजिये ।

(Gorakhpur, B Com 1959, Sagar, B Com 1954)

सवेत—उत्तर वे आरम्भ म देन्द्रीय बैंक 'बा ग्रंथ बताइये—पर यह लिखिय कि इष्टके अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं (बताइये) और इनमें से साथ व मुद्रा का नियन्त्रण करता भी है—मुद्रा नियन्त्रण के बाय को लिखार, विस्तार से साख-नियन्त्रण की विभिन्न रीतियों को लिखिये (विशेषकर बैंक दर व खुले बाजार की त्रियायें) प्रत्यक रीति को लिखने समय रिजर्व बैंक आँफ इडिया से उदाहरण दीजिय (पौच-थ पृष्ठ)। अन्त मे निष्कर्ष के रूप मे लिखिय कि सन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज एकट के बन जाने के बाद मुद्रा बाजार को परिस्थितियों तथा रिजर्व बैंक के अधिकारों में मूलभूत परिवर्तन हुये हैं (मक्से पे बताइय उक्त एकट की मूल बातें) जिससे यद्यपि सन् १९५६ से पहले रिजर्व बैंक को मुद्रा व साथ के नियन्त्रण मे विनोप सफलता नहीं मिली थी, परन्तु अब यह बैंक अपने साख-नियन्त्रण के कार्य मे सप्रभावी सिद्ध होता जा रहा है। (रिजर्व बैंक आँफ इडिया नामक अध्याय मे उसके साथ नियन्त्रण बाय की विवेचना विस्तार से लिखी गई है, इस अध्याय को पढ़िये ।

## अध्याय १४

### अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप

(The International Monetary Fund)

प्रावक्षयन — सन् १९३१ मे सबप्रथम इगनेंड मे और तत्पश्चात् अन्य देशों ने स्वर्ण-मान को त्याग दिया। जब तक विभिन्न देश स्वर्ण मान यर रह, इनके बीच विनियम दर मे परिवर्तन बहुत थोड़ा व अल्पकालीन हुआ करता था। ("विदेशी विनियम" नामक अध्याय पढ़िय)। यह हम जानते ही हैं कि जब किसी देश की विदेशी विनियम दर मे अधिक स्थिरता रहती है, तब विदेशी व्यापार तथा विनियम देशों के बीच विनियोग (Investment) के लिए पूँजी का आवागमन बहुत सुगमता से हो जाता है। जब तक सहार मे स्वर्ण-मान रहा तब तक इसी प्रकार को दशाएं पाई गईं। परन्तु जब परिस्थिति-तथा सन् १९३१ मे विभिन्न देशों को स्वर्ण मान त्यागना पदा और इसके अस्थिरतेनीय पत्र मुद्रा का कम अधिक मात्रा मे प्रचलन करना पड़ा, तब विभिन्न देशों के बीच विनियम दर (Rate of Exchange) मे अस्थिरता (Instability) उत्पन्न हो गई जिससे अधिकारा देशों को विनियम-नियन्त्रण (Exchange Control) की नीति अपनानी पड़ी। इस नियन्त्रण का परिणाम यह हुआ कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के निए अब स्वर्ण मान बाली स्वतन्त्रता नहीं रही जिससे विदेशी व्यापार मे अनेक

बाधाएं एवं असुविधाएं उत्पन्न हो गई और शनैः शनैः विदेशी व्यापार की मात्रा बहुत घट गई। अत्यधिक अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा चलन के कारण मूल्यों में चयत्-पुयत् हो गई और इसके परिणामस्वरूप भ देश के विदेशी व्यापार में उलझनें उत्पन्न हो गई बरन् विभिन्न राष्ट्रों के आन्तरिक व्यापार में भी कठिनाईयाँ उत्पन्न हो गई। इस परिस्थिति में प्रत्येक देश विना किसी दूसरे देश के आधिक हितों का ध्यान दिये, अपने निज स्वार्थ में आधिक नीति अपनाने लगा। यही कारण है कि इस काल में विनियम नियन्त्रण की नीति प्रत्येक देश की आधिक नीति का आवश्यक अग बन गई। कुछ राष्ट्रों ने इस विनियम नियन्त्रण की नीति का दुरुपयोग किया, उन्होंने विनियम अवमूल्यन (Exchange Devaluation) द्वारा अपनी नियर्यात बढ़ाई और आयात को नियन्त्रित हित किया। जब कुछ देशों ने ऐसी धातक नीति अपनाई, तब इसके प्रतिक्रियास्वरूप अन्य राष्ट्रों ने या तो अपनी विनियम दर को भी आधिक अवमूल्यत (Devalued) कर दिया या भारी आयात कर (Heavy Import Duties) समाकर अपने देश के भ्रष्टों की रक्षा की। परिणामतः एक दूसरे की देश-रैखी सभी देश एक दूसरे का गता काटने के लिये सदैव तंपार रहते थे और उनमें विनियम अवमूल्यन को होड़ (Competitive Exchange Devaluation) की भावना जाग्रत हो गई थी। इस प्रकार की पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धि तथा विनियम दर की अनिविचितता और अस्पृशता के बातावरण से विदेशी व्यापार (International Trade), अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन तथा विनियोग के लिए पूँजी के आवागमन को बहुत घटका पहुँचा और इस अनिविचितता के बातावरण में विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई। इस दशा में कुछ देशों ने द्विपक्षी समझौतों (Bilateral Agreements) द्वारा समान मूल्य की वस्तुओं की आयात-नियर्यात की बिसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक देश की अन्य देशों से पृथक्-पृथक् विनियम दर तय होने लगी। इस आधिक निर्भरता के युग में विनियम दर की अविद्यरता के दुष्परिणामों को भली प्रकार सोचा जा सकता है क्योंकि यदि किसी देश में बेरोजगारी फैली और भजदूरी कम हुई तब अन्य दूसरे देश में उपभोक्ता को उपयोग की वस्तुएं कठिनाई से उपलब्ध हुए।

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या इन परिस्थितियों में स्वर्ण मान को दुबारा स्थापित किया जा सकता था? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। स्वर्ण मान को अब दुबारा स्थापित करना कठिन था। इसके कई कारण हैं:—(i) सन् १९३१ के पश्चात् प्रथम तो विभिन्न देशों में अपरिवर्तनीय एवं-मुद्रा इतर्ती आधिक मात्रा में जारी की जा चुकी थी कि इन्हे पूर्ण रूप से स्वर्ण की प्रतिनिधि (Fully Representative of Gold) बनाना कठिन था। (ii) स्वर्ण को स्वतन्त्र आयात-नियर्यात समाप्त हो चुकी थी और इस ओर पुनः स्वतन्त्रता स्थापित करना कठिन था। (iii) प्रत्येक देश स्वर्ण-मान रोपुन स्थापित करने के लिए अपना आन्तरिक मूल्य-स्तर अन्य देशों के मूल्य-स्तर के भनुसार बायम रखने के लिए तंपार नहीं पा क्योंकि प्रथम सो ऐसा करना सम्भव नहीं पा और फिर यदि ऐसा कर भी दिया जाता, तब इससे उनको आन्तरिक आधिक दशा बहुत अस्त-व्यस्त हो जाती। (iv) विभिन्न देशों में प्रथम मुद्रा-मान Managed Paper Currency Standard) की स्थापना से बहाँ के बेन्ड्रोय वैक देश की आधिक स्थिति का नियमन (Regulation) करने लगे थे, परन्तु स्वर्ण मान में देश का बेन्ड्रोय वैक आन्तरिक आधिक

स्थिति को अधिक नियन्त्रित नहीं करने पाता है क्योंकि इस मान में देश की मुद्रा का परिमाण स्वर्ण की स्वतन्त्र आयात नियंत्रित पर निर्भर रहता है। अतः इन सब कारणों से स्वर्ण मान (Gold Standard) को दुबारा स्थापित करना कठिन ही नहीं या वरम् यह असम्भव था। इसलिये परिस्थितिवद ऐसी योजना की आवश्यकता थी जिसके विभिन्न देशों को स्वर्ण मान के सब लाभ तो प्राप्त हो जायें परन्तु इसके दोष से ये बचे रहे।

द्वितीय महायुद्ध काल में स्थिति और अधिक बिगड़ गई। युद्धकालीन कारबी मुद्रा के अत्यधिक प्रसार (War-Time Inflation) के कारण लगभग प्रत्येक देश में मुद्रा-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई, विनियम दर में अत्यधिक अस्थिरता आ गई तथा भूल्य स्तरों में बहुत वृद्धि हो गई। परिणामतः विदेशी व्यापार में अनेक वाघाएं पढ़ने लगी और विभिन्न देशों के आन्तरिक व्यापार (Internal Trade) वा सचालन भी ठीक नहीं रहा। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की व्यवस्था का बना रहना राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हितों को हानि से बचा चातक था। यू. तो आरम्भ से ही कुछ देश अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की किसी योजना द्वारा इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न कर रहे थे, परन्तु द्वितीय महायुद्ध काल में इस और विशेष प्रयत्न किया गया। इसका कारण स्पष्ट है। युद्धकाल में ही यह अनुमान लगाया जाने लगा था कि मुद्रा के कारण विभिन्न देशों की अत्यधिक आर्थिक स्थिति होगी और युद्धोत्तर काल (Post-war Period) में इन देशों के पुनर्नियमण और विकास की ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो जायेगी कि इनका 'हल' बिना अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिये युद्धकाल में ही कई अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की योजनाओं का निर्माण किया गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व द्रव्य सम्बन्धी सहयोग, युद्धोत्तर काल में विदेशी व्यापार के विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय अल्लों के समुचित प्रबाह के लिये, अप्रैल सन् १९४३ में दो योजनाएँ प्रकाशित की गई थीं। इनमें प्रथम विटिश योजना थी जिसको की-स योजना (Keynes Plan) भी बहा जाता है। इस योजना में एक अन्तर्राष्ट्रीय मुगलान सघ (International Clearing Union) स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी। इस योजना के अनुसार एक विशेष अन्तर्राष्ट्रीय हिसाब की मुद्रा 'बैंकोर' (Bancour) का निर्माण किया जायगा और इस मुद्रा वा अस्तित्व अन्तर्राष्ट्रीय मुगलान-सघ की पूस्तकों के अंतरिक्त और वहीं भी नहीं होगा। अन्तर्राष्ट्रीय विपराता (Outstanding International Balances) की समस्या को सुलझाने के लिये यह सघ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन करेगा। इस मुद्रा के लिये अपेक्षी तथा ऋणदाता दोनों ही पक्षों को व्याज का मुगलान करना पड़ेगा। ग्रामरिका तथा अन्य कुछ देशों को यह प्रणाली पसन्द नहीं आई क्योंकि इसमें अल्लों तथा ऋणदाता दोनों ही पक्षों को व्याज देना पड़ता है। दूसरी योजना छां छाइट (White) द्वारा बनाई गई थी, इस "ब्लाइट योजना" (White Plan) भी जहा गया है। छां छाइट के अमेरिका निवासी होने के कारण इस योजना की "बमेरिकन योजना" भी कहा गया है। इस योजना में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता कोष (International Stabilization Fund) की व्यवस्था की गई थी। जूँ कि ऋणदाता

देशों में अमेरिका का स्थान प्रमुख रहा है, इसलिये उसी की योजना मुछ मशोधन से स्वीकृत कर ली गई।

### अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोष (International Monetary Fund)

**कोष की स्थापना:**—विनिमय-स्थिर्य, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास तथा मन्य मोद्रिक समस्याओं पर विचार करने के हेतु अमेरिकन सरकार ने जुलाई सन् १९४४ में ब्रेटन वुड्स (Bretton Woods) नामक स्थान (अमेरिका में) पर एक समुक्त राष्ट्र सम की मोद्रिक तथा आयिक परियद (सम्मेलन) बुलाई। इस परियद में ४४ मिश्र राष्ट्रों ने अपने अपने प्रतिनिधि भेजे। जो योजना इस परियद में ४४ विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत की गई वह ब्रेटन वुड्स समझौते (Bretton Woods Agreement) के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। भारत ने भी सर जेरेमी रैसमेन (Sir Jeremy Raisman) के सभापतित्व में, जो उस समय की गवर्नर-जनरल वी सभा के राजस्व सदस्य थे, एक मन्त्र-मण्डल (Delegation) भेजा था। परियद ने यिस योजना को स्वीकार किया उसके अन्तर्गत ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I. M. F.) तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (I. B. R. D.) का निर्माण किया गया है। इस बैंक को विश्व बैंक (World Bank) वा नाम दिया गया है।

**मुद्रा-कोष के उद्देश्य (Objects of Establishing the Fund):**—कोष का निर्माण कई उद्देश्यों को लेकर किया गया है।—(i) अन्तर्राष्ट्रीय मोद्रिक सहयोग—एक स्थायी संस्था द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मोद्रिक सहयोग प्राप्त करना, इस सहयोग को प्रोत्साहन देना तथा अन्तर्राष्ट्रीय आयिक समस्याओं को सहयोग तथा परामर्श से हल करना। (ii) विनिमय में स्थायित्व स्थापित करना:—चालू व्यवहारों (Current Transactions) के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को आवश्यकतातुकार एक हूँते राष्ट्र की मुद्रा से परिवर्तित करना ताकि विदेशी विनिमय में स्थायित्व (Exchange Stability) स्थापित हो सके और स्पर्धात्मक विनिमय-प्रबलूप्ति (Competitive Exchange Depreciation) की जावशक्ति ही नहीं रहे। इस तरह कोष का उद्देश्य सदस्यों के बीच नियमित विनिमय व्यवस्थाओं को बनाए रखना होता है। अतः कोष वा उद्देश्य समासद राष्ट्रों की मुद्राओं के आन्तरिक मूल्य और विनिमय मूल्यों में स्थिरता कायम रखना है। इस उद्देश्य की पूति के लिए कोष सदस्यों को मुद्राओं का स्वर्ण व्यववा दातार मूल्य निर्दित करता है। सदस्य राष्ट्र इस दर पर आपस में या कोष से विदेशी मुद्राओं वा या स्वर्ण का सम-विकल्प प्राप्त है। इसका यह भी परिणाम होता है कि राष्ट्रों में स्पर्धात्मक विनिमय घटनाद्वारा होता है। (iii) बहुराषी भुगतान व व्यापार की पद्धति स्थापित करना (Multilateral System of Trade and Payments)—कोष वा उद्देश्य है द्विपक्षी एम्बेटेंट्स (Bilateral Agreements) के स्थान पर बहुपक्षी भुगतान व व्यापार की पद्धति परे स्थापना में सहायता होना। इस उद्देश्य को पूति के लिये कोष सदस्य देशों द्वारा समाए गये विदेशी व्यापार के विकास में वापक होने वाले विनिमय नियन्त्रणों को हटाने का प्रयत्न किया करता है। (iv) विनिमय नियन्त्रणों को

हटवाने में सहायक होना —कोप का यह भी उद्देश्य होता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावटे डालने वाले विनियम-नियन्त्रणों (Exchange Controls) को हटवाये। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह कोप अपने सभी सदस्यों को दूसरे राष्ट्रों की मुद्राएँ उधार देता है या बेचता है ताकि विभिन्न राष्ट्रों को अपने विदेशी व्यापार में या लेनी-देनी में संतुलन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई वाधा नहीं पड़े। (v) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रों के संतुलित विकास में सहायक होना —कोप का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार को और राष्ट्रों के संतुलित आर्थिक विकास को मुखिया जननक बनाना है। इस प्रकार इसका उद्देश्य सभी सदस्य राष्ट्रों में रोजगार व वास्तविक आय (Real Income) का ऊचा स्तर कायम करना और इसे बनाए रखना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कोप सदस्यों ने दूसरे राष्ट्रों की मुद्राएँ उधार देता है या बेचता है ताकि ये अपनी भुगतान विषमताओं को दूर कर सकें। (vi) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के अन्तर की विषमता को दूर करना —कोप का उद्देश्य सदस्यों के अन्तर्राष्ट्रीय शोधनाविक्षय के प्रसंतुलन (Disequilibrium in International Payments) की विषमता और इसकी अवधि को कम करना है। कोप सदस्यों को विदेशी मुद्राएँ देकर इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। (vii) लाभप्रद कार्यों के लिये पूँजी का विनियोजन करना —कोप का उद्देश्य एक देश से दूसरे देश में दीर्घकालीन पूँजी को लाभप्रद कार्यों में लगाने में सहायता देना भी है। अत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-पद्धति को जन्म देना है जिसमें सोच हो तथा जो ध्यवहारिक हो, जो अन्तर्राष्ट्रीय विनियम दरों में अधिक स्थावित्व (Stability) सा सके तथा जो सदस्य राष्ट्रों की अल्पकालीन साख को आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके आदि अनुमति से पता चाहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप ने उक्त उद्देश्यों की पूर्ति बहुत कुछ सफलतान्वेक की है।

#### कोप का कोटा (अभ्यर्ता) तथा पूँजी (Quotas and Capital of the Fund)

इस कोप की कुल पूँजी सन् १९४६ से पहले १०,००० मिलियन डोलर से भी और इस पूँजी में उस समय प्रत्येक देश का कोटा या अभ्यर्ता (Quota) निर्धारित किया गया था। कुछ मुख्य राष्ट्रों के कोटे मिलियन डोलर में इस प्रकार थे—अमेरिका २७५०, रूस १२००, चीन ५५०, फ्रान्स ४५०, भारत ४००, इंग्लैंड १३५०, कनाडा ३००, बास्टर-लिया २००, दक्षिणी भारत १००, ईरान १५, पाकिस्तान १०० आदि। अक्टूबर १९५६ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रान्योप व बैंक के गवर्नर्स की बायिक बैठक नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में दो महत्वपूर्ण नियन्त्रण लिये गये थे—(i) कोप तथा बैंक के साधनों में वृद्धि की जाय तथा (ii) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association) की स्थापना भी जाय। बोप व बैंक के साधनों में वृद्धि का प्रस्ताव अमेरिका के प्रतिनिधि ने पेश किया था और यह प्रस्ताव संवैसम्मति से पात हो गया था। इस प्रस्ताव के द्वारा कोप के एक नीतिकूटिक डाइरेक्टर्स (Executive Directors) को काप के साधनों में वृद्धि न रखने व सदस्य देशों के कोटा बढ़ाने पर कायं दे दिया गया था। इन डाइरेक्टर्स ने सब सदस्यों के कोटे (Quotas) में ५०% की वृद्धि की है। कुछ

देशों ने अपने बोटे से भी अधिक चांदा देने का वचन दिया है। इनमें पश्चिमी जर्मनी, जापान, कनाडा भारि प्रमुख हैं। एग तरंह कोप की पूँजी १०,००० मिलियन डालर से बढ़कर १५,००० मिलियन डालर हो गई है। जब सब देशों के चन्दों का मुग्यतान् पूर्णतया पर दिया जायगा, तब कोप का स्वर्ण-जमा २,३०० मिलियन डालर से बढ़कर ४,६०० मिलियन डालर हो जायगा। कोप के साधनों में बृद्धि से बहुत अधिक लाभ इस सत्या को ही हृषा है। अब इसकी जकि व व्यापकता पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। यह अपने काष्ठों को अब पहले से बहुत अधिक मुग्यता से कर सकेगा। विश्व व्यापार के लिये पहले से अधिक मात्रा में सहायता दी जा सकेगी तथा शोपनाशेष यी छठिनाह्यों को खरलता से दूर किया जा सकेगा। विभिन्न राष्ट्रों को अपनी मुद्रा की परिवर्तनशीलता को बनाये रखने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा आदि।

हस्त ने इस कोप की सदस्यता स्वीकार नहीं की है। जो देश भौद्धिक सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुये थे, उनको बाद में मुद्रा-कोप की योजना में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया था। ऐसे देशों का कोटा या चन्दा कोप निश्चित करता है। प्रत्येक ५ वर्ष बाद २५ घटुपति से कोप किसी भी देश का कोटा बदल सकता है, परन्तु इसके लिये सदस्य देश की अनुमति आवश्यक होती है। किसी सदस्य देश की प्रार्थना पर भी बोटे की मात्रा में परिवर्तन दिया जा सकता है। जिन देशों ने ब्रेटनवर्ट्ट्रा सम्मेलन में भाग लिया था या जिन देशों ने ३१ दिसम्बर १९४५ ऐ पहले कोप की सदस्यता स्वीकार करली थी, वे देश इस कोप के भौतिक सदस्य (Original Members) माने जाते हैं। भारत ने भी दिसम्बर १९४५ में इस कोप की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। प्रत्येक देश को अपना कोटा (चन्दा) स्वर्ण में तथा अपने देश की मुद्रा में देना पड़ता है। स्वर्ण का भाग उस देश के कोटे का २५% या उस देश की मुद्राओं में या प्रतिभूतियों (Securities) में दिया जाता है। भारत ने भी योप की सदस्यता स्वीकार परते समय अपने कोटे का १०% भाग स्वर्ण तथा डॉलर में और सेप्ट भाग रुपयों में एवं रुपये की प्रतिज्ञा अपेन्नों (Promissory Notes) में दिया था। इन प्रतिभूतियों पर भारत खरलता अपेन्न नहीं देती है।

समता-दर का निपरिण (Determination of Par Values of Currencies):— ब्रेटनवर्ट्ट्रा-नामभौते का गुण्य उद्देश्य ही यह या यि सदस्य राष्ट्र यासानी से आपरा में मुद्रा का विनियम कर सकें, इसीलिये सरके उवादा ध्यान विनियम-दर के निर्धारण तथा इसके स्थायित्व पर ही दिया गया है। जब कोई राष्ट्र कोप का सदस्य बनता है, तब इसे बोए से डॉलर (इसका बजन व उत्तमता जो १ युसाई मन् १६४५ को था) या सोने में अपनी मुद्रा की विनियम-दर तय करनी पड़ती है। इस प्रवार प्रत्येक देश की मुद्रा का स्वर्ण में मूल्य निश्चित हो जाने के पश्चात् विनियम-दरों ने निर्धारण में कोई बद्धिनाई नहीं रहती है। यह इस ब्रेटनवर्ट्ट्रा योजना के अनुगार स्वर्ण के हारा सतार के प्रत्येक राष्ट्र की मुद्रा के विनियम की उम्म-मूल्य दर (Par Value) निश्चित

हो जाती है। किसी सदस्य द्वारा सोने के क्रम विकल्प के लिये कोष इस तुल्यता (Parity) से एक उच्चतम तथा निम्नतम सीमा (Upper and Lower Margin) तय कर देता है। कोई भी देश स्वर्ण का क्रम इस तुल्यता + (Plus) उपरी सीमा से अधिक पर या दिक्षण तुल्यता - (Minus) निम्नतम सीमा से कम पर नहीं कर सकता। इस प्रकार प्रत्येक दश प्रतियोगी अवमूल्यन (Competitive Devaluation) की आवश्यकता को दूर करने विनियम स्थैर्य (Exchange Stability) लाने तथा अन्य राष्ट्रों से व्यवस्थित किनिमय करने में सहयोग देगा। अतः कोष की नियमित से विनियम दर में स्थिरता आ जाती है।

धारम में भारत ने स्वर्ण का स्वर्ण मूल्य ० २६८६०१ ग्राम विशुद्ध स्वर्ण नियित किया था और डॉलर में स्वर्ण का मूल्य ३० २५ सेन्ट नियित किया गया था। परन्तु १८ सितम्बर सन् १९३६ को एफेक्ट अवमूल्यन (Devaluation of the Rupee) हो जाते पर, स्वर्ण का स्वर्ण मूल्य एवं डॉलर मूल्य त्रुम्य ० १८६६२१ ग्राम विशुद्ध सोना तथा २१ सेन्ट हो गया है।

समता दर में परिवर्तन (Changes in Par Values of Currencies) — स्वर्ण मान की तरह कोष विनियम-दर को स्थूल (Rigid) नहीं बताता है। इस समतादर (विनियम दर) पर परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। यदि किसी देश की विनियम दर में एक आधारभूत असन्तुलन (Fundamental Disequilibrium) हो गया है, तब यह देश अपनी पूर्व नियित विनियम दर को अधिक प्रारम्भिक सममूल्य को (Initial Par Value of its Currency) १० प्रतिशत कम या अधिक कर सकता है। ऐसा करने से पहले यह कोष से केवल परामर्श (Consultation) करेगा, परन्तु विनियम-दर में परिवर्तन का यह कार्य कोष की ग्रिना स्वीकृति के लिया जा सकेगा और कोष ऐक्षण्य करने से मना भी नहीं करेगा। परन्तु यदि यह राष्ट्र इस सीमा से अधिक विनियम दर में परिवर्तन करना चाहता है तब इसे कोष से स्वीकृति (Concurrence) लेनी पड़ेगी। जब कोई राष्ट्र इस १० प्रतिशत के अतिरिक्त १० प्रतिशत (१०% से अधिक और २०% से कम) विनियम दर में परिवर्तन करने के लिये कोष से प्रार्थना करेगा तब कोष ७२ घट्टे के अन्तर ही अपना निर्णय (Concurrence or Objection) इस देश को सूचित कर दगा यदि कोई राष्ट्र विनियम दर में इस सीमा से भी अधिक परिवर्तन चाहे (२०% से अधिक), तब कोष अधिक समय तक इस प्रार्थना पर विचार करने विनियम दरता है। कोष में किसी दश की विनियम तुल्यता (Par Value) में परिवर्तन का निर्णय बहुमत (Majority Vote) से होता। कोष का सिर्फ एक समय सदस्य राष्ट्रों ने यह मान लिया था ति वे इस परिवर्तन की प्रार्थना केवल मौजिक असन्तुलन (Fundamental Disequilibrium) को ही टीका करने के लिये करेंगे तथा कोष भी एकी परिस्थिति में ही इस प्रायता दो स्वीकार कर लेगा। अतः अब स्पष्टतम्ह विनियम अवमूल्यन (Competitive Exchange Depreciation) की सम्भावना बहुत कम हो गई है। इस योजना वा उद्देश्य ही यह है कि किसी देश की विनियम दर में परिवर्तन केवल उसके आन्तरिक मूल्य और अमदनी के स्तर (Internal Price and

Income Level) के अनुसार ही हो। इसमें यकायक लाभ प्राप्ति या और किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिये परिवर्तन नहीं होना चाहिये। यदि किसी देश की विनिमय दर के परिवर्तन को प्राप्तना को कोष अत्यधिकार कर दे, तब उस सदस्य को यह छूट है कि वह कोष को तुरन्त ही छोड़ सकता है। यदि किसी देश ने कोष की स्वीकृति के बिना ही विनिमय दर में परिवर्तन कर दिया है तब इसे कोष की सदस्यता से मिलने वाले लाभों से वंचित कर दिया जायगा और कुछ समय बाद इसे अनिवार्य ही कोष से हटना (Compulsory withdrawal from the Fund) पड़ेगा। कोष भी बहुमत से तथा कुल कोटि के १० या अधिक प्रतिशत वाले सदस्यों की स्वीकृति (Approval) से तमाम देशों की तुल्यताओं (Par Values) में आनुपातिक (Proportionate) परिवर्तन कर सकता है। परन्तु यदि किसी देश को इस प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं है तब वह कोष के इस प्रकार के नियंत्रण के ७२ घण्टे में कोष को अपनी अस्वीकृति सूचित कर सकता है जिससे उसकी मुद्रा की तुल्यता (Par Value of its Currency) में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः इस कोष के नियमित से विभिन्न देशों की विनिमय दर स्थिर रहती है तथा विदेशी परिस्थितियों में इसमें परिवर्तन भी सम्भव है। परन्तु लेन-देनी की बाकी (Balance of Payments) में समता लाने के लिए कोष सदस्य-देशों की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता है।

**अतः** यह स्पष्ट है कि कोष ने विभिन्न राष्ट्रों को अपनी आधिक, सामाजिक तथा अन्य घेरेलू समस्याओं को सुलझाने के लिए समय-समय पर अपनी करेन्सी के सम-मूल्य (Par Value) में परिवर्तन करने की स्वतन्त्रता दे रखी है। बास्तव में, कोष ने सदस्य राष्ट्रों के करेन्सी सम-मूल्य के परिवर्तन में कोई बाधा नहीं ढाली है। भारत, इंगलैंड तथा कुछ अन्य देशों ने अपनी करेन्सी में १८ सितम्बर सन् १९४६ को ३००% अव-मूल्यन किया था और कोष ने इन्हें ऐसा करने के लिए स्वीकृति दे दी थी।

**कोष का लेन-देन (Transactions of the Fund)** :—कोष का मुख्य कार्य सदस्य-देशों की मुद्राओं को एक दूसरे के लिए क्रय-विक्रय करना है। सदस्य देश की माँग होने पर कोष उसकी मुद्रा व स्वर्ण के बदले किसी दूसरे देश की मुद्रा की व्यवस्था कर देता है। परन्तु इस लेन-देन के सम्बन्ध में एक शर्त है। किसी भी समय कोष के पास किसी एक सदस्य की मुद्रा की मात्रा इसके अध्ययन (Quota) से २००% से अधिक नहीं होगी। मान लो, किसी देश का १०० मिलियन डॉलर का कोटा है जिसमें उसने २५ मिलियन डॉलर का सोना और ७५ मिलियन डॉलर की अपनी मुद्रा कोष को दी है। यदि यह देश किसी समय कोष से अपनी मुद्रा के बदले में किसी विदेश की मुद्रा की माँग करता है, तब यह इससे १२५ मिलियन डॉलर से अधिक की मुद्रा नहीं उधार ले सकेगा ( $200 - 75 = 125$ )। कोष द्वारा दी जाने वाली १२५ मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा के लिए इसके पास इस देश को ( $125 + 75 = 200$ ) मिलियन डॉलर की मुद्रा + २५ मिलियन डॉलर का स्वर्ण सिव्यूरिटी (Security) के रूप में जमा रहता है। उधार लेने वाले देश को यह लाभ है कि यह कोष के पास के बदल २५ मिलियन डॉलर का स्वर्ण रखकर ही १२५ मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त कर

सकता है। इसी लेन-देन के सम्बन्ध में एक शर्त और है— एक देश एक वर्ष में अधिक से अधिक २५% भाग ले सकता है। उक्त डिवाहरण बाला देश एक वर्ष में अधिक से अधिक २५ मिलियन डॉलर की घपनी मुद्रा देनेर विदेश की मुद्रा द्वारा सकता है। यह बाधा इसलिए लगाई गई है ताकि कोप में प्रत्य मुद्रायें (Scarce Currencies) शीघ्र ही समाप्त न हो सके। यह अवश्य है कि कोप इन शर्तों को असाधारण परिस्थितियों में रद्द बर सकता है। यह घ्यान रहे कि कोप ने हुस छह और वायिक छह की सीमा इसलिए निश्चित की है ताकि सदस्य देश स्वयं अपनी व्यक्ति को सुधारे। इसलिए कोप से वेतव अस्थाई सतततन या चालू लेन-देन के खातों के लिए ही अब लिया जाता है। कोप के साधनों का प्रयोग पुराने छहरों का भुगतान करने के लिए नहीं हो सकता है। इस कोप की सहायता से एक अणी देश सोने की निर्यात और इससे उत्तम हुई अस्तीति से सुरक्षित रहता है।

ऋण पर व्याज (Interest on Borrowings):—कोप छह पर ३% सेवा व्यय (Service Charges) तथा कुछ व्याज लेता है ताकि कोई सदस्य राष्ट्र विना आवश्यकता यथा बार-बार कोप से विदेशी विनियम नहीं खरीदे, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि जैसे-जैसे मुद्रा कोप का ऋण बढ़ता जाता है, छहरी राष्ट्र को निरन्तर बढ़ती हुई दरों पर व्याज देना पड़ता है। अत व्याज की दर छह की मात्रा व अवधि दोनों पर निर्भर है। प्राय यह १% से २५% तक होती है। ऋण का शीघ्र भुगतान होने पर इसकी दर कम हो जाती है। कोप अल्पावधि छह के लिए ही है। व्याज का भुगतान स्वर्ण में किया जाता है ताकि सदस्य राष्ट्र कम से कम मात्रा में और बम से कम समय के लिए छह कोप से लें। कोप इस बात का सदा व्यान रखता है कि उससे लिए गये छहरों का उपयोग किसी ऐसे बायं में नहीं होने दाये जो कोप के उद्देश्यों के विवर है।

अल्प मुद्राएं (Scarce Currencies)—कोप का निर्माण करते समय ही इस बात का अनुमान लगाया गया था कि युद्धोत्तर काल में कुछ मुद्राएं दुर्लभ (Scarce) हो जायेंगी और इसीलिए इस बात का भी अनुमान लगाया गया था कि पह सम्बद्ध है तिकोप अपने निजी साधनों से ऐसी मुद्राओं की पूर्ति नहीं कर सके। बल्कि मुद्रा किसे कहते हैं? कोप के पास प्रत्येक देश की मुद्रा एक सीमित मात्रा में ही होती है। इसलिये जब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय कि किसी देश की मुद्रा की मात्रा इसकी पूर्ति से अधिक हो जाय अर्थात् जब भी कोप किसी मुद्रा की मात्रा वो अपने साधनों से पूरा नहीं कर सके, तब कोप के विधान में इस प्रकार को व्यवस्था कर दी गई है कि कोप इस प्रकार की मुद्रा को उस देश-विशेष से उधार ले सकता है और यदि यह मुद्रा उधार नहीं मिलती है तब वह उसे स्वर्ण के बदले में खरीद सकता है। परन्तु यदि फिर भी इस मुद्रा की मात्रा की पूर्ण पूर्ति नहीं होने पाये, तब कोप सदस्य राष्ट्रों को मुद्रा-विशेष की दुर्लभता के कारणों को बताकर इसे दुर्लभ मुद्रा (Scarce Currency) घोषित कर देगा। यह स्मरण हो जाय कि कोप किसी भी देश की मुद्रा उधार देने के लिये बास्तव नहीं कर सकता है। जब कोप किसी मुद्रा-विशेष वो दुर्लभ-मुद्रा घोषित कर देता है,

तब उसे इस मुद्रा का (जो उसके पास है या जो आने वाली है) राशनिंग (Rationing) करने का अधिकार मिल जाता है जिससे प्रत्येक देश की अमुक मुद्रा की मांग की पूर्ण पूर्ति नहीं हो सकेगी। इस दशा में अहरणी देशों को अल्प-मुद्रा वाले देश से आने वाली आयातों पर प्रतिबन्ध लगाकर शोधनाधिकार में संतुलन स्थापित करना पड़ेगा और अन्य सदस्य देशों को भी इस मुद्रा<sup>1</sup> के भुगतान पर रुकावट या नियंत्रण करने की स्वतंत्रता मिल जाती है।

कोष के साधनों की तरलता (Liquidity of Fund's Resources):—यह सम्भव है कि अहरणी देश अपनी मुद्रा के बदले में अल्प-मुद्रा यहाँ तक खरीदते चले जायं कि कोष के पास ऐसी मुद्राओं की पूर्ति तो बढ़ जाय जिनकी मांग नहीं है, परन्तु अल्प-मुद्रा लगभग समाप्त हो जाय। इस अवस्था में कोष एक रक्षित-कोष (Reserve Fund) का कार्य करने में असफल हो जायगा। साधनों में तरलता (Liquidity) कायम रखने के हेतु कोष की योजना में तीन विशेष बातें हैं :— (i) यदि कोई सदस्य देश स्वर्ण के बदले किसी देश की मुद्रा खरीदना चाहता है, तब वह कोष को स्वर्ण बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। (ii) यदि किसी देश की मुद्रा कोष के पास इसके कोटे से अधिक है, तब यह देश कोष से अपनी अतिरिक्त मुद्रा (Excess Currency) को स्वर्ण के बदले में पुनः खरीद सकता है। (iii) प्रत्येक सदस्य देश प्रति वर्ष स्वर्ण या परिवर्तनीय मुद्रा के बदले कोष के पास जिनकी उपलब्धि मुद्रा है उसका कुछ भाग पुनः खरीदेगा। इस प्रकार कोष के विधान में 'पुनः खरीदने' की घारा (Clause) से कोष के साधन सरल अवस्था में रह सकेंगे।

कोष का प्रश्नन्य (Organisation and Management of the Fund):— कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (Board of Governors) में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक अधिक ५ वर्ष के लिये नियुक्त किया जायगा जो पुनः नियुक्त किया जा सकता है। सदस्य देश एक गवर्नर तथा एक यथाक्रम गवर्नर (Alternate Governor) को भी ५ वर्ष के लिये नियुक्त करता है। इस बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। दिन प्रति दिन का कार्य करने के लिये कम से कम १२ सदस्यों का एक संचालक मण्डल (Executive Directors) भी बनाया जायगा, इसमें ५ स्थायी सदस्य (Permanent Members) उन देशों के होंगे जिनके सबसे अधिक कोटे हैं (इस समय अमेरिका, इंग्लॅण्ड, चीन, भारत और कोस के कोटे सबसे अधिक हैं। रूस ने कोष की सदस्यता स्वीकार नहीं की है इसलिये इस के स्थान पर भारत को संचालक का स्थान मिल गया है), २ अमेरिका के अतिरिक्त अन्य अमरीकन गण राज्यों (American Republics) अर्थात् दक्षिणी अमेरिका द्वारा चुने जायेंगे और वोंकी बचे ५ सदस्य अन्य राष्ट्रों द्वारा चुने जायेंगे। प्रत्येक डाइरेक्टर की सहायता के लिये एक असिस्टेंट डाइरेक्टर होता है जो अपने प्रधान की अनुपस्थिति में कार्य करता है।

कोष का ऑफिस तथा संग्रह स्थान (Office and Depositories of the Fund):—कोष का प्रधान ऑफिस उस राष्ट्र में स्थापित किया जायगा जिसका इस कोष में सबसे अधिक कोटा है (अमेरिका)। कोष के स्वर्ण का कम से कम ५० प्रतिशत भाग

ऐसे संग्रहस्थान (Depository) पर जमा होगा जो इस सदस्य ने कोप के आंफिस को सूचित (Designate) कर रखा होगा और कम से कम वाकी ४०% उन अगले चार सदस्य देशों में रखवा जायगा जिनके प्रधिकरण कोटे हैं।

कोप की वापिस वा विभाजन (Distribution of Income) — कोप की आय में से प्रत्यम तो २% उन ऋणदाता देशों (Creditor Countries) को दिया जायगा जिनकी बरेंसी किसी वर्ष में कोप ने पास उनके कोटे के ७५% से कम रहती है। ऐप आय सदस्यों को उनके कोटे (धन्यव) के अनुपात में विभाजित कर दी जाती है। लाम काँ बटवारा सदस्य देशों द्वारा करेन्सियों में किया जाता है।

कोप की सदस्यता वापिस लेना (Withdrawal of the Membership from the Fund) — कोई भी सदस्य किसी भी समय लिखित में कोप को सूचना देकर अपनी सदस्यता वापिस से सकता है। यह वापसी उसी समय से मानी जायगी जब से कोप इस सूचना को प्राप्त करेगा।

परिवर्तन वाले में सुविधाएँ (Facilities during the Transitional Period) — ब्रिटेनडेस प्रोजेक्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रत्येक राष्ट्र परिवर्तनकाल में (यह युद्धोत्तरकाल है) अपने यही लगाए गए विनियम नियन्त्रणों को खारी रख सकेगा, परन्तु साथ ही साथ यह आशा भी प्रवर्ट कर दी गई थी कि ये नियन्त्रण यथादीघ्र ही हटा लिए जायेंगे। सदस्यों को उनके नियन्त्रण के सम्बन्ध में अपने विचार बताने का अधिकार है (Right of Representation)। यदि बोप और सदस्यों के बीच नियन्त्रण सम्बन्धी मतभेद सन्तोषपूर्ण तरीके से तय नहीं होन पाता है, तब सदस्यों को अनिवार्यत बोप से हटाना पड़ेगा।

कोप के सदस्यों पर प्रतिवाद — ताकि कोप के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाय, इसकी सदस्य देशों पर कई प्रतिवाद लगाए गए हैं—(i) कोप से जो भी राशि उधार ली जायगी, उसका उपयोग कोप के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही किया जायगा। (ii) सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्वर्ण का क्षय विनाय के बल कोप द्वारा निर्धारित दर पर ही किया जायगा। (iii) कोई भी देश विना कोप की अनुमति लिये अपनी मोद्रिक नीति में इसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। (iv) चालू अन्तर्राष्ट्रीय मुगलान के सम्बन्ध में कोई भी देश मुगलान के सम्बन्धी इसी भी प्रकार का प्रतिवाद नहीं लगायेगा तथा (v) कोप द्वारा निर्धारित दरों पर ही इसी सदस्य देश के विनियम बाजार में विदेशी मुद्राओं के अवहार होंगे।

कोप का कार्य क्षेत्र — कोप व्यक्तियों द्वा निजी संस्थाओं वे साथ व्यवसाय नहीं कर सकता है। एक सदस्य राष्ट्र कोप के साथ व्यवसाय बेवल अपने केन्द्रीय बैंक स्टिलरा-कोप (Stabilization Fund) द्वा अन्य किसी मोद्रिक संस्था के द्वारा ही कर सकता है। कोप इसी सदस्य देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में इस्तेहास नहीं कर सकता है। इस तरह कोप अन्तर्राष्ट्रीय मोद्रिक छहयोग तथा सदस्य राष्ट्रों को अपेक्षित द्वारा सहायता देकर, उनके लोधनाधिकार में सन्तुलन स्थापित करने में सहायता देता है। यह

स्मरण रहे कि कोष केवल अल्प-कालीन कारण है पौर ये भी केवल व्यापाराधिक्य के अस्थाई असत्तुलन को ठीक करने के लिये दिये जाते हैं।

### स्वर्ण और कोष (Gold and the Fund)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और सोना (International Monetary Fund and Gold):—कोष योजना और स्वर्ण-मान में बहुत समानताएँ हैं जिसके कारण कुछ अर्थशास्त्रियों ने कोष का निर्माण स्वर्ण-मान पर वापिस आना (Return to the Gold Standard) कहा है:—(i) कोष में सदस्यों की मुद्राओं का स्वर्ण में मूल्य व्यक्त किया जाता है तथा स्वर्ण मूल्यों के सामूहिक-मापक का कार्य करता है। स्वर्ण-मान वाले देशों की तरह ही इस कोष में भी विभिन्न मुद्राओं के बीच प्रारंभिक विनियम-दर (Initial Rate of Exchange) स्वर्ण के आधार पर निर्दित ही जाती है। (ii) कोष की योजना में स्वर्ण का एक प्रमुख स्थान है। सदस्य बनाने पर प्रत्येक राष्ट्र को अपने कोटे (Quotas) में कुछ सोना देना पड़ता है। कोई भी सदस्य राष्ट्र सोने का प्रयोग अपने कोटे के अतिरिक्त मुद्रा (Currency which is in excess to its Quota) या किसी घन्य सदस्य राष्ट्र की मुद्रा को कोष से खरीदने में कर सकता है। अतः इस योजना में स्वर्ण का अद्वधीकरण (Demonetisation) नहीं हुआ है। (iii) स्वर्ण-मान में प्रत्येक देश अपनी लेनी-देनी की बाकी का सतुलन (Equilibrium of the Balance of Payments) सम्पूर्ण संसार में एक बारी (At one time) करता है। इस प्रणाली में भी प्रत्येक देश से पृथक्-पृथक् समन्वय नहीं किया जाता है। स्वर्ण-मान की तरह कोष भी बहुपदी भुगतान पद्धति (Multilateral Payments System) को प्रोत्साहन देता है क्योंकि इस कोष द्वारा पूर्ण निर्दित तुल्यताओं (Parities) पर मुद्राओं को परिवर्तित किया जा सकता है। (iv) स्वर्ण-मान के अन्तर्गत एक प्रतिकूल लेनी-देनी की बाकी (Unfavourable Balance of Payments) वाला देश स्वर्ण का निर्यात करके इस बाकी का भुगतान करता है। इस कोष की योजनाओं में सदस्य राष्ट्रों का कोटा इस कार्य को करता है। स्वर्ण-मान में स्वर्ण के आधार-निर्यात से पड़ने वाले प्रभावों की तरह, इस कोष में मुद्रा के परिवर्तनों (Currency Transfers in the Fund) का भी देश की घान्तरिक मुद्रा की स्थिति तथा वस्तुओं और उदायों की व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। हैम (Halm\*) के मतानुसार वह देश जो कोष से अन्तरःविदेशी मुद्राओं का खरीदने याला (Net Purchaser from the Fund) है, उसकी अवस्था स्वर्ण-मान में एक स्वर्ण लोने वाले देश (Gold Losing Country) की तरह होती है और जो राष्ट्र कोष को अपनी मुद्रा अन्तरःविदेशी वेचने वाला (Net Seller to the Fund) है उसकी अवस्था स्वर्ण-मान में एक स्वर्ण को प्राप्त करने वाले देश (Gold Receiving Country) की तरह होती है। खरीदने वाले देश को स्वर्ण के बदले कोष से अपनी मुद्रा का पुनः ब्रय (Re-purchase) करना पड़ता है और वेचने वाले देश से कोष स्वर्ण के बदले उसकी मुद्रा खरीदता है। वह देश जिसने स्वर्ण के बदले विदेशी मुद्रा खरीदी है, इस मुद्रा को अपने व्यापारिक देशों को वेचता है जो स्वयं इसे अपने ग्राहकों को वेचते हैं। इन ग्राहकों

\* Halm : International Monetary Co-operation.

की इन व्यापारिक बैंकों के पास की मांग-जमा (Demand Deposit) बम हो जाती है और इन बैंकों की केंद्रीय बैंक के पास बाली रक्षित जमा (Reserve Fund) बम हो जाती है। परिणामतः देश में मुद्रा के सकूचन (Deflation) के प्रभाव प्रतीत होने लगते हैं। विपरीत दिशाओं में परिणाम भी विपरीत होते हैं। (v) स्वर्ण-मान के अन्तर्गत व्यापार तुलनात्मक लागत सिद्धान्त (Comparative Costs Theory) से शायित होता है। इस पद्धति में तो विदेशी व्यापार में कोई विशेष बाधा नहीं होती परन्तु बोप की योजना में विनियम दर व बोटे के निर्धारण से अनेक प्रकार के विनियम नियन्त्रणों से विदेशी व्यापार में बाधा पड़ती। परन्तु बोप ने इन नियन्त्रणों तथा बाधाओं को परिवर्तनशक्ति (Transitional Period) के लिए ही भाग्यवत् दी। इस योजना के बनाने वालों ने यह प्राचीन प्रकट की है कि सदस्य राष्ट्र इन नियन्त्रणों को यथा शीघ्र ही हटाने का प्रयत्न करें और विदेशी व्यापार फिर तुलनात्मक सिद्धान्त से बम-प्रधिक नामा में शायित होने लगेगा।

इस तरह यह स्पष्ट है कि बोप योजना में स्वर्ण-मान के बहुत से गुण हैं परन्तु यह पूर्ण हैपेण स्वर्ण-मान नहीं है क्योंकि इसमें उस मान के दोष नहीं हैं—(i) स्वर्ण-मान में विनियम दर स्थूल (Rigid) रहती है। विनियम स्थायित्व (Exchange Stability) इस मान का प्रयत्न रहेस्य होता है। यह स्थायित्व सोने की आयात-नियंत्रित द्वारा कायम निया जाता है। बोप में मद्यपि विनियम दर सोने द्वारा निर्धारित की जाती है परन्तु परिस्थिति बदलने पर या विस्तीर्ण असमता (Fundamental Dis-equilibrium) के फारण विभिन्न राष्ट्र अपनी विनियम दर को बदल सकते हैं। यद्यपि यह परिवर्तन कोप की आज्ञा से ही हो सकता है परन्तु यह आज्ञा विशेष परिस्थितियों में अवश्य दे दी जायगी। अत बीन्स (Keynes) के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप स्वर्ण-मान के बिल्कुल विपरीत है। (ii) स्वर्ण-मान के प्रत्येक देश को अपनी आर्थिक स्थिति और मूल्य स्तर ग्रन्थ देशों के समान रखना पड़ता है। इस पद्धति में प्रतिकूल लेनी-देनी की बाती में स्वर्ण की निर्यात होती है जिससे साख सकूचन द्वारा मूल्यस्तर पर प्रभाव पड़ता है। बोप योजना में इस प्रकार की कोई अनिवार्यता नहीं है। इस योजना में प्रत्येक देश अपनी आन्तरिक आर्थिक नीति में स्वतन्त्र रहता है क्योंकि बोप की सहायता से यह बहुमा अपनी प्रतिकूल देनी की बाती का मुश्किल विनाशक रिक्त साख अवश्या दो प्रभावित निये ही कर सकता है। अत बोप योजना में स्वर्ण-मान के अनेक गुण होते हुए भी यह नहीं रहा जा सकता है कि बोप का निर्माण स्वर्ण-मान पर वापिस आना है। यह अवश्य है कि बोप ने सदस्य राष्ट्रों के सहयोग से स्वर्ण को मौद्रिक जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

### कोप और केन्द्रीय बैंक

#### (Fund and the Central Bank)

बोप और केन्द्रीय बैंक (The Fund and the Central Bank):—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बोप और विस्तीर्ण देश के केन्द्रीय बैंक में बहुत समानता है। विस्तीर्ण देश का केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के रक्षित बोप (Cash Reserves) को एक जगह

इकट्ठा (Pool) कर लेता है, इसी प्रकार मुद्रा कोष सदस्य देशों के केन्द्रीय बैंकों के साधनों (Resources) को एक जगह इकट्ठा (Pool) करता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केन्द्रीय बैंकों का बैंक (Central Bank's Bank) है।

परन्तु मुद्रा कोष और राष्ट्रीय बैंक में कुछ अन्तर भी हैं:—(i) किसी देश के केन्द्रीय बैंक में केवल एक प्रकार की मुद्रा को ही इकट्ठा (Pool) किया जाता है। परन्तु मुद्रा कोष में विभिन्न राष्ट्रों की भिन्न-भिन्न मुद्राओं का मौद्रिक कोष (Monetary Reserves) बनाया जाता है। (ii) केन्द्रीय बैंक की तरह मुद्रा कोष नई मुद्रा का निर्माण नहीं कर सकता है। (iii) केन्द्रीय बैंक सदस्य व्यापारिक बैंकों की साझ-नीति को नियंत्रित कर सकता है, परन्तु मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों की आन्तरिक अर्थ-नीति को नियंत्रित नहीं करता है।

### कोष से लाभ (Advantages of the Fund)

मुद्रा-कोष के लाभ—मुद्रा-कोष के निर्माण से उपलब्ध होने वाले मुख्य-मुख्य लाभ इस प्रकार हैं—(i) बहुपक्षी व्यापार व बहुपक्षी भुगतान को पद्धति की स्थापना—कोष के निर्माण से अब बहुपक्षी व्यापार (Multi-lateral Trading) व बहुपक्षी भुगतान की पद्धति (Multi-lateral Payments System) की व्यवस्था सम्भव हो सकी है। यह अवश्य है कि परिवर्तन काल में सो विदेशी विनियम सम्बन्धी नियन्त्रण अवश्य रह सकें, परन्तु यह धारा प्रकट की गई है कि सदस्य राष्ट्र यथाशीघ्र ही इन नियन्त्रणों को हटाने का प्रयत्न करेंगे। अतः कोष अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग का एक अच्छा साधन है जिससे विदेशी व्यापार तथा विनियोग के लिये पूजी के आवागमन को बहुत प्रोत्साहन मिला है वयोंकि इस संस्था की बैठकों में विभिन्न राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं को सोच-विचार कर लेते हैं और इसका सर्वहित में हल भी ढूढ़ निकाल लेते हैं। (ii) मौद्रिक रक्षित कोष की स्थापना—कोष में विभिन्न मुद्राओं के कोटे (Quotas) जमा होने से एक बहुत बड़ी मात्रा में मौद्रिक रक्षित-कोष (Monetary Reserves) की स्थापना सम्भव हो सकी है। कोष आवश्यकतानुसार इनका क्रय-विक्रय करके सदस्य देशों की विदेशी विनियम की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कोष मुद्राओं का क्रय-विक्रय अपने निजी लाभ के लिए नहीं करता है बरन् वह यह कार्य सदस्य राष्ट्रों के हित के लिए करता है असाधारण काल में किसी मुद्रा (या मुद्राओं) की मांग इसकी पूर्ति ही अधिक हो जाने पर कोष इसे अत्यन्त-मुद्रा (Scarce Currency) घोषित करके तथा इसका राशनिंग (Rationing) करके विभिन्न देशों को अपने शोषनाधिकार के अनुनुलत को सन्तुलित करने का अवसर देता है। अतः कोष-योजना में अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में साम्य स्थापित करने का दायित्व इसी तथा जहांदाता (Debtors and Creditors Countries) दोनों ही देशों पर समान रूप से रखा गया है। (iii) विनियम-दर में स्थिर—कोष की स्थापना से विभिन्न मुद्राओं के बीच विनियम-दर निर्धारित करने का एक सुधारवस्थित साधन उपचार हो गया है। विनियम-दर में अब अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता रहती है और अस्थाई कारणों से इसमें परिवर्तन भी नहीं होने पाए जाते हैं। कोष में से एक बहुत बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि अब प्रत्येक देश अपनी स्वतन्त्र आर्थिक नीति रखते हुए भी विदेशी विनि-

मध्य में स्थिरता प्राप्त कर सकता है। विनियम-स्वर्ण से अन्तर्राष्ट्रीय आपार में बृद्धि होगी जिससे समस्त देशों में पूर्ण-रोजगार (Full Employment) की नीति सम्भव हो सकेगी और उब ही अविकल्पित देशों का आर्थिक विकास समर्थ हो सकेगा। (iv) स्वर्ण-मान के लाभ इष्टसंघर्ष हुए हैं—कोप की स्थानना से स्वर्ण-मान के सामों की प्राप्ति विना इसकी वृद्धियों के सम्बद्ध हो सकी है। कोप ने सोने को एवं देशों की मुद्राओं का माप-वर्त बनावर सहार को एक विदेश प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान (International Gold Standard) प्रदान किया है यद्यपि इसमें सोने के सिवाँ का प्रचलन नहीं किया जाता है। यह नया अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान सन् १९३१ के पहले के स्वर्ण-मान से अधिक सोचदार (Elastic) तथा कम खर्चीता (Economical) है।

**कोप की आलोचना (Criticism of the Fund)** —संदर्भात्मक तथा अध्यवहारिक दोनों ही विद्युक्तों से नोट की काफी आलोचना की गई है। कोप की मुख्य-मुख्य आलोचनायें इस प्रकार हैं (i) कोप का कार्य-सेव यहूत सीमित है (Scope of the Fund is Limited) —कोप के विधान में ही यह स्पष्ट बताया गया है कि काप के बैल-नाम सोदों (Current Transactions) से सम्बन्धित विदेशी विनियम की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न नहीं। मुद्र-ऋण (War debts), पूँजी का आपात-निर्यात, समावरण स्ट्रिलिंग (Blocked Sterling) आदि से सम्बन्धित भुगतान के लिये राष्ट्रों को अन्य साधन ढूँढ़ने होंगे जिससे इस कोप की उपयोगिता कम हो जाती है। आलोचकों वा मत है कि कोप का कार्य देश सीमित होने से इसकी आशातीत उपयोगिता नहीं हो सकी है। परन्तु कोप की यह आलोचना उचित प्रतीत नहीं होती है। इसका बारण यह है कि कोप का निर्माण युद्ध सम्बन्धी बड़े पैमाने के भुगतानों से सदन्धित समस्याओं को हल करने के लिये नहीं किया गया है। यदि कोप को आरम्भ से ही इतनी बड़ी जटिल समस्या के हल करने का दायित्व दे दिया जाता, तब नि खदेह कोप-न्योजना शीघ्र ही असंपल हो जाती। (ii) राष्ट्रों वा अन्यन्य (कोटा) किसी वैज्ञानिक आधार पर निश्चित नहीं किया गया है (Quota of the different countries have not been determined on some scientific basis) —कुछ व्यक्तियों वा यह मत है कि कोप के विधान से यह स्पष्ट नहीं होता कि विभिन्न राष्ट्रों के अस्तित्व विस आधार पर निश्चित किये गये हैं। बाटे का निर्धारण तीन आपार पर हो सकता था—(क) विभिन्न राष्ट्रों की विदेशी आपार की मात्रा, (ख) विभिन्न राष्ट्रों की आपाराधिक्य की स्थिति तथा (ग) विभिन्न राष्ट्रों की विदेशी विनियम की आवश्यकता। परन्तु कोप वे निर्माण कर्ताओं ने इन तीनों में से विसी वो भी कोटा निर्धारण का आधार नहीं बनाया है। इसलिये आलोचकों वा मत है कि राष्ट्रों वे जो कुछ भी कोटे तम किये गये हैं उनका कोई भी उचित एवं वैज्ञानिक आधार नहीं है। कुछ व्यक्तियों ने डो यहाँ तक कहा है कि कोप में राष्ट्रों के कोटे इगलेट और अमेरिका के आर्थिक व राजनीतिक स्वाप्नों को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किये गये हैं। चूँकि किसी राष्ट्र को कोप से निलंबन आला लाभ उसके कोटे से सीमित होता है, इसलिये यह आवश्यक है कि सदस्य राष्ट्रों के कोटे विसी ठीक-ठीक व वैज्ञानिक आधार पर ही निश्चित होने चाहिये में। (iii)

कोष का व्यवहार भेद-भावपूर्ण रहा है—कुछ आखोचकों का मत है कि ऋण के प्रदान करने तथा अन्य सुविधाओं को देने में कोष ने भेद-भावपूर्ण व्यवहार किया है। उदहारण-स्वरूप यह कहा जाता है कि कोष को आज्ञा के विश्व कांस द्वारा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने पर भी उसे कोई कड़ी सजा नहीं दी गई है। (iv) डॉलरों की अल्पता के कारण कोष अपने कामों में अधिक सकलीभूत नहीं हो सकेगा—आखोचकों का मत है कि कोष-योजना के असफल होने का कारण सम्भवत है। डॉलरों की अल्पता ही रहेगी। इसका कारण स्पष्ट है। अमेरिकन निर्यात के लिए तो कोष में से डॉलर निकाले जायेंगे, परन्तु अमेरिकन आयातकर्ताओं द्वारा दिये जाने वाले डॉलर कोष को प्राप्त नहीं हो सकेंगे। ऐसे देश जो अमेरिका को माल भेजेंगे, वे कोष के बाहर बहुत बड़े पैमाने पर डॉलरों को एकत्रित कर सकेंगे वयोंकि विदेशी नियतिकर्ता स्वदेश की मुद्रा के स्थान पर डॉलर में ही इनवायस (Invoice) बनायेंगे। परन्तु यह आखोचना भी उचित प्रतीत नहीं होती है। कोष के साधनों में तरलता (Liquidity) रखने तथा डालरों की समाप्ति पर रोक लगाने के हेतु ही योजना में पुनः क्रय (Re-purchase) तथा रासनिंग (Retentioning) की घाराएँ रखती गई है ताकि आतरो या धन्य किसी मुद्रा की इसी ग्रल्पता (Scarcity) नहीं हो सके कि तमाम योजना ही ढूट जाय। (v) कोष की कार्यकारिणी की सदस्यता दोषपूर्ण है—कोष की कार्यकारिणी की सदस्यता इस प्रकार रखती गई है कि अमेरिकन हितों की रका होती रहे। इस कारण दक्षिणी अमेरिका के देशों के लिये दो स्थान सुरक्षित रखे गये हैं।

सारांश—यह स्पष्ट है कि अन्तर्रांगीय-मुद्रा-कोष का निर्माण करके अन्तर्रांगीय सहयोग की ओर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इसका कार्यक्षेत्र सीमित होते हुए भी, यह कोष बड़ा महत्वपूर्ण है और जागे भी रहेगा।

### कोष का कार्यान्वयन

भार्च सन् १९४६ में कोष के गवर्नर्स (Governors) की पहली सभा संबोधन (जारिया) में हुई। इस सभा ने कोष की कार्यप्रणाली पर विचार किया और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये। भारत कोष का मौतिक सदस्य (Original Member) है। १ भार्च सन् १९४७ से कोष ने विनियम-व्यवहार को कार्यवाही भारम्भ कर दी थी। दिसंबर १९४६ तक ३४ देशों ने कोष की सदस्यता स्वीकार की थी जिनमें से २८ देशों ने अपना कोटा छुका दिया था और ५ देशों का बाते बासा था। उस समय तक कोष के पास कुल मिला कर १३४४ मिलियन डॉलर का स्वर्ण, २०६३ मिलियन डॉलर तथा ३१२८ मिलियन डॉलर की अन्य देशों की मुद्रायें आईं। ३० अप्रैल १९५२ को कोष की सदस्य-संख्या ५१ थी और अब यह बढ़ कर ६८ हो गई है। कोष ने समरूपतय पर राष्ट्रों की मुद्रा का सम-मूल्य (Par Value) कम किया है (युगोत्तादिया की मुद्रा का सम-मूल्य दिसंबर १९५२ को कम कर दिया गया था) और कोष ने समरूपतय पर विभिन्न राष्ट्रों को मुद्रा दवार देकर सहायता भी की है। दिसंबर सन् १९५६ तक इसने १६१ करोड़ डॉलर की मुद्राओं का विक्रय किया था। यह स्मरण रहे कि कोष ने परिवर्तनकाल (Transitional Period) में अपने सदस्य राष्ट्रों को विनियम नियन्त्रण

लगाने की स्वीकृति इबल ५ दर्ये के लिए दी थी और यह आशा प्रवर्ट की थी कि इस धरवधि के बाद उभी प्रकार के प्रतिवर्ष छटा लिये जायेंगे। परन्तु ५ दर्ये की अवधि समाप्त होने के बाद भी आज लगभग ४४ राष्ट्रों में विनियमय नियन्त्रण विसी न किसी रूप में लगा हुआ है। इन नियन्त्रणों का रूप विमिश्च राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न है। कोष की १६५१-५२ की रिपोर्ट के अनुसार इन प्रतिवर्षों में से एक "विवेचनात्मक प्रतिवर्ष" (Discriminatory Restriction) है और यह विवेचनात्मक अल्प-मुद्राओं (Scarce Currencies) के सम्बन्ध में पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि "झम्ही समस्त समार में ऐसी स्थिति उत्तम नहीं हूई है जहाँ प्रतिवर्षों का निकारण सम्भव हो सके" जिससे कोष को अपने सदर्यों को कुछ और समय तक विनियमय-नियन्त्रण एवं प्रतिवर्ष लगाने की स्वतन्त्रता देनी पड़ेगी। जिस तरह कोष की विनियमय-नियन्त्रण की नीति में परिवर्तन हुआ है ठीक इसी प्रकार कोष की स्वर्ण सम्बन्धी नीति में भी परिवर्तन हुआ है। कोष की स्वर्ण नीति का स्वर्ण-उत्पादक देशों द्वारा विरोध तथा आलोचना के कारण उत्तम्वर १६५१ में कोष की अपनी स्वर्ण नीति बदलनी पड़ी जिसके अनुसार अब स्वर्ण-उत्पादक देश नये निकाल गये स्वर्ण (Newly-mined Gold) की विक्री कोष की निर्धारित दरों की अपेक्षा कम्ची दरों पर कर सकते हैं। आलोचकों का मत है कि उक्त दोनों बातों के कारण यह कहा जा सकता है कि कोष अपने कायों में असफल रहा है।

### भारत और कोष (India and the Fund)

भारत और कोष का आरम्भ स हो बहुत धनिष्ठ सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में कुछ बातें स्पष्टीय हैं—(i) सन् १६४४ के ब्रेटनवर्ड्स सम्मलन में भारत के भी प्रतिनिधि उपस्थित थे (सर जेरार्डी रैम्पेन और नेतृत्व में)। सम्मेलन में जो निर्णय हुए उन्हें भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था। उत्तम्वर १६४५ में भारत ने अपना कोटा नियमानुसार कोष में जमा कर दिया था। भारत कोष का चौथा नौसिक सदस्य है और इसे सचालक मदल (Board of Executive Directors) में अपना एवं शासकीय सचालक (Executive Director) नियुक्त करने का अधिकार है। (ii) कोष का सदस्य होने के नाते भारत के रूपमें भा सम-मूल्य (Par Value) स्वर्ण एवं डालर में क्रमशः ०.१८६६२१ ग्राम विशुद्ध स्वर्ण तथा २१ सेन्ट (रूपये के अवमूल्यन से पहले यह क्रमशः ०.२६६६१ ग्राम स्वर्ण तथा ३०.२५ सेन्ट था) निरचय किया गया है। (iii) भारत का कोष वा सदस्य हो जाने के कारण रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के एक में सन् १६४७ में एक सरोकर निया गया है जिसके अनुसार अब रिजर्व बैंक अपनी निधि में स्टॉलिंग के साथ ही साथ अन्य देशों की मुद्रा भी रखेगा और इनका जन्म-विकास भी कोष द्वारा निर्धारित दरों पर करेगा। अतः कोष का सदस्य हो जाने के कारण अब भारतीय मुद्रा भी अन्य देशों की मुद्रा से रूपान्तरण परिवर्तनशीलता (Multiple Convertibility) स्थापित हो गई है (कोष के नियमानुसार से पहले रूपये के अन्य देशों की मुद्रा से

"The majority of countries maintain restrictions either to limit the overall level of their payments or to reduce, in particular, their payments to 'hard currency areas', this discriminatory aspect being an important feature of many restrictive systems"—I. M. F. Report for 1951-52.

सम्बन्ध स्टिलिंग द्वारा ही पा जिससे रुपये में एकपक्षीय परिवर्तनशीलता थी)। (iv) भारत के कोप का सदस्य हो जाने के कारण अब भारतीय मुद्रा का स्टिलिंग से सम्बन्ध दूट गया है। अब रिजर्व बैंक को कोप द्वारा निर्धारित दरों पर विदेशी विनियम वा व्रय-विक्रय करने का भार सौप दिया गया है, परन्तु विदेशी विनियम का यह क्रय-विक्रय २ लाख रुपये से कम मुद्राओं का नहीं होगा। स्टिलिंग में रुपए का अधिकतम व न्यूनतम मूल्य क्रमशः १८<sup>९५</sup> तथा १७<sup>६५</sup> निश्चित किया गया है।

भारत को कोप का सदस्य हो जाने से कई महत्वपूर्ण लाभ हुये हैं:—(i) विदेशी मुद्राओं की उपलब्धता—कोप का सदस्य हो जाने के कारण भारत को आवंश्यकतानुसार विदेशी मुद्राएँ मिलने लगी हैं जिससे हमारे आर्थिक विकास के लिये विदेशी से पैंजीयत-माल (Capital Goods) आसानी से मिलने लगा है। युद्ध के पश्चात् की भारतीय विपक्ष-विप्रमता कोप की सदस्यता से सुविधापूर्वक दूर की जा सकी है। भारतवर्ष ने मुद्रा कोप से अब तक लगभग ३०० मिलियन डालर का ऋण लिया है। (ii) यप्या स्टिलिंग की दासता से मुक्त हो गया है:— कोप की सदस्यता के कारण रुपया पौड़ के पहिये से अलग हो गया है और इसने अपना एक स्वतन्त्र रूप धारण कर लिया है। रुपये का मूल्य पौड़ में निर्धारित होने के स्थान पर अब यह स्वर्ण में निर्धारित होने लगा है। इस तरह हप्या अन्तर्राष्ट्रीय योद्धिक द्वेष में स्वतन्त्र हो गया है। रुपये का सम्बन्ध स्वर्ण से हो जाने के कारण रुपए का परिवर्तन अब किसी भी देश की मुद्रा के साथ हो सकता है जिससे भारत का व्यापार ऐसे देशों से जो स्टिलिंग द्वेष में नहीं हैं, उनसे भी बहुत बढ़ जाने की पूर्ण आशा हो गई है। (iii) भारत अब कोप की नीति निर्माण में भी हिस्सा ले सकता है:—चूंकि रूस ने कोप की सदस्यता स्वीकार नहीं की है, इसलिए भारत को कोप के संचालन मठल में एक वासकीय सचालक (Executive Director) नियुक्त करने का अधिकार मिल गया है जिससे भारत कोप की निर्माण-नीति में हिस्सा लेता है और इस कारण उसकी अन्तर्राष्ट्रीय द्वेष में बहुत गहरा बड़ो है। भारत अब पांच 'बड़े-बड़े' सदस्यों में से एक गिना जाता है। (iv) आन्तरिक आर्थिक समस्याओं के हूस करने में भी कोप से बहुत सहायता मिल रही है:—कोप का सदस्य बन जाने के कारण इससे देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने में भी बहुत सहायता मिल रही है। उदाहरणार्थ, पंचवर्षीय योजना के अर्थ प्रबन्ध पर कोप ने भारत सरकार को सलाह दी है। (v) कोप का सदस्य होने के कारण ही भारत अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का सदस्य बन सका है और बैंक को सहायता से हमारे देश को बहुत लाभ हुए हैं (पहिये "अन्तर्राष्ट्रीय बैंक" नामक व्यापार)। विकास कार्यों के लिए बैंक से समय-समय पर ऋण मिला है जिससे देश के आर्थिक विकास में बहुत सहायता मिली है।

कोप की सदस्यता से भारत को उत्तरित लाभ प्राप्त होने की आशा होने पर भी कुछ आलोचकों ने अपना भत भारत का कोप का सदस्य होने के विरुद्ध प्रकट किया है। इसके लिए उन्होंने तीन मुख्य कारण दिये हैं:— (i) कोप ने भारतीय पौड़-पावनों (Sterling Balances) के मुगतान के लिए सुविधा प्रदान करने से इन्कार पर दिया है। परन्तु इंगलैंड से पौंड पावनों के मुगतान के सम्बन्ध में संतोषजनक समझौता हो

जाने के बारण अब इस आधेर में अधिक महत्व नहीं रहा है। (ii) भारत का कोप उस लाभ से जो उसे मिल सकेगा, उससे काफी अधिक है। (iii) भारत बिना जनता तथा विद्यान-मण्डलों की स्थीरता के ही कोप का सदस्य बना है। यह स्मरण रहे कि ये सब प्राधीन केवल नाम भाग के ही हैं और मनुभव से ही पता चला है कि भारत को कोप का सदस्य बन जाने से अत्यधिक लाभ प्राप्त हुए हैं।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B.A. & B.Sc.

१. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप क्या है? और यह किस प्रकार कार्य करता है? इस कोप से भारत को क्या लाभ हुआ है समझाइये (१९५६)।
२. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप (I. M. F.) पर नोट लिखिये। (१९५८, १९५७)
३. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप की स्थापना इन उद्देश्यों से की गई थी? इस मुद्रा-कोप के लायों का विवेचन कीजिये। (१९५७ S)
४. How does the International Monetary Fund help in stabilizing the exchange rates? (1956 S)
५. India's admission to the International Monetary Fund marks the inauguration of a new currency standard for India. Explain carefully and examine the existing Indian currency system. (1956)
६. What are the principal objectives of the International Monetary Fund and how does the Fund seek to accomplish them? (1955 S)

Rajputana University, B.A.

१. Briefly discuss the working of "International Monetary Fund." (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप) and explain how far it has succeeded in its objects. (1958, 1957)

Rajputana University, B.Com.

१. Write a short note on—The I. M. F. (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप) and India. (1959)
२. Write a short note on—International Monetary Fund (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप) (1958)
३. Explain the objects and functions of International Monetary Fund. How does the Fund seek to stabilize foreign exchange rates? Explain (1954)

Sagar University, B.Com

१. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (I.M.F.) पर एक संक्षिप्त तथा परिपूर्ण टिप्पणी लिखिये और इससे तुलना अन्तर्राष्ट्रीय स्टर्लिंग-प्रमाण से कीजिये। (१९५५)

Jabalpur University, B.Com.

१. सन् १९३१ में रुपये और स्टर्लिंग से सम्बन्धित क्यों किया गया था? उसके परिणाम क्या हुये? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणीति (I.M.F.) की भारत की सदस्यता से इसमें और स्टर्लिंग के सम्बन्ध वहीं तक प्रभावित रहे हैं? (How has India's membership of the I.M.F. effected the relation of the rupee with sterling? (1958))

Vikram University, B.Com.

१. Write a short note on—International Monetary Fund. (1959)

Allahabad University, B. A.

1. Write a note on—International Monetary Fund. (1955)

Gorakhpur University, B. Com.

1. Explain the circumstances which led to the creation of the International Monetary Fund. Point out the advantages and disadvantages to India of joining the scheme. (Pt. II. 1959)

Bihar University, B. A.

1. What are the objects of the I. M. F.? How does it differ from International Gold Standard? (1958) 2. Describe the composition and functions of the I. M. F. (1956)

Bihar University, B. Com.

1. "The establishment of the two monetary institutions—the International Monetary Fund and the International Bank for reconstruction and development—has proved a boon at the present time." In the light of this statement examine the objects of these two institutions and say how far India has been benefitted by them. (1959)

Nagpur University, B. A.

१. स्वर्ण-प्रमाप की कार्यमंत्रणा (Mechanism) का वर्णन कीजिये। यह माना जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की प्रस्थापना स्वर्ण प्रमाप पुनः एक बार प्रयोग में लाने के बराबर है? (१९५६)

### परीक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत

प्रश्न १:—(i) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई थी?

इस मुद्रा-कोष के कारणों का विवेचन कीजिये (Agra, B. A. १९५७), (ii) How does the I. M. F. help in Stabilising the exchange rates? (Agra, B. A. 1956 Raj, B. Com. 1954), (iii) What are the principal objectives of the I. M. F. and how does the Fund seek to accomplish them? (Agra, B. A. 1955), (iv) Briefly discuss the working of the "I. M. F" and explain how far it has succeeded in its objects? (Raj, B. A. 1958, 1957), (v) Describe the composition and functions of the I. M. F. (Bihar, B. A. 1956).

संकेत:—उक्त प्रश्नों में तीन बातें पूछी गई हैं—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई है, इसके संगठन व कार्यों को बताइये, यह विनियम दरमें स्थैर्य किस प्रकार लाता है? यह अपने उद्देश्यों को पूर्ति में एवं कार्यों में कहाँ तक सफल रहा है। प्रथम भाग में एक पृष्ठ में उन परिस्थितियों को बताइये जिनमें कोष की स्थापना की आवश्यकता अनुभव हुई और वास्तव में इसकी स्थापना हुई भी। द्वितीय भाग में कोष की स्थापना के उद्देश्यों को बताइये, जैसे—अन्तर्राष्ट्रीय भौद्रिक सहयोग, विनियम में स्थापित स्थापित करना, बहुपक्षी भुगतान व व्यापार की पद्धति स्थापित करना, विनियम नियन्त्रणों को हटाने में सहायक होना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राज्यों के सन्तुलित विकास में सहायक होना, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के अन्तर की विपरीता को दूर करना, लाभप्रद कार्यों के लिए पूँजी का विनियोजन करना आदि (दो-दोई पृष्ठ) तृतीया भाग में इसके संगठन व कार्यों की विवेचना कीजिये, जैसे—कोष के प्रबन्ध व अॉफिस व संग्रह स्थान के बारे में लिखकर कोष के अध्यंश के बारे में लिखिये (यह भी

बताइये कि कोटे में वयों वृद्धि की गई है), समता-दर निर्धारण व इसमें परिवर्तन, कोष का लेन-देन, कोष में भल्कु मुद्राएँ, कोष के साधनों में तरलता (इन चारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोष विनियम दर में स्थेयं किस प्रकार लाता है) प्रण पर व्याज आदि के बारे में विस्तार से लिखिये (कोष के कार्यों से स्पष्ट हो जाता है कि कोष अपने उद्देश्यों की पूर्ति इस प्रकार करता है)। (पांच-छ' पृष्ठ) घनुर्घं भाग में कोष के लाभों को बताते हुये (जैसे-इसने बहुपक्षी व्यापार व बहुपक्षी भुगतान की पठति की स्थापना की है, मौद्रिक रक्षित कोष की स्थापना करके इसने सदस्य देशों की विदेशी विनियम की वादवशकताओं की पूर्ति की है, इसने विनियम-दर में स्थिरता उत्पन्न की है, इससे स्वर्ण-मान के समस्त लाभ प्राप्त होते हैं आदि) निष्कर्ष निकालिये कि इसके लगभग १५ वर्षों के कार्यों से स्पष्ट है कि नीय अपने उद्देश्यों की पूर्ति में बहुत कुछ सफल हुआ है, यथापि यह विभिन्न राष्ट्रों द्वारा लगाये गये विनियम की दर विवेचनात्मक प्रतिबन्धों को हटाने में सकल नहीं हुआ है (यह भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था) तथापि यह कहा जा सकता है कि इसने अपने अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की है (उद्देश्यों के लाभों की तुलना करके स्पष्ट कोजिये) और मौद्रिक जगत में इसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं (दो-दाई पृष्ठ)।

**प्रश्न २:-**—(i) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष क्या है ? और वह किस प्रकार कार्य करता है ? इस कोष से भारत को यथा लाभ हुआ है, समझाइये (Agra, B. A. १९५६), (ii) Explain the circumstances which led to the creation of the I. M. F. Point out the advantages and disadvantages to India of joining the scheme (Gorakhpur, B. Com 1959). (iii) "The establishment of the two monetary institutions—the I M F & the I B R & D—has proved a boon at the present time" In the light of his statement examine the objects of these two institutions and say how far India has been benefitted by them ? (Bihar, B. Com 1959)

सकेत - उत्तर के तीन भाग हैं - प्रथम भाग में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना के बारए व उद्देश्यों को लिखिये (एक-हेड पृष्ठ)। द्वितीय भाग में कोष के प्रबन्ध व कार्य-सचालन के बारे में सक्षेप में (तीन चार पृष्ठ) लिखिये (प्रश्न १ के उत्तर का संकेत पढ़िये)। तृतीय भाग में कोष की स्थापना से भारत को मिलने वाले लाभों की लिखिये कि कोष का सदस्य हो जाने के कारण भारतीय रूपये वा स्टॉलिंग से सम्बन्ध टूट गया है - यह अपनी नियम में स्टॉलिंग के साथ ही साथ अन्य देशों की मुद्रा भी रुकने लगा है जिससे देश की मुद्रा में भ्रष्टिक लोक उत्पन्न हो गया है - भारतीय रूपये की अन्य देशों की मुद्रा से बहुताक्षिक परिवर्तनशीलता स्थापित हो गई है जिससे विदेशी व्यापार व भुगतान में सुगमता आ गई है (पहले भारत को रूपये के बदले डालत र या अन्य विदेशी मुद्राएँ सीधे ही नहीं मिल सकती थीं ये मुद्राएँ पाइड स्टॉलिंग से बदलकर ही मिल सकती थीं) कि कोष में रूपये का डालर में सम मूल्य निश्चित हो जाने से विनियम-दर में स्थेयं का गया है, कि रूपये का मूल्य स्टॉलिंग के स्थान पर स्थर्ण से निश्चित हो गया है जिससे रूपये की दासता समाप्त हो गई है - इसका अन्तर्राष्ट्रीय लेन्व में अब अपना स्वतन्त्र रूप वि कोष से हमारे देश को विभिन्न देशों की मुद्राएँ प्राप्त होने लगी हैं जिससे हमारे देश के आर्थिक व्यापार (विशेषकर पचवर्षीय योजनाएँ) के लिये विदेशी से पूर्जीगत माल आसानी से मिलने

लगा है (विशेषकर गैर-स्टॉलिंग थेट्र से), कि भारत कोप के सचालक मंडल का सदस्य है जिसके कारण यह अन्तर्राष्ट्रीय मोट्रिक समस्याओं के हल के लिए सक्रिय सुझाव देने लगा है, कि कोप का सदस्य होने के कारण ही भारत अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का भी सदस्य हो गया है जिससे समय-समय पर देश के आर्थिक विकास के लिये ऋण मिल सका है (इन सब लाभों को विस्तार से लिखिये—आवश्यकतानुसार भारतीय उदाहरण भी दीजिए) (तीन-चार पृष्ठ)। चतुर्थ भाग में भारत को कोप वी सदस्यता से होने वाली हानियों को लिखिये, जैसे—भारत का कोटा उस लाभ से अधिक है जो उसे मिल सकेगा, कि कोप ने भारतीय पौड़-पावनों के भुगतान में सहायता प्रदान करने के लिये मना कर दिया जिसके कारण न तो इन पावनों का शोषण से भुगतान हो सका और न भारत इनका स्वतंत्रता-पूर्वक उपयोग ही कर सका निष्कर्ष के रूप में लिखिए कि कोप की स्थापना से भारत को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुए हैं। (आधा पृष्ठ)

प्रश्न ३:—(i) सन् १९३१ में रूपये को स्टॉलिंग से सम्बन्धित क्यों किया गया था ? उसके परिणाम क्या हुये ? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली (I. M. F.) की भारत की सदस्यता से रुपये और स्टॉलिंग के सम्बन्ध कहाँ तक प्रभावित रहे हैं ? (Jabb. B. Com. १९५८), (ii) Indias admission to the I. M. F. marks the inauguration of a new Currency Standard for India. Explain carefully and examine the existing Indian Currency System. (Agra, B. A. 1956).

संकेत:—उत्तर के दो भाग हैं—प्रथम भाग में बताइये कि भारत में सन् १९३१ में रूपये का सम्बन्ध स्टॉलिंग से बद्यों स्थापित किया गया—कि सन् १९३१ में इंगलैंड ने संवेद्यम स्वर्णमान त्यागा (इसके संक्षेप में कारण दीजिये) कि इंगलैंड द्वारा स्वर्ण-पाट-मान के त्यागने पर भारत को स्वर्ण-पाट-मान त्यागना पड़ा जिसके कारण सन् १९३१ में भारत में करेन्सी एकट १९२७ में सशोधन किया गया और भारत का सम्बन्ध स्टॉलिंग से स्थापित किया गया—कि तब सरकार ने बाध्य-कार्यों के लिये भारतीय मुद्रा के बदले स्टॉलिंग १ रुपये ६ पैसे की दर पर देने वी बिम्बेदारी बदले ऊपर ली और आन्तरिक कार्यों के लिये रुपया पूर्व की तरह चलता रहा। तदपश्चात इस गठबन्धन के दोष (परिणाम) बताइये—कि भारत का आर्थिक भाग्य सदा के लिये इंगलैंड से बाधा गया, कि इससे राजनीतिक गुलामी के साथ ही साथ भारत की आर्थिक गुलामी भी हो गई वयोंकि स्टॉलिंग के मूल्य परिवर्तन के साथ ही साथ भारतीय रुपये के मूल्य में परिवर्तन होने लगा, कि सन् १९३१ में स्टॉलिंग का ३०% अवमूल्यन हो जाने से भारत की स्वर्णमान बाले देशों से आयात और अधिक मूल्यवान हो गई थी, कि इस गठबन्धन से रुपये का स्वर्ण मूल्य कम हो गया जिससे भारत से सोने की वसाधारण निर्यात हुई आदि “भारतीय चलन का इतिहास क्या है ?” मुझका अध्याय पढ़िये) (तीन-चार पृष्ठ)। द्वितीय भाग में यह लिखिये कि उक्त सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की स्थापना तक बराबर बना रहा जिससे देश की मोट्रिक व आर्थिक परिस्थितियों पर बहा बुरा प्रभाव पड़ा (उदाहरण दीजिये जैसे युद्ध कालीन मुद्रा रक्षीत इसी सम्बन्ध के फलस्वरूप हुई आदि)। परन्तु जब कोप की स्थापना हुई (इसके उद्देश्य संक्षेप में दो-चार बाब्यों में लिखिये) तब भारत भी इसका सदस्य बना और कोप के नियमों के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य भी ढालर थ स्वर्ण के रूप में

निश्चित हुमा जिसके स्टॉलिंग की दायता व निभंरता समाप्त हो गई और इसमें मैं बहु-पक्षीय परिवर्तन खोलता का गुण उत्तम हो गया, कि इस तरह भारत में स्टॉलिंग विनिमय मान के स्थान पर स्वर्ण समता मान (Gold Parity Standard) अथवा अन्तर्राष्ट्रीय-मान की स्थापना हो गई, कि अब भारतीय पत्र मुद्रा का आपार स्वर्ण, स्वर्ण के सुधारे स्थापना स्वियूरीटीज ही नहीं रहा बरन् इस विधि में स्टॉलिंग स्वियूरीटीज के अतिरिक्त अन्य देशों की मुद्राएँ भी आसानी से रखवी जाने लगी हैं। (रियर वेक अब नोट निर्माण का कार्य किस प्रकार करता है सक्षेप में लिखिये)। इस तरह निर्वर्ण निकालिये कि कोप की स्थापना से भारत में एक नये मुद्रा-मान का प्रादुर्भाव हुआ है (दो डाईन पृष्ठ)। तृतीय भाग में वर्तमान भारतीय चलन प्रणाली की विशेषताओं को लिखिये—पहले यह लिखिये कि भारतीय चलन-प्रणाली से बोह-कौन सी मुद्राएँ हैं तथा इनका निर्माण कैसे किया जाता है, फिर उदाहरण सहित यह बताइय कि चलन म मित्रायमिता, निश्चिरता तथा लोच भादि सब ही अच्छी प्रणाली के गुण पाये जाते हैं (दो डाईन पृष्ठ)।

प्रश्न ४—(i) स्वर्ण प्रमाप की कार्यव्यवस्थाएँ (Mechanism) का वर्णन कीजिये। क्या यह भाला जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा नियंत्रण की प्रस्थापना स्वर्ण प्रमाप का पुन एक बार प्रयोग में साने के बराबर है (Nagpur, B. A १९५६), (ii) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा नियंत्रण (I. M. F) पर एक सक्षिप्त तथा परिपूर्ण विवरण लिखिये और इसकी तुलना अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण प्रमाप से जीजिये (Bihar, B A १९५८, Sagar, B Com १९५५) (iii) Describe the statement—"the I M F involves a return to the Gold Standard in a modified form" (Patna, B A 1951) (iv) After the world war II, gold occupies no longer its position as the absolute monarch" in the modern currency system" Do you agree with the "above statement" Give reasons for your answer (Bihar, B Com 1950), (v) "The second world war has completely metamorphosed (i.e. changed the form of the) gold standard, gold has been dethroned though the value of gold has been entrenched in a strong fortress" Discuss

संकेत—उपरोक्त प्रश्नों में दो बारें पूछी गई हैं—स्वर्ण प्रमाप की कार्यव्यवस्था क्या है? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की विशेषताओं को लिखिये यह बताइये कि क्या इसके नियंत्रण से स्वर्ण-मान (या अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण-मान) की पुन स्थापना हो गई है? ("मुद्रा प्रणालियाँ" नामक ग्रन्थाघाय पढ़िय)। उत्तर वे आरम्भ में सक्षेप में मुद्रा-मान की परिभाषा तथा इसकी मुद्द्य-मुद्द्य विशेषताओं को लिखिये इसकी कार्यव्यवस्था विस्तार से लिखिये यह भी बताइये कि स्वर्ण-मान के क्या नियम हैं और उनके पालन करने से विनिमय-दर में किस प्रकार स्थिर रहा जाता था; पद्धति आन्तरिक मुद्द्य-स्तर में उच्चावचन होता रहता था। (दो-डाईन पृष्ठ)। तृतीय भाग में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की मुद्द्य-मुद्द्य विशेषताएँ बताइयें—दो-चार बाब्दों में इसकी स्थापना का कार्य परिस्थितियाँ उद्दृश्य लिखिये और फिर भारतीय व इसके मुगमान की विधि समता-दर निर्धारण व इसमें परिवर्तन, कोप का लेन-देन, कोप में अल्प मुद्रा तथा साधनों को तरल रखने से सम्बन्धित घटकस्था को लिखिये (हीन पृष्ठ)। तृतीय भाग में मुद्रा कोप के कार्य स्थापन के प्राधार पर यह सिद्ध कीजिये कि यद्यपि इसमें स्वर्ण मान के सब तुरु हैं, तथापि यह पूर्णतः

स्वर्ण-मान की पुनः स्थापना नहीं कहा जा सकता है—(i) उत्तर लिखित स्वर्ण-मान के कार्यसंचालन से यह स्पष्ट है कि स्वर्ण-मान का यह गुण या कि इसमें मुद्रा के बाध्य मूल्य (विनिमय की दर) में स्थिरता रहती थी जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सश्वत होती थी क्योंकि यदि मुद्रा के बाध्य-मूल्य अथवा विनिमय-दर में परिवर्तन होता रहे तब एक देश के व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से मासानी से व्यापार नहीं कर सकते हैं। परन्तु स्वर्ण-मान में यह बहुत बड़ा दोष या कि विनिमय-दर के स्थैर्य के लिये आन्तरिक मूल्य-स्तर का बलिदान होता था जिससे देश के आर्थिक विकास में वाधा पड़ती थी क्योंकि पूर्जीपरियों द्वारा धन के विनियोग में कठिनाई होती थी—उन्हे यह तय करना कठिन होता था कि जिस उद्योग में वे धन का विनियोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसमें उन्हें साम होगा या नहीं ? स्पष्ट है देश के आर्थिक विकास के, लिये आन्तरिक मूल्य-स्तर में स्थिरता रहनी चाहिए। बत्तमान लोचहीन परिस्थितियों में, आर्थिक जटिलताओं के कारण, हम आन्तरिक मूल्य-स्तर का त्याग नहीं कर सकते (इसी कारण पुनः शुद्ध स्वर्ण-मान की स्थापना भी नहीं हो सकती है) वयोंकि मूल्य-स्तर में तनिक सा परिवर्तन आर्थिक समाज में क्रान्ति मचा देता है, बेकारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होने पाता है आदि। (ii) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना में इन दोनों (कठिनाइयों आन्तरिक मूल्य-स्तर तथा विनिमय-दर दोनों में स्थैर्य रखना) को सुलभाने का प्रयत्न किया गया है—कोष के सदस्य देश आवश्यकता-नुसार अपने विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाकर आन्तरिक आर्थिक विकास कर सकते हैं और साथ ही साथ उनकी विनिमय-दर, कोष के सदस्य होने के नाते, मे भी स्थैर्य रहता है (प्रत्येक देश पूर्वनिर्दिच्त दर पर कोष से किसी भी देश की मुद्रा से सकता है, इसके उस देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास होता है) (iii) कोष में स्वर्ण का स्थान स्वर्णमान जैसा महत्वपूर्ण तो नहीं है, परन्तु कोष की कांटा प्रणाली तथा साधनों की तरलता व ग्रल्प-मुद्रा सम्बन्धी नियमों आदि से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें स्वर्ण का स्थान नगण्य भी नहीं है। (iv) कोष में स्वर्ण-मान जैसी कई बातें हैं, जैसे—दोनों मुद्रा के बाह्य-मूल्य में स्थिरता लाते हैं, दोनों में विभिन्न देशों की मुद्राओं का मूल्य सोने में निश्चित किया जाता है, स्वर्ण-मान की तरह कोष में भी सोना अन्तर्राष्ट्रीय मुगतान का अन्तिम साधन है (प्रत्येक देश अपने चन्दे का एक भाग सोने में देता है, कोष इस सोने का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर अन्य देशों की मुद्रा को खरीदने में करता है), (v) कोष में स्वर्णमान की तरह स्वरूप चलन का गुण नहीं है। आज स्वर्णमान को नियन्त्रित कर दिया गया है (इसे नियन्त्रित स्वर्णमान कह सकते हैं) व इसके रूप में व कार्य संचालन में आधारभूत परिवर्तन हो गये हैं, स्वर्ण का स्थान अब राष्ट्रभैमसन्तान्यारी ग्राम्याट का नहीं रहा है (इसका स्वतन्त्र व्यापार-नियंत्रित बहुं होता है और न यह भव स्वतन्त्रतापूर्वक आन्तरिक मूल्य-स्तरों को प्रभावित करता है), यद्यपि स्वर्ण-सम्भाट को गढ़ी से उतार दिया गया है (कोष की नियन्त्रित प्रणाली का जन्म हो गया है), तथापि स्वर्ण सम्भाट के मूल्य को भाज भी एक हड़ गड़ में जमा दिया गया है (कोष में) और इसकी स्थिति भव एक वैष्णविक राजा जैसी हो गई है स्पष्ट।

है कि कोप की प्रणाली में स्वर्ण मान के गुण तो हैं, परन्तु उसके दोष नहीं हैं। अत कोप की अपनी निजी विशेषताओं के कारण इसे स्वर्ण-मान की पुन स्थापना नहीं कहा जा सकता है (तीन-चार पृष्ठ)।

**Q 5 Why is it that the resources of the I M F & I. B R D have been increased by increasing the quotas of the member countries?**

उवंतें — उत्तर में लिखिए कि कोप की पूँजी दउ हजार मिलियन डॉलर से बढ़ार पन्द्रह हजार मिलियन डॉलर तक दी गई है अर्थात् इसके साधनों में ५०% वृद्धि हो गई है। इसके सामने दताइये, जैसे— कोप की कार्ति व कार्य क्षमता बढ़ जायेगी और यह अपने कार्यों को अधिक सरलता से कर सकेगा, जो देश अपनी मुद्रा की परिवर्तनशीलता को बनाने या बनाये रखने का प्रयत्न कर रहे हैं उनको कोप के साधनों की वृद्धि से अपने कार्य में प्रोत्साहन मिलेगा, यह सासार की तरलता (World Liquidity) में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि है, इससे विश्व व्यापार तथा शोधना योग की कठिनाइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी, इस वृद्धि से सासार के अविच्छिन्न देशों को विशेषतया लभ होगा ज्ञादि।

### अध्याय १५

## अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकासार्थ बैंक

(International Bank for Reconstruction and Development)

प्रारंभिक — ब्रेटन वॉड्स सम्मेलन (Bretton Woods Conference) ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के साथ ही साथ पुनर्निर्माण व विकासार्थ एक अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank) की स्थापना की भी उिकारिश की थी यही कारण है कि मुद्रा-कोप के निर्माण के साथ ही साथ इस विश्व बैंक का भी निर्माण हुआ है। जबकि कोप का उद्देश्य सदस्य देशों के व्यापारिक असंतुलन और अन्य आर्थिक आवश्यकताओं द्वारा उत्पन्न हुई विनियम दरों के अल्पकालीन घट बढ़ को सातुरित करना है, उब अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का उद्देश्य समस्त देशों में दौधेंकालीन पूँजी का विनियोग (Investment) कराने में सहायता देना है ताकि युद्ध प्रसिद्ध (War Devastated) देशों का पुनर्निर्माण और अविच्छिन्न देशों का आर्थिक विकास हो सके। इस उत्तरह यह बैंक कोप की एक सहयोगी सहका है।

विश्व बैंक के उद्देश्य (Purposes of the Bank) — इस बैंक के मुख्य मुद्दे उद्देश्य इस प्रकार हैं—(1) राष्ट्रों का पुनर्निर्माण व आर्थिक विकास—बैंक का मुख्य उद्देश्य युद्ध विनाश्य देशों का पुनर्निर्माण (Reconstruction) देश अनुबन्ध (Under-developed) या कम उन्नत (Under developed) राष्ट्रों को अपने प्राइविट क्षाधनों के अधिकरण द्योपण व विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। युद्ध घसित

राष्ट्रों के अन्तर्गत मुद्यन्मुख्य इंगलैंड, फ्रांस, हालैंड तथा डेनमार्क हैं और आविकसित व कम-विकसित राष्ट्रों के अन्तर्गत भारत, पाकिस्तान, चीन, बर्मा आदि सम्मिलित किये जाते हैं। (ii) पूँजी के विनियोग के लिये सुविधाये प्रदान करना:—बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य वैयक्तिक विनियोगकर्ताओं (Private Investors) को उनकी पूँजी की गारन्टी (Guarantee) देकर या उनके विनियोग या अण में हाथ वेटाकर (Participation) उन्हें पिछ़े देशों में पूँजी उत्पादक कार्यों के लिये विनियोग (Invest) करने के लिये प्रोत्साहन देता है। यदि वैयक्तिक विनियोग पर्याप्त मात्रा में नहीं होने पाते हैं, तब इस कमी की पूर्ति करने (Supplement) के हेतु बैंक या तो निजी पूँजी में से या इसके द्वारा प्राप्त कोपों (Funds) में से या अन्य तरीकों से प्राप्त रकमों में से कुछ रकम ऐसे देशों को उत्पादक कार्यों के लिये अण पर देता है। इस तरह बैंक का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय अण द्वारा राष्ट्रों की विनियोग-क्रियाओं में स्थिरता लाना है। (iii) दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना:—बैंक का उद्देश्य पिछ़े हुए देशों को उनकी विकास सम्बन्धी योजनाओं को पूरा करने में सहायता देना भी है और इस प्रकार इसे राष्ट्रों को सहायता देकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना है तथा इसे सन्तुलित करने में सहायता होना है। चौंकि वह विभिन्न राष्ट्रों में घनोत्पत्ति में वृद्धि करने में सहायता होता है, इसलिए इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की जनता के जीवन-स्तर तथा अभिको की कार्य की दशाघो तो उन्नत करना भी है। (iv) शांतिकालीन अर्थव्यवस्था को दशायें उत्पन्न करना:—बैंक का उद्देश्य सदस्य देशों की युद्धकालीन आर्थिक व्यवस्था को शान्तिकालीन आर्थिक व्यवस्था में बदलना है।

बैंक की सदस्यता (Membership of the Bank):—जिन देशों ने ११ दिसम्बर १९४४ तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की सदस्यता स्वीकार करली है वे ही राष्ट्र इस बैंक के भी मूल-सदस्य (Original Members) होंगे। दूसरे देश भी इस बैंक के सदस्य हो सकते हैं, परन्तु जो देश मुद्रा-कोप की त्याग देगा वह इस बैंक को भी त्याग करता हुआ समझा जायेगा। परन्तु मुद्रा कोप की सदस्यता त्याग देने पर भी यह राष्ट्र इस बैंक का सदस्य ७५% मत इसके पक्ष में होने पर रह सकता है। यह राष्ट्र जो बैंक के नियमों व शर्तों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करेगा वह भी इसका सदस्य नहीं रह सकेगा। लिखित में बैंक द्योङने की सूचना देने पर ही एक देश इस बैंक की सदस्यता को त्याग हुआ समझा जायेगा।

बैंक की पूँजी (Capital of the Bank):—सितम्बर १९५६ से पूर्व इस बैंक की प्रधिकृत पूँजी (Authorised Capital) १०,००० मिलियन डॉलर थी (जुलाई १, १९४४ को डॉलर की उत्तमता व वजन के अनुसार)। यह पूँजी १ साल डॉलरों के १ लाख शेयर्स (Shares) में विभक्त कर दी गई थी। बैंक के सदस्यों के हृ मताधिवय (Majority Vote) से इसकी पूँजी में वृद्धि की जा सकती है। बैंक के १ लाख शेयर्स में से ६१,००० शेयर्स मूल सदस्यों द्वारा खरीदे जायेंगे और वाकी ६,००० शेयर्स बाद में बैंक के सदस्य बनने वाले राष्ट्रों के लिये रक्षित (Reserved) कर दिए गये हैं। प्रथेक सदस्य के हिस्से (Shares) मिलियन डॉलरों में इस प्रकार निश्चित किये गये थे:—

इगलेंड १३००, अमेरिका ३१५०, भारत ४००, हस १२००, चीन ६००, फ्रान्स ४५० आदि। अबकूबर १९५६ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बोय व विश्व बैंक के गवर्नरसं की वार्षिक बैठक नई दिल्ली में हुई थी। यह कोप-बैंक वी बैठक ऐतिहासिक हाइट से बड़ी महत्वपूर्ण रही है क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे—(i) कोप व बैंक के साधनों में वृद्धि होना चाहिये और इस वृद्धि के लिये सदस्य देशों के कोटी में वृद्धि होना चाहिये। (ii) अन्तर्राष्ट्रीय विकास समूह (International Development Association) की स्थापना होनी चाहिये। इस बैठक में बोर्ड ऑफ एक्जीक्यूटिव बोर्डवर्ट्स (Board of Executive Directors) वो यह अधिकार दे दिया गया कि वे इस प्रस्ताव पर विचार बर्ते और यह तय करें कि बैंक के साधनों में वित्ती वृद्धि होनी चाहिये। इस बोर्ड ने विचार विमशं वे बाद सितम्बर १९५६ में यह निर्णय लिया कि बैंक के साधनों को दुगुना कर दिया जाना चाहिये। इसके हेतु प्रत्येक सदस्य देश वा कोटा दुगुना कर दिया गया है। पहले बैंक की अधिकृत पूँजी १०,००० मिलियन डॉलर थी, परन्तु अब इसे बढ़ावर २१,००० मिलियन डॉलर कर दिया गया है। साधनों की वृद्धि यद्यपि कोटी को दुगुना करके की गई है, तथापि बहुत से देशों ने यह चर्चन दिया था कि वे अपना चन्दा दुगुने से भी अधिक कर दें। इसलिये कुल पूँजी बद्दल पहले से दुगुने से भी अधिक हो गई है। जिन देशों ने दुगुने से अधिक चन्दा दिया है, उसका मुख्य कारण यह था कि वे देश अपने आर्थिक विकास के कारण अधिक चन्दा देने में समर्थ थे और किरण वैक के द्वायों में अधिक भाग लेना चाहते थे। इस तरह १७ देशों ने जिनमें बनाडा, जापान, पिछिमी जर्मनी आदि हैं, अपने कोटे से अधिक चन्दा दिया है। बैंक वे साधनों में वृद्धि इसलिए की गई है ताकि यह अपने द्वायों में विस्तार कर सके अथवा अधिक छला दे सके वयोंकि कुछ वर्षों से यह अनुभव हो रहा था कि साधनों की सीमितता के कारण यह बैंक अर्थ-विकसित देशों को अधिक छला देने में असमर्थ था। दूसरी ओर अब विकसित या पिछड़े हुये देशों की आर्थिक विकास के लिये मौगि बढ़ती जा रही थी। ताकि बैंक ऐसे राष्ट्रों की अधिकाधिक आर्थिक सहायता कर सके, इस हेतु भी साधनों में वृद्धि की आवश्यकता हुई। साधनों में वृद्धि से बैंक अब पहले से अधिक मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में से जल्द एक वित करने लग गया है। अत साधनों में वृद्धि से पिछड़े हुये व अर्थ-विकसित देशों को बहुत लाभ हुआ है और इनके आर्थिक विकास वो बहुत प्रोत्साहन मिला है।

इस ने बैंक की भी सदस्यता स्वीकार नहीं की है। हिस्सेदार अपने हिस्से का २० प्रतिशत भाग प्रदा करेंगे और योग ८० प्रतिशत भाग बैंक द्वारा माया जाने पर (When Called-up) स्वरूप में, अमरीकी डॉलर में या जिस चलन-कार्य के लिये पूँजी मानी गई है, उस चलन में बैंक के आदेशानुसार देना पड़ेगा। यह भाग तब ही मौगि जायेगा जबकि बैंक को इसकी आवश्यकता होगी। इस २० प्रतिशत भाग में से १८ प्रति-शत भाग उस देश की मुद्रा में और बाकी २ प्रतिशत भाग सोने या धनशीली डॉलर में दिया जायेगा। सदस्यों वा आर्थिक सीमित (Limited Liability) होगा और बैंक के दूट जाने पर इनसे उनके हिस्से का योग भाग स्वरूप, अमरीकी डॉलर या अन्य जिसी मुद्रा में लिया जायेगा।

बैंक का कार्य-क्रम (Working of the Bank) — बैंक तीन प्रकार से अपने सदस्य राष्ट्रों को छहण देता है या उसमें सुविधा देता है:—

(१) स्वयं के कोष से छहण देना—बैंक वेची हुई पूँजी के २०% तक अपने स्वर्ग के कोष से छहण दे सकता है। यह स्मरण रहे कि बैंक को इस वेची हुई पूँजी के ३०%<sup>२५</sup> भाग में ३०% स्वर्ण तथा १८% अमुक सदस्य राष्ट्र की मुद्रा प्राप्त होती है। बैंक को जो स्वर्ण प्राप्त होता है, वह इसका प्रयोग चाहे जिस कार्य के लिये कर सकता है, परन्तु जो पूँजी हिस्सा खरीदने वाले राष्ट्र की मुद्रा के रूप में होती है, बैंक इसको छहण के रूप में तब तक नहीं दे सकता है। जब तक कि वह इस राष्ट्र से आज्ञा नहीं प्राप्त कर लेता है। इसी तरह बैंक इस मुद्रा का अन्य मुद्राओं से विनियम भी नहीं कर सकता है।

(२) उधार ली गई पूँजी में से छहण देना—बैंक सदस्य राष्ट्रों को छहण देने के लिए अन्य राष्ट्रों से कोष उधार ले सकता है। यहाँ पर भी यह शर्त रहती है कि छहण देने से पूँब बैंक को उक्त राष्ट्र की अनुमति लेनी पड़ती है। इसी तरह आज्ञा लेकर ही बैंक इस उधार ली गई मुद्रा को स्वर्ण में या अन्य मुद्राओं में परिवर्तित कर सकता है।

(३) गारन्टी देकर छहण दिलाना—बैंक किसी सदस्य राष्ट्र के व्यक्तिकिंवद अर्थात् वर्ताओं को उनके छहण की रकम की गारन्टी देकर भी इसपा उधार दिलास करता है। परन्तु गारन्टी देने से पहले बैंक को जिस देश के मुद्रा-बाजार में से छहण लिया जा रहा है और जिस देश की मुद्रा में छहण दिया जा रहा है, दोनों ही देशों की आज्ञा देना आवश्यक है। यह अवश्य है कि इस प्रकार की आज्ञा एक बार प्राप्त कर लेने पर, छहण का किसी भी सदस्य राष्ट्र की मुद्रा में विनियम किया जा सकता है। बैंक स्वयं छहण देने की अपेक्षा जहाँ तक हो सके दूसरों के द्वारा दिये गये छहण की गारन्टी देना ही ग्राहिक प्रस्तुत करता है। अतः बैंक व्यक्तिगत छहणों को प्रोत्साहन देता है। बैंक अपने पास से छहण तब ही देता है जब व्यक्तिगत विदेशी छहण उपलब्ध नहीं होते हैं। बैंक कुछ दातों की पूर्ति पर व्यक्तिगत छहण की गारन्टी देने के लिये तैयार होता है, ये मुद्य-मुद्य शर्तें इस प्रकार हैं:—(i) जब बैंक किसी अन्य देश द्वारा दिये गये छहण की गारन्टी करता है, उब वह यह देखता है कि छहण प्रदान करने की शर्तें उचित हैं। (ii) जिस योजना के लिये छहण लिया गया है, वह उचित होनी चाहिए। किसी योजना के उचित या अनुचित होने का अन्तिम निर्णय बैंक का ही होता है। (iii) छहणी के पास मुग्जतान करने के पर्याप्त साधन हीने चाहिये। (iv) जिस राष्ट्र को छहण दिया जाता है, वहाँ की सरकार को इस छहण की गारन्टी देनी होती है।

छहण देने या दिलाने के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातें भी हैं, जो मुद्य-मुद्य इस प्रकार हैं:—(i) बैंक सदस्य देशों से व्यवसाय के बल उनकी सरकार या उनके केन्द्रीय बैंक के माफ़त ही करता है। यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों तथा व्यक्तिगत संस्था या व्यक्तिगत संस्थाओं से भी व्यवसाय कर सकता है, परन्तु ऐसी अवस्था में उस देश की सरकार या केन्द्रीय बैंक को छहण तथा व्याज व अन्य खर्चों की वापिसी की गारन्टी देनी पड़ती है। (ii) बैंक सदस्य राष्ट्रों को छहण या छहण की गारन्टी उस समय ही देता है जबकि उसे यह सन्तुष्ट हो जाती है कि छहणी को अमुक शर्तों पर छहण अन्य किसी

दूसरे सुन से मिलने की सम्भावना नहीं है। (iii) छह देने या दिलाने से पहले दोंक अपनी अच्छ-समिति द्वारा यह जाँच करा लेता है कि जिस कार्य के लिये रुपया उधार मांगा जा रहा है, वह कार्य ठोस है या नहीं तथा अच्छी छह के मुगवान करने की परिस्थिति में है या नहीं। इस तरह जब छह देने के प्रस्ताव का समर्यन किसी उपयुक्त समिति द्वारा किया जाता है तब ही दोंक छह देता है या गारन्टी दरता है। (iv) छह की रकम अच्छी देश के बैंक-द्रीय दोंक में जमा दर दी जाती है जहाँ से वह आवश्यकतानुसार निकाली जा सकती है। (v) दोंक स्वयं छह देने या उसकी गारन्टी की दाढ़ी को निश्चित दरता है। इस तरह गारन्टी देते समय दोंक स्वयं छह दाता रुपया अच्छी देशों तथा बन्ध सदस्य राष्ट्रों के हित को देखता है। (vi) दोंक द्वारा दिये गए छह या गारन्टी किये गये छह कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, बेबत पुनर्निर्माण या विकास योजनाओं में ही व्यय किये जा सकते हैं। दोंक इन कार्यों का निरीक्षण कर सकता है। अत दोंक नियमी भी सदस्य को उसकी स्थानीय आवश्यकताओं के लिये छह नहीं देता है। (vii) अच्छी देश अच्छा से अच्छदाता देश की बस्तुओं खरीदने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। अत अच्छी अच्छ की रकम से चाहे जहाँ से माल खरीद सकता है। (viii) दोंक द्वारा दिये गये अच्छ या गारन्टी दिलाय गये छह, इन दोनों की रकम दोंक की प्राप्तिक पूँजी (Subscribed Capital) और सचित रक्षित कोष (Reserve Fund) से अधिक नहीं हो सकती है। इसका प्रबंध यह हुआ कि दोंक का कुल दायित्व (Liabilities) इसके कुल साधनों (Resources) से अधिक नहीं हो सकता है। (ix) सदस्यों को दिये गय अच्छों का मुगवान रुपर्ण में (यदि सदस्य चाहे) या उस करेंसी में जिसमें अच्छ लिया गया या किया जाता है।

यह स्मरण रहे कि मुद्रा-कोष की माँति विद्यक दोंक में सदस्य राष्ट्र की प्राप्ति हो सकने वाले अच्छों की मात्रा उसके कोटे (चन्दा) पर निमंत्र नहीं होती है। दोंक में सदस्यों के चन्दे तो बेबत उनके उत्तरदायित्वों (Liabilities) को सीमित एवं निश्चित दरते हैं।

ऋण पर ब्याज या कमीशन (Interest and Commission on the Loans) — दोंक द्वारा दिए गय अच्छ या गारन्टी द्वारा दिलाये गये अच्छों की शर्तें दोंक स्वयं निश्चित दरता है। जिन अच्छों पर गारन्टी दोंक द्वारा दी जाती है, उन पर दोंक के नियमानुसार प्रथम १० वर्षों में दोंक १% से १५% कमीशन (Commission) लेता है। इस १० वर्ष की अवधि के पश्चात दोंक पुरान या नय अच्छों पर अपना कमीशन कम या अधिक कर सकता है। दोंक अपन कमीशन को एक विशेष कोष में जमा दर देता है जिनका उपयोग किसी राष्ट्र द्वारा अच्छों का मुगवान नहीं करने पर किया जा सकेगा। दोंक अपने ऋण बाध्य की पूँजि के लिये प्रा अन्य जारी के लिए आपनी या अन्य प्रतिसूतियों (Securities) का क्रय विक्रय कर सकता है।

बैंक का प्रबंध (Management of the Bank) — दोंक का प्रबंध लगभग उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कि मुद्रा-कोष का प्रबंध होता है। कोष की उपर दोंक में सी एक बोर्ड औंक गवर्नर्स (Board of Governors), एक सचालक मण्डल (Board of Executive Directors) द्वारा अध्यक्ष (President) व अध्यक्षमंत्री (Oth-

Staff) होते हैं। इन सब के अतिरिक्त धोंग में एक सलाहकार समिति (Advisory Council) भी होती है। (क) बोर्ड ऑफ गवर्नर्सः—इनमें प्रत्येक सदस्य द्वारा नियुक्त एक गवर्नर तथा एक यथाक्रम गवर्नर (Alternate Governor) होता है जिनकी नियुक्ति ५ वर्ष के लिये की जाती है। सदस्य राष्ट्र इन गवर्नरों की पुनः नियुक्ति भी कर सकता है। इस बोर्ड की शीठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य हुआ करेगी जिसमें यह बोर्ड धोंग की वर्ष भर की प्रणति का सोच-विचार करेगा। अतः बोर्ड एक विधान-सभा की तरह ही है। (ख) संचालक मण्डल (Board of Executive Directors):—कोप की तरह धोंग के इस मण्डल में भी १२ सदस्य होते हैं जिनमें से ५ स्थायी द्वाइरेंट्स पौच बड़े-बड़े अधिकार वाले देशों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और शेष ७ द्वाइरेंट्स वाकी वचे राष्ट्रों द्वारा चुने जाते हैं। इन द्वाइरेंट्स की अवधि २ वर्ष की होती है। (ग) सलाहकार समिति (Advisory Council):—संचालक मण्डल द्वारा, एक सलाहकार समिति भी निर्वाचित की जाती है जिसमें कम से कम ७ सदस्य होते हैं। ये सदस्य धोंगिंग, वाणिज्य, उद्योग-धन्धे हुए और थम आदि विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। इनका निर्वाचन इस प्रकार किया जाता है कि अधिक से अधिक राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व हो राके। इस सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम एक बार शीठक अवश्य होती है और यह धोंग भी उसकी सामान्य नीति (General Policy) के सम्बन्ध में सलाह देती है। (घ) इन सबके अतिरिक्त धोंग में एक ऋणसमिति (Loan Committee) भी होती है। यह समिति सदस्यों के ऋण सम्बन्धी प्रारंभना-पत्रों की जाँच-पड़ताल तथा निरीक्षण करती है। इस समिति में भी विशेषज्ञ होते हैं और एक प्रतिनिधि प्रारंभना करने वाले सदस्य राष्ट्र का भी होता है।

लाभ का घटवारा (Distribution of Profits):—धोंग के लाभ को विभाजित करते समय सबसे पहले ऋणदाता सदस्य देशों को उनकी पूँजी में से दिये गये ऋणों की अोसत रकम पर २% व्याज दिया जाता है। वाकी यची रकम को सदस्य राष्ट्रों में उनकी प्राधिक पूँजी (Subscribed Capital) के अनुपात में उन्हीं की करेन्सियों में बाट दिया जाता है।

सदस्यता की घावसी (Withdrawal of the Membership):—लिखित में वैक को नोटिस देने पर कोई भी सदस्य वैक की सदस्यता त्याग सकता है। विसी देश की सदस्यता मुद्रा-कोप से भी गूचना (यदि कोई राष्ट्र मुद्रा-कोप की सदस्यता त्याग देता है, तब कोप इसकी गूचना वैक को दे देता है) मिलने के सीन मारा पदचारू समाप्त हो जाती है जब तक कि इस देश को वैक का सदस्य रहने की आज्ञा न मिल जाय। विसी देश का सदस्यता वैक की आज्ञा का उल्लंघन करने पर भी समाप्त की जा सकती है।

### बैंक का महत्व

#### (Importance of the Bank)

लार्ड कीन्स (Keynes) का मत है कि विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले लाभों को सरलता से नहीं पाना जा सकता है। इस बैंक से राष्ट्रों वो उनके अधिक विकास एवं पुनर्निर्माण के लिये साधन प्राप्त होते हैं, यह ऋणी तथा ऋणदाता राष्ट्रों में पारस्परिक

सहयोग तथा सद्मावना जाप्रत करता है, यह राष्ट्रो के आर्थिक स्थापित्व, उप्रति एव प्रगति मे सहायक हो रहा है जिससे विश्व मे शान्ति स्थापित रहने की सम्भावना है आदि। इस तरह विश्व बैंक के सरकार के आर्थिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर विश्व के समस्त सदस्य राष्ट्रो को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है और यह आशा की जाती है कि प्रविकागित व कम विकसित राष्ट्र भी इसके सहयोग से शोध ही ग्रीष्मोगिक हृष्टि से उन्नत व प्रगतिशील राष्ट्र बन जायेंगे। बैंक ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भारत, ईरान, किनिपाई-न तथा लबनान आदि देशो मे अपने मिशन (Missions) भेजे हैं जिन्होंने उन्नत देशों की आर्थिक समस्याओं वा अध्ययन बरवे उनकी आर्थिक स्थिति को दृढ़ बनाने के लिये अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। बैंक के इस महत्वपूर्ण कार्य से अविकसित व कम-विकसित राष्ट्रो को अत्यधिक लाभ अप्हृत है।

### बैंक का भविष्य

बैंक का भविष्य एव सफलता बहुत कुछ भन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोप की सफलता पर निर्भर है ब्योवि कोप द्वारा भन्तराष्ट्रीय मुद्राओं की पारस्परिक परिवर्तनशीलता (Convertibility) बनी रहने पर ही बैंक सुगमता से काय वर सकेगा। इसके अतिरिक्त बैंक की सफलता इच्छे प्रबन्धको की दक्षता पर, बैंक की ऋण देने की नीति पर ऋणी देशो की करण की अदायगी करने की शक्ति एव योग्यता पर तथा भन्तराष्ट्रीय आर्थिक एव राजनीतिक अवस्था पर भी निर्भर है।

बैंक की आलोचना (Criticism of the Bank) —मुद्रा कोप व विश्व बैंक के कार्यों से स्पष्ट है कि युद्धोत्तर उसार के लिये के दोनो स्थायों बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि मुद्रा कोप युद्ध विनिष्ट व अनुमत व कम उन्नत देशो के विदेशी व्यापार को मुख्य-विस्थित करने के लिय अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करता है, तब बैंक इन्हीं देशों के आर्थिक विकास व पुनर्निर्माण के लिय दीर्घ-कालीन ऋण की व्यवस्था करता है। इस तरह विश्व बैंक कोप के कार्यों की न्यूनता-पूर्ति (Supplement) करने के लिए स्थापित किया गया है। यद्यपि बैंक ने बहुत प्रशसनीय कार्य किये हैं, किर भी इसमे कुछ दोष भी हैं जो मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—(1) बैंक का आधार ऋणी देश के पक्ष मे तथा ऋणदाता देश के विपक्ष मे है (Basis of the Bank is Pro-Debtor and Anti-Creditor) —कुछ आलोचको वा मत है कि बैंक का विधान ही एसा है कि यह ऋणी देशो वा पक्ष करता है और यह ऋणदाता देशो के विपक्ष मे है। इसका कारण स्पष्ट है। सदस्य देशो मे अधिकान ऋणी होगे और बहुत ही कम ऋणदाता होगे। चूंकि बैंक का कार्य बहुमत हो ही होगा, इसलिये इसके नियंत्रण पर ऋणियों का अधिक प्रभाव पड़ेगा। परन्तु बैंक की यह आलोचना उचित नहीं है—इस योजना का आधार ही सदस्यो की समुक्त व अक्सिल गारंटी (Joint and Several Guarantee of the Members) है। इसलिये बैंक की योजना मे पूँजी को देना और उत्पाति-नायों मे लगाई जाने वाली पूँजी को जोखिम उठाना, ये पृष्ठक-पृष्ठक कार्य माने गये हैं। एक राष्ट्र विना वास्तव मे पूँजी दिये ही जोखिम उठाता है। मत यदि बैंक के दृढ़ आधार को अच्छी प्रकार समझ लिया जाय तब यह विचार कि बैंक वा आधार ऋणी देश के पक्ष मे है तथा ऋणदाता

देश के विपक्ष में है, अमरपूर्ण माना जायगा। (ii) बैंक द्वारा किया जाने वाला कार्य वैयक्तिक विनियोगकर्ताओं द्वारा अधिक अच्छी प्रकार से किया जा सकता है (Private Investors can do the work better than is being done by the Bank):— मुख्य आलोचकों का यह भी मत है कि पिछड़े देशों में पूँजी का विनियोग (Investment) करने या कराने का कार्य वैयक्तिक विनियोगकर्ताओं (Private Investors) द्वारा बैंक से ज्यादा अच्छी तरह किया जा सकता है। परन्तु बैंक के कार्यों की यह आलोचना भी ठीक नहीं है। बैंक के विधान व इसके कार्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बैंक के नियमणकर्ताओं का यह उद्देश्य है ही नहीं कि बैंक वैयक्तिक विनियोगकर्ताओं का स्थान लेते बरन् इसका उद्देश्य तो केवल उनकी न्यूनतम-पूर्ति (Supplement) करना है। इसके अतिरिक्त जटिली अधिक जोखिम तथा पूँजी का विनियोग चाहने वाले कार्यों के लिये स्वयं ही बैंक से हपया उधार लेंगे जबोकि प्रथम तो वैयक्तिक विनियोगकर्ता ऐसे जोखिम के कार्यों के लिये पर्याप्त मात्रा में तथा बहुत कम व्याज की दर पर पूँजी नहीं दे सकेंगे और फिर जटिलियों को बैंक से ही दीवंकाल के लिये तथा बहुत कम व्याज की दर पर पर्याप्त मात्रा में हपया मिल सकेगा। अतः युद्धोत्तर संसार के आर्थिक विकास तथा पुनर्निर्माण के लिये बैंक ही एकमात्र उपाय है।

### बैंक का कार्यारम्भ तथा इसकी प्रगति

बैंक की प्रगति—एक रिव्यू (A Review of Bank's Activities)—इस

सम्बन्ध में निम्न बातें स्मरणीय हैं:—(i) कार्यारम्भ—बैंक ने २५ जून सन् १९४६ से अपना कार्य आरम्भ किया था। उस समय इसकी कुल प्रार्थिक पूँजी १५४६.६६ करोड़ डालर और परिवेश पूँजी ७२.७० करोड़ डालर थी और शेष सभासद देशों की मुद्रा के रूप में थी। (ii) साधनों में वृद्धि—विश्व बैंक ने अपने साधनों में वृद्धि करने के लिये समय-समय पर अनेक प्रयत्न किये हैं—(ग्र) इसने १५ जुलाई १९४७ को अमेरिकन मुद्रा-बाजार में १०० मिलियन डालर की अपनी प्रतिभूतियाँ बेची और डालर प्राप्त किये। (ग्रा) इसी तरह इसने ५० मिलियन डालर स्विस फंक के बीड्स स्विट्चरलैंड में और १५ मिलियन कैनेडियन डालर के बीड्स कैनेडा में बेचे। (इ) हाल ही में इसकी पूँजी को दुगुना किया गया है। अतः बैंक ने अपनी कार्यशील पूँजी को बढ़ाने तथा सदस्य राष्ट्रों की और अधिक आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिये अनेक प्रयत्न किये हैं। (iii) ऋण—११ अगस्त १९५६ तक बैंक को दिये गए ४६०४.३ मिलियन डालर ऋण के लिये बचतवद्ध था। इसमें से २७४ मिलियन डालर वा ऋण बैंक को वापिस कर दिया गया है और ११२.३ मिलियन डालर के ऋण को रद्द कर दिया गया है या पुनः दे दिया गया है। ३१ अगस्त १९५६ तक बैंक का कोटित ऋण (Funded Debt) १६०५ मिलियन डालर था। इन ऋणों की अवधि ६ से ३० वर्ष तक है और इनका उद्देश्य राष्ट्रों का आर्थिक पुनर्निर्माण करना है। १०% से १५% कमीशन के अतिरिक्त बैंक ने इन ऋणों पर व्याज की दर २% से ३.५% तक ली है। ऋणी देशों में सबसे अधिक ऋण भारत को मिला है। जून १९५६ तक भारत को विश्व बैंक से ५५०.६१ मिलियन डालर ऋण प्राप्त हुआ था। भारत के बाद भारतीयों का स्थान है जिसका कुल ऋण

३१७ उ३ मिलियन डालर तथा तृतीय स्थान प्राप्त का है जिसका कुल शूण ३०२ ५० मिलियन डालर है। देशीय बर्गविरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बैंक ने अविकसित देशों के विकास के लिये अधिक शूण दिये हैं। एशियाई देशों की शूण की मात्रा ११५३-५४ की तुलना में ११५६-५७ में २३२ मिलियन डालर से बढ़कर ४७७ मिलियन डालर हो गई थी। इसी काल में अफ्रीका देशों की शूण की मात्रा १६६ मिलियन डालर से बढ़कर ३६७ मिलियन डालर हो गई। (iv) शूणों का उपयोग—बैंक द्वारा दिये गये शूणों वा मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की इस प्रकार सहायता करना है कि वे अपने देश का आर्थिक विकास हड़ पाधार पर कर सकें इसी हास्त से विद्युत-शक्ति व यातायात के साधना व विकास की योजनाओं को बैंक ने विदेश महत्व दिया है वयों कि ये आधारभूत सेवायें हैं। कुल शूण में भाग विद्युत-शक्ति के विकास तथा उ॒ भाग यातायात के विकास वे लिय दिया गया है (यातायात में जल, घर, वायु तथा रेल-यातायात सम्मिलित हैं)। शेष उ॑ भाग कृषि, उद्योग तथा वन्य सामान्य विकास के कार्यों के लिय दिया गया है। इनमें भी कृषि में सिंचाई-योजनाओं और उद्योग में स्पात के उत्पादन को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया है। (v) तकनीकी सहायता (Technical Assistance)—विश्व बैंक ने सदस्य राष्ट्रों की प्राप्तना पर टैक्नीकल मिशन्स भी समय समय पर भेजे हैं जिन्होंने सम्बन्धित स्थान पर योजनाओं का गहन अध्ययन करके अपने सुझाव दिये हैं। (vi) राष्ट्रों के पारस्परिक विवाद व भगड़े—राष्ट्रों के पारस्परिक भगड़े उनके आर्थिक विकास में सदा बाधक हुआ करते हैं। बैंक ने इन भगड़ों को रोकने अथवा इनका हल हूँड निकालने का समय-समय पर प्रयत्न किया है बैंक का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना है और यह तद ही सम्भव है जबकि राष्ट्रों में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। भारत-पाकिस्तान में नहर के पानी का भगड़ा इसका एक उदाहरण है। (vii) स्टाफ कॉलेज को स्थापना (Economic Development Institute)—सन् १९५६ में बैंक ने एक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की जिसका मुख्य काय विभिन्न अर्थ-विकसित देशों के चुने हुय अनुभवी व्यक्तियों को विशेष शिक्षा प्रदान करता है ताकि ये अपने देश में अपनी आर्थिक योजनाओं पर नियंत्रण सुगमता से कर सकें। (viii) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation)—इस निगम की स्थापना जुलाई १९५६ में ही गई थी। इसके व्यक्तिगत उपक्रम (Private Enterprise) को बहुत प्रोत्साहन मिला है। इसने अब दो वय के जीवन काल में ही ग्यारह विनियोजनाओं की लिय वचन दिया जिनकी कुल मात्रा लगभग १०४ मिलियन डालर है। (ix) शूणदाता देशों की बैंक—बैंक शूणदाता देशों की बैंक भी समय समय पर तुलारा है ताकि शूणों देश को शूण सुगमता से प्राप्त हो सकें। हाल ही में बैंक ने अपरिदा, इग्लेट, परिचमी जर्मनी, फ्रान्स तथा जापान की एक बैंक भारत को शूण प्रदान करते क सम्बन्ध में तुलारा ही में शूण देश की ग्रांड-व्यवस्था की विकसित

करने में बड़ी सराहनीय मदद की है। इसी सफलता के कारण इसके सदस्य देशों की संख्या ४४ से बढ़कर ६५ हो गई है।

### भारत और विदेश बैंक

(अ) भारत को विदेश बैंक से प्राप्त छहण—भारत नवम्बर १९४६ में बैंक का मूल सदस्य बन गया था और इसने अपनी विभिन्न आयिक योजनाओं को पूरा करने के लिए बैंक में पूरा-नूरा साम उठाया है। बैंक से लिये गये छहणों का संक्षिप्त व्योरा इस प्रकार है:—(i) अगस्त १९४८:—अगस्त १९४६ में भारत को ३·४ करोड़ डालर का प्रथम छहण १५ वर्ष की अवधि का रेलों के विकास के लिए मिला था जिस पर ३% मूद्र व १% कमीशन था। भारत ने बैंकल ३·२५ करोड़ डालर का उपयोग किया और सन् १९५० से इसका भुगतान आरम्भ कर दिया। यह छहण मूलतः रेलों की युद्ध कालीन घिसावट व जाति की प्रतिस्थापना के लिये लिया गया था। इसीलिये इस छहण से अमेरिका व कनेक्टा में रेलों के इंजन खरीद गये थे। (ii) तितम्बर १९४६:—इदि विकास एवं मुद्धार के लिये यह दूसरा छहण सितम्बर १९४६ में १० मिलियन डालर का ७ वर्ष की अवधि के लिये २०% व्याज की दर तया १% कमीशन पर लिया गया। देश के विभाजन से पंजाब का न्यायाल उत्पन्न करने वाला भाग पाकिस्तान में चला गया। इसके अतिरिक्त युद्ध के बाद कृषि-मुद्धार की अत्यन्त आवश्यकता अनुमत दृष्टि १९५२ में इस छहण का भुगतान आरम्भ किया गया था। भारत ने इस छहण का भी पूरा-नूरा उपयोग नहीं किया। इस छहण से अमेरिका से ट्रेनटसं, मध्यीने व अन्य कृषियन्त्र खरीद गये थे। (iii) अप्रैल १९५०:—दामोदर घाटी में विद्युत-विकास के लिये (दामोदर घाटी विद्युत-योजना) अप्रैल १९५० में यह तीसरा छहण १८·५ मिलियन डालर का २० वर्ष की अवधि के लिये ३ प्रतिशत व्याज की दर व १ प्रतिशत कमीशन पर लिया गया। इसका भुगतान अप्रैल १९५१ से आरम्भ हो गया है। इस छहण से चक्र विजली घर के लिये अमेरिका से एक घर्मल प्लाट खरीदा गया। (iv) दिसम्बर १९५२:—इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा जोहा व स्पात उत्पन्न का विकास (प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार) करने के हेतु यह चौथा छहण दिसम्बर १९५२ में ३·०१५ मिलियन डालर का १५ वर्ष की अवधि के लिये ४·२ प्रतिशत व्याज व कमीशन की दर पर लिया गया। यह प्रथम छहण था जो बैंक द्वारा एक वैयक्तिक संस्था द्वारा दिया गया था। इस छहण से भारत में जोहा-स्पात उत्पन्न के विकास में बहुत सहायता मिली है। (v) जनवरी १९५३:—दामोदर घाटी योजना के लिये पांचवाँ छहण जनवरी १९५३ में १·६५ करोड़ डालर का २५ वर्ष की अवधि के लिये ४·७८ प्रतिशत व्याज की दर पर लिया गया। इस छहण का उपयोग दामोदर घाटी में दो बहू-बहेशीय बांधों को बनाने में किया गया है। (vi) १९५४:—टाटा युप को बम्बई में विजली घर के विकास के लिये सन् १९५४ में यह टाटा छहण १·६२ करोड़ डालर का ४·७५ प्रतिशत व्याज की दर पर मिला। (vii) १९५५:—मारतीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये बैंक ने १९५५ में १ करोड़ डालर वा छहण भारतीय धोयोगिक साथ और विनियोग प्रमंडल (Indian Industrial Credit and Investment Corporation)

को दिया। (viii) १६५८ —(क) द्वितीय पचवर्षीय योजना में विदेशी विनियम की कठिनाई अनुभव हुई। सन् १६५८ में बैंक से १५० करोड रुपये का जो झण मिला उससे इस कठिनाई को दूर करने में बहुत सहायता मिली है। (ख) बैंक ने अप्रैल १६५८ में दो और झण देने की घोषणा की। इन झणों की कुल रकम ४३ करोड डालर है। इनमें से एक २६ करोड डालर का झण बलकर्ते के बन्दरगाह में सुधार के लिये और दूसरा झण (तीव्र राशि) मद्रास बन्दरगाह में सुधार के लिये मिला है। (ग) रेलों के सुधार एवं विकास के लिए एक ८०५ करोड डालर का झण भी मिला है। यह माना है कि रेलों के विकास एवं सुधार के लिये जितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है वह इस झण से पूरी हो जायगी। (घ) दामोदर धाटी योजना के विकास के लिये २०५ करोड डालर का एक और झण ५७६ प्रतिशत व्याज व कमीशन की दर पर मिला है। (न) कोयना जल-विद्युत योजना के लिये २०५ करोड डालर का झण भी मिला है। (त) रेलों के विकास तथा औद्योगिक साख व विनियोजन निगम को वित्त प्रदान करने के लिये, हाल ही में विश्व बैंक ने ६ करोड डालर का झण स्वीकृत किया है।

(आ) भारत को विश्व बैंक से प्राप्त अन्य सहायता —बैंक ने भारत को न केवल झण प्रदान किये हैं बरन् हमारे देश की इसने अन्य अनेक प्रकार से सहायता की है—  
 (१) झणदाता देशों की बैठक —हाल ही में बैंक ने वाशिंगटन में भारत को झण देने वाले पांच प्रमुख देशों (शामेरिवा, इंगलैंड, कनाडा, पश्चिमी जम्बनी तथा जापान) की एक बैठक बुलाई थी जिसमें उसने भारतीय आवश्यकताओं को उनके सम्मुख रखा और भारत की सहायता करने की आवश्यकता पर बल ढाला। फलत द्वितीय पचवर्षीय योजना की समाप्ति तक भारत को ६०० मिलियन डालर झण के रूप में प्राप्त होने की घासा है। बैंक ने प्रथम बार ही इए प्रकार की बैठक संयोजित की थी। (ii) टैकनिकल सहायता —समय समय पर बैंक के टैकनिकल विशेषज्ञ भारत आते रहते हैं और विभिन्न योजनाओं के विकास पर अपना उनसे सम्बन्धित कठिनाइयों पर अपने विचार प्रकट करते रहते हैं, जैसे—जल-विद्युत, रेल-विकास, औद्योगिक झण आदि से सम्बन्धित अनेक योजनाओं पर उनके विचार प्राप्त हुए हैं। (iii) भारत-पाकिस्तान नहर धानी विवाद —बैंक ने इस विवाद को दोनों देशों के हित में सुलझाने का भरतक प्रयत्न किया है और माना है कि शोध ही यह सफल भी हो जायगा। इस समझौते के कारण भारत व पाकिस्तान दोनों ही देशों को बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ेगा। इस हेतु बैंक ने स्वयं भी कुछ झण देने का निश्चय किया है और वह दोनों देशों ने मित्र राष्ट्रों से भी अधिक सहायता देने के लिये प्रारंभना कर रहा है। (iv) सामान्य झण (Block Loans) —अब तक भारत को निश्चित रूपेद्य झण (Specific Loans) मिलते रहे हैं जिनका उपयोग छिक्का उन्हीं बायों में किया जा सकता था जिनके लिए ये क्रृष्ण प्रदान किये जाते थे। भास्ट्रेचिया को ऐसे झण मिले हैं जिनका उपयोग वह अपनी इच्छानुसार कर सकता है। भारत को भी ऐसे झणों के मिलने की घासा है।

निष्ठाय—भारत के आर्थिक विकास व पचवर्षीय योजनाओं को सफलीभूत बनाने का बहुत कुछ योग्य विश्व बैंक पर है। इसने हमारे देश को सबसे अधिक झण दिये हैं

जिसके कारण यह संस्था भारत के लिये अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध हुई है। भविष्य में भी यही प्राप्ति है कि हमारे देश के आर्थिक स्थितान में हमें इस भन्तर्राष्ट्रीय संस्था से अत्यधिक सहायता मिलेगी।

**आलोचना:**—भारत को बैंक से जो समय-समय पर ऋण प्राप्त हुये हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ आलोचनाओं की गई हैं। इनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—(i) बैंक के ऋण प्राप्त निश्चित उद्देश्यों को पूर्ति के लिए होते हैं;—भारत को बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण के सम्बन्ध में यह कठिनाई बताई जाती है कि ये ऋण केवल निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये होते हैं। परन्तु भारत सरकार ने बैंक से अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये निश्चित उद्देश्य-ऋण (Specific Loans) के स्थान पर सामान्य-ऋण (Block Loan) प्रदान करने की प्रार्थना की है ताकि ऐसे ऋण का उपयोग किसी भी काम में किया जा सके। बैंक आस्ट्रेलिया को इस प्रकार का ऋण दे चुका है। (ii) व्याज की दर बहुत ऊँधी है—बैंक ने समय-समय पर जो ऋण दिये हैं उन पर इसने २·५% से ४·७८% तक व्याज की दर (अपने कमीशन के अतिरिक्त) ली है। आलोचकों का मत है कि भारत जैसे निर्धन व अविकसित देश के लिए इतनी अधिक व्याज की दर भारतव्यरूप ही होती है। यही कारण है कि श्री जान मथाई (John Mathai) भूतपूर्व वर्य सचिव ने अपना यह मत प्रकट किया था कि भारत तथा अन्य अविकसित एशियाई राष्ट्रों को बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहिये वरन् इह सस्ती दर पर पूँजी प्राप्त करने के अन्य साधनों को ढूँढ़ना चाहिये। यही नहीं बैंक को भी अपनी कड़ी नीति में कुछ उदारता लाना चाहिये। परन्तु बैंक की नीति के समर्थकों का मत है कि जब बैंक ने हाल ही में अपनी प्रतिभूतियों को ४% व्याज की दर पर बेचा है, तब वह इससे भी कम व्याज की दर पर ऋण कैसे दे सकता है। (iii) एशियाई देशों को अपेक्षाकृत कम ऋण मिला है—एक घनुमान के घनुसार बैंक ने जितने भी ऋण दिए हैं, उनका केवल ३·१% भाग एशियाई व अफ्रीकी देशों को मिला है जबकि यूरोपीय व अमरीकी देशों को कमश: ३६% और २४ प्रतिशत भाग मिला है। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि बैंक ने एशियाई देशों की अपेक्षा यूरोपीय तथा अमरीकी देशों के आर्थिक विकास को अधिक महत्व दिया है। आलोचनाओं के परिणामस्वरूप हाल ही में बैंक की इस ऋण नीति में भी परिवर्तन हुए हैं। (iv) भारत को बैंक से बहुत कम ऋण मिल मिला है—भारत को औद्योगिक एवं विकास योजनाओं को आवश्यकताओं को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि भारत बो बहुत ही कम मात्रा में ऋण मिल सका है। परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों ने अपना यह मत प्रकट किया है कि भारत को बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहिये वरन् इसे अपने देश में ही बैंकिंग कंपनी (Private Capital) को निकालने के साधन ढूँढ़ने चाहिये। भारत में करोड़ों रुपये का स्वर्ण मूमिणत है। सरकार बो इस स्वर्ण के औद्योगिक कार्यों में उपयोग के साधन भी हूँड़ने चाहिये ताकि हमारा देश पूँजी के लिये बहुत कुछ स्वाव-लम्बी हो जाय।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B. A. & B. Sc.

१. विकास तथा पुनर्निर्माण के भन्तर्राष्ट्रीय बैंक के कामों की व्याख्या कीजिये

(१६६०) । २. अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के क्या मुख्य कार्य हैं ? भारत को इस बैंक से क्या साम दूह्रा है, वर्णन कीजिये ? (१६५६ S) ३. अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिये और समझाइये कि भारतीय आर्थिक विकास में यह बैंक किस प्रकार सहायक है ? (१६५८ S) ४. पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक पर एक नोट लिखिये । भारत ने इस बैंक की सेवाओं से क्या साम उठाया है ? (१६५७) ५. Give a brief evaluation of the working of the Bank for International Development and Reconstruction (1955) ६. Give the constitution and functions of the Bank for International Development and Reconstruction. (1954)

Rajputana University, B. Com.

1. "The World Bank's relationship with India is probably more extensive than with any of its 68 member countries" Discuss it in the light of the various loans granted to this country. (1959)

Bihar University, B. Com

1. "The establishment of the two monetary institutions—the International Monetary Fund and the International Bank for Reconstruction and Development—has proved a boon at the present time." In the light of this statement, examine the objects of these two institutions and say how far India has been benefitted by them. (1959)

### परीक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत

प्रश्न १.—(i) विकास तथा पुनर्निर्माण के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के कार्यों की व्याख्या कीजिये (Agra, B. A. १६६०, १६५५, १६५४)

संकेतः—उत्तर के भारतमें दो-चार बाक्यों में उन परिस्थितियों को बताइये जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई । फिर बैंक के उद्देश्यों को बताइये (एक-दो पृष्ठ) । द्वितीय भाग में बैंक के प्रबन्ध, पूजी, तदस्थिता, काय-ब्रम व छहण पर व्याज व कमीशन, लाभ का व टवारा आदि के बारे में लिखिये (तीन-चार पृष्ठ) । तृतीय भाग में बैंक के महत्व व इसके दोषों के बारे में लिखिये (दो पृष्ठ) । अन्त में, एक पैरे से भारत को बैंक से लाभ अर्थात् बैंक से भारत को कब-कब व कितने कितने झरण प्राप्त हुये हैं उनके बारे में लिखिये (एक पृष्ठ) ।

प्रश्न २.—(i) पुनर्निर्माण तथा विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक पर एक नोट लिखिये । भारत ने इस बैंक को सेवाओं से क्या साम उठाया है ? (Agra B. A. १६५६, १६५७) (ii) "The world Bank's relationship with India is probably more extensive than with any of its 68 member Countries." Discuss it in the light of the various loans granted to this country (Raj, B. Com 1959), (iii) "The establishment of the two monetary institutions—the I M F & the I B R and D—has proved a boon at the present time" In the light of this statement examine the objects of these two institutions and say how far India has been benefitted by them (Bihar, B. Com. 1959)

संकेत—उपरोक्त प्रश्नों में जीवन का हौदा नहीं है—अपनराष्ट्रीय बैंक पर लोट (मुल्य-मुल्य विशेषताएं) लिखिये (उपरोक्त प्रश्न १ पढ़िये) । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के महत्व को बताइये ("अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष" नामक अध्याय पढ़िये) । तृतीय भाग में भारत को बैंक से मिले शूणों की विस्तृत विवेचना कीजिये (चार-पाँच पृष्ठ) । अन्त में उद्देश्यों के आधार पर, पुनः भारतीय उदाहरणों को संक्षेप में देकर, बैंक के महत्व को बताइये (आधा पृष्ठ) ।

"Foreign Exchange is the Science and Art of international money exchanging "  
Hartley Withers

भाग १:

: खंड ३

# विदेशी विनिमय

(Foreign Exchange)

[अध्याय १६. विदेशी विनिमय]

## ABOUT FOREIGN EXCHANGE

- (A) 'Foreign Exchange is the Science and Art of International money exchanging'—Hartley Withers
- (B) When two countries currencies are on Gold Standard their currency units are either gold coins or are convertible into gold at fixed rates Moreover gold freely moves between the countries The par of exchange between such countries is called the Mint Par of Exchange This is arrived at by equating the amount of gold contained in the currency units (or given in exchange for them by currency authorities respectively) of the two countries There can be no Mint Par between a gold standard and a silver standard country"
- (C) The rate of exchange obtained by comparing price levels of two countries is called the Purchasing Power Parity<sup>4</sup>.  
The rate of exchange between two countries, must stand essentially on the quotient of the internal purchasing powers of these currencies This is easily seen if we reflect on the fact that the price paid in a foreign currency is ultimately a price which must stand in a certain relation to the prices of commodities in the home market'

—Gustav Cassels

\* While the value of the unit of one currency in terms of another currency is determined at any particular time by the market conditions of demand and supply in the long run, that value is determined by the relative values of the two currencies as indicated by their relative purchasing powers over goods and services In other words, the rate of exchange tends to rest at the point which expresses equality between the respective purchasing powers of the two currencies \* This point is called the Purchasing Power Parity \*—Thomas

### BE CAREFUL ABOUT THEM

- 1 Good hand writing is an asset these days
- 2 Carefully study the wordings of the question so that you may know precisely as to what the examiner wants e g The words 'State', 'Describe', 'Explain', and 'Elucidate' require simple explanation, whereas detailed criticism is wanted in the case of the words 'Discuss', 'Examine' and 'Comment'
- 3 How to write is more important than what to write in order to secure more marks (Read Appendix)

अध्याय १६

## विदेशी विनिमय

(Foreign Exchange)

विदेशी विनिमय का अर्थ (Meaning of Foreign Exchange):—विदेशी विनिमय के अर्थ में भिन्न-भिन्न वियां जाते हैं:—

(१) विस्तृत अर्थ—हॉटले विल्सन (Hartley Withers) ने विदेशी विनिमय शब्द को परिभाषा इस प्रकार की है—“यह विदेशी विनिमय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-परिवर्तन (या विनिमय) का विज्ञान एवं कला है” (“Foreign Exchange is the Art and Science of International Money Exchanging”—Hartley Withers: *Money Chaging*)। इसके रूप में इसका सम्बन्ध उन सब संस्थाओं (Institutions) तथा यन्त्रों (Instruments) से है जो विदेशी भुगतानों में सहायता करते हैं और विज्ञान के रूप में इसका सम्बन्ध न केवल उस विनिमय की दर से है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है बल्कि इसका सम्बन्ध उन सब उपायों व रीतियों से भी है जो विनिमय को अटिल समस्याओं को हल करती हैं। इस तरह विस्तृत अर्थ में विदेशी विनिमय का अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसकी सहायता से व्यापारिक राष्ट्र अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापों का भुगतान करते हैं।\* अर्थात् इसका अभिप्राय उन समस्त लियादों से है जिनके द्वारा दो देशों के व्योपारी अपने विदेशी दायित्वों का भुगतान करते हैं।

(२) संकुचित अर्थ:—विदेशी विनिमय का अर्थ संकुचित दृष्टिकोण से भी कई प्रकार से दिया जाता है। (क) जब हम कह सकते हैं विनिमय बैंक (Exchange Banks) या अन्य बैंक विदेशी विनिमय का अर्थ विक्षय करते हैं, तब इसका अभिप्राय केवल विदेशी विनिमय बिल्स (Foreign Bills of Exchange) से होता है। (ख) जब हम यह बहरे हैं कि विदेशी विनिमय हमारे देश के विषय में है, तब इसका अभिप्राय केवल विनिमय की दर (Rate of Exchange) से होता है।

सारांश—उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अर्थगतियों में ‘विदेशी विनिमय’ के सभी अर्थों के सम्बन्ध में यहूत मतभेद है। परन्तु वास्तव में विदेशी विनिमय उस पद्धति का द्योतक है जिसके द्वारा व्यापारिक राष्ट्र अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का भुगतान करते हैं। इस दृष्टिकोण से विदेशी विनिमय के अन्तर्गत उन यन्त्रों, साधनों, रीतियों तथा उपायों का समावेश है जिनकी सहायता से दो राष्ट्रों के बीच विदेशी भुगतान चुकाए जाते हैं।

विदेशी विनिमय की समस्या

(Problem of Foreign Exchange)

विदेशी विनिमय को क्या समस्या है? (What is the Problem of Foreign

\*The system by which commercial nations discharge their debts to each other.”—Encyclopaedia Britannica.

Exchange ?) — राष्ट्रों की धार्यिक आत्म-निर्भरता के समाप्त हो जाने तथा शने-शने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उत्पन्न हो जाने से अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की समस्या को जन्म मिला है। प्रत्येक देश वी अपनी घपनी अपरिमित एक नूनी मुद्रा होती है और यह केवल इस देश के अन्दर ही बाहुनो प्राप्त होती है। देश के निवासी अपने आन्तरिक व्यवहार इसी मुद्रा में करते हैं और विदेशों से भी भुगतान अपने देश की मुद्रा में ही स्वीकार करते हैं। परन्तु इनके सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि ये विदेशी भुगतान के लिए कौनसी मुद्रा प्रयोग में लायें? यह स्मरण रहे कि विदेशी भुगतान की समस्या स्वर्ण-मान में इतनी जटिल नहीं थी जितनी कि यह आज स्वर्ण-मान के दूट जाने के बाद ही गई है क्योंकि स्वर्ण-मान में प्रत्येक देश अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान स्वर्ण में कर सकता था, परन्तु आज कोई भी देश अपने स्वर्ण कोप को खोकर अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान करना पसन्द नहीं किया बरता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यापारिक भुगतान के लिए सोने को मणाना, नीजना, परखना आदि न केवल बहुत खर्चीला है बल्कि यह बहुत प्रसुविधाजनक भी है। इसीलिए भुगतान कार्यों में स्वर्ण का प्रयोग अब तो लगभग बन्द हो गया है। परिणामत आज अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रत्येक व्यवसाय या सोने, (Transactions) में हमें अपने देश की मुद्रा को विदेश की मुद्रा में बदलना पड़ता है। यही कारण है कि विदेशी व्यापार आन्तरिक व्यापार की तुलना में सदा जटिल रहता है क्योंकि इसमें हमें प्रत्येक व्यवहार के लिये अपने देश की मुद्रा को विदेशी की मुद्राओं में बदलना पड़ता है। अत यह स्पष्ट है कि विदेशी विनियम की अनेक समस्याएँ हैं—एक देश का व्यापारी विदेशों से माल मांग कर उनका भुगतान विस प्रकार करे? कोन-कौन सी समस्याएँ और किस प्रकार उसे इस भुगतान में सहायता देती हैं? व्यापारी को अपने देश की मुद्रा के बदले में कितनी विदेशी मुद्रा मिलती है या मिलनो चाहिए? आदि। प्रसुत अध्याय में आगे चल कर हम विदेशी विनियम की उक्त और उक्त से सम्बन्धित समस्याओं का ही अध्ययन करेंगे। यही कारण है कि हार्टले विदर्स (Hartley Withers) ने विदेशी विनियम को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा परिवर्तन का विज्ञान एवं छला कहा है।"


### विदेशी भुगतान के तरीके (Methods of Foreign Payments)

विदेशी भुगतान करने के तरीके (Methods of Foreign Payments) — एक देश दूसरे देश को तीन मुख्य तरीकों से भुगतान कर सकता है। कोई देश बोन-सा तरीका अपनाता है यह बहुत कुछ क्रेता व विक्रीत देशों की आपसी शर्तों पर निर्भर है। ये तीन तरीके इस प्रकार हैं—(१) वस्तुओं की निर्यात (Export of Commodities) — यदि कोई देश किसी दूसरे देश से वस्तुओं को आयात करता है, तब वह इनका भुगतान उस देश की आवश्यकता की वस्तुओं का निर्यात करके कर सकता है। परन्तु यह तरीका बोकार्नों से बहुत दोषपूर्ण है—(२) यह समझ वह है कि आयातकर्ता देश नियतिकर्ता देश की आवश्यकता की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में नहीं दे सके क्योंकि हो सकता है कि आयातकर्ता देश में इन वस्तुओं का उत्पादन हो नहीं होता हो और यदि उत्पादन होता भी है तब हो सकता है कि यह पर्याप्त मात्रा में नहीं होता हो। (३) वस्तु विनियम प्रणाली

(Barter System) की तमाम कठिनाइयाँ प्रत्यरोधीय-वस्तु-विनियम में भी बहुत ही तीव्र गति से उपलब्ध होंगी। अतः इन दोनों कारणों से वस्तुओं का निर्यात करके विदेशी मुगतान करने की रीति बहुत सरल व सुविधाजनक सम्भव नहीं है। (ii) स्वर्ण की निर्पात् (Export of Gold):—विदेशी वस्तुओं व सेवाओं का मुगतान स्वर्ण के सिव्वके या स्वर्ण का निर्यात करके भी किया जा सकता है। परन्तु यह विधि भी दो कारणों से दोषपूर्ण है—(क) यह बहुत सख्तीली है (किराया, पैकिंग, बीमा, आयात व निर्यात कर के कारण)। (ख) यह बहुत असुविधाजनक भी है क्योंकि किसी एक देश के कितने ही व्यक्तियों का लेन-देन विदेश के कितने ही व्यक्तियों से होता है। इसीलिए स्वर्ण के उपयोग में मितव्ययिता लाने के लिए तथा मुगतान के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए आजकल इस रीति का प्रायः उपयोग नहीं किया जाता है। (iii) विदेशी विनियम-विषयों (विलों) द्वारा विदेशी ऋणों का मुगतान करना:—उक्त दोनों रीतियों में बहुत दोष होने के कारण ही आजकल यह तो सरा मान्य अपनाया गया है। इस रीति में स्वर्ण का उपयोग दिन प्रति दिन के मुगतानों में नहीं किया जाता है बरन् इसका उपयोग सामयिक मुगतानों के त्रिये ही होता है। इस प्रणाली में एक देश के व्यापारी विदेशी विनियम के स्वत्वों (Titles of Foreign Exchange) द्वारा दूसरे देश के व्यापारियों को अपने छह का मुगतान करते हैं। ये विनियम-विषय (Bills) मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं—(क) विल्स भौंड एक्सचेंज, (ख) बैंक्रांड ड्राफ्ट-तथा (ग) टेलीफ्राफिक ट्रान्सफर-ये विनियम विषय (Bills) विनियम-वैकों द्वारा ही खरीदे जाते हैं।

### (क) विल्स भौंड एक्सचेंज (Bills of Exchange)

✓ विल्स भौंड एक्सचेंज की कार्यप्रणाली (Working of a Bill of Exchange):—मान लो, इंगलैंड और भारत में वस्तुओं की आदात और निर्यात हो रही है:—



मान लो, मारुतीय व्यापारी रामलाल ने इंगलैंड के व्यापारी स्टीवेसन को 100 रुपए का चमड़ा और इंगलैंड के व्यापारी हैंडरसन ने मारुतीय व्यापारी मटरूलाल को 100 रुपए के ब्लेंड भेजे हैं। इस तरह स्टीवेसन को रामलाल को 100 रुपये और मटरूलाल को 100 रुपये देने हैं। यदि विलों का प्रयोग न करके स्वर्ण से मुगतान किया जाता है, तब स्टीवेसन और मटरूलाल दोनों को ही उनके द्वारा प्राप्त मास का मुगतान सौन्सी रुपये वा स्वर्ण भेजकर करना पड़ेगा। स्वरुप भेषजकर विदेशी मुगतान करने की पद्धति बहुत असुविधाजनक होती है, इसीलिए दोनों देशों का मुगतान विस्ता द्वारा किया जाता है। यदि विलों द्वारा व्यापसी मुगतान किये जाते हैं तब ऐसा एक

बिल से ही दोनों देशों में दोनों ग्रहणों का मुग्धतान हो जाता है। मान लो, रामलाल ने स्टीवेसन को माल भेजते समय उस पर साथ ही साथ १०० इपए का बिल भी जारी कर दिया है। स्टीवेसन इस बिल को स्वीकृत (Accept) करके रामलाल के पास भेज देगा। रामलाल इस बिल को ललोयड बैंक (Lloyd Bank) से भुगतान तदाकाल रूपया प्राप्त कर लेता है। यह बैंक भी इस बिल की रकम में से उसके परिपक्व (Maturity) होने की अवधि के अनुसार सूद की रकम काटकर बाकी रकम रामलाल को दे देगा। भारत का व्यापारी मटहलाल इगलेंड के व्यापारी हैंडरसन को ललोयड माल का मुग्धतान करना चाहता है। वह ललोयड बैंक से उत्त बिल को भरीद लेगा और हैंडरसन को भेज देगा। इस प्रकार भारतीय ललोयड बैंक को वह रकम वापिस प्राप्त हो जाती है जो उसने रामलाल को दी है। हैंडरसन ललोयड बैंक की इगलेंड बाली शाखा से इस बिल को मुना लेता है। यह बैंक बिल के परिपक्व (Maturity) होने की बाकी अवधि के अनुसार सूद काटकर बिल की बाकी रकम हैंडरसन को दे देता है। स्टीवेसन ने बिल को स्वीकृत करते समय ही यह वायदा कर लिया था कि बिल के परिपक्व होते ही वह उसकी रकम की अदायगी पर देगा, इसलिये इगलेंड बाली ललोयड बैंक की शाखा अमुक समय पर हैंडरसन को दी रकम स्टीवेसन से वापिस प्राप्त कर लेती है। अत हैंडरसन को पौंड में और रामलाल को इपयों में अपने अपने माल का मूल्य प्राप्त हो जाता है। इस तरह न तो स्वर्ण का ही निर्यात होता है और न इसके निर्यात में होने वाली असुविधाएँ ही किसी पक्ष को सहन करनी पड़ती हैं। अत विदेशी बिल्स की यह प्रणाली किराया, आयात निर्यात कर, पैकिंग का व्यय, बोमे का व्यय आदि में बहुत बचत करती है। इसके अद्वितीय इससे बहुमूल्य घातु में विसावट भी नहीं होती और व्यापारियों को सोना भेजने की असुविधा व जोखिम भी सहन नहीं करनी पड़ती है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिलता है।

यह स्मरण रहे कि हमने इस उदाहरण में दोनों देशों के ग्रहणों की एक सी रकम (अर्थात् १०० इपए) मानी है क्योंकि हमने यह मान लिया है कि इन दोनों देशों के व्यापारियों ने समान मूल्य की वस्तुओं की आयात निर्यात की है। परन्तु वास्तविक जीवन में इस प्रकार का सन्तुलन (Balancing) बहुत कम ही होता है। भारत इगलेंड पर लाखों इ० कि बिल्स जारी करता है, इसी प्रकार इगलेंड भारत पर लाखों पौंड कि बिल्स जारी करता रहता है। दोनों देशों में आयातकर्ताओं (ग्रहणी) द्वारा अपने अपने निर्यातकर्ताओं (अद्वितीय) का मुग्धतान करने के लिये ये बिल्स लखीदे जाते हैं और इस तरह विदेशी ग्रहणों का मुग्धतान किया जाता है। इस दशा में यदि किसी देश की निर्यात उसकी आयात से अधिक है अर्थात् उसकी आय (Receipts) उसकी देन (Payments) से अधिक है, तब इस देश में स्वर्ण का आयात होगा। परन्तु वास्तव में यहाँ पर भी सोने द्वारा तुरन्त मुग्धतान नहीं किया जाता है। अपर हमने बैंक दो देशों का उदाहरण लिया है, जबकि वास्तव में किसी समय पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक देश होते हैं। इस दशा में एक देश के कुल ग्रहणों का सन्तुलन उस देश की कुल आय (Receipts) के साथ किया जाता है और ऐसा बरने पर भी यदि कुछ शेष क्रण रह जाता है उसका मुग्धतान स्वर्ण के निर्यात

द्वारा किया जाता है। यह भी सम्भव है कि सूचने का नियंत्रण नहीं किया जाय, तब एक दूसरे देश का इस रकम का क्रूज़ी रहता है।

### ✓ (ख) बैंकसं ड्रापट (Banker's Draft)

बैंकसं ड्रापट की कार्य-प्रणाली:—विनियम विलुप्त के अतिरिक्त विदेशी भुगतान करने के दो और साधन हैं जिनमें से एक बैंकसं ड्रापट है। यह एक आन्तरिक ड्रापट की सरह का ही होता है। प्रत्येक विनियम बैंक की विदेशी में दास्तायें होती हैं। यह विनियम बैंक जितना बड़ा, सुधृवस्थित रूपा प्रभावशाली होता है, उसकी उत्तीर्णी ही अधिक देशों में दास्तायें पाई जाती हैं। इन बैंकों की मदद से विदेशी भुगतान में बहुत मदद मिलती है। मान लो, भारतीय व्यापारी रामलाल को इंगलैंड के व्यापारी स्टीवेसन से मौगाई गई वस्तुओं का भुगतान करना है। रामलाल भारत में किसी भी विनियम बैंक में रप्या जमा करके, उस बैंक से एक बैंकसं ड्रापट ले लेगा और उसे स्टीवेसन के पास भेज देगा। ये कसं ड्रापट एक बैंक से उसकी शाखा के लिए या अन्य किसी दूसरे बैंक के लिए यह आदेश होता है कि उसके बाहक (Bearer) को या उसमें नाम सिले व्यक्ति को माँग पर अमुक भाग में मुद्रा दे दे। स्टीवेसन इस ड्रापट में लिखी रकम को भारतीय विनियम बैंक की इंगलैंड स्थित दास्ता से पॉड-स्टलिंग में प्राप्त कर लेगा और इस प्रकार अपने भाग का भुगतान प्राप्त कर लेगा।

### टेलीग्राफिक ट्रांसफर (Telegraphic Transfer)

टेलीग्राफिक ट्रांसफर की कार्य-प्रणाली:—विदेशी भुगतान करने का दूसरा महत्वपूर्ण साधन टेलीग्राफिक ट्रांसफर है। प्रायः एक देश से दूसरे देश को ड्रापट में जाने-जाने में बहुत समय लगता है। समय की असुविधा को दूर करने के लिए भी व्यापारी कभी-कभी तार द्वारा विदेशीयों की रकम का भुगतान करते हैं। इस तरह टेलीग्राफिक ट्रांसफर (T. T.) एक बैंक का अपनी शाखा को एक अमुक रकम का अमुक व्यक्ति को ताराल भुगतान करने का आदेश होता है।

### विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति

#### (Demand for and Supply of Foreign Currency)

विदेशी मुद्रा की माँग कैसे होती है और उसकी पूर्ति विस प्रकार की जाती है? विदेशी मुद्रा की माँग उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो विदेशी से भाज मौगाते हैं, जो विदेशी से प्राप्त संवादों का भुगतान करना चाहते हैं या जो विदेशी में अपनी दूसरी का विनियोग (Investment) करना चाहते हैं। इसी तरह विदेशी मुद्रा की पूर्ति उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो विदेशी मुद्रा पर किसी न किसी तरह अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, जाहे यह अधिकार वस्तुओं की नियंत्रण द्वारा या सेवाओं द्वारा दूसरी दूसरी की बायाह द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार किसी भी समय विदेशी मुद्रा की माँग एवं पूर्ति निर्दिष्ट होती है और इस माँग एवं पूर्ति का परस्पर व्यक्ति के ऊपर ही विनियम विपत्रों (Bills of Exchange) का मूल्य नियंत्र रहता है। विदेशी समय के बाजार में विनियम की दूर विदेशी मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा का व्यवस्था (Titles to Foreign Money) की माँग व पूर्ति में उपानता रखती है। यह स्मरण रहे कि विभिन्न देशों में मुद्रा-मान चाहे कोई

सा भी बयो न हो किसी समय पर विनियमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति द्वारा ही होता है। अब हमें यह देखना है कि दो देशों के बीच, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में, विनियमय की दर का निर्धारण किस प्रकार होता है? इससे पहले कि हम विनियमय-दर के निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ अध्ययन करें, हमें विनियमय की दर का ठीक-ठीक अर्थ समझ सेना चाहिये।

### विनियमय की दर (Rate of Exchange)

विनियमय की दर का अर्थ (Meaning of the term Rate of Exchange) —

विनियमय की दर की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है —

(१) "विनियमय दर किसी एक मुद्रा का वह मूल्य है जो किसी दूसरी मुद्रा में व्यक्त किया जाता है।" (The value of a currency expressed in terms of another currency is called its Rate of Exchange") दूसरे शब्दों में, "किसी एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की जितनी मुद्रा मिले, यह उसकी विदेशी विनियमय की दर कहलाती है।"

(२) "विनियमय-दर का अर्थ उस दर से है जिस पर एक देश की प्रचलित मुद्रा का दूसरे देश की प्रचलित मुद्रा में विनियमय हो सके।"

(३) 'विनियमय-दर उस दर को कहते हैं जिस पर एक देश के विपत्रों (विल्स) की विक्री दूसरे देशों में होती है।'

उक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि "विनियमय दर केवल दो देशों की मुद्राओं के विनियमय अनुपात को सूचित करती है।" मान लो, अमेरिका में १ रुपये के बदले में २१ सेन्ट प्राप्त होते हैं, तब हम कहेंगे कि रुपये और डालर की विनियमय दर १ रुपया = २१ सेन्ट या १ डालर = ४ ७६ रुपया है। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य इसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है और जिस प्रकार इसमें इन शक्तियों के परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विदेशी मुद्रा या इनके स्वतंत्रों (Tillies) की मांग और पूर्ति की परस्पर शक्तियों के अनुसार विदेशी विनियमय की दर निर्दिष्ट होती है और इस दर में भी परिवर्तन विदेशी मुद्रा या इनके स्वतंत्रों की मांग और पूर्ति के परिवर्तन के अनुसार हो जाता है। अब किसी देश की विनियमय की दर सदा स्थिर (Fixed) नहीं रहती है, इसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं और इस परिवर्तन का देश की आनंदरिक अर्थ-व्यवस्था तथा आनंदर्धीष्य व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव पढ़ा करता है। इसीलिये किसी देश की विनियमय-दर तथा इसमें परिवर्तन का उस देश के आर्थिक जीवन में बहुत महत्व होता है।

### विनियमय की समता (Par of Exchange)

विनियमय की समता का अर्थ (Meaning of Par of Exchange) — अभी-अभी

ऊपर यह बताया गया है कि विनियमय की दर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की पारस्परिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। जब वभी विदेशी मुद्रा (या इसके बिल्स) की मांग इसकी पूर्ति के बराबर होती है, तब विनियमय की दर में समता (Parity) होती है और विनियमय की इस दर को विनियमय-समता (Par of Exchange) कहते हैं।

परन्तु यदि विदेशी मुद्रा (या इसके स्वत्वों के बिल्स) को पूर्ति इसकी मांग से अधिक है (या देशी मुद्रा की मांग इसकी पूर्ति से अधिक है), तब विदेशी मुद्रा का मूल्य सममात्र (Parity) से कम हो जायगा (या देशी मुद्रा का मूल्य सममात्र से ऊँचा हो जायगा)। दूसरे शब्दों में, यदि विदेशी विल्स को पूर्ति अधिक है और मांग कम है, तब विनियम की दर गिरेनी अर्थात् विदेशी मुद्रा का मूल्य विनियम दर की समता (Par of Exchange) से कम हो जायगा और इस अवस्था में विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिये हमको पहले की अपेक्षा अपनी मुद्राएँ कम देनी पड़ेगी। इसके विपरीत यदि विदेशी मुद्रा (या इनके बिल्स) की मांग इनकी पूर्ति से अधिक है (या देशी मुद्रा की पूर्ति इसकी मांग से अधिक है), तब विदेशी मुद्रा का मूल्य विनियम दर की समता (Par of Exchange) से ऊँचा हो जायगा (या देशी मुद्रा का मूल्य सममात्र से नीचा हो जायगा) अर्थात् विनियम की दर ऊँची हो जायगी और इस अवस्था में विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिये हमको पहले की अपेक्षा अपनी मुद्राएँ अधिक देनी पड़ेगी।

परन्तु पहाँपर एक महत्वपूर्ण भ्रमन उत्पन्न हो जाता है—विदेशी विनियम की दर (Rate of Exchange) किस सीमा तक सममात्र (Parity or Par) से कम जट सकती है या यह किस सीमा तक सममात्र के नीचे तिर सकती है? विनियम की दर में सममात्र के नीचे या ऊपर क्षमता: घट-बढ़ की कुछ सीमायें (Limits) अवश्य होती हैं, परन्तु ये मध्यायें (Limitations) विभिन्न परिस्थितियों में नियन्त्रित होती हैं। परन्तु यहाँ पर एक बात भीर याद रखें कि विनियम की समता (Par of Exchange) स्वयं भी विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से निश्चित होती है अर्थात् विभिन्न देशों की मुद्रा-मान पद्धतियों के मनुष्यार ही विनियम की समता भी भिन्न-भिन्न प्रकार से निश्चित की जाती है। अतः हम विनियम की दर के नियरिण वी समस्या का अध्ययन चार भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में करते हैं:—(i) जब दो देश स्वरूप-भान (Gold Standard) या रोप्य-भान (Silver Standard) पर आधारित होते हैं। (ii) जब एक देश स्वरूप-भान पर और दूसरा देश रोप्य-भान पर आधारित होता है। (iii) जब एक देश स्वरूप-भान पर और दूसरा देश अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा पर आधारित होता है तथा (iv) जब दोनों देश अपरिवर्तनीय कागजी-मुद्रा पर आधारित होते हैं।

### (i) स्वरूप-भान वाले देशों में विनियम-दर

#### (Rate of Exchange in the Gold Standard Countries)

स्वरूप-भान या रोप्य-भान पर आधारित दो देशों के बीच विनियम-दर वित्त प्रकार नियारित होती है? (How is the Rate of Exchange determined between the two countries based on the Gold Standard or Silver Standard?)—जब दो देश स्वरूप-भान पर आधारित होते हैं, तब इन देशों में या तो उनके बिल्सको का घलन होता है (Gold Currency Standard) या देश दो एक मुद्रा इकाई (Currency Unit) को, एक निश्चित दर पर, सोने में परिवर्तित किया जा सकता है (Gold Bullion Standard) या एक देश की मुद्रा का सम्बन्ध दो देश की मुद्रा से स्थापित कर दिया जाता है जो स्वरूप-भान पर होता है (Gold Exchange Standard)।

स्वरुप मान देशों में स्वर्ण की आयात-निर्यात भी विनाशित होती प्रतिवर्ष एवं स्वावलम्बन के हूमा होती है। इस कारण प्रत्येक मनुष्य जानता है कि वह अपने देश की मुद्रा के बड़ले दूसरे देश से कितना स्वर्ण प्राप्त कर सकता है या दूसरे देश की मुद्रा के बदले उसे कितना स्वर्ण देना पड़ेगा। यही कारण है कि स्वर्ण-मान देशों में विनियम-दर का निर्धारण सुख होता है।

जब दो देशों की मुद्राएँ स्वर्ण पर आधारित होती हैं, तब इन देशों की मुद्राओं का मूल्य (क्रप-शक्ति) स्वर्ण के माध्यम द्वारा नापा जा सकता है प्रथमांद हम इन देशों की मुद्राओं का मूल्य उनकी स्वर्ण में जो क्रप-शक्ति होती है उससे नाप सकते हैं। तब इन दोनों स्वर्ण मान वाले देशों में विनियम दर की दर किस प्रकार निर्धारित होती है? पहले दर इन देशों की मुद्रा की सोना खटोदने की गति में समानता स्थापित करके प्राप्त की जा सकती है। अब दो देशों की मुद्राओं का विनियम इस प्रकार होता है कि वे अपने-परने देशों में एक ही मात्रा में सोना खटोदते हैं, तब विनियम की दर में समता (Parity) होती है। इस स्थिति में जब दो देशों की मुद्राओं का विनियम होता है, तब न हो लेने वाले और न देने वाले देश को किसी प्रकार का लाभ या हानि होती है। अत जब दो देशों में स्वर्ण मान होता है और स्वर्ण की आयात-निर्यात पर वोई प्रतिवर्ष नहीं होता है, तब इन दोनों देशों की मुद्राओं की विनियम की दर (Rate of Exchange) इनके प्रमाणित तिक्कों को विगुद स्वर्ण की समानता स्थापित करके प्राप्त की जाती है। स्वर्ण क्रप-शक्ति की समानता द्वारा जो विनियम की दर प्राप्त होती है, अर्थात् में उसे 'विनियम की टक्काली दर' या "Mint Par of Exchange" (Mint Par of Exchange) या "स्वर्ण मूल्य समानता दर" (Gold Par of Exchange) चहते हैं। थामस (Thomas) के शब्दों में, "टक्का समता वह अनुपात है जो एक ही धातु मान पर आधारित राष्ट्रों की प्रमाणित भौतिक दक्षाइयों के बंधानिक धातु-समय से व्यक्त होता है।"<sup>6</sup> धर. टक्का-समता का अभिप्राय है—एक देश की विगुद स्वर्ण-मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा का विगुद स्वर्ण म मूल्य या रोप्य-मान (Silver Standard) वाले राष्ट्रों में चाँदी का चाँदी मूल्य। स्वर्ण मान देशों में विनियम-दर की दीर्घकालीन प्रतीति इस टक्का-समता के बाबार हो जाने की होती है। प्रथमि समय-समय पर बास्तविक विनियम-दर इस टक्का-समता से कुछ अलग या कुछ अधिक भी हो सकती है।

<sup>6</sup> "Mint Par is an expression of the ratio between the statutory bullion equivalents of the standard monetary units of two countries on the same metallic standard"—Thomas Banking and Exchange

उक्त बाब्य में Statutory शब्द की नली प्रकार समझ लेना चाहिये। स्वर्णमान पर आधारित राष्ट्रों की मुद्रा के 'बंधानिक विगुद स्वर्ण-मूल्य' से ही टक्का-समता निर्धारित की जाती है न कि उसके "बास्तविक यूल्य" से। यद्य परन्तु विधान में चारिकर्तन नहीं होता, टक्का-समता में भी परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिये कलेयर और क्रेम ने कहा है— "The Mint Par depends, in short, not on the coin itself, but on the legal definition of it, not on the sovereign de-facto, but on the sovereign de-jure unless and until the law is altered, the mint par cannot alter" —Clare and Crump : A, B, C of Foreign Exchange

## टंक समता का निर्धारण

### (Determination of Mint Par of Exchange)

प्रत्येक स्वर्ण-मान देश में प्रमाणित मुद्रा वा स्वर्ण-मूल्य (रोप्य-मान देश में प्रमाणित मुद्रा वा रोप्य-मूल्य) का आग्रह द्वारा निश्चित किया जाता है। इस स्वर्ण-मूल्य (या रोप्य-मूल्य) में से ही हम विशुद्ध स्वर्ण का मूल्य मालूम करते हैं और इसके प्राप्तारपर टंक-समता (Mint Par of Exchange) मालूम करते हैं।

मान लो, हमें अमेरिका और इंग्लैंड के बीच विनियम वी दर मालूम करना है। ये दोनों देश स्वर्ण-मान पर हैं।

१ अंग्रेजी पौंड (सावरन) में  $123\cdot274$  प्रेन सोना ३२ घुदता का होता है। इसलिए १ पौंड में  $\frac{123\cdot274 \times 1}{12}$  अर्थात्  $10\cdot0016$  प्रेन विशुद्ध सोना होता है।

इसी प्रकार अमरीकी सिवका ईगल (Eagle) है जिसमें १० डॉलर होते हैं। १ ईगल में  $245$  प्रेन सोना ४४ घुदता का होता है। इस तरह १० डॉलर में  $245 \times 4 = 980$  प्रेन ३२ घुदता का सोना होता है या १० डॉलर में  $\frac{980 \times 4}{10} = 392\cdot2$  प्रेन विशुद्ध सोना होता है।

अब: १ डॉलर में  $\frac{392\cdot2}{10} = 39\cdot22$  प्रेन विशुद्ध सोना होता है।

जब  $23\cdot22$  प्रेन विशुद्ध सोना १ डॉलर के बराबर होता है, तब  $10\cdot0016$  प्रेन विशुद्ध सोना बराबर है,  $\frac{10\cdot0016 \times 1}{23\cdot22}$  डॉलर के मर्यादि  $4\cdot5665$  डॉलर के।

धूंकि  $10\cdot0016$  प्रेन विशुद्ध सोना एक पौंड (या सावरन) में होता है, इसलिये १ पौंड बराबर है  $4\cdot5665$  डॉलर के।

अब: पौंड या डॉलर में टंक-समता (Sterling-Dollar Mint Par of Exchange) है:—१ पौंड =  $4\cdot5665$  डॉलर\*।

इसका धर्य हृषा कि यदि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच विनियम समाप्त (Exchange at Par) है तब एक भूयाके के आयातकर्ता को भूयाके में  $4\cdot5665$  डॉलर देने पर लंदन में १ पौंड मिल सकेगा। इसी तरह इंग्लैंड का एक व्यापारी लंदन में १ पौंड देकर अमेरिका में  $4\cdot5665$  डॉलर वा मुगवान दर सकेगा।

यह स्परण रहे कि यदि दो देश रोप्य-मान (Silver Standard) पर पापारित

\* यह स्परण रहे कि पौंड-डॉलर में यह टक-समता—१ पौंड =  $4\cdot5665$  डॉलर तब ही तक है जब तक कि विषान के अनुसार पौंड में  $10\cdot0016$  प्रेन विशुद्ध सोना और डॉलर में  $23\cdot22$  प्रेन विशुद्ध सोना है। परन्तु यदि कामून द्वारा पौंड या डॉलर में विशुद्ध सोने की मात्रा बदल दी जाती है, तब टक-समता में भी परिवर्तन हो जायगा। अब: जब तक कामून द्वारा प्रमाणित मुद्रा के स्वर्ण-मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक टंक-समता में भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यह बहु जाता है कि टंक-समता स्थायी रूप से होती है (Mint Par is a Fixed Par)।

है, तब इनके बीच भी इसी प्रकार टक-समता (Mint Par of Exchange between countries based on Silver Standard) निर्धारित की जा सकती है।

### टंक-समता से परिवर्तन और स्वर्णद्वंद्व

#### (Variations from the Parity and the Specie Points)

स्वर्णमान देशों में विनिमय-दर की दीर्घकालीन प्रवृत्ति टक समता (Mint Par of Exchange) के बराबर हो जाते की होती है। परन्तु वास्तविक जीवन में विनिमय की दर टक-समता (Mint Par) के बराबर बहुत कम हो दृष्टा करती है अर्थात् व्यवहार में विनिमय की दर टक-समता से कभी ऊपर तो कभी नीचे होती है। यह स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? इसका कारण स्पष्ट है। यह हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि किसी समय पर विनिमय की दर विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी विनिमय विलों की माँग और पूर्ति के अनुसार निर्धारित होती है। परिणामतः इन विलों की माँग एवं पूर्ति के प्रत्येक परिवर्तन से बिल्स का मूल्य टक-समता से कभी ऊपर हो जाता है तब पह कभी नीचे हो जाता है। दूसरे शब्दों में, विनिमय की दर में व्यापार की प्रगति के अनुसार और उसके फलस्वरूप बिल्स की माँग और पूर्ति के परिवर्तन के अनुसार सदैव उत्तार-चढ़ाव (Variation) होता रहता है। परन्तु क्या यह उत्तार-चढ़ाव किसी सीमा तक होता है? यह स्मरण रहे कि विनिमय की दर के उत्तार-चढ़ाव की भी कुछ सीमायें (Limitations) हैं जिन्हें हम उच्चतम स्वर्ण-बिन्दु (Upper Gold Point) तथा निम्नतम स्वर्ण बिन्दु (Lower Gold Point) कहते हैं।

#### विनिमय की दर में उच्चावचन (Fluctuation) की क्या सीमायें हैं? —

जब दो देश स्वर्ण-मान पर होते हैं और स्वर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान को बिना किसी रोक-टोक के भेजा जा सकता है, तब विनिमय की दर में उत्तार-चढ़ाव की मर्यादायें स्वर्ण के भेजने में जो अव्यय होता है (पैकिंग, काटिंग, जहाज का अव्यय, बीमा करने का अव्यय तथा अन्य छोटे-छोटे अव्यय, जब स्वर्ण रास्ते में होता है उस समय के व्याज की हार्निन, जब देक स्वर्ण को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजता है, तब वह भी साम लेता है आदि। इन सबके योग को हम यहाँ पर स्वर्ण के भेजने का अव्यय कहते हैं) उस अव्यय से निर्दिष्ट होती है। किसी समय पर टक-समता की दर में स्वर्ण भेजने के लिये जो अव्यय (Cost of transmitting Specie) होता है, उसे जोड़ देने पर हम विनिमय की दर की उच्चतम सीमा (Upper Limit) प्राप्त करते हैं (बिल्स के मूल्य की यह अधिकतम सीमा है) और इसी तरह जब हम टक-समता की दर में से स्वर्ण भेजने का जो अव्यय होता है उसे घटा देते हैं तब हम विनिमय की दर की निम्नतम सीमा (Lower Limit) प्राप्त करते हैं (बिल्स के मूल्य की यह न्यूनतम सीमा है)। यह बात एक उदाहरण से मी स्पष्ट की जा सकती है। मान सो, इगलेंड और पांस में व्यापार हो रहा है और मुग्धतान का सतुरन फास के प्रतिकूल है अर्थात् फास में अप्रेजी पौड़ की माँग उसकी पूर्ति से अधिक है। इस अवस्था में फास की मुद्रा का मूल्य कम हो जायगा और इगलेंड वी मुद्रा का मूल्य बढ़ जायेगा। मान सो, फास और इगलेंड के बीच टक समता (Mint Par of Exchange) है १ पौड़ = २५·२२१५ मंक और यह

भी मान सो कि फ्रांस से इंगलैण्ड को २५-२२१५ फैंक का सोना भेजने या मंगति का व्यय बराबर है ०-३ फैंक । चूंकि फ्रांस में इस समय प्रतिकूल मुगतान का सन्तुलन है और फ्रांस के व्यापारियों को इंगलैण्ड के व्यापारियों की रकम का मुगतान करना है, इसलिये फ्रांस के व्यापारी को इंगलैण्ड में १ पौंड का मुगतान करने के लिये अब २५-२२१५ फैंक से अधिक फैंक देने पड़ेगे । परन्तु फ्रांस का एक व्यापारी इंगलैण्ड में १ पौंड का मुगतान करने के लिये कितने फैंक अधिक से अधिक देने के लिये तंदार हो जायेगा ? इंगलैण्ड में १ पौंड का मुगतान करने के लिये फ्रांस वा व्यापारी फ्रांस में १ पौंड के विनिमय बिल के लिये अधिक से अधिक टकन-समता की दर+सोने के भेजने का व्यय अर्थात् (२५-२२१५+०-३=) २५-५२१५ फैंक देने के लिये तंदार हो जायेगा । परन्तु यदि उसे फ्रांस में ही १ पौंड के बिल के स्वरीदने के २५-५२१५ फैंक से अधिक रकम देनी पड़ती है, जब वह बजाय बिल्स ग्रॉफ एक्सचेज द्वारा इंगलैण्ड में मुगतान करने के, वह स्वयं सोना स्वरीदकर इंगलैण्ड को भेजना आरम्भ कर देगा वयोंकि उसकी हृष्टि से इंगलैण्ड को सोना भेजना उचित ही नहीं है बरन् यह सामदायक भी है ।<sup>१</sup> इससे स्पष्ट है कि फ्रांस से सोने की नियंत्रित तब आरम्भ होती है जबकि इंगलैण्ड में १ पौंड का मुगतान करने के लिये व्यापारी को २५-५२१५ फैंक से अधिक रकम देनी पड़ती है । दूसरे दब्दों में, १ पौंड=२५-५२१५ फैंक की सीमा वह सीमा है जिससे अधिक वास्तविक विनिमय दर होने पर सोना फ्रांस से इंगलैण्ड को जाने लगेगा । फ्रांस की हृष्टि से इस सीमा (या बिन्दु) को स्वर्ण-नियंत्रित-बिन्दु या उच्चतम-स्वर्ण-बिन्दु (Gold Export Point or Upper Gold Point) और इंगलैण्ड की हृष्टि से स्वर्ण-व्यापार-बिन्दु या न्यूनतम स्वर्ण-बिन्दु (Gold Import Point or Lower Gold Point) कहते हैं । कमी-कमी हम उच्चतम-स्वर्ण-बिन्दु और न्यूनतम स्वर्ण-बिन्दु को लगभग उच्चतम स्वर्णीक और न्यूनतम स्वर्णीक (Upper Specie Point and Lower Specie Point) भी कहते हैं । अतः किसी समय पर विनिमय की उच्चतम सीमा या उच्चतम स्वर्णांकु (Upper Specie Point)=टकन समता की दर+स्वर्ण-परिष्कृत-व्यय (Cost of Transmitting Gold) और यह यह दर है जिससे अधिक विनिमय की दर होने पर स्वर्ण एक देश (फ्रांस) से दूसरे देश इंगलैण्ड को भरने सकता है ।

इसी प्रकार विनिमय की दर गिरने की भी न्यूनतम सीमा (Lower Limit) होती है । यह सीमा कैसे नियंत्रित होती है ? जब हम टक समता की दर में से स्वर्ण के मानने के लिए जो दूसरा व्यय होता है, उसे पटा देते हैं तब हमें विनिमय की दर की

\* यह स्पष्टरूप से कि स्वर्ण-मान में एक देश के व्यापारी के लिये विदेशी में मुगतान करने के दो उपाय होते हैं—प्रथम, व्यापारी विनिमय बंद से विदेशी मुद्रा (बिल्स) स्वरीदकर मुगतान कर सकता है, द्वितीय, व्यापारी सोना विदेशी दो भेजकर अपने कृष्ण से मुक्त हो सकता है । ये दोनों ही रीतिए उपयोग में साई जाती हैं, परन्तु किसी समय-विदेश पर यिह रीति से मुगतान दिया जायगा, यह इस बात पर निर्भर रहता है कि व्यापारी के लिए कौनसी रीति सामदायक है ।

स्थूनतम सीमा पता चल जाती है (बिल्स के मूल्य की यह निम्नतम सीमा है)। यह बात भी एक उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है। उक्त उदाहरण के माध्यार पर अब हम यह मान लेते हैं कि भुगतान का सन्तुलन प्राप्त के अनुदूल और इगलैण्ड के प्रतिशूल है। इसका अर्थ यह हृष्टा कि इगलैण्ड में इगलैण्ड के व्यापारी को फैक की मौज इसकी पूर्ति से अधिक है। इस अवस्था में, इगलैण्ड की मुद्रा का मूल्य कम हो जायगा और प्राप्त की मुद्रा का मूल्य अधिक हो जायगा। इससे शब्दों में, इगलैण्ड के व्यापारी को प्राप्त में २५ २२१५ फैक (टक समता दर है—१ पौड़ = २१·२२१५ फैक) का भुगतान करने के लिये पहले से अधिक पौंड खर्च करने पड़ेंगे। इनका यह भी अर्थ हृष्टा कि इगलैण्ड में इगलैण्ड के व्यापारी को प्रति पौंड पहले से कम फैक प्राप्त होंगे वयोकि अब पौंड का मूल्य कम और फैक का मूल्य अधिक हो गया है। पूर्व की तरह हम यहीं पर भी यह मान लेते हैं कि इगलैण्ड और प्राप्त के बीच टक-समता की दर (Mint Par of Exchange) है = १ पौड़ = २५·२२१५ फैक और इगलैण्ड से प्राप्त को १ पौड़ का सोना भेजने या भेंगने का व्यय बराबर है २ शिलिंग के (यह बात मान सी गई है कि २ शिलिंग = ०·३ फैक के)। चूंकि प्राप्त में इस समय अनुदूल भुगतान का सन्तुलन है, इसलिए इगलैण्ड के व्यापारियों को प्राप्त के व्यापारियों का भुगतान करना है। इगलैण्ड में प्रतिदूल भुगतान-सन्तुलन होने के कारण पौड़ का फैक में मूल्य कम हो गया है जिसके कारण इगलैण्ड के व्यापारी को प्राप्त में २५·२२१५ फैक का भुगतान करने के लिये अब एक पौड़ से अधिक रकम व्यय करनी पड़ेंगे। यहीं पट भी चहीं पुराना प्रश्न उत्पन्न हो जाता है—इगलैण्ड का एक व्यापारी प्राप्त में २५·२२१५ फैक का भुगतान करने के लिये कितने पौंड अधिक से अधिक देने के लिये तैयार हो जायेगा? प्राप्त में २५·२२१५ फैक का भुगतान करने के लिये इगलैण्ड का व्यापारी इगलैण्ड में २५·२२१५ फैक के विनियम विल वे लिये अधिक रकम देनी पड़ती है, तब वह बजाय विनियम बिल्स द्वारा प्राप्त में भुगतान करने वे, वह स्वयं ही सोना खरीद कर प्राप्त को भेज देगा वयोकि यह कार्य उसके लिये अपेक्षाकृत अधिक सामादायक रहगा। इससे स्पष्ट है कि इगलैण्ड से सोने की निर्यात तब ही आरम्भ होती है जबकि प्राप्त में २५·२२१५ फैक का भुगतान करने के लिये इगलैण्ड के व्यापारी वो २२ शिलिंग से अधिक रकम देनी पड़ती है। इस तरह,

जब, १ पौड़ + २ शिलिंग = २५·२२१५ फैक,

तब, १ पौड़ = २५·२२१५ — २ शिलिंग और चूंकि २ शिलिंग को हमने ०·३ फैक के बराबर मान लिया है,

इसलिये, १ पौड़ = २५·२२१५ — ०·३ फैक  
= २४·६२१५ फैक

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि १ पौड़ = २४·६२१५ फैक वह सीमा है जिससे कम विनियम दर हो जाने पर स्वरूप इगलैण्ड से प्राप्त को बढ़ाने लगेगा। इस सीमा (या

विन्दु) को हम निम्नतम स्वर्ण-विन्दु या निम्नतम स्वर्णांक (Lower Gold Point or Lower Specie Point) कहते हैं। अतः किसी समय पर विनियम की दर की निम्नतम सीमा या निम्नतम स्वर्णांक=टंक समता की दर—स्वर्ण परिवहन व्यय और वह घट दर है जिससे कम विनियम की दर होने पर स्वर्ण एक देश (इंगलैण्ड) से दूसरे देश (फ्रांस) को बहने लगता है।

सारांशः—यदि दो देश स्वर्ण-मान पर हैं और इनके बीच सोने की आयात-निर्धारित स्वतन्त्रपूर्वक होती है, तब इन दोनों देशों की बास्तविक विनियम दर में उत्तार-चढ़ाव (व्योकि विदेशी मुद्रा या इनके स्वत्वों (Titles) की मात्रा और पूर्ति में सदा परिवर्तन होता रहता है) उन दो सीमाओं के बीच में होगी जो उच्चतम और निम्नतम स्वर्णांकों (Upper and Lower Specie Points) द्वारा निर्धारित होती है अर्थात् ये दोनों स्वर्ण-विन्दु ही विनियम की दर के उत्तार-चढ़ाव की सीमायें निर्धारित करते हैं। परन्तु असाधारण समय में (Abnormal Time) जबकि सोने की आयात-निर्धारित नहों होने पाते, उस समय पर विनियम की दर इन दोनों भारदारों का उल्लंघन कर सकती है। एक बात भी इसने भी रखते ही है कि उक्त स्वर्ण-विन्दु (Specie Points) भी स्थायी नहीं रहते हैं वरन् ये परिवर्तनशील हैं व्योकि सोने को एक देश से दूसरे देश को मिलाने या भेजने का व्यय (Cost of Transmitting Gold) या सीमा व्यय (Cost of Insurance) भावि में हमेशा व्यापारिक स्पर्धा के कारण, परिवर्तन होता रहता है।

(ii) स्वर्ण-मान और रोप्य-मान देशों में विनियम-दर

### (Rate of Exchange between the Gold Standard and the Silver Standard Countries)

जब एक देश स्वर्ण-मान पर और दूसरा देश रोप्य-मान पर होता है तब इन दोनों देशों के बीच विनियम की दर किस प्रकार निर्धारित होती है? (How is the Rate of Exchange determined when one country is on the Gold Standard and the other country is on the Silver Standard):—स्वर्ण-मान तथा रोप्य मान वाले देशों के बीच विनियम की दर निर्धारित करने के लिये पहले हम यह मालूम कर लेंगे कि स्वर्ण-मान वाले देश की प्रामाणिक-मुद्रा में कितना विशुद्ध सोना है भीर रोप्य-मान वाले देश की प्रामाणिक मुद्रा में कितनी विशुद्ध चांदी है। तत्पश्चात् यह मालूम किया जायगा कि चांदी का स्वर्ण में वया मूल्य है (यह मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है)। इसके बाद दोनों देशों की मुद्राओं में जितना भी विशुद्ध स्वर्ण है उसकी तुलना करते हैं और इस तुलना के माध्यात् पर इन दोनों मुद्राओं का अनुपात (Proportion) निकाल लेते हैं। इस प्रकार स्वर्ण में प्राप्त अनुपात या स्वर्ण-अनुपात इन दोनों देशों की विनियम की टक समता की दर (Mint Par of Exchange) कहलाती है। व्यवहार में विनियम की दर इस टंक-समता के ऊपर व

\* स्वर्ण आयात और स्वर्ण निर्धारित विन्दुओं को सामूहिक रूप में स्वर्ण विन्दु (Gold Points) या धातु-विन्दु (Specie Points) या पाट-विन्दु (Bullion Points) कहते हैं।

नीचे घूमती है और उच्चतम व निम्नतम स्वर्ण विन्दुओं (Specie Points) से मर्यादित होती है।

यह स्मरण रह कि भारत प्रकार इगलेंड के बीच सन् १८६८ तक रूपये का स्टॉलिंग-मूल्य इसी प्रकार निश्चित किया जाता था। उदाहरणार्थे, भारतीय दृक् विद्यान के अनुसार भारतीय रूपये में १६५ ग्रैन विशुद्ध चाढ़ी थी। उस समय के मूल्य के अनुसार इस १६५ ग्रैन विशुद्ध चाढ़ी का मूल्य ७ ५३३४४ ग्रैन विशुद्ध स्वर्ण था। उस समय इगलेंड के १ पीड में ११३ ००१६ ग्रैन विशुद्ध स्वर्ण था। प्रत जव ७ ५३३४४ ग्रैन विशुद्ध स्वर्ण बराबर है १ रूपये के, तब ११३ ००१६ ग्रैन विशुद्ध स्वर्ण बराबर है ११३ ००१६—७ ५३३४४ अर्थात् १५ रूपये के। इसका अर्थ यह हुआ कि १ पीड बराबर है १५ रूपये के। इसी को इस तरह भी कहा जा सकता है कि १५ रूपये के १ पीड अर्थात् २० लिंग के अर्थात् १ रुपये के ३८ लिंग के मर्यादित १ दिं ४ पैस के।

यहाँ पर भी विनिमय की दर में उत्तार-चढ़ाव होता रहता है और यह घट-बढ़ भी उच्चतम व निम्नतम स्वर्ण विन्दुओं (Upper and Lower Gold Points) से मर्यादित होता है। जिस प्रकार हमने दो स्वर्ण-मान बाले देशों में स्वर्ण विन्दु (Specie Points) निश्चाले थे, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी स्वर्ण विन्दु निश्चाल सकते हैं।

### (iii) स्वर्ण-मान या रोप्य-मान व पत्र-मुद्रा-मान देशों में विनिमय की दर

(Rate of Exchange between the Gold Standard or Silver Standard and the Paper Currency Standard Countries)

जब एक देश स्वर्ण मान पर है और दूसरा देश अपरिवर्तनीय बांगजी मुद्रा मान पर है, तब इन दोनों देशों के बीच विनिमय की दर किस प्रकार निर्धारित होती है? (How is the Rate of Exchange determined when one country is on the Gold Standard and the other country is on the Inconvertible Paper Currency Standard?) — जब एक देश स्वर्ण-मान (या चाढ़ी-मान) पर आधारित है और दूसरा देश अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा मान पर आधारित है, तब इन दोनों देशों में टक-उमता की दर (Mint Par of Exchange) इस बात से निश्चित होती है कि दोनों देशों की मुद्राएँ किरना-कितना सोना (ग्रा-चाढ़ी) खरोद सकती हैं। जिस देश में स्वर्ण-मान (या चाढ़ी-मान) है, उसकी मुद्रा का स्वर्ण मूल्य (या चाढ़ी-मूल्य) तो सरकार द्वारा निश्चित होता है, परन्तु जिस देश में अपरिवर्तनीय बांगजी-मुद्रा है, उस देश में स्वर्ण का मूल्य बाजार में समय समय पर बदलता रहता है। इस दशा में बास्तविक विनिमय की दर में कितना उत्तार-चढ़ाव होगा? उल्लिखित मुद्रा-मानों की दोनों परिस्थितियों में तो स्वर्ण विन्दु (Specie Points) थे जिनसे विनिमय की दर में उच्च-बच्चन (Fluctuation) मर्यादित होता था। परन्तु यहाँ पर जबकि एक देश में स्वर्ण-मान है और दूसरे देश में पत्र मुद्रा-मान है, विनिमय की दर में किरना उत्तार-चढ़ाव होगा, इसके लिये कोई भी निश्चित विन्दु नहीं है। यह अवश्य है कि स्वर्ण-मान (या चाढ़ी-मान) बाले देश के लिये एक उच्चतम सीमा (Upper Limit) या स्वर्ण-निर्यात

**बिन्दु (Gold Export Point)** अवश्य होता है क्योंकि इस देश में नियर्ति के लिए स्वर्ण उपलब्ध रहता है अर्थात् इस देश में जब कभी विनिमय की दर स्वर्ण के भेजने के ब्यवहार से अधिक हो जाती है, तब आधारितियों को स्वर्ण का नियर्ति करना ही अधिक लाभदायक रहता है। अर्थात् स्वर्ण-मान वाले देश में विनिमय की दर स्वर्ण-नियर्ति बिन्दु (Gold Export Point) से ऊची नहीं होने पाती है। परन्तु चूंकि दूसरा देश अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा मान पर आधारित होता है, इसलिये इस देश से स्वर्ण की आधारत नहीं होने पाती है जिससे इस स्वर्ण-मान वाले देश के लिये विनिमय की दर के गिरने की कोई भी सीमा नहीं होती है। इसी तरह पत्र-मुद्रा-मान वाले देश में विनिमय की दर में घट-बढ़, उस देश में विल्स की मांग भ्रौट-पूर्ति-परनिभर-रहेगी, परन्तु यह दर कितनी घटेगी या बढ़ेगी इसके लिए कोई सीमा नहीं होती है। यह स्मरण रहे कि जिस प्रकार स्वर्ण-मान वाले देश में विनिमय की दर स्वर्ण-नियर्ति बिन्दु से अधिक नहीं होने पाती है और इसके लिए एक स्वर्ण-नियर्ति बिन्दु होता है, ठीक इसी प्रकार यहां पर पत्र-मुद्रा-मान वाले देश के लिए स्वर्ण-आधारत बिन्दु होता है, परन्तु इसका स्वर्ण-नियर्ति बिन्दु नहीं होता क्योंकि इस देश की पत्र-मुद्रा का सम्बन्ध स्वर्ण (या चांदी) से नहीं होता है। अतः जब दो देशों में से किसी एक में स्वर्ण-मान होता है और देश में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा-मान होता है, तब स्वर्ण-मान वाले देश में विनिमय की दर में बृद्धि तो स्वर्ण-नियर्ति बिन्दु से मर्यादित होती है, परन्तु विनिमय की दर में कभी किसी भी बिन्दु से मर्यादित नहीं होती है और पत्र-मुद्रा-मान वाले देश में घट-बढ़ तो किसी भी सीमा से मर्यादित नहीं होती है।

#### (iv) पत्र-मुद्रा-मान वाले देशों में विनिमय की दर

#### (Rate of Exchange in the Paper Standard Countries)

अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा-मान पर आधारित दो देशों के बीच विनिमय की दर किस प्रकार निर्धारित होती है ? (How is the Rate of Exchange determined between the two Countries based on Inconvertible Paper Standards ?):-

जब दो देश अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा-मान पर आधारित होते हैं, तब इन दोनों देशों में विनिमय की दर, उक्त तीनों परिस्थितियों की तरह स्वर्ण-बिन्दुओं (Specie Points) से मर्यादित नहीं होती है क्योंकि इन दोनों देशों की पत्र-मुद्राएँ किसी भी पात्र से सम्बन्धित नहीं होते हैं। अतः इन देशों में विनिमय की दर विदेशी मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के विल्स (या स्वत्वों [Titles]) की मांग भी पूर्ति से निर्धारित होती है। परन्तु इस विनिमय की दर पर इन देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति (Purchasing Power) का बहुत प्रभाव पड़ता है और इन मुद्राओं की क्रय-शक्ति में भी मुद्रा-स्फीति (Inflation) या अन्य आधिक कारणों से समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। इस ददा में किसी एक देश की मुद्रा की मूल्य की किसी दूसरे देश की मुद्रा की मूल्य से तुलना करने के लिए, हम इन दोनों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति पर उपयोग करते हैं। अतः अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा पर आधारित देशों की विनिमय-दर उनकी क्रय-शक्ति-समता पर निर्भर रहती है। इस बात को हम एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। मान सो, इंग्लैंड भी प्राप्ति दोनों देशों में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्राओं का प्रबल सन है और इंग्लैंड में 'प' वस्तुओं को सरीदार के लिए

१ पौंड स्वर्ण करना पड़ता है और इन्हीं 'म' वस्तुओं प्रीर सेवाओं को यद्दीदने के लिए प्राप्त में ३० फैक्ट लचं करने पड़ते हैं। ताकि ग्रहणी (Debtor) प्रीर अरणदाता (Creditor) दोनों पक्षों को विसी प्रवार वी भी हानि नहीं होने पाये, इसलिये इन दोनों देशों के व्यापारियों को इतनी-इतनी मुद्रा मिलनी चाहिए कि वे इस मुद्रा से समान मात्रा में वस्तुओं व सेवाओं पर अधिकार प्राप्त कर सकें। यह सभी सम्भव है जबकि दोनों देशों के बीच विनिमय की दर इनकी मुद्रा की क्रय-शक्ति की समता (Purchasing Power Parity) से निश्चित की जाती है। अत इगलैंड और प्राप्त में विनिमय की दर १ पौंड = ३० फैक्ट होगी। इस दर पर इगलैंड में १ पौंड लचं करके प्राप्त में ३० फैक्ट का मुग्रातान किया जा सकेगा। अत यह स्थृष्ट है कि जब दो देशों में पात्र मान के स्थान पर अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा-मान होता है, उस समय विनिमय की दर टक समता (Mist Par of Exchange) से निश्चित न होकर यह पत्र मुद्राओं की क्रय शक्ति समता, (Purchasing Power Parity) से निश्चित होती है और यह क्रय-शक्ति-समता, टक-समता की तरह स्थिर न रहते हुए, मूल्य-स्तर में परिवर्तन के बारम, समय समय पर बदलती रहती है।

यह स्मरण रहे कि दीर्घकाल में (Long Period) तो दो पत्र-मुद्रा मान वाले देशों में विनिमय टक-उनकी-मुद्राओं की क्रय शक्ति की समता (Purchasing Power Parity) द्वारा निश्चित होती है। परन्तु अल्पकाल में (Short Period) अर्थात् विसी समय विशेष पर इन दोनों देशों की विनिमय की दर, किन्हीं आविष्कारणों से, क्रय-शक्ति समता से उपर या नीचे हो सकती है (वज्रपि दोनों देशों में मूल्य-स्तर (Price Level) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है भवया दोनों देशों में मुद्रा की क्रय शक्ति पूर्ववत् ही है)। परन्तु विनिमय की दर में इस प्रकार का अन्तर अन्तर समाप्त हो जाता है प्रीर दीर्घकाल में विनिमय की-दस-क्रय-शक्ति की समता के बराबर हो जाती है। अत हम यह कह सकते हैं कि विनिमय की दर में क्रय-शक्ति समता के बराबर हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस बात को भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो, किन्हीं कारणों से इगलैंड और प्राप्त के बीच विनिमय की दर १ पौंड = ३० फैक्ट से बदल कर १ पौंड = ३५ फैक्ट हो जाती है (दोनों देशों का मूल्य-स्तर अथवा मुद्रा की क्रय-शक्ति पूर्ववत् ही है)। इस परिस्थिति में १ पौंड के बदले में फैक्ट लेना अधिक सामान्यक होगा (वज्रपि क्रय-शक्ति में परिवर्तन नहीं हुआ है) वज्रपि प्राप्त में इन फैक्ट से अधिक वस्तुयें व सेवायें खरीदी जा सकती हैं। परिणामत प्रीस से इगलैंड को नियंत्रित बढ़ जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि इगलैंड में फैक्ट की मात्रा इसकी पूर्ति से अधिक हो जायगी जिससे विनिमय की दर में वृद्धि हो जायगी और अन्तर यह दर बढ़कर १ पौंड = ३० फैक्ट पर स्थिर हो जायगी। दूसरे दशदों में, इस परिस्थितियों में विनिमय की दर में वृद्धि हो जाने की प्रवृत्ति तब तक पाई जायगी जब तक कि विनिमय दर १ पौंड = ३० फैक्ट (क्रय शक्ति समता) नहीं हो जाती है। अत हम यह कह सकते हैं कि अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा मान वाले देशों में, विनिमय की दर दीर्घ काल में, इन दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति-समता के बराबर निश्चित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती

है और अन्ततः यह इसी के बराबर सम भी हो जाती है। दूसरे मुद्रों में, यदि ध्यवहार में विनिमय की दर क्रय-शक्ति समता से कभी ऊची हो जाती है और कभी नीची हो जाती है, परन्तु अन्ततः इसमें क्रय-शक्ति समता के बराबर हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

अपरिवर्तनीय-पत्र-मुद्रा-मान—वाले देशों में विनिमय की दर पर मुद्रा-प्रसार (Inflation) अथवा मुद्रा-संकुचन (Deflation)—का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है क्योंकि मुद्रा-प्रसार अथवा मुद्रा-संकुचन के साथ ही साथ देश में मूल्य-स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है जिससे इन दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति-समता में भी परिवर्तन हो जाता है। इस बात को हम एक साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो, इंगलैंड और फ्रांस में क्रय-शक्ति-समता के आधार पर अब तक विनिमय की दर १ पौंड=३० फ्रैंक हो रही है और आज फ्रांस में मुद्रा स्फीति के कारण वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य तिगुना हो गया है अर्थात् फ्रांस में फ्रैंक का मूल्य घटकर तु हो गया है। इस दशा में १ पौंड=६० फ्रैंक की नई तुल्यता (Parity) होगी क्योंकि जो वस्तुयें व सेवायें अब तक फ्रांस में ३० फ्रैंक में खरीदी जाया करती थीं, उन्हीं के लिये अब ६० फ्रैंक देने पड़ रहे हैं (यहाँ पर यह बात मान ली गई है कि इंगलैंड में मूल्य-स्तर पूर्ववद ही है)। परन्तु यदि फ्रांस के साथ ही साथ इंगलैंड में भी मुद्रा-स्फीति (Inflation) के कारण वस्तुओं का मूल्य दुगुना हो गया है या पौंड का मूल्य घटकर पहले से आधा हो गया है, तब इन दोनों देशों में नई तुल्यता होगी:—२ पौंड=६० फ्रैंक अर्थात् १ पौंड=४५ फ्रैंक। अतः हम यह कह सकते हैं कि पत्र-मुद्रा-मान वाले देशों में विनिमय की दर मुद्रा-प्रसार एवं संकुचन अथवा मूल्य-स्तर के परिवर्तनों द्वारा बहुत प्रभावित होती है।

### Measures

मुद्राओं की क्रय-शक्ति में परिवर्तन अथवा देश के मूल्य-स्तर में परिवर्तन हम निर्देशांकों (Index Numbers) से ही नाप सकते हैं। अतः पत्र-मुद्रा-मान वाले देशों में हम निर्देशांकों की सहायता से भी विनिमय की दर निर्धारित कर सकते हैं। इस बात को भी एक उदाहरण की सहायता से समझाया जा सकता है। मान लो, इंगलैंड और फ्रांस के निर्देशांक बढ़कर क्रमशः २०० और ३०० हो गये हैं अर्थात् १ पौंड का मूल्य घटकर तु हो गया है। इस दशा में १ पौंड=  $\frac{30 \times 3}{2}$  फ्रैंक अर्थात् ४५ फ्रैंक होगा क्योंकि इंगलैंड और फ्रांस की मुद्राओं की अनुपात २ : ३ है। अतः गस्टव कैसिल (Gustav Cassel) के अनुसार—“जब दो देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन (Depreciation) होता है या हो रहा है, तब इनके विनिमय के पूर्ववत् सममात्र (Old-Par of Exchange) को दोनों देशों की मुद्रा-स्फीति के अनुपात (Quotient) से गुणा करने से इन दोनों देशों की क्रय-शक्ति-समता—(Purchasing-Power-Parity) निकाली जा सकती है।”\* विनिमय-दर निर्धारित करने का यह एक बहुत ही

\* “When two currencies in two countries have been inflated the new Normal Rate of Exchange will be equal to the Old Rate multiplied by the Quotient between the degrees of Inflation of both countries”—Gustav Cassel.

महत्वपूर्ण तरीका है।

धातु मान और पत्र-मुद्रा-मान में विनिमय की दर के निर्धारण में भेद (Differences in the determination of the Rate of Exchange between the Metallic Standard and the Paper Standard) —यदि दो देशों में धातु-मान है और अन्य दो देशों में पत्र-मुद्रा-मान है, तब इन दोनों दिशाओं में विनिमय की दर निश्चित करने में कई भिन्नताएँ पाई जायेगी। मुख्य-मुख्य भिन्नताएँ इस प्रकार हैं—(i) धातु-मान में विनिमय की दर टक-समता (Mint Par of Exchange) से निश्चित होती है, परन्तु अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा-मान में विनिमय की दर दोनों देशों की मुद्राओं को क्रय-शक्ति-तुल्यता (Purchasing Power Parity) से निश्चित होती है। (ii) धातु-मान में मुद्रा की स्वरूपी में क्रय-शक्ति से विनिमय की दर निश्चित होती है, परन्तु पत्र मान में मुद्रा की वस्तुओं और सेवाओं में क्रय-शक्ति से विनिमय की दर निश्चित होती है। (iii) टक समता (Mint Par) एक निश्चित व स्थिर समता (Fixed Par) है, परन्तु क्रय-शक्ति तुल्यता या क्रय-शक्ति-समता समय-समय पर मूल्य-स्तरों में परिवर्तनों के कारण एक अस्थिर समता (Moving Par) है तथा (iv) धातु-मान में वास्तविक विनिमय दर में परिवर्तन स्वरूप बिन्दुओं (Specie Points) तक सीमित रहते हैं, परन्तु पत्र-मुद्रा-मान में वास्तविक विनिमय की दर क्रय-शक्ति-तुल्यता से लगर व नीचे होती रहती है और धातु-मान के स्वरूप बिन्दुओं की तरह यहाँ पर ऐसी कोई भी सीमायें (स्वरूप के आधार-नियर्दि की सीमायें) नहीं होती जिनसे विनिमय की दर में परिवर्तन सर्वादित हो जाये। यह अवश्य है कि पत्र मान में विनिमय की दर में परिवर्तन बहुत कुछ एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं को ले जाने व लाने के ब्यवहार से निश्चित होती है, परन्तु ये सीमायें भी इन्होंनी निश्चित (Definite) नहीं होती हैं जिन्होंनी की धातु-मान में स्वरूप-बिन्दु (Specie Points) होते हैं। अत यह स्पष्ट है कि धातु मान देशों में और पत्र मुद्रा मान देशों में विनिमय की दर के निर्धारण में कुछ आधारभूत (Fundamental) भेद पाये जाते हैं।

### क्रय-शक्ति-तुल्यता सिद्धान्त

#### (Purchasing Power Parity Theory)

क्रय-शक्ति तुल्यता सिद्धान्त की परिभाषायें (Definitions of the Purchasing Power Parity Theory) —प्रथम महायुद्ध के बाद स्टॉकहोम विश्व-विद्यालय (स्वीडन) के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री गस्टव कैसिल (Gustav Cassel) ने इस क्रय-शक्ति तुल्यता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। कुछ व्यतियों का यह मत है कि आरम्भ में इस सिद्धान्त को मार्शल (Marshall) ने बताया था। परन्तु कैसिल (Cassel) ने इसे प्रथम महायुद्ध के बाद एक वैज्ञानिक ढंग से व्यक्त किया है जिससे इस सिद्धान्त के साथ उन्हीं का नाम सम्बन्धित किया जाता है। यह स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त का महत्व प्रथम महायुद्ध के बाद स्वरूप-मान के दूट जाने पर ही दढ़ा है। इस सिद्धान्त के भनुतार दो अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा वाले देशों में विनिमय की दर इन दोनों देशों के मूल्य स्तर (Price Level) के पारस्परिक सम्बन्धों द्वारा निश्चित होती है।

इस प्रकार मूल्य-स्तरों के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर निश्चित होने वाली विनियम की दर को क्रय-शक्ति तुल्यता (Purchasing Power Parity) कहते हैं। इस सिद्धान्त की व्याख्या भिन्न-भिन्न लेखकों ने इस प्रकार की हैः—

(१) गस्टव कैसेल (Gustav Cassel) के शब्दों में, “दो मुद्राओं में विनियम की दर अवश्य ही इनको आनंदिक क्रय शक्ति के भागफल (Quotient) पर निर्भर रहती है।”<sup>१</sup>

(२) जी० डी० एच० कोल (G. D. H. Cole) के मतानुसार, “राष्ट्रीय मुद्राओं का पारस्परिक मूल्य, जो स्वर्ण-मान को अपनाये हुये नहीं है, दोर्यंकास में विशेषतः उनकी वस्तुओं और सेवाओं की क्रय-शक्ति से निश्चित होता है।”<sup>२</sup>

(३) थी० एस० ही० टॉमस (S. E. Thomas) ने इस सिद्धान्त को इन शब्दों में व्यक्त किया है—“एक देश को करेन्सी का मूल्य दूसरे देश की करेन्सी के रूप में हिसी समय विशेष पर, बाजार की मांग और पूर्ति की वशाओं द्वारा निर्धारित होता है, दोर्यंकास में यह मूल्य उन दोनों देशों की मुद्राओं के आपेक्षिक मूल्य (Relative Values) द्वारा निश्चित होता है, जैसा कि उन देशों की करेन्सी की क्रय-शक्ति अपने अपने देशों की वस्तुओं व सेवाओं के रूप में होती है। दूसरे शब्दों में, विनियम-दर में उसी दिनु पर स्थिर होने की प्रवृत्ति होती है, जहाँ दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति समान होती है। इस दिनु को ही क्रय-शक्ति समता कहते हैं।”<sup>३</sup>

संक्षिप्त व्याख्या—क्रय-शक्ति तुल्यता सिद्धान्त की उत्तरिति तीन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा-मान वाले दो देशों की दोनों विनियम की दर इस प्रकार तय होगी कि क्रय-शक्ति की समान मात्रा से, मुद्राओं का द्वय दर पर विनियम होने के पश्चात्, दोनों देशों में समान परिमाण में वस्तुयें व सेवायें सहीदी जा सकें। यहाँ दो पत्र-मुद्रा-मान वाले देशों में विनियम की दर उन दोनों देशों की मुद्रा की पारस्परिक क्रय-शक्ति के भनुपात्र में निश्चित होती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है—यद्य पत्र मुद्रा मान वाले देशों की दोनों विनियम की दर सदैय पर्य-शक्ति द्वी पुल्यता (Purchasing Power Parity) के बराबर रहती है ? नहीं। इस प्रश्न का उत्तर उत्तरिति प्रो० टॉमस की क्रय-शक्ति तुल्यता के सिद्धान्त

“The Rate of Exchange between two currencies must stand essentially on the Quotient of the internal purchasing powers of these currencies.”—Gustav Cassel, “Foreign Exchange” (An article in the Encyclopaedia Britannica.)

“The relative values of national currencies, especially when they are off the Gold Standard, in the long run, are determined by their relative purchasing powers in terms of goods and services”—G. D. H. Cole “What Everybody wants to know about money.”

“While the value of the unit of one currency in terms of another currency is determined at any particular time by the market conditions of demand and supply, in the long run that value is determined by the relative values of the two currencies as indicated by their relative purchasing power over goods and services (in their respective countries). In other words, the rate of exchange tends to rest at that point which expresses equality between the respective purchasing power of the two currencies. This point is called the Purchasing Power Parity.”—S. E. Thomas.

स्थि परिवारा से जित गता है। किसी समय-विशेष पर (At any particular time) किसी एक देश की मुद्रा की डराई वा दूसरे देश की मुद्रा में मूल्य इसकी माँग और पूर्ति पर निभर रहता है, परन्तु दीर्घकाल में (In the Long period) यह मूल्य उन दोनों देशों की मुद्राओं की वस्तुओं और सेवाओं में क्षय-शक्ति से निश्चित होता है। इसका यह मर्यादा कि दो देशों के बीच की विनियम दो दर में उत्तर व दाव होता रहता है, परन्तु इसमें उस स्थान पर स्थिर (Fixed) हो जाने वो प्रवृत्ति होती है जहाँ पर दोनों देशों की मुद्राओं की क्षय-शक्ति समान है और यह स्थान क्षय-शक्ति तुल्यता (Purchasing Power Parity) वा होता है।

क्षय शक्ति तुल्यता द्वारा विनियम दो दर किस प्रकार निर्धारित होती है, इसका एक उदाहरण उपर दिया जा सकता है ("पत्र मुद्रा मान से विनियम दो दर वा निर्धारण" नामक उप शीर्षक पढ़िये।)

क्षय शक्ति तुल्यता सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Purchasing Power Parity Theory) — क्षय शक्ति समता सिद्धान्त की समूह समय पर अनेक आलोचनाएँ की गई हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सिद्धान्त विनियम की दर के निर्धारण तथा इसमें समय-समय पर परिवर्तनों की सतोषजनक व्याख्या नहीं करता है। इन आलोचनाओं के बारे इस सिद्धान्त को हष्ट एक दोषपूर्ण सिद्धान्त मानते हैं। मुख्य मुद्दे आलोचनाएँ इस प्रकार हैं —

(१) क्षय शक्ति के नापमें का ठीक नहीं है — क्षय-शक्ति तुल्यता सिद्धान्त के अनुसार दो पत्र मान वाले देशों के बीच विनियम दो दर इन दोनों देशों परी मुद्राओं की क्षय-शक्ति से निश्चित होती है। मुद्राओं की क्षय शक्ति नापने का साधन निर्देशांक (Index Number) है अर्थात् निर्देशांकों द्वारा हम दो देशों की मुद्रा की क्षय शक्ति को सापत्ते हैं और इसी के द्वारा हम मुद्राओं की क्षय शक्ति के परिवर्तन की तुलना करते हैं। दूसरे शब्दों में निर्देशांकों के उपयोग से ही हम दो देशों के बीच विनियम की दर निश्चित करते हैं। यह स्पष्ट है कि यदि क्षय शक्ति नापने का साधन 'निर्देशांक' ठीक ठीक बनाया गया है, तब तो हम विनियम की दर का निर्धारण ठीक ठीक कर सकते हैं और यदि निर्देशांक ठीक ठीक नहीं बनाए गये हैं, तब तो हमारे निर्णय भी दोषपूर्ण होगे। आलोचकों का मत है कि हम निर्देशांकों को ठीक ठीक नहीं बनाने पाते हैं जिससे इनके आधार पर निकाली गई क्षय शक्ति तुल्यता (या विनियम की दर) ठीक होती है। निर्देशांकों में दो मुख्य दोष बताए जाते हैं — (क) इस सिद्धान्त की हाइ से निर्देशांकों में पह बोय रहता है कि ये सदा ही भूगत्तात से सम्बन्धित होते हैं — इस कारण ये बरंपान या भविष्य के सम्बन्ध में ठीक अनुमान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब हम निर्देशांकों के आधार पर बताना या भावी विनियम की दर निर्धारित करते हैं, तब यह दर मूलतः अनुमानजनक ही होती है। इस दशा में सम्भव है वास्तविक विनियम दो दर में और निर्देशांकों के आधार पर निश्चित ही गई विनियम की दर में अन्तर रहे। अत अय-शक्ति के नापने का साधन दोषपूर्ण होने के कारण आलोचनों वा मत है कि क्षय शक्ति सिद्धान्त ही दोषपूर्ण है। (ख) निर्देशांकों में दूसरा दोष पह होता है कि यह केवल घोसत

(Averages) उत्तार-चाहाव को ही बनाते हैं तथा इन में वस्तुओं की सूची भी विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती है जिसके कारण इन निवेशांकों के प्राप्तार पर निश्चित विनिमय दर वास्तविक विनिमय को दर के अनुरूप नहीं होती है। यदि हम इस आलोचना का अध्ययन तकिक विस्तार से करते हैं। प्रत्येक देश में हर समय दो प्रकार की वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता रहता है। प्रथम धर्म में वे वस्तुएँ हैं जो देश में ही उत्तम की जाती हैं, देश में ही उनका क्रय-विक्रय (विनिमय) होता है तथा देश में ही उनका उपभोग भी हो पाता है। (चूंकि ऐसी वस्तुओं का निर्यात (Export) नहीं होता है) इसलिये इनका विदेशी व्यापार आपार विदेशी विनिमय पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिये, लकड़ी, पत्थर, इंट आदि। दूसरे वर्ग में वे वस्तुएँ हैं जो देश में उत्तम की जाती हैं, देश में ही उनका क्रय-विक्रय होता रहता है परन्तु इनका उपभोग विदेशी में जाकर भी होता है। उदाहरण के लिये गेहूँ, कपास, जूट; मशीनें आदि। इस वर्ग को वस्तुओं का आयात-निर्यात संदर्भ होता रहता है। यदि प्रश्न यह है कि क्या हम निवेशांकों को दोनों प्रकार की वस्तुओं के आपार पर बनाते हैं या केवल किसी एक वर्ग की वस्तुओं के आपार पर ? उत्तरतया, ये निवेशांक दोनों वर्ग की वस्तुओं के आपार पर बनाये जाते हैं जिससे ये अंक मूल्यों के केवल औसत (Average) उत्तार-चाहाव की ओर ही संकेत करते हैं। आलोचकों का मत है कि चूंकि निवेशांकों का आपार ऐसी वस्तुएँ भी हैं जिनका विदेशी व्यापार एवं विदेशी विनिमय से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है, इसलिये इन वर्गों के आपार पर निर्मित विनिमय को दर वास्तविक विनिमय की दर से भिन्न होता है। इस दशा में विनिमय की दर में भिन्नता का एक कारण पह भी हो सकता है कि प्रत्येक देश में कुछ न कुछ ऐसी वस्तुएँ भी होती हैं जिनका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली वस्तुओं के मूल्य के विपरीत दिया में पटखण्डता रहता है। तब दोनों प्रकार की वस्तुओं के आपार पर निर्मित निवेशांक स्वतः ही ठीक-ठीक परिणाम नहीं दे सकेगा। इस तरह इस तरफ के आपार पर आलोचकों ने क्रय-वाक्ति सुल्लिखन सिदान्त को दोषपूर्ण बताया है। —

उत्त बातों के आपार पर हमारे मन में फिर एक प्रश्न उठता है। क्या हम विदेशी विनिमय के निर्धारण के लिये केवल ऐसी वस्तुओं को ही सूची में संदेश सम्मिलित करें जिनका संदेश आयात-निर्यात होता रहता है और यदि हम ऐसा करें सब क्या ऐसी वस्तुओं के आपार पर निर्मित निवेशांक हमें ऐसी विनिमय की दर प्रस्तुत कर सकेंगा जो वातविक विनिमय की दर के अनुरूप होगी ? इस प्रश्न का उत्तर यहूत सरल है। यदि हम विनिमय की दर केवल ऐसी वस्तुओं के आपार पर ही निश्चित करते हैं जिनका संदेश आयात-निर्यात होता रहता है (या वस्तुएँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित होती हैं) तब तो हम एक ऐसी विनिमय की दर प्राप्त कर सकेंगे जो कि वातविक विनिमय की दर के अनुरूप होती है और इस तरह हमें क्रय-वाक्ति-समता सिदान्त को प्रमाणित करना यहूत आसान ही जायगा। परन्तु इस दैनि में भी एक बहुत बड़ा दोष है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं का मूल्य (प्राप्तायात-व्यय, आयात-निर्यात वर आदि को घोड़र) उम्माम देशों में संगमय समान ही रहता है और यदि इनके मूल्यों में परिवर्तन होता भी है तब तुम्हारात्मक

हटि से यह परिवर्तन बहुत ही कम होने पाता है इस दशा में विनियम दर्हने के परिवर्तनों को ठीक-ठीक मालूम बरना बहुत ही छिन होता है। यह शैक्षणिक एक और अवसर से भी ठीक नहीं है। देश में अन्य दत्तादित व उपभोग की वस्तुओं के मूल्य का अनाव दूसरी वस्तुओं के मूल्य पर भी पड़ता है। इस कारण भी यद्यपि विनियम-दर निर्धारण का आधार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित होने वाली वस्तुएँ ही, हैं परन्तु इम प्रकार निश्चित की गई विनियम की दर और वास्तविक विनियम की दर में अन्तर पाया जायगा। अठ० इन दोनों हटिकों के बीच निर्देशांकों का आधार पर निमित विनियम की दर होगपूर्ण होती है। इस कारण भी आलोचकों के क्रम सुकृत समझा सिद्धान्त ठीक नहीं पाता है।

(२) क्य उचित हुल्यता सिद्धान्त में मुगतान के सनुचन में समिलित होने वाले अनेक तर्कों का व्याप नहीं रखा गया है—आतोवक्षों का मत है कि क्य-क्यहि तुल्यता सिद्धान्त ने बहुत से ऐसे तर्कों का व्याप नहीं रखा है जो मुगतान के सनुचन को प्रभावित कर विनिमय की दर को तो प्रभावित कर देते हैं, परन्तु जिनका आन्तरिक मूल्य स्तर पर बोई विदेशी प्रभाव नहीं पड़ता है जिससे आन्तरिक मूल्य रुपर के आधार पर निमित विनिमय की दर और मुगतान के सनुचन की स्थिति से प्रभावित आस्तविक विनिमय की दर में अन्तर हो जाता है। चूंकि विनिमय की दर में परिवर्तन अनेक ऐसे कारणों से की हो सकते हैं जिनका क्य क्यहि सिद्धान्त में विचार नहीं किया गया है, इस कारण इस सिद्धान्त का यह दर्तान का प्रयत्न कि विनिमय की दर में क्यों और किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, अधूरा है। यह बात एक उदाहरण से भी स्पष्ट हो जा सकती है। मुगतान के सनुचन पर इन वार्तों का प्रभाव पड़ता है? इस पर दो दोनों के दीच बीमा की रकम के आवागमन, इटोंके देशेयस के द्वय विद्यय से पूँजी का आवागमन, विदेशी मुद्रा में सट्टा, वेक्षों के आपस के लेन-देन के कारण पूँजी का आवागमन, मुद्रा हक्कीति की दशा उत्पन्न हो जाने का केवल भय या इसकी पड़वाह में पूँजी का इस देश से विदेशों दो हाजाररण आदि अनेक ऐसी वार्ते हैं जिनका किसी देश के आन्तरिक मूल्य-स्तर पर तो बोई विदेशी प्रभाव नहीं पड़ता है, परन्तु इनसे मुगतान का सनुचन बहुत प्रभावित होता है। इन सब कारणों से किसी देश में मुगतान के सनुचन में जो असमता (Disequilibrium of Balance of Payment) की अवस्था उत्पन्न होती है। परिणामतः क्य क्यहि की तुल्यता के आधार पर विदित की गई विनिमय की दर और आस्तविक विनिमय की दर में अन्तर हो जाता है। ग्रतः चूंकि कैसिल (Cassel) ने अपने सिद्धान्त में इन वार्तों के प्रभाव का विचार नहीं किया है, इसलिये उसका सिद्धान्त दोषपूर्ण है।

(३) विनियम द्वी दर में परिवर्तन का मूल्य-स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है— आकोचहों का मत है कि क्य-दक्षिण तुल्यवा सिद्धान्त यह तो बढ़ाया है निः दो देशों में से इसी एक या दोनों देशों में आन्तरिक मूल्य रखरो में परिवर्तन होने से विनियम की दर में परिवर्तन हो जाता है, परन्तु यह एक दूसरे दृष्टि के सम्बन्ध में हुद्द नहीं बढ़ता कि विनियम-दर में परिवर्तन से भी मूल्य स्तर प्रभावित होता है। ऐसा अनुमय किया गया

है कि जिस प्रकार मूल्य-स्तर में परिवर्तन से विनियमय-दर प्रभावित होती है, ठीक उसी प्रकार विनियमय-दर के परिवर्तन से मूल्य-स्तर भी अवश्यमेव ही प्रभावित होता है। यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। मान सो, किन्हीं कारणों से इंगलैंड से बहुत सी पैंजी फ्रास को जा रही है। इस अवस्था में पौड़ का मूल्य फैक में कम हो जायगा जिससे फ्रास की बस्तुएं इंगलैंड में महंगी हो जायेगी। मान सो, इंगलैंड में फ्रास से कच्ची सामग्री की आयात हो रही है। इस अवस्था में इंगलैंड में इस कच्ची-सामग्री से बनने वाली बस्तुओं की लागत अधिक हो जायेगी। चूंकि पौड़ का मूल्य फैक में कम हो गया है, इसका यह भी अर्थ है कि फैक का मूल्य पौड़ में अधिक हो गया है। इसका परिणाम यह होगा कि इंगलैंड की बस्तुएं फ्रास में जाकर सस्ती बिकने लगेंगी और इंगलैंड की फ्रास को निर्यात प्रोत्साहित होगी। इस दशा में इंगलैंड के व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लालच से अपनी बस्तुओं का मूल्य ऊचा कर देंगे, परन्तु यह मूल्य वृद्धि उससे कम होगी जितनी की पौड़ की गिरी है वयोंकि उब ही त्रिटिया माल कांस में जाकर सस्ता बिक सकेगा। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि पौड़ का फैक में मूल्य कम हो जाने पर अर्थात् विनियम की दर में परिवर्तन हो जाने के कारण इंगलैंड की बस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होता है अर्थात् इंगलैंड के मूल्य-स्तर में परिवर्तन होता है। अतः आलोचकों का मत है कि चूंकि फ्रांस-कांकि तुल्यता सिद्धान्त ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि विनियम की दर में परिवर्तन से भी आन्तरिक मूल्य-स्तर में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उनके मतानुसार यह सिद्धान्त अधूरा है।

(४) सामान्य अनुभव इस सिद्धान्त के विषद् है— दो देशों के खोच अवहार में, विनियम की दर इस पथ शक्ति तुल्यता सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित नहीं होती है— आलोचकों का मत है कि अवहार में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता जिससे यह पता चल जाय कि विनियम की दर प्रायः-कांकि तुल्यता सिद्धान्त द्वारा निश्चित होती है। चूंकि सामान्य अनुभव इस सिद्धान्त के विषद् है, इसलिए आलोचकों के मतानुसार अवहारिक जीवन में, विनियम की दर के निर्धारण के सम्बन्ध में, इस सिद्धान्त का कुछ भी महत्व नहीं है। इस बात को भी हम एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं—मान सो, इंगलैंड और अमेरिका दो देश हैं जिनमें घापस में व्यापार हो रहा है। यह भी मान सो कि अमेरिका ऐसी दड़ मार्पिक अवस्था में है कि वह इंगलैंड के माल पर मारी आयात दर (Heavy Import Duties) लगाकर उसके माल की आयात को लगभग बंद कर सकता है। यह भी मान सो कि इंगलैंड ऐसी मार्पिक अवस्था में है कि वह अमेरिका से आवश्यक बस्तुओं की आयात करने के लिये बाध्य है और वह अमेरिका की बस्तुओं की आयात को बम नहीं कर सकता है। इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि हानि: हानि अमेरिका और आयात व्यापार को बन्द हो जायेगा और उसका निर्यात व्यापार लगभग पूर्ववत् रहेगा। इस परिस्थिति में इंगलैंड में डॉलर की माँग, इसकी पूर्ति से अधिक हो पायेगी अब वह पौड़ का डॉलर में मूल्य कम हो जायगा। इसी बात को हम यूं भी वह सकते हैं कि अमेरिका में डॉलर का पौड़ में मूल्य बढ़ जायगा और विनियम की दर अमेरिका के दश में हो जायगी। यह स्परण रहे कि अमेरिका में एटपि डॉलर का आन्तरिक मूल्य तो पूर्ववत् ही है परन्तु इसका बाह्य मूल्य (पौड़ में मूल्य) बढ़ गया

है। अत यदि किसी देश की आन्तरिक स्थिति इस प्रकार की है कि वह धन्य देशों की पस्तुओं की आयात तो कम कर सकता है, परन्तु अन्य देश इसकी निर्यात को कम नहीं कर सकते, तब यह देश अपने आन्तरिक मूल्य-स्तर में परिवर्तन विषे दिना ही, अपनी मुद्रा के बाह्य-मूल्य को ऊचा कर सकता है अर्थात् विनियम की दर देश के पक्ष में कर सकता है। इस ग्रन्थस्था में परिणाम यह होगा कि क्रय-शक्ति तुल्यता के आधार पर निर्मित विनियम की दर वास्तविक विनियम की दर से भिन्न हो जायगी और क्रय-शक्ति तुल्यता सिद्धान्त की सत्यता छिढ़ नहीं हो सकेगी। जो आत हमने एक उदाहरण के स्पष्ट में लेपर लिखी है, वास्तविक जीवन में यह आत सत्य भी है क्योंकि पिछले कुछ दर्शों में अमेरिका भारी सरक्षण की नीति (Policy of Protection) अपना कर अपने डॉलर का बाह्य-मूल्य बहुत ऊचा करने में सफल हुआ है जबकि डॉलर का आन्तरिक मूल्य समग्र पूर्वदर्श ही है। अत आतोचकों का यह भत कि क्रय-शक्ति तुल्यता सिद्धान्त सामान्य अनुभव के विरुद्ध है, ठीक ही है। व्यवहार में विनियम दर इस सिद्धान्त के अनुसार निश्चित नहीं होती है।

निष्ठय—क्रय-शक्ति तुल्यता सिद्धान्त में अनेक दोष होते हुये भी, हम यह कह सकते हैं कि यह सिद्धान्त बहुत महत्वपूर्ण है—(क) एक मार्ग-दर्शक की तरह यह सिद्धान्त हमें बताता है कि दो देशों के बीच विनियम की दर किस प्रकार स्थापित होती है। इस सिद्धान्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी देश के आन्तरिक मूल्य-स्तर और उसकी विनियम की दर में बहुत अनिष्ट सम्बन्ध होता है और प्रत्येक देश अपनी मुद्रा-नीति तथा दोषकालीन विनियम की दर तय करने में इस जानकारी से जाम उठाता है। (क) इस सिद्धान्त की यह भी विदेशपता है कि यह सब प्रकार की चलन-पद्धति या सब प्रकार की मुद्राओं पर लागू होता है। (ग) यह सिद्धान्त इस कारण भी अच्छा है क्योंकि हम इसकी सहायता से यह आसानी से मालूम कर लेते हैं कि किसी समय पर व्यापार का रुक्त (Direction of the Trade) किस दशा में होगा। इसी तरह इस सिद्धान्त से यह भी पता चल जाता है कि किसी समय पर कूसों का शेष (Balance of Indebtedness) किस दिशा में होगा। इसका कारण यह है कि उक्त दोनों बातें विनियम-दर, आयात-निर्यात तथा आन्तरिक मूल्य-स्तर के परस्पर प्रभाव पर निर्भर रहती हैं। (घ) इस सिद्धान्त की यह भी विदेशपता है कि इसकी सहायता से हम यह भी मालूम कर सकते हैं कि मुद्रा के अवमूल्यन (Depreciation) और अधिमूल्यन (Appreciation) से विनियम की दर तथा विदेशी व्यापार पर वया प्रभाव पढ़ते हैं। अत यह स्पष्ट है कि व्यवहार में किसी समय पर पाई जाने वाली विनियम की दर क्रय-शक्ति तुल्यता (Purchasing Power Parity) द्वारा निर्धारित विनियम की दर से कम या अधिक हो सकती है परन्तु अन्तत वास्तविक विनियम की दर में सम-क्रय-शक्ति तुल्यता (Purchasing Power Parity) द्वारा निर्धारित मूल्यता दर के आस-पास निश्चित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

आयात-निर्यातों का भुगतान करते हैं

(Imports pay for the Exports)

"आयात-निर्यातों का भुगतान करते हैं"—इस धारणा का अर्थ (Meaning of

the phrase—Imports pay for the Exports):—इस कथन में बहुत सत्यता है कि आयात-नियति वा भुगतान करते हैं। इस कथन का ग्रन्थिग्राम यह है जब दो देशों में व्यापार तथा विवाधों का आदान-प्रदान होता है तब एक देश दूसरे देश को न तो उससे कम देता है और न प्रधिक ही देता है जो वह दूसरे देश से प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि मदि भारत और पाकिस्तान में वस्तुओं और सेवाओं का विनियम हो रहा है, तब साम्य की अवस्था में भारत पाकिस्तान से व्यापार तब ही करेगा जबकि उसे उतना ही देना पड़े जितना कि वह पाकिस्तान से अपनी नियति के लिये प्राप्त कर रहा है। इस तथ्य को विदेशी विनियम का भुगतान-सञ्चलन-सिद्धान्त (The Equilibrium Theory of Foreign Payments) भी कहते हैं। परन्तु इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में एक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है—जब तक हमें दोनों देशों के बीच वी विनियम की दर का ज्ञान नहीं हो, तब तक हम यह कैसे कह सकते हैं कि एक देश दूसरे देश को उससे खरीदे—द्यए माल के लिये उतना ही देगा जो वह देश इसके माल के लिये देता है पर्याति विनियम की दर के ज्ञान के सम्बन्ध में हम यह कैसे कह सकते हैं कि दो देशों की आय (Receipts) और भुगतान (Payments) बराबर होते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। दोनों देशों की भुदाएं भिन्न-भिन्न हैं और दोनों देश के व्यापारी अपने देश की भुदा में ही भुगतान स्वीकार किया करते हैं। इस दशा में जब तक हमें इन दोनों देशों की भुदाओं की विनियम की दर का पहले से ही ज्ञान नहीं होता है, तब तक यह कहना लम्बामध्य है कि भमुक देश की आयातों और नियर्तों का मूल्य समान है अथवा कम है या प्रधिक है। परन्तु जब हमें इन दोनों देशों के बीच की विनियम की दर का ज्ञान हो जाता है तब जिस विनियम की दर पर इन दोनों देशों की आयातों और नियर्तों का मूल्य समान होता है, साम्य की अवस्था में वही विनियम की दर (Equilibrium Rate of Exchange) मानी जाती है। यदि इन दोनों देशों में से किसी एक देश की आयात और नियर्ति के मूल्य बराबर नहीं हैं, तब इसे हम असुन्तुलन की अवस्था (State of Dis-equilibrium) कहेंगे। इस दशा में ऐसे देश को अपनी आयात व नियर्ति में आवश्यक परिवर्तन करना होगा ताकि इन्हें आयात का मूल्य उसकी नियर्ति के मूल्य के बराबर हो जाय। अतः दीपंकाल में विनियम की दर उसी द्यान पर निरिचित होती है जहाँ पर किसी देश की आयात का मूल्य उसकी नियर्ति के घट्टे के बराबर होता है। इसी द्यान पर कह किया जाता है कि आयात-नियर्ति का भुगतान करते ही और इसीलिये इसे विनियम का भुगतान सम्मुख सिद्धान्त (The Equilibrium Theory of Foreign Payments) भी कहते हैं।

### विनियम-दर में उच्चापचन


#### (Fluctuations in the Rate of Exchange)

प्राप्तिकाल:—धर्य तक के अप्ययन से यह स्पष्ट है कि विनियम की दर में उच्चापचन (Variation) न केवल स्पष्ट-मान पद्धतियों में ही होता है बरन् यह पत्र-मुद्रा-मान-पद्धतियों में भी होता है और इस प्रधार के मार्गों—गें-हो—यह—रांतार-पढ़ाव प्रदृश्यक यम्भीर होता है। यह स्पष्ट रहे कि दीपंकाल में स्पष्ट-मान देशों में विनियम की दर में

टक-समता (Mint Par of Exchange) और पत्र मुद्रा मान देशों में विनियम की दर में क्रय-शक्ति तुलना (Purchasing Power Parity) के बराबर हो जाने की प्रवृत्ति होती है। इसलिये यह भी कहा जाता है कि दीर्घकाल में सामान्यतया विनियम की दर में स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है। परन्तु अल्पकाल में विनियम की दर में बहुत अधिक उत्तर-चाल होता रहता है पर्याप्त अल्पकाल में वास्तविक विनियम की दर, स्वरूप-भान में टक-समता से और पत्र मुद्रा-भान में क्रय-शक्ति की तुलना से, उपर व नीचे होती रहती है। विनियम-दर में उत्तर-चाल देश में अनिच्छितता का वातावरण उत्पन्न करता है जिससे दश की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिये भीचे हृषि उन कारणों का अध्ययन करते हैं जिनकी वजह से वास्तविक विनियम-दर, साम्य की विनियम-दर (Equilibrium Rate of Exchange) से विचलित होती रहती है।

विनियम-दर में उत्तर-चाल के कारण (Causes for the Fluctuations in the Rate of Exchange)—वे कारण जिनकी वजह से विची दश की विनियम की दर में उत्तर-चाल होता है, नीचे के चार में दिखाए गए हैं—

### विनियम दर के उत्तर-चाल के कारण



पर हम इन सब कारणों का विस्तार से प्रध्ययन करते हैं:—

(अ) विदेशी मुद्रा (बिल्स) की मांग एवं पूर्ति से सम्बन्धित परिस्थितियाँ (Conditions relating to Demand and Supply of Bills)—विदेशी मुद्रा या इसके विल्स की मांग और पूर्ति का विनियम की दर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा करता है।

विनियम विल्स की मांग जब कभी इनकी पूर्ति से कम या अधिक होती है, तब ही इन विल्स के मूल्य में भी कमी या बढ़ि हो जाती है अर्थात् विल्स की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन से देश की विनियम की दर में भी तबनुसार परिवर्तन हो जाता है। परन्तु विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति पर स्वयं दोन मूल्य बातों का प्रभाव पड़ा बरता है—  
(i) व्यापारिक कारण, (ii) स्टॉक-विनियम सम्बन्धी कारण सथा (iii) खंडित सम्बन्धी कारण।

(१) व्यापारिक कारण (Trade Conditions)—किसी देश में विदेशी विल्स (या मुद्रा) की मांग एवं पूर्ति एवं बहुत बड़ी मात्रा में इस देश की आयात अथवा निर्यात पर निर्भर रहती है। दूसरे शब्दों में, किसी देश के विदेशी विनियम बाजार में विदेशी विल्स की मांग एवं पूर्ति बहुत कुछ इस देश की व्यापारिक परिस्थितियाँ (Trade Conditions) पर निर्भर रहती है। यदि किसी देश की आयात इसकी निर्यात से अधिक है, तब इस देश के दिल बाजार में, विदेशी मुद्रा की मांग इसकी पूर्ति से अधिक होगी जिसके कारण इस देश की विदेशी विनियम की दर इस देश के विपक्ष (Unfavourable Rate of Exchange) में हो जायगी। इस तरह उक्त देश की मुद्रा विदेश की मुद्रा को पहने से कम मात्रा में सरीद सकेगी। इसके विपरीत यदि उक्त देश की आयात उसकी निर्यात से कम है, तब विनियम-दर इस देश के पक्ष में हो जायगी और पर हम इस देश की मुद्रा विदेश की मुद्रा को पहने से अधिक मात्रा में सरीद सकेगी। यह स्मरण रहे कि विदेशी व्यापार में हृदय और प्रहृदय (Visible and Invisible) दोनों प्रकार की ही आयातें एवं निर्यातें सम्मिलित हैं।

(२) स्टॉक-विनियम सम्बन्धी प्रभाव (Stock Exchange Influences):—  
स्टॉक एवं मचेज के व्यवहारों में स्टॉक, रोपण, प्रतिभूतिया (सिक्युरिटीज) आदि वा व्यवित्रय, भूगोल का सेन-देन, व्याज व लाभांश (Dividend) वा सेन-देन तथा सहृद के व्यवहारों के कारण सेन-देन आदि वा सुमावेश है।—(क) स्टॉक व सिक्युरिटीज वा व्यवित्रय:—जब हम विदेशी में स्टॉक, रोपण सं तथा सिक्युरिटीज आदि विनियोग-व्यवहारों के बारे देश में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है जिससे हमारे देश में विनियम की दर हमारे देश में हो जाती है यदोंकि इस दशा में हम अपनी मुद्रा के बदले में विदेशी की मुद्रा पहले से कम मात्रा में भरीदने पाते हैं। परन्तु उक्त के विपरीत यदि विदेशी हमारे देश में स्टॉक, रोपण व इक्विलिटी भरीद रहे हैं, तब उन्हें इन विनियोग-व्यवहारों का चूंकि हमारी मुद्रा में ही सुरक्षान बरना पड़ रहा है, इसलिये हमारे देश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति इसकी मांग से अधिक हो जायगी जिससे विनियम वो दर हमारे देश के पक्ष में हो जायगी यदोंकि पर हम अपनी मुद्रा के बदले में विदेशी की मुद्रा पहले से अधिक मात्रा

में प्राप्त कर रहे हैं। (ल) दृष्टि, ड्याज या सामाय का सेन देन — अद्दणों के सेन देन, ड्याज व सामाय (Dividend) के सेन देन आदि का भी विनियम की दर पर प्रभाव इसी तरह का पड़ता है। यदि हम विदेशी से अद्दण या अद्दण पर व्याज या सामाय प्राप्त कर रहे हैं तब हमारे देश में विदेशी मुद्रा वी पूर्ति इसकी मात्रा से अधिक हो जाने के कारण, विनियम की दर हमारे पक्ष में हो जायगी अर्थात् यदि यह साकूकार (Creditors) देश के विषय में और ऋणी (Debtors) देश के पक्ष में हो जायगी। (हमारी मुद्रा का मूल्य विदेशी की मुद्रा में अधिक हो जायगा अर्थात् हमारी एक मुद्रा इकाई के बहले में हम विदेशी की मुद्रा पहले से अधिक मात्रा में प्राप्त करने लगेगा)। परन्तु यदि हमे विदेशी को विदेशीयों की अद्दण की रकम या इस पर व्याज या सामाय भेजना पड़ रहा है, तब विरस्ति उक्त के विलक्षण विपरीत हो जायगी अर्थात् विनियम की दर हमारे विषय में और विदेशीयों के पक्ष में हो जायगी। यह स्पष्ट रहे कि यदि विदेशी अद्दण का उपयोग उसी अद्दणाता देश में वस्तुरूप स्तरीदाने में किया जाता है, तब इस प्रकार के अद्दण का विनियम की दर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु यदि हम इस अद्दण का उपयोग विसी दूसरे देश में करें, तब इसका विनियम की दर पर अवश्यमेव प्रभाव पड़ेगा। अतः जब स्टॉक एक्सचेंज अवहारों वे कारण हमारे देश से मुद्रा विदेशी को जाती है, तब विनियम की दर हमारे विषय में और जब इन अवहारों के कारण मुद्रा विदेशी से हमारे देश को जाती है तब विनियम की दर हमारे पक्ष में हो जाती है। इसलिये यह कहा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज अवहारों का विनियम की दर के उच्चार्यचन (Fluctuation) पर प्रभाव पड़ता है।

(३) बैंकिंग सम्बन्धी प्रभाव (Banking Influences) — बैंकिंग सम्बन्धी अवहारों में विल्स या यात्रियों के पत्रों का अप-विक्रय, बैंक की दर में घट-बढ़ तथा मध्यस्थी की क्रिपायों (Arbitrage Operations) का समावेश है'—(क) विल्स या यात्रियों के पत्रों का अप-विक्रय — सुझार के सभी बैंक सत्तिशाली देश के विदेशी विनियम विल्स में अपनी पूँजी का विनियोग करना सर्वत्र अच्छा समझा करते हैं और इसीलिये ये ऐसे विल्स में साम प्राप्ति के लिये यन के लगाने का प्रयत्न करते रहते हैं। उदाहरणार्थ प्रथम महायुद्ध से पहले विश्व के सभी बैंक इलेंड के स्टतिग विल्स में अपनी पूँजी लगाना अधिक उचित समझा करते थे। वे वे के इन विदेशी विल्स अप-विक्रय के कामों के कारण पूँजी एक देश से दूसरे देश वो समय-समय पर हस्तान्तरित होती रहती है। इसी तरह वे कों हारा यात्रियों के सात पत्रों के अप-विक्रय का भी यही परिणाम रहता है। जब हमारे देश के बैंक विदेशीयों को यात्रियों के साथ-पत्र (Traveller's Letters of Credit) देते हैं, तब इसका यह अर्थ है कि विदेशी हमारी मुद्रा स्तरीदारे हैं। विल्स और यात्रियों के साथ पत्रों के अप-विक्रय तथा एक देश के बैंक द्वारा दूसरे देश में अपनी गाढ़ा पर लाती किये गए बैंकर्स ड्राफ्ट (Banker's Draft) का सामूहिक रूप में विनियम की दर पर प्रभाव यह होता है कि यदि पूँजी विदेशी पर जा रही है तब तो विनियम की दर हमारे विषय में और पर्दि पूँजी विदेशी से हमारे देश को दा रही है तब विनियम की दर हमारे पक्ष में हो जाती है। (ख) बैंक की दर में घट-

बढ़ का प्रभावः—बैंक की दर (Bank Rate) में घट-बढ़ का भी विनियमय की दर पर बहुत प्रभाव पड़ा करता है क्योंकि इससे विदेश की मुद्रा की मांग और पूर्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब किसी देश में बैंक-दर, विदेशों की अपेक्षा बढ़ जाती है, तब इसका परिणाम यह होता है कि इस देश में विदेशों से पूँजी आने लगती है, क्योंकि इस देश में विदेशी व्यक्तियों को अपनी पूँजी का विनियोग करना अधिक लाभदायक होता है। इस देश में पूँजी आकर्षित करने वाले देश की विनियमय की दर इसके पश्च में हो जाती है अर्थात् इस देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में विदेश की मुद्रा पहले से अधिक मात्रा में आने लगती है। इसके विपरीत यदि बैंक दर अन्य देशों को तुलना में कम हो जाती है, तब इस देश से पूँजी का विदेशों को स्थानान्तरण होने लगता है क्योंकि पूँजीपतियों के लिये पूँजी को अधिक बैंक दर वाले देश में सागाना अधिक लाभप्रद होता है। इस देश में इस देश की विनियमय की दर घट जाती है अर्थात् यह इस देश के विषय में हो जाती है क्योंकि अब इस देश की एक मुद्रा इकाई के बदले में विदेश की मुद्रा पहले से कम मात्रा में मिलती है। अतः बैंक दर में परिवर्तन से भी विनियमय की दर में परिवर्तन हो जाता है। (ग) मध्यस्थों की क्रियाएँ (Arbitrage Operations):—कुछ लेखकों ने इन क्रियाओं को 'अन्तर-पण्डन' का नाम दिया है। जब प्रतिभूतियाँ विश्व के ध्यापात्रिक केन्द्रों में सट्टे-साम के लिये खरीदी तथा बेची जाती हैं, तब इन क्रियाओं को मध्यस्थों की क्रियाएँ या अन्तर-पण्डन (Arbitrage Operations) कहते हैं अर्थात् यदि विभिन्न केन्द्रों में, विदेशी मुद्राओं के मूल्य में अन्तर होने पर इनका क्रय-विक्रय करके साम उठाया जाता है, तब इस प्रकार की क्रियाओं को मध्यस्थों की क्रियाएँ कहते हैं।<sup>१०</sup> मध्यस्थों की क्रियाओं का भी विनियमय की दर पर बहुत प्रभाव पड़ा करता है। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। मान सो, कलकत्ते में आज स्टॉलिंग का मूल्य १८ पैस प्रति रुपया और लन्दन में इसी समय १६ पैस प्रति रुपया है। यदि कोई बैंक या व्यक्ति तार द्वारा लन्दन में एक रुपये के बदले में १८ पैस सारी देर और तुरन्त ही कलकत्ते में १८ पैस प्रति रुपये पर बेच दे; तब उसे १ पैस प्रति रुपया साम मिल सायगा। इन क्रियाओं से लन्दन में स्टॉलिंग की मांग इसकी पूर्ति से अधिक और कलकत्ते में स्टॉलिंग की पूर्ति इसकी मांग से अधिक हो जायगी। परिणामतः लन्दन में एक रुपये के बदले में कम पैस और कलकत्ते में १ रुपये के बदले में अधिक पैस मिलने लगें। दूसरे शब्दों में, लन्दन में रुपये का स्टॉलिंग में मूल्य कम और कलकत्ते में रुपये का स्टॉलिंग में मूल्य अधिक हो जायगा। अतः भारत में विनियमय की दर अधिक और इंग्लैण्ड में विनियमय की दर कम हो जायगी। अन्ततः लन्दन और कलकत्ते में विनियमय की दरों में

१० एक सेशन ने अन्तर-पण्डन की परिमाणा इस प्रकार दी है—“जब दो विभिन्न बाजारों में, दो देशों की मुद्रा की विनियमय-दरों में अन्तर होने की विधि में जब एक साप दोनों स्थानों पर साम कमाने की इच्छा है, एक ही भुगतान की तिपि के लिये, दो सौ दे एक लक्ष का और दूसरा विक्रम का, सामान मात्रा के लिए जाएं तब इन्हें अन्तर-पण्डन कहते हैं। ऐसे सौ दे जहाँ भाव कम है वहाँ सारी दे जाते हैं और जहाँ भाव अधिक है वहाँ दे जाते हैं।”

जो अन्तर है वह भी कम या समाप्त हो जायगा ज्योकि मुद्राओं की दरों में अन्तर होने से, लाभ व मान के लिए, उनका क्रय-विक्रय सदैव होता रहता है। यह स्मरण रहे कि मध्यस्थों की क्रियाएं (Arbitrage Operations) के बल विदेशी मुद्राओं के क्रय विक्रय तक ही सीमित नहीं होती हैं वरन् इनका प्रयोग शेष सं तथा अन्य प्रकार के पत्रों में भी किया जाता है।

वैकों द्वारा किये गए उक्त व्यवहारों से यह स्पष्ट है कि उनके उत्तराधिकार व्यवहार यदि एक देश में विदेशी मुद्रा की माँग इसकी पूर्ति की तुलना में बढ़ा देते हैं, तब ये ही व्यवहार दूसरे देश में विदेशी की मुद्रा की पूर्ति इसकी माँग की तुलना में अधिक कर देते हैं। परिणामत विनियम की दर प्रभावित हो जाती है।

(४) मुद्रा की स्थिति (Currency Conditions) — चलन की परिस्थितियों का भी विनियम की दर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें मुद्रा प्रसार, मुद्रा-सकोच, अवमूल्यन आदि का समावेश है—(क) मुद्रा प्रसार (Inflation) — जब किसी देश में मुद्रा-प्रसार एवं चलनाधिकार (Over Issue of Currency) की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब ऐसे देश से पूँजी विदेशी की भागने (Flight of Currency) लगती है (विदेशी भी अपनी विनियोजित पूँजी को इस देश से बाहिस मानने लगते हैं) क्योंकि मुद्रा-प्रसार से मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है अर्थात् मुद्रा की क्रय-शक्ति कम हो जाती है। परिणामत ऐसे देश की विनियम की दर इसके विपक्ष में हो जाती है अर्थात् इस देश की मुद्रा विदेशी की मुद्रा को पहले से कम मात्रा में खरीदने लगती है। (ख) मुद्रा सकोच अर्थात् अधिमूल्यन — यदि किसी कारणों से देश में मुद्रा-सकोच अर्थात् अधिमूल्यन (Appreciation of Currency) की आशा हो जाती है, तब विदेशी लाभ के सालच से, इस मुद्रा को खरीदने लगते हैं (उदाहरणार्थे सन् १९१७ के पश्चात् विदेशीयों ने जर्मन मार्क को लाभ प्राप्त करने के देनु ही खरीदा था)। परिणामत इस देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी की मुद्रा के रूप में बढ़ जाता है अर्थात् इस देश की मुद्रा विदेशी की मुद्रा को पहले से अधिक मात्रा में खरीदने लगती है। अत मुद्रा की क्रय शक्ति के परिवर्तनों का विनियम की दर के उच्चावचन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्रय शक्ति तुलन्यता सिद्धान्त (Purchasing Power of Parity Theory) भी इसी तथ्य को प्रष्ट करता है कि दो देशों के बीच विनियम दर में परिवर्तन इन दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति के तुलनात्मक परिवर्तन के अनुसार ही होता है। अत मुद्रा की माँग व पूर्ति घटने वडने से विनियम की दर, बहुत प्रभावित होती है।

दिभित दरों में विस प्रकार का मुद्रा मान है, इसका भी विनियम की दर के उच्चावचन (Fluctuation) पर प्रभाव पड़ता है—(क) स्वर्ण मान (या रोप्य मान) देशों में विनियम की दर — स्वर्ण-मान (या रोप्य मान) देशों के बीच विनियम की दर में परिवर्तन स्वर्ण-दिनुप्रांती (Specie Points) से भर्तवित होता है। (ख) स्वर्ण मान और रोप्य-मान देशों में विनियम की दर — दो स्वर्ण मान देशों की तरह यहाँ पर भी स्वर्ण-विन्दु (Specie Points) होते हैं (इस सम्बन्ध में पहले विस्तार से लिखा जा चुका है)

और विनिमय की दर का उच्चावचन इनसे भर्यादित होता है। (ग) स्वर्ण-मान व पत्र-मुद्रा-मान देशों में विनिमय की दरः—इन दोनों देशों के बीच विनिमय की दर इन देशों की मुद्राओं की परस्पर क्रय-शक्ति पर निर्भर रहती है। पत्र-मुद्रा का स्वर्ण में जितना अवमूल्यन हो जाता है विनिमय की दर में भी उसी अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। स्वर्ण-मान टूटने के बाद तो इन देशों की विनिमय की दर में जल्दी-जल्दी परिवर्तन हुआ है। (घ) अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा-मान वाले देशों में विनिमय की दरः—इन देशों में विनिमय की दर में उत्तार-चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है और इस उच्चावचन (Variation) की कोई सीमा भी नहीं होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि देश की मुद्रा-स्थिति (मुद्रा-मान किस प्रकार का है) का विनिमय की दर पर बहुत प्रभाव पड़ा करता है।

(आ) राजनीतिक परिस्थितियाँ—राजनीतिक परिस्थितियों का भी विनिमय की दर पर बहुत प्रभाव पड़ा करता है। इसमें सरकार की संरक्षण की नीति, युद्ध व देश में शान्ति, सरकार की वित्त नीति तथा विनिमय-नियन्त्रण सीति आदि का समावेश है।—  
 (क) संरक्षण नीतिः—सरकार संरक्षण (protection) की नीति अपना कर देश की आयात को हतोत्साहित और नियति को प्रोत्साहित किया करती है। कभी-कभी व्यापारिक-संघर्षों का भी यही परिणाम होता है। नियति की मात्रा आयात से अधिक हो जाने पर देश में अनुदूस भुगतान का संतुलन (Favourable Balance of Payment) हो जाता है जिससे देश की विनिमय की दर इसके पक्ष में हो जाती है। (ख) युद्ध व देश में शान्ति व सुरक्षा—यदि देश में शान्ति है, सरकार स्थायी व टिकाऊ है, देश में व्यवितरण संपत्ति की सुरक्षा को उचित व्यवस्था है, सरकारी नीति नियन्त्रण है, तब ऐसे देश की अर्थ-व्यवस्था में तथा साख में न केवल इस देश में वरन् विदेशों में भी विद्वास किया जायगा। परिणाम यह होगा कि विदेशों से एक बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी विनियोग के लिये इस देश में आने लगेगी। इस दशा में इस देश की विनिमय की दर इसके पक्ष में हो जायगी। (ग) देश की वित्त नीति—यदि सरकार बजट में घाटे की वित्त-व्यवस्था करती है, तब इसका भी विनिमय की दर पर प्रभाव पड़ता है। (घ) विनिमय नियन्त्रण—जब देश की सरकार विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण की नीति अपना लेती है, तब इससे भी देश की विनिमय की दर प्रभावित होती है। अतः किसी देश की राजनीतिक स्थिति तथा खानी की सरकार के राजनीतिक हितों से विनिमय-दर बहुत प्रभावित होती है।

### विनिमय-दर के उच्चावचन की सीमाएँ

*(Limits to the Fluctuations of the Rate of Exchange)*

व्यापार विनिमय की दर में परिवर्तन की कुछ सीमाएँ भी होती हैं? (Are there any Limits in the fluctuations of the Rate of Exchange ?):—विदेशी मुद्रा की मांग और पूँजि के अनुसार समय-समय पर विनिमय की दर में परिवर्तन होते हैं, परन्तु क्या इस परिवर्तन की कुछ सीमाएँ भी हैं? व्यापार विनिमय की दर में उत्तार-चढ़ाव (Variation) कुछ सीमाओं के अन्दर ही होता है? (क) रवर्जन-मान में विनिमय की दर

में परिवर्तन की सीमाएँ—स्वर्ण-मान देशों में विनियम की दर में उत्तार-चंद्राव स्वर्ण विन्दुओं (Specie Points) से पर्यादित होता है। इस तरह यही पर विनियम की दर में परिवर्तन का सीन सीमित होता है क्योंकि इन मार्जों में व्यापारियों को स्वर्ण की निर्यात करने की स्वतन्त्रता एवं सुविधा होती है। एक तरफ विनियम की दर स्वर्ण-निर्यात विन्दु (Upper Specie Point) से अधिक ऊपर नहीं जाती है (यह सीमा टक-समग्रात्र में सोने के भेजने के बाय को जोडने से प्राप्त होती है) क्योंकि इस अवस्था में व्यापारियों को विदेशी मुद्रा या इसके बिल्स खरीदने के बजाय, सोना खरीदकर विदेशों को भेजना अधिक सहज बलामप्रद रहेगा और दूसरी तरफ विनियम की दर स्वर्ण-आयात विन्दु (Lower Specie Point) से नीचे नहीं गिरती है (यह सीमा टक समग्रात्र में सोने के भेजने के बाय को घटाने से प्राप्त होती है) क्योंकि इस अवस्था में विदेशी व्यापारियों (आयातकर्ताओं) को हमारी मुद्रा या इसके बिल्स (स्वतंत्र) खरीदने के बजाय, सोना खरीद कर इसे हमारे देश के व्यापारी को भेजना अधिक लामप्रद होता है। अत जब दो देशों में स्वर्ण मान होता है, तथ विनियम की दर टक समता (Mint Par of Exchange) के घारों और स्वर्ण-आयात विन्दु के स्वर्ण निर्यात विन्दु के बीच में ही परिवर्तित होती है। यह स्मरण रहे कि जब विनियम की दर स्वर्ण आयात विन्दु के पास होती है, तब यह इस देश के पश्च में होती है और जब यह स्वर्ण निर्यात विन्दु के पास होती है, तब यह इस देश के विषय में होती है। (ख) पत्र-मान में विनियम की दर में परिवर्तन की सीमाएँ—यदि दो देशों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा-मान है, तब इनमें विनियम की दर में, दोषकाल में, क्षय-शक्ति तुल्यता (Purchasing Power Parity) के आस-पास राय हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है परन्तु विनियम की दर में उच्चावचनों (Variations) की ओर प्राकृतिक सीमा नहीं होती है। स्वर्ण-मान देशों की तरह यहा पर स्वर्ण विन्दु नहीं पाये जाते हैं। अतः पत्र मुद्रा मान में विनियम की दर में उत्तार-चंद्राव की ओर सीमा नहीं होती है। वास्तव में यहा पर उच्चावचन इस बात पर निर्भर रहेगा कि सरकार ने विनियम की दर को स्थिर रखने एवं नियन्त्रण करने की क्षमा नीति अपनाई है और इसमें उसे कहाँ तक सफलता मिली है।

विनियम की दर में उच्चावचनों (Fluctuations) को रोकने के उपाय बहुत सीधे-साधे हैं। के सब उपाय जिनसे मुग्गतान के अस तुलन को होकर दिया जा सकता है (इनका बच्यन 'मुग्गतान का समुलन' नामक अध्याय में विस्तार से दिया गया है) उनका प्रयोग करके विनियम की दर में घट बढ़ को बहुत कुछ दूर किया जा सकता है।

### अनुकूल या प्रतिकूल विनियम की दर

(Favourable and Unfavourable Rate of Exchange)

अनुकूल या प्रतिकूल विनियम की दर का अर्थ (Meaning of Favourable and Unfavourable Rate of Exchange)—किसी समय विनियम की दर अनुकूल है या यह प्रतिकूल है, इसको जानने के लिये सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि विनियम की दर किस देश की मुद्रा में व्यक्त की जा रही है अर्थात् यह पह दर स्वदेश की मुद्रा में व्यक्त की जा रही है या यह दर किसी विदेश की मुद्रा में

व्यक्त की जा रही है ? (अ) विनिमय की दर को स्वदेश की मुद्रा में व्यक्त करना—जब किसी देश में विनिमय की दर स्वदेश की मुद्रा में व्यक्त की जाती है, तब गिरती हुई (Falling Rate) या कम होती हुई (या नीची) विनिमय की दर स्वदेश के पक्ष में होती है और बढ़ती हुई (Rising Rate) या ऊंची विनिमय की दर हमारे विपक्ष में होती है। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है : मान लो, १ पौंड का मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जा रहा है या विनिमय की दर रुपयों में (स्वदेश की मुद्रा में) व्यक्त की जा रही है और मान लो, १ पौंड = १५ रु० है (यदि यह विनिमय की दर कम हो जाती है या यह घटकर १ पौंड = १२ रु० हो जाती है, तब यह हमारे देश के लिए अनुकूल है क्योंकि अब हमें १ पौंड का माल खरीदने के लिए पहले से कम अपनी मुद्रा देनी पड़ती है। इसी तरह यदि यह दर बढ़कर १ पौंड = १८ रु० हो जाती है तब यह हमारे देश के लिए प्रतिकूल हो जाता है क्योंकि अब हमें १ पौंड का माल खरीदने के लिए पहले से अधिक मात्रा में अपनी मुद्रा देनी पड़ती है। अतः जब किसी देश में विनिमय की दर स्वदेश की मुद्रा में व्यक्त की जाती है, तब घटती हुई दर उस देश के पक्ष में और बढ़ती हुई दर उस देश के विपक्ष में होती है। (आ) विनिमय की दर को विदेश की मुद्रा में व्यक्त करना—जब किसी देश में विनिमय की दर विदेश की मुद्रा में व्यक्त की जाती है, तब बढ़ती हुई (Rising Rate) विनिमय की दर स्वदेश के पक्ष में होती है और गिरती हुई (Falling Rate) विनिमय की दर स्वदेश के विपक्ष में होती है। इसको भी एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। आज १ रुपया २१ सेंट के बराबर है (विनिमय की दर है १ रु० = २१ सेंट)। सितम्बर १९४६ से पहले एक रुपया ३०•२२५ सेंट के बराबर था (विनिमय की दर १ रु० = ३०•२२५ सेंट)। इसका अर्थ यह है कि यदि आज फिर १ रु० को ३०•२२५ सेंट के बराबर कर दिया जाय, तब यह विनिमय की दर आज की तुलना में देश के पक्ष में हो जायगी क्योंकि तब हम आज की तुलना में १ रुपये के बदले में अधिक सेंट खरीद सकेंगे। परन्तु जब सितम्बर १९४६ में विनिमय की दर १ रु० = ३०•२२५ सेंट से घटाकर १ रु० = २१ सेंट कर दी गई, तब से यह दर हमारे देश के विपक्ष में हो गई है क्योंकि अब हम १ रु० के बदले में सितम्बर १९४६ से पहले की तुलना में बहुत कम सेंट प्राप्त करने पाते हैं अर्थात् रुपये का मूल्य डॉलर में बहुत हो गया है। अतः जब विनिमय की दर विदेश की मुद्रा में व्यक्त की जाती है, तब ऊंची विनिमय की दर देश के पक्ष में होती है और नीची विनिमय की दर देश के विपक्ष में होती है।

अनुकूल व प्रतिकूल विनिमय की दर के आर्थिक प्रभाव (Economic Effects of a Favourable or Unfavourable Rate of Exchange)—अनुकूल तथा प्रतिकूल विनिमय की दर के प्रभाव विभिन्न धर्तियों पर भिन्न-भिन्न रहा करते हैं :—  
 (अ) अनुकूल विनिमय की दर के प्रभाव—यदि विनिमय की दर किसी देश के अनुकूल है, तब यह देश अपनी एक मुद्रा-इकाई के बदले में विदेश में पहले से अधिक प्राप्त करने पाते हैं अर्थात् रुपये का मूल्य डॉलर में बहुत चरीदाने में सफल हो जाता है क्योंकि इस देश की एक मुद्रा-इकाई का मूल्य विदेश की पुद्रा में अधिक-मूल्यत (Appreciation) हो गया है अर्थात् स्वदेश की एक-मुद्रा इकाई के

बहले में विदेश की मुद्रा पहले से मधिक मात्रा में शाप्त होने लगी है। इसका परिणाम यह होगा कि इस देश में आयात को प्रोत्साहन गिलेगा और निर्यात हतोत्साहित होगी। आयातकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं को लाभ होगा तथा नियर्यातकर्ताओं को हानि होगी और निर्यात व्यवस्था व नियर्यात-उच्चोग बढ़ हो जायेगे। इस दशा में शनै शनै देश में विरोजगारी फैल जायगी। निर्यात-उच्चोग बढ़ हो जाने का कारण यह है कि जब विनियम दर स्वदेश के अनुकूल होती है, तब विदेशीयों को हमारी मुद्रा महँगी हो जाती है अर्थात् विदेशी मुद्रा की क्रय-क्षमता हमारी मुद्रा के रूप में, कम हो जाती है जिससे हमारे यहाँ की सरोदी हड्डी बस्तुएँ उनको महँगी पहड़ी हैं। (अ) प्रतिकूल विनियम की दर के प्रभाव अब इसी देश में प्रतिकूल विनियम की दर होती है, तब वह देश अबनी एक मुद्रा-इकाई के बदले में विदेशी की मुद्रा पहले से बहुत दम मात्रा में शाप्त होती है। इस अवस्था में आयात-नियर्यात होता है और नियर्यात प्रोत्साहित होता है। नियर्यातकर्ताओं व नियर्यात-उच्चोग में उत्पादकों को लाभ होता है, परन्तु आयातकर्ताओं व उपभोक्ताओं को हानि होती है। इस दशा में अधिकों द्वारा रोजगार मिलता है, परन्तु निश्चित आप बाले बांग को हानि लहनी पड़ती है। इस हट्टी से देश की प्रतिकूल विनियम की दर अधिक हट्टी है इस देश के लिये बहुत लाभदायक होती है।

निष्पत्ति—उत्तर विवेचन के आधार पर हम इस निष्पत्ति पर पहुँचते हैं कि इसी समय यह कहना कि विनियम दर देश के लिए अनुकूल है या विनियम-दर देश के लिए प्रतिकूल है एक विरोधाभास (Contradiction) है क्योंकि प्रत्येक दर में देश के यदि किसी बांग को हानि होती है तब साथ ही साथ दूसरे बांग को लाभ भी होता है।

### विनियम नियन्त्रण (Exchange Control)

विनियम नियन्त्रण का अर्थ (Meaning of Exchange Control)—विध अवस्था में देश के नागरिकों को, किसी भी मात्रा में, विदेशी विनियम लारीदाने और बेचने का पूर्ण अधिकार होता है, उसे स्वतन्त्र (प्रतियन्त्रित) विदेशी विनियम की व्यवस्था कहते हैं। परन्तु जब देश की सरकार कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विदेशी विनियम के व्यवस्था एवं वितरण में हस्तक्षेप (Intervention) करती है तब इसे नियन्त्रित विदेशी विनियम की व्यवस्था अथवा विनियम नियन्त्रण (Exchange Control) कहते हैं। विनियम नियन्त्रण की परिभाषाये इस प्रकार दी गई हैं।

(१) एक सेवाक के धनुसार, “विनियम कम्प्यूल देश के मुद्रा अधिकारियों द्वारा उस हस्तक्षेप को कहते हैं जिसका उद्देश्य उस देश को विनियम-दर को लियर रखने का होता है।”

(२) इसी तरह एक दूसरे लेखक ने विनियम वितरण की परिभाषा इस प्रकार दी है—“विनियम नियन्त्रण का अधिकार ऐसे किसी भी कार्य से है जो विदेशी विनियम बाजार में इकायट (अड्डचने) पैदा करे और जिससे विनियम की दर प्रभावित हो। इस तरह विनियम नियन्त्रण का अर्थ विदेशी विनियम पर सामान्य देख भाल और कुछ विदेश प्रकार की अपारिक मार्गों को सीमाएँ निर्धारित करना है।”

इस विस्तृत अर्थ में विनियोग नियन्त्रण का अर्थ सरकार या सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किए गये उन सभी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष हस्तक्षेपों से होता है जो विनियोग की दरों तथा इनसे सम्बन्धित व्यापार को प्रभावित करते हैं। परन्तु संकुचित अर्थ में इसका अर्थ उन तमाम सरकारी हस्तक्षेपों तथा प्रतिवधों से होता है जो केवल देश की भवनी निजी विनियोग दर को प्रभावित करते हैं। आजकल इस शब्द का उपयोग अधिक तर इसी अर्थ में किया जाता है।

विदेशी विनियोग नियन्त्रण विज्ञान का विकास (Origin and Growth of the Science of Exchange Control):—विदेशी विनियोग नियन्त्रण विज्ञान के आविष्कार का थेय जर्मनी (Germany) को है। इस विज्ञान का विकास प्रथम महायुद्ध के बाद हुआ। प्रथम महायुद्ध में जब जर्मन मार्क (German Mark) की विनियोग-दर बढ़त ही गिर गई, तब जर्मन अर्थशास्त्रियों ने विनियोग नियन्त्रण जैसे विज्ञान का आविष्कार किया और इसकी सहायता से जर्मन सरकार ने युद्ध के पश्चात् कुछ समय तक जर्मनी की विनियोग-दर को काफी सीमा तक स्थिर रखना। परन्तु सन् १९३१ में स्वर्ण-मान के परियाग के पश्चात् तो विनियोग की दर में इतना अधिक उच्चावचन हुआ कि विभिन्न राष्ट्रों को विनियोग नियन्त्रण प्रणाली का उपयोग करना पड़ा। द्वितीय महायुद्ध ने इस प्रणाली को और भी अधिक हड़ बना दिया है। आजकल प्रत्येक देश में अपरिवर्तनीय पञ्च-भुद्वा-चलन है। चूंकि इस प्रणाली में विनियोग की दर की स्थिरता केवल विनियोग नियन्त्रण विज्ञान द्वारा ही सम्पन्न की जा सकती है, इसलिये इस विज्ञान का बहुमान युग में बढ़त महत्व है। सन् १९३६ के पश्चात् भारत तथा अन्य बढ़त से देशों ने युद्ध-कालीन अर्थ-व्यवस्था को सफल बनाने के लिये, विनियोग नियन्त्रण की नीति को अपनाया था।

विदेशी विनियोग नियन्त्रण को विशेषताएँ (Characteristics of Exchange Control):—विनियोग-नियन्त्रण के अन्तर्गत देश के व्यापारियों को प्राप्त होने वाली तमाम विदेशी विनियोग केन्द्रीय बैंक के पास जमा कर दी जाती है और इसके बदले में इन व्यापारियों को देश की मुद्रा दे दी जाती है। इस प्रकार प्राप्ति की गई विदेशी विनियोग से देश की समस्त-विदेशी विनियोग की आवश्यकता ऐं पूरी की जाती है। इसी-लिए एक कन्ट्रोल भाव (Control Rate) पर केन्द्रीय बैंक द्वारा संचित विदेशी विनियोग को, देश की आवश्यकतानुसार विभिन्न व्यापारियों एवं विभिन्न व्यापारों में बाट देता है। केन्द्रीय बैंक इस प्रकार वितरित की जाने वालों विदेशी विनियोग के व्यय की कार्य-विधि भी निश्चित कर देता है। विनियोग नियन्त्रण के साथ ही साथ देश की आयात (वस्तुओं की मात्रा, इनका गुण आदि) पर भी बढ़त वाधायें लगा दी जाती हैं। इस तरह नियन्त्रण प्रणाली में सरकार केन्द्रीय बैंक द्वारा संचित विदेशी विनियोग को सर्व-प्रथम अपने कारों में उपयोग में लाती है और तत्पश्चात् योग विनियोग नो शनैः शनैः अधिक महत्वपूर्ण कारों के लिए देशवासियों को दे देती है।

विदेशी विनियोग पर प्रतिबन्ध (Restriction) और विदेशी विनियोग के प्रयोग-विकास में सरकारी हस्तक्षेप (Intervention) में भेदः—विनियोग की दर में उच्चावचन

को कम करने के लिये सरकार मुश्यत दो पद्धतियाँ प्रयत्नाती हैं—(i) विनियम प्रतिबन्ध (Exchange Restrictions) या विनियम नियन्त्रण (Exchange Control)—इस पद्धति में सरकार विदेशी विनियम के क्रय-विक्रय पर रोक (Restriction) लगा देती है और वह स्वयं भी विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय नहीं करती है। परिणामतः इस प्रकार की रोक या प्रतिबन्धों से विदेशी-विनियम व्यवहार बंद हो जाते हैं (यदि यह रोक तभी मुद्राओं पर सागू की जाती है) या बहुत कम हो जाते हैं (यदि यह रोक एवं प्रतिबन्ध कुछ ही मुद्राओं पर सागू किये गये हैं)। अतः इस प्रणाली में व्यक्तिगत व्यवसायियों की विदेशी मुद्रा खरीदने-बेचने की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी जाती है। (ii) विदेशी विनियम के क्रय-विक्रय में सरकारी हस्तक्षेप—जब सरकार किसी नियन्त्रित विनियम की दर को स्थापित करने या इसको बनाये रखने के लिये विदेशी विनियम को नियन्त्रित दरों पर खरीदती-बेचती है, तब इसे विदेशी विनियम में सरकारी हस्तक्षेप (Intervention) कहते हैं। इस प्रणाली में व्यक्तिगत व्यवसायियों को उनकी इच्छानुसार विदेशी-विनियम का क्रय-विक्रय करने में कोई वाधा नहीं ढाली जाती है। इस प्रकार की पद्धति को दोनों महायुद्धों के बीच में विस्तृत रूप से प्रयत्नाया गया था। इगलेंड में विनियम-समीकरण-फंड (Exchange Equalisation Fund) भी इसी उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

### विनियम नियन्त्रण का उद्देश्य

विनियम नियन्त्रण के उद्देश्य (Objects of Exchange Control)—सरकार विनियम नियन्त्रण प्रणाली का उपयोग बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिये करती है, जिसमें मुश्य मुश्य हम प्रकार हैं—।।) विनियम दर को एक पूर्वनियित दर पर स्थिर रखना—अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा मान में विनियम की दर में बहुत उच्चावचन (Variation) हो सकते हैं, इस उच्चावचन में विनियन्त्रिता भी होती है जो देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये घातक होती है। इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार विनियम की दर को किसी नियन्त्रित दर पर स्थिर कर देती है। अतः विनियम नियन्त्रण का उद्देश्य इस पूर्व नियन्त्रित दर को बनाए रखना होता है। (ii) पूँजी को देश से बाहर जाने से रोकना—कभी कभी किन्हीं कारणों से देश की पूँजी विदेशी को जाने लगती है। यदि पूँजी के इस प्रकार देश से बाहर जाने को नहीं रोका जाय, तब इससे देश की स्वर्ण-निधि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः विनियम नियन्त्रण का उद्देश्य देश से पूँजी के नियांतों को रोकने तथा विदेशी छहों के भुगतानों को रोकना हो सकता है। (iii) सरकार की नीति को सफल बनाना—विनियम नियन्त्रण का उद्देश्य देशी व्यवसाय की विदेशी प्रतिस्पर्धा से बुरका भी हो सकता है। इसके द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धा को घट्टी प्रकार से रोका जा सकता है क्योंकि विनियम नियन्त्रण की नीति से कुछ देशों की आयातों को पूर्णतया रोका जा सकता है या इन्हें कम किया जा सकता है। (iv) ध्यापारिक भेदभाव की नीति को सरकार बनाना—विनियम-नियन्त्रण द्वारा विभिन्न देशों के बीच ध्यापारिक सम्बन्ध अनुकूल बनाया जा सकता है। सरकार एक ऐसी विनियम नियन्त्रण नीति अपना सकती है जि इससे कुछ देशों या कुछ विशेष वस्तुओं की आयात-नियांतों के लिए तो एक दिशेप दर हो और दानी

देशों या वस्तुओं के लिए कुछ और ही दर हो। अतः विनियोग-नियन्त्रण नीति का उद्देश्य व्यापारिक भेद-भाव (Trade Discrimination) की नीति को सफल बनाना हो सकता है। (v) सरकार को आय बढ़ाना—विनियोग नियन्त्रण का उद्देश्य सरकार को आय प्राप्त करना भी हो सकता है। जब सरकार विदेशी विनियोग की विक्री-दर इसकी क्रय-दर से ऊँची रखती है, तब उसके इस प्रकार का विनियोग-नियन्त्रण एक नियंत्रित-कर का काम करता है, इसलिये इस नियन्त्रण-नीति से सरकार को कुछ आय भी प्राप्त होती है। (vi) विदेशी मुद्रा की पर्याप्त उपलब्धि—सरकार के विनियोग-नियन्त्रण का ध्येय पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त करना हो सकता है यद्योंकि तब ही सरकार न केवल विदेशों से देश के लिए आवश्यक वस्तुये खरीद सकती है बरन् विदेशियों के मूलधन तथा इस पर व्याज का भुगतान भी कर सकती है। (vii) व्यापार के भुगतान के असंतुलन को ठीक करना—सरकार द्वारा अनेक व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाने पर भी यह सम्भव है कि देश का व्यापार का संतुलन इतना अधिक असंतुलित हो जाये कि यह साधारण उपायों से ठीक ही नहीं होने पाये। इस अवस्था में इस असंतुलन की दशा को विनियोग-नियन्त्रण द्वारा ठीक किया जा सकता है। अतः विनियोग-नियन्त्रण का उद्देश्य व्यापार के असंतुलन को समायोजित (Adjustment) करना भी हो सकता है।

निष्कर्ष—उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विदेशी विनियोग-नियन्त्रण के उद्देश्यों में भिन्नता होती है। विभिन्न देश अपनी निजी आवश्यकतानुसार ही उक्त में से किसी एक या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु ही विनियोग-नियन्त्रण की नीति को अपनाया करते हैं।

### ✓ विनियोग-नियन्त्रण की रीतियाँ

#### (Methods of Exchange Control)

विनियोग नियन्त्रण की कौन-कौन सी रीतियाँ हैं? (What are the important Methods of Exchange Control?)—विनियोग-नियन्त्रण की रीतियों को हम मुख्यतः दो भागों में वर्गित कर सकते हैं—(i) एक-पक्षीय रीतियाँ (Unilateral Methods)—इसके अन्तर्गत उन रीतियों का समावेश है जिनकी कोई एक देश अपनाता है और जिनका प्रभाव भी विशेषतः उसी देश पर पड़ता है। (ii) द्वि-पक्षीय अथवा बहु-पक्षीय रीतियाँ (Bilateral and Multilateral Methods)—जबकि दो राष्ट्र निलकर किसी रीति या रीतियों को अपनायें और इनका प्रभाव भी उन्हीं दोनों राष्ट्रों पर पड़े, तब इस प्रकार की रीतियों को द्वि-पक्षीय रीतियाँ (Bilateral Methods) कहते हैं। प्रत्येक देश अपनी निजी आवश्यकताओं के अनुसार ही किसी नीति-विशेष को अपनाया करता है। उसके प्रत्येक देश की आवश्यकताओं भी समय-समय पर बदल जाती हैं, इसलिए प्रत्येक देश उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विनियोग-नियन्त्रण-नीति को भी आवश्यकतानुसार बदल देता है। अतः विनियोग-नियन्त्रण की जितनी भी रीतियाँ हैं, उनमें सर्व प्रयोग (Universal Application) का भी गुण नहीं है। सरकार तथा मुद्रा अधिकारियोंने समय-समय पर जिन विनियोग-नियन्त्रण-रीतियों का उपयोग किया है, उनमें से कुछ मुख्य रीतियों का वर्णन नीचे दिया गया है—

(अ) एक-पक्षीय रीतियाँ (Unilateral Methods)—जैसा कि ऊपर बताया जा

कुका है, जब कोई एक देश किसी एक रीति या रीतियों को अपनाता है और इसका प्रभाव भी उसी देश पर पड़ता है, तब इन्हे एक-पक्षीय रीतियाँ कहते हैं। इसके अन्तर्गत मुख्य-मुख्य रीतियाँ इस प्रकार हैं—(i) विनियम सम्बरण कोष, (ii) विदेशीयों का स्वदेश में खाता बन्द करना, (iii) विदेशी विनियम वा राशनिग करना, (iv) विदेशी व्यापार का नियमन, (v) बैंक दर का नियमन तथा (vi) विनियम-उद्वग्नयन।

(1) विनियम सम्बरण कोष (Exchange Equalisation Fund)—इसे कभी कभी विनियम-सम्बरण खाता (Exchange Equalisation Account) तथा विनियम स्थायीकरण कोष (Exchange Stabilisation Fund) भी कहते हैं। इस कोष की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं—(i) सब १९३१ में स्वर्णमान के परिवर्त्याग के पश्चात् इगलेंड की स्टलिंग विनियम वी दर में बहुत उच्चावचन हुआ, जिससे विनियम की दर के चतार-चढ़ाव को नियन्त्रित करने की आवश्यकता अनुभव हुई। विनियम नियन्त्रण के उद्देश्य की पूर्ति के लिये सब १९३२ में इगलेंड में एक विनियम-सम्बरण कोष की स्थापना हुई। इगलेंड के पश्चात् अमेरिका, फ्रांस तथा स्विटजरलैंड ने भी इसी प्रकार वे कोषों का निर्माण किया। इस तरह इगलेंड के कोष का प्रधान उद्देश्य स्टलिंग के बदले में विदेशी मुद्राओं को स्वीकृत अथवा वेचकर स्टलिंग की विनियम वी दर में स्थिरता स्थापित करना था। (ii) इस कोष का निर्माण इगलेंड में १५०० लाख पौंड से बिया गया था। १९३३ में यह रकम बढ़ाकर ३५०० लाख पौंड और १९३७ में यह रकम बढ़ाकर ५५०० लाख पौंड कर दी गई थी। इन कोष के साधनों में सरकार द्वारा प्रचलित ट्रैजरी विल्स (कोपागार विषय) तथा खुले बाजार व अन्य देशों के बैंकों से खरीदा हुआ सोना रहता था। ट्रैजरी विल्स को प्रत्येक ३ महीने के बाद नया बिया जाता था। (iii) इस कोष पर सरकारी ट्रैजरी (Govt Treasury) का प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहता था, यद्यपि बास्तव में नियन्त्रण का यह बायं बैंक आफ इगलेंड द्वारा एक एजेंट के रूप में बिया जाता था। (iv) इस कोष की कार्य प्रणाली इस प्रवार की थी—जब कभी स्टलिंग की मांग इसकी पूर्ति से अधिक हो जाने पर स्टलिंग की विनियम दर बढ़ाने लगती थी तब कोष अपने साधनों से विदेशों में विदेशी मुद्रा खरीदने लगता था जिससे विनियम की दर बढ़ाने से रक जाती थी। इस त्रिया द्वारा जो कुछ भी विदेशी मुद्रा विदेशों में खरीदी जाती थी, वह वही के बैंकों में निधि (Fund) के रूप में जमा कर दी जाती थी। इसी तरह जब स्टलिंग की पूर्ति इसकी मांग से अधिक हो जाती थी अथवा स्टलिंग की विनियम दर गिरने लगती थी, उस समय यह कोष विदेशों में जमा अपनी निधि से विदेशों में स्टलिंग खरीदने लगता था जिससे विदेशों में स्टलिंग की मांग बढ़ जाती थी और स्टलिंग की विनियम की दर गिरनी बन्द हो जाया करती थी। इस कोष ने अपने उक्त कायों के सचालन के लिये अमेरिका तथा फ्रांस आदि देशों में अपनी निधि जमा की थी। अत योग अपने साधनों का उपयोग करके विनियम की दर में एक सीमित दैरा (Limited Range) में ही परिवर्तन होने देता था। (v) सरकार इस कोष का उपयोग इस प्रकार किया करती थी कि विनियम की दर पर अल्पकालीन बारणों का प्रभाव नहीं पड़ने पाये अर्थात् इस कोष का इस प्रकार उपयोग होता था कि अल्प-कालीन पूँजी की गतिशीलता (पूँजी का विनियोग बरने वालों की पवराहट से पूँजी का

स्थानान्तरण हो जाया करता है) तथा सट्टे व्यवहारों के कारण विनिमय की दर के उच्चावचन (Fluctuation) में रोक लग जाये। दूसरे शब्दों में, इस कोप का उपयोग विनिमय की दर में केवल अत्यधिकालीन परिवर्तनों को ठीक करने के लिये किया जाता था। सरकार इस कोप का उपयोग इस प्रकार नहीं करती थी कि विनिमय की दर की स्थायी व दीर्घ-कालीन प्रवृत्तियों में हस्तक्षेप ही जाये। प्रतः इस कोप का उद्देश्य दीर्घ-कालीन विनिमय-दरों को ढूढ़ बनाना था। (iv) इस विनिमय-समकरण कोप की कार्य-प्रणाली को गुप्त रखना जाता था और यह जटिल भी बहुत थी जिससे प्रत्येक व्यक्ति इसकी कार्य-प्रणाली को आसानी से समझ भी नहीं सकता था।

अतः जब कभी विनिमय की दर में अधिक उच्चावचन (Variation) होते थे, तब विनिमय-समकरण-कोप की सहायता से विदेशी मुद्राओं का विक्रय करके इनको एक पूर्व-निश्चित दर पर स्थिर रखने का प्रयत्न किया जाता था और इस तरह विनिमय की दर के उच्चावचनों को सीमित कर दिया जाता था।

(2) विदेशियों का स्वदेश में खाता बन्द करना (Blocking the accounts of foreigners in the Home Country):—प्रत्येक देश में विदेशी व्यापारियों की कुछ न कुछ पूँजी विनियोजित (Invested) रहती है। इसी तरह वैरों में भी कुछ पूँजी विदेशियों की जमा रहती है। युद्धकाल में या अन्य सकट के समय में, विनिमय की दर में उच्चावचन (Variation) पर रोक लगाने के लिये, सरकार या तो इस प्रकार के खातों को बन्द कर देती है या वह इस प्रकार की विदेशी पूँजी व विदेशी सम्पत्ति को देश से बाहर जाने पर रोक (Restrictions) लगा देती है जिससे विदेशी इस देश से अपनी पूँजी का हस्तान्तरण नहीं करने पाते हैं। इस प्रकार की सारी सम्पत्ति सरकार के “अबरदू खाते” (Blocked Accounts) नामक अलग कोप में जमा कर दी जाती है। इस प्रकार की धन-राशि को व्यय करने की प्रथम तो विदेशियों को अनुमति नहीं दी जाती, परन्तु कभी-कभी सरकार विदेशियों को इन खातों में जमा रकम का कुछ विशेष-कार्यों में उपयोग करने के लिये अनुमति दे देती है। यह स्मरण रहे कि इस देश के जहाजियों को भी विदेशी जहाज की रकम का भुगतान सरकार के पास जमा करना पड़ता है और सरकार इस राशि को विदेशी के नाम में ‘अबरदू खाते’ में जमा कर देती है, परन्तु यह राशि विदेशी मुद्राओं में परिवर्तनीय नहीं होती है। चूंकि विदेशियों को अपनी पूँजी का भुगतान नहीं मिलने पाता है, इसलिये ये विवश होकर सरकार की अनुमति से, इस देश में ही माल सारीदक्कर अपना भुगतान ले लेते हैं या अपनी मुद्रा को कम मूल्य पर बेच देते हैं। इस तरह इस देश को प्रत्येक अवस्था में लाभ होता है। जब कभी विदेशियों के खातों को बन्द कर दिया जाता है, तब इससे विदेशी मुद्रा में ‘चोर-बाजार’ का जन्म हो जाता है जिसे अर्थशास्त्र में “ब्लैक बोर्स” (Black Bourse) कहते हैं। अतः जब कभी सरकार विदेशियों के स्वदेश में खातों को बन्द कर देती है, तब चूंकि मुद्रा विदेशी को नहीं जाने पाती, इसलिये इस रीति से विनिमय की दर के उच्चावचनों (Fluctuations) को रोका (Restrict) जा सकता है।

(3) विदेशी विनिमय का राशनिंग करना (Rationing of Foreign Exch-

ange) — इस रीति में सरकार या बैंक विदेशी विनियमय को निश्चित दरों पर खारीदारी येचती है और देश का जो कुछ भी विदेशी विनियमय प्राप्त होता है उसे कुछ परिवृत्त कार्यों एवं ध्यावारों के उपयोग में लाती है अर्थात् विदेशी विनियमय का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि यह आवश्यक आयातों के लिये प्रयोग्य हो जाय। यह अवधय है कि इस रीति में विदेशी विनियमय के स्वतन्त्र व्यवसाय को रोक दिया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग स्वतन्त्र रूप में या “ब्रवहड़ खारों” (Blocked Account) के साथ किया जा सकता है। भारत में युद्धकाल में इस रीति का उपयोग रिजर्व बैंक द्वाक इटिया द्वारा किया गया था।

(४) विदेशी व्यापार का नियमन (Regulation of Foreign Trade) — वस्तुओं की आयात-निर्यात का विदेशी विनियमय की दर पर सबसे अधिक प्रभाव पहला है। इस पारण सरकार विदेशी व्यापार का नियमन (Regulation) करके विनियमय की दर के उच्चावचनों पर रोक लगा दती है। सरकार सरकारी की नीति अपना कर या आयात करो में बृद्धि करके अनावश्यक आयातों को रोकती है और निर्यात कर में कमी करके या निर्यात व्यवसायों को आधिक सहायता (Bounties) देकर निर्यातों को प्रोत्साहित करती है। सरकार आयात नियति प्रदनियन्त्रण करने के लिये लाइसेंस (License) प्रणाली को भी अन्य देती है, जिससे दिना लाइसेंस प्राप्त व्यापारी न तो वस्तुओं की आयात कर सकते हैं और न इसकी नियति ही कर सकते हैं। सरकार कोटा प्रणाली (Quota System) द्वारा वस्तुओं की आयात नियर्ति की मात्रा व वजन निश्चित कर दती है जिससे अधिक न तो दिसी वस्तु की आयात हो सकती है और न इसकी नियति ही हो सकती है। (कोटा प्रणाली के भी इसी रूप है, इस सम्बन्ध में, ‘मुद्रावान का सन्तुलन’ नामक अध्याय में विस्तार से लिखा गया है)। अत विदेशी व्यापार में अनेक राजावने द्वारा दर व्यापार का सम्मुलन प्रतिकूल से अनुकूल किया जा सकता है और इस दरह विनियमय की दर की प्रतिकूलता का अनुकूल बनाया जा सकता है अथवा विनियमय की दर में स्थिरता नाई जा सकती है। परन्तु यह व्यापार रहे कि सरकार सरकार करता था अन्य व्यापारिक प्रतिवन्धा द्वारा विनियमय की दर का बहुत लम्ब समय तक देश के अनुकूल नहीं रख सकती है क्योंकि इस रीति में सदा यह भय रहता है कि प्रतिक्रिया-स्वरूप अन्य देश भी इस प्रकार की सरकारी-नीति अपना सकत है। यदि विदेशी ने ऐसा कर लिया, तब स्वदेशी मूद्रा की दर बढ़ाने का प्रयत्न उफल नहीं होगा।

(५) बैंक दर का नियमन (Regulation of the Bank Rate) — किसी देश की बैंक दर में घटन्वद का वहाँ की पूँजी वे आवागमन पर बहुत प्रभाव पहा करता है जिससे उस देश की विनियमय की दर भी प्रभावित होता करती है। बैंक दर में बृद्धि होने पर देश में व्याज की अन्य दरों में भी बृद्धि हो जाती है जिससे विदेशी पूँजी देश में आने लगती है। जब किसी देश में विदेशी पूँजी काफी बड़ी मात्रा में आने लगती है, तब इसका प्रभाव यह होता है कि इस देश की मुद्रा की मात्रा विदेशी में बढ़ जाती है जिससे इस देश की विनियमय की दर बढ़ जाती है। परन्तु जब बैंक-दर (Bank Rate) नीची कर दी जाती है, तब व्याज की अन्य दरों के कम हो जाने से न केवल विदेशी पूँजी का

इस देश में प्राना ही बन्द हो जाता है वरन् इस देश की पूँजी तक विदेशों को विनियोग के लिए जाने लगती है या विदेशियों द्वारा अपनी पूँजी इस देश से वापिस मंगाई जाने लगती है जिससे इस देश की विनियोग की दर कम हो जाती है। इस तरह बैंक दर में घट-बढ़ करके विनियोग-दर को नियन्त्रित किया जा सकता है अथवा विनियोग-दर के उच्चावचनों (Variations) पर रोक लगाई जा सकती है।

(६) विनियोग उद्धवन्धन (Exchange Pegging):—कभी-कभी सरकार अपने देश की विनियोग-दर को एक सामान्य-दर (एक वास्तविक विनियोग की दर) से बहुत ऊचे-स्तर पर या सामान्य-दर से एक बहुत नीचे-स्तर पर, एक निश्चित बिन्दु पर निर्धारित कर देती है, तब इस क्रिया को विनियोग उद्धवन्धन या विनियोग कीलन (Exchange Pegging) कहा जाता है। जब सरकार विनियोग-दर को एक ऊचे-स्तर पर निश्चित कर देती है, तब इसे “विनियोग-दर को ऊचा टाकना” (Pegging Up) कहते हैं और जब यह एक नीचे स्तर पर निश्चित कर दी जाती है, तब इसे “विनियोग-दर को नीचे छटकाना” (Pegging Down) कहते हैं। विनियोग उद्धवन्धन की रीति का उपयोग साधारणतया युद्ध काल में विनियोग-दरों के उच्चावचन को रोकने के लिये किया जाता है। युद्धकाल में प्रायः मुद्रा-स्फीति के कारण देश की मुद्रा का आन्तरिक मूल्य नीचे गिर जाता है। ताकि आन्तरिक मूल्य-स्तर के परिवर्तन के अनुसार देश की विनियोग दर में भी परिवर्तन नहीं होने पाये और देश के विदेशी व्यापार में भी स्थिरता रह सके, इसलिये सरकार देश की मुद्रा का बाह्य-मूल्य एक निश्चित सीमा पर बनाए रखती है। सरकार की इस प्रकार की क्रिया को ही विनियोग उद्धवन्धन का नाम दिया गया है। ‘विनियोग-कीलन’ वर्तमान युग में विनियोग-नियन्त्रण की मुख्य रीति है। इस रीति का उपयोग समय-समय पर बहुत किया गया है। प्रथम महायुद्ध में स्टलिंग का मूल्य ४·७६५ डॉलर कील दिया (Pegged) गया था। युद्धोत्तर काल में भी स्टलिंग का मूल्य इसी प्रकार कीला गया था। भारत में भी सन् १९२७ से रुपये का स्टलिंग ने मूल्य १८ पैसे प्रति रुपये की दर से निश्चित किया गया था और सरकार ने इसे इसी दर पर स्थिर रखा। द्वितीय महायुद्ध काल में भी रुपये की स्टलिंग में विनियोग दर १ रु०=१ रु० ६ पैसे रखती रही थी।

(आ) द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रीतियाँ (Bilateral and Multilateral Methods):—जबकि दो राष्ट्र या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर विनियोग की दर को नियन्त्रित करने की किसी एक या एक से अधिक रीतियों को प्रयोग करते हैं और जिनका प्रभाव भी दोनों या दो से अधिक राष्ट्रों पर पड़ता है, तब इन्हें क्रमशः एक-पक्षीय और द्विपक्षीय रीतियाँ कहते हैं। इनमें समिलित होने वाली मुख्य-मूल्य रीतियाँ इस प्रकार हैं:—  
(i) मुगातान-समझौते, (ii) समादोषन या निकासी समझौते, (iii) परिवर्तन वित्तन काल तथा (iv) “जैसे-थे” समझौता। इन चारों की अतिरिक्त अनेक देशों की समिलित रीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण विनियोग-समरण-कोप (Exchange Equalisation fund) भी है। इसका बर्णन विस्तार से कठर किया जा चुका है।

(१) मुगातान-समझौते (Payments Agreements):—इस प्रकार के समझौते

की विशेषताएं इस प्रकार हैं :—(i) भुगतान सम्बन्धी यह समझौता दो राष्ट्रों में किया जाता है जिनमें से एक अरणी राष्ट्र और दूसरा एक अरणीदाता राष्ट्र होता है। (ii) इन समझौते में अरणी राष्ट्र अरणीदाता को मूलधन चुकाने, लाज देने या नामसर (Dividend) बाटने की व्यवस्था करता है। (iii) ये समझौत विदेशी विनियमय के नियन्त्रित वितरण के समझौते होते हैं अर्थात् ये समझौते विदेशी विनियमय का राष्ट्रनियम का ही एक रूप होते हैं। इन समझौतों को कार्यान्वित करने के लिये समझौता करने वाले देश को विदेशी विनियमय के राष्ट्रनियम की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि दूसरे देश को आवश्यक भुगतान किया जा सके। (iv) अरणीदाता देश अरणी देश को इस बात की घमकी भी दिया करता है कि यदि अरणी देश ने समझौत का पालन नहीं किया, तब वह उस देश की बस्तुएं लारीदाना बन्द कर देगा और ऐसी देश में अरणी राष्ट्र अरणीदाता राष्ट्र का भुगतान करने में असमर्थ हो जायगा। इस प्रकार की घमकी देहर वह अरणी राष्ट्र को विनियमय-राष्ट्रनियम व्यवस्था लागू करने के लिये बाध्य कर देता है। अत भुगतान-समझौत की रीत द्वारा विदेशी विनियमय का नियन्त्रित वितरण एवं राष्ट्रनियम करके विनियमय की दर के उच्चावचनों (Variations) पर रोक राखी जाती है।

(2) समाझोषन या निकासी समझौते (Clearing Agreements)—इस प्रकार के समझौतों की मूल्य दोनों इस प्रकार हैं—(i) ये समझौते दो राष्ट्रों के बीच एक-दूसरे के अरणी का भुगतान समझौते की शर्त के अनुसार करने के लिए किये जाते हैं। (ii) इन समझौतों के अनुसार दोनों देशों में आयातकर्ताओं माल का भुगतान अपने देश की मुद्रा में अधिकृत बंदों में कर देते हैं। इसी तरह ये ही अधिकृत देश अपने देश के नियर्तकर्ताओं को इनके माल का भुगतान देशी मुद्रा में कर देते हैं। अत इस रीति में मुद्राओं का एक देश से दूसरे देश की हस्तातरण नहीं होते हुए भी दोनों देशों में भुगतान हो जाता है। (iii) सरकार द्वारा विनियमय की दर नियन्त्रित की जाती है। (iv) व्यापार का असतुलन सरकारी हस्तातप द्वारा ठीक कर दिया जाता है। अत इस पद्धति में सरकार व्यापार का नियमन (Regulation) करती है और विनियमय की दर के उच्चावचनों को इस हस्तातप से दूर करने का प्रयत्न करती है। (v) इस पद्धति में दोनों देशों में आयात के नियात में जो अन्तर होता है, उसी का भुगतान एक देश दूसरे देश को करता है और यह भुगतान भी विदेशी मुद्रा का बिना उपयोग किये किया जाता है। (vi) प्रायः निकासी समझौत ऐसे देशों में ही होते हैं जहाँ पर विनियमय-नियन्त्रण की व्यवस्था पहने थे ही होती है। (vii) निकासी समझौते करते समय सरकार यह भी तय कर देती है कि भुगतान की क्या प्रारम्भिकता होगी अथात् सरकार यह स्पष्ट कर देती है कि पहले किन रित मर्दों का भुगतान होगा और बाद में किन मर्दों का भुगतान किया जायगा।

(3) परिवर्तन वितरण (Transfer Moratoria)—विनियमय नियन्त्रण की इस पद्धति की विशेषताएं इस प्रकार हैं—(i) आयातकर्ताओं या विदेशियों के स्वदेश में अन्य दूसरे अरणीयों (Debtors) को अपने अरण का भुगतान देश के किसी अधिकृत बंक में अपने देश की मुद्रा म ही करना पड़ता है। (ii) इस प्रकार सुचित की गई रकम

का विदेशियों को भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। समझौते से यह अवधि दो राष्ट्रों के बीच तथ की जाती है। अतः जब विलम्ब-काल भुगतान (Moratorium) की अवधि समाप्त हो जाती है, तब उक्त अधिकृत वेक इन निधियों को विदेशों को भेज देता है। (iii) कभी-कभी विलम्ब-काल भुगतान (Moratorium) लागू करने वाले देश की सरकार विदेशियों को अपनी पूँजी किसी विशेष प्रकार से प्रयोग में लाने की अनुमति देती है।

(4) "जैसे—ये" समझौता (Standstill Agreement)—इसे निश्चल समझौता भी कहते हैं। सन् १९३१ की आर्थिक मन्दी के बाद जर्मनी ने इस पद्धति का उपयोग किया था। इस रीति की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(i) एक समझौते के अनुसार दो राष्ट्रों के बीच की पूँजी के आवागमन पर रोक लगा दी जाती है तथा इस समझौते से इस बात का भी स्पष्टीकरण कर दिया जाता है कि विदेशी व्यापारियों के भुगतान शर्न: शर्न: किसी में किस प्रकार होगे। (ii) इस पद्धति में अल्प-कालीन ऋण दीर्घ-कालीन ऋण में परिवर्तित कर दिये जाते हैं। कि इन ऋणों के भुगतान के बारण एक देश से दूसरे देश को पूँजी का आवागमन नहीं हो सके अर्थात् एक समझौते द्वारा अल्पकालीन ऋणों का भुगतान स्थगित कर दिया जाता है। (iii) चूंकि इस पद्धति में ऋण अथवा पूँजी के दर्न: शर्न: भुगतान को व्यवस्था कर दी जाती है, इसलिए एक समझौते के आधार पर किसी देश को इतना समय दे दिया जाता है कि वह अपनी अधिक स्थिति में सुधार कर ले। और इस काल में पूँजी के आवागमन पर रोक लगा कर विनिमय की दर को नियन्त्रित कर दिया जाता है।

### अग्रिम-विनिमय (Forward Exchange)

प्रथम महायुद्ध के बाद विभिन्न देशों में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का प्रचलन आरम्भ हुआ था जिससे उस समय की विभिन्न देशों की बैंकिंग व मोद्रिक परिस्थितियों के अनुसार विनिमय की दर में उच्चावचन भी बहुत होने लगे (पत्र-चलन-मान में विनिमय की दर के उच्चावचनों की कोई सीमा नहीं होती है) और विनिमय की दर में अनिश्चितता रहने लगी। विनिमय की दर में अत्यधिक परिवर्तन एवं अनिश्चितता व्यापार के लिये बहुत घातक होती है और इससे इसकी प्रगति में बहुत रुकावट पड़ती है। व्यापार की इन दाधारों को दूर करने तथा विनिमय की दर के परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली जोखिम से बचने के लिये ही "अग्रिम-विनिमय" (Forward Exchange) की विधि अपनाई गई है। इस विधि में विदेशी मुद्राओं का अप्र-विनिमय अथवा अप्र-विक्रय होता है ताकि व्यापारियों को विनिमय की दर में उत्तार-चढ़ाव से होने वाली हानि नहीं होने पाये। अतः अग्रिम विनिमय का मुख्य उद्देश्य विनिमय की दर में उच्चावचन से होने वाली हानियों को विदेशी मुद्रा के अप्रिम-अप्र-विक्रय द्वारा कम करना या दूर करना होता है।

जब विनिमय की दर में अनिश्चितता रहती है और व्यापारियों को यह पता भी नहीं रहता है कि भविष्य में यह दर कितनी होगी, तब इसका परिणाम यह होता है कि व्यापारियों को विदेशों से माल मंगवाने तथा उनको बेचने में कठिनाई अनुभव होती है। इसका कारण स्पष्ट है। एक व्यापारी जो इंगलैंड से माल मंगा रहा है, मान लो उसे

इगलेंड के नियर्ट-कर्ता को १०० पौंड का युगतान दरना है। चूंकि उसे इस रकम का युगतान तीन चार महीने बाद करना है, इसलिये वह यह नहीं जानता कि तीन-चार महीने बाद उसे बितने विषय देने पड़ेगे (योकि विनियम दर से अनिश्चितता है)। इसी कारण वह आयात माल का मूल्य भी निश्चित नहीं करने पाता है। आयातकर्ता की तरह एक नियर्टकर्ता को भी, विनियम की दर की अनिश्चितता के कारण, अपने व्यापार में कठिनाई अनुभव होती है। उसने जिस माल का निर्णय किया है, वह वह नहीं जानता कि तीन चार महीने बाद उसे उस माल का कितना एप्या मिलेगा। अत भविष्य में विनियम की दरों के परिवर्तन के कारण व्यापारियों को सदा हानि का खेल रहता है। परन्तु आधुनिक व्यवसायिक जगत में व्यापारी सट्रोबाजों की भूमिका से, विनियम की दर में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाली हानि से बच जाते हैं। एक आयातकर्ता (या नियर्टकर्ता) जब भविष्य में माल खरीदने (या बेचने) का बायदा करता है, तब वह इस बायदे के साथ ही साथ एक द्वितीय रकम बायदा (Hedging Contract) भी कर लेता है जिसमें वह इसी सट्रोरिये से किसी भावी तिथि पर, वर्तमान विनियम की दर, पर विदेशी विनियम खरीदने या बेचने का बचन लेता है। वह इस प्रकार का ठेका या तो किसी सट्रोरिये से या विनियम बैंक (Exchange Bank) से बरता है। इस प्रकार आयातकर्ता द्वारा विदेशी विनियम का अग्रिम क्रय अथवा नियर्ट-कर्ता द्वारा विदेशी विनियम का अग्रिम विक्रय कर देने से इन्हें इस बात का पता चल जाता है कि उन्हें भविष्य में कमश्व बितनी रकम देनी या लगी है। परिणामत भविष्य में विनियम की दर के उच्चावचन (Fluctuation) का प्रभाव इन व्यापारियों की लेन-देन पर नहीं पड़ेगा योकि इन्हें तो एक पूर्व निश्चित विनियम की दर पर विदेशी विनियम मिल जायगा। परन्तु विनियम की दर के इन परिवर्तनों का प्रभाव सट्रोरियों या सट्रोबाजों पर पड़ता है।

विनियम की दर दो तरह की होती है—प्रथम, वर्तमान दर (Spot Rate) और द्वितीय, अग्रिम दर (Forward Rate)। जिस दिन सोदा होता है उस दिन की विनियम की दर को वर्तमान-दर (Spot Rate) कहते हैं। अग्रिम-दर विनियम की चालू दर होती है जिस दर पर विदेशी मुद्रा का इस समय (तत्काल) क्रय-विक्रय होता है। सट्रोरिये या विनियम बैंक से इस वर्तमान-दर पर ही विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय करते हैं। अत अग्रिम विनियम व्यवहार, वस्तुओं की तरह का मुद्रा का सटा होता है। यदि भविष्य में विनियम की दर छाँची दर हो जाती है (वर्तमान विनियम की दर की तुलना में), ठब विदेशी विनियम बेचने का बायदा करने वाले सट्रोरिये को हानि होती है और इसे खरीदने का बायदा बरते वाले सट्रोरिये को लाभ होता है। इसी तरह यदि भविष्य में विनियम की दर कम हो जाती है, तब विदेशी विनियम बेचने का बायदा करने वाले सट्रोरिये को लाभ होता है और इसे खरीदने का बायदा बरते वाले सट्रोरिये को हानि होती है। परन्तु चाहे विनियम की दर में वृद्धि हो या यह नीचे गिरे, दोनों ही परिस्थितियों में आयात-कर्ता अद्यता नियर्टकर्ता विनियम की दर से उच्चावचनों (Fluctuations) के प्रभाव से बच जाते हैं क्योंकि इस परिवर्तन की जोखिम तो अपने बच्चे पर रखती है।

अग्रिम-दर (Forward Rate) प्रचलित-दर (Spot Rate) से जितनी अधिक या कम होती है, उतना ही इस वर्तमान (Spot Rate) पर क्रमशः बट्टा (Discount) या बाधा (Premium) होती है और जब अग्रिम दर प्रचलित-दर के बराबर होती है, तब यह कहा जाता है कि अग्रिम दर में समता (At Par) है। जब अग्रिम विनियम में देशी मुद्रा के बदले में अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है, तब यह कहा जाता है कि विदेशी मुद्रा बट्टे या अपहार पर है (Foreign Money is at a Discount)। इसी तरह जब अग्रिम विनियम में देशी मुद्रा के बदले में कम विदेशी मुद्रा मिलती है, तब यह कहा जाता है कि विदेशी मुद्रा बाधा या प्रव्याजि पर है (Foreign Money is at a Premium)। एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाती है। मान लो, पौंड की रूपये में वर्तमान दर (Spot Rate) १ पौंड = १५ रु० है और तीन महीने के लिए अग्रिम दर (Forward Rate) १ पौंड = १६ रु० है चूंकि तीन महीने बाद भारत के व्यापारियों को १ पौंड प्राप्त करने के लिये १५ रु० के बदले १६ रु० देने पड़ेगे, इसलिये यह कहा जाता है कि १ रु० प्रति पौंड बट्टा है अथवा पौंड बट्टे पर है ( $\text{£ is at a Discount}$ )। परन्तु यदि तीन महीने बाद की अग्रिम दर बदल कर १ पौंड = १३ रु० हो जाये, तब चूंकि भारत के व्यापारियों को १ पौंड प्राप्त करने के लिये १५ रु० के बदले १३ रु० देने पड़ेगे, इसलिये यह कहा जाता है कि २ रु० प्रति पौंड बाधा या प्रव्याजि है अथवा पौंड बाधा या प्रव्याजि पर है ( $\text{£ is at a Premium}$ )।

यह एक स्वाभाविक प्रश्न है कि अग्रिम विनियम की दर (Forward Exchange Rate) के क्य-विक्रम से व्यापारी कंसे जोखिम से मुक्त हो जाते हैं? इस बात को हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। मान लो, रामदास ने इंगलैंड से १०० पौंड के ब्लेड (Blades) मिंगाये हैं और उसने विनियम बैंक से, मान लो, १६ रु० प्रति पौंड पर ३ महीने के बाद के १०० पौंड खरीदे हैं। इसका यह मर्यादा कि ब्रैंक ने एक बायदा किया है कि वह तीन महीने के बाद १६ रु० प्रति पौंड की दर पर रामदास को १०० पौंड दे देगा। तीन महीने बाद पौंड का रूपये में मूल्य चाहे कुछ भी बद्यों न हो, परन्तु रामदास को इस टेके की दर (Contract Rate) पर पौंड अवश्य मिल जायेगे। मान लो, तीन महीने बाद विनियम दर १ पौंड = १७ रु० हो जाती है, परन्तु रामदास तो बैंक से क्रेडिट १६ रु० प्रति पौंड देकर १०० पौंड ले लेगा। तब इस सौदे से बैंक को १ रु० प्रति पौंड हानि होगी बद्योंकि बैंक तो १७ रु० प्रति पौंड देकर पौंड प्राप्त करता है और इसे १६ रु० प्रति पौंड पर रामदास को देचता है। इसी तरह तीन महीने बाद, मान लो, विनियम की दर १ पौंड = १५ रु० हो जाती है, तब चूंकि रामदास तो १६ रु० प्रति पौंड की दर से बैंक से पौंड खरीदता है, इसलिये बैंक को इस सौदे में १ रु० प्रति पौंड लाभ होगा। बिस तरह इस उदाहरण में रामदास बैंक से अग्रिम पौंड खरीदकर अपने व्यापार की जोखिम से मुक्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार दूसरा व्यापारी बाकेलाल जिसने इंगलैंड को १०० पौंड की चाय भेजी है, वह १०० पौंड अग्रिम पौंड देकर विनियम की दर में परिवर्तन होने वाली हानि से मुक्त हो जाता है। विनियम बैंक हर समय अग्रिम विदेशी मुद्रा का क्यन्विक्षण करता रहता है और इस

कार्य से वह प्राय काफी लाभ उठाता है। अत अग्रिम विनियम की दर की उत्तलिति काय-विक्रय को प्रणाली से व्यापारी विनियम की दर के परिवर्तनों से होने वाली हानि से मुक्त हो जाते हैं, इसीलिये वर्तमान व्यापारिक जगत में अग्रिम विनियम के काय विक्रय का कार्य बहुत महत्व का है।

अग्रिम विनियम-कार्य में ताकि हानि नहीं होने पाये इसलिये विनियम बंक से दो कार्य करते हैं—(i) विदेशी मुद्रा के काय विक्रय का परस्पर सम्बन्ध जोड़ना (Marrying of Contracts)—इस क्रिया को कभी-कभी ठेका का विवाह या संतुलन बरना भी कहते हैं। आधिक समाज में सदा कुछ व्यक्ति विदेशी मुद्रा खरीदने के लिये तैयार रहते हैं और इसी तरह कुछ व्यक्ति इसे बेचने के लिये तैयार रहते हैं। विनियम बंक एक मध्यस्थ की तरह विदेशी मुद्रा को एक से खरीदकर इसे दूसरे को बेचते हैं और इस काय-विक्रय के कार्य से लाभ उठाते हैं। इस तरह विनियम बंक विदेशी मुद्रा के काय-विक्रय के दोनों ठेकों का विवाह (Marrying of Contracts) करा देते हैं अर्थात् विदेशी मुद्रा के काय-विक्रय का परस्पर सम्बन्ध लुड़वा दत है। इस तरह के सम्बन्ध जोड़ने से यह लाभ होता है कि यदि भविष्य में विनियम की दर में परिवर्तन हो जाता है, तब एक वा थाटा दूसरे के लाभ स पूरा हो जाता है। यह स्मरण रहे कि इस प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करने की जितनी अधिक सम्भावना होगी, अग्रिम विनियम में विदेशी मुद्रा उतनी ही बढ़ पर मूल्य बरित (Quoted at a Discount) होगी अर्थात् स्वदेश की मुद्रा के बदल म उतनी ही अधिक विदेश की मुद्रा मिल जायगी। इसके विपरीत विदेशी मुद्रा के काय-विक्रय का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने की जितनी व्यक्ति सम्भावना होगी, अग्रिम विनियम में विदेशी मुद्रा उतनी ही बाधा पर मूल्य-बरित (Quoted at a Premium) होगी अर्थात् स्वदेश की मुद्रा के बदल में उतनी ही व्यक्ति विदेश की मुद्रा मिलेगी। (ii) विदेशी मुद्रा को विदेशी बैंकों में जमा करना (To Deposit Foreign Currency in Foreign Banks)—यदि किसी समय बैंक को अग्र मुद्रा को बिना की मात्रा, इसकी खरीद से अधिक है अर्थात् मान लो, उसने १०१ पौंड बेचे हैं और १०० पौंड खरीदे हैं, तब वह इन दोनों राशियों के अन्तर की रकम को अथाव  $101 - 100 = 1$  पौंड को वर्तमान विनियम की दर (Spot Rate) पर खरीदकर इगलेट में सौदे की अवधि के लिये जमा कर देगा। इस दशा में यदि भविष्य में विनियम की दर में परिवर्तन हुआ, तब बैंक को विनियम की दर के इस परिवर्तन से कुछ भी हानि नहीं होगी। अत प्रत्येक विनियम बैंक अग्रिम विनियम कार्य में हानि से बचने के लिये उत्त दोनों बातों को करता है।

अग्रिम विनियम में विदेशी मुद्रा का बड़े पर या बाधा पर होना हीन बातों पर निर्भर रहता है—(i) विदेशी मुद्रा के काय विक्रय के सम्बन्ध को, जोखेद की सम्भावना (Possibility of Marrying a Contract)—इस सम्बन्ध में डपर दिस्तार से लिखा जा चुका है। (ii) स्वदेश और विदेश में व्याज की दर में अन्तर (Differences in the Rates of Interest at Home and Abroad)—यदि किसी देश में दूसरे देशों की अपेक्षा व्याज की दर अधिक है, तब अन्य देशों से इस देश को मूँजी बहने लगती

है। स्वदेश के बैंक को यदि इंगलैंड (विदेश) में पूँजी का विनियोग करना अधिक लाभदायक हो गया है, तब वह इंगलैंड को पूँजी भेजने लगेगा। इस दशा में वह बर्तमान दर से कुछ कम रूपये लेकर भी अग्रिम पीड़ बेच देगा अर्थात् अग्रिम दर (या पीड़) बटे (या अपहार) पर मूल्य कथित (Quoted at a Discount) होगी (स्वदेश की मुद्रा के बदले में अधिक विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है)। इसी तरह यदि स्वदेश में विदेश (इंगलैंड) से व्याज की दर अधिक है, तब बैंक को विदेश में पूँजी भेजना लाभप्रद नहीं होगा, वह अग्रिम विनियोग-दर का मूल्य-कथन बाधा (या अधिमूल्य) पर करेगा (Quoted at a Premium) अर्थात् स्वदेश की मुद्रा के बदले में विदेशी मुद्रा कम मात्रा में खरीदी जा सकेगी। अतः बर्तमान और अग्र-दर का अन्तर देश-विदेश में व्याज के अन्तर पर निर्भर रहता है। (iii) चलन की परिस्थितियाँ (Currency Conditions):—यदि किसी देश की मुद्रा के घटमूल्यन (Depreciation) की आशा है, तब बैंक इस मुद्रा का अग्रिम क्रय करने के लिये इच्छुक नहीं होंगे, जिससे इस देश की मुद्रा की दर, अग्र विनियोग में बाधा (या अधिमूल्य) पर मूल्य-कथित (Quoted at a Premium) होगी। इसी तरह यदि विदेश की मुद्रा का अग्रमूल्यन (Appreciation) होने की आशा है तब, अग्र विनियोग में, विदेशी मुद्रा की दर बटे (Discount) पर मूल्य-कथित होगी क्योंकि बैंक इस अवस्था में ऐसी मुद्रा को खरीदने के लिये तैयार होगे।

यह स्पष्ट है कि अग्र विनियोग के व्यवहार किंवल व्यापारिक कार्यों के लिये ही नहीं होते बल्कि ये सटे व्यवहारों (Speculation) हारा लाभ प्राप्ति की हार्दिक से भी होते हैं। यह स्पष्ट है कि अग्र विनियोग होते रहने के कारण विनियोग-दर के उत्तार-चढ़ाव में भी न्यूनता आती है।

### भारत में विनियोग नियन्त्रण (Exchange Control in India)

युद्धकालीन विनियोग-नियन्त्रण:—इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—(i) द्वितीय महायुद्ध में भारत में विनियोग-नियन्त्रण का वार्षिक रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया को सौप दिया गया था और इसने इस वार्षिक का संचालन अलग ही एक विनियोग-नियन्त्रण-विभाग द्वारा किया था। (ii) भारतीय सुरक्षा विधान (Indian Defence Rules) के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया की आज्ञा के बिना विदेशी विनियोग का उपयोग नहीं किया जा सकता था और यह बैंक कुछ स्वीकृत कार्यों के लिये ही विदेशी विनियोग की सुविधाये दिया करता था। (iii) विदेशी विनियोग व्यापार का वार्षिक वास्तव में विनियोग बंदस द्वारा किया जाता था।

भारत का सन् १९४७ का विनियोग नियन्त्रण विधान | Foreign Exchange Regulation Act, 1947:—इस विधान की मुख्य बातें इस प्रकार हैं—(i) फरवरी १९४७ को भारतीय सोसाइटी-सभा ने इस विधान को पास किया था और मार्च सन् १९४७ को इसे कार्यान्वित किया गया। जिस दिन इस नियम को कार्यान्वित किया गया, उसी दिन भारतीय सुरक्षा विधान (Indian Defense Rules) के अन्तर्गत बने आर्थिक नियमों का भी अनु कर दिया गया। (ii) इस विधान के अनुसार तमाम विदेशी

विनियम के लैन-देन रिजर्व बैंक द्वारा बिधिकृत विनियम बैंकों द्वारा किये जाते हैं। रिजर्व बैंक का परमिट दिखलाकर ही इन बैंकों से विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है। परन्तु स्टर्लिंग क्षेत्र (Sterling Area) वाले व्यक्तियों को रिजर्व बैंक से ये आज्ञा पत्र नहीं लेने पड़ते। ऐसे व्यक्ति आपनी अमदनी में से १५० पौंड प्रति माह अपने कुटुम्ब के व्यय के लिये भेज सकते हैं। (iii) इस विधान का मुख्य-उद्देश्य भारतीय स्वर्ण का नियमित, विदेशी से भारत में आने वाली पूँजी व इसका मुण्डान, विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय आदि को नियन्त्रित करना है। (iv) भारत में रहने वाले विदेशी एक उचित मात्रा सक ही मुद्रा अपने देश को भेज सकते हैं (बीमा का प्रीमियम, बच्चों की शिक्षा, कुटुम्ब का खर्च आदि के लिये)। जब विदेशी अपने देश की मुद्रा भेजता है तब यह देखा जाता है कि यह रकम उसकी आमदनी में से रहन-खहन का व्यय घटाकर रहस्य ज्यादा तो नहीं है। इसलिये यदि कोई भारतीय एम्प किसी विदेशी व्यक्ति की खेताये प्राप्त करना चाहती है, तब इसे पहले रिजर्व बैंक से आज्ञा लेनी पड़ती है। (v) हिस्सों व प्रतिभूतियों का डिविडेन्ड, जमा व झण्डों का व्याज, विदेशी मुद्रा में दी जाने वाली बीमा का प्रीमियम आदि को स्वतन्त्रतापूर्वक भेजा सकता है। परन्तु भेजने वाला व्यक्ति इन हिस्सों, प्रतिभूतियों व जमा का स्वामी होना चाहिए। (vi) जब कोई विदेशी अपने देश को लोटता है, तब वह अपने बेतन को बचत, प्रॉबेन्ड फन्ड, अपनी स्वयं की सम्पत्ति की विक्री की रकम आदि अपनी स्वयं की मुद्रा में ले जा सकता है, परन्तु यह रकम ज्यादा से ज्यादा ५००० पौंड तक हो सकती है। (vii) भायातकर्ता विदेशी से मगाई गई बस्तुओं का मुप्रतान स्वतन्त्रतापूर्वक पर सकता है, परन्तु इसके लिये आयत लाइसेंस (Import License) होना चाहिये। (viii) भारत में स्थित विदेशी व्यापारिक सम्पत्य अपने लाभ को प्रधान कार्यालय को भेज सकती है। (ix) इस विनियम विधान के अनुसार पूँजी स्टर्लिंग क्षेत्र से बाहर नहीं भेजी जा सकती, परन्तु कुछ विदेशी परिस्थितियों में इसकी भी इजाजत दी जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष तथा विनियम स्थावित्र — सद १९४४ में इस कोष की स्थापना की जा चुकी है (इस सम्बन्ध में विस्तार से 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष' नामक अध्याय में लिखा गया है)। इसके अनेक उद्देश्य हैं, परन्तु इनमें से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सदस्य-राष्ट्रों की मुद्राओं की आपस की विनियम की दर का प्रबन्ध करना तथा विनियम-दरों को स्थिर बनाने का प्रयत्न करना भी है। इसके अतिरिक्त इस कोष का उद्देश्य सदस्य-राष्ट्रों में लगाये गये विदेशी विनियम सम्बन्धी नियमणियों को दूर करना भी है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई रुकावट न हो सके। इस कोष का मुख्य कार्य अपने सदस्य-राष्ट्रों की मुद्राओं का नियन्त्रित दर पर क्रय-विक्रय करना भी है। इसने सदस्य-राष्ट्रों की मुद्राओं का उपन्त्य इस्तर्ण अथवा टॉक्सर से स्थापित करके इन सभ की आपसी विनियम दरों सी नियांत्रित कर दी है। इन दरों में कोई भारी चकार-चढ़ाव भी बिना कोष की भनुमति के नहीं हो सकेगे। यद्यपि कोय किसी भी सदस्य राष्ट्र की आन्तरिक घर्ष-व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा, परन्तु कोई भी देश अपनी मुद्रा का व्यवस्थापन या व्यवस्थापन बिना कोय की भनुमति के नहीं कर सकता है। कोय की स्थापना के समय

यह आशा को गई थी कि राष्ट्रों ने जितने भी विनियोग नियन्त्रण लगा रखते हैं वे सब परिवर्तनकाल में ही रहेंगे और इन्हें क्षीघ हो हटा दिया जायगा। अभी तक यह आशा पूरी नहीं हो तकी है। जनरल्स्ट्रोय व्यापार के विकास के लिए विनियोग-नियन्त्रण की नीति को त्याग कर एक स्वतन्त्र नीति अपनाना बहुत आवश्यक है।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B. A. & B. Sc.

१. विनियोग नियन्त्रण क्यों आवश्यक है? भारत में इस नियंत्रण की कार्यवाही पर प्रकाश डालिये। (१९६०) २. नोट लिखिये—क्रय-शब्दित-समता-सिद्धान्त (१९५६ S) ३. भारत के विदेशी विनियोग में उत्पन्न हुई कठिनाई को दूर करने के लिये कुछ सुझाव दीजिये (१९५६ S) ४. विनियोग-नियन्त्रण पर नोट लिखिये (१९५६ S, १९५८, १९५६ S) ५. किसी देश के घलाठ की विनियोग अर्हा किस प्रकार निर्धारित होती है? (१९५६) ६. विनियोग नियन्त्रण क्या है? द्रव्य के विदेशी विनियोग में स्थिरता लाने में यह नियंत्रण कहीं तक सहायक होता है? (१९५८ S) ७. क्रय-शब्दित समता सिद्धान्त को समझाइये और स्पष्ट कीजिये कि व्यवहारिक रूप से यह सिद्धान्त कहीं तक सागू हो सकता है? (१९५८) ८. विदेशी विनियोग की व्यवस्था का वर्णन कीजिये। अनुकूल और प्रतिकूल विदेशी विनियोग दर का क्या महत्व है? (१९५७ S) ९. विनियोग नियन्त्रण के क्या उद्देश्य हैं? विनियोग नियन्त्रण के साधनों का वर्णन कीजिये। (१९५७) 10. Write a note on—Gold Points. (1956 S) 11. Write a note on—Purchasing Power Parity. (1956, 1955 S) 12. What factors influence fluctuations in the exchange rate? (1956) 13. Write a note on—Exchange Equalisation Fund. (1956) 14. Discuss critically the Purchasing Power Parity Theory. (1956) 15. Write a note on—Mint Par. (1956, 1954) 16. Explain the objectives, nature and limitations of exchange equalization funds. (1955)

Agra University, B. Com.

१. स्वर्ण-मान एवं रजत-मान वाले देशों के मध्य विनियोग-दर किस प्रकार निर्धारित होती है? (१९५६ S) २. भारत में प्रयुक्त पद्धतियों (Methods) का विशेष उल्लेख करते हुये विनियोग नियमन के उद्देश्यों और पद्धतियों का विवेचन करिये (१९५६) ३. नोट लिखिये—विनियोग-साम्यस्थापक लेखा (Exchange Equalisation Account) (१९५६) ४. What is meant by the term "Foreign Exchange"? Discuss the various factors that bring about changes in the foreign exchange rates. (1958 S) ५. What do you understand by the purchasing Power Parity Theory relating to the foreign exchange? When does the rate deviate from this parity? (1958) Discuss its (Theory) merits and demerits. (1954) ६. Explain the difference between the two—Mint Par of Exchange and Specie Points. (1958) ७. Write a note on—Exchange control. (1998) ८. What do you understand by favourable and unfavourable rates of exchange? What are the factors which cause the exchange rate to be favourable or unfavourable? (1957) ९. Write a note on—Exchange Pegeing. (1957) 10. Write a note on—Purchasing Power Parity. (1957, 1955 S) 11. Write a note on—Specie

Points (1956 1954) 12 Write a note on—Mint Par of Exchange (1955)

Rajputana University, B A & B Sc

1 In what way is foreign trade (विदेशी व्यापार) influenced by a variation in the rate of exchange (विनियोग दर) ? Discuss (1959) 2 Discuss the Purchasing Power Parity Theory (सम क्रप-गति सिद्धांत) and state its defects (1958) 3 Fully discuss Purchasing Power Parity Theory (1957) 4 Show how the exchange value of a country's currency is determined ? (1955) 5 Write a note on—Mint Par (1954)

Rajputana University, B Com

1 What do you mean by Exchange Control (विनियोग नियन्त्रण) ? How do its objectives differ from peace time to war time ? Explain three such methods of exchange control used in the world before 1939 (1959) 2 Explain—(a) Gold Export Point (स्वरूप निर्यात बिंदु) (b) Which of the two rates—I sh 6 d = 1 Re and 1 sh 4 d = 1 Re—is in the best economic interests of the country and why ? (1959) 3 Critically examine the Purchasing Power Parity Theory (सम क्रप-गति सिद्धांत) (1958) 4 Explain how foreign exchange rates are determined (1958) 5 Explain the chief aims and methods of exchange control (विनियोग नियन्त्रण) illustrating the same from its working in India (1957, 1954) 6 Write a note on—Causes of fluctuations in the rate of exchange (1957) 7 Examine briefly the factors that cause fluctuations in the foreign exchange rates. Are there any limits to these fluctuations ? Discuss ? (1955) 8 Write a short note on—Forward Rate of Exchange (1955) 9 Write a short note on—Exchange Equalization Account (1955, 1957) 10 Write a note on—Arbitrage Operations (1959)

Sagar University, B A

१ विदेशी विनियोग-दरों के उत्तर चढ़ाव के बारएँ वा आनोचनात्मक विवेचन कीजिए। यह आपहे विचार में इस प्रकार के उत्तर चढ़ाव की अपनी सीधार्य होती है ? (१९५६) २ विदेशी विनियोग दर पर बिन बारएँ वा प्रभाव पड़ता है ? (१९५७) ३ State and explain the Purchasing Power Parity Theory of Foreign Exchange and indicate its limitations (1958) ४ Write a short note on—Mint Par of Exchange (1958)

Sagar University, B Com

१ ग्रपरिवर्तनशील पत्र मुद्राओं में विनियोग की दर किस प्रकार निर्धारित होती है ? (१९५६) २ विनियोग को टक समता समझाइये। विनियोग की दर में उच्चावचन के बारें जो बताइये। (१९५६, १९५८) ३ टिप्पणी लिखिये—स्वरूप बिंदु (१९५६) ४ विनियोग नियन्त्रण के विभिन्न उपायों को बताइये। (१९५६) ५ क्या एकल समता सिद्धांत (Purchasing Power Parity Theory) की आनोचनात्मक व्याप्ति कीजिये। (१९५६, १९५४) ६ नोट लिखिये—स्वरूप बिंदु (Gold Points) (१९५७) ७ एकल विनियोग दरों (Fluctuating Rates) की तुलना में स्थिर विनियोग दरों (Fixed Exchange Rates) के गुणों का विवेचन कीजिये। (१९५५) ८ आप विनियोग नियन्त्रण का वया तत्त्व रामबहुत है और वह क्यों आवश्यक हो गया

inconvertible paper currencies ? (1957) 5. What will be the effects on foreign trade of (a) falling exchange and (b) all round increase in money wages in the home country. (1957) 6. Write a note on—Clearing Agreement (1957) 7. State and explain fully the Purchasing Power Parity Theory of foreign exchanges. Discuss the defects of the theory (1956) 8. Explain what is meant by 'mint par of exchange ?' Examine carefully the factors which bring about fluctuations in the rate of exchange (1956) 9. What is meant by 'dislocations of foreign exchanges ?' Describe the main methods that may be adopted to regulate and control foreign exchanges (1956) 10. Write a note on—(a) Arbitrage, (b) Stop transactions, (c) Invisible imports and exports, (d) Exchange equalization fund (1956)

### Aligarh University, B.A.

1. Discuss the main factors which influence the rates of foreign exchange. (1956)

### Bihar University, B.A.

1. What are the factors that produce fluctuations in the rate of foreign exchange ? How can such fluctuations be avoided ? (1959) 2. Analyse the dictum that 'Exports pay for imports ? How should this notion affect tariff policy ? (1959) 3. What should be the object of exchange control ? Describe the various methods of exchange control ? Do you support them ? (1957)

### Bihar University, B.Com

1. Critically examine the Purchasing Power Parity Theory of foreign exchange. Does it serve the purpose at present ? (1959) 2. Explain how the rate of exchange between any two currencies is determined ? What causes it to move from time to time ? (1958) 3. Discuss clearly the objects of exchange management (1958)

### Patna University, B.A

1. What are the methods of exchange control ? Do you support them ? (1957)

### Nagpur University, B.A

1. जिन देशों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रचलित है ऐसे दो देशों के बीच मुद्रा विनियम की दर कैसे निर्णीत होती है, यह समझाइये। (१६५६) 2. विदेश मुद्रा विनियम के दर में उच्चावचन (Fluctuations) होने के विभिन्न कारणों को समझाइये। (१६५८) 3. इन उच्चावचनों के आधिक परिणाम क्या होते हैं ? (१६५७) 4. अध्य-क्रति सिद्धांत का वर्णन वर समझाइये। इसके सिद्धांत की क्यों आलोचना की गई है ? (१६५८) 5. स्वरूप प्रमाण (Gold Standard) मानने वाले देशों में विनियम-वर्ष वा उच्चावचन (Fluctuations) किन कारणों से होता है ? प्रतिकूल विनियम-वर्ष (Adverse Exchange Rates) किस प्रकार ठीक किये जा सकते हैं (Can be corrected) ? (१६५६) ।

### Banaras University, B.Com

1. Write a short note on—Specie Points (1959)

### परोक्षोपयोगी प्रझन और उनके उत्तर का संकेत

**प्रश्न १:**—(i) किसी देश के चलार्य की विनिमय अर्हा (Foreign Exchange Value) किस प्रकार निर्धारित होती है ? (Agra, B. A. १९५६; Jabb. B. A. १९५८, Allahabad, B. A. १९५६; Raj B. A. १९५५) (ii) विदेशी विनिमय दरें किस प्रकार निर्धारित होती हैं ? व्याख्या करें ? (Vikram, B. A. १९५६) (iii) स्वर्ण मान एवं रजत-मान देशों के सभ्य विनिमय-दर किस प्रकार निर्धारित होती है ? (Agra, B. Com. १९५६), (iv) अपरिवर्तनशील पत्र मुद्राओं में विनिमय की दर किस प्रकार निर्धारित होती है ? (Sagar, B. Com. १९५६, Nagpur, B. A. १९५६)। (v) Show how the rates of exchange is determined (a) When both the Countries are on gold standard and (b) When both have Inconvertible paper currencies ? (Allahabad, B. Com. 1957), (vi) Show how Foreign Exchange Rates are determined ? (Raj, B. Com. 1958.)

**संकेत:**—उत्तर के आरम्भ में विनिमय दर का ग्रंथ दो-चार वाक्यों में बताइये कि विदेशी विनिमय शब्द का ग्रंथ कहि प्रकार लगाया जाता है, परन्तु प्रयोग की हाई से विदेशी विनिमय का ग्रंथ विनिमय की दर से लगाते हैं—यह दर, जिस पर एक देश की मुद्रा किसी दूसरे देश की मुद्रा से बदली जा सके, विनिमय की दर कहलाती है (उदाहरण दीजिये)। विनिमय-दर के निर्धारण का ग्रन्थयन हम तीन भवस्थानों में करते हैं—(क) जब दोनों देश स्वर्ण-मान पर हैं, (ख) जब एक देश स्वर्ण-मान पर और दूसरा रजत-मान पर है, (ग) जब दोनों देशों में पत्र-मान प्रचलित रहता है अथवा अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा का चलन होता है। उपरोक्त प्रश्नों में किसी न किसी में इन तीनों भवस्थानों में ही विनिमय-दर के निर्धारण के बारे में पूछा गया है। यह स्मरण रहे कि यदि प्रदर्श में यह पूछा जाय कि किसी देश की चलार्य की विदेशी विनिमय-दर किस प्रकार निर्धारित होती है, तब भी हमें उक्त तीनों परिस्थितियों में विनिमय-दर के निर्धारण के बारे में लिखना होगा। द्वितीय भाग में पहले स्वर्ण-मान वाले देशों में विनिमय-दर के निर्धारण के बारे में लिखिये—टक समता का ग्रंथ बताकर यह स्पष्ट कीजिये कि घास्तव में दह इस समता से ऊपर-नीचे होती रहती है, कि दर में परिवर्तन स्वरूप दिनदुर्भाँ (इनका अर्थ—बताइये) से सीमित होता है (उदाहरण दीजिये)। किर स्वर्ण-मान व रजत-मान देशों में दर के नियरिण को उदाहरण सहित बताइये। अन्त में, पत्र-मान देशों में दर का निर्धारण बताइये (पौच छ: पृष्ठ)।

**प्रश्न २:**—(i) विदेशी विनिमय-दरों के उत्तार-चङ्गाव के कारणों का आलोचना-रूपक व्याख्यन कीजिये। यदा आरके विचार में इस प्रश्न के उत्तार-चङ्गाव को अपनी सोमाये होती है ? (Sagar, B. A. १९५६, Raj, B. Com. १९५७, १९५५) (ii) विनिमय की टक समता (Mint Par of Exchange) का या अर्थ है, विदेशी विनिमय दरों में उत्तार-चङ्गाव रखने वाले कारणों को विवेचना कीजिये (Agra, B. A. १९५२, Sagar, B. Com. १९५६, १९५८, Allahabad, B. Com. १९५६, Nagpur, B. A. १९५८), (iii) Explain how the rate of exchange between any two currencies is determined ? What causes it to move from time to time ? (Bihar, B. Com. 1958), (iv) What is meant by the term "Foreign Exchange"? Discuss the

various factors that bring about changes in the foreign exchange rates (Gorakhpur, B Com 1959, Agra, B Com 1958), (v) Discuss the main factors which influence the rates of foreign exchange (Aligarh, B A 1956)

**संकेत** —उत्तर के ग्राम्य में विदेशी विनियमय अथवा विनियमय की दर तथा इसमें परिवर्तन का अर्थ (उदाहरण सहित) लिखिये (यह कैसे निर्धारित होता है, इसके लिये प्रथम प्रश्न पढ़िये) और बताइये कि दर में उच्चावचन देश में अनिवार्यता का बातावरण उत्पन्न कर देता है जिसके बहुत ही गम्भीर परिणाम होते हैं, देश की अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है, मुद्रा प्रणाली पर कुरे प्रभाव पड़ते हैं आदि (एक पृष्ठ)। द्वितीय भाग में उन कारणों को विस्तार से बताइये जिनकी बजह से दर में उच्चावचन होता है—ये बारण दो भागों में बाटे जाते हैं—(i) विदेशी मुद्रा अथवा विल्स ऑफ एक्सचेंज की मांग व पूर्ति की परिस्थितियाँ, (ii) राजनीतिक परिस्थितियाँ। प्रथम बर्ग के अन्तर्गत—व्यापारिक परिस्थितियाँ, स्टॉक विनियमय सम्बन्धी प्रभाव, बैंकिंग सम्बन्धी प्रभाव तथा मुद्रा की स्थिति सम्बन्धी प्रभाव हैं। दूसरे बर्ग के अन्तर्गत—सरकारी-नीति, युद्ध-शान्ति, बजट में बचत व घाटे की दशा तथा विनियमय नियन्त्रण आदि के प्रभाव हैं। इन कारणों को विस्तार से लिखिये (पौँच पृष्ठ)। तृतीय भाग में विभिन्न स्थितियों में उन सीमाओं को बताइये जिनसे विनियमय-दर में उच्चावचन सीमित होता है—(i) स्वर्ण-मान ये विनियम दर में उच्चावचन स्वर्ण विन्दुओं से सीमित होता है (स्वर्ण-विन्दु यथा है, ये कैसे तय होते हैं, बताइये) उदाहरण से बताइये कि दर न तो स्वर्ण नियति विन्दु से कठर और न स्वर्ण नियति विन्दु से नीचे गिरती है। निष्कर्ष निकालिये कि यह दर टक्स-समता (अर्थ बताइये) के चारों ओर स्वर्ण विन्दुओं के बीच में परिवर्तित होती रहती है। (ii) अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा चलन काले देशों में, यद्यपि दर में क्रय-शक्ति समता के आस-पास तय हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा यह इसकी कोई प्रावृत्तिक सीमा नहीं होती है व्योक्ति स्वर्ण मान की तरह यहाँ पर स्वर्ण-विन्दु नहीं पाये जाते हैं, कि पत्र-मान में दर के उच्चावचन की कोई सीमा नहीं होती है। यह बताइये कि यह भावस्थक है कि यह उच्चावचन इस बात पर निभर रहता है कि सुरकार इसकी स्थिरता के लिये क्या क्या प्रयत्न करती है (एक-दो दो पृष्ठ)।

**प्रश्न ३** —(i) विदेशी विनियमय की व्यवस्था का बर्णन कीजिये। अनुकूल और प्रतिकूल विदेशी विनियमय दर का क्या महत्व है? (Agra, B A १९५७) (ii) विदेशी मुद्रा विनियमय के दर में उच्चावचन होने के विभिन्न कारणों को समझाइये। इन उच्चावचनों के आर्थिक परिणाम क्या होते हैं? (Nagpur, B A १९५७), (iii) In what way is foreign trade influenced by a variation in the rate of exchange? Discuss (Raj B A 1959) (iv) What will be the effects on foreign trade of (a) falling exchange and (b) all round increase in money wages in the home country (Allah bad B Com 1957) (v) What do you mean by favourable and unfavourable rates of exchange? What are the factors which cause the exchange rates to be favourable or unfavourable? (Agra, B Com 1957)

**संकेत** —उपरोक्त प्रश्नों में तीन बातें पूछी गई हैं—अनुकूल व प्रतिकूल विदेशी विनियमय की दर का क्या अर्थ है? विनियमय दर में अनुकूल व प्रतिकूल होने के क्या मुख्य

कारण हैं ? इनका यथा महत्व है ? (वित्तिमय-दर में उच्चावचन के बया आधिक परिणाम होते हैं ?) विदेशी व्यापार पर विनिमय की दर में परिवर्तन का बया प्रभाव पड़ता है ? (गिरते हुये विनिमय का विदेशी व्यापार पर बया प्रभाव पड़ता है ?) यह स्मरण रहे कि विदेशी विनिमय के निर्धारण की रीति का लघव विवेचन हो चुका है । उत्तर के प्रथम भाग में संक्षेप में विनिमय की दर का अर्थ बताइये (चार-पाँच वाक्य) और किस उदाहरण सहित बताइये कि अनुकूल विनिमय की दर तथा प्रतिकूल विनिमय की दर का बया अर्थ है—यह बताइये कि दर में परिवर्तन यदि एक देश के लिये अनुकूल होता है, तब दूसरे देश के लिये यह प्रतिकूल होता है, परन्तु यहाँ हमें यह देखना होगा कि विनिमय दर किस देश की मुद्रा में व्यक्त की जा रही है—यदि विदेशी मुद्रा की एक इकाई का मूल्य स्वदेश की मुद्रा में व्यक्त किया जा रहा है, तब घटती हुई दर (अपने देश की मुद्रा पहले से कम दी जा रही है) देश के अनुकूल बढ़ती हुई दर (अपने देश की मुद्रा पहले से अधिक दी जा रही है) देश के प्रतिकूल होगी । यदि स्वदेश की मुद्रा की एक इकाई का मूल्य विदेशी मुद्रा में व्यक्त किया जा रहा है, तब बढ़ती हुई दर देश के अनुकूल (यदोंकि अपने देश की एक मुद्रा—इकाई के बदले में विदेशी-मुद्रा अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है) और गिरती हुई दर देश के प्रतिकूल होगी (यह विचार अब दोपहरां सिद्ध हो गया है यदोंकि इस दृष्टि से अनुकूल दर वास्तव में देश के लिये अनुकूल नहीं होती है—उदाहरण कि लिये जब हिल्टनयंग वसीशन में १६२६ में देश के लिये १ रुपये ६ पैसे की विनिमय की दर की सिफारिश की थी उस समय वास्तव में हमारे लिये १ रुपये ४ पैसे की दर अधिक लाभप्रद थी । केंची दर से कृपि व उद्योगों में विदेशी प्रतियोगिता बढ़ी थी जिससे हमारे देश को हानि सहनी पड़ी थी । भ्रतः पारिमाणिक शब्दों में कोई दर भले ही अनुकूल हौं, परन्तु वास्तव में यह अनुकूल नहीं होती है । (दो पृष्ठ) । त्रितीय भाग में यह बताइये कि दर के अनुकूल व प्रतिकूल होने के बया कारण हैं ?—जब विनिमय दर में उच्चावचन होता रहता है, तब यह दर यदि कभी देश के पनुकूल है तो वही यह प्रतिकूल होती है । भ्रतः दर को अनुकूल-प्रतिकूल करने के लिये कारण हैं जिनसे दर में उच्चावचन होता है (प्रदन २ पढ़िये) इसके भर्तिरिक्त वाममूल्यन अपवा पुनर्मूल्यन की रोति अपनाकर भी देश दर को कभी कभी अपने अनुकूल और दूसरे के प्रतिकूल करते हैं । (सद् १६४६ के भारतीय उदाहरण से स्पष्ट बोजिये) (चार-पाँच पृष्ठ) । तृतीय भाग में दर के उच्चावचन के आधिक प्रभावों (विदेशी व्यापार पर प्रभाव) को बताइये—(i) यदि दर देश के अनुकूल है अर्थात् स्वदेश की एक मुद्रा इकाई के बदले में विदेश की मुद्रा पहले से अधिक मात्रा में प्राप्त हो रही है, तब इससे एक बांग को लाभ होगा जैसे उपभोक्ता (विदेशी वस्तुयें सस्ती मिलती हैं), भायात वर्ती, परन्तु दूसरे बांग को हानि होगी जैसे—नियांतिकर्ता, नियांत उद्योग (यदोंकि स्वदेश की वस्तुयें विदेशी में महंगी हो जाती हैं) फलतः नियांत-व्यापार बढ़ हो जायेगे, वेरोजगारी फैल जायेंगी (उदाहरण देकर स्पष्ट बोजिये), (ii) यदि दर देश के प्रतिकूल है अर्थात् स्वदेश की एक मुद्रा इकाई के बदले में विदेश की मुद्रा पहले से कम मात्रा में प्राप्त हो रही है, तब उक्त के विपरीत प्रभाव होगे (विस्तार से पुनः लिखिये) । सारांता में लिखिये वी देश की आधिक, व्यापारिक व प्रोत्योगिता समृद्ध तथा रोजगार व व्यापार की दृष्टि से उक्त अर्थ

मेरे दर देश के प्रतिकूल होना ही अच्छा है (जबकि स्वदेश की एक मुद्रा इकाई वा मूल्य विदेशी मुद्रा मेरे व्यक्त किया जाता है) इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि गिरती हुई विनियमय दर से स्वदेश पा निर्यात-व्यापार प्रोत्साहित और आयात-व्यापार हतोत्सा-हित होता है (उदाहरण दीजिये) (दो ढाई पृष्ठ)। अन्त में दो-चार वाक्यों मे लिखिये कि उक्त से स्पष्ट है कि चूंकि परिवर्तनशील विनियमय की दर देश में अनिश्चितता का बातावरण उत्पन्न कर देती है, इसलिये देश का आर्थिक हित इसी में रहता है कि विनियमय दर में स्थैर्य रहे।

प्रश्न ४—(i) “It is often inexact and misleading to speak of unfavourable Foreign Exchange Rates”. Discuss. (Agra, B A 1951) (ii) Explain the terms ‘Favourable’ and ‘Unfavourable’ in connection with Foreign Exchanges and also the saying ‘High Rates are for us and Low Rates are against us.’” (Agra, B Com, 1946)

संकेत—उत्तर के प्रारम्भ में एक-दो वाक्यों में विनियमय की दर का अर्थ बताकर यह स्पष्ट कीजिये कि स्वाभाविक विनियमय वी दर स्वर्ण मान देशों में उनकी प्रामाणिक मुद्राओं के विशुद्ध स्वर्ण के अनुपात से तथा अपरिवर्तनशील वथ मुद्रा मान देशों में दोनों देशों के परस्पर मूल्य-स्तर के अनुपात से निश्चित होती है। परन्तु वास्तविक दर जो कि किसी समय विनियमय बाजार में प्रचलित रहती है, उक्त समता से विभिन्न व्यापारिक व मोट्रिक प्रभावों (ऊपर प्रश्न २ पढ़िये) के कारण कभी कम और कभी अधिक होती है (उदाहरण दीजिये) (एक-दो पृष्ठ)। हिंदीय भाग में विनियम-दर की अनुकूलता व प्रतिकूलता का अर्थ समझाइय (प्रश्न ३ में विस्तार से लिखा गया है)—यह निष्पर्यं निकालिये कि जो दर एक देश के लिये अनुकूल है, वह दूसरे देश के लिये प्रतिकूल होती है। जब दर अपनी मुद्रा में व्यक्त की जाती है, तब गिरती हुई दर हमारे अनुकूलता व प्रतिकूलता का अर्थ की जाती है तब वहाँ हुई दर हमारे अनुकूल और गिरती हुई दर हमारे प्रतिकूल होगी (उदाहरण दीजिये)। इसी तरह जब दर विदेशी मुद्रा में व्यक्त की जाती है, तब वहाँ हुई दर हमारे अनुकूल और गिरती हुई दर हमारे प्रतिकूल होगी (उदाहरण दीजिये)। इस तर्क से स्पष्ट है कि जब तब हमें यह नहीं मालूम हो कि विनियमय की दर किस मुद्रा में व्यक्त की गई है, तब तब हम दर की अनुकूलता व प्रतिकूलता का सही अर्थ नहीं समझ सकते हैं। तदपश्चात् यह बहुताइये विदर की अनुकूलता और प्रतिकूलता का प्रभाव देश के विभिन्न वर्गों पर अप्रभावित रहता है (प्रश्न ३ को पढ़िये)। दर के अनुकूल होने पर (यदि हमारी एक मुद्रा इकाई के बदले में अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है) आयात कर्ताओं व उपभोक्ताओं को लाभ, परन्तु निर्यातकर्ताओं, उद्योगों को हानि होती है, वे रोजगारी फैलती है। यह अवश्य है कि इस स्थिति में विदेशों के ग्रन्थों के मुग्रतान में लाभ होता है तथा विदेशियों द्वारा अपने देशों को अव्यभिजने में भी लाभ होता है। स्पष्ट है कि हम निश्चित रूप में यह नहीं वह सकते हैं कि विनियमय की ओर भी अनुकूल दर वास्तव में देश के अनुकूल है क्योंकि इस दर से घटि कृद्य वर्गों को लाभ तब दूसरे वर्गों को हानि होती है। यही बात विनियमय की प्रतिकूल दर के सम्बन्ध में वही जा सकती है। वास्तव में इस हित से प्रतिकूल दर देश के उद्योगों व कृषि के हित में होती है (हिल्टन यंग कमीशन ने १ शिं० ६ प्र० की सिफारिस की थी जबकि नागरिकों की मांग १ शिं० ४ प्र० की वयोंकि यह बाद आती दर देश के हित

में थी) घरतः 'भनुकूल या प्रतिकूल विनियम को दर को सात करना भ्रामक है।' उक्त टक्कों के आधार पर इस कथन का भी विवेषण हो सकता है कि "विनियम की कंची दर हमारे पक्ष में और नीची दर हमारे विषय में होती है।" यह कथन भी भ्रामक है नयोकि कंची दर से समाज के कुछ वर्गों को लाभ तब अन्य वर्गों को हानि होती है (उदाहरण से स्पष्ट कीजिये ।)

प्रश्न ५:—(i) प्रथा-शक्ति समता सिद्धान्त को समझाइये और स्पष्ट कीजिये कि व्यवहारिक रूप में यह सिद्धान्त कहाँ तक सामूह हो सकता है ? (Agra, B.A. १९५६, १९५६; Sagar, B.A. १९५८; Sagar B. Com. १९५८; Jabb. B.A. १९५६; Jabb. B. Com. १९५८; Nagpur, B.A. १९५८; Raj. B.A. १९५८, १९५७; Raj. B. Com. १९५८; Bihar, B. Com. १९५६) । (ii) प्रथा-शक्ति समता सिद्धान्त को विवेचना सहित स्पष्ट कीजिए और यहाँ सिद्धान्त किसी देश के विदेशी विनियम की दर को समतोपर्याप्त कर्हाँ तक स्पष्ट करता है ? (Allahabad, B.A. १९५०) । (iii) When does the rate deviate from this parity ? (Purchasing Power Parity) (Agra, B. Com. 1958) (iv) Discuss its merits and demerits (Agra B. Com. 1954). (v) How far is the validity of the theory affected in a system of restrictive international trade ? (Raj, B. Com. 1954), (vi) Discuss the P. P. P. theory of Foreign Exchange and point out its limitations. (Allahabad, B. A. 1954. B. Com. 1956), (vii) "The Purchasing Power Parity Theory does not provide a ready-made measure of the true value of exchanges." Discuss, (viii) "The ratio of exchange between two currencies tends to be the same as the ratio between their purchasing powers," Comment on the above statement, (Patna, B. Com 1951)

संकेत:—उपरोक्त प्रश्नों में खार वारें पूँछी गई है:—प्रथा-शक्ति समता सिद्धान्त किसे कहते हैं ? समता से दर में कब भिन्नता होती है ? प्रतिबन्ध लगे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दशा का उक्त सिद्धान्त की सत्यता पर वया प्रभाव पड़ता है ? सिद्धान्त के वया गुण-दोष हैं (या इसकी वया-वया सीमाएँ हैं या यह सिद्धान्त व्यवहारिक रूप में कहाँ तक सामूह होता है ?) । उत्तर के आधार में एक-दो परिभाषाओं के आधार पर क्रथा-शक्ति समता सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये और एक उदाहरण द्वारा विनियम की दर निर्धारित कीजिये (इस सिद्धान्त के आधार पर) । यह स्पष्ट कीजिये कि दो पक्ष-मान देशों के बीच दर दीर्घकाल में तो उनकी मुद्राओं की क्रथा-शक्ति की समता द्वारा निर्दिष्ट होती है, परन्तु अल्पकाल में यह दर इस समता से कभी नीचे रहती है (यह विदेशी मुद्रा की मीण व पूर्ति पर निर्भर रहती है) (दो-दोहरा पृष्ठ) । द्वितीय भाग में सिद्धान्त की आलोचना लिखिये और इष्ट कीजिए कि व्यवहारिक जीवन में इस सिद्धान्त का अधिक उपयोग नहीं है—कि हम इस सिद्धान्त से दो देशों के बीच विनियम की दर का आधार जान सकते हैं, परन्तु व्यवहारिक जीवन में जिस प्रकार दर तय होती है वह वह इसमें परिवर्तन होते हैं । उपरे इस सिद्धान्त का ऐसी सम्भावना नहीं है और न ही यह सिद्धान्त उन्हें किसी प्रकार प्रभावित करता है, कि इस सिद्धान्त से हमें तीन वारों का पठा चलता है—(i) पक्ष-मान देशों में दर के तय होती है ? (ii) दर में परिवर्तनों के वया आरए है ? वया (iii) दर में परिवर्तन किस दिया में तया जिस सीमा तक होते

हैं (जूँ कि सिद्धान्त से हमें इन तीन बातों का पता चलता है, इसलिये इस सिद्धान्त का यही गुण भी है)। सिद्धान्त के अनुसार दर दो देशों की मुद्राओं के तुलनात्मक मूल्य-स्तर से तथा होती है, इसमें परिवर्तन इन मूल्य स्तरों के तुलनात्मक परिवर्तनों से होता है तथा परिवर्तन की दिशा व सीमा भी इन मूल्य-स्तर प्रथवा क्रय शक्ति के तुलनात्मक परिवर्तनों के अनुसार निश्चित होती है। परन्तु व्यवहारिक जीवन में विनियम की दर के बीच मुद्राओं की तुलनात्मक क्रय-शक्ति से निश्चित नहीं होती है वरन् यह मूलत दोनों देशों की मुद्राओं की तुलनात्मक मांग व पूर्ति की दक्षिणों से तथा होती है। सिद्धान्त की आलोचनाघोषणा (सिद्धान्त की ये ही सीमाएँ हैं) को सिखकर निष्कर्ष निकालिये कि व्यवहारिक हाट से सिद्धान्त का कोई विशेष महत्व नहीं है क्याकि यह विनियम की दर के निष्पारण व इसमें होने वाले परिवर्तनों की ठीक-ठीक व्याख्या नहीं करता है (चार पृष्ठ)। स्पष्ट है कि क्रय शक्ति समता से विनियम की दर उस समय भिन्न होती है जब एक दूसरे देश की मुद्राओं की मांग व पूर्ति में अतर होता है अथवा जब दर के निष्पारण पर तुलनात्मक क्रय शक्ति के अतिरिक्त अन्य आवधि के प्रभाव पड़ते हैं (आलोचनाओं को पढ़िये)। विनियम की दर क्रय शक्ति समता से उस समय भी भिन्न हो सकती है जब कि प्रतिवर्त्य लगा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा हो क्योंकि इस दशा में आपात व निर्यात की मात्रा में अतर होगा जिससे मुगातान की दशाओं में अथवा एक दूसरे देश की मुद्रा की मांग व पूर्ति की दशाओं में भी अन्तर हो जायगा। इससे दास्तविक विनियम की दर क्रय-शक्ति समता से भिन्न हो जायगी और क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त की सत्यता सिढ़ नहीं हो सकेगी।

प्रश्न ६—(i) विनियम नियन्त्रण क्या है ? इसके विदेशी विनियम में स्थिरता लाने में यह नियन्त्रण कहाँ तक सहायक होता है ? (Agra, B.A. १९५८), (ii) विनियम नियन्त्रण के क्या उद्देश्य हैं ? विनियम नियन्त्रण के साधनों का वर्णन कीजिये (Agra, B.A. १९५७) (Bihar, B.A. १९५८, १९५७), (iii) विनियम नियन्त्रण के विभिन्न उपायों को बताइये (Sagar B.Com १९५६) (iv) आप 'विनियम-नियन्त्रण' का क्या तात्पर्य समझते हैं ? और क्यों आवश्यक हो याएं हैं यह बताइये (Sagar B.Com १९५४) (v) What do you mean by Exchange Control ? How do its objectives differ from peace time to war time ? Explain three such methods of exchange control used in the world before 1939 (Raj B.Com 1959). (vi) What is meant by 'Dislocation of foreign Exchanges' ? Describe the main methods that may be adopted to regulate & control foreign exchanges (Allahabad, B.Com 1956) (vii) Discuss the statement— 'The most important reason for controlling the exchange market is to make the rate of exchange different from what it would be without control' Discuss the objects of exchange management (Patna, B.Com 1950)

संकेत—चबत प्रश्नों में चार बात दूंगी गई हैं—विनियम नियन्त्रण का क्या अर्थ है ? इसके क्या उद्देश्य हैं ? यह क्यों आवश्यक है ? युद्ध कालीन व शान्तिकालीन उद्देश्यों में क्या अन्तर है ? विनियम नियन्त्रण के क्या क्या साधन (उपाय) हैं ? ये साधन द्रव्य के विनियम में स्थिरता लाने में कहाँ तक सहायक होते हैं ? उत्तर के आरम्भ में

विनिमय-नियन्त्रण का अर्थ लिखिये—इसका अर्थ सरकार या देशीय बंक द्वारा लगाये गये उन नियन्त्रणों से है जिनके द्वारा विनिमय की दर एक निश्चित विन्दु पर स्थिर रखी जाती है जिससे इसमें अत्यधिक उतार-चढ़ाव नहीं होने पाये अतः विनिमय नियन्त्रणों से विनिमय की दर को उस दर से भिन्न कर दिया जाता है जो स्वामादिक स्थिति में विना नियन्त्रणों से निर्धारित होती है। इस विनिमय नियन्त्रण के अनेक उद्देश्य होते हैं और किसी एक या एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही विनिमय-नियन्त्रण वी आवश्यकता होती है। मुद्र्य-मुल्य उद्देश्य है—विनिमय दर को एक पूर्व निश्चित दर पर रखना, पूँजी को देश से बाहर जाने से रोकना, सरकार नीति को सफल बनाना, व्यापारिक भेदभाव की नीति को सफल बनाना, सरकार की आय विदेशी विनिमय की विक्री से बढ़ाना, विदेशी मुद्रा की पर्याप्त उपलब्ध करना, व्यापारिक भुगतान के असन्तुलन को ठीक करना (दो-ठाई पृष्ठ)। द्वितीय भाग में विनिमय नियन्त्रण के विभिन्न साधनों को लिखिये, जैसे—एक पक्षीय रीतियाँ इसके अन्तर्गत हैं—विनिमय समकरण कोष, विदेशियों का स्वदेश में स्थाना बन्द करना, विदेशी विनिमय का राशनिंग करना, विदेशी व्यापार का नियमन (सीमा-कर व आयात-नियात कोटा) वेंक दर का नियमन, विनिमय उद्वग्न्य द्विषदीय रीतियाँ हैं—भुगतान समझोते, निकासी समझोते, परिवर्तन विलम्ब काल, जैसे—समझोता आदि। स्पष्ट है कि सरकार व केन्द्रीय मुद्रा अधिकारी उक्त रीतियों में से एक या अधिक का प्रयोग करके देश की विनिमय की दर में स्थिरता जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति में बहुत कुछ साफल भी होता है (पाँच-छः पृष्ठ)।

प्रश्न ७:—विनिमय-दर की प्रतिकूलता के बाया कारण हैं? उसको सुधारने के बाया उपाय हैं? उदाहरण देकर समझाइये (Jabb. B. Com. 1958)।

संकेत:—इस प्रश्न का उत्तर बड़ी सतर्कता से दिया जाना चाहिए। आरम्भ में दो चार बाब्यों में विनिमय की दर का अर्थ उदाहरण सहित बताइये। तदृश्वचातुर्थ अनुकूल व प्रतिकूल विनिमय की दर का अर्थ उदाहरण सहित बताइये (इसके आधिक प्रभावों वा लिखना अनावश्यक है)। यदि हम अपने देश की एक मुद्रा इसाई का मूल्य विदेशी मुद्रा में व्यक्त करते हैं, तब गिरती हुई विनिमय की दर हमारे प्रतिकूल और बढ़ती हुई दर हमारे अनुकूल होगी। (एक ढैड पृष्ठ)। द्वितीय भाग में उन सब कारणों को बताइये जिनसे देश की विनिमय की दर प्रतिकूल होती है, जैसे—व्यापार की स्थिति ऐसी है कि आयातें हमारी नियाती से अधिक हैं, विनिमय विलस तथा विदेशी मुद्रा य प्रतिभूतियों का प्रय विक्रय (मट्टे के कारण) इस प्रकार हो रहा है कि विदेशी मुद्रायों की मींग अधिक है यदि वेंक दर गिर रही है जिससे पूँजी ना नियात हो रहा है, अद्या वेंस विदेशी वेंकों के नाम दृष्ट य साम-पृष्ठ परिवाधिक माना में जारी कर रहे हैं, तब विदेशी मुद्रा की मींग इसकी पूर्ति से अधिक होगी और विनिमय दर देश के प्रतिकूल होगी, यदि देश में मुद्रा-न्यौति (मुद्रा वा मूल्य-हास) की दशायें चलना हो रही हैं या होने की यामादाना है, तब देश से पूँजी का नियात प्रोत्साहित होगा और दर देश के प्रतिकूल हो जायेगी, यदि देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सरकार का घायार हड़ नहीं है, देश में शान्ति व सुरक्षा नहीं है थम-मातिर संघर्ष चलते रहते

हैं, सरकारी नीति निष्पक्ष नहीं है तब न केवल विदेशी इस देश से व्यापार नहीं करेगा या कम करेंगे वरन् इस देश से पूँजी विदेशों को भागने लगेगी जिससे विनियमय की दर देश के प्रतिकूल हो जायेगी आदि । इसी तरह यदि देश में सरकारी नीति, वित्त व्यापार सम्बन्धी नीति, विदेशी पूँजी सम्बन्धी नीति आदि देश के प्रतिकूल हैं, तब स्वतं ही विनियमय की दर भी देश के प्रतिकूल तथा होगी । यह स्परण रहे कि उक्त लिखित वे ही सब बातें हैं जिनके कारण देश में विनियमय की दर में उच्चावचन होता है (प्रश्न २ का पढ़िये) परन्तु इनको इस ढंग से समझाया गया है कि प्रत्येक कारण का प्रभाव देश की दर को प्रतिकूल करता है । (चार-नांच पृष्ठ) । तृतीय भाग में यह बताइये कि यदि विनियमय की दर निरन्तर देश के प्रतिकूल रहती है तब इसके बुरे आधिक परिणाम पड़ते हैं (संकेत में समझाइये) जिसके कारण सरकार अथवा कन्त्रीय बैंक की प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिणत करने के लिए बदल उठाने पड़ते हैं, जैसे—नियर्ती में बृद्धि और आयातों में कमी, मुद्रा का मूल्य-हास, मुद्रा का अवमूल्यन विस्फीति, बैंक-दर में बृद्धि तथा विनियमय-नियन्त्रण । यहाँ दो बातें स्परणीय हैं—प्रथम, विनियमय की दर की प्रतिकूलता को ठीक करने के लिये वे ही सब उपाय प्रयोग में लाये जाते हैं जिन्हें भुगतान के सन्तुलन की प्रतिकूलता को ठीक करने में लफ्यांग में लाया जाता है (“भुगतान का सन्तुलन” नामक अध्याय पढ़िय) । द्वितीय विनियमय की दर में प्रतिकूलता को ठीक करने के लिये जिन उपायों को प्रयोग में लाया जाता है उनमें से एक ‘विनियमय नियन्त्रण की रीति’ है । यह विनियमय की दर की प्रतिकूलता को दूर करने के उपायों का मुद्राव देते हुये केवल ‘विनियमय नियन्त्रण’ की विभिन्न रीतियों को सिखने से उत्तर थपूर्ण रहगा ।

प्रश्न ८—(i) विनियमय नियन्त्रण क्यों आवश्यक है? भारत में इस नियन्त्रण की कार्यवाही पर प्रकाश डालिए । (Agra B A १९६०) (ii) भारत में विदेशी विनियमय से उत्तर दूर करना क्यों दूर करने के लिए कुछ युक्ताव दीजिये (Agra, B A १९५६) (iii) भारत में प्रभुत्व पद्धतियों (Methods) का विशेष उल्लेख करते हुये विनियमय नियन्त्रण के उद्देश्यों और पद्धतियों का विवेचन करिये (Agra B Com १९५६) । (iv) Explain the chief aims and methods of exchange control, illustrating the same from its working in India (Raj, B Com 1957, 1954)

उत्तर—उक्त प्रश्नों में तीन बातें पूँछी गई हैं—विनियमय नियन्त्रण क्यों आवश्यक है? (इस नियन्त्रण के क्या उद्देश्य है?) (इस नियन्त्रण की क्या-क्या रीतियाँ हैं?) मारत म बोतसी पद्धतिया वा उपयोग किया जाता है (या मारत में विनियमय नियन्त्रण का वार्षिक प्रकार किया जाता है?) उत्तर के आरम्भ में दो चार बाब्तों में विनियमय नियन्त्रण का शब्द लिखिये—जिस शब्दाद्य में नाप्रतिकूलों को विदेशी विनियमय के ज्यान-विक्रय करने म पूर्ण स्वतन्त्रता एवं अधिकार होता है उसे स्वतन्त्र या अनियन्त्रित विदेशी विनियमय की व्यवस्था कहते हैं । परन्तु जब सरकार कुछ विदेशी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विदेशी विनियमय के प्रय विक्रय पर प्रतिवाप लगा देती है अथवा इसके उपयोग एवं वितरण म हस्तक्षेप दालती है, तब इसे नियन्त्रित विदेशी विनियमय की

व्यवस्था कहते हैं। इस नियन्त्रण का मुख्य उद्देश्य विनियम को दर में स्थिरता लाना होता है। इस प्रकार के नियन्त्रण की आवश्यकता विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। उद्देश्यों को विस्तार से लिखिये। (एक-डेढ़ पृष्ठ)। द्वितीय भाग में विनियम नियन्त्रण की मुख्य रीतियों को लिखिये (चार-पाँच पृष्ठ)। तृतीय भाग में भारत में अपनाई गई विनियम-नियन्त्रण की व्यवस्था को लिखिये:—विस्तृत अर्थ में भारत में १६२७ से ही विनियम नियन्त्रण लागू है जबकि सरकार ने रेया-स्टलिंग अनुयात १८ पैसे निश्चित किया था और उसको व्यवहारिक बनाने के लिए सरकार ने स्टलिंग के क्रय-विक्रय का दायित्व अपने ड्यूपर लिया था। विस्तृत अर्थ में विनियम नियन्त्रण का अभिप्राय उस सरकारी हस्तक्षेप से है जिसके द्वारा सरकार इच्छानुसार विनियम दर निश्चित करती है और यह दर बिना सरकारी हस्तक्षेप के रह नहीं सकती। आजकल विनियम नियन्त्रण का अभिप्राय सकीण अर्थ से लिया जाता है—यह वह व्यवस्था है जिसमें विदेशी विनियम के स्वतन्त्र क्रय-विक्रय को बन्द कर दिया जाता है और यह सब कार्य देश के केन्द्रीय बैंक को सौंप दिया जाता है। सन् १६१५ में रिजर्व बैंक एकट बना, परन्तु इसने इस अर्थ में विनियम नियन्त्रण के कार्य का थी गणेश सन् १६३६ में द्वितीय महायुद्ध के भारम्भ होने पर किया (भारतीय सुरक्षा विधान के अन्तर्गत)। युद्ध समाप्त होने पर सन् १६४७ में एक विनियम नियन्त्रण विधान पास किया गया जिसके कार्यान्वयित होने पर भारतीय सुरक्षा विधान के अन्तर्गत बने नियमों का अन्त हो गया परन्तु विनियम नियन्त्रण का कार्य रिजर्व बैंक को पूर्णतया सौंप दिया गया। रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई विनियम-नियन्त्रण व्यवस्था का उद्देश्य यह था और अब भी है। कि देश के निर्यातों से प्राप्त विदेशी मुद्रा का अपव्यय नहीं होना चाहिए वरन् इसका व्यावश्यक आवातों के मूल्य-भुगतान में सहुपयोग होना चाहिए। इसीलिये विदेशी विनियम के सब सौंदर्य तो रिजर्व बैंक या इस बैंक से अनुज्ञा (Authority) प्राप्त बैंकों द्वारा किये जाते हैं। यह नियन्त्रण के बाल सामाज्य (Common wealth) से बाहर बाले देशों तक सीमित है। दुर्लभ मुद्रा बाले देशों को भेजे गये नियतों से प्राप्त विदेशी मुद्रा को तथा डालर को अधिक अन्य दुर्लभ मुद्रा को अनिवार्य रूप में ले लिया जाता है और इन्हे किर सामाज्य डालर पूल में डाल दिया जाता है। युद्धकाल में इंगलैंड ने इस प्रकार की हमारी जमा का उपयोग अधिकांशतः अमेरिका से युद्ध सामग्री के क्रय करने में किया। इस विनियम-नियन्त्रण प्रणाली में कुछ साधारण परिवर्तन किये गये हैं और मूलतः आज भी यही प्रणाली प्रचलित है। इस प्रणाली ने भारतीय स्वर्ण के नियांत, भारत को विदेशों से अपने बाली पूँजी व इसका मुगतान, विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय आदि को नियन्त्रित किया है (विनियम नियन्त्रण विधान, १६४७ की अन्य मुख्य बातों को भी यही लिखिए)।

प्रश्न है:—विनियम समीकरण कोष के स्वभाव, उद्देश्य तथा सीमाओं की व्याख्या कीजिये। (Agra, B. A. १६५५)

संकेत:—भारम्भ में लिखिये कि कोष की स्थापना कब तथा किन परिस्थितियों में सन् १६३२ में हुई—कि विनियम नियन्त्रण का यह एक प्रत्यक्ष व प्रभावपूर्ण तरीका

रहा है, कि इसका मुख्य उद्देश्य विनियम-दर के उस उच्चावचन को रोकना या जो स्वरूप-मान के टूटने पर पाया गया। द्वितीय भाग इसकी कार्य-प्रणाली लिखिये—जब तक इगलेंड, फ्रान्स व अमेरिका में कोई भी एक देश स्वर्ण-मान रहा, तब तक तो यह प्रणाली कार्य करती रही परन्तु जब सभी देशों ने स्वर्ण मान को शनै-शनै त्याग दिया, तब यह प्रणाली भी अव्यवहारिक हो गई और इसका समाप्त होना भवित्वार्थ हो गया। अन्त में कोप की सीमायें बताइये और निष्कर्ष निकालिये कि सीमाओं के होते हुये भी कोप जित उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्थापित किया गया था, उसमें इसे पूरी सफलता मिली थी।

**प्रश्न १०—**(i) Describe briefly the Balance of Payments Theory of Foreign Exchange. What are the reasons for regarding this theory as more satisfactory in comparison to other theories? (Gorakhpur B Com 1959). (ii) Compare and contrast the Purchasing Power Parity Theory with the Balance of Payments Theory (Bihar, B Com 1953)

संकेत—उत्तर के आरम्भ में विनियम की दर का घर्षण बताकर यह स्पष्ट कीजिये कि क्या शक्ति समता सिद्धान्त के अनुसार विनियम की दर किस प्रकार निर्धारित होती है, कि दीर्घकाल में दर में इस समता के बराबर हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है परन्तु अल्पकाल में दर इस क्या-शक्ति समता के बराबर नहीं होती। सिद्धान्त की आसोचनायें लिखिये और बताइये कि वास्तविक विनियम की दर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति अथवा किसी समय की शोधनाधिक्य की स्थिति से निरिचत होती है। उदाहरण देकर बताइये कि शोधनाधिक्य से दर किस प्रकार प्रभावित होती है। अन्त में निष्कर्ष निकालिये कि शोधनाधिक्य सिद्धान्त क्या-शक्ति समता सिद्धान्त से मरम्मदा है और यह किसी समय पर वास्तविक विनियम की दर के निर्धारण की उचित व्याख्या करता है (पौच-द्वं पृष्ठ)।

"International trade is only a special case of the inter-regional trade" — Ohlin

भाग १ :

: खंड ४

# अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

(International Trade)

[अध्याय १७. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, १८. मुग्हान का सन्तुलन, १९. स्वतन्त्र व्यापार या संरक्षण,]

## ECONOMISTS HAVE SAID SO AND WE SHOULD REMEMBER THEM ALSO.

- (A) "The Theory of Comparative Costs as applied to International Trade is therefore that each country tends to produce not necessarily what it can produce more cheaply than another country, but those articles which it can produce at the greatest relative advantage i.e at the lowest comparative cost"
- (B) "A country gains by foreign trade if and when the traders find that there exists abroad a ratio of prices very different from that to which they are accustomed at home. They buy what to them seems cheap and sell what to them seems dear. The bigger the gap between what to them seems low points and high points, and the more important the articles affected, the greater will the gain from trade be"—Harrod.
- (C) "The term balance of payments is then used in the sense of the whole demand and supply situation"—Haberler
- (D) "Free Trade" has been used to denote "that system of commercial policy which draws no distinction between domestic and foreign commodities and therefore neither imposes additional burdens on the latter, nor grants any special favours to the former"—Adam Smith  
"The term Protection is used to denote a policy of encouraging the home industries by the use of bounties or by the imposition of high customs duties on foreign products"  
"Tariff is the mother of all Trusts"  
"The infant industries never feel themselves grown up, if they grow up at all they devote their manly strength to fighting for bigger and longer protection"—Beveridge

### THE TRIPLE FORMULA

1. Carefully study the wordings of the question so that you may know precisely as to what the examiner wants, e.g. the words 'State', 'Describe', 'Explain' and 'Elucidate' require simple explanation, whereas detailed criticism is wanted in the case of the words 'Discuss', 'Examine' and 'Comment'
2. Good hand-writing is an asset these days
3. How to write is more important than what to write in order to secure more marks (Read Appendix)

## अध्याय १७

### अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

**(International Trade)**

**गृह व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभासाे (Definitions of the Internal Trade and the International Trade):—** गृह-व्यापार वो देशी, आन्तरिक तथा घरेलू व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विदेशी व्यापार भी कहा जाता है। जब किसी देश में विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न क्षेत्रों (Regions) के बीच व्यापार होता है, तब इसे गृह व्यापार (Home Trade or Internal Trade) कहते हैं। कभी कभी इसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (Inter-regional Trade) भी कहते हैं। इसके विपरीत जब वो या वो से अधिक राष्ट्रों के बीच व्यापार होता है तब इसे अन्तर्राष्ट्रीय अवया विदेशी व्यापार (International Trade) कहते हैं। मेरठ से दिल्ली को जाने वाली कैचियों का व्यापार स्थानीय व्यापार (Local Trade) है, परन्तु जब मेरठ की कैचियाँ दम्बई, मद्रास व कलकत्ता जाती हैं, तब यह व्यापार देशीय व्यापार (Regional Trade) कहलाता है। अतः स्थानीय और देशीय व्यापार में प्राचीर केवल क्षेत्र के आकार (Size) का है। जब दो बहुत पास-पास के शहरों के बीच व्यापार होता है, तब यह स्थानीय व्यापार और जब दो दूर-दूर के शहरों के बीच व्यापार होता है, तब यह देशीय व्यापार कहलाता है। परन्तु स्थानीय अवया देशीय दोनों ही व्यापार गृह-व्यापार के दो रूप हैं।

**गृह-व्यापार या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता (Similarity between Internal and International Trade):—** गृह-व्यापार व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत समानता पाई जाती है और उपरी रूप में ऐसा प्रसीत होता है कि इनमें कुछ भी भेद नहीं है। इन दोनों प्रकार के व्यापारों का आधार धर्म-विभाजन (Division of Labour) और कार्यों का विशिष्टिकरण (Specialisation of Functions) है। मनुभव से पता चलता है कि आन्तरिक व्यापार में व्यापारी ऐसी वस्तुओं (या सेवाओं) के बदले में जो किसी स्थान-विशेष में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, विनिमय द्वारा दूषित व्यापारी से ऐसी वस्तुओं (या सेवाओं) को प्राप्त करता है जो या तो तुलना (Scarce) है या उपलब्ध ही नहीं है। इस तरह आन्तरिक व्यापार में विनिमय के दोनों पक्षों को साम छीता है और उपभोताओं की भी अधिकतम आवश्यकताओं को पूर्ति होती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी टीक ऐसा ही होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति नितने ही कार्य कर सकता है, परन्तु वह उस कार्य को करने का विशेषज्ञ होता है जिसे वह सुगमता व सफलता से कर सकता है या उसके स्वभाव के लिये अनुकूल होता है और बन्ध कार्यों को दूसरों के करने के लिये छोड़ देता है, इसी प्रकार एक देश यद्यपि कितनी ही प्रकार की वस्तुओं को उत्पत्ति कर सकता है, परन्तु यह केवल एक या इससे अधिक ऐसी

वस्तुओं की उत्तरति बरता है जिनकी उत्तरति में इसे विनेप साधन या सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं पर्याप्ति यह केवल ऐसी वस्तुओं की ही उत्तरति बरता है जिनके लिए इस देश की परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं और अन्य वस्तुओं की उत्तरति दूसरे देशों पर छोड़ देता है। इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था को ही यम विभाजन तथा कार्यों (उत्पादन) के विशिष्टीकरण का नाम दिया गया है। यह व्यापार की तरह, इन देशों में भी वस्तुओं का आदान-प्रदान होता, एक दूसरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और आन्तरिक व्यापार की तरह यहाँ पर भी विनियम के दोनों पक्षों पर्याप्ति दोनों या दो से अधिक देशों को विदेशी व्यापार से जाग्र होता है। इस तरह स्वभाव से ही यह व्यापार तथा विदेशी व्यापार एक सा होता है। परन्तु इन दोनों में इन मूल समानताओं के होते हुए भी आधिक विद्वानों में यह एक प्रश्न उठता है कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृष्ठ से विद्वान्त की आवश्यकता है? (Should there be a separate theory of International Trade?)। वास्तव में कुछ कारणों के खाल इस पर फैले हैं कि आन्तरिक व्यापार तथा विदेशी व्यापार में कुछ भेद हैं जिनके कारण एक पृष्ठ से अन्तर्राष्ट्रीय विद्वानों का निर्माण हुआ है।

### अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक पृष्ठ सिद्धान्त

#### (Separate Theory of International Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये मिन्न सिद्धान्त की आवश्यकता क्यों होती है?

(Why should there be a Separate Theory of International Trade?) — अभी-प्रभी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि आन्तरिक व्यापार (Internal Trade) तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade) दोनों प्रकार के व्यापारों के मूल सिद्धान्त एक-से ही है तथा इन दोनों में अन्तर के बीच एक अली (Degree) का ही है। परन्तु आधिक विद्वानों के अनुसार निम्नलिखित कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी बजाए से यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भेद किया जाता है और इन भेदों के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये एक पृष्ठ से विद्वान्त की आवश्यकता पड़ती है —

(१) अम और पूँजी की गतिशीलता (Mobility of Labour and Capital) — अम और पूँजी साधनों की गतिशीलता (Mobility) एक देश के मन्दिर विभिन्न देशों के बीच की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जब किसी देश में अम और पूँजी साधन आसानी से सुगमता से गतिशील हो जाते हैं तब इस देश के प्रत्येक क्षेत्र में समान व्यवसायों में मजदूरों की मजदूरी तथा व्याज की दर भी समान पाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं का उत्पादन व्यय भी हर क्षेत्र में प्राय समान रहता है। परन्तु विभिन्न देशों के बीच अम व पूँजी साधन प्राय या तो गतिशील ही नहीं होते या बहुत कम गतिशील होते हैं। इस अविशेषजटता के कारण ही कारण होते हैं। विभिन्न देशों में मापा, रीति रिवाज, रहन सहन, घर्म तथा सामाजिक व राजनीतिक दशाओं में निपटा या भ्रातृ स्नेह या देश प्रेम के कारण यथिक कभी-जभी अधिक मजदूरी की सातत पर भी एक देश से दूसरे देश को नहीं जाते। इसके अतिरिक्त कुछ देशों में बाहर से आकर वसन कारों पर प्रतिवर्ष समा होता है या उनके साथ भ्रेड-प्राव वा श्यवहार करा जाता

है या इनको अपने सभे सम्बन्धियों से मिलने में कठिनाइयाँ अनुभव होती हैं, जिनके कारण भी मनुष्य गतिहीन (Immobile) हो जाता है। पूँजी अम की अपेक्षा अधिक गतिशील होती है, परन्तु पूँजीपति अपनी पूँजी को अपने देश की अपेक्षा विदेशों में विनियोग (Investment) के लिए प्राप्त भेजना पसन्द नहीं किया करता है क्योंकि वह विदेशों में लगी पूँजी को या तो अपेक्षाकृत कम सुरक्षित समझता है या उसे विदेशों से रुपाया मानते, भेजने में असुविचारण अनुभव होती है या उसे अपनी पूँजी के द्विन जाने या विनियोजित उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का ढर रहता है। इन सब कारणों से पूँजीपतियों का यह विश्वास है कि देशी विनियोग विदेशी विनियोगों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होते हैं। अम और पूँजी की इस प्रकार की अगतिशीलता (Immobility) तथा विभिन्न देशों में किसी एक वस्तु की उत्पत्ति सम्बन्धी प्रतियोगिता (Competition) के अभाव के कारण भिन्न-भिन्न देशों में एक ही वस्तु का उत्पादन-व्यय पृथक-पृथक हो जाता है। यदि वस्तु एक देश में कम मूल्य पर उत्पन्न होती है तब यह वस्तु दूसरे देश में अधिक मूल्य पर उत्पन्न होती है जिसके परिणामस्वरूप दूसरा देश इसकी उत्पत्ति स्वयं न करके इसे पहले देश से भंगाता है। अतः भिन्न-भिन्न देशों में वस्तुओं के उत्पादन-व्यय में भिन्नता होने के कारण, वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक ताब माप्त होने सकते हैं जिससे विभिन्न देशों में वस्तुओं के उत्पादन का विभिन्नता करण हो जाता है।

परन्तु कुछ अर्थशास्त्री उक्त विचारधारा को नहीं मानते। इनका मत है कि जिस प्रकार किसी देश के अन्दर अम व पूँजी साधन पूर्ण-गतिशील (Perfectly Mobile) नहीं होते हैं इसी प्रकार भिन्न-भिन्न देशों में भी ये पूर्ण अगतिशील (Perfectly Immobile) नहीं होते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। आजकल तीव्र आवागमन के साधनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सहायता से आधिक तथा राजनीतिक दैवत में दूरी (Distance) का कुछ भी महत्व नहीं रहा है। परिणामतः इन अर्थशास्त्रियों के मतानुसार उक्त दोनों प्रकार के व्यापारों में कोई भिन्नता नहीं मानी जानी चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि किसी देश में अभिकों के प्रतियोगिता रहिव-समूह (Non-Competing Groups) नहीं होते हैं। ऐसे समूह प्रत्येक देश में होते हैं परन्तु देश के अन्दर अम और पूँजी साधनों में गतिशीलता का गुण होने से ये समूह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत विभिन्न देशों में समूह अधिक स्थायी तथा बलवती होते हैं जिनके कारण विभिन्न देशों में अलग-अलग वस्तुओं के उत्पादन-व्यय में भी भिन्नता पाई जाती है। इसीलिए आन्तरिक व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में केवल मात्रा-भेद (Differences of Degree) ही होता है।

(२) वस्तुओं की उत्पादन स्थिति में भिन्नता (Differences in the conditions of Production):—प्रत्येक देश की सरकार वस्तुओं की उत्पत्ति व इनकी गति के सम्बन्ध में अपनी स्वतन्त्र नीति रखती है जिससे जिन वस्तुओं व परिस्थितियों के अन्तर्गत प्रत्येक देश में वस्तुओं की उत्पत्ति होती है उनमें भी भिन्नता हो जाती है। इसीलिये एक ही वस्तु का उत्पादन व्यष्ट प्रत्येक देश में समान नहीं होता। प्राप्त: एक देश के निवासियों के लिए सरकार द्वारा बनाये गये शौकायिक गुट (Industrial

Combinations), सामाजिक बीमा (Social Insurance) व अम-सघ (Trade Unions) सम्बन्धी नियम एक-से रहते हैं। देश के अन्दर बस्तुओं के उत्पादन सम्बन्धी नियम प्रत्येक स्थान पर एक-से होते हैं, देश के तमाम नागरिकों पर एक-समान राष्ट्रीय-कर लगाए जाने हैं, अभिकों के हित में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कारबानों में काम करते की दशाओं के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों में अनुलृप्ता होती है तथा सरकार समाम नागरिकों को यातायात व अन्य सावंजनिक सेवाएं एक सी प्रदान करती है। इस तरह एक देश में सम्पत्ति वी उत्पत्ति तथा इसके वितरण सम्बन्धी नियम भी समान होते हैं। परन्तु विभिन्न देशों में इन सब ऐ वहूत भिन्नता पाई जाता है। जिन देशों में उत्कलिति बातों में उत्पादकों को मुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वहां पर दूसरे देशों की अपेक्षा बस्तुओं का उत्पादन व्यय कम होता है और जिन देशों में उक्त मुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, बस्तुओं का उत्पादन-व्यय अधिक हो जाता है। अत चूंकि विभिन्न देशों में बस्तुओं के उत्पादन सम्बन्धी नियमों तथा उत्पादन सम्बन्धी परिस्थितियों में भिन्नता होती है, इसलिये भिन्न-भिन्न देशों में बस्तुओं के उत्पादन-व्यय में भी भिन्नता पाई जाती है जिससे बस्तुये एक देश से दूसरे देश में जाकर बिकती है क्योंकि विभिन्न देशों के घोच आर्थिक दशकिया (Economic Forces) स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने तथा अपना प्रभाव प्रकट करने में सफल नहीं होती है।

(३) बस्तुओं की आयात निर्यात में बाधाये (Obstacles in the Import and Export of Commodities) —विभिन्न राज्यों की औदोगिक व ध्यायारिक नीति में भिन्नता होने से एक-दूसरे देश वे बीच में बस्तुयों की आयात-निर्यात स्वतंत्रता-पूर्वक नहीं होती है। कभी-कभी सामाजिक बाधाओं के कारण भी बस्तुएं यतिहीन नहीं होने पाती हैं। इसके विपरीत एक देश में एक भाग से दूसरे भाग में बस्तुएं लाने या ले जाने में श्राव इस प्रकार की बाधाएं नहीं हुआ करती हैं और आगर ये होती भी हैं तब वहूत कम। अत चूंकि विभिन्न देशों के घोच बस्तुओं की आयात निर्यात स्वतंत्रतापूर्वक नहीं होती है, इसलिये इस कारण भी बस्तुओं का उत्पादन व्यय एक देश से पृथक् हो जाता है।

(४) प्राकृतिक स्रोतों तथा भौगोलिक स्थिति में भिन्नता (Differences in Natural Resources and Geographical Conditions) —प्रकृति की देन सब देशों को समान नहीं है। यदि कुछ देशों म लोहा, कोयला जैसे खनिज पदार्थ बहुलता से तथा अच्छी किस्म के मिलते हैं, तब ये ही पदार्थ या तो दूसरे देशों में मिलते ही नहीं और आगर मिलते भी हैं तब या सो कम मात्रा में या बुरी किस्म के।—इसी प्रकार यदि किसी देश की भूमि व जलसाधारु जूर, कपास, गना आदि की उत्पत्ति के अनुकूल हैं तब दूसरे देश की भूमि, यह सम्पद है, इन्हीं बस्तुओं की उत्पत्ति के लिए इतनी अनुकूल नहीं हो। इन प्राकृतिक व भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्न देशों में, यह स्वाभाविक ही है, बस्तुओं के उत्पादन व्यय तथा लाभ में भी भिन्नता हो जाती है।

(५) मुद्रा प्रणाली में भिन्नता (Differences in Currency Conditions) —प्रत्येक देश की मुद्रा प्रणाली पृथक्-पृथक् होती है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी

विनिमय (Foreign Exchange) सम्बन्धी घनेक कठिनाइया उत्पन्न हो जाती है। कभी-कभी विदेशी विनिमय से सम्बन्धित समस्याएँ इतनी जटिल होती है कि इनसे वस्तुओं की आयात-नियति में रकाबट तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएँ पड़ जाती हैं। प्रत्येक देश की मौद्रिक नीति मुद्रा-संचालक द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रायः यह कायं देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। किसी देश का केन्द्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति में समय-समय पर परिवर्तन करके देश के मूल्य-स्तर में भी परिवर्तन कर दिया करता है और विभिन्न देशों के बीच मूल्य-स्तरों के अन्तर से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न हो जाता है। अब मुद्रा-संचालक की मौद्रिक नीति के प्रत्येक परिवर्तन का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा करता है। इसके विपरीत किसी देश में सारे में एक ही मुद्रा का चलन होता है जिससे देशी व्यापार में विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) सम्बन्धी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती। इससे यह स्पष्ट है कि विभिन्न देशों में मुद्रा-प्रणाली की भिन्नता तथा समय-समय पर किसी देश में मुद्रा-नीति में परिवर्तन के कारण भिन्न-भिन्न देशों में मूल्य-स्तरों तथा वस्तुओं के उत्पादन-व्यय में अन्तर हो जाने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है।

**निष्कर्षः**—अर्थशास्त्रियों द्वारा दिये गये उक्तसिखित कुछ ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि आन्तरिक व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएँ पूर्णतया भिन्न-भिन्न हैं और इन समस्याओं में भिन्नता होने के कारण ही किसी वस्तु या वस्तुओं का उत्पादन-व्यय एक देश में दूसरे देश से पृथक् होता है और इस कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। उनका मत है कि इस परिस्थिति में आन्तरिक व्यापार सम्बन्धी नियम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये उपयुक्त नहीं रहते हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये एक पृथक् के सिद्धान्त की आवश्यकता होती है। परन्तु इस मत के विपरीत एक दूसरा मत है कि यदि आन्तरिक व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित नियमों एवं सिद्धान्तों का घानपूर्वक विश्लेषण किया जाय तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन दोनों देशों में कोई मौलिक तथा आधारभूत भेद नहीं है वरन् जो कुछ भेद है वह एक श्रेणी (Degree) का है। इस तरह इस मत के अनुयार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार से एक पूर्णतया अलग प्रकार का व्यापार नहीं कहा जा सकता है। परन्तु यह सच है कि इसमें कुछ विशिष्टता अवश्य पाई जाती है। ओहलिन (Ohlin) का मत ठीक ही है कि "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दराएँ है।"

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को ही एक विशिष्ट दरा किस आधार पर कही जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर सरल है। इस मत के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जिस प्रकार थम भी और पौज्ञो साधन विभिन्न देशों के बीच अप्रतिशील होते हैं ठीक इसी प्रकार ये एक देश के अन्दर भी बहुत कुछ अप्रतिशील होते हैं (भाषा, धर्म, रीत-रिवाज आदि की भिन्नता के कारण, भारत जैसे महाद्वीप में विभिन्न देशों में

इन सब में मिनता पाई जाती है)। हम यह अवश्य वह सहते हैं कि विभिन्न देशों की तुलना में इसी एक देश में थम और पूँजी में अपेक्षाकृत भौतिक गतिशीलता पाई जाती है। इसी तरह उक्त मत के अर्थात् इन्होंने कहा है कि एक देश उक्त में विभिन्न देशों में उत्पादन सम्बन्धी नियम पृथक्-पृथक् हो सकते हैं व्योवि वेन्ड्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के नियमों में मिनता हो सकती है। एक दूसरे देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक धौतों तथा भौगोलिक दशाओं में भी अन्तर हुआ करता है। इसके अतिरिक्त एक देश के अन्दर भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं की आधात नियमित में भी इकावटे हो सकती हैं (प्रान्तीय सरकारें अपने प्रान्त में दूसरे प्रान्तों से वस्तुएँ लाने या ले जाने पर वभी-वभी प्रतिवन्ध लगा देती हैं)। उक्तलिखित दत्तीत देश कुछ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारों ने कहा है कि जिन दशाओं के आधार पर आन्तरिक व्यापार होता है, समग्र उसी प्रकार की वशाओं के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है जिससे “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्स्थनीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है।”

### अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लागतों में अन्तर

#### (Differences in Costs in International Trade)

विभिन्न देशों में वस्तुओं के उत्पादन व्यय में तीन प्रकार के अन्तर हो सकते हैं—

- (i) लागतों में पूर्ण-अन्तर,
- (ii) सामान अन्तर तथा
- (iii) लागतों में तुलना-त्वक् अन्तर।

### लागतों में पूर्ण अन्तर

(1) लागतों में पूर्ण अन्तर (Absolute Differences in Costs) —कुछ देशों को प्रहृति की ओर से अन्य देशों की तुलना में विशेष प्राकृतिक लाभ प्राप्त होते हैं (भूमि की बनावट, जलवायु, खनिज सम्पत्ति आदि में विशेष लाभ) जिसके कारण ऐसे देशों में कुछ वस्तुओं का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम लागत पर हो जाता है। यह स्वाभाविक ही है कि एक देश उसी वस्तु (या वस्तुओं) के उत्पादन में विशिष्टीकरण (Specialisation) करेगा जिसके उत्पादन में उसे विशेष लाभ प्राप्त होते हैं परं जिसके उत्पादन में उसे अधिक प्राप्त है और इस वानुमान में ही वह विदिशियों से व्यापार करेगा। भारत को इसी प्रकार के विशेष लाभ प्राप्त होने के कारण यहां पर जूट के उत्पादन का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम होता है जिससे अन्य देशों को इस वस्तु के लिये भारत पर बहुत कुछ निर्भर रहना पड़ता है। मान लो, भारत से अमेरिका को जूट जाता है और अमेरिका से भारत को गेहूँ आता है। लागतों में पूर्ण अन्तर की परिस्थिति में यह व्यापार विस्तृत होता है? मान लो,

भारत में {जूट की उत्पत्ति की सीमान्त लागत १५ रु. प्रति मन है।  
गेहूँ की उत्पत्ति की सीमान्त लागत ८० रु. प्रति मन है।

अमेरिका में {जूट की उत्पत्ति की सीमान्त लागत १० रु. प्रति मन है।  
गेहूँ की उत्पत्ति की सीमा त लागत १५ रु. प्रति मन है।

चूंकि मूल्य सीमान्त लागत (Marginal Costs) के बराबर होता है इसलिये भारत में १ मन जूट के बदले में ३ मन गेहूँ का विनियम होगा और अमेरिका में १ मन

जूट के बदले में २ मन गेहूँ का विनिमय होगा। दूसरे शब्दों में, जूट और गेहूँ की सागत का प्रनुपात (Cost Ratios) भारत में १ : २ और अमेरिका में १ : ३ है। इस तरह भारत में जूट और अमेरिका में गेहूँ की उत्पत्ति में पूर्ण लाभ (Absolute Advantages) है। अतः भारत जूट में और अमेरिका में गेहूँ की उत्पत्ति में विशेषत हो जायेगे और भारत जूट उत्पादक अमेरिका से इसके बदले में गेहूँ ले लेगा। परन्तु भारत और अमेरिका के लिये यह व्यापार कब तक लाभप्रद होगा? यह विनिमय-कार्य भारत को तब ही लाभप्रद होगा जबकि वह १ मन जूट के बदले में अमेरिका से ३ मन गेहूँ से अधिक प्राप्त करता है। इसी तरह यह व्यापार अमेरिका के लिये तब ही लाभप्रद होगा जबकि वह भारत से १५ गेहूँ के बदले में ३ मन जूट से अधिक प्राप्त करता है। भारत और अमेरिका के बीच इस प्रकार के व्यापार के सम्बन्ध में होने वाले यातायात-व्यय व बीमा-व्यय आदि को जोड़ देने पर भी साभ-की स्थिति में अन्तर नहीं पड़ेगा (केवल लाभ की मात्रा प्रभावित होती है) और भारत व अमेरिका में आपस में व्यापार लाभप्रद रहेगा।

लाभ की मात्रा:—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सागतों में पूर्ण अन्तर की स्थिति में लाभ की मात्रा (Gains from the International Trade) की गणना इस प्रकार की जा सकती है।—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर प्रादेशिक अभिभावन (Territorial Division of Labour) द्वारा प्राप्त होता है। जब प्रत्येक देश किसी ऐसी वस्तु की उत्पत्ति में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है जिसमें उसे विशेष मुख्याएं प्राप्त होती हैं, तब संसार में वस्तुओं की कुल उत्पत्ति की मात्रा (Total Production) में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत उत्पत्ति में विशिष्टीकरण (Specialisation) के अभाव में वस्तुओं की कुल उत्पत्ति कम रह जाती है। उक्त उदाहरण में, यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है तब भारत और अमेरिका दोनों ही देश उत्पत्ति के साधनों की इकाइयों को (Units of the Factors of Production) अपने यहीं दोनों ही वस्तुओं की उत्पत्ति के लिये प्रयोग में लायेंगे। भारत में उत्पत्ति के साधनों की इकाई से या तो १ मन जूट उत्पन्न किया जा सकता है या ३ मन गेहूँ उत्पन्न किया जा सकता है। इसी तरह अमेरिका में उत्पत्ति के साधनों की इकाई से या तो १ मन जूट उत्पन्न किया जा सकता है या २ मन गेहूँ उत्पन्न किया जा सकता है। इस दशा में यदि प्रत्येक देश उत्पत्ति के साधनों की दो-दो इकाइयां प्रयोग में लाता है, तब—

भारत में उत्पत्ति = १ मन जूट + ३ मन गेहूँ

अमेरिका में उत्पत्ति = १ मन जूट + २ मन गेहूँ

कुल उत्पत्ति भारत+अमेरिका से = २ मन जूट + २३ मन गेहूँ

अब मान लो, दोनों देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सम्भावना से एक-एक वस्तु की उत्पत्ति में विशिष्टता प्राप्त करते हैं और यह भी मान लो कि दोनों ही देश उत्पत्ति के साधनों की दोनों ही इकाइयों को केवल एक वस्तु की उत्पत्ति करने के लिये प्रयोग में लाते हैं और इस तरह भारत में केवल जूट की उत्पत्ति और अमेरिका में केवल गेहूँ की उत्पत्ति होने लगी है, तब—

भारत में उत्पत्ति के साधनों की दो इकाइयों के प्रयोग से उत्पत्ति = २ मन जूट  
अमेरिका में उत्पत्ति के साधनों की दो इकाइयों के प्रयोग से उत्पत्ति = ४ मन गेहूँ

कुल उत्पत्ति भारत + अमेरिका में = २ मन जूट + ४ मन गेहूँ

अत यह स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका में वस्तुओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विशिष्टीमरण की दशा में, उत्पत्ति के साधनों की इकाइयों की समान मात्रा के प्रयोग करने पर, विशिष्टता के प्रभाव की दशा से (४ - २ =) १ मन गेहूँ अधिक उत्पन्न होता है। इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा (Gains from the International Trade) बराबर है १ मन गेहूँ। सक्षेप में, यह ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है और इस लाभ के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है।

### लागतों में समान अन्तर

(२) लागतों में समान अन्तर (Equal Differences in Costs) – दो देशों में वस्तुओं के उत्पादन के लागत-व्यय के सम्बन्ध में एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें इन दोनों देशों में वस्तुओं की लागतों में समान अन्तर हो सकता है। इस अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है और इन दोनों देशों को दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। मान लो,

भारत में	{ गेहूँ की उत्पत्ति की सीमान्त लागत ३ रुपये प्रतिमन है। कपास की उत्पत्ति की सीमान्त लागत ६ रुपये प्रतिमन है।
अमेरिका में	{ गेहूँ की उत्पत्ति की सीमान्त लागत ५ रुपये प्रतिमन है। कपास की उत्पत्ति की सीमान्त लागत १० रुपये प्रतिमन है।

चूंकि मूल्य सीमान्त लागत के बराबर होता है, इसलिये भारत में १ मन गेहूँ के बदले में २ मन कपास का विनियम होगा और अमेरिका में भी १ मन गेहूँ के बदले २ मन कपास का विनियम होगा। यद्यपि भारत में अमेरिका की तुलना में गेहूँ और कपास दोनों ही वस्तुयें सस्ती उत्पन्न हो जाती हैं, परन्तु इन दोनों देशों में गेहूँ और कपास की उत्पत्ति लागत का अनुपात (Cost Ratios) १ : २ है। इस अवस्था में दोनों में से कोई भी एक देश किसी एक वस्तु की उत्पत्ति में विशिष्टता प्राप्त करके, इस वस्तु के बदले में दूसरे देश से दूसरी वस्तु की आवाहन नहीं करेगा। इसका कारण स्पष्ट है। भारत गेहूँ के उत्पादन में तब ही विशिष्टता प्राप्त करेगा जबकि वह इसके १ मन वजन के बदले में अमेरिका से २ मन कपास से अधिक प्राप्त कर सकता है और अमेरिका भी कपास के उत्पादन में तभी विशिष्टता प्राप्त करेगा जबकि यह २ मन कपास के बदले में भारत से १ मन गेहूँ से अधिक प्राप्त कर सकता है। परन्तु न तो भारत अमेरिका से १ मन गेहूँ के बदल में २ मन कपास से अधिक प्राप्त कर सकता है और न अमेरिका ही भारत से २ मन कपास के बदल में १ मन गेहूँ से अधिक प्राप्त कर सकता है चूंकि भारत में दोनों वस्तुओं का विनियम-अनुपात बही है जो अमेरिका में है। इस दशा में न तो भारत जो उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करने के लिए उत्पत्ति के साधनों को कपास की उत्पत्ति में से हटाकर गेहूँ की उत्पत्ति में लगाना सामन्दर होगा और न अमेरिका को

ही उत्पत्ति के साधनों को गेहूँ की उत्पत्ति से हटाकर कपास की उत्पत्ति में लगाना लाभप्रद होगा। अतः जब दो देशों में किसी दो वस्तुओं के उत्पादन में उत्पादन-व्यय में समान अन्तर होता है, तब इस दशा में इन देशों में विदेशी व्यापार नहीं होता है थर्न् इन दोनों देशों को दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है।

लाभ की मात्रा:—अभी-अभी यह बताया गया था कि दो देशों में वस्तुओं की उत्पत्ति की लागत में समान अन्तर होने पर विदेशी व्यापार उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि इस दशा में दोनों देशों को विदेशी व्यापार में से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। यह बात निम्नलिखित गणना से भी स्पष्ट हो जाती है। उक्त उदाहरण में यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है, तब भारत और अमेरिका दोनों ही देश उत्पत्ति के साधनों की इकाइयों को अपने यहाँ दोनों वस्तुओं की उत्पत्ति के लिये प्रयोग में लायेंगे। भारत में उत्पत्ति के साधनों की एक इकाई से या तो १ मन गेहूँ उत्पन्न किया जा सकता है या २ मन कपास उत्पन्न की जा सकती है। इसी तरह अमेरिका में उत्पत्ति के साधनों की एक इकाई से या तो १ मन गेहूँ उत्पन्न किया जा सकता है या २ मन कपास उत्पन्न की जा सकती है। इस दशा में यदि प्रथेक देश उत्पत्ति के साधनों की दो-दो इकाइयाँ प्रयोग में लायेंगे, तब—

भारत में उत्पत्ति = १ मन गेहूँ + २ मन कपास

अमेरिका में उत्पत्ति = १ मन गेहूँ + २ मन कपास

कुल उत्पत्ति भारत + अमेरिका में = २ मन गेहूँ + ३ मन कपास

अब मान लो, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सम्भावना से दोनों देश एक-एक वस्तु की उत्पत्ति में विभिन्नता प्राप्त करते हैं और यह भी मान लो कि दोनों ही देश उत्पत्ति के साधनों की दोनों ही इकाइयों को केवल एक वस्तु की उत्पत्ति करने के लिये प्रयोग में लाते हैं और इस तरह भारत में केवल गेहूँ की उत्पत्ति और अमेरिका में केवल कपास की उत्पत्ति होने लगी है, तब—

भारत में उत्पत्ति के साधनों की दोनों इकाइयों के प्रयोग से उत्पत्ति = २ मन गेहूँ

अमेरिका में उत्पत्ति के साधनों की दोनों इकाइयों के प्रयोग से उत्पत्ति = १ मन कपास

कुल उत्पत्ति भारत + अमेरिका में = २ मन गेहूँ + १ मन कपास

अतः यह स्पष्ट है कि विभिन्नता के अभाव की दशा में बीर विभिन्नता की दशा में, दोनों स्थितियों में कुल उत्पत्ति समान मात्रा में होती है, इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई लाभ (No Gain in the International Trade) नहीं होता है और यही कारण है कि साधनों के समान अन्तर की दशा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है।

लागतों में तुलनात्मक अन्तर

(१) लागतों में तुलनात्मक अन्तर (Comparative Differences in Costs)-

दो देशों में वस्तुओं के उत्पादन के लागत-व्यय के सम्बन्ध में एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें इन दोनों देशों में वस्तुओं की लागतों में तुलनात्मक अन्तर हो सकता है। दूसरे सम्बन्ध में, एक ऐसी स्थिति सम्भव है जिसमें कुछ देश दूसरे देशों की तुलना में कुछ वस्तुयें सही उत्पन्न कर सकते हैं, परन्तु इनमें भी तुलनात्मक हासिल से एक वस्तु,

दूसरी वस्तुओं की उत्पत्ति की अपेक्षा में, अधिक सस्ती उत्पत्ति की जा सकती है अर्थात् इस दश में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा में किसी एक वस्तु की उत्पत्ति में अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है (There is a greater Comparative Advantage in the production of one Commodity)। इसी प्रकार दूसरे दश में पदार्पण सब ही वस्तुयें अधिक महगी उत्पन्न होती हैं, परन्तु इनमें भी तुलनात्मक दृष्टि से, किसी एक वस्तु की उत्पत्ति में, अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति की तुलना में कम धारा होता है। (There is a lesser Comparative Disadvantage in the production of one Commodity)। इसीलिए यह यहा जाता है कि इन दोनों देशों में लागतों में तुलनात्मक अन्तर है और ऐसे अन्तरों की दशा में विद्यमय व्यापार लाभदायक होता है। लागतों में तुलनात्मक अन्तर को दशा में यह व्यापार किस प्रकार होता है? मान लो,

भारत में	{ गेहूँ की उत्पत्ति की सीमान्त लागत ५ रु० प्रति मन है। कपास की उत्पत्ति की सीमान्त लागत १० रु० प्रति मन है।
अमेरिका में	{ गेहूँ की उत्पत्ति की सीमान्त लागत ४ रु० प्रति मन है। कपास की उत्पत्ति की सीमान्त लागत ६ रु० प्रति मन है।

चूंकि मूलव सीमान्त लागत के बराबर होता है, इसलिये भारत में १ मन गेहूँ के बदले में २ मन कपास का विनिमय होगा और अमेरिका में १ मन गेहूँ के बदले में २ मन कपास का विनिमय होगा। दूसरे शब्दों में, गेहूँ और कपास की लागत का प्रनुभान (Cost Ratio) भारत में १ : २ और अमेरिका में १ : १२ मन है। इस दशा में अमेरिका में भारत की अपेक्षा गेहूँ और कपास दोनों ही वस्तुयें सस्ती उत्पत्ति की जा सकती हैं, परन्तु तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantage) कपास की उत्पत्ति में गेहूँ की उत्पत्ति से अधिक है। इसी प्रकार भारत में दोनों वस्तुओं की उत्पत्ति में तुलनात्मक हानि (Comparative Disadvantage) है परन्तु यह हानि गेहूँ से कपास की उत्पत्ति की अपेक्षा कम है। इसलिये भारत गेहूँ की उत्पत्ति में और अमेरिका कपास की उत्पत्ति में विनियुक्त प्राप्ति करेगा और भारत गेहूँ उत्पादन उपकरणों में अमेरिका से १२ मन कपास से अधिक प्राप्त करता है और इसी प्रकार यह विनिमय काय अमेरिका के लिये तब ही लाभप्रद होगा जबकि वह भारत से २ मन कपास के बदले में १ मन गेहूँ से अधिक प्राप्त करता है। इस प्रकार इन दोनों देशों में वस्तुओं के विनिमय की सीमाय (Range of Exchange) भी यही हैं और विनिमय की दर (Rate of Exchange) इन दोनों सीमाओं के बीच में एक दूसरे देश की वस्तुओं की सापेक्ष मात्रा (Relative Demand) द्वारा निर्धारित होगी। यह स्मरण रहे कि भारत और अमेरिका के बीच इस प्रकार के व्यापार के सम्बन्ध में होने वाले यातायात-व्यय व बीमाव्यय आदि को जोड़ देने पर भी लाभ की स्थिति में अन्तर नहीं पड़ेगा (केवल लाभ की मात्रा ही प्रभावित होती है) और भारत व अमेरिका में व्यापार लाभप्रद होगा।

लाभ की मात्रा — अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लागतों में तुलनात्मक अन्तर की स्थिति

में साम की मात्रा (Gains from the International Trade) की गणना इस प्रकार की जा सकती हैः—उक्त उदाहरण में यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है, तब भारत और अमेरिका दोनों ही देश उत्पत्ति के साधनों की इकाइयों को (Units of the Factors of Production) अपने यहीं दोनों ही वस्तुओं की उत्पत्ति के लिये प्रयोग में लायेंगे। भारत में उत्पत्ति के साधनों की इकाई से या तो १ मन गेहूँ उत्पन्न किया जा सकता है या २ मन कपास उत्पन्न की जा सकती है। इसी तरह अमेरिका में उत्पत्ति के साधनों की एक इकाई से या तो १ मन गेहूँ उत्पन्न किया जा सकता है या ३ मन कपास उत्पन्न की जा सकती है। इस दशा में यदि प्रत्येक देश उत्पत्ति के साधनों की दोनों इकाइयों प्रयोग में लाता है, तब—

$$\text{भारत में उत्पत्ति} = १ \text{ मन गेहूँ} + ०\cdot५० \text{ मन कपास} \frac{१}{२} \text{ मन गेहूँ}$$

$$\text{अमेरिका में उत्पत्ति} = १ \text{ मन गेहूँ} + ०\cdot६६ \text{ मन कपास} \frac{२}{३} \text{ मन गेहूँ}$$

$$\text{कुल उत्पत्ति भारत} + \text{अमेरिका में} = २ \text{ मन गेहूँ} + १\cdot१६ \text{ मन कपास} १\cdot६८$$

यदि भारत लो, दोनों देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सम्भावना से एक-एक वस्तु की उत्पत्ति में विशिष्टता प्राप्त करते हैं और यह भी भारत लो कि दोनों ही देश उत्पत्ति के साधनों की दोनों ही इकाइयों को केवल एक वस्तु की उत्पत्ति करने के लिए प्रयोग में लाते हैं और इस तरह भारत में केवल गेहूँ की उत्पत्ति और अमेरिका में केवल कपास की उत्पत्ति होने लगी है, तब—

$$\text{भारत में उत्पत्ति के साधनों की दोनों इकाइयों के प्रयोग से उत्पत्ति} = २ \text{ मन गेहूँ}$$

$$\text{अमेरिका में उत्पत्ति के साधनों की दोनों इकाइयों के प्रयोग से उत्पत्ति} = १\cdot३३ \text{ मन कपास} १\cdot३३$$

$$\text{कुल उत्पत्ति भारत} + \text{अमेरिका में} = २ \text{ मन गेहूँ} + १\cdot३३ \text{ मन कपास} २\cdot३३$$

अतः यह स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका में वस्तुओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विशिष्टताकरण की दशा में, उत्पत्ति के साधनों की इकाइयों की समान-मात्रा के प्रयोग करने पर, विशिष्टता की समाव दशा से ( $१\cdot३३ - १\cdot६८ =$ )  $०\cdot१६$  मन कपास पहले से अधिक उत्पन्न हुई है। इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में साम की मात्रा (Gains from the International Trade) परामर्श है  $०\cdot१६$  मन कपास। संक्षेप में, यह ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का साम है और इस साम के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में साम की मात्रा के निर्धारण की निम्नरूपता——(Factors affecting the determination of the extent of Gain in the International Trade).—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं का विनियम करने वाले दोनों देशों को साम प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त साम की मात्रा तीन बातों पर निर्भर रहती हैः—(i) सामत के अनुपातों में अन्तर (Differences in Cost Ratios):—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में साम की मात्रा (Extent of Gain) दोनों देशों में सामत के अनुपातों के अन्तर पर निर्भर रहती है। सामतों में अन्तर जितना अधिक होगा, साम का देना भी उतना ही अधिक विस्तृत होगा। प्रो॰ हेरोड (Harrod) के शब्दों में, “एक देश को विदेशी व्यापार

में तब साम होता है जबकि इस देश के अधिकारियों को यह अनुभव होता है कि उनके देश में वस्तुओं के मूल्य वा जो अनुपात प्रचलित है उससे कही अधिक भिन्नता विदेशों में मूल्य के अनुपात में है। ये उन वस्तुओं को जो उन्हें सही प्रतीत होती हैं खरीदते हैं और जो वस्तुओं महंगी दीखती हैं उन्हें बेचते हैं। उनकी दृष्टि से इन ऊने और नीचे चिन्हों में जितना अन्तर होगा और जितना अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं होगी, उनना ही व्यापार में अधिक लाभ होगा”\* मान लो ‘ब’ देश ‘ब’ से कुछ वस्तुओं की मायात करता है और साथ ही साथ कुछ देशों को निर्धारित भी करता है। यदि ‘अ’ देश की निर्धारित की वस्तुओं की उत्पत्ति की उत्पादन-दमता (Productive Efficiency) बढ़ती है, तब ‘ब’ देश को इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाली साम की मात्रा बढ़ेगी, परन्तु स्वयं ‘ब’ देश की निर्धारित की वस्तुओं की उत्पत्ति की उत्पादन-दमता बढ़ती है, तब ‘अ’ देश को इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाली साम की मात्रा घटेगी, परन्तु स्वयं ‘ब’ देश को इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाली साम की मात्रा घटेगी। अत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दो देशों को प्राप्त होने वाली साम की मात्रा, इन दोनों में वस्तुओं की लागत के अनुपात के अन्तर पर निर्भर रहती है। (ii) व्यापार की शर्तें (Terms of the Trade —लाभ की मात्रा पर व्यापार की शर्तों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। एक देश दूसरे देश से वस्तुओं की मायात-निर्धारित जिन शर्तों (Terms) पर करता है, उन पर एक देश की दूसरे देश की वस्तुओं की मायात की लचक (Elasticity of Demand) या दोनों देशों की एक दूसरे की वस्तुओं की सापेक्षिक मायाका असर पड़ता है। मान लो, ‘अ’ देश में गेहूं की उत्पत्ति और ‘ब’ देश में कपास की उत्पत्ति होती है। यदि ‘अ’ देश की कपास की मायाअधिक बेलोचदार है, तब यह देश कपास की एक निश्चित मात्रा के लिए गेहूं की अधिक मात्रा देने के लिए तैयार होगा। इसी प्रकार यदि ‘ब’ देश की गेहूं की मायाकी लोचदार (Elastic) है तब यह देश गेहूं की एक निश्चित मात्रा के लिए कपास की अधिक मात्रा देने के लिये तैयार नहीं होगा। अत किसी देश की दूसरे देश की वस्तुओं की मायाजितनी बेलोचदार या लोचदार होगी, उसी प्रकार इसकी अवसाय की शर्तें भी इसके क्रमशः प्रतिकूल या अनुकूल होंगी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सब से अधिक साम उस देश को होगा या अवसाय की शर्तें उस देश के पक्ष में होंगी जिनकी वस्तुओं की मायाविदेशों में अधिक होती है या जिनकी वस्तुओं की मायाविदेशों में बेलोचदार होती है परन्तु स्वयं की विदेशी वस्तुओं की मायाएँ हम होती हैं या स्वयं की विदेशी वस्तुओं की मायालचकदार होती है। इसलिये टॉसिंग (Taussig)

\* A country gains by foreign trade, if and when the traders find that there exists abroad a ratio of prices very different from that to which they are accustomed at home. They buy what to them seems cheap and sell what to them seem dear. The bigger the gap between what to them seem low point and high point and more important the articles affected, the greater will the gain from trade be." Harrod,—International Economics P 34.

\* Taussig has said about it in the following words— "That country gains most from International Trade whose exports are most in demand and which itself has little demand for the things it imports i.e. for the exports of other

ने ठोक ही कहा है कि किसी देश से विदेशी व्यापार से होने वाले लाभ को मात्रा दो शर्तों पर निभंर रहती है—(अ) लागतों के भनुपात्रों में अन्तर अर्थात् नियर्ति की वस्तुयें उत्पन्न करने में देश की उत्पादन-धमता तथा (आ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें।

यह स्मरण रहे कि किसी देश की द्रव्य-आय (Money Income) से उसकी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा का ज्ञान हो सकता है क्योंकि एक देश द्रव्य-आय के रूप में ही लाभ प्राप्त किया करता है। जिस देश की वस्तुओं की मांग विदेशों में निरन्तर रहती है, उस देश की द्रव्य-आय का स्तर (Level of Money Income) ऊंचा होता है क्योंकि ऐसे देश में नियर्ति वस्तुओं के उद्योगों में अपेक्षाकृत अधिक उन्नति होती है। ऐसे देश में नियर्ति उद्योगों में मजदूरी की दर भी अधिक हो जाती है जिसके परिणाम-स्वरूप अन्य उद्योगों की मजदूरी भी बढ़ जाती है क्योंकि अधिक मजदूरी वाले उद्योगों में गतिशील हो जाया करते हैं। अतः जिस देश की वस्तुओं की मांग विदेशों में बहुत होती है, उसकी यद्यपि द्रव्य आय बढ़ जाती है अब्यास समें मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाती है, परन्तु इस देश में विदेशी वस्तुओं का मूल्य बहुत कम होता है जिससे उपभोक्ताओं को विदेशी वस्तुओं के उपभोग से लाभ होता है। इसके विपरीत जिस देश में विदेशी वस्तुओं की मांग अधिक होती है, उसकी मुद्रा-आय का स्तर (Level of Money Incomes) कम हो जाता है और मुद्रा-आय के कम हो जाने के साथ ही साथ इस देश में विदेशी वस्तुओं का मूल्य भी अधिक हो जाता है जिससे इन वस्तुओं के उपभोक्ताओं को हानि होती है। अतः द्रव्य-आय के स्तर से यह ज्ञात हो जाता है कि कौन-सा देश अधिक लाभदायक सौदा कर रहा है।

### तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त

#### (Principle of Comparative Costs)

बैसटेबिल (Bastable) ने तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के भाव को एक बहुत ही मुन्दर उदाहरण के रूप में इस प्रकार दिया है—“एक डाक्टर घपने यही नीकर होने वाले माली के बगीचे के काम में भी अधिक निपुण हो सकता है, परन्तु डाक्टरी में वह बगीचे के काम से भी अधिक निपुण है। यदि वह भपना सारा समय उस काम (डाक्टरी) में नहीं देगा जिसमें वह सबसे अधिक निपुण है, तो उसे हानि होगी। उसको सबसे अधिक लाभ उभी होगा जबकि वह माली के बदले डाक्टरी का ही काम सारे दिन करता रहे। इसी प्रकार यदि एक देश दूसरे देश की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु अधिक सस्ती बना सकता हो, परन्तु यही उसको सबसे अधिक लाभदायक होगा कि वह वैदेश उसी वस्तु को उत्पन्न करने में लगा रहे जिस वस्तु के उत्पन्न करने में दूसरे देश की अपेक्षा, उसे सबसे अधिक तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantage) है। दूसरी ओर, घटिया देश के हित में भी यही होगा कि वह भी केवल यही वस्तु बनाए जिससे उसको तुलनात्मक हानि सबसे कम हो।”\* इस अध्याय के आरम्भ में यह स्पष्ट किया जा चुका

\*countries. That country gains least which has the most insistent demand for the products of other countries.”

\*A doctor may be a better gardener whom he employs, but he may be a still better doctor and he would lose, if he did not restrict himself to the high-

है कि कुछ देश ऐसे होते हैं जिनको गम्य दूसरे देशों की अपेक्षा प्रदृष्टि की ओर से अथवा सरकार की ओर से कुछ विदेश सुविधाएँ (जलवायु, यानिज सम्पत्ति, कार्य करने की दशायें, मुद्रा एवं चलन तथा भौगोलिक स्थिति आदि) प्राप्त होती हैं जिनके कारण इन देशों में अन्य देशों की अपेक्षा कुछ वस्तुओं के उत्पादन में अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार की विदेश सुविधाएँ उपलब्ध होने के कारण, ये देश कुछ वस्तुओं का उत्पादन अपेक्षाकृत कम लागत-व्यय पर कर सकते हैं जिसके कारण ये देश इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण (Specialisation) प्राप्त कर लेते हैं। विभिन्न देशों में प्राकृतिक साधनों एवं उत्पादन की दशाओं में मिन्नता के कारण ही भिन्न-भिन्न देशों में वस्तुओं के लागत-व्यय तथा उत्पादनों की लाम की दर में भिन्नता पाई जाती है। जिस देश में उत्पादन के साधन एवं सुविधायें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं, वहाँ पर वस्तुयें कम मूल्य पर और जिस देश में इन साधनों एवं सुविधाओं में अल्पता (Scarcity) होती है, वहाँ पर वस्तुयें अधिक मूल्य पर उत्पन्न की जाती हैं। विशिष्टीकरण की अवस्था में विभिन्न देशों में उत्पत्ति के साधनों का अधिकतम उपयोगी प्रयोग होता है जिससे वस्तुओं का उत्पादन अपेक्षाकृत कम लागत पर हो जाता है। अत अब विभिन्न देश भिन्न-भिन्न वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं अथवा जब अन्तर्राष्ट्रीय आघार पर प्रादेशिक थम-विमाजन का जन्म हो जाता है, तब विदेशी व्यापार उत्पन्न होता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार न केवल लागत एवं मूल्यों के पूर्ण अन्तर (Absolute Differences in Costs) की अपस्था में बल्कि यह तुलनात्मक लागत के अन्तर (Differences in Comparative Costs) की अपस्था में भी उत्पन्न होता है। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत इसी तथ्य का स्पष्टीकरण करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उस समय उत्पन्न होता है जब एक देश दूसरे देशों की तुलना में कुछ वस्तुयें सही उत्पन्न कर सकता है, परन्तु इनमें भी जब वह तुलनात्मक हित से एक वस्तु दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक सही उत्पन्न कर सकता है। इस देश में यह देश इस वस्तु की उत्पत्ति में विशिष्टता प्राप्त कर जाता है और इसके बदले में उन वस्तुओं की आपात करता है जिनको वह स्वयं भी कम लागत पर उत्पन्न कर सकता है (परन्तु तुलना में इन वस्तुओं के उत्पादन में लागत-व्यय उस वस्तु से अधिक होता है जिसके उत्पादन में उस देश ने हमें विशिष्टता प्राप्त की है)। इस तरह विदेशी ये मायाई गई वस्तुओं में किसी देश को जो कुछ हानि होती है, वह उस लाम स पूरी हो जाती है जो वह अपने देश में थम और धूंजी की इकाइयों को वस्तुओं की उत्पत्ति में लगाकर प्राप्त करता है। इसी बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि तुलनात्मक लागत के अन्तर की अपस्था में एक देश उस वस्तु को उत्पन्न करता है जिसमें उसे अधिक सापेदिक लाभ (Greater Comparative Advantage) होता है या जिसे वह कम से कम तुलनात्मक लागत पर

est type of work which he could do. His advantage over the gardener is the greatest not when he is acting as a gardener but when he exercises his function as a doctor. So a country may be able to produce everything better than any other country, but it will pay it best to concentrate on those articles at which its comparative advantage is greatest whilst the inferior country must restrict itself to those products at which its comparative disadvantage is least."

—Bastable

उत्पन्न कर राकता है और इस वस्तु के बढ़ते में वह दूसरे देशों से ऐसी वस्तुयें मंगता है जिनकी उत्पत्ति में, उन देशों को अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति की अपेक्षा, कम तुलनात्मक हानि (Lesser Comparative Disadvantage) होती है।<sup>10</sup> जिस सिद्धान्त में इस सम्बन्ध का स्पष्टीकरण किया गया है उसे ही हम तुलनात्मक सामग्री का सिद्धान्त (Principle of Comparative Costs) कहते हैं। इस बात को हम एक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं (जार “लागतों में तुलनात्मक अधिकारी” नामक शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये उदाहरण को यहाँ पर विस्तार से समझाएये)।

यह स्मरण रहे कि तुलनात्मक सामग्री का सिद्धान्त केवल एक प्रवृत्ति का घोटक है। आधुनिक काल में इसका ठीक-ठीक प्रयोग मर्ही होने पाता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर राजनीतिक दशाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राष्ट्रों के अधिकारों आदि का प्रभाव पड़ता है।

### तुलनात्मक सिद्धान्त की प्रतिष्ठित तथा यर्तमान विचारधारा (The Classical and the Modern concept of the Principle of Comparative Costs)

तुलनात्मक सामग्री का प्रतिष्ठित सिद्धान्त (The Classical Theory of Comparative Costs):—प्रतिष्ठित सिद्धान्त के मुख्य प्रतिपादक एडम स्मिथ (Adam Smith), ह्यूम (Hume) तथा रिकार्डो (Ricardo) थे। रिकार्डो (Ricardo) ने तुलनात्मक सामग्री-सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर साधू करते हुए सर्वप्रथम यह बतलाया कि सामग्री में तुलनात्मक अन्तर होने पर ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का ज़म होता है। एडम स्मिथ (Adam Smith) और रिकार्डो (Ricardo) दोनों प्राचीन अंग्रेजी अर्थशास्त्रियों ने यह बतलाया कि एक देश के अन्दर तो थम और पूँजी में गतिशीलता होने से विभिन्न व्यवसायों में सामान होने की प्रवृत्ति होती है, परन्तु इन्होंने बताया कि विभिन्न देशों के बीच इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है क्योंकि थम और पूँजी सापेन विभिन्न देशों में गतिशील नहीं होते हैं। इन्होंने कहा कि एक देश के अन्दर तो समान योग्यता व सामग्री वाले अधिकों को एक समान मजदूरी मिलती है, परन्तु विभिन्न देशों में इनकी मजदूरी एक-समान नहीं होती क्योंकि विभिन्न देशों में अधिक अविनियोजित होते हैं। जब विभिन्न देशों के बीच मजदूरी, व्याज व सामग्री की मात्रा में भिन्नता होती है, तब इसका परिणाम यह होता है कि भिन्न-भिन्न देशों में एक-सी वस्तुओं की उत्पत्ति-सामग्री में भी भिन्नता हो जाती है। इसी बात को रिकार्डो ने अवहारिक जीवन के एक उदाहरण से स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा कि पुर्तगाल (Portugal) कपड़ा और सारांश दोनों ही इंग्लैंड (England) की अपेक्षा कम सामग्री

\* See shall has explained the same idea in the following words—“If goods which can be produced at home, are yet imported freely from abroad, that shows that they can be got generally at lesser cost by making other things with which to buy them from abroad, than by the direct method of making them at home.”

Viner has also said as follows—“Each country will produce those articles in the production of which its superiority is most marked or its inferiority least marked.”

पर उत्पन्न कर सकता था, परन्तु पुरुंगात के लिए यही लाभप्रद था कि वह शाराव के उत्पादन में विशिष्टोकरण (Specialisation) प्राप्त करे और इसके बदले में इग्लैंड से कपड़े की आयात करे जिसका पुरुंगात को शाराव के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अधिक था। अतः रिकार्डो ने इस उदाहरण के आधार पर यह बताया कि यद्यपि एक देश में दूसरे देश की अपेक्षा दो वस्तुएँ सहस्ती उत्पन्न की जा सकती हैं, परन्तु एक देश को केवल किसी एक वस्तु की उत्पत्ति में विशेषज्ञ होने से ही अधिक लाभ होता है और यह वह वस्तु होती है जिसकी उत्पत्ति में इस देश को अधिक तुलनात्मक लाभ है। यह देश इस वस्तु को उत्पन्न करने के बदले में दूसरे देश से दूसरी वस्तु की आयात करेगा। इस तरह एक उदाहरण के आधार पर रिकार्डो ने सर्वप्रथम यह बताया कि लागतों के तुलनात्मक अन्तर के कारण किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त रिकार्डो ने यह भी बताया कि तुलनात्मक लागत द्वारा ही विदेशी व्यापार में विनिमय की दरों की सीमाएँ (Limits of Exchange) भी निर्धारित होती हैं।

रिकार्डो के बाद मिल (J. S. Mill) ने रिकार्डो के उक्त सिद्धान्त में आवश्यक संशोधन किये। मिल ने यह तो मान लिया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार लागतों में तुलनात्मक अन्तर ही है और यह भी मान लिया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ भी इन्हीं लागतों के अन्तर द्वारा उत्पन्न होता है, परन्तु उसने विनिमय की दर एवं लाभ की मात्रा का अधिक स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने बताया कि विदेशी व्यापार में लाभ की मात्रा इस बात पर बहुत कुछ निर्भर रहती है कि एक देश में दूसरे देश की वस्तुओं की मात्रा तुलनात्मक दृष्टि से कितनी आश्रहपूर्ण है अर्थात् उन्होंने कहा कि तुलनात्मक लागत द्वारा निर्धारित विनिमय की सीमाओं के बीच में ही विनिमय की दर (Terms of Exchange) एक देश की दूसरे देश की वस्तुओं की सापेक्षिक मात्रा से तय होती है।

कैर्नीज (Cairnes) नामक अर्थशास्त्री ने रिकार्डो और मिल दोनों के विचारों की आलोचना की है। हम यह जानते ही हैं कि रिकार्डो और मिल दोनों ने इस सिद्धान्त का निर्माण इस मान्यता पर किया है कि देश के अन्दर तो श्रम और पूर्जी साधन पूर्णतया गतिशील हैं और दो देशों के बीच ये साधन पूर्णतया अगतिशील होते हैं। परन्तु कैरनीज (Cairnes) ने उक्त मान्यता की आलोचना की है और कहा है कि श्रम और पूर्जी साधन न तो एक देश के अन्दर पूर्णतया गतिशील होते हैं और न ये साधन दो देशों के बीच पूर्णतया अगतिशील ही होते हैं। उसने कहा कि यदि हम रिकार्डो और मिल की मान्यता को तुलनात्मक लागत सिद्धान्त से हटा भी दें, तब भी इस सिद्धान्त में कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। इसलिये कैरनीज (Cairnes) ने भी अन्ततः रिकार्डो और मिल के सिद्धान्त को स्वीकृत कर लिया था।

प्रतिक्लित सिद्धान्त में आधुनिक सुधार (Recent Modifications in the Classical Theory)—वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने भी तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को स्वीकृत किया है, परन्तु इन्होंने इसमें कुछ आवश्यक सुधार भी किये हैं—(i) वस्तु

की सामग्री का माप धम में न करके मुद्रा में किया है:—प्राचीन एवं प्रतिष्ठित अर्थ-साहित्रियों ने वस्तुओं की उत्पत्ति-लागत का माप धम में किया था, परन्तु वर्तमान अर्थ-साहित्रियों ने वस्तुओं की लागत के धम में माप को त्याग दिया है। इसका कारण स्पष्ट है। प्रथम तो आधुनिक अर्थशास्त्री मूल्य के अम-सिद्धान्त (Labour Theory of Value) को स्वीकार नहीं करते हैं और फिर वस्तुओं की उत्पत्ति में धम के अतिरिक्त अन्य साधनों का भी उपयोग होता है। यह स्वाभाविक ही है कि जब मूल्य-सिद्धान्त (Theory of Value) में ही अम-सिद्धान्त (Labour Theory) को अस्वीकार कर दिया गया है, तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को इस सिद्धान्त पर आधारित करना तो बिलकुल ही ठीक नहीं है। आजकल मूल्य-सिद्धान्त सीमांत लागत (Marginal Cost) के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसीलिए तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त भी सीमांत लागत (Marginal Cost) के रूप में व्यक्त किया जाता है। अतः आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने वस्तुओं की सामग्री का माप धम में न करके मुद्रा में किया है और यह तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में वर्तमान अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रयत्न सुधार है। (ii) व्यापार की शर्तों पर वस्तुओं की तुलनात्मक मांग की लोच का भी प्रभाय पड़ता है:—प्रसिद्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री रिकार्डों ने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते समय यह बताया था कि तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के आधार पर किन-किन वस्तुओं में व्यापार करना लाभदायक होगा अथवा उन्होंने यह बताया था कि तुलनात्मक लागत द्वारा ही विदेशी व्यापार में विनियम की दरों की सीमाएं निर्धारित होती हैं। परन्तु रिकार्डों और उसके समर्थक यह निर्धारित नहीं कर सके कि लाभ की मात्रा किन-किन शर्तों पर निर्भर रहती है? उनका मत यह कि विनियम-दर बाजार में वस्तुओं के मोल-भाव (Higgling in the Market) के द्वारा ही निर्धारित होती थी। परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों में सुधार करते हुये कहा है कि व्यापार की शर्तें मोल-भाव द्वारा नहीं बरन् एक देश दूसरे देश की वस्तुओं की मांग की लोच पर निर्भर रहती हैं। जिस देश में दूसरे देश की वस्तु की तुलनात्मक मांग की लोच अधिक होगी, व्यापार की शर्तें (Terms of the Trade) भी उस देश के लिये उतनी ही अनुदूल होगी (इस सम्बन्ध में ऊपर “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सामग्री की मात्रा के नियरिंग की विभाता” नामक शीर्षक में विस्तृत ऐसा लिखा गया है)। अतः तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में वस्तुओं की तुलनात्मक मांग का विचार करके अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त में व्यवहारिकता लाई है और यह इस सिद्धान्त में वर्तमान अर्थशास्त्रियों द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण सुधार है। (iii) उत्पत्ति-समता नियम ही सामूह नहीं होता है बरन् इस पर उत्पत्ति वृद्धि तथा उत्पत्ति ह्रास-नियम भी सामूह होता है:—रिकार्डों तथा अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त का प्रतिपादन इस मान्यता के आधार पर किया था कि दोनों देशों में उत्पादन व्यापार-उत्पत्ति-समता नियम (Law of Constant Returns) के आधार पर होता है तथा विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में होने वाले यातायात-व्यय (Cost of Transport) का कुछ भी महत्व नहीं है। वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने इन दोनों ही मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया है। इन्होंने तुलनात्मक सामग्री के सिद्धान्त का विचार करते समय न केवल उत्पत्ति-समता-नियम का ही ध्यान रखता है बरन् उत्पत्ति-वृद्धि तथा उत्पत्ति-

हास नियम का भी विचार किया है। जब उत्पत्ति क्रमागत-उत्पत्ति-वृद्धि-नियम (Law of Increasing Returns) के अनुसार हो रही है, तब मांग में वृद्धि के कारण पूर्ति में वृद्धि होने पर प्रति इकाई लागत कम हो जाती है जिससे व्यवसाय में तुलनात्मक लाभ का क्षेत्र बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि उत्पत्ति क्रमागत हास नियम (Law of Diminishing Returns) के अनुसार हो रही है, तब मांग में वृद्धि के कारण पूर्ति में वृद्धि होने पर प्रति इकाई लागत अधिक हो जाती है जिससे व्यवसाय में तुलनात्मक लाभ का क्षेत्र कम या समाप्त हो जाता है। इसलिये हम कह सकते हैं कि घटती हुई लागत (Decreasing Cost of Production) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देती है और बढ़ती हुई लागत (Increasing Cost of Production) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हतोत्तराहित करती है। अत वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने यथायात व्यवस्था उत्पत्ति के तीनों नियमों की कार्यशीलता का विचार करके इस सुलनात्मक लागत के सिद्धान्त में व्यवहारिकता उत्पन्न कर दी है और यह इस सिद्धान्त में वर्तमान अर्थशास्त्रियों द्वारा तीसरा महत्वपूर्ण सुधार है।

### अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और मजदूरी (International Trade and Wages)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर मजदूरी का प्रभाव — कभी कभी यह प्रश्न उठ जाया करता है कि भिन्न भिन्न देशों में मजदूरी की दरों से विभिन्नता का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है? अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अव्ययन से ऐसा प्रतीक होने लगता है कि कम मजदूरी देने वाला देश अपनी वस्तुएँ सर्वेव अधिक लंबी मजदूरी देने वाले देशों को निर्यात किया करता है क्योंकि अधिक मजदूरी देने वाला देश कम मजदूरी और इसलिए कम लागत-व्यवस्था वाले देश की बनी वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं करने पाता है। इस कथन का आधार यह विश्वास है कि अधिक मजदूरी देने वाले देशों में सदा वस्तुओं की प्रति इकाई लागत और इसलिये कीमतें अधिक होती हैं। परन्तु तर्क व अनुभव से पता चलता है कि यह विचार दोषपूर्ण ही नहीं वरन् पूरांतर पा गलत है। प्राय लंबी मध्यदूरी वाले अभियों द्वारा उत्पत्ति, कम मजदूरी वाले अभियों की तुलना में अधिक अच्छी तथा मात्रा में भी अधिक होती है जिससे मजदूरी को यद्यपि मजदूरी तो अधिक ही जाती है परन्तु प्रति इकाई लागत अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। यह एक आधिक सत्य है कि "अधिक मजदूरी सस्ती मजदूरी होती है और सस्ती मजदूरी अधिक मजदूरी होती है" (High Wages are Low Wages and Low Wages are High Wages)। इसीलिये अधिक मजदूरी का अब अधिक लागत से नहीं होता है क्योंकि अधिक मजदूरी वाले देश में अधिकों की उत्पादन क्षमता अधिक होती है जिससे इस देश में वस्तुओं की प्रति इकाई लागत और इसलिये इनका मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है। इसीलिये आजकल एक लंबी मजदूरी वाला देश कम मजदूरी वाले देश को वस्तुओं का निर्यात करने में सफल हो जाता है और उससे डटकर प्रतियोगिता भी कर लेता है। यह बात एक चक्काहरण से भी सिद्ध हो जाती है। इग्लैंड और अमेरिका में भारत की तुलना में मजदूरी बहुत ज्यादा लंबी है, परन्तु तब भी भारत इग्लैंड और अमेरिका में वस्तुओं

बहुत बड़ी मात्रा में मौगला है क्योंकि भारत में मजदूरी के कम होने के कारण मजदूरी की कार्य क्षमता बहुत कम है और इंगलैण्ड व अमेरिका में अधिक मजदूरी के साथ ही साथ मजदूरों की उत्पादन-शक्ति भी अधिक है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि एक कम मजदूरी वाला देश सदैव अपनी वस्तुओं का नियंत्रित एक अधिक मजदूरी वाले देश को करेगा। वास्तव में, अनुभव इसके बिलकुल विपरीत है क्योंकि वर्तमान संसार में ऊँची मजदूरी वाले देश कम मजदूरी वाले देशों को ही वस्तुओं का नियंत्रित करते हैं ऊँची मजदूरी नियंत्रित व्यापार में याधक होने के स्थान पर यह इसको प्रोत्साहन देती है। इसीलिए यह स्पष्ट है कि ऊँची मजदूरी वाले देश ऊँची मजदूरी के कारण ही नियंत्रित व्यापार में इतने उत्पन्न तथा आर्थिक दृष्टि से इतने समृद्धिशाली हो सके हैं। अतः विभिन्न देशों में मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।

### अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रतियोगिता-रहित समूह (International Trade and Non-Competing Groups)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गति और प्रतियोगिता-रहित समूह (Direction of the

Trade in the International Trade and the Non-Competing Groups):—  
यदि किसी देश में मजदूरों की प्रतियोगिता-रहित समूह (Non-Competing Groups of Labourers) हैं, तब इन समूहों का इस देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गति पर बहुत प्रभाव पड़ा करता है। हमने तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की व्याख्या इस बात को मानकर की है कि देश के अन्दर अमर्याधन पूर्णतया गतिशील होता है जिससे श्रमियों के विभिन्न वर्गों की मजदूरी उनकी योग्यता कार्य-क्षमता के अनुसार निर्धारित होती है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि अमर्याधन पूर्णतया गतिशील हो। यदि श्रमी गतिशील नहीं है या ये बहुत कम गतिशील हैं जिसके कारण श्रमियों के किसी एक वर्ग को समान योग्यता वाले श्रमियों के दूसरे वर्ग की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, तब उस देश को इस कम मजदूरी वाले श्रमी-वर्ग द्वारा उत्पन्न वस्तुओं की उत्पत्ति में तुलनात्मक लाभ उपलब्ध होगा क्योंकि इनकी उत्पत्ति लागत अन्य वर्गों की व्येदा में बहुत कम है। परिणामतः ऐसी वस्तुओं की नियंत्रित वी सम्भावना हो जायगी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म हो जायगा। इसके विपरीत यदि इस देश में श्रमियों के प्रतियोगिता-रहित समूह नहीं हैं, तब सम्भव है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गति पर उत्तरालिखित प्रभाव नहीं पड़ने पाये।

अब हम एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें दो देशों में श्रमियों के प्रतियोगिता-रहित समूह पाये जाते हैं। इस प्रवस्था में यदि दोनों देशों में प्रतियोगिता-रहित समूहों की स्थिति तुलना में एक-सी है, तब इन समूहों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु यदि दो देशों में श्रमियों के प्रतियोगिता-रहित समूहों की स्थिति में भिन्नता है, तब इन समूहों का व्यापार की गति पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिये, यदि इंगलैण्ड में भारत की व्येदा एक ही प्रमाण के श्रमियों को अधिक मजदूरी मिलती है, तब इस भिन्नता का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की

गति पर अवश्यमेव प्रभाव पड़ेगा।

### अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ व हानियाँ

#### (Advantages and Disadvantages of International Trade)

लाभ (Advantages):—विदेशी व्यापार के मुख्य मुख्य लाभ इस प्रकार हैं—

- (i) **प्रादेशिक अम विभाजन** (Territorial Division of Labour)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रत्येक देश को केवल उसी वस्तु के उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करता है जिस वस्तु के उत्पादन में वह देश अन्य वस्तुओं को अपेक्षा में, सबसे अधिक निपुण है या जिस वस्तु की उत्पत्ति के लिये उस देश में आनुकूल साधन एवं ग्रन्तुकूल परिस्थितियाँ हैं या जिनकी उत्पत्ति करने में उस देश को सबसे अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। जब प्रत्येक देश केवल ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसे वह न्यूनतम लागत पर पैदा कर सकता है, तब तमाम विश्व में वस्तुओं का उत्पादन बहुत ही अधिक ग्रन्तुकूल परिस्थितियों में होने लगता है जिससे न केवल वस्तुओं की अत्यधिक उत्पत्ति (Maximisation of Production) होती है बरत् इससे समाज का भी बहुत ही ज्यादा बल्याण होता है। अत विदेशी व्यापार से विभिन्न देशों के बीच प्रादेशिक अम विभाजन का जन्म होता है जिससे प्रत्येक देश को लाभ मिलता है। (ii) **उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुयों द्वारा उपलब्ध होती है** (Availability of cheap goods to the Consumers)—विदेशी व्यापार में प्रत्येक देश किसी न किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण (Specialisation) प्राप्त करता है। इस अवस्था में घनोत्पत्ति केवल विशेषज्ञों द्वारा ही जाती है जिससे देश में उत्पत्ति व रोजगार बढ़ जाता है और वस्तुओं का उत्पादन भी बहुत कम मूल्य पर होता है, विशेषकर ऐसी वस्तुओं का जिनका उत्पादन लम्बागत उत्पत्ति कृद्धि-नियम (Law of Increasing Returns) के अनुसार हो रहा है। परिणामत धरतुयों सहते मूल्य पर न केवल इन्हें उत्पन्न करने वाले देश के उपभोक्ताओं को ही प्राप्त होती है बरत् ये अन्य देशों के उपभोक्ताओं को भी सहते मूल्य पर प्राप्त हो जाती है। इससे तमाम समाज में मानव समाज का उपभोग-रत्तर छाचा उठ जाता है। इसके अतिरिक्त विदेशी व्यापार द्वारा एक देश अनेक ऐसी वस्तुएँ भी प्राप्त करता है जिन्हें वह स्वयं अपने देश से उत्पन्न ही नहीं करने पाता है। (iii) **विदेशी व्यापार द्वारा आर्थिक सकट दूर या कम किये जा सकते हैं**—विदेशी व्यापार द्वारा एक देश अनेक ऐसी वस्तुएँ भी प्राप्त करता है जिन्हें वह स्वयं अपने देश से उत्पन्न ही नहीं करने पाता है। अत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा एक देश अकाल या अन्य आर्थिक सकट के समय दूसरे देश से बाह्य अथ वस्तुओं को आपात करके अपने देशवासियों का स्वास्थ्य व जीवन बनाये रखता है। (iv) **कच्चे माल की उपलब्धता** (Availability of Raw Materials)—विदेशी व्यापार का यह लाभ है कि ऐसे देश जिनमें कच्ची सामग्री का अभाव है, वे इन्हें विदेशों से माल लेते हैं। इसका यह लाभ होता है कि ऐसे देश जिनमें उत्पत्ति की अन्य सब सुविधायें उपलब्ध हैं, पर तु जिनके पास कच्चा-माल नहीं है, वे भी अपने यहा विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित कर लेते हैं। अत विदेशी व्यापार की सहायता से एक देश विदेशों से कच्चा माल, अशोनरी तथा शिल्प ज्ञान मांग कर देश का औद्योगिकरण करने

पाता है (v) विदेशी व्यापार उत्पादन-विधि में सुधार को प्रोत्साहन देता है:—विदेशी व्यापार में प्रत्येक देश के उत्पादकों को अपनी वस्तुओं की उत्पादन-विधि में समय-समय पर सुधार करना पड़ता है क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करें तब वे विदेशी उत्पादकों से प्रतियोगिता में असफल रहेंगे। उत्पादन-विधि में सुधार द्वारा प्रत्येक उत्पादक यह प्रयत्न किया करता है कि वह वस्तुओं का उत्पादन कम से कम मूल्य पर कर ले जाकि वह विदेशी प्रतियोगिता का मुकाबला कर सके। इसके अतिरिक्त एक और जाम यह भी होता है कि विदेशी प्रतियोगिता के कारण देश के उत्पादक एकाधिकार (Monopoly) नहीं बनाने पाते हैं क्योंकि जैसे ही ये सब मिलकर अपनी वस्तु का एकाधिकार मूल्य (Monopoly Price) मांगने लगते हैं, तभी विदेशी व्यापारी इसी वस्तु को सस्ते मूल्य पर बेचने सकते हैं। परिणामतः देशी व्यापारी वस्तुओं का एकाधिकार मूल्य लेने में असफल हो जाने पाते हैं जिसमें निलकर देश में एकाधिकार की दशायें भी स्थापित नहीं कर सकते हैं। अतः विदेशी व्यापारी वस्तुओं का एकाधिकार मूल्य लेने में असफल हो जाने पाते हैं। अतः विदेशी व्यापारी वस्तुओं का एकाधिकार मूल्य लेने में असफल हो जाने पाते हैं। (vi) वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में समानता की प्रवृत्ति स्थापित हो जाती है:—विदेशी व्यापार के कारण संसार भर में लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में समान रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। (vii) विभिन्न देशों में सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं:—विदेशी व्यापार द्वारा विभिन्न देशों के बीच सम्पर्क स्थापित हो जाता है जिससे इनमें व्यापस में पारस्परिक सहायता की सहमतामाना स्वतन्त्र हो जाती है और यित्य में राजनीतिक सांति को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष—यह स्मरण रहे कि विदेशी व्यापार के उत्तराधिगत बहुत से जाम इस कारण समाप्त या अप्रभावी हो जाते हैं क्योंकि राष्ट्रों में आपस में सदूचावना व सहयोग की मानवान्मों का भभाव है तथा प्रत्येक देश के विदेशी व्यापार पर अनेक प्रतिवन्ध सर्व होते हैं।

हानियाँ (Disadvantages)—विदेशी व्यापार की दृष्टि हानियाँ भी है और इनमें से मुख्य इस प्रकार हैं:—(i) कच्ची-सामग्री की समाप्ति (Exhaustion of Raw Materials):—प्रत्येक देश में दृष्टि ऐसी कच्ची-सामग्री भविता स्थिर सम्पत्ति होती है जिसका प्रतिस्थापन सम्भव नहीं होता है। विदेशी व्यापार के कारण यह कोई देश उत्तर प्रलय मात्रा में प्राप्त स्थिर-सम्पत्ति का अधिकाधिक उत्पयोग करके वस्तुओं उत्पन्न करता है, तब इसका परिणाम यह होता है कि उत्तर सम्पत्ति बहुत ही जल्दी समाप्त भी हो जाती है। जूँकि प्रयोग में आई स्थिर-सम्पत्ति को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिये देश को हानि होती है। उत्पन्न के लिये, भारत में मैग्नीज व घबरें एक तरफ सो कम मात्रा में उपयोग है और दूसरी ओर इनका जल्दी-जल्दी निर्यात किया जा रहा है जिससे इनकी जाने याने: याने: समाप्त होती जा रही है। यदि इन स्थिर-पदार्थों का देश में ही उपयोग किया जाता, तब एक तरफ सो इनका प्रयोग बहुत सामर्थ्य एवं मित्रशिवायपूर्वक हो जाता और दूसरी तरफ देश को इनका मूल्य भी पर्याप्त मिल जाता। अतः विदेशी व्यापार से देश में दृष्टि ऐसी वस्तुएँ

समाप्त हो जाती है जिनको पुन ग्राप्त नहीं किया जा सकता है। (ii) विदेशी व्यापार से देश के उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है (Home Industries are Subjected to Foreign Competition) —इस प्रकार की प्रतियोगिता का परिणाम यह होता है कि विदेशी व्यापार से आर्थिक हानि से उम्रत देशों को लाभ होता है और आर्थिक हानि से अम उम्रत या अनुनत देशों को हानि होती है क्योंकि प्रतियोगिता के बारण इन देशों में या तो नये नये उद्योग स्थापित हो नहीं होने पाते और यदि स्थापित भी हो जाते हैं तब ये अच्छी प्रकार जीवित नहीं रहने पाते हैं। भारत में कुटीर-घन्घो के पतन का मुख्य कारण विदेशी व्यापार की प्रतियोगिता ही रही है। (iii) विदेशी व्यापार से देश का एक अग्री विकास होने पाता है जिससे देश में अनेक समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं —विदेशी व्यापार का आधार तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त है। इसीलिए इस सिद्धान्त के कारण एक देश के बाहर एक या कुछ ही दस्तुओं की उत्पत्ति करता है जिससे देश का एक बगी (One Sided) विकास होने पाता है। आर्थिक संकट के समय इस प्रकार के आर्थिक विकास के बड़े भयकर परिणाम होते हैं। युद्ध काल में कोई इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था अत्यधिक दोष-पूर्ण होती है क्योंकि जिन दस्तुओं के लिये एक देश दूसरे देशों पर निभर रहता है, युद्ध के कारण, वह न तो इह आसानी से विदेशों से ग्राप्त करने पाता है और न वह इन्हें स्वयं ही उत्पन्न करने पाता है जिससे इस देश का अर्थ-व्यवस्था के अस्त व्यस्त हो जाने का सदा भय रहता है। देश के एक अग्री विकास का एक और दोष यह भी है कि इससे देश में कूद साधन विकार पड़े रहते हैं जिससे राष्ट्र के आर्थिक संकट में फ़ज़ जाने का सदा भय रहता है। (iv) विदेशी व्यापार से कभी कभी उपभोक्ताओं की उपभोग की वादतों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है —विदेशी व्यापार के कारण कभी-कभी देश में हानि कारक दस्तुओं की आयात होने लगती है जिससे देशासी खराच एवं हानिकारक दस्तुओं के उत्पन्न के अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में चीन के निवासी ग्राफीप खाने के आदी हो गये थे यहूपि उस देश में अफीम का उत्पादन नहीं होता है। (v) विदेशी व्यापार से विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर हो जाती है —विदेशी व्यापार होने से एक देश की अर्थ-व्यवस्था अग्र्य दूसरे देशों पर आश्रित हो जाती है। आर्थिक हानि से इस प्रकार की निर्भरता ठीक नहीं है। युद्ध काल में मा आर्थिक मन्दी (Depression) के काल में, यदि विसी एक देश की अर्थ-व्यवस्था असन्तुलित (Disequilibrium) हो जाती है, तब इहका आर्थिक प्रभाव उन अन्य दूसरे देशों पर भी पड़ता है जिनका इस देश से व्यापारिक सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ, १९२९ की मन्दी का प्रभाव विश्व-व्यापी था। यही कारण है कि बीसवीं शताब्दी में आर्थिक राष्ट्रीयवाद (Economic Nationalism) का जन्म हुआ है। (vi) अतर्राष्ट्रीय होय तथा पुढ़—आरम्भ में विदेशी व्यापार से विभिन्न देशों के बीच सद्भावना तथा एक-दूसरे के तिए सहायता का भाव अवश्य उत्पन्न हुआ था, परन्तु अब तो बाजारों की लडाई के कारण उपनिवेश बाद (Colonialism) का जन्म हुआ है तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच अतर्राष्ट्रीय होय के मण्डों को प्रोत्साहन मिला है। विदेशी व्यापार के कारण

ही अब भी अनेक राष्ट्र गुलामी की जनजीरों में ज़कड़े हूँथे पाये जाते हैं और इनका अत्यधिक राजनीतिक व आर्थिक शोषण हो रहा है। अतः विदेशी व्यापार ही राजनीतिक घेचेनी तथा युद्ध का कारण रहा है और आगे भी रहेगा। (vii) राशिपातन की सम्भावना:—एक देश अपनी वस्तुओं का दूसरे देश में राशिपातन (Dumping) करके अर्थात् वस्तुओं को लागत से भी कम मूल्य पर बेचकर, नए व पुराने उद्योगों को समाप्त करने का प्रयत्न किया करता है। यदि यह देश अपने इस प्रयत्न में सफल हो जाता है, तब वह दूसरे देशों में व्यवसायों के समाप्त हो जाने पर, अपनी वस्तुओं का फ़िर मन-चाहा मूल्य लेकर अत्यधिक लाभ कमाने लगता है। अतः विदेशी व्यापार हारा राशिपातन की नीति को कार्यान्वित करके एक देश आपातकर्त्ता देश को घटूत हानि पहुँचाता है। (viii) कभी-कभी विदेशी व्यापार के कारण स्वदेश में वस्तुओं की कमी हो जाती है और नागरिकों का जीवन स्तर गिर जाता है:—यह स्थिति तब ही उत्पन्न होती है जबकि एक देश के व्यापारी, कंचे मूल्य पर वस्तुएँ बेच कर लाभ कमाने के लालच से, अत्यधिक वस्तुओं का निर्धारित कर देते हैं। (ix) विदेशी व्यापार से ऐतिहर देशों को हानि होती है:—यदि विदेशी व्यापार ऐसे देशों के बीच हो रहा है जिनमें से एक ऐतिहर (Agricultural) है और दूसरा व्यवसायिक (Industrial) है, तब ऐतिहर देश को इस व्यवसायिक देश के कारण हानि होगी क्योंकि ऐतिहर देश में कृषि वस्तुओं का उत्पादन क्रमागत-उत्पत्ति-हास-नियम (Law of Diminishing Returns) के अन्तर्गत हो रहा है और दूसरा व्यवसायिक (Industrial) है, तब ऐतिहर देश को इसके विकास से ऐतिहर देश को हानि और व्यवसायिक देश को लाभ होगा।

निकर्ष—उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विदेशी व्यापार के अनेक लाभ व हानियाँ हैं। यदि विभिन्न राष्ट्र अपनी व्यापारिक नीति राष्ट्रों के बीच सहयोग व सुदूरभावना तथा मानव कल्याण के आधार पर आधारित करें, तब विदेशी व्यापार की हानियों में कोई बल नहीं रह जायेगा। फ़िर भी यह सच है कि विदेशी व्यापार के लाभ इनकी हानियों की अपेक्षा मधिक हैं।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B. A. & B. Sc.

१. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक व्यवस्था की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये। (१६६०, १६५६ S, १६५५ S)।
२. तुलनात्मक सापेक्ष लागत के सिद्धान्त की विवेचनात्मक टिप्पणी कीजिये। (१६५६ S, १६५८ S, १६५५)।
३. तुलनात्मक सापेक्ष लागत के सिद्धान्त को विवेचना सहित समझाइये और बतलाइये कि वास्तव में यह अन्तर्राष्ट्रीय अम-विभाजन को कहाँ तक स्पष्ट करता है। (१६५८)।
४. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वा अर्थव्यवस्था आन्तरिक व्यापार से विभिन्न विस आधार पर किया जाता है? समझाकर लिखिए। (१६५७ S)।
५. If International Trade is based on the principle of territorial division of labour, it should be complementary. How do you explain the competitive character of Inter-

national Trade ? (1956) 6. Write a note on—Terms of Trade. (1956) 7. Write a note on—Inter-regional trade. (1956) 8. What is the economic basis for inter regional and international trade ? (1955) 9. Discuss the main factors that give rise to a separate theory of International Trade and describe briefly the advantages and disadvantages of foreign trade. (1954)

**Rajputana University, B. A. & B Sc**

1. Critically discuss the law of comparative costs (तुलनात्मक-व्यवस्था सिद्धान्त) and show how far it is a satisfactory explanation of the international division of labour (भान्तराष्ट्रीय व्यवस्था विभाजन) (1959, 1954) 2. Critically discuss the Principle of Comparative Costs (1956)

**Rajputana University, B. Com**

1. Discuss the advantages and disadvantages of International Trade (1957) 2. "There is no essential difference between domestic and international trade and consequently no place for a special theory regarding international trade. Examine this statement carefully. (1956) 3. Briefly explain the causes of international trade as distinct from domestic trade. What are the advantages of International Trade ? Discuss (1955) 4. Write a note on—Comparative Cost Theory of International Trade. (1954)

**Sagar University, B. A.**

1. तुलनात्मक परिव्यय सिद्धान्त का आलोचनात्मक विवेचन कीजिये। यह आपके विचार से भान्तराष्ट्रीय व्यापार इस सिद्धान्त का प्रतिफल है? (१९५६) 2. Distinguish between domestic and international trade and point out the advantages arising from the participation in International Trade. (1958) 3. भान्तराष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक परिव्यय नियम (Law of Comparative Costs) से ग्राप व्या समझते हैं? भान्तराष्ट्रीय व्यापार सदा इस नियम पर क्यों आधारित नहीं होता? (१९५७)

**Jabalpur University, B. A.**

1. अन्तर्देशीय व्यापार और भान्तराष्ट्रीय व्यापार में भेद बताइये। किस सिद्धान्त पर अन्तराष्ट्रीय व्यापार आधारित होता है? (१९५६) 2. तुलनात्मक परिव्यय सिद्धान्त (Comparative costs principle) की परिभाषा कीजिए और समझाइये। (१९५८) ।

**Allahabad University, B. A**

1. Examine fully the principle of comparative costs as an explanation of international trade. (1958)

**Allahabad University, B. Com.**

1 Under what conditions, in pure theory, will foreign trade arise between two countries ? What factors will determine which of the two countries will derive the greater advantage from the exchange ?

**Aligarh University, B. A.**

1. Explain the theory of comparative cost underlying international trade. (1956)

**Bihar University, B. A.**

1. Critically examine the doctrine of comparative costs. (1958)

## Nagpur University, B. A.

१. देशाभ्यंतर व्यापार (Domestic Trade) और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade) इनमें जो भेद है, वह सुस्पष्ट कीजिये और अवाध व्यापार (Free Trade) की परिस्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के जो लाभ हैं, उनका विवेचन कीजिये। (१६५७)।

## परोक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत

प्रश्न १—(i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन आन्तरिक व्यापार से विभिन्न कितन जाधार पर किया जाता है? समझाकर लिखिये। (Agra B. A. १९५७), (ii) What is the economic basis of inter-regional and international trade? (Agra, 1955), (iii) Discuss the main factors that give rise to a separate theory of International Trade and describe briefly the advantages and disadvantages of foreign trade. (Agra, B. A. 1954 Raj, B. Com. 1-55) (iv) Discuss the advantages and disadvantages of International Trade (Raj, B. Com. Sagar, 1957), (v) "There is no essential difference between domestic and international trade and consequently no place for a special theory regarding international trade." Examine this statement carefully. (Raj. B. Com. 1956), (vi) "International Trade is only a special case of the Inter-regional trade" (Ohlin). Discuss, (vii) What are the distinguishing features of International Trade? Do they justify a separate theory of International Trade as contrasted with that of Internal Trade? (Calcutta, B. Com. 1939).

संकेत—उपरोक्त प्रश्नों में दीन वातें पूँछी गई हैं—आन्तरिक व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या भिन्नता है? अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये पृथक् से सिद्धान्त को क्यों आवश्यकता पड़ती है? अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या लाभ व हानियाँ हैं? प्रथम माग में आन्तरिक व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अर्थों को उदाहरण सहित बताइये (आधा पृष्ठ)। द्वितीय माग में लिखिये कि इस सम्बन्ध में अव्यंशास्त्रियों में मतभेद है कि आन्तरिक व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ अन्तर है या नहीं—एक ओर कुछ विद्वान् हैं जो इन में दोनों कोई आधारभूत एव महत्वपूर्ण अन्तर नहीं मानते और जो कुछ अन्तर है भी उसे ये केवल मात्रा या ध्रेग्री (Degree) मानकर इसको महत्व नहीं देते इसी लिये ऐसे विद्वानों ने इन दोनों प्रकार के व्यापारों का आधार एक-समान सिद्धान्त माना है और इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये एक पृथक् से सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं समझी है। इसके विपरीत कुछ विद्वान् हैं जो उक्त दोनों प्रकार के व्यापारों में जो कुछ भी अन्तर है उसे बहुत महत्व का मानते हैं इसलिए ये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् से सिद्धान्त की आवश्यकता बताते हैं। हमें उक्त दोनों मतों के तर्कों को विस्तार से लिखना चाहिए—प्रथम वर्ग के अव्यंशास्त्रियों का मत है कि आजकल सब प्रकार के व्यवसायों का आधार धर्म-विभाजन व कायों का विशिष्टीकरण है (विस्तार से समझाइये) कि व्यक्ति या व्यक्ति-समूह या राष्ट्र उन्हीं कायों को करते हैं जो उनकी शिक्षा एवं स्वचि के अनुकूल होते हैं, जिनके करने के लिए उनके पास कुशल श्रम होता है और तब वस्तुओं की अदल-बदल करके अपनी आवश्यकता की विभिन्न वस्तुएँ प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यापार से लाभ उठाते हैं। जो दात एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह पर

लागू होती है, वही बात राष्ट्रों पर भी लागू होती है (उदाहरण देकर समझाइये)। कोई भी राष्ट्र अपनी आवश्यकता की समस्त बस्तुयें नहीं बनाता है, विशिष्टोकरण कि कारण कुछ बस्तुएँ बनाता है और इनका विनियम (व्यापार) करके लाभ उठाता है। एक देश के अन्दर वे उक्त व्यापार को आन्तरिक व्यापार और विभिन्न देशों के द्वीच के उक्त व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सज्जा दी जाती है। आविष्कार, शोधगामी यातायात विशिष्टीकरण, उत्पादन-प्रणाली में उन्नति भादि के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वा विकास होता जा रहा है, राष्ट्रों की आर्थिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। इस तरह विस्तार से व्यापारों के स्वरूप को लिखकर निष्कर्ष निकालिये कि उक्त दोनों प्रकार के व्यापारों में कोई मौलिक व आधारभूत भेद नहीं है अथवा दोनों व्यापारों के मौलिक सिद्धान्त एक समान हैं—कि दोनों ही अम-विभाजन व विशिष्टीकरण के परिणाम हैं—कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सचालन उन्हीं सिद्धान्तों पर होता है जिन पर आन्तरिक व्यापार का सचालन होता है, जिस प्रकार आन्तरिक व्यापार म मनुष्य उन्हीं बस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनमें उन्हें तुलनात्मक सुविधा होती है, ठीक इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से भी बस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। भेद के बल इतना है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्न भिन्न राष्ट्रों में भी और आन्तरिक व्यापार में व्यापार एक ही देश के नामिकों में किया जाता है। भेद के बल डिग्री (Degree) का है, मौलिक नहीं है। अत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् से सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है। परन्तु दूसरे वर्ग के विद्वानों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वा अध्ययन आन्तरिक व्यापार में भिन्न वाधारों पर किया जाता है जिसके कारण विदेशी व्यापार के लिये एक पृथक् से सिद्धान्त की आवश्यकता है। ये भेद या भिन्न आधार क्या हैं—(i) देश के अन्दर अम और पूँजी की गतिशीलता होती है, परन्तु विभिन्न राष्ट्रों में यह गतिशीलता या हो बहुत कम होती है अथवा इसका अनाव होता है, (ii) राष्ट्र में उत्पादन की स्थिति प्रत्येक धेन म एक-समान होती है, परन्तु विभिन्न राष्ट्रों में इस स्थिति में भिन्नता पाई जाती है (iii) देश के अन्दर बस्तुओं की आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं होती, परन्तु राष्ट्रों में आयात नियात पर प्रतिबंध होत है, (iv) देश के अन्दर प्राकृतिक साधनों व भौगोलिक स्थिति में कोई अन्तर नहीं होता, परन्तु विभिन्न राष्ट्रों म इसमें बहुत महत्वपूर्ण अन्तर होता है, (v) किसी एक राष्ट्र में मुद्रा-शणाली एक-समान होती है परन्तु राष्ट्रों में इसमें भी भिन्नता हो जाती है। (इन सबको विस्तार से उदाहरण सहित समझाइये)। इन मौलिक भेदों के बारण आन्तरिक व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की लम्स्यायें भिन्न-भिन्न हो जाती हैं जिससे एक ही बस्तु का उत्पादन व्यय मिन्न मिन्न राष्ट्रों म पृथक् पृथक् हो जाता है। फलतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। निष्कर्ष निवालिये कि यद्यपि उच्च दोनों व्यापारों में बहुत कुछ समानता पाई जाती है और यदि भेद हैं तब मौलिक नहीं बरन् मात्रा एक थ्रेग्री (Degree) के हैं, तथापि ये भेद इनमें महत्वपूर्ण हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् से सिद्धान्त की आवश्यकता है (पाँच छ पृष्ठ)। तृतीय मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के साम लिखिये, जैसे—प्रादेशिक अम-विभाजन का साम, सर्वो बस्तुओं की उपलब्धि, आर्थिक सबट के समय

सहायता, कच्चे-माल की उपलब्धि, उत्पादन-विधि में सुधार, वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों में समतता की प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सम्भावना (प्रत्येक को विस्तार से लिखिये)। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अनेक हानियाँ भी है, जैसे—कच्ची-सामग्री की समाप्ति, स्वदेशी उत्पादों को हानि, देश का एक-प्रणीत विकास, उपभोक्ताओं पर बुरा प्रभाव, राष्ट्रों की आर्थिक निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रीय द्वेष व युद्ध की सम्भावना, लेतिहर देशों को हानि, स्वदेश में वस्तुओं के अभाव की सम्भावना आदि (तीन-चार पृष्ठ)।

**प्रश्न २:**—(i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक व्यय सिद्धान्त को आलोचना-त्मक व्याख्या कीजिये (Agra B. A. १९६०, १९५६ १९५५; Jabb. B. A. १९५६, १९५८; Allahabad B. A. १९५८ Bihar B. A., १९५८ (Aligrah B. A. १९५६))। (ii) और बताइये कि वास्तव में यह अन्तर्राष्ट्रीय अम-विभाजन को कहाँ तक स्पष्ट करता है (Agra B. A. १९५८), (iii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सदा इस नियम पर क्यों आधारित नहीं होता ? Sagar B.A. १९५७), (iv) ‘The principle of Comparative Costs gives a fundamental explanation of why International Trade takes place ? (Agra, B. A. 1950), (v) Does it hold good in modern times ? (Agra B. A. 1946)

**संकेत.**—उक्त प्रश्नों में चार बातें पूछी गई हैं—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत-व्यय सिद्धान्त व्यय है ? यह सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय अम-विभाजन को कहाँ तक स्पष्ट करता है ? अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सदा इस नियम पर आधारित व्यय नहीं होता प्रथम भाग में तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये (विद्यार्थियों को सिद्धान्त की व्याख्या बड़ी सरकंता से करनी चाहिये ताकि अनावश्यक सामग्री नहीं लिखी जाय) इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सर्व प्रथम रिकार्डों ने किया और तदृश्चात् मिल आदि लेखकों ने इसमें गहत्पूर्ण संधोधन किये (इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है व्योकि हम सिद्धान्त के वर्तमान स्वरूप की ही व्याख्या करेंगे)। यह सिद्धान्त विभिन्न देशों पर अम-विभाजन नियम को लागू करना मात्र है—कि जिस प्रकार एक व्यक्ति किन्तु ही प्रकार के कार्य कर सकता है, परन्तु वह उस कार्य के करने में विशेषीकरण प्राप्त करता है जिसके करने के लिये उसमें विशेष योग्यता, कुशलता होती है और इस प्रकार विशिष्टीकरण के अम-विभाजन के समस्त लाभ प्राप्त करता है (डाक्टर या प्रोफेसर के जीवन-क्रम से उदाहरण दीजिये) ठीक इसी प्रकार एक देश यद्यपि अनेक वस्तुयें, दूसरे देशों की तुलना में, सस्ती व अच्छी उत्पन्न कर सकता है, परन्तु वह उन्हीं वस्तुओं की उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है जो तुलना में वह अधिक सस्ती उत्पन्न करता है, इन वस्तुओं का निर्यात करके वह दूसरे देशों से अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुयें भेंगाता है और इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त करता है। जिस प्रकार व्यक्ति जिन कार्मों को वह कर सकता है उन सबकी लागतों व आयों की तुलना करके उनमें से केवल उसी काम को चुनता है जो उसके लिए अधिक लाभप्रद होता है ठीक इसी प्रकार विभिन्न राष्ट्र विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की तुलना करके केवल उस वस्तु की तुलना उत्पादन को चुनते हैं श्रेष्ठता इसके उत्पादन में विशेषीकरण प्राप्त करते हैं जिसको वे में अधिक सस्ती उत्पन्न कर सकते हैं। यह सम्भव है कि राष्ट्र को ऐसी वस्तु की आयात

करनी पड़े जिसका उत्पादन वह देश उस देश की अपेक्षा जहाँ से बस्तु मौजाई जा रही है, कहीं अधिक सही सही उत्पन्न कर सके। परन्तु आयातकर्ता देश इस बात की पर्याह नहीं करेगा क्योंकि जिस बस्तु के उत्पादन को उसने चुना है उससे उसको इतनी अधिक आय होगी कि अमुक बस्तु को आयात करने से होने वाली हानि को न केवल अत्यधिक पूर्णतया पूर्ति हो जायगी वरन् इसके अतिरिक्त उसे एक बड़ी मात्रा में लाभ मिलेगा। उदाहरणार्थ इग्लैंड वहाँ बढ़िया दुग्ध पदार्थों (Dairy Products) को उत्पन्न कर सकता है परन्तु वह इन्हें डेनमार्क से मगाता है और स्वयं अपनी अम व पूँजी की इकाइयों को मशीनों आदि की उत्पत्ति में लगाता है क्योंकि इस तरह तुलना में उसे हानि की अपेक्षा लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अत तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त बताता है कि प्रत्येक देश की प्रवृत्ति उन पदार्थों के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करने की होती है जिनमें इसको अपेक्षाकृत अधिक लाभ होता है और उन बस्तुओं को बाहर से मगाने की होती है जिनके उत्पादन करने में इसको अपेक्षाकृत अधिक हानि उठानी पड़ती है। इस सिद्धान्त से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बस्तुओं की लागत में तुलनात्मक अन्तर है। यहाँ सदैप में चार-छ़ु वार्षियों में उन बातों को बताइये जिनकी बजह से दो देशों में किसी बस्तु के उत्पादन की लागत में अन्तर पाया जाता है जैसे अम व पूँजी की आतिशीलता, प्राकृतिक राधनों की उपलब्धि, उत्पादन की स्थिति, राजनीतिक व अधिक परिस्थितियों में भिन्नता आदि (इन्हें केवल एक एक या दो-दो वार्षियों में समझाइये)। इन सब कारणों से विभिन्न देशों में किसी एक या अधिक बस्तुओं को उत्पत्ति की लागत में अन्तर होता है, जिससे प्रादेशिक अम विभाजन वा जन्म होता है। फलत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार तुलनात्मक लागतों में अन्तर तथा प्रादेशिक अम-विभाजन है (तीन चार पृष्ठ)। द्वितीय भाग में सिद्धान्त का एक गणितीय उदाहरण दीजिये और इसके आधार पर स्पष्ट कीजिये कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार लागतों का तुलनात्मक अन्तर है (यह स्मरण रहे कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उस स्थिति में भी उत्पन्न होता है जबकि लागतों में नियंत्रण अन्तर होता है, तथापि चूँकि प्रश्न में लागतों का सुलनात्मक सिद्धान्त पूँछा गया है, इसलिये उत्तर में यह लिखना अनावश्यक है कि लागतों में नियंत्रण अन्तर होने पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार उत्पन्न होता है) (एक-दो पृष्ठ)। तृतीय भाग में यह बताइये कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सदा उत्तर सिद्धान्त पर आधारित बोनही होता ? इसका कारण यह है कि उत्तर सिद्धान्त केवल एक प्रवृत्ति का घोतक है और यह पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं में ही क्रियाशील होता है (जब एक देश से दूसरे देश को अम, पूँजी तथा बस्तुयों पूर्णतया गतिशील होती है अथवा राष्ट्र स्वतन्त्र व्यवसाय के सिद्धान्त का पालन करते हैं) परन्तु आजकल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर विभिन्न राष्ट्रों की राजनीतिक व अधिक दशाओं का प्रभाव पैदा है, राष्ट्रों में अवाधित व्यापार वा अन्त ढो चुका है, प्रत्येक राष्ट्र सुरक्षा की हड्डि से स्वावलम्बी बनता चाहता है इसलिये प्रत्येक राष्ट्र ने प्रत्येक बस्तु को कम अधिक मात्रा में उत्पन्न करने की नीति अपना ली है जिसके उत्तर सिद्धान्त के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के होने में बाधायें पड़ने लगी हैं। इसके अतिरिक्त मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, विनियमन-दर में उच्चावचन,

प्रायात्-निर्यात् कर कोटा व लाईसेंस प्रणाली आदि भी इस सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर लागू होने से रोकते हैं (एक पृष्ठ)।

**प्रश्न ३:**—(i) उन परिस्थितियों को बताइये जिनमें दो देशों के बीच विदेशी व्यापार संस्करण है। (ii) Under what conditions, in pure theory, will foreign trade arise between two countries? What factors will determine which of the two countries will derive the greater advantage from the exchange? (Allahabad, B. Com. 1956).

**संकेतः**—उक्त प्रश्नों के उत्तर को बड़ी सकर्त्ता से लिखना चाहिए व्योकि उत्तर काफी बड़ा हो जाने की सम्भावना है। यह स्मरण रहे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दो स्थितियों में उत्पन्न होता है—प्रथम, लागतों में तुलनात्मक अन्तर तथा द्वितीय, लागतों में निर्पेक्ष अन्तर। इसलिये उत्तर के आरम्भ में भारतीय व्यापार व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ बताकर, उन कारणों को सक्षेप में बताइये जिनकी वजह से लागतों में अन्तर होता है (जैसे थम और पूँजी की अप्रतिशीलता आदि)। फिर यह बताइये कि लागतों के अन्तर की तीन परिस्थितियों की कल्पना की जा सकती है—(ग) लागतों में समान अन्तर, (आ) लागतों में निर्पेक्ष अन्तर तथा (इ) लागतों में तुलनात्मक अन्तर। प्रथम स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न नहीं होता है (इसे विस्तार से व उदाहरण सहित लिखने की आवश्यकता नहीं है) परन्तु चूंकि वन्तिम दोनों परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है, इसलिये तुलनात्मक सिद्धान्त की व्याख्यात्मक विवेचना करके इन दोनों परिस्थितियों के उदाहरण देकर यह स्पष्ट कीजिये कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उक्त दोनों परिस्थितियों में उत्पन्न होता है (चार पाँच पृष्ठ)। द्वितीय भाग में बताइये कि कौन-कौन सी बातें हैं जो दो देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ की भावाना निर्दिष्ट करती है, जैसे—(i) वस्तुओं की लागत के अनुपातों से अन्तर, (ii) व्यापार की शर्तें अथवा वस्तुओं की मांग व पूर्ति की लोच (उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिये) (दोनार्ह पृष्ठ)।

**प्रश्न ४-**व्या आप तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को एक ही देश के प्रदेशों के बीच होने वाले व्यापार पर लागू कर सकते हैं? (Delhi, १९५३)।

**संकेतः**—तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त किसी राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में होने वाले व्यापार पर भी लागू हो सकता है, यदि थम, पूँजी तथा अन्य उत्पादन के साधन एक ही देश में विभिन्न प्रदेशों में निर्वापि रूप से गतिशील नहीं हों। इस स्थिति में ये प्रदेश वैसे ही हो जायेंगे जैसे दो स्वतन्त्र राष्ट्र।

**प्रश्न ५:**—प्रथेक देश किसी एक ही वस्तु के उत्पादन पर अपमा सारा ध्यान केन्द्रित थयों नहीं कर देता और अन्य सब वस्तुयें थयों विनियम हारा प्राप्त नहीं कर लेता? (Calcutta, १९३६)।

**संकेतः**—इसके दो मुख्य कारण हैं—(i) एक सीमा के बाद किसी वस्तु का उत्पादन अलाभप्रद हो जाता है, विशेषतया जबकि उत्पत्ति-हास-नियम क्रियाशील होने लगता है। इस स्थिति में अधिक उत्पादन बढ़ती ही ही लागत पर होता है जिससे उत्पादक (या राष्ट्र) अन्य राष्ट्रों से प्रतिवेगिता नहीं करने पाता है। फलतः ऐसे राष्ट्र को अन्य वस्तुओं का

उत्पादन यारम्भ करना पड़ता है। (ii) प्रत्येक राष्ट्र वस्तु का उत्पादन के बीच अर्थवास्त्रीय नियमों अनुवांशिक विभाजन के नियम के आधार पर ही नहीं करता है—उत्पादन की नीति पर देश प्रेम सुरक्षा, देश का संतुलित विकास, राष्ट्रीयता आदि वा। प्रभाव पड़ता है। फलत निर्यात या तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त को खालीकर उत्पादन में विविधता लाई जाती है।

**प्रश्न ६**—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले सामग्रे स्वरूप तथा उद्गम को बताइये। किन अद्यताओं में कोई देश अपने सम्भाधि सामग्रे को पूर्णतया प्राप्त करता है? (Bombay, १९५३)।

**संकेत**—समस्त व्यापार में, इसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी सम्मिलित है, प्राप्त होने वाला सामग्रे विभाजन के सामाजिक से ही उत्पन्न होता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सामग्रे देश को मिलता है जो एक ऐसी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन व नियति में विशिष्टता प्राप्त करे जिन्हें वह तुलना में कम सामग्रे पर उत्पन्न कर सके और आयात ऐसी वस्तु या वस्तुओं का बढ़े जिनके उत्पादन में उसे अपेक्षाकृत अधिक हानि हो। सामग्रे की मात्रा को दर्जने वाला एक चिह्न है। एक देश अपने सम्भाधि (Potential) सामग्रे को पूर्णतया उस समय प्राप्त करेगा जबकि उसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विना नियती रोक-टोक के होता हो, आयात नियति कर नहीं हों, लाईसेंस या कोटा-प्रणाली का प्रयोग नहीं होता हो अथवा विस्तीर्ण प्रकार की भी कानूनी नियमिता नहीं हो।

## अध्याय १८

### भुगतान का संतुलन\*

*(Balance of Payments)*

*परिभाषाये (Definitions)*

**व्यापार का संतुलन और भुगतान का संतुलन का अर्थ** (Meaning of Balance of Trade and Balance of Payment)—व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन से पूर्णतया निभ्र है। (क) व्यापार-संतुलन—जब एक देश किसी दूसरे देश से वस्तुओं की आयात या नियति करता है, तब इन दोनों ये से किसी एक देश में वस्तुओं की आयात इनसी नियति से वभी विविक और कभी कम हो सकती है। व्यापार संतुलन इस प्रकार के व्यापार के भुगतान के अंतर को ही संबोध करता है। यदि आयात वस्तुओं की नियति से अधिक है, तब इसे ग्राहित करना या व्यापार का संतुलन (Unfavourable or Negative Balance of Trade) और यदि नियति वस्तुओं की आयात

\* भारत में “व्यापार का संतुलन” तथा “भुगतान का संतुलन” के सम्बन्ध में “विदेशी व्यापार” नामक अध्याय में लिखा गया है।

से अधिक है, तब इसे अनुकूल या धनात्मक व्यापार का संतुलन (Favourable or Positive Balance of Trade) कहते हैं। (ख) भुगतान संतुलनः—विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं की आयात-नियर्ति के अतिरिक्त अन्य कितने ही प्रकार के लेन-देन भी होते हैं। भुगतान-संतुलन व्यापारिक-संतुलन के अतिरिक्त बीमा, जहाजी किराया, बैंक-शुल्क, पूँजी हस्तांतरण सम्बन्धी भुगतान व्याज, राजनीतिक शुल्क तथा अन्य सेवाओं के पुरस्कार को अपने में सम्मिलित करता है। यह स्मरण रहे कि वस्तुओं की आयात-नियर्ति को प्रत्यक्ष व्यापार (Visible Trade) कहते हैं, परन्तु अप्रत्यक्ष व्यापार (Invisible Trade) से हमारा अभिशाय उस व्यय तथा आय से है जो एक देश को जहाजी-किराया, बीमा, बैंक-शुल्क तथा अन्य पुरस्कार के रूप में प्राप्त होती है। दूसरे दब्दों में, जब वस्तुये व निधि (Treasure) किसी देश के बाहर ले जाई जाती है या बाहर से देश में लाई जाती है, तब इनका बन्दरगाहों पर लेख (Entered in the records at the Ports) कर लिया जाता है जिससे ऐसी मर्दों को हम विदेशी व्यापार की हरय मर्दे (Visible Items of the Foreign Trade) बहते हैं। परन्तु जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच सेवाओं की आयात नियर्ति होती है, तब इनका बन्दरगाहों पर लेखा नहीं होता है जिससे ऐसी मर्दों को हम विदेशी व्यापार की अहरय मर्दे (Invisible Items of Foreign Trade) कहते हैं। अतः जबकि व्यापार-संतुलन में केवल विदेशी व्यापार की हरय मर्दों की गणना होती है, तब भुगतान-संतुलन में हरय तथा अहरय दोनों ही प्रकार की मर्दों की गणना होती है। इस तरह भुगतान संतुलन की गणना करने में समस्त विकलन (Debits) तथा समस्त समाकलन (Credits) सम्मिलित किये जाते हैं। इस प्रकार के संतुलन को खाते का संतुलन (Balance of Accounts) तथा अन्तर्राष्ट्रीय ऋण का संतुलन (Balance of International Indebtedness) भी कहते हैं। व्यापार के अनुकूल या प्रतिकूल अन्तर की तरह भुगतान का भी अनुकूल या प्रतिकूल अन्तर होता है।

व्यापार का संतुलन और भुगतान के संतुलन का सापेक्षिक महत्व (Relative Importance of Balance of Trade and Balance of Payments)—व्यापार के संतुलन की अपेक्षा भुगतान का संतुलन अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रथम दूसरे संतुलन का एक भाग होता है। किसी देश के व्यापार का संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल रह सकता है और वास्तव में ऐसा ही रहता भी है, परन्तु भुगतान का अन्तरः संतुलन अवश्य करना होगा। यदि किसी देश का निरन्तर प्रतिकूल भुगतान का संतुलन (Unfavourable Balance of Payment) रहता है, तब इसका यह अर्थ है कि उस देश की आर्थिक विद्यति बिगड़ती जा रही है। बहुधा व्यापार का अनुकूल संतुलन देश हित में माना जाता है। अट्टारहवीं शताब्दी में मरकेंटिलिस्ट (Mercantilists) भी इस मत के थे क्योंकि अनुकूल व्यापारिक संतुलन होने से देश में सौने की आयात होती थी। परन्तु आजकल यह मत भ्रमपूर्ण (Fallacious) माना जाता है। अनुकूल व्यापारिक संतुलन सदा देश की आर्थिक उन्नति का चिन्ह नहीं होता है। कुछ देश ऐसे हैं जिनका यद्यपि व्यापारिक संतुलन प्रतिकूल होता है परन्तु आर्थिक दृष्टि से वे उन्नत पाये जाते हैं। इसका कारण

स्पष्ट है। ऐसे देश विदेशों में विभिन्न प्रकार की सेवा या पूँजी के विनियोग पर सूद व लाम द्वारा आय कमाते हैं जिससे वे न केवल अपनी आयात का ही भुगतान कर देते हैं बल्कि दूसरे देशों को पहले से अधिक मात्रा में पूँजी उपार दे देते हैं, जिससे ये देश आय ऐसी अवस्था में हो जाते हैं कि ये पहले से अधिक मात्रा में वस्तुओं की आयात करके देशवासियों की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। परिणामतः इनकी अधिक दशा और भी अच्छी हो जाती है। दूसरे महायुद्ध से पहले प्राय भारत का अनुकूल और इगलेंड का प्रतिकूल व्यापारिक सतुलन रहता था, परन्तु वास्तव में इगलेंड भारत की तुलना में कहीं अधिक अन्तर व समुद्दिशाली था। इसका क्या कारण है? इगलेंड सप्ताह भर से अपनी सेवाओं व पूँजी से आमदनी प्राप्त करता था। भारत भी इगलेंड को उसकी विभिन्न प्रकार की सेवाओं तथा विनियोजिता पूँजी का सूद दिया करता था। भारत द्वारा इस रूपमा का भुगतान आयात से अधिक वस्तुओं का निर्यात करके किया जाता था जिससे व्यापारिक सतुलन तो भारत के अनुकूल, परन्तु भुगतान का सतुलन प्रतिकूल रहता था। परन्तु इस बात की जानकारी करना कि आयात-निर्यात की क्या क्या वस्तुएँ हैं और भी अधिक महत्वपूर्ण है। भारत-वर्ष से प्राय कच्चा माल इगलेंड को जाता था और वहाँ से निर्मित (Manufactured) वस्तुओं की आयात होती थी। इससे भी स्पष्ट है कि भारत की इगलेंड की अपेक्षा अधिक दशा बहुत पिछड़ी हुई थी। बत जिसी देश के व्यापारिक सतुलन की तुलना में उसके भुगतान के सतुलन का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है।

### भुगतान-सतुलन की मद्देन्द्रिय

#### (Items Entering Balance of Payments)

प्राप्तकर्त्तक — भुगतान के सतुलन की गणना म समस्त विवरण (Debits) तथा समस्त समाकलन (Credits) सम्मिलित किये जाते हैं। इसी लिये इस प्रकार की गणना करने में बही-खाते के पृष्ठ की तरह एक विवरण (Statement) तैयार किया जाता है जिसमें बाई और तमाम निर्यातों (हस्य और अहस्य दोनों ही प्रकार की निर्यात) और इनके मूल्य का विस्तारपूर्वक विवरण दिया जाता है और दाहिनी ओर तमाम आयातों (हस्य और अहस्य दोनों ही प्रकार की आयातों) तथा इनके मूल्य का विस्तारपूर्वक विवरण दिया जाता है। इस तरह बाई और के विवरण के मूल्य का योग वह राशि है जो अमुक देश की विदेशियों से प्राप्त होती है और दाहिनी ओर के विवरण के मूल्य का योग वह राशि है जिसे अमुक देश विदेशियों को देता है। यह स्पष्ट है कि अमुक बाई भी भी राशि और दाहिनी ओर की राशि के अन्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि भुगतान का सतुलन अमुक देश के अनुकूल है या प्रतिकूल है। इस प्रकार के विवरण (Statement) का एक नमूना अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

अब हम भुगतान के सतुलन में सम्मिलित होने वाली उक्त मर्दों का विस्तार से अध्ययन करते हैं—

(१) वस्तुओं की निर्यात आयात (Exports and Imports of Goods) — इसी देश से कितनी वस्तुयें व निधि (सोना व चांदी) विदेशों को भेजी और मगवाई गई हैं

भुगतान के सन्तुलन का एक विवरण  
(Statement Showing Balance of Payments Position)

लेन या निर्यात (दृश्य और अदृश्य)	देन या आयात (दृश्य और अदृश्य)
	₹०-पैसे
(१) वस्तुओं की निर्यात	...
(२) सेवाओं की निर्यात से विदेशों से प्राप्त आमदनी	(१) वस्तुओं की आयात
(क) व्यापारिक कम्पनियों द्वारा की गई सेवायें	...
(ख) विदेशी लोगों की सेवायें	(२) सेवाओं की आयात का विदेशों को भुगतान
(ग) शिक्षा व यात्रियों की सेवायें	...
(३) विदेशी ऋण व पूँजी से प्राप्त आय—मूलधन व व्याज व लाभ	(क) व्यापारिक कम्पनियों द्वारा की गई सेवायें
(४) विदेशी सरकारों द्वारा देश में ब्यवहार	(ख) विदेशी लोगों की सेवायें
(५) जन-संघर्ष के आवास से प्राप्त होने वाला धन	(ग) शिक्षा व यात्रियों की सेवायें
(६) विदेशियों से प्राप्त दड़, दान, मुआवजा व युद्ध-ब्यवहार आदि	(१) विदेशी ऋण व पूँजी का भुगतान—मूलधन, व्याज व लाभ
	...
	(४) सरकार का विदेशों में ब्यवहार
	(५) जन-संघर्ष के प्रवास के कारण विदेशों को जाने वाला धन
	(६) विदेशों को दिया गया दड़, दान, मुआवजा व युद्ध-ब्यवहार आदि
योग	योग

उनका किसी देश के भुगतान के सन्तुलन पर प्रभाव पड़ता है। अर्थ: किसी देश के व्यापार-सन्तुलन या दृश्य आयात-निर्यात से वहाँ का भुगतान का सन्तुलन प्रभावित होता है जिससे हम व्यापार-सन्तुलन को भुगतान-सन्तुलन में समिलित होने वाला एक महत्वपूर्ण मद मानते हैं।

(२) सेवायें (Services):—कुछ देश अन्य दूसरे देशों को वस्तुओं को भेजने के प्रतिरक्त उनकी अनेक प्रकार से सेवायें भी करते हैं जिनके बदले में उन्हे मूल्य मिलता है। इस प्रकार की सेवायें अदृश्य (अप्रत्यक्ष) आयात-निर्यात के अन्तर्गत गिनी जाती हैं। ये सेवायें भी कई प्रकार की होती हैं:—(i) व्यापारिक कम्पनियों द्वारा सेवायें:—किसी देश के बैंक, बीमा कंपनियाँ, समुद्री व हवाई जहाजी कम्पनियाँ

\*These services are of various kinds e.g. (1) Transport Services—Shipping Freights, Harbour and Canal dues, Passenger Fares (2) Commercial Services—Postal Telephone, Telegraph Fees, Dues and Commissions, (3) Financial Services—Broker's Charges, (4) Tourist Services—Fees and Commissions charged from the Tourist.

जब अन्य दूसरे देशों में व्यापार बरती है या उस देश के निवासियों की सेवा करती है, तब इनको इस अम के बदले में शुल्क या कमीशन मिलता है। जो देश इस प्रकार की सेवाएँ करता है, उसके लिये यह अदृश्य निर्यात (Invisible Exports) और जो देश इन सेवाओं को प्राप्त करता है, उसके लिये यह अदृश्य आयात (Invisible Imports) होता है। (ii) विशेषज्ञों की सेवायें —कमी-कमी एक देश विशेषज्ञों, व्यापकों, इन्डीनियरों, सैनिकों तथा चिकित्सकों आदि को दूसरे देशों से बुलावाता है। ये सब अपने देशन की बचत को अपने निजी देशों को भेजते हैं। जिस देश से ये व्यक्ति विदेशों को गए हैं, उसके लिये इनकी सेवाएँ अदृश्य निर्यात हुईं और जिस देश में ये काम करते हैं उसके लिए यह अदृश्य आयात हुई। (iii) शिक्षा व यात्रा की सेवायें —इगलंड व अमेरिका जैसे प्रगतिशील देशों में सासार के विभिन्न देशों से विद्यार्थी अध्ययन की हाट से आते हैं या कुछ व्यक्ति धूमने-फिरने तथा नये-नये अनुभव प्राप्त करने के लिये जाते हैं। जिस देश का युवक व यात्री जाता है, उस देश के लिये यह अदृश्य आयात (Invisible Imports) और जिस देश को ये जाते हैं, उसके लिये यह अदृश्य निर्यात (Invisible Exports) के समान हैं। द्वितीय महायुद्ध से पहले भारतवर्ष प्रत्येक वर्ष इगलंड को अप्रेजी एसाहियों व अपसरों की तुनस्वाह, भत्ता, पैशन, छुट्टी तथा अवकाश वा देशन, बैक व जहाजी कम्पनियों द्वारा की गई सेवाओं का शुल्क व कमीशन तथा इगलंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों तथा धूमने फिरने वालों के लिये सचं बहुत बड़ी मात्रा में भेजा करता था जिसके कारण उस समय अनुदूल व्यापार का अन्तर प्रतिकूल भुगतान के सन्तुलन में परिणत हो जाता था। अत ऐसाओं की आयात निर्यात भी भुगतान के सन्तुलन की एक महत्वपूर्ण मद है।

(3) ऋण, पूँजी व सूद का लेन-देन (Debts, Capital and Interest Transactions) —(i) कमी-कमी एक देश दूसरे देश द्वारा ऋण देता है। यह दीप्त और अल्प-कालीन दोनों ही प्रकार का हो सकता है। जिस समय इस ऋण की रकम एक देश से दूसरे देश को भेजी जाती है, तब ऋणदाता (Creditor) देश के लिए यह अदृश्य आयात और ऋणी (Debtor) देश के लिये यह अदृश्य निर्यात के समान होता है। (ii) जब इस ऋण या इसके सूद के भुगतान का समय आता है, तब इस मूलधन या सूद की रकम को देने वाला देश ऋणदाता (Creditor) देश और इसको प्राप्त करने वाला देश ऋणी (Debtor) देश के समान हो जाता है। (iii) कमी कमी विदेशों को पूँजी (Capital) वहाँ पर भूद की ऊंची दर या शेयर्स में अच्छी लाभ होने की प्राप्ति से भी भेजी जाती है। यह पूँजी प्राय विदेशों से हिस्से (Shares) खरीदने व देंकों में रकम जमा करने पर इन्हें उधार देने पर इसे अन्य किसी व्यापार व घन्घी में लगाने के लिये भेजी जाती है। यह विनियोग (Investment) भी दीप्त या अल्पकालीन हो सकता है। यहाँ पर भी जिस देश से विदेशों को पूँजी जाती है, वह ऋणदाता (Creditor) देश और जिस देश में इस पूँजी का विनियोग होता है, वह ऋणी (Debtor) देश के समान हो जाता है। ऋणदाता देश के लिये इस प्रकार की पूँजी का भेजना अदृश्य आयात और ऋणी देश के लिये यह अदृश्य निर्यात के समान होता है। उदाहरण के लिए, द्वितीय महायुद्ध से पहले

भारतवर्ष इंग्लॅण्ड को उसकी भारतीय नहरों व रेलों में लगी पूँजी पर एक बहुत बड़ी रकम व्याज के रूप में भेजता था जिसका भारतीय भुगतान के सन्तुलन पर बहुत प्रभाव पड़ा करता था। अतः विभिन्न राष्ट्रों के बीच अण व पूँजी और इसके गुद के भुगतान से उनकी भुगतान-सन्तुलन की स्थिति प्रभावित होती है जिससे ये भी इस सन्तुलन के महत्वपूर्ण मद हैं।

(४) सरकारों का व्यय (Governmental Expenses):—प्रत्येक देश की सरकार दूसरे देश में अपने दूतावास (Embassies) पर काफी भारी रकम व्यय करती है। युद्धोपरान्त विजेता देश हारे हुए देश से अपनी क्षति-पूर्ति (Reparations) लेता है। अतः कभी-कभी सरकार द्वारा भी एक भारी रकम का विदेशी सरकार से लेन-देन होता है। इस स्थिति में जो देश ऋणदाता (Creditor) होता है उसके लिए यह रकम अदृश्य आयात और जो देश ऋणी होता है उसके लिये यह रकम अदृश्य निर्यात के समान होती है। अतः एक-दूसरे देश में सरकारों की ओर से होने वाले व्यय से भी भुगतान के सन्तुलन की स्थिति प्रभावित होती है जिससे इस प्रकार का व्यय भी भुगतान के सन्तुलन का एक आवश्यक मद बन जाता है।

(५) जन-संस्थान का आवास-प्रवास (Emigration):—जब एक देश के रहने वाले दूसरे देश में स्थायी रूप से जाकर बसते हैं, सब ये अपने साथ अपना धन व जमा राशि भी ले जाते हैं। इस स्थिति में जिस देश से मनुष्यों का प्रवास हो रहा है या जिस देश से धन इस प्रवास के कारण विदेशों को जा रहा है, उसके लिये यह अदृश्य आयात (Invisible-Imports) के समान है और जिस देश को व्यक्ति जा रहे हैं या जिस देश को धन जा रहा है उस देश के लिये यह रकम अदृश्य निर्यात के समान है। अतः जन-संस्थान के आवास-प्रवास से भी भुगतान-सन्तुलन की स्थिति प्रभावित होती है जिससे यह भी भुगतान-सन्तुलन का एक प्रभावी मद माना जाता है।

(६) विदेशों से प्राप्त दण्ड, मुधावजा, युद्ध-व्यय-चन्दा व दान आदि:—कभी-कभी एक देश को दूसरे देश से दण्ड, मुधावजा, युद्ध-व्यय-चन्दा या दान के रूप में भी कुछ राशि प्राप्त होती है जिससे इन देशों का भुगतान-सन्तुलन प्रवाहित होता है। अतः इन सबको भी हम भुगतान सन्तुलन में सम्प्रसित होने वाले मद मानते हैं।

### भुगतान के सन्तुलन में असमता तथा इसका सुधार (Disequilibrium in Balance of Payments and its Correction)

भुगतान के सन्तुलन में असमता के क्या कारण हैं? (What are the causes of the Disequilibrium in the Balance of Payments ?):—अभी हमने उन मदों का विस्तार से अध्ययन किया है जो किसी देश के भुगतान के सन्तुलन के विवरण में सम्प्रसित किये जाते हैं। इन मदों में से कोई भी एक या अधिक मद इस साते के सन्तुलन (Balance of Accounts) को किसी एक और ले जाकर इसमें असमता (Disequilibrium) उत्पन्न कर सकते हैं। यदि किसी एक देश में कम वस्तुएं उत्पन्न होने लगी हैं या इनका उत्पादन-व्यय बढ़ गया है या इस देश की विदेशी विनियम-दर

वह गई है या विदेशीयों की व्यापकता कम हो गई है या किन्हीं कारणों से इस देश की निर्धारित कम हो गई तथा यद्यपि वस्तुओं का आयात पूर्ववर्द्ध ही है, तब भुगतान के सत्रुलन में असमता उत्तर्वन ही जायेगी। इसके अतिरिक्त इस प्रसन्नुलन पर प्रदृश्य आयात निर्धारित का भी बहुत प्रभाव पड़ा करता है।

भुगतान के सत्रुलन की असमता को सुधारने की विधिया (Methods for the correction of Disequilibrium in the Balance of Payment) — स्वर्ण मान में तो भुगतान के सत्रुलन की असमता तो स्वतं स्वर्ण के आयात-नियंत्रित द्वारा ठीक हो जाती थी। परन्तु वर्तमान आदिक परिस्थितियों में यह असमता स्वतं ठीक नहीं हो पाती है। जब किसी देश के भुगतान सत्रुलन में बहुत समय तक और बहुत बड़ी मात्रा में असमता रहती है, तब यह देश अपनी ग्रर्थ व्यवस्था को दृढ़ रखने के लिए, इस दशा को सुधारने का प्रयत्न करेगा। यह देश निम्नलिखित में से एक या अधिक विधियों का प्रयोग करके इस असमता को दूर करने का प्रयत्न करेगा।

(१) निर्यात प्रोत्साहित वर्तना और आयात कम करना (Encourage Exports and Restrict Imports) — भुगतान सत्रुलन की प्रतिकूल अवस्था को ठीक करने का प्रथम महत्वपूर्ण तरीका व्यापार-सत्रुलन की प्रतिकूलता को ठीक करना है। व्यापार-सत्रुलन की प्रतिकूलता (Unfavourable Balance of Trade) नियंत्रित को प्रोत्साहित और आयात को हतोत्साहित करके ठीक की जा सकती है। किसी देश में आयात निम्नलिखित कई तरीकों में से किसी एक या अधिक विधियों को अपनाकर हतोत्साहित की जा सकती है। ये मुख्य-मुख्य विधिया इस प्रकार है—  
 (i) आयात कर लगाना या इसमें बढ़िया करना (Impose Import Duties or to increase Import Duties) — इस प्रकार का बार लगाने से देश की आयातें बहुत महगी हो जायेगी जिससे आयात की वस्तुओं की मात्रा देश में बहुत कम हो जायेगी। परिणामतः आयात स्वयं कम हो जाएगी।  
 (ii) आयात कोटा प्रणाली (Import Quota System) इस प्रणाली के भी वई रूप है—  
 (क) लाइसेंस कोटा प्रणाली (Licensing Quota System) — इस प्रणाली में सरकार वस्तुओं की आयात करने का लाइसेंस कुछ गिने चुने व्यापारियों को ही देती है। ये व्यापारी भी केवल वही वस्तुयें तथा उनकी वही मात्रा मात्रा सकते हैं जैसा कि देश की सरकार ने देश की आवश्यकताओं को घ्यात में रखकर निर्धारित की है। कभी-कभी इस प्रणाली को लाइसेंसिंग प्रणाली (Licensing System) भी कहते हैं। (ख) एक पक्षीय कोटा प्रणाली (Unilateral Quota System) — आयात कोटा प्रणाली का दूसरा रूप एक-पक्षीय प्रणाली है। इस प्रणाली में केवल एक देश अपनी आयात पर प्रतिबन्ध लगाता है। यह प्रतिबन्ध भी दो प्रकार का होता है—प्रथम, सांसारिक कोटा (Global Quota) — इस प्रणाली में सरकार प्रत्येक आयात की वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा निर्दित कर देती है और यह मात्रा किसी भी देश से मगाई जा सकती है। द्वितीय, विभाजित कोटा (Allocated Quota) — इस प्रणाली में सरकार ने केवल किसी आयात की वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा ही निर्दित वर्तती है वरन् यह यह भी उप करती है कि कौनसी वस्तु के बिना भी और किसी से मगायी जायेगी। द्विपक्षीय कोटा

**प्रणाली (Bilateral Quota System):**—इस प्रणाली में सरकार के बल एक निश्चित मात्रा तक ही किसी देश-विदेश रियायती आयात-कर (Concessional Import Duties) देकर वस्तुयें मंगाने की आज्ञा देती है परन्तु यदि व्यापारी इस निर्धारित मात्रा से अधिक वस्तुयें मंगाना चाहते हैं, तब वे मंगवा तो सकते हैं, परन्तु इन्हें इस अतिरिक्त आयात के लिये दण्ड-स्वरूप अधिक आयात-कर देना पड़ता है। व्यापार-संतुलन की प्रति-कूलता न केवल वस्तुओं की आयात पर प्रतिबन्ध लगा कर ठीक की जाती है बरन वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करके भी ठीक की जाती है। निर्यात को प्रोत्साहन दो तरीकों से दिया जा सकता है—(क) निर्यात कर में कमी करना (Reduction in Export Duties);—सरकार वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करके इनकी निर्यात को प्रोत्साहित कर सकती है, (ख) अर्थ-सहायता देना (Subsidies and Bounties);—सरकार कुछ घरेलू वस्तुओं के उत्पादकों को उनकी उत्पत्ति के अनुसार कुछ आर्थिक सहायता देकर भी देश की निर्यात को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार की सहायता देने से वस्तु की लागत उत्पादकों को कम हो जाती है और वे अधिक मात्रा में वस्तु की निर्यात करके पहले से अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त करने लगते हैं। धूतः सरकार आयातों को हतोत्साहित तथा निर्यातों को प्रोत्साहित करके देश में भ्रगतान-संतुलन की प्रति-कूल अवस्था को ठीक करती है।

(२) अवमूल्यन (Devaluation):—मुद्रा-अवमूल्यन\* की रीति देश में आयातों को हतोत्साहित करने का एक हड़ उपाय है क्योंकि इसके कारण देश के निर्यात संस्तै होने के साथ ही साथ देश की आयातें भी महगी हो जाती हैं। अवमूल्यन का अर्थ है देश की मुद्रा की विदेशी विनियमय क्रय-शक्ति को कम करता अर्थात् विदेशी मुद्रा के रूप में देश की मुद्रा का मूल्य कम करना। अवमूल्यन का परिणाम यह होता है कि विदेशी अपनी मुद्रा की पूर्ववत् मात्रा से अवमूल्यित देश में अधिक मात्रा में वस्तुये खरीद सकते हैं। इसी तरह जब अवमूल्यित मुद्रा बाला देश विदेशों से वस्तुयें खरीदता है, तब इसे इन

\*अवमूल्यन की रीति से बहुत कुछ गिलती-जुलती विनियम छाप (Exchange Depreciation) की रीति है। विनियम-छाप में भी विनियम की दर में कमी हो जाती है जिससे आयात हतोत्साहित और नियर्यात प्रोत्साहित होते हैं और अन्ततः भ्रगतान के प्रतिकूल संतुलन की त्रुटि ठीक हो जाती है। परन्तु अवमूल्यन (Devaluation) और विनियम-छाप (Exchange Depreciation) में दो मूल भेद हैं—(क) अवमूल्यन में देश की सरकार कानून द्वारा देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा में मूल्य कम करती है, परन्तु विनियम-छाप साधारणतया कानून द्वारा नहीं किया जाता है बरन यह देश की आर्थिक परिस्थितियों का एक स्वाभाविक परिणाम होता है और इसमें बिना सरकारी सहायता के देश के प्रामाणिक सिक्कों का बाह्य-मूल्य कम हो जाता है। (ख) अवमूल्यन में न केवल विदेशी मुद्रा के रूप में देशी मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है बल्कि यदि देश में स्वर्ण के सिक्के प्रचलित हैं, तब इनमें स्वर्णों का अनुपात कम कर दिया जाता है, परन्तु विनियम-छाप में स्वर्णों के सिक्कों का स्वर्ण अनुपात (यदि स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में हैं) कम नहीं किया जाता है।

वस्तुओं के लिये पहले से अधिक मात्रा में मुद्रा स्वयं करनी पड़ती है। अत जब कोई दश अपनी मुद्रा को अवमूल्यित करता है, तब इससे देश की नियंत्रित को प्रोत्ताहन मिलता है तथा इसकी आयातों निरुत्थाहित हो जाती है जिसके मुगतान का प्रतिकूल सन्तुलन शीघ्र ही साम्य की अवस्था में आ जाता है।

(३) मुद्रा संकुचन (Deflation) — कभी कभी ऐसा होता है कि कोई राष्ट्र अपनी मुद्रा का बाह्य मूल्य कम करना (अवमूल्यन करना) उचित नहीं समझा करता है। इस अवस्था में यह मुद्रा-संकुचन की रीति अपना बर मुगतान सन्तुलन की चुटियों को ठीक कर सकता है। मुद्रा संकुचन के परिणामस्वरूप देश में वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य कम हो जाता है (सामान्य-स्तर कम हो जाता है) और विदेशों से आई हूई वस्तुएं महगी हो जाती हैं। परिणामतः नियंत्रित को प्रोत्ताहन मिलता है और आयात हतोत्साहित होती है जिससे मुगतान का असन्तुलन बुद्ध समय बाद सन्तुलित हो जाता है। परन्तु कुछ व्यक्तियों का यह मत है कि मुद्रा-संकुचन की रीति एक अच्छी रीति नहीं है क्योंकि देश में मूल्यों को जान बोझ गिराने से आर्थिक उछट आ जाने का मत बताया हो जाता है। इसका कारण स्पष्ट है। वस्तुओं की लागत तो लगभग पूर्ववत् रहती है, परन्तु जब इनके मूल्य गिर जाते हैं तब उत्पादकों को मारी हानि हो जाती है। अन्ततः देश में वेरोजगारी व मन्दी की दशायें फैल जाती हैं यही कारण है कि मुगतान सन्तुलन की चुटि को ठीक करने के लिये मुद्रा संकुचन की रीति को बड़ी सावधानीपूर्वक प्रयोग में लाना चाहिए।

(४) विनियम नियन्त्रण (Exchange Control) — यह स्पष्ट है कि अवमूल्यन से देश के सम्मान को घटा पहुंचता है, मुद्रा संकुचन के प्रभाव बड़े भातक हो सकते हैं तथा इससे देश की अर्थ-व्यवस्था बहुत ही अस्तर-व्यस्त हो सकती है, कोटा-प्रणाली प्रतिकार (Reaction) को जन्म देती है आदि। यही कारण है कि यदि कोई देश इन रीतियों को अपनाता है, तब उसे इनका बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना पड़ता है। परन्तु कभी कभी इन रीतियों के दोषों से बचने के लिये विनियम-नियन्त्रण की रीति को अपनाया जाता है। इस रीति में सरकार प्रत्यक्ष नियंत्रितर्ता को यह आदेश दे देती है कि व अपने विदेशी विनियम के तमाम सौदे (Foreign Exchange Transactions) केवल कानूनी वंक द्वारा ही करें अर्थात् उनको यह आदेश होता है कि वे जो कुछ भी विदेशी विनियम प्राप्त करते हैं, उसे कानूनी वंक की सीर दें और इस प्रकार कैन्ट्रीय वंक को जो कुछ भी विदेशी विनियम प्राप्त होती है, वह इसे आयात-करत्रियों में दाट देता है। सरकार आयात-करत्रियों को आयात करने के लिये लाइसेंस (Licence) भी देती है, जिसमें लाइसेंस-प्राप्त व्यक्ति के जित्राप्र अन्तर्गत कोई दूसरा व्यक्ति वस्तुओं की आयात नहीं कर सकता है। अत इस रीति में आयातों पर रोक व नियन्त्रण लगाकर मुगतान सन्तुलन की चुटियों को ठीक कर दिया जाता है क्योंकि इस रीति में आयातों का मूल्य नियंत्रियों के मूल्य के अन्दर ही रहता है।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B. A. & B. Sc.

१. नोट लिखिये—भुगतान आधिक्य (Balance of Payments) (१९५८)
२. मांडलिक यशांश (Global Quotas) पर नोट लिखिये। (१९५८) ३. नियर्ति यशांश (Export Quotas) पर नोट लिखिये। (१९५७ S, १९५५ S) ४. व्यापार-संतुलन और पावना-लेखा (शोधनाधिक्य) में व्या भेद है? इस भेद का व्या महत्व है? (१९५७) ५. Examine the various methods employed for correcting Adverse Balance of Payments. (1956 S) ६. What specific information does the study of a nation's balance of payments yield? (1955) ७. What is 'Balance of Payments'? How may disequilibrium arise in a country's balance of payments and how may such disequilibrium be corrected? (1954) ८. Write a note on—Import and Export Quotas. (1954).

Agra University, B. Com.

१. टिप्पणी लिखिये—भुगतानावशेष (Balance of Payments)। (१९५६ S १९५७) २. 'Exports pay for Imports', Explain how this happens? What part does money play in International Payments? (1958) ३. Explain the difference between Balance of Trade and Balance of payments. (1957 S) ४. What are the factors that enter into the balance of payments between different countries? Is it possible for a country to have a continuously favourable balance of payments? (1955 S)

Allahabad University B. Com

१. What is meant by 'balance of payments'? Describe the various methods of correcting adverse balance of payments. (1956)

Banaras University, B. Com.

१. What do you understand by 'balance of payments'? How can adverse balance of payments position be corrected? (1959)

Rajputana University, B. A.

१. What is 'balance of trade' (व्यापार का अन्तर)? When does 'adverse balance of trade' (व्यापार का अन्तर विपक्ष में) arise? What are the methods of correcting adverse balance of trade? (1958)

Sagar University, B. Com.

१. शोधन-आधिक्य (Balance of Payments) का अर्थ स्पष्टतया समझाइये। विदेशी विनियम की दर को यह किस तरह प्रभावित करता है? (१९५७)।

Vikram University, B. A. & B. Sc.

१. भुगतान तुला (Balance of Payments) प्रतिकूल भुगतान तुला को आप कैसे संतुलित बनायेंगे? (१९५६)।

परीक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत

- प्रश्न १ (i) व्यापार संतुलन और पावनालेखा (शोधनाधिक्य) में व्या भेद है? इस भेद का व्या महत्व है? (Agra, B. A. १९५७) (ii) What are the factors that enter into the balance of payments between different countries? Is it possible for a country to have a continuously favourable balance of payments? (Agra, B. Com. 1955.)

**सकेत.**—उबत प्रदेशों में लोन बाते मैंशी गई हैं—व्यापार-सन्तुलन और भुगतान सन्तुलन का अर्थ व इनके भेद तथा इस भेद का क्या महत्व है ? भुगतान-सन्तुलन में कौन-कौन सी मद्देस सम्मिलित होती है ? क्या किसी देश में निरन्तर अनुकूल भुगतान-सन्तुलन रखना सम्भव है ? प्रथम भाग में व्यापार-सन्तुलन का अर्थ बताइये—कि राष्ट्रों में एक देश से दूसरे देश की वस्तुओं की आयात-निर्यात होती है एक देश दूसरे देश को इन वस्तुओं के मूल्य का भुगतान बराबर विदेशी मुद्रा में करता है, कि इस लेनदारी-देनदारी के अन्तर को व्यापार-सन्तुलन कहते हैं, कि निर्यात आयातों से अधिक होने पर अनुकूल व्यापार-सन्तुलन होता है, कि व्यवहारिक जीवन में निर्यातों द्वारा आयातों वा भुगतान होता है और जो अन्तर रह जाता है वह अगले वर्ष के लिए व्यापार सन्तुलन के रूप में बताता रहता है, कि भलवकाल में व्यापार सन्तुलन का अनुकूल या प्रतिकूल होना कोई महत्व नहीं रखता, परन्तु यदि यह सन्तुलन दीर्घकाल तक देश के प्रतिकूल रहता है, तब यह बड़े महत्व का होता है क्योंकि यह बड़ी गम्भीर आर्थिक समस्यायें उत्पन्न कर देता है। इसीलिये प्रत्येक सरकार का यह प्रयत्न रहता है कि विदेशी व्यापार सन्तुलित अवस्था में रहे—कि आयातों निर्यातों के बराबर रहे भावि इसके बाद भुगतान सन्तुलन का अर्थ बताइये—कि इसका अर्थ अधिक व्यापक होता है क्योंकि व्यापार सन्तुलन इसका केवल एक अदा मात्र है तथा इसमें अन्य कितनी ही मद्देस सम्मिलित रहती है (आगे विस्तार से लिखा गया है)। इन अनेक मद्दों के कारण विदेशी भुगतान लिये भी जाते हैं और दिये भी जाते हैं और इन समस्त लेनदारी व देनदारी के अन्तर को भुगतान सन्तुलन कहते हैं। यह भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल अवस्था में हो सकता है—यदि लेनदारी समस्त देनदारी से अधिक है तब भुगतान सन्तुलन अनुकूल और यदि देनदारी समस्त लेनदारी से अधिक है, तब भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल कहा जाता है (एक-देह पृष्ठ)। द्वितीय भाग में व्यापार सन्तुलन और भुगतान सन्तुलन का भेद बताइये—कि व्यापार-सन्तुलन में केवल वे वस्तुयें ही सम्मिलित की जाती हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से आयात या निर्यात होता है, जो रेल, वायु यातायात तथा समुद्री भागों से देश की सोमा के बाहर जाती हैं अथवा आती हैं। इस व्यापार को हृष्य आयात-निर्यात कहते हैं। अत व्यापार सन्तुलन में केवल हृष्य आयात-निर्यात सम्मिलित होती है। भुगतान सन्तुलन में न केवल हृष्य आयात-निर्यात होती है वरच इसमें अहृष्य आयात-निर्यात (झमका उल्लेख बन्दरगाहों, हवाई अड्डों तथा रेल के स्टेशनों की पुस्तकों में नहीं होता है) भी सम्मिलित होते हैं (उदाहरण दीजिये) (एक-देह पृष्ठ)। तृतीय भाग में इस भेद का महत्व बताइये—कि चूंकि भुगतान सन्तुलन में हृष्य व प्रहृष्य दोनों ही प्रकार की मद्दों की गणना होती है, इसलिये भुगतान सन्तुलन व्यापार सन्तुलन की अपेक्षा अधिक महत्व रखता है, कि व्यापार सन्तुलन अनुकूल होते हुये भी भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल हो सकता है कि इससे हृष्ट है कि व्यापार सन्तुलन का प्रतिकूल होना इतना महत्व नहीं रखता जितना कि भुगतान सन्तुलन का अनुकूल अथवा प्रतिकूल होना रखता है। व्यापार सन्तुलन काफी समय तक अथवा स्थायी रूप में प्रतिकूल रह सकता है, परन्तु भुगतान सन्तुलन को स्थायी रूप से प्रतिकूल न हो रखता जा सकता है और न

यह रखा ही जाना चाहिये क्योंकि प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन देश की दुर्बल अर्थ-व्यवस्था का सूचक होता है (इसे उदाहरण सहित समझाइये) जिसके कारण प्रत्येक देश प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को हर समय अनुकूल या ठीक करने का प्रयत्न करता रहता है। अतः व्यापार सन्तुलन व भुगतान सन्तुलन का उक्त भेद बहुत ही अधिक आधिक महत्व का होता है (एक पृष्ठ) चतुर्थ भाग में भुगतान सन्तुलन में सम्मिलित होने वाली मदों को लिखिये जैसे—वस्तुओं की आयात-निर्यात, सेवाओं की आयात-निर्यात, विदेशी झूल व पूँजी व इन पर सूद या लाभादा का लेन-देन, सरकारों का व्यय, जनसंख्या का आवास प्रवास, दृष्ट व मुद्रावजा या गुण्ड-ध्यय-चन्दा आदि को भेजना या प्राप्त करना प्रत्येक को विस्तार से उदाहरण सहित लिखिये (तीन-चार पृष्ठ)। पांचवें भाग में यह बताइये कि क्या किसी देश के लिये निरन्तर अनुकूल भुगतान-सन्तुलन रखना सम्भव है?—(i) अनुकूल अथवा प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन का महत्व अल्पकाल में अधिक नहीं होता बरन् दीर्घकाल में इसका बहुत महत्व होता है। यदि असन्तुलत अस्थायी (अल्पकालीन) है तब यह विशेष चिन्ता का विषय नहीं होता परन्तु स्थायी (दीर्घकालीन) असन्तुलन बहुत चिन्ता का विषय होता है क्योंकि इसके घोर आधिक परिणाम होते हैं, (ii) भुगतान सन्तुलन को निरन्तर को अनुकूल बनाने के लिये कई बारों की आवश्यकता है, जैसे (अ) आयातों पर कठोर प्रतिबन्ध अथवा रोक-याम, निर्यातों को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रत्येक देश के लिये यह सम्भव नहीं होता कि वह आयाते तो बन्द या कम कर दें और निर्यातों में अत्यधिक वृद्धि कर दें क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के परस्पर सहयोग पर निर्भर करता है, यदि सभी देश उक्त नीति को अपनाने लगें, तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ही ठप हो जायगा। (आ) आधिक हृष्ट से स्वावलम्बी—कोई राष्ट्र निरन्तर अनुकूल भुगतान सन्तुलन उस समय भी रख सकता है जबकि यह अपनी आवश्यकता की समस्त वस्तुओं की विदेशों में मांग बेलोचार हो (जैसे अमेरिका की वर्तमान स्थिति है) परन्तु प्रत्येक राष्ट्र इस प्रकार की स्थिति बहुत समय तक नहीं बनाये रख सकता। अतः भुगतान सन्तुलन को निरन्तर अनुकूल बनाये रखना प्रत्येक राष्ट्र के लिये असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। उचित स्थिति तो मह है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से भुगतान सन्तुलन की स्थिति में स्थिरता रहनी चाहिये तथा यह बराबर सन्तुलित होता रहना चाहिये तब ही देशों का आधिक विकास समुचित आधार पर हो सकेगा (एक-दो घण्टे पृष्ठ)।

प्रश्न २:—यदा किसी राष्ट्र के भुगतान सन्तुलन की स्थिति के अध्ययन से किसी तथ्य की जानकारी प्राप्त हो सकती है? (Agra B. A. १९५५)।

संकेत—उत्तर के आरम्भ में भुगतान-सन्तुलन व इसके अनुकूल व प्रतिकूल होने का अर्थ लिखिये (आधा पृष्ठ)। द्वितीय भाग में लिखिये कि किसी राष्ट्र की भुगतान-सन्तुलन की स्थिति के अध्ययन से हमें कई महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चलता है:—(i) विदेशी व्यापार की क्या स्थिति है कि देश में किन वस्तुओं का तथा कितनी मात्रा में आयात निर्यात हो रहा है, कि व्यापार की सामान्य स्थिति कौसी है? कि देश में आधिक विकास एवं योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये पूँजीगत माल व मशीनों का आयात हो रहा है या नहीं, कि व्या आयातों के उपभोग-पदार्थों को प्रषानता मिल रही है अथवा उत्पत्ति

पदार्थों को ? इसी से देश की आर्थिक प्रगति का अनुभान लगाया जा रहा है । उदाहरणार्थ, भारत में पचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये भारी मात्रा में मशीन व पूँजीगत सामान विदेशों से आ रहा है तथा काय वस्तुओं की आयातों में भारी कमी की गई है (अब भारत में ही अनेक उपभोग पदार्थ उत्पन्न होने लगे हैं) फलत युद्धोत्तर काल में भुगतान सन्तुलन कुछ समय से भारत के प्रतिकूल रहा है । अब भारत में इस भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि देश में नवीन आर्थिक प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया है । (ii) कि क्या देश में विदेशी पूँजी का प्रवाह घाहरी देशों के लिये अथवा विदेशों से स्वदेश को घोट हो रहा है, कि क्या विदेशी कृष्ण देश को प्राप्त हो रहे हैं अथवा कम मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं तथा इनके भुगतान की परिस्थिति क्या है ? (iii) कि भुगतान सन्तुलन की स्थिति विभिन्न देशों को मुद्राओं के सम्बन्ध में कैसी है ? भारत में यदि इसमें डॉलर-क्षेत्र में आर्थिक प्रतिकूलता है, तब स्टलिंग क्षेत्र के सन्तुलन में नर्मी है अथवा कम प्रतिकूलता है । अत निष्कर्ष निकालिये कि किसी देश के भुगतान सन्तुलन की स्थिति के अध्ययन से हमें वहाँ के अनेक आर्थिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है । तृतीय भाग में इस कथन का विश्लेषण आलोचनास्वरूप कीजिये—कि विद्वानों का मत है कि भुगतान सन्तुलन से हमें पूरी-पूरी बातों का पता नहीं चल सकता है कि यह तो हमें केवल राष्ट्र की लेनदारी-देनदारी के बारे में ही बताता है और जब तक हमें इनसे सम्बन्धित अन्य बातों की जानकारी नहीं हो, तब तक हम किसी भी निश्चित बठीक ठीक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते । उदाहरणार्थ, भारत का भुगतान सन्तुलन आजकल प्राय प्रतिकूल रहता है, परन्तु इसे हम देश की आर्थिक दुर्बलता का चिन्ह नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि पचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये पूँजीगत माल व मशीनों अथवा विदेशी पूँजी का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है और नवीन योजनाओं को अपनाया जाता है उनको व्यापक कीजिये (Agra, B A. १९१६, Allahabad, B Com १९५६, Banaras, B Com १९५६), (iii) शोधन आर्थिक का वर्ण तप्त कीजिये । विदेशी विनियम को दर को पह किस तरह प्रभावित करता है ? (Sagar, B Com १९५७) (iv) What is Balance of Payments ? How may disequilibrium arise in a country's balance of payments and how may such disequilibrium be corrected ? (Agra, B A १९५४).

सकेत—उपरोक्त प्रश्नों में नार बातें पूँछी गई हैं—भुगतान तुला का क्या अर्थ है ? किसी देश की भुगतान तुला की प्रतिकूलता के क्या कारण हैं ? इस प्रतिकूलता को कैसे सतुरित किया जा सकता है ? शोधन-आर्थिक का विनियम की दर पर क्या प्रभाव

पड़ता है ? प्रथम भाग में भुगतान-तुला का आर्थ स्पष्ट कीजिये (प्रश्न १ पढ़िये)। द्वितीय भाग में उन सब बातों को बताइये जिनसे भुगतान तुला प्रतिकूल होती है अथवा इसमें असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है—(i) आयातों का निर्यातों से अधिक होना:—देश के अविकसित होने तथा स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनाने से आयातों को प्रोत्साहन तथा निर्यात हतोत्थाहित होती है। (ii) अन्य किसी देश या देशों द्वारा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन—इस नीति से अन्य सम्बन्धित देशों की आयातें बढ़ती हैं (अवमूल्यित मुद्रा वाले देश की निर्यातें बढ़ती हैं तथा आयात कम होती है) तथा निर्यातें कम होती हैं। (iii) युद्ध या अन्य संकट—ऐसे समय में देश को विदेशों से भारी आयातें (युद्ध-सामग्री, खाद्यान्न आदि) करनी पड़ती हैं, परन्तु ऐसे सकट के समय में इस देश का निर्यात उसी अनुपात में बढ़ने नहीं पाता है। (iv) विकास योजनाएं—इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये भी देश को विदेशों से पूँजीगत माल व मशीनें भारी मात्रा में मेंगानी पड़ती हैं (भारत में ऐसा ही हो रहा है) यद्यपि अल्पकाल में सन्तुलन प्रतिकूल हो जाता है तथापि दीर्घकाल में इसके अनुकूल अथवा साम्य की स्थिति में हो जाने की सम्भावना है। (v) अहश्य आयातें—जब भारी मात्रा में पूँजी, अरुण का भुगतान या इस पर सूद विदेशों को जाने लगता है, तब भी भुगतान प्रतिकूल हो जाता है। यही बाब अहश्य आयातों की अन्य मर्दों पर भी लागू होती है। (vi) सेवायें—जब देश को विदेशी कम्पनियों (यातायात या श्रोदोगिक कम्पनियों) या विदेशी लोगों की सेवायें प्राप्त होती हैं, तब इन सेवाओं के शुल्क के रूप में काफी बड़ी मात्रा में विदेशों को पूँजी जाने लगती है जिससे भुगतान-तुला में प्रतिकूलता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है (दो पृष्ठ)। तृतीय भाग में उन चारों को बताइये जिनसे भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को ठीक किया जा सकता है—(i) निर्यात श्रोत्साहित तथा आयात कम करना—यह कार्य आयात कर लगाकर या इसमें वृद्धि करके, आयात कोठा प्रणाली (इसके विभिन्न रूप हैं, उन्हे भी बताइये), निर्यात कर में छूट तथा अर्थ-सहायता देना आदि रीतियों को अपना कर सम्बन्ध लिया किया जा सकता है, (ii) अवमूल्यन, (iii) मुद्रा-संकुचन, (iv) विनिमय-नियन्त्रण—इन नियन्त्रणों द्वारा सरकार यह प्रयत्न करती है कि निर्यातों द्वारा जो भी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो, उसी के अनुसार वस्तुओं का आयात किया जाये ताकि देश की लेनदारी व देनदारी लगभग बराबर हो सके। यहाँ पर विनिमय नियन्त्रण की विभिन्न रीतियों को संक्षेप में बताइये उत्तमिक्षित भुगतान सन्तुलन को ठीक करने की विभिन्न रीतियों को विस्तार से लिखिये। निष्कर्ष स्वरूप लिखिये कि सरकार उक्त में से एक या अतेक रीतियों को अपनाकर सन्तुलन की असमता को ठीक कर सकती है। भारतीय उदाहरण दीजिये—कि पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये विदेशों से पूँजीगत माल व मशीनें आदि भारी मात्रा में आ रही हैं जिसके कारण कुछ वर्षों से भुगतान सन्तुलन में प्रतिकूलता पाई जाती है। इसे ठीक करने के लिये सरकार यथासम्बद्ध प्रयत्न कर रही है, जैसे—उपभोग की अधिकांश वस्तुओं की आयात या तो बन्द कर दी गई है या इसमें भारी कटौती की गई है, निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं (विदेशों में प्रदर्शनियाँ, वस्तुओं का प्रचार, किस्म में सुधार, निर्यात-कर में छूट आदि), देश में आयात

के लिए लाईमेंस व कोटा प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, विनियम-नियन्त्रण की नीति का बठोरता से पालन किया जा रहा है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विद्र बैंक से अत्यधिक सहायता ली गई है और ली जा रही है, विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों से अर्थ-कालीन व दीर्घकालीन व्यापारिक समझौते किये गये हैं। फक्त देश की मुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता वी हिति मे समुचित सुधार हृथा है और भविष्य मे इसमे और भी अधिक मुश्यर हो जाने की आशा है (मारडीय सरकार द्वारा अपनाये गये उक्त उपायों के उदाहरण सहित लिखिये) (इ-डाइ पृष्ठ)। चतुर्थ भाग मे शोधन-आधिकाय का विनियम की दर पर जो प्रभाव पड़ता है उस लिखिये—यदि किसी देश का भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल है भयांत् इस देश की विदेश मुद्रा की मात्रा इसकी पूर्ति से अधिक है तब विनियम की दर बढ़ जायेगी (विदेशी मुद्रा के हृप में) फलत नियांत्र प्रोत्साहित होंगे और आयात निःस्वाहित होंगे। इसी तरह यदि सन्तुलन देश के लिये अनुकूल है तब विनियम की दर बढ़ जायेगी और इससे आयात प्रोत्साहित व नियांत्र निःस्वाहित होंगी। परन्तु यह अन्य देश विनियम की दर मे कमी को सहन करेंगे? नहीं। वे भी अनेक तरीके अपनाकर अपने देश मे इस देश की वस्तुओं को आसानी से नहीं आने दें अथवा वे भी अपनी मुद्रा मे प्रतियोगिता-पूरण मूल्य-हास करेंगे आदि। इससे विदेशी व्यापार मे अनिदिनता या जायगी जिसके बहुत बुरे आधिक परिणाम होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना इसी प्रकार की प्रतियोगिता को दूर करने अथवा प्रत्येक देश को अपने मुगतान सन्तुलन मे साम्य की हिति वो बनाये रखने के लिये की गई है और अब प्रत्येक राष्ट्र इसकी सहायता से सन्तुलन की प्रतिकूलता को ठीक रखने का प्रयत्न करता रहता है। कोप की सहायता से अथवा विनियम नियन्त्रण की रीत अपनावर विनियम की दर मे भी स्थेयं रखा जाता है (एक पृष्ठ)।

प्रश्न ४.—(i) यह सत्य है यि दीर्घकाल मे आयतों नियतों का मूल्य चुकाते हैं? (ii) इस क्षयन की व्याख्या दीजिये—“नियतों द्वारा आयतों का भुगतान होता है” (“Exports pay for Imports”), अथवा आयतों व नियतों को प्रवृत्ति समान होने की होती है (“Exports and Imports tend to be equal”) (iii) “The balance of payments of a country must always balance.” How, then, do you explain the view that a country has a favourable or an adverse balance of payments? (Bombay, 1953)

संकेत—उत्तर के बारम्ब मे मुगतान सन्तुलन का अर्थ विस्तार से समझाइये। (उत्तर मे उक्त सन्तुलन मे सम्मिलित होने वाली मदो अथवा सन्तुलन को ठीक करने के उपायों को लिखता यनावश्यक है)। इसके बाद सिद्ध दीजिये कि नियतों द्वारा आयतों का भुगतान होता है—यि इस प्रश्न के क्षयन मे नियतों व आयतों मे न वेबस हृष्य बरन् अदृश्य आयत-नियांत्र मे सम्मिलित है क्योंकि यह शायद ही वभी सम्भव हो कि एक देश के नियांत्र पदार्थों (वस्तुओं) का मूल्य उस देश के आयत-नियांत्रों के मूल्य के बराबर हो अर्थात् ऐसी सम्भावना बहुत कम है। जब हम उत्त बावजूद भी आयतों व नियतों मे वस्तुओं के अतिरिक्त सेवाओं का भी मूल्य सम्मिलित कर लेते हैं, तब यह आगा रहती है कि एक देश अपनी आयतों के मूल्य का भुगतान अपनी नियतों से कर

देगा। अतः इन कथनों का निर्देश व्यापार-सन्तुलन की ओर नहीं बरन् भुगतान सन्तुलन की ओर है। फिर, अल्पकाल में तो सन्तुलन असन्तुलित अथवा प्रतिकूल रह सकता है परन्तु यह स्थिति दीर्घकाल तक नहीं रह सकती अर्थात् प्रत्येक राष्ट्र को ऐसे उपाय अपनाने ही पड़ते हैं कि दीर्घकाल में भुगतान-सन्तुलन में प्रतिकूलता नहीं रहे क्योंकि कोई भी देश सदा विदेशों से वस्तुये व सेवायें प्राप्त करता नहीं चला जा सकता। कभी न कभी उसे इनका भुगतान करना ही पड़ेगा बरना इसका विदेशी व्यापार ठप्प हो जायगा अर्थात् कोई भी देश सदा ऋणों की अवस्था में नहीं रह सकता क्योंकि एक ऐसा समय अवश्य आता है जबकि जिस देश ने जो कुछ ऋण दिया है अथवा वस्तुये व सेवायें दी हैं उन्हें वह वापिस अवश्य लेगा। अतः जब हम यह कहते हैं कि दीर्घकाल में आयात-निर्यात बराबर रहने चाहिये अथवा नियर्यातों द्वारा आयातों का भुगतान होता है, तब इसका अर्थ है कि दीर्घकाल में हृष्य व अहृष्य आयातों का जोड़ हृष्य व अहृष्य नियर्यातों के जोड़ के बराबर होता है। इसीलिए यह कहना ठीक ही है कि अल्पकाल में भुगतान तुला अनुकूल या प्रतिकूल हो सकती है, परन्तु दीर्घकाल में यह सन्तुलित अवश्य होगी।



### अध्याय १६

## स्वतन्त्र व्यापार या संरक्षण

(Free Trade Versus Protection)

स्वतन्त्र व्यापार और संरक्षण में भेद (Distinction between Free Trade and Protection):— स्वतन्त्र व्यापार और संरक्षण सम्बन्धी वाद-विवाद बहुत पुराना है। (क) स्वतन्त्र व्यापार का अर्थ:— जब विभिन्न देशों के बीच वस्तु या वस्तुओं का वित्तनय दिना किसी रोक-टोक के होता है, तब इसे स्वतन्त्र व्यापार कहते हैं। इस तरह स्वतन्त्र व्यापार में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं की आयात-निर्यात पर कोई नियन्त्रण या वाधा (Restriction) नहीं होती है और विदेशी व्यापार पूर्णतया अपनी स्वाभाविक गति से स्वतन्त्रापूर्वक चलता रहता है। अतः विभिन्न देशों के बीच में वस्तुओं की आयात निर्यात की जो भी स्वाभाविक गति है, यदि उसमें किसी प्रकार की भी अस्वाभाविक रुक्खावट नहीं ढाली जाती है, तब इस प्रकार के व्यवसाय को स्वतन्त्र व्यापार की नीति (Free Trade Policy) कहते हैं। एडम स्मिथ (Adam Smith) के अनुसार स्वतन्त्र व्यापार का अर्थ है—“वह व्यापारिक नीति जिसमें घरेलू व विदेशी वस्तुओं में कोई अतंतर नहीं समझा जाता है और न किसी एक को बुरा समझा जाता है और न दूसरे को विशेष अधिकार दिये जाते हैं।” परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि स्वतन्त्र व्यापार की व्यवस्था में वस्तुओं पर किसी प्रकार का भी कर (Tax or Duty) नहीं लगता है बरन् जो भी कर लगता है वह केवल आय (Revenue) की हाफ्ट से लगता है, न कि संरक्षण के लिये। (ख) संरक्षण का अर्थ— संरक्षण का अभिप्राय

सरकार की उस नीति से है जो विदेशी प्रतिस्पर्धा के विद्ध घरेलू उद्योगों को रक्षा के हेतु, विदेशी व्यापार पर रोक (Restrictions) लगाती है। इस तरह सरकार की नीति (Policy of Protection) में व्यापार की स्वामाविक गति पर व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं भ्रातृ वस्तुओं की स्वतन्त्र आयात पर अधिक या पूर्ण रोक लगाई जाती है ताकि गृह उद्योगों का विकास हो सके। यह स्परण रहे कि इस प्रकार की नीति न केवल आर्थिक वरन् कभी-भी राजनीतिक उद्देश्य से भी अपनाई जाती है। सामान्यतया सरकार की प्रत्येक ऐसी नीति जिसके कारण विदेशी व्यापार की स्वामाविक गति में एकावट पड़ती है, किर चाहे इस नीति का उद्देश्य आर्थिक हो या राजनीतिक, सरकार के अन्तर्गत रखी जाती है।

### स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में दलील

#### (Arguments in Favour of Free Trade)

स्वतन्त्र व्यापार के सामन्य (Advantages of Free Trade) — तमाम क्लासिकल (प्रतिष्ठित) अर्थशास्त्री (Classical Economists) स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में थे। ये विदेशी व्यापार पर किसी भी प्रकार के नियन्त्रण को अनुचित समझते थे। इस स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में दिये गये मुख्य मुख्य कारण इस प्रकार हैं—(i) समाज में अधिकतम उत्पत्ति होती है (Maximization of Social Product) — स्वतन्त्र व्यापार के मन्तव्यगत प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जिसके उत्पन्न करने के लिये उस देश में प्राकृतिक एवं अन्य साधनों की श्रेष्ठता है। चूंकि उत्पादन तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है, इसलिए प्रत्येक देश में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग होता है जिससे तमाम सतार में घनोत्पत्ति भी अधिकतम हो जाती है। इसलिए यह कहा जाता है कि यदि हमें सतार के प्रत्येक राष्ट्र की आमदानी को अधिकतम करना है, तब इस उद्देश्य की पूर्ति केवल स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनाकर ही की जा सकती है क्योंकि स्वतन्त्र व्यापार की व्यवस्था में एक व्यापारी राष्ट्रीय हित को त्याग कर अन्तर्राष्ट्रीय हित को ही अपना उद्देश्य समझता है। (ii) तमाम स्थानों पर उपभोक्ताओं की वस्तुये व सेवाये कम से कम मूल्य पर मिल जाती हैं—स्वतन्त्र व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण केवल कुशल व्यवसाय ही जीवित रह सकते हैं और ये ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है। इस व्यवस्था में वस्तुओं का मूल्य भी बहुत कम होता है। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र व्यापार में आयातवर्ती वस्तुओं की आयात प्राय विना किसी कर (Tax) वे दिए ही करता है जिसके कारण भी वस्तुओं की आयात का मूल्य बहुत कम ही रहता है अतः स्वतन्त्र व्यापार में तमाम स्थानों पर उपभोक्ताओं को वस्तुएँ बहुत कम मूल्य पर ही प्राप्त हो जाती हैं जिससे सतार के तमाम व्यक्तियों की वास्तविक आय बढ़ जाती है। (iii) भौगोलिक स्थानीयकरण (Geographical Localisation) — स्वतन्त्र व्यापार में चूंकि प्रत्येक देश एक ऐसी वस्तु या वस्तुओं की उत्पत्ति करने में विशेषज्ञ होता है जिसके लिये उस देश में प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध

होती हैं, इसलिये यह भौगोलिक स्थानीय करण को प्रोत्साहन देता है और विभिन्न देशों को अम-विभाजन के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। (iv) स्वतन्त्र व्यापार में बाजार का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है;—स्वतन्त्र व्यापार में विदेशी व्यापार की वस्तुओं के बाजार का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है, विशेषकर जबकि किसी देश में वस्तुओं का उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि-नियम (Law of Increasing Returns) के अनुसार हो रहा है। वस्तुओं का बाजार जितना अधिक विस्तृत होता है, विभिन्न देशों की निरपेक्ष लाभ (Absolute Advantages) तथा तुलनात्मक लाभ (Comparative Advantages) भी उतने ही अधिक प्राप्त होते हैं। (v) स्वतन्त्र व्यापार में एकाधिकारी संघों के निर्माण पर रोक लगती है;—स्वतन्त्र व्यापार का आधार व्यापारियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा है। इस प्रतिस्पर्द्धा एवं प्रतियोगिता के कारण एकाधिकारी संघों के निर्माण में रुकावट पड़ती है जिससे वस्तुओं के मूल्य बहुत ऊचे नहीं होने पाते हैं। (vi) उत्पादन-विधि में सुधारः—स्वतन्त्र व्यापार में प्रतिस्पर्द्धा होती है। इस कारण एक देश के उत्पादक विदेशी उत्पादकों की स्पष्टी के भव से अपनी उत्पत्ति की नीतियों में समय-समय पर सुधार करते हैं। (vii) राष्ट्रों में सद्भावना व सहयोगः—स्वतन्त्र व्यापार में एक देश दूसरे देश पर निर्भर रहता है जिसके कारण इनमें आगस्त में सद्भावना व सहयोग उत्पन्न हो जाता है।

निष्ठकर्यः—उक्तलिखित लाभों के कारण ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) ने स्वतन्त्र व्यापार बीज्ञनीय घोषया था। परन्तु आजकल आधिक राष्ट्रीयतावाद तथा नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था के कारण स्वतन्त्र व्यापार की नीति का केवल एक संदानिक महत्व ही रह गया है। यही कारण है कि स्वतन्त्र व्यापार की नीति का आज अन्त हो गया है और इसके स्थान पर सभी देशों ने सुरक्षण की नीति को अपना लिया है।

### स्वतन्त्र व्यापार व उचित व्यापार में भेद (Distinction between Free Trade and Fair Trade)

स्वतन्त्र व्यापार और उचित व्यापार में भिन्नता है। स्वतन्त्र व्यापार (Free Trade) का अभिप्राय तो उस देश से होता है जिसमें विभिन्न देशों के बीच वस्तु या वस्तुओं का विनियमय बिना किसी रोक-टोक के होता है। परन्तु उचित व्यापार (Fair Trade) वह व्यापार है जिसमें कर (Tax) विदेशियों के बनावटी एवं कृतिम साम के अनुचित प्रभाव को समाप्त करने के लिये लगाया जाता है। यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं पर कर (Tax) इस प्रकार लगाया जाता है कि स्वदेश के उत्पादक भी अपनी दस्तुकों को स्वदेशी उत्पादकों के समान ही साथ बेच सकें। यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। मान लो, जापान कपड़े की निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये उत्पादकों वो ५% आधिक सहायता (Bounty) देता है। इसका परिणाम यह होगा कि जापान का कपड़ा भारत में सहस्र भाकर बिकने लगेगा और इससे देश के कपड़े के उद्योग को बहुत हानि होगी। देश को इस हानि से बचाने के लिये भारत सरकार को जापान से कपड़े की आयात पर ५% आयात-कर (Import Duty) लगाना पड़ेगा।

इसका परिणाम यह होगा कि जापानी कपड़े का भारत में समान मूल्य हो जायगा। अठ उचित व्यापार (Fair Trade) में कर (Tax) के बजाए इतना लगाया जाता है कि इससे देशी व विदेशी वस्तुओं का मूल्य बराबर हो जाय।

### संरक्षण की नीति (Policy of Protection)

प्रारकथन — प्रसिद्ध अमेरिकन राजनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री एलेक्जेंडर हैमिलटन (Alexander Hamilton) ने सन् १७६१ में सर्वप्रथम संरक्षण के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया था। परन्तु वास्तव में सन् १८१२-१५ के अमेरिका और इगलेंड के मुढ़ में, जब अमेरिका और इगलेंड के व्यापारिक सम्बन्ध स्थायी रूप से समाप्त हो गये, तब अमेरिका में सबत बहुत से उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। अमेरिकन सरकार ने संरक्षण के सामों को समझा और युद्धोत्तर काल में भी उन नये नये कारखानों की रक्खा के हेतु संरक्षण की नीति जारी रखी। हैमिलटन के बाद अमेरिकन अर्थशास्त्री हेनरी कैरे (Henry Carey) ने संरक्षण की नीति का बहुत समर्थन किया। दूसरे इस प्रकार अमेरिका ही एक तरह से संरक्षण की नीति के समर्थकों में अगुवा रहा है। परन्तु यूरोप में जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेड्रिक लिस्ट (Frederich List) ने भी अपने देश में संरक्षण को नीति के पक्ष में आवाज उठाई थी। इगलेंड तथा अन्य बड़े बड़े देश १९ वीं शताब्दी में स्वतन्त्र व्यापार (Free Trade) के पक्ष में ही रहे और इन्होंने इस प्रकार के व्यापार का अत्यधिक समर्थन किया था। परन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद स्वतन्त्र व्यापार या संरक्षण का बाद-विवाद लगभग समाप्त ही हो गया और तब से सारांश के प्रत्येक देश ने संरक्षण की नीति अपनाई है।

### संरक्षण के पक्ष के तर्क

#### (Arguments in Favour of Protection)

संरक्षण-नीति के पक्ष में समय समय पर जो युक्तियाँ दी गई हैं उनमें से कुछ मुख्य युक्ति इस प्रकार हैं—

(१) जिन्शु-उद्योग का तर्क (Infant Industries Argument)— अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और एलेक्जेंडर हैमिलटन (Alexander Hamilton) ने सन् १७६१ में इस तर्क को प्रस्तुत किया था जिसको बाद में प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री थी लिस्ट (Frederich List) तथा इगलिया अर्थशास्त्री थी मिल (J S Mill) ने स्वीकार किया। भारुनिक युग में संरक्षण के पक्ष में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तर्क है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के लिये, संरक्षण की नीति को अपनाने के पक्ष में इस तर्क का समर्थन, स्वतन्त्र व्यापार के पक्षपातियों तक ने किया है। यह हम जानते हैं कि संसार के तमाम देशों में आधिक विकास की अवस्था एक सी नहीं है। एक तरफ ऐसे देश हैं जिनमें कुछ कारणों से आद्योगीकरण वा प्रारम्भ बहुत समय पहले हो गया था और दूसरी तरफ आधिक इन्डिस्ट्री से पिछड़े हुए ऐसे देश हैं जिनमें या तो आद्योगिक विकास अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रथम थेर्णी के देशों की प्रतियोगिता करने की क्षमता बहुत हो गई है वर्षोंकि उन्हें उद्योगों के अनुमति, पैमाने का विस्तार तथा शिल्प-शान के

कारण विशेष सुविधाये उपलब्ध होई है। इसके विपरीत दूसरी देशों के वे देश हैं जिनमें नये-नये उद्योग खुले हैं जिससे इनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि ये पूर्ण विकसित देशों के उद्योग से प्रतियोगिता कर सकें। इस अवस्था में यदि स्वतन्त्र व्यापार की नीति अपनाई जाये, तब विकसित देशों के उद्योग अविविसित देशों के नये-नये उद्योगों को, इनके समृद्ध होने से पूर्व ही नष्ट कर देंगे। यह सम्भव है कि बाद में तो ऐसे देशों के व्यवसाय तक विकसित देशों के उद्योगों से टक्कर लेने लगें, परन्तु आरम्भ में देश जीवित रहने के लिए ही इन्हें सरकार के सरक्षण की आवश्यकता होती है। प्रो० टॉजिग (Taussig) ने ठीक ही कहा है—“आरम्भ में घरेलू उत्पादक, कुछ कठिनाइयाँ होने के कारण, विदेशी उत्पादकों की वरावरी नहीं करने पाता है, परन्तु बाद में जब वह बातु को उत्पन्न करने की रीतियाँ भली प्रकार समझ लेता है, तब उसमें है कि वह अपनी बस्तु को विदेशी बातु से भी सस्ती बनाकर बाजार में देखने में सफल हो जाय।”<sup>1</sup> इसलिये एक लेखक ने कहा है कि “किसी देश के आर्थिक व औद्योगिक विकास के लिये नये व्यवसायों को सरक्षण देना चाहिये और और धीरे-धीरे ज्यों ज्यों व्यवसाय इड़ होते जायें, सरक्षण को कम करते रहना चाहिये और बाद में जब वे विदेशी व्यवसायों के बराबर इड़ हो जायें, तब संरक्षण समाप्त कर देना चाहिये।” अतः संरक्षण की नीति का केन्द्रीय विचार इस बहावत में नीहित है, “शिशु का पालन करो, बालक की रक्षा करो और सुवक को स्वतन्त्र करो।”<sup>2</sup>

परन्तु शिशु उद्योग तक सर्वभान्य नहीं है। इस तक के आधार पर निर्धारित की गई संरक्षण की नीति में तीन मुख्य दोष हैं:—(i) शिशु उद्योग की पहिचान कठिन है—कुछ देशों ने तो किसी भी नये उद्योग को शिशु उद्योग कह कर इसको संरक्षण प्रदान किया है, परन्तु वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने तो केवल एक ऐसे उद्योग को शिशु उद्योग कहा है जिसमें प्रत्येक प्रकार की मान्त्रिक बचत तो प्राप्त होती है परन्तु इसको बाह्य बचत उपलब्ध नहीं होती है। अतः कभी-कभी यह निर्णय करना बहुत कठिन है कि कौन-सा उद्योग शिशु उद्योग है और कौन-सा उद्योग शिशु उद्योग नहीं है। (ii) इसी नये उद्योग को प्रदान किये गये संरक्षण में स्थायी होने की प्रवृत्ति प्रदल होती है:—जब किसी उद्योग को संरक्षण मिल जाता है, तब इसे हटाना बहुत कठिन होता है क्योंकि यह उद्योग संशय अवस्था में ही पड़ा रहता है। यही नहीं यदि उद्योग युवा अवस्था में भी पहुंच जाता है, तब भी मनुष्य अपने निज स्वार्थ में अनुचित लाभ कमाने को चेष्टा करते हैं और उद्योग पर से संरक्षण हटाने के लिये तेयार नहीं होते हैं।<sup>3</sup> (iii) अन्य उद्योग भी संरक्षण की मांग करते हैं:—जब शिशु उद्योग के आधार पर किसी एक उद्योग को संरक्षण मिल जाता है, तब अन्य दूसरे उद्योग भी संरक्षण के लिये चिल्लाने लगते हैं जिससे देश में अप्टाचार व पश्चात की मानवी फैलती है। (iv) उपभोक्ताओं को हार्दिक होती है:—संरक्षण काल

<sup>1</sup> “At the outset the domestic producer has difficulties and cannot meet foreign competition. In the end he learns how to produce to the best advantage and then can bring the article to market as cheaply as the foreigner, even more cheaply”—Taussig.

<sup>2</sup> “Nurse the baby, protect the child, guide the boy and free the adult.”

<sup>3</sup> “Protection given in most cases creates vested interests which are averse (opposed) to the removal of the protection”—Taussig.

मे उपभोक्ताओं को वस्तुओं का आधिक मूल्य देना पड़ता है। यह अवश्य है कि इस प्रकार भारत में समाज को हानि होती है, परन्तु अन्ततः देश का भौद्योगिक विकास हो जाने पर समाज को लाभ होगा।

(२) सुरक्षा का तर्क (Defence Argument):—प्रत्येक सरकार के लिये देश की सुरक्षा व स्वतन्त्रता बनाए रखना आवश्यक होता है। कुछ उद्योग ऐसे हैं जो सुरक्षा सम्बन्धी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसलिये देश की सेनिक शक्ति को इड बनाये रखने के लिये यह आवश्यक हुआ करता है कि रक्षा-उद्योगों को सरकार दिले। अतः राष्ट्रीयता के मुग्ग मे ऐसे उद्योगों को जो देश की रक्षा के लिये आवश्यक होते हैं, सरकार देना परियार्थ है। इसे ही सुरक्षा ना तर्क कहा गया है।

(३) उद्योगों मे विभिन्नता का तर्क (Diversification of Industries Argument)—यह तर्क जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेड्रिक लिस्ट (Frederich List) द्वारा दिया गया था। उनका मत था कि किसी देश के सन्तुलित आर्थिक विकास के लिये यह आवश्यक है कि उस देश मे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों व उद्योगों का विकास हो और यह तब ही सम्भव है जबकि कुछ उद्योगों को सरकारण प्रदान किया जाता है। स्वतन्त्र व्यापार में एक देश किसी एक या कुछ ही वस्तुओं के उत्पादन मे, तुलनात्मक लागत के आधार पर, विशिष्टता प्राप्त करता है और यह देश इन वस्तुओं के बदले मे प्रथ्य देशो से अपनी दूसरी आवश्यकता की वस्तुयें मानता है। परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था का एक बड़ा भारी दोष यह है कि युद्ध-काल मे या ऐसे उद्योगों मे जिनके उत्पादन मे किसी देश ने विशिष्टता प्राप्त की है मन्दी (Depression) या जाने पर, देश की अर्थ-व्यवस्था अस्त-अस्त हो सकती है। इसीलिये आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि प्रत्येक देश को अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का निर्माण करना चाहिये अथवा किसी एक देश को किसी एक या कुछ उद्योगों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये और इस प्रकार की आर्थिक स्वाधीनता केवल सरकारण की नीति अपनाकर ही स्थापित की जा सकती है। जब किसी देश मे विभिन्न प्रकार के उद्योगों का निर्माण होता है तब न केवल देश मे उपलब्ध तमाम आर्थिक साधनों का उचित उपयोग होता है वरन् देश मे भी एक सन्तुलित अर्थ-व्यवस्था स्थापित हो जाती है जो युद्धकाल मे या मन्दी काल मे सरलता से हटने नहीं पाती है। परन्तु आलोचकों वा भ्रत है कि इस प्रकार सरकारण द्वारा विभिन्न उद्योगों को स्थापित करना बहुत ही महगा रहता है और यह तर्क विशिष्टीवरण के लाभो को भूल गया है।

(४) स्वदेशी-बाजार का तर्क (Home Market Argument) — सरकारण द्वारा सरकार विदेशी वस्तुओं की आयात को बढ़ाया महगा कर सकती है जिससे स्वदेश के बाजार मे केवल गृह-उद्योगों मे निमित वस्तुओं की ही विक्री होने पाती है। परिणामतः गृह-उद्योगों मे रोजगार बढ़ता है। देश मे रोजगार बढ़ने से गृह-उद्योगों की वस्तुओं की और भी अधिक विक्री होती है। अतः देश से बनी वस्तुओं का बाजार देश मे ही उत्पन्न करने के लिये सरकारण की नीति का समर्थन किया जाता है। परन्तु इस तर्क की आलोचना इस आधार पर की गई है कि यदि देश की आयात कम कर दी गई तब इससे देश

की नियति भी कम हो जायगी।\*

(५) मजदूरी का तक (Wages Argument):—एक कम मजदूरी वाले देश में वस्तुओं का लागत-व्यय एक अधिक मजदूरी वाले देश की तुलना में कम होता है जिससे एक कम मजदूरी वाला देश दूसरे देश में वहाँ के व्यापारियों की तुलना में अधिक माल बेचने में सफल हो जाता है। इसका कभी-कभी यह भी परिणाम होता है कि अधिक मजदूरी वाले देश में उद्योग शनैः शनैः वन्द होने लगते हैं और देश में बेरोजगारी फैलने लगती है। अतः एक ऊंची मजदूरी वाला देश अपने देश में मजदूरों की मजदूरी का एक ऊंचा स्तर तब ही रख सकता है जबकि वह इन उद्योगों को जिनमें अधिक मजदूरी पाई जाती है संरक्षण प्रदान करे।† इसी को संरक्षण के पक्ष में मजदूरी वा तक कहते हैं। अमेरिका ने जापान से आने वाले कपड़े के माल पर आधात-कर इसी कारण लगाया ताकि जापानी प्रतिस्पर्द्धा के कारण अमेरिका का कपड़ा-उद्योग नष्ट न होने पाये। परन्तु यह तक भी सदैव लागू नहीं होता है। कभी-कभी कुछ उद्योगों में मजदूरों की मजदूरी इस कारण भी ऊंची होती है क्योंकि मजदूरों की कार्य-क्षमता एवं उत्पादकता अधिक है, त कि इस कारण कि इन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया है। उदाहरणार्थ, इंगलैंड में कपड़े के कारखानों में काम करने वाले श्रमियों को भारत में कपड़े के कारखानों में काम करने वाले श्रमियों की तुलना में अधिक मजदूरी मिलती है, परन्तु यह इस कारण नहीं है कि इंगलैंड में कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्राप्त है। अतः संरक्षण के पक्ष में मजदूरी का तक दोषपूर्ण व अमात्मक है।

(६) द्रव्य को घर पर रहने का तक (To keep money at home argument):—यह तक अमेरिका की ओर से बहुत बार प्रस्तुत किया गया है। कुछ अक्तियों का यह कहना है कि इस तक को सर्वप्रथम अवराहम लिंकन (Abraham Lincoln) ने प्रस्तुत किया था। इस तक का आधार यह विचार है कि जब हम विदेश से माल मंगाते हैं तब इनके भुगतान में हमारा द्रव्य विदेशों को चला जाता है। परन्तु यदि देश में संरक्षण की नीति लपना ली जाये और विदेशों से माल नहीं आने दिया जाय, तब देश में गृह-उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का ही उपभोग होगा जिससे हमारे देश का द्रव्य देश के अन्दर ही रह जायेगा और हमारे देश को कोई हानि नहीं होगी। परन्तु आजकल इस तक की भी बहुत थालोचन की गई है। आलोचकों का विचार है कि जब हम विदेशों से सस्ती वस्तुये प्राप्त करते हैं तब हम योड़ा सा ही द्रव्य धय करके अधिक आर्थिक सम्पोष प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त यह तक इस बात को भूल जाता है कि यदि हम वस्तुओं का आयात नहीं करेंगे, तब हमारी वस्तुओं की नियति भी घट जायेगी। अन्त में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में द्रव्य के खोने या प्राप्त करने का कोई प्रसन्न ही नहीं उठता है, क्योंकि अन्ततः वस्तुओं की आयातों और इनकी नियतों का सन्तुलन ही हुआ करता है।

(७) लागतों में समानता का तक (Equalisation of Costs Argument):—

\* "The fall in Imports is followed by a fall in Exports"—Haberler.

† 'A wage level higher than that of other countries can be maintained only behind a Tariff wall'—Haberler.

इस तर्क के प्रतुलार स्वदेश की वनी महगी वस्तुओं और विदेश में बनी सस्ती वस्तुओं की लागतों को आयात कर द्वारा समान कर देना चाहिए ताकि गृह-उद्योगों को विदेशी उद्योगों की तुलना में प्रोत्साहन मिल सके और ये अपनी वस्तुओं को आसानी से बेच सकें। अत इवानी और विदेशी उत्पादकों को अपनी वस्तुओं को बेचने के समान अवसर देने के लिये यह तर्क दिया गया है कि आयात कर द्वारा देशी व विदेशी वस्तुओं की लागतों में समानता लाई जानी चाहिए। परन्तु यह तक भी बहुत दोषपूर्ण है। इस तर्क का यह ग्रथ द्वारा कि जो उद्योग जितना अधिक दुर्बल एवं अकृशक है, उसको उत्तना ही अधिक सरकार देना पड़ेगा क्योंकि तब ही तुलनात्मक लागत का लाभ बराबर किया जा सकता है। परन्तु जब हम सरकार द्वारा तुलनात्मक लागत (Comparative Cost) के लाभ को ही बराबर कर देंगे, तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समाप्त हो जायगा क्योंकि तुलनात्मक लागत के तिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि विदेशी व्यापार तब ही चलना होता है जबकि दो देशों में वस्तुओं की लागतों में तुलनात्मक अन्तर होता है।\*

(d) रोजगार का तर्क (Employment Argument)—इस तर्क का अभिप्राय यह है कि देश में सरकार द्वारा रोजगार के नये नये साधन स्थापित किये जा सकने हैं और यदि सरकार की नीति नहीं अपनाई जाती है तब कभी-कभी पुराने ध्वनियाय एवं रोजगार के साधन तक समर्प्त हो जाते हैं। अत देश में बेकारी की समस्या को दूर या कम करने के लिये भी सरकार की नीति का समर्थन किया जाता है। परन्तु आलोचकों ने इस तर्क को भी बहुत दोषपूर्ण बताया है—(1) सरकार द्वारा कुल रोजगार में वृद्धि नहीं होती है—इस मत के समर्थकों का कहना है कि सरकार द्वारा यह सम्भव है कि सरकार-उद्योगों में वृद्धि हो जाय, परन्तु इस प्रकार की उन्नति उद्योगों को हानि पहुँचा सकती है। इसका कारण स्पष्ट है। जब देश में आयात कम हो जायगी, तब शर्न शर्न देश से निर्यात भी कम हो जायगी जिससे निर्यात उद्योगों में बेकारी पैदा जायगी। इस तरह सरकार नीति के अपना लेने से अमिक केवल निर्यात उद्योगों से हट कर सरकार उद्योगों में काम करने लगते हैं। अत सरकार की नीति अपना लेने पर भी देश में कुल रोजगार या रोजगार के कुल साधनों में बोई वृद्धि नहीं होती है। (ii) कीन्स (Keynes) के सुझाव व्यवहारिक नहीं हैं—सरकार द्वारा देश में बेरोजगारी की समस्या को हन करने के लिये बीन्स ने दो सुझाव दिये हैं—(क) सरकार सरकार द्वारा रोजगार में वृद्धि तब ही कर सकती है जबकि वह सरकार की नीति के साथ ही विदेशियों को छह इस देश से वस्तुओं को खरीदने के लिये भी दे दे। जब विदेशी इस छह से निर्यात उद्योग की वस्तुएँ खरीदेंगे तब निर्यात-उद्योगों में बेरोजगारी नहीं फैलेगी और अन्ततः देश में कुल रोजगार में वृद्धि हो जायगी। अत कीन्स (Keynes) ने देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार के साथ ही साथ विदेशियों को छह देने का नियम भी सख्ता है। (ख) कीन्स ने यह भी कहा है कि तरकारी उत्तों से प्राप्त आमदानी को निर्यात उद्योगों को आर्थिक सहायता के रूप में दे देना चाहिए ताकि ये

\* It is clear that the complete logical application of this postulate would destroy all International Trade since this is so only because of differences in costs — Haberler

उद्योग वस्तुओं को विदेशों में सही मूल्य पर बेच सकें। इस तरह इन दोनों सुझावों को कार्यान्वयित करने पर एक तरफ संरक्षण द्वारा नये-नये कुछ उद्योगों में रोजगार बढ़ेगा और दूसरी तरफ विदेशियों को ऋण और नियर्यात-उद्योगों को आर्थिक सहायता देने पर नियर्यात-उद्योगों में रोजगार बढ़ेगा। परिणामस्त: देश में कुल रोजगार में वृद्धि हो जायेगी। परन्तु आलोचकों ने कीमत के इन दोनों सुझावों की कड़ी आलोचना की है क्योंकि उसके उक्त दोनों सुझाव व्यवहारिक नहीं हैं। प्रथम सुझाव तो इसलिए दोषपूर्ण है कि एक देश विदेशियों को कब तक और कहाँ तक छूट दे सकता है? फिर, जब तक हम विदेशियों को वस्तुएं अपने देश में आकर बिकने नहीं देंगे, तब तक इस झूले की आदायगी कैसे होगी? दूसरे सुझाव के विषय में यह कहा जाता है कि जब कोई एक देश नियर्यात-उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर विदेशों में अपनी वस्तुयें सही बेचेगा तब इस प्रकार की सही वस्तुओं के कुप्रभाव से बचने के लिये विदेशी भी अपने यहाँ प्रतिक्रियास्वरूप नियर्यात उद्योगों को आर्थिक सहायता देना आरम्भ कर देंगे। भरत: आर्थिक सहायता (Bounties and Subsidies) की नीति द्वारा नियर्यात कायम रखना तनिक कठिन रहता है। यह स्पष्ट है कि देश में रोजगार में वृद्धि करने के हेतु संरक्षण की नीति के अपनाने के तक में बहुत बल नहीं है।

(६) राशिपातन तकं (Dumping Argument):—राशिपातन का अभिप्राय विदेशियों की उस कार्यवाही से है जिससे वे अपनी वस्तुओं को उनकी लागत से भी कम मूल्य पर या स्वदेश के उद्योगों की अपेक्षा बहुत कम मूल्य पर बेचते हैं। किसी देश के उत्पादक इस रीति को तब ही अपनाते हैं जबकि वे विदेशी उत्पादकों से प्रतिशेषिता करके उन्हें टक्कर में गिराना चाहा करते हैं या जब उनके किसी उद्योग में क्रमागत उत्पत्ति-वृद्धि नियम लागू हो रहा हो और वे अपने बचे हुए माल को विदेशों में बेचना चाहा करते हैं। राशिपातन अबवा इस बेईमानी-भूलं प्रतियोगिता का आयातकर्ता देश के उद्योगों पर बहुत घातक प्रभाव पड़ा करता है। परिणामस्त: उक्त नीति के बुरे प्रभावों से बचने के लिये आयातकर्ता देश को भी प्रतिक्रियास्वरूप संरक्षण की नीति अपनानी पड़ती है। स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक तक संरक्षण द्वारा इस प्रकार की प्रतियोगिता के विरुद्ध कार्यवाही करना उचित बताते हैं।

(१०) राष्ट्रीय प्राकृतिक साधनों के उचित उपयोग का तकं (Proper Utilisation of the National Resources Argument)—स्वतन्त्र व्यापार का यह दोष है कि इसमें देश के साधनों का बहुत व्यवधारण उपयोग होता है क्योंकि जब एक देश किसी एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है, तब इस उत्पाद के उपयोग में आने वाले साधनों का जलदी-जलदी उपयोग होने से ये बहुत जलदी ही समाप्त हो जाते हैं जिससे इस देश की क्षमता होती है। जीवन्स (Jevons) ने इंग्लैण्ड से कोयले की नियर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव इसी कारण दिया था। भारत का गिरनीज य अद्वरक (Mica) का भण्डार भी काफी समाप्त हो चुका है। इसीलिए जब किसी देश के प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग नहीं होने से इनका भण्डार समाप्त होने लगता है, तब इस देश को अपने बहुमूल्य स्निग्ज-पदार्थों को बचाने के लिये संरक्षण की

मुहायता नेनो पड़ती है।

(११) सरकारी आय का तर्क (The Revenue Argument) — सरकारण करों का मुख्य उद्देश्य आय ग्राहन बरता नहीं बरत देश के प्राकृतिक साधनों को देश के अधिक हित में प्रयोग बरता होता है। परन्तु जब सरकार सरकारण-कर लगती है, तब उसे इस मद से कुछ न कुछ आमदनी भी अवश्य प्राप्त होती है। बतमान सरकारों को अपनी आप का काफी बड़ा भाग आयात-कर व नियंत्रित कर से प्राप्त होता है। परन्तु यह स्मरण रहे कि सरकारण नीति तथा सरकारा द्वारा आय एक दूसरे के वित्तीय विद्युत है। यदि इसी देश म पूर्ण सरकारण है, तब वस्तुओं की आयात नहीं होने से सरकार को कुछ भी आय प्राप्त नहीं होगी। इसी तरह यदि सरकार आयात-कर द्वारा कुछ आमदनी प्राप्त बरता चाहती है, तब देश में वस्तुओं का आयात होने से उच्चोंगों को सरकारण नहीं मिलेगा। परन्तु यदि आयात कर मामूली-हा है, तब एक और यदि उच्चोंगों को कुछ सरकारण मिल जाता है तब दूसरी ओर राज्य को वस्तुओं की आयात से कुछ आय भी प्राप्त हो जाती है।

(१२) अन्य एचमेल तर्क (Other Miscellaneous Arguments) — सरकारण के पश्च में दिये गये उक्तलिखित महत्वपूर्ण तर्कों के अतिरिक्त अन्यासियों ने कुछ और भी तर्क दिये हैं, जो इस प्रकार हैं— (क) व्यापारिक सत्रुतान का तर्क—प्रायात-कर व नियंत्रित-कर द्वारा सरकार को न बेवल आमदनी ही प्राप्त हो जाती है वरन् इससे देश के व्यापारिक सम्बन्ध भी भी अव्यवस्था हो जाती है। आयात करों से देश की आयातें बम हो जाती हैं और गृह-उद्योगों का विकास हो जाता है। यह उद्योगों के विकास से नियंत्रित व्यापार प्रोत्साहित हो जाता है। अन्तत व्यापारिक सत्रुतान स्थापित हो जाता है। (ख) विलासिताओं की आयात पर प्रतिवाय तात्काल—स्वतन्त्र व्यापार में एक देश में कभी कभी विलासिता सम्बन्धी एव हानिकारक वस्तुओं की आयात होती है क्योंकि ये वस्तुयें विदेशी से सस्ते मूल्य पर प्रा जाती हैं। आयात कर द्वारा सरकार ऐसी वस्तुओं की आयात को बहुत ही ज्यादा हातोत्तराहित कर दिया करती है। प्रत देश की हानिकारक वस्तुओं के उपयोग से बचने के लिये सरकारण की नीति का समर्थन किया जाता है। (ग) भावतरक तर्क (Bargaining Argument) — सरकार द्वारा एक देश दूसरे देश से सामग्री व्यापारिक समझौते बरते में सफल हो जाता है। (घ) राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का तर्क—(National Self-sufficiency Argument) — यह तर्क सुरक्षा के तर्क से बहुत कुछ मिलता जुलता है। राष्ट्रीयता के युग में प्रत्येक देश को आत्म निर्भर होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक देश में प्रत्येक वस्तु का उत्पादन होना चाहिये और यह सरकारण की नीति हारा ही सम्भव हो सकता है। यदि देश आत्मनिर्भर नहीं है, तब युद्ध-काल में उसकी संतिक शक्ति बहुत कम होते रहेंगी और वह दूसरों पर भी विभय पान में असमर्थ रहेगा। अत देश की सुरक्षा तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिये सरकारण अत्यावश्यक होता है। (इ) राष्ट्रीय भावना के विकास की पुष्टि (Promotion of Nationalism Argument) — सरकारण से देश में राष्ट्रीयता की भावना उत्तम रहती है और जब देश में देश भवित का भाव जाग्रत हो

जाता है। तब स्थदेश में बनी वस्तुओं का उपभोग बढ़ने से गृह-उद्योगों का विकास हो जाता है। अतः संरक्षण राष्ट्रीय भावना को जाग्रत करने के लिए भी आवश्यक है।

### संरक्षण के विपक्ष में तर्क

#### (Arguments against Protection)

संरक्षण के विरोधियों ने इसके विपक्ष में समय-समय पर कुछ तर्क दिये हैं जिनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं:—(i) संरक्षण तुलनात्मक-सामग्री-सिद्धान्त के विलक्षण विपरीत है:—स्वतन्त्र ध्यापार का ध्यापार तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त होता है। इसमें प्रत्येक देश ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टताएँ करता है जिसमें उसे सबसे प्रथिक सुविधाएँ प्राप्त होती हैं अबवा जिसमें उसे सबसे प्रथिक तुलनात्मक लाभ है। परिमाणत् इस अवस्था में विश्व में कुल उत्पत्ति तुलना में बहुत ज्यादा हो जाया करती है। परन्तु संरक्षण की नीति का प्रभाव उक्त के विलक्षण विपरीत होता है। इससे प्रादेशिक अम-विभाजन (Territorial Division of Labour) पर भी रोक लग जाती है जिससे उत्पत्ति के राधनों का अधिकतम पुरस्कार देने वाले तरीकों में उपयोग नहीं होने पाता है। संरक्षण से साधनों का भ्रात्याकृत उपयोग होता है। परिणामतः इससे विश्व की कुल उत्पत्ति में कमी और मूल्यों में वृद्धि हो जाया करती है। गालोचकों ने इसी दृष्टिकोण से संरक्षण की नीति का विरोध किया है। (ii) संरक्षण से देश में आर्थिक दृष्टि से बुर्बल उद्योगों का निर्माण हो जाता है:—संरक्षण के कारण देश में ऐसे उद्योगों का निर्माण हो जाता है जो आर्थिक दृष्टि से उस देश में नहीं स्थापित किये जा सकते हैं। इस प्रकार के उद्योग देश के लिये एक भार-स्वरूप हो जाते हैं क्योंकि जैसे ही इन उद्योगों पर ही संरक्षण हटाया जाता है वैसे ही ये विदेशी प्रतियोगिता की टक्कर में समाप्त हो जाते हैं और इससे देश की बहुत क्षति होती है। अतः संरक्षण का इसनिये विरोध किया जाता है क्योंकि यह देश में अबोध तथा अकृशल उद्योगों के निर्माण को प्रोत्ताहन देता है। (iii) उपभोक्ताओं को हानि:—संरक्षण से वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है जिससे उन्हें हानि राहीं पड़ती है। (iv) संरक्षण को एक बार लागू करने पर इसे हटाना कठिन हो जाता है:—जब एक बार किसी उद्योग को संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है, तब इसे उद्योग पर से हटाने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि उत्पादक अपने निजि लाभ के लालच में, उद्योग के बढ़ ध्यापार पर स्थापित हो जाने पर भी, इसे हटाने नहीं देते हैं। (v) देश में भ्रष्टाचार फैलता है:—कूंकि संरक्षण से उद्योगपतियों को बहुत लाभ होता है इसनिये इस नीति को कायम रखने के हेतु सरकारी कर्मचारियों, राजनीतिज्ञों व विधान-सभा के उदासीयों को धूंस देते हैं। धूंस और रिक्वेट खोरों का यह भी परिणाम होता है कि देश में कमी कमी ऐसे उद्योगों को संरक्षण मिल जाता है जिन्हें यह नहीं मिलना चाहिए और जिन उद्योगों का संरक्षण मिलने का अधिकार होता है उन्हें नहीं मिलने पाता है। (vi) एकाधिकारी समाज हो जाती है:—संरक्षण से देश में विदेशी प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है जिससे उद्योगपतियों द्वारा एकाधिकारी संस्थाओं या गुट बनाने में प्रोत्ताहन मिलता है (Tariff is the mother of all Trusts)। (vii) उद्योगों में विधिसत्ता उत्पन्न हो जाती है:—संरक्षण प्राप्त हो जाने

पर उद्योगपति लापरवाह हो जाते हैं। प्रतियोगिता का भय इन्हे उद्योगों में सुधार तथा इनके वैज्ञानिक प्रबन्ध के लिए प्रेरित करता रहता है। जूँकि सरकार से प्रतियोगिता का भय दूर हो जाता है प्रीर उत्पादकों को निश्चित लाभ का आश्वासन मिल जाता है, इसलिये व्यवसायों में उत्पादन-विधि की कार्य क्षमता में कभी आ जाती है। (viii) सरकार आय के वितरण की असमानता को बढ़ा देता है—सरकार में सरकारित उद्योगपतियों को अरक्षित उद्योगों की तुलना में अधिक लाभ होता है। यह समाज के निधन वर्गों पर धनियों के लाभ के लिए अदृश्य-कर लगाकर निधनों को प्रीर भी अधिक घनहीन बना देता है। अत सरकार से समाज में घन का वितरण और भी असमान हो जाता है। (ix) राष्ट्रों में मन मुटाव हो जाता है—सरकार से दो देशों के बीच प्रतिकार की भावना (Retaliation) उत्पन्न हो जाती है जिससे राष्ट्रों में आपस में राजनीतिक वैचानी व मन मुटाव को प्रोत्साहन मिलता है। कभी-कभी विदेशी बाजारों के खो जाने के कारण, मुद्र के द्वितीय जाने तक का भय हो जाता है। (x) सरकार से विदेशी व्यापार कम हो जाता है—सरकार से देश में विदेशी माल की आयात कम हो जाती है। आयात कम हो जाने पर देश की निर्यात भी कम हो जाती है क्योंकि कोई देश अपनी आयात वा भुगतान मुद्रा में नहीं बरत् निर्यात के रूप में किया करता है। अत सरकार से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का हास होता है।

निष्कर्ष—सरकार के उत्तराधिकार बहुत से दोष सरकार के नहीं है बरत् ये इसके उपयोग के दोष हैं। यदि सरकार के लाभ व दोषों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाये, तब इससे यह स्पष्ट हो जायगा इसके दोषों की तुलना में इसके लाभ अधिक है। यही कारण है कि आज सरकार या स्वतंत्र व्यापार सम्बन्धी बाद-विवाद का अन्त हो गया है और प्रत्येक देश ने अपने सतुरित भार्यिक विकास के लिए सरकार की नीति अपनाई है। बर्तमान मुग की नियन्त्रित व आयोजित अर्थ व्यवस्था (Planned Economy) सरकार द्वारा ही सम्भव है। एक भार्यिक दृष्टि से अविकसित व पिछड़ा देश अपना भार्यिक विकास सरकार की सहायता से ही कर सकता है।

सरकार की रीतियाँ एवं विदेशी व्यापार में बाधाएँ

### (Methods of Protection or Barriers to Foreign Trade)

बर्तमान युग में किसी एक देश की सरकार कितनी ही रीतियाँ अपनाकर विदेशी व्यापार में बाधाएँ ढाल दिया करती है जिनका प्रभाव देश को सरकार प्रबोधन करना हुआ करता है। विदेशी व्यापार की मूल्य-मूल्य बाधाएँ इस प्रकार हैं—

(1) वैधानिक निषेध (Legislative Prohibition)—सरकार वभी कभी किसी वस्तु या वस्तुओं की आयात या निर्यात हर कानून द्वारा प्रतिवध लगाकर विदेशी व्यापार में बाधाएँ ढाल देती है। उदाहरण के लिये, कुछ समय पहले अमेरिका ने अर्जनटाइना से मास भगवाना पूर्णतया बंजित कर दिया या क्योंकि वहाँ के पनुओं में मुह का रोग बहुत फैला था। (ii) आयात-निर्यात कर या सरकार प्रशुल्क (Protective Tariff)—सरकार की यह रीति सबसे पुरानी और सबसे अधिक प्रचलित है। देश की आयात या निर्यात पर कर लगाकर इनको महँगा कर दिया जाता है जिससे इनकी

मांग कम हो जाती है। आजकल निर्यात-कर की अपेक्षा आयात-कर अधिक प्रचलित हैं वयोंकि ये न केवल सरकार को कुछ आम देते हैं बरन् इनसे देश के उद्योगों को प्रोत्साहन भी मिलता है। आयात कर जब संरक्षण के उद्देश्य से लागू किया जाता है तब इसे संरक्षण-कर (Protective Duty) कहते हैं और जब यह आय की इष्टि से लगाया जाता है तब इसे आय-कर (Revenue Duty) कहते हैं। आयात-निर्यात कर कई प्रकार के होते हैं—जब ये नाप, तोल या संख्या के अनुसार लगाये जाते हैं, तब इन्हें परिमाण-कर (Specific Duty) कहते हैं और जब इन्हें वस्तु के मूल्यानुसार लगाते हैं, तब इन्हें प्रति-मूल्य कर (Ad Valorem Duty) कहते हैं। (iii) कोटा प्रणाली (Quota System):—यह संरक्षण को एक बहुत ही सप्रभाविक रीति है। कोटा-प्रणाली में सरकार विभिन्न वस्तुओं की आयात या निर्यात का अधिकतम परिमाण, एक निश्चित समय में, निर्धारित कर देती है। कभी यह कोटा देशानुसार निश्चित किया जाता है कि अमुक देश से अमुक मात्रा में वस्तुओं की आयात या निर्यात होगी। कभी-कभी देश में एक ऐसी ध्यवस्था कर दी जाती है कि वस्तुओं की अमुक मात्रा तक आयात या निर्यात करने पर तो अमुक रियायती कर (Concessional Tax) लिया जायगा और इस मात्रा से अधिक आयात या निर्यात करने पर कर की पूरी मात्रा लो जायेगी। अतः कोटा प्रणाली द्वारा देश में वस्तुओं की पूर्ति नियन्त्रित कर दी जाती है। (iv) लाइसेंस प्रणाली (License System):—कभी-कभी सरकार वस्तुओं की आयात या निर्यात करने का अधिकार केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को ही देती है। इससे देश में वस्तुओं की पूर्ति सरकार द्वारा नियंत्रित हो जाती है। (v) आयात-निर्यात एकाधिकार (Import-Export Monopoly):—कभी-कभी सरकार वस्तुओं की आयात या निर्यात करने का अधिकार स्वयं प्रहण कर लेती है। परिणामतः कोन-सी वस्तु, कौसी गुण वाली, किस मात्रा में तथा किस देश से मंगवाई जाय—इन सब बातों पर सरकार का नियन्त्रण हो जाता है। इसे राजकीय व्यापार (State Trading) भी कहते हैं। (vi) विनियम नियन्त्रण (Exchange Control):—आजकल यह रीति अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुई है। प्रत्येक देश की सरकार विनियम की द्वारा नियन्त्रित करती है तथा एक व्यापारी सामान्यतया सरकार से ही विदेशी विनियम का क्रद-विक्रय करता है जिससे स्वतन्त्र व्यापार में बाधा पड़ जाती है। प्राप्त: एक देश

\*कोटा प्रणाली के कई लाभ हैं—(i) यह प्रणाली बहुत सोधपूर्ण होती है, (ii) इस प्रणाली में दूसरे देशों से व्यापारिक सीदे भच्छे हो सकते हैं, (iii) कोटा प्रणाली से पश्चरात्पूर्ण व्यापार के सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं रहती है, (iv) वस्तुओं की मात्रा निश्चित हो जाने से उत्पादक भी अपनी वस्तुओं की उत्पत्ति बोटों के अनुसार ही व्यवस्थित कर सकते हैं। परन्तु इस प्रणाली में कई दोष भी हैं—(i) देश के बाजार में विदेशी वस्तुओं का मूल्य विदेशी बाजारों से भिन्न हो सकता है। चूंकि वस्तु का कोटा निश्चित है अर्थात् वस्तुओं की आयात इस सीमा से अधिक नहीं हो सकती है, इसलिये यद्यपि विदेशी में वस्तुओं का मूल्य कम हो गया है, परन्तु आयात के देश में इनके मूल्यों में कभी नहीं होगी। (ii) कोटा प्रणाली में आयात करों की तुलना में सरकारी आय (Revenue) यहुधा कम होती है।

की सरकार अन्य देशों से समाझोषन समझौते (Clearing Agreements) तथा अन्य अनेक प्रकार के विदेशी विनियम सम्बन्धी समझौते करके वस्तुओं की स्वतन्त्र आयात-निर्यात एवं इनके मूल्य के भुगतान पर नियन्त्रण लगाती है। यह विनियम नियन्त्रण भी स्वतन्त्र विदेशी व्यापार में एक महत्वपूर्ण बाधा (Barrier) है। (vii) भेदभावपूर्ण व्यवहार (Preferential Treatment) —सरकार कमो-व-भी विभिन्न देशों की वस्तुओं पर लिये जाने वाले करो (Taxes) से भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है जिससे विदेशी व्यापार की स्वाभाविक गति में रुकावट पड़ जाती है। ये व्यवहार उन प्रबन्धों को और सकेत बरते हैं जो साम्राज्य अधिमान (Imperial Preference) के अन्तर्गत हुए हैं। इस प्रवार के समझौतों से यद्यपि दो देशों के बीच तो व्यापार बढ़ता है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घवश्यमेव कम हो जाता है क्योंकि जिन देशों की वस्तुओं पर अधिक आयात कर लगते हैं, वे भी इन देशों की वस्तुओं पर अधिक कड़े आयात कर लगा देते हैं। अत भेदभावपूर्ण व्यवहार से स्वतन्त्र विदेशी व्यापार में बाधा पड़ती है।

नियन्त्रण—उक्तलिखित वे रीतियाँ हैं जिन्हे अपनाकर विसी भी देश की सरकार अपने विदेशी व्यापार में बाधाएँ ढाल सकती है और जब विसी देश के विदेशी व्यापार में बाधाएँ ढाल दी जाती हैं, तब इनका प्रभाव उस देश को सुरक्षण प्रदान करना होता है।

### परीक्षा-प्रश्न

#### Agra University, B A & B. Sc

1. सरकार के पक्ष के तर्कों की विवेचना कीजिये। उसके विपक्ष में कौन से तर्क हैं? (१९६०) 2. सरकार की वर्तमान व्यापारिक दशा में स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में तर्कपूर्ण सुनाव दीजिये। (१९५६) 3. बिन परिस्थितियों के अन्तर्गत तटन्कर मरकार उचित है? देश की आर्थिक उन्नति में यह किस प्रकार सहायक है, उदाहरण सहित समझाइये। (१९५८) 4. Examine the relative usefulness of the following as methods of protection to industries—(a) Tariffs, (b) Quantitative Restrictions (c) Subsidies and (d) Tariff Quotas (1956) 5. Discuss the problems of Free Trade Versus Protection. Which of them do you prefer and why? (1956) 6. "The economic arguments for the maximum freedom of trade between nations is based on the irrefutable general principle. The arguments for protectionism are based on a series of special circumstances, many of them non-economic." Discuss (1955 S)

#### Rajputana University, B A & B Sc.

1. What are the chief arguments in favour of a policy of protection (सरकार) ? How can protection encourage planning? (1959) 2. Discuss the arguments in favour of Protection (सरकार). Do you think India should adopt a policy of protection (विदेशकात्तमक सरकार)? (1958) 3. What are the arguments in favour of a 'policy of protection'? What is meant by a policy of 'discriminating protection' (1957) 4. Distinguish between—Free Trade and Protection (1957) 5. Distinguish between—'Free Trade' and 'Protection'. Show under what conditions protection is justified? (1955)

Sagar University, B. A.

१. टिप्पणी लिखिये—‘विवेचनात्मक संरक्षण’। (१९५६)।

Jabalpur University, B. A.

१. संरक्षण (Protection) से आप क्या समझते हैं? संरक्षण नीति के पक्ष में कोन से तक दिये जाते हैं? क्या आप उनसे सहमत हैं? (१९५६)।

Vikram University, B. A. & B. Sc.

१. संरक्षण के पक्ष में जो तक दिये जाते हैं, उनका विवेचन कीजिये। (१९५६)

Allahabad University, B. A. .

1. State and examine the main arguments which are generally put forward in favour of protection. (1955)

Bihar University, B. A.

1. Describe the various methods of protecting an industry. (1955)

Patna University, B. A.

1. Discuss the case for protection of domestic industries on the ground of providing employment within a country. Would you advocate protection in India on this ground? (1957)

Nagpur University, B. A.

१. मुक्त व्यापार की नीति यह सर्वोत्तम नीति क्यों मानी जाती है? किन परिस्थितियों में भंगरण की नीति आर्थिक नीति से उचित है? (१९५६)। २. क्या आप वर्तमान परिस्थिति में भारत के लिये अवाध व्यापार (Free Trade) नीति का समर्थन न करेंगे? स्पष्टतया समझाइये। (१९५६)

### परीक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत

प्रश्न १.—(i) संघार की वर्तमान व्यापारिक दशा में स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में तकनीकी गुभाव दीजिए (Agra, B. A. १९५६, Nagpur B. A. १९५८), (ii) मुक्त व्यापार की नीति—यह सर्वोत्तम नीति क्यों मानी जाती है? किन परिस्थितियों में संरक्षण की नीति आर्थिक नीति से उचित है? (Nagpur, B. A. १९५६)।

उत्तर:—उत्तर के आरम्भ में स्वतन्त्र व्यापार का अर्थ समझाइये (आधा पृष्ठ)। तदृश्चात् स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में दिये जाने वाले उक्तों को विस्तार से लिखिए, जैसे—(i) समाज में अधिकतम उत्पत्ति होती है—विविधीकरण तथा तुलनात्मक लागत के तिढ़ात्म का प्रयोग होता है, देश में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग होता है, (ii) वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य कम से कम हो जाता है—स्वतन्त्र व्यापार में केवल योग्य व कुशल चालोग जीवित रहते हैं जिससे उत्पादन ध्यय न्यूनतम होता है, (iii) भौगोलिक स्थानीयताएँ—संसार के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के उत्पादन का स्थानीयकरण हो जाता है जिससे भौगोलिक अम-विभाजन के समस्त साम प्राप्त होते हैं। (iv) बाजार का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, (v) एकाधिकार संघों के नियंत्रण पर रोक लगती है—वयोंकि इस व्यापार का आपार व्यापारियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होती है। (vi) उत्पादन-विधि में सुपार—वयोंकि व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा होती है। (vii) राष्ट्रों में सहयोग य सदस्यवाना—वयोंकि स्वतन्त्र व्यापार में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहता है। निष्कर्ष स्वहय

लिखिये कि यद्यपि स्वतन्त्र व्यापार के अनेक लाभ हैं, तथापि बतंमान आर्थिक राष्ट्रीय चाद तथा नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था के युग में यह केवल एक सिद्धान्त ही रह गया है इसीलिए सब ही राष्ट्रों ने संरक्षण की नीति अपनाई है (पाँच पृष्ठ)।

प्रश्न २ —(i) सरकार के पक्ष के तर्कों की विवेचना कीजिए। उसके विपक्ष में कौन से तर्क हैं? (Agra B. A. १९६०, Vikram, B. A. १९५६, Allahabad, B. A. १९५५), (ii) किन परिस्थितियों के अन्तर्गत तट कर सरकार उचित है? देश की आर्थिक उन्नति से यह किस प्रकार सहायक है, उदाहरण सहित समझाइए। (Agra, B. A. १९५८), (iii) वश आप बतंमान परिस्थितियों में भारत के लिए अवाय व्यापार (Free Trade) नीति का समर्थन न करेंगे? स्पष्टतया समझाइये। (Nagpur B. A. १९५६), (iv) संरक्षण से आप क्या सम्भव हैं? संरक्षण नीति के पक्ष में कौनसे तर्क दिये जाते हैं? क्या आप उनसे सहमत हैं? (Jabb, B. A. १९५६), (v) विवेचनात्मक संरक्षण की नीति का क्या अर्थ है? (Raj, B. A. १९५७), (vi) क्या भारत को विवेचनात्मक संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए? (Raj, B. A. १९५८), (vii) Discuss the case for Protection of Domestic Industries on the ground of providing employment within a country. Would you advocate protection in India on this ground? (Patna, B. A. 1955), (viii) How can protection encourage Planning? (Raj, B. A. 1959), (ix) "The economic argument for the maximum freedom of trade between nations is based on the irrefutable general principle. The arguments for protectionism are based on a series of special circumstances, many of them non-economic." Discuss (Agra, B. A. 1955)

संकेत — उक्त प्रश्नों में पाँच बातें पूछी गई हैं—संरक्षण किए कहते हैं? इसके पक्ष में क्या तर्क है? क्या आप इनसे सहमत हैं? किन परिस्थितियों में तट-कर संरक्षण उचित है? संरक्षण देश की आर्थिक उन्नति में कहीं तक सहायक होता है? क्या रोजगार के आधार पर आप गृह उद्योगों के संरक्षण के पक्ष में हैं? क्या आप भारत के लिये अवाय व्यापार नीति का समर्थन करेंगे? क्या भारत बो विवेचनात्मक संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए? प्रथम भाग में संरक्षण शब्द का अर्थ समझाइए (दो-तीन बाब्य)। द्वितीय भाग में संरक्षण के पक्ष में दिये जाने वाले तर्क लिखिए—शिशु-उद्योग तर्क, सुरक्षा का तर्क, उद्योगों में विभिन्नता का तर्क, मजदूरी का तर्क, द्रव्य को धर में ही रहने का तर्क, लागतों में समानता का तर्क, रोजगार का तर्क, राशिपातन तर्क, राष्ट्रीय प्राकृतिक साधनों के उचित उपयोग का तर्क, आदि (जब तक प्रश्न में संरक्षण के विपक्ष के तर्कों को न पूछा जाये तब तक इन्हें नहीं लिखना चाहिए) (चार पाँच पृष्ठ)। इस प्रश्न का उत्तर कि क्या आप संरक्षण के पक्ष में दिए गये तर्कों से सहमत हैं, इस प्रकार लिखिये—कि यद्यपि संरक्षण से देश को अनेक प्रबार से हानि होने की सम्भावनाएँ हैं, जैसे—उपभोताओं को हानि होती है, देश में भ्रष्टाचार कंतता है, एक बार लागू करने पर इसे हटाना बड़ा हो जाता है, कमज़ोर व दुर्बल उद्योगों का जन्म होता है, उद्योगों में विधिलता आती है, विदेशी व्यापार के कम होने की सम्भावना है आदि (इन बातों को दो-चार बाब्यों में लिखिये) तथापि बतंमान

राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए हम संरक्षण के पक्ष में ही हैं क्योंकि इससे देश का आर्थिक विकास होता है, नागरिकों को रोजगार मिलता है आदि (संरक्षण के पक्ष के कुछ महत्वपूर्ण तकों को दो-चार बादयों में संक्षेप में लिखिये (दो-ढाई पृष्ठ) तृतीय भाग में बताइये कि किन परिस्थितियों में तट-कर संरक्षण उचित है ? यह देश की आर्थिक उन्नति में कहाँ तक सहायक होता है ? कि रोजगार के आधार पर व्या गृह-उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिये ?—कि जब देश में नये-नये उद्योगों की स्थापना की जा रही हो ताकि आर्थिक हृष्टि से घर का द्रव्य घर में ही रह सके, नागरिकों को रोजगार मिल सके, राष्ट्रीय प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग हो सके अथवा जब यापारिक या भुगतान का संतुलन देश के प्रतिकूल हो रहा हो अथवा जूँकि बर्तमान युग में प्रत्येक राष्ट्र राजनीतिक या सुरक्षा की हृष्टि से आत्म-निर्भर होना चाहता है आदि (संरक्षण के पक्ष के महत्वपूर्ण तकों को सावधानी से संक्षेप में लिखिये) तब इस परिस्थिति में संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए क्योंकि यह देश की आर्थिक व राजनीतिक उन्नति में सहायक होता है। (दो तीन पृष्ठ) चतुर्थ भाग में इस प्रश्न का उत्तर लिखिये कि आप भारत के लिए अबाध व्यापार की नीति का समर्थन करेंगे ?—इस प्रश्न का उत्तर भी बड़ी सावधानी से लिखा जाना चाहिए पहले अबाध व्यापार का अर्थ बताइये और तदपश्चात् पौच सात बादयों में अबाध व्यापार के लाभ दराइये (संरक्षण की हानियाँ या विशद्द तक, अबाध व्यापार के लाभ या इसके पक्ष में उक्त हैं) और तब यह लिखिये कि बर्तमान आर्थिक व राजनीतिक राष्ट्रीयता के युग में स्वतन्त्र व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं (या ये लाभ बहुत कुछ सिद्धान्तिक एवं कल्यानामात्र हैं) जितने कि संरक्षण से प्राप्त होने वाले लाभ हैं (इसकी विस्तार से लिखिये) अतः हम भारत के लिये अबाध व्यापार की नीति का समर्थन नहीं कर सकते (तीन चार पृष्ठ) अन्तिम भाग में विवेचनात्मक संरक्षण का अर्थ बताकर, यह स्पष्ट कीजिये कि भारत को भी इसी प्रकार की संरक्षण नीति अपनानी चाहिये और भारत ने ऐसा किया भी है (एक पृष्ठ)। एक पृष्ठ में यह भी स्पष्ट कीजिये कि आयोजित अर्थ-व्यवस्था का आवार भी संरक्षण ही है—कि यदि संरक्षण नहीं हो तब देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना करना सम्भव नहीं हो, ऐसी स्थिति किसी योजना के आधार पर देश का चतुर्दशी आर्थिक विकास करना भी सम्भव नहीं हो सकता।

**प्रश्न ३:**—Examine the relative usefulness of the following as methods of protection to industries—(a) Tariffs. (b) Quantitative Restrictions (c) Subsidies and (d) Tariff Quotas (Agra, B. A 1956)

**संकेत:**—उत्तर के आरम्भ में संरक्षण का अर्थ लिखिये और चार-पौच बादयों में बताइये कि बनासिकल अर्थसास्त्रियों ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति को स्वीकार निया या ताकि प्रत्येक देश तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त पर वस्तुओं का उत्पादन करे, यह नीति इंगलैंड में सर्वाधिक अपनाई गई क्योंकि उसके लिये यह अनुदूल थी (भृत्याधिक औद्योगिक रूप से कारण), भारत, कनाडा व आस्ट्रेलिया आदि ने भी इंगलैंड का अनुकरण किया। परन्तु प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगभग सभी देशों ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति को त्याग दिया और इसके स्थान पर संरक्षण की नीति अपनाई ताकि गृह उद्योगों को

प्रोत्साहन मिल सके। इस नीति को प्रयत्नाने के लिये विदेशी व्यापार पर कई प्रकार से रोक लगाई जाती है, जैसे—कस्टम-कर, कोटा व लाईसेंस, आयात एकाधिकार, विनियम तियन्त्रण आदि। इनमें से कुछ वा प्रध्ययत हम यहाँ वरें (आधा पृष्ठ) — (i) शुल्क और शुल्क कोटा (Tariffs and Tariff Quotas) आयातों को बढ़ाव देने के लिये सरकार आयात कर लगाती है अथवा आयातों का कोटा विशिष्ट कर देती है (इन दोनों को विस्तार से समझाइये) — इससे स्वदेशी-विदेशी वस्तुयें महंगी हो जाती हैं और इनकी मांग कम हो जाती है और उपभोक्ता देशी वस्तुओं का उपभोग करने लगते हैं, स्वदेशी वस्तुयों के उत्पादन पर विदेशी प्रतियोगिता वा प्रभाव नहीं पड़ता है, देश में बेकारी दूर होती है, मजदूरी की होती है देश आबद्धक वस्तुयों में भात्ता निभर होने लगता है, कोटा प्रणाली इस लिये भी उत्तम है क्योंकि यह लोचदार होती है, इसमें व्यापार पूर्ण व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पारस्परिक हित में विभिन्न देशों से व्यापारिक समझौते किये जाते हैं आयात-कर की तरह इसका विरोध नहीं होता यदि दो देशों में ऐसा व्यापारिक समझौता है कि वे एक दूसरे देश की वस्तुओं पर आयात-कर नहीं लगायेंगे तब कोटा-प्रणाली को अपनाकर ये देश सरकारण के लाभों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु इसका दोष यह है कि सरकार की लाय बहुत कम हो जाती है, देश में आयात वस्तुयों का मूल्य स्थिर नहीं रहता है — आयात खुलने पर मूल्य कम और आयात बन्द या कम होने पर मूल्य अधिक हो जाता है जिससे वस्तु के स्वदेशी और विदेशी मूल्यों वा अन्तर आयातकर्ता की जेव में जाता है जबकि सरकार को इस पद्धति को चलाने में ध्यय भी अपने पास से करना पड़ता है, विदेशी में वस्तु का मूल्य कम हो जाने पर भी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा इससे लाभ नहीं होता, परन्तु आयात-कर में यह दोष नहीं है — विदेशी में मूल्य कम होते ही घरेलू बाजार में भी मूल्य कम हो जाते हैं, कोटा-पद्धति में सरकारी अधिकारियों के हाथों में भी अधिक शक्ति आ जाती है, (ii) आधिक सहायता (Bounties and Subsidies) सरकार किसी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये इसे समय समय पर आधिक सहायता देती है, जैसे—अनुदान, विशेष छूट, झण आदि। इसका प्रभाव भी सरकारण-कर (Customs Duties) जैसा ही होता है — देश में उद्योगों का विकास तथा निर्यात में बढ़ होती है (आधिक सहायता के विभिन्न रूपों को समझाइये)। परन्तु आधिक सहायता और सरकारण-कर में भिन्नताय भी हैं — कर में विदेशी माल का मूल्य स्वदेश में बढ़ जाता है जिससे वह स्वदेशी माल की प्रतियोगिता नहीं करने पाता अथवा उसका आयात बन्द हो जाता है, कर से स्वदेशी उत्पादक अपने माल वा अधिक मूल्य वसूल करने में सफल हो जाते हैं परन्तु सहायता में उत्पादकों को अपने माल का मूल्य कम लेना पड़ता है, आधिक सहायता कर से अधिक प्रभावोत्पादक होती है क्योंकि आयात-कर में तो उत्पादक को बेकल स्वदेशी बाजार पर अधिकार प्राप्त होता है परन्तु सहायता में उसे स्वदेशी और विदेशी दोनों ही बाजारों पर अधिकार प्राप्त होता है (विदेशी में सही मूल्य पर वस्तुयें बेचकर), कर में उपभोक्ताओं के हितों वा बलिदान और उत्पादकों व उपभोक्ताओं को लाभ होता है परन्तु आधिक सहायता में बरदाताओं के हितों वा बलिदान और उत्पादकों को लाभ होता है, (iii) मात्रा सम्बन्धी प्रतिबंध

(Quantitative Restrictions)—यह वह प्रणाली है जिसमें सरकार एक निश्चित मत्रा से अधिक आयात की प्रनुभवि नहीं देती—आयात हीने वाली वस्तु की जो अधिकतम सीमा तय की जाती है, उसी सीमा के अन्दर किसी निश्चित समय में वस्तुओं का आयात किया जाता है—इस कार्य के लिये आयातकर्ताओं को लाईसेंस दिये जाते हैं (इसे विस्तार से समझाइये) यह प्रणाली कोटा-प्रणाली से बहुत कुछ मिलती जुलती है। अन्त में लिखिये कि भारत में सरकार ने भी लगभग यही नीति अपना रखी है—प्रति छः महीने के लिए सरकार अपनी आयात नीति की घोषणा करती है जिसमें निश्चित रूप में बताया जाता है कि आगामी छः महीनों में कौन-कौन सी वस्तुये, वित्ती-वित्ती मात्रा में तथा किन किन देशों से आयात की जायेंगी। इस नीति का प्रयोग विनियमन-विधायन की नीति के पूरक के रूप में किया जाता है जिससे यह बहुत प्रभावपूर्ण हो जाती है। यह स्परण रहे कि संरक्षण की विभिन्न रीतियों का प्रयोग कभी भी एकाकी रूप में नहीं होता वरन् इनका एक-दूसरे के पूरक के रूप में किया जाता है और तभी ये रीतियाँ बहुत प्रभावपूर्ण एवं सफल सिद्ध होती हैं (पौच-छः पृष्ठ)।

पुस्तक के अन्त में  
‘उत्तर कैसे लिखें ?’  
**फरिश्हिष्ट**  
अवश्य पढ़िये।

आँकड़ों

का

महत्व

भारतीय मुद्रा, बैंकिंग, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तरों में विद्यार्थियों को अनेक महत्वपूर्ण आँकड़े लिखने आवश्यक होते हैं। विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों के उत्तरों में या तो आँकड़े लिखते ही नहीं अथवा वे अविश्वसनीय और अनावश्यक आँकड़े लिखते हैं। वस्तुतः स्थिति यह है कि यदि विद्यार्थी किसी प्रश्न के उत्तर को नेवल दस पाँच महत्वपूर्ण आँकड़ों के आधार पर लिख दे, तब वे उच्चन्स्तर के अब प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय समस्याओं से सम्बन्धित विषयों पर उत्तर लिखते समय उन्हे बर्तमान प्रवृत्तियों तथा आलोचकों के विचारों को यथा सम्भव स्पष्ट हप में लिखना चाहिये। यह स्मरण रहे कि मुद्रा बैंकिंग से सम्बन्धित भारतीय समस्याओं पर उत्तर लिखना अपेक्षाकृत सरल होता है और इन उत्तरों पर अब भी अच्छे प्राप्त होते हैं।

—लेखक

भाग २ :

खण्ड : १

## भारतीय मुद्रा (Indian Currency)

[मध्याय १. भारतीय चलन का इतिहास...१ २. भारतीय चलन का इतिहास...२  
३. भारतीय चलन का इतिहास...३ ४. पौंड पावने और इनके  
प्रशंसन, ५. हरे का प्रबोल्यन और इनके  
पुनर्मूल्यन की समस्या, ६. भारत में दसमिक मुद्रा-  
प्रणाली, ७. भारत में नोट-नियंत्रण का संदिप्त  
इतिहास तथा इसकी वर्तमान स्थिति  
८. भारतीय मुद्रा बाजार ]

## अध्याय १

# भारतीय चलन का इतिहास-१\*

*(History of Indian Currency)*

(सन् १८३५ से सन् १९२५ तक)

सन् १८३५ तक मुद्रा की व्यवस्था:—भारत में मुद्रा का उपयोग अति प्राचीन काल से होता जाता आया है। हिन्दू-काल में भी स्वर्ण और चादी के सिक्कों का उपयोग होता था। इस बात का प्रमाण हमारे प्राचीन ग्रन्थों एवं साहित्य से मिलता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जो सिक्के तथा शिला-लेख प्राप्त हुए हैं, उनसे भी यही सिद्ध होता है कि भारत में धातु-मुद्रा का उपयोग बहुत ही पुराने समय से होता आया है। मुसलमान बादशाहों ने भी यही की प्राचीन-पद्धति को ही अपनाया था और उनके शासन-काल में बहुमूल्य धातुओं के सिक्कों की निकासी एवं मामूली-भी बात थी। कहा जाता है कि अब्दुल कार के शासन-काल में रोप्य मान (Silver Standard) का अवलम्बन किया गया था और देश की मुद्रा-व्यवस्था में बहुत कुछ एकता लाई गई थी। मुस्लिम शासन-काल में मुद्रा-प्रणाली में यही तक विकास हुआ कि मुहम्मद तुगलक ने सावेतिक सिक्कों तथा पत्र-मुद्रा का प्रचलन किया, यद्यपि उसका यह प्रयत्न सफल नहीं हो तका। परन्तु मुगल शासन के अन्त हो जाने पर देश में मुद्रा-व्यवस्था भी बहुत अस्त-व्यस्त हो गई बयोकि विभिन्न राज्यों के स्वतन्त्र हो जाने पर उन्होंने अपनी-अपनी टक्सालें स्थापित कीं जिनसे भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्कों एवं मुद्राओं (मूल्य में भिनता थी) का प्रचलन हुआ। सन्त्रहीन शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कंपनी ने भी अपनी वस्तियों के लिए सिक्के ढाले थे और जैसे-जैसे कंपनी का अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया, वैसे ही वैसे सिक्कों के प्रचलन-क्षेत्र का भी विस्तार होता गया। यह अवश्य है कि आन्तरिक व विदेशी व्यापार में उस समय चादी का रूपया ही मूल्य-मापन का कार्य करता था। परन्तु उस समय के चादी के रूपये का वजन तथा घुद्दता विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न थी जिससे व्यापारिक व्यवहारों का मुनाफान मूलतः चादी की घुद्दता और वजन से होता था। इस तरह सन् १८३५ तक देश में अनेक धातुओं के सिक्के चलन में थे और एक धातु के सिक्के तक रूप, मूल्य, वजन तथा घुद्दता में विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न थे। जिस समय ईस्ट इण्डिया कंपनी ने भारतीय शासन की धागडोर सम्भाली, उस समय भारत में सोने और चादी दोनों के ही सिक्कों का प्रचलन था और देश में लगभग ६६४ प्रकार के ऐसे सिक्के चलन में थे जिनका आपस में परिवर्तन उनके वजन व घुद्दता के आधार पर सर्वांग व

झंडी० ए० के विद्यार्थियों को यह अध्याय केवल एक सरसरी निगाह से ही पढ़ना चाहिये। परीक्षा की दृष्टि से यह अधिक उपयोगी नहीं है।

साहूकारों द्वारा किया जाता था। परिणामतः मुद्रा-प्रणाली ऐसी थी जिससे व्यापार में भारी अमुविधा होती थी क्योंकि प्रत्येक विनिमय कार्य को पूरा करते समय सिक्कों की परख-तोल करनी पड़ती थी। इस तरह सन् १८३५ तक भारत में द्विधातु-मान (Bimetallic Standard) प्रचलित था।

## भारत में रजत-मान (१८३५-१८६८)

(Silver Standard in India)

रजत-मान की स्थापना और सन् १८३५ का टकन एकट (Establishment of the Silver Standard and the Indian Coinage Act 1835):—ऊपर यह स्पष्ट हो चुका है कि सन् १८३५ तक भारत में सोने व चांदी दोनों के ही सिक्के, विभिन्न हूप, बजन, शुद्धता के प्रचलित थे जिससे देश के व्यापार व उद्योग के व्यवहारों में रकावटे व अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ अनुभव होती थी। इन कठिनाइयों को बहुत कुछ दूर करने के लिए ही सन् १८३५ में टकन एकट (Coinage Act) पास हुआ। इस एकट की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार थीं—(i) समस्त भारत में पूर्ण रजत-मान (Silver Standard) की स्थापना की गई जिससे देश में एक धातु-मान प्रणाली को अपनाया गया। (ii) स्पर्यों की टकसाल में स्वतन्त्र व अपरिमित मुद्रा ढलाई घोषित की गई। (iii) चांदी के रपयों का बजन १८० ग्रैन २५२ शुद्धता (एक तोला) का निर्धारित कर दिया गया। इस तरह देश के प्रामाणिक सिक्के में १६५ ग्रैन शुद्ध चांदी निश्चित कर दी गई। यह सिक्का अपरिमित विधि-ग्राह्य भी घोषित कर दिया गया। (iv) स्वर्ण के सिक्के अदृश्य हो गये थे। इस एकट के अनुसार टकसाल पर स्वर्ण के सिक्कों की ढलाई हो सकती थी यद्यपि इस एकट ने सोने के सिक्कों को त्रिटिश भारत में अवैध घोषित कर दिया। (v) इस एकट के अनुसार ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में जिस रजत-मान का अवलम्बन किया था वह १८७१ तक तो ठीक प्रकार से चलता रहा, परन्तु सन् १८७१ के बाद इसमें कठिनाई अनुभव होने लगी क्योंकि विश्व-व्यापी परिवर्तनों के कारण सन् १८७१ से स्पर्यों का स्वर्ण-मूल्य गिरना आरम्भ हो गया। जबकि सन् १८७१ में यह मूल्य २ शिं ० प्रति स्पर्य था, तब यह गिरते-गिरते सन् १८६२ में १ शिं २ पैस रह गया।

## रजत-मान का पतन

रजत-मान के पतन के कारण (Causes of the Breakdown of the Silver Standard):—सन् १८७१ के बाद रजत-मान की कार्य-प्रणाली में काफी कठिनाई अनुभव हुई क्योंकि चांदी का मूल्य शनैः शनैः बहुत गिर गया था। चांदी के मूल्य में कमी हो जाने के कई कारण थे—चांदी की नई-नई खानों की खोज हुई तथा इनमें चांदी के निकालने की विधियों में सुधार हुआ था, अधिकाश यूरोपियन देशों में चांदी का विमुद्रीकरण (Demonetization) बर दिया। १८७३ में सेटिन सध देशों ने द्विधातु-मान को द्व्यापार धातु के हूप में बेचा जाने लगा था। इन सब कारणों से चांदी की प्रूति में इसकी मांग

की अपेक्षा बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और इसे मूल्य में बहुत कमी हो गई। परिणामतः स्वर्ण में चाढ़ी का मूल्य शनैं शनैं चम होता चला गया। जबकि सन् १८७१ में रुपये का मूल्य ३ शिं था, तब यह गिरते-गिरते सन् १८६२ तक १ शिं २ पैसे ही रह गया।

परिणाम—(i) चाढ़ी का मूल्य स्वर्ण में कम हो जाने का परिणाम यह हुआ कि भारत में चाढ़ी की आयात बहुत बड़ी मात्रा में हुई जिससे भारत में मुद्रा-स्फीति (Inflation) की स्थिति उत्पन्न हो गई और मूल्यों में भी वृद्धि हो गई। (ii) सरकार का यह खचों (Home Charges) का व्यय बहुत बढ़ गया क्योंकि पहुंच तो एक रुपया २ दिलिंग खरीदता था, परन्तु बाद में जब एक रुपया १ दिलिंग २ पैसे के बराबर हो गया तब पहिले की अपेक्षा अधिक रुपयों में पौड़ खरीदा जाने लगा जिससे यह खचों का भार बढ़ गया और सरकार को इसकी पूर्ति के लिये पहले से अधिक कर लगाने पड़े। (iii) विनियमय की दर के गिरने के कारण भारत में ब्रिटिश पूँजी की आयात हतोत्साहित हुई क्योंकि इगलेंड के विनियोजनाधीन बोर्ड पर प्राप्त होने वाला व्याज अनिश्चित हो गया और यापिस होने वाले मूलधन की मात्रा भी अनिश्चित रही थी जिससे ब्रिटिश पूँजी की सहायता से देश के आर्थिक विरास में कार्पोरेट इटिनार्ड पड़ने लगी। इन सब परिणामों के कारण जनता ने स्वर्ण-माल को बणनाने के लिये आवाज उठाई।

#### सन् १८६२ की हरशेल कमेटी (The Herschell Committee of 1892)

सन् १८७१ के बाद जब सरकार दो रजतमाल की कार्य-प्रणाली में कटिनाइर्ड अनुभव होने लगी, तब इसने लाउं हरशेल (Herschell) की अध्यक्षता में एक कमटी नियुक्त की, जिसे तीन बारों का विचार वरके सरकार को व्यपनी सिफारिश देनी थी—(i) व्यय सरकार दो भारत में चाढ़ी का स्वतन्त्र मुद्रण बन्द कर दना चाहिये? (ii) व्यय भारत में स्वर्णमाल स्थापित किया जाय और इसके बन्तर्गत सोने के सिक्के जारी किये जायें? तथा (iii) व्यय की स्टॉलिंग में विनियमय की दर घटाई जाय? कमेटी ने इन सब बातों पर सोच विचार बरके, भारतीय मुद्रा व्यवस्था में सुधार बरने के लिये कर्द मुमाल रखे—(i) चाढ़ी और सोने की स्वतन्त्र मुद्रा छालाई बन्द कर देनी चाहिये, (ii) स्वर्ण की मुद्राप सरकारी लजानों में १ शिं ४ पैसे की दर से स्वीकृत होनी चाहिये और यही विनियमय-दर स्थापी भी की जाय। (iii) रुपये का अमीमित विधि ग्राह्य घोषित कर देना चाहिये। हरशेल कमेटी की प्रिफारियों को कार्यक्रम में परिणाम बरन वे लिय सन् १८६३ में एक नया एकट नामा गया जिसने १८७० के टकण एकट (Coinage Act) और १८८२ के पत्र मुद्रा बोर्डी प्रकट (Paper Currency Act) में संशोधन किये। सरकार ने १८६३ का जो एकट पास किया और तत्पश्चात् जो भी योपयाये की उदाहरण परिणाम यह हुआ—(i) सोने व चाढ़ी का स्वतन्त्र टकण बन्द कर दिया गया। चाढ़ी का स्वतन्त्र टकण इमलिय बन्द कर दिया गया ताकि रुपये की विदेशी विनियमय लौंची जानी रहे। (ii) रुपया एक सावेतिर मिला बना दिया गया वयोंकि इसका मुद्रण केवल सरकार द्वारा ही किया जा सकता था और इमका अक्षित मूल्य इसके निहित मूल्य से अधिक रखना गया। (iii) रुपये की विनियमय दर चाढ़ी के मूल्य के प्रभाव से स्वतन्त्र रख दी गई। रुपये की विनियमय दर १ शिं ४ पैसे निर्धारित कर दी गई।

(iv) सरकार को भुगतान में सावरन १५ रुपये की दर से दी जा सकती थी। (v) बम्बई तथा कलकत्ते की टकसालों को पत्र-मुद्रा के निर्गम का अधिकार दे दिया गया और यह स्वयंस्था कर दी गई कि १ शिं० ४ पंस की दर पर ये पत्र-मुद्राएँ स्वर्ण के बदले दी जा सकती थी। अतः हरदोल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारत में एक अपूर्व छिपातु-मान अपनाया गया जिसमें चांदी व सोने के सिक्कों को ढलाई जनता द्वारा नहीं कराई जा सकती थी और केवल चांदी के रूपये ही असीमित विधि-ग्राह्य थे।

### भारत में स्वर्ण-विनियम-मान [१८९८-१९२५]

#### (Gold Exchange Standard in India)

सन् १८९८ की फॉलोर कमेटी (Fowler Committee of 1898):—सन् १८९६ के आस-पास भारतीय रूपये की विनियम दर १ शिं० ४ पंस पर स्थिर हो गई। परन्तु भारत सरकार ने भारत में एक पूर्ण स्वर्ण-मान की स्थापना के लिए भारत सचिव से प्रार्थना की। परिणामतः सन् १८९८ में सर हैनरी फॉलर (Sir Henry Fowler) की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई। इस कमेटी ने भारत में एक पूर्णरूप से स्वर्ण-मान स्थापित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की—(i) रूपये की विनियम दर १ शिं० ४ पंस स्थिर रहनी चाहिये अर्थात् १५ रुपये = १ सावरन के होना चाहिए। सरकार को इस दर पर सोने या सोने के सिक्कों के बदले में रूपये देने चाहियें, परन्तु रूपयों के बदले स्वर्ण या स्वर्ण-मुद्रा देने के लिये सरकार वाध्य नहीं होनी चाहिये। (ii) त्रिटिया सावरन को भारत में अपरिमित विधि-ग्राह्य सिक्का घोषित कर देना चाहिये और इनका भारत में प्रचलन होना चाहिये। इस कार्य के लिये भारत में सोने की स्वतन्त्र-मुद्रा ढलाई होनी चाहिये। अतः त्रिटिया सावरन को ढलाई व इनका प्रचलन इंगलैण्ड और भारत दोनों ही देशों में होना चाहिये। इस सरह बमेटी ने सिफारिश की कि स्वर्ण-मुद्राएँ रूपये के साथ ही साथ १५ रुपये प्रति सावरन की दर से चलन में होनी चाहिये। (iii) रूपया अपरिमित विधि-ग्राह्य रहना चाहिये। परन्तु चांदी की स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई नहीं होनी चाहिये अर्थात् रूपया केवल सावेतिक सिक्का ही रहना चाहिये। रूपया भान्तरिक कार्यों के लिये स्वर्ण में परिवर्तनशील नहीं होना चाहिये। (iv) भारत सरकार को स्वर्ण निर्यात के लिये सोने का एक संचित कोष रखना चाहिये ताकि इनका विदेशी भुगतानों के लिये स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग हो सके और विनियम की दर में स्थिरता स्थापित की जा सके। (v) रूपये के सिक्कों की ढलाई में जो भी लाभ प्राप्त होता है, उसे सरकार को अपनी साधारण भाष्य में जमा नहीं करना चाहिये बरन् उसे इस लाभ को सोने के रूप में एक विशेष 'स्वर्ण-मान रिजर्व' में रखना चाहिये और यह कोष भी सरकार की पत्र-मुद्रा-निधि तथा ट्रेजरी जमाओ (Treasury Balances) से पूर्णतया पृथक् रखना चाहिये।

**परिणाम**.—सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। सितम्बर सन् १८९६ में त्रिटिया सावरन भारत में वैज्ञानिक ग्राह्य बना दिया गया, परन्तु रूपया भी अपरिमित विधि ग्राह्य बना रहा। स्वर्ण-मान-रिजर्व स्थापित बर दिया गया। यद्यपि

फाउलर कमेटी (Fowler Committee) ने भारत में स्वर्ण मुद्रा मान (Gold Currency Standard) स्थापित करने की सिफारिश की थी, परन्तु भारत में स्वर्ण-मुद्रा-मान स्थापित नहीं हो सका। रिटिश ट्रेजरी ने भी भारत में शाही टकसाल की शाखा बोनं की स्वीकृति नहीं दी जिससे भारत में सोने के सिक्कों के ढालने की योजना रद्द कर दी गई। परिणामतः भारत में स्वर्ण-मुद्रा-मान के स्थान पर स्वर्ण विनियम मान ही स्थापित हुआ। फाउलर कमेटी (Fowler Committee) की सिफारिशों के आधार पर भारत में जिस मान की स्थापना हुई, उसकी विवेषपत्राएँ इस प्रकार थी—(i) आन्तरिक मुद्रा में नोट और रुपये प्रचलन में थे। रुपया मानेति<sup>३</sup> मुद्रा की ओर यह मूल्यमापन था। चदन में अन्य छोटे-छोटे मिक्के भी थे जो सीमित वैधानिक ग्राह्य थे। परन्तु सीमित मात्रा में रिटिश सावरन भी चलन में था। (ii) आन्तरिक कार्यों के लिये रुपये के बदले में सोना नहीं गिरता था, परन्तु वाहू कार्यों के लिये १ शिं ४ पैस प्रति रुपया की दर पर स्वर्ण मिल नहता था। (iii) रुपये का स्टॉलिंग मूल्य उच्चतर-स्वर्ण विन्दु १६२ पैस और निम्नतम विन्दु १५३ पैस के बीच में निर्धारित किया गया। यह कारबिल विलम और रिवर्स कारबिल विलम की खरीद विक्री द्वारा होता था। (iv) स्वर्ण-विनियम-मान की कार्य-पद्धति को सफल बनाने के लिये दो रिजर्व स्थापित किये गये—एक रूपये में भारत में और दूसरा लन्दन में स्टॉलिंग में। अवधार में इन नियमों का उपयोग विनियम कार्यों के लिये किया जा सकता था। (v) यद्यपि इस मान में विनियम-दर में स्थिरता प्राप्त हो गई, परन्तु दश म मूल्यों में स्थिरता कार्यम न हो सकी जिससे देश के विदेशी व्यापार में अनिश्चितता उत्पन्न हो गई और इमारा देश के आर्थिक विकास पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ा। चूंकि यह एक प्रबन्धित मान (Managed Standard) था और इसके सफल कार्य-मन्चालन के लिये पण्य-पग पर सखार की हस्तधोप करना पड़ता था, इसलिये इस मौद्रिक मान की देश भर में बहुत ज्यादा आलोचना की गई।

### सन् १९१३ का चैम्बरलेन कमीशन (Chamberlain Commission of 1913)

फाउलर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारत में जो मुद्रा-मान स्थापित हुआ था, उसकी कड़ी आलोचना के परिणामस्वरूप अप्रैल १९१३ में श्री चैम्बरलेन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य था—(अ) फाउलर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारत में विनियम-दर को स्थिर रखने के लिये भारत सरकार एवं सेक्रेटरी बॉर्ड स्टेट ने जो उपयोग किय थे उनकी जाच बरना, (आ) पत्र मुद्रा-रिजर्व तथा स्वर्ण-मान की स्वर्ण-नियिक के उपयोग व उनके स्थान की जाच बरना, (इ) जो उम समय की मुद्रा प्रणाली थी उमझी जांच-पड़ताल बरना और यह मालूम बरना कि वह लाभदायक थी या नहीं थी आदि। चैम्बरलेन कमेटी की सिफारिशों इस प्रकार थी—(i) कमीशन ने भारत में स्वर्ण विनियम मान को चालू रखने की सिफारिश की ओर यह कहा कि देश म स्वर्ण का प्रयोग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देशवासी इसे कम चाहते हैं। (ii) स्वर्ण के मिक्कों को ढालने के लिये देश में एक नई टकसाल के स्थापित बरने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यदि जनना इमकी मीम करे तब ऐसी टकसाल स्थापित की जा सकती है। वर्षई की टकसाल को रुपया

देकर सोना बराबर लेते रहना चाहिये। (iii) स्वर्ण-मान-निधि की कोई भी अधिकतम सीमा निश्चित नहीं होनी चाहिये बरन् इस निधि में अधिक से अधिक सोना जमा होना चाहिये और यह निधि भी लग्नदन में जमा रहनी चाहिये। (iv) पत्र-मुद्रा-प्रणाली को अधिक लोचदार बनाना चाहिये, इसलिये कमीशन ने यह सिफारिश की कि नोटों के अरक्षित भाग (Fiduciary Issue) को १४ करोड़ रुपये से बढ़ाकर २० करोड़ रुपया कर देना चाहिये और स्वर्ण-मुद्रा के स्थान पर सोने के उपयोग को अधिक प्रोत्साहित करना चाहिये। (v) स्वर्ण-मान की चाढ़ी बाली शासा को बन्द कर देना चाहिये। (vi) भारत सरकार को यह गारन्टी देनी चाहिये कि वह प्रति रुपया १ शिं ३५० इक्के पंस पर रिवर्स काउन्सिल विल्स बेचेगा। चेम्बरलेन कमीशन दी सिफारिशों भारत और लग्नदन में फरवरी सन् १९१४ को प्रकाशित हुई थीं और जुलाई सन् १९१४ से युद्ध छिड़ गया। परिणामतः युद्ध के कारण सरकार उक्त कमीशन की अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं कर सकी।

### प्रथम महायुद्ध में भारतीय मुद्रा-प्रणाली

प्रथम महायुद्ध और स्वर्ण-विनियम-मान (First World War and the Gold Exchange Standard) :—सन् १९१४—१८ के प्रथम महायुद्ध का भारतीय मुद्रा-प्रणाली पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और अन्ततः युद्धकालीन परिस्थितियों के बारण स्वर्ण-विनियम मान पूर्णतया टूट गया। भारतीय मुद्रा प्रणाली पर युद्धकालीन परिस्थितियों वा जो प्रभाव पड़ा तथा विंडो हुई स्थिति दो सुधारने के लिये सरकार ने जो उपाय किये उनकी मुद्द्य-मुद्द्य वाले इस प्रकार है—(i) युद्ध में अन्य देशों की तरह भारतीय मीट्रिक व आधिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव दाला। इसने व्यापार व व्यवसायों में अनिश्चितता उत्पन्न कर दी जिससे भयभीत होकर भारतवासियों ने अपने सेविंग्स बैंकों के खातों में से रुपये निकालने आरम्भ कर दिये (युद्ध के प्रथम महीनों में ही ८ करोड़ रुपये के मुगतान दिये गये), पत्र मुद्रा के बदले चाँदी के सिक्कों तथा सोने की मींग हुई (पहली और चौथी अगस्त १९१४ के बीच में ही भारत सरकार दो १८ लाख पौंड कीमत का सोना देना पड़ा) तथा विनियम की दर बहुत ही गिर गई। (ii) विनियम-दर के पतन को रोकने के लिये अपवाह इसे टीका करने के लिये भारत सरकार ने ६ अगस्त १९१४ तथा २८ जनवरी १९१५ के बीच ८७.०७ लाख पौंड मूल्य के रिवर्स काउन्सिल विल्स (Reverse Council Bills) बेचे। (iii) ५ अगस्त रात १९१४ को भारत सरकार ने आवश्यक व्यापारिक वायों के घलावा जनता को सोना देना बन्द कर दिया। इस तरह कुछ समय के लिये भारत में स्वर्ण-मान स्थापित कर दिया गया। (iv) सन् १९१५ में अन्त तक भारत का नियांत व्यापार बढ़ गया वयोंकि विदेशों में भारतीय दस्तुओं की मींग बहुत बढ़ गई थी, परन्तु वस्तुओं की आपात यहूत बढ़ हो गई थी वयोंकि विदेशी मुद्रा के बारण भारत को माल भेजने में असमर्थ थे। परिणामतः व्यापार का सत्रुतन घसाघारण तौर से देश के अनुदूल हो गया। इस रकम का मुगतान मैकेटरी बॉक्स स्टेट द्वारा काउन्सिल विल्स (Council

रिवर्स बाउन्सिन विल्स की अत्यधिक माँग वडी और सरकार को इन्हें काफी बड़ी मात्रा में वधना पड़ा। सरकार को कुछ ही समय में लगभग ५ लरोड पौंड रपये के उच्चत विल्स बेचने पड़े थे। परन्तु सरकार के भरसक प्रयत्न करने पर भी विनिमय की दर २ शि० पर स्थिर नहीं रह सकी और यह कम होने लगी। जून सन् १९१६ के अन्त तक यह दर १ शि० ८ पैस रह गई और १९२१ के आरम्भ तक यह गिरते-गिरते १ शि० ३ पैस (स्टलिंग) हो गई। (vii) चूंकि सरकार विनिमय तिथन्त्रण की नीति में असफल रही थी और विनिमय दर में बहुत कमी हो गई थी, इसलिये देश के सेवडों व्यापारियों की अत्यधिक हानि हुई और कुछ का तो दिक्कत तक निकल गया था। (viii) परन्तु विनिमय दर में उच्च स्थिति बहुत समय तक नहीं रह सकी और परिस्थितियों के बदल जाने से विनिमय की दर में शाने शाने बढ़ि होने लगी। यह स्मरण रहे कि कानून की हट्टि से तो विनिमय की दर बराबर २ शि० ही बनी रही, परन्तु वास्तविक दर में बहुत उच्चा बचन (Fluctuation) हुये जबकि १९२१ के आरम्भ में विनिमय दर केवल १ शि० ३ पैस (स्टलिंग) थी, तब १९२३ में वह १ शि० ४ पैस (स्टलिंग) और अब दूबर १९२४ में यह १ शि० ६ पैस (स्टलिंग) हो गई। यह दर मार्च १९२६ तक बराबर बढ़ती चली गई और यह अन्ता १ शि० ६ पैस के आस-पास स्थिर हो गई। (अप्रैल १९२५ में स्टलिंग और स्वर्ण का मूल्य समान हो गया अर्थात् १ शिलिंग ६ पैस स्टलिंग भी १ शिलिंग ६ पैस के बराबर हो गया)। इस तरह १९१६-२५ के बाल में विनिमय की दर बहुत उच्चावचन हुय (सरकार विनिमय की दर को २ शि० पर स्थिर रखने के प्रयत्न में वितनी ही बार असफल रही थी जिससे उसने दर की स्थिर रखने का प्रयास ढोड़ दिया और इसे माँग और पूर्ति के अनुसार निर्दिचत हीन दिया) और अन्तत आधिक परिस्थितियों में सामन्जस्य हो जाने पर विनिमय की दर में भी स्थिरता स्थापित हो गई। शालों चकों का विचार है कि सरकार ने बैंबिगटन स्मिथ कंमेटी की सिफारियों को इतनी जल्दी कार्यान्वित करने में बड़ी भारी भूल की थी और चूंकि इन्हें देश की अनिर्दिचत आधिक व राजनीतिक परिस्थितियों में वार्यान्वित किया गया था, इसीलिए देश के व्यापारियों एवं व्यवसायियों की इतनी भारी हानि सहनी पड़ी थी।

### परीक्षा-प्रश्न

Nagpur University B. A.

१. भारत में १९६३ से १९१३ तक स्वर्ण विनिमय प्रमाण के विवास का बर्णन कीजिय। (१९५८) २. सन् १९२० में रुपये का २ शि० (स्वर्ण) से सम्बन्ध जोड़ने के लिये कौन सा कारण था? वह विनिमय-अर्थ (Rate of Exchange) क्यों असफल हुआ? (१९५६) ३. सन् १९६३ में भारत में चांदी (Silver) का मुक्तन्त्रन (Free-Coinage) बन्द कर देने से जो आधिक परिणाम हुये उनका बर्णन कीजिये। (१९५५)

## अध्याय २

# भारतीय चलन का इतिहास-२\*

(सन् १९२५ से सन् १९३६ तक)

प्रारंभिक युद्धकालीन अवधि:—तमाम समार में आर्थिक हृष्टि से सन् १९१९ से १९२५ तक क. काल पूर्णतया अनिश्चित व अस्थिर था। इस काल में ही युद्धकालीन परिस्थितियों का शान्तिकालीन शक्तियों से समायोजन (Adjustment) होना वा अर्थात् आर्थिक-जीवन की युद्धकालीन उथल-पुथल व घोर उदासी का अन्त होकर समाज का आर्थिक-जीवन फिर एक बार सामान्य आधार पर व्यवस्थित होना था। इसीलिये इस काल को सक्रान्ति का काल (Transitory Period) माना गया है। यह वह काल था जिसके सम्बन्ध में जो कुछ भी अनुमान लगाये गये थे, प्रायः वे गलत ही सिद्ध हुये। यही कारण है कि सरकार का विनियम की दर को २ शिं० पर स्थिर रखने का प्रयत्न सदा असफल रहा और अन्ततः सरकार ने इसे मांग और पूर्ति के अनुसार स्थिर हो जाने के लिये छोड़ दिया। परन्तु सन् १९२५ के अन्त तक आर्थिक-दशाओं में काफी उथल-पुथल के बाद स्थिरता आ गई थी। इस दशा में सरकार ने देश की चलन-पद्धति में छान-बीन व सुधार करने की आवश्यकता अनुभव की और इस कार्य के लिये हिल्टन-यूंग कमीशन की नियुक्ति कर दी।

### स्वर्ण-पाट-मान (सन् १९२७ से सन् १९३१ तक)

सन् १९२५ का हिल्टन-यूंग कमीशन (Hilton Young Commission 1925):—प्रगति सन् १९२५ में भारत सरकार ने लेफ्टीनेंट कर्नल हिल्टन यूंग (Lt. Col. Hilton Young) की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन में ११ सदस्य थे। जिनमें चार भारतीय थे। इस कमीशन का उद्देश्य या—(अ) स्वर्ण विनियम-मान की कार्य-प्रणाली की जाच करना तथा देश में किसी ऐसी उचित व स्थिर मुद्रा-पद्धति के स्थापित करने वी योजना प्रस्तुत करना जिससे देश में रपये वी विनियम-दर स्थिर रखकी जा सके, (आ) चलन व बैंकिंग पद्धति का समन्वय (Co-ordination) करने की योजना रखना तथा (इ) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के मुकाबले प्रस्तुत करना। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सब मुद्रा-प्रणालियों का अध्ययन किया और जुलाई सन् १९२६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट की

\* आगरा यूनिवर्सिटी में बी० ए० कक्षाओं के पाठ्य-क्रमा-नुसार विद्यार्थियों को भारतीय चलन का इतिहास सन् १९२७ से पढ़ना है। अतः उन्हें इस अध्याय को तथा अगले अध्याय को ध्यान-पूर्वक पढ़ना चाहिये।

मुद्र्य-मुम्भ्य मिकारिशों को हग तीन भागों में बाट सँते हैं—(व) मुद्रा-मान के चुनाव सम्बन्धी सिफारिशें, (स) विनियम की दर सम्बन्धी मिकारिशें तथा (ग) मुद्रा के नियन्त्रित दरों वाले अधिकारी से सम्बन्धित सिफारिशें।

### (क) मुद्रा-मान के चुनाव सम्बन्धी सिफारिशों-देश में स्वर्ण-पाट-मान की स्थापना होनी चाहिये

हिल्टन यग कमीशन (Hilton Young Commission) ने उस समय पर प्रचलित चलन पद्धति का विशेषण किया और भारत के लिये एक उपयुक्त मौद्रिक-मान का सुझाव देने के लिये स्टलिंग विनियम मान, स्वर्ण-विनियम मान, स्वर्ण-मुद्रा-मान तथा स्वर्ण-पाट-मान पर विस्तार से विचार किया। कमीशन ने प्रथम तीन मार्गों को भारतीय परिस्थितियों के लिये अनुपयुक्त समझा और देश में स्वर्ण पाट-मान (Gold Bullion Standard) अपनाने की सिफारिश की।

स्वर्ण-विनियम-मान (Gold Exchange Standard) के सम्बन्ध में हिल्टन-यग कमीशन ने कहा कि यद्यपि यह मान रुपये के मूल्य में स्थिरता ला सकता था, परन्तु भारतीय परिस्थितियों में इसने कई दोष थे—(i) इस मान की वार्य प्रणाली जटिल थी जिसे जन-साधारण आसानी से समझ नहीं पाता था। मुद्रा का मूल्य बाउसिल विल्स व रिवर्स बाउसिल विल्स के जटिल तरीकों द्वारा स्प्रिंग रखा जाता था। (ii) इस प्रणाली में मुद्रा-प्रकार व मुद्रा-संकुचन मौद्रिक वारणों द्वारा स्वत नहीं होने पाता था। यह वार्य मुद्रा-अधिकारियों पर निर्भर रहता था। चूंकि यह प्रणाली सरकार द्वारा कृत्रिम उपायों द्वारा नियन्त्रित व व्यवस्थित थी, इस बारण जनता वा इसमें वहुत कम विश्वास था। (iii) यह प्रणाली लोचहीन थी। इसमें विनियम दरों में सुधार बरने के लिये प्राइवेट एवं स्वाभाविक उपाय नहीं थे जो कि सोने के आयात निर्यात के समय किसी स्वर्ण पद्धति में होने चाहिये थे। (iv) इस प्रणाली में साल व मुद्रा के नियन्त्रण की विभाजित जिम्मेदारी थी जिससे यह लायं ठीक प्रकार से नहीं होने पाता था। (v) रिजर्व रिसी एवं जगह व एक प्रकार से नहीं रखा जाता था जिससे यह प्रणाली अपन्यायी व वुद्धिहीन थी। यद्यपि इस प्रणाली में सोने का उपयोग वहुत कुछ मित्रध्ययिता-पूर्वक होता था, परन्तु फिर भी वहुत कुछ सोना वेचार में वधा पड़ा रहता था। (vi) यह प्रणाली रुपये के मूल्य में स्थिरता नहीं ला सकी। (vii) यह प्रणाली इगलेंड पर निर्भर थी। देश की मुद्रा का सम्बन्ध सोने से न होकर स्टलिंग मुद्रा से था। एक पराधीन प्रणाली होने के बारें इगलेंड के परिवर्तनों का प्रभाव भारत पर भी अवदायमेव पटा चरता था। हिल्टन यग कमीशन न भारतीय सन्दर्भ में स्वर्ण विनियम-मान में इन दोपों को दबाकर यह नतीजा निकाला कि यह मान दस के लिए बनुपयुक्त है। इसी तरह इस कमीशन में स्टलिंग-विनियम-मान (Sterling Exchange Standard) की जांच की और इसे भी देश के लिए अनुपयुक्त बताया। इस प्रणाली में मुद्रा अधिकारी रूपयों को स्टलिंग के बदले बेचते हैं और स्टलिंग को रूपयों के बदले-खरीदते हैं। परन्तु कमीशन का यह मत था कि इस मान में स्वर्ण विनियम मान के सब दोष विचमान थे। यही नहीं यह प्रणाली इगलेंड की मुद्रा-प्रणाली पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर रहती है। इस प्रकार

की निमंरता यहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती है, इसलिये कमीशन ने इस प्रणाली को भी देश के लिये ठीक भी नहीं बताया था। हिल्टन-यंग कमीशन ने देश के लिए स्वर्ण-मुद्रा-मान (Gold Currency Standard) की भी जांच की और इसमें भी कुछ दोष बताकर इसे भी देश के लिये अस्वीकार कर दिया। कमीशन के अनुसार इसमें दो मुख्य दोष थे—(i) भारत के पास स्वर्ण-मुद्रा-मान के सफल सचालन के लिये पर्याप्त मात्रा में सोना उपलब्ध नहीं था और न इसे इतनी अधिक मात्रा में प्राप्त करना ही सम्भव था तथा (ii) इस मान को अपनाने से भारत में सोने में चाँदी का मूल्य कम हो जायगा जिससे भारतवासियों के पास जो सचित चाँदी है उसका मूल्य रखेन-रखें ही कम हो जायगा। इन दोनों दोषों के बारण स्वर्ण-मुद्रा-मान देश के लिए अस्वीकृत कर दिया गया, परन्तु हिल्टन-यंग कमीशन ने देश के सिये स्वर्ण-पाट-मान (Gold Bullion Standard) की सिफारिश की थी।

हिल्डन-पंग कमीशन ने इंगलैंड के नमूने पर देश में स्वर्ण-पाठ मान (Gold Bullion Standard) की स्थापना की सिफारिश की थी। इस मान पर आधारित जिस मुद्रा प्रणाली की स्थापना के लिये कमीशन ने सिफारिश की थी, उसमें निम्नलिखित मुख्य मुद्र्य बातें होंगी:—सरकार या रिजर्व बैंक के स्थापित हो जाने पर यह बैंक का नवनन एक निश्चित दर पर कम से कम ४०० और (१०६५ तोला) चुंड सोना खरीदे बैचेगा। यह क्रय-विक्रय असीमित मात्रा में हो सकेगा और सोने की विक्री की शर्तें इस प्रकार भी होंगी कि सोने का मुद्रा कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे कार्य में उपयोग नहीं हो सकेगा। (ii) सावरन या अर्ध-सावरन वैधानिक ग्राह्य नहीं रहेगे अर्थात् सोने के सिवको का चलन नहीं होगा। परन्तु रूपया पूर्ण वैधानिक ग्राह्य नहीं रहेगा। (iii) बत्तमान नोट तो रूपयों में परिवर्तनीय रहेगे, परन्तु नये नोट वैधानिक रूप से परिवर्तनीय नहीं होंगे, रिजर्व बैंक का एक मुद्रा सचालन के रूप में यह कर्तव्य होगा कि यह नोटों को विधि ग्राह्य-मुद्रा अथवा छोटे मूल्य के नोटों एवं रूपये के सिवको में बदलने की सुविधा दे। (iv) देश में १ रु० के नोट प्रकाशित होंगे, ये पूर्णतया वैधानिक ग्राह्य होंगे परन्तु ये रूपये के सिवको के परिवर्तनीय नहीं होंगे। इस तरह भारत सरकार द्वारा जो १ रु० के नोट निकाले गये थे, उनका रिजर्व बैंक द्वारा पुनः निर्गम होना चाहिये। रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोट अपरिसित विधि ग्राह्य होंगे और उन पर भारत सरकार द्वारा गारंटी होगी। (v) अब तक स्वर्ण मान निधि तथा पत्र-चलन निधि पृथक्-पृथक् रखी जाती थी। कमीशन ने यह सुभाव दिया कि इन दोनों निधियों को मिला कर एक कर दिया जाय। कमीशन की राय थी कि इस निधि में स्वर्ण एक स्वर्ण प्रतिभूतियाँ ४०% से कम नहीं हो और योप ६०% भारत सरकार द्वारा रूपये प्रतिभूतियों में तथा व्यापारिक विलस में होनी चाहिये। भारत सरकार की रूपया प्रतिभूतियाँ कुल निधि के २५% या ५० करोड़ रूपये इनमें से जो भी कम हो, के वरावर होनी चाहिये। (vi) कमीशन ने देश में निश्चित असुरक्षित नोट निर्गम प्रणाली (Fixed Fiduciary System) के स्थान पर अनुपातिक पद्धति (Proportional Reserve System) अपनाने की सिफारिश की थी।

सर पुर्षोत्तमदास थाकुरदास (Sir Purshottamdas Thakurdass) जो कमीशन के सदस्य थे, उन्होंने कमीशन के इस निर्णय के प्रति विरोध प्रकट किया था वि-देश में स्वर्ण पाट-मान होना चाहिये वरन् उन्होंने देश में एक ऐसे पूर्ण स्वर्ण मान की स्थापना का सुझाव दिया था जिसमें देश में साने वे सिवाई प्रचलन में रहे।

### (क) विनिमय की दर सम्बन्धी सिफारिशें-देश में विनिमय की दर

#### १ शि० ६ पैस प्रति रूपया निर्धारित होनी चाहिये।

हिल्टन यग कमीशन (Hilton Young Commission) ने भारत में विनिमय की दर सम्बन्धी बाद विवाद, जिसे आधिक जगत में अनुपानों का युद्ध (Battle of Ratios) कहा गया है, का भी गहन अध्ययन किया और अन्तत देश में १६ पैस (१ शि० ६ पैस) प्रति रूपया विनिमय दर अपनाने की सिफारिश की थी। मह समरण रहे कि विनिमय दर सम्बन्धी बाद विवाद (यह दर १६ पैस रहे या १८ पैस रहे) का जन्म कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही आरम्भ हो गया और यह द्वितीय महायुद्ध के बाद तक चलता रहा।

#### विनिमय की दर १ शि० ६ पैस के पक्ष-विपक्ष में तर्क-वितर्क

विनिमय की दर १ शि० ६ पैस के पक्ष में तर्क — समय समय पर विनिमय की दर १ शि० ६ पैस निश्चित किये जाने के पक्ष में और १६ पैस दर के विवर्द्ध कई महत्वपूर्ण तर्क दिये गये हैं — (१) भारत की विनिमय दर १६ पैस (१ शि० ६ पैस) एक स्वाभाविक व प्राकृतिक दर थी विवेते दो वर्षों से रूपया इसी दर पर स्थिर था। चूंकि यह दर तमाम ससार की आधिक शक्तियों के समायोजन से निश्चित हुई थी, इसलिये यह ही एक उचित दर थी। (२) देश में मजदूरी मूल्य उत्पादन व्यवस्था तथा तमाम ही अर्थ-व्यवस्थाय १६ पैस की दर पर समायोजित (Adjusted) हो गई थी। यदि इस दर में परिवर्तन कर दिया जाता, तब देश की इस अर्थ व्यवस्था में दुवारा समायोजन की आवश्यकता होती। (३) देश में केन्द्रीय व प्रान्तीय बजट इस दर पर ही कई वर्षों से बनाये जा रहे थे। यदि इस दर में परिवर्तन कर दिया जाता तब इन बजटों में भी उपल पृथक हो जाती और सरकारों को अधिक कर लगाने की आवश्यकता अनुभव हो जाती। (४) तन् १६१७ से १६२५ तक १ शि० ४ पैस की दर असफल रही और इससे देश में मजदूरी और मूल्य-स्तर में समायोजन नहीं हो सका। अत यदि फिर से १६ पैस की दर तम नर दी जाती तब देश की आधिक अवस्थाओं में गडबड पैदा हो जाती। इस दर पर मूल्य स्तर बढ़ जाते जिससे उपभोक्ताओं और मजदूरों को हानि सहनी पड़ती। परिणामत रहन-सहन का अध्य बढ़ जाने के कारण मजदूर भी अधिक मजदूरी की माँग करने लगते। (५) १६ पैस वे समर्थकों का विचार था वि-इस (१६ पैस) दर पर स्वर्ण का मूल्य बढ़ जायगा जिससे सचय कारों के लिय स्वर्ण का असाधारण आयात नहीं हो सकेगा, इसलिय इनका मत था कि दर १६ पैस प्रति रूपया ही निर्धारित होनी चाहिये। परन्तु १८ पैस के समर्थकों का मत है वि-स्वर्ण की आयात पर ऐसे कारणों का प्रभाव पड़ता है कि दर को कम करने से स्वर्ण की आयात पर कोई उपचार नहीं हो सकता।

अतः १८ पैस के समर्थकों ने इस हटि से भी इस दर को ही उचित घोषिया। (vi) १८ पैस दर के समर्थकों का मत था कि १८ पैस दर देश के प्रतिकूल व्यापार-सन्तुलन के समय में नहीं अपनाई जा सकती थी। परन्तु १८ पैस दर के समर्थकों ने कहा कि यदि देश में पर्याप्त रिजर्व है तब १८ पैस दर उत्तमी ही प्रभावोत्पादक (Effective) हो सकती है जितनी कि १८ पैस दर। अतः व्यापार-सन्तुलन की हटि से भी १८ पैस दर ही अधिक उचित घोषिया गई। इन सब तर्कों के आधार पर १८ पैस दर का समर्थन घोषिया गया और हिल्टन-यग कमीशन ने भी इसी दर को अपनाने के लिये सिफारिश की थी।

विनिमय की दर १ शिं ६ पैस के विपक्ष में तर्कः—विनिमय की दर १८ पैस निश्चित किये जाने के विपक्ष में और १८ पैस दर के पक्ष में समय-समय पर दिये गए तर्कः इस प्रकार हैं—(i) सर पुर्खोत्तमदास ठाकुरदास ने कहा था कि १८ पैस की दर पिछले २० वर्षों से प्रचलित थी। इस कारण जब तक इस दर को अपनाना असम्भव नहीं हो जाय, तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये और विनिमय की दर १८ पैस ही निर्धारित होनी चाहिये। (ii) किसी भी देश ने अपनी विनिमय की दर अत्यधिक उत्तरविदील अवस्थाओं तक में प्रथम महायुद्ध से पहले की विनिमय की दर से अधिक करना उचित नहीं समझा था। किर, भारत में तो सन् १९२६ में मूल्य-स्तर सन् १९१४ के मूल्य-स्तर के समान ही थे। अतः यह कहा गया कि भारत की भी युद्ध से पहले की ही दर रखनी चाहिये अर्थात् भारत को भी १८ पैस दर रखनी चाहिये ताकि जनता का मुद्रा-प्रणाली में विश्वास बना रहे। (iii) १८ पैस की विनिमय दर विदेशी उद्योगपतियों के लिये आधिक सहायता का कार्य करेगी। एक अनुमान के अनुसार विदेशी उत्पादकों वो भारतीय उत्पादनकार्ताओं के उत्पादन-व्यय पर अत्यधिक रूप में १२३% लाभ प्राप्त होता रहेगा। परिणामतः भारत ने जो विवेचनात्मक-उद्योग संरक्षण (Discriminating Protection) की नीति हाल ही में अपनाई थी, वह संप्रभावी नहीं रहेगी और प्रतिस्पर्धा के कारण स्वदेश के उद्योग-धन्धे नष्ट हो जायेगे। (iv) १८ पैस की दर पर भारत व दुनिया के अन्य देशों में मूल्यों में समायोजन (Adjustment) नहीं हो सकता। आलोचकों के अनुसार १८ पैस की दर एक कृत्रिम दर थी (क्योंकि इसको स्थिर रखने में सखारी कार्यवाही का हाय रहा है) और इस दर को कार्यान्वित करने के लिये मुद्रा का अत्यधिक सकूचन करना पड़ेगा जिसका मजदूरी तथा उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। (v) १८ पैस दर निश्चित हो जाने पर भारतीय निर्यात व्यवसाय कम हो जायगा जिससे भारतीय उत्पादकों एवं कृषकों को बहुत हानि होगी और द्रिटिश उत्पादकों तथा आयातकर्ताओं वो लाभ होगा। अब तब तो भारतीय निर्यातों का मूल्य उसकी आयातों से अधिक था, परन्तु १८ पैस की दर निश्चित हो जाने पर इस स्थिति में पुरिवर्तन हो जायगा और देश की हानि हो जायेगी। (vi) आलोचकों द्वारा यह मत था कि १८ पैस की दर केवल नौने की निर्यात करके ही स्थिर रखवी जा सकती थी और इस प्रकार देश के स्वर्ण कोणों में भारी कमी हो जाने का भय था।

सर पुर्खोत्तमदास ठाकुरदास (Sir Purshottamdas Thakurdass) जो कमीशन के सदस्य थे, उन्होंने कमीशन की इस सिफारिश के प्रति विरोध प्रबंध किया कि देश

में विनिमय की दर १८ पैसा होनी चाहिये वरन् उनका गुमाव था विं यह दर बैबल १६ पैसा निर्धारित होनी चाहिये ।

### (ग) मुद्रा को नियंत्रित करने वाले अधिकारी से सम्बन्धित सिफारिशों-रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया की स्थापना होनी चाहिए

हिल्टन-यंग वर्मीशन (Hilton Young Commission) ने देश में चलन व बैंकिंग पद्धति के समन्वय (Co-ordination) सम्बन्धी गमस्थाओं वा भी अध्ययन निया और बताया विं सरकार वा बर्तमान मुद्रा नियन्त्रण का बार्यं वापी अखन्तोपजनन है और साल-नियन्त्रण का बार्यं तो इमीरियल बैंक आँफ इण्डिया ही करता है । वर्मीशन ने बताया विं उस समय की मुद्रा व साम्व नियन्त्रण की व्यवस्था ही इस प्रकार की थी विं इसमें इन दोनों का नियन्त्रण पृथक्-पृथक् अधिकारियों द्वारा रिशा जाता था (मुद्रा-नियन्त्रण सरकार द्वारा और साल-नियन्त्रण इमीरियल बैंक द्वारा) जिससे इन दोनों नीतियों में कोई सहयोग व समन्वय (Co-ordination) नहीं रहता था । इन दोनों में सहयोग वे अभाव के बारण विनिमय की दर म स्थिरता लाने के लिए कोई भी उपाय प्रभावोत्पादक नहीं रहने पाता था । इसलिए साम्व व मुद्रा सम्बन्धी नीतियों में सहयोग स्थापित करने एवं इसमें एकता लाने के विचार से ही हिल्टन यम वर्मीशन ने भारतवर्ष में एक बेन्द्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी । उन्होंने इस बेन्द्रीय बैंक वो रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया का नाम दिया था और इसे बेन्द्रीय बैंक के तमाम बार्यं सौंपने का गुमाव रखा था । विदेशी बैंक यह देश में चलन व साम्व पर नियन्त्रण रखेंगा तथा विदेशी विनिमय की दर का प्रबन्ध भी करेगा ।

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास (Sir Purshottamdas Thakurdass) ने वर्मीशन के बेन्द्रीय बैंक की स्थापना सम्बन्धी गुमाव का भी विरोध किया और कहा विं रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया नामक एक नया बेन्द्रीय बैंक स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है बरन् उनके मनानुमार केन्द्रीय बैंकिंग वा कार्यं इण्डीरियर बैंक को ही सोंग देना चाहिए ।

निष्कर्ष — यह स्पष्ट है कि जुनाई सन् १९२६ में प्रमुख वी गई रिपोर्ट ने हिल्टन-यंग वर्मीशन ने तीन मुख्य एवं महत्वपूर्ण सिफारिश दी थीं — (क) भारत म स्वर्ण-पाट-मान (Gold Bullion Standard) वी स्थापना हानी चाहिये, (ख) भारतीय रपये वी विनिमय की दर १ शि० ६ पैसा निर्धारित होनी चाहिय तथा (ग) भारत म रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया नामक एक बेन्द्रीय बैंक स्थापित होना चाहिये । वर्मीशन वी में बहुत की सिफारिशें थीं । ऐस्तु भार पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास (Sir Purshottamdas Thakurdass) जो इस वर्मीशन के सदस्य थे, उन्होंने वर्मीशन की प्रत्येक सिफारिश वा निरोध किया था । उन्होंने बहु या वि देश में स्वर्ण-पाट-मान नहीं बल्कि पूर्ण स्वर्ण-मान स्थापित होना चाहिये जिसमें सोंते के सिवडे प्रचलन में रहने चाहिय, वि देश में विनिमय की दर १८ पैसा वे स्थान पर १६ पैसा ही निर्धारित होनी चाहिये तथा बेन्द्रीय बैंक के तमाम

कार्य इन्वीरियल बैंक को ही सौप देने चाहियें। सरकार ने पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के विचारों पर ध्यान न देकर कमीशन की बहुमत की अधिकाश सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये मार्च १९२७ में भारतीय धारा-सभा ने एक करेन्सी एक्ट (Currency Act) पास किया (यह १ अप्रैल सन् १९२७ से लागू हुआ था)। परिणामतः रुपये की विनिमय की दर १ शिं ६ पैस नियत की गई और सोने के क्रूप-विक्रय का कार्य सरकार को भी दिया गया। सरकार जनता से २१ रु० ३-आने १० पाई प्रति तोला की दर पर सोना खरीद सकती थी परन्तु किसी समय पर सोना ४० तोले से कम नहीं होना चाहिये था। इसी तरह उक्त दर पर सरकार जनता को सोना बेचती थी, परन्तु यह किसी समय पर ४०० बैंस (४०-४० तोले की दस छड़े) से कम नहीं बेचा जा सकता था। सोना बेचने के बदले सरकार की यह भी अधिकार था कि वह विदेशी व्यापार के लिये १ शिं ५-३५ पैस की दर पर विदेशी विनिमय प्रदान कर दे अर्थात् स्वर्ण देना या स्टलिंग देना यह सरकार की इच्छा पर निर्भर था। देश में सावरन तथा अर्धसावरनों का विमुद्रीकरण (Demonetisation) कर दिया गया। इस प्रकार सन् १९२७ के एक द्वारा देश में स्वर्ण-घातु मान स्थापित कर दिया गया। परन्तु देश में रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रश्न तुल्य समय के लिये स्थगित कर दिया गया। यह स्मरण रहे कि चूंकि बास्तव में कमीशन की सिफारिशों के अनुसार जनता को सोना न मिलते हुये, स्वर्ण मिलना या स्टलिंग मिलना सरकार की इच्छा पर निर्भर था, इसलिये यदि हम इसे स्वर्ण-पाट-मान न कहते हुये स्टलिंग-विनिमय-मान कहें तब यह अधिक उपयुक्त होगा। अतः जिस स्टलिंग विनिमय-मान को दोषपूर्ण ठहरा कर कमीशन ने अस्वीकार कर दिया था, उसी का दूसरे शब्दों में प्रत्यस्म्बन किया गया।

### स्टलिंग-विनिमय-मान (सन् १९३१ से सन् १९४७ तक)

सन् १९३१ में स्वर्ण-मान के टूटने के पश्चात् फ़ी भारत में हितिः—सितम्बर सन् १९३१ से सितम्बर १९३६ (युद्ध आरम्भ हुया) के काल में भारतीय मुद्रा की जो व्यवस्था रही, उसकी मुख्य मुख्य बातें इष प्रकार हैं—

### स्टलिंग-विनिमय-मान (Sterling Exchange Standard)

(१) भारत में स्टलिंग विनिमय मान की स्थापना:—एन् १९३१ में इंग्लैण्ड में सर्वप्रथम और तत्पश्चात् अन्य देशों ने स्वर्ण-मान को त्याग दिया (इसके बारण मुद्रा-मान नामक अव्याय में पहिये)। परिणामस्वरूप भारत को भी स्वर्ण पाट-मान (Gold Bullion Standard) त्यागना पड़ा जिससे हितम्बर १९३१ में सन् १९२७ का करेन्सी एक्ट (Currency Act) रद्द कर दिया गया और भारतीय रुपये का सम्बन्ध स्टलिंग से स्थगित वर दिया गया। इस तरह सन् १९३१ में भारत में स्टलिंग-विनिमय-मान (Sterling Exchange Standard) की स्थापना हुई अर्थात् वहाँ कार्यों के लिये सरकार ने नोटों एवं रुपयों को १ शिं ६ पैस की दर पर स्टलिंग में बदलने वी जिमेदारी प्राप्त ठपर ली और आंतरिक वार्षीयों के लिये रुपया पूर्व वी तरह प्रचलित रहा। रुपया पा स्टलिंग से जो गठबन्धन दिया गया, इस सम्बन्ध में घृत वाद-विवाद रहा है:—जो व्यक्ति इस मठबन्धन के पक्ष में थे, उन्होंने इसके तीन मुख्य लाभ बताये—

(१) यदि रुपये को स्वतन्त्र छोट दिया जाता थथा इमारा स्टलिंग से गठबन्धन नहीं किया जाता, तर विनियम दर में बहुत घट घढ हो जाती जिससे विदेशी व्यापार को बहुत ह नि हो जाने का भय रहता । अत विनियम दर में स्थिरता की हटिं से रुपये को स्टलिंग से जोड़ने में ही फायदा था । (२) इगलैंड में स्वर्ण मान टूट जाने से, स्टलिंग का स्वर्ण बाने देशों की मुद्राओं के सम्बन्ध में, अवमूल्यन होगा जिससे भारत के विदेशी व्यापार को बहुत लाम पहुँचेगा तथा (३) भारत का अधिकांश व्यापार इगलैंड से है और भारत को इगलैंड को प्रतिवर्य गुह व्यय (Home Charges) भी बहुत बड़ी मात्रा में देने पड़ते हैं । इस हटिं से भी रुपये का स्टलिंग से सम्बन्ध जोड़ना लाभप्रद होगा । परन्तु कुछ दृष्टिं इस गठबन्धन के दिवद भी ऐ और उन्होंने अपने भत के समर्थन में घार तक रखे (१) रुपये का स्टलिंग से गठबन्धन करने से भारत का आर्थिक माय सदा के लिए इगलैंड के भाग्य से बद जायगा और इस तरह भारत इगलैंड की राजनीतिक गुलामी के साथ ही साथ आर्थिक गुलामी में भी जड़दा जायगा । परिणामत रुपये का स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हो जायगा और स्टलिंग के मूल्य के परिवर्तनों के साथ ही साथ रुपये के मूल्य में भी परिवर्तन हो जायगा । (२) स्वर्ण मान बाले देशों से होने वाली आयात पहले से अधिक मूल्यवान हो जायगी क्योंकि रुपये १६३१ में स्टलिंग का ३०% अवमूल्यन ही गया था । (३) रुपये का स्टलिंग से सम्बन्ध स्थापित हो जाने से रुपये का स्वर्ण भूल्य कम हो जायगा जिससे भारत से स्वर्ण का असाधारण निर्यात होने लगेगा और वास्तव में ऐसा हुआ भी तथा (४) उत्त गठबन्धन द्विलृप्त्या कमीशन की सिफारिशों के पूर्ण विलाक था क्योंकि कमीशन रुपये को विसी एक देश की मुद्रा से सावधान बरने के विषय में था ।

### स्वर्ण निर्यात (Gold Export)

(२) सितम्बर सन् १६३१ और जनवरी सन् १६४० के बीच में भारत से स्वर्ण का अत्यधिक निर्यात हुआ — सन् १६३१ से पहल भारत में स्वर्ण का बहुत बड़ी मात्रा में आयात विया जाता था, परन्तु सन् १६३१ के बाद में देश से स्वर्ण का बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होने लगा । एक अनुमान के अनुसार १६३१-४० के नो वर्षे के काल में भारत से ४१७.८ लाख औंस सोना विभिन्न मूल्यों पर देश से बाहर गया और इसका कुल मूल्य ३६२.४५ करोड़ रुपया था । स्वर्ण निर्यात पर प्रतिशत्य के बल द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने के बाद ही लगाये गये थे । इसके बाद वारण थे — (१) सन् १६३१ के अधिक सकट एवं मन्दी (Depression) के कारण कृपि पदार्थों का मूल्य शर्न दर्ने बहुत कम हो गया था जिससे कृपि-वर्ग और आर्थिक सरकट में फस गया और उसे इस सरकट काल में ग्रने सचित घर को व्यय बरना पड़ा । कृपि के प्राप्त उसका सचित घन स्वर्ण के रूप में ही था, इसलिये कृपि कर्ग को सोना बचना पड़ा । (२) रुपये की स्टलिंग से १ रुपये ६ पैस पर दमन्यित भर देने से देशवासियों को स्वर्ण के निर्यात में लाम प्रतीत होने लगा जिससे सन् १६३१ के बाद देश के स्वर्ण की अत्यधिक निर्यात हुई । जब देश से स्वर्ण की निर्यात इतनी अधिक मात्रा में होने लगी, तब सरकार को यह राय

दी गई कि या तो वह स्वर्ण प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण को खरीद ले या रिजर्व बैंक को इसे खरीदने का कार्य से ताकि देश की स्वर्ण निधि हड़ हो जाय, परन्तु सरकार इन मुश्ताओं के विरुद्ध उदासीन रही और शब्द: शब्द: स्वर्ण का देश से भाषिक निर्यात हो गया। सरकार ने अपनी नीति का समर्पण कर्त्तव्यों के आधार पर किया जिनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं:—(i) स्वर्ण नियाति पर प्रतिवन्ध लगा देने से कृपकों को विदेशकर बहुत कष्ट रहना पड़ता, परन्तु स्वर्ण की विक्री से कृपक भपने संकट के दिनों का मुकाबला कर सके। (ii) स्वर्ण को बेच-बेच कर मनुष्य अपने रूपयों को व्यापार-उद्योग में लगाने लगे जिससे देश का ग्राहिक विकास सम्भव हो सका। (iii) सरकार ने स्वर्ण को स्वर्ण खरीदना इसलिये नहीं चाहा व्योकि इसका वैधानिक मूल्य तो २१ रुपये ३ आने १० पाई या बाजार में इसका मूल्य बराबर बढ़ रहा था। इन दोनों मूल्यों में अन्तर हो जाने के कारण सरकार स्वर्ण को खरीदकर इसमें सट्टा नहीं करना चाहती थी। (iv) देश से जितना अधिक स्वर्ण बाहर गया, स्टॉलिंग की पूति उतनी ही अधिक हो गई जिससे देश अपने स्टॉलिंग दायित्वों का आसानी से भुगतान कर सकता था। (v) स्वर्ण के नियाति से भारतीय विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में बहुत खरीद सके जिससे हमारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पहले से बहुत दूर हो गया। (vi) सरकार ने यह भी कहा कि देश से स्वर्ण का नियाति इस कारण हो रहा था व्योकि देश में सोना बहुत था और देशवासी इसे भविक मूल्य पर बेचकर साम प्राप्त करने के सालच से बेच रहे थे। परन्तु उक्त के विपरीत, कुछ अधिकारी ने स्वर्ण के नियाति का बहुत विरोध किया और इसके कई कारण थाएँ—  
(i) स्वर्ण का नियाति से देश के स्वर्ण-साधनों का लाभहीन प्रयोग हुआ, इसलिए स्वर्ण का नियाति नहीं होना चाहिये था। (ii) पीढ़ियों से संचित किया हुआ स्वर्ण देश के बाहर चला गया जिससे भारत को स्वर्ण-मान अपनाना असम्भव हो गया। (iii) जबकि संसार के अधिकांश देश स्वर्ण की मायात करके अपने स्वर्ण साधनों को हड्ड बना रहे थे, ऐसे समय में भारत स्वर्ण का नियात करके अपने स्वर्ण-साधनों की कमज़ोर कर रहा था।

### चांदी-नियात (Silver Export)

(३) सन् १९३१ से सन् १९३६ के बीच में भारत से चांदी का भी अत्यधिक नियात हुआ—स्वर्ण की नियात के साथ ही साथ भारत सरकार ने भी चांदी का नियात बहुत बड़ी मात्रा में किया था। चांदी के नियात के भी चार मुख्य कारण थे:—(i) विदेशी में भारत की अपेक्षा चांदी का मूल्य बहुत ऊँचा था जिससे चांदी का नियात हुआ। (ii) हिल्टन-व्यंग कमीशन की विफारियों के अनुसार भारत सरकार ने मोटी की रूपयों में बदलने का दायित्व हटा लिया था जिससे भारत सरकार को चांदी-निधि की अवक्षेपण कर दिया था और ३१ मार्च सन् १९३४ तक सम्मग २ करोड़ और स चांदी बाहर भेज दी। (iii) जुलाई सन् १९३३ में एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ जिसके अनुसार अपेक्षिका, पनाड़ा, रिविसको सेथा बारंट्रेलिया व पीए भी सरकारों ने प्रतिवर्ष ३५ करोड़ और स चांदी खरीदने का नियंत्रण किया। परिणामतः चांदी की मात्रा घट जाने से

इसका मूल्य भी बढ़ा और भारत से चादी के नियंत्रित की ग्रोत्साहन मिला। (iv) सन् १९३५ में अमेरिका ने अत्यधिक मात्रा में चादी खरीदना आरम्भ किया जिससे चादी का मूल्य बढ़ते-बढ़ते ३६८ पैसे प्रति औंच हो गया। इतनी अधिक मूल्य वृद्धि से भारत में चादी का नियंत्रित और भी अधिक प्रोत्साहित हुआ। परन्तु शोध ही स्थिति में परिवर्तन हो गया और चांदी का मूल्य कम होना आरम्भ हो गया। जब चादी का मूल्य बहुत बढ़ गया, तब चीन ने सन् १९३४ में चादी मान को त्याग दिया। चीन द्वारा रेजत मात्र का परिस्ताया हो जाने के कारण अमेरिका ने भी अपनी अनाप दानाप चादी खरीदने की नीति में परिवर्तन कर दिया। परिणामतः चादी का मूल्य गिरना आरम्भ हो गया और सन् १९३६ में इसका मूल्य १६ पैसे और २२ पैसे प्रति औंच के बीच में ही रहा। स्मरण रहे कि चादी के मूल्य में इतनी अधिक कमी हो जाने पर भी भारत से चादी का नियंत्रित बराबर होता ही रहा। चादी के अत्यधिक नियंत्रित के कारण ही भारत सरकार को द्वितीय महायुद्ध काल में चादी का अभाव घनुभव हुआ और वह मुद्रा-टक्कन के लिए चादी खरीदने को बाध्य हुई।

### रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना

(४) सन् १९३५ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई—हिल्टन-यंग कमीशन की सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण सिफारिश भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना भी थी। परन्तु सन् १९२७ में केन्द्रीय बैंक की स्थापना का इसन स्थगित कर दिया गया था। सन् १९३१ में केन्द्रीय बैंकिंग इनक्वाइरी कमेटी (Central Banking Enquiry Committee) ने इस बैंक की स्थापना पर बहुत जोर दिया। परिणामतः यह सन् १९३४ को रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए एक एवट पास हुआ और इस एवट के अनुसार १ अप्रैल १९३५ को रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई। इस बैंक की स्थापना से भारतीय मुद्रा-प्रणाली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए—(i) इस बैंक की नोटों के निर्गम का एक मात्र एकाधिकार दिया गया। (ii) बैंक की स्थापना से पहली बार नोट-निर्गम का कार्य तथा साक्ष नियन्त्रण का कार्य एक ही संस्था को सौंपा गया। इस बैंक के पास ही अन्य बैंकों के कोष भी जमा रहे। (iii) पत्र-मुद्रा-कोष स्वर्ण-मान कोष तथा बैंक का कोष इन तीनों कोषों को एक जगह मिला दिया गया तथा (iv) विनिमय की दर को १ चिठ्ठ ६ पैसे पर स्थायी रूपने का दायित्व रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को दिया गया। यह स्वरूप के कार्य-विक्रिय द्वारा विनिमय दर के उच्चावचन (Fluctuation) को १७ त्रै२ पैसे तथा १८ त्रै६ पैसे की मर्यादा में रखता है।

वया भारतीय चलन पद्धति का विकास हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के अनुसार हुआ है? (Has the Indian Currency System developed along the lines laid by the Hilton-Young Commission?)—इसी प्रधायाय के आरम्भ में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों और उन्हें बहुत तक सरकार ने स्वीकृत किया था, इस सुधार में विस्तार से लिखा गया है। इस अध्ययन से पहले स्पष्ट है कि भारत सरकार ने कमीशन की सभी सिफारिशों को मान लिया (केन्द्रीय बैंक की स्थापना की विकारिश बाद में बल्कि मान ली थी) और उन्हें कार्यान्वित करने का भरपूर प्रयत्न

भी किया था। सरकार ने विनिमय की दर १ शिं ६ पैसे निश्चित की और इसे बनाये रखने के परिणामस्वरूप ही देश का सोना व चांदी भी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों को भेज दिया। सन् १९३५ में रिजर्व बैंक की स्थापना करके मुद्रा व साख नियन्त्रण का कार्य एक ही संस्था को सौंप दिया और इसे ही विनिमय की दर में स्थिरता कायम रखने की जिम्मेदारी सौंपी। एक तरह से कम से कम सैद्धान्तिक हाईट से देश में स्वर्ण पाट-मान की भी स्थापना कर दी। अतः हम कह सकते हैं कि सरकार ने हिल्टन-यंग कमीशन की तमाम सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया था।

परन्तु आलोचकों का मत है कि इतना सब कृष्ण होने पर भी हिल्टन-यंग कमीशन की सिफारिशों का वास्तविक उद्देश्य पूरा न हो सका। कमीशन ने जिस समय भारत में स्वर्ण-पाट-मान (Gold Bullion Standard) की स्थापना की सिफारिश की थी, उस समय उसका वास्तविक उद्देश्य रूपये और स्वर्ण के बीच स्पष्ट और प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना था। परन्तु सरकार ने केवल सैद्धान्तिक रूप में ही स्वर्ण-पाट-मान की स्थापना की थी और वास्तव में रूपये का स्वर्ण से सम्बन्ध प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप में स्थापित किया था। विदेशों में रूपये को केवल स्टॉलिंग के माध्यम द्वारा ही जाना जाता था और वास्तव में रूपये का स्टॉलिंग से ही गठबन्धन या व्योक्ति जब कभी स्वर्ण में स्टॉलिंग का मूल्य-हास होता था, तब भी रूपये और स्टॉलिंग की विनिमय दर सरकारी हस्तक्षेप द्वारा स्थिर रखती जाती थी। इस प्रकार की स्थिति सन् १९२७ से सन् १९३१ तक रही और सन् १९३१ में तो वास्तव में प्रत्यक्ष रूप में ही भारत में स्टॉलिंग विनिमय-मान (Sterling Exchange Standard) की स्थापना कर दी गई थी। अतः आलोचकों का मत है कि यद्यपि हिल्टन-यंग कमीशन ने भारत में वास्तव में स्वर्ण-पाट-मान की स्थापना की सिफारिश की थी, परन्तु सरकार ने जिस मान को सन् १९२७ के करेंसी एकट में स्वर्ण-पाट मान का नाम दिया था, यह वास्तव में स्टॉलिंग-विनिमय-मान ही था और यह सच मी है कि भारत में स्वर्ण-पाट-मान भी स्थापित नहीं हुआ था। अतः इस हाईट से हिल्टन-यंग कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय चलन पद्धति का विकास नहीं हुआ।

हिल्टन यग कमीशन ने रूपये की विनिमय दर १ शिं ६ पैसे स्थापित करने की सिफारिश अवश्य की थी और सरकार ने इसे मान भी लिया था, परन्तु कमीशन का यह मत कभी नहीं था कि स्टॉलिंग के मूल्य-हास की दशा में भी रूपये और स्टॉलिंग की विनिमय की दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वास्तव में, कमीशन ने उस समय की परिस्थितियों के अनुसार केवल यह सिफारिश की थी कि रूपये का स्वर्ण से प्रत्यक्ष और स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए। परन्तु उसने यह कभी भी नहीं कहा था कि रूपये व स्टॉलिंग की विनिमय की दर में कभी भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर कमीशन को यह क्या पता था कि चार वर्ष बाद ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जायेंगी कि इंग्लैंड को तदा संसार के अधिकांश देशों को स्वर्ण मान को स्थापना पड़ेगा। अतः सरकार ने रूपये-स्टॉलिंग की दर को जिन उपायों का प्रयोग करके

स्थिर रखा था, उनका सुभाव कमीशन ने कहीं भी नहीं दिया था। इसलिये इस विषय से भी यह कहा जा सकता है कि भारतीय चलन पद्धति का विकास हिल्टन यग कमीशन की सिफारिशों के अनुसार नहीं हुआ है।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B A & B Sc

१ १९२७-१९३६ के बीच की भारतीय मुद्रा व्यवस्था की प्रमुख विदेशीओं का वर्णन करो। (१६६०)।

Jabalpur University, B Com

१ नोट लिखिये-१९२७ का करेंसी अधिनियम (The Currency Act 1927) (१६२८)। २ सब १९३५ में रुपये को स्टर्लिंग से सम्बंधित कर्यों किया गया था? इसके परिणाम क्या हुए? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में भारत की सदस्यता से रुपये और स्टर्लिंग के सम्बन्ध कहीं तक प्रभावित रहे हैं? (१६५८)।

Vikram University, B Com

1 Give the main recommendations of the Hilton-Young Currency Commission How far were they implemented by the Govt of India? (1959)

Gorakhpur University B Com

1 Discuss the main recommendations of the Hilton Young Currency Commission How far were these recommendations implemented by the Govt? Explain (Pt I 1959)

Nagpur University, B A

१. किन कारणों के आधार पर हिल्टन यग कमीशन ने रुपये के एक प्रैस अनुपात की सिफारिश की? (१६५६)। २ भारत में स्टर्लिंग विनियम प्रभाव (Sterling Exchange Standard) के प्रचलन को समझाइये। (१६५८)। ३ सब १९२६ में हिल्टन-यग कमीशन ने रुपये का विनियम मूल्य १ शिं ६ प० निर्धारित करने के समयमें जो दलीलें (Arguments) रखी थीं वे लिखिये और उन पर टिप्पणी कीजिये। (१६१७)।

### अध्याय ३

## भारतीय चलन का इतिहास—३

(सन् १९३६ से सन् १९६० तक)

द्वितीय महायुद्ध और भारतीय मुद्रा

(Second World War and The Indian Currency)

सन् १९३९ में भारतीय मुद्रा—एक संक्षिप्त अध्ययन (A brief study of the Indian Currency in 1939)—जब ३ अक्टूबर सन् १९३९ को द्वितीय महायुद्ध की

धोपणा हुई उस समय भारत में स्टर्लिंग-विनिमय-मान (Sterling Exchange Standard) था। आन्तरिक मुद्रा में चांदी का रूपया, अठनी (१२५ गुणता की) और नोट अपरिमित वैधानिक प्राप्ति थे और चबनी, दुश्मनी, इकानी तथा ताबे के पंसे सीमित रूप में १ रुपये के वैधानिक प्राप्ति थे। इस तरह रूपये देश की प्रामाणिक मुद्रा थी। विदेशी विनिमय के लिये रिजवं बैंक ऑफ इंडिया १ रूपये के बदले में १ शिं ६ रुपये पेस स्तरीदारे और १ शिं ५ रुपये पेस बेचने के लिये बाध्य था। अतः युद्ध से पहले हमारी बाहु व आन्तरिक मुद्रा-प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य कर रही थी। चूंकि भारत परतन्त्र था और यह विट्ठि साम्राज्य का अंग था, इसलिये भारत को भी मिश्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लेना पड़ा। यह स्मरण रहे कि रूपये का भी कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं था। परिणामतः हमारी चलन-पद्धति एवं विनिमय-पद्धति पर युद्ध के घोर प्रभाव पड़े, देश की ग्रन्थ-जपवस्था कुछ अस्त-व्यस्त-सी होने लगी और मुद्रा-प्रणाली टूटते-टूटते बच गई। सरकार ने युद्धकाल में समय-समय पर कितने ही ऐसे उपाय अपनाये जिनके कारण चलन-पद्धति ने बदली हुई परिस्थितियों से शोध ही अपना समयोजन (Adjustment) कर लिया। परन्तु द्वितीय महायुद्ध ने कितनी ही नई समस्याओं को जन्म दिया जिनमें से मुद्रा का अस्त्यधिक प्रसार (और इसके कारण मूल्य-वृद्धि), विनिमय नियन्त्रण तथा युद्ध-कालीन स्टर्लिंग ऋणों में वृद्धि आदि मूल्य-मुख्य हैं।

### द्वितीय महायुद्ध में भारतीय मुद्रा प्रणाली

युद्ध का मुद्रा पर प्रभाव (Effects of War on Currency)—द्वितीय महायुद्ध के भारतीय मुद्रा पर विशेष प्रभाव पड़े जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं—(i) नोटों को परिवर्तित करने की मांग, (ii) रूपये का नियन्त्रित वितरण, (iii) एक रूपये और दो रूपये के नोटों का प्रकाशन, (iv) कम चांदी की चबनी, अठनी व रूपये का टकन, (v) पुराने सिवर्कों का प्रचलन बन्द करना, (vi) नई रेजगारी का टकन तथा (vii) चलन व साख-मुद्रा का प्रसार।

(१) नोटों को परिवर्तित करने की दौड़—युद्ध के प्रारम्भ होते ही इसका तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि जनता का देश की मुद्रा-प्रणाली में विश्वास कम हो गया। परिणामतः देशवासियों ने डाकखानों में से अपने सेविंग्स बैंक्स (Savings Banks) के खातों में से एषा बैंकों में से वर्पने जमा खातों में से रूपया निकालना आरम्भ कर दिया। यही नहीं, विनियोगकर्ताओं ने जो कुछ रकम सरकारी प्रतिभूतियों (Securities) तथा डाकखानों के सर्टिफिकेट (Certificates) में लगा रखती थी, उसे भी वापिस लेना आरम्भ कर दिया। जब जनता को डाकखानों से तथा बैंकों से नियमानुसार मन-चाही मात्रा में अपनी रकम वापिस मिलने लगी तथा सरकार ने यह घोषित कर दिया कि युद्ध-काल में वैयक्तिक संपत्ति पर सरकारी अधिकार स्पष्टित करने की चर्चा तथ्य रहित है, तब शनैः शनैः जनता का मुद्रा-प्रणाली में विश्वास फिर से हो गया और न डाकखानों एवं बैंकों से रूपये निकालने की प्रवृत्ति ही बन्द हो गई बरन् जो कुछ रकम निकाल भी ली गई थी उसे फिर दुश्मारा उन्हीं में जमा की जाने लगी। मुद्रा-प्रणाली में अविश्वास का ही परिणाम पह भी हुआ कि रूपये के सिवर्कों में प्रचलन से निकलने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई और

फ्रांस के पतन के पश्चात् मई व जून सन् १९४० में नोटों को रपये के सिवको में बदलने की माँग बहुत बढ़ गई और रिजर्व बैंक को भी जनता वो इस माँग को पूरा करना पड़ा अपेक्षित ऐसा करने का उस पर वैधानिक दायित्व था। मई सन् १९४० से पहले नोटों को रपये के सिवको में परिवर्तित करने की माँग सामान्यतया १ करोड़ रुपया प्रति सप्ताह से कम ही रहती थी, परन्तु मई सन् १९४० तक यह माँग एकदम बढ़कर ४५५ करोड़ रुपया प्रति सप्ताह तक पहुँच गई। इसका परिणाम यह हुआ कि रिजर्व बैंक के चलन-विभाग (Issue Department) में ७५-४७ करोड़ के रुपयों (रुपयों का कोप) की जगह जो युद्ध के आरम्भ से थ, ५ जुलाई सन् १९४० को केवल ३२ करोड़ के रुपये रह गये। भारताय टक्सालो के लिए रुपयों को इतनी तेजी से ढालना असम्भव था जितनी तेजी से कि वे चलन से निकालकर भूमिगत (Hoarding) हो रहे थे। जनता द्वारा इन रुपये के सिवकों को न केवल सचित-कांडों (Hoards) में रखा जा रहा था बरन् वे इनको गला भी रहे थे। परिणामत देश में रुपये के सिवकों का बहुत अभाव हो गया।

(२) रुपये के सिवकों का नियन्त्रित वितरण — ऊपर गहर स्पष्ट किया जा चुका है कि युद्ध के आरम्भ होते ही देश में रुपये के सिवकों का बहुत अभाव हो गया था अपेक्षित या तो में गलाये जा रहे थे या इन भूमिगत (Hoarding) कर दिया गया था। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में चांदी होने पर भी वह इतनी तेजी से सिवकों को ढालना नहीं सकती थी कि इनकी पूर्ति इनकी माँग के बराबर हो जाय। परिणामत सरकार ने १५ जून सन् १९४० को रुपये के नियन्त्रित वितरण की एक योजना आरम्भ की और इसके अनुसार घोषणा कर दी कि रुपये के सिवकों को व्यक्तिगत व व्यवसायिक आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में लेना या सब्ज़ी एवं जमा करना दण्डनीय है। परन्तु व्यक्तिगत व व्यवसायिक आवश्यकताओं के बाहर ही है, इसका नियंत्रण रिजर्व बैंक वे हाथ में रहेगा। यह स्वाभाविक ही है कि एसी घोषणा वे पश्चात् नोटों के बदले रुपये के सिवकों की माँग बहुत कम हो गई, परन्तु रुपये के सिवकों की कमी के कारण नोट कुछ स्थानों पर बटृ (At a discount) पर विकले जाते हैं। यह स्मरण रहे कि इस समय चलन में न केवल एक रुपये के चांदी के सिवकों की ही कमी अनुभव हुई बरन् छाटे-झोटे सिवकों (खरीज या रेजगारी) का भी बहुत अभाव अनुभव किया गया।

(३) एक रुपये और दो रुपये के नोटों का प्रकाशन — रुपये की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने २५ जून सन् १९४० को एक रुपए के नोट छापने आरम्भ किए। ये अपरिहित विधि शाह्य हैं और इन्हें १ रुपये के सिवकों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसी दृष्टि से फरवरी सन् १९४३ में दो रुपये के नोटों का प्रकाशन आरम्भ किया गया।

(४) एक चांदी की चबन्नों, थट्ठनों व रुपये के सिवकों का टक्कन — रुपए के सिवकों की बढ़ती हुई माँग के कारण सरकार को इनके टक्कन के लिये भी चांदी की अपिकाधिक मात्रा में आवश्यकता अनुभव हुई। एक स्थिति ऐसी था गई है जबकि सरकार को अपने पास चांदी का अभाव सगाने लगा। सरकार ने चांदी के उपयोग में बचत एवं और तो एक रुपए के नोटों का प्रकाशन बरके वो थी और

दूसरी ओर सभी चांदी के सिवकों की प्रामाणिक शुद्धता (Fineness) में कमी करके की थी। सन् १९४० में भारतीय टंकन-एकट (Indian Coinage Act) खं सुशोधन करके सरकार ने चवझी, अठपी हपए की शुद्धता (Fineness) दैरे से घटाकर दैरे कर दी। उिकों में शुद्धता की कमी इस कारण से की गई थी ताकि सरकार उपलब्ध चांदी के स्टॉकों से अधिक मात्रा में सिवकों का टंकन कर सके।

(५) पुराने तिकों का प्रचलन बन्द करना:—चांदी के उपयोग में बचत करने की उक्त नीति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने पुराने सिवकों का चलन बन्द कर दिया। ११ अक्टूबर १९४० के सरकारी आदेशानुसार महारानी विक्टोरिया (Queen Victoria) के छापे के हपयों और अठनियों का विमुद्दीकरण (Demonetisation) कर दिया गया और यह घोषित कर दिया गया कि ११ मार्च सन् १९४१ के बाद ये अविधि-ग्राह्य होने वाले। इसी तरह ८ दिसम्बर सन् १९४१ की एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार एडवर्ड स्प्टम् (King Edward VII) के छापे वाले हपये व अठनियों १ जून सन् १९४२ से अवैधानिक घोषित कर दी गई। १ नवम्बर सन् १९४३ से जार्ज पचम (King George V) तथा जार्ज एल्फ्रेड (King George VI) के वे हपये व अठनियाँ भी बन्द कर दी गईं जिनकी शुद्धता दैरे थी। इसके स्थान पर जार्ज एल्फ्रेड के वे नये हपये प्रचलन में लाये गये जिनमें भी भाग चाढ़ी थी। इस प्रकार सन् १९४३ से सन् १९४६ तक कुल ५६८०२६ करोड़ हपये चलन से निकाल दिए गए और नए हपये व पञ्च-मुद्रायें चलन में आईं। अतः यह स्पष्ट है कि युद्ध के प्रारम्भ होते ही जो मुद्रायों की कमी परिवर्तन के कारण अनुभव होने लगी थी, वह समय-समय पर आवश्यक आदेशानुसार पूरी की गई।

(६) नई रेजगारी का टंकन:—सन् १९४२-४३ में रेजगारी (छोटी अंतीक मुद्रा) की भारी कमी अनुभव होने लगी। जनता द्वारा तिवि के पैसे या तो गलाए जाने लगे या भूमिगत (Hoarding) किए जाने लगे। रेजगारी की कमी को दूर करने के लिए बड़े-बड़े शहरों में डाकखाने के ठिकांडों का खरीज के रूप में उपयोग होने लगा। परिणामतः रेजगारी की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक तरफ तो रेजगारी का अनावश्यक सवय दंडित घोषित कर दिया और दूसरी ओर अधिकाधिक मात्रा में खरीज की पूर्ति करने की व्यवस्था की। छोटे सिवकों की बढ़ाई के लिये लाहौर में एक नई टकसाल भी स्थापित की गई। जनवरी सन् १९४२ से गिलट का अध्यन्त्रा चालू किया गया। इहनीं और दुअन्ती में गिलट की मात्रा बढ़ा दी गई। सन् १९४३ में ऐर वाला पैला निकाला गया जिसका बजन कम है तथा जिसके दीच में एक ऐर भी है। दुर्भाग्य से इस नये पैसे का उपयोग वाशर (Washer) के रूप में किया जाने के कारण, सरकार ने इसका चलन घोष दी बन्द कर दिया। सरकार ने अपनी बम्बई व कलकत्ते की टंकशालाओं से भी रेजगारी का टंकन भारम्भ किया था। जनता की रेजगारी की भ्रत्यधिक बड़ी हुई मात्रा की पूर्ति करने के हेतु, सरकार ने इनका टंकन दूती तेजी से करना भारम्भ कर दिया कि सन् १९४४ में ऐसे उिकों का उत्पादन २१ करोड़ ६० लाख प्रति मास तक पहुँच गया। परिणामतः देश में रेजगारी की कमी

धीरे-धीरे दूर हो गई।

(७) चलन तथा साख-मुद्रा का प्रसार—युद्ध का भारतीय चलन पर एक महत्व-पूर्ण प्रभाव यह भी पड़ा कि चलन व साख-मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई आर इसके परिणाम स्वरूप देश में मूल्यों में वृद्धि हो गई। युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति के अलावा कारण थे, जैसे भारत सरकार द्वारा इग्नेंड तथा अन्य मिन राष्ट्रों के लिए माल खरीदना और इसका मुगाताम परने के लिए स्टॉलिंग प्रतिभूतियों के आधार पर नोट-नियंत्रण करना, भारत सरकार के रक्षा-ध्यय में वृद्धि आदि (इस सम्बन्ध में 'मुद्रा-स्फीति' नामक अध्याय में विस्तार से लिखा गया है)। मुद्रा व चलन में विस्तार का अनुमान इस बात से लग सकता है कि जबकि अगस्त सन् १९३६ में पञ्च-मुद्रा की कुल मात्रा १७६ करोड़ रुपया थी, तब १६ अक्टूबर १९४५ को यह सह्या बढ़कर ११५६८५ करोड़ रुपए हो गई अर्थात् इसमें ६७७७२२५ करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। इस युद्ध-कालीन चलन की कुल वृद्धि में ८२.५% पञ्च-मुद्रा में वृद्धि ११.६% रुपए के सिवर्कों की वृद्धि तथा ५.६% छोटे सिवर्कों की मात्रा में वृद्धि हुई। इसी काल में साख-मुद्रा भी १२६ करोड़ रुपये से बढ़कर ४४४ करोड़ रुपए हो गई। इस अत्यधिक मात्रा में मुद्रा प्रसार का परिणाम यह हुआ कि देश में मूल्य-स्तर में बहुत वृद्धि हो गई है और १९३६ के माध्यार वर्ष पर बनाया गया नियन्त्रण १९४५ में बढ़कर २५० हो गया (अनियन्त्रित व चोर-बाजार के मूल्यों के माध्यार पर बनाया गया नियन्त्रण लगभग ४०० या)।

### द्वितीय महायुद्ध काल में भारत की विदेशी विनियम दर पर नियन्त्रण

युद्ध का विदेशी विनियम पर प्रभाव (Effects of War on Foreign Exchange):—द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होते ही सन् १९३९ में इंगलैंड की तरह भारत सरकार ने भी भारत सुरक्षा-विधान (Defence of India Act) के अनुगंत विदेशी विनियम के सब प्रकार के व्यवहारों (सिवर्कों, घातुओं, प्रतिभूतियों तथा विदेशी विनियम सम्बन्धी व्यवसायों) के नियन्त्रण व इसके शासन का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को सौंप दिया। परिणाम-स्वरूप रिजर्व बैंक में 'विनियम-नियन्त्रण विभाग' नामक एक नया विभाग लोला गया और इस विभाग को ही विनियम नियन्त्रण सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही सौंपी गई। अत सरकार ने यह घोषणा की कि समस्त स्वदेशी विनियम के लेन-देन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के नये विनियम-नियन्त्रण विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एव संस्थाओं द्वारा ही होने चाहिये। इस उद्देश्य से बैंक ने कुछ भारतीय समिलित पैंजी वाले वेकों तथा विदेशी विनियम बैंकों को लाइसेंस (Licenses) प्रदान कर दिये। यह स्मरण रहे कि विनियम नियन्त्रण के कार्य के लिये समस्त इंटिंश साझाज्य को एक मुद्रा इकाई में संगठित किया गया जिसे हम स्टॉलिंग क्षेत्र (Sterling Area) कहते हैं। विनियम नियन्त्रण की एक सामान्य नीति यह थी कि स्टॉलिंग क्षेत्र की मुद्राओं का व्यय-विक्रय तथा इस क्षेत्र के देशों में कोणों का हस्तातरण से स्वतन्त्रतापूर्वक किया जा सकता था, परन्तु स्टॉलिंग-क्षेत्र से बाहर

के देशों की मुद्रा के क्रय-विक्रय को वास्तविक व्यापारिक आवश्यकताओं, यात्रा-व्ययों तथा ग्रल्प-मात्रा में व्यक्तिगत रूप से बाहर घन भेजने तक ही सीमित रखा जाता था (यह स्मरण रहे कि युद्ध के आगे बढ़ने पर स्टॉलिंग क्षेत्र तक से वस्तुओं की आयात-नियंत्रित पर शनैः शनैः प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे)। ब्रिटिश साम्राज्य के देशों की मुद्राओं का क्रय-विक्रय किवल अधिकृत बैंकों द्वारा ही किया जा सकता था ताकि इन मुद्राओं का क्रय-विक्रय भी नियन्त्रण में रह सके। भारतीय विनियम-नियन्त्रण अधिकारियों ने विनियम दर इस प्रकार नियन्त्रित की कि एप्रे तथा स्टॉलिंग की विनियम-दर १८ पैस पर स्थिर रखी जाय। रिजर्व बैंक द्वारा विनियम नियन्त्रण नीति का मुख्य उद्देश्य देश से पूँजी के नियंत्रित पर तथा विनियम-दरों के सहै पर रोक लगाना था। विनियम-नियन्त्रण के दो ही मुख्य रूप रहे हैं—(i) आयात-नियन्त्रण तथा (ii) नियंत्रित-नियन्त्रण।

(१) आयात-नियन्त्रण—युद्ध से पहले सो बैंकों को विदेशी विनियम के बेचने में काफी स्वतन्त्रता पी, परन्तु युद्ध भारती ही जाने के बाद बैंकों की उक्त स्वतन्त्रता एवं अधिकार को कम कर दिया गया और जैसे-जैसे युद्ध आगे को बढ़ता गया बैंकों के अधिकारों में भी बराबर कमी की गई। शनैः शनैः एक ऐसी स्थिति आ गई जिसमें बैंकप्रबंध बैंक आँक इण्डिया से भाजा प्राप्त करके ही कुछ लाईसेंस प्राप्त आयातों व कुछ व्यक्तिगत भुगतानों (Remittances) के लिये ही विदेशी विनियम बेच सकते थे। इनका परिणाम यह हुआ कि देश की आयातों पर बहुत कड़ा नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया और स्टॉलिंग-क्षेत्र के बाहर के देशों से अर्थात् दुर्लभ-मुद्रा-देशो (Hard Currency Countries) से कोई भी माल बिना लाईसेंस लिये नहीं मंगाया जा सकता था। यही कारण है कि सन् १९५० से उपभोग-वस्तुओं (Consumer's Goods) की आयात केवल स्टॉलिंग-क्षेत्र से ही ही सकती थी और विलासयुक्त वस्तुओं (Luxury Goods) की आयात पर कड़ा नियन्त्रण लगाया गया। इन नियन्त्रण के दो मुख्य उद्देश्य थे—प्रथम, विदेशी व्यापार के प्रतिकूल सन्तुलन पर रोक लगाना तथा, द्वितीय, ऐसी वस्तुओं की आयातों को प्राप्तिकर्ता (Priority) देना जिनका युद्ध कार्यों के लिए या नागरिकों की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक महत्व था।

(२) नियंत्रित-नियन्त्रण—विनियम-नियन्त्रण को नीति को सफल बनाने के हेतु यह भी आवश्यक समझा गया कि भारत में स्टॉलिंग-क्षेत्र से बाहर के देशों को जाने वाली वस्तुओं की नियंत्रित पर भी नियन्त्रण होना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक ने एक नियंत्रित नियन्त्रण योजना बनाई, जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे—प्रथम, नियंत्रित की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य (द्वितीय विनियम) विदेशों में ही नहीं रह जाये बरन् यह भारत में वा जाय तथा द्वितीय, नियंत्रितों का भुगतान एक ऐसी निश्चित रीत से हो कि इनका अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो सके। यह स्मरण रहे कि भारत व स्टॉलिंग-क्षेत्र के ग्रन्थ राष्ट्र अमेरिका को माल भेजा करते थे उसके बदले में उन्हें जो मूल्य मिलता था, वे उसे ब्रिटिश सरकार को दे दिया करते थे और

वह उसे साम्राज्य डॉलर कोष (Empire Dollar Pool) में जमा कर दिया करती थी। इस कोष में जमा धन का उपयोग युद्ध-सम्बन्धी सामग्री को खरीदने में किया जाता था। इस साम्राज्य डॉलर कोष योजना का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा का युद्ध-कार्य के लिए अधिक से अधिक उपयोग करना था ताकि मुद्रा का सफल सचालन हो सके।

(३) अन्य नियन्त्रण—विदेशी विनियम नियन्त्रण द्वारा नीति द्वारा सफल बनाने के हेतु भारत में अन्य प्रनेक प्रकार के नियन्त्रण एवं प्रतिबन्ध लगाये गये जिनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—(i) मुद्रा की आयात निर्णति पर प्रतिबन्ध—नवम्बर सन् १९४० से किसी भी प्रकार की भारतीय मुद्रा को रिजर्व बैंक के लाईसेंस के दिन निर्णति करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया ताकि भारतीय मुद्रा चलन से निकाल कर बाहर नहीं बेची जा सके। इसी प्रकार सितम्बर १९४३ से भारतीय मुद्रा, ईरानी राष्ट्रीय अफगानी राष्ट्रीय लकड़ी की मुद्रा के अतिरिक्त, सब प्रकार की मुद्रा के आयात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये गए और जनवरी १९४४ से तो भारतीय पत्र-मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सब पत्र-मुद्राओं की आयात पर रोक लगा दी गई। मुद्रा की आयात निर्णति पर प्रतिबन्ध लगाने का उद्देश्य शत्रु-राष्ट्रों द्वारा जताई गई पत्र-मुद्रा को रोकना स्थान अपनी मुद्रा का उपयोग शत्रु राष्ट्रों को न देने का था। (ii) विदेशी मुद्रा में भुगतान पर प्रतिबन्ध—अक्टूबर सन् १९४१ से विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया जिससे जो कम्पनीज अपने लाभ को भारत से स्टॉलिंग सेवा से बाहर भेजना चाहती थीं वे ऐसा रिजर्व बैंक से लाईसेंस लेकर ही कर सकती थीं। (iii) भारतीय बैंकों में शत्रु राष्ट्रों को जमा के भुगतान पर प्रतिबन्ध—शत्रु-राष्ट्रों (जापान भारत) की जो रकम भारतीय बैंकों में जमा थी, उसके भुगतान पर भी कुछ विदेश कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने रोक लगा दी। (iv) स्वर्ण की आयात-निर्णति—स्वर्ण का आयात-निर्णति भी केवल लाईसेंस लेकर ही किया जा सकता था। (v) प्रतिभूतियों की निर्णति पर प्रतिबन्ध—ऐसा व्यक्ति जो भारत में नहीं रहता था, उससे प्रतिभूतियाँ (Securities) नहीं खरीदी जा सकती थीं। रिजर्व बैंक की भाजा के दिन इसका निर्णति भी नहीं हो सकता था। इनकी निर्णति केवल लाईसेंस प्राप्त व्यक्ति कर सकते थे, परन्तु लाईसेंस के मिलने के सम्बन्ध में शर्त मह रहती थी कि विदेशी विनियम का धन भारतीय बैंक की विदेशी शाखा में जमा कराया जाय।

निष्ठ्य—सरकार ने मुद्रा काल में रुपया स्टॉलिंग की विनियम दर १ शि० ६ पैसा पर स्थिर रखने के लिये उत्तलित विनियम-नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों को अपनाया था। इन रोटियों को अपनाकर ही रिजर्व बैंक ने उक्त दर पर देश की विदेशी विनियम सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की थी।

### साम्राज्य डॉलर कोष (Empire Dollar Pool)

मुद्रा के सफल सचालन के लिये सन् १९३६ में विट्टा सरकार ने स्टॉलिंग सेवा के सभी देशों की विदेशी विनियम नियियों का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया। साम्राज्य डॉलर कोष योजना के अनुसार स्टॉलिंग सेवा के किसी देश का ब्रिटेन के साथ व्यापारा-

धिक्ष्य जितना भी अनुकूल होता था, ब्रिटेन उसका भुगतान स्टॉलिंग में किया करता था। यही कारण है कि युद्ध काल में भारत का स्टॉलिंग इंगलैंड में इकट्ठा होता चला गया था। इसी तरह प्रत्येक देश में स्टॉलिंग-क्षेत्र के बाहर के देशों से अनुकूल व्यापाराधिक्य का भुगतान भी ब्रिटेन द्वारा स्टॉलिंग में किया जाता था। स्टॉलिंग क्षेत्र का कोई देश अपनी नियतियों से या अन्य कारणों से जो डॉलर प्राप्त किया करता था, उसे वह कोप में जमा करके स्टॉलिंग के रूप में साझा (Sterling Credit) प्राप्त कर लिया करता था। इस तरह साम्राज्य डॉलर कोप योजना के अन्तर्गत स्टॉलिंग क्षेत्र की तमाम विदेशी-विनियमय आय एक स्थान पर एक सामूहिक कोप के रूप में रखली गई और इस कोप का नियमन एवं संरक्षण वैक आँफ इंगलैंड और ब्रिटिश ट्रैडे जरी द्वारा किया जाता था। चूंकि इस सामूहिक कोप में सबसे दुर्लभ एवं सबसे महत्वपूर्ण डॉलर है, इसीलिये इसे साम्राज्य डॉलर कोप (Empire Dollar Pool) का नाम दिया गया है। स्टॉलिंग क्षेत्र के विभिन्न देश इस कोप का उपयोग किस प्रकार करते थे? इस योजना में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि प्रत्येक देश का इस कोप में कोई कोटा (Quota) तय कर दिया गया था वरन् कोप के सदस्य देशों ने यह स्वीकार कर लिया था कि उनमें से कोई भी देश विदेशी विनियमय का अनावश्यक ध्यय नहीं करेगा। इस तरह विदेशी विनियमय को ध्यय करने की आवश्यकता का निर्णय ध्यय करने वाले सदस्य देश पर ही छोड़ दिया गया था। जब किसी व्यक्ति एवं देश को डॉलर की आवश्यकता होती थी, तब वह वैक आँफ इंगलैंड से इसे डॉलर खाते में से ले लिया करता था। परिणामतः समस्य स्टॉलिंग क्षेत्र एक मुद्रा इकाई हो गया और विनियमय नियन्त्रण के एक ही नियम इन देशों पर लागू होते थे।

साम्राज्य डॉलर-कोप योजना से पहले स्टॉलिंग क्षेत्र के लगभग सभी देश अपने विदेशी विनियमय कोपों को लन्दन में स्टॉलिंग के रूप में रखला करते थे। चूंकि इस समय स्टॉलिंग सभी देशों की मुद्रा में स्वतंत्रतापूर्वक परिवर्तनीय था, इसलिये कोई भी देश अपने स्टॉलिंग-कोप का जब चाहे तब उपयोग करके इसके बदले में कोई भी मुद्रा प्राप्त कर सकता था। परन्तु युद्ध के कारण जब स्टॉलिंग को दुर्लभ मुद्राओं में परिवर्तनशीलता में कठिनाई अनुभव होने लगी तब दुर्लभ मुद्राओं का उचित दर पर क्षय-विकल्प करने को कठिनाई को दूर करने तथा दुर्लभ मुद्रा का युद्ध के सफल संचालन में समुचित उपयोग करने के हेतु ही साम्राज्य-डॉलर-कोप योजना को कार्यान्वित किया गया।

सन् १९३६-४६ के बीच में भारत ही इस कोप का प्रमुख सहायक रहा है, क्योंकि इसने इस काल में लगभग ४०६ करोड़ रुपये का कीमत की डालर आय इस कोप में जमा की थी। परन्तु इसी काल में भारत ने लगभग २४० करोड़ रुपये की कीमत वी दालर-आय ध्यय की थी। इसके अतिरिक्त भारत ने ५१ करोड़ रुपये की कीमत का धन्य दुर्लभ मुद्राओं (Hard Currencies) का ध्यय भी किया था। परिणामतः भारत की ओर से कोप को  $[406 - (240 + 51)] = 111$  करोड़ रुपये का डालर दिया गया। जब भारत की अपनी विकास योजनाओं के लिये डालर की आवश्यकता हुई, तब इस कोप ने सन् १९४४ के ४५ में भारत को दो दो करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष दिये, परन्तु भारत उस समय इनका कापड़ा नहीं उठा सका। भारतवर्ष में इस सम्बन्ध में बढ़ा

दिरोध हुआ कि भारत की कोप से शीमित सहायता वयों मिलती है और इस बात की मीण की गई कि भारत को अपनी डॉलर बाय पर अवधित नियन्त्रण होना चाहिये। इस आलोचना के परिणामस्वरूप सन् १९४७ में भारत को अपनी डॉलर बाय के प्रयोग की पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई।

### पौंड पावने (Sterling Balances)

भारतीय-चलन-इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना पौंड-पावने जूहो का एकत्रित होना भी है। युद्ध से पहले भारत पर इगलैंड का ऋण था, परन्तु युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण भारतवर्ष न केवल इगलैंड का पुराना ऋण तुका सका बरवृ उस पर उल्टा अरबों रुपयों का ऋण चढ़ा दिया। इस के तीन मुरुख कारण थे—प्रथम, भारत सरकार ने इगलैंड की ओर से वस्तुये खरीदीं जिनका उसे स्टेलिंग प्रतिभूतियों में भुगतान हुआ। द्वितीय, भारत सरकार ने इगलैंड की ओर से भारत में बहुत व्यय किया जिसका भुगतान भी भारत को स्टेलिंग में हो प्राप्त हुआ था तथा तृतीय, भारत के भनुकूल व्यापाराधिक और डॉलर बोय में जमा किये गये विदेशी विनियम के बदले भी स्टेलिंग प्राप्त हुये। इन तीन मुरुख कारणों से इगलैंड में भारत सरकार की स्टेलिंग प्रतिभूतिया जमा होती चली गई। रिजर्व बैंक ने इन स्टेलिंग प्रतिभूतियों की बाढ़ परनोट प्रकाशित किये जिससे शर्ने शर्ने देश में पव-मुद्रा का अत्यधिक प्रसार हो गया। यह स्पष्ट है कि ये स्टेलिंग पावने (Sterling Balances) भारतवासियों के युद्धकालीन त्याग एवं कल्प के परिणामस्वरूप ही एकत्रित हुये थे। इन पौंड पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में बड़ा बाइ-विवाद रहा है तथा इनके कुछ भाग का बड़ी कठिनाई से भुगतान हुआ है, इस सम्बन्ध में पृष्ठ से एक “हमारे पौंड पावने” नामक अध्याय में विस्तार से लिखा गया है। अब इन पौंड पावनों के सम्बन्ध में विशेष-ज्ञान के लिये इस अध्याय को पढ़िये।

### युद्धोत्तर-काल में मुद्रा चलन [१९४४-४५ से १९४७-४८ तक]

भारतीय चलन पद्धति में युद्धोत्तर काल में निम्नलिखित मुख्य घटनायें हुई हैं—

- (१) भारत का विभाजन और इसका देश की मुद्रा-प्रणाली पर प्रभाव—१५ अगस्त सद् १९४७ को भारत का विभाजन हुआ और देश के विभाजन के साथ ही साथ भारतीय मुद्रा का भी भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रम्म १३ ई के अनुपात में बटवारा हो गया। पाकिस्तान की मुद्रा-पद्धति को स्थापित करने के लिये इस प्रकार व्यवस्था की गई—(i) भारतीय नोट पाकिस्तान में भी ३० सितम्बर १९४७ तक वैधानिक रूप से प्रचलित रहेंगे और इस अवधि के बाद पाकिस्तान अपने नोटों का प्रकाशन नहीं करेगा और ३० सितम्बर १९४८ के बाद रिजर्व बैंक पाकिस्तानी नोटों के बराबर के मूल्य की सम्पत्ति पाकिस्तानी सरकार को दे देगा। (ii) पाकिस्तानी कुछ विशेष परिस्थितियों में रिजर्व बैंक के नोटों को १ अक्टूबर सद् १९४८ तक स्वीकार करेगा। (iv) पाकिस्तान को १ अक्टूबर १९४८ से अपनी विनियम-दर के निर्धारित फरने वा अधिकार होगा। (v) पाकिस्तान के सिवको के प्रचलन के १ वर्ष बाद तक भारतीय सिवके पाकिस्तान में विधिग्राह्य रहें। (vi) विदेशी जूहो के भुगतान की समस्त

बिन्मेदारी भारतवर्ग ने अपने ऊपर ले ली और पाकिस्तान ने अपने हिस्से की राशि को किस्तों में भारत को चुकाने का वचन दिया। परन्तु पाकिस्तान ने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया है।

(२) रुपये-स्टॉलिंग का सम्बन्ध विच्छेदः—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने मार्च सन् १९४७ से अपना कार्य आरम्भ किया था। मुद्रा-कोष की सुदस्यता के कारण भारत सरकार को रुपये का मूल्य स्वर्ण में घोषित करना पड़ा था। परिणामतः द अप्रैल सन् १९४७ से रुपये-स्टॉलिंग का वैधानिक गठबन्धन समाप्त हो गया और रुपये का मूल्य स्वतंत्र रूप में ००२६८६०१ ग्राम सोना रखा गया। इस तरह यह स्पष्ट है कि स्वर्ण में रुपये का यह मूल्य, रुपये की १ शि० ६ पैसे प्रति रुपया की विनियम की दर के आधार पर ही नियंत्रित की गई थी। परन्तु व्यवहार में आज भी रुपये का स्टॉलिंग से पुराना ही गठबन्धन चला भा रहा है।

(३) रुपये का अवमूल्यन (Devaluation of the Rupee):—भारतीय मुद्रा के इतिहास से स्पष्ट है कि रुपये और स्टॉलिंग का गठबन्धन बहुत पुराना है। इसी कारण जब १८ सितम्बर सन् १९४६ को इंग्लैंड ने अक्समात् ही स्टॉलिंग का अवमूल्यन किया जिसके कारण पौंड का डॉलर मूल्य ४०० ३ डॉलर प्रति पौंड से घट कर यह केवल २००० डॉलर रह गया, तब भारत ने भी अन्य २४ देशों के साथ ही साथ रुपये का अवमूल्यन किया। यदि भारत इंग्लैंड का अनुकरण नहीं करता तब सम्भव है इससे हमारे विदेशी व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। रुपये के अवमूल्यन का यह परिणाम हूँझा कि डॉलर देश से आने वाली वस्तुओं के मूल्य में ४४% वृद्धि हो गई। इससे हमारे देश के मूल्य-स्तर में भी वृद्धि हो गई। चूंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ ही साथ रुपये का अवमूल्यन नहीं किया इसलिये पाकिस्तान से भी आने वाले माल का मूल्य बढ़ गया और इसका भारतीय चाय व जूट उद्योग पर विदेशी बुरा प्रभाव पड़ा। परन्तु अवमूल्यन से हमारी नियंत्रित में बहुत वृद्धि हो गई और सन् १९४६ के पश्चात् हमारे व्यापाराधिक्य के सम्बन्ध में बहुत सुधार हुआ। अवमूल्यन से हमारे देश के पौंड-पावरों के मूल्य में ३०% कमी हो गई है। रुपये के अवमूल्यन से सम्बन्धित समस्पार्शों का विस्तार से अध्ययन पृथक् से एक 'रुपये का अवमूल्यन' नामक अध्याय में किया गया है। अतः अवमूल्यन के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस अध्याय को पढ़िये।

(४) मुद्रांचलन में परिवर्तनः—१५ अगस्त सन् १९४० से जिन नई मुद्राओं का चलन हुआ है उनको पूर्णतया भारतीय बना दिया गया है अर्थात् जब उन पर जां प्लॉम् (King George VI) की मुद्रा नहीं है। अतः वर्तमान मुद्रा-चलन प्रणाली में नोट, रुपये के सिक्के, बठनियां, चवनिया, दुवनियां, इकनियां, घण्टने तथा पैसे भव पूर्णतया भारतीय चिह्नों से अंकित कर दिये गये हैं।

(५) हीनार्थं प्रबन्धन (Deficit Financing):—हीनार्थं प्रबन्धन नीति अपनाने पर देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप मूल्य भी ऊँचा हो जाता है। जब से देश में आधिक नियोजन (Economic Planning) होने लगा है अर्थवा देश में प्रथम भीर द्वितीय पचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित बिधि जा रहा है, तब से ही प्रतिवर्षं कुछ न कुछ हीनार्थं अवमूल्यन किया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना

को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने अन्य साधनों के साथ ही साथ धाटे के बजाएं तथा विदेशी सहायता का भी सहारा लिया था। प्रथम पचवर्षीय योजना में यह अनुमान लगाया गया कि २६० करोड़ रुपये के हीनार्थं प्रबन्धन (Deficit Financing) तथा १९५ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। योजना कमीशन के अनुमान के अनुसार प्रथम योजना काल में वास्तव में ५० करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष हीनार्थं प्रबन्धन किया गया था। अर्थात् बुल २५० करोड़ रुपये का हीनार्थं प्रबन्धन किया गया था। इस समय दूसरी पचवर्षीय योजना कार्यान्वित की जा रही है और इसमें सार्वजनिक धेन में ४८०० करोड़ रुपये व्यय होने की आशा है जिसमें १२०० करोड़ रुपये का हीनार्थं प्रबन्धन का अनुमान है, ८०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता मिलने की आशा है और ४०० करोड़ रुपये के लिये अभी किसी प्रकार की भी व्यवस्था नहीं होने पाई है। अत यह सम्भव है कि द्वितीय योजना काल में लगभग १६०० करोड़ रुपये का हीनार्थं-प्रबन्धन हो जायेगा। यह स्पष्ट है कि भारतीय चलन के इतिहास में हीनार्थं-प्रबन्धन भी एक महत्वपूर्ण घटना है।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B.A. and B.Sc.

1. भारतीय करेंसी (चलार्थ) में सन् १९४७ से क्या विशेष परिवर्तन हुए हैं, समझाइये और बताइये कि यह परिवर्तन भारतीय व्यापार तथा उद्योग के लिये कहीं तक लाभदायक सिद्ध हुये हैं? (१९५८ S)
2. सन् १९२७ से भारतीय मुद्रा-प्रणाली के इतिहास का प्रधान रूप से विवरण (Land-marks) दीजिये। (१९५७ S)
3. Write a note on—Hard Currency Area (1956 S)

Agra University, B.Com.

1. आयोजन-कालीन भारतीय मुद्रा-प्रणाली में क्ये गये परिवर्तनों के उद्देश्यों (Objects) की विवेचना कीजिये। (१९५६ S)
2. Discuss the essential features of the present-day currency system in India. How far is the convertibility of the paper money maintained? (1958 S)
3. What difficulties were experienced by the Government of India in respect of currency and exchange during the last Great War? How did the Government meet the situation? (1958)
4. Trace the history of Indian Currency System since the establishment of the Reserve Bank of India (1958)
5. Discuss the effects of World War II on the Indian Currency System (1957 S, 1955 S)
6. Explain the difference between—Hard Currency and Soft Currency (1957, 1956 S, 1954)
7. Trace the history of Indian Currency System since 1926 (1956). What difficulties were experienced during the last Great War? (1954)

Allahabad University, B.Com

1. Discuss the origin and working of exchange control in India. In the course of your answer, explain the problems of dollar shortage (1957)

Rajputana University, B.A. & B.Sc.

1. Argue the case for and against the issue of high denomination currency notes. What is the denomination of currency notes issued in

India at the present time? What changes would you like to suggest in this connection? (1955)

Rajputana University, B. Com.

1. Write a critical note on the present day paper currency system (वर्तमान चापड़ी मुद्रा पद्धति) in India, pointing out, how far it is helping the Five Year Plans? (1959) 2. Write a short note on—Dollar Pool. (1959) 3. Write a note on—Main recommendations of the Hilton Young Currency Commission—a critical estimate. (1958) 4. Discuss the main recommendations of the Hilton-Young Commission. Did the currency system of India after 1926 develop along the lines indicated by the commission? (1957, 1954) 5. Discuss the main recommendations of the Hilton Young Commission and indicate the extent to which the same were accepted by the Government. (1956) 6. Examine critically the present currency system in India. Does it meet the needs of the economic expansion that is taking place in the country? Discuss. (1955).

Sagar University, B. Com.

१. रूपये की १६ पैस के विहृद १८ पैस विनियम दर स्थापित करने के विवाद को परीक्षा कीजिये। (१९५८) २. नोट लिखिये—चलन अधिनियम १९२७ (Currency Act, 1927)। (१९५८) ३. नोट लिखिये—घाटे की अर्थ-पूर्ति (Deficit Financing)। (१९५८) ४. हिल्टन-यंग कमीशन की प्रमुख रिकार्डों को स्पष्ट कीजिये। वया १९२६ के पश्चात् भारत की मोट्रिक रिपब्लि का विकास इस कमीशन द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर हुआ है? (१९५७) ५. रिजर्व बैंक द्वारा भारत के स्टलिंग-विनियम प्रमाण को व्यवस्था (Management) किस प्रकार की जाती थी? (१९५७) ६. द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) के भारतीय मुद्रा पर पढ़ने वाले प्रभावों का पूर्ण विवेचन कीजिये। (१९५७) ७. भारतीय चलार्थ प्रणाली (Currency System) पर द्वितीय महायुद्ध का वया प्रभाव पढ़ा? वर्णन कीजिये। (१९५७) ८. भारत की वर्तमान चलार्थ पद्धति की तकं सहित परीक्षा (Critically Examine) कीजिये। (१९५४) ९. हिल्टन-यंग कमीशन द्वारा प्रस्तावित स्वर्ण-पिण्ड प्रमाण वा तकं सहित परीक्षण कीजिये। (१९५८)

Jabalpur University, B. Com.

१. नोट लिखिये—भारत की वर्तमान पत्र चलार्थ-पद्धति। (१९५८)।

Vikram University, B. A. & B. Sc.

१. दूसरे महायुद्ध का भारतीय चलन पर वया प्रभाव हुआ, संक्षेप में बताएं। (१९५६) २. टिप्पणी लिखिये—साम्राज्य द्वारा नियंत्रित। (१९५६)।

Nagpur University, B. A.

१. भारत की वर्तमान चलार्थ पद्धति (Currency System) की प्रमुख विद्योपताओं का वर्णन कीजिये और उसके गुण और दोष दिखाएं। (१९५७) २. भारतीय पत्र-चलार्थ पद्धति (Paper Currency System) की प्रमुख विद्योपतायें समझाएं। भारतीय चलार्थ को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बनाने के हेतु वया व्यवस्था है? (१९५५)

## अध्याय ४

# पौंड पावने और इनका भुगतान

**(Sterling Balances and their Payment)**

प्रावक्षयन — भारतवर्ष को द्वितीय महायुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण देन स्टलिंग-पावने या पौंड पावनों को जमा के रूप में प्राप्त हुई हैं। इन पावनों के आधार पर ही हमारे देश में शनै शनै मुद्रा प्रसार हुआ है। इसीलिये पौंड पावने अरणों वा जमा होना भारतीय मुद्रा चलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। यह तथ्य स्मरणीय है कि युद्ध से पहले भारत इगलैंड का ऋणी (Debtor) था, परन्तु युद्धकाल में हमारे देश ने इगलैंड का न केवल यह स्टलिंग छण चुका दिया बरन् उसने बध-नगे व भूत्ये रहकर उल्टे रसे ऋणी (Debtor) बना दिया। भारतवर्ष ने स्वयं कष्ट सहजर तथा अपनी आवश्यकताओं को स्थगित करके युद्ध के सफल सचालन के लिए इगलैंड तथा अन्य नित्र राष्ट्रों को अरबों रुपये का माल भेजा जिसका भुगतान उसे स्टलिंग प्रतिभूतियों (Sterling Securities) में मिलता था और चूंकि ये स्टलिंग भारत सरकार के हिसाब में इगलैंड में ही जमा हो जाते थे, इसलिए इस छण-राशियों को पौंड-पावना (Sterling Balances) कहते हैं। चूंकि रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया एक्ट सन् १९१४ की धारा ३३ के अनुसार रिजर्व बैंक को स्टलिंग प्रतिभूतियों (Sterling Securities) के आधार पर नोट-निर्गम का अधिकार था, इसलिए युद्धकाल में जैसे-जैसे भारत सरकार वे हिसाब में इगलैंड में स्टलिंग प्रतिभूतिया जमा होती गईं, भारत सरकार ने उक्त धारा वा पूरा-पूरा लाभ उठाकर, रिजर्व बैंक को वैसे ही वैसे नोट-प्रकाशन करने के लिए वाध्य किया और इन नोटों से उपर्युक्त धारा का भुगतान किया जो भारत सरकार नियंत्रित कर रही थी। इस तरह एक तरफ इगलैंड में पौंड-पावने एकत्रित होते गये और दूसरी तरफ भारत में नोटों की मात्रा में वृद्धि होती चली गई। अत भारत में युद्धकालीन मुद्रा-प्रसार का एक प्रमुख कारण पौंड-पावनों का एकत्रित होना ही था। (यह स्मरण रहे कि रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया एक्ट के अनुसार नोटों की आड में स्टलिंग प्रतिभूतिया ५०% से अधिक नहीं रखती थी तथा सकती थीं, परन्तु युद्धकाल में इस एक्ट में सशोधन किया गया था।) निम्न तालिका से पौंड-पावनों तथा चलन में रहने वाले नोटों का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है—

इस तालिका से यह स्पष्ट है कि द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने तक युद्ध के पूर्व की तुलना में पौंड-पावनों की वृद्धि के कलस्वरूप, नोटों के प्रचलन की मात्रा में छ' गुने से भी अधिक वृद्धि हो गई।

वर्ष	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पौंड-पावना	करोड़ रुपयों में नोटों का प्रचलन
मंगस्त १९३६	६४	१७६
१९३६-४०	६१	२०६
१९४०-४१	१६६	२४१
१९४१-४२	२११	३०७
१९४२-४३	३४४	५१३
१९४३-४४	७१५	७७७
१९४४-४५	११८२	९६६
१९४५-४६	१५४६	११६३
१९४६-४७*	१६६२	१२२३

### पौंड-पावनों में वृद्धि

पौंड-पावनों को वृद्धि के कारण (Causes of the increases in the Sterling Balances):—युद्धकाल में भारत के पौंड-पावनों में उत्तरित आश्चर्यजनक वृद्धि के कई महत्वपूर्ण कारण थे:—(i)

#### पौंड-पावनों में वृद्धि के मुख्य कारण थे—

१. इंगलैंड द्वारा वस्तुओं का खर्च।
२. सन् १९३६ भारत-इंगलैंड का आर्थिक समझौता।
३. मित्र-राष्ट्रों को माल का निर्यात।
४. भारत की दालर भाय तथा ग्रन्थ दुर्लभ मुद्राओं की भाय साम्राज्य ढाँचर कोप में जमा करना।
५. समरीकी सेनाओं पर भारत में व्यय।

इंगलैंड ने भारत से बहुत अधिक माला में माल खरीदा था, परन्तु भारत इंगलैंड से युद्ध के कारण बहुत अधिक माला में माल महीं मांगा तका। इंगलैंड ने इस माल का भुगतान स्टर्लिंग प्रतिशूलियों (Sterling Securities) के रूप में चुकाया और प्रतिशूलियों भारत सरकार के हातों में इंगलैंड में जमा होती गई। इस तरह पौंड-पावनों को माला दाने: दाने: बढ़ती चली गई। भारतमें तो भारत सरकार ने ब्रिटेन के ग्रहण की घदायगी की, परन्तु भन्ततः इंगलैंड माल सरीदार-सरीदारे स्वयं भारत का द्वारा (Debt-Or) हो गया। (ii) सन् १९३६ का भारत इंगलैंड का आर्थिक समझौता:—इस समझौते के प्रनुसार भारत ने इंगलैंड के एवज में जो रुपया व्यय हिया, वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और इंगलैंड ने भी भारत को रकम की घदायगी स्टर्लिंग प्रतिशूलियों देकर ही थी। इस कारण भी भारत के पौंड-पावनों में वृद्धि हुई। (iii) मित्र राष्ट्रों को माल का निर्यात:—भारत ने युद्ध के सफल संचालन के तिए न केवल इंगलैंड को ही माल भेजा बरन् उसने ग्रन्थ मित्र राष्ट्रों की जनता

\* The peak figure of Rs. 1733 crores of Sterling Balances reached in the month of April, 1945.

व सेना की सेवा के लिए भी माल भेजा। मिश्र राठ्डो ने भी माल का भुगतान स्टर्लिंग में किया, जो इगलैंड में ही जमा हो जाया करती थी। इस तरह इस कारण भी पौंड-पावनों की मात्रा में वृद्धि हो गई। (iv) भारत की डॉलर व्याप वथा अन्य दुलंभ मुद्राओं की व्याप साम्राज्य कोष में जमा भी गई—युद्धकाल में अमेरिका वथा मन्द दुलंभ मुद्रा वाले देशों से भारत का व्यापार सञ्चलन बहुत ही ग्रन्तकूल हो गया। भारत को इन देशों से कुछ डॉलर-व्याप या अन्य दुलंभ मुद्रा के रूप में व्याप प्राप्त होती थी, वह अनिवार्य रूप में साम्राज्य डॉलर-कोष (Empire Dollar Pool) में जमा कर दी जाती थी। ब्रिटेन इस जमा के बदले में स्टर्लिंग प्रतिशूतियाँ दिया करता था जिन्होंने हमारे पौंड-पावनों की मात्रा को बढ़ाया। (v) अमेरिकी सेना पर भारत में व्यय—युद्धकाल में भारत में अमेरिका की सेनाएँ भी रही थीं। भारत में इन अमेरिकी सेनाओं पर होने वाले व्यय के बदले में भारत को डॉलर प्राप्त हुये। ये डॉलर भी साम्राज्य-डॉलर-कोष (Empire Dollar Pool) में जमा हो जाया करते थे और ब्रिटेन इनके बदले में भी भारत सरकार के खाते में स्टर्लिंग प्रतिशूतियाँ जमा कर दिया करता था जिस बारण पौंड-पावनों की मात्रा शाने, शामि बढ़ती जली गई।

### पौंड-पावनों का भुगतान

पौंड-पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में वाद-विवाद (Controversy regarding the payment of Sterling Balances)—भारत के इगलैंड में जो कुछ भी पौंड-पावने एकत्रित हो गए थे, इनके भुगतान के सम्बन्ध में चर्चा तो युद्धकाल में ही आरम्भ हो गई थी, परन्तु इगलैंडमें इगलैंडवासियों की ओर से (सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा) बहुध इस बात की मांग की गई कि ब्रिटिश सरकार द्वारा इन पौंड पावनों को या तो पूर्णतया रद्द कर दिया जाना चाहिये या इनमें भारी कमी की जानी चाहिए। इस प्रत के पश्च में उन्होंने कही तर्क दिये थे—(i) युद्ध के सफल सञ्चलन वथा दशू को परास्त करने में भारत का भी उतना ही हित था जितना कि इगलैंड वथा अन्य मिश्र राष्ट्रों का था। चर्चिल (Churchill) ने को यहीं तब कह दिया था कि ब्रिटेन ने भारत की दशूओं से रक्षा की है, इसलिए भारत को दृष्ट नहीं मानना चाहिये। अत यह कहा गया कि चूंकि इगलैंड द्वारा किया गया व्यय भारत की सुरक्षा के लिए ही किया गया था, इसलिए इस प्रकार के दृष्ट के चुकाने का प्रदन ही नहीं उठना चाहिय और इसे तुरन्त या तो रद्द कर देना चाहिए या इनमें लात्यधिक कमी कर देनी चाहिए। (ii) इन पौंड-पावनों को युद्ध-सम्बन्धी दृष्ट समझना चाहिए और जिस प्रकार अमेरिका ने इगलैंड को उधार-पट्टा-जूण (Land Lease Debts) से मुक्त कर दिया है, इसी तरह भारत को भी इगलैंड को पौंड पावने क्षणों से मुक्त कर देना चाहिये। (iii) कुछ ध्यतियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इगलैंड पौंड-पावनों की इच्छी मात्रा का भुगतान उत्तरे में असमर्थ है क्योंकि इगलैंड की युद्धकाल में धार्विक द्वितीय विंगड जाने के कारण उसमें अण्ण-भुगतान शक्ति बहुत घट गई है। इस तर्क के आधार पर यह मान की गई कि पौंड पावने अण्ण में भारी कमी तो होनी ही चाहिए। (iv) दूसरे की विनिमय दर हृत्रिम व धर्वाभाविक रूप में

बहुत ऊंची रखती गई जिसके कारण भी इंगलैंड के पौड़-पावने अरण में इतनी भारी वृद्धि हो गई थी। परन्तु भारत में उक्त सर्कार के आधार पर पौड़-पावने को रद्द करने या इनके बम करने की मांग का घोर विरोध किया गया थ्योकि इन स्टलिंग पावनों का हमारे देश को अर्थ-व्यवस्था के लिये आत्मधिक महत्व रहा है। इंगलैंडवासियों के उक्त भत के विरोध में दिये गये मुस्त तर्क इस प्रकार हैं—(i) भारत ने इंगलैंड को इतनी बड़ी मात्रा में अरण अपनी स्वेच्छा से नहीं दिया था और न यह किसी लाभ की ही बात से दिया गया था थरन् यह भारत से बलपूर्वक लिया गया था व्योकि इतनी अधिक मात्रा में अरण-देना भारत की अरण देने की शक्ति से बाहर था। इस दशा में भारत को अपने अरण का मुगतान अवश्य ही मिलना चाहिए था। (ii) भारत ने इंगलैंड को पौड़-पावनों के रूप में जो अरण दिया था, वे भारतीय जनता के उस महान त्याग, घोर आर्थिक कष्ट तथा कठिनाइयों के प्रतीक हैं जो भारतवासियों ने युद्ध काल में सहन की हैं। इसलिए इन अरणों का मुगतान भी साधारण अरणों की तरह ही होना चाहिये और यदि इनको रद्द किया गया या इन्हें कम किया गया, तब यह भारतवासियों के लिये पूर्णतया अन्यायपूर्ण होगा। (iii) यह तर्क कि भारत को अमेरिका की तरह इंगलैंड को अरण से मुक्त कर देना चाहिए बहुत ही न्यायरहित है। प्रथम तो भारत और अमेरिका के आर्थिक स्तर में यहुत ही अन्तर है और दूसरे अमेरिका को तो इंगलैंड से कुछ सोना भी मिला था परन्तु भारत को तो केवल कागज की स्टलिंग प्रतिभूतियाँ ही मिली थी। भत: एक ऐसे देश से जो आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा है, जहाँ उद्योगों का अभाव है और जो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिये दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर है, उससे यह मांग करना कि वह अपने अरण को न माने बहुत ही असर फ्रीत होता है। (iv) यह कहना भी बहुत दोषपूर्ण है कि चूंकि रूपए का मूल्य कृत्रिम रूप में ऊंचा रखता गया, इसलिये पौड़-पावनों की मात्रा बड़ी और इसीलिये इनको बम कर देना चाहिए। इस कथन के उत्तर में केवल यह कहा जा सकता है कि भारत में वरतुयें नियंत्रित मूल्यों (Controlled Prices) पर ही सरीदी गई थी जिससे इंगलैंड व मिश-राष्ट्रों को ये यहुत सस्ते मूल्य पर ही मिल गई थीं। यदि घोर-वाजार मूल्यों पर वस्तुयें सरीदी जाती तब पौड़-पावनों की मात्रा सम्भव है, खर्तमान से भी कम हो कम खार गुनी आर्थिक हो जाती। इतना ही नहीं ब्रिटेन के हाऊस ऑफ़ कॉमन्स (House of Commons) द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञों द्वारा एक समिति ने भी यह माना है कि ऊंची विनियमन-दर के कारण ब्रिटेन के अरणों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त तर्क भ्रमात्मक है और इंगलैंड पर पौड़-पावनों के मुगतान या दायित्व पूर्णतया न्यायसंगत है। (v) पौड़-पावनों के मुगतान के सम्बन्ध में सबसे बड़ा तर्क यह रहा है कि ये हमारी सबसे बड़ी पूँजी है और इनके समुचित उपयोग से ही हमारी आर्थिक समस्याओं पा आसानी से समाप्त हो सकता है। हमारे देश के आर्थिक विकास में इनसे बहुत मदद मिल सकती है। इनकी सहायता से न केवल हम स्टलिंग देश से ही योग्यिकरण के हेतु भवीतरी आदि मंदा सर्वे बहिरुर्भासुदा (Hard Currency) देशों से भी इन्हें मंगा सकते हैं। भत: देश में आर्थिक-नियोजन (Economic Planning) की सफलता के लिये पौड़-पावनों का बहुत महत्व है।

पौंड-पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में बहुत समय तक तर्द़-वितकं चलता रहा और इगलैंड भी इनके भुगतान को टालता रहा। ऐसी स्थिति आ जाने पर भारत ने पौंड-पावनों का प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोष (I. M. F.) के सम्मुख रखा। भारत ने इस बात की मांग की कि पौंड-पावनों के भुगतान का प्रश्न भी कोप के कार्य क्षेत्र में समिक्षित किया जाना चाहिए। परन्तु कोष ने भारत का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। इसी परियद में इगलैंड के प्रतिनिधि स्वर्गीय लाउं कीन्स (Keynes) ने इगलैंड की ओर से यह विश्वास दिलाया कि इगलैंड अपने दायित्व को पूर्ण हप से निभाने के लिये तेथार या और पौंड-पावनों को रद्द करने या इनके घटाने का प्रश्न ही नहीं उठता था क्योंकि इगलैंड छहों का भुगतान पूर्ण न्यायसंगत समझता रहा है। परिणामतः इगलैंड और भारत में समय-समय पर भुगतान सम्बन्धी समझौते (Agreement) हुये हैं जिनके द्वारा पौंड-पावनों का भुगतान शाने शाने हुआ है।

### **पौंड पावने समझौते (Sterling Balances Agreement)**

इगलैंड और भारत के बीच में पौंड पावनों के भुगतान सम्बन्धी समझौते  
(Agreements between England and India regarding the payment of Sterling Balances) — समय-समय पर किए गये समझौते इस प्रकार हैं—

(१) जनवरी सन् १९४७ का समझौता—भारत और इगलैंड के बीच पौंड-पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में सबसे पहला समझौता जनवरी सन् १९४७ को हुआ था। इस समझौते के अनुसार भारत अपनी आवश्यकता की वस्तुये स्टलिंग क्षेत्र से खरीद सकता था और यदि उसे दुलंभ मुद्रा-क्षेत्र (या डॉलर-क्षेत्र) से भी वस्तुये खंगाने की आवश्यकता होती थी, तब वह पौंड-पावनों को डाँतर अथवा अन्य दुलंभ मुद्राओं में परिवर्तित करा सकता था। परन्तु यह समझौता बहुत दिन तक नहीं चल सका क्योंकि इसी बीच में इगलैंड और अमेरिका के बीच में एक आर्थिक समझौता हुआ जिसने परिवर्तित को बदल दिया था।

(२) अगस्त सन् १९४७ का समझौता—अगस्त सन् १९४७ से पहले भारत अपने पौंड-पावनों का विटिश राष्ट्र-मडल (British Commonwealth) में किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकता था और इन्हे डॉलर या अन्य दुलंभ मुद्रा में भी परिवर्तित करा सकता था। परन्तु अगस्त १९४७ के समझौते के अनुसार पौंड-पावनों को दो खातों में बांट दिया गया—प्रथम चालू खाता (Current Account) और दूसरा स्थिर खाता (Blocked Account)। ये दोनों खाते बैंक प्रॉफ़ इगलैंड में भारत के नाम स्लेटे गये। चालू खाता ८६०६ करोड़ रुपए से खोला गया जिसमें से केवल ३ करोड़ रुपये का उपभोग दुलंभ मुद्रा की प्राप्ति के लिये किया जा सकता था और नये पौंड-पावनों की कमाई भी इसी में जमा हो सकती थी। शेष १४६६०६ करोड़ रुपये के पावने स्थिर खाते में जमा कर दिये गये जिनका उपयोग विदेशी पूँजी प्राविडेन्स-फाउंड, पेशन शादि के भुगतान के लिये किया जायगा। इस समझौते की अवधि ६ मास के लिये बढ़ा दी गई (३० जून १९४८ तक)। चूंकि उस समय भारत में कोई निश्चित आयत योजना नहीं थी, इसलिए इस समझौते के अनुसार प्राप्त पौंड पावनों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो सका।

(३) जुलाई सन् १९४८ का समझौता—पहले समझौते का अन्त होते ही एक नया समझौता किया गया। इस समझौते की मुद्रण बारें इस प्रकार है—(अ) अब तक के समझौते के अनुसार भारत को १११ करोड़ रुपए के पौंड पावने लेने का अधिकार मिला था, परन्तु इनमें से केवल ४ करोड़ रुपयों का ही माल मिला था। इस मध्ये समझौते के अनुसार पुराने (१११—४=) १०७ करोड़ रुपये के पावनों का उपयोग दुबारा दिया गया। इसके साथ ही साथ अगले ३ वर्षों में (३० जून १९५१ तक) १०७ करोड़ रुपये के पौंड पावने निकालने का भीर अधिकार दिया गया अर्थात् ३० जून १९५१ तक भारत (१०७+१०७=) २१४ करोड़ रुपये के पौंड-पावनों का उपयोग कर सकता था। (भा) इस समझौते के समय पावनों की खुल रकम १,५५० करोड़ रुपये भाँकी गई थी जिसमें से १३३ करोड़ रुपये फोर्झी सामानों (ब्रिटेन भारत में छोड़ गया था), २१४ करोड़ रुपया पेशवर, १२६ करोड़ रुपया पाकिस्तान के हिस्से के रूप में निकाल दिया गया भीर देप में से २१४ करोड़ रुपये के पावनों को भारत को व्यय करने का अधिकार दे दिया गया। (इ) इस समझौते के अनुसार किसी एक वर्ष में केवल अधिक से अधिक २० करोड़ रुपये की रकम ढॉलर या अन्य दुलंभ मुद्रा में परिवर्तित कराई जा सकती थी।

(४) जुलाई सन् १९४६ का समझौता:—पिछले पौंड-पावने समझौते के जीवन-काल में ही एक नये समझौते की आवश्यकता अनुभव हुई वर्षोंकि ब्रिटेन के पास डॉलर की भारी कमी हो गई थी। इस समझौते के अनुसार सन् १९४८-४६, १९४६-५० तथा १९५०-५१ के लिये रकम: ८१ करोड़ पौंड, ५ करोड़ पौंड तथा ५ करोड़ पौंड मिलना निश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन ने यह स्वीकार किया कि हमारे आयात के लिये जुलाई १९४६ के पूर्व जो आदेश (Orders) दिये जा चुके हैं उनके लिये भी यह स्टलिंग देगा। भारत को अपनी ढॉलर की कमी को दूर करने के लिये केन्द्रीय-कोष से १५ करोड़ ढॉलर प्रति वर्ष लेने का अधिकार दिया गया, परन्तु सितम्बर १९४६ में स्टलिंग का अवमूल्यन हो जाने से स्टलिंग का मूल्य ३०-५% कम हो गया था जिससे भारत को कम ढॉलर मिले थे। इस समझौते में यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारत ब्रिटेन देश से ढॉलर सेकर मनचाही मात्रा में माल सरोद सकता था, परन्तु भारत से यह भी बचन से लिया गया कि बढ़ गगले वर्षों में अपने [ढॉलर आयातों में २५% कमी कर देगा।

(५) फरवरी सन् १९५२ का समझौता:—यह समझौता ३० जून १९५७ को समाप्त होने वाले ६ वर्षों के लिये हुआ था। उस समय के अनुमान के अनुसार ७६१ करोड़ रुपये के पौंड पावने देप रह गये थे। इस समझौते के अनुमान ब्रिटिश सरकार ३० जून १९५७ तक प्रति वर्ष ३-५ करोड़ पौंड तियर साता नम्बर २ में से चालू राता नम्बर १ में जमा करेगी जिहे भारत प्रति वर्ष सर्च बर सकेगा। इसके अतिरिक्त यह भी तय हुआ कि तियर राते में से चालू राते में ३१ करोड़ पौंड की एक ऐसी राति जमा की जायगी जो भारत के रिजर्व देश के पास एक घस्तन निधि (Currency Reserve) के रूप में होगी भीर जिसका उपयोग भारत सरकार केवल संकट-काल में ब्रिटिश सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर सकेगी। इस समझौते के अनुगारे यह भी तय हुआ कि यदि

किसी वय में भारत ३५ करोड़ पौंड का उपयोग नहीं कर सके, तब वह इस राशि का उपयोग आगामी वयों में कर सकेगा। इसी तरह यदि किसी वय भारत का व्यय ३५ करोड़ पौंड से अधिक हो जाने की अशक्त हो जाये, तब भारत अगले वय की राशि में से ५ मिलियन पौंड का उपयोग कर सकेगा। परन्तु यदि भारत को इससे भी अधिक राशि की आवश्यता पड़े, तब भारत श्रिटिश सरकार से विचार विमद करके अधिक राशि का उपयोग कर सकता है। इस तरह समझौते के अनुसार भारत को ३० लून १९५७ तक १०५ मिलियन पौंड की राशि का उपयोग करने वा प्रधिकार दिया गया।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University B A & B Sc

१ नोट लिखिये—भारतीय पौंड पावना। (१९५६ S, १९५६ S)।

Agra University, B Com

1 Write a note on—Sterling Balances (1958 S)

Allahabad University B Com

1 Write a note on—Sterling Balances (1956)

Rajputana University, B Com

1 Write a short essay of not more than four pages of your answer book on Sterling Balances of India (1955)

Sagar University, B Com

१ नोट लिखिये—पौंड पावने। (१९५८)।

Vikram University B A & B Sc

१ नोट लिखिये—पौंड पावने। (१९५६)।

Vikram University B Com

1 Write a note on—Sterling Balances (1959)

Gorakhpur University, B Com

1 Write a note on—Sterling Balances (Pt II 1959)

### अध्याय ५

## रुपए का अवमूल्यन और इसके पुनर्मूल्यन की समस्या (Devaluation of the Rupee and the problem of Re valuation)

स्टर्लिंग के अवमूल्यन की पृष्ठ मुद्रित (Background of Devaluation) —

१८ सितम्बर सन् १९४९ को सर स्टफर्ड क्रिप्प (Sir Stafford Cripps) ने भवस्मात् ही श्रिटिश स्टर्लिंग का दालर के साथ जो मूल्य था उसे ४०३ डालर से ३० ५% घटा

कर २०८० डॉलर करने की घोषणा की । १० इस अवमूल्यन का प्रमुख कारण इंग्लैंड का डॉलर संकट था । यह डालर-संकट कई कारणों से उत्पन्न हुआ था—(i) विटिश राष्ट्र मण्डल (British Commonwealth) अमेरिका पर निर्भर होता जा रहा था । युद्ध के बाद लगभग सभी देशों ने आर्थिक संगठन और पुनर्निर्माण के कार्य आरम्भ कर दिये थे । नये-नये उद्योगों का निर्माण किया जा रहा था तथा अनेक विकास योजनाएं कार्यान्वयन की जा रही थी । चूंकि विटिश राष्ट्र मण्डल के सभी देश अपनी पूँजीगत वस्तुओं (Capital Goods) तथा उपभोग्य पदार्थों के लिये मुख्यतः अमेरिका पर निर्भर थे, इसलिए 'डॉलर की समस्या' उत्पन्न हो गई । (ii) द्वितीय महायुद्धकाल में अमेरिका ने सबसे अधिक घोयोगिक कुशलता प्राप्त की थी । इस कारण संसार के अधिकांश देश अपनी आवश्यकताओं की पूति के लिए अमेरिका पर ही निर्भर रहने लगे । परिणामतः अमेरिका से माल भगाने के लिए डॉलर का अभाव अनुभव होने लगा । (iii) एक और लगभग प्रत्येक देश में बाह्य व आन्तरिक मूल्य-स्तर पहले से अधिक ऊचा हो गया और दूसरी ओर खाद्य-पदार्थों वी बहुत कमी अनुभव होने लगी । इन दोनों का परिणाम यह हुआ कि विभिन्न राष्ट्रों को पहले से अधिक मात्रा में डॉलर की आवश्यकता पड़ी । (iv) मुद्रोत्तर काल में व्यक्तिगत भ्रष्ट व व्यापारिक साक्ष में भी बहुत कमी हो गई जिससे डॉलर-देश से माल मंगाने के लिए अधिक डॉलरों की आवश्यकता हुई । इन सब कारणों से विटिश राष्ट्र मण्डल को डॉलर की बड़ी अनुभव हुई और इस संकट के कारण ही राष्ट्र-मण्डल का डॉलर देश के साथ भुगतान-सन्तुलन विगड़ता चला गया । भुगतान के इस सम्बन्धी अनेक समझौते किए गए, भुगतान को सन्तुलित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोष (I. M. F.) तथा विद्व वेक से सहायता ली गई ग्रादि । समय-समय पर इन सब चरणों को अपनाने पर भी डॉलर-देश से भुगतान का सन्तुलन ठीक नहीं हो सका और दिन प्रति दिन डॉलर-संकट बढ़ता ही चला गया । सन् १९४६ की प्रथम तिमाही में जबकि ३२८ मिलियन पौंड के वरावर डॉलर की कमी थी, तब दूसरी तिमाही के अन्त में यह कमी बढ़ कर ६२७ मिलियन पौंड हो गई और जून १९४६ के अन्त में स्टलिंग देश की स्वर्ण एवं डॉलर निधि घट कर केवल ४०६ मिलियन पौंड रह गई और इस निधि में वरावर कमी होती जा रही थी । इंग्लैंड अपनी भुगतान-विषयमताओं को निर्यात बढ़ा कर एवं अधिकाधिक डॉलर कमा कर ही ठीक कर सकता था । परन्तु यह निर्यात उस समय स्टलिंग का डॉलर या स्वर्ण में जो मूल्य था, उस पर नहीं बढ़ाया जा सकता था क्योंकि अमेरिका में इंग्लैंड का माल महंगा पड़ता था । इसलिए निर्यात बढ़ाने के

इंग्लैंड ने स्टलिंग का यह अवमूल्यन दूसरों वाल किया था । पहली बार अवमूल्यन २० सितम्बर सन् १९३१ को स्वर्ण-मान त्यागने के बाद हिया गया । उस समय स्टलिंग का डॉलर में मूल्य ४.८६ डॉलर से घटाकर ४.२२१५ डॉलर किया गया था । सन् १९३१ का स्टलिंग अवमूल्यन इसलिये हिया गया था ताकि स्टलिंग का डॉलर मूल्य इसके वास्तविक मूल्य के बराबर हो जाय ।

लिए विदेशी बाजारों में इगलंड का माल सस्ता होना चाहिए था और इसका एकमात्र उपाय यह था कि डॉलर के बदले पहले दी अपेक्षा अधिक वस्तुओं का देना। इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु ७ सितम्बर से १२ सितम्बर १९४६ तक वाशिंगटन में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा का एक शिल्प सम्मेलन हुआ जिसमें डॉलर की समस्या को १९५२ रुपये के हल के लिए एक समझौता हुआ। इसी समझौते के अनुसार सर स्टेफ़र्ड क्रिप्स (Sir Stafford Cripps) ने १८ सितम्बर सन् १९४६ को स्टलिंग के अवमूल्यन की घोषणा की थी, जो स्टलिंग-क्षेत्र का बैंकर है। परन्तु उसके साथ स्टलिंग क्षेत्र के सदस्यों को भी सहयोग देना चाहिए।” अब जब इगलंड की आधिक स्थिति बहुत भयानक हो गई और डॉलरों के थाट को पूरा करने के लिया सभी प्रयत्न असफल रहे, तब डॉलर-एकट से उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिए ही ब्रिटेन को विवश होकर स्टलिंग का अवमूल्यन करना पड़ा था।

### भारत में रुपये का अवमूल्यन

भारत को रुपये का अवमूल्यन क्यों करना पड़ा? (Why had India to devalue her Rupee?) — स्टलिंग का अवमूल्यन होते ही स्टलिंग क्षेत्र के सभी राष्ट्रों ने (पाकिस्तान को छोड़कर) योद्धे ही दिनों में अपनी-अपनी मुद्राओं के अवमूल्यन की घोषणा कर दी। भारत ने भी स्टलिंग के अवमूल्यन के २४ घण्टे के अन्दर ही इस सम्बन्ध में अपना निर्णय ले लिया और रुपये के अवमूल्यन की घोषणा कर दी। परिणामत रुपये का डॉलर एवं स्वर्ण मूल्य ३०·५% घटा दिया गया अर्थात् रुपये का डॉलर मूल्य ३०·२२५ सेन्ट से घटाकर २१ सेन्ट कर दिया गया। अमेरिका से १ डॉलर की वस्तुओं का आयात करने के लिए यदि पहले बैंकल ३ रु ५ आने देने पड़ते थे, तब अवमूल्यन के बाद से उसी १ डॉलर के माल के लिए ४ रु ० १२ आने देने पड़ते हैं। इस तरह भारत को प्रति १०० डालर के लिये अब ११२ रु के बदले ४७६ रु देने पड़ते हैं। परिणामत अमेरिका की वस्तुओं का मूल्य भारत में बढ़ गया है। इसके विपरीत अवमूल्यन के कारण अमेरिका में भारत की वस्तुयें सस्ती हो गई हैं क्योंकि अमेरिका अब १०० डॉलर देकर ३३२ रु की वस्तुओं के स्थान पर ४७६ रु की वस्तुएं भारत से मांगा लेता है (यह स्मरण रहे कि अवमूल्यन के बाद भी रुपए का स्टलिंग मूल्य १ शिं ६ पैस ही है)। इससे स्पष्ट है कि अवमूल्यन के कारण भारत में डॉलर-क्षेत्र से वस्तुओं की आयात होतो हाहित और भारत की डॉलर-क्षेत्र की वस्तुओं की निर्यात प्रोत्साहित होई है। परन्तु स्टलिंग वा अवमूल्यन होते ही भारत को रुपये का अवमूल्यन क्यों करना पड़ा? इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं—

(१) भारत को रुपये का अवमूल्यन परिस्थितिवश करना पड़ा? — रुपए का स्टलिंग से सम्बन्ध विच्छेद हो चुका था, परन्तु भारत का स्टलिंग क्षेत्र वा सदस्य होने के नाने वास्तव में एवं व्यवहार में रुपए का स्टलिंग से सम्बन्ध बहुत धनिष्ठ है। इस कारण नीतिक हृष्टि से भी रुपये को स्टलिंग क्षेत्र के नियमों वा पालन करना पड़ता है। अत अब स्टलिंग का डॉलर एवं स्वर्ण में मूल्य कम किया गया, तब विवश होकर परिस्थिति-

यह भारत को भी अपने रुपये का स्टॉलिंग-क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते, डॉलर एवं स्वर्ण में मूल्य कम करना पड़ा।

(२) स्टॉलिंग क्षेत्र से व्यापारः—भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार स्टॉलिंग-क्षेत्र के साथ होता है। इस दशा में यदि स्टॉलिंग के साथ ही साथ रुपये का भी अवमूल्यन नहीं किया जाता तब इसका परिणाम यह होता कि हमारे निर्यात-स्टॉलिंग-क्षेत्र में महंगे हो जाते जिससे स्टॉलिंग क्षेत्र के देशों के साथ होने वाला हमारा व्यापार ठप्प हो जाता। यही नहीं, भारत का माल विदेशों में पहले से ही महंगा था और यदि रुपये का अवमूल्यन नहीं किया जाता, तब तो भारतीय माल विदेशों में भी महंगा हो जाता। अतः ताकि स्टॉलिंग के अवमूल्यन के बाद स्टॉलिंग क्षेत्र में भारत की वस्तुएँ महंगी नहीं होने पायें, इस कारण भी रुपये का स्टॉलिंग के साथ ही साथ अवमूल्यन किया गया। यही नहीं स्टॉलिंग के अवमूल्यन के बाद अमेरिका को अवमूल्यन बाले देशों से भारत की अपेक्षा बस्तुएँ सहजे मूल्य पर मिलने लग जाती (यदि रुपये का अवमूल्यन नहीं किया जाता) जिससे भारत की निर्यात भी कम हो जाती। यही कारण है कि व्यापाराधिक्य की इस प्रतिकूल स्थिति से बचने के लिये भारत में भी इंगलैंड के साथ ही साथ रुपये का अवमूल्यन किया गया।

(३) पौंड पावने और का मूल्यः—यदि भारत रुपए का अवमूल्यन नहीं करता तब उसके पौंड-पावने (Sterling Balances) का मूल्य ही बहुत कम हो जाता। इस प्रकार की हानि से बचने के लिए भी रुपए का अवमूल्यन किया गया।

(४) भारत को भी डॉलर की कमी अनुभव हो रही थीः—सन् १९४६ से भारत को भी डॉलर की कमी अनुभव होती जा रही थी और यह कमी प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही थी। सन् १९४५-४६, १९४६-४७, १९४७-४८ तथा १९४८-४९ के इन ४ वर्षों में भारत को डॉलर की कमी क्रमशः ५ करोड़ रुपए, ८६ करोड़ रुपए, ६३ करोड़ रुपए तथा ३७ करोड़ रुपए थी। भारत ने इस कमी को पूरा करने के लिए कई उपाय किये, जैसे स्टॉलिंग पावनों का डॉलर में परिवर्तन कराना, अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोष (I. M. F.) से १०० मिलियन डॉलर सरोदे तथा विश्व-बैंक से ४० मिलियन डॉलर का और लिया तथा अमेरिका से भी काफी सहायता ली आदि। इन सब प्रयत्नों एवं उपायों को अपनाने पर भी भारत अपने डॉलरों की कमी को पूरा नहीं कर सका। अतः भारत ने अपने डॉलर-स्कट को दूर करने के लिए भी रुपए का अवमूल्यन भी उसी अनुपात में किया जिस अनुपात में स्टॉलिंग का डॉलर में अवमूल्यन दृष्टा था।

स्लोप में, यह कहा जा सकता है कि रुपए के अवमूल्यन के मुख्य चर्देश्य ये (i) स्टॉलिंग-क्षेत्र में भारत की निर्यातों का कम न होने देना और भारतीय वस्तुओं के प्रतियोगियों (जैसे लंकातायर के कपड़े वाले, लंका की चाय, दक्षिण अफ्रीका का मिग्नोज तथा दण्डी का जूट आदि) से स्टॉलिंग क्षेत्र में प्रतियोगिता पैदा करना। ताकि इस क्षेत्र में भारतीय व्यापार की स्थिति ठीक बनी रहे, (ii) डॉलर क्षेत्र में भारतीय निर्यातों को प्रोत्साहन देना ताकि भारत को अधिक से अधिक डॉलर प्राप्त हो सके। (iii) भारत की आवाहन हूंतोत्साहित और निर्यात प्रोत्साहित करना ताकि देश में घनोत्पत्ति में वृद्धि

हो सके। (iv) अन्य प्रतिद्वंदी देशों की मुद्राओं के साथ भारत की विनियम दर का उचित समाधान करना तथा (v) भारत की स्टॉलिंग भुगतान की स्थिति को ठीकनीक बनाये रखना ताकि स्टॉलिंग से हमारा भुगतान सतुर्लन ठीक ठीक बना रहे। अत उक्त कारणों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु भारत ने इगलेंड तथा ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल (Commonwealth) के साथ ही साथ अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया और अवमूल्यन के बाद देश में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसने सरकार की नीति को व्यायामित सिद्ध कर दिया।

### भारत में अवमूल्यन का प्रभाव

अवमूल्यन के प्रभाव (Effects of Devaluation) —रुपए के अवमूल्यन के कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं—(i) भारत की भुगतान सतुर्लन की स्थिति बहुत सुधारी है—सन् १९४६ के पश्चात् कुछ समय तक हमारे व्यापाराधिक्य के सम्बन्ध में जो सुधार हुआ प्रसव कारण अवमूल्यन ही है। दुलंभ मुद्रा वाले देशों से भारत की आयातों का मूल्य ३० ५% बढ़ गया जिससे हमारे देश की आयात होत्साहित हुई। परन्तु इसके विपरीत हमारा निर्यात व्यापार बहुत बढ़ गया क्योंकि जिन देशों में अवमूल्यन नहीं हुआ था उनको ३० ५% का लाभ होने लगा था। अत अवमूल्यन से विदेशी व्यापार में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ उसके कारण भारत का डॉलर-स्कट बहुत कुछ दूर हो गया। यह इसी से स्पष्ट है कि जबकि सन् १९४६ में भारत का व्यापाराधिक्य का घाटा डाल रहे देशों के साथ ५३ करोड़ रुपए के बराबर था, तब सन् १९५० में स्थिति में इतना परिवर्तन हो गया कि डॉलर थेन्ड्र से घाटे के स्थान पर २६ करोड़ रुपए की बचत हो गई परन्तु सन् १९५१ में स्थिति में फिर परिवर्तन हुआ और सन् १९५० के विपरीत देश की डॉलर थक्कीय भुगतान की स्थिति में ७६.७ करोड़ रुपये की प्रतिकूलता हो गई। इस घाटे का प्रमुख कारण यह था कि इस वर्ष में भारत का व्यापारिक आयात ही १९५० की तुलना में ३५.२ करोड़ रुपये से बढ़कर ४५.७ करोड़ रुपये बा हो गया। इसके प्रतिरिक्त यन्त्र तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आयात में भी बहुत वृद्धि हुई। अत जबकि १९५० में हमारे डॉलर थक्कीय आयात १५७.७ करोड़ रुपए के थे, ये १९५१ में बढ़कर १८४.२ करोड़ रुपए के हो गये। परन्तु सरकार ने निर्यात की प्रोत्साहन देने के अनेक उपाय अपनाकर फिर स्थिति में सुधार कर दिया। (ii) पौंड-पावने का मूल्य कम हो गया—भारत ने अवमूल्यन के पश्चात् अपने पौंड पावनों (Sterling Balances) का जितना भाग डॉलर थेन्ड्र में व्यवहार किया, उसका मूल्य ३० ५% कम हो गया (iii) भारत के विदेशी ऋण का भार बढ़ गया है—भारत ने विश्व बैंक से ऋण लिया है, अवमूल्यन से इस ऋण का रुपया-मूल्य बढ़ गया है। परन्तु अवमूल्यन से विदेशी पूंजी और विदेशी अमेरिका वे डॉलर का विनियोग बढ़ा है। (iv) देश के धार्यालय विकास में आघात पड़ी है—अमेरिका एवं डॉलर-थेन्ड्र से वस्तुओं की आयात करने पर इनका मूल्य पहले की अपेक्षा ३० ५% अधिक देना पड़ता है। जूँकि हम डॉलर-थेन्ड्र से मुख्यतः पूजीगत-वस्तुयें (Capital Goods) मानते हैं जिनसे देश के ग्रामिक विकास में सहायता मिलती है, इसलिए

भवमूल्यन से हमारे देश के आधिक विकास में बाधा पड़ी है और सरकार को विवश होकर कुछ विकास योजनाओं को स्थगित करना पड़ा है।

यह स्मरण रहे कि अबमूल्यन से उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने ५ अक्टूबर सन् १९४६ को एक योजना घोषित की थी जिसकी मुह्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं—(i) अबमूल्यन से जो नई स्थिति उत्पन्न होगी उसके अनुसार व्यापार को इस प्रकार नियन्त्रित किया जायगा कि विदेशी विनियम कम से कम व्यय होने पाए। इस नीति को निर्धारित करते समय देश की अनिवार्य आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जायगा। (ii) भारत को अन्य देशों से भौद्योगिक माल कम से कम तथा उचित मूल्य देहर ही मंगाने का प्रयत्न किया जायगा। (iii) सांस्कृतिक तथा अन्य शासकीय एवं वैधानिक उपायों को अपनाकर ही वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि पर रोक रखली जायगी। (iv) दुर्लभ मुद्रा चाले देशों में जाने वाले निर्यत पर कर लगाकर अधिकतम विदेशी विनियम प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायगा। (v) देश में उत्तराधिन में वृद्धि करने के लिये प्रयत्न किया जायगा तथा विनियोग (Investment) को प्रोत्साहन दिया जायगा। इसलिए देश में जनता को बचत करने के लिये प्रोत्साहित किया जायगा। (vi) भारत सरकार चालू वर्ष से कम से कम ४० करोड़ रुपए की बचत और अगले वर्ष में इसके दुगुनी मात्रा में बचत करने का प्रयत्न करेगी। (vii) युद्धकाल में कमाये हुये भारी लाभों को छिपाकर जिन्होंने आप-कर की ओरी की तरफ जिनके मामले आप-कर जौक समिति को नहीं दिए गये हैं, उनसे ऐच्छिक समझौते किये जायेंगे ताकि वे अपनी किसी हुई आप निकालकर भौद्योगिक विनियोग में लगा सकें। (viii) सरकार अवमूल्यक वस्तुओं के मूल्य में १०% कमी करने का प्रयत्न करेगी। यह स्पष्ट है कि सरकार ने इन उपायों को अपनाकर एक तरफ तो अबमूल्यन से होने वाली देश की आन्तरिक मूल्य-वृद्धि पर रोक लगाने का प्रयत्न किया और दूसरी ओर देश में घनोत्तमादक में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन दिया ताकि देश अबमूल्यन से पूरा लाभ उठा सके।

### पाकिस्तान और अबमूल्यन (Pakistan and the Devaluation)

पाकिस्तान द्वारा अबमूल्यन नहीं करना तथा इसका प्रभाव (No Devaluation by Pakistan and its effects):—बब इंग्लैंड ने अपने स्टॉलिंग का अबमूल्यन १८ सितम्बर सन् १९४६ को घोषित कर दिया तथा भारत ने भी २४ अप्रैल के अन्दर ही रुपये वा अबमूल्यन कर दिया, उस समय यह आशा की थी कि पाकिस्तान भी स्टॉलिंग रोप के अन्य देशों की तरह अपने रुपये पा अबमूल्यन करेगा। परन्तु उस समय पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया वरन् २० सितम्बर १९४६ को पाकिस्तान ने यह घोषणा की कि पाक-रुपये (Pak-Ruppee) का अबमूल्यन नहीं किया जायगा। परिणामतः पाक-रुपये का डॉलर-मूल्य पूर्ववत् ही रहा और स्टॉलिंग मूल्य २५·६ पैसे प्रति पाक-रुपया हो गया जिससे १ स्टॉलिंग ६·२६ पाकिस्तानी रुपयों के बराबर हो गया। दूसरे शब्दों में, भारत के १०० रुपये पाकिस्तान के ६६·५० रुपयों के बराबर हो गये पर्याप्त १०० रु

पाकिस्तान के भारत के १४४ ह० के बराबर ही गये। यह हमरण रहे कि पाकिस्तान के अवमूल्यन न करने के निर्णय से उसकी स्टिलिंग सेन्ट्र की सदस्यता में विसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ी, यद्यपि स्टिलिंग-सेन्ट्र में पाकिस्तान हो ऐसा देश या जिसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया था। पाकिस्तान ने अवमूल्यन न करने का निर्णय घोषित करते समय यहाँ था कि अवमूल्यन दो कारणों से किया जाता है—प्रथम, देश की भुगतान विषमताओं को ठूर करने तथा द्वितीय, देश के नियांत्रित व्यापार को बढ़ाने के लिये और चूंकि पाकिस्तान के बिदेशी व्यापार में कोई विशेष विषमता नहीं है और देश से कच्चे-माल का नियत होने के बाराणे अवमूल्यन से इस व्यापार में कोई विशेष वृद्धि होने की भी सम्भावना नहीं है, इसलिये पाकिस्तान को अपनी मुद्रा के अवमूल्यन की आवश्यकता नहीं है।

पाकिस्तान के अपने रूपये के अवमूल्यन न करने से भारतीय ब्रह्म-ज्यवर्ष्या पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और भारत पाक व्यापार लगभग बन्द हो गया वयोंकि भारत ने पाकिस्तानी रूपये को इस दर को स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान के निर्णय के दो मुख्य प्रभाव पड़े थे—(अ) पाकिस्तान द्वारा अपने रूपये का अवमूल्यन नहीं करने से पाकिस्तान ने भारत के ३०० करोड़ रूपये के ऋण को बरीब ८० करोड़ रूपये की रकम से कम कर दिया था। (आ) पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है। वहाँ से भारत को जूट व कपास, धन, नमक आदि वस्तुयें आती थीं। अवमूल्यन न होने के कारण भारत को पाक जूट व कपास के लिये ४४% अधिक मूल्य देना पड़ा था जिससे भारत में भारत ने पाकिस्तान के रूपये की नवीन दर को स्वीकार नहीं किया, परन्तु विवश होकर २५ फरवरी सन् १९५१ को पाकिस्तान से एक व्यापारिक समझौता हुआ जिसमें भारत ने पाकिस्तान की रूपये की नवीन दर को स्वीकार कर लिया। इस समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान में व्यापार किर से मारम्भ हो गया।

परन्तु अवमूल्यन नहों करने से पाकिस्तान को उस समय साम अवश्य हुआ था—  
 (ए) पाकिस्तान डॉलर क्षेत्र से पूँजीगत वस्तुओं (Capital Goods) की व्यापार सस्ते मूल्य पर कर सका जिससे पाकिस्तान वे आद्योगिकरण में बहुत सहायता मिली। पाकिस्तान सरकार ने यह स्वीकार किया है कि अवमूल्यन नहीं करने से देश की उत्पादन शक्ति इतनी बढ़ी है कि अब वह अपने जूट के सामान, सिगरेट, दियासलाई, सीमेंट, कागज व अन्य आवश्यक वस्तुओं में स्वावलम्बी हो गया है। इस दाव की इस तभ्य से भी पुष्ट हो जाती है कि विभाजन के समय वह पर केवल ६ सूठी वस्तु की वित्ती थीं, परन्तु आज इनकी सूधा बढ़कर ३७ हो गई है। (आ) भारत से पाकिस्तान को कौयला कपड़ा, सूत, कागज, लोहा आदि माल जाता था। पाकिस्तान के लिये इन सब वस्तुओं का मूल्य लगभग ४४% कम हो गया अर्थात् उसे भारत से ये वस्तुएँ बहुत सस्ते मूल्य पर मिलने लगी। (इ) उस समय की आर्थिक परिस्थितियों से यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान का अपनी मुद्रा के अवमूल्यन न करने के निर्णय से उसे लाभ ही रहा। तत्परता कोरिया के युद्ध के कारण पाकिस्तान वा रूपया और भी टूट हो गया। परन्तु इन परिस्थितियों में परिवर्तन होता चला गया और पाकिस्तान के नियांत्रित उसकी

भायात से कम होने लगे और पाकिस्तान को विदेशी मुगतान मे लगी। परिणामतः ३१ जुलाई सद १९५५ को पाकिस्तान ने भी अपने की घोषणा कर दी। पाक रुपये के अवमूल्यन के बाद इसका मूल्य १००१८८२१० रुपये अथवा अमरीकी के २१ सेन्ट के बराबर हो गया।

पाकिस्तान के अपनी मुद्रा के अवमूल्यन करने के निर्णय से भारतीय धर्य-ध्यवस्था पर फिर गहरा प्रभाव पड़ा है—(अ) भारत-पाक-ध्यापार मे वृद्धि हुई है। (आ) विदेशों मे भारतीय जूट के सामान और पाकिस्तान के जूट के सामान मे प्रतिस्पर्धा होने लगी है। इस स्पर्धा के कारण ही भारत सरकार को जूट के सामान पर से १ अगस्त सद १९५५ से नियतिकर हटाना पड़ा है।

### भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन

#### (Revaluation of the Indian Rupee)

प्रावक्यन—१८ सितम्बर १९४६ को स्टलिंग और रुपए तथा अन्य स्टलिंग-हीनीय मुद्राओं का अवमूल्यन हुआ था। इस अवमूल्यन के एक बर्ष बाद ही पुनर्मूल्यन की चर्चा होने लगी थी। यह स्वाभाविक ही है कि रुपए के पुनर्मूल्यन की भी चर्चा होने लगी उर जॉन मैथाई (Sir John Mathai) भूतपूर्व भारतीय धर्य-मन्त्री रुपये के पुनर्मूल्यन के सबसे बड़े पक्षपाती रहे हैं और उन्होंने प्रपने मत के समर्थन मे जून सद १९५१ मे खो कुछ तक दिये, उनमे से कुछ नीचे दिये गये हैं।

पुनर्मूल्यन के पक्ष में तक्तक (Arguments in favour of Revaluation):—  
 मुख्य-मुख्य तक्तक इस प्रकार है—(i) रुपये के अवमूल्यन से भारतीय विकास योजनाओं मे वाधा पड़ी है क्योंकि हम पूँजीगत-वस्तुओं (Capital Goods) की अधिकांश आयात डॉलर-दोओं से करते हैं जिनके लिए हमे पहले से अधिक मूल्य देना पड़ रहा है। यही कारण था कि सन् १९५० मे भारतीय सरकार को वित्ती ही विकास योजनाओं को स्थगित करना पड़ा था। रुपये के पुनर्मूल्यन से ये वस्तुएं सस्ती हो जायेंगी और भारत के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। (ii) अवमूल्यन से यह आशा थी कि हमारा नियति-ध्यवहार बहुत बढ़ेगा। परन्तु नियति ध्यापार मे आशानुकूल बहुत वृद्धि नहीं होने पाई क्योंकि हमारी नियति वस्तुओं मे बहुत लोच नहीं है, जैसे—चाय, जूट का सामान, भीगनीज भादि। इन वस्तुओं के भूल्यों मे वृद्धि हो जाने पर इनकी मांग एवं निर्पात मे कोई विरोध कमी नहीं होने पायेगी। अतः रुपये का पुनर्मूल्यन कर देना चाहिये। (iii) अवमूल्यन से यह आशा की जाती थी कि हमारे आयातो का मूल्य बहुत कम हो जायगा, परन्तु सरकार के भरतीय प्रयत्न करने पर भी आयातों मे कोई विरोध कमी नहीं होने पाई है क्योंकि भारत में होने वाला अधिकतर आयात आवश्यक वस्तुओं का है जिनका उत्पादन देश मे कम होता है। अतः पुनर्मूल्यन करने से न केवल देश मे आवश्यक आयात ही बढ़ने वरन् देश को आवश्यक एवं उत्तम-सामग्री भी बहुत कम मूल्य पर प्राप्त होने लगेगी। (iv) पुनर्मूल्यन से देश मे मुद्रा-प्रसार के प्रभाव कुछ कम हो जायेगे। सन् १९४६ मे अवमूल्यन के कारण देश मे मूल्य-स्तर ऊँचा हो गया है। पुनर्मूल्यन के कारण ये मूल्य कम हो जायेंगे जिससे देश मे व्योगिक साधनों मे उनाव

कम हो जायगा। (v) संन् १९४६ में रथये का अवमूल्यन भारत से भुगतान का सतुलन ठीक करने के लिये किया गया था। परन्तु अब परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और भुगतान सतुलन हमारे देश के अनुकूल हो गया है। अवमूल्यन से देश में मूल्य स्तर तथा रहन-सहन का व्यय बढ़ता जा रहा है। पुनर्मूल्यन के समर्थकों का भत है कि रथये के पुनर्मूल्यन से मूल्य-स्तर तथा जीवन व्यय मूर्याक कम हो जायेगे और मुद्रा-रप्तीति को ताक्रता कम हो जायगी। उक्षेप में, रथये का पुनर्मूल्यन देश की आन्तरिक सुरक्षा के हेतु उपयुक्त बताया गया और साथ ही साथ यह मत भी प्रवक्ट किया गया है कि इसका देश की बाहरी अर्थ-व्यवस्था पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### पुनर्मूल्यन के विपक्ष में तर्क (Arguments against Devaluation) —

पुनर्मूल्यन के विरोध में जो तर्क दिये गये हैं, उनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—(i) पुनर्मूल्यन के समर्थकों का भत है कि रथये का बाह्य मूल्य बढ़ाने से हमारी आयातों का मूल्य कम हो जायगा जिससे न किवल देश की विकास योजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा बरन् उपभोक्ताओं को भी उपभोग्य पदार्थ सहित मिलने लगेंगे। परन्तु पुनर्मूल्यन के आलोचकों का भत है कि यह आवश्यक नहीं है कि पुनर्मूल्यन से आयात वस्तुओं का मूल्य कम हो ही जाय। इसका बारण स्पष्ट है। विदेशी नियर्तिकर्ता हमारी विदेशी देशकर कि हमें उनसे खाद्यान्न, मशीनरी ही नहीं एवं कन्य मावश्यक बहुत समानी हैं, अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयातकर्ता भी ऐसी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर अधिकाधिक मात्रा में साम्र कमाने का प्रयत्न करने लगेंगे वयोंकि वे जानते हैं कि उक्त वस्तुओं की पूर्ण इनकी मांग से बहुत बग है। यही नहीं, आयात वस्तुओं का मूल्य कम हो जाने से देश के उत्पादन को भी घबका पहुँचेगा। (ii) पुनर्मूल्यन के विरोधियों का भत है कि ऐसा करने पर यह सम्मद है कि अन्य देश भी प्रति-क्रियास्वरूप अपनी मुद्रा का पुनर्मूल्यन कर दें। इस स्थिति में भारत को पुनर्मूल्यन से कोई विदेशी साम नहीं होने पायेगा। (iii) यदि अकेले भारत में ही पुनर्मूल्यन किया गया, तब भारत नियर्ति व्यापार में स्टलिंग थोक के अन्य देशों से स्पर्धि नहीं कर सकेगा जिससे भारत का नियर्ति न केवल स्टलिंग थोक में ही कम हो जायगा बरन् अमेरिका में भी हमारी नियर्ति-वस्तुओं का बाजार बहुत कम हो जायगा। (iv) पुनर्मूल्यन के पक्ष में यह तर्क दिया गया था कि चूंकि हमारी नियर्ति की बहुत सी वस्तुएँ ऐसी हैं जिनकी मांग विदेशी में बेलोच है, इसलिये पुनर्मूल्यन कर देने से देश की नियर्ति में कोई विदेशी कमी नहीं होने पायेगी और इस बारण रथये का पुनर्मूल्यन कर देना चाहिए। परन्तु पुनर्मूल्यन के विरोधियों ने कहा कि उक्त विचार भ्रामक है वयोंकि भारत की नियर्ति भी अधिकादा वस्तुओं की मांग बेलोच नहीं है, जैसे—चाय, जूट आदि। भत यदि पुनर्मूल्यन कर दिया गया तब इस वस्तुओं का विदेशी में भूल्य बढ़ जाने के कारण इनकी नियर्ति काफी कम हो जायगी और विदेशी इन वस्तुओं की स्थानापन (Substitutes) वस्तुओं का भी उपयोग आरम्भ कर देंगे। इस कारण यह रथये का पुनर्मूल्यन नहीं बरता चाहिए। (v) पुनर्मूल्यन के पक्ष-पातियों ने इसका समर्थन मुद्रा-रप्तीति की तीव्रता पर रोक खाने के लिये किया है। परन्तु आलोचकों का भत है कि मुद्रा स्थिति के

प्रभावों को दूर करने वा एकमात्र साधन पुनर्मूल्यन ही नहीं है बरन् इसके अन्य उपाय भी हैं, जैसे - बचत को प्रोत्साहन देना, करो में वृद्धि करना, सरकारी व्यय में बचत तथा मूल्य नियन्त्रण आदि। अतः विनियम की दर में मन चाहे तब परिवर्तन करके विनियम की दर से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए और इस कारण उन्होंने पुनर्मूल्यन का विरोध किया।

इन सब कारणों से ही यी देशमुक्त, भूतपूर्व अर्थ-भान्नी ने रूपये के पुनर्मूल्यन का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि भारत वो अधिकाधिक साक्षा में विदेशी मुद्राओं को प्राप्त करना है ताकि न किवल व्यापाराधिक वा ही संतुलन हो जाये बरन् हमारा देश आधिक विकास के हेतु अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी पर्याप्त आयात कर सके। यह तब ही सम्भव है जब हम घपनी नियंत्रित बढ़ावें और आयात कम से कम कर दें। इस उद्देश्य की पूर्ति का एकमात्र उपाय रूपये का अवमूल्यन ही है। जब से पालिस्तान ने घपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है तब से भारतीय रूपये के पुनर्मूल्यन की आवश्यकता तो समझ समाप्त हो गई है। यही कारण है कि भाज मारत में पुनर्मूल्यन की चर्चा समझ समाप्त हो गई है। यह आवश्यक है कि अवमूल्यन या पुनर्मूल्यन के सम्बन्ध में समय-समय पर विचार होता रहना चाहिए और किसी भी नियंत्रण को एक अनितम नियंत्रण नहीं मानना चाहिए। देश की आवश्यकतानुसार ही रूपये का अवमूल्यन व्यथा पुनर्मूल्यन हो, यह ही एक उचित मोट्रिक नीति है।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B. A. & B. Sc.

1. 'रूपये का अवमूल्यन' पर नोट लिखिये। (१९५८ S, १९५७ S)।
2. सितम्बर सन् १९४९ में किन कारणों से भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ? इस अवमूल्यन से भारतीय आधिक नियंत्रि पर व्या प्रभाय पड़ा, स्टर्लिंग समझाइए। (१९५८)।
3. In September 1949, India devalued the rupee, following the devaluation of Sterling. Examine the need and justification for this measure. (1956 S).

Agra University, B. Com.

1. Write a note on—Devaluation of Currency. (1958, 1956, 1954)

Rajputana University, B. A. & B. Sc.

1. How is the exchange value of the rupee determined? Was the devaluation of the Indian rupee in September 1949 justified? Give reasons for your answer. (1954).

Rajputana University, B. Com.

1. Indicate the circumstances leading to the devaluation of the Indian rupee in 1949 and discuss its economic effects. (1956).

Sagar University, B. Com.

1. टिप्पणी लिखिये—मुद्रा का अवमूल्यन। (१९५८)। 2. मुद्रा का 'अवमूल्यन' (Devaluation) व्या है? बर्तमान परिस्थितियों में भारतीय रुपए के अवमूल्यन के पक्ष एवं विपक्ष के सकौं की परीक्षा कीजिये। (१९५८)। 3. मुद्रा के अवमूल्यन से व्यापार व्यथा समझते हैं? भारतीय दशाओं में संदर्भ में बताएं कि विपरीत व्यापार संतुलन

(Unfavourable Balance of Trade) को सुधारने में अवमूल्यन का क्या हाथ होता है? (१९५७)। ४ सद १९४६ में किन परिस्थितियों में मुद्रा-अवमूल्यन हुआ और इसका क्या परिणाम निश्चित? वर्णन कीजिये। (१९२५)।

Jabalpur University, B. Com.

१. नोट लिखिये—अवाहन्त्र (Devaluation) और उसके परिणाम।

Vikram University, B. A & B Sc.

१. संविधान टिप्पणी लिखिये—मुद्रा अवमूल्यन। (१९५६)।

Gorakhpur University, B. Com.

1. Write a short note on—Devaluation of the Rupee. (Pt. II, 1959).

Allahabad University, B. A.

१. छित्रबार १९४६ में रुपये का अवमूल्यन क्यों किया गया और इससे भारतीय उद्योग घन्यों तथा व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? (१९५७)।

Allahabad University, B. Com.

1. Write a note on—Revaluation. (1957)

Nagpur University, B. A

१. सद १९४६ में रुपये का अवमूल्यन क्यों किया गया? इस अवमूल्यन के क्या परिणाम हुये? क्या इससे अधिक व्यापार होना आप सावद्यक समझते हैं? (१९५६)

—  
—  
—

### अध्याय ६

## भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली

(Decimal Coinage in India)

प्रावक्षयन —१. प्रत्रिल सद १९५७ से भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली को अपनाया गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय सरकार ने प्रत्रेक राजनीतिक व धार्यिक समस्याओं को हल किया है और उनमें से एक मुद्रा प्रणाली में सुधार है। धर्यापि नई मुद्रा प्रणाली अप्रैल सन् १९५७ से अपना लो गई है, परन्तु नई और पुरानी मुद्रा प्रणालिया दोनों ही लीन साल तक साथ ही साथ चलन में रहेंगी। अब तक की प्रचलित प्रणाली में १ रुपये की दोष यही है कि इसमें हिसाब-किताब करने में बहिराइ होती है। परन्तु इस प्रणाली के हिसाब किताब करने के दोष को इसमें थोड़ा-सा ही सुधार करके दूर किया जा सकता है और सुधार यह है कि इस प्रणाली ने दशमिक मुद्रण नस्त (Decimal Coinage System) पर माध्यरित कर दिया जाय। दशमिक मुद्रा प्रणाली से अभिप्राय एक देसी प्रणाली से होता है जिसमें प्रत्येक मुद्रा इकाई अपने से ऊपर की मुद्रा इकाई का दसवीं भाग होती है। इस तरह इस प्रणाली में एक मुद्रा इकाई को १० से गुण करके या १० से भाग देकर दूसरी मुद्रा इकाई निकाली जा सकती है।

संसार में १४० प्रकार के मुद्रा मान हैं जिनमें १०५ दशमलव पद्धति (Decimal System) पर आधारित हैं। अभी तक जिन देशों ने मीट्रिक सिस्टम (Metric System) अथवा दशमिक प्रणाली नहीं अपनाई है उनमें इंडिया, अमेरिका तथा (Commonwealth) के बुध्य ग्रन्थ प्रमुख देश भी हैं। जिन देशों में यह प्रणाली प्रचलित है, वहाँ प्रमुख मुद्रा के सौबों भाग को सेंट (Cent) कहते हैं। सेंट लेटिन शब्द 'सेंटम' का अपभ्रंश है जिसका अर्थ 'शतांश होता है। लंका में इसे 'रयंट' कहते हैं जिसका अर्थ होता है "सौबों भाग"। स्थाम में इसे 'सितांग' कहते हैं जो बास्तव में संश्लेषित के 'शतांश' शब्द का अपभ्रंश है। पर भारत सरकार ने रप्ये के सौबों भाग का नाम "नया पैसा" रखा है। भारत में नई प्रणाली में भी प्रमुख सितांग रप्या ही रहेगा और उसे १०० भागों में विभाजित करके मुद्रा का दशमलवीकरण किया गया है।

### संक्षिप्त इतिहास

भारत में दशमिक त्रम का इतिहास(History of the Metric System in India):— संसद में मुद्रा के दशमलवीकरण के सम्बन्ध में विधेयक उपलिखित विदे जाने के घबराह पर प्रधान मन्त्री ने कहा था कि दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारतवर्ष में हुआ था। इसी कारण यह भासा है कि हमारे देश में इस प्रणाली को कार्यान्वित करने में कोई विरोध कठिनाई नहीं होगी। यह स्पष्ट है कि भारत में दशमिक त्रम की स्थापना का इतिहास काठी पुराना है। हाल ही में सदृश पहले सन् १८६७ और १८७१ के दीन के काल में इस प्रणाली को अपनाने का प्रयत्न किया गया। उस समय की भारत की सरकार ने घटुत जाच-पड़ताल करके यह निर्णय किया था कि देश की अनेकों कठिनाइयों का एकमात्र उपाय दशमिक त्रम की स्थापना ही है। इस हेतु सन् १८३० में दशमिक एकट (Metric Act of 1870) पास किया गया, परन्तु दुर्भाग्य से तब से अब तक उचित एकट कार्यान्वित नहीं किया गया। सन् १८४० में भारत में भारतीय दशमिक सभा (Indian Decimal Society) स्थापित हुई और इसने देश में दशमिक त्रम की स्थापना पर वहुत जोर दिया तथा जनता में इस प्रणाली से सम्बन्धित उपयुक्त ज्ञान का प्रचार किया। परिणामतः देश की अनेक संस्थाओं को जानेः जाने दशमिक प्रणाली के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान हो गया और उन्होंने भी इस प्रणाली को अपनाने के लिये मनुरोप किया। भारतीय दशमिक सभा (Indian Decimal Society) के प्रचार व मनुरोप के परिणामस्वरूप ही सन् १८४६ में भारत सरकार ने यारा समर के लामने एक विल पेश किया जिसमें देश में दशमिक मुद्रा प्रणाली के अपनाने की घ्यवस्था की गई थी। तत्पश्चात् सरकार ने इस विल पर जनता का मत प्राप्त करने के लिये इसे देश में देशवासियों के सम्मुख रखया। इस विल पर जनता का मत प्राप्त करने के लिये उनसे यह स्पष्ट है कि जनता ने एवं कालिंग व झापार संघों ने उक्त विल का स्वागत किया। इसी समय सन् १८४६ में एक भारतीय मान संस्था विधेय समिति (Indian Standards Institution Special Committee, 1958) की स्थापना हुई। इस समिति ने भी देश में दशमिक त्रम की स्थापना के सम्बन्ध में जाच-पड़ताल की ओर सन् १८४६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह समिति भी इसी निर्णय पर पूँछी कि

देश में दशमिक क्रम को स्थापना होनी चाहिये परन्तु इस समिति ने इस बात की सिफारिश की कि यह प्रणाली देश में १०-१५ वर्ष में जने जने ही अपनाई जानी चाहिये।

सत्र १९५६ से भारत सरकार ने बहुत सोच विचार करने के बाद भारतीय मुद्रा (सशेषन) नियम पास किया। इस नियम की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं—  
 (i) इस एकट के अनुसार भारत की मुख्य मुद्रा इवाई रूपया ही रहेगी। सबसे छोटी मुद्रा इकाई का नाम “नया पैसा” रहेगा (जब तक कि पुराना पैसा प्रचलन में है)। एक रूपया १०० नये पैसों में विभाजित किया जायगा अर्थात् यह १०० नये पैसों के बराबर होगा। (ii) एन रूपये के अतिरिक्त ५० पैसे और २५ पैसों के दो सिक्के और प्रचलित किये जायेंगे। वर्तमान अठनी ५० पैसों के बराबर अठनी २५ पैसों के बराबर रहेंगे। (iii) अठनी व चबनी सिक्कों का बजन व आकार ज्यों वा त्यों ही रहेगा। (iv) पुरानी प्रणाली की दुबासी, इकाई और अधनी सिक्कों के स्थान पर क्रमशः १०, ५, २ पैसे के नये सिक्के बनाये जायेंगे। (v) पुरानी प्रणाली के २ प्राप्ते १ प्राप्ते, २ पैसे तथा १ पैसे के सिक्के भी नये सिक्कों के साथ ही साथ प्रचलन में रहेंगे परन्तु इनका धीरे-धीरे विमुद्रीकरण (Demonetization) कर दिया जायगा। (vi) दोनों बर्ष बाद पूर्णरूप से नई मुद्रा प्रचलन में रहेगी (यद्यपि इस अवधि को आवश्यकता पड़ने पर चढ़ाया जा सकता है)। (vii) रूपया, अठनी व चबनी के सिक्के निकल (Nickel) के बनाये जायेंगे, १ नया तांबे का रहेगा तथा अन्य सिक्के तांबे और गिलट के मिथण से बनाये जायेंगे।

भारत में मुद्रा की दशमिक प्रणाली की विशेषताएँ (Characteristics of the Decimal System of Coinage in India)—अब तक की प्रणाली में १ रु० में १६ बाने वा १६ पैसे के परन्तु अब नई दशमिक प्रणाली में ६४ पैसों की अपेक्षा १ रु० में १०० पैसे हो सकते हैं। वर्तमान अठनी, चबनी व दुबासी के सिक्कों के स्थान पर क्रमशः ५०, २५ तथा १०० नये पैसों के सिक्कों के बनाने की व्यवस्था की गई है। इस तरह इस नई प्रणाली में सिक्के इस प्रकार हैं—१०० नया पैसा, (या १ रूपया), ५० नया पैसा, २० नया पैसा, १० नया पैसा, ५ नया पैसा, २ नया पैसा तथा १ नया पैसा। स्पष्ट है कि वर्तमान दुबासी, इकाई, अधनी तथा १ पैसे की नई प्रणाली में कोई विलक्षण ठीक व बराबर का सिक्का नहीं होगा, परि भी १० नया पैसा, ५ नया पैसा २ मध्य पैसा तथा १ नया पैसा क्रमशः इनके बराबर ही माने जायेंगे। नई मुद्रा प्रणाली में भी पुराने रूपे, अठनी व चबनी के सिक्के साथ ही साथ प्रचलन में रहेंगे।

नई प्रणाली को कार्यान्वित करने में कठिनाइयाँ—सरकार ने स्वयं नई मुद्रा प्रणाली को चालू करने के सम्बन्ध में कई कठिनाइयाँ मानी हैं—(i) पुरानी प्रणाली एक बहुत ही सम्पूर्ण समय से चालू रही है, इसलिए मुद्रा सम्बन्धी कोई भी नई प्रणाली जनता को प्रतिक्रिया होगी। जब तक नई और पुरानी प्रणाली साथ ही साथ चर्चेंगी तब तक उन जनवादी को मुद्रा प्रणाली बहुत ही जटिल प्रबोत होगी। इस कारण बहुत कुछ भावनाओं से प्रेरित होकर ही नई प्रणाली का विरोध किया गया है। ताकि जनता का

अधिक विरोध नहीं होने पाए और मुद्रा प्रणाली सरल रहे, इसीलिये नई प्रणाली में भी रूपय, मठमी तथा चबमी के पुराने शिवक ही प्रचलन में रहेंगे। (ii) जब तक नई च पुरानी प्रणाली चलन में रहेगी तब तक सीधे-सादे व्यक्तियों के टोडे जाने की सम्भावना है। भस्ती गडवड़ चबमी के नीचे के ही सिवकों में रहेगी। परन्तु जब पुरानी प्रणाली का पूर्ण अन्त हो जायगा तब यह गडवड़ भी समाप्त हो जायगी। (iii) मुद्रा प्रणाली में परिवर्तन हो जाने पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण के आधार में भी परिवर्तन हो जायगा। रेल व ट्राकखाने की दरें नये पैसों में व्यक्त की जायेंगी। यह कठिनाई भी अल्पकालीन नहीं है। परन्तु जब पुरानी प्रणाली का पूर्ण अन्त हो जायगा तब इसके साथ ही साथ इन सब कठिनाइयों का भी अन्त हो जायगा।

नई प्रणाली के लाभ (Advantages of the New System):— भारत सरकार के वित्त-विभाग ने दशमलव प्रणाली के कई लाभ बताये हैं:—(i) नई प्रणाली से देश में सरल तथा शोध लेखा-विधि का निर्माण हो गया है। (ii) यह मूल्य निर्धारण की एक सप्रभाविक रीति है। इस प्रणाली में वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य बहुत आसानी से नाप लिया जाता है। (iii) इस प्रणाली में विविध प्रकार की मुद्रा इकाइयों को समाप्त कर दिया गया है और नई इकाइयों को दशमलवी आधार पर परिभायित किया गया है। (iv) इस नई प्रणाली में मूल्यों के छोटे से छोटे परिवर्तन को अधिक सही सरीके ऐ नापा जा सकता है। (v) विद्यायियों को गणित के सीखने में कम समय लगेगा तथा प्रश्नों की अनावश्यक जटिलता दूर हो जायगी।

लेखकों ने नई मुद्रा प्रणाली के युद्ध और लाभ भी बताये हैं जो इस प्रकार है—  
 इस समय देश के विभिन्न भागों में बजन व नाप और लम्बाई के नापने के बहुत से आधार हैं जिससे बहुत-सा राष्ट्रीय थम व राष्ट्रीय शक्ति बेकार हो जाती है। यह दोष दशमिक क्रम को न किल मुद्रा-प्रणाली में बहिक नाप-तोल व लम्बाई के नापने में भी अपनाने से दूर हो जायगा। (ii) संसार में लगभग १०५ देशों ने जिनमें विभिन्न जलवायु है और भिन्न-भिन्न संस्थाति के लोग रहते हैं, इस क्रम (System) को अपना रखा है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि जिस देश ने इस प्रणाली को एक बार अपना लिया है वह इसे उत्तमता नहीं घाहता। चूंकि इस प्रणाली में हिसाब-विताव रखने की सरलता है, इसलिए जननमत भी इसके पास में है। अतः जिस प्रणाली को विद्व की हीन-चीयाई जन-संस्था ने अपना रखा है, उसे भारत को भी अपना लेना सामग्रद होगा। (iii) सारांर के सभी सभ्य देशों में गणित के विन्दु दशमलवीय आधार पर यानाये गये हैं। नाप-तोल की यही प्रणाली सरल व सुविधाजनक होती है जिसका आधार दशमिक क्रम होता है। अतः ऐसी सरल एवं सुविधाजनक प्रणाली को हमें भारत में भी अपनाना चाहिए और जब हमें अपने देश की वर्तमान नाप व तोल की दोषपूर्ण प्रणाली में परिवर्तन करना ही है, तब ऐसी रीति वयों न अपनाई जाय जो सर्वथेट, स्थाई तथा अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं पर अवसम्बित है और यह है दशमिक प्रणाली। अतः देश के आधिक विषय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उपर्याति के हेतु हमारे लिए दशमिक क्रम सामग्रद है।

निष्कर्ष — काफी बाद विदाद और सोच विचार के बाद भारत में दशमिक प्रणाली को अपना लिया गया है और अब बड़ी से बड़ी गुण तथा भाग की क्रिया के बहल दशमलव बिंदु को दाढ़िते या बाईं की ओर हटा कर ही की जा सकती है। यह अवधिप है कि शारन्म में कुछ कठिनाई अवधिय अनुभव होगी। परन्तु कुछ समय पश्चात् यह काय भत्यन्द सुगम हो जायगा। यही नहीं इस समय देश में भार के माप की १४२ पद्धतियाँ हैं, द्वारी के नापने के १८० विभिन्न तरीके प्रचलित हैं। असली 'मन' तो ४० सेर या ३२०० तोले का होता है, परन्तु देश के विभिन्न भागों में २८० तोले से लेकर ८३२० तोले तक के १०० प्रकार के 'मन' पाये जाते हैं। बीघा शाय देश के प्रत्येक राज्य में विभिन्न क्षेत्रफल बरताता है। इन सबके कारण आर्थिक व्यवहार में बहुत गड़बड़ी रहती है और हिसाब बिताव अनायास ही चटिल हो जाता है। देश में दशमिक प्रणाली न केवल मुद्रा य वरन् नाप तोल व लम्बाई के मापने में अपनाने पर हिसाब किताब की सब कठिनाई दूर हो जाती हैं। इसी कारण सरकार का लगता कदम नाप तोल व लम्बाई के नापने में दशमिक ल्रम को अपनाना ही है। भारत सरकार ऐसा करने की ओर अब प्रयत्नशील भी है।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University B A & B Sc

१. दशमिक मुद्रा पर नोट लिखिये : (१९५८, १९५६)

Agra University, B Com

१. भारतीय मुद्रा प्रणाली म दशमलव प्रणाली वा वर्णो समावेश किया गया है ? हमारे समाज को इससे क्या लाभाताम (Advantages and Disadvantages) हैं ? (१९५६) ।

Allahabad University, B Com

1. Write a note on—Decimal system of Coinage (1957, 1956)

Rajputana University B A & B Sc

1. What is decimal coinage ? Give the advantages and disadvantages of this system under Indian conditions (1956)

Jabalpur University B A

१. नोट लिखिए—दशमिक टकन (Decimal Coinage) (१९५८) ।

### अध्याय ७

## भारत में नोट निर्गम का संक्षिप्त इतिहास तथा इसकी वर्तमान रीति

**(Short History and Present Method of Note Issue in India)**

### संक्षिप्त इतिहास (Short History)

**प्राबृक्षयनः—**भारत में पत्र-मुद्रा-घलन के इतिहास को हम तीन मुख्य कालों (Periods) में विभाजित कर सकते हैं—(अ) सन् १८०६ से सन् १८६१ तक, (आ) सन् १८६१ से सन् १८३४ तक तथा (इ) सन् १८३४ से सन् १८५६ तक (ई) सन् १८५६ से सन् १८५६ तक।

**(अ) सन् १८०६ से सन् १८६१ तक प्रेसीडेन्सी बैंकों द्वारा नोटों का प्रकाशन**

इस काल की मुख्य-मुख्य घाँटें इस प्रकार हैं—(i) भारतीय मुद्रा प्रणाली में पत्र-मुद्रा (Paper Currency) का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ था। इससे पहले भारत में पत्र-मुद्रा का जनना को ज्ञान तक भी न था। (ii) सन् १८०६ में बैंक ऑफ बंगाल (Bank of Bengal) सन् १८४० में बैंक ऑफ बम्बई (Bank of Bombay) तथा सन् १८४३ में बैंक ऑफ मद्रास (Bank of Madras) की स्थापना हुई थी। सरकार ने इन तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों को नोट-निर्गम का अधिकार ५ करोड़ रुपये की पत्र-मुद्रा तक दे दिया था। जिससे उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में भारत में नोटों का प्रकाशन के बल इन तीन प्रेसीडेन्सी बैंकों द्वारा ही किया जाता था। (iii) प्रेसीडेन्सी बैंकों के नोटों की कई विसेपतायें थीं—इन नोटों का चलन दोष वरमयः बलकहर, यद्यव्वी तथा मद्रास शहरों तक ही सीमित था; इन नोटों का मुग्धतान बैंकों को माँग पर करना पड़ता था, ये नोट देना भर के जिसे कानूनी मुद्रा नहीं थे, प्रत्येक बैंक को कुल नोटों की मात्रा का ३३½% (वाद में यह घटाकर २५% कर दिया गया था) पातु-निधि (Metallic Reserve) के रूप में रखना पड़ता था, यरकार ने प्रत्येक बैंक की नोट-निर्गम की एक अधिकृतम तीमा भी निरचित कर दी थी; तीनों बैंकों द्वारा निर्गमित नोटों की राशि उथा इनके रंग-रूप मिल थे। (iv) तीनों प्रेसीडेन्सी बैंक यद्यपि व्यक्तिगत (Private) थे और ये शेयरोंशिरों (Shareholders) के थे, परन्तु सरकार द्वारा भी इनके शेयर (Shares) खरीद जाते थे। इस तरह इन तीनों बैंकों के प्रबन्ध में सरकार का हाथ रहता था। सन् १८६१ में सरकार ने इन प्रेसीडेन्सी बैंकों द्वारा निर्गमित नोटों का प्रबलन घन्ट कर दिया था।

\*कुछ विडानों वा जमत है कि नोट निर्गम का अधिकार इन तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों के अतिरिक्त सात अन्य बैंकों को भी दे दिया गया था।

**(ग्रा) सन् १८६१ से सन् १९३६ तक:-सरकार द्वारा निश्चित असुरक्षित नोट-चलन पद्धति के आधार पर नोटों पा प्रकाशन**

इस काल को मुख्य-मुद्र्य वाले इस प्रकार है—(i) सन् १८६१ में सरकार ने पत्र-चलन-एक्ट (Paper Currency Act) पास किया और तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों के द्वारा नियंत्रित नोटों के चलन को बन्द कर दिया। (ii) पत्र चलन एक्ट की प्रमुख विधेपत्राओं इस प्रकार हैं—इस एक्ट के अनुसार भारत सरकार ने पत्र मुद्रा-चलन का वायं स्वयं अपने हाथ में ले लिया था, सरकार ने विधान के अनुसार १०, २०, ५०, १००, ५००, १००० तथा १०,००० रुपये के नोटों का प्रकाशन किया, तत्पश्चात् १९६१ में सरकार ने ५ रुपए के नोटों का भी प्रचलन किया, सरकार ने आरम्भ में देश को तीन नियंत्रण छेत्रों (Issue Circles) में विभाजित किया—कलकत्ता, बम्बई और मद्रास और यह निश्चित कर दिया कि प्रत्येक छेत्र में निकले हुये नोट के बल उसी छेत्र के भीतर अवरिमित विधि प्राप्त हो सकते थे, बाद में चल कर सरकार ने नियंत्रण छेत्रों को सहज तीन से बढ़ावा दात कर दी थी, उस समय की घटवस्था के अनुसार नोटों में परिवर्तनशीलता यो परन्तु नोटों के बदले में सिव्हें थोन के प्रधान वार्यालय पर ही मिल सकते थे, सरकार ने सरकारी मुद्रानां के सम्बन्ध में यह सुविधा दे रखी थी कि सरकार द्वा भुगतान किसी भी थोन के नोटों में किया जा सकता था, नोटों के चलन के सम्बन्ध में जो एक्स-प्रणाली स्थापित की गई थी, उसके कारण नोट जनता में अविकल्प लोकप्रिय नहीं हो सके। परिणामतः सरकार ने छेत्रों को याने याने तोड़ दिया—सन् १८६३ में ५ रुपये के नोट, सन् १८१० में १० और ५० रुपये के नोट और सन् १८११ में १०० रुपये के नोटों को देश भर में अवरिमित विधि प्राप्त मुद्रा बना दिया गया और तब से आज तक प्रत्येक नोट सारे देश में कानूनी मुद्रा के रूप में चलन में रहता है। (iii) सरकार ने इण्डिया की नोट नियंत्रण प्रणाली के आधार पर भारत में भी सन् १८६१ के पत्र चलन-एक्ट (Paper Currency Act 1861) के अनुसार निश्चित अवरिमित पत्र मुद्रा चलन पद्धति (Fixed Fiduciary System) की स्थापना की थी। इस प्रणाली के अनुसार ४ करोड़ रुपये के नोट सरकारी प्रतिभूतियों (Securities) के आधार पर निकाले जा सकते थे, परन्तु यदि इस सीमा से प्रधिक नोट निकाले जाते थे, तब इस सीमा से ऊपर के प्रत्येक नोट की आड में यात्रा प्रतिशत रुपये के सिव्हें, यात्रुओं तथा भारत सरकार की रुपये की प्रतिभूतिया (Rupee Securities of the Govt of India) रक्खी जाती थीं। सन् १८६३ में सरकारी प्रतिभूतियों (Securities) के आधार पर द्वारा जा सकने वाली नोटों की सीमा बढ़ावा दर ४ करोड़ रुपये कर दी गई और सन् १९१४ में चेम्बरलैन कमीशन (Chamberlain Commission) ने इस सीमा को बढ़ाकर २० करोड़ रुपये करवा दी। धातु निधि से सम्बन्धित नियमों में समय-समय पर संशोधन किये थे थे—सन् १८६८ म एक नियम के अनुसार भारत सरकार को यह प्रधिरार दे दिया गया था कि वह निधि का एक भाग सोने के रूप में भी रक्खा सकती थी भर्यात् भारत-मन्त्री के पात्र रखें हुए स्वर्ण के आधार पर भी वह पत्र-मुद्रा का नियंत्रण कर सकती थी। इसी तरह सन् १९०० के एक नियम के अनुसार सरकार को निधि दा हुआ भाग

सन्दर्भ में रखने का अधिकार दे दिया गया था (रपये के चिकितों को सन्दर्भ में रखने का अधिकार नहीं दिया गया था)।

भारत में सन् १८६१ से १९३६ तक अपनाई गई निश्चित अमुरलित नोट निर्गम पद्धति के गुण-बोध—ठिकर यह बताया जा चुका है कि भारत में सन् १८६१ के पश्चात्सन एक्ट (Paper Currency Act) के अनुसार निश्चित अमुरलित नोट-निर्गम पद्धति (Fixed Note Issue System) को अपनाया गया था। इस प्रणाली में कई गुण थे—

- (i) **मुरलितता:**—भारत की उस समय की नोट-निर्गम प्रणाली में गुरुदा (Security) यी ध्योकि एक निश्चित सीमा के ऊपर जितने भी नोटों का विनेम किया जाता था उसके लिए धृत प्रतिशत निधि रखवी जाती थी जिससे देश में मुद्रा-प्रसार का अप बहुत कम रहता था। (ii) **परिवर्तनशीलता:**—नोट चाँदी के रपयों में परिवर्तनशील थे। परन्तु इस प्रणाली में कई दोष भी थे— (i) स्वयं-स्वालिन का अभाव था—इस प्रणाली में स्वयं-स्वालिन का अभाव रहता था और इसीलिये अमुरलित नोटों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए सरकार को समय-समय पर नये-नये निधि बनाने पड़ते थे। (ii) निधि में धातु भाग बहुत ज्यादा था—इस प्रणाली में जो भी निधि (Reserve) रखी जाती थी, उसमें धातु-निधि (Metallic Reserve) का मात्र बहुत रहता था जिससे यह प्रणाली अमितव्ययी एवं अद्यवृत्त थी। इसके प्रतिरक्त इस प्रणाली में निधि का कुछ भाग सन्दर्भ में रखा जाता था। (iii) यह प्रणाली बहुत ज्यादा वेतोचदार थी—सरकार एवं लकड़ी के देश में गोदिक बाजार व ऐन्ड्रीय बैंकिंग का विकास नहीं होने पाया था, जिसके कारण यह प्रणाली बहुत ज्यादा लोचहीन थी। ऐन्ड्रीय बैंक के नहीं होने के कारण सरकार को बोय (Reserve) को ट्रैजरीज में बदल रखना पड़ता था जिसके कारण आवश्यकता के समय मुद्रा-धार भी धन का अभाव अनुमत थोड़ा था। इसी तरह केन्द्रीय बैंक के नहीं होने के कारण सरकारी धाय को केन्द्रीय बैंक में रखकर इसे देश के व्यापार के लिए उपयोगी नहीं बनाया जा सकता था।

प्रथम महायुद्ध का पश्च-मुद्रा-सन्दर्भ पर प्रभाव (१९१४—१९१६):—यूं ही अरम्भ से ही जनता का नोटों में बहुत कम विवास था, परन्तु प्रथम महायुद्ध के अंतर्मध्य होते ही जनता का पश्च-मुद्रा में से विवास विलुप्त रह गया और पश्च-मुद्रा के बदले में धोने और बाद में चाँदी के चिकितों की मात्र दूर्दा। परिणामतः मुद्रा आरम्भ होने के प्रथम ८ महीनों में ही १० करोड़ रपये के नोटों का परिवर्तन हुआ। परन्तु बढ़ते हुये व्यापार के कारण मुद्रा की मात्र बढ़ी और मात्र की दूर्ति, चाँदी के प्रयोग के कारण चाँदी के चिकितों में न होकर, पश्च-मुद्रा ढारा की गई जिससे जनता का चलन-पद्धति में फिर से विवास रवापित हो गया। यरकार को सन् १९१६ में पश्च-मुद्रा के अवधित भाग की धीमा दो २० करोड़ से यद्यार १२० करोड़ रपया बरगा पड़ा और यह भी तय कर दिया गि १०० करोड़ रपये का विनियोग गिटिरा ट्रैजरी विक्ष्य में हो गाया था। इसके प्रतिरक्त मुद्रा की बढ़ती दूर्दा मात्र के कारण यरकार ने दिसंबर १९१७ और जनवरी १९१८ में प्रमद्यः २२ रुपए और १ रुपये के नोट ढारी करने पड़े और इनकी बाज़ में कुछ भी संवित निधि नहीं रखी गई (जनवरी १९२६ में इनका चलन बन्द किया गया)

था)। परिणामतः भारत में पत्र-मुद्रा वी आड में जो पत्र-चलन निधि थी, यद्यपि सन् १९१४ में उसमें घातु का भाग ७०-८०% था, परन्तु सन् १९१६ में यह प्रतिशत घट कर केवल ३५% रह गया और इसी तरह पत्र-चलन निधि में प्रतिभूतियों (Securities) का प्रतिशत १९१४ की तुलना में २१ से बढ़कर ५४% हो गया। युद्ध काल में भारत में पत्र-मुद्रा में वृद्धि भी बहुत हुई। जबकि सन् १९१४ में नोटों की कुल मात्रा ९६०१२ करोड़ रुपये थी, सन् १९१६ में यह बढ़कर १९२६१ करोड़ हो गई (तिगुनी हो गई)।

सन् १९१६ की बैंकिंगटन-स्मिथ कमेटी की विकारियों (Recommendations of the Balfour-Smith Committee) —प्रथम युद्ध की समाप्ति पर भारतीय चलन प्रणाली में जाँच पड़ताल करने के लिये सरकार ने सन् १९१६ में बैंकिंगटन-स्मिथ कमेटी की नियुक्ति की थी। इस कमेटी ने पत्र-चलन को लोनदार बनाने तथा मूल्य स्थैर्य लाने के हेतु कुछ सुझाव दिये, जो मुख्य मूल्य इस प्रकार हैं—(i) पत्र चलन के अरक्षित भाग को १२० करोड़ रुपये किया जाए जिसमें २० करोड़ रुपये से अधिक भारत सरकार की प्रतिभूतियों (Securities) नहीं होनी चाहिये। (ii) पत्र-चलन कोष में कुल चालू नोटों का कम से कम ४०% भाग सोने या चांदी के रूप में होना चाहिये। पत्र मुद्रा कोष का सोना चांदी भारत में ही रखा जाय। इस तरह अरक्षित पत्र-चलन किसी भी समय कुल-चलन के ६०% से अधिक नहीं होना चाहिए। (iii) रुपये की विनियम दर २ शिलिंग प्रति रुपया की जाय (शिलिंग स्वर्ण में परिवर्तनीय थे) और तदपश्चात् ५% मुद्रा-निधि के स्वरूप वा इस दर पर नुन्मूल्यन (Revaluation) किया जाय। (iv) सरकार को नोटों के परिवर्तन की अधिक से अधिक सुविधायें देनी चाहिये और सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह नोटों के बदले में सोना दे या चांदी के सिक्के दे। (v) मौसमी मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अरक्षित-पत्र-मुद्रा के अतिरिक्त ५ करोड़ रुपए की मुद्रा, नियंत्रित बिलों (Export Bills) की आड पर चलाई जाय और इसे प्रेसीडेन्सी बैंकों को अरण के रूप में दे दिया जाना चाहिए।

पत्र चलन एकट १९२३ —सन् १९२० और इसके बाद-पास भारत की पत्र मुद्रा-प्रणाली में संशोधन करने के लिये अनेक छोटे-छोटे नियम पास किये गए। इसलिये सन् १९२३ में भारत सरकार ने एक सामूहिक एकट पास किया जिसने पत्र मुद्रा-निधि में इस प्रकार परिवर्तन किये—(i) पत्र-चलन-निधि का बम से बम ५० प्रतिशत भाग घातु निधि के स्वरूप में कर दिया गया अर्थात् अरक्षित भाग घातु निधि के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिये। यह स्मरण रहे कि बैंकिंगटन-स्मिथ कमेटी ने यह केवल ४० प्रतिशत रखने की विकारिया की थी। इस प्रतिशत में वृद्धि बरने का कारण केवल यह था कि नोटों के बदले में आसानी से रुपये दिये जा सकें। (ii) शेष निधि को २० करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों के रूप में भारत में रखदा जा सकता था और इसके अतिरिक्त-नोट-निधि का विनियोग इण्डेंड में प्रतिभूतियों के रूप में रखना आवश्यक कर दिया गया। (iii) इस निधि का सोना जो भारत युनिव के पास रहता था, वह अधिक से अधिक ५ करोड़ रुपयों की बीमत का हो सकता था। (iv) मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पत्र-मुद्रा का इस चलन नियन्त्रक (Controller of Currency) को यह अधिकार दिया गया।

कि वह ६० दिन की प्रवधि के नियम-वित्त के मापार पर अधिक से अधिक ५ करोड़ रुपये की मुद्रा चलन में ला सकता था। सन् १९२१ में तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों को मिला-कर इम्पीरियल बैंक बना दिया गया। इस बैंक को ही इस प्रकार की पश्च-मुद्रा के निर्गम का अधिकार दिया गया और इसे ५ करोड़ के स्थान पर १२ करोड़ रुपये की मुद्रा जारी करने का अधिकार दिया गया। यह स्मरण रहे कि इस एकट के बाद में एक संशोधित रूप में ही कार्यान्वित किया गया।

### हिल्टन-यंग कमीशन

सन् १९२६ में हिल्टन-यंग कमीशन की सिफारिशें (Recommendations of the Hilton Young Commission of 1926):—भारतीय मुद्रा-प्रणाली की जीव-पहुँचात सथा इसमें मुपार के सुव्याव पेश करने के लिए सन् १९२६ में हिल्टन यंग कमीशन की नियुक्ति की गई। इस कमीशन के मुख्य-मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं।—(i) देश में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए और इसे ही इम्पीरियल बैंक के स्थान पर नोट निर्गम का एक-भाग एकाधिकार दिया जाना चाहिए (ii) कमीशन ने भारत में प्रानुपातिक क्रीड़-प्रणाली (Proportional Reserve System) की स्थापना की सिफारिश की थी और यह मुव्याव दिया कि कोप भी ४०% होना चाहिए। (iii) कमीशन ने यह भी सुझाव दिया कि केन्द्रीय बैंक द्वारा जो नये नोट जारी किये जा रहे हैं, वे रुपयों के बजाय स्वर्ण-पाट (Gold Bullion) में परिवर्तित होने चाहिए। (२१ रु० ३ धा० १० पाई प्रति रुपया की दर पर)। परन्तु यह आवश्यक बताया गया कि एक बार में कम से कम ४०० और सोने का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। (iv) कमीशन ने यह भी सुझाव दिया कि स्वर्ण-मान-रिजर्व (Gold Standard Reserve) तथा पश्च-मुद्रा-चलन रिजर्व (Paper Currency Reserve) दोनों को मिला कर एक (Consolidation) कर देना चाहिये (v) इसने १ रु० के नोट के पुनः चलन की सिफारिश की, परन्तु पे नोट रुपये में परिवर्तनशील नहीं होने चाहिये।

सन् १९२७ का करेंसी एकट (Currency Act of 1927):—हिल्टन-यंग कमीशन की बहुत सी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृत किया और इसे सन् १९२७ के करेंसी एकट द्वारा कार्यान्वित किया—(i) इस एकट के अनुसार देश में स्वर्ण-पात्र मान (Gold-Bullion Standard) स्थापित किया गया। सरकार जनता से निश्चित दर पर स्वर्ण गरीदा करती थी और उसने कम से कम ४०० रुपये सोना २१ रु० १ प्राने १० पाई की दर पर देयने की विमेदारी प्रपने ऊपर ली। परन्तु सरकार विदेशी-मुगठान के निये सोना देया स्टॉलिंग दे यह उसकी इच्छा पर निभर रहता था (ii) केन्द्रीय बैंक द्वारा स्वप्नना वा वित घारा-गुमा में अत्यधिक कर दिया गया। (iii) एकट के अनुसार इसे की विनिमय दर १ रु० ६ पंच हय कर ही गई। (iv) सन् १९११ तक तो उक्त व्यवस्था चलती रही, परन्तु सन् १९३१ में इंग्लैंड में स्वर्ण-मान के दूष जाने के बारए, रुपये वा गढ़वाल स्टॉलिंग से हो गया और देश में स्टॉलिंग-विनिमय-मान द्वारा स्थापना हो गई अर्थात् नोटों के बदले स्वर्ण-पाट (Gold Bullion) देना बन्द कर दिया गया और इसके स्थान पर विदेशी मुगठान के निये केवल स्टॉलिंग दिया जाने

लगा। (v) नोट निर्गम प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब भी देश में निश्चित असुरक्षित नोट-निर्गम प्रणाली (Fixed Fiduciary System) चलती रही।

(इ) सन् १९३४ से सन् १९५६ तक-रिजर्व बैंक थॉक इण्डिया द्वारा

### आनुप्रातिक कोट-निधि प्रणाली की स्थापना

इस काल की नोट निर्गम प्रणाली की मुख्य-मुद्रा बातें इस प्रकार हैं—(i) आनुप्रातिक कोट निधि (Proportional Reserve System) प्रणाली का प्रादुर्मादि सन् १९३४ के रिजर्व बैंक थॉक इण्डिया एक्ट से हुआ था। (ii) रिजर्व बैंक की स्थापना से भारत में नोट निर्गम का एकाधिकार इस बैंक को सौप दिया गया है। इस बैंक ने १ अप्रैल १९३५ से अपना कार्य भारम्भ किया था। इसने नोट निर्गम का कार्य सुचाह रूप से चलाने के लिए एक अपना निधि नोट प्रबालान-विभाग (Note Issue Department) स्थापित किया है। इसने भारत सरकार के मुद्रा-विभाग (Currency Department) का कार्य भी अपने हाथ में से लिया है। इस तरह बैंक के दो विभाग हैं—बैंकिंग विभाग (Banking Department) तथा निर्गम विभाग (Issue Department) और ये दोनों विभाग एक-दूसरे से पूर्णतया पृष्ठ-पृष्ठक रहते हैं। १ अप्रैल सन् १९३५ से भारत सरकार ने नोटों के प्रकाशन का कार्य बन्द कर दिया है और स्वरूप-मान-निधि (Gold Standard Reserve) तथा पत्र-मुद्रा निधि (Paper Currency Reserve) को मिलाकर इसने इसे रिजर्व बैंक को हस्तान्तरित कर दिया है। इस समय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति या बैंक ऐसे नोट नहीं निकाल सकता है जिनका भुगतान इनके धारक (Bearer) को मानने पर किया जाए। रिजर्व बैंक जो भी नोट निकालता है वे अपरिमित विधि-ग्राह्य होते हैं और इनकी परिवर्तनीयता की भारत सरकार की गारन्टी होती है। द्वितीय महायुद्ध काल में मुद्रा की मान अधिक हो जाने के कारण १ रुपये और २ रुपये के नोट जाए जिये गये। इस तरह अज़कल देश में १ रुपये, २ रुपये, ५ रुपये, १० रुपये, १०० रुपये, १००० रुपये, ५००० रुपये तथा १०,००० रुपये के नोट प्रचलन में हैं। इन दो रुपये और इससे ऊपर के नोटों के बदले में रुपये के सिवके अथवा छोटी की मत के नोटों के देने की गारन्टी रिजर्व बैंक ने दी है अर्थात् ये सब नोट परिवर्तनीय (Convertible) हैं। परन्तु १ रुपये के नोट जिन्हें भारत सरकार ने प्रकाशित किया है, ये अपरिवर्तनीय (Inconvertible) हैं। (iii) उत्तर १९५६ तक नोट निर्गम विभाग के लिये यह आवश्यक था कि वह जितने रुपये के नोट निकाले, उतने ही रुपये का सोना, सोने के सिवके, ईर्टलिंग सिवयूरिटीज, रुपये तथा भारत सरकार की प्रति-

\* सरकार ने १२ जनवरी १९४६ को एक आदेश द्वारा ५०० रुपये तथा इससे अधिक के नोटों को चलन में से समाप्त कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रा प्रसार को रोकना तथा यह चलाने वालों को इग्निट करना था। परन्तु सन् १९५३ में भारत सरकार ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया और ५०० रुपये तथा इससे अधिक मूल्य के प्रकाशन पर से रोक हटा दी। परिणामत १ अप्रैल सन् १९५४ से रिजर्व बैंक ने १००० रुपये, ५००० रुपये तथा १०,००० रुपये के नोटों का प्रकाशन भारम्भ कर दिया है (५०० रुपये के नोटों का प्रकाशन भारम्भ नहीं किया गया है)।

भूतियाँ तथा कागजी मुद्रा पश्च-मुद्रा-चलन-निधि (Paper Currency Reserve) में जमा रखते। बुन नोटों के मूल्य का ४० प्रतिशत भाग सोने, सोने के सिवके तथा विदेशी प्रतिभूतियों (Securities) एवं विदेशी मुद्राओं में रखता था। यह स्मरण रहे कि सन् १९४८ के सशोधन से पूर्व विदेशी मुद्राओं का अभिप्राय किल स्टॉलिंग से लिया जाता था, परन्तु अब इस संशोधन के बाद मुद्रा-कोप (I. M. F.) के किसी भी सदस्य की मुद्रा को निधि के रूप में रखता जा सकता है। उक्त ४० प्रतिशत निधि के सम्बन्ध में एक और नियम था कि इस निधि में कम से कम ४० करोड़ रुपये के सोने के सिवके या सोना होना चाहिये और इसका  $\frac{1}{4}$  भाग भारत में ही रहना चाहिये। पश्च-मुद्रा-चलन-निधि (Paper Currency Reserve) का शेष ६०% भाग भारत सरकार की प्रतिभूतियों (Securities) या स्वीकृत हुंडियों या विनियम विल्स या रुपये के सिवकों के रूप में रहता था। इस सम्बन्ध में यह भी नियम था कि भारत सरकार की सिवयू-रिट्रीज की मात्रा कुल पश्च-मुद्रा-चलन-निधि के २५% या ५० करोड़ रुपये की कीमत से अधिक नहीं होनी चाहिये। विनियम परिस्थितियों के लिये यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति को पूर्व स्वीकृति से इस रकम में १० करोड़ रुपये की छूटि को जा सकती थी। विनियम विल्स तथा प्रतिज्ञा पत्रों के सम्बन्ध में यह नियम यहां द्वितीय है कि रिजर्व बैंक के विल्स उन्हीं विल्स अथवा पत्रों को खरीद सकता है जिन पर किसी अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) की मारनी होती है तथा जिन पर कम से कम एक और आदरणीय पार्टी के हस्ताक्षर भी होते हैं। अतः रिजर्व बैंक ने करेंसी सिद्धान्त (Currency Principle) के स्थान पर बैंकिंग सिद्धान्त (Banking Principle) को अपनाया था और इस सिद्धान्त के अनुसार सन् १९५६ तक आनुपातिक-कोप-प्रणाली (Proportional Reserve System) के आधार पर नोटों का प्रकाशन किया गया था।

### (ई) सन् १९५६ से सन् १९६० तक-रिजर्व बैंक

#### द्वारा न्यूनतम-मुद्रा-कोप प्रणाली की स्थापना

यद्यपि वर्तमान मुद्रा-प्रणाली की कुछ विशेषतायें बही हैं जो सन् १९३४-१९५६ के काल में पाई जाती हैं, परन्तु हाल ही में इस प्रणाली में कुछ अद्वैतवूल्यं परिवर्तन किये गये हैं। इस नई मुद्रा प्रणाली की कुछ मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

(i) सन् १९५६ में रिजर्व बैंक और इण्डिया एक्ट में एक संशोधन हुआ जिसने देश में आनुपातिक कोप-निधि प्रणाली (Proportional Reserve System) के स्थान पर विद्यर (निश्चित) स्थर्ण-कोप प्रणाली या न्यूनतम मुद्रा-कोप प्रणाली (Minimum Reserve System) को जन्म दिया। (ii) इस नई प्रणाली में एवं १९५६ के संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक के नोट नियंत्रण को नोट नियंत्रण के विवर कम से कम ४०० करोड़ रुपये विदेशी प्रतिभूतियों में भी ११५ करोड़ रुपये के सोने के सिवके अथवा स्वरूप के रूप में सम्पत्ति संचित करनी पड़ती थी (सन् १९५६ से पहले रिजर्व बैंक के पास जो सोना था, उसका मूल्य २१-२४ रुपये (२१ रुपये १३ याने १० पाई) प्रति तोले के हिसाब से भांका जाता था, परन्तु अब इस संशोधन के अनुसार अमुक सोने का मूल्यांकन ६२-५० रुपये प्रति तोले के हिसाब से किया गया। (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप ने

सोने का यही मूल्य निर्धारित किया है) इस लिये स्वर्ण कोप में न्यूनतम स्वर्ण की सीमा ४० करोड़ रुपये से बढ़कर ११५ करोड़ रुपये कर दी गई। सन् १९५६ में रिजर्व बैंक के पास ४००२ करोड़ रुपये का सौना था जो नई दर पर स्वत ११५ करोड़ रुपये का हो गया) (iii) अबद्वित्र सन् १९५७ में रिजर्व बैंक एकट में फिर सशोधन किया गया। द्वितीय योजना के आरम्भ हो जाने के कारण विदेशी विनियम की अत्यधिक आवश्यकता हुई जिससे रिजर्व बैंक के विदेशी कोप बहुत तेजी से और लगातार कम होते चले गये और इनमें कमी हो जाने की यह प्रवृत्ति निरन्तर चालू थी। इसलिये सन् १९५७ में रिजर्व बैंक एकट में पुन सशोधन करने की आवश्यकता अनुभव हुई। इस सशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग द्वारा रखे जाने वाले स्वर्ण के सिवके तथा स्वर्ण तथा विदेशी प्रतिभूतियों की अनुमानित कीमत कभी भी एव किसी समय २०० करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिये और इसमें भी स्वर्ण के सिवके तथा स्वर्ण की कीमत ११५ करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिये। इस तरह आजकल विदेशी सिक्यूरिटीज की मात्रा ४०० करोड़ रुपये से घटाकर (२००—१५०) ८५ करोड़ रुपये कर दी गई है। (iv) केन्द्रीय सरकार वी पूर्व अनुमिति से इस मात्रा में भी और भी कमी की जा सकती है। सक्षेप में, इस नवीन मुद्रा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारतीय मुद्रा प्रणाली में लोच व मितव्यविता का लाभ तथा देश में विदेशी मुद्रा के सबट को दूर करना है।

### भारतीय वर्तमान नोट-निर्गम प्रणाली के गुण-दोष

#### (Merits and Demerits of the Present system of Note Issue in India)

वर्तमान मुद्रा प्रणाली के गुण —इस समय हमारे देश में नोट निर्गम की न्यूनतम नियम प्रणाली प्रचलित है और एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली के युए इहमें पाये जाते हैं—  
 (i) सोचकता—सन् १९५६ से पहल मारत में आनुपातिक नोट निर्गम प्रणाली थी, परन्तु इस वर्ष रिजर्व बैंक आँक इंडिया एकट में एक सशोधन दिया गया जिसके अनुसार हमारे देश में आनुपातिक नोट निर्गम प्रणाली के स्थान पर स्थिर (न्यूनतम व निश्चित) स्वर्ण कोप प्रणाली की गई। चूंकि इस नई प्रणाली में रक्षित कोप में विदेशी प्रतिभूतियों की मात्रा निश्चित कर दी गई है (सन् १९५६ के सशोधन के अनुसार यह रकम ४०० करोड़ रुपये थी परन्तु सन् १९५७ में एक नये सशोधन के अनुसार यह रकम घटाकर केवल ८५ करोड़ रुपये कर दी गई) इसलिये आनुपातिक प्रणाली की तुलना में यह नई प्रणाली और भी अधिक लोचदार हो गई है। अब भारत की नोट निर्गम प्रणाली में सोचकता का गुण पाया जाता है। (ii) मुद्रा वी विदेशी मूल्य स्थिर रहता है—भारतीय वर्तमान मुद्रा प्रणाली का अन्तरिक्षीय मुद्रा-कोप से सम्बन्ध स्थापित हो गया है जिसके कारण भारतीय मुद्रा का विदेशी मूल्य स्थिर रहता है। परिणामत विदेशी विनियम कार्य म पर्याप्त सरलता एव सुमित्रा रहती है। (iii) मुद्रा प्रणाली बहुत ही मितव्यपूर्ण है—नोट निर्गम की पुरानी रीति में वई प्रवार के पुराना कोप रखें जाते थे जिससे वह बहुत ही व्ययपूर्ण प्रणाली थी। परन्तु इस नई प्रणाली में तमाम चलन नियम को एक ही कोप में एकत्रित कर दिया गया है। इस

कारण यह काफी मितव्ययों प्रणाली बन गई है। (iv) परिवर्तनशीलता:-इस प्रणाली में कम अधिक परिवर्तनशीलता भी पाई जाती है जिससे इस प्रणाली में जनता का हड़ विश्वास बना रहता है। (v) संकट काल में निधि सम्बन्धी नियमों में हूट मिल सकती है:-राष्ट्रपति की अनुमति लेकर इस प्रणाली में संकटकाल में निधि सम्बन्धी नियमों में हूट मिल जाती है। इस व्यवस्था से भी मुद्रा प्रणाली बहुत लोचदार बनी रहती है। यह अवश्य है कि इस प्रकार की हूट पाने के लिए वेक को बढ़ती हुई दरों पर 'कर' देना पड़ता है जिसके कारण एक सीमा के बाद रिजर्व वेक के लिये नोट निर्गम करना काफी महंगा रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय वर्तमान मुद्रा-प्रणाली में एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली में पाये जाने वाले लगभग सब ही गुण पाये जाते हैं।

वर्तमान मुद्रा प्रणाली के दोष-इस प्रणाली के कुछ मुख्य दोष इस प्रकार हैं—

- (i) आन्तरिक मूल्य स्तर में स्थिरता नहीं रहती है—यद्यपि इस प्रणाली में रुपये का बाह्य मूल्य स्थायी रखने का प्रयत्न किया गया है और इसमें स्थिरता रखनी भी गई है, परन्तु यह प्रणाली रुपए के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता रखने में असफल रही है।
- (ii) संकेतिक मुद्रा—इस प्रणाली के अन्तर्गत तमाम मुद्रा संकेतिक (Token Money) है। परिणामतः मुद्रा का वास्तविक मूल्य इसके मुद्रा मूल्य से बहुत ही कम होता है।
- (iii) स्वयं-संचालन का अभाव है—वर्तमान मुद्रा-प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में देश के आर्थिक विकास, उत्पादन-व्यक्ति तथा वितरण की आवश्यकताओं के अनुसार घट-बढ़ बहुत कठिनाई से होने पाती है। यह एक प्रतिबन्धित (Managed) तथा कृत्रिम प्रणाली है जिसके संचालन के लिये सरकारी हस्तक्षेप अत्यावश्यक रहता है। अतः इस प्रणाली में स्वयं-संचालकता नहीं है तथा इसमें लोच के गुण का बहुत कुछ अभाव पाया जाता है।
- (iv) प्रणाली की अवश्या ही ऐसी है कि जिसमें युद्धकाल तथा युद्धोत्तर काल में मुद्रा का अत्यधिक प्रसार होने की सम्भावना है। (v) मुद्रा प्रणाली का कोई स्पष्ट मान भी नहीं है—इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-मान, स्थर्णु-समता मान तथा बहुमुद्रा-मान के नाम से पुकारते हैं। चूंकि यह प्रणाली सभी देशों के आपसी समझोते पर आधारित है, इसनिये यह एक स्वतन्त्र प्रणाली भी नहीं है। (vi) परिवर्तनशीलता का अभाव है—इस प्रणाली में नोटों के बदले वास्तव में सोना-चांदी नहीं मिलता है जिससे इसमें वास्तविक परिवर्तनशीलता का अभाव पाया जाता है। (vii) जटिलता—वर्तमान मुद्रा-प्रणाली कृतिग्रन्थि व प्रतिबन्धित होने के कारण बहुत ही जटिल है जिससे यह जनसाधारण के आसानी से समझ में नहीं आती है।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B. A. & B. Sc.

१. भारत में १९२६ में नोट जारी करने की विधि "आनुपातिक दोष-प्रणा" (Proportional Reserve System) से बदल कर "निश्चित कोष प्रणाली" (Minimum Reserve System) द्यो की गई थी? भारत के चलार्य (Currency) पर इसका व्याप्रभाव पड़ा? (१९५६) १. What principles should govern the note-issue in a country? In this connection, examine the provisions of the Reserve Bank of India Act. (1956)

**Agra University, B. Com.**

१. पत्र-मुद्रा के सचालन को नियन्त्रित करने के विभिन्न उपायों (Methods) का आलोचनात्मक परिचय दीजिये। उनमें से हमारे देश ने किसको अपनाया है और वर्षों? (1956 S) २. भारत की विश्वासाधित पत्र मुद्रा सचालन (Fiduciary Issue System) एवं न्यूनतम कोप पद्धति (Minimum Reserve Method) की विशेषताओं का विवेचन करिये। उनकी पुष्टि के लिए अपनी युक्तियाँ दीजिए। (1956) ३. Write a note on—Fiduciary Reserve (1957 S) ४. Explain the various systems of note issue Which of these systems has been adopted in India? (1957, 1954) ५. Write a note on—Fiduciary Issue of Bank Notes (1956 S).

**Allahabad University, B. Com.**

1 Discuss the merits and defects of different systems of regulating note issue. How is the note issue in this country controlled by the Reserve Bank of India? (1957)

**Rajputana University, B. Com.**

1. Explain the characteristics of an ideal system of note-issue and indicate how far does the Indian paper money possess the same? (1958)

**परीक्षोपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर का संकेत**

प्रश्न १-(i) भारत में १९५६ में नोट जारी करने की विधि “आनुपातिक कोप प्रणाली” (Proportional Reserve System) से बदलकर “निमित्त कोप प्रणाली” (Minimum Reserve System) वर्षों की गई थी? भारत के चलार्य (Currency) पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? (Agra B. A. १९५६), (ii) भारत की विश्वासाधित पत्र-मुद्रा सचालन (Fiduciary Issue System) एवं न्यूनतम कोप पद्धति (Minimum Reserve Method) की विशेषताओं का विवेचन कीजिये। उनकी पुष्टि के लिये अपनी युक्तियाँ दीजिये। (Agra, B. Com. १९५६) (iii) Explain the Various Systems of note issue Which of these Systems has been adopted in India? (Agra, B. Com. 1957, 54)

संकेत—उत्तर के आरम्भ में नोट नियंत्रण की आनुपातिक कोप विधि तथा न्यूनतम कोप विधि प्रणालियों को विशेषताओं को लिखिये (इस सम्बन्ध में नोट नियंत्रण के सिद्धान्त तथा रीतियाँ नामक अध्याय भी पढ़िये) यह स्पष्ट कीजिये की इन दोनों पद्धतियों में यद्यपि एक-से गुण (दोनों पद्धतियों के गुणों की तुलना कीजिये) पाये जाते हैं तथापि बाद वाली पद्धति में अधिक लोच पाया जाता है और मुख्यतः इस दृष्टि से यह पद्धति प्रथम पद्धति से थ्रेठ है (दो पृष्ठ)। द्वितीय भाग में यह बताइये कि सन् १९५६ से पहले भारत में प्रचलित आनुपातिक कोप विधि की क्या विशेषतायें थीं और फिर यह बताइये कि रिजर्व बैंक ऑफ़ हॉलिडे एक्ट में सन् १९५६ में प्रथम संशोधन तथा सन् १९५७ में द्वितीय संशोधन से भारत में न्यूनतम कोप विधि प्रणाली की इस प्रकार स्थापना की गई (एक-देढ़ पृष्ठ)। तृतीय भाग में यह बताइये कि इस नई प्रणाली की क्यों आवश्यकता अनुभव हुई—(i) द्वितीय पचवर्षीय योजना की सफलता के लिये योजना आयोग ने लगभग १२०० करोड़ रुपये की घाटे की वित्त-अद्यत-

स्था का उल्लेख किया था। इसका अर्थ यह था कि सरकार को इतनी अधिक मात्रा में नोट छापकर अपनी मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। इतनी अधिक मात्रा में नोट निर्गम पिछली आनुपातिक कोप निधि प्रणाली में सम्भव नहीं था। इसका कारण यह था कि इतनी अधिक मात्रा में नोटों के निर्गम के लिये सरकार को अपने मुद्राओं को प्रतिश्वत्तियों में एक बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी प्रतिश्वत्तियों की आवश्यकता पड़ती जिसकी व्यवस्था उस समय की परिस्थितियों में सम्भव नहीं थी। (रिजर्व बैंक के उस समय के नियमों के अनुसार इसको कुल नोटों का ४०% सुनें अथवा विदेशी प्रतिश्वत्तियों के रूप में रखना पड़ता) इस नई प्रणाली ने उक्त कठिनाई को दूर कर दिया। (ii) दूसरी पंचवर्षीय योजना के कारण विदेशी भुगतान की व्यवस्था में भी भारी असंतुलन उत्पन्न हो गया था जिसके कारण सरकार को उस समय की अपनी सचित विदेशी प्रतिश्वत्तियों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ गई थी। इस स्थिति में घाटे की वित्त-व्यवस्था के हेतु नये-नये नोटों के निर्गम के लिये और अधिक मात्रा में विदेशी प्रतिश्वत्तियों की व्यवस्था बरना असम्भव नहीं तो कठिन व्यवस्था था। इस वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने यही सचित समझा कि मुद्रा-प्रणाली में अथवा नोट-निर्गम की रीति में ही सशोधन कर दिया जाये और ऐसा कर भी दिया गया। फलतः इस नई पद्धति द्वारा भारत ने विदेशी विनियम सकट का सामना बहुत कुछ सफलता से कर लिया। अब इस नई व्यवस्था में भारतीय मौद्रिक व्यवस्था को इस प्रकार संगठित किया गया है कि रिजर्व बैंक सरकार की आवश्यकतानुसार नोटों को अधिक से अधिक मात्रा में छापकर उसकी मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ३० बी० के० आर० बी० राव इस नई पद्धति के समर्थक हैं—उनका मत है कि यह एक अस्थाई व्यवस्था है, योजना के पूरा हो जाने पर पुनः पुरानी आनुपातिक निधि प्रणाली अपनाई जा सकती है, कि इससे कुछ भी हानि-कारक परिणाम निकलने की सम्भावना नहीं है। इसके विपरीत कुछ विद्वानों ने इस रीति को देश के लिये अत्यधिक घातक माना है—कि यह आर्थिक दिवालियेपन का संकेत है, कि इससे देश में अत्यधिक मुद्रा-प्रसार हो जाने का भय है, कि यह कदम देश के लिये खतरनाक सिद्ध हो सकता है। परन्तु नेहरू जी का मत यह भी है कि योजनाओं को सफल बनाने के लिये हर तरह का त्याग व कष्ट सहना होगा, योजनाओं की सफलता इसी पर निर्भर है। अतः नोट निर्गम की नई प्रणाली से देश में अत्यधिक मुद्रा-प्रसार हुआ है, मूल्य-स्तर बढ़े हैं, द्रव्य के मूल्य में कमी हो गई है आदि। ये ही भारतीय चलार्थ पर इस नई रीति के मुद्द्य प्रभाव हैं (तीन-चार पृष्ठ)।

**प्रश्न २—“Domestic gold Standard is not only costly, but also stands in the way of the adoption of a Sound economic policy” Explain the Statement. (Bihar. B. A. 1953)**

**संकेतः—**उत्तर के आरम्भ में राष्ट्रीय स्वरूप-मान (Domestic Gold Standard) का अर्थ समझाइये—यह वह मुद्रा व्यवस्था है जिसमें देश की वैधानिक मुद्रा (कानूनी प्राप्त मुद्रा) तथा अन्य प्रकार की मुद्राओं वा देश के स्वरूप-कोप के साथ घना सम्बन्ध रहता है। इस प्रकार के मान में यह आवश्यक नहीं है कि देश में स्वरूप मुद्रा का प्रचलन हो। यह मान उस समय भी रहता है जबकि परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय

कागजी मुद्रा हो तथा इसके निर्गम का आधार स्वर्ण-कोप हो। निश्चित असुरक्षित नोट चलन रीति (Fixed Fiduciary Note Issue System) तथा आनुपातिक कोप निधि प्रणाली (Proportional Reserve System) दोनों में नोट निर्गम का आधार एव सम्बन्ध इसी न किसी रूप में स्वर्ण कोप के साथ होता है (इन दोनों रीतियों की विशेष-तात्त्वों को विस्तार से समझाइये (दो-तीन पृष्ठ)। हिंदीय भाग में बताइये कि राष्ट्रीय स्वर्ण-मान वयो मूल्यवान (Costly) होता है—कि इसमें सोना देकार में फैसा रहता है, जबकि इसका अन्तरश्लीय ध्यापार अथवा अन्य कार्यों में अधिक लाभप्रद चर्योग हो सकता है कि इसमें अमितव्यदिता होती है आदि (माघा पृष्ठ)। तृतीय भाग में बताइये कि राष्ट्रीय स्वर्णमान एक उचित आर्थिक नीति को अपनाने एव इसके सचालन में बाधक होता है—कि किसी राष्ट्र की आर्थिक व ध्यापारिक उन्नति, बाकारी (Employment) आदि का वही की मुद्रा की मात्रा से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है (इसे समझाइये) परन्तु स्वर्ण-कोप के साथ मुद्रा की पूर्ति का सम्बन्ध स्थापित करने से केन्द्रीय बैंक वा हाथ धध जाता है अर्थात् मुद्रा-प्रसार व सकूचन देश की ध्यापारिक स्थिति के अनुकूल न होवर, यह उपलब्ध स्वर्ण-कोप की मात्रा पर निर्भर रहता है, ध्यापारिक उन्नति के समय जब मुद्रा-प्रसार की आवश्यकता होती है, उस समय रवर्ण-कोप में वृद्धि न हो सकने पर (क्योंकि स्वर्ण की मात्रा एक दम से नहीं बढ़ाई जा सकती है) मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं होने पाती है जिसके कारण ध्यापारिक उन्नति पर रोक लग जाती है। पिर आज सप्ताह का अधिकार सोना अमेरिका में एकत्रित हो गया है और अन्य देशों में सोने का अभाव है। भत राष्ट्रों में उचित आर्थिक नीति अपनाने के लिये यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय धैत्र में मुद्रा का सम्बन्ध सोने से खोड़ देना चाहिये या इसमें बहुत अधिक छिलाई कर देनी चाहिये, फिर चाहे अन्तरश्लीय धैत्र में सोने का महत्व भला ही बना रहे। आज अन्तरश्लीय कोप की इथापना से इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है (इस कोप द्वारा राष्ट्रों की मुद्रा का सोने से अस्तराष्ट्रीय धैत्र में सम्बन्ध है)। नम्मीसर्वो श्रुतावदी में राष्ट्रीय स्वर्णमान की सकलता का मूल कारण देशों का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होना या, परन्तु आज प्रत्येक देश में अत्यधिक आर्थिक विकास हो गया है अथवा होता जा रहा है, प्रत्येक देश आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनना चाहता है। इस स्थिति में प्रत्येक राष्ट्र एक हस्तन्त्र मौद्रिक नीति अपनाना चाहता है इस उद्देश्य की पूर्ति में राष्ट्रीय स्वर्णमान बाधक है (ठीन-चार पृष्ठ)।

## अध्याय ८

### भारतीय मुद्रा बाजार

#### (Indian Money Market)

प्रावक्षयन—किसी देश का आर्थिक एव आर्थोगिक विकास वहाँ के मुस्तगिर मुद्रा-बाजार पर बहुत कुछ निर्भर रहता है क्योंकि इस बाजार से ही उस देश की हृषि,

व्यापार तथा उद्योग सम्बन्धी योद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। चूंकि इस बाजार से ही देश की आण्डिजिक एवं व्यापारिक तथा अन्य उत्पादनों के साधनों की साख तथा मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसलिये एक मुत्तंचालित एवं सुसंगठित मुद्रा-बाजार का किसी देश के आधिक जीवन में बहुत महत्व होता है। अतः जिस देश का मुद्रा बाजार जितना अधिक व्यवस्थित एवं विकसित होता है उस देश में आधिक विकास की उत्तो ही अधिक सम्भावना रहती है।

**मुद्रा-बाजार का अर्थ (Meaning of Money Market):—** साधारण बोल-घाल की मायदे में बाजार शब्द का अर्थ किसी ऐसे स्थान-विशेष से लिया जाता है जहाँ वस्तुओं वेचने के लिये रखबी जाती है और जहाँ वेचने व खरीदने वाले स्वयं जाकर वस्तुओं को जीव-पड़ताल तथा देख-भाल करके क्रय-विक्रय करते हैं। परन्तु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ इससे भिन्न है। कुर्नो (Cournot) के अनुसार "अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ किसी ऐसे स्थान-विशेष से नहीं होता जहाँ वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता हो यरन् बाजार शब्द से उस समस्त सेत्र का बोध होता है जिसमें वेचने और खरीदने वालों में इस प्रकार का प्रतियोगितापूर्ण व स्वतन्त्र सम्बन्ध हो कि उस सारे सेत्र में, किसी वस्तु के मूल्य की प्रवृत्ति, सुगमता तथा शीघ्रता से, एक होने की पाई जाय।" जिस प्रकार किसी वस्तु के खरीदने व वेचने वाले होते हैं और इनमें आपस में वस्तु के क्रय-विक्रय के लिये प्रतियोगिता होती है, ठीक इसी प्रकार वस्तु को उरह मुद्रा के भी खरीदने व वेचने वाले होते हैं और इनमें भी आपस में मुद्रा के क्रय-विक्रय के लिये प्रतियोगिता होती है। मुद्रा के खरीदने वालों से प्रभिप्राय उन अणियों, व्यापारियों अथवा उद्योगपतियों से होता है जो रूपया उधार लेते हैं और मुद्रा के वेचने वालों से अभिप्राय उन अणियों अथवा अणियों संस्थाओं से होता है जो रूपया उधार देते हैं। जिस प्रकार किसी वस्तु को वेचने पर विक्रेता को वस्तु का मूल्य मिलता है, ठीक इसी प्रकार मुद्रा को उधार देने (मुद्रा का विक्रय करने) पर अणियों को मुद्रा की कीमत उसके अण पर मिलने वाली व्याज की दर होती है। अतः मुद्रा-बाजार उस बाजार को कहते हैं जहाँ पर मुद्रा एवं साख को खरीदने तथा वेचने वाले परस्पर मिलते हैं तथा जहाँ पर मुद्रा की मांग एवं पूर्ति का आवश्यकतानुसार आदान-प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा बाजार से अभिप्राय मुद्रा के उधार लेने-देने तथा इनसे सम्बन्धित अन्य क्रियाओं से होता है।

यह स्मरण रहे कि मुद्रा-बाजार (Money Market) तथा पूँजी बाजार (Capital Market) में योड़ा सा भेद है। यद्यपि दोनों ही बाजारों में मुद्रा तथा साख को उधार लेने-देने के बारे होते हैं परन्तु मुद्रा बाजार का उद्योग केवल ऐसे बाजार के लिये होता है जिसमें अल्पकालीन अण स्थिर-दिये जाते हैं और पूँजी बाजार शब्द का उद्योग एक ऐसे बाजार के लिये होता है जिसमें दीर्घकालीन अण लिए-दिये जाते हैं। इस सरह यदि मुद्रा-बाजार में अल्पकालीन अणों की पूर्ति होती है। तब पूँजी बाजार में दीर्घकालीन अणों की पूर्ति होती है। चूंकि अल्पकालीन श्रौत दीर्घकालीन अणों को एक दूसरे से पृथक् करना कठिन होता है, इस कारण विस्तृत पर्यामें पूँजी बाजार को

मुद्रा बाजार का ही अग मान लिया जाता है पर्याप्त सभी प्रकार के ग्रन्थों का बाजार मुद्रा बाजार वहा जाता है। अतः मुद्रा बाजार प्रौढ़ी बाजार में बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

### मुद्रा-बाजार के अग

मुद्रा बाजार के अग (Constituents of the Money Market)—भारतीय

मुद्रा-बाजार को दो भागों में विभक्त करने की प्रथा बहुत समय से चली आई है। ये दो भाग हैं—प्रथम, यूरोपियन भाग तथा द्वितीय, भारतीय भाग। प्रथम के ग्रन्तर्गत रिजर्व बैंक और इण्डिया, स्टेट बैंक और इण्डिया तथा विदेशी विनियम बैंकों का समावेश है। द्वितीय में मिश्रित पूँजी वाले बैंक्स, स्वदेशी बैंक्स (देशी बैंकर, महाजन अथवा साहूकार) तथा सहकारी बैंकों को समिलित किया जाता है। यह स्मरण रहे कि मुद्रा बाजार के भारतीय भाग द्वारा ही हमारे देश की अधिकारी मौद्रिक एवं साख सम्बन्धी भावश्यकताओं की पूर्ति होती है जिससे देश के आदिक जीवन में इनका बहुत अधिक महत्व है। भारतीय मुद्रा बाजार के यूरोपियन भाग पर सदा ही सरकार का नियन्त्रण एवं सखारण रहा है, परन्तु भारतीय-भाग भारत से ही अनियन्त्रित एवं अनियमित रहा है। सन् १९३५ में रिजर्व बैंक और इण्डिया की स्थापना हुई थी। इस बैंक की स्थापना से पहले मुद्रा बाजार के यूरोपियन तथा भारतीय दोनों ही भागों में कोई विशेष प्रकार का सम्पर्क नहीं रहा है। यही कारण है कि सन् १९३५ तक हमारा मुद्रा बाजार बहुत दोष-पूर्ण रहा है परन्तु तत्परतात् रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार के उक्त दोनों भागों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इम्पीरियल बैंक और इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करके इसको स्टेट बैंक और इण्डिया का नाम दिया गया है और इसका भारतीयकरण (Indianisation) भी कर दिया गया है तथा रिजर्व बैंक और इण्डिया का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। सरकार द्वारा इन महत्वपूर्ण कार्यों के परिणामस्वरूप अब मुद्रा बाजार के यूरोपियन तथा भारतीय भागों का अलग अलग महत्व लगभग बुद्ध भी नहीं रह गया है। भारतीय मुद्रा बाजार के मुख्य अग इस प्रकार है—(अ) अणदाता—(i) रिजर्व बैंक और इण्डिया, (ii) स्टेट बैंक और इण्डिया, (iii) मिश्रित पूँजी वाले बैंक्स, (iv) विनियम बैंक, (v) सहकारी बैंक्स (सहकारी साख समितियाँ), (vi) देशी बैंक्स (साहूकार व महाजन), (vii) अन्य बिट कोष, निषियाँ, कट्टण कार्यालय आदि। (आ) अण लेने वाले—केन्द्रीय, प्रान्तीय व स्थानीय सरकारें, बाजारी व उद्योगपति, कृपक, साधारण जनता। यह स्मरण रहे कि समस्त इण्ड-बाजार में लेन देन वित्त, नकद धन, प्रतिज्ञा पत्रों, हिस्सों अथवा प्रत्यक्कालीन प्रतिमूलियों एवं अन्य साख पत्रों द्वारा होता रहता है।

### मुद्रा बाजार के दोष

भारतीय मुद्रा बाजार के दोष (Defects of the Indian Money Market)—भारतीय मुद्रा बाजार में निम्नलिखित मुख्य-मुख्य दोष हैं—

(१) इण्ड-बाजार के विभिन्न भागों में दरस्पर साझन एवं संरचना का अभाव है। (Lack of connection among the various constituents of the Money

(Central Banking Enquiry Committee) ने इस दियथ में लिखा है कि "इसनी व्याज दर (Call Rate) ३%, हुण्डी व्याज की दर (Hundi Rate) ३%, बैंक दर (Bank Rate) ५%, छोटे-छोटे व्यापारिक वित्तीय पर बम्बई में व्याज दर ६½% सथा बलहत्ते में १०% एक ही समय पर पाये जाते हैं। इसके स्पष्ट है कि विभिन्न बाजारों में साथ के चलन में बहुत अन्तर है।"

(३) संगठित बिल बाजार का अभाव (Absence of organised Bill Market) —भारतीय मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण दोष यह भी है कि इसमें व्यापारिक विलों भव्यता हृदियों की बहुत कमी है। भारत में अनेक आधिक कमेटीयों एवं कमीशनों ने इस प्रकार के घमाव को अनुभव किया है। जबकि विदेशों में वेकों की सम्पत्ति (Assets) का एक महत्वपूर्ण भाग विलों के रूप में होता है, तब भारत में मिथियत पूँजी के वेकों की कुल जमा (Deposits) का केवल ३ से ६% भाग ही विलों के रूप में होता है। इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में विलों का उपयोग बहुत कम होता है। रिजर्व बैंक की स्थापना के समय यह आशा की गई थी कि यह बैंक शीघ्र ही पुनः कटीती (Re-discount) प्रादि की मुद्रितायें देवर भारत में एक सुखागित बिल-बाजार के निर्माण होने में सहायता एवं प्रोत्साहन देगा जिससे आवश्यकता के समय द्रव्य-बाजार में धन का अभाव अनुभव नहीं हो पाये, परंतु दुर्भाग्य से भारत में रिजर्व बैंक अभी तक एक सुदृढ़त्वित बिल-बाजार का विकास करने में असफल रहा है। लगभग तमाम बैंकिंग जाति समितियों तथा बैंकिंग विदेशीयों का मत है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए देश में व्यापारिक विलों के उपयोग में वृद्धि होनी चाहिए। भारत में एक संगठित बिल बाजार के अभाव के कई कारण हैं—(१) वेकों द्वारा धन का प्रथम थेणी की प्रतिभूतियों में विनियोग—भारत में आरम्भ से ही वेकों को अपने पास नकद कोष अधिक मात्रा में रखने पड़े हैं। इस कारण इन्होंने अपने अधिकारी धन का विनियोग प्रथम थेणी की प्रतिभूतियों (First Class Securities) में किया है ताकि उनकी सम्पत्ति में तुरलता (Liquidity in Assets) बना रहे। यही कारण है कि हमारे देश में बिल बाजार का अधिक विकास नहीं हो सका। परन्तु प्रतिभूतियों की अपेक्षा विलों के भुनाने में रुपये के विनियोग से वेकों को अधिक लाभ मिलता है। इस कारण यह आशा की जाती है कि भविष्य में विलों का उपयोग बढ़ाया। (ii) स्वीकृत गृहों का अभाव—हमारे देश में स्वीकृत गृहों (Acceptance Houses) का अभाव है जिससे बिल सम्बन्धी व्यापारियों की आधिक दस्ता का ठीक प्रकार से जान नहीं होने पाता है। ऐसी सस्याओं के अभाव के कारण वेस्ट विलों के भुनाने में हिचकचते हैं। बिल बाजार के विकास के लिये उक्त सस्याओं की स्थापना होना बहुत आवश्यक है। (iii) विलों को पुनः भुनाने वाली सस्या का अभाव रहा है—सन् १९४५ में रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले भारत में ऐसी सस्या का अभाव या जिससे विलों को पुनः भुनाया जा सकता था।

\* The Central Banking Enquiry Committee observes 'The fact that a Call Rate of 1 percent and a Hundi Rate of 3 percent, a Bank Rate of 4 percent, a Bombay Bazar Rate for Bills of small traders of 6½ percent, and a Calcutta Bazar Rate for Bills of small traders of 10 percent exists simultaneously, and creates an extraordinary sluggishness in the movement of credit between various markets.'

यह प्रवक्ष्य है कि उस समय का इम्पीरियल बैंक (भाज यह स्टेट बैंक कहलाता है) विलों को पुनः भुनाने का कार्य भी किया करता था, परन्तु देश के विभिन्न बैंक इस बैंक से विलों को पुनः भुनाने में हिचकिचाया करते थे वयोंकि वह बैंक अन्य बैंकों से प्रतियोगिता किया करता था। (iv) व्यापारिक वित्त तथा धर्यां विल में भेद स्पष्ट नहीं था:—इस कारण भी बैंक व्यापारिक विलों को भुनाने में हिचकिचाते थे। अधिकाश बैंक व्यापारिक विल में ही लेन-देन करना उचित समझा करते हैं। चौंकि विलस की सही प्रकृति के सम्बन्ध में उन्हें सन्देह रहता था, इस कारण वे इन्हें भुनाना ठीक नहीं समझा करते थे। परिणामतः विल बाजार का विकास नहीं होने पाया। (v) हूनिंघमों में विदिषता:—हूनिंघम प्रायः प्रान्तीय भाषाओं में प्रान्तीय रूढ़ियों के अनुसार लिखी जाती है जिससे इनमें वहूत विभिन्नता पाई जाती है। परिणामतः एक स्थान की हूनिंघमों का दूसरे स्थानों में उपयोग करने में असुविधायें अनुभव होती हैं। चौंकि हूनिंघमों की भाषा रूप व प्रकृति में स्थानान्तर के अनुसार भिन्नता पाई जाती है और बैंक उल्लंघन में पड़ जाते हैं, इसलिये भी उन्होंने इनमें घन का बहुत कम विनियोग किया है। (vi) नकद में ग्रहण देना अधिक अच्छा माना जाता है:—बैंक विलों को भुनाकर ग्रहण देने की अपेक्षा नकद में ग्रहण देना अधिक अच्छा समझा करते हैं क्योंकि ऐसे ग्रहणों को बैंक कभी भी रद्द कर सकता है और ग्राहक को भी व्याज कम देना पड़ता है। इस तरह नकद-ग्रहण पद्धति में दोनों पक्षों को लाभ होने के कारण विलों का उपयोग वहूत नहीं होने पाया है। (vii) कोप विपश्रों का निर्गमन—कोप-विपश्रों (Treasury Bills) की अवधि ३० से ६० दिन की हून्हा करती है। वहूत रसमय से प्रान्तीय व केन्द्रीय सरकारें अपनी देनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कोप-विपश्रों द्वारा कर लिया करती हैं। इन विलस में विनियोग भी अधिक सुरक्षित समझा जाया करता है तथा इनमें तरलता (Liquidity) भी वहूत होती है क्योंकि इन्हें स्टॉक-एवसचेज पर तुरन्त बहुत आसानी से बेचा भी जा सकता है। इसलिये कोप-विपश्रों के उपयोग से व्यापारिक विपश्रों (विल) का अधिक प्रयोग नहीं हो सका है। (viii) भारी स्टाम्प-कर (Heavy Stamp Duty)—भारी स्टाम्प कर विलों के चलन को हतोत्साहित करता रहा है। सन् १९४० से इस कर में कुछ कमी प्रवक्ष्य हुई है।

(\*) दृष्टि याजार में धन की कमी (Paucity of Loanable Funds):—भारतीय मुद्रा-याजार का एक गम्भीर दोष यह भी है कि इसमें उचोग-धन्धो तथा व्यापार के लिये आवश्यक पूजी तथा साल्ल इनकी मात्रा की तुलना में बहुत कम रहती है। इसके अनेक कारण हैं, जिनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—विनियोग में साधनों एवं बैंकिंग व्यवस्था का अभाव, बैंकों के समय-समय पर दूट जाने से जनता का इनके प्रति अविश्वास, देश में भाय और बचत में कमी, भाय के वितरण में असमानता तथा जनता में बैंकिंग की आदत का अभाव। इनमें प्रतिम वारण बहुत महत्वपूर्ण है। जिस देश में जनता में बैंकिंग की आदत नहीं जाप्रत होती है, वहां पर बचत, भूमिगत (Hoarding) हो जाती है अथवा स्वर्ण तथा अचल सम्पत्ति में परिणत हो जाती है। भारतीय ग्रामीण दोनों में दो ऐसी सम्पादों का अत्यधिक अभाव है जो बचत को एकत्रित कर सकें, जिससे भी देश

में द्रव्य बाजार में घन का अभाव रहता है। इसके अतिरिक्त देशवासियों की निधनरता तथा भपव्ययपूर्ण सामाजिक रीति रिवाज भी उत्पत्ति-कार्य के लिये स्वयं की कमी के उत्तरदायी हैं। भाजकल सरकार ऐसे प्रयत्न कर रही है जिनसे निवट भविष्य में देश में घन का बहुत अधिक अभाव नहीं रहेगा।

(५) मुद्रा बाजार में लोच तथा स्थायित्व का अभाव—रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व भारतीय मुद्रा-बाजार में लोच तथा स्थायित्व का अभाव रहा है और सात पर नियन्त्रण का दाय इम्पीरियल बैंक द्वारा और मुद्रा पर नियन्त्रण का कार्य सरकार द्वारा किया जाता था। परन्तु रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् नोट निर्गम के एकाधिकार तथा बैंक दर एवं खुले बाजार की नीति से रिजर्व बैंक ने बहुत प्रशंसनीय रूप से देश में अनिवार्य की आदत जाग्रत नहीं होने के कारण भाज भी बैंक से देश की बढ़ती हुई पूँजी की मात्रा की पूर्ति नहीं नरने पा रह है।

(६) देश में मुद्रा की मौसमी कमी (Seasonal Monetary Stringency and Seasonal Variation in the Rates of Interest)—मुद्रा बाजार का एक दोष यह भी है कि इसमें मुद्रा की पूर्ति बेलोचदार (Inelastic) है अर्थात् अधिक व्यापार के समय में भी मुद्रा की पूर्ति में विशेष वृद्धि नहीं होने पाती है। मुद्रा की पूर्ति में अनिवार्यता के कारण व्यापारियों को बहुत कठिनाई अनुभव करनी पड़ती है जिससे देश में व्यापार का ठीक ठीक विकास नहीं होने पाता है। जबवाली देश में मुद्रा की मौसमी कमी रहती है, तब इसी के परिणामस्वरूप देश में व्याज की दरों में मौसमी परिवर्तन भी होता रहता है। यदि नवम्बर से जून तक व्याज की दर अधिक रहती है तब जुलाई से अक्टूबर तक यह दर काफी बाम रहती है। देश के समुचित आर्थिक विकास के लिए व्याज की दर में इस प्रकार का उच्चावचन (Fluctuation) अनुचित है।

(७) देशी बैंकसं तथा महाजनों की अधिकता (Abundance of Moneylenders and Indigenous Bankers)—भारत में साहूकारी एवं देशी बैंकसं तथा महाजनों की अधिकता है और ये रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में भी नहीं हैं। यथापि देश की कृषि-साख तथा आन्तरिक व्यापार के सम्बन्ध में इनका बहुत महत्व है, परन्तु देशी बैंकसं तथा आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था में किसी भी प्रकार का गठबांधन नहीं होने के कारण, ये समय-समय पर मुद्रा बाजार की काफी अस्त-व्यस्त कर डालते हैं। अतः देशी बैंकसं तथा महाजनों की अधिकता के कारण भी भारतीय मुद्रा बाजार में दोष उत्पन्न हो गये हैं।

(८) शासा बैंकिंग की धीमी डग्नेश्य (Slow development of Branch Banking)—द्वितीय महायुद्ध तक तो हमारे देश में बैंकों की शाखायें बहुत कम थीं। परन्तु युद्धकाल तथा युद्धोत्तर काल में भारतीय बैंकों ने अपनी शाखायें स्थान-स्थान पर खोली हैं। शासाएँ मुख्यतः बैंक-बैंक व्यापारिक केन्द्रों तक ही सीमित रही हैं जबवाली इनकी आवश्यकता शामील होती है। परिणामतः देश में बैंकिंग मुविद्यामों की सामान्य कमी के कारण न बचत प्रोत्साहित होती है और न पर्याप्त मात्रा में घन

हो एकत्रित होने पाता है। दुमरिय से जनता की निर्धनता, घोग्य कर्मचारियों का कमी सथा पन संचय की भावना के अभाव के कारण जो कुछ शाखाएँ हाल ही में गुली भी हैं, उनमें से अधिकार शाखाएँ सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर रही हैं।

मुद्रा-बाजार के दोषों को दूर करने के गुम्भाय (Suggestions to remove the defects of the Money Market):—अनेक वैकिंग कमेटियों तथा कमीशनरों ने भारतीय मुद्रा बाजार के विकास एवं संगठन के सम्बन्ध में गुहाव रखे हैं जिनमें से मुहूर्ष-मुख्य इस प्रकार हैं:—(i) भंडार गृहों का निर्माण (Licensed Ware-houses):—

अन्य देशों की भाँति भारत में भी वैकों को लाइसेंसदार भट्ठार गृहों को खनाने के लिये,

### मुद्रा बाजार के दोषों

को दूर करने के उपाय:—

१. भंडार-गृहों का निर्माण होना चाहिये।
२. सारांशों के पुनः भुनाने की सुविधाएँ होनी चाहियें।
३. हृषिडियों का प्रमाणीकरण होना चाहिये।
४. एक सुसंगठित अंतिल भारतीय बैंकर्स एसोसियेशन की स्थापना होनी चाहिये।
५. देशी बैंकर्स का रजिस्ट्रेशन तथा उनके कायों पर नियन्त्रण होना चाहिये।
६. समाचारों-गृहों का पुनर्संगठन होना चाहिये।
७. पन की हस्तान्तरण की सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिये।

प्रान्तीय सरकार के सरकार में रहकर, उत्तराहित करना चाहिये। इन भंडारों के कलत्वरूप उनमें रखी ही घोहर पर वैकों को अण्डे देने की सुविधा हो जायगी। (ii) पुनः भुनाने की सुविधायें (Rediscounting Facilities):—देश में सारांश-पत्रों के पुनः भुनाने में भी सुविधा होनी चाहिये। मुहूर्षी हृषिडियों तथा अन्य सारांश-पत्रों के बाजार पर सारा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। (iii) हृषिडियों का प्रमाणीकरण होना चाहिये (Standardisation of Hundies):—भिन्न-भिन्न हृषिडियों की भावा स्थानीय रीतियों तथा स्टाप्स-करों के अनुसार नियम वापित (Standardised) हो जानी चाहिए ताकि समय की घटत तथा व्यर्थ की कठिनाइयाँ अनुभव नहीं होने पायें। (iv) अंतिल भारतीय बैंकर्स एसोसियेशन का निर्माण होना चाहिये (All India Banker's Association):—उन् १६२६ की केन्द्रीय वैकिंग जाच समिति ने इस प्रकार के एसोसियेशन के निर्माण करने की सिफारिद भी थी। इस प्रकार के एसोसियेशन के बन जाने से वैकों द्वारा गाहूसारों को आपस में मिलकर कार्य करने का अवसर मिल जायेगा। ये घटनी कठिनाइयाँ एवं सुझाय भी सरकार के द्वारा प्रस्तुत कर दिये। यह एवं वैकिंग पढ़ति को अधिक कार्यशाला बनाने के साथयों की भी सिफारिद कर सकेगा। और विभिन्न वैकों का केन्द्रीय वैक के साथ समर्पक बढ़ाने में भी सहायता होगा। इस प्रवार का संघ सन् १९४६ में बनाई में स्थापित हुआ था। तमाम अनुसूचित दर्द वैक (Scheduled Banks) इसमें सदस्य हैं। (v) देशी बैंकर्स का रजिस्ट्रेशन तथा उनके कायों पर नियन्त्रण (Licensing of Indigenous Bankers):—रिजर्व बैंक दा देशी बैंकर्स पर नियन्त्रण होना चाहिये ताकि वह इनके

कार्यों एवं व्यापार पर पूरा कन्ट्रोल रख सके। (vi) समाशोधन गृहों का पुनर्संज्ञान (Re-organisation of Clearing Houses) —भारत में समाशोधन गृहों का महत्व मुख्यतः स्थानीय होता है तथा इनकी कार्य-प्रणाली भी बहुत पिछड़ी हुई दशा में है। मुद्रा-बाजार के विकास के लिए यह आवश्यक है कि इन गृहों का विकास यूरोपीय ढंग पर हो जाय। (vii) धन हस्तान्तरण की सुविधायें (Remittance Facilities) —रिजर्व बैंक की महाजनों तथा देशी बैंकों को धन के हस्तान्तरण की सुविधाएँ देनी चाहिये। डाकखाने द्वारा हस्तान्तरण (Postal Remittances) की दर में भी बहुत कमी होनी चाहिये ताकि ग्रामीणों को नाभ पहुँच सके।

यह स्परण रह कि रिजर्व बैंक की स्थापना तथा इसके राष्ट्रीयकरण और सन् १९४६ व १९५० के बैंकिंग कमानी विधान ने भारतीय मुद्रा बाजार के बहुत से दोषों को दूर कर दिया है। इस समय दश म बैंकिंग का दौने दौने विकास हो रहा है, परन्तु इसमें और अधिक विकास की बहुत ही आवश्यकता है। ताकि बैंकों में आपस में प्रतियोगिता नहीं होने पाय तथा इनकी सेवाओं का भी दुहराव नहीं होने पाय, इसलिये भारतीय बैंकिंग का विकास एक नियारित योजना के अनुसार ही होना चाहिये। सरकार द्वारा अन्य गंभीर सरकारी संस्थायें देश में बचत को बत्त्यादिक प्रोत्साहन द रही है जिससे उत्पत्ति-कार्यों के लिये पहले से अधिक पूँजी उपलब्ध होने लगी है। रिजर्व बैंक देश में एवं सुभ्यवस्थित बिल बाजार का विकास करने वा भी भरसक प्रयत्न कर रहा है वयोंकि इसके अभाव में दश में बैंकिंग प्रणाली का भी समुचित विकास नहीं होने पायगा। इन सब प्रयत्नों के अधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय मुद्रा बाजार म दोष पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो गये हैं।

### भारत में बिल बाजार (Bill Market in India)

बिल बाजार के विकास के लिये सुझाव (Suggestions for the development of a Bill Market in India) —यह सर्वादित है कि किसी भी देश म बिल-बाजार की उन्नति के बिना बैंकिंग पद्धति का समुचित विकास नहीं होना प्राप्त है। इसलिए सन् १९२६ को कन्ट्रीय बैंकिंग जाति समिति न इस सम्बन्ध में सूचाव इस प्रकार दिये थे—(i) केन्ट्रीय बैंक की स्थापना की जाये—सीधार्य से इस बैंक की स्थापना सन् १९३५ में हो गई थी और तब ही से यह बैंक अपने केन्ट्रीय बैंकिंग के कार्य सुचाह करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। (ii) बैंक की व्यापारियों की आयिक स्थिति वा ज्ञान होना चाहिए इस कार्य को करने के लिये हमारे देश में ऐसी संस्थाएँ जो निर्माण होना चाहिये जो देश के व्यापारियों तथा उदाग धन्धों का आपिक जाति समुचित रूप से दें सकें। परिणाम यह होगा कि जब देश के व्यापारियों में विद्वास बढ़ेंगे तब उनके बिलों का भी उरयोग बढ़ जायगा। (iii) बट्टा दर दर ही होनी चाहिए—दिलों को बट्टा दर (Discount Rate) दर होने पर इनका उरयोग बढ़ जायगा। (iv) समाधोधन गृहों का निर्माण होना चाहिए—प्राचीय राजधानियों में ऐसे गृहों के निर्माण से दिलों व मुनाने एवं मुग्जान करने में बहुत सुविधा हो जायगी। (v) स्टाम्प दर में बद्दी—वास्तव में सन्

१९४० में स्टाम्प-दर में कमी कर दी गई थी।  
 (vi) विलों की एक रूपता—भाषा और लिपि सम्बन्धी विनाशक दूर की जानी चाहिए।  
 (vii) खड़ी फसलों को आड़ पर विलों की स्वीकृति की जाय और ऐसे विलों के आधार पर अट्ठण दिये जायें।

यह स्परण रहे कि भारत में एक समृच्छित बिल-बाजार की स्थापना एवं इनके विकास के हेतु उक्त में से अनेक मुश्किलों को मान लिया गया है। सन् १९५२ में रिजर्व बैंक ने इस और आवश्यक कदम उठाये थे और बिल-बाजार के निर्माण के हेतु एक योजना कार्यान्वित कर दी। इस योजना को वैकों में लोकप्रिय बनाने के लिये रिजर्व बैंक ने इन्हे यह लालच दिया है कि बैंक इस योजना के अनुसार जो अट्ठण देंगे उन पर बैंक दर (Bank Rate), में २% की छूट रहेगी। कुछ विदेशी परिस्थितियों में स्टाम्प दर का भाषा भाग भी रिजर्व बैंक द्वारा दिया जायगा।

### भारतीय पूँजी बाजार (Indian Capital Market)

पूँजी बाजार का अर्थ (Meaning of the Capital Market):—पूँजी बाजार से हमारा अभिप्राय उस बाजार से होता है जहाँ पर दोषकालीन अट्ठण लिए-दिए जाते हैं। इस बाजार का सम्बन्ध मुख्यतः दीर्घकालीन प्रतिश्रूतियों, बोडी तथा अंशों (हिसो) में राष्ट्रीय पूँजी के विनियोग करने से होता है। इस बाजार में इसी प्रकार की—प्रतिश्रूतियों (Securities) का व्यवसाय-व्यवस्था-विक्रम होता है। अतः यह स्पष्ट है कि सरकार तथा उद्योगों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति इसी बाजार से होती है। पूँजी बाजार में एक और अट्ठण देने का कार्य बनता, यीमा बम्पनियाँ, ट्रस्ट सम्प्रभाव आदि द्वारा किया जाता है और दूसरी ओर उद्योग एवं व्यवसाय द्वारा अट्ठण लेने का कार्य किया जाते हैं। पूँजी-बाजार में अट्ठण अधिकारित: योंसे या अट्ठण-पत्रों के खरीदने के रूप में दिये जाते हैं। यह कार्य प्रशासन-दलालों (Share Brokers) तथा अभियोपन घृहों (Underwriting Houses) द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इस तरह ये अट्ठणे तथा अट्ठण-दाताश्रों के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं और इन दोनों पक्षों में सम्पर्क स्थापित करते हैं। ये दसात एवं गृह कमीशन पर कम्पनियों के दोषसं को देचने का उत्तरदायित्व धनने ऊपर लेते हैं। इस तरह एक तरफ ये कम्पनियों के लिये पूँजी एकत्रित करने का कार्य करते हैं और दूसरी तरफ भग्ने प्राहकों (विनियोगकर्ताओं) को नई व पुरानी कम्प-

- बिल बाजार के विकास के लिए सुझाव है—
- १. देश का केन्द्रीय बैंक सुरक्षित होना चाहिए।
- २. वैकों को भ्यापारियों की आधिक स्थिति की पूर्णतया जानकारी होनी चाहिए।
- ३. बट्टा-दर में कमी होनी चाहिए।
- ४. समाचारधन-गृहों का निर्माण होना चाहिए।
- ५. स्टाम्प-कर में कमी होनी चाहिए।
- ६. विलों में एक रूपता होनी चाहिए।
- ७. खड़ी फसलों की आड़ पर विलों की स्वीकृति होनी चाहिए।

नियों के अश्व खरीदने-बेचने में सहायता देते हैं। इसीलिये इन सबको हम पूजी-बाजार के अग मानते हैं।

पूजी बाजार व द्रव्य-बाजार में एक महत्वपूर्ण गन्तर पाया जाता है। पूजी-बाजार में विनियोग यदि दीर्घकालीन होते हैं, जब द्रव्य बाजार में विनियोग भल्कालीन होते हैं। परन्तु इन दोनों प्रकार के बाजारों में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है क्योंकि दीर्घकालीन अर्थ की व्याज की दर का प्रभाव अल्पकालीन अर्थण की व्याज की दर पर पड़ करता है।

### भारत में पूँजी का निर्माण

भारत में पूँजी का निर्माण (Capital Formation in India)—भारत में पूजी निर्माण से सम्बन्धित आँखें सही-सही आज भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिये यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता है कि भारत में पूजी रचना किस गति से हुई है अथवा हो रही है। दा० पी० एस० लोकनाथन का अनुमान है कि सन् १९११ से १९३२ के बीच वापिक राष्ट्रीय बचत ७५ करोड़ रुपये थी। यह सर्वमात्र है कि द्वितीय महायुद्ध काल में वापिक राष्ट्रीय बचत में बहुत अधिक वृद्धि हुई क्योंकि इस बात में मकान बनवाने तथा स्वर्ण का आयात करने आदि पर प्रतिवर्त्य लगा हुआ था। परन्तु ईस्टर्न इकॉनोमिस्ट (Eastern Economist) के अनुमान के अनुसार युद्धोत्तर काल में इस स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया और राष्ट्रीय बचत में बहुत कमी हो गई। इसके अनुसार सन् १९४६-४७, १९४७-४८ तथा १९४८-४९ में बचत बेबल १४% की दर पर हुई। योजना कमीशन का अनुमान था कि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना काल में कुल अधिक गत बचत ५१५८ करोड़ रुपया हो जायगी, परन्तु भारतव में देश में बचत इतनी अधिक मात्रा में नहीं हो सकी। परन्तु द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय-बचत का अनुमान बहुत अधिक रखखा गया है। अब तक के बचत सम्बन्धी जो कुछ भी आँखें उपलब्ध हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि देश में आज भी आशावीत बचत नहीं होने पा रही है; योजना कमीशन का यह अनुमान है कि द्वितीय योजना के अन्त तक बचत का प्रतिशत बढ़वार १२ हो जायगा। यह स्मरण रह कि ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ देशों ने विभिन्न कालों में अपनी राष्ट्रीय आय का १६ या २०% तक बचाया है। परन्तु बर्तमान वापिक परिस्थितियों में यदि कोई राष्ट्र अपनी आय का ५% तक बचा ले, तब भी यह स्थिति बहुत सन्तोषजनक समझी जाती है। यह प्राशा की जाती है कि द्वितीय योजना के अन्त तक भारत में वापिक बचत लगभग ४०० करोड़ रुपये हो जायगी।

भारत में पूँजी निर्माण की मन्द गति के कारण (Causes of the slow growth of Capital Formation in India)—भारत में पूजी निर्माण की मन्द गति के मुख्य-मुख्य कारण इस प्रकार हैं—(१) आय में कमी तथा विनियोग सुविधाओं का अभाव—देशवासियों की आय का स्तर बहुत ही नीचा है और जो कुछ बचत की भी जाती है उसके विनियोग करने के सुनिश्चित साधन भी कम हैं। परिणामतः

बचत जिसके द्वारा पूँजी का निर्माण होता है, कम ही होने पाती है। (ii) देशी राज्यों का अन्त तथा जमीदारी का उन्मूलन—भारतीय स्वतन्त्रता से पहले देशी राज्यों के राजा तथा जमीदारी उन्मूलन से पहले जमीदार काफी बड़ी मात्रा में धन का संचय किया करते थे। परन्तु जब से राज्यों का पुनर्संगठन हुआ है और देशी राज्यों को शवित्रहीन बना दिया गया है तथा जमीदारी का अन्त हुआ है, तब से देश में धन की बचत में बहुत कमी हो गई है। (iii) राष्ट्रीयकरण का भय:—उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के भय से भी बहुत से विनियोजक उद्योगों में अपनी बचत का विनियोग नहीं करते हैं। यद्यपि संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार विना मुआवजा दिये किसी भी उद्योग को अपने अधिकार में नहीं लेगी और सन् १९४८ की ओद्योगिक नीति में यह घोषित कर दिया गया है कि सरकार कम से कम १० वर्ष तक किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी, परन्तु सरकार की उद्योगों के राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा ने इतना अनिश्चित वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि इससे पूँजी के निर्माण में बहुत बाधायें पड़ती हैं। (iv) करारोपण की ऊची दर:—समय-समय पर उद्योगपतियों ने यह आवाज उठाई है कि देश में करों की इतनी ऊची दर है कि बचत-कर्ताओं को बचत करने का कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता है। इस आपत्ति में कुछ सत्य समझकर हाले ही में सरकार ने करों में विभिन्न प्रकार की कटौती दी है। इसके अतिरिक्त देश में मृत्यु-कर (Estate Duty) भी लगा हो गया है। इस कर में भी बचत अथवा पूँजी के निर्माण को हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। (v) मनेजिंग एजेन्टों की दोषपूर्ण नीति:—प्रायः मनेजिंग एजेन्ट्स कम्पनी के धन का उपयोग करके स्वयं अपने को धनी बना लेते हैं। कभी-कभी ये हिस्सेदारों को धोका देकर कम्पनी के लाभ का अधिकाश मार देते हैं। इस स्थिति को देखकर सम्भावी विनियोजक बचत करने के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं जिससे देश में पूँजी का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं होने पाता है। (vi) स्टॉक एवसचेज की कार्यवाहियों:—स्टॉक एवसचेज की क्रियायें इस प्रकार की होनी चाहिये कि ये स्वतन्त्र विनियोगों को प्रोत्साहन दें तथा योगों के प्रवाह में इसी भी प्रवाह की दशावट नहीं पढ़े। परन्तु जब इनकी क्रियायें सट्टे व्यवहारों से प्रभावित हो जाती हैं जिसके कारण मूल्यों में अकारण ही अत्यधिक

पूँजी-निर्माण की मन्द गति के कारण है—

१. आय-में कमी वथा विनियोग सुविधाओं का भ्रष्टाचार।
२. देशी राज्यों का अन्त तथा जमीदारी का उन्मूलन।
३. राष्ट्रीयकरण का भय।
४. करारोपण की ऊची दर।
५. मनेजिंग एजेन्टों की दोषपूर्ण नीति।
६. स्टॉक एवसचेज की सट्टा-कार्यवाहियाँ।
७. देश में धन का दोषपूर्ण वितरण।
८. पूँजी निर्गम नियन्त्रण।
९. धन का विदेशों को निर्धारित।
१०. मिथित अर्थ-व्यवस्था प्रणाली के अपनाये जाने के बारण निजी दैन पर कुछ प्रतिबन्ध।

चल्चावचन (Fluctuation) हो जाता है, तब इनसे वास्तविक विनियोगकर्ता प्रोत्साहित हो जाते हैं। परिणामत देश में पूँजी-निर्माण में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। (vii) धन का दोषपूर्ण वितरण —हमारे देश में युद्ध काल तथा युद्धोत्तर काल में धन का वितरण इस प्रकार हुआ है कि सत्यकिं ऋषि-नानित ऐसे व्यक्तियों के हाथों में चली गई है जिन्हें विनियोग या बचत बरने की अदत ही नहीं है। दूसरी ओर उद्योगों में पूँजी का विनियोग करने वालों की बचत जाने जाने पट गई है। परिणामत धन के इस प्रकार के असमान वितरण से धन संचय में कमी हो गई है। (viii) पूँजी निर्गम नियन्त्रण (Capital Issue Control).—युद्धोत्तर काल में भारत में पूँजी निर्गम नियन्त्रण का कार्य कुछ इस प्रकार हुआ है कि धन का उचित विनियोग नहीं होने पाया। अतः पूँजी निर्गम नियन्त्रण से पूँजी के निर्माण में शिक्षितता आ गई। (ix) धन का विदेशों को निर्यात —कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें विदेशी पूँजी लगी हुई है। इनमें जाकुद्ध लाभ होता है लेकिन अधिकार्य माला विदेशों को व्याज एवं लाभ के रूप में चला जाता है। वास्तव में इस रकम का अधिकार्य माला हमारे देश में पूँजी के रूप में लगता चाहिये था, परन्तु इसके विदेशों को चले जाने से देश में पूँजी के निर्माण में कमी हो जाती है। (x) नियित अर्थ-व्यवस्था —हमारे देश में नियित अर्थ-व्यवस्था अपना लो गई है जिसके परिणामस्वरूप आधिक विनियोजन के अन्तर्गत नियी क्षेत्र पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। इनके कारण भी पूँजी के निर्माण में शिक्षितता आ गई है।

भारत में पूँजी के निर्माण को प्रोत्साहित करने के सुझाव —स्वतन्त्रता के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने देश के औद्योगिक विकास का भरसक प्रयत्न किया है। पचवर्षीय योजना का अन्त हो चुका है और द्वितीय योजना इस समय कार्यान्वयन की जा रही है।

पूँजी-निर्माण को प्रोत्साहित करने के सुझाव सुझाव है—

१. स्वरुप खोदों का उपयोग होना चाहिए।
२. जमीन में गडे हुए धन का उपयोग होना चाहिए।
३. सरकारी व्यय में बचत होनी चाहिए।
४. जनता में बचत को प्रोत्साहित करना चाहिए।
५. पूँजी के नियांत पर रोक रखा विदेशी पूँजी की आवाहन को प्रोत्साहित करना चाहिए।

पूँजी के नियांत पर रोक रखा विदेशी पूँजी की आवाहन को प्रोत्साहित करने के लिये वहाँ बढ़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए सरकार ने अनेक प्रयत्न किये हैं जिससे देश में अधिकार्य माला में धन का संचय हा सके। यह स्पष्ट है कि देश के आधिक विकास के माला में पूँजी का अभाव सब से बड़ी कठिनाई है। जब तक देश में पर्याप्त मात्रा में पूँजी का संचय नहीं होगा, तब तक देश का पर्याप्त आधिक विकास सम्भव नहीं हो सकेगा। भारत में पूँजी के नियांत को प्रोत्साहित करने के लिये कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं—(i) स्वर्ग खोदों का उपयोग—एक अनुमान के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग १०% आय स्वर्ग के स्पष्ट में आलमारियों में पटा है। यदि इस सन्ति स्वर्ग को काम में लाया जाय तब

पौच वर्ष तक राष्ट्रीय आय का लगभग २% मात्र पूँजी के हृष में प्राप्त हो सकेगा। अब: सरकार को चाहिए कि वह जनता में देश भक्ति वी भावना जाग्रत करे ताकि वह इस स्वरूप वा पूँजी निर्माण के हृष में उपयोग कर सके। (ii) जमीन में गड़े हुए धन वा उपयोग:—भारत में आज भी मनुष्यों में वैदिक की आदत जागत नहीं हुई है। ग्रामीण जनता तो विदेशीकर अपनी बचत को गाड़कर ही रखती है। सरकार जो इस प्रकार का प्रचार करना चाहिए कि देशवासी अपने गड़े हुए धन को निकालकर उत्पत्ति कार्यों में लगा दें। यह तथा ही सम्भव है जब कि विनियोग के लाभ तथा ऋणों की व्याज की दरें आकर्षक हों और बचतकर्ता को अपने धन के विनियोग की पूँण सुरक्षा हो। (iii) सरकारी ध्यय में बचत:—वैद्वीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अपना ध्यय बहुत सोन-समझ-कर तथा मित्र्यवितापूर्वक करना चाहिए। सरकार द्वारा अपने ध्यय को बम करके बचत करनी चाहिये और इसका इस प्रकार विनियोजन करना चाहिये कि इससे बर्तमान समय में देश में श्रोदोगिक विकास हो तथा भविष्य में पूँजी-निर्माण में बृद्धि हो जाये। (iv) जनता में बचत को प्रोत्साहन देना चाहिए:—(ग) ग्रामीण शेषों ने रहने वाले व्यक्तियों तथा बहुत छोटी-छोटी आमदानी वाले व्यक्तियों में बचत को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार को समुचित प्रचार बरना चाहिए ताकि इस बारे के व्यक्ति बचत बर सकें। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार को स्थान-स्थान पर ऐसे डाकखाने खोलने चाहिये जिनमें सेविस बैंक का खाता खोला जा सके। सहकारी बचत समितियाँ व पारस्परिक समितियों (Mutual Societies) आदि का भी विस्तृत रूप से निर्माण बरना चाहिये। (छ) मध्यम आय वर्गों में बचत का प्रोत्साहन देने के लिये उन्हे स्टॉक एक्सचेंज की सुविधायें उपलब्ध करानी चाहियें। (ग) कम्पनियों तथा उद्योगों में बचत को प्रोत्साहन देने के लिये इनके लाभ या इनके अतिरिक्त लाभ पर कर की दर कम की जानी चाहिए तथा शक्तिन आदि की पिसावट के हेतु मधिक छटोती देनी चाहिये। इस प्रकार की बचत बर्तमान उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख अर्थ-पूर्ति वा साधन हो सकती है। (v) पूँजी के निर्धारित पर रोक तथा विदेशी पूँजी की आवात को प्रोत्साहित करना:—सरकार द्वारा पूँजी के निर्धारित पर प्रतिबन्ध लगाने चाहिये और विदेशी पूँजीपतियों को इस बात के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे भारत में कमाये हुये लाभ को यही उत्पत्ति-कार्यों में पुनः लगा दें। इसी तरह सरकार को देश में ऐसी गुविधायें उपलब्ध करनी चाहिये कि विदेशी पूँजीपति भारत में अपनी पूँजी को लगाने के लिये आवंटित हो जायें।

भारत में पूँजी-निर्माण के लिये विदेशी गये प्रयत्न (Efforts made in India for Capital Formation):—देश के श्रोदोगिक विकास एवं वृद्धि विकास के लिये बहुत धन की आवश्यकता है। पूँजी की जमीन प्रत्युभव बरके ही सरकार ने समय-समय पर ऐसे प्रयत्न किये हैं और आज भी कर रही है जिनमें देश में अधिक मात्रा में धन वा संचय हो सकेगा। सरकार द्वारा कुछ मुख्य बचत योजनायें इस प्रकार हैं:—(i) डाकखाने के सेविस बैंक के लाते।—भारतीय सरकार के अधिकार डाकखानों में सेविस बैंक खाता खोलने की मुश्विधा उपलब्ध है। कोई व्यक्ति धन पर निजी भीर से या अपनी स्त्री व नाबालिंग व्यक्तों की ओर से इन खातों में रखा जमा कर सकता है। एक हफ्ते में घनेक बार

रप्या जमा किया जा सकता है और केवल एक बार रप्या निकाला जा सकता है। जमावर्ती पत्रों को उनकी जमा पर निर्धारित नियमों के आधार पर व्याज दिया जाता है और यह व्याज आय कर या अति कर से मुक्त होता है। एक व्यक्ति के लिए १०,००० रप्ये और दो के लिए २०,००० रप्ये तक २५ प्रतिशत व्याज जोड़ा जाता है (ii) प्रमाण-पत्र—(क) भारह वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत सर्टिफिकेट—ये प्रमाण-पत्र (Certificates) उन व्यक्तियों द्वारा लिया जा सकते हैं जोकि कुछ वर्षों तक अपनी पूँजी य उसके व्याज की प्रतीक्षा कर सकते हैं। ये पत्र भी डाकखानों द्वारा बेचे जाते हैं और ये ५, १०, ५०, १००, ५००, १००० तथा १००० रपए तक के मूल्य के होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी भौंर से या अपने नावालिग बच्चों की ओर से इन्हें खरीद सकता है। एक व्यक्ति अधिक से अधिक इनमें २५,००० रपए तक लगा सकता है (इस रकम में पचवर्षीय तथा सप्तवर्षीय प्रमाण-पत्र भी सम्मिलित है)। दो व्यक्ति मिलकर ५०,००० रु० तक के प्रमाण-पत्र खरीद सकते हैं। रपए का भुगतान समझौते के अनुसार विसी एक को या दोनों को या विसी एक की मृत्यु के बाद जीवित व्यक्ति को हो सकता है। इन पत्रों पर १६ प्रतिशत व्याज की दर है और प्रत्येक १०० रप्ये १२ साल में १६५ रप्ये हो जाते हैं। जमावर्ती जो इन पत्रों की परिपक्वता से पहले भी रप्या निकालने का अधिकार है, परन्तु इन पत्रों पर व्याज की दर पत्रों की समय अवधि बढ़ने पर ही बढ़ती है। इन पत्रों से प्राप्त व्याज की राशि पर आय कर तथा अति कर नहीं लगता है और आय-कर की दर निर्धारित करने के लिये भी उसे कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। (ख) पचवर्षीय तथा सप्त वर्षीय प्रमाण-पत्र—भारह वर्षीय पत्रों की उत्तरह पचवर्षीय तथा सप्त वर्षीय प्रमाण पत्र भी होते हैं। परन्तु इनमें अन्तर यह है कि इन पर व्याज की दर कम होती है। पचवर्षीय प्रमाण पत्रों पर ४ प्रतिशत तथा सप्त वर्षीय पर ३ ५७ प्रतिशत व्याज की दर होती है। इन प्रमाण पत्रों पर भी समस्त वे ही नियम लागू होते हैं जो भारह वर्षीय प्रमाण-पत्रों पर लागू होते हैं। (ग) सेविंग्स स्टाम्प (Savings Stamps)—ऐसे व्यक्ति जो एक बार में ५ रु० वे भी प्रमाण पत्र नहीं खरीद सकते हैं, उनकी सुविधा के लिये ४ आने, ८ आने व १ रु० के सेविंग्स स्टाम्प जारी किये गए हैं और ये टिकट डाकखानों से मिल जाते हैं। इन टिकटों को एक कार्ड पर चिपका ना पड़ता है और यह कार्ड भी डाकखानों से ही मिलता है। जब कार्ड पर चिपके हुवे टिकटों का मूल्य ५ रु० हो जाता है तब इस कार्ड के बदले में इस कार्ड पर चिपके टिकटों के मूल्य के बराबर का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। अत यह एक छोटी बचत की योजना (Small Savings Scheme) है। (iii) दस वर्षीय दैनंदी सेविंग्स डिपोजिट सर्टिफिकेट (Ten Years Treasury Savings Deposits Certificates)—इस प्रकार के निषेधों (Deposits) में १०० रु० से बहुत रकम जमा नहीं की जा सकती है। इस योजना में केवल ३००—३०० रु० के ही प्रमाण-पत्र होते हैं और एक व्यक्ति अधिक से अधिक २५,००० रु० इस योजना में लगा सकता है परन्तु दो व्यक्ति मिलकर ५०,००० रु० तक रप्या लगा सकते हैं। धर्मार्थ संस्थायें इनमें १ लाख रप्ये तक रप्या जमा कर सकती हैं। रप्या वस्त्रई, मद्रास, बलबस्ता और दिल्ली नगरों में रिजर्व बैंक बैंक इण्डिया में तथा भार्या नगरों में स्टेट बैंक बैंक इण्डिया की शासांशों एवं सरकारी

खजानों में जमा किया जाता है। इस योजना में भी नावालिंगों की ओर से रूपया जमा किया जा सकता है। इन निषेधों में जमा रकम जमा करने की तारीख के १ वर्ष के बाद कभी भी निकाली जा सकती है, परन्तु यदि १० वर्ष की अवधि से पूर्व रूपया वापिस लिया जाता है, तब व्याज की दर में कमी हो जाती है। अवधि के बढ़ने के साथ ही साथ व्याज की दर भी बढ़ जाती है, परन्तु १० वर्ष की पूर्ण अवधि होने पर व्याज की दर ४ प्रतिशत हो जाती है। जमाकर्ता को प्राप्त आय करो से मुक्त होती है। सर्टिफिकेट्स जमानत (Securities) के रूप में भी स्वीकार किये जाते हैं।

### परीक्षा-प्रश्न

**Agra University, B. A. & B. Sc.**

१. भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताओं का वर्णन करें। इसके दोषों पर हित-पात करें। (१६६०)

**Agra University, B. Com.**

१. भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों का वर्णन कीजिये। इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? (१६६०) २. What are the defects of the Indian Money Market? Suggest any measures of reform you consider necessary. (1957 S) ३. What are the main constituents of the Indian Money Market? What control does the Reserve Bank exercise over them? (1956 S, 1954) ४. What are the main constituents of the Indian Money Market? Discuss their importance in financing trade and industry. (1955).

**Rajputana University, B. Com.**

१. Write a note on—Main features of the Indian Money Market. (1958) २. Write a note on—Indian Money Market—its defects and the way out. (1957) ३. Discuss the salient features of the Indian Money Market and show to what extent its main defects have been remedied since independence. (1956) ४. Discuss the importance of a well-organised Bill Market as an instrument of economic progress. Account for the absence of a Bill Market in India. What steps have been taken in this respect in recent times? (1954)

**Sagar University, B. Com.**

१. भारतीय मुद्रा-विपणि के मुख्य दोषों का उल्लेख कीजिये और इन्हे दूर करने के लिए निश्चित सुझाव दीजिये। (१६५४)।

**Allahabad University, B. A.**

१. भारतीय द्रव्य-बाजार की मुख्य विशेषतायें क्या हैं? इसके संगठन में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है?

**Allahabad University, B. Com.**

१. Write a note on—Bill Market in India. (1956)

**Gorakhpur University, B. Com.**

१. Evaluate the recent efforts of the Reserve Bank of India to create a bill market in India. How will the existence of such a market facilitate monetary management in the country? (Pt. II. 1959) २. Dis-

cuss the causes for the absence of a bill market in India. Suggest measures to remove them. (Pt I. 1959)

Bihar University, B. Com.

1. Examine the present condition of the Indian Money Market. What suggestions can you offer for its improvement ? (1959) 2. What steps have been taken to develop a bill market in India ? What are its prospects ? (1959).

Nagpur University, B. A.

१. भारतीय मुद्रा विषय के पटकों (Constituents) के विशेष लक्षणों को समझाइये। (१५०=)

पुस्तक के अन्त में

‘उत्तर कैसे लिखें ?’

परिशिष्ट

अवश्य पढ़िये।

भाग २ :

: खंड २

## भारतीय बैंकिंग (Indian Banking)

[भज्यात्र १. भारतीय बैंकिंग—इमहा विकास एवं सुभस्थायें, १०. भारतीय बैंकिंग विधान, ११. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, १२. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, १३. भारत में मिश्रित पूँजी वाले बैंक (प्रापारिक बैंक), १४. भारत में विदेशी विनियम बंधन।]

## भारतीय-बैंकिंग—इसका विकास एवं समस्याएँ (Indian Banking—its Development and Problems)

### सन् १८१३ तक भारतीय-बैंकिंग का विकास

प्रथम युग की सुविधा के लिये हम भारतीय बैंकिंग के प्रारम्भिक इतिहास को तीन युगों में बांट लेते हैं। प्रथम युग के अन्तर्गत हम अति प्राचीन काल से प्रसिद्धेन्सी बैंक की स्थापना तब (१८०६) का इतिहास पढ़ते हैं। द्वितीय युग के अन्तर्गत हम प्रसिद्धेन्सी बैंक की स्थापना (१८०६) से सन् १८६० तक का इतिहास पढ़ते हैं और तृतीय युग के मन्तर्गत सन् १८६० से सन् १८१३ तक का इतिहास पढ़ते हैं।

प्रथम युग (१८०६ तक का काल)—सक्षिप्त में इस युग की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(i) भारत में बैंक प्रथा बहुत प्राचीनकाल से ही प्रचलित रही है। इस बात का प्रमाण अनेक प्राचीन ग्रन्थों से मिल जाता है। बैंकिंग काल, बुद्ध काल तथा इन्द्र समय से सम्बन्धित साहित्य से यह पता चलता है कि प्रत्येक काल में अनेकों व्यापारिक व बैंकिंग सम्बन्धी कार्य होते थे। महाजन व साहूकार न बेवल जनता को रूपया उधार देते थे वरन् व उनसे जपा पर रूपया भी हीकार किया करते थे। याने याने मुस्लिम शासन काल तक इन स्वदेशी बैंकर्स के कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो गए—ये न बेवल देश के आन्तरिक व्यापार को ही अर्थ-सहायता देते थे वरन् ये राजा महाराजाओं वा भी एक बैंकर के रूप में कार्य करते थे तथा सरकार की ओर से लगान तक बसूल करते थे और विदेशी भी मदद के लिये मुद्रा परिवर्तन का भी कार्य करते थे। (ii) १७ वीं शताब्दी में अंग्रेजों के भारत आने पर स्वदेशी बैंकिंग-प्रणाली का पतन आरम्भ हो गया। चूंकि महाजन अंग्रेजी भाषण तथा विदेशी बैंकिंग प्रणाली से परिचित नहीं थे, इसलिये ये अंग्रेजों के व्यापार में हाथ नहीं बढ़ा सके जिससे इनका महत्व धीरे धीरे बहुत कम हो गया। यही नहीं अंग्रेजों ने भी देशी बैंकिंग प्रणाली का उपयोग नहीं किया और अपना काम चलाने के लिए स्थान-स्थान पर एजेन्सी-घृहों (Agency Houses) की स्थापना की। ये एजेन्सी घृह, आठत घृह या व्यापारिक फारम भी कहताती हैं। इन व्यापारिक फर्मों में मेसर्स एलेक्जेंडर एण्ड कम्पनी (M/s Alexander & Co.) तथा मेसर्स फर्गुसन एण्ड कम्पनी (Fergusan & Co.) बहुत प्रधिक प्रसिद्ध थीं। ये फर्में बैंकिंग का बायं वर्ती थीं और सच तो यह है कि इन फर्मों (या एजेन्सी घृहों) की स्थापना से ही भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का इतिहास आरम्भ होता है। ये फर्में अन्य व्यवसायी के साथ ही साथ जनता से निक्षेप (Deposits) स्वीकार करते थे और उनकी व्यापारिक तथा औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे। प्रारम्भिक काल में इन घृहों के पास अपनी निजी कुद्द भी पूँजी नहीं थी, परन्तु इनके पास अपेज नोकरों की जो कुछ भी राशि जपा रहती थी उसी से ये बैंकिंग का कार्य किया करते थे। (iii)

सन् १८१३ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक अधिकार का अन्त हो गया जिससे उक्त एजेन्सी-गृहों के व्यापार को भी बहुत बढ़का लगा। परिणामतः इन गृहों का सन् १८३१ तक अन्त हो गया। (iv) यह स्मरण रहे कि कुछ एजेन्सी-गृहों ने अपनी आर्थिक स्थिति को दृढ़ बनाकर अपने आपको संयुक्त पूँजी के आधार पर सहित किया और इस तरह भारत में संयुक्त पूँजी बैंकिंग प्रणाली का नेतृत्व किया। मौसर्स एलेक्जेंडर एण्ड कम्पनी (M/s Alexander & Co.) ने सन् १८७० में “दी बैंक ऑफ हिन्दुस्तान” के नाम से सर्व प्रथम यूरोपियन बैंक की स्थापना की। यह बैंक सन् १८३२ में दूट गया। (v) इस काल में अनेक बैंकों की स्थापना हुई तथा कुछ की तो पञ्च-मुद्रायें तक चलन में थीं, परन्तु नये-नये बैंकों की स्थापना के साथ ही साथ कुछ पुराने बैंक टूटते भी गये। अतः भारतीय बैंकिंग के प्रारम्भिक काल में किये गए सभी प्रयत्न असफल रहे।

द्वितीय युग (१८०६—१८६०):—इस युग का आरम्भ सन् १८०६ से होता है। सन् १८०६ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आज्ञापत्र के अनुसार “बैंक ऑफ कलकत्ता” (Bank of Calcutta) की स्थापना हुई। इस बैंक का प्रमुख उद्देश्य भव्यमूल्यन चलन-पद्धति के दोषों का निवारण करना था। तत्पश्चात् सन् १८४० में “बैंक ऑफ बम्बई” (Bank of Bombay) तथा सन् १८४३ में ‘बैंक ऑफ मद्रास, (Bank of Madras) की स्थापना हुई। सरकार ने इन तीनों बैंकों में अपना हिस्सा पूँजी रखा। प्रथेक बैंक को नोट-निर्गम का भी अधिकार दिया गया था। चूंकि इन बैंकों द्वारा निर्गमित नोट अधिक प्रसिद्ध नहीं होने पाये, इस कारण सन् १८६२ में इनकी जगह सरकारी पञ्च-मुद्रा ने ले ली। अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी ये तीनों प्रेसीडेंसी बैंक्स सन् १८२० तक सफलतापूर्वक चलते रहे। परन्तु सन् १८२१ में इन तीनों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक बना दिया गया जिसे अब स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कहते हैं।

तृतीय युग (१८६०—१८१३):—इस युग का आरम्भ सन् १८६० से होता है। सन् १८६० में सर्वप्रथम सीमित देयता (Limited Liability) को बैंचानिक मान्यता प्राप्त हुई। इस समय तक भारत में कोई बैंकिंग विधान नहीं था। इसीलिए सन् १८६० के बाद अनेकों बैंकों की स्थापना हुई। शनैः शनैः १८७४ तक सीमित दायित्व वाले बैंकों की संख्या १४ हो गई। इनसे अधिकांश बैंकों की स्थापना यूरोपियन व्यवस्था में ही की गई थी। सन् १८८१ में स्थापित “अब्दुल कांमरशियल बैंक” ही सर्वप्रथम बैंक था जो भारतीय व्यवस्था में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात् भारत में अनेकों बैंक स्थापित हुये, जैसे—पंजाब नेशनल बैंक (१८६४) (पीपिल्स बैंक ऑफ इण्डिया, (१८०१ में स्थापित परन्तु १८१३ में यह दूट गया), दी बैंक ऑफ इण्डिया, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, इसाहाबाद, बैंक, बैंक ऑफ बड़ीदा भादि। ये पांच बैंक आज भी भारत के प्रथम पांच ‘महान् बैंकों’ में गिने जाते हैं। इन बड़े-बड़े बैंकों के अतिरिक्त इस बाल में अनेक छोटे-छोटे बैंक भी स्थापित हुए जिनकी संख्या सन् १८१३ तक ५६० तक पहुँच गई। चूंकि अधिकांश बैंक की बिना समुचित आधार के खोले गए थे, इसीलिए सन् १८१३—१७ के बैंकिंग संकट काल में इनमें से अधिकांश बैंक दूट जाने वाले बैंकों के नाम इस प्रकार हैं:—दी इण्डियन स्पेशी

थेंक, दो बगाल नेशनल बैंक, दो क्रेडिट बैंक और इण्टिया, दो स्टेंडिंग बैंक, दो बोम्बे मर्चेंट्स बैंक तथा दो थेंक ऑफ अपर इण्डिया मादि।

### सन् १९१३-१७ का बैंकिंग संकट

बैंकिंग संकट का अर्थ—“बैंक तथा इसके कार्य” नामक अध्याय में हम पढ़ आये हैं कि थेंक की बायं-प्रणाली जनता द्वे विकास पर आधारित होती है। चूंकि बैंक अपनी जमा पूँजी से कई गुना अधिक धन ऋण के रूप में दे देता है, इसलिये प्रत्येक बैंक की देन (Liability) हर समय उसके नकद कोष (Cash Reserve) से अधिक होती है। इस दशा में यह स्वामानिक होता है कि कोई भी थेंक अपने जमावर्तीयों को एकदम, उनकी माँग होने पर, उनकी जमा राशि को नकद रूप में दापिस नहीं कर सकता है। जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जमावर्तीयों की माँग बैंक के पास उपलब्ध नकद कोष से अधिक होती है, तब बैंक को इस माम का मुगवान करने में अटिनाई उत्पन्न होने लगती है यदि किसी वारण बैंक मुगवान करने से असमर्थ रहता है, तब यह उसके लिये घातक स्थिति होती है और उसे अपने फाटक बन्द करके अपने को दिवालिया घोषित करना पड़ता है। व्यवसायिक भाषा में इसे बैंकिंग संकट कहते हैं। कभी कभी किसी एक बैंक के दिवालिया हो जाने पर या दिवालिया हो जाने की वेल अपवाह उठ जाने पर तमाम जमावर्तीयों में इस प्रकार की संख्या फैल जाती है कि वे सब ही अपने-अपने बैंकों से अपनी जमा राशि को निकालना आरम्भ कर देते हैं। बैंकिंग की भाषा में इसे “बैंकों पर दोड़” (A run on the Banks) कहते हैं। चूंकि प्रत्येक बैंक जमावर्ती को उसकी माँग होने पर उसकी जमा पूँजी को दापिस देने की गारन्टी देता है, इसलिये जब बैंकों पर दोड़ का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, तब प्रत्येक बैंक अपने आपको सबट में पाने लगता है। यदि बैंक ऐसा है कि उसकी सम्पत्ति तरल (Liquid) अवस्था में है या यदि बैंक के पास ऐसे धन है कि वह सबट काल में तुरन्त ही बेन्द्रीय बैंक से या अन्य बैंकों से शाया ला सकता है, तब तो वह अपने जमावर्तीयों की माँग का मुगवान करके उनमें अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कर देगा और इसका परिणाम यह होगा कि कुछ समय बाद न वेल उठके पुराने जमावर्ती उसके पास अपने धन पुन जमा कर देंगे विलिंग साथ ही साथ अम्ब अनेक नये-नये ग्राहक भी उसके पास अरना धन जमा कर देंगे। परिणामत इस बैंक की हितिं ठीक हो जायगी। परन्तु यदि बैंक या बैंक ऐसे हैं कि भरसक प्रयत्न करने पर भी वे अपने जमाधारियों को रुपया माँग पर वापिस नहीं देने पाते हैं, तब तो जनता वा इन पर से विश्वास उठ जायेगा और ऐसी दशा में शीघ्र ही ये बैंक टूट जायेंगे। व्यवहारिक जीवन का यह अनुभव है कि जब किसी देश में किसी एक बैंक पर से जनता का विश्वास उठ जाता है, तब जनता का गम्भीर से भी विश्वास उठ जाता है या कम हो जाता है और तमाम बैंकों पर “दोड़” होने लगती है। इसी परिस्थिति को ‘बैंकिंग संकट’ (Banking Crisis) कहते हैं।

भारत में सन् १९१३-१७ का बैंकिंग संकट—भारत में बैंकिंग संकट कई अपि हैं और इन्होंने प्रत्येक बार देश की बैंकिंग व्यवस्था को बहुत हानि पहुँचाई है। सन्

१६१३-१७ का संकट भी इसी प्रकार का था। इस संकट के कई महत्वपूर्ण कारण ये—  
 (i) सन् १६०२ के पश्चात् भारत में बैंकिंग का विकास इतनी तेजी से हुआ कि उसमें किसी भी प्रकार का स्थायीपन नहीं आ सका और परिस्थितियों में अनिक-सा प्रतिकूल परिवर्तन हो जाने पर बहुत से बैंक टूट गये। (ii) भारतीय मुद्रा-बाजार की अस्थायी प्रकृति थी तथा इसके विभिन्न वर्गों में संगठन का अभाव था। बैंकिंग संकट के लिये मह एक बहुत ही उच्चुक परिस्थिति थी। (iii) मुद्रा-पद्धति तथा साख-प्रणाली में लोच का अभाव था। इसके कारण बैंकों के लिए एक दूसरे से सहायता प्राप्त करना अवधारणात्मक तथा अनुसार अपने निधेशों (Deposits) को घटना-बढ़ना इनके लिए बहुत कठिन हो गया। (iv) नवेन्ये बैंक युद्धकालीन परिस्थितियों का मुद्रावला नहीं कर सके और युद्ध के कारण दरफन वरिष्ठियों के स्वयं रिकार हो गये। (v) युद्धकाल में सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में घन खीचना शुरू किया, जिसके कारण मुद्रा-बाजार में घन की बहुत कमी हो रही और व्याज की दरें बहुत ऊँची हो गईं। अधिक साम कमाने के सालच में बैंकों ने अत्यधिक मात्रा में ऋण देना आरम्भ कर दिया। परन्तु उनकी इस नीति का देश की बैंकिंग पद्धति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि असीमित मात्रा में ऋण देने का परिणाम यह हुआ कि बैंकों की नकद-निधि (Cash Reserves) बहुत कम हो गई और जब जनता भी बैंकों पर दोड़ हुई तब अधिकांश बैंक इस दोड़ का मुकाबला नहीं कर सके और दिवालिया हो गये। अतः इन सब कारणों से भारत में सन् १६१३ में बैंकिंग संकट का थीगखेय हुआ और इस संकट का प्रभाव सबसे पहले ही पीपिल्स बैंक ऑफ इण्डिया पर पड़ा जो लद् १६१३ में टूट गया। परिणामतः मुद्रा-बाजार में अनिवितता का बातावरण उत्पन्न हो गया जिसका प्रभाव देश की तमाम बैंकिंग प्रणाली पर पड़ा और बैंक से एक-एक करके फेल होने लगे और यह जम अवधित रूप से सन् १६१७-१८ तक चलता रहा। बैंकिंग संकट के इस अल्पकाल में लगभग ४५ बैंक टूट गये। बैंकिंग राफ्ट का अन्त सन् १६१७ में नहीं होने पाया और सन् १६१७-१८ तक के काल में लगभग १६१ बैंक टूटे और १६३१-३६ तक के काल में औसत रूप में प्रतिवर्ष ६४ बैंक टूट गये।

### बैंकों के टूटने के कारण

बैंकों के टूटने के मुख्य कारण (Main Causes of Bank Failures):—  
 बैंकिंग संकट काल में बैंकों के टूटने के अनेक कारण थे। इनमें से कुछ तो ऐसे कारण थे जिनका सम्बन्ध उसी काल से या और मुख्य कारण ऐसे थे जो भारतीय बैंकिंग-प्रणाली में इसके दोषों के रूप में आज भी विद्यमान हैं। ये मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—  
 (i) बैंकों का प्रबन्ध य संचालन अधोग्रह व्यक्तियों के हाथ में था—स्वदेशी ग्राम्योत्तन के फल-स्वरूप देश में बैंकों की घड़ापड़ रखायता हुई थी। उस समय इन नवेन्ये बैंकों का संचालन एवं प्रबन्ध अनुमति देश योग्य व्यक्तियों हारा नहीं हो सका। जिससे इन्होंने बैंकिंग के विद्यान्वतों का पालन नहीं किया। परिणामतः ऐसे बैंक संकट काल में टप्प हो गए।  
 (ii) बैंकों की योग्यताजी:—अनेक बैंक ऐसे थे जो प्रचार एवं विजापन सामग्री में प्रतीक्षा व्यापारिक स्थिति को देखा जिया करते थे और जनता को अपूर्ण मूचना देकर पोखरा दिया

करते थे। कुछ बैंकस अपनी अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) को बढ़ा-बढ़ाकर दिखाया करते थे, परन्तु अपनी प्राप्तिक पूँजी (Subscribed Capital) तथा परिदृष्ट पूँजी (Paid up Capital) सम्बद्धी आकड़ों को छुपा लिया करते थे ज्योकि इनका अधिकृत पूँजी से अनुपात बहुत ही कम हुआ करता था। ऐसे बैंकों को अपने कार्य के लिए जनता के निषेधों (Deposits) पर निर्भर रहना पड़ता था। परिणामत तनिक सा भी सबट उग्ह छप कर दिया करता था। कुछ बैंकस भूठे हिसाब दिला कर अपनी स्थिति अच्छी दिखाया करते थे और कुछ बैंकों के हिसाब कभी भी ऑडिट (Audit) नहीं हुआ था और यदि कभी-कभी ऑडिट होते थे तब ये भूठी रिपोर्ट तैयार करवाया करते थे। परिणामत बैंकों का प्रबन्ध ठीक नहीं होने के कारण ये अधिक समय तक जीवित नहीं रहने पाते थे, उदाहरणाये, पायनियर बैंक। (iii) बैंक ऊँची ब्याज की दर पर रुपया उधार लेते थे और इन्होंने अल्पकालीन निषेधों से दीर्घकालीन बौद्धिगिक शृङ्गों को पूँजी को थो—बैंकों में आपस में प्रतिस्पर्धा अत्यधिक थी और प्रत्येक बैंक अपने आपको ही सबसे अधिक उम्रत करना चाहा करता था। जूँकि बैंकों के पास प्राय परिदृष्ट पूँजी (Paid up Capital) बहुत कम रहती थी, इसलिये अपने कार्य के सचालन के लिये ये ऊँची ऊँची ब्याज की दर देकर जमाकर्ताओं का धन आकर्षित करने का प्रयत्न किया करते थे। कभी कभी इनके रुपण लेने और रुपण देने की ब्याज की दर में बहुत कम अन्तर रह जाता था। इसी तरह अधिक लाभ बनाने के सालच में इन्होंने अपने नकद-कोषों (Cash Reserves) की मात्रा का बिना उचित ध्यान रखते ही जमावर्ती के धन को लम्ब बाल के लिये तथा लम्बी राशि में उधार दिया। कभी-कभी बैंकों ने अपनी पूँजी ऐसे राशियों में लगा दी जिसका बापिस आना बहुत कठिन हो गया। आवश्यकता के समय जब बैंकों को अपनी पूँजी बापिस नहीं मिल सकी, तब परिस्थितिवश ये दिवालिये हो गये। ऐसे बैंकों के उदाहरण हैं—दी टाटा इण्डस्ट्रियल बैंक, दी पीपिल्स बैंक ग्रॉक लाहोर आदि। (iv) धन का सट्टे व्यवहारों में विनियोग—ऐसे बहुत से बैंक थे जिन्होंने अपने धन का विनियोग सट्टा-व्यवसाय में किया जो एक बैंक के लिये अदौष्टनीय है। इस कारण जब आर्थिक मन्दी आई, तब ऐसे बैंकों को बहुत हानि उठानी पड़ी और इनके दिवाले निकल गये। यह स्परण रहे कि कुछ बैंकस ऐसे भी थे जो यद्यपि सट्टा व्यवसायों में धन लगाते थे, परन्तु इस बात को छुपाये रखते थे जिससे जनता को धोखा हो जाया करता था। इण्डियन स्पेशली बैंक के फैल होने का कारण यही था कि इसने सोने, चादी व मोती व सट्टे व्यवहारों में बहुत बड़ी मात्रा में धन का विनियोग कर रखा था। (v) कुछ बैंकों वे सचालकों ने बैंक के साथीयों का निजी स्वार्थ में उपयोग किया—बैंकों वे कुछ सचालक ऐसे थे कि उहोंने अपने ही बैंकों से रुपण अपने निजी व्यवसाय के लिये या ऐसे व्यवसाय के लिए जिनमें उनकी दिलचरपी थी लिए। प्राय ऐसे सचालकों से रुपण बापिस नहीं आने पाता था और बैंक सबट आने पर टूट जाते थे। (vi) कुछ बैंकस बैंकल अपने दुर्भाग्य के कारण ही टूट गये—किसी न किसी कारण ऐसे बैंकों पर से जनता का विश्वास चढ़ गया जिससे जमावर्तीयों की इतनी अधिक मात्रा हुई कि इन्हं अपने आपको बाध्य होकर दिवालिया घोषित करना

पढ़ा। यह मतलब है कि इन बैंकों के इस दुर्भाग्य का पूर्ण कारण व्यवस्था की शिखिलता ही थी। उदाहरणार्थ, बैंक आँक अपर इण्डिया, भेठठ तथा अलायम्प्स बैंक आँक शिखिलता। इन बैंकों द्वारा दिए गये अलग पूर्णतया सुरक्षित थे, जिससे टूटने के बाद इनके हिस्सेदारों तथा निधेपदाताओं (Depositors) को पूरी-पूरी राशि का मुगलान मिला। (vii) कुल जमा को तुलना में नकद कोष का कम अनुपातः—भारत में बैंक सदा से ही अपनी कुल जमा का बहुत कम अनुपात नकद-कोष के रूप में रखते रहे हैं। परिणामतः ऐसे बैंक अपने ग्राहकों की मांग होने पर उसे सरलता से पूरी नहीं कर सके और आधिक संकट में फ़स गये। (viii) बैंकिंग विवाद का अभावः—सन् १९१३ तक भारत में कोई भी समुचित बैंकिंग विवाद नहीं या जिससे बैंक प्रत्येक कार्य में अपने आपको स्वतन्त्र समझते थे। इस नियन्त्रण की कमी के कारण ही बैंक-संकट आया जिसमें संकड़ों बैंक टूट गये। (ix) बैंक के अंशपारियों ने बैंकों के कार्य और प्रबन्ध में कोई सन्तोषजनक भाव नहीं लिया।—यह सच है कि यदि बैंकस के हिस्सेदार बैंकों के प्रबन्ध में हिस्सा लेते, तब उनकी देखभाल के कारण संचालक अधिक बेईमानी तथा धोखेवाजी नहीं करने पाते और सम्भव है तब बैंकस भी आधिक संकट में नहीं फ़ंसते। (x) केन्द्रीय बैंक का अभावः—प्रत्येक केन्द्रीय बैंक देश के बैंकों पर नियन्त्रण रखता है और संकट के समय इन्हें आधिक सहायता पहुंचाता है। सन् १९१३-१७ के बैंकिंग संकट काल तक देश में केन्द्रीय बैंक जैसी किसी भी संस्था की स्थापना नहीं हो सकी थी जिसके कारण देश में बैंकिंग का समुचित विकास नहीं होने पाया।

### दोनों महायुद्धों के बीच के काल में भारतीय बैंकिंग

इस काल में भारतीय बैंकिंग की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(i) सन् १९१३ व १७ के बैंकिंग संकट का परिणाम यह हुआ था कि जनता का बैंकों पर से विश्वास चठ गया था। प्रथम महायुद्ध के प्रथम अर्द्ध-भाग में तो यही स्थिति रही, परन्तु द्वितीय अर्द्ध भाग में इस स्थिति में परिवर्तन हो गया। युद्ध कालीन मुद्रा-स्फीति के कारण जनता के पास घन अधिक मात्रा में आया और शनैः शनैः बैंकों के निधेय (Deposits) बढ़ गये। इस काल ही जनता का बैंकों में पुनः विश्वास हो गया। जब बैंकों की जमा बढ़ने लगी, तब इन्होंने अपने कार्य का भी विस्तार करना आरम्भ कर दिया। स्थान-स्थान पर नये-नये बैंकों की भी स्थापना हुई। (ii) सन् १९२१ में लोनो प्रेसिडेंसी बैंकस को मिलाकर हम्पीरियल बैंक आँक इण्डिया की स्थापना की गई। इसकी परिदृष्ट पूँजी (Paid up Capital) और निधि (Cash Reserves) उस समय पर ₹७७ करोड़ रुपये थी। सन् १९५५ में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया और इसका नाम स्टेट बैंक आँक इण्डिया है। (iii) बैंकिंग संकट से जनता तथा सरकार ने यह मनुमेव किया कि देश में बैंकिंग के समुचित विकास के लिये इस पर नियन्त्रण रखना बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्य से सरकार इस समस्या के प्रति सन् १९२६ तक उदासीन बनी रही। सन् १९३० में केन्द्रीय बैंकिंग जोच समिति (Central Banking Enquiry Committee) की नियुक्ति की गई और इसका उद्देश्य देश में बैंकिंग के सुधार के लिये सुझाव देने थे। इस कमेटी ने दो महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे—प्रथम, देश में केन्द्रीय बैंक की स्थापना

होनी चाहिए तथा द्वितीय देश में वैकिंग विधान बनाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ वर्ष तक कुछ न हो सका। परन्तु सन् १९३५ में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई था सन् १९३६ में इण्डियन कम्पनीज एक्ट में सशोधन किया गया। (iv) सन् १९२१ में सरकार की विस्फोटिक नीति के कारण मन्दी काल आया जिसके कारण जनता की आय घटने लगी। परिणामत वैंको का जमा घन भी कम हो गया और इन्हे ग्राहिक सकट का सामना करना पड़ा। एक अनुमान के अनुसार सन् १९२१-२४ के काल में ४४७ वैंको का दिवाला निकला। (v) सन् १९२४-३० का काल सामान्य ग्राहिक दशाओं का काल रहा। इस काल में वैंको पर कोई विशेष आपत्ति नहीं पड़ी। (vi) परन्तु सन् १९३०-३८ के काल में मन्दी की दशाय जत्पक्ष हो जाने से काफी बढ़ी सूखा में वैंक फेल हो गये। इस तरह यह स्पष्ट है कि दोनों महायुद्धों के काल में यदि एक तरफ अनेक नये-नये वैंको का निर्माण हुआ, तब दूसरी और पुराने वैंक शनै शनै फेंड होते गये। इसका कारण यह था कि जब ग्राहिक दशायें सामान्य (Normal) हो जाता थीं, तब नये-नये वैंक खुलने लगते थे और जब मन्दी का काल आ जाता था, तब पुराने वैंक फेल होने लगते थे। अत इस काल में नये नये वैंको के स्थापित होने और पुराने वैंको के ठप्प हो जाने का त्रिम निरन्तर चलता रहा। (vii) दोनों महायुद्धों के काल में भारतीय वैकिंग का बढ़ा अव्यवस्थित विकास हुआ। देश में एक तरफ २०० और, बम्बई, मद्रास, बगाल व पजाह आदि प्रदेशों में वैंको की सूखा में बहुत वृद्धि हुई और दूसरी और उडीसा, मध्य-प्रदेश व बिहार आदि प्रदेशों में वैंको की सुविधाओं में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। उस समय के देशी राज्यों में वैकिंग का विकास लगभग नहीं के बराबर ही हुआ क्योंकि वैंकस इन रियासतों में शाखाएँ खोलते हुये रहा करते थे। यही नहीं वैकिंग के अव्यवस्थित विकास का एक और भी रूप था। शाखाओं को खोलने की नीति अपनाते समय बड़े-बड़े वैंकस इम्पीरियल वैंक की नकल किया करते थे और छोटे-छोटे वैंक बड़े बड़े वैंकों की नकल करते थे। परिणामत शाखाये ग्रायः बड़े-बड़े नगरों में ही खुली और कितने ही महत्वपूर्ण शेन ऐसे रह गये जिनको वैकिंग की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो सकीं। वैकिंग के अव्यवस्थित विकास का एक और रूप यह भी था कि इस काल में निक्षेपों (Deposits) का केन्द्रीयकरण हो गया। यद्यपि सन् १९२२-३६ के १७ वर्ष के काल में वैंकों की जमा राशि ७० करोड़ रुपये से बढ़कर ११० करोड़ रुपया हो गई थी, परन्तु इस राशि का लगभग ८३% भाग इम्पीरियल वैंक, विनियम वैंकस तथा अन्य सात बड़े वैंकों के पास ही था। एक अनुमान के अनुसार इस ८३% में से ७१% भाग उस समय के सात महान् वैंकों के पास जमा हुआ था। अत यह स्पष्ट है कि इस काल में देश के छोटे छोटे वैंकस निक्षेपों (Deposits) को आकर्षित करने में असफल ही रहे थे और निक्षेपों का केन्द्रीयकरण थे—(अ) छोटे-छोटे वैंकों की शाखायें ग्राय छोटे छोटे नगरों में ही थीं। इन नगरों में व्यवसाय की कमी थी जिससे नागरिकों के पास भी निक्षेप (Deposit) करने के लिये राशि बहुत कम थी। परिणामत वैंकों की निक्षेप राशि भी कम ही रह गई। (घा) ऐसे स्थानों पर जहाँ बड़े व छोटे वैंकों की शाखायें थीं, बड़े वैंक छोटे वैंकों से

प्रतियोगिता किया करते थे। यह स्वाभाविक ही है कि बड़े बैंकों की साख लेंची होने के कारण ये कम व्याज की दर पर भी छोटे बैंकों की ऊंची व्याज की दर की तुलना में अधिक राशि एकत्रित कर सकता करते थे। (इ) बड़े-बड़े नगरों में घनी व्यक्ति प्रायः काफी संख्या में अधिक होते हैं। जब बड़े बड़े बैंकों की साखायें इन नगरों में स्थापित होती थीं, तब इन्हें इन घनी व्यक्तियों का संरक्षण मिल जाया करता था। परिणामतः ये बड़े-बड़े बैंकों अन्य छोटे-छोटे बैंकों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में धन एकत्रित करने में सफल हो जाया करते थे। (ई) बड़े-बड़े बैंकों को इम्पीरियल बैंक से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। इस प्रतियोगिता से यहने एवं इसे टालने के लिये इन्होंने अपनी साखायें देश के अन्य भागों में स्थापित कीं प्लॉइ वहाँ पर छोटे-छोटे बैंकों से प्रतियोगिता की। इस कारण भी बड़े-बड़े बैंकों की जमा राशि में बहुत बढ़ि हुई। (उ) मारत में बैंकों ने साखा बैंकिंग प्रणाली को अपनाया है। इस पद्धति का यह गुण है कि बैंक की जितने अधिक व विस्तृत दोष में साखायें होंगी, उतनी ही दोक को हानि की कम सम्भावना होगी। यह प्रणाली निधेयों के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को बलवान बनाती है। अतः यह स्पष्ट है कि इन सब कारणों से दोनों महायुद्ध के बीच के काल में निधेयों (Deposits) में बड़े-बड़े दोकों में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति स्थापित हो गई।

### द्वितीय महायुद्ध और भारतीय बैंकिंग

द्वितीय महायुद्ध का भारतीय बैंकिंग पर प्रभाव (Effects of the Second World War on the Indian Banking)—द्वितीय महायुद्ध का दौरिंग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एक और पुराने दोकों ने उन्नति की ओर दूखरी ओर सये-नये दोकों की स्थापना हुई। इसके प्रतिरिक्त भारतीय दौरिंग पर अन्य कितने ही प्रभाव पड़े, इन में से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं—(i) बैंकों की जमा राशि में बढ़ि (Increase in the Deposits of the Banks) — सन् १९३६ में द्वितीय युद्ध मारम्भ हुआ था। भारतीय दौरिंग प्रणाली भारी-भारी माध्यिक संकट के काल में से निकली ही थी कि युद्ध मारम्भ हो गया। ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि जनता को दोकों पर से विश्वास उठ जाय या कम ही जाय और युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में वास्तव में ऐसा ही हुआ भी। परिणामतः युद्धकाल के बुद्ध प्रारम्भिक वर्षों में जनता ने दोकों से अपना जमाधन लगभग ५०-६२ करोड़ रुपये के दरावर निकाल लिया। परन्तु दोकों में अविश्वास की स्थिति बहुत समय तक न चल सकी और जानें: जानें: जनता का इनमें पुनः विश्वास स्थापित हो गया। परिणामतः सन् १९४१ के पश्चात् दोकों की जमा राशि में प्रत्यक्त बढ़ि हो गई। सन् १९३६-४३ के काल में जमाराशि की मात्रा २४४-४५ करोड़ रुपये से बढ़कर ६५५-०१ करोड़ रुपया हो गई और सन् १९४६ में इसी भाग १,०६७ करोड़ रुपये हो गई। (ii) पुराने दोकों ने नई-नई साखायें खोतीं तथा देश में नये-नये दोकों की स्थापना हुई—युद्ध के प्रारम्भिक दो वर्षों में दौरिंग की प्रगति बहुत धीमी रही परन्तु तत्पश्चात् इसमें अत्यधिक विकास हुआ। सन् १९३६-४६ के बीच के काल में दुल दोकों की संख्या १६५१ से बढ़कर ५,२२१ हो गई। इस काल में भारत दोक लिंग (प्रब यह पंथाव नेशनल दोक में मिल जाता है), युनाइटेड कॉमरिशियल दोक, हिन्दुस्तान कॉमरिशियल

बैंकों तथा हिन्दुस्तान मर्केन्टाइल बैंक लिंग आदि की स्थापना हुई थी। सन् १९४६ तक परिणामित बैंकों (Scheduled Banks) की संख्या बढ़कर ६३ हो गई और इनके कार्यालयों की संख्या बढ़कर ३१०६ हो गई। इसी तरह अपरिणामित बैंकों (Non-Scheduled Banks) की संख्या सन् १९३६-४६ के काल में २३१ से बढ़कर २८८ हो गई। युद्ध काल में लगभग प्रत्येक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी ने अपना प्रपत्ता दोंक स्थापित कर लिया। यह स्पष्ट है कि यदि भारतीय सरकार सन् १९४३ में नई नई मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों के स्थापित करने पर नियन्त्रण नहीं लगाती, तब यह निश्चित सत्य है कि भारत में बैंकों की संख्या युद्धकाल में और भी अधिक हो जाती। (iii) बैंकों की आमदनी से बहुत वृद्धि हुई—युद्धकाल में बैंकों के पास एक तरफ तो रपये की अधिकता हो गई और दूसरी तरफ इन्होंने इसका अधिकतम उपयोग किया क्योंकि व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा सरकार द्वारा रपये की मांग में बहुत वृद्धि हो गई थी। परिणामत प्रत्येक बैंक ने बहुत अधिक मात्रा में लाभ कमाया। यद्यपि सरकार ने आयकर, अतिरिक्त लाभ कर, पूँजी लाभकर, आदि कर लगाय अथवा इनमें वृद्धि कर दी, परन्तु इस पर भी बैंकों की आमदनी में कोई विशेष कमी नहीं होने पाई। यही कारण है कि युद्धकाल में बैंकों को रिजर्व बक से सहायता लेने की भी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ी। प्राय वर्ष में इस प्रकार की सहायता की मात्रा १ करोड़ से ४ करोड़ तक ही सीमित रही। अत्यधिक लाभ कमाने का यह भी परिणाम हुआ कि बैंकों ने बड़ी-बड़ी मात्राओं में लाभाश (Dividend) बाटे। लाभाश की मात्रा बढ़ने से हिस्सों (Shares) में सट्टा होने लगा। (iv) बैंकों की विनियोग नीति पर प्रभाव—युद्धकाल में प्रत्येक बैंक की विनियोग नीति पर मी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। युद्धकाल में सोने-चांदी के मूल्य में अत्यधिक परिवर्तन होते रहते थे जिसके कारण जमाकर्ताओं ने अपना धन चालू खातों में अपेक्षाकृत अधिक साया से रखा और चालू खातों की जमा का विस्तार हो गया। युद्ध से पहले बैंक अपनी कुल जमा का ५४ प्रतिशत छहण, नकद साल तथा विलस के रूप में व्यापार व उद्योग धन्धों में लगाते थे, परन्तु सन् १९४६ तक यह प्रतिशत घटते घटते १२ ही रह गया। इसीरियल बैंक में तो यह अनुपात ५५ प्रतिशत से घटकर केवल २० ही रह गया। इसका कारण यह था कि युद्ध कालीन परिस्थितियों के कारण व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को बहुत लाभ हुआ जिससे उनकी बैंकों से उधार लेने की आवश्यकता बहुत कम हो गई। परिणामत बैंकों के आदेयो (Assets) में तरलता (Liquidity) का अस बहुत ही बढ़ गया और बैंकों ने अपने धन को या तो नकद कोप में रखना आरम्भ कर दिया या इसका विनियोग सरकारी प्रतिशुतियों (Securities) में पहले से अधिक मात्रा में करना आरम्भ कर दिया। परिणामित बैंकों (Scheduled Banks) का इस प्रकार के विनियोग का प्रतिशत ५४ से बढ़कर ६१ हो गया और अकेले इम्पीरियल बैंक का ही यह प्रतिशत ४३ से बढ़कर ५१ हो गया। यह स्पष्ट है कि यद्यपि बैंकों के नकद कोप का अनुपात बहुत बढ़ गया था (परिणामित बैंकों के नकद कोप ११ प्रतिशत से बढ़कर २५ प्रतिशत हो गये) परन्तु यह स्थिति उत्पन्न हो जाने पर भी उनके लाभ की स्थिति में किसी भी प्रकार की कमी

नहीं आई वयोकि व्यापार और व्यवसाय की उभ्रति के कारण लाभ का सामान्य रत्तर बहुत ऊँचा ही बना रहा। अतः यह स्पष्ट है कि मुद्राकाल में वैकों की विनियोग नीति में बहुत ही आधारभूत परिवर्तन होने पर भी इनका विकास निरन्तर होता ही रहा। (v) भारतीय वैकिंग का असन्तुलित प्रसारः—इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मुद्राकाल में भारतीय वैकिंग का अत्यधिक प्रसार हुआ, परन्तु यह प्रसार बहुत कुछ बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के ही हुआ। कुछ पुराने अधिक नये वैकों ने अपनी शाखाएँ ऐसे स्थानों पर भी खोली जहाँ पर उनकी विलकुल भी आवश्यकता नहीं थी वयोकि ऐसे स्थानों पर पहले से ही प्रचुर मात्रा में शाखाएँ थीं। परिणामतः वैकों में आपस में प्रतियोगिता होने सभी और इस संघर्ष में छोटे-छोटे वैकों को बहुत कुछ हानि सहनी पड़ी। बहुत कुछ प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप ही मुद्रोत्तर काल में सन् १९४७ में बंगाल में ही ५० से अधिक वैक ठप्प हो गये। (vi) सुधोग रामचारियों का आमाद तथा वैकों के कुशल संचालन में कामोः—मुद्राकाल में वैकिंग का विकास इतनी अधिक तेजी से हुआ कि योग, अनुभवी व कुशल प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों का बहुत अमाव हो गया। इस दशा में नये-नये वैकों ने पुराने वैकों के अनुभवी कर्मचारियों को ऊँची-ऊँची तनखाओं का लालच देकर नियुक्त किया। परन्तु इस होड़ में भी छोटे-छोटे वैकों को हानि ही सहनी पड़ी वयोकि ये ऊँची-ऊँची तनखाओं पर योग कर्मचारियों की नियुक्ति करने में घरमर्य रहे जिससे ऐसे वैकों का योगालन भी ठोक-ठोक नहीं हो सका।

मुद्राकालीन वैकिंग प्रसार के कारण.—मुद्राकाल में भारतीय वैकिंग में जो कुछ भी प्रसार हुआ उसके कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—(i) अत्यधिक मुद्रा प्रसारः—मुद्रा-व्यवस्थ के फलस्वरूप देश में बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा-प्रसार हुआ। पत्र मुद्रा की मात्रा बढ़कर द्य गुनी से भी अधिक हो गई थी। मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न हो जाने के कारण व्यापारियों तथा उद्योगपतियों ने खूब लाभ कमाया था। इस लाभ का बहुत बड़ा भाग उन्होंने वैकों में जमा कर दिया। वैकों में नकद-कोष की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर इनकी साल-निर्माण शक्ति में भी वृद्धि हो गई जिससे इन्होंने बहुत लाभ कमाया। परिणामतः अधिक मात्रा में लाभ कमाने के लालच में पुराने वैकों ने नई-नई शाखायें खोली और इन वैकों की देखा-देखी अन्य नये वैकों की भी स्थापना हो गई। (ii) बहुमूल्प धातुओं व कम्पनियों के शेयर्स के मूल्य में उच्चावधनः—मुद्राकाल में खोना खाना धातुओं, शेयर्स के मूल्यों में समय-समय पर बहुत परिवर्तन हो रहे थे। अत्यधिक जोखिम के कारण व्यापारी इनमें इप्पता लगाना उचित नहीं समझते थे। परिणामतः व्यापारियों ने अपना खन वैकों में चालू खातों में जमा करना आरम्भ कर दिया ताकि वे आवश्यकता के समय इप्पता आसानी से बाम में ला सकें। (iii) मशीन व अन्य सामान के प्रिलेन में कठिनाईः—मुद्राकाल में मशीनों, यन्त्रों व अन्य घनेक प्रकार के सामानों को विदेशों से मानाने अपने लाभ वो चालू खाते में जमा रखना उपयुक्त समझते थे ताकि वे अवसर पाकर इष्टका उठोगे में विनियोग कर सकें। जबकि सन् १९३६ में जमा राति २५६ करोड़ रुपये थी, यह सन् १९४६ में बढ़कर १,१३६ करोड़ रुपये हो गई। (iv) अन-

की माग में घुट्ठि—युद्ध कालीन परिस्थितियों ने उद्योग व व्यापार को प्रोत्साहन दिया। अधिक लाभ कमाने के लालच में व्यापारियों ने अहं लेकर नये-नये व्यवसाय स्थापित किये थथवा पुराने व्यवसायों में प्रसार किया। इन कार्यों के लिये वैंकों से अहं लिया गया। वैंकों के युद्ध-कार्यों में प्रसार होने से उन्हें पहले से अधिक लाभ होने लगा। परिणामतः देश में वैंकिंग सुविधाओं का प्रसार हो गया। (v) रिजर्व बैंक की नीति—रिजर्व बैंक ने साल-विस्तार की नीति अपनाई जिससे वैंकों में नई-नई शाखाएं खोलकर साल-विस्तार करने का प्रोत्साहन मिला। अत यह स्पष्ट है कि युद्धकाल में भनेक ऐसे व्यापारिक, व्यवसायिक व मोदिक कारण उत्पन्न हो गये थे जिनकी वजह से देश में बैंकिंग का अत्यधिक प्रसार हुआ।

भारत में युद्ध कालीन बैंकिंग-विकास के दोष (Defects of the War-time Banking Development of India)—द्वितीय महायुद्ध-काल में भारतीय बैंकिंग का विकास बाकी हड आपार पर हुआ था, परन्तु फिर भी इस विकास में भनेक दोष थे जिनमें से कुछ मुख्य दोष इस प्रकार हैं—बैंकिंग-सेवाओं का असमान तथा अवार्यक वितरण और इनसे आपस में प्रतियोगिता—युद्ध-काल में पुराने वैंकों ने अपनी अनेक शाखाएं खोलीं तथा जिन्हें ही नये-नये वैंकों द्वारा स्थापित किया गया है। परन्तु अधिकांश शाखायें ऐसे स्थानों पर खोली गईं जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं थी वैंकों द्वारा उन स्थानों पर पहले से ही वैंकों की शाखायें पर्याप्त संख्या में थीं। तुल वैंकों ने अपनी शाखायें ऐसे स्थानों पर खोलीं जो उनके प्रमुख व्यवसाय-क्षेत्र से बहुत दूर थीं। परिणामतः वैंकों में अवार्यक प्रतियोगिता बढ़ गई और इसका बैंकिंग विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा। यह अवस्था स्वयं वैंकों के लिये ही नहीं बरत् समस्त राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था के लिये भी घातक रही। यत युद्ध-काल में बैंकिंग सेवाओं का वितरण सतुरित नहीं हुआ और इनमें आपस में प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई। (ii) वैंकों के शेषतं में सट्टा—युद्ध-काल में वैंकों के लाभ बहुत बढ़े जिससे इन्होंने लाभीश का वितरण भी अधिक किया। परिणामतः वैंकों के अशो एवं प्रतिमूर्तियों में सट्टा-घ्यवहार हुये। (iii) लाभ का उपयोग सुरक्षित-नियि को बढ़ाने के स्थान पर लाभीय बाटने के लिये अधिक हुआ—युद्ध-काल में वैंकों को बहुत अधिक माला में लाभ प्राप्त हुआ, परन्तु इन्होंने इसका उपयोग अपनी आधिक रियति को और अधिक हड बनाने के स्थान पर, इसकी लाभ के दृष्टि में बाट दिया जो अनुचित था। (iv) युद्ध काल में वैंकिंग व्यवसाय का नियन्त्रण एवं सचालन ऐसे व्यक्तियों के हाथ में चला गया जिनकी दिलचस्पी मूलत अन्य व्यवसायों में अधिक थी—युद्ध काल में विरला ने युनाइटेड कॉमरसियल बैंक, सिधानिया ने हिन्दुस्टान कॉमरसियल बैंक, दालभिया न भारत बैंक (प्रब्र यह पजाव नेशनल बैंक में मिल गया है) आदि खोले। इस तरह युद्ध-कालीन बैंकिंग व्यवसाय में एक बहुत बड़ा दोष यह उत्पन्न हो गया कि बैंकिंग व्यवसाय ऐसे व्यक्तियों के हाथों में चला गया जिनका मुख्य व्यवसाय व्यापार एवं उद्योग था। वह एक बहुत ही दोषपूर्ण प्रवृत्ति होती है जो वैंकिंग-व्यवसाय की अन्य व्यवसायों पर आधिक दबाव देती है। (v) योर अमेरिकी व्यापारियों का अभाव—वैंकिंग का विकास इतनी अधिक उंची से हुआ कि योर अनुभवी अमेरिकी व्यापारियों का बहुत भावाव हो गया जिससे

द्वोटे-द्वोटे बैंकों का संचालन ठीक-ठीक नहीं हो सका। (vi) अधिकारीय को सही हिति को द्विपाने का प्रयत्नः—कुछ बैंकों ने अपने लेखों में हैर-फेर करके अपनी अध्यवस्था तथा दोपों को द्विपाने का प्रयत्न किया और इस तरह इन्होंने सहे व्यापार को दिये गए अट्ठों तथा अरक्षित अट्ठों को द्विपाया। अतः अत्यधिक लाभ कमाने के लालच में कुछ बैंकों ने प्रनुचित रीतियों का भी उपयोग किया।

युद्ध-कालीन बैंकिंग विकास के उत्तराधित दोपों का परिणाम यह हुआ कि युद्ध-काल में भी बैंकों के टूटने का ऋग बराबर चलता रहा। यह अवश्य है कि शनैः शनैः बैंकों के ठप्प हो जाने की प्रत्युत्ति कमज़ोर पड़ गई और युद्ध समाप्ति तक बैंकों के फेल हो जाने को संक्षया बहुत कम हो गई वयोंकि तब तक बैंकों की आविक स्थिति हड़ हो गई थी। जबकि सन् १६३६ में ६० और १६४० में १०२ बैंक फेल हुये तब १६४१ में ७७, १६४२ में ४६, १६४३ में ५१, १६४४ में २२, १६४५ में २६ तथा १६४६ में २६ बैंक फेल हुये।

### भारत का विभाजन और इसका बैंकिंग पर प्रभाव

भारत के बंटवारे का प्रभाव—१५ अगस्त सन् १६४७ को देश का विभाजन हुआ और इस विभाजन के साथ ही साथ पंजाब व बंगाल में साम्प्रदायिक भगड़े भी आरम्भ हो गये। इस आराजकता के कारण देश में उत्पादन, आयात-नियति तथा अन्य सम्पत्ति का बहुत विनाश हुआ। विभाजन का प्रभाव विशेषतः पंजाब के बैंकों पर पड़ा था और इनको जो कुछ भी हानि हुई उसका सही-सही अनुमान आज तक भी नहीं लग सका है। विभाजन के कारण भनिश्वतता का बातावरण उत्पन्न हो गया जिसने सहे अवहारों को प्रोत्साहन दिया। यही कारण है कि अकेले सन् १६४७ में ३० बैंक ठप्प हो गये। यह स्मरण रहे कि कुछ बैंक ऐसे अवश्य ये जिन्होंने विभाजन की वार्ता आरम्भ होते ही अपने प्रमुख कार्यालय दिल्ली अथवा पूर्वी पंजाब को स्थानान्तरित कर दिये और परिस्थितीय पंजाब में अपनी शाखाओं द्वारा अरण देना कर कर दिया, परन्तु इतना करने पर भी इन बैंकों को विभाजन से बहुत हानि उठानी पड़ी। ऐसे बैंकों में से 'पंजाब नेशनल बैंक' भी एक ऐसा बैंक है जिसे काफी हानि उठानी पड़ी है। विभाजन होते ही अनेकों बैंकों द्वारा परिस्थितीय पंजाब में अपनी शाखाएं बन्द भी करनी पड़ीं जिससे इन्हें अत्यधिक हानि हुई। इस परिस्थिति में रिजर्व बैंक ने कुछ ऐसे कदम उठाये जिनसे बैंक विभाजन कुशलमार्गों से बहुत कुछ बच गये और ये टूटने नहीं पाये। रिजर्व बैंक द्वारा किये गए मुख्य-मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:—

(i) रिजर्व बैंक एवं इसमें संशोधन—इस संशोधन द्वारा रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे दिया गया कि वह अपरिवर्तित बैंकों (Non-Scheduled Banks) तक को उपयुक्त प्रतिमूलियों (Securities) की आड़ पर छूट दे सकता है। (ii) स्थगित शोषण काल—सन् १६४७ में एक आदेश जारी कर दिया गया जिसके प्रनुसार जिन बैंकों के प्रमुख कार्यालय दिल्ली अथवा पूर्वी पंजाब में हैं, उनके विरुद्ध हीन मास तक कोई भी कार्यालय नहीं भी जा सकती थी। यह भी आदेश दिया गया कि स्थगित शोषणकाल में (Moratorium Period) ये बैंक अपने भारत-स्थित चल निरीपों

(Current Deposits) का केवल १०% अथवा २५० रु. (जो भी बम हो) का भुगतान कर सकते थे। (iii) पुनर्वासि के लिये सहायता—सरकार ने निर्वासित बैंकों के पुनर्वासि के लिये १ करोड़ रुपये की सहायता दी थी। इस सहायता से बितने ही बैंकों को सड़क से बचाया गया और उन्हें छप्प नहीं होने दिया। (iv) रिजर्व बैंक को परीक्षण बरने का अधिकार दिया गया—सरकार ने एक बादेश के अनुसार रिजर्व बैंक को, सरकारी भादेश पर, किसी भी बैंक के निरीक्षण का अधिकार तथा इसके सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सरकार को देने का अधिकार दिया। इस तरह रिजर्व बैंक ने बटवारे के दुष्परिणामों से बैंकिंग प्रणाली की रक्षा करने का प्रयत्न किया और वह वहूंत कुछ इस कार्य में सफल भी हुआ।

### भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दोष तथा बैंकिंग व्यवस्था को सुहृद बनाने के उपाय

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख दोष—युद्धोत्तर काल में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अनेक दोष हाँटियोचर हुये हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं— (i) अनेक बैंकिंग काम्पनियों का होना और विशेषकर द्योटी घोटी काम्पनियों का होना, (ii) प्रबन्धहर्तों तथा अधिकारी बंग की स्थर्ता, (iii) बैंकों के प्रबन्ध में भिन्नता, (iv) ध्यापार के तरीकों में भिन्नता, (v) बैंकों की सच्चाई तथा कार्य-कुशलता में भिन्नता, (vi) अचल सम्पत्ति के आधार पर वहूंत बड़ी भान्ना में छह देना, (vii) अपर्याप्त जमानत पर छह देना विशेषकर बैंक के सचालकों एवं उनके पित्रों को इस तरह छह देना, (viii) बिना सोच विचार किए बैंकों की शाखाओं को खोलना और विशेषकर ऐसे स्थानों पर खोलना जहां पर पहले से ही बैंकिंग सुविधाएँ पर्याप्त हैं, (ix) बैंक को अनेक प्रकार से कुछ ध्यापारों से अनुचित रूप में सम्बन्धित करना तथा (x) बैंक की वास्तविक स्थिति छुपाने के लिए भूठे आदडे देना अथवा गलत स्थिति विवरण बनाना बादि।

भारतीय बैंकिंग के दोषों को दूर करने अथवा बैंकिंग व्यवस्था को सुहृद बनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये सुझाव— समय समय पर रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग व्यवसाय की जांच पढ़ताल की है और इस सम्बन्ध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग के दोषों को दूर करने के लिये बितने ही मुमाल दिये हैं जिनमें मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं—(i) बैंकों के प्रबन्ध के शिष्य में मुमाल—भारतीय बैंकों की योग्य, कुशल तथा निरीक्षण-प्राप्त प्रबन्धकों एवं सचालकों की सेवाओं का लाभ वहूंत ही कम मान्ना में प्राप्त ही सका है जिसके कारण ये ग्राहक बमंचारियों का ठीक-ठीक निरीक्षण नहीं करने पाते हैं। इसी कारण कभी कभी आन्तरिक निरीक्षण तथा अकेलाण (Auditing) में भी बहुत दोष रह जाते हैं। यह स्पष्ट है कि प्रबन्धक एवं सचालक ऐसे व्यक्ति होने चाहिये कि वे बैंक के कार्य में पूर्ण दिलचस्पी रखें, कि वे अपने कमंचारियों के कार्यों की सचित देख-भाल कर सकें, कि वे बैंक की ज्ञान तथा विनियोग नीति बैंक तथा अनहित के विश्वद नहीं होने दें तथा बैंक की सम्पत्ति में पर्याप्त तरलता (Liquidity) रख सकें। चौंकि बैंक की सफलता उसके प्रबन्धकों के अनुग्रह, ज्ञान तथा योग्यता पर निर्भर रहती है, इसीलिये रिजर्व बैंक ने बैंक के कमंचारियों के नियमित उपरांत

नियुक्ति में सांख्यानी तथा उनकी कार्य-प्रणाली में सुधार करने की सिफारिश की है। (ii) बैंकों की विनियोग नीति के सम्बन्ध में सुझावः—रिजर्व बैंक ने अपनी जांच के ग्राधार पर यह अनुमति दिया कि बैंक सभने घन का विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों में बहुत कम करते हैं और प्रायः बैंक सभने पास नकद-कोष भी बहुत ही कम रखते हैं। अपरिगणित बैंकों (Non-scheduled Banks) की दशा बहुत खराब पाई गई। जांच से पता चला कि इस प्रकार के १२३ बैंकों ने या तो सरकारी प्रतिभूतियों (Securities) में रखा लगा ही नहीं रखा था और यदि लगा भी रखा था तब यह उनके कुल निक्षेपों के १०% से भी कम ही था। इसके अतिरिक्त यह भी पता चला कि कुछ बैंकों ने ऐसी कम्पनियों के शेयर्स में अपने घन का विनियोग कर रखा था जिनके प्रबन्ध में बैंक संचालक एवं प्रबन्धक पूर्ण रूप से भाग लेते थे। किन्तु ही ऐसे उदाहरण भी मिले जिनमें बैंकों ने ऐसे शेयर्स खरीद रखे थे जिनको सरलता एवं शीघ्रता से बेचा भी नहीं जा सकता था। इस तरह कुछ बैंकों की सम्पत्ति में तरलता का बहुत ही अभाव पाया गया। बैंक के कुशल संचालन के लिये यह आवश्यक है कि बैंक का विनियोग सरकारी सिवयूरिटीज में ही अधिकांश मात्रा में होना चाहिये। इसीलिये रिजर्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को यह सलाह दी है कि वे अपना घन अधिक से अधिक मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियों में ही लगायें। (iii) बैंकों की अण नीति के सम्बन्ध में सुझावः—रिजर्व बैंक ने अपनी जांच में यह भी देखा कि कुछ बैंक अल्ली की साथ की बिना जांच-पड़ताल करे ही अण दे देते थे अथवा बिना पर्याप्त जमानत रखते थे तरलता का कम घ्यान रखते ही अण दे देते थे और कभी-कभी अधिक साम बमाने के लालच में बैंकों ने अपनी शक्ति एवं साधनों से अधिक मात्रा में भी अण दे दिये थे। परन्तु इस सम्बन्ध में अब काफी सुधार हो चुका है। सन् १९४६ के बैंकिंग एक्ट की घारा २४ के अनुसार बैंकों द्वारा अपनी मांग व मुदती देनदारी का २०% तरल सम्पत्ति के रूप में रखना आवश्यक कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को समय-समय पर यह सुझाव दिया है कि उन्हें अण देने से पहले अण की मुगलान-शक्ति की समुचित जांच कर लेनी चाहिए अथवा अचल सम्पत्ति की घरोहर पर कम से कम अण देने चाहिये तथा जोलिम के उचित ढंटवारे के लिये यथासम्भव विभिन्न प्रकार के ही अण देने चाहिये। (iv) सामान्य के ढंटवारे के सम्बन्ध में सुझावः—यह अनुमति दिया गया कि बहुत से बैंक, विदेषकर अपरिगणित बैंक (Non-scheduled Banks) अपने लाभ का अधिकांश भाग सामान्यों के रूप में बाट दिया करते थे, परन्तु उनका रक्षित-कोष (Reserve Fund) उनकी परिदृष्टि पूँजी (Paid-up Capital) के अनुसार में बहुत ही कम रहता था। इस स्थिति में ऐसे बैंकों की अधिक स्थिति हड़ नहीं रहती थी। इस दोष को सन् १९४६ के बैंकिंग एक्ट की घारा १७ द्वारा बहुत कुछ दूर किया गया है। इस घारा के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपने लाभ का २०% मांग तक रक्षित-कोष में जमा करना पड़ता है जब तक कि रक्षित-कोष परिदृष्टि-पूँजी के बराबर नहीं हो जाता। इसके प्रतिरिक्त यह भी सुझाव दिया गया है कि साम पोषित करने से पहले प्रत्येक बैंक द्वारा अपने असोम्य छलों (Irredeemable Debts) तथा अणों के भवमूल्यन की भी उचित घ्यवस्था करनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि बैंकों द्वारा अपना रक्षित-कोष केवल न्यूनतम वैष्णविक सीमा तक ही नहीं रखना चाहिये वरन्

इस कोष की जितनी भी भविष्यक मात्रा में व्यवस्था की जायगी, बैंक की हड्डता के लिए यह उत्तरा ही भविष्यक अच्छा होगा। (v) नई-नई शाखायें खोलने के सम्बन्ध में सुझाव युद्धकाल में व्यवसायिक एवं व्यापारिक उमुदि के बारण पुराने बैंकों ने नई-नई शाखायें भविष्यक सख्ता में स्थापित कीं और कभी-कभी ये शाखाएँ ऐसे स्थानों पर भी खोली गईं जहाँ पर पहले से ही पर्याप्त मात्रा में बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध थीं। इसीलिए ग्रामीण बैंकिंग जात्य समिति (Rural Banking Enquiry Committee) ने यह सिफारिश की है कि नई नई शाखायें स्थापित करने के स्थान पर दत्तंशान बैंकिंग व्यवस्था को ही हड्ड प्राप्तार पर बदलना चाहिये। इस समिति का सुझाव है कि यद्यपि अच्छे अच्छे बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों भविष्यक घोटे-घोटे नगरों में अपनी शाखाएँ स्थापित करने की इजाजत दी जानी चाहिए परन्तु बैंकिंग में व्यष्टपूर्ण तरीके से प्रसार नहीं होना चाहिए और नई-नई शाखाएँ खोलने की आशा इस प्रकार दी जानी चाहिए कि बैंकों में आपस में प्रतियोगिता नहीं हो सके। वास्तव में, रिजर्व बैंक ने इस समय इसी नीति को अपना रखा है। (vi) बैंकिंग रीतियों में सुधार—समय-समय पर बैंकों को यह सुझाव दिया जाता है कि उन्हें अपनी कार्यविधि समुचित वेतनिंग सिद्धान्तों के ग्राप्तार पर ही संचालित करनी चाहिए ताकि देश में बैंकिंग का विकास समुचित आधार पर हो सके।

### भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Banking in India)

प्रावक्षण—बैंकिंग का राष्ट्र के भावितक व सामाजिक जीवन में बहुत महत्व होता है। इसीलिए कुछ समय से यह मत जोर पकड़ रहा है कि भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए ताकि इसका संचालन राष्ट्रीय हित में विद्या जा सके और इन पर उचित नियन्त्रण भी रखा जा सके।

बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में युतियाँ (Arguments in Favour of Nationalisation of Banking)—कुछ मुख्य युतियाँ इस प्रकार हैं—(i) साख का राष्ट्र हित में उपयोग—साख निर्माण वार्ष प्रत्येक बैंक वा एक प्रमुख कार्यमें होता है। इस नन्त्र का उपयोग राष्ट्र-हित अथवा राष्ट्र-विनाश दोनों ही रूप में हो सकता है। यत यह भर्त्यावश्यक है कि इस पर उचित नियन्त्रण हो ताकि इसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर राष्ट्रीय हित एवं वल्याण के लिए विद्या जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साख की मात्रा तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं में समय समय पर समायोजन (Adjustment) होना चाहिए। बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण के समर्थकों का मत है कि इस प्रकार की समायोजन के बल बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ही सम्भव है। (ii) व्यापार चक्रों को कूरता कम की जा सकती है—बैंकों की साख सम्बन्धी दोषपूर्ण नीति के नाम ही प्राय व्यापार-चक्रों का जन्म होता है। परन्तु यदि बैंकों द्वारा एक समुचित नीति अपनाई जाती है तब इस प्रकार के चक्रों वा जन्म नहीं होने पाता है। साम्यवादी देशों में जहाँ बैंकों का राष्ट्रीयकरण रहता है, व्यापार चक्रों की कूरता नहीं दिखलाई देती है। यत व्यापार-चक्रों को कूरता को कम करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक है। (iii) बैंकों की अनुचित प्रतियोगिता कम या समाप्त की जा सकती है—बैंकिंग का

राष्ट्रीयकरण करने से देशों की अनुचित प्रतियोगिता कम या समाप्त की जा सकती है, जनता में देशों के प्रति विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है, उद्योग व बृद्धि व व्यापार के लिए वित्त की उचित व्यवस्था की जा सकती है, आदि। (iv) देशों के सामर्भों का समाज-हित में उपयोगः—चूंकि देशों जनता के घन और जनता के विश्वास में व्यापार करते हैं, इसलिए उचित भी यही है कि इनके लाभ का उपयोग व्यक्तिगत-हित में नहीं बरन् समाज-हित में होना चाहिये। यह तब ही सम्भव है जब कि देशों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। (v) भारतीय बैंकिंग की दुष्ट अपनी निजी ऐसी विदेशियों हैं जिनके कारण इसके विकास के लिए इसका राष्ट्रीयकरण करना ही अधिक उपयुक्त हैः—(क) भारत में यद्यपि बचत बरने की शक्ति बहुत कम पाई जाती है, परन्तु जो हुदूद भी बचत होती है वह प्रायः जमीन में गाढ़कर रख दी जाती है जिससे इस बचत का उत्पादक कारों में उपयोग नहीं होने पाता है। इसका कारण न केवल यह है कि बचत के विनियोग के साधन अपर्याप्त हैं बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जनता का देशों में इम विश्वास होने के बारें वे अपनी बचत को बथीन में दबा कर रखना ही ठीक समझते हैं। भारतीय बैंकिंग जनता में विश्वास कर्यों नहीं उत्पन्न करने पाई है? इसके भी कई कारण हैं—प्रथम, भारत में देशोंप्रका बन्ध विदेशियों के हाथ में था जिससे ये विदेशी संसाधन उपभोग जाती थी। द्वितीय, संघरण प्रत्येक खेद काफी बड़ी संहाया में बैंकस टप्पे हुए हैं। जनता में अविश्वास उत्पन्न करने का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा है। अतः जनता में देशिंग के प्रति विश्वास उत्पन्न करने और उनकी बचतों को उत्पादक कारों के लिये आकर्षित करने के लिये भारतीय बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण ही उचित समझा गया है। (ट) भारत में व्यापारिक देशों की प्रधानता है, विनियम बैंक मुद्र्यतः विदेशियों द्वारा चलाये जा रहे हैं तथा ओपोजिट व बृद्धि बैंकस वा जन्म ही नहीं होने पाया है। अतः भारतीय बैंकिंग का भद्र तक एक-अणी (One-sided) विकास हो सका है। इच्छिये भारतीय बैंकिंग के समुचित विकास के लिये इसका राष्ट्रीयकरण आवश्यक माना जाता है।

बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण के विपरीत में यत्नों (Arguments against the Nationalisation of Banking):—राष्ट्रीयकरण के विरोधियों ने दो मुख्य युक्तियाँ दी हैः—(i) राजनीप्रधानतापायी अनुशासन।—सरकारी शासन में प्रायः दक्षता नहीं

भारतीय बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में युक्तियाँ:—  
 १. साल का राष्ट्र द्वित में उपयोग हो सकेगा।  
 २. व्यापार-बज़ार को क्रूरता व सम की जा सकती है।  
 ३. देशों की अनुचित प्रतियोगिता कम या समाप्त की जा सकती है।  
 ४. देशों के सामर्भों का समाज-हित में उपयोग हो सकेगा।  
 ५. भारतीय बैंकिंग की दुष्ट अपनी निजी ऐसी विदेशी बचताएँ हैं, जिनके कारण विकास के लिए इसका राष्ट्रीयकरण करना ही अधिक उपयुक्त है।

रहती है तथा लोच व मित्र्युद्यिता का अभाव रहता है जिससे बैंकिंग जैसे व्यवसाय को सरकार आसानी से चलाने नहीं पाती है। (ii) योग्य कर्मचारियों का अभाव—भारत में विदेशीकर इस समय भी योग्य, अनुभवी व ईमानदार बैंक सम्बन्धी कर्मचारियों का अभाव है। इस दण में सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य सम्भालने में असुरक्ष्य रहती है। इन बारणों से ही इस दल के समर्थकों का मत है कि भारत में बैंकिंग का वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीयकरण देश के लिये अहितकर होगा।

बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष विपक्ष में दी गई उत्तरालिखित मुत्तियों से यह स्पष्ट है कि बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष से अधिक दलीलें हैं। व्यवहार रूप में भारत में भी रिजर्व बैंक औफ इण्डिया तथा इम्पीरियल बैंक औफ इण्डिया (अब इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया है) का राष्ट्रीयकरण बर दिया गया है। यह अवश्य है कि देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में तमाम बैंकिंग प्रणाली के राष्ट्रीयकरण की सम्भावना बहुत कम है।

### भारत में बैंकों का एकीकरण

#### (Amalgamation of Banks in India)

प्रारंभिक ~बैंकों के एकीकरण का अर्थ है बैंकों का मिल जाना अथवा इनका एक श्रोकरण हो जाना। यह एकीकरण दो प्रकार से हो सकता है। प्रथम, जब दो या दो से अधिक बैंकों एक दूसरे से इस प्रकार मिल जायें कि इनका व्यक्तिगत वस्तित्व मिटकर एक नई संस्था का निर्माण हो जाये और यह नई संस्था सामूहिक रूप में तमाम बैंकों का कार्य करे, तब इस क्रिया को हम बैंकों का एकीकरण कहते हैं। द्वितीय, जब एक या एक से अधिक बैंकों द्वारा एक बैंक में जाकर मिल जाते हैं (यहीं किसी नई संस्था का निर्माण नहीं हुआ है), तब इसे भी हम बैंकों का एकीकरण कहते हैं। भारत में बैंकों के एकीकरण वी प्रवृत्ति बहुत धोड़े से समय से ही पाई जाती है। भारतीय बैंकिंग में इस प्रकार की प्रवृत्ति के उत्पन्न हो जाने के कई कारण हैं—(i) द्वितीय महायुद्ध काल में भारतीय बैंकों एव उनकी शाखाओं में असीमित विस्तार हुआ जिससे भारतीय बैंकिंग-व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हो गये और सन् १९४६-५१ के बीच ५ दर्यं बी अल्प अवधि में ही लगभग १८३ बैंकों का दूट गय। (ii) युद्ध के पश्चात बैंकों की जमा (Deposits) घटने लगी। बैंकों ने अपनी जमा पूँजी में बृद्धि के लिये नये-नये स्थानों पर शाखाओं की शाखाओं की व्यावस्था ही न थी। परिणामत ऐसे बैंकों और उनकी शाखाओं की शोषणक्षमता (मुगवान-क्षमता) सुन्दर न रह सकी। (iii) बहुत से बैंकों ने ऊचे वेतन का लालच देकर अन्य बैंकों के योग्य व कुशल कर्मचारियों को तोड़ दिया, परन्तु इस प्रकार की नियुक्ति से अपर्याप्त साधन वाले बैंकों का कार्य व्यय अनावश्यक ही बहुत बढ़ गया। (iv) कुछ बैंकों ने अपने बढ़ते दूषे व्यय की पूर्ति करने अथवा शीत्र धन कमाने के हेतु सटे व्यवसाय में या अरकित-झगड़ों में धन का विनियोजन किया। (v) कुछ बैंकों भरसक प्रयत्न करने पर भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुहृद नहीं बना सके और जैसे जैसे व्यापारिक घन्दी आई, वैसे ही इनकी मुद्रकालीन सम्पत्ति का अत होता गया, जिससे इन्होंन अपनी अलाभकर शाखाओं

को भी तानें: दानें: बन्द करना आरम्भ कर दिया। इस स्थिति में रिजर्व बैंक ने भी दौंकों के विलियन ही प्रवृत्ति को रोकने के लिये कुछ प्रयत्न किये। सन् १८४६ के भारतीय दीक्षिण विद्यालय में भी दौंकों के एकीकरण का प्रायोजन किया गया है ताकि अध्यवस्थित, अनुशासन व कमज़ोर दौंकों का भजवृत्त व मुद्रा दौंकों के साथ एकीकरण किया जा सके और भारतीय दौंकिंग में पाई जाने वाली हानिकारक प्रतियोगिता वा अन्त हो जाए।

### दौंकों के एकीकरण के लाभ व दोष

एकीकरण के साम (Advantages of Amalgamation)—दौंकों के एकीकरण से अनेक साम प्राप्त हो सकते हैं—(i) प्रबन्ध का केन्द्रीकरण और प्रबन्ध-व्यवस्था में कमी—दौंकों के एकीकरण से इनके प्रबन्ध का केन्द्रीकरण हो जाता है जिससे न केवल कुशलता में वृद्धि होती है बरन् प्रबन्ध-व्यवस्था में वित्तव्यवित्ता आती है। परिणामतः दौंकों के साधन दृढ़ हो जाते हैं और इनका आकार भी बड़े जाता है। (ii) छोटे दौंकों को कुशल कमंचारियों की सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं—जब छोटे-छोटे दौंकों वा किसी बड़े बैंक से एकीकरण हो जाता है, तब इन छोटे-छोटे दौंकों वो कुशल व अनुभवी कर्म प्रारियों की सेवाओं के साम प्राप्त हो जाते हैं। परिणामतः इन छोटे-छोटे दौंकों की उपयोगिता बड़े जाती है और बड़े दौंकों को भी सामान्य-बैंकिंग (Branch Banking) प्रणाली के सब लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन बड़े दौंकों में आधिक संहट वा समन्वय करने की अधिक शक्ति था जाती है। (iii) घाज की वृद्धि में रोकः—जबकि देश में छोटे-छोटे दौंकों में वृद्धि होती है, तब इनमें सामन में घाज की दर में वृद्धि करके घाज पूँजी प्राप्तिकरण करने के लिए प्रतियोगिता हुआ करती है जिससे इन दौंकों की आधिक स्थिति दीप हो जाती है। एकीकरण से यह लाभ होता है कि दौंकों में सामन में इस प्रकार यी गता-वाट प्रतियोगिता का अन्त हो जाता है। (iv) बड़े पैमाने के साम—एकीकरण से बड़े-बड़े दौंकों की स्थापना सम्भव होती है जिससे ये बैंक बड़े पैमाने के सभी साम प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। (v) विदेषज्ञों की नियुक्ति सम्भव होती है—एकीकरण से दौंकों वा संगठन विस्तास हो जाता है। इस स्थिति में दौंकों के लिये कुशल कमंचारियों एवं विदेषज्ञों की नियुक्ति करना सम्भव हो जाता है जिससे दौंकों वा साम एवं अवधारिक कुशलता दोनों में ही

### दौंकों के एकीकरण के साम हैं—

१. दौंकों के एकीकरण से इनके प्रबन्ध वा केन्द्रीकरण हो जायगा जिससे इनके प्रबन्ध व्यवस्था में कमी हो जायगी।
२. छोटे-छोटे दौंकों को कुशल कमंचारियों की सेवाएं प्राप्त हो जायेगी।
३. घाज की वृद्धि में रोक होगी।
४. दौंकों को बड़े पैमाने के साम प्राप्त हो सकेंगे।
५. दौंकों में विदेषज्ञों की नियुक्ति सम्भव हो सकेगी।
६. नवद-वीरों के उपयोग में मिलव्यविता होगी।
७. दौंकों वी जोतिंग वा भीगो-लिह वितरण हो जायगा।
८. दौंकों पर नियन्त्रण में मुद्रिया होगी।

वृद्धि हो जाती है। (vi) नकद कोषों के उपयोग में मित्रध्ययिता —जब देश छोटे-छोटे होते हैं, तब इनमें से प्रत्येक की अपने पास पर्याप्त मात्रा में नकद-कोप रखना पड़ता है। परन्तु एकीकरण हो जाने पर इन बैंकों के नकद-कोषों के उपयोग में मित्रध्ययिता हो जाती है क्योंकि किसी एक दाखा में निधि (Fund) की कमी हो जाने पर इसे दूसरी दाखाओं से मगाकर पूरा किया जा सकता है। (vii) बैंकों की झोलिम का भौगोलिक वितरण हो जाता है—एकीकरण का यह भी लाभ है कि वैकिंग व्यवसाय में जो कुछ भी जोलिम होती है उसका भौगोलिक वितरण हो जाता है अर्थात् जब कभी किसी दोष विदेश में कोई आधिक सकट उत्पन्न हो जाता है तब इसका प्रभाव समस्त अर्थ व्यवस्था पर बहुत ही कम पड़ने पाता है। (viii) बैंकों पर नियन्त्रण की सुविधा,—छोटे-छोटे ग्रनेक बैंकों के स्थान पर जब एकीकरण से कुछ योड़े से ही बैंकों की स्थापना हो जाती है, तब किन्दीय बैंक को इन बैंकों के नियन्त्रण व नियन्त्रण में बहुत सुविधा हो जाती है जिससे मुद्रावाचार में शृण देने की नीति में समानता अथवा व्याज की दरों में समानता भा जाती है और वैकिंग-व्यवसाय की कुशलता बढ़ जाती है।

एकीकरण से हानियाँ (Disadvantages of Amalgamation)—एकीकरण से यद्यपि ग्रनेक लाभ हैं परन्तु इनमें कुछ दोष भी हैं जो इस प्रकार हैं—(i) आधिक शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है—एकीकरण से आधिक शोषो अथवा आधिक वाहित का भी कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केंद्रीकरण हो जाता है जिससे जमता के शोषण (Exploitation) की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। (ii) भ्रष्टाचार व सहृदयवाहारों की सम्भावना—एकीकरण से वैकिंग ब्लेवर में अत्यधिक विस्तार भ्रष्टाचार तथा सहृदयवाहारों के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। (iii) बेरोजगारी की सम्भावना—एकीकरण से कमचारियों की छटनी वी सम्भावना उत्पन्न हो जाती है जिससे बेरोजगारी के फैलने का डर उत्पन्न हो जाता है। परन्तु इस तरफ में अधिक सहयता प्रशोत नहीं होती है क्योंकि जब कि एक ओर अलाभकर शाखाएं बन्द होंगी तब दूसरी ओर ऐसे दोनों में जहाँ वैकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पर नई नई शाखाओं की स्थापना की जायगी। परिणामत एकीकरण से बेरोजगारी की सम्भावना बहुत बहुत होती है। (iv) शाखा वैकिंग के दोष—एकीकरण में शाखा-वैकिंग प्रणाली के सभी दोष होते हैं।

### भारत में बैंकों का एकीकरण

#### (Amalgamation of Banks of India)

अन्य देशों की भावित भारत में भी बैंकों में एकीकरण की प्रवृत्ति बहुत समय से पाई जाती है। (i) भारत में एकीकरण का सबसे पहला उदाहरण सन् १९२१ में तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक वी स्थापना का है। (ii) रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् इस बैंक ने वैकिंग-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंकों के एकीकरण में बहुत सहायता दी है। सन् १९३७ में इस बैंक की सहायता से ही बीलोन बैंक समावनकोर नेशनल बैंक का एकीकरण हुआ और नावनकोर नेशनल एण्ड बीलोन बैंक की स्थापना हुई। परन्तु दूसरे महायुद्ध के पश्चात् देश में इस प्रकार की वैकिंग द्याए उत्पन्न हो गई कि इनसे बैंकों के एकीकरण की बहुत प्रोत्साहन मिला। (iii)

सन् १९४५ में रिजर्व बैंक की सहायता से कोमिला बैंकिंग कारपोरेशन तिं० में दी न्यू स्टेन्डर्ड बैंक का समावेश हुआ। (iv) बंगाल के विभाजन के पश्चात् सन् १९५० में चार दोकों—कोमिला बैंकिंग कारपोरेशन, कोमिला यूनियन बैंक, हुगली बैंक तथा बंगाल सेन्ट्रल बैंक को मिलाकर युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया लिं० का निर्माण किया गया। (v) भारत सरकार ने सन् १९५० में भारतीय बैंकिंग विधान में इस प्रकार के संशोधन किये कि समुचित एवं धार्छित एकीकरण को प्रोत्साहन भिले। सन् १९५१ में भारत बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलियन हुआ। (vi) सन् १९५२ में राजस्थान के तीन बैंक—दी बैंक ऑफ जयपुर, दी बैंक ऑफ बीकानेर तथा दी बैंक ऑफ राजस्थान को मिलाकर दी राजस्थान बैंक लिमिटेड में परिवर्तित कर दिया गया। (vii) सरकार की एक नई योजना के अनुसार लगभग ४०० थोटे-थोटे बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में विलाया जायगा ताकि देश को दोकों के एकीकरण के लाभ उपलब्ध हो सके। अतः यह स्पष्ट है कि इस समय देश में दोकों के एकीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है और रिजर्व बैंक ने इस कार्य में बहुत सहायता दी है।

### भारतीय बैंकिंग का भविष्य

#### (Future of Indian Banking)

भारत एक बहुत ही विस्तृत देश है, इसमें प्रचुर अविसित प्राकृतिक साधन उपस्थित हैं और देश के आयिन विकास के लिये सरकार द्वारा योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। इस स्थिति में भारतीय बैंकिंग का भविष्य बहुत उच्चवल प्रतीत होता है। रिजर्व बैंक के स्थापित हो जाने, इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण तथा बैंकिंग कम्पनी विधान के बन जाने और विभिन्न प्रकार के आयोगिक वित्त नियमों की स्थापना के कारण देश में बैंकिंग के विकास की सम्भावनायें बहुत बढ़ गई हैं। यह प्राप्ति की जाती है कि जैसे-जैसे कर्मचारियों के शिकाय द्वारा उनकी कुशलता में वृद्धि होगी, जैसे ही जैसे भारतीय बैंकिंग का भी विकास दृढ़ धारापर होता चला जायेगा।

### परीक्षा-प्रश्न

#### Agra University, B. A. & B. Sc.

1. What were the issues involved in the nationalisation of the Imperial Bank of India? Do you favour nationalisation of commercial banking in India? (1956 S)

#### Agra University, B. Com.

1. What are the different types of banks working in India? Explain their special features. (1958) 2. What important changes have taken place in the banking organisation in India in recent years and why? (1956 S) 3. Describe the developments that have taken place in the banking system in India since 1926 and discuss their effects. (1956 S)

#### Allahabad University, B. Com.

1. Do you consider the present banking facilities in India to be adequate for her commercial, agricultural and industrial development? (1957) 2. "The number of banks that have failed within the last 50 years is sufficient to show that to be a good banker requires qualities as rare and as important as those which are necessary to attain eminence

*in any other pursuits*" Examine carefully this statement and show what essential qualifications a bank manager should possess (1957)

3. Examine critically the arguments for and against nationalisation of commercial banking in India. How far has nationalisation of the Imperial Bank of India been a step in the right direction ? (1956)

Gorakhpur University, B. Com.

1. Examine the case for nationalisation of commercial banking in India (Pt II 1959)

Rajputana University, B. A. & B. Sc

1 Discuss the main trends in the development of Indian banking since 1947 and point out their lesson for the future (1956)

Rajputana University, B. Com

1. Examine the case for the nationalisation of commercial banking in India (1957)

Vikram University, B. Com

1 Describe the defects of Indian Banking Organisation Suggest suitable lines of reform and future banking developments (1959)

## अध्याय १०

### भारतीय बैंकिंग-विधान

(Banking Legislation in India)

भारत में बैंकिंग विधान की आवश्यकता (Need for Banking Legislation in India) —बीसवीं शताब्दी में बैंकिंग विधान की आवश्यकता सभी देशों में अनुभव हुई है। इससे पहले स्वर्ण मान की स्वयं-चालक प्रकृति के कारण विभिन्न देशों में साख का अत्यधिक प्रसार नहीं होने पाता था वीसवीं शताब्दी के आरम्भ से बैंक दर नीति काफी संप्रभावी थी जिससे साख-नियंत्रण नियन्त्रित हो जाता था। परन्तु स्वर्ण-मान का अन्त तथा बैंक दर की सप्रमाणिकता से कमी हो जाने से एक ऐसे बैंकिंग विधान की आवश्यकता अनुभव हुई जिससे न केवल देश में समुचित बैंकिंग का विवास हो सके बरन् देश में साख के नियंत्रण पर उचित नियन्त्रण रखा जा सके। इसके अतिरिक्त भारत में एक समुचित बैंकिंग-विधान की आवश्यकता के अन्य कई और महत्वपूर्ण कारण भी थे—(1) भारतीय बैंकिंग के प्रारम्भक वाल से ही समय-समय पर अनेक बैंक पल हुए हैं। बैंकिंग का विवास एवं बिस्तार सुहृद आशार पर नहीं होने पाया है। कुछ वेंको ने मन चाहे उरोके से अपनी शाखाएँ सोली जिनमें से अधिकांश शाखाएँ बाद में अलाभ-कर सिद्ध हुईं। आरम्भ में देश के बैंकिंग व्यवसाय को नियन्त्रित करने के लिये केवल सन् १८८१ का नियोजित विल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act, 1881) तथा सन् १८८३ का इण्डियन कम्पनीज एक्ट (Indian Companies Act,

1913) थे, परन्तु ये एकट सभा भारतीय बैंकिंग को नियन्त्रित करने में प्रसफल रहे। इसी-लिये बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही देश में एक ऐसे बैंकिंग-विधान की आवश्यकता समझी गई जिसके द्वारा बैंकिंग का समुचित विकास हो सके। (ii) देश में देशी बैंकों तथा मिथित पौँजी के बैंकिंग में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। यह प्रतिस्पर्धा देश-हित में नहीं है, विशेषकर जबकि देश में बैंकिंग सुविधाएँ अपर्याप्त हैं। बैंकिंग की उक्त दोनों प्रणालियों में सम्बन्ध स्थापित करने के हेतु देश में एक समुचित बैंकिंग-विधान की आवश्यकता है। (iii) सन् १९३५ के रिजर्व बैंक एकट द्वारा रिजर्व बैंक को जी प्रधिकार प्राप्त हुये थे, वे अपर्याप्त थे जिसके कारण रिजर्व बैंक सरकार की मुद्रा, साथ तथा विदेशी वित्तिमय की नीति को ठोक प्रकार से कार्यान्वित नहीं कर सका। अतः यह अनुभव किया गया कि रिजर्व बैंक अपने कार्यों में तभी सफल हो सकता है जबकि उसे एक बैंकिंग विवान द्वारा विस्तृत अधिकार सौंपे जाये। इन सब कारणों से देश में बैंकिंग का विकास जन-हित में होने के लिये एक बैंकिंग-विधान की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की गई।

भारत में बैंकिंग-विधान का इतिहास (History of Banking Legislation in India):—(अ) आरम्भ में देश में बैंकिंग व्यवसाय को नियन्त्रित करने के लिये केवल सन् १८८१ का नियोशियेबिल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एकट (Negotiable Instruments Act) तथा सन् १९१३ का इण्डियन कम्पनीज एकट (Indian Companies Act 1913) ही थे, परन्तु ये बैंकिंग व्यवसाय पर उचित नियन्त्रण करने में प्रसफल ही रहे। (आ) समय-समय पर अनेक बैंक फेल हुये। बैंकों के फेल हो जाने के कारणों का विश्लेषण करते हुये तथा इस स्थिति में सुधार करने के हेतु सन् १९३१ में केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति (Central Banking Enquiry Committee, 1931) ने सर्वप्रथम देश में एक पृष्ठक बैंकिंग-विधान की सिफारिश की थी। परन्तु सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया वरन् इसने १९३६ में इण्डियन कम्पनीज एकट में संशोधन (Amendment) किया और इसमें बैंकिंग कम्पनीज सम्बन्धी कुछ धाराएँ जोड़ दी। सन् १९३६ के इण्डियन कम्पनीज (संशोधन) एकट की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—  
(i) इस एकट में बैंक व बैंकिंग कम्पनी की परिभाषा दी गई है। इस एकट के अनुसार बैंकिंग कम्पनी वह है जिसका मुख्य कार्य-व्यवसाय जनता से रुपये को चालू खाते तथा अन्य ऐसी जमाओं के रूप में स्वीकार करना है जो कि चेक, ड्रॉफ या आदेश (आज्ञा) द्वारा निकाली जा सकती है। (ii) प्रत्येक बैंक को एक संचित कोप बनाना होगा जिसमें वह अपने लाभ का कम से कम २० प्रतिशत भाग प्रति वर्ष हृतान्तरित करेगा, जब तक कि संचित-कोप बैंक की परिदत्त-पौँजी (Paid-up Capital) के बराबर नहीं हो जाये। (iii) प्रत्येक बैंक की प्राप्त पौँजी कम से कम ५०,००० रुपये होनी चाहिये, जो उसे अंकों (Shares) को वेचकर प्राप्त करनी चाहिये। (iv) मविध्य में किसी भी बैंकिंग कम्पनी का संचालन मैनेजिंग एजेन्ट्स नहीं कर सकते हैं। (v) प्रत्येक बैंक (सदस्य बैंक को छोड़कर) को रिजर्व बैंक के पास अपनी मांग देन (Demand Liabilities) का ५ प्रतिशत तथा समय देन (Time Liabilities) का १५ प्रतिशत रखना आवश्यक रखता गया। यह भी अनिवार्य कर दिया गया कि प्रत्येक महीने प्रत्येक बैंक रजिस्ट्रार को

अपनी देय तथा नकद-कोप का लेखा भेजेगा। (vi) वैकिंग कम्पनी जो किसी गोपनी कम्पनी के अश प्राप्त करन का अधिकार नहीं दिया गया, जब तक कि गोपनी कम्पनी कोई ऐसा व्यवसाय न करती हो जो मुख्य कम्पनी के ही कार्य से सम्बन्धित हो। (vii) कोई भी कम्पनी जोडे समय के लिये मुश्तान स्थगित कर सकती है (Moratorium) यदि रजिस्ट्रार इसकी सिफारिश करता है और बालत को, यह विश्वास है कि कम्पनी का सट अल्प-कालीन है। (viii) कोई भी वैक, एकट में वैक की परिमाण में दिये गये कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा। (ix) कोई भी वैक ग्राहनी प्राप्त पूँजी के ४० प्रतिशत से अधिक रकम जो किसी भी एक कम्पनी में नहीं लगा सकेगा। (i) सन् १९३४ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एकट पास हुआ। इस एकट के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को दिये गये अधिकारों ने भारत में वैकिंग-विधान के अभाव को कुछ अपना तक दूर कर दिया। इस एकट में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि सभी वैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक को वैकिंग-विधान के सम्बन्ध में सुझाव देने का भी आदेश दिया गया। (ii) सन् १९३४ का रिजर्व बैंक एकट तथा सन् १९३६ का इण्डियन कम्पनीज (सशोधन) एकट पास होने पर भी वैकिंग कम्पनियों के कार्यों में दिन-प्रतिदिन नई-नई कठिनाइयां आती गई वैंकों वे कार्यों में वैद्यमानी व कुप्रबन्ध के कारण वैंकों के फेल होने का बेग बहुत बढ़ गया। रिजर्व बैंक ने इस समस्त स्थिति की विस्तृत जांच की और सन् १९३६ में भारत सरकार के सामने एक स्वतन्त्र वैकिंग-विधान बनाने का प्रस्ताव रख दिया। जिन्होंने महापूर्द वे आरम्भ हो जाने के कारण भारत सरकार इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकी। (r) रिजर्व बैंक की सन् १९३६ को कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने सन् १९४३-४४ में इण्डियन कम्पनीज (द्वितीय सशोधन) एकट पास किया जिसके अन्तर्गत असमय तक कम्पनियों के प्रबन्ध का ढाचा इतना बिगड़ चुका था कि इसमें आन्तरिक सुधार आवश्यक हो गया। इस सशोधन के अनुसार जिस कम्पनी के साथ वैकिंग बैंक शाद का प्रयोग होता था उसे वैकिंग कम्पनी घोषित कर दिया गया था जो है इस कम्पनी का कार्य ऐसी जमायें लेना जो चैक द्वारा लिकाली जा सकें, हो या नहीं हो। इस तरह वैकिंग कम्पनी की इस नई परिभाषा से वैकिंग कम्पनी तथा अन्य कम्पनियों का भेद स्पष्ट हो गया। (l) मुद्र-काल में मुद्रा-प्रसार के कारण भारतीय वैकिंग में बहुत तजी से प्रसार हुआ। कुछ तो समय-समय पर बनाये गये वैकिंग-सम्बन्धी नियमों की अधिकता के कारण और कुछ युद्ध-कालीन परिस्थितियों के कारण, युद्ध-कालीन भारतीय वैकिंग में अनेक दोष उत्पन्न हो गये ("भारतीय वैकिंग—इसका विकास एवं सम्भवाएँ" तात्पुर ग्रन्थाय प्रांडए)। सारांश वैकिंग वे छोपों को दूर करने के लिये रिजर्व बैंक ने सन् १९३६ में एक द्रापट विन तंयार किया था। अब उसने इस द्रापट विल को दोहराया तथा सरकार के सामने इसे पास करने के लिए पुनः रखा। यद्यपि सरकार ने इस विल को विधान सभा (Legislative Assembly) में पेश किया था, परन्तु छुनावों (Elections) तथा गवर्नर जनरल ने निश्चय के कारण, इस विल

को स्थगित कर दिया गया। यह अवश्य है कि समय-समय पर जारी किये गये आँदीनेंसो (Ordinances) द्वारा सरकार ने रिजर्व बैंक को बैंकों को प्रब्लेम्स्टा एवं दोषों को दूर करने के लिये विशेष अधिकार दिए। रिजर्व बैंक ने इपने सन् १९४४ के दिन को कुछ सशोधन करके सन् १९४६ में पुनः भारत सरकार के सामने रखा, परन्तु यह दिन भी इस समय पास नहीं हो सका। (ए) अन्ततः २२ मार्च सन् १९४८ को एक नया बैंकिंग दिल पेश किया गया, जो १६ मार्च सन् १९४६ से लागू किया गया है। इस तरह जो प्रस्ताव सन् १९३६ में रखा गया था तब से सन् १९४८ तक जितनी भी भाजाये समय-समय पर जारी की गई थी, उन सबको एक समिलित एकट के रूप में सन् १९४६ में पास कर दिया गया। आजकल मुख्यतः इस एकट की विभिन्न पारामों द्वारा भारतीय बैंकों का संचालन एवं नियन्त्रण होता है।

### बैंकिंग कम्पनीज एकट सन् १९४६ (Banking Companies Act of 1949)

प्राप्तकर्तनः—सन् १९४६ में भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एकट पास हुआ था। यह एकट जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ कर भारत के सभी राज्यों में स्थित बैंकों (सह-कारी बैंकों को छोड़कर) पर लागू होता है। इस एकट की कुछ मुख्य विशेषताये इस प्रकार हैं:—

(१) उद्देश्य (Objects)—इस एकट का मुख्य उद्देश्य भारतीय बैंकों के कुछ महत्वपूर्ण दोषों को दूर करना है। बैंकों के वे दोष जिनको दूर करने के लिए यह एकट पास किया गया था, इस प्रकार हैं:— (i) बैंक संचल सम्पत्ति को बाढ़ पर अनुग्राम से अधिक झूण दे दिया करते थे। (ii) जिन कम्पनियों अथवा व्यापारों में बैंक के संचालकों या उनके सम्बन्धियों का स्वार्थ होता था, उन्हें अपर्याप्त प्रतिभूति (Security) पर ही झूण दे दिया जाता था। (iii) बैंकों ने और विशेषकर युद्ध-काल में, भयनी शाखाये अत्यधिक संघर्ष में खोली थी। इनमें से अधिकांश शाखाये छलाभकर थी। (iv) जिन व्यापारों में बैंक के संचालकों का स्वार्थ होता था उनमें बैंक का धन बहुत बढ़ी मात्रा में फैसा दिया जाया करता था। (v) बैंक के प्रबन्धक अथवा संचालक बैंक के धन का उपयोग करके अन्य औद्योगिक कम्पनियों पर अधिकार एवं नियन्त्रण प्राप्त कर लिया करते थे। यह बैंक के धन का दुरुपयोग था। (vi) कुछ बैंकस बैंक का चिट्ठा इस प्रकार बनाया करते थे कि इससे उनको वास्तविक आधिक स्थिति का जान नहीं होने पाता था और दौकस भपनी कमजोरियों को छुपाने में सफल हो जाया करते थे। (vii) औटें-द्योटे दौकस कभी-कभी अपने आधिक साधनों से अधिक भाषा में झूण प्रदान किया करते थे। इस तरह भारतीय बैंकिंग एकट १९४६ के बन जाने से भारतीय बैंकिंग के इतिहास में एक नये युग का आरम्भ हुआ जिसकी अथ तक के बैंकिंग विधान में जो कुछ अस्पष्टता थी अथवा दोष थे उनका इस एकट द्वारा बहुत कुछ निवारण हो गया। .

(२) बैंक की परिभाषा (Definition of a Bank)—इस एकट के पूर्व बैंक अथवा बैंकिंग सम्बन्धों कोई भी परिभाषा स्पष्ट एवं समुचित नहीं थी। इस एकट द्वारा सर्व प्रथम इस दोष का निवारण किया गया है। “बैंक उसे कहते हैं जिसमें जनता से

उपर देने के लिए अथवा विनियोग के लिए निक्षेप (Deposits) स्वीकार किए जायें तथा जो धनादेश (Cheques), बिक्री (Draft) अथवा आदेश (Order) अथवा अन्य प्रकार से निकाले जा सके एवं माल पर भुगताये जायें।" कोई भी कम्पनी इस व्यवसाय को तब ही कर सकती है जबतक वह अपने नाम के सामने ठैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग शब्द का प्रयोग करती है और इस एकट के अनुसार ठैंकिंग कम्पनी के प्रतिरिक्त और कोई दूसरी कम्पनी अपने नाम के साथ ठैंक, ठैंकर या ठैंकिंग शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती है। अतः एक ठैंक वह कम्पनी है जो भारतीय कम्पनीज एकट के अनुसार स्थापित हुई हो और बैंकिंग का व्यवसाय करती हो। यह स्मरण रहे कि ऐसी भौतिकी कम्पनियां जो अपनी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिये निक्षेप (Deposits) को स्वीकार करती हैं, इस एकट के अनुसार वे बैंकिंग कम्पनी नहीं हैं।

(१) बैंक का व्यवसाय (Banking Business)—बैंकिंग कम्पनीज एकट में एक ऐसो विस्तृत सूचो दो गई है जिसमें उन सब घटवसायों का उल्लेख है जो एक ठैंक कर सकता है—शपथा लेना व देना, हूडो व विनियम बिल्स का भुनाना, विनियम साध्य साख-पत्रों का जमा करना, सोने-चांदी तथा विदेशी विनियम पत्रों का क्रय विक्रय करना, साख प्रमाण-पत्रों को जारी करना, सुरक्षा (Safe Custody) के लिये बहुमूल्य वस्तुओं को रखना, स्टॉक-दोमस्ट-डिवेन्वर व अन्य प्रकार की प्रतिमूलियी (Securities) का लेन-देन करना या अन्य व्यक्तियों द्वी और से क्रय विक्रय करना, व्यापारिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना, ट्रस्टो के लिए उत्तरदायी होना, कमीशन एजेन्ट व गारण्टी देने का कार्य करना आदि। भुगतान में आई हुई सम्पत्ति के प्रतिरिक्त बैंकस अन्य किसी भी प्रकार द्वी सम्पत्ति या माल वा लेन-देन न तो अपने नाम से और न दूसरे के नाम से कर सकेंगे अर्थात् बैंक को प्रत्यक्ष व्यापार का प्रधिकार नहीं है। एकट की धारा ६ के अनुसार कोई भी बैंक उ वर्ष से अधिक अवधि के लिए, बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के, किसी भी प्रकार की अचल सम्पत्ति को, जो बैंक के स्वयं के कार्य में नहीं था रही है, नहीं रख सकते हैं। यह स्मरण रहे कि इस एकट की धारा १६ के अनुसार कोई भी बैंकिंग कम्पनी उत्तर-सापक (Executor) के कार्य या ट्रस्टी के कार्य या घरीहट के कार्य के प्रतिरिक्त कोई सहायक कम्पनी (Subsidiary Company) स्थापित नहीं कर सकती है। एक बैंकिंग कम्पनी, किसी अन्य कम्पनी द्वी आप्ति पूजी वे २० प्रतिशत से अधिक या अपनी स्वयं की परिदृष्टि पूजी (Paid-up Capital) के ३० प्रतिशत से अधिक रकम (जो भी कम हो) के शेयर्स नहीं खरीद सकती है और जिस कम्पनी के प्रबन्ध में बैंकिंग कम्पनी के सचालक या प्रबन्धक का स्वायत्त हो, बैंक उसके शेयर (Shares) नहीं खरीद सकता है।

(२) बैंकों का प्रबन्ध (Management of the Banks)—इस एकट दी धारा १० के अनुसार बैंकस के प्रबन्ध के लिये प्रबन्धकर्ताओं द्वी अर्थात् मैनेजिंग एजेन्ट्स (Managing Agents) द्वी नियुक्त नहीं की जा सकती है। बैंक वा सचालक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है जो अन्य किसी दूसरी कम्पनी का भी सचालक है या जो अन्य किसी दूसरे व्यवसाय में लगा हुआ है या जो पहले से ही अन्य किसी बैंक का सचालक

है। कोई भी बैंक ऐसे व्यक्तियों की भी नियुक्ति नहीं करेगा जो कभी ग्रादात द्वारा दिवालिया (Insolvent) घोषित कर दिया गया है या जो किसी फौजदारी के अपराध में जेल बाट चुका है या बिसका प्रतिफल (Remuneration) कम्पनी के लाभ पर कमीशन या लाभ के कुछ भाग के रूप में दिया जाता है या जिसे पारितोपण (Remuneration) कम्पनी के शेयर (Shares) के प्राधार पर दिया जाता है।

(५) बैंकों की परिदत्त पूँजी तथा निधि (Paid-up Capital and Reserve Fund of the Banks):—बैंकिंग कम्पनीज एकट १९४६ में बैंकों के साधनों (Resources) के सम्बन्ध में प्रतेक घारायें हैं। जो बैंकिंग कम्पनी विधान पाइ होने के पहले से कार्य कर रही थी, वह विधान पास होने के तीन साल पश्चात तथा विधान पास होने के पश्चात स्थापित कोई भी बैंकिंग कम्पनी उत्तर समय तक कार्य नहीं कर सकती जब तक कि उसकी पूँजी तथा निधि का मूल्य इस प्रकार से नहीं हो—(i) यदि किसी बैंक का कार्य एक से अधिक राज्य में है, तब इसकी दत्त पूँजी (Paid-up Capital) तथा निधि (Reserves) कम से कम ५ लाख रुपया होनी चाहिये। (ii) यदि कोई बैंक बम्बई या कलकत्ता या दोनों में कार्य करता है तब इसकी दत्त पूँजी तथा निधि मिला कर कम से कम १० लाख रुपए होनी चाहिये। (iii) यदि किसी बैंक का कार्य केवल एक राज्य (State) में है और कलकत्ता व बम्बई में कार्य नहीं होता है, तब ऐसे बैंक के प्रमुख कार्यालय की दत्त पूँजी व रिजर्व मिला कर एक लाख रुपये तथा अन्य प्रत्येक कार्यालय की इस प्रकार की रकम १० हजार रुपये (यदि ये कार्यालय एक ही जिले में हैं) या २५ हजार रुपये (यदि ये कार्यालय अलग-अलग जिलों में हैं) होनी चाहिये। जिस बैंक का केवल एक ही कार्यालय एक ही स्थान पर होगा, उसके लिये उक्त रकम ५० हजार रुपये होनी चाहिए। (iv) जब किसी बैंक के समस्त कार्यालय एक ही राज्य में होते हैं और कुछ कार्यालय कलकत्ते या बम्बई में हैं, तब ऐसे बैंक की दत्त एवं रिजर्व पूँजी मिलाकर कम से कम ५ लाख रुपये की होनी चाहिए और कलकत्ते व बम्बई से पाहर के किसी भी कार्यालय में २५ हजार रुपये के मूल्य की पूँजी व रिजर्व रखना पांचवर्षीय करते हैं, तब इनकी दत्त पूँजी और रिजर्व कोप मिला कर कम से कम १५ लाख रुपये होनी चाहिए और यदि ऐसे बैंक को दाराएँ बम्बई व कलकत्ते में भी हैं, तब उक्त रकम कम से कम २० लाख रुपये होनी चाहिये। यह रकम रिजर्व बैंक में जमा कर दी जायगी ताकि यदि ऐसा बैंक टूट जाय, तब रिजर्व बैंक में जमा पूँजी से सर्व प्रथम भारतीयों का भुगतान दिया जा सके।

(६) बैंकों की पूँजी तथा मतदान का अधिकार (Capital of Banks and the Right of Voting):—बैंकिंग एकट के अनुसार किसी भी बैंक की आधिक पूँजी (Subscribed Capital) उसकी अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) के आधे से किसी भी प्रकार कम नहीं होनी चाहिए और इसी तरह बैंक की परिदत्त पूँजी (Paid-up Capital) उसकी आधिक पूँजी के प्राधे से किसी भी तरह कम नहीं होनी चाहिये। यदि कोई बैंक अपनी पूँजी बढ़ाना चाहता है तब दो वर्ष के अन्दर वह इन दातों को पूरा करके

तथा रिजर्व बैंक की आज्ञा प्राप्त करके, अपनी पूँजी बढ़ा सकता है। प्रत्येक बैंक अपनी पूँजी साधारण हिस्सों (Ordinary Shares) के रूप में या साधारण हिस्सों (Preferential Shares) के रूप में खरेंगा जो १ जुलाई सन् १९४४ से पहले बेचे गये हैं। प्रत्येक हिस्सेदार (Shareholder) का मतदान अधिकार (Right of Voting) उसके द्वारा दी गई पूँजी के अनुपात में होगा, परन्तु किसी भी अशाधारी की कुल मतदान अधिकार के ५ प्रतिशत से अधिक मत देने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी बैंक अपनी अपरिदित-पूँजी (Un-called Capital) की जमात घर पर छूण आदि नहीं ले सकेगा।

(७) बैंकों के लाभ-बटवारे पर प्रतिशत (Restrictions on the Profit Distribution of the Banks) —एकट धारा १७ के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिये यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह लाभ का कम से कम २० प्रतिशत मात्र प्रति वर्ष संचित कोष (Reserve Fund) में उस समय तक जमा करेगा जब तक कि यह कोष बैंक की परिदृश्य पूँजी के बराबर नहीं हो जाए। लाभ का निधारण किस प्रकार होता है? यह भारतीय कम्पनीज एकट १६११ की धारा ८७ C(३) के अनुसार निर्धारित होता है—यह वह लाभ है जो कि शूलों पर व्याज तथा छटाने के पश्चात बचता है, किन्तु आय-कर या डिवेन्यूस पर व्याज देने के पहले रहता है। इस लाभ को वास्तविक लाभ (Net Profit) कहते हैं।

(८) बैंकों की टोक-निधि (Cash Reserves of the Banks) —एकट की धारा १८ के अनुसार प्रत्येक निर-अनुसूचित बैंकिंग कम्पनी (Non Scheduled Banks) की अपनी मात्र देय (Demand Liabilities) का ५% और काल देय (Time Liabilities) का २% नकद-कोष अपने पास या रिजर्व बैंक के पास या दोनों जगह रखना पड़ेगा। अनुसूचित बैंकों (Scheduled Banks) के लिये इस प्रकार की जमा रखने की व्यवस्था पहले से ही रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एकट में दर दी गई थी। प्रत्येक बैंक को प्रत्येक माह के अन्तिम शुक्रवार को इस आशय का एक विवरण रिजर्व बैंक के पास भेजना पड़ेगा।

(९) बैंकों की सम्पत्ति (Assets of the Banks) —एकट में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि सम्पत्ति में तरलता (Liquidity) रह सके। धारा २४ के अनुसार, एकट लागू होने के २ वर्ष के पश्चात प्रत्येक बैंक को प्रत्येक व्यापारिक दिन अपनी कुल काल-जमा (Time Deposits) तथा मात्र जमा (Demand Deposits) का २०% मात्र भारत में नकद रपया, सोना या अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों (Approved Securities) के रूप में रखना पड़ेगा। रिजर्व बैंक के पास जो नकद-धन या सिव्यू-रिट्रीव होती, वे भी नकद धन समझी जायेंगी। इस धरारा का मुह्य लक्ष्य यह है कि बैंकों अपने पास अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिये पद्धति धन तरल रूप में रखें। इस व्यवस्था द्वारा छोटे छोटे बैंकों का एक बहुत महत्वपूर्ण दोष दूर हो गया—अब ये बैंकों अपनी सम्पत्ति को तरलता को त्याग कर अपने व्यवसाय में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। एकट की धारा २५ के अनुसार प्रत्येक बैंक को हर तीसरे महीने

के प्रतिनियं दिन अपने कुल काल-दैय एवं भाग-दैय की कम से कम ७५% के बराबर सम्पत्ति भारत में रखनी पड़ेगी। इस प्रकार की सम्पत्ति (Assets) में बैंकल उन्ही प्रतिश्रूतियों (Securities), प्रतिज्ञा-प्रथं-पत्र (Promissory Notes) तथा विपत्रों (Bills) का समावेश होगा जिन्हे रिजर्व बैंक भुता (Discount) सकता है या जिनका वह क्रय-विक्रय कर सकता है या जिनके आधार पर वह छूटा दे सकता है आदि। प्रत्येक बैंक को प्रतिमाह या प्रति तीन महीनों में इस आवश्य का एक विवरण (Statement) रिजर्व बैंक को भेजना पड़ेगा।

(१०) बैंकों की शाखायें (Branches of the Banks)—बैंकिंग काम्पनीज एक्ट के अनुसार कोई भी बैंक रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना भारत के किसी भी भाग में न तो नई जगह पर अपनी शाखा खोल सकता है और न किसी शाखा को एक स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर ही स्थानान्तरित कर सकता है। ऐसे बंदरगाहों जो भारत में रजिस्टर्ड हैं, वे रिजर्व बैंक की आज्ञा के बिना न तो अपना कार्यालय किसी भी देश में स्थापित कर सकते हैं और न अपना बैंकमान कार्यालय ही बदल सकते हैं।

(११) ऋणों पर प्रतिबंध (Restrictions on Loans)—एक्ट के अनुसार कोई भी बैंक अपने अंशों की जमानत पर या अपने सुचालकों को जाना चाहिए *सुरक्षित* (Security) के रूप (Unsecured Loans) नहीं दे सकता है। एक बैंक ऐसी किसी फर्म अथवा काम्पनी को भी छूटा नहीं दे सकता है जिसमें उसका कोई भी सुचालक हिस्टेदार या मैनेजिंग एजेंट या ऋणों की प्राप्ति के लिये जमानतदार है। प्रत्येक बैंक को प्रतिमाह रिजर्व बैंक को एक विवरण भेजना पड़ेगा जिसमें उन अरक्षित ऋणों का बण्णन-रहता है जो उन फर्मों एवं काम्पनियों को दिये गये हैं जिनमें बैंक के सुचालकों अथवा अववस्थापकों का निज स्वार्थ है। यदि रिजर्व बैंक इन ऋणों को बैंक में घन-जमानकरणों के हित के विशद समझेगा, तब वह उक्त बैंक को उक्त ऋण देने के लिये मना कर देगा। एक्ट की धारा २१ के अनुसार रिजर्व बैंक को यह प्राधिकार है कि वह उन हित में बैंकों की छूटा नीति को निपर्सिरित कर सकता है और वह बैंकों को यह निर्देश दे सकता है कि वे केवल किन-किन कार्यों के लिये छूटा दे सकते हैं। एक्ट की इस अवस्था से साल-नियन्त्रण द्वारा सहै कार्यों तथा गूल्यों में वृद्धि पर रोक लगा सकता है।

(१२) बैंकों का एकीकरण (Amalgamation of Banks)—एक्ट की धारा ४४ ए के अनुसार दो या दो से अधिक बैंकिंग काम्पनियों का एकीकरण किया जा सकता है। एकीकरण के हेतु बैंक की सम्पादन-संस्थाएँ जाती हैं जिसके सापेक्ष एकीकरण की योजना प्रस्तुत की जाती है और जब यह याजना बहुमत से स्वीकृत (Pass) कर दी जाती है, तब बैंक इसे रिजर्व बैंक के पास भेज देता है। रिजर्व बैंक की आज्ञा प्राप्त होने पर एकीकरण की योजना सापूर्ण हो जाती है। एकीकरण का प्रत्यावर्त पास होते समय यदि बैंक के किसी मांशधारी (Shareholder) ने अपना मत एकीकरण की योजना के विशद दिया है या वह सिसिंघ में सूचना दे देता है कि वह उक्त योजना के विरोध में

है, तब वह बैंक में से अपने शेयर्स वापिस निकाल सकता है और इस प्रकार से निकाले गये शेयर्स का मूल्य रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(१३) न्यायालयों द्वारा बैंकों का निस्तारण (Winding up of the Banks by the Courts)—बैंकों के निस्तारण के सम्बन्ध में बैंकिंग कम्पनीज एकट में उचित व्यवस्था की गई है। जब कोई बैंकिंग कम्पनी अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर सकती तब रिजर्व बैंक की प्राधिना पर न्यायालय इस बैंक के निस्तारण की आज्ञा दे सकता है। कोई बैंक अपने ऋणों के भुगतान के लिये अधोग्रह कर समझा जायगा? एक बैंक ऋण के भुगतान के लिये अधोग्रह कर ही समझा जायगा जबकि उसके किसी भी कार्यालय या शास्त्रा पर किये गये कानूनन भुगतान की मांग को दो दिन तक अस्वीकार कर दिया जाता है (ऐसे स्थान पर जहाँ रिजर्व बैंक का कार्यालय है) और ऐसे स्थान पर जहाँ रिजर्व बैंक का कार्यालय नहीं है उक्त मांग को शात्र दिन तक अस्वीकार कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक न्यायालय से किसी बैंक के निस्तारण के लिये तब ही प्राधिना करता है जबकि (अ) केन्द्रीय सरकार उसे ऐसा करने के लिए आदेश देती है, (आ) कोई बैंक निर्धारित समय के अन्दर तरल सम्पत्ति (Liquid Assets) की प्रतिशत की मांग को पूरा करने अथवा भारत स्थित भ्रत्तल सम्पत्ति से सम्बन्धित नियमों वा पालन करने में असफल रहता है। जिस समय रिजर्व बैंक किसी बैंक के निस्तारण (Liquidation) के लिये प्राधिना करता है, तब न्यायालय द्वारा रिजर्व बैंक को ही सरकारी निस्तारण (Official Liquidator) नियुक्त किया जाता है। जब तक न्यायालय उचित नहीं समझता तब तक सरकारी निस्तारक के साथ सासाहारिणी समिति (Advisory Committee) या अद्यातामों की सभा की नियुक्ति नहीं की जाती है। न्यायालय द्वारा ही किसी बैंक के समस्त लेन देन का निश्चय किया जाता है और इस सम्बन्ध में उसकी आज्ञा अन्तिम समझी जाती है। बैंकिंग कम्पनीज एकट की घारा ४४ के अनुसार कोई भी लाइसेंस प्राप्त बैंक, ऋण चुकाने की अधोग्रहता बिना रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणित कराये, स्वेच्छापूर्वक निस्तारण (Voluntary Winding up) नहीं कर सकता है। इस तरह यदि किसी भी बैंक का ऐस्थिक निस्तारण नहीं हो सकता है।

बैंकिंग कम्पनीज (सशोषन) एकट १९५० (Banking Companies Amendment Act of 1950) —मारतीय बैंकिंग कम्पनी एकट १९४६ के पास होने के एक बर्यावाद ही इसमें सशोषन करने की आवश्यकता अनुभव हुई जिससे सन् १९४६ के विधान के कुछ दोष द्वारा हुये। इस सशोषन की मुख्य मूल्य वाले—इस प्रकार हैं—(१) नई शास्त्राओं का खोलना तथा शास्त्राओं का हथान प्रतिक्रिया—बैंकिंग एकट १९४६ में घारा २३ के अनुसार कोई भी बैंक नई शास्त्राओं को स्थापित अथवा शास्त्राओं का स्थाना तरण तब ही कर सकता था जबकि वह रिजर्व बैंक से इसकी पूर्व अनुमति से लेता था। पर तु इस घारा से यह स्पष्ट नहीं था कि यह घारा केवल भारत स्थित बैंकों के लिये अधिकार उनकी मारतीय शास्त्राओं के लिये थी या यह उनकी विदेशी शास्त्राओं के लिये भी थी।

अतः इस संशोधन से यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारत में अथवा विदेश में नई शास्त्रायें प्रोलंगे से पहले या भारत में अथवा विदेश में शास्त्राओं का स्थानान्तरण करने से पहले रिजर्व बैंक से अनुमति लेना अनिवार्य है। (ii) बैंकों की सम्पत्ति—रेजिंग एक्ट १९४६ के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी, गाम-देय (Demand Liabilities) तथा काल-देय (Time Liabilities) का ~~प्रबंध~~<sup>प्रबंध</sup> भाग सम्पत्ति के रूप में भारत में रखना अनिवार्य था। परन्तु इस १९५० के संशोधन के अनुसार बबत अब इस ७५% सम्पत्ति से उपर्यन्त तमाम या इसके कुछ भाग की प्रतिभूतियों (Securities) व शायात्-नियंत वित्त आदि भारत के बाहर भी रख रखते हैं। इस संशोधन से “सम्पत्ति” शब्द का अर्थ अधिक विस्तृत कर दिया गया है। (iii) बैंकों का एकीकरण—बैंकों के एकीकरण को अधिक सुविधाजनक बनाने के हेतु अब रिजर्व बैंक को एकीकरण (Amalgamation) सम्बन्धी योजनाओं पर अन्तिम नियंत्रण देने का प्रधिकार दे दिया गया है और सम्बन्धित बैंकों की यह नियंत्रण मान्य होगा। (iv) बैंकों का निःस्तारण (Liquidation):—रिजर्व बैंक को अब यह अधिकार दे दिया गया है कि वह दूटने वाले बैंकों के दोषी व्यक्तियों को दण्डित करे तथा बैंकों का निःस्तारण शीघ्रता से कराये। (v) किसी बैंक तथा उसके अण्डाकारी (Creditors) में तब तक कोई उमस्तोता कार्यान्वयन नहीं हो सकेगा जब तक कि रिजर्व बैंक द्वारा इस समझौते को मान्यता प्राप्त नहीं होती है।

बैंकिंग कम्पनीज (संशोधन) एक्ट १९५३ (Banking Companies Amendment Act of 1953)—यन् १९५२ में यह अनुमय किया गया कि बैंकों के निःस्तारण (Liquidation) के सम्बन्ध में जो विधान था वह बहुत छटिन था। इसलिये बैंकों के निःस्तारण को सरल, सुविधाजनक एवं कम अवधि याता बनाने के हेतु यन् १९५३ में बैंकिंग कम्पनीज एक्ट में दोबारा संशोधन नियम गया। इस संशोधन की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—(i) प्रोटो-चोटे जमाकर्तव्यों को सुविधा:—सेविंग्स खाते तथा चालू (Current) खातों में जिन यमाकर्तव्यों को छोटो-छोटी रकमें होती, उन्हे एक निश्चित रकम तक के भुगतान में प्राप्तिकर्ता (Priority) दी जायगी। (ii) रकम प्रत्यक्षी—न्यायालय निःस्तारक (Liquidator) की दिशों को संग्रह व सूली की विधियों के अनुसार वगूल करने की आज्ञा दे सकता है। (iii) निःस्तारक को बैंक के व्यापार के बद्द हो जाने के द्वारा भी अन्दर ही न्यायालय को अहणियों की ऐसी सूची देनी होगी जिनके मामलों का निवारण न्यायालय को करना होगा। (iv) न्यायालय व राझकार को दूटने वाले बैंकों का रिजर्व बैंक द्वारा तिरोधारण कराने का प्रधिकार होगा और बैंक के दोषों की सूचना निःस्तारक (Liquidator) को दे दी जायगी। (v) न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर बैंक के संचालकों वी भी जांच करा सकती है और यदि वो दोषी उपायक अद्योत्य समझा जाता है तब न्यायालय उसे पांच दिनों के लिये बैंक का संचालक होने से विचित फर तकेगा आदि।

बैंकिंग कम्पनीज एक्ट १९४६ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अधिकार (Powers of the Reserve Bank of India under the Indian Banking

**Companies Act, 1949)** —देश में वैकिंग व्यवस्था को समर्टिन एवं नियन्त्रित करने के लिये वैकिंग विधान में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को अनेक अधिकार सौंपे द्ये हैं। यह विदेषता इसी बात से हृष्ट हो जाती है कि विधान में ४५ घारायें हैं जिनमें से ७ घारायें केवल रिजर्व बैंक के अधिकारों के सम्बन्ध में हैं इनमें से कुछ मुद्र्य-मुद्र्य अधिकार इस प्रकार हैं—(1) बैंकों का निरीक्षण—वैकिंग कम्पनीज एवं १६४६ के पास होने से पहले भी रिजर्व बैंक को बैंकों के निरीक्षण का अधिकार था और इसी कारण रिजर्व बैंक तथा बैंकों में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था। परन्तु रिजर्व बैंक का निरीक्षण का यह अधिकार वैकिंग एवं पास होने के पश्चात और भी विस्तृत हो गया है। रिजर्व बैंक अब अनेक कार्यों व कर्तव्यों के पालन एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंकों का निरीक्षण कर सकता है। वैकिंग एकट की घारा ३५ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक किसी समय अपनी इच्छा से अथवा केन्द्रीय बैंक की आज्ञा होने पर किसी बैंक के हिसाब किताब तथा अन्य सम्बन्धित विवरणों का निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण किये जाने वाले बैंक के संचालकों एवं प्रबन्धकों का यह कर्तव्य होगा कि वे रिजर्व बैंक के निरीक्षकों के समक्ष सभी प्रकार के हिसाब-किताब की पुस्तकों तथा अन्य सम्बन्धित पत्र प्रस्तुत करें। यह निरीक्षण न सिर्फ असन्तोषप्रद बैंकों का दिया जायगा बरन् इस नये एकट के अनुसार रिजर्व बैंक का यह कर्तव्य है कि वह तमाम बैंकिंग कम्पनियों का यापात्रम निरीक्षण करे ताकि वह बैंकों की कार्य-प्रणाली के दोषों को बतलाकर, उनको दूर करने के उपाय प्रस्तुत कर सके और इस तरह देश में एक स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली की स्थापना की जा सके। निरीक्षण के उपरान्त यदि रिजर्व बैंक यह अनुभव करता है कि अमुक बैंक का कार्य जमाकर्तव्यों के हित में नहीं हो रहा है तब वह केन्द्रीय सरकार के आदेश से उसे अपना कार्य बदल करने के लिये आज्ञा दे सकता है पा उसे जमा (Deposits) प्राप्त करने के लिये रोक सकता है। (ii) ऋण-नीति को नियन्त्रित करने का अधिकार—रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वह बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों को नियन्त्रित कर सकता है। यदि रिजर्व बैंक को यह जात हो जाय कि किसी बैंक की अथवा समस्त बैंकों की ऋण नीति देश हित में नहीं है, तब वह अमुक बैंक अथवा बैंकों की ऋण-नीति को निर्धारित कर सकता है और बैंकों की इस नीति का पालन करना पड़ता है। इस तरह रिजर्व बैंक दिये एक बैंक को अथवा समाम बैंकों को यह आदेश दे सकता है कि बेबल दिन किन कार्यों के लिए ऋण दिये जायें, जहाँ एवं प्रतिभूति में कितना अनुर (Margin) हो तथा व्याज की दर ब्याहोनी चाहिए। (iii) लाइसेंस प्रदान करना तथा शाखाओं की स्थापना पर नियन्त्रण करना—वैकिंग एकट की घारा २२ के अनुसार काई भी बैंक अपना वैकिंग व्यवसाय तब तक आरम्भ नहीं कर सकता जब तक कि वह इसके लिये रिजर्व बैंक से लाइसेंस (Licence) नहीं से ले। रिजर्व बैंक लाइसेंस तब ही देगा जबकि वह बैंक वा निरीक्षण करने इस बात की समुचित कर लेता है कि वह बैंक अपनी तमाम (Deposits) का आवश्यकता-नुसार मुगातान करने में समर्थ है अथवा जब वह इस बात को भली प्रकार देख लेता है कि अमुक बैंक की कार्य-पद्धति जन-हित के विशद नहीं है। यह स्मरण रहे कि इस प्रकार का साईंसेस नये व पुराने (एकट पास होने के ६ माह के अन्दर) अथवा देशी व

विदेशी सभी प्रकार के बैंकों को प्राप्त करना पड़ेगा। जिन रातों पर किसी बैंक को साईर्सन्स प्रदान किया जाता है, यदि उनका पूर्ण पालन नहीं किया जाय तब रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह लाईसेन्स को रद्द कर दे। एकट की घारा २३ के अनुसार रिजर्व बैंक से लिखित में भाजा प्राप्त किए विना कोई भी बैंक देश में अधवा विदेश में न तो अपनी नई शाखा ही खोल सकता है और न शाखाओं का स्थानान्तरण ही कर सकता है। रिजर्व बैंक इस प्रकार की आज्ञा देने से पहले बैंक का निरीक्षण करके यह मान्युम करेगा कि अमुक बैंक की आधिक स्थिति कंसी है, उसका प्रबन्ध एवं संचालन किस प्रकार का है, पूँजी एवं साधनों की पर्याप्तता है या नहीं आदि। इस प्रकार के निरीक्षण से यदि रिजर्व बैंक को यह सन्तोष हो जाता है कि बैंक को नई शाखा बनाहित में रहेगी, तब तो वह नई शाखा खोलने की अनुमति दे देगा वरना नहीं। (iv) बैंकों का एकीकरण (Amalgamation of the Banks):—बैंकिंग कम्पनीज एकट में बैंकों के एकीकरण को व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में लितार से छायर लिखा जा चुका है। कोई भी न्यायालय तब तक बैंकिंग कम्पनियों के एकीकरण को योजना को स्वीकृति (Sanction) नहीं दे सकता है, जब तक कि यह योजना रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणित नहीं कर दी जाये। इसी तरह कोई भी बैंक किसी भी प्रकार के एकीकरण अधवा पुनर्गठन की योजना तब तक नहीं बना सकता जब तक कि उसने इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक को स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली है। रिजर्व बैंक को इन योजनाओं को स्वीकृत करने तथा रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। (v) बैंकों से अनेक प्रकार के विवरणों को प्राप्त करने का अधिकार:—रिजर्व बैंक को बैंकिंग कम्पनियों से विभिन्न प्रकार के विवरणों अधवा आवश्यक सूचनाओं दो प्राप्त करने का अधिकार है और वह इहें जनता के हित में प्रकाशित भी कर सकता है। इन विवरणों का निरीक्षण करके रिजर्व बैंक को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि बैंकिंग कम्पनियाँ एकट की विभिन्न घाराओं का पालन कर रही हैं-या नहीं और यदि रिजर्व बैंक किसी बैंक की कार्य-प्रणाली में कोई दोष देखता है तब वह अमुक बैंक के प्रबन्धकों का व्याप्त इस भोर आकर्षित करके उक्त दोष को दूर कराने में सहायक होता है। इस समय रिजर्व बैंक बैंकों से कई प्रकार के विवरण प्राप्त कर रहा है:—(प्र) प्रत्येक असूचीबद्ध (Non-scheduled) बैंक को प्रत्येक मास की १५ तारीख को एक ऐसा विवरण भेजना होगा जिसमें गठ मास की अन्तिम शुक्रवार के दिन उसकी कुल मांग-देय (Demand Liabilities), काल देय (Time Liabilities) तथा रोक निधि (Cash Reserve) का विवरण होगा। (धा) प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक के पास नियमित रूप से एक ऐसा विवरण भेजना होगा जिसमें उन अप्रतिभूत ऋणों (Unsecured Loans) तथा अधिसूची (Advances) की रकम लिखी होगी जो ऐसी कम्पनियों द्वारा दिये गये हैं जिनमें बैंकिंग कम्पनी के संचालक अधवा प्रबन्धक का इसी न किसी प्राप्त का स्वार्थ है। (इ) प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक के पास प्रत्येक मास की १५ तारीख को एक ऐसा विवरण भेजना होगा जिसमें उसकी मांग-देय, काल-देय तथा २५% सम्पत्ति किस प्रकार रखती रही है, इसका विवरण होगा। (ई) प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक के पास एक ऐसा वैमानिक विवरण भेजना होगा जिसमें मांग-देय तथा काल-देय की ७५% सम्पत्ति भारत में किस प्रकार रखती रही

है, इसका विवरण होगा। (उ) प्रत्येक बैंक का जो भी हित्ति विवरण लेखा (Balance Sheet) हो उसकी तीन प्रतियाँ (Copies) अदेशक (Auditors) के दृष्ट लेख के साथ रिजर्व बैंक के पास भेजनी होती है। (vi) बैंकों का निलापन (Liquidation of Banks) —जब कभी अदालत हारा किसी बैंक का निलापन (Liquidation) निर्दिष्ट कर दिया गया हो, तब यदि रिजर्व बैंक इम बैंक का सहकारी निलापन (Official Liquidator) नियुक्त किया जाते होंगे तो प्रथमा करे, तब रिजर्व बैंक ही इस बैंक का सरकारी निलापन नियुक्त किया जा सकता। (vii) बैंकों को सताह देने वा अधिकार —रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह किसी भी बैंक का दायवा समस्त बैंकों का विद्युतियों को विद्युतियों विदेश प्रकार के लेन देन द्वाया व्यवहारों के सम्बन्ध में राताह दे सकता है या उहै किसी विदेश व्यवहार द्वाया विदेश व्यवहारों को बरतने से रोक सकता है। (viii) अय अधिकार —(य) रिजर्व बैंक की सिफारिश पर बैंक्रीय सरकार किसी बैंक को कुछ समय के लिए बैंकिंग कम्पनीज एकट की व्यवस्थाओं से भूत कर सकती है। (ग्रा) रिजर्व बैंक की घनुमति पर कोई बैंक ७ दिन से अधिक समय के लिए अचल सम्पत्ति रख सकता है। (इ) कुछ समय के लिए रिजर्व बैंक बैंकों द्वाया पूरिदत्त पंजी तथा मुराक्षत कोपो में छूट दे सकता है।

सन् १९५१ मेर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एकट मेर सशोधन (Amendment) हुआ। इससे रिजर्व बैंक को भारतीय बैंकों पर कुछ और अधिक अधिकार प्राप्त हो गये जिनमे से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं—(१) रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों में एक ऐसा लेखा प्राप्त करने लगा है जिसमे यह निखल हुआ होता है कि बैंक द्वाया वित्ती पूँजी सरकारी प्रतिभूतियों (Govt. Securities) में लगी है, विं अन्य बैंकों में उसकी कितनी पूँजी जमा है तथा तत्कालीन देय धन (Money at Short Notice) कितना है। (ii) बैंकिंग कम्पनीज एकट द्वाया घारा २५ के घनुमत प्रत्येक बैंक को अपनी सम्पत्ति वा ७५% भाग भारत मेर प्रत्येक सीन भास के द्वाया मेर रखना आवश्यक है। इस आशय का एक विवरण प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक के पास प्रति हीन मास के बाद भेजना पड़ता है। परन्तु इस सम्पत्ति में कोन-कोन सी प्रतिभूतियों (Securities) का समावेश होगा? इस सशोधन से रिजर्व बैंक को अमुक सम्पत्ति में सम्मिलित होने वाली प्रतिभूतियों की सूची प्रकाशित करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। (iii) रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को यह छूट दे सकता है कि वह रिजर्व बैंक के पास किसी समय न्यूनतम वैधानिक दोष (Minimum Statutory Balance) नहीं रखते। (iv) रिजर्व बैंक अय बैंकों को तुरह राजकीय सहकारी बैंकों (State Co-operative Banks) से भी विवरण के लेखे गए सहकारी है। प्रति सन् १९५१ के रिजर्व बैंक एकट के भशोधन द्वाया रिजर्व बैंक को भारतीय बैंकों पर कुछ ऐसे अधिकार मिल गय हैं जिनसे वह भारतीय बैंकिंग को और अधिक गुह्य बना सकेगा।

भारतीय बैंकिंग विधान के बोय (Defects of the Banking Legislation in India) —यह सच है कि बैंकिंग कम्पनीज एकट १९४६ तथा इसमे सन् १९५० व छठे

१९५३ के संग्रहणों द्वारा रिजर्व बैंक को भारतीय बैंकिंग-व्यवस्था को नियंत्रित करने के वकृत से अधिकार दे दिये गये हैं और यदि यह साझा है कि देश में बैंकिंग का अध्यवस्थित एवं दोषपूर्ण विकास नहीं हो सकेगा। भारतीय बैंकिंग विकास में जो एक बहुत ही दोष-पूर्ण प्रवृत्ति पाई जाती थी—बैंकों तथा उनकी शाखाओं का केवल बड़े बड़े नगरों व व्यापारिक के द्वारा में ही केन्द्रित होना—इस प्रवृत्ति का बहुत कुछ भूल हो गया है वर्षोंके अब बैंक की किसी भी नई शाखा की स्थापना या शाखाओं का स्थानान्तरण बिना रिजर्व बैंक की पूर्ण अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह एकट में बैंकों को पूँजी-सम्बन्धी धाराओं के कारण बैंकों की आधिक स्थिति सुहृद हो जायगी और कमज़ोर व अद्योग्य बैंकों की स्थापना पर रोक लग जायगी। रिजर्व बैंक को बैंकों के नियीकाण के सम्बन्ध में भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं जिससे यह आशा की जाती है कि विभिन्न बैंकिंग कम्पनियां कोई ऐसे कार्य नहीं करेगी जो जन-हित में नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी भारतीय बैंकिंग विधान में अब भी कुछ दोष पाए जाते हैं और इनमें से कुछ मुख्य दोष निम्न प्रकार हैं—(i) देशी बैंकों पर नियन्त्रण का भ्रभावः—भारतीय बैंकिंग विधान में अभी तक स्वदेशी बैंकों (Indigenous Bankers) के सम्बन्ध में कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है। यह सर्वविदित है कि भारतीय मुद्रा-बाजार का यह बंग देश की लगभग ७५% साथ की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अब यह लगभग ६०% ग्रामीण साथ की पूर्ति करता है। अतः बैंकिंग विधान का एक दोष यह है कि यह भारतीय मुद्रा बाजार के एक बहुत महत्व-पूर्ण अग्र बो नियन्त्रित नहीं करता है। देश में बैंकिंग के विकास एवं संगठन के लिये तथा साथ व मुद्रा के संतुलित नियन्त्रण के लिये स्वदेशी बैंकिंग पर नियन्त्रण की बहुत आवश्यकता है। (ii) बैंकिंग विधान सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होता—अनुभव ऐ पता चला है कि महकारी बैंकों कम अधिक मात्रा में व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता करते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि दोनों प्रकार की बैंकिंग प्रणालियों को समान नियमों से नियन्त्रित किया जाय। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता, तब सहकारी बैंकों के कार्य-शेष की बैंधानिक शीति से सीमित कर देना चाहिए। अतः भारतीय बैंकिंग विधान का यह भी दोष है कि यह सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होने पाता है। (iii) सम्पत्ति की तरलता (Liquidity):—बैंकिंग विधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक दोंक की सम्पत्ति उसकी मोर्च-देय और काल-देय के एक निश्चित अनुपात में रहेगी। आलोचकों का मत है कि विधान में वजाय उक्त व्यवस्था करने के यह व्यवस्था की जानी चाहिये थी कि दोंक सम्पत्ते पास एक विदेश प्रकार की ही सम्पत्ति रखने ताकि आवश्यकता के समय में रिजर्व दोंक से इस सम्पत्ति के आधार पर छुए ले सकें। आलोचकों ने अपने मत की पुष्टि इस तरफ से की है कि भारत में अधिकांश दोंकों का विलियन (Liquidation) इस कारण से नहीं हुआ वयोंके बनके पास पर्याप्त सम्पत्ति का अभाव या वरद इनका मुख्य कारण उनकी सम्पत्ति में तरलता (Liquidity) का अभाव या। अतः आलोचकों का मत है कि सम्पत्ति भी तरलता के लिये विशेष बैंधानिक प्रतिवर्त्यों का भारतीय बैंकिंग विधान में अभाव है।

निरायं—भारतीय बैंकिंग विधान में कुछ उत्तितिवित दोष रहते हैं जो यह

रहा जा सकता है कि बैंकिंग विधान के बन जाने से भारतीय देंकों का विकास अब बहुत हड़ आधार पर हो सकेगा। अचल-सम्पत्ति की आड पर या अर्थात् जमानद के आधार पर अब बहुत अधिक माला में देना देंक के सचालकों एवं प्रबन्धकों द्वाया उनके सम्बन्धियों को कहा देना, विना सोब दिचार किये शासाधों को खोलना जिससे असामकर शासाधों का स्थापित होना, वडे वडे नशरों व व्यापारिक दोनों में ही देंकों का विद्रित होना, कुछ व्यापारों के साथ देंकों का देंक सम्बंधी अनुचित सम्बद्ध स्थापित होना, योग्य व कुशल अभेद्यारियों की नियुक्ति न करना या इनका अभाव सचित कोष का अभाव या इनकी अपर्याप्तता, विना पर्याप्त सचित कोष रखें, देंक के साम का बंटवारा करना आदि भादि अनेक दोष अब बैंकिंग विधान के बन जाने से बहुत तुष्ट दूर हो गये हैं जिससे एक और जमानताधों (Depositors) के हित की रक्षा होने लगी है और दूसरी ओर भारतीय देंकों पर समय-समय पर जो प्राधिक सकट आते रहते हैं उनसे उनकी रक्षा होने लगी है क्योंकि विधान द्वारा रिजव देंक को इतने अधिक अधिकार मिल गये हैं कि वह सकट के समय देंकों की तुरंत सहायता कर देता है और उन्हें टूटने से बचा ले रहा है। इस तरह अब यह आशा हो गई है कि बैंकिंग विधान द्वारा भारतीय बैंकिंग का विकास सुधारित व सुव्यवधार पर हो सकेगा और एक सुधारवस्थित बैंकिंग प्रणाली द्वारा देश का धार्यित वस्त्याण हो सकेगा।

### परीक्षा-प्रश्न

#### Agra University B Com

१. भारत में १८४७ के बाद बैंकिंग के क्षम में हाते याते महत्वपूर्ण परिवर्तनों को उनके वदेश्य तथा मुख्य विषयाओं सहित बताइये। (१९६०)

#### Rajputana University, B. Com

1 Discuss the main defects of the Indian Banking Organisation. How far has the recent banking legislation in India removed them? Explain (1955)

#### Allahabad University B Com

1 Write a note on - Bank Return (1956)

#### Gorakhpur University, B Com

1 Discuss the part played by legislation in the development of Joint Stock Banking in the U S A and India (Pt II 1959)

#### Nagpur University B. A

1 भारतीय अधिकोषण की रचना में जो ग्यूनतायें हैं उनका वर्णन कीजिये। वे १८४६ के बैंकिंग कम्पनीज एकट से कहाँ तक दूर हैं? (१९५६)।

## अध्याय ११

# रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

(Reserve Bank of India)

प्रारंभन.—भारत में बहुत समय से ही एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता अनुभव की गई थी। किन्तु इस ओर जितने भी प्रयत्न किए गए वे सब असफल ही रहे। सन् १९२० में स्वर्ण मान के पुनः संस्थापन के लिए ब्रूसेल्स (Brussels) की अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-परिषद् (International Economic Conference) ने यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि “जिन देशों ने केन्द्रीय बैंक नहीं हैं, वहाँ पर शीघ्र ही एक केन्द्रीय बैंक स्थापित किया जाय।” भारत सरकार ने स्वर्ण-मान की पोजना को सफल बनाने तथा देश में केन्द्रीय बैंक के अभाव को दूर करने के हेतु सन् १९२० में इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया (अब इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया हो गया है) स्थापित किया। यह अनुभव किया गया कि केन्द्रीय बैंक के हाप में इम्पीरियल बैंक का नाम सलोपजनन नहीं था और देश की मुद्रा व साल पर दोहरा नियन्त्रण (सरकार व इम्पीरियल बैंक दोनों का) रहता था जिससे देश में एक पृथक् से केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता अनुभव की गई। सन् १९२७ में हिल्टन-यूंग कमीशन (Hilton Young Commission) ने भी यह अनुभव किया कि जब किसी देश में मुद्रा व साल पर दो पृथक्-पृथक् सस्थाओं का नियन्त्रण रहता है तब प्रगती में दोप का होना स्वाभाविक ही है क्योंकि इन दोनों सस्थाओं की नीति में भिन्नता हो सकती है। इसीलिये इस कमीशन ने उक्त दोप को दूर करने के लिये भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की थी। देश के अधिकार अवशास्त्रियों एवं विचारकों वा भी यही मत था कि साल व मुद्रा के उचित सचालन एवं नियन्त्रण के लिये भारत में एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता है।

भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना क्यों की गई? (Why was the Reserve Bank of India Established?);—रिजर्व बैंक की स्थापना कई कारणों से ही गई थी:—(i) देश में मुद्रा व साल का समुचित प्रबन्ध—जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, रिजर्व बैंक की स्थापना के पहले देश में मुद्रा पर नियन्त्रण सरकार वा तथा साल पर नियन्त्रण इम्पीरियल बैंक था। मुद्रा व साल पर इस दोहरे नियन्त्रण के कारण देश में व्यापारिक आवश्यकताओं के प्रनुपार मुद्रा एवं साल का समायोजन (Adjustment) नहीं होता था जिससे देश की मुद्रा व साल में भी उचित सम्बन्ध स्थापित नहीं होते पाता था। अतः मुद्रा एवं साल का समुचित प्रबन्ध करने के हेतु देश में रिजर्व बैंक की आवश्यकता थी और इसी कारण इसका निर्माण भी किया गया। (ii) रप्ये के आन्तरिक व बाह्य मूल्य में स्थिरता—देवल रिजर्व बैंक ही मुद्रा व साल की मात्रा में देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार सहुचन व प्रसार करके रप्ये के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता लायी गयी। इसी उपर देवल रिजर्व बैंक ही रप्ये के बाह्य-मूल्य में भी स्थिरता लायी गयी। अतः रप्ये के

आन्तरिक व बाह्य मूल्य में स्थिरता लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। (iii) बैंकों के नकद बोधों का केन्द्रीयकरण—रिजर्व बैंक की स्थापना ही इस कारण भी की गई ताकि विभिन्न बैंकों के नकद-बोधों का केन्द्रीकरण हो सके और इस निधि (Reserves) का बैंकों की सहायता के लिए उपयोग किया जा सके ताकि देश की मुद्रा एवं साधा पढ़ति लोचदार हो सके। (iv) सार्व जनिक अर्थों की व्यवस्था—सरकार वे दोंके वे हृषि म वार्ष बरने के लिए भी रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक ही सार्वजनिक-भौतिकों का प्रबन्ध कर सकता था, सरकार की आवश्यकता के समय आर्थिक सहायता दे सकता था, मुद्रा एवं साधा व आर्थिक भागों में सलाह दे सकता था। यद्यपि इनमें से दुद्दवार्य इम्पीरियल बैंक हारा किए जाते थे, परन्तु मह बैंक इन्हें उचित ढंग से नहीं बरने पाता था। (v), छृष्टि अर्थ-व्यवस्था—कृषि-साधा की उचित व्यवस्था बरने के लिए भी रिजर्व बैंक की नितान्त आवश्यकता थी। (vi) बैंकिंग का विकास—देश में बैंकिंग प्रणाली का सुसंगठित विकास के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। (vii) मुद्रा बाजार का संगठन—मुद्रा-बाजार के विभिन्न अवयों को सुसंगठित बरने के हेतु भी रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। (viii) विभिन्न देशों में मौद्रिक सम्पर्क—सासार वे विभिन्न देशों से (विदेशी एवं देशी देशों से) जहाँ पर बैंकिंग बैंक स्थापित हो चुके थे) मौद्रिक संपर्क स्थापित करने तथा इसको बढ़ाने के हेतु भी रिजर्व बैंक का निर्माण किया गया था। अत यह स्पष्ट है कि उक्त विलिखित कुछ मुख्य कार्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति बरने के लिये ही देश में एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता समझी गई और इसीलिए इन्हीं की पूर्ति के हेतु सन् १८५४ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एकद पास हुआ तथा १ अप्रैल १८५५ से इस बैंक ने अपना वार्ष जारी कर दिया।

इम्पीरियल बैंक को ही देश पाक केन्द्रीय बैंक व्यों नहीं बनाया गया? (Why was the Imperial Bank not made the Central Bank of India?) — इसके बई मुख्य कारण थे—(i) देश के बैंकों का इम्पीरियल बैंक में विश्वास—इम्पीरियल बैंक की बाय प्रणाली इस प्रकार की थी कि वह देश में स्थित अन्य बैंकों से प्रतियोगिता किया बरता था जिनका कारण इन बैंकों का इम्पीरियल बैंक में बोर्ड विश्वास नहीं था। इस देश में इम्पीरियल बैंक को एक केन्द्रीय बैंक के रूप में सताप्रद तरीके से चलाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था क्योंकि अन्य बैंकों पर उसका प्रभाव पहल स हो बहुत कम होने के कारण इसकी केन्द्रीय दोंडे के रूप में वार्षिक अमंता में बहुत कम विश्वास था। (ii) व्यापारिक कार्यों का अग्रता—विसी भी देश का केन्द्रीय बैंक इतनी अधिक संस्था में शाखाएँ नहीं रख सकता है जितनी कि इम्पीरियल दोंडे न खाल रखती थी। अत इम्पीरियल बैंक को देश का केन्द्रीय नैक बनाने का यह अर्थ होता कि एक तरफ तो इसकी नई-नई शाखाओं के खुलने पर रोक लग जाती और दूसरी ओर बहुत शाखाएँ बन्द कर दी जाती। देश की उस समय की बैंकिंग-व्यवस्था में बैंकिंग सुविधाओं का कम बरना उचित नहीं होता। यही नहीं इम्पीरियल बैंक को देश का केन्द्रीय नैक बनाने का एक और परिणाम यह होता कि

इसे अपने व्यापारिक कार्यों को त्वारणा पड़ता जो भी राष्ट्रेदा उचित नहीं था। (iii) इम्पीरियल बैंक के संचालक मण्डल का विरोध — इम्पीरियल बैंक का संचालन मण्डल इस बैंक के साधारण दीर्घि कार्यों को द्योड़ने के पश्च में नहीं था। (iv) चलन के प्रबन्ध का अधिकार —एक केन्द्रीय बैंक के नाते इम्पीरियल बैंक को देश में चलन के प्रबन्ध का अधिकार दे दिया जाता। परन्तु उसके पास इस अधिकार के दुष्योग का भय था। इन सब कारणों से यह निश्चय किया गया कि इम्पीरियल बैंक को ही केन्द्रीय बैंक में परिवर्तित नहीं करना चाहिये वरन् देश में एक नये सिरे से केन्द्रीय बैंक स्थापित किया जाना चाहिये ताकि यह नया बैंक अपनी नई—नई परम्पराएँ (Traditions) बना सके।

### शेयर-होल्डर्स का बैंक या सरकारी बैंक

#### (Shareholders Bank versus Government Bank)

प्रावक्षयन:—रिजर्व बैंक भाँक इन्डिया एक्ट बनाने से पहले इस सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई कि यह बैंक अशाधारियों (Share-holders) का बैंक हो या सरकारी बैंक हो। दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किये और अन्त में उस समय तय किया गया कि यह अशाधारियों का बैंक होना चाहिये।

अशाधारियों का बैंक के पक्ष में वकील:—(Arguments in favour of Share-holders Bank):—(i) राष्ट्र के आधिक हित के दृष्टिकोण से रिजर्व बैंक पर किसी भी राजनीतिक दल का प्रभाव नहीं होगा चाहिये ताकि बैंक अपना कार्य स्वतन्त्रतापूर्वक कर सके। यदि रिजर्व बैंक सरकार वा बैंक होगा तब इस पर कुछ न कुछ राजनीतिक प्रभाव अवश्य रहेगा जिससे इसके कार्यों में राजनीतिक पथ-पात एवं भेद-भाव के बारण वापा प्रवश्य रहेंगी। अतः रिजर्व बैंक अशाधारियों का बैंक होना चाहिये। (ii) सन् १८३४ तक उसार के प्रमुख राष्ट्रों के बैंक के केन्द्रीय बैंक अशाधारियों के बैंक थे। इस कारण रिजर्व बैंक का भी हिस्सेदारी वा बैंक होना उचित रामबाण गया। (iii) एक शेयर-होल्डर्स के बैंक में भिन्न-भिन्न हितों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। बैंक की नीति एवं शेयर-होल्डर्स के हितों की रखों का विवित इसके संचालकों पर होता है। पूँजीपतियों के प्रभाव उथा लाभ के उचित विभाजन की रामस्या को ब्रातून द्वारा हल किया जा सकता है और वास्तव में रिजर्व बैंक एकट में ऐसा किया भी गया है। अतः विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व उथा वार्षिक दसता की दृष्टि से रिजर्व बैंक को शेयर-होल्डर्स का बैंक होना चाहिये। (iv) सन् १८३४ से पहले भारत सरकार ने मुद्रा-नीति राष्ट्र के हितों के विद्ध होती चली जा रही थी जिसके बारण जनता रिजर्व बैंक को हिस्सेदारों वा बैंक ही बनवाना चाहती थी। इन राव तर्कों के आधार पर सन् १८३४ में रिजर्व बैंक एक हिस्सेदारी वा बैंक बना दिया गया और इस रूप में इस बैंक ने ३१ दिसम्बर १८४८ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् रिजर्व बैंक वा सरकारी बैंक बनाने का प्रसन किया। खूँकि प्राप्त सभी राष्ट्रों में केन्द्रीय बैंकों को सरकारी बैंक बनाया जा रहा था, इसलिए भारत सरकार ने भी १ जनवरी १८४८ से इसका राष्ट्रीयात्मण कर दिया।

सरकार का वेक के पक्ष में दलील — (Arguments in favour of Nationalisation of the Reserve Bank) —रिजर्व बैंक को सरकारी होने वनाने के पक्ष में समय-समय पर जो युक्तियाँ दी गई थीं, उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं—

- (i) पुढ़ोत्तर काल की पुनर्निर्माण योजनाये —पुढ़ोत्तर-काल (Post-war Period) में देश ने आविष्कार पुनर्निर्माण अथवा पुनर्संगठन से सम्बन्धित जितनी भी योजनाएँ थीं उनकी सफलता के लिये रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था और इसलिये १ जनवरी १९४६ से इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। (ii) पुढ़ काल में रिजर्व बैंक की दोषपूर्ण मुद्रानीति —रिजर्व बैंक की पुढ़-वालीन दोषपूर्ण मुद्रा नीति के कारण भारत में बहुत अधिक मुद्रा प्रसार हो गया था जिसके परिणामस्वरूप मूल्य स्तर भी बहुत बढ़ गया था। इस दोषपूर्ण स्थिति में मुधार रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण द्वारा ही हो सकता था। (iii) सरकार की आविष्कार तथा मुद्रा-नीति —सरकार के द्वारा निर्धारित आविष्कार और मुद्रा-नीति केन्द्रीय बैंक द्वारा ही सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर सकता है जबकि इस पर सरकार का स्वामित्व होता है। इसीलिए लगभग तमाम प्रगतिशील देशों में केन्द्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में भी उक्त उद्देश्य की पूर्ति तब ही हो सकती थी जबकि यहाँ के रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। अत रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में बल ढाला गया है। (iv) पूँजीपतियों का बैंक पर प्रभाव —कुछ व्यक्तियों का यह मत था कि पिछों खुद वर्षों से रिजर्व बैंक पर पूँजीपतियों का बहुत अधिक प्रभाव हो गया था। यह स्थिति देश-हित में नहीं थी। अत बैंक पर पूँजीपतियों के प्रभाव को बम बरने अथवा दूर बरने के लिए बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था। (v) भारतीय मुद्रा बाजार का संगठन —रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा-बाजार के विभिन्न ग्रामों को मुसगटित नहीं कर सका और विदेशी बैंकों को अपनी अनेक योजनाओं से भी नियन्त्रित नहीं कर सका। राष्ट्रीयकरण से भारतीय मुद्रा-बाजार के इन दोषों को दूर हो जाने की पूर्ण आशा है। (vi) बैंकों से आवश्यक विवरण की प्राप्ति —एक हिस्सेदारों द्वारा बैंक होने के कारण रिजर्व बैंक का दश के विभिन्न बैंकों से बैंकिंग सम्बन्धी अनक आवश्यक विवरण प्राप्त करन म बहुत कठिनाई अनुभव होती थी। परन्तु बैंक का राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् इसे इन बैंकों से आवश्यक सूचना प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई नहीं हो सकती थी वयोंकि तब यह एक सरकारी नियम होने के कारण इसे विभिन्न विवरण दृढ़ आसानी से प्राप्त हो जात। अत बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया। (vii) देश में बैंकिंग का विकास —देश में बैंकिंग-प्रणाली के समुचित विकास के लिये रिजर्व बैंक को बनेक अधिकार दिये गये हैं। बैंकिंग कम्पनीज एवं १९४६ द्वारा तो इस बैंक को और भी अधिक अधिकार सौंपे गये हैं ताकि देश में बैंकों की कार्यधर्मता में बहुत वृद्धि हो जाय। रिजर्व बैंक अपने इन अधिकारों का तभी अच्छी प्रकार से उपयोग कर सकता था जबकि इसका राष्ट्रीयकरण हो जाय। अत देश में बैंकिंग स्तर में मुधार लाने के लिये इसका राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया है। (viii) अनेक आविष्कार समस्याओं का हल —पुढ़-वालीन परिस्थितियों के कारण लगभग प्रत्यक्ष

देश की आर्थिक व्यवस्था अस्तन्यस्त हो गई थी और प्रत्येक देश के समक्ष अपनी-अपनी अनेक आर्थिक समस्याएँ थी, जैसे—विदेशी विनियम की दर में स्थिरता, विदेशी व्यापार में स्थिरता, भुगतान का संतुलन, आर्थिक विपक्षता का निवारण, उत्पादन में वृद्धि, आय व रोजगार में वृद्धि आदि। इनमें से बहुत सी समस्याएँ इस प्रकार की थी कि इनका हल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I. M. F.) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (I. B. R. & D.) द्वारा ही प्राप्त हो सकता था। दोनों अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रक संस्थाओं का किसी देश से व्यवहार वहाँ के केन्द्रीय बैंक द्वारा ही होता है। अतः चूंकि रिजर्व बैंक को इन महत्व-पूर्ण कारों को करना था, इस कारण ऐसे बैंक का जन-हित में राष्ट्रीयवरण करना ही आवश्यक समझा गया। (xi) रिजर्व बैंक के कार्य बहुत व्यापक हैं—चूंकि रिजर्व बैंक के कार्य तथा अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिये बैंक पर स्वामित्व सरकार वा ही होना चाहिये। इन सब कारणों से रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के विरद्ध कुछ घोड़े से आधों होते हुये भी इसका १ जनवरी १९४९ को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

### रिजर्व बैंक का वर्तमान विधान

#### (Present Constitution of the Reserve Bank)

(१) पूँजी (Capital):—सन् १९३५ में रिजर्व बैंक ने एक अंशधारियों के बैंक के हृष में कार्य आरम्भ किया और इसकी कुल अंश पूँजी (Share Capital) ५ करोड़ रुपया रखी, जिसे १००-१०० रुपये के पूर्णतया भौतित (Fully Paid) अंशों में बांटा गया था। ताकि बैंक की सचालन-शक्ति कुछ थोड़े से ही हाथों में केन्द्रित नहीं होने पाये, इसलिये उस समय देश को पांच क्षेत्रों में बांटा गया था—दिल्ली, बम्बई, मद्रास, बलकत्ता, तथा रंगून और प्रत्येक क्षेत्र से प्राप्त वीजाने वाली पूँजी की मात्रा वो निर्धारित कर दिया गया, जो इस प्रकार थी—दिल्ली १५ लाख रुपये, बम्बई १४० लाख रुपये, मद्रास ७० लाख रुपये, बलकत्ता, १४५ लाख रुपये तथा रंगून ३० लाख रुपये। परन्तु कुछ ही वर्षों में हस्तान्तरण द्वारा संगभग सारे अंश बम्बई क्षेत्र में ही केन्द्रित हो भेंते और जिस उद्देश्य से देश को पांच क्षेत्रों में बाट कर विभिन्न क्षेत्रों में एक निर्धारित रकम के हिस्से बेंते गये थे, वह उद्देश्य ही लगभग समाप्त हो गया। यद्यपि प्रारम्भ में प्रत्येक व्यक्ति को केवल पांच हिस्से ही दिये गये थे, परन्तु कुछ ही समय में हस्तान्तरण द्वारा कुछ व्यक्तियों ने बहुत अधिक संख्या में हिस्से खरीद लिये। वाध्य होने पर सन् १९४० में सरकार ने यह नियम बना दिया कि किसी भी व्यक्ति के पास २० हजार रुपये मूल्य से अधिक के हिस्से नहीं हो सकते और यदि किसी व्यक्ति के पास स्वयं पक्षने नाम से या साझे से इस रकम से अधिक के हिस्से हो जायेंगे तब उसका नाम अंशधारियों की गूची से बाट दिया जायगा।० परन्तु यह नियम भी हिस्सों को बम्बई क्षेत्र

ब्राष्ट्रीयवरण से पहले अंशधारियों को मतदान का अधिकार (Right of Voting) था, परन्तु प्रत्येक अंशधारी की मतदान की संख्या सीमित रक्ती गई थी। उनाव के समय प्रत्येक अंशधारी प्रति पांच थंडों के लिये एक मत दे सकता था और मत की संख्या अधिक से अधिक दस थी।

में केन्द्रित होन से नहीं रोक सका। यह स्मरण रहे कि केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय धारा-सभा (Parliament) को पूर्व अनुमति होने पर अवधा मुसद (Parliament) की सिफारिश होन पर बैंक की अश पूँजी वर्म या अधिक की जा सकती है। रिजर्व बैंक की पूँजी आज भी राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ५ करोड़ रुपये की है, परन्तु अब इस रकम के तमाम हिस्से सरकार के पास हैं। सरकार ने बैंक के तमाम हिस्से १०० के बदले में ११८ रुपये १० आरोड़ देकर मरीद लिये हैं। इस राशिका १८ रुपये १० आरोड़ मुगतान नवद (Cash) में दिया गया तथा शेष १०० रुपये १० आरोड़ मुगतान नवद (First Development Loans) दिये गये जिनका भुगतान सन् १९७० आसन् १९५७ में सरकार की इच्छानुसार तीन माह की पूर्व सूचना के बाद किया जायगा।

(२) प्रबन्ध (Management) — १. जनवरी सबू १९३२ से, रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, इस बैंक का प्रबन्ध भारत सरकार के हाथ में चला गया है। सरकार बैंक के गवर्नर (Governor of the Reserve Bank of India) की सम्मति से राष्ट्रीय एवं जनन्हित की दृष्टि से बैंक को समय-समय पर आदेश देती रहती है और बैंक का केन्द्रीय बोर्ड (Central Board) इन आदेशों के अनुसार बैंक का सचालन करता है। बैंक के गवर्नर वो केन्द्रीय बोर्ड के आदेशों का पालन करना पड़ता है। बर्तमान केन्द्रीय बोर्ड में १४ सदस्य हैं ० जिनमें नियुक्त विभिन्न हितों की रक्खा की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा वीजाती है—(अ) एक गवर्नर तथा दो उप-गवर्नर्स—इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्षों की अवधि के लिये की जाती है। ये वेतन प्राप्त कर्मचारी होते हैं और इनका वेतन केन्द्रीय सरकार की सलाह से केन्द्रीय बोर्ड नियित करता है। (आ) स्थानीय शोड़ों में से नियुक्त सचालक (Directors) —केन्द्रीय बोर्ड में चार सचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा चार स्थानीय बोर्डों (Local Boards) के सदस्य में से प्रत्येक बाड़ में से एक के हिमाव से, नियुक्त किये जाते हैं। इन सचालकों की भी अवधि पांच वर्ष होती है परन्तु इस अवधि के समाप्त होने पर इनको पुन नियुक्त किया जा सकता है। (इ) दूसरा सचालक —केन्द्रीय बोर्ड में सचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं इनमें से प्रत्येक दो बारी-बारी से एक, दो तथा तीन वर्ष के बाद निरूत (Retired) होते रहते हैं। (ई) सरकारी कर्मचारी —केन्द्रीय बोर्ड में एक सरकारी कर्मचारी भी केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा। यह केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार किसी भी समय तक काम कर सकता है परन्तु इस कर्मचारी को मनदान का अधिकार (Right of Voting) नहीं होता है। केन्द्रीय बोर्ड की एक वर्ष में कम से कम छ बैठक होती चाहिए, परन्तु तीन महीने में एक बैठक अवश्य होनी चाहिये। गवर्नर की यह अधिकार है कि वह

केन्द्रीयकरण से पहले केन्द्रीय बाड़ में १८ सदस्य होते थे जिनमें से १ गवर्नर तथा २ उप-गवर्नर सरकार द्वारा नियुक्त होते थे, ४ सचालक मरकार नियुक्त करती थी, द सचालक विभिन्न धेत्रों में विद्यार्थी निवाचित (Elect) करते थे और १ सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था।

बोर्ड की बैठक बुला सकता है। इसी तरह कोई तीन मचालक गवर्नर से बोर्ड की बैठक बुलाने के लिये निवेदन कर सकते हैं।

स्थानीय प्रबन्ध के लिये चार स्थानीय बोर्ड क्रमशः बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली में हैं। ५ ये बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड के आदेशानुसार प्रबन्ध करते हैं तथा पूछे जाने पर आवश्यक मामलों पर अपनी सम्पत्ति देते हैं। प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में पांच सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है। ये चार बोर्ड इस प्रकार हैं—उत्तर प्रदेश बोर्ड, दक्षिण-प्रदेश बोर्ड, पूर्व-प्रदेश बोर्ड तथा पश्चिमी-प्रदेश बोर्ड।

(३) बैंक के कार्यालय (Office of the Bank).—इस समय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा कानपुर में हैं।<sup>१</sup> इसकी शाखाएँ लम्बन, लाहौर व कराची में भी हैं। केन्द्रीय सरकार को आज्ञा से रिजर्व बैंक किसी भी स्थान पर अपनी शाखा खोल सकता है। रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (भूतपूर्व इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया) को जहाँ-जहाँ पर इसकी शाखाएँ हैं वहाँ पर इसे अपना एकमात्र एजेंट नियुक्त किया हुआ है। रिजर्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय अब स्थायी रूप से बम्बई में है।

(४) बैंक का संगठन (Organisation)—रिजर्व बैंक के कई प्रमुख विभाग हैं:—

(i) नोट-प्रकाशन विभाग (Note-Issue Department):—इस विभाग का प्रमुख कार्य पन्न-मुद्रा चलन करना है। इस विभाग के दो उप-विभाग हैं:—(अ) कोषाच्यक्ष-विभाग:—इस उप-विभाग का कार्य नोट निकालना तथा पन्न-मुद्राओं का प्रधान एवं गोण मुद्राओं का परिवर्तन करना है। (आ) साधारण विभाग:—इस उप-विभाग का साध्य नोटों को जांचने, इन्हे रद्द करने, हिसाब रखने तथा आन्तरिक अकेशण (Auditing) आदि वरने का है। इस नोट-प्रकाशन विभाग ने सरकारी चलन-विभाग की अवस्था अपने हाथ में ले ली है और इस विभाग को ही स्वर्ण-मान-निधि (Gold Standard Reserve) का भी हस्तान्तरण हो गया है। (ii) बैंकिंग विभाग (Banking Department).—इस विभाग वा निर्माण १ बुलाई १९३५ को हुआ था। इस विभाग ने आरम्भ से ही अनुसूची-दण्ड बैंकों (Scheduled Banks) की माग-देय (Demand Liabilities) तथा काल-देय (Time Liabilities) ता क्रमशः ५% और २% भाग अपने पास जमा (Deposit) के रूप में रखना आरम्भ किया

० राष्ट्रीयरण से पहले स्थानीय बोर्डों (Local Boards) की सत्या पांच थी—दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई तथा रायगढ़। प्रत्येक बोर्ड में आठ सदस्य होते थे जिनमें से पांच सदस्य समन्वित देवत के हिस्सेदारों द्वारा चुने जाते थे और शेष तीन सदस्य केन्द्रीय बोर्ड द्वारा स्थानीय हिस्सेदारों में से नियुक्त किये जाते थे और ये भिन्न-भिन्न हितों के प्रतिनिधित्व करते थे। स्थानीय बोर्डों का प्रमुख कार्य केन्द्रीय बोर्ड के लिये सचालक चुनना तथा उसके पूर्दने पर आवश्यक मामलों पर सलाह देना था।

<sup>१</sup> द्वितीय महायुद्ध काल में रायगढ़ का कार्यालय बन्द कर दिया था, परन्तु युद्ध की समाप्ति के पश्चात् इसे दुबारा नहीं लोला गया।

और यह बैंकों को आवश्यकता के समय सहायता देता है। यह विभाग समाचारपत्र गृह (Clearing House) का वार्षिक कारता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग अन्य बहुत से कार्य भी करता है, जैसे—सरकार की ओर से लेन देन करना, सरकारी झूले की व्यवस्था करना, सरकारी धन का हस्तान्तरण करना, सरकार को आर्थिक सहायता देना, बैंकों को आर्थिक सलाह देना आदि। (iii) कृषि-साख विभाग—इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं—केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों, प्रान्तीय सहकारी बैंक तथा अन्य बैंकिंग संस्थाओं की कृषि साख सम्बन्धी नीति निर्धारित करना, कृषि-साख के सम्बन्ध में खोज करने के लिए विदेशी बौद्धिकों को नियुक्त करना आदि। (iv) विदेशी विनियम विभाग (Foreign Exchange Department)—द्वितीय महायुद्ध काल में स्वतन्त्र रूप में यह विभाग लोका गया था। विनियम दर को स्थायी रखने के उद्देश्य से यह विभाग निश्चित दर पर विदेशी विनियम का क्रय विक्रय करता है। (v) बैंकिंग क्रियाओं का विभाग (Department of Banking Operations)—इस विभाग के तीन उप विभाग हैं—  
 (a) सचालन विभाग (Operation Division)—यह उप विभाग उन सब बार्यों को करता है जो रिजर्व बैंक को एक बैंक के नाते करने पड़ते हैं। (आ) निरीक्षण विभाग (Inspection Division)—इस उप-विभाग के मुख्य कार्य हैं—बैंकों का वार्षिक निरीक्षण करना और इस बात को दखना जि वे सरकार अथवा रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये हुये आदेशों का बहाँ तक पालन करते हैं बैंकों द्वारा भेजे गये विभिन्न प्रकार के विवरण-पत्रों की जांच करना, बैंकों के दोषों को दूर करने के लिये एक वार्षिक रिपोर्ट अपने सुझावों सहित प्रकाशित करना आदि। इस विभाग के कार्य ही ऐसे हैं कि यह बैंकिंग पढ़ति वा उचित नियन्त्रण करके इसे सुरक्षा और सुसग्गित बनाने म सक्षम हो सकेगा। (इ) निस्तारण विभाग (Liquidation Division)—यह उप-विभाग बैंकों के बन्द कर देने से सम्बन्धित कार्यों को करता है। इस तरह आज यह विभाग तन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज एकट हारा रिजर्व बैंक को दिये गये अनेक अधिकारों को उचित ढंग से काम में लाने में सहायता होता है। (vi) अन्वेषण तथा समक विभाग (Department of Research and Statistics)—इस विभाग वा बार्य, मुख्यत मुद्रा साख, कृषि, उत्पादन, लाभाश, ब्याज दर, मुद्रा बाजार आदि विभिन्न विषयों सम्बन्धी अन्वेषण एवं अनुमधान (Research) करना तथा इन विषयों से सम्बन्धित आंकड़ों को प्रकाशित करना है। रिजर्व बैंक का यह विभाग मुद्रा व बर्प सम्बन्धी एक वार्षिक रिपोर्ट एक गासिक पत्र आदि प्रकाशित करता है।

### रिजर्व बैंक के कार्य (Functions of the Reserve Bank)

प्राक्षयन—रिजर्व बैंक भारत का बेन्द्रीय बैंक है और इसलिए यह उन सब बार्यों को करता है जो एक बेन्द्रीय बैंक द्वारा किये जाते हैं। किसी एक बेन्द्रीय बैंक के विभिन बार्यों वा विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में अन्य स्थान पर “बेन्द्रीय बैंक” नामक शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है। इसीलिए यहाँ पर रिजर्व बैंक के बार्यों का संक्षिप्त में ही वर्णन किया जायगा। रिजर्व बैंक के बार्यों को दो शणियों में विभाजित किया जा सकता है—(अ) केन्द्रीय बैंक के बार्य तथा (आ) साधारण बैंक के बार्य।

(अ) केन्द्रीय बैंकिंग कार्यः—रिजर्व बैंक देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते यह निम्नलिखित केन्द्रीय बैंकिंग कार्य करता हैः—

(i) नोट-निर्गम कार्य (Issue of Paper Currency)—रिजर्व बैंक को पत्र-मुद्रा प्रकाशित करने का एकाधिकार प्राप्त है। इस बैंक ने सर्वप्रथम सन् १९३८ में प्रपनी पत्र-मुद्राएँ प्रकाशित की थीं। यह कार्य पत्र-चलन-विभाग (Note Issue Department) द्वारा सम्पन्न किया जाता है। यह विभाग बैंकिंग विभाग से पृथक् होता है तथा इसका स्थिति विवरण (Balance Sheet) भी पृथक् से बनाया जाता है और इसे साप्ताहिक प्रकाशित किया जाता है। नोट निर्गम प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिये यह व्यवस्था की गई है कि रिजर्व बैंक को पत्र मुद्रा की सुरक्षा के लिए सुरक्षित कोष रखना होगा। इस कोष का नाम पत्र-मुद्रा निधि (Paper Currency Reserve) है। कोष की सम्पत्ति में स्वर्ण-मुद्रा स्वर्ण, स्ट्रिंग प्रतिभूतियाँ (Sterling Securities) रुपए के सिवके, रुपए की प्रतिभूतियाँ (Rupee Securities) आदि का समावेश होता है। सन् १९४६ से पहले इस कुल सम्पत्ति का ४०% भाग स्वर्ण, स्वर्ण-मुद्रा तथा विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता था जिसमें किसी भी समय ४० करोड़ रुपए से कम का स्वर्ण नहीं होना चाहिए था। स्वर्ण का मूल्यांकन द०४७५१२ ग्रैन प्रति रुपए की दर से किया जाता था अर्थात् स्वर्ण का मूल्य २१ रुपये ३ आने १० पाई प्रति तोला के हिसाब से लगाया जाता था। परन्तु प्रतिभूतियों (Securities) का मूल्यांकन उनके बाजार-मूल्य के हिसाब से किया जाता है। उक्त कोष की सम्पत्ति का शेष ६०% भाग रुपये में, सरकारी प्रतिभूतियों में, स्वीकृति व्यापारिक विलों के रूप में रखता जाता था। रुपयों का मूल्य उनके अकित मूल्य (Face Value) से तथा प्रतिभूतियों का मूल्य इनके बाजार-मूल्य के हिसाब से लगाया जाता है। रिजर्व बैंक के चलन-विभाग में सम्पत्ति के अन्तर्गत केवल वे ही विदेशी प्रतिभूतियाँ रखती जाती हैं जिनका अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I.M.F.)' के सभासद देशों में ही भुगतान होने वाला होता है। इस समय रिजर्व बैंक २,५, १०, १००, १०००, रुपये के नोटों का प्रकाशन कर रहा है।<sup>१</sup>

सन् १९४६ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एकट में एक संशोधन हुआ जिसने देश में अनुपातिक कोष-निधि प्रणाली के स्थान पर स्थिर-स्वर्ण कोष प्रणाली<sup>२</sup>-या न्यूतत्सु<sup>३</sup> मुद्रा कोष प्रणाली (Minimum Reserve System) को जन्म दिया है। इस नई प्रणाली में रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग को नोट निर्गम के विरुद्ध कम से कम ४०० करोड़ रुपये की प्रतिभूतियाँ तथा ११५ करोड़ रुपये का सोना या सोने के सिवके सम्पत्ति के रूप में रखने पड़ते थे (सन् १९४६ से पहले रिजर्व बैंक के पास जो सोना था, उसका मूल्य २१.२४ रुपये प्रति तोला के हिसाब से आंका जाता था, परन्तु अब इस संशोधन के

<sup>१</sup> सन् १९४६ के मुद्रा के अद्व्यक्तरण (Demonetisation) से पहले रिजर्व बैंक ५०० ह० और १०,००० ह० नोट के प्रकाशित किया फरता था परन्तु अद्व्यक्तरण ऑडिनेन्स के कारण इन नोटों का प्रकाशन बन्द कर दिया गया है।

अनुमार अमुक सोने का मूल्याकन ६२ ५० रुपये प्रति तोने के हिमाच से किया जाने लगा है। इसीलिये स्वर्ण कोप में न्यूनतम स्वर्ण की सीमा ४० करोड़ रुपये से बढ़ादर ११५ करोड़ रुपए तक दी गई है।) अब तूबर सन् १९५७ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट भी किसी सदोधन किया गया। इस सदोधन के अनुमार रिजर्व बैंक ने निर्मम विभाग द्वारा रखते जाने वाले स्वर्ण के सिवके तथा विदेशी प्रतिभूतियों की अनुमानित दीमत कभी भी एवं विसी समय भी २०० करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिय। इस तरह आज्ञान विदेशी मिक्यूरिटीज की मात्रा ४०० करोड़ रुपये से घटावर (३००-११५) = ८५ करोड़ रुपये को कर दी गई है। यह अवश्य है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से इस मात्रा भी और भी बड़ी बड़ी जा सकती है। फलत भारतीय मुद्रा-प्रणाली अत्यधिक लोचदार हो गई है।

(ii) सरकारी बैंकर का धार्य (Banker to the State) —रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों के बैंकर का भी काम बरता है। यह विभिन्न सरकारों तथा सरकारी संस्थाओं से इयां प्राप्त बरता है तथा जितना ऐपया इस तरह प्राप्त हो जाता है उस सीमा तक सरकारों के आदेश से इसका भुगतान भी बरता है। सरकारों से उनकी जमा-राशि पर विसी प्रकार का व्याज नहीं दिया जाना है। रिजर्व बैंक सार्वजनिक ऋणों (Public Debts) की व्यवस्था बरता है। करण-सम्बन्धी जमा प्राप्त बरता है, ऋणों के व्याज का ददा असल का भुगतान बरता है, करण-भम्बन्धी हिसाब-विताव रखता है आदि। यह केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों की विसी भी अवधि की प्रति भूतियों (Securities) का ज्यो-वित्रय बरता है। सरकारी बैंकर होने के नाते यह सरकारों के लिये विदेशी विनियम बरता है तथा उनकी ओर से एक स्थान से दूसरे स्थान को धन का हस्तान्तरण बरता है। यह बैंक सरकार नो भी करण दिया बरता है परन्तु ये करण या माँग पर तुरल्त शोधनीय (Payment on Demand) होते हैं या काम-चलाऊ अप्रिम (Ways and Means Advances) के रूप में होते हैं जो अविक से अविक ६० दिन के अन्दर दोबनीय होते हैं। परम्परा ये करण पर्याप्त जमानत प्राप्त करके ही दिये जाते हैं। रिजर्व बैंक सरकारों के जो कुछ भी कार्य उनके बैंकर के हृष में बरता है उसके बदले में इसे कुछ भी प्रतिष्ठन (Remuneration) नहीं मिलना है क्योंकि वह विना व्याज दिये सरकार का हृषा अपने पास रखता है। परन्तु सरकारी हुडियों के बैंकने पर इसे प्रति १ लाख हृष के बिन पर दो हजार रुपया दमीशन के हृष म मिलता है। यह सरकार को मुद्रा, साथ तथा शार्थिक नीति सम्बन्धी सताह भी समय समय पर देता रहता है।

(iii) बैंकों के बैंक का कार्य —(Banker's Bank) —रिजर्व बैंक का यह नामांजा है कि वह बैंकों का नियन्त्रण, अप-बदलावन तथा समाज इके द्वारा से एक सम्बन्धित बैंकिंग प्रणाली का निर्माण करे। बैंकों का नियन्त्रण करने के हेतु यह अनुमती-बदल बैंकों (Scheduled Banks) की माँग-देव (Demand Liabilities) का ५% और काल-देव (Time Liabilities) का २% नकद-कोष अपने पास जमा रखता है। इस तरह बैंकों के नकद-कोषों का केन्द्रीयकरण हो जाता है। रिजर्व बैंक इसे विनियत धन-राशि

का उपयोग इन्हीं बैंकों की आर्थिक सहायता करने के लिये करता है वयोंकि वह देश के बैंकों का अन्तिम अग्रणीता (Lender of the last resort) है। इससे यह स्पृष्ट है कि जिस प्रकार देश के अन्य बैंक जनता से जमा पर रुपया प्राप्त करके उनको अरुण आदि देते हैं, उसी प्रकार रिजर्व बैंक देश के बैंकों से उपयुक्त जमा प्राप्त करके उन्हें आर्थिक संकट काल में अरुण देकर सहायता करता है। इस व्यवस्था से यह लाभ होता है कि आर्थिक संकट काल में देश को बैंकिंग-व्यवस्था अस्त-अस्त नहीं होने पाती है बरन् रिजर्व बैंक के नियन्त्रण द्वारा। इसका सुसगठित विकास हो जाता है। रिजर्व बैंक बैंक दर (Bank Rate) तथा खुले बाजार की ब्रिंगिंग (Open Market Operations) द्वारा बैंकों की जमा को घटा-बढ़ा कर उनकी साख-नीति को प्रभावित करता रहता है। यह समांशोधन-गृह (Clearing House) का कार्य करके भी बैंकों की सहायता करता है। सन् १९४१ के बैंकिंग कम्पनीज एक्ट ने रिजर्व बैंक पो देश के बैंकों को गियन्त्रित करने के लिये विदेशी अधिकार दिये हैं, जैसे—बैंकों को बैंकिंग कार्य करने के लिये लाइसेंस प्रदान करना, बैंकों की संख्या एवं नई शाखाओं पर नियन्त्रण करना, बैंकों की एकीकरण (Amalgamation) योजनाओं की जांच करके इनको स्वीकृत करना, बैंकों का निरीक्षण करना, कमज़ोर बैंकों का निस्तारण (Liquidation) करना, बैंकों की क्रृष्ण-नीति नियोगित करना, बैंकों के विभिन्न विवरण-पत्रों की जांच करना और दोषों के सुधार के लिये सुभाव देना; बैंकों को समय-समय पर सलाह देना आदि (“भारत में बैंकिंग विधान” नामक शीर्षक पढ़िये)। इस तरह रिजर्व बैंक बैंकों के बौक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है।

(iv) विदेशी विनियम का नियन्त्रण करना (Regulation of Foreign Exchange):—रिजर्व बैंक का यह कर्तव्य है कि वह रुपये का बाह्य-मूल्य (External Value of the rupee) स्थिर रखे। इसीलिये यह बैंक निश्चित दरों पर विदेशी विनियम का क्रय-विक्रय करता है। सन् १९४७ में भारत, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप (I. M. F.) का सदरमय बन गया और इस राष्ट्रपता के कारण देश ने स्टालिंग से जो भी अब तक का वैधानिक सम्बन्ध था तोड़ दिया। १० सन् १९४७ से रिजर्व बैंक ने न केवल स्टालिंग का ही क्रय-विक्रय किया है बरन् यह इन अन्य सब देशों की मुद्राओं का भी क्रय-विक्रय करता है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के सदस्य हैं, और विदेशी मुद्राओं का क्रय-

१ सन् १९४७ से पहले रिजर्व बैंक एक्ट की धारा ४० के अनुसार रिजर्व बैंक पर एक निश्चित दर पर स्टालिंग के क्रय-विक्रय की जिम्मेदारी थी। इसे स्टालिंग का क्रय-विक्रय क्रमशः १ शिं ६५ हूँ पंस तथा १ शिं ५५ हूँ पंस प्रति रुपया कीं दरों के मध्य में करना पड़ता था और यह क्रय-विक्रय भी कम से कम १०,००० पौंड स्टालिंग का होता था। सन् १९४७ में रिजर्व बैंक एक्ट की धारा ४० व ४१ में समांशोधन किया गया जिसके अनुसार रुपये और स्टालिंग का यह वैधानिक सम्बन्ध तोड़ दिया गया। यह संशोधन इस कारण आवश्यक हो गया था क्योंकि भारत सन् १९४७ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप का सदस्य बन गया था।

विक्रय उन दरों पर किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोप से निश्चित नहीं करती है। रिजर्व बैंक दो लाख रुपये से वधु मूल्य की मुद्रा का ज्यव-विक्रय नहीं करता है। इस प्रकार का विदेशी मुद्राओं का ज्यव-विक्रय थम्बर्ड, कनकसा, मद्रास तथा दिल्ली के बार्यालियों में होता है।

(v) अन्य केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी कार्य—(क) साल नियन्त्रण (Credit Control)—रिजर्व बैंक वा एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि यह देश में व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार साल की मात्रा में सकृचन या प्रसार करे। वह इस उद्देश्य की पूर्ति मूलत देश के बैंकों की ग्रहण-नीति को नियन्त्रित करके करता है। वह बैंक दर के परिवर्तनों एवं छुले बाजार की क्रियाओं द्वारा ही अपने उद्देश्य में सफल होने पाता है। इस सम्बन्ध में आगे चल कर विस्तार से लिखा गया है। (ख) कृषि-वित्त व्यवस्था (Agricultural Finance)—रिजर्व बैंक वा एक पृथक् विभाग कृषि-साल विभाग है। इस विभाग में कृषि-साल की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विदेशीज्ञों की नियुक्ति भी जाती है। यह कृषि साल के विवास के हेतु राज्य सरकारी तथा सहकारी बैंकों को सलाह भी देता रहता है। इस सम्बन्ध में “प्राप्त अर्थ-व्यवस्था” शीर्षक नामक अध्याय में लिखा गया है। (ग) समाशोधन गृह (Clearing House)—रिजर्व बैंक देश का शीर्ष बैंक होने के नाते समाशोधन-गृह (Clearing House) का भी कार्य करता है। इस सम्बन्ध में ‘केन्द्रीय बैंक’ शीर्षक नामक अध्याय में विस्तार से लिखा गया है। (घ) मुद्रा परिवर्तन—रिजर्व बैंक बड़े नोटों के बदले छोटे नोट अथवा नोटों के बदले गिलट में हाये देने का कार्य भी करता है। (ङ) मुद्रा का स्थानान्तरण—रिजर्व बैंक मुद्रा एवं बोय का स्थानान्तरण करने का कार्य भी नहीं करता है। यह अपने बार्यालियों पर दशनी हुड़ी (Demand Draft) भी जारी किया करता है। (त) रिजर्व बैंक सरकार तथा अन्य बैंकिंग संस्थाओं को प्राविदि मामलों में सलाह देता है, यह बैंकिंग तथा साल सम्बन्धी बौकड़े (Statistics) एवं त्रित तथा प्रकाशित वरके इन्हें वितरित किया करता है।

(आ) रिजर्व बैंक के एक साधारण बैंक के रूप में कार्य (Functions of the Reserve Bank as an ordinary Bank)—रिजर्व बैंक एक साधारण बैंक भी तरह कुछ साधारण बैंकिंग क्रियाएँ भी करता है जिनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—  
 (i) जमा खातों में रकम प्राप्त करना—रिजर्व बैंक केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारों, बैंकों तथा अन्य व्यक्तियों से दिना व्याज दिये जमा (Deposit Account) पर रकम प्राप्त करता है। (ii) व्यापारिक एवं वाणिज्यिक वित्तों का क्रद-विक्रय—रिजर्व बैंक भारत में भुगतान किये जाने वाले अधिक से अधिक ६० दिन की वैधि के व्यापारिक एवं वाणिज्यिक वित्तों तथा प्रतिक्रिया वित्तों का ज्यव-विक्रय करता है अथवा इनको पुन बटोती (Re-Discount) करता है। (iii) कृषि विलंब का ज्यव विक्रय—यह बैंक भारत में भुगतान होने वाले, अधिक से अधिक १५ महीने की वैधि के, कृषि विलंब का ज्यव-विक्रय एवं पुन बटोती करता है। (iv) ग्रहण देना—यह बैंक राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों, सदस्य बैंकों तथा प्रान्तीय सहकारी बैंकों को माँग पर भुगतान किया

जाने वाला ऋण या अधिक से अधिक ६० दिन के लिये ऋण देता है। यह ऋण स्वीकृत प्रतिभूतियों (Securities), सोना-चांदी, सदस्य बैंकों तथा सहकारी बैंकों के ऋण-पत्रों आदि की जमानत पर दिया जाता है। (v) विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय।—यह भारत के बाहर अन्य देशों की प्रतिभूतियों का भी क्रय-विक्रय करता है परन्तु ये ऐसी हुआ करती हैं जो खारीदने की तारीख के १० दर्घे के अन्दर ही पक जाती है। (vi) ऋण लेना:—रिजर्व बैंक अपने व्यापारिक कार्यों की आवश्यकता-पूर्ति के लिये सदस्य बैंकों या किसी भी अन्य देश के केन्द्रीय बैंक से अपनी सम्पत्ति की जमानत पर अधिक से अधिक ३० दिन की अवधि के लिए ऋण ले सकता है, परन्तु इस प्रकार के ऋणों की रकम किसी भी समय बैंक की कुल पूँजी से अधिक नहीं हो सकती है। (vii) मूल्यवान धारुओं का क्रय-विक्रय करना:—रिजर्व बैंक सोने के सिवको तथा सोना-चांदी का भी क्रय-विक्रय किया करता है। (viii) अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों में खाता खोलना:—रिजर्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I. M. F.) के सदस्य देशों के केन्द्रीय बैंकों में खाता खोल सकता है और उनसे एजेन्सी (Agency) के सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (I. B. R. & D.) के लेन-देन के कार्य भी करता है।

### रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य

(Functions that the Reserve Bank cannot do)

रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य:—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एकट के अनुसार बैंक कुछ कार्य एवं वर्किय व्यवहार करने के लिये वर्जित कर दिया गया है। ये मुख्य-मुख्य वर्जित कार्य इस प्रकार हैं:—(i) रिजर्व बैंक देश के व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग में न तो भाग ले सकता है और न इन्हे वह खोल ही सकता है। वह इन्हें आर्थिक सहायता भी नहीं दे सकता है। अतः रिजर्व बैंक देश के किसी भी व्यापार में विशेष हिच नहीं रख सकता है। (ii) रिजर्व बैंक अचल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता है और न वह इस प्रकार की सम्पत्ति को (अपनी निजी आवश्यकताओं के अतिरिक्त) खरीद ही सकता है। (iii) रिजर्व बैंक न तो अपने हिस्से और न किसी अन्य बैंक अथवा कम्पनी के दोपसं ही खरीद सकता है और न वह ऐसे प्रशंसों की जमानत पर ऋण ही दे सकता है। (iv) माँग पर भुगतान होने वाले विपक्षों के अतिरिक्त वह अन्य किसी भी प्रकार के पत्रों को न तो लिख सकता है और न स्वीकार ही कर सकता है। (v) बैंक के पास जमा (Deposits) पर वह व्याज नहीं दे सकेगा। (vi) बैंक अरक्षित ऋण (Unsecured Loans) भी नहीं दे सकता है। यह स्परण रहे कि रिजर्व बैंक पर उक्त प्रतिबन्ध इस कारण लगाये गये हैं कि एक और तो वह देश के अन्य बैंकों से प्रतियोगिता नहीं कर सके और दूसरी ओर वह स्वयं सुरक्षित रहे तथा इसके व्यवसायिक कार्यों का आधार इस रह सके।

### रिजर्व बैंक तथा मुद्रा और साल नियन्त्रण

(Reserve Bank and the Money & Credit Control)

प्राप्तिक्षण:—किसी भी देश के केन्द्रीय बैंक का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश में मुद्रा तथा साल का नियमन एवं नियन्त्रण करे। केन्द्रीय बैंक इस प्रकार का

नियन्त्रण किस प्रकार कर सकता है? वह यह बायं मुद्रा की ब्रथ शक्ति के विभिन्न अणो पर नियन्त्रण करके कर सकता है। देश मे प्रचलित साकेतिक सिक्के, बागजी नोट तथा देको की वह जमा राशि जो चैक आदि साधनो द्वारा निकाली जा सकती है आदि, मुद्रा की ब्रथ शक्ति के विभिन्न अण माने जाते हैं। एक बैंक्रीय बैंक इन सब अणो पर जिस सीमा तक नियन्त्रण रखने पाता है उसकी मुद्रा व साख नियन्त्रण शक्ति भी उतनी ही अधिक सामी जाती है। अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि रिजर्व बैंक विस सीमा तक और किस प्रकार इत अणो पर नियन्त्रण रखता है—

(अ) रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा नियन्त्रण — अन्य देशीय बैंको की तरह रिजर्व बैंक को भी नोट-नियंत्रण का एक मात्र अधिकार प्राप्त है। वह इस कायं को अपने नोट नियंत्रण विभाग (Note Issue Department) द्वारा करता है। यह विभाग इसी बैंक के बैंकिंग विभाग (Banking Department) से पूर्णतमा पृथक् है। नोट-नियंत्रण विभाग नोटो का प्रचलन पव मुद्रा-निधि (Paper Currency Reserve) के आधार पर करता है और इस निधि की सम्पत्ति स्वर्ण, स्वर्ण के सिक्के, स्टालिंग प्रतिभूतियाँ, रपये के सिक्के, रपये की प्रतिभूतियाँ (Securities), सरकारी हृषियाँ (Treasury Bills) आदि के रपये मे होती है। रिजर्व बैंक इस सम्पत्ति के किसी भी अण को बद्धावर तथा उतने ही मूल्य के नोटो का प्रकाशन करके मुद्रा प्रसार कर देता है। और इसी तरह वह प्रचलित नोटो को वापिस लेकर अथवा रद्द करके तथा उतने ही मूल्य की सम्पत्ति को नोट-विभाग मे से कम करके मुद्रा सकूचन किया करता है। परन्तु यह कायं इस प्रकार सम्पन्न किया जाता है? जब कभी रिजर्व बैंक नो देश मे मुद्रा प्रसार करना होता है तब वह अपने बैंकिंग विभाग मे से रपये की प्रतिभूतियाँ या विदेशी प्रतिभूतियाँ या दोनों बैंक के नोट-नियंत्रण विभाग को हस्तान्तरित कर देता है और यह विभाग इन प्रतिभूतियों के मूल्य के बरावर नोट प्रवालित करके इनसे मुद्रा प्रसार कर देता है। कभी-कभी इस प्रकार का मुद्रा-प्रसार सरकारी हृषियो (Ad hoc Treasury Bills) के आधार पर भी किया जाता है। परन्तु जब कभी रिजर्व बैंक को मुद्रा सकूचन करना होता है तब वह उक्त से उल्लिङ्क कम अपनाता है अर्थात् वह बैंक के चलन विभाग मे से रपये की प्रतिभूतियाँ या विदेशी प्रतिभूतियाँ या दोनों की बैंक के बैंकिंग विभाग को हस्तान्तरित करके तथा इनके मूल्य के बरावर नोटो की मात्रा को कम करके मुद्रा-सकूचन किया करता है। कुछ विचारों का मत है कि रिजर्व बैंक का नोट नियंत्रण अथवा मुद्रा नियन्त्रण का कायं बहुत ही सठीपञ्जन रहा है। बैंक की पत्र-मुद्रा निधि मे सोने के सिक्के अथवा स्वर्ण की मात्रा कभी ४० करोड़ रपये से कम नहीं रही है वरन् सन् १९४८-४९ तक यह इस न्यूनतम सीमा से बहुत अधिक ही रही है। इसके विपरीत कुछ आलोचको का मत है कि रिजर्व बैंक मुद्रा नियन्त्रण के कायं मे पूर्णतया असफल रहा है जिसके परिणामस्वरूप द्वितीय महायुद्ध काल मे पत्र मुद्रा की मात्रा २११ करोड़ रपये (१९३८-३९) से बढ़कर १,१७६ करोड़ रपये (१९४५-४६) हो गई। वास्तव मे निष्पक्ष हाइ से यह कहा जा सकता है कि युद्धकालीन अत्यधिक पत्र मुद्रा के प्रसार का दायित्व रिजर्व बैंक पर इतना अधिक नहीं है जितना कि यह अण्डी सरकार पर है जिसने रिजर्व बैंक एकट को उस घारा का लाभ उठाया जिसके

अन्तर्गत रिजर्व बैंक स्टर्लिंग प्रतिशुतियों (Sterling Securities) के आधार पर नोट-निर्गम कर सकता था। यह अवश्य है कि इस समय रिजर्व बैंक चलन में आये हुये नोटों की मात्रा को घटाकर देश में मुद्रा-प्रसार की स्थिति को दूर करने में पूर्णतया यसका ही रहा है।

(आ) रिजर्व बैंक द्वारा साख-नियन्त्रण (Credit Control by the Reserve Bank) :—अन्य केन्द्रीय बैंकों की भाँति रिजर्व बैंक को भी देश-हित में साख-नियन्त्रण का अधिकार दिया गया है। इसलिए देश के समस्त बैंकों के लिये यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपनी भाग देय (Demand Liabilities) का ५% और काल-देय (Time Liabilities) का २% रिजर्व बैंक के पास जमा के रूप में रखें। रिजर्व बैंक के पास साख-नियन्त्रण के निम्नलिखित मुख्य साधन हैं—

(i) बैंक-दर (Bank Rate)—बैंक दर वह होती है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों को सरकारी प्रतिशुतियों के आधार पर क्रूण देता है या जिस दर पर वह व्यापारिक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिल्स की पुनः कटौती (Re-Discount) करता है। बैंक-दर नीति द्वारा साख-नियन्त्रण तब ही प्रभावशाली होता है जबकि देश की बैंकिंग संस्थायें आर्थिक संकट के समय अपने क्रूण के लिये अथवा विल्स की पुनः कटौती के लिये देश के केन्द्रीय बैंक पर आधित होती है (विस्तृत विवरण के लिये “केन्द्रीय बैंक” शीर्षक वाला प्रध्याय पढ़िये)। भारत में रिजर्व बैंक की बैंक दर नीति आरम्भ से ही अधिक सफल नहीं हो सकी है और आज भी यह बहुत सप्रभाविक (Effective) नहीं है। यह बात इसी बात से प्रमाणित हो जाती है कि देश के विभिन्न स्थानों पर व्याज की दर भिन्न-भिन्न हैं। बैंक दर के सप्रभाविक नहीं होने के दो मुख्य कारण हैं—(अ) देश से मुद्रा-प्रसार के कारण मुद्रा की बढ़ती लागत है जिससे व्यापारिक बैंकों तथा भाव्य बैंकों को बहुत अधिक मात्रा में जनता से जमा-राशि प्राप्त हुई है। परिणामतः देश की बैंकिंग संस्थायें साख-निर्माण तथा आर्थिक सहायता के लिये रिजर्व बैंक पर बहुत निर्भर नहीं रहती हैं। (आ) रिजर्व-बैंक तथा देश की समस्त बैंकिंग संस्थाओं में वह घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका है कि ये पूर्ण सहयोग से कार्य कर सकें। रिजर्व बैंक की दर सन् १९३८ से नवम्बर १९५१ तक ३% रही, परन्तु नवम्बर सन् १९५१ में यह ३५% की गई और सन् १९५७ में यह बढ़ाकर ५% कर दी गई। बैंक दर की वृद्धि के कारण देश में अन्य व्याज की दरों में भी वृद्धि हो गई जिससे देश में द्वितीय युद्ध काल में अपनाई गई सुलभ मुद्रा-नीति (Cheap Money Policy) का अन्त होकर सन् १९५१ से दुर्लभ मुद्रा-नीति (Dear Money Policy) का आरम्भ हो गया। सुलभ मुद्रा-नीति के तीन मुख्य लाभ हैं—(अ) यह नीति मन्दी व बेकारी को समस्या के निवारण में बहुत सहायक होती है। (आ) इस नीति से सरकारी क्रूण लेने में बहुत सुविधा रहती है तथा (इ) इस नीति की सहायता से युद्धोत्तर काल में युद्ध विनिष्ट राष्ट्रों का आर्थिक निर्माण एवं पुनर्निर्माण बहुत आसानी से हो जाता है। परन्तु सुलभ मुद्रा-नीति में कई महत्वपूर्ण दोष भी हैं :—(अ) इस नीति से देश की दूर्जी-निर्माण शक्ति बहुत कम हो जाती है। यही कारण या कि सन् १९५१ में प्रथम बार तथा सन् १९५७ में द्वितीय बार

रिजर्व बैंक को अपनी बैंक दर बढ़ानी पड़ी ताकि देश की पूँजी-निर्माण शक्ति में उचित वृद्धि हो सके और पचवर्षीय योजनाओं के लिये पर्याप्त पूँजी उपलब्ध हो सके। (आ) मुद्रा-नीति का दोष यह भी है कि इस नीति से विदेशी पूँजी आकर्षित नहीं होने पाती है। इसीलिये रिजर्व बैंक ने दो बार बैंक दर को बढ़ाकर विदेशी पूँजीपतियों को ऊंचे व्याज दर का प्रतीक्षित दिया है ताकि पचवर्षीय योजनाओं के लिये अधिकाधिक विदेशी पूँजी प्राप्त हो जाय। (इ) यह मुद्रा-नीति की दशाएँ उत्पन्न करती है। इसीलिए दुलंभ मुद्रा नीति (Dear Money Policy) को अपनाकर देश में मुद्रा-स्फीति की दशाओं को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। अत रिजर्व बैंक ने बैंक दर को बढ़ाकर, अथवा दुलंभ नीति अपनाकर देश की पूँजी निर्माण शक्ति में वृद्धि की है, विदेशी पूँजी आकर्षित हो जाने की परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं, मुद्रा-स्फीति की दशाओं पर रोक लगाई है, विदेशी व्यापार की विपणना को दूर करने का प्रयत्न किया है, तथा बैंकों को असीमित मात्रा में ऋण प्रदान करने की नीति को नियन्त्रित किया है आदि। इस तरह बैंक दर की वृद्धि के बारण ऋण का लेना कम हो गया तथा बहुत से ऋण वापिस किये गये और बाजार में कम-अधिक मात्रा में मन्दी की लहर आ गई। सध्ये पर्याप्त में यह बहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक की दोनों दर द्वारा मुद्रा एव साख-नियन्त्रण की नीति सन् १९५१ के बाद के काल में अपेक्षाकृत अधिक सफल हुई है।

(ii) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations) — एक बैंक द्वारा अपनी बैंक दर नीति को अधिक प्रभावित बनाने के लिये खुले बाजार की क्रियाएँ भी करता है। जबकि बैंकों द्वारा खुले बाजार में आकर सरकारी सिक्यूरिटियों तथा प्रधम थेगी के बिलों व प्रतिज्ञानों आदि का क्रय विक्रय देश हित में साख-नियन्त्रण के चलेंगे से करता है, तब इन क्रियाओं को खुले बाजार की क्रियाएँ कहते हैं? रिजर्व बैंक को भी अन्य बैंकों की भाँति खुले बाजार की क्रियाएँ करने का अधिकार दिया गया है ताकि वह भी इस नीति द्वारा अपनी बैंक दर नीति को अधिक सुप्रभ वी बना सके। गत वर्षों में सदस्य बैंक आवश्यकता के समय रिजर्व बैंक को सरकारी प्रतिभूतियाँ (Govt. Securities) असीमित मात्रा में बेचकर घन प्राप्त कर लिया करने थे त्रिससे साथ का प्रसार हो जाया करता था। परन्तु सन् १९५१ मरिजर्व बैंक ने अपनी नीति में भी परिवर्तन कर दिया और यह घोषणा कर दी हि वह दोनों की समिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकारी प्रतिभूतियाँ अथवा ऋण पत्र जही खरीदेगा (वह इन्हे बेवल विदेश परिस्थितियों में ही खरीदेगा) बरत वह बैंक दर पर स्वीकृत ऋण-पत्रों के आधार पर ही बेवल कर देगा। रिजर्व बैंक की खुले बाजार की क्रियाओं की नीति में परिवर्तन के साम तीन हूँये हैं—(अ) दोनों दर पहले की अपेक्षा बहुत प्रभावी हो गई है, (आ) मुद्रा की पूर्ति में लोकता उत्पन्न हो गई है क्योंकि व्यस्त व्यवसायिक काल में बैंक ऋण-पत्रों के आधार पर रिजर्व बैंक से ऋण ले लेते हैं और इस प्रकार की दशाओं का अन्ह हो ज ने पर दोनों रिजर्व बैंक को ऋण राशि लौटा देते हैं और अपने ऋण-पत्र वापिस कर लेते हैं। (इ) इस नीति से रिजर्व बैंक का देश के विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं पर सप्रभावित नियन्त्रण स्थापित हो गया है। परन्तु रिजर्व बैंक को इस नीति से कीन

हानियां भी हुई हैं :—(अ) युनेव बाजार की क्रियाओं को नीति वी सफलता के लिये यह आवश्यक है कि यह गुप्त रहे परन्तु रिजर्व बैंक की उत्तलित तबीन नीति से ये क्रियाएं अब गुप्त नहीं रह सकती हैं। (आ) जबकि रिजर्व बैंक ऋण-पत्रों का स्वयं क्रय-विक्रय किया करता था, उस समय इन पत्रों के मूल्य के बहुत स्थिरता रहती थी, परन्तु रिजर्व बैंक की मुद्रा-नीति के परिवर्तनों से अब ऋण-पत्रों का मूल्य भी बहुत कम हो गया है। यह स्पष्ट है कि सरकारी ऋण पत्रों के मूल्यों में इस प्रकार का परिवर्तन सबंद्ध अनुचित ही है। (इ) उत्तलित विवरिति नीति बैंकों के लिये अत्यधिक महंगी अमुविधाजनक तथा कष्टदायक है। यह सम्भव है कि इस प्रकार की नीति से एक गुसांगठित मुद्रा-बाजार के विकास में बहुत वाया पड़ जाय।

(iii) रिजर्व बैंक की विल योजना (Bill Scheme of the Reserve Bank)—देश में व्यापार की आवश्यकतानुसार साख की भाँति में बृद्धि करने के हेतु रिजर्व बैंक ने जनवरी सन् १९५२ में एक नई विल योजना वार्षिकीत की। इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों को, पूर्व निश्चित शर्तों पर, विल्स तथा प्रतिज्ञा-पत्रों के आधार पर एक समय पर नम से कम १० लाख रुपये (दारम में यह न्यूनतम सीमा २५ लाख रुपये थी) का ऋण देता है। इस प्रकार के विल बाजार के शीघ्र निर्माण के हेतु रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह आकर्षण दिया है कि वे उक्त ऋण को बैंक दर से ३% कम पर ही ले सकें। विल बाजार प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के हेतु रिजर्व बैंक ने यह भी घोषित किया है कि वह इस प्रकार के विलों पर लगाये जाने वाले मुद्राक (Stamp Duty) का आधा भाग स्वयं अपने पास से देगा। रिजर्व बैंक की यह योजना बैंकों के लिये बहुत प्रिय सिद्ध हुई है। यह इसी बात से प्रमाणित होता है कि सन् १९५२, ५३, ५४, ५५ में सदस्य बैंकों ने विल्स के आधार पर क्रमशः ८२,६६,१४७ तथा १३५ करोड़ रुपये के ऋण उक्त योजना के अन्तर्गत लिये। अतः इस नवीन योजनाद्वारा रिजर्व बैंक ने एक और तो देश में विल बाजार के अभाव को दूर कर दिया है और दूसरी ओर उसे इस नीति द्वारा साख को नियन्त्रित करने का और अधिक प्रवसर मिल गया है।

(iv) नकद-कोष (Cash Reserves) :—अन्य केन्द्रीय बैंकों की तरह रिजर्व बैंक भी भी देश के विभिन्न बैंकों की जमा-राशि पर नियन्त्रण करने का अधिकार दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एकट के अनुसार प्रत्येक अनुमूल्यी बढ़ बैंक (Scheduled Bank) को अपनी माँग देय (Demand Liabilities) का ५% और काल-देय (Time Liabilities) का २% रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है। अब सो १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज एकट के अनुसार देश के अन्य बैंकों को भी रिजर्व बैंक के पास या अपने पास उक्त प्रतिशत में नकद-जमा रखनी पड़ती है। ताकि देश में साख का केवल उचित मात्रा में ही निर्माण हो सके, इसलिए सन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज एकट ने यह भी अनिवार्य तर दिया है कि देश की प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी अपनी माँग तथा काल-देय का २०% भाग अपने पास नकद, स्वर्ण अवदा स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखते। बैंकिंग कम्पनीज एकट में हाल ही के कुछ साथोंपत्रों द्वारा रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह उक्त के सम्बन्ध में बैंकों को कुछ रियामतें भी

दे सकता है। इस तरह रिजर्व बैंक को दौंकों की नकद-जमा पर नियन्त्रण रखने का अधिकार दिया गया है। परन्तु आसोचवों का यह भरत है कि उक्त व्यवस्था में घूंँक दौंकों का रिजर्व बैंक के पास या स्वयं दौंकों के पास नकद बोप समस्त दायित्वों का एक निश्चित प्रतिशत के रूप में रहता है (रिजर्व बैंक इन प्रतिशतों में स्वयं कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता है) इसलिए रिजर्व बैंक की नकद-बोप द्वारा साख-नियन्त्रण की नीति अधिक प्रभावशाली एवं मफल नहीं हो सकी है। इसका कारण स्पष्ट है देश की दौंकिंग संस्थाएँ अपने शेष धन से ही पर्याप्त मात्रा में साख-निर्माण का कार्य कर लेती हैं और उन्हें इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक पर अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ता है। यह सच है कि यदि अमेरिका के फेडरल बैंक की तरह भारत में रिजर्व बैंक को भी देश की दौंकिंग संस्थाओं के नकद बोप में परिवर्तन बरने का अधिकार होता, तब वह इस परिवर्तन द्वारा दौंकों की साख-निर्माण शक्ति का बहुत ही अधिक प्रभावी नियन्त्रण कर सकता।

(v) अन्य साधन—(अ) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)—रिजर्व बैंक की प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा साख नियन्त्रण की नीति सन् १९४६ के दौंकिंग कम्पनीज एकट के पास हो जाने पर ही कुछ प्रभावी हो सकी है। इस एकट द्वारा रिजर्व बैंक को दौंकिंग कम्पनीज के नियन्त्रण के हेतु कुछ विशेष अधिकार मिल गय हैं। अब यह दौंक दिसी भी दौंक को दिसी भी मामले पर सलाह द सकता है। वह दिसी भी दौंक का निरीक्षण करके उसे अपनी निरीक्षण रिपोर्ट भेज सकता है। और दौंक के सचालकों की उम रिपोर्ट पर विचार करने के लिये दोषक बुला सकता है तथा दिसी भी दौंक को उसकी कार्य-प्रणाली में देने गये दोषों को मुझारने के लिये रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये मुआवों का पालन करन के लिये भी वह आदेश दे सकता है। इस तरह रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा भी साख का नियन्त्रण कर सकता है। (आ) जनता से प्रत्यक्ष व्यवहार करना (Direct Dealing)—रिजर्व बैंक की कुछ विशेष परिस्थितियों में देशहित की दृष्टि से, सरकारी प्रतिभूतियों, बिल्स, प्रतिक्रिया-पत्रों तथा विदेशी विनियम वा सीधे रूप से जनता से क्रय-विक्रय करने का अधिकार दिया गया है। यह अवश्य है कि व्यवहार में रिजर्व बैंक इस अधिकार का उपयोग नहीं करेगा और वास्तव में उसन इस अधिकार का उपयोग अभी तक किया भी नहीं है। परन्तु रिजर्व बैंक के पास इसे प्रकार वा अधिकार होने से ही इसका अन्य दौंकों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है बयोकि देश के दौंकस रिजर्व बैंक के इस अधिकार ने वारण इसके द्वारा निर्धारित साख-नियन्त्रण की नीति के विपर्य संलग्न वा साहस नहीं कर सकेंगे। (इ) साख का राशनिंग (Rationing of Credit)—सन् १९४६ के दौंकिंग कम्पनीज एकट द्वारा रिजर्व बैंक को यह अधिकार मिल गया है कि वह देशहित में समस्त दौंकों की प्रयत्ना दिसी एक दौंक वाँ क्रण-नीति निर्धारित कर सकता है और इस प्रकार निर्धारित नीति का पालन सब दौंकों प्रयत्ना सम्बन्धित दौंकों को करना पड़ता है। यह ही नहीं रिजर्व बैंक को यहाँ तक अधिकार है कि वह दौंकों को यह आदेश तक दे सकता है कि वे केवल अमुक कार्यों के लिए ही क्रण

दें तथा अहण भी अमुक व्याज की दर पर दे। चूंकि बैंकिंग संस्थाओं को रिजर्व बैंक के इन आदेशों का पालन पूर्णतया करना पड़ता है, इसलिये रिजर्व बैंक की साथ का रात्मनिंग द्वारा साथ नियन्त्रण की नीति काफी प्रभावी व सफल रही है। (ई) प्रकाशन तथा नीतिक प्रभाव की नीति (Method of Publicity and Moral Suasion):— चूंकि रिजर्व बैंक का देश की बैंकिंग संस्थाओं से अभी तक बहुत अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सका है, इसलिये वह प्रकाशन द्वारा साथ नियन्त्रण की नीति को नहीं अपना सका है। परन्तु रिजर्व बैंक देश की बैंकिंग संस्थाओं पर अपना नीतिक प्रभाव डालने में अवश्य थोड़ा बहुत सफल हुआ है और वह इस रीति द्वारा ही बैंकों के अनेक दोषों को दूर कर रहा है।

#### रिजर्व बैंक की अप्रभावी साथ-नियन्त्रण अथवा मुद्रा-नियन्त्रण नीति के कारण

(Causes for the ineffective Credit-Control and Monetary-Control Policy of the Reserve Bank):— उक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक के पास साल-नियन्त्रण अथवा मुद्रा-नियन्त्रण के बहुत से गुण हैं। परन्तु अनुभव से यही पता चलता है कि इन्हें अधिक गुण होने हुवे भी रिजर्व बैंक देश में साथ एवं मुद्रा के नियन्त्रण में बहुत अधिक सफल नहीं होने पाया है। इसके कई कारण हैं:— (i) मुद्रा व्याजार तथा विल-व्याजार का अभाव:— देश में अभी तक एक सुधारवास्तित एवं संगठित मुद्रा-व्याजार तथा विल-व्याजार का निर्माण नहीं होने पाया है जिसके कारण रिजर्व बैंक की साल-नियन्त्रण के हेतु बैंक दर नीति सप्रभावी नहीं होने पाई है। (ii) देश का आर्थिक ढाँचा लोचदार नहीं है:— देश में अमिकों की मजदूरी तथा वस्तुओं के मूल्यों के सम्बन्ध में अनेक नियन्त्रण पाये जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप देश का आर्थिक ढाँचा लोचदार नहीं है। इस अवस्था में रिजर्व बैंक की कोई भी साथ एवं मुद्रा-नियन्त्रण नीति बहुत प्रभावशाली नहीं हो सकती है। (iii) स्वदेशी बैंकिंग का स्वतन्त्र अस्तित्व— रिजर्व बैंक अभी तक देशी बैंकर्स पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं कर सका है जिससे देशी बैंकर्स की आपुनिक बैंकिंग पढ़ति से पूर्ण पृथकता पाई जाती है। चूंकि रिजर्व बैंक का भारतीय मुद्रा-व्याजार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग पर कोई नियन्त्रण नहीं है, इसलिए भी वह बैंक अपनी साथ एवं मुद्रा नीति में बहुत सफल नहीं होने पाता है। (iv) बैंकों के पास नकद-कोष का बाहुल्य.—भारत में विशेषकर युद्धकाल में अर्थात् मुद्रा-प्रसार के कारण, बैंकों के पास बहुत अधिक मात्रा में राशि जमा नी गई। समस्त दायित्वों का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास या अपने पास नकद के रूप में या स्वीकृत प्रतिभूतियों अथवा विल्म आदि के रूप में रखने पर भी, बैंकों के पास दोष धन इतनी अधिक मात्रा में बच रहता है कि वे इसकी सहायता से काफी बड़ी मात्रा में साथ का निर्माण कर देते हैं और इस कार्य के लिये प्रायः रिजर्व बैंक पर निर्भर नहीं रहते हैं। यह भी एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से रिजर्व बैंक का देश की विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित नहीं होने पाता है। अत बैंकों के पास नकद कोष का बाहुल्य भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से रिजर्व बैंक अपनी साथ एवं मुद्रा नियन्त्रण नीति में सफल नहीं होने पाता है।

## रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक बॉन्फ इण्डिया

रिजर्व बैंक का स्टेट बैंक बॉन्फ इण्डिया से सम्बन्ध (Reserve Bank and the State bank of India) — रिजर्व बैंक बॉन्फ इण्डिया एकट १६३४ के पास होने पश्चात् जब इस बैंक न कार्य आरम्भ किया तब इस बैंक में और इम्पीरियल बैंक (वर्तमान स्टेट बैंक) में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार इम्पीरियल बैंक को जिन जिन स्थानों पर शाखाएँ थीं वहाँ पर यह बैंक रिजर्व बैंक का एक मात्र एजेंट का कार्य करने लगा। इसी समझौते के अनुसार रिजर्व बैंक इम्पीरियल बैंक को उसकी सेवाओं के लिये कमीशन भी दता था परन्तु सन् १८५१ में इन दानों सहस्याओं में एक नया समझौता हुआ जिसके अनुसार इम्पीरियल बैंक को उसकी सेवाओं के लिये कमीशन इस प्रकार देना निश्चित हुआ—प्रथम पाँच वर्षों में १५० करोड़ स्पष्ट तक ३५% अर्थात् १ आना प्रति-शत, १५० से ३०० वराह रुपय तक ३५% अर्थात् दो पंसे प्रति-शत तक ३०० से १२०० करोड़ रुपए तक ३५% प्रथम एक पंसा प्रति-शत परन्तु १२०० करोड़ रुपय के बाद ३५% दिया जायेगा। १ जुलाई सन् १८५५ से इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हा गया है और इसका नाम स्टेट बैंक बॉन्फ इण्डिया (State Bank of India) रख दिया गया। पूर्व की तरह आज भी स्टेट बैंक रिजर्व बैंक का उत्त स्थानों पर प्रतिनिधित्व करता है जहाँ पर रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं हैं। ताकि रिजर्व बैंक का नियन्त्रण स्टेट बैंक पर पूरणतया रह सके, इसलिये स्टेट बैंक के ५५% शेयर्स बैंक को दिये गये हैं। अत यह स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक म घनिष्ठ सम्बन्ध है और इस घनिष्ठ पारापरिक सम्बन्ध के कारण ही रिजर्व बैंक स्टेट बैंक की शाखाओं द्वारा देश के विभिन्न बैंकों पर नियन्त्रण रखता है (विस्तृत व्यापक के लिये “स्टेट बैंक बॉन्फ इण्डिया” शीर्षक नामक अध्याय पढ़िये)।

## रिजर्व बैंक और स्वदेशी बैंकर्स

रिजर्व बैंक तथा विदेशी बैंकर्स (Reserve Bank and the Indigenous Bankers) — भारतीय साख-व्यवस्था और विशेषवर ग्रामीण साख व्यवस्था में स्वदेशी बैंकर्स का एक महत्वपूर्ण स्थान है। रिजर्व बैंक ने समय-समय पर अपनी विभिन्न योजनाओं द्वारा इन बैंकर्स को नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया है, परन्तु वह अपने प्रयत्नों में सदा असफल ही रहा। सबं प्रथम सन् १६३७ म रिजर्व बैंक ने इन बैंकर्स को नियमवद्ध करने की एक योजना बनाई थी। विन्तु स्वदेशी बैंकर्स ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया। सन् १८४१ म रिजर्व बैंक ने फिर एक नई योजना बनाई, परन्तु देशी बैंकर्स के विरोध में नारण यह भी कार्यान्वित नहीं की जा सकी (विस्तृत व्यापक के लिये “स्वदेशी बैंकिंग” शीर्षक नामक अध्याय पढ़िये)। यह स्मरण रहे कि भारतीय मुद्रा-वाजार (Indian Money Market) का इस समय भी एक बहुत बड़ा दोप यह है कि रिजर्व बैंक देश की स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली को विस्तीर्ण भी प्रबार से नियन्त्रित नहीं करने पाता है जिसके परिणामस्थल वह साख नियन्त्रण के हेतु अपनी बैंक-नीति को संप्रभावी नहीं बनाने पाता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया है। इसलिये हम

यह आशा है कि रिजर्व बैंक शीघ्र ही मुद्रा-वाजार के इस महत्वपूर्ण अंग को भी नियमित एवं नियंत्रित करने में सफल हो जायगा ताकि वह अपनी साल-नियंत्रण की नीति में भी सफल हो सके।

## रिजर्व बैंक और अनुसूचीबद्ध तथा अनुसूचीबद्ध बैंक्स

### (Reserve Bank and the Scheduled and Non-Scheduled Banks)

रिजर्व बैंक और अनुसूचीबद्ध बैंकों का सम्बन्ध (Relationship between the Reserve Bank and the Scheduled Banks):—रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् देश के बैंकों का विभाजन दो श्रेणियों में हो गया है—प्रथम अनुसूचीबद्ध (सदस्य) बैंक्स (Scheduled Banks) तथा द्वितीय अनुसूचीबद्ध (असदस्य) बैंक्स (Non-Scheduled Banks)। अनुसूचीबद्ध बैंक्स उन बैंकों को कहते हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक आँक इण्डिया एकट वी धारा ४२ के अनुसार एकट वी दूसरी श्रेणी (Scheduled II of the R.B. of India Act) में सम्मिलित कर लिया जाता है और जिनका नाम केन्द्रीय सरकार द्वारा सदस्य बैंकों की सूची में गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। अनुसूचीबद्ध बैंक्स के हो सकते हैं:—(ग्र) जो भारत में अपना बैंकिंग कार्य करते हैं, तथा जिनकी परिदृष्ट पूँजी (Paid-up Capital) तथा निधि (Reserves) मिलाकर पाच लाख रुपये से कम नहीं होती है।

अनुसूचीबद्ध बैंकों के अधिकार (Rights) और दायित्व (Liabilities)—अनुसूचीबद्ध बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा कुछ अधिकार दिये जाते हैं जिनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं:—(i) इन बैंकों को व्यापारिक बिल्स, साधारण बिल्स प्रतिज्ञा-पत्रों भी रिजर्व बैंक द्वारा पुनः कटौती (Discounting of Bills etc.) कराने का अधिकार है। (ii) इन बैंकों ने द्रुस्टी रिक्यूरिटीज, सोना-चांदी तथा अन्य मान्य प्रतिभूतियों के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा ऐक ऐक रूप लेने का अधिकार होता है। परन्तु इन दोनों सुविधाओं को देने से पहले रिजर्व बैंक इस बात को देख लेता है कि बैंक की अच्छाई को देख कर ही अच्छा नहीं देता वयोंकि उसी पर यह दायित्व है कि बैंक उसके द्वारा दिये गये रुपयों का दुरुपयोग नहीं बर्ते। (iii) इन बैंकों को रिजर्व बैंक से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सस्ती तथा शीघ्र राशि-हस्तान्तरण की सुविधा भी मिलती है। (iv) रिजर्व बैंक इन बैंकों को समाशोधन-गृह (Clearing House) भी भी सुविधाएँ देता है। (v) आधिक सबट-काल में रिजर्व बैंक इन बैंकों को उचित सलाह देता है और हर प्रकार से सहायता देने का प्रयत्न बरता है। परन्तु इन अधिकारों (Rights) के साथ ही साथ अनुसूचीबद्ध बैंकों के मुख्य दायित्व (Liabilities) भी हैं:—(i) प्रत्येक अनुसूचीबद्ध बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपनी माग देय (Demand Liabilities), का ५% और काल-देय (Time Liabilities) का २% भाग नवद जमा के रूप में रखना पड़ता है। यदि कोई सदस्य बैंक इस दाता की दूर्ति नहीं बरता है, तब उसे नकद-कोष की कमी पर दंड के रूप में

व्याज (Penal Interest) देना पड़ता है। ऐसी दशा में रिजर्व बैंक उक्त ढोके को नई जगाएं प्राप्त करने के लिये रोक सकता है। (ii) प्रत्येक अनुमूल्यबद्ध ढोके को प्रति सप्ताह (Weekly Return) केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक के पास एक ऐसा विवरण भेजना पड़ता है जिसमें कई बातों का समावेश होता है—ढोके की मांग-जमा तथा बाल जमा की मात्रा, पत्र-मुद्रा तथा सरकारी पत्र-मुद्रा वी वह मात्रा जो कि भारत में है, ढोके के पास भारत में कितने रुपये तथा वित्ती अध्य मुद्राएं (छोटे) सिव्वे हैं, ढोके द्वारा विये गये ऋणों, अग्रिमो (Advances) तथा पुन कटौती किये गये विलस की राशि, ढोके का कितना रुपया रिजर्व बैंक में जमा है तथा ढोके के पास नकद रुपया कितना है आदि। इस प्रबार का विवरण नही भेजने पर ढोकों दो १०० रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दड़ देना पड़ता है। (iii) उक्त विवरण के अतिरिक्त इन ढोकों को रिजर्व बैंक के पास वे विवरण भी भेजने पड़ते हैं जो बैंकिंग कम्पनीज एवं एक के अनुसार भेजने आवश्यक हैं।

**रिजर्व और अनुमूल्यबद्ध बैंक (Reserve Bank and the Non-Scheduled Banks).**—वे बैंकस जिनका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट की धारा ४२ के अनुसार एक्ट की दूसरी थेणी (Schedule II of the Act) में सम्मिलित नही विया गया है, असूचीबद्ध ढोके (Non Scheduled) कहलाते हैं। सदस्य ढोके भी दो प्रकार के होते हैं—प्रथम, जिसकी दत्त पूँजी (Paid-up Capital) तथा निधि (Reserve) मिला कर ५०,००० रुपये से अधिक होती है तथा द्वितीय वे बैंकस जिनकी दत्त पूँजी तथा निधि मिलाकर उक्त रकम से ज्यादा होती है। रिजर्व बैंक का सम्बन्ध केवल प्रथम थेणी के ही ढोकों से रहता है। इस थेणी के बैंकस भारतीय कम्पनीज एवं एक के अनुसार रजिस्टर और उन्हे उसी विधान की २७७ (f) धारा वे अनुसार बैंकिंग व्यापार करने का अधिकार होता है भारतीय कम्पनीज एवं एक के अन्तर्गत तमाम बैंकिंग कम्पनियों को रजिस्टर और कम्पनीज के पास अपने वैधानिक विवरण (Statutory Returns) की तीन प्रतिलिपियां भेजनी पड़ती है जिनम से एक प्रति रिजर्व बैंक के पास भेज दी जाती है। सन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज के एक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक का उक्त असदस्य ढोकों पर योड़ा सा नियन्त्रण स्थापित हो गया है इस एक्ट के अनुसार अब इन ढोकों दो भी रिजर्व बैंक के पास एक मासिक विवरण पत्र भेजना पड़ता है और इन असदस्य ढोकों को भी अपनी मांग-देय का ५% तथा बाल देय का २% भाग नकद बोये के रूप में अपने पास या रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है (यह स्मरण रहे कि अनुमूल्यबद्ध ढोकों को इस प्रबार की राशि अनिवार्यत रिजर्व बैंक के पास ही रखनी पड़ती है)। रिजर्व बैंक ने सन् १९४० से उक्त प्रकार के ढोकों दो भी घन के स्थानान्तरण की मुदिधाएं देना ग्राम्भ कर दिया है। इस मुदिधा के दे देने से रिजर्व बैंक का असदस्य ढोकों से सम्बन्ध स्थापित हो गया है और इसी सम्बन्ध को और भी अधिक बढ़ाने के लिये उसने अनुमूल्यबद्ध ढोकों दो अपने यहां खाते खोलने की मुदिधा भी दी है परन्तु इनमें विसी भी रुपय दस हजार रुपये से कम जमा-राशि नही रहेगी और इस राशि का उपयोग केवल पारस्परिक समाजोधन के बायों में ही होगा। इसके अतिरिक्त सन् १९४६ के कम्पनीज एक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक अब असदस्य ढोकों का भी निरीक्षण कर सकता है और बास्तव में

उसने निरीक्षण करना आरम्भ भी कर दिया है। अत यह स्पष्ट है कि अब तो रिजर्व बैंक का सदस्य दोकों के साथ भी कम-अधिक मात्रा में सम्बन्ध स्थापित हो गया है और यह आशा की जाती है कि वह इन दोकों की कार्य-प्रणाली को भी प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करके देश में एक सुर्योगठित दीक्षिण-व्यवस्था का निर्माण कर सकेगा।

### रिजर्व बैंक आँक इण्डिया एकट में कुछ संशोधन (Amendments in the Reserve Bank of India Act)

#### (1) सन् १९५१ का संशोधन [Reserve Bank of India (Amendment) Act 1951]:—

इस संशोधन की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं—(i) रिजर्व बैंक आँक इण्डिया एकट के बल अम्मू और काश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू होगा। (ii) कृषि-वित्त की अवधि ६ महीने से बढ़ाकर १५ महीने कर दी गई है। (iii) रिजर्व बैंक किसी भी विदेशी सरकार या व्यक्ति का एजेंट के रूप में कार्य भारतीय सरकार की अनुमति से कर सकता है। (iv) रिजर्व बैंक पार्ट व राज्यों के भौद्रिक व ऋण सम्बन्धी कार्य उससे समझौता करके कर सकता है। (v) गवर्नर की अनुपस्थिति में दिल्ली गवर्नर बैंक का प्रबन्ध तथा सचालन करेगा। (vi) यह उन व्यापारिक दिलों की भी पुनः बटोती कर सकेगा जिन पर किसी राज्य के सहकारी बैंक के हस्ताक्षर हैं। (vii) रिजर्व बैंक का दीक्षिण विभाग सरकारी सिक्यूरिटीज किसी भी सूल्य तक, और चाहे जितने समय की, अपने पास रख सकेगा। (viii) सदस्य दोकों को अपने विवरण पत्रों में विनियोगों (Investments) का उल्लेख करना भी आवश्यक कर दिया गया। (ix) रिजर्व बैंक राज्य सहकारी दोकों से भी वे विवरण मांग सकता है जो कि सदस्य बैंक रिजर्व बैंक के पास भेजते हैं। (x) रिजर्व बैंक किसी भी दोक को निर्धारित कोष रखने तथा निर्धारित अवधि में साप्ताहिक विवरण भेजने से मुक्त भी कर सकता है। (xi) उस समय के इस्पीरियल दोक को रिजर्व बैंक वा एक मात्र एजेंट के रूप में कार्य करने का जो अधिकार था, वह केवल पार्ट व पार्ट सी राज्यों तक सीमित कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि इस संशोधन द्वारा एक तरफ तो रिजर्व बैंक का कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया और दूसरी तरफ से उसे देश में कृषि-साध की उचित व्यवस्था करने के लिये कुछ और अधिकार दे दिये गये।

#### (2) सन् १९५३ का संशोधन—[Reserve Bank of India (Amendment) Act, 1953]

रिजर्व बैंक आँक इण्डिया एकट में सन् १९५३ में संशोधन कृदि-साल के विस्तार की हट्टि से ही बिया गया था। इस संशोधन द्वारा रिजर्व बैंक को कृषि-कार्यों के लिये १५ महीने से ५ साल तक की अवधि के लिये ५ बरोड़ रुपये तक ऋण देने का अधिकार दिया गया। राज्य सरकार, सहकारी समितियाँ तथा गोक्त द्वारा यह रुपया कृपकों को नया कुआँ खोदने, ट्रैक्टर आदि खरीदने छोटे-मोटे बांध बनाकर तिचाई सुविधायें उपलब्ध करने आदि के लिये दिया जायगा। देश के सहकारी दोक्स वो विदेशकर उक्त सुविधा से लाभ हुआ क्योंकि ये बहुत कम व्याज को दर पर रिजर्व बैंक से रुपया उधार लेंगे और कम व्याज की दर पर ही कृपकों को उक्त कार्यों के लिये रुपया उधार दे सकेंगे।

(३) सन् १९५५ का सशोधन—[Reserve Bank of India (Amendment) Act, 1955]—रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया एकट में यह सशोधन घटित भारतीय ग्राम्य साख जीव समिति (All India Rural Credit Survey Committee Report, 1955) की सिफारिशों के आधार पर किया गया। उक्त समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिये रिजर्व बैंक ने दो कोषों का निर्माण किया है—प्रथम, राष्ट्रीय कृषि-साख (दीर्घकालीन) कोष [National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund] और द्वितीय, राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायित्व) कोष [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund]। प्रथम कोष में रिजर्व बैंक ग्राम्यम् से ही १० बरोड रुपया जमा करेगा और जून १९५६ से प्रतिवर्ष ५ बरोड रुपये जमा करता रहेगा। इस कोष का उपयोग इस प्रकार होगा—(अ) इस कोष भ म से राज्य सरकारों की अधिक से अधिक २० वर्ष की अवधि के लिये ऋण दिये जावेंगे ताकि वे इस राशि से सहकारी साख समितियों के दो पर्सें स्थानीय सकें। इस व्यवस्था वा उद्देश्य समितियों की अधिक पूँजी (Share Capital) म वृद्धि करना है। (ब) रिजर्व बैंक इस कोष में से राज्य सहकारी बौंकों को १५ महीने से ५ वर्ष की अवधि तक के मध्यम कालीन ऋण (Medium Period Loans) देगा। ताकि ये संस्थामें इस ऋण से कृषि-साख की व्यवस्था बढ़ सकें। (दि) रिजर्व बैंक इस कोष भ म से केन्द्रीय भूमि बन्धक बौंकों (Central Land Mortgage Banks) की अधिक से अधिक २० वर्ष की अवधि के लिये दीर्घकालीन ऋण देगा। (ई) इस कोष में से राज्य सरकारों को केन्द्रीय भूमि बन्धक बौंकों के कृषि-भौतों को खरीदने के लिये भी ऋण दिये जायेंगे। द्वितीय कोष में रिजर्व बैंक ३० जून सन् १९५६ से प्रतिवर्ष एक बरोड रुपया जमा करेगा। इस कोष में जो धन रखता जायगा उसका उपयोग केवल राज्य सहकारी बौंकों को ऋण देने के लिये किया जायगा और इन बौंकों को यह अधिकार होगा कि वे अकाल, बाढ़, मूख्य घटनाओं वाले अवृत्तिक आपत्तियों के समय अतिप्राक्तालीन ऋण भी आवश्यकतानुसार मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित कर दें। अत सन् १९५५ के रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया एकट में जो सशोधन हुआ उससे यह स्पष्ट है कि देश में कृषि-साख को बहुत सहायता मिली है।

(४) सन् १९५६ व सन् १९५७ के सशोधन—इन सशोधनों वे द्वारा इस देश भ अनुप्राप्तिक कोष-निधि-प्रणाली के स्थान पर स्थिर स्वर्ण कोष प्रणाली वा जन्म हुआ। इस सम्बन्ध में ऊपर विस्तार से लिखा जा चुका है।

### रिजर्व बैंक आँफ इण्डिया व्यवहार में (The Reserve Bank of India in Action)

रिजर्व बैंक की महत्ता (Importance of the Reserve Bank)—रिजर्व बैंक वे बाधों के सम्बन्ध में बहुत बार यह प्रश्न उठता है जि वया यह बैंक अपने उद्देश्यों में सफल रहा है? या इस बैंक से देश को कहाँ तक लाभ पहुँचा है? सन् १९३५ से पहले देश में एक केन्द्रीय बैंक नहीं होने के बारण भारतीय नीतिग का पर्याप्त विकास नहीं होने पाया था, मुद्रा-वाजार के विभिन्न अग्रणीय घटनाएँ घटते थे, भौतिकी मुद्रा की

दुर्लभता रहती थी तथा इम्पीरियल बैंक की धौंक दर साख-नियन्त्रण करने में बहुत कुछ असफल ही रहती थी आदि। इसीलिए रिजर्व बैंक की स्थापना हो जाने पर इससे बहुत सी आशाएँ थीं। रिजर्व बैंक के २२ वर्ष के जीवन-काल के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संस्था में कुछ दोष रहते हुए भी यह अपने उद्देश्यों में बहुत कुछ सफल रहा है और इसने देश की अर्थव्यवस्था सेवा की है। इस बैंक के कारण ही देश में बैंकिंग का मुट्ठ व सुव्यवस्थित विवास होने पाया है। सद्योप में, रिजर्व बैंक निम्न-लिखित कार्यों को करने में समर्थ रहा है और उसने इनमें सफलता भी प्राप्त की है:—

- (i) नोट-निर्गम का कार्य:—यह कार्य बहुत मतोपजनक रहा है। जब से इस बैंक को नोट-निर्गम का अधिकार दिया गया है, तब से आज तक इसने नोट-निर्गम विधि में स्वर्ण के सिवके तथा स्वर्ण-पाट की मात्रा कभी भी ४० करोड़ रुपये से कम नहीं होने दी है बरन् सन् १९४८-४९ तक यह रकम इस सीमा से अधिक ही रही है। (ii) सस्ती-मुद्रा नीति—(Cheap Money Policy):—रिजर्व बैंक ने आरम्भ से ही सस्ती-नीति को अपनाया है। इस नीति द्वारा भारतीय व्यापारी उद्योग व कृषि की बढ़ती हुई रुपये की मात्रा की पूर्ति सफलता से हो सकी है। इस बैंक के जन्म से ही नवम्बर सन् १९५१ तक बैंक की दर ३ % रही है। इसमें सन् १९५१ में प्रथम बार परिवर्तन हुआ जबकि यह बढ़ाकर ३.५% कर दी गई और अब सन् १९५७ में द्वितीय बार परिवर्तन हुआ है। इस समय यह बढ़ा कर ४% कर दी गई है। (iii) सावंजनिक ऋण की व्यवस्था:—इस बैंक ने सरकार के दौंकर के रूप में सावंजनिक ऋणों का प्रबन्ध भी बहुत अच्छा किया है। यह सरकारी को बहुत कम व्याज की दरों पर ऋण दिलाने में सफल हुआ है। (iv) बैंकों का अन्तिम ऋणदाता:—आधिक संकट काल में इस बैंक ने बैंकों के अन्तिम ऋणदाता के रूप में बहुत सहायता की है और देश के अनेक बैंकों को हटने से बचाया है। (v) औद्योगिक वित्त-व्यवस्था (Industrial Finance):—रिजर्व बैंक के सहयोग तथा पष-प्रदर्शन द्वारा ही औद्योगिक वर्ष प्रमण्डल (Industrial Finance Corporation) दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करने के लिए स्थापित हो सका है। (vi) कृषि वर्ष व्यवस्था:—कृषि-साख सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन तथा मनु-संस्थान के लिये रिजर्व बैंक ने आरम्भ से ही कृषि-साख विभाग (Agricultural Credit Department) स्थापित किया था। परन्तु हाल ही में रिजर्व बैंक एकट में सन् १९५३ में और फिर सन् १९५५ में भी सशोधन हुये हैं जिनके कारण अब रिजर्व बैंक कृषि-साख व्यवस्था करने में और भी अधिक प्रयत्नशील हो गया है। इसके द्वारा सहकारी आन्दोलन को भी बहुत बल मिला है। (vii) व्याज की दरों में परिवर्तन:—रिजर्व बैंक व्याज की दरों में विभिन्न ऋणों में होने वाले परिवर्तनों को भी बहुत कुछ करने में सफल हो सका है। (viii) धन का हस्तान्तरण:—सरकार, जनता, सदस्य बैंकों, सहकारी मन्दिरियों तथा कुछ शर्तों पर असादस्य बैंकों को धन को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरित करने में इसने मुख्यालै दी है। (ix) बैंकिंग विधान—रिजर्व बैंक एकट तथा सन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज एकट द्वारा रिजर्व बैंक को जो विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं उनका उपयोग करके इसने देश में एक मुद्द तथा मुव्यवस्थित बैंकिंग-

प्रणाली की रखना चाही है। भारतीय नेतृत्व का समय समय पर निरोक्षण आर्थिक सकट को समय उनकी सहायता करने इसने उनका सहयोग प्राप्त किया है जिससे भारतीय बैंकों के दोष शब्द धीरे-धीरे दूर होते जा रहे हैं। (x) बिदेशी विनियम — अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से सम्बन्ध स्थापित करके इसने रुपये का बाह्य मूल्य स्थायी रखता है।

### रिजर्व बैंक की आलोचना

रिजर्व बैंक की आलोचना — यद्यपि रिजर्व बैंक पिछले २२ वर्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, परन्तु इसके विशद बुद्ध आरोप भी हैं। रिजर्व बैंक के कार्यों की आलोचना मुख्यतः इस प्रवार वीं जाती है—(i) रुपये के आन्तरिक मूल्य में अस्थिरता (Instability in the Internal Value of the Rupee) — आलोचनों का मत है कि रिजर्व बैंक रुपये के आन्तरिक मूल्य को स्थिर रखने में असफल रहा है। द्वितीय महायुद्ध काल में नोटों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई। जबकि सन् १९३८-३९ में नोटों की मात्रा वैवल २११ करोड़ रुपये थी तब सन् १९४५-४६ में इसकी मात्रा बढ़ कर १,१७६ करोड़ रुपया हो गई। मुद्रा की मात्रा में इस प्रकार की वृद्धि के कारण रुपये के आन्तरिक मूल्य में बहुत हास अथवा देश के मूल्य-स्तर में अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके घातक प्रभाव देश को आज भी सहन करने पड़ रहे हैं। इसीलिये आलोचनों का मत है कि रिजर्व बैंक की मुद्रा-नीति असफल रही है। परन्तु रिजर्व बैंक की उक्त नीति का समस्त दोष उसी पर ही नहीं योगा जा सकता है वरन् ग्रिटिंश सरकार ने भारतीयों की परतन्त्रता के कारण रिजर्व बैंक एकट द्वारा उस घारा वा लाभ उठाया जिसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक स्टर्लिंग प्रतिमूलियों (Sterling Securities) के आधार पर नोट नियंत्रण वर सकता था। चूंकि रिजर्व बैंक नोट नियंत्रण के सम्बन्ध में उस समय बोई स्वतन्त्र नीति का पूरा दायित्व रिजर्व बैंक पर नहीं रखता जा सकता है। (ii) बिल-बाजार का विकास (Development of the Bill Market) — रिजर्व बैंक देश में एक मुसागठित बिल बाजार का विकास करने तथा सदस्य बैंकों को बिल्स की पुन कटौती (Re Discount) की पर्याप्त सुविधाएँ देने में असफल रहा है। यह स्पष्ट है कि देश में बैंकिंग के समुचित विकास के लिये इसे उक्त सुविधाओं को अविलम्ब अधिकाधिक मात्रा में प्रदान करना चाहिये। (iii) मुद्रा-बाजार का विकास (Development of the Indian Money Market) — आलोचनों का मत है कि रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा-बाजार को सुहृद व मुसागठित करने में भी असफल रहा है। यह मुद्रा-बाजार की विभिन्न साख-संस्थाओं भी यथेष्ट सहयोग उत्पन्न नहीं करने पाया है और मुद्रा बाजार के एक महत्वपूर्ण अंग (स्वदेशी बैंकर्स) पर तो इसका विलुप्त भी नियन्त्रण नहीं है। रिजर्व बैंक एकट तथा सन् १९४४ के बैंकिंग कम्पनीज एकट से इसे जो विशेष अधिकार प्राप्त हुये हैं उनका इसे पूरा पूरा उपयोग करना चाहिये और देश की विभिन्न साख-संस्थाओं में सामजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिये। इसी तरह इसे स्वदेशी बैंकिंग तथा सहकारी बैंकों एवं सहकारी साक्ष समितियों द्वारा भी अपने नियन्त्रण में लाने का प्रयत्न करना चाहिये। (iv) कृषि साल की अपरस्था (Organisation of Agricultural Credit) — रिजर्व बैंक के विशद यह भी कह-

जाता है कि यह अभी तक हृषि-साल की उचित व्यवस्था नहीं कर सका है और न यह उन संस्थाओं पर भी नियन्त्रण कर सका है जो हृषि-साल की व्यवस्था करती हैं, जैसे महाबन व देशी बैंकर्स, सहरारी साल-मनितिया व सहरारी बैंक आदि। (v) बैंकों का फैल होना (Bank Failures):—कुछ आलोचकों वा यह मत है कि रिजर्व बैंक देश में बैंकों को फैल होने से बचाने में असमर्थ रहा है। इनका मत है कि रिजर्व बैंक बैंकों वा अन्तिम ऋणदाता है, इस कारण इसका यह वर्त्तन्व है कि यह उनको आवश्यकता के समय सहायता देवर हूटने से बचाये। परन्तु इम आलोचना में अधिक तथ्य नहीं है। रिजर्व बैंक समय-समय पर यदि बैंकों को सकट के समय आर्थिक सहायता नहीं देता, तब वहूत से बैंक वहूत पहले ही फैल हो जाते। कुछ समय पहले फैल होने वाले अधिकार बैंक्स ऐसे थे जिनकी वास्तविक स्थिति का ठीक-ठोक ज्ञान रिजर्व बैंक को नहीं होने पाता था। परन्तु सन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज एक्ट में उक्त स्थिति में वहूत मुघार हो गया है ब्योकि अब रिजर्व बैंक वो यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह कमज़ोर बैंकों वा एकीकरण (Amalgamation) करवा सकता है।

निष्कर्षः—रिजर्व बैंक में यद्यपि अब तक कुछ दोप रहे हैं या आज भी कुछ दोप हैं, परन्तु इसने देश में आर्थिक स्थायित्व का एक नया युग स्थापित कर दिया है। इसने समय-समय पर वित्तने ही महत्वपूर्ण वार्ष किये हैं। हितीय महायुद्ध के बारण उत्पन्न होने वाली मौद्रिक एवं विनियम समस्याओं का तथा अन्य अनेक घटनाओं का इसने सकलतापूर्वक मुख्यता किया है। बाज यही आशा है कि राष्ट्रीयरण के पश्चात् यह देश-हित में और भी अधिक उपयोगी वार्ष करने में सफल होंगा और देश के आर्थिक हितों की रक्षा करने में सदा अग्रसर रहेगा।

### परीक्षा-प्रश्न

#### Agra University, B. A. & B. Sc.

1. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की पिछले दस वर्षों की कार्यवाही पर आलोचनात्मक विचार करें। (१९६०)
2. भारत के रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक का वार्ष वही तक मुख्य रीति से किया है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिये। (१९५६ S)
3. रिजर्व बैंक एक्ट पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिये। सन् १९५६ के रिजर्व बैंक संशोधन एक्ट के क्या उद्देश्य हैं? (१९५७ S)
4. रिजर्व बैंक के कार्यों पर प्रवाप द्वालिए। (१९५७)
5. What principles should govern the note-issue in a country? In this connection, examine the provisions of the Reserve Bank of India Act. (1956)

#### Agra University, B. Com.

1. तुलनात्मक नोट लिंगिये—प्रानुमूल्य बैंक और गैर अनुमूल्य बैंक। (१९६०)
2. नोट लिंगिये—रिजर्व बैंक का हृषि-गार्ड-रिमार्ग। (१९५८)
3. What part does the Reserve Bank play in the banking system of India? How does it control the volume of credit in the country? (1585)
4. Explain the difference—Demand Liability and Time Liability of a Bank. (1988 S)
5. What part does the Reserve Bank of India play in relation to the currency and banking systems of the country? (1957 S)
6. Explain the

difference between—A Scheduled Bank and a Non-scheduled Bank. (1957 S) 7. Write a note on—Open market operations of the Reserve Bank of India. (1957) 8. Write a note on—Scheduled Banks. (1956 S, 1954) 9. What part does the Reserve Bank of India play in the banking system of this country? How does it control currency and credit in the country? (1956) 10. Describe the central banking functions of the Reserve Bank of India. How does it control the volume of currency and credit in the country and maintain the foreign exchange value of the rupee? (1955 S) 11. Write a note on—Agricultural credit department of the Reserve Bank (1955) 12. Explain briefly the constitution and functions of the Reserve Bank of India. How does it exercise control over currency and credit in the country? (1954) 13. Write a note on—Rebate on Bills Discounted (1954)

Banaras University, B. Com.

1. Examine the functions of the Reserve Bank of India (a) as note issuing authority and (b) as banker's bank. (1959)

Rajputana University, B. Com.

1. "During recent years, the Reserve Bank of India's policy has been directed, on the one hand, to checking the inflationary pressures generated by a development programme with a substantial amount of deficit financing, and on the other to assist in the extension of credit facilities for those sectors wherein development was being hampered by inadequacy of credit facilities." Discuss. (1959) 2. How does the Reserve Bank of India control and regulate the supply of currency and credit? Indicate your answer in the light of the recent Ordinance (Oct. 31, 1957) reducing the statutory minimum current reserve to R. 200 crores. (1958) 3. How does the Reserve Bank of India control and regulate the supply of currency and credit? (1957) 4. Give a critical estimate of the working of the Reserve Bank of India during the last decade of its existence (1955) 5. Write a note on—Nationalisation of Reserve Bank of India (1954)

Vikram University, B. Com

1. How does the Reserve Bank of India control and regulate the supply of currency and credit? (1959)

Allahabad University, B. A

1. भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की विवेचना कीजिए। (१९५६) 2. What is 'bank credit'? How does the Reserve Bank of India control it? (1954)

Allahabad University, B. Com

1. What is Bank Rate? How does it influence other money rates? Discuss with reference to India (1957) 2. Describe briefly the functions of the central Bank as to (a) structure (b) operations and (c) Supervision of the money market. How far has the Reserve Bank of India succeeded in integrating the banking system of the country? (1956)

Gorakhpur University, B. Com

1. What are the weapons in the hands of a central Bank to control volume of credit and currency in a country? How far has the Reserve Bank of India's policy succeeded in checking the rise in the Prices of certain commodities? (Pt. II. 1959) 2. How does the Reserve

## अध्याय १३

### भारत में मिश्रित पूँजी के बैंकस (व्यापारिक बैंकस) (Joint Stock Banks in India)

संक्षिप्त इतिहास.—मिश्रित पूँजी के बैंकस अथवा व्यापारिक बैंकस उन बैंकों को कहते हैं जिनकी स्थापना भारतीय कम्पनीज एक्ट १९१३ (Indian Companies Act, 1913) के अनुसार हुई है। यद्यपि स्टेट बैंक आँफ इण्डिया कुछ कार्य व्यापारिक बैंकस के भी करता है, परन्तु इसको हम व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में सामान्यतः नहीं रखते हैं क्योंकि इसका निर्माण पृथक् एक्ट से हुआ है। रिजर्व बैंक प्रॉफ़ इण्डिया साधारणतया व्यापारिक बैंकों के कार्य करता ही नहीं, इसलिये यह व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में नहीं रखता जा सकता। अतः रिजर्व बैंक अथवा स्टेट बैंक को छोड़कर देश के अन्य जितने भी सीमित दायित्व वाले बैंक कार्य कर रहे हैं वे सब व्यापारिक बैंकस या मिश्रित पूँजी के बैंकस बहे जाते हैं। यह स्मरण रहे की यद्यपि विनियम बैंकस व्यापारिक बैंकों के भी कार्य करते हैं, परन्तु चूंकि ये विदेशी व्यापार की अर्थ-व्यवस्था से मूलतः सम्बन्धित होते हैं, इसलिये उन्हें मिश्रित पूँजी के बैंकस अथवा व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में न रख कर, इन्हे, विनियम बैंकस, कहते हैं।

भारत में व्यापारिक बैंकों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। जिस समय अग्रज व्यापारी भारत आये, तब उन्होंने स्वदेशी बैंकर्स को उनकी प्रावश्यकता को पूर्ण करने में असमर्थ पाया जिसके कारण उन्होंने एजेन्सी-गृह (Agency Houses) की स्थापना करकर्ते और इसके आस-पास की। ये गृह ही भारत में श्राध्युनिक बैंकिंग के निर्माता हैं। कुछ समय पश्चात् आयिक बठिनाइयों के कारण उक्त गृह शनैः शनैः बन्द होते चले गये और इनका स्थान मिश्रित पूँजी के बैंकों ने ले लिया। यूँ तो सन् १७८५ में और इसके प्रास-पास सीमित दायित्व वाले बैंकों वी स्थापना का श्रीगणेश हो गया था जिनमें से कुछ को पश्च-मुद्रा चलन का भी अधिकार था, परन्तु इस प्रकार के व्यापारिक बैंकों की स्थापना तथा इनकी प्रगति मुश्यत सन् १८६० के पश्चात् ही हुई। यह इस बात से स्पष्ट है कि सन् १८६० तक देश में बैंकों की संख्या २५ हो गई थी, यद्यपि इस समय

\* "मिश्रित पूँजी के बैंकस" वाक्याश भ्रमात्मक है। वास्तव में ऐसे बैंकों की यह विशेषता होती है कि इनकी पूँजी एक से अधिक व्यक्तियों एवं सम्पादों द्वारा दी जाती है। इस प्रवार की विशेषता यदि व्यापारिक बैंकों में होती है, तब यह विनियम बैंकों में अप्यवा औद्योगिक बैंकों आदि में भी हो सकती है। यतः 'मिश्रित पूँजी के बैंकस' और 'व्यापारिक बैंक' वाक्याश पर्यायिक नहीं हैं। परन्तु परम्परा ही कुछ ऐसी है कि वैबल "व्यापारिक बैंकों" वो "मिश्रित पूँजी के बैंकस" बहते हैं और विनियम बैंकस अप्यवा औद्योगिक बैंकों वो मिश्रित पूँजी के बैंकस नहीं बहा जाता यद्यपि इन बैंकों की भी पूँजी एवं से अधिक व्यक्तियों अप्यवा सम्पादों द्वारा दी जाती है।

तक कितने ही बैंक खुले और जितन ही बैंक ठप्प भी हो गये। बैंकों की संख्या में सन् १९०० तक बोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, परन्तु तत्पश्चात् देश में व्यापारिक बैंकों का विशेष विकास हुआ। इसी समय कुछ ऐसे शक्तिशाली बैंकों की स्थापना हुई जो आज तक जीवित हैं और देश की बड़ी सेवा कर रहे हैं। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ होते ही देश में बैंकों की बाड़ सी आ गई क्योंकि इस समय तक स्वदेशी आन्दोलन को काफ़ी बल मिल चुका था। भारत में बैंकिंग के इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट है। सन् १९४६ के विकास कम्पनीज एक्ट के पास हीने तब, समय-समय पर दसियों बीसियों नये नये बैंकों द्वारा उनकी शाखाओं की स्थापना हुई और इसी काल में कुल मिलाकर सौकर्ण बैंक ठप्प भी हुये। इस सम्बन्ध में “भारत में बैंकिंग का विकास” शीर्षक नामक अध्याय में सविस्तार लिखा गया है।

### व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण

#### व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण (Classification of the Commercial Banks)

भारतीय व्यापारिक बैंकों को चार वर्गों में विभाजित किया जाता है—  
 (i) इस थेणी में उन सब व्यापारिक बैंकों का समावेश होता है जिनकी परिदृष्टि पूँजी (Paid up Capital) एवं निधि (Reserves) मिलाकर ५ लाख रुपये से अधिक होती है। इस प्रकार के बैंकों का नाम रिजर्व बैंक की दूसरी सूची (Schedule II) समिलित कर दिया जाता है। (ii) इस थेणी में वे बैंक हैं जिनकी परिदृष्टि पूँजी और निधि १ लाख से ५ लाख रुपये तक है। (iii) इस थेणी में वे बैंक हैं जिनकी परिदृष्टि पूँजी और निधि १० हजार रुपये से १ लाख रुपये तक है। (iv) इस थेणी में वे बैंक हैं जिनकी परिदृष्टि पूँजी और निधि १० हजार रुपये से कम होती है। इस समय इस थेणी में वे बैंक हैं जिनकी परिदृष्टि पूँजी और निधि ५० हजार रुपये से कम होती है। सन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज एक्ट के अनुसार अब बोई भी नया बैंक ५० हजार रुपये से कम पूँजी का स्थापित नहीं किया जा सकता है। चूंकि इस थेणी के बैंकों की आधिक दशा बहुत ही हीन होती है, इसीलिये इस प्रकार के बैंकों का शाने शाने अन्त होता जा रहा है। व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण एक दूसरे तरीके से भी व्यक्त किया जाता है—प्रथम, अनुमूल्यबद्ध बैंक संघ द्वितीय अमूल्यबद्ध बैंक। प्रथम थेणी के बैंकों की अर्थात् अनुमूल्य-बद्ध बैंकों की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(अ) ये वे बैंक हैं जिनकी परिदृष्टि पूँजी तथा निधि मिलाकर ५ लाख रुपये से अधिक होती है (आ) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की दूसरी सारिणी (Schedule II) में इन बैंकों के नाम का समावेश होता है, (इ) इन बैंकों को अपनी माँग देय (Demand Liabilities) का ५% तथा जाल देय (Time Liabilities) का २% रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दास जमा करना पड़ता है। इस तरह अनुमूल्य-बद्ध बैंक वे बैंक हैं जिनके सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को यह विश्वास रहता है कि ये अपने जमाने काम अपने जमाने काम (Depositors) के हित में ही करते हैं। इन बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा विशेष मुविधायें भी दी जाती हैं। ये रिजर्व बैंक से उचित सिक्यूरिटीज के आधार पर करणे ले सकते हैं अब तो हृषिकेय घ विनियम पत्रों की पुनः कटौती करवा सकते हैं आदि। कोई भी मिश्रित पूँजी का बैंक जो रिजर्व बैंक एक्ट की धारा ४२ (६) की

शर्तें पूरी करता है, उसका समावेश उक्त सूची में किया जाता है और इसे हम अनुसूची-बद्ध बैंक यहने लगते हैं। द्वितीय श्रेणी के बैंकों अर्थात् अनुसूची-बद्ध बैंकों को विशेषताएँ इस प्रकार हैं। —(अ) ये वे मिथित पूँजी के बैंकस हैं जिनके नाम का समावेश रिजर्व बैंक की द्वितीय सारिणी (Schedule II) में नहीं किया जाता है। रिजर्व बैंक इस प्रकार के बैंकों को भी सीमित मात्रा में कुछ सुविधाएँ दिया करता है।

### व्यापारिक बैंकों के कार्य

व्यापारिक बैंकों के कार्य (Functions of a Commercial Bank)—एक व्यापारिक बैंक विसी एक साधारण बैंक के सभी कार्य करता है। विसी एक बैंक के कार्यों के सम्बन्ध में “बैंक—विकास, परिभाषा, कार्य तथा वर्गीकरण” शीर्षक नामक अध्याय में विस्तार से लिखा जा चुका है। इसीलिए इस अध्याय में बैंकों के कार्यों के सम्बन्ध में बहुत ही संक्षेप में लिखा गया है। एक व्यापारिक बैंक मुख्यतः इस प्रकार से कार्य करता है—(i) जमा पर रूपया प्राप्त करना:—व्यापारिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य राष्ट्रीय बचत को एकत्रित करना है। ये इस बचत को या तो हिस्सों (Shares) को बेचकर या जमा (Deposits) द्वारा प्राप्त करते हैं। जमा खाते भारत प्रकार के होते हैं—निश्चित कालीन जमा खाता, सेविंग्स बैंक का खाता, अनिश्चित कालीन जमा खाता तथा चालू खाता। बैंकस इन जमा खातों पर साधारणतया ब्याज देते हैं। प्रायः व्यापारिक बैंकों के पास जमा की मात्रा देशवासियों की आय, बचाने की क्षमता, उपलब्ध बैंकिंग सुविधाएँ, बैंकों में जनता का विद्वास, व्याज की दर आदि पर निर्भर रहती है। (ii) छण-देना:—व्यापारिक बैंकस उनके द्वारा प्राप्त जमा को उधार देकर समाज के आर्थिक जीवन में अमूल्य सहायता देते हैं। इनके द्वारा साख-वितरण वा यह कार्य या तो उचित प्रतिभूतियों के आधार पर छण देकर (Loans) या अधिवितर्य (Over-draft) या हुगिड्यों की पुनः कटीती (Re-discount) द्वारा मुख्यतः किया जाता है। (iii) एजेन्सी कार्य करना:—व्यापारिक बैंकस अपने ग्राहकों की एजेन्सी के कार्य भी करते हैं। इस रूप में ये अपने ग्राहकों के विनिमय-साध्य साख-पत्रों का भुगतान एकत्रित करते हैं, ग्राहकों की ओर से रूपये का भुगतान करते हैं य इसे प्राप्त करते हैं, उनकी ओर से प्रतिभूतियों वा क्रय-विक्रय करते हैं अथवा रूपये का हस्तान्तरण करते हैं। व्यापारिक बैंकस साख प्रमाण-पत्रों को जारी करते हैं, यात्रियों के चंक जारी करते हैं, बिदेशी विनिमय वा क्रय-विक्रय करते हैं, भारत निर्णयकारी के रूप में कार्य में फरते हैं, सुरक्षा सम्बन्धी वार्य करते हैं, धन सम्बन्धी सेवाह देते हैं तथा सखार व अन्य संस्थाओं के ऋणी का अभिगोपन (Under-writing) करते हैं आदि।

### व्यापारिक बैंकों की कठिनाइयाँ और इनके दोष

भारत में व्यापारिक बैंकों की कठिनाइयाँ और इनके दोष (Difficulties and Defects of the Commercial Banks in India):—यद्यपि द्वितीय महायुद्ध काल में भारत में व्यापारिक बैंकों वा बहुत विकास हुआ, परन्तु देशों की तुलना में हमारे देश में ऐसिंग वो सुविधाएँ भव भी भर्पार्पित हैं। यदि स्विट्जरलैण्ड (Switzerland) में

प्रति १,३३३ व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है और इंग्लॅण्ड (England) में प्रति ३६०० व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है, तब भारतवर्ष में प्रति २ लाख ७६ हजार व्यक्तियों के पीछे एक बैंक है। इन ग्रौबडो से स्पष्ट है कि हमारे देश में व्यापारिक बैंकिंग का विकास बहुत मन्द गति से हुआ है। व्यापारिक बैंकिंग के विकास की सिधिलता के मुख्य कारण इस प्रकार हैं—(i) बैंकिंग-सकट—देश में समय-समय पर बैंकिंग सकट आने के कारण जिसने ही बैंक फेल हुये हैं जिससे बैंकों में जनता के विकास पर बहुत आदात पहुँचा है। साधारण व्यक्ति इन बैंकों में अपने धन को जमा करना उचित नहीं समझते हैं। बैंकों में अधिकारी का एक कारण यह भी है कि आज भी इनके दोषों में सदा व्यापार जिया जाता है। (ii) जनता की सकृचित मनोवृत्ति तथा बैंकिंग आदत का अभाव—यूँ हो देशवासियों की शौकत आप ही बहुत कम है कि जिससे बचत कम होने पाती है, परन्तु कुछ व्यक्ति जो कुछ भी बचत करते हैं, उसे वे बैंकों में जमा नहीं करते हैं बरन् वे इसे अपने पास गाड़ कर रखना ही अधिक सुरक्षित समझते हैं। जनता में बैंकिंग की आदात के अभाव के कारण बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में जमा-धन प्राप्त नहीं होने पाता है जिससे उन्हें पर्याप्त मात्रा में वार्षीय-पूँजी प्राप्त नहीं होती है। (iii) उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम—हिन्दू व मुस्लिम उत्तराधिकार के नियम (Hindu and Muslim Laws of Inheritance) ऐसे हैं कि बैंकों को ऋण-युगतान के समय घनेक वटिनालयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिये बैंकम अचल सम्पत्ति की आठ पर छूट देना अमुरक्षित समझते हैं। (iv) सरकार घ सरकारी संस्थाओं से प्रोत्साहन नहीं मिला है—सरकार, सावं-जनिक संस्थाएँ जैसे—नगरपालिकाएँ, पोर्ट ट्रस्ट, बोर्ड ऑफ बांड-स आदि ने व्यापारिक बैंकों को बहुत कम प्रोत्साहन दिया है। यदि वे संस्थाएँ व्यापारिक बैंकों से लेन-देन करती, तब न केवल इनकी साख बढ़ती बरन् इनकी जमा राशि भी बढ़ती जिससे इनकी व्यापारिक उन्नति हो जाती। यह सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा व्यापारिक बैंकों में अपने को पन्नी रखने के कारण भी देश में व्यापारिक बैंकिंग को प्रोत्साहन नहीं मिल सका है। (v) विनियम व विदेशी बैंकों से प्रतियोगिता—व्यापारिक बैंकों को विनियम बैंकों से बहुत अधिक प्रतियोगिता करनी पड़ती है। विनियम बैंकों की शाखाएँ न केवल आयात निर्यात के बेन्द्रों तक ही सीमित हैं बरन् इनकी शाखाएँ देश में अमुक व्यापारिक बैंकों पर भी पाई जाती हैं। विनियम व विदेशी बैंकों की आधिक स्थिति बहुत अच्छी पाई जाती है। जिससे भारतीय जनता का इन बैंकों में विकास भी बहुत अधिक होता है। इस कारण इन बैंकों के पास जमा (Deposits) भी स्वदेशी व्यापारिक बैंकों की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है और ये इस जमा राशि के भारतीय बैंकों से, देशी व्यापार तथा साधारण बैंकिंग के कार्यों में, प्रतियोगिता करते हैं जिससे इन बैंकों के पास व्यापार की कमी रहती है। (vi) भारत का विदेशी व्यापार मुख्यत विदेशीयों के हाथ में रहा है—विदेशी व्यापारियों ने अपना लेन-देन मुख्यत विदेशी बैंकों के साथ ही रखा है। इस कारण देश के व्यापारिक बैंकों पर नहीं सके हैं। (vii) इम्पीरियल बैंक तथा स्वदेशी बैंकों से प्रतियोगिता—बेन्द्रीय बैंकिंग जात्व समिति (Central Banking Enquiry Committee) के अनुसार देश के व्यापारिक बैंकों को एक और तो इम्पीरियल

बैंक व विनियम बैंकों गे और दूसरी ओर देश के स्वदेशी बैंक्स (Indigenous Bankers) से प्रतियोगिता करनी पड़ती है जिसके कारण ये नदा संकटमय अवस्था में रहते हैं अथवा तीव्र प्रतियोगिता वा जीवन व्यतीत करते हैं। (viii) बैंकों की शाखाओं का अभावः— द्वितीय महायुद्ध काल तक भारत में शाखा-बैंकिंग पद्धति (Branch Banking System) का बहुत अभाव रहा है जिसके कारण बहुत से थोटे-थोटे बैंक्स बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके। अतः बैंकों की शाखाओं के अभाव वे कारण जोगिम का प्रादेशिक वितरण नहीं होने पाया है और जनता में बैंकिंग की आदत भी पर्याप्त मात्रा में जाग्रत नहीं हो सकी है। (ix) बैंकों की कार्य-क्षमता में श्रुटियाँ—व्यापारिक बैंकों की कार्य-प्रणाली में भी अनेक ऐसे दोष हैं जिनके बारण देश में इन बैंकों का पर्याप्त विकास नहीं हो सका:—(अ) व्यापारिक बैंकों ने अपने अधिकाश धन का विनियोग सखारी प्रति-भूतियों में किया है जिसके बारण देश में व्यापारिक गिल्ग का अधिक प्रचार तथा उपयोग नहीं हो सका है। चूंकि देश में एक समुचित विल-व्याजार का विकास नहीं होने पाया है, इस बारण व्यापारिक बैंकिंग वा भी पर्याप्त विकास नहीं हो सका है वयोंकि देश में सुरक्षित विनियोग के साधनों का अभाव रहा है। (आ) बैंकम अपने ग्राहकों वो दिना किसी अन्य व्यक्ति की जमानत या स्वीकृत प्रतिभूति के अहरण नहीं देते जिससे इनकी व्यापारिक प्रगति में बाधा पड़ती है। इसारा मुश्य बारण यह है कि हमारे देश में पाश्चात्य देशों की तरह सेयड्स (Syeds) तथा डून्स (Duns) जैसी संस्थाएँ नहीं हैं जो बैंकों को उनके ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जानकारी दे सकें। (इ) पाश्चात्य देशों की, तरह भारत में बैंकस ग्राहकों को उनकी व्यक्तिगत सारा पर कृष्ण नहीं देते हैं। इसका बारण यह है कि बैंक्स और ग्राहकों में पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं पाया जाता है जिससे उन्हें अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति यी ठीक-ठीक जानकारी नहीं होने पाती है। परन्तु पाश्चात्य देशों में “एक व्यक्ति एक बैंक” (One man One bank) की प्रथा पाई जाती है अर्थात् किसी एक व्यापारी का विसी एक बैंक से बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध होता है और व्यापारी अपने बैंक को रामयनामय पर अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत बरता रहता है। परिणाम यह होता है कि बैंक और ग्राहक में घनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है और वह अपने ग्राहक को उसकी व्यक्तिगत सारा पर भी कृष्ण दे देता है इसके विपरीत भारतीय व्यापारी बैंकल किसी एक बैंक गे ही अपना सम्बन्ध नहीं रखता बरन् वह बैंकों वो अपनी आर्थिक स्थिति की झूँण गूचना देना भी पसन्द नहीं किया बरता है जिसके कारण बैंकस उसकी व्यक्तिगत सारा पर रखना नहीं देने। अतः चूंकि भारत में व्यक्तिगत सारा के आधार पर कृष्ण देने वी प्रथा नहीं है, इस बारण बैंकों वी विदेश व्यापारिक प्रगति नहीं होने पाई है। (ई) कुछ व्यापारिक बैंकों ने बैंकिंग के सिद्धान्तों वा पालन नहीं किया है—जैसे, घन या सट्टे-व्यापार में विनियोग करना, ऊंचे-ऊंचे लाभांश वितरित करना और रक्षित-कोष वा निर्माण नहीं बरना आदि। इस प्रबार वी दोषजूँ नीति अपनाने से अनेक बैंक फेल हो गये और इससे भारतीय बैंकिंग में जनता वा विवास बहुत कम हो गया। (उ) बैंकों में आपम में पारस्परिक सहयोग के अभाव वे कारण गलाकाट प्रतियोगिता रही है जिससे थोटे-थोटे बैंकों की आर्थिक-स्थिति बोए हो जाती है और तनिक से

आर्थिक सकट के समय ये फैल हो जाते हैं। (अ) बैंकों की अकुशन सेवा, अग्रेजो भाषा द्वारा कार्य करना, शासाओं का अभाव, दूषित सचानन मड्डल आदि ऐसे कारण रहे हैं जिनके कारण या तो बैंकों को कोई विशेष व्यापारिक प्रगति नहीं होने पाई है या बहुत से बैंक समय समय पर पेंग हुये हैं जिससे भारतीय बैंकिंग को बहुत दूरी पहुँची है। (ब) सरकारी सहायता का अभाव —हाल ही तक सरकार भारतीय बैंकिंग के प्रति उदासीन रही है। परिणामत जनता का देश वे बैंकिंग में अधिक विश्वास उत्पन्न नहीं होने पाया है। (ग) बैंकों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्ति —हमारे देश में बैंकों में लंगे-ऊंचे पदों पर विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रथा चली आई है। ये व्यक्ति न तो देश के व्यापारियों से निकट सम्बन्ध स्थापित करने पाये हैं और न मैं उनका विश्वास ही प्राप्त कर सके हैं जिससे बैंकिंग द्वी प्रगति में बाधा पड़ी है।

### भारतीय बैंकिंग के दोषों एवं कठिनाइयों को दूर करने के सुझाव

भारतीय बैंकिंग के दोषों एवं कठिनाइयों को दूर करने के सुझाव (Suggestions to improve the conditions of Commercial Banking in India) —भारतीय बैंकिंग की उत्तमिति कठिनाइयों को दूर किये विना हमारे देश में व्यापारिक बैंकिंग का पर्याप्त विकास नहीं हो सकता और जब तक देश में बैंकिंग का समुचित विकास नहीं होता, तब तक व्यापार हवाय और उद्योगों की भी योग्यता उत्तमति नहीं हो सकती। यद्यपि सन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज एक्ट के पास हो जाने से भारतीय बैंकिंग के बहुत से उत्तमिति दोष स्वत ही दूर हो जायेंगे और वास्तव में इस समय तक दूर हो भी गये हैं, जिन्हे फिर भी भारतीय बैंकिंग वे समुचित विकास के लिये समय समय पर निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं—(१) नई नई शासाओं की स्थापना के लिये प्रोत्साहन—देश में समुचित बैंकिंग-व्यवस्था के विकास के लिये यह आवश्यक है कि बैंकों वो ग्रामीण शेत्रों तथा छोटे-छोटे नगरों में नई-नई शासाएं खोलने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए। रिजर्व बैंक इस और विशेष सत्रिय कार्य कर सकता है। इसे चाहिए कि वह बैंकों की नई-नई शासाओं के पास कुछ राशि अपनी ओर से जमा करे और जदृ उत्त शासाएं समर्थ हो जाएं, तब वह उक्त राशि को शर्ने शर्ने निकाल से। इसी तरह रिजर्व बैंक वो उक्त बैंकों को पन के स्थानान्तरण तथा विल्स की पुन कटौती की भी विशेष सुविधाएं देनी चाहिए। यद्यपि इस समय रिजर्व बैंक बैंकों वो उक्त सुविधाएं दे रहा है, परन्तु ग्रामीण बैंकिंग जात समिति (Rural Banking Enquiry Committee) ने ग्रामीण शेत्रों में बैंकिंग के हेतु यह सिफारिश की है कि रिजर्व बैंक को धन-स्थानान्तरण शुल्क बहुत कम कर देना चाहिये। (२) बैंकों में जनता का विश्वास उत्पन्न करने के लिये सरकार को सलिल कार्य करने का हित देना चाहिए—इस उद्देश्य को पूर्ति के हेतु सरकार वो यह चाहिये हि वह पोर्ट-ट्रॉफ-नगरालिकाएं, बोर्ड ऑफ वार्ड स आदि अर्ध-सरकारी स्थानों को यह आदेश दे कि उन्हे अपने क्षेत्रों को देश के प्रमुख व्यापारिक बैंकों में रखने के लिये प्राप्ति देनी चाहिये ताकि देश में जनता का विश्वास व्यापारिक बैंकों में बढ़ सके। इसके अतिरिक्त सरकार को स्वयं भी बैंकों को बरो (Taxes) की नमी के रूप में सुविधाएं

प्रदान करनी चाहिए तथा अपने ऋण-कार्यों के कुछ भाग का सचालन भी देश के व्यापारिक बैंकों द्वारा देना चाहिये ताकि वे भी अपनी समुचित उन्नति कर सकें। इसी तरह सरकार को बैंकों को स्टैम्प-ड्यूटी (Stamp Duty), रजिस्ट्रेशन-फीस (Registration Fees) आदि में कुछ अधिकार मालिकों के हृषि में भी सुविधा देनी चाहिए आदि। (iii) विनियम बैंकों का कार्य-क्षेत्र आयात-निर्यात के बैंद्रों तक ही सीमित कर देना चाहिये—सरकार को विनियम बैंकों का कार्य-क्षेत्र इस प्रकार सीमित कर देना चाहिये जो ये व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता नहीं कर सकें। यह तब ही सम्भव है जबकि इनका कार्य-क्षेत्र केवल आयात-निर्यात के केन्द्रों तक ही सीमित कर दिया जाय। सन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज एकट के अनुसार अब विनियम बैंकों को भी देश में अपने कार्य के संचालन के लिए लाइसेंस (Licence) लेना पड़ेगा। इस तरह रिजर्व बैंक अब इन बैंकों पर भी नियन्त्रण करने लगा है, परन्तु उसे इस ओर अधिक सक्रिय कार्य करने चाहिए, ताकि व्यापारिक बैंकों और विनियम बैंकों में गला-काट प्रतियोगिता का अन्त हो जाये। (iv) अखिल भारतीय बैंकिंग संघ (All India Bank's Association) इस प्रकार के संघ की स्थापना हो चुकी है। इस संघ को देश से समस्त बैंकों को अपना सदस्य बनाकर उनमें पारस्परिक सहयोग एवं सहकारिता की वृद्धि करनी चाहिये। बैंकों की आपसी प्रतियोगिता में जितनी कमी होगी, उतना ही अधिक बैंकों की समुचित उन्नति हो सकेगी। इस संघ को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के विभिन्न देशों में अपनी दाखायें खोलनी चाहिये ताकि अमुक देश के बैंकस आपस में मिलकर अपनी असुविधाओं व कठिनाइयों पर सोच-विचार कर सकें और उनके निवारण के लिये कुछ नियंत्रण ले सकें। सरकार को भी इस संघ द्वारा दिये गए सुझावों पर सहानुभूति से विचार करना चाहिये। (v) स्वदेशी बैंकर्स को स्थानीय बैंक में परिणत करने के लिये सहायता—सरकार को तथा रिजर्व बैंक द्वारा स्वदेशी बैंकर्स (Indigenous Bankers) को स्थानीय बैंक में परिणत हो जाने के लिये सहायता देनी चाहिये ताकि उन देशों में जहाँ पर अभी तक व्यापारिक बैंकों की दाखायें स्थापित नहीं हो सकी हैं और स्वदेशी बैंकर्स बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, आधुनिक बैंकिंग की सुविधायें उपलब्ध हो सकें। इस तरह देश में देशी बैंकर्स के मित्र-व्ययी-प्रबन्ध तथा आधुनिक बैंकों की कुशलता का सम्मिश्रण हो जायगा। (vi) छोटे-छोटे बैंकों का एकीकरण—सन् १९४६ के बैंकिंग कम्पनीज एकट ने रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे दिया है कि वह छोटे-छोटे बैंकों का एकीकरण (Amalgamation) करा सकता है। अतः रिजर्व बैंक को चाहिये कि उसे अलाभकर एवं बहुत छोटे-छोटे बैंकों का दोष ही एकीकरण करा देना चाहिये। (vii) बैंकों की कार्य-प्रणाली की शृंखियों का निवारण होना चाहिये—बैंकों को अपनी कार्य-प्रणाली की शृंखियों का निवारण करना चाहिये। यद्यपि देश के विभिन्न बैंकस इस समय इस ओर बहुत प्रयत्नशील हैं, परन्तु इसमें और भी अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। बैंकों को योग्य व कुशल कार्य-प्रणालीयों को नियुक्त करनी चाहिए, अधिल भारतीय बैंकिंग संघ द्वारा कार्यालय-समय जनता की हृषि से सुविधाजनक होना चाहिये, बैंकिंग कार्यों में अंग्रेजी के स्थान पर प्रान्तीय भाषाओं का

उपयोग करना चाहिये (विदेशी व्यवहारों में ही केवल अपेक्षी का उपयोग होना चाहिये) ताकि जन साधारण भी बैंकों से अपना लेन देन का कार्य कर सकें और बैंकों के व्यापा रिक क्षेत्र में बुद्धि हो सके, बैंकों के हिसाब रखने की रीतियों में सुधार होना चाहिए, बैंकों के ऋण सामान्यतया उत्पादक व्यायों के लिए ही होने चाहिये और क्रण-सम्बन्धी जमानत के नियम भी उदार होने चाहिये बैंकों द्वारा व्यापारिक विल्स के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिये आदि। (viii) "एक व्यक्ति—एक बैंक" की पद्धति को प्रोत्साहन देना चाहिये —पाश्चात्य देशों की तरह भारत में भी "एक व्यक्ति—एक बैंक" की पद्धति अपनाई जानी चाहिये। यह तब ही सम्भव है जबकि दैनन्दिन ऐसे व्यक्ति एवं स्थानों को बपता ग्राहक नहीं बनाये जिनका लेखा (Accounts) अन्य दिसी दूसरे बैंक में भी है। इस पद्धति का यह साभ है कि बैंकों द्वारा अपने ऋणियों एवं ग्राहकों की आधिक स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान रखने के कारण वे उनको उनको व्यक्तिगत साक्ष द्वारा आधार पर भी रख्या उधार दे सकें जिससे बैंकों की बहुत व्यापारिक उन्नति हो सकेगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये ऐसी स्थानों वाली भी स्थापना होनी चाहिये जो बैंकों द्वारा तथा व्यापारियों के सम्बन्ध में गुप्त व विश्वसनीय सूचनाएँ एकत्रित करती रह। (ix) उत्तराधिकारियों के नियमों में सुधार —उत्तराधिकार के वर्तमान नियमों के कारण व्यापारिक बैंकों द्वारा जमानत सम्बन्धी जो कुछ भी वैधानिक अडचनों का सामना करना पड़ता है, उनसे उनके क्रण-व्यायों में बहुत रुकावट होती है। अत उक्त नियमों में इस प्रकार का सुधार होना चाहिये कि उक्त वाधाओं का शीघ्र ही निवारण हो जाये। (x) रिजर्व बैंक व स्टेट बैंक द्वीनीति —आर्थिक सकट के समय इन दोनों बैंकों द्वारा अपनी नीति अधिक उदार बना देनी चाहिये। इसी तरह स्टेट बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों के प्रति प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की नीति अपनानी चाहिये। (xi) "जमा-बीमा पद्धति" अपनाई जानी चाहिये —अमेरिका की तरह हमारे देश में भी "जमा-बीमा पद्धति" (Deposit Insurance System) अपनाई जानी चाहिये ताकि बैंकों में जमावर्तीओं वाली जमा की पूर्ण सुरक्षा हो सके। इस दर्य के लिये देश में जमा बीमा कम्पनियों (Deposit Insurance Companies) वाली स्थापना होनी चाहिये। इस पद्धति के अपनाने से कई लाभ प्राप्त हो सकेंगे—(ii) बैंकों द्वारा ऋण नीति में समानता आ जायगी (आ) जमा बीमा कम्पनियों द्वारा बैंकों की कठए नीति कम अधिक मात्रा में नियन्त्रित हो जायगी, (iii) बैंकों के आधिक सकटों का निवारण हो जायगा। परन्तु भारत में वर्तमान दशाओं में उक्त योजना की सफलता की बहुत कम सम्भावना है वयोंकि देश में बैंकिंग का स्तर बहुत ही निम्न है।

रिजर्व बैंक —यह सर्वमान्य है कि भारतीय व्यापारिक बैंकों द्वारा वर्तमान कार्य प्रणाली में अनेक त्रुटियाँ हैं और इनमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार के अनेक प्रयत्न किये गये हैं। सन् १९४५ में बैंकिंग कम्पनीज एकट पास हुआ जिसने रिजर्व बैंक को बैंकों पर अनेक प्रकार से नियन्त्रण करने का अधिकार दिया। रिजर्व बैंक एकट में स्वयं सशोधन किया गया है ताकि यह देश के बैंकिंग विकास में सहित कार्य कर सके और व्यापारिक बैंकों की समु-

नित उभ्रति के लिये उन पर उचित देव-रेत रख सके। ग्रामीण व अर्ध-ग्रामीण दोनों में बैंकिंग सुविधाओं का शीघ्र विकास किया जा रहा है। इन सब दार्तों से यह स्पष्ट है कि भारतीय बैंकिंग का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

### परीक्षा-प्रश्न

**Agra University, B. Com**

1. What are the main points of difference between a Joint stock Bank and a Co-operative Bank? (1958 S, 1957)

**Allahabad University, B. Com.**

1. Discuss the broad features of commercial banking in India and show how various agencies for industrial finance are integrated in this country? (1956)

**Rajputana University, B. A.**

1. Briefly discuss the functions of Commercial Banks. How far Indian Commercial Banks perform these functions? (1957)

**Rajputana University, B. Com.**

1. Examine the case for the nationalisation of Commercial Banking in India. (1957)

**Bihar University, B. Com.**

1. Examine the economic functions of Commercial banks. Can you suggest some special functions to be discharged by the Commercial banks in India to make them more useful? (1959)

**Nagpur University, B. A.**

1. भारतीय बाणिज्य-अधिकारों को सुरक्षितता (Safety) और तरलता (Liquidity) के हेतु क्या व्यवस्था की गई है? (१९५५)

### अध्याय १४

## भारत में विदेशी विनियम बैंक्स (Foreign Exchange Banks in India) संक्षिप्त इतिहास

परिभाषा और संक्षिप्त इतिहास (Definition and Short History):—

विदेशी विनियम बैंकों से हमारा अभिन्नता उन बैंकों से होता है जो विदेशी विनियम में व्यवसाय करते हैं और भारत में विदेशी व्यापार की अपेक्षाएँ व्यवस्था करते हैं। वास्तव में भारत में विनियम बैंक वे व्यापारिक बैंक हैं जिनके प्रधान कार्यालय विदेशों में और शाखाएँ भारत में हैं। भारत में विनियम बैंक की शाखाएँ मुख्यतः बन्दरगाहों तथा उन

अन्य व्यापारिक केन्द्रों पर पाई जाती है जहाँ पर आयात-निर्यात का व्यापार होता है। कुछ समय से इन बैंकों ने अपनी शाखायें देश के आन्तरिक भागों में भी स्थापित की हैं और अब ये बैंकस भी अन्य व्यापारिक बैंकों की तरह साधारण बैंकिंग के कार्य भी करने लगे हैं। यह स्वाभाविक है कि इस दशा में देश के व्यापारिक बैंकों और विदेशी विनियम बैंकों में प्रतिस्पर्धा होने लगी है जिसका हमारे देश के बैंकिंग पर बहुत ही घाटक प्रभाव पड़ा है। विदेशी बैंकों के साधन तथा उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती है जिसके कारण भारतीय व्यापारिक बैंकस उनसे प्रतियोगिता करने में असमर्थ ही रहते हैं।

भारत में विदेशी विनियम बैंकस का उद्गम ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन काल में हुआ। भारत में ग्रिटिंश सत्ता स्थापित हो जाने पर देश का विदेशी व्यापार मुख्यत अप्रेजों के हाथ में आ गया। उस समय अप्रेजों ने ऐसे बैंकों की स्थापना की प्रोत्साहन दिया जो भारत और इण्टर्नल की मुद्राओं का विनियम कर सकें और भारत के विदेशी व्यापार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। चूंकि ग्रिटिंश सत्ता ने विदेशियों को भारत में इस प्रकार के बैंकों को स्थापित करने की पूरी-मूरी मुद्रितायें प्रदान की, इसलिये बहुत योडे से ही समय में इनकी देश में बहुत उन्नति हो गई। परिणामतः देश में विनियम बैंकस शनै शनै शक्तिशाली होते चले गये और स्वदेशी बैंकस जो वि उस समय तक विदेशी व्यापार की शर्य-व्यवस्था किया करते थे, दुर्बल होते चले गये। भारतीय व्यापारिक बैंकों ने भी समय-समय पर विदेशी विनियम व्यवसाय में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, परन्तु आरम्भ में उन्हें इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। “एलायत बैंक ऑफ शिमला” ने सर्व प्रयत्न यह कार्य आरम्भ किया था, परन्तु १९२३ में यह बैंक ठप्प हो गया। इसी तरह सन् १९३६ में “सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया” ने लद्दन में अपनी शाखा स्थापित करके विदेशी विनियम कार्य आरम्भ किया परन्तु सन् १९३८ में उसे इस कार्य को बन्द करना पड़ा। इस तरह भारतीय बैंकों ने आरम्भ में विदेशी विनियम व्यवसाय में प्रवेश करने के जितने भी प्रयत्न किये वे सभी असफल हुये। इसके अनेक कारण हैं—(i) विदेशी बैंकों की कार्यशाल पूँजी भारतीय बैंकों की तुलना में बहुत अधिक थी जिसके कारण वे बहुत शक्तिशाली बैंक बन गये और प्रतियोगिता में भारतीय बैंकों को हरा सके। (ii) विदेशी बैंकों की शाखायें प्राय अनेक दशों में थीं परन्तु भारतीय बैंकों की शाखायें विदेशी में नहीं थीं जिससे वे विदेशी व्यापार में प्रवेश नहीं करने पाते थे। (iii) विदेशी बैंकों का विदेशी मुद्रा-बाजार से बहुत अनिष्ट सम्बन्ध रहता था जिससे वे अपनी अधिकार कार्यशाल पूँजी विदेशी में ही एकत्रित कर लेते थे। परन्तु भारतीय बैंकों का सम्बन्ध विदेशी मुद्रा बाजार से इतना अनिष्ट नहीं था जिसके कारण वे विदेशी बैंकों से प्रतियोगिता में टिकने नहीं पाते थे। (iv) विदेशी बैंकों के कमचारी भारतीय बैंकों की तुलना में बहुत दुश्मन थे। यह विदेशी बैंक की उन्नति का एक मुख्य कारण उनके प्रबन्ध की कुशलता भी थी। (v) भारतीय बैंकस विदेशी व्यापार के प्रति टट्स्य ही रहते थे। इसका कारण यह था कि इनके साधन कम रहते थे और ये इनका भारतीय व्यापार में ही अधिक लाभप्रद उपयोग कर सकते थे। यह बैंक जो विदेशी व्यापार में प्रवेश करना चाहता है, ने केवल उसकी

कार्यसौल पूँजी ही अधिक होनी चाहिये वरन् उसे कुछ वर्षों तक विदेशी व्यापार में हानि सहने के लिए भी तत्पर रहना चाहिये। परन्तु अधिकांश भारतीय बैंक्स इस प्रकार की हानि को उठाने के लिये तैयार नहीं थे। जिसके कारण भारतीय बैंक्स विदेशी व्यापार में पनप नहीं सके। (vi) विदेशी बैंकों को भारत में व्यापार करने में अनेक सुविधाएँ उपलब्ध थीं और सरकार की ओर से इन्हें हर प्रकार की सहायता मिलती थी, परन्तु भारतीय बैंकों को विदेशों में न केवल सुविधाएँ ही नहीं मिलती थीं वरन् वहाँ की सरकारों द्वारा भी अनेक प्रकार की दाधाएँ लगाई जाती थीं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की नीति ही ऐसी थी कि भारतीय बैंकों को विदेशों में अपनी शाखायें स्थापित करने में उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता था। (vii) विदेशी बैंकों के विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्यों का प्रारम्भ बहुत समय पहले हो गया था जिससे इन्होंने इन कार्यों के सम्बन्ध में एक विशेष प्रतिष्ठा एवं स्थाति प्राप्त कर ली थी। परन्तु भारतीय बैंकों की इस प्रकार की स्थाति नहीं होने के कारण, ये विदेशी बैंकों से प्रतियोगिता में नहीं ठहर सके। (viii) भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार विदेशियों के हाथों में ही रहा है। इन्होंने भारतीय बैंकों की कभी भी अपना व्यापारिक कार्य सौंपना पसन्द नहीं किया वरन् ये अन्य व्यापारियों को भी ऐसा नहीं करने देते थे। इस अवस्था में भारतीय बैंकों का पनपना ही असम्भव था। यह स्मरण रहे कि उत्तरांशित कारणों में से अधिकांश कारण आज भी बहुत अधिक प्रभावी हैं जिनके कारण आज भी भारतीय बैंकों के विदेशी विनिमय कार्यों का बहुत अधिक विकास नहीं होने पा रहा है।

### विदेशी विनिमय बैंकों के कार्य

(Functions of the Foreign Exchange Banks)

विदेशी विनिमय बैंकों के कार्य:—विनिमय बैंकों के मुख्य-मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:—

(१) निर्यात व्यापार को आर्थिक सहायता देना:—विनिमय बैंक्स विदेशी विनिमय विल्स की स्वीकृति (Acceptances) व कटौती (Discounting) करके सहायता देते हैं। इस क्रिया द्वारा भारतीय बन्दरगाहों से विदेशी बन्दरगाहों तक और विदेशी बन्दरगाहों से भारतीय बन्दरगाहों तक वस्तुओं की निर्यात-आयात सुगम हो जाती है। निर्यात व्यापार की आर्थिक सहायता देने की प्रणाली इस प्रकार है—जब कभी कोई एक भारतीय निर्यातकर्ता (Indian Exporter) अपने माल का निर्यात करता है, तब वह अपने विदेशी ग्राहक (Foreign Importer) या उसके बैंक पर दर्दनी स्वीकृति विल (Document on Acceptance or D.A.) या मुगातान विल (Document on payment or D.P.) जारी करता है। ये दोनों प्रकार के विल साधारणतया प्रस्तुत करने की ३ मास की अवधि में सौंपनीय होते हैं। आयातकर्ता जो अपने देश में स्थित बैंक या साथ कार्यालय से साथ का प्रबन्ध करना पड़ता और जब निर्यातकर्ता इस प्रकार की यात्रा की व्यवस्था नीं सूचना प्राप्त कर लेता है तब वह आयातकर्ता पर विल या ड्राफ्ट जारी कर देता है। निर्यातकर्ता द्वारा जारी किए गये विल के साथ कुछ अन्य पत्र भी होते हैं, जैसे—जहाजी कम्पनी की रसीद, बीमा कम्पनी की रसीद, माल का बीजक

आदि। कूँ कि विदेशी बिल्स विनिमय बैंको द्वारा तुरन्त खरीद लिये जाने हैं, इसलिये भारतीय निर्यातकर्ता विदेशी आयातकर्ता पर जारी किये गये बिल वो भारत में स्थित किसी ऐसे विदेशी विनिमय बैंक से भुना कर रखये प्राप्त कर लेते हैं जिसकी शाखा आयातकर्ता के दश म है। भारत स्थित विनिमय बैंक इस प्रकार खरीदे गये बिल को विदेश (आयातकर्ता के केन्द्र) में अपनी शाखा वो भेज देता है। यह शाखा या तो बिल की अपने पास परिचक्रता की अवधि तक रखता है और इस तिथि के आ जाने पर आयातकर्ता से धन प्राप्त कर लेता है या इसे अपने मुद्रा-बाजार में वेचकर तुरन्त धन प्राप्त वर सेता है। अत यह स्पष्ट है कि विनिमय बैंक ने भारत में विदेशी विनिमय बिल रखयो (भारतीय मुद्रा) वो देहर खरीदा है और इस बिल वो रकम को विदेश में (आयातकर्ता के देश म) विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया है। यह स्मरण रहे कि कभी-कभी निर्यातकर्ता स्वयं बिल को विनिमय बैंक वे पास संग्रहण (Collection) के लिये भेज दिया करता है। इस दशा म निर्यातकर्ता की बिल का रपया बिल वो अवधि समाप्त होने पर ही मिलता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि विदेश विनिमय बैंक ने अपने अस्तकालीन बोधों का भारतीय विदेशी व्यापार की अर्थ-सहायता करन म बहुत बड़े पैमान पर उपयोग किया है।

(२) आयात व्यापार को आर्थिक सहायता देता —विनिमय बैंक आयात व्यापार को भी बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देते हैं। आयातकर्ता भी दो प्रकार के होते हैं। एवं तो ऐसे आयातकर्ता हैं जिनकी लन्दन में एजन्सी है और दूसरे ऐसे आयातकर्ता हैं जिनकी लन्दन में एजन्सी नहीं है। विनिमय बैंक इन दोनो प्रकार के आयातकर्ताओं को ही मदद करते हैं। (अ) मानलो, एक ऐसा यूरोपियन आयातकर्ता है जिसकी लन्दन में एजन्सी है और वह इगलैण्ड से माल मगाता है। इस अवस्था में इगलैण्ड का निर्यातकर्ता लन्दन मुद्रा-बाजार या लन्दन के किसी विनिमय बैंक पर एक विपत्र बिल (Documentary Bill) लिखेगा और इसे आयातकर्ता की लन्दन स्थित शाखा से हीडूत बराकर, लन्दन के द्वाय-बाजार में विनिमय बैंक से बटोती बरा लेगा। इस तरह निर्यातकर्ता अपने माल का मूल्य स्टर्लिंग में प्राप्त कर लेता है। लन्दन का विनिमय बैंक इस बिल को स्वीकार करके जहाजी रसीद, समुद्री बीमा व बीजक आदि विपत्र (Documents) भारत म अपनी शाखा को भेज देता है। बैंक की भारत-स्थित शाखा ६० दिन की अवधि समाप्त होने पर भारतीय आयातकर्ता से बिल की राशि बसूल कर लेता है और इसे अपने लन्दन कार्यालय को भेज देता है। इस प्रकार इस पद्धति में आयातकर्ता को भुगतान करने के लिए ६० दिन की अवधि मिल जाती है और निर्यातकर्ता को तत्काल ही राशि मिल जाती है। (ब) मानलो, एक ऐसा भारतीय आयातकर्ता है जिसकी लन्दन में कोई एजन्सी नहीं है और यह इगलैण्ड से माल मगाता है, इस अवस्था में इगलैण्ड का निर्यातकर्ता भारतीय व्यापारी पर विनिमय बिल लिखकर और उसके साथ ही साथ अविकार पत्र, जेये—जहाजी रसीद, समुद्री बीमा रसीद, माल का बीजक आदि नहीं करके इसकी बटोती लन्दन के विनिमय बैंक द्वारा करता है जिसकी भारत में शाखा है। लन्दन का बैंक इस बिल को इसके विपत्रो (Documents) सहित

अपनी भारत-स्थित शाखा के पास भेज देता है। यदि यह शोधन विपत्र (Document against Payment) है, तब तो बैंक को आयातकर्ता से तुरन्त भुगतान मिल जायगा और व्यापारी को भी तुरन्त माल मिल जायगा, परन्तु यदि यह स्वीकृत-प्रलेख (Document against Acceptance) है, तब आयातकर्ता को बिल को स्वीकृत (Acceptance) करने के बाद माल मिल जायगा और बैंक उससे बिल की परिषक्त अवधि समाप्त होने पर राशि प्राप्त कर लेगा। बैंक इस रकम को अपने प्रधान कार्यालय को भेज देगा। यह स्मरण रहे कि इस प्रकार 'विदेशी विनिमय बिल्स' दोनों ही अवस्था में अक्सर स्टॉलिंग मे लिखे जाते हैं और साधारणतया ६० दिन की अवधि के होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बाद अब नियंत्रित और आयात विल्स कुछ दूसरी चलनों में भी लिखे जाने लगे हैं।

(३) आन्तरिक व्यापार का अर्थ-प्रबन्धः—आजकल विदेशी विनिमय बैंकस देश के आन्तरिक व्यापार को भी आर्थिक सहायता प्रदान करने लगे हैं, यद्यपि यह इनका प्रधान कार्य नहीं है। इस तरह अब ये बैंकस न केवल भारत के बन्दरगाहों से विदेशी बन्दरगाहों तथा विदेशी बन्दरगाहों से भारतीय बन्दरगाहों तक माल के मांगने-भेजने में ही आर्थिक सहयोग देते हैं बल्कि ये देश मे बन्दरगाहों से आन्तरिक नगरों और इन नगरों से बन्दरगाहों तक माल के मांगने-भेजने में भी आर्थिक सहायता देते हैं। इस प्रकार का कार्य करने के हेतु विनिमय बैंकस ने देश के अन्दर प्रमुख-प्रमुख स्थानों पर अपनी शाखाएँ स्थापित कर ली हैं और अब व्यापारियों के लिये आन्तरिक व विदेशी दोनों प्रकार के व्यापारों के लेन-देन का कार्य इन बैंकों द्वारा कराने में अधिक सुविधा होने लगी है। भारत में विनिमय बैंकस की इस विशेष परिस्थिति ने उन्हें इस योग्य बना दिया है कि वे देश के आन्तरिक व्यवसाय मे भी भारतीय व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता कर सकें। यही कोरण है कि विनिमय बैंकस अपनी समस्त जमा राशि का बहुत बड़ा भाग आन्तरिक व्यापार को आर्थिक सहायता पहुँचाने के काम मे लाते हैं और कुछ दशाओं मे सो आन्तरिक व्यापार की वित्तीय व्यवस्था एक बड़े अंश तक इन्हीं बैंकों पर निर्भर होती है। उदाहरणार्थ, दिल्ली व अमृतसर के कपड़े का व्यापार, कानपुर के चमड़े का व्यापार तथा भाल के जूट-व्यापार मे विनिमय बैंकस ने बहुत बड़ी मात्रा में अपनी पूँजी लगा रखती है।

(४) साधारण बैंकिंग के कार्यः—कुछ विनिमय बैंकस देश के अन्दर अन्य प्रकार के बैंकिंग व्यवसायों मे भी भाग लेते हैं। ये देशी विल्स या हैंडिंगों की कटौती करते हैं, देशी-विदेशी दोनों ही प्रकार के विल्स का लेन-देन करते हैं, जनता से मांग पर वापिस दी जाने वाली राशि जमा (Deposits) पर प्राप्त करते हैं व इन पर अवैज देते हैं, व्यापारियों को अवैज व अधिविकर्दण (Over Draft) की सुविधाएँ देते हैं, ऐसेन्सी का कार्य करते हैं, रुपये के स्थानान्तरण का कार्य करते हैं आदि। चूंकि इन बैंकों के आर्थिक साधन बहुत सुल्लंघ होते हैं, इसलिए ये भारतीय बैंकों से सभी दिवाओं मे प्रतिस्पर्धा करते हैं। इनकी साथ व प्रतिष्ठा अधिक होने के कारण जनता का भी इनमे विश्वास अधिक होता

है जिससे ये अमा-राशि भी अपेक्षाकृत बहुत कम ब्याज की दर पर बहुत अधिक मात्रा में आकर्षित कर लते हैं।

### विनियम बैंकस की वर्तमान स्थिति

भारत में विदेशी विनियम बैंकस की वर्तमान स्थिति —भारत में विदेशी विनियम बैंकस बहुत समय से कार्य कर रहे हैं। सब १९५६ में भारत में इनकी संख्या १५ थी और देश भर में इनकी ६३ शाखाएँ थीं। ये शाखाएँ बड़े बड़े लगारों में ही स्थित हैं। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली व मद्रास में इनकी शाखाएँ क्रमशः २०, १५, १०, १० हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, विनियम बैंकस ने बैंकल विदेशी व्यापार को ही अधिक सहायता देते हैं बरत्न ये देश के आन्तरिक व्यापार की भी वित्त-व्यवस्था बरते हैं। मार्च सन् १९५६ के अन्त में भारत में इनकी जमादान २०१ करोड़ रुपया थी, जबकि इस समय भारत में इनके ऋण और अधिमो वी कुल राशि १६६ करोड़ रुपया थी। टिङ्गे बैंक के एवं अनुभवान के प्रनुसार विनियम बैंक देश के निर्यात बाजार के ७०% भाग का और आयात व्यापार के ६०% भाग ना अर्थ-प्रबन्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों के कार्यों के क्षेत्र में भी विनियम बैंकस महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। विनियम बैंक की इस महत्वपूर्ण वर्तमान व्यवस्था के बई बारण हैं जिनमें से कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—(i) देश में विनियम बैंकस वापी समय से अपना कार्य कर रहे हैं जिससे इन्होने उपाति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है और इस कारण जनता का भी उनसे बहुत विश्वास उत्पन्न हो गया है। (ii) भारत का अधिकार विदेशी व्यापार अभारतीय संस्थाओं व व्यक्तियों के हाथ महं जा न बैंक अपना समस्त कार्य इन बैंकों का सौंपते हैं बल्कि अन्य व्यापारियों वो भी ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। (iii) भारत सरकार ने इन कार्यों पर किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। यह अवश्य है सन् १९४६ के विकिंग एकट द्वारा इनके कार्यों पर अब कम अधिक नियन्त्रण लगा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पृष्ठ ता वास्तव में सरकार ने कई बार पराक्रम से इनको सहायता भी दी थी। (iv) विनियम बैंकस के पास साधना की प्रचुरता रही है जिससे ये बहुत ही प्रबल एवं शक्तिशाली बन गये हैं। इन्हें लन्दन मुद्रा-बाजार की सेवाओं की मुविधा प्राप्त है जिससे इनकी शक्ति और भी अधिक बढ़िए हो गई है। (v) विनियम बैंक की सफरता तथा उनकी कारण उनका मुव्रवन्ध भी है। ये अनुभवी व कुशल कमचारिया द्वारा बैंक का सचालन करते हैं जिससे इन्होने कार्यवाहन की भारी कुशलता प्राप्त कर ली है। इन सब कारणों से विनियम बैंकों ने भारत में एवं बहुत ही प्रभावशाली स्थान ग्रहण कर लिया है।

### विनियम बैंकस की कार्य-प्रणाली के दोष तथा इनके उपाय

भारत में विनियम बैंकस की कार्य-प्रणाली के दोष—यद्यपि विनियम बैंकस ने देश के विदेशी व आन्तरिक व्यापार को समय समय पर बहुत आर्थिक सहायता प्रदान की है, परन्तु इनकी कार्य-प्रणाली के विषद् भारतीयन्हित की दृष्टि से अनेक आशेष संग्रह गये हैं। कुछ प्रमुख आशेष इस प्रकार हैं—(i) विनियम बैंक भारतीय बैंकों के सबसे

## भारत में विदेशी विनियम बैंक

बड़े प्रतिद्वन्द्वी है। अपनी साख व प्रतिष्ठा के कारण ये कम व्याज की दर पर ही पर्याप्त मात्रा में जमा-धन आकर्षित कर लेते हैं। इससे भारतीय बैंकों को बाध्य होकर अपनी व्याज की दर बढ़ानी पड़ती है। आन्तरिक व्यापार में इनका दिन प्रति दिन हिस्सा बढ़ता जा रहा है। सन् १९४६ के बैंकिंग एकट से पहले तो इनके कार्यों पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं था, जिसके कारण बैंकस के भारतीय जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा नहीं होने पाती थी। चूंकि विनियम बैंकस अपने कार्यों में मूलतः स्वतन्त्र रहे हैं, इसलिये इन्होंने भारतीय बैंकों से प्रतियोगिता की और इनमें से अनेक को ठप्प कर दिया।

(ii), विनियम बैंकस ने सदा से ही भारतीय विरोधी नीति अपनाई जिसके कारण भारत के विदेशी व्यापार में भारतीयों का हिस्सा घट कर केवल लगभग १५% रह गया। उदाहरण के लिये, भारतीय आयातकर्ताओं को साख-पत्र खोलने से पहले बस्तुओं के मूल्य का १० से १५% तक इन बैंकों के पास जमा करना पड़ता है जबकि यूरोपीय आयात-कर्ताओं को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भारतीय आयात-नियांत्रिककर्ताओं को दर्शनी-स्वीकृति विल्स (D/A or Documents on Acceptances) या भुगतान विल्स (D/P or Documents on Payment) की तरह सुविधाएँ नहीं देते जो विदेशी व्यापारियों को दी जाती है। ये विदेशी व्यापारियों को बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले भारतीय व्यापारियों या व्यापार-गृहों की आर्थिक स्थिति की झूठी सूचना दे देते हैं, परन्तु बहुत खरात्र व असन्तोषजनक आर्थिक स्थिति वाले विदेशी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना अच्छी बताकर भारतीयों को धोखा देते हैं, विनियम बैंकस अपने भारतीय ग्राहकों से बहुधा यह अनुरोध करते हैं कि वे अपने समस्त विदेशी कार्य विदेशी संस्थाओं (विदेशी बीमा कम्पनियाँ, जहाजों कम्पनियाँ व दलाल-गृह आदि) द्वारा कराये जबकि यूरोपियन ग्राहकों को ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं किया जाता (एक अनुमान के अनुसार इस नीति के कारण भारतीय नियांत्रिकर्ता विदेशी बीमा कम्पनियों को प्रतिवर्ष लगभग २-३ करोड रुपये का प्रीमियम देते रहे हैं) जिससे भारतीय बीमा कम्पनियों व जहाजी कम्पनियों को इन्होंने प्रणाली नहीं करने दी। जब इन बैंकों द्वारा भारतीय आयात-कर्ता पर कोई ड्रापट आता है तब तो ये उसे पत्रों की जाति सम्बन्धी बहुत कम सूचनाएँ देते हैं किन्तु विदेशी व्यापारियों को हस सम्बन्ध में बहुत अधिक सुविधाएँ देते हैं आदि।

(iii) विदेशी विनियम बैंकों ने सदा ही उच्च-श्रेणी के सभी कर्मचारी विदेशी रखे हैं जिससे भारतीयों को कार्य को सीखने का बहुत कम अवसर मिला है। परन्तु सापारण कार्यों के लिये इन्होंने भारतीयों की नियुक्ति की है और यह भी अपेक्षाकृत कम वेतन पर। (iv) विनियम बैंकस की कार्य-प्रणाली अब तक बहुत कुछ ऐसी रही है कि भारत के विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध लन्दन के मुद्रा-बाजार के कोपों द्वारा रहा है। यद्यु अवश्य है कि कुछ समय से इस स्थिति में परिवर्तन हुआ है और अब ये बैंकस भारत में ही वापी जमा-राशि प्राप्त कर लेते हैं और इस धन से अपना कार्य करते हैं जिससे भग भारत के विदेशी व्यापार के अर्थ-प्रबन्ध की नियंत्रता लन्दन मुद्रा-बाजार पर बहुत कम हो गई है। (v) भारतीय व्यापारियों को विनियम बैंकों की कार्य-प्रणाली के नियां व इनमें होने वाले परिवर्तनों के विषय में कुछ भी नहीं बताया जाता है और इस सम्बन्ध

मेर उनसे कोई सलाह भी नहीं ली जाती है। (vi) विनियम समझौतों के द्वारा होने मेर देर होने पर ये बैंकस भारतीय ग्राहकों से बहुत अधिक व अनुचित हजारों लेते हैं और इसे उनकी रकम मेर से घटा लेते हैं। इसी तरह ये दूसरे देश की मुद्राओं के लिये अनुचित व बहुत अधिक दर लेते हैं। अत दिन प्रति दिन के प्रत्यक्ष व्यवसाय के लिये विनियम बैंकस भारतीय व्यापारियों से बहुत भेद-भाव रखते हैं। (vii) इस आरोप मेर मुद्द सहजता है कि इन बैंकों ने भारतीय पूँजी को विदेशी उद्योग व विदेशी प्रतिमुद्रियों (Securities) मेर लगाया है जो सबंदा देशहित मेर नहीं है। इस नीति देर वारस्ता न केरल जमानूजी से प्राप्त होने वाला साम विदेशियों को प्राप्त होता है वरन् भारतीय मुगलान-सतुलन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। (viii) इनके विषद् भी वभी यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने सदा ही भारतीय हितों का विरोध किया है और विदेशों मेर भारत विरोधी बातावरण उत्पन्न किया है। (ix) विनियम बैंकस ने भारत की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति मेर भी रोडे अटवाय है। यहमेणा यह प्रयत्न किया करते हैं कि भारतीयों को सामाजिक गृह (Clearing House) तथा विनियम बैंकस सघ (Exchange Bank's Association) आदि की सुविधायें न दी जायें। (x) अग्न दोष—विनियम बैंकस के प्रधान वार्यालय विदेशों मेर हैं जहाँ से उनकी नीति निर्धारित होती है। इस प्रकार की नीति भारतीय हित मेर कभी भी नहीं हो सकती और न इस नीति से भारतीय व्यापार ही पनपने पात है क्योंकि यह भारतीय परिस्थितियों से सदा अनभिज्ञ रहते हैं। यद्यपि इन्होंने भारत मेर काम करके बहुत साम नमाया है तथा वापी वही मात्रा मेर पूँजी एवं वित्त करके विदेशी उद्योगों मेर लगाई है, परन्तु इन बैंकों की नीति-निर्धारण मेर भारतीयों का कोई हाथ नहीं रहा है। (xi) विनियम बैंकस ने भारतीय मुद्रा-वाजार को दो भागों मेर विभाजित किया है। चूंकि इन बैंकों का सम्पर्क लन्दन मुद्रा वाजार से रहा है, इस कारण इनके पास उधार देने वाली पूँजी का कभी भी अभाव नहीं रहा है। फृत भारतीय मुद्रा-वाजार के इस विदेशी भाग पर रिजर्व बैंक का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा है जिस के कारण मुद्रा वाजार का ठीक-ठीक सगड़न व नियन्त्रण नहीं हो सका है।

### विनियम बैंकस के दोषों को दूर करने के उपाय

भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एक्ट १९४६ और विनियम बैंकस—उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि एक तरफ विदेशी विनियम बैंकस के कार्यों पर प्रतिबन्ध लगने चाहिए और दूसरी तरफ भारतीय विनियम बैंकस को सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, तब ही विनियम बैंकस के अनेक दोष दूर हो सकते हैं। इसीलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सद् १९४६ मेर भारतीय बैंकिंग एक्ट वनाया गया जिसके द्वारा अन्य बैंकों की भ्राति विदेशी विनियम बैंकस पर भी अनेक प्रतिबन्ध लगाये जएं जिनमे से मुद्द पुरुष-पुरुष इस प्रकार है—(1) मारत के बाहर स्थापित होने वाली सभी बैंकिंग कम्पनियों की कम से कम १५ लाख रुपये की परिदित पूँजी (Paid up Capital) और कोप (Fund) रखना आवश्यक वर दिया गया है और यदि इनका व्यवसाय बम्बई व वलवर्टे मेर भी है तब इनको २० लाख रुपये की पूँजी तथा कोप रखना होगा। इन बैंकों को यह राशि

नकदी तथा स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा करनी पड़ती है। (ii) भारत-स्थित सभी बैंकों को रिजर्व बैंक से अनुज्ञा-पत्र (Licence) लेना पड़ेगा। इसी प्रकार शाखाएँ खोलने के लिये भी पूर्व अनुमति लेनी होगी। भारतीय बैंक नियमों का पालन नहीं करने पर रिजर्व बैंक को बैंकों का साइर्सेन्स रद्द करने का भी अधिकार है। साइर्सेन्स केवल उन्हीं विदेशी बैंकों को दिया जायगा जिनके स्वयं के देश में भारतीय बैंकों के विरुद्ध किसी प्रकार का वैधानिक प्रतिबन्ध नहीं है तथा जिन बैंकों की न केवल आर्थिक स्थिति ठीक है बरन् जिनकी व्यवस्था भारत हित में है। (iii) प्रत्येक विदेशी बैंक को भारत-स्थित शाखाओं की जमा-राशि के ७५% भाग को भारत में ही रखना होगा। इसी प्रकार उन्हे माम-दायित्व व काल-दायित्व का क्रमशः ५% व २% भाग रिजर्व बैंक के पास जमा करना होगा। (iv) प्रत्येक विदेशी बैंक को भारतीय मुद्रा में अपना वार्षिक स्थिति-विवरण बनाना होगा और इसे प्रधान कार्यालय व अन्य कार्यालयों में प्रदर्शित करना होगा। इस स्थिति-विवरण की एक प्रतिलिपि (Copy) ऑडिटर्स (Auditors) की रिपोर्ट सहित रिजर्व बैंक को भी भेजनी होगी। रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह जो भी अन्य विवरण चाहे उसे भी इन बैंकों से मिला सकता है। सन् १९४६ के बैंकिंग एक्ट की अन्य महत्वपूर्ण बातों को पुस्तक में अन्यत्र लिखा गया है। अतः यह स्पष्ट है कि बैंकिंग एक्ट से रिजर्व बैंक को जो अधिकार मिले हैं उनसे वह इन विनियम बैंकों पर अच्छा नियन्त्रण रख सकता है और इन्हे भारतीय बैंकों का सहयोगी बना सकता है। परन्तु आलोचकों का मत है कि उक्त एक्ट के बन जाने पर भी स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ है क्योंकि विदेशी बैंकों को साइर्सेन्स बहुत आसानी से अब भी प्राप्त हो जाता है और इनके कार्यों पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगा है।

### भारतीय विनियम बैंक्स ।

#### (Indian Owned Foreign Exchange Banks)

प्रावक्यन:—सन् १९३१ की बैंकिंग जांच समिति ने भारतीय व्यापारियों की असुविधाओं को दूर करने तथा भारतीय विदेशी व्यापार की उन्नति के हेतु यह सुझाव दिया था कि भारत में भारतीयों के भी विनियम बैंक्स होने चाहिये ताकि इनके भारतीय व्यापारियों व ग्राहकों को लाभ पहुँच सके। इस समिति ने यह बताया था कि भारतीय बैंकों का विदेशी विनियम व्यवसाय में भाग नहीं लेने के कारण इन्हे विदेशी विनियम बैंकों से प्रतियोगिता सहनी पड़ती है, जिनकी पूँजी व कोप बहुत ज्यादा है तथा इसी कारण उन वीं विदेशी केन्द्रों में शाखाओं की अनुपस्थिति है। इस समिति का मत था कि जो भारतीय बैंक्स अच्छी स्थिति में हैं, उन्हे विदेशी में शाखाएँ खोलनी चाहिएं, और यदि वे शाखाएँ खोलने में असमर्थ हों, तब उन्हे विदेश-स्थित बैंकों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये ताकि न केवल ये अपने ग्राहकों को विदेशी व्यापार की सुविधाएँ दे सकें बरन् नई शाखाओं को स्थापित करने का जो प्रारम्भिक व्यय होता है, उसे भी इन्हे नहीं करना पड़े। परन्तु अनेक सुझावों के होते हुए भी इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं होने पाई और आज भी विदेशी विनियम बैंकों वा देश के बैंकिंग व्यवसाय पर पूर्ण प्रभाव है।

भारत में भारतीय विनियमय बैंकों की क्यों कही है ? —इसके अनेक कारण हैं, जिनमें से कुछ मुख्य-मुख्य हम प्रकार हैं—(i) आन्तरिक व्यापार के अर्थ-प्रबन्ध में विदेशी व्यापार के अर्थ प्रबन्ध की तुलना में लाभ अधिक होता है। हम कारण अधिकार भारतीय मिथित पूँजी के बैंकों ने विदेशी विनियमय-बैंक में रचि नहीं ली। (ii) विदेशी विनियमय के बार्य में रप्या प्रायः तीन मास से अधिक बाल के लिए तो फैस ही जाता है। भारतीय बैंकों के पास सदा ही बहुत ही ग्रीष्मित कोण रहे हैं। हम स्थिति में उनके लिए विदेशी विनियमय बार्य बहुत ही अनुविधाजनक हो जाता। अत उन्होंने आन्तरिक व्यापार के अर्थ-प्रबन्ध पर ही सन्तोष कर लिया। (iii) विदेशी विनियमय का बार्य बैंकल योग्य, कुशल व धनुष्ठवी वर्मचारियों द्वारा ही लिया जा सकता है। भारत में इस प्रकार के बार्य-न्तचालन के लिये निषुण वर्मचारिया का सदा ही अभाव रहा है। इस कारण भी भारतीय बैंकों ने विदेशी विनियमय के कार्यों को करने की चेष्टा नहीं की। (iv) विदेशी म शाखाएँ स्थापित करने तथा उन्हें सफलतापूर्वक चलाने म अनेक राजनीतिक व चनन सम्बन्धों कठिनाइयाँ होती हैं। इनके अतिरिक्त बैंक की विदेशी शाखा पर्याप्त मात्रा में कार्यों को आकर्षित तब ही कर सकती है, जबकि इसे बहुत मात्रा म पूँजी, अनुभव व प्रतिष्ठा के लाभ प्राप्त हान है। भारतीय बैंकों म इन सभी का अभाव होने के कारण, ये विदेशी म शाखाएँ खोलने म अमरमर्य रहे। अत इन सब कारणों से व्यवहारिक हृष म भारतीय बैंकों ने विदेशी विनियमय का बार्य अभी तक नहीं किया है जिससे विदेशी व्यापार करने वाले भारतीयों को बहुत कठिनाइयाँ सहनी पड़ी हैं। आश्चर्य ही नहीं बल् यह स्वेद का विषय है कि विदेशी विनियमय व्यवसाय लाभप्रद, मुरक्कित तथा तरन होने द्वाये भी भारतीय बैंक इस ओर बहुत उदासीन रहे हैं।

भारतीय बैंकों के विदेशी विनियमय कार्य की अर्थमान स्थिति —यह हृष का विषय है कि विगत कुछ वर्षों में भारतीय मिथित पूँजी बौद्धि बैंकों ने विदेशी विनियमय व्यापार करने व विदेशी में अपनी शाखाएँ खोलने म बहुत रुचि दिखलाई है। सन् १९४६ में अनु-मूल्यवान बैंकों (Scheduled Banks) की विदेशी शाखाओं की संख्या ६२८ थी जो सन् १९५४ में घटकर बैंकल १०७ ही रह गई। सन् १९५१ में २५ सदस्य व १२ अमदस्य (Non-Scheduled) ऐसे भारतीय बैंकमध्ये जिन्हें बाठ विदेशी म अमर्य ११ व १६ बार्यालय स्थापित किये थे। सदस्य बैंकों के बायालय इस प्रकार थे—पाविस्तान ७६, मलाया १२, वर्मा ८, लक्ष्मी ३, फैच इण्डिया ३, जापान २, माइलेंड २, ड्रिटेन २। असदस्य बैंकों के बायालय बैंकल पाविस्तान में ही थे। इससे स्पष्ट है कि बैंकों के अधिकार्य विदेशी बार्यालय पाविस्तान म थे। कुछ बैंकों के विदेशी बार्यालय इस प्रकार थे—इम्पीरियल बैंक वे ३०, यूनाइटेड बैंक और इण्डिया के १४, इण्डियन बोरसीन बैंक वे ११, यूनाइटेड कॉर्पोरेशन बैंक वे ६, बैंक ऑफ इण्डिया के ५ तथा इण्डिया बैंक के ५ बायालय।

यह स्मरण रहे कि भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं में कुल देने वे अनु-पात म, भारतीय शाखाओं की तुलना म, बहुत बड़ी मात्रा म नवद बोण रखते जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि भारतम म सुरक्षा व सम्मान पर अधिक ध्यान

दिया जा रहा है। यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय बैंकों ने अपना विदेशी विनियम व्यवसाय बढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया है, परन्तु ये अब भी विदेशी विनियम व्यवसाय में बहुत पीछे हैं। भाशा है कि रिजर्व बैंक के सहयोग से ये शीघ्र ही इस कार्य में भी बहुत सफलता प्राप्त कर लेंगे और भारतीय व्यापारियों को जो कठिनाइयाँ अपने विदेशी व्यापार में इस समय अनुभव होती हैं, उन्हें भी ये 'शनैः शनैः दूर करने में सफल हो सकेंगे।

### विनियम बैंक्स की भारत को देने .

विनियम बैंक्स का महत्व—भारत में विनियम बैंक्स बहुत समय से कार्य कर रहे हैं। यद्यपि इनकी कार्य-प्रणाली में अनेक दोष रहे हैं और कुछ दोष आज भी हैं, फिर भी यह सर्वमान्य है कि इन्होंने ही भारत में वर्तमान बैंकिंग पद्धति का बीजारोपण किया है, भारतीयों में बैंकिंग आदत को जन्म दिया है, बैंकों में जनता का विश्वास उत्पन्न किया है तथा देश में बैंकिंग के विकास व विदेशी व्यापार की उन्नति में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। भारत में विदेशी विनियम बैंक की संख्या सन् १९५० में केवल १५ थी और इनके पास १५.७५ करोड़ रुपये की पूँजी व सुरक्षित कोष थे, इनकी जमा-राशि १६२.४७ करोड़ रुपये की थी तथा इनके नकद कोष २३.६७ करोड़ रुपये के बराबर थे। इन बैंकों द्वारा देश के नियंत्रित व्यापार के ७०% और बायात व्यापार के ६०% भाग का अर्थ-प्रबन्ध किया जाता है। यही नहीं कि बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों पर अन्य अनेक प्रकार की बैंकिंग की सुविधाएँ भी उपलब्ध करते हैं। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि एक ओर तो इन विदेशियों के विनियम बैंकों के कार्यों पर नियन्त्रण रखा जाय और दूसरी ओर भारतीय बैंकों को विदेशी विनियम के कार्यों को करने के लिये प्रोत्ताहित किया जाय और उन्हें हर प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाय। यदि ऐसा किया गया तब शीघ्र ही विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध भी मूलतः भारतीयों द्वारा ही किया जाने लगेगा।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B. Com.

1. Write a note on—विनियम अधिकोप (१९५६ S, 1958 S, 1957 S, 1956 S, 1954) 2. Write a note on—D/A and D/P Bills. (1957, 1955 S, 1954) 3. What part do Exchange Banks play in financing the external trade of India? What charges have been levied against them and how does the Indian Government try to control their activities? (1956) 4. Describe the operation of the Exchange Banks in connection with the financing of India's foreign trade. What objections have been raised against them and how far have they been removed by the Indian Banking Companies Act, 1949? (1955 S)

Allahabad University, B. Com.

1. Explain how the foreign trade of India is financed with special reference to (a) the various agencies engaged in the business and (b) the character of the instruments employed. (1956)

**Rajputana University, B. Com.**

1 Write a note on—Importance of Exchange Banks in India (1957) 2 Discuss the main functions performed by the Exchange Banks in India and point out how far have their defects been remedied since independence (1956) 3 Examine the various complaints in the working of foreign exchange banks in India. What has the Government of Free India done to remove these complaints ? Discuss (1954)

**Gorakhpur University, B. Com**

1. What do you understand by Exchange Banking ? How do exchange banks keep their funds equitably distributed in different centres ? (Pt. II 1959)

**Bihar University, B. Com**

1 Describe the present position of the foreign Exchange Banks in India. (1958)

चुने प्रश्न

और

## उनके उत्तर का संकेत

निन्यानवे फो सदी विद्यार्थियों की यह समस्या रहती है कि वे किसी प्रश्न के उत्तर में किन-किन बातों का समावेश करें और किन-किन बातों को उत्तर में नहीं लिखें तथा अमुक प्रश्न का उत्तर परीक्षा में अपनी उत्तर-पुस्तिका के कितने पृष्ठों में लिखें आदि। इस समस्या को हल करने के हेतु ही, प्रस्तुत संस्करण में प्रत्येक अध्याय के अन्त में परीक्षोपयोगी प्रश्नों को चुनकर, उनके उत्तर को “रूप-रेखा” दी गई है तथा साथ ही साथ यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि उत्तर के विभिन्न भागों में लिखी जाने वाली सामग्री कितनी लाइनों अथवा पृष्ठों में लिखी जानी चाहिये। लेखक का पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक में दिये गये प्रश्नों के उत्तर-संकेतों से विद्यार्थी विशेषतया लाभान्वित होंगे और परीक्षा में निस्सन्देह प्रथम श्रेणी के अंक तो अवश्य ही प्राप्त कर सकेंगे।

# “राजहंस”

द्वारा

“सरल अध्ययन माला”

के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों  
पाठ्य पुस्तकों की तरह बहुत बड़ी  
तथा कीमती नहीं होतीं

इनमें

सम्पूर्ण पाठ्य सामग्री

परीक्षा प्रश्नों, सम्भावित प्रश्न तथा पाठ्य क्रम  
के आधार पर ,

इस प्रकार दी जाती है कि विद्यार्थी को विषय का  
सरलतापूर्वक बोध हो जावे और वह उस विषय  
पर आने वाले प्रत्येक प्रश्न का थोड़ा  
उत्तर लिखकर उच्च श्रेणों के  
अङ्क प्राप्त कर सके ।

भारत से  
कृषि-वित्त, औद्योगिक-वित्त  
तथा  
विदेशी पूँजी

(Agricultural Finance, Industrial  
Finance & Foreign Capital in India)

[प्रधान १. भारत में कृषि-वित्त व्यवस्था, २. भारत में औद्योगिक  
वित्त-व्यवस्था, ३. भारत में विदेशी पूँजी ।]

५१

## अध्याय १

### भारत में कृषि वित्त-व्यवस्था

### (Agricultural Finance in India)

### ग्रामीण ऋण-प्रस्तता (Rural Indebtedness)

प्राचकरण — भारत एवं कृषि प्रधान देश है और इस समय लगभग ७२% जन-संस्था हृषि कार्य करती है। इसीलिये यह स्वाभाविक ही है कि देश की अधि-व्यवस्था में हृषि व कृपकों की आधिक समस्याओं का अधिक महत्व है। इस अध्याय में हम विस्तार में हृषिकों की ऋण समस्या व साम्ब-समस्या का अध्ययन करेंगे और इनके हल के लिये मुझाव प्रस्तुत करेंगे।

ग्रामीण ऋण का प्रनुमान (An Estimate of Rural Indebtedness in India) — समय समय पर विभिन्न लेखकों एवं संस्थाओं ने ग्रामीण ऋण का जो कुछ भी प्रनुमान लगाया है वह इस प्रकार है—सन् १९२८ वीं बैन्ड्रीय बैंकिंग जाव समिति के प्रनुमान के प्रनुमान पामीण ऋण की रकम ६०० करोड़ रुपये थी, ढाठ आर० के० मुकर्जी के प्रनुमान सन् १९३५ में इसकी रकम १२०० करोड़ रुपये थी और वर्मद्वयोजना के प्रनुमान सन् १९४५ में भी ग्रामीण ऋण की रकम लगभग १२०० करोड़ रुपये थी। परन्तु कुछ लेखकों वा यह विचार है कि युद्धावाल म अधिकासा हृषिका वा पुराना ऋण माप्त हो गया है और इस समय ग्रामीण ऋण की रकम पटकर बहुत कम हो गई है।

### ग्रामीण ऋण-प्रस्तता के कारण

ग्रामीण ऋण के कारण (Causes of Rural Indebtedness) — ग्रामीण ऋण प्रस्तता के कई महत्वपूर्ण कारण हैं—(i) भूमि पर जन-संस्था का दबाव—हृषि योग्य भूमि की तुलना में देश में जन-संस्था अधिक है और इसमें दिन प्रति दिन और अधिक वृद्धि होती जाती जा रही है। कुछ हृषिकों को हृषि के अतिरिक्त अन्य और कोई दूसरा व्यवसाय करने के लिये नहीं मिल पाता है। हृषि में हृषिकों की आवश्यकता से कम उत्पादन होने के कारण उस वाच्य होकर ऋण लेना पड़ता है। (ii) भूमि के छोटे छोटे टुकड़े व इनका घटिकापन—इस कारण हृषि अनाधिक हो जाती है और हृषिकों को अपने भरण पोपण के लिये ऋण लेना पड़ता है। (iii) पूर्वजों का ऋण हृषिकों की आर्थिक दशा अधिक नहीं रहने के कारण ये अपनी भुगतान दर्शन समिति से अधिक ऋण ले लिते हैं और प्राय इसके बिना भुगतान किये ही मर जाते हैं। परिणामतः हृषिकों के बच्चों को ऋण की अदायगी बरती पड़ती है जूँकि इनकी आर्थिक दशा भी बरतन ही होती है, इसलिये प्राय ये भी ऋण वा भुगतान नहीं बरने पाते और ऋण के भार को अपने बच्चों के लिये छोड़ जाते हैं। इसीलिये यह बहना सच है कि “भारतीय हृषिकों की में ही जीवित रहता है और ऋण म ही मर जाता है। (iv) प्राकृतिक तकट—

बाद, वर्षी की कमी या अधिकता, टिही व फसल को बीमारिया आदि से भारतीय हृषक को समय-समय पर आर्थिक सकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे सकट के समय यह स्वत ही महाजन के चमुल में फस जाता है और उसका क्रहण-भार बढ़ता ही जाता है। (v) किनूलखर्चों व मुकदमेवाजी—विवाह, मृत्यु, अन्य अनेक प्रकार के उत्सवों पर वह बिना किसी सोच-विचार किये आवश्यकता से अधिक व्यय करता है। इसी तरह कृषकों का मुकदमेवाजी से विशेष स्नेह होता है। इन सब कार्यों के लिये प्रायः उसे क्रहण लेना ही पड़ता है और एक बार लेने के बाद अपवास वह इसके भुगतान के लिए असमर्थ रहता है। (vi) कम उत्पादन और उपज की विक्री का कम मूल्य—सेतों का छोटा व विल्वरे होना, कमजोर व अस्वस्थ पशु, खाद की कमी, सिंचाई की अनिश्चितता, हृषि-यन्त्रों का पिछड़ापन एवं अभाव आदि अनेक ऐसे कारण हैं जिनकी बजाह से कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम पाया जाता है। यह ही नहीं जौ कुछ उपज होती है उसकी विक्री का तरीका इतना दोपूर्ण होता है कि उसे इसका उचित से कम मूल्य मिल पात्र है। परिणामतः कृषक की आर्थिक दशा खराब होने के कारण वह क्रहण-प्रस्त बहुत जाता है। (vii) साल-व्यवस्था का अभाव और ऊंची व्याज की दर—यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों सहकारी साल समितियां पाई जाती हैं, परन्तु इनकी कार्य-प्रणाली अत्यधिक दोपूर्ण होने के कारण, महाजन को इनसे विशेष लाभ नहीं होने पाता है और उसे बाध्य होकर महाजन की शरण में जाना पड़ता है। महाजन व साहूकार उसकी विवशता का लाभ उठाकर उससे अत्यधिक व्याज की दर लेते हैं और न मालूम किसने तरीके अपनाकर अपने मूलधन तक में बृद्धि कर देते हैं इस अवस्था में हृषक अपने क्रहण-भार से मुक्त नहीं होने पाता है।

#### प्रामीण क्रहण-प्रस्तता के परिणाम (Effects of Rural Indebtedness)

प्रामीण क्रहण-प्रस्तता के अनेक आर्थिक, सामाजिक व नैतिक परिणाम होते हैं और विशेषकर उस अवस्था में जबकि क्रहण मुख्यतः अनुत्पादक कार्यों के लिये लिया गया हो। हृषकों पर क्रहण-भार बढ़ जाने के कारण भूमि दरने: इन्हें कृषकों के हाथों से निकल कर अहृषकों (Non-Agriculturist) के हाथों में पहुँच जाती है जिससे न बेचल कृषि-उत्पत्ति में कमी हो जाती है वरन् हृषक बेरोगार हो जाते हैं। इस अवस्था में हृषकों में अमनोप उत्पन्न हो जाता है जिसमें सामाजिक व राजनीतिक उथल-पुथल का बीज बोया जाता है। क्रहण के दबाव के कारण वभी-कभी हृषकों को अपनी उपज महाजन के हाथों बहुत कम मूल्य पर बेचनी पड़ती है जिसमें हृषक की आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो जाती है। अनुभव से यही पता चलता है कि जबकि एक बार हृषक क्रहण-प्रस्त हो जाता है, तब वह प्रायः इसके भार से ब्रुलंतमा मुक्त नहीं होने पाता है जिससे अनन्ततः उसका नंतिक पतन तक हो जाता है।

#### प्रामीण क्रहण-प्रस्तता की समस्या का इल (Solution of the Problem of

Rural Indebtedness)—प्रामीण क्रहण की समस्या के हल के लिये समय-समय पर कई मुमाल दिये गए हैं—(i) हृषकों को अनुत्पादक कार्यों के लिये क्रहण-लेने के लिये

होतोत्साहित करना चाहिये । प्राम पचायतो द्वारा प्रचार संघरा के प्रचार से इस और सफलता मिल सकती है । (ii) पुराने क्रहणों के भुगतान की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिये । इस उद्देश्य की पूर्ति काशन द्वारा भी हो सकती है । बास्तव में इस समय घनेवा ऐसे नियम है जिनकी सहायता से हृषक घपने आपको दिवालिया घोषित करवा सकता है या घपने क्रहण भार को वर्म वरवा सकता है या घपने क्रहण को पूर्ण भर्क्षणिक घोषित करवा सकता है । (iii) मन् १९५४ की गेडगिल बमेटी (Gadgi Committee) का यह मुझाव धा कि या तो यामीण क्रहण के बाह्य भार को वर्म कर देना चाहिये या इनका भुगतान भूमि-व्यवस्था बैंकों द्वारा वृष्टि-साध्य संघो (Agricultural Credit Corporations) द्वारा होने चाहिये । इन्ही मुझावों का समर्थन बाद चलकर सन् १९४६ व १९४७ में वर्मा सौराहीया कमेटी व नानावती कमेटी ने भी किया था । परन्तु गेडगिल बमेटी को सिपारिसी को बार्मन्वित नहीं किया गया बजेवि जिस साख-व्यवस्था का मुझाव इस कमेटी ने किया था वह प्रान्तीय व बेन्द्रीय बैंक द्वारा ही अच्छी प्रवार से बार्मन्वित की जा सकती थी । जो रकम उत्तर संघो वे निर्माण में लगाई जाय, यदि उसी रकम को प्रान्तीय व बेन्द्रीय बैंकों में लगा दिय जाय, तब ये समस्याएँ घटना कार्य और भी अच्छी प्रवार से कर सकेंगी । यह यामीण क्रहण की समस्या के हल के लिये सहवारी भान्दोलन को भोत्साहन देने की भी बहुत मावश्यकता है ताकि हृषकों की साख की मावश्यकता की पूर्ति सुगमता व शोभ्रता से पूरी हो सके और वे घनावश्यक ही क्रहण-प्रस्त नहीं हो सके ।

### भारत में कृषि साख-व्यवस्था (Agricultural Credit in India)

प्राकृत्यन् हृषक की धार्यिक दशा अच्छी नहीं होने के बारण, उसे समय-समय पर क्रहण लेना पड़ता है उसे प्राय तीन प्रकार के क्रहणों की मावश्यकता होती है (i) धृष्ट-कालीन क्रहण—हृषकों को बीज-साद के स्तरीदाने, फसल बाटने व तादा (Threshing) करने, धोयों को स्पानान्तरित करने, फसल बेचने, जमीन कर चुकाने, रक्तु व स्वयं घपने परिवार के दैनिक व्यय आदि के लिए अल्पकालीन क्रहणों की मावश्यकता हुआ बरती है । अक्सर इस प्रकार के क्रहण की अदायगी अगली फसल में बर दी जाती है । (ii) मध्यकालीन क्रहण—रक्तु व हृषि यन्त्रों के स्तरीदाने, सिचाई की व्यवस्था बरते, जमीन वो इक्सार करने मादि के लिए भी दृष्टक वो क्रहण की मावश्यकता हुआ बरती है । इस प्रकार के मदों पर किये गये व्यय को प्राय हृषक दो से पाँच बर्द की व्यवस्था में लोटाया करता है । इस बारण इन क्रहणों की अल्पकालीन क्रहण बहते हैं । (iii) दीर्घ-कालीन क्रहण—हृषक दो भूमि भे स्वायी मुशार नरने के लिए भी क्रहण की मावश्यकता हुआ बरती है । कभी-कभी वह भूमि स्तरीदान, डेक्टर मादि भूल्यवान यन्त्रों को खरोदाने, पुराने क्रहणों का भुगतान करने आदि के लिए क्रहण लिया बरता है । इस प्रकार के क्रहणों की अदायगी वह २५-३० वर्ष में ही करने पाना है । इसीलिए ये क्रहण दीर्घकालीन क्रहण बहलाते हैं ।

यामीण वित्त के साधन (Sources of Rural Finance) —यामीण क्रहण-

स्प्रतता की समस्या के उक्तलिखित मध्ययन से यह स्पष्ट है कि भारतीय कृषक सम्बन्ध नहीं है और उसे समय-समय पर अनेक बायों के लिए ऋण लेना पड़ता है। यह सच है कि अभी तक देश में कृषि-वित्त की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं होने पाई है। कृषक को न केवल उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं मिल पाता वरन् यह अरण उसे महगा भी बहुत मिलता है। परिणामतः उसकी आय और भी कम हो जाती है जिससे अरणों की आवश्यकता और उनका भार और भी अधिक बढ़ जाता है। इस समय देश में ग्रामीण वित्त के निम्नलिखित मुख्य साधन हैं—(i) साहूकार, (ii) स्वदेशी बैंकर, (iii) व्यापारिक बैंकर, (iv) सरकार, (v) सटकारी साल समितियाँ, (vi) भूमि-बन्धक बैंकर तथा (vii) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया।

### [1] महाजन व साहूकार (Money Lender)

प्रथमकरण—भारत में अति प्राचीन काल में ही किसी न किसी रूप में वैकिंग व्यवसाय होता चला आया है। इसका उल्लेख कोटिल्य के थर्येश्वार्त्र में मिलता है। उस समय के ऋणदाता न केवल व्यापार व कृषि की वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। वरन् वे राजा-भहाराजाओं की धन की आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। मुगल-काल में भी महाजन व साहूकारों की बहुत प्रतिष्ठा थी, परन्तु मुगल साम्राज्य के द्वितीय-भित्र हो जाने पर इनके वैकिंग व्यापार पर बहुत दुरा प्रभाव पड़ा। इस्ट इण्डिया कम्पनी के आ जाने पर तो स्वदेशी वैकिंग की ओर भी अधिक अवनति हुई थी कि ये अंग्रेजी व्यापारपद्धति के साथ अपने व्यापार का समायोजन (Adjustment) नहीं कर सके। देश में ऐजन्सी-घरों (Agency Houses) की स्थापना हुई जिससे महाजन व विदेशी बैंकर्स का प्रभाव और भी कम हो गया। तत्पश्चात् आधुनिक ढंग के व्यापारिक बैंकर ने अपने व्यापार का साल समितियों की स्थापना से इनकी ओर भी अधिक अवनति हो गई और आज भी इन्हें इन संस्थाओं से बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यद्यपि महाजन व साहूकारों का महत्व शहरों व छोटेन्होटे नगरों प्रमेश्वर कृत बहुत कम हो गया, परन्तु गांवों व कर्वां में भी विदेशीकर उन स्थानों पर जहा पर न तो आधुनिक व्यापारिक बैंकर ही हैं और न सहकारी समितियाँ ही हैं, इनका महत्व आज भी बहुत है और ये आज भी इन स्थानों पर स्वतन्त्र रूप से बहुत कुछ पुरान ढंग से अपना लेनदेन का काम करते हैं। सच तो यह है कि इनकी प्रतिस्पर्धा में भी अब तक सहकारी साल समितियों को भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। महाजन व साहूकारों का महत्व तो इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि ये कृषि कायों के लिए दिये जाने वाले ६० % ऋण की आज भी पूर्ति करते हैं।

#### महाजन व साहूकारों का वर्गीकरण (Classification of Money Lenders):—

महाजन व साहूकार ये इयक्षित हैं जो अपने व्यापार के साथ ही साथ जमानत पर या दिना किसी जमानत के ही धन उधार देते हैं। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में संस्था भूमि-बन्धक समिति ने सहकारों का वर्गीकरण व्यवसायी भूमि-बन्धक आपका भी बगो-

करण नागरिक अपना बामीए साहूकारों में दिया है। कुछ ऋणदाता केरी वाले भी लेने हैं जिन्हें कावुली व पठान महाजन बहा जाता है। प्रबसर व्यवसायी ऋणदाताओं को महाजन व माहूकार बहते हैं और प्रव्यवसायी ऋणदाताओं के अन्तर्गत हैं—हृषि, व्यापारी, जमीदार, दबील, पेशन पाने वाले, मुरोहिन आदि।

### • साहूकारों के कार्य

साहूकारों के कार्य (Functions of the Money Lenders)—साहूकारों व महाजनों द्वारा दिये गए मुख्य-मुख्य बायं इस प्रकार हैं—(i) क्रण देना—महाजन व साहूकारों का मुख्य बायं क्रण देना होता है। क्रण उत्पादक अथवा धनुत्पादक दोनों ही बायों के लिए दिया जाता है यह जमानत या दिना जमानत दोनों ही प्रकार से दिया जाता है। क्रण नवद हृषि में अपना विस्म में दिया जाता है। कभी-कभी अचल-सम्पत्ति या फसल की जमानत पर भी क्रण दे दिया जाता है। ये अक्षर अल्पकालीन क्रण ही देते हैं, परन्तु जब कभी क्रण मध्यकालीन दिए जाते हैं तब ये ऐसा क्रण पर्याप्त जमानत पर ही देते हैं। यह स्मरण रह कि फेरीबाते क्रण दाता क्रण केवल अल्पकाल के लिए ही दिया करते हैं। यह अवश्य है कि जब कभी फसल खराच हो जाने के कारण या अन्य किसी कारण से क्रण की अदायगी नहीं होने पानी है, तब क्रण दाता क्रण की अवधि बढ़ा देने हैं और क्रणी से अधिक रकम का नया रकमा लिखदाता लेते हैं। (ii) आन्तरिक व्यापार को सहायता देना—महाजन व माहूकार आन्तरिक व्यापार को सहायता देकर भी एक महत्वपूर्ण बायं करते हैं। ये बच्चे आटतिये का बायं करते हैं अर्थात् किसान अपनी उपज इनके पास लाकर रख देता है और इनके अपनी आवश्यक-तानुकार क्रण ले लेता है। परन्तु यह दर शर्त यह होती है कि हृषि की अपनी उपज को उन महाजन द्वारा ही बेचेगा। (iii) व्यापार करना—महाजन व माहूकार लेन-देन के अनिरित यथा कुछ निजी व्यापार भी करते हैं या तो ये स्वयं भी हृषि करते हैं या छोटी-मोटी दूकान करते हैं। कभी-कभी महाजन (अपनी दूकान में बेची जाने वाली वस्तुओं के द्वप से) क्रण देते हैं।

व्यापार की कार्य-प्रणाली व व्याज की दर—केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति

(१६२६) के मतानुसार महाजन व साहूकारों की कार्य-प्रणाली बहुत सरल व लोचदार होता है, क्रणी की उसके पास तक पहुँच बहुत आमानी से हो जाती है। क्रणी के स्वभाव व चरित्र का उसे पूर्ण ज्ञान रहता है और उसकी आधिक स्थिति की पूर्ण ज्ञानकारी होती है जिसके उन अपने क्रण-कार्य में प्रबसर हानि की बहुत बड़े सम्मानना रहती है। महाजनों का साता एवं हिसाब रखने का इग बहुत सरल होता है और इसमें प्रान्त प्रान्त में भिन्नता पाई जाती है। महाजन क्रणों पर जो कुछ भी स्वाच की दर लेते हैं उसमें न बेबल प्रान्त-प्रान्त में भिन्नता होती है। बरन् इसमें भी एक ही प्रान्त में अन्तर पाया जाता है। यदि जमानत पर्याप्त व अच्छी है, नव व्याज की दर बड़ी होती है। इसके विपरीत द्यामा में मह दर भी अधिक होती होती है। प्राय व्याज की दर

१२% से ३७% तक होती है। परन्तु जब कभी व्याज की दर एक आना प्रति रुपया प्रति माह होती है तब यह ७५% होती है। परन्तु इस प्रकार के उदाहरण बहुत ही कम पाये जाते हैं। इतनी अधिक ऊँची व्याज की दर के कई कारण हैं—(i) ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-प्रदायक संस्थाओं का बहुत अभाव है जिससे महाजन प्रपने आपको एका-पिकारी की अवस्था में पाता है और भल-चाही व्याज की दर लेता है। (ii) महाजन के पास स्वयं पूँजी का अभाव रहता है यद्योऽकि वह नागरिकों से जमा पर धन प्राप्त नहीं करता है। इसके विपरीत उस से ऋण की मात्र बहुत होती है। इस अवस्था में वह अधिक व्याज की दर लेने में सफल हो जाता है। (iii) ऋणी अक्सर प्रदिशित होते हैं। उन्हे इस बात की जानकारी नहीं होने पाती कि अपने गाव में कौन-सा महाजन या आगामी के गावों में किस गाव में उन्हे वह व्याज की दर पर रुपया उधार मिले सकता है। (iv) महाजन थोड़ी-थोड़ी रकम बहुत से व्यक्तियों को उधार देते हैं जिससे उसका प्रबन्ध-व्यय बहुत होता है और वह ऊँची दर पर ही ऋण देता है। (v) कूँकि ऋणी प्रायः बिना किसी जमानत के रुपया उधार लेता है या वह अपर्याप्त जमानत पर ऋण लेता है, इस लिये ऋण में जोखिम वा अंश अधिक होने के कारण वह व्याज की दर भी अधिक लेता है।

साहूकारों के दोषपूरण कार्यः—सन् १९२६ की केन्द्रीय बैंकिंग जौच समिति के घनुसार महाजन व साहूकारों के कार्यों में अनेक दोष पाये गये हैं, जिनमें से कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—(i) कुछ महाजन कभी कभी ऋणी को ऋण देते समय उससे एवं खाली कागज पर दस्तखत करा लेते हैं या अगूठा लगावा लेते हैं और बाद उधार दी गई रकम को उम पर लिख लेते हैं। परन्तु इस रीति से दोष यह है कि कभी कभी महाजन ऋण की रकम को बड़ाकर लिख लेते हैं। (ii) अपने बही-रातों में ऋणों का खाता खोलते समय ये भेट के रूप में कुछ रुपये लेते हैं जो सर्वदा अनुचित है। (iii) ऋण की रकम पर आगाऊ व्याज काट लेते हैं। (iv) ऋणी से अनेक प्रकार के काय बेगार के रूप में करवाते हैं। (v) कभी-कभी ऋणी से यह शर्त करली जाती है कि वह अपनी उपज ऋणदाता द्वारा ही बेचेगा। परिणामतः कृपाओं को अपेक्षाकृत कम मूल्य पर ही अपनी उपज बेचनी पड़ती है। इस तरह ऋणदाता ऋणी से व्याज के रूप में और उपज की बिक्री के रूप में दो प्रकार से लाभ उठाता है। (vi) कभी-कभी ऋणी को ऋण-दाता के मुनीमों व नौकरों को भी कमीशन के रूप में कुछ रकम देनी पड़ती है। इन सब दोषों के कारण महाजन व साहूकार का एक धूणित व्यक्ति की तरह विरोध किया जाता है और उसे “भारतीय शाइलोक” (Indian Shylock) या भारतीय ज्यूड़ (Jews) की उपमा से मुश्किल किया जाता है। परन्तु किर भी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में आज भी उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है।

साहूकारों के कार्यों पर नियन्त्रण

साहूकारों के कार्यों पर नियन्त्रण—यद्यपि साहूकारों का कृपि अर्थ-व्यवस्था में

एक महत्वपूर्ण स्थान है, परन्तु यह भी सर्वमान्य है कि उनके कुछ कार्य एवं व्यवहार अत्यधिक दूषित है और व्याज की दर तो सामान्यत बहुत ऊँची होती ही है। यही बारण है कि समयन्समय पर इनके नायों को नियमित करने के लिए ग्रनेक वैधानिक उपायों का सहारा लिया गया है जिसमें से कुछ मुख्यन्मुख्य इस प्रकार है—(i) अत्यधिक व्याज की दर के नियमन सम्बन्धी नियम (Regulation of Usury)—यह नियम सर्वप्रथम सन् १८१८ में बना था, परन्तु तत्पश्चात् इसमें लगभग सभी प्रान्तीय सरकारों ने सदोषन किये हैं। इस नियम के अनुसार यापालप ऋण-सातों की तमाम शर्तों की छानबीन कर सकता है, पुराने खाते बन्द करवावर नये खाते बुलवा सकता है तथा व्याज की दर को कम करके फिर से ऋण की रकम निर्धारित कर सकता है। (ii) हिंसाद-किताब सम्बन्धी नियम—विभिन्न प्रान्तीय सरकारों ने ऐसे नियम पास कर दिये हैं जिनके कारण साहूकारों वो ऋण सम्बन्धी हिंसाद-किताब रखने पड़ते हैं और ऋणों को समय समय पर ऋण की रकम तथा व्याज की रकम का पृथक्-पृथक् व्यौरा भेजना पड़ता है। कुछ प्रान्तों में ऐसा भी नियम है कि हिंसाद किताब टीक न रहने की भवस्था में साहूकार पर जुर्माना व सजा दोनों ही हो सकती है जैसे, विहार में इसी तरह वा नियम है। ऋण की रकम वापिस मिलने पर रसीद देना अनिवार्य कर दिया गया है। (iii) व्याज की अधिकतम सीमा—कुछ प्रान्तीय सरकारों (पजाव, विहार, आसाम, उत्तर-प्रदेश) ने व्याज के सम्बन्ध में नियम बना दिये हैं। ऋणदाता यव कानून द्वारा निर्धारित व्याज की दर से अधिक व्याज की दर नहीं ले सकता है। कुछ प्रान्तों में चक्रवृद्धि व्याज (Compound Interest) लेने के विशेष नियम बना दिय गये हैं। सब ही प्रान्तों में व्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता है। (iv) साहूकारों का रजिस्ट्रेशन—कुछ प्रान्तों में ऐसे नियम हैं कि साहूकारों को अपना कार्य प्रारम्भ करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और लाइसेंस लेना पड़ता है। साहूकार के बैईमानी करते हुए पकड़े जाने पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। कुछ प्रान्तों में इस आशय के नियम हैं कि केवल वही साहूकार वैधानिक कार्यवाही कर सकता है जो रजिस्टर्ड होता है। (v) ऋणों को तय करने के सम्बन्ध में नियम (Debt Conciliation Acts)—कुछ प्रान्तों (मध्य प्रदेश, पजाव, बांगाल, मद्रास) ने कठोर को तय करने के नियम भी बना दिये हैं। इस कानून के प्रनुसार प्रान्त में ऋण तय करने वाले दोड़ (Debt Conciliation Boards) स्वापित कर दिय जाते हैं। ये बोर्ड किसान वी सम्पत्ति के आधार पर ऋण के भुगतान की किसी तय करता है, कठोर तथा ऋणदाताओं में समझौता करकर ऋण की रकम को कम करवाता है आदि। (vi) ऋणों का अनिवार्यत कम करना—मद्रास, मध्यप्रदेश, बंगाल, उत्तर-प्रदेश, विहार आदि प्रान्त ने एक ऐसा नियम बना दिया है जिसके द्वारा ऋण अनिवार्यत कम कर दिये जाते हैं। इस प्रकार के नियमों की इसलिए आवश्यकता पड़ी वि वभां-वभी ऋण तय करने वाले बोर्ड (Debt Conciliation Board) कानूनाना और ऋणी में समझौता करने में असफल रहते ये जिससे इन बोर्डों से हृषका वो कुछ भी लाभ नहीं होने पाता था।

(vii) शोष वित्तमन्त्र काल (Moratorium):—कुछ प्रान्तों में (उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश) सरकार ने एक एकट द्वारा न्यायालयों को यह अधिकार दे दिया है कि वे ऋण-सम्बन्धी भगड़ों की कायंवाही को, यदि जाहे तब कुछ समय के लिये रखगिर कर सकते हैं। इस तरह ऋण की डिग्री व बेदखली शीघ्र व एक साथ होने में रकावट पड़ सकती है। (viii) सम्पत्ति के हस्तान्तरण सम्बन्धी नियम:—पजाब, उत्तर-प्रदेश, दंगाल आदि प्रान्तों में ऐसे भी नियम बनाये गये हैं कि ऋण सम्बन्धी मामलों में कृपक की सम्पत्ति आसानी से देची नहीं जा सके। इस नियम का परिणाम यह हुआ है कि अब ऋणदाता ऋणी को उत्तराधमन कर उससे अनुचित लाभ नहीं उठा सकता है।

## ( २ ) स्वदेशी बैंकर्स (Indigenous Bankers)

परिभाषा—स्वदेशी बैंकर्स की ठीक-ठीक परिभाषा करना एक कठिन कार्य है। वर्षोंकि इन्हे महाजन व साहूकार से पृथक् करना कठिन होता है। केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति (१९२६) के अनुसार 'इम्पीरियल बैंक (स्टेट बैंक) आफ इंडिया, विनियम बैंक व्यापारिक बैंक तथा सहकारी समितियों को छोड़कर जो फर्म हुडियों का व्यवहार करती हों, जनता से जपा पर धन प्राप्त करती हों तथा ऋण देती हों स्वदेशी बैंकर्स कहलाती है।' <sup>६</sup> डॉ एस० सो० जैन (L. C. Jain) के अनुसार "स्वदेशी बैंकर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगत फर्म है जो ऋण देने के साथ ही जमा पर रपया स्वीकार करती है या हुडियों में व्यवहार करती है या दोनों कार्य करती है।"<sup>७</sup> स्वदेशी बैंकर का कार्य एक धनी व्यक्ति, बैंकिंग साझेदारी फर्म तथा व्यापारी बैंकर जिसकी विभिन्न स्थानों पर शाखाएँ होती है आदि, द्वारा किया जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में इनके भिन्न-भिन्न नाम हैं:—दंगाल में इन्हे सेठ व बनिया, उत्तर-प्रदेश व पजाब में साहूकार, महाजन (Money Lender) व खत्री, वम्बई में सरफि व मारवाड़ी तथा मद्रास में चेट्टी (Chettys) कहा जाता है। देश की अर्थ-व्यवस्था में स्वदेशी बैंकर्स का आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

## स्वदेशी बैंकर्स व साहूकार में भेद

स्वदेशी बैंकर व साहूकार में भेद (Distinction between Indigenous Banker and the Money Lender):—पानन्दीकर (Panandhiker) जैसे प्रसिद्ध लेखकों ने स्वदेशी बैंकर्स व साहूकार (या महाजन) में कई महत्वपूर्ण भेद बताये हैं, जिनमें से से कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं:—(i) स्वदेशी बैंकर्स अक्सर जमा पर धन प्राप्त करते हैं व हुडियों का लेन-देन भी करते हैं, किन्तु साहूकार इस प्रकार का बैंकिंग-कार्य बहुत कम करते हैं। (ii) स्वदेशी बैंकर्स ऋण देते समय इस बात की पूँछ-न्तांछ अधिक करते हैं कि ऋण किस कार्य के लिये लिया जा रहा है, परन्तु महाजन इस तरह की पूँछ-न्तांछ

<sup>6</sup>"All bankers other than the Imperial Bank of India, Exchange Banks, the Joint Stock Banks and Co-operative Societies and the expression includes any individual or private receiving deposits and dealing it, Hundies or lending money."

<sup>7</sup>"Any individual or private firm which in addition to making loans, either receives deposits or deals in Hundies or both."

बहुत कम करते हैं। महाजन "क्रण लेने के उद्देश्य" का ज्ञान आवश्यक नहीं समझता है। (iii) स्वदेशी बैंकसं द्वारा साहूकार की तुलना में व्याज की दर भी कम ली जाती है। (iv) स्वदेशी बैंकसं मुख्यत व्यापार व उद्योग की श्रद्धा-सहायता के लिये क्रण देते हैं, परन्तु साहूकार व महाजन हृषि के लिए तथा उपभोग के कार्यों के लिए भी क्रण दे देते हैं। (v) स्वदेशी बैंकसं मुख्यत बैंकिंग व्यवसाय करते हैं और इस कार्य का उनके लिए विशेष महत्व होता है परन्तु महाजन लेन-देन के कार्य के साथ ही साथ व्यापार भी करते हैं और व्यापार करना ही उनका प्रमुख कार्य होता है। (vi) स्वदेशी बैंकसं न केवल अपने निजी धन से क्रण देते हैं वरन् वे जमा द्वारा प्राप्त पूँजी से भी क्रण देते हैं, परन्तु महाजन केवल अपने निजी धन में से ही क्रण देते हैं। यह स्मरण रहे कि स्वदेशी बैंकसं तथा साहूवारों में इन भेदों के होते हुये भी कभी-कभी इन दोनों में भिन्नता करना कठिन हो जाता है क्योंकि भेद की सीमा बहुत ही सक्रीय है।

### स्वदेशी बैंकसं व आधुनिक बैंकिंग संस्थाएं

#### स्वदेशी बैंकसं व आधुनिक बैंकों में भेद (Distinction between Indigenous Banks and the Modern Banking Institutions)

स्वदेशी बैंकमं और आधुनिक बैंकों में भेद (Distinction between Indigenous Banks and the Modern Banking Institutions) —स्वदेशी बैंकमं और आधुनिक बैंकों में भी कई महत्वपूर्ण भेद हैं, जिनमें से कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—  
 (i) स्वदेशी बैंकस अपने कार्यों में बहुत कुछ स्वतंत्र होते हैं और ये अपने लेख व हिसाब किताब की प्रस्तावें गुप्त रखते हैं। परन्तु आधुनिक बैंकस इण्डिपन कम्पनीज एकट (१६१३) द्वारा भारतीय कम्पनीज एकट (१६४६) के अन्तर्गत कार्य करते हैं और इन्ह उक्त विधानों के अनुसार अपने लेख ठीक ठीक रखने पड़ते हैं। इनका अकेडेमी (Auditing) करवाना होता है तथा स्थिति विवरण (Balance Sheet) आदि को पत्रप्रिकाप्रो में प्रकाशित करवाना होता है। (ii) स्वदेशी बैंक अपनी कार्य शील पूँजी का एक बहुत छोटा सा भाग ही जमा के रूप में प्राप्त करते हैं और अश-पूँजी (Share Capital) के रूप में तो ये कुछ भी धन एकत्रित नहीं करते हैं, परन्तु आधुनिक बैंकों का पूर्ण व्यापार अश-पूँजी के प्रतिरिक्त मुख्यत जमा-धन (Deposits) पर निर्भर रहता है। इसलिये आधुनिक बैंकों के साधन स्वदेशी बैंकसं की तुलना में बहुत विशाल होते हैं। (iii) स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली में चेकों का चलन नहीं है, सभी भुगतान नकद रूप में दिये जाते हैं परन्तु आधुनिक बैंकों में चेकों द्वारा रूपया निकालने की भी सुविधा होती है। (iv) स्वदेशी बैंकसं आधुनिक बैंक की तरह अपना वार्ष केवल बैंकिंग तक ही सीमित नहीं रखते वरन् ये बैंकिंग कार्यों के साथ ही साथ व्यापार, उद्योग, आढात व सट्टा आदि के कार्य भी करते हैं। (v) स्वदेशी बैंकसं अपने ग्राहकों के साथ बैंकिंग एवं धनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु आधुनिक बैंकिंग में इस प्रकार के बैंकिंग व धनिष्ठ सम्बन्ध का अभाव रहता है। (vi) स्वदेशी बैंकसं अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोनों प्रकार के ज्ञान देते हैं, परन्तु आधुनिक बैंक मुख्यत अल्पकालीन ज्ञान देते हैं और इस तरह ये अल्पकालीन व दीर्घकालीन ज्ञानों में भेद बरते हैं। (vii) स्वदेशी बैंकसं चल व अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति की आड पर ज्ञान देते हैं और कभी-कभी विना किसी की जमानत लिये भी

क्रहण दे देते हैं, परन्तु आधुनिक बैंकरा विना किसी जमानत के क्रहण नहीं देते और भवसर यह जमानत भी अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं होती है अर्थात् ये ऐसी प्रतिभूति (Security) के पाठार पर क्रहण देते हैं जिसे ये किसी भी समय सरलता से बाजार में बेच सकते हैं। (viii) स्वदेशी बैंकर्स की व्याज की दरें आधुनिक बैंकों की तुलना में बहुत अधिक ऊंची होती हैं। (ix) स्वदेशी बैंकर्स की आय प्रणाली आधुनिक बैंकों की तुलना में बहुत सरल होती है। देशी बैंकर्स का कार्य साधारणतया प्रादेशिक भाषाओं में ही किया जाता है। (x) स्वदेशी बैंकरा विदेशी विनिमय विलस को कटौती आदि नहीं करते हैं, परन्तु व्यापारिक बैंक विदेशी व्यापार की अर्थ-सहायता करते हैं और विलस को भी भुनाते हैं। (xi) स्वदेशी बैंकरा का रिजर्व बैंक से सम्बन्ध लगभग नहीं के बराबर होता है, परन्तु आधुनिक बैंकरा पूर्णतया रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में कार्य करते हैं। (xii) स्वदेशी बैंकर्स की शासाएँ नहीं होती हैं, परन्तु आधुनिक बैंकों की शासाएँ दूर-दूर तक फैली हुई होती हैं।

### स्वदेशी बैंकर्स के कार्य

स्वदेशी बैंकर्स के कार्य (Functions of the Indigenous Bankers):—स्व-

देशी बैंकर्स के मुख्य-मुख्य कार्य इस प्रकार हैः—(i) जनता से जमा धन प्राप्त करना:—स्वदेशी बैंकर्स जनता से जमा धन (Deposits) प्राप्त करते हैं और इन पर व्याज देते हैं जो सहवारी संस्थाओं तथा आधुनिक बैंकों से अधिक होता है (३% से ६% तक)। परन्तु उक्त बैंकर्स जमा-राशि बहुत अधिक मात्रा में स्वीकार नहीं किया करते हैं क्योंनि उस विधि में जमाकर्ताओं द्वारा यकायक धन निकाले जाने की परिस्थिति में इनकी आधिक स्थिति संकट में पड़ सकती है। इसीलिये भवसर में धनने मिलो व सम्बन्धियों के ही धन को जमा किया करते हैं। बम्बई की तुल्य संस्थाओं को छोड़कर बाकी स्वदेशी बैंकर्स भंड द्वारा रूपया निकालने की गुविधा नहीं देते हैं। (ii) रूपया उधार देना:—स्वदेशी बैंकर्स का प्रमुख कार्य क्रहण देते का होता है और यह इनका सबसे अधिक भवहृष्टपूर्ण कार्य है। ये मुख्यतः व्यापार व उद्योग व कृषि कार्यों के लिए क्रहण देते हैं, परन्तु कभी-कभी ये उपभोग के कार्यों के लिये भी क्रहण देते हैं। क्रहण की रवान बढ़ने पर ये जमानत भी अच्छी किसी की स्वीकार करते हैं, कभी-कभी ये व्यक्तिगत जमानत पर ही क्रहण दे देते हैं। क्रहण देते समय ये किसी न किसी प्रकार का प्रतिशा-पत्र (Promissory Note) लिया लेते हैं। व्यापारिक कार्यों के लिये क्रहण ये या तो हुडियों को सरीद कर या इनकी बटोरी करके देते हैं। अच्छी जमानत के क्रहण पर ये ६% से १८% तक व्याज लेते हैं, परन्तु भव्यर्पित जमानत के क्रहण पर या किसी में भुगतान किये जाने वाले क्रहण पर मे १८%, से ३७%। तक व्याज ले लेते हैं। इनकी व्याज दर हमेशा भिन्न होती है और यह जमानत व उधार लेने वालों की साथ पर निभंर रहती है। ये भूमि, जेवर, फसल आदि वी जमानत पर भी क्रहण दे देते हैं। तुल्य क्रहण बस्तुओं भव्यवा मात्र (Goods) के स्पं में दिये जाते हैं और माल के स्पं में ही व्यूल भी दिये जाते हैं। स्वदेशी बैंकर्स इपि सो, साहूआरो व जमीदारो द्वारा प्रथं-सहायता देते हैं। ऐसे हृषक

जो इन्हे भूमि व आशुपण के रूप में पर्याप्त जमानत दे देते हैं, उन्ह में प्रत्यक्ष रूप में ऋण दे देते हैं। और कुछ वो मे साहूकारों व जमीदारों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में ऋण दे देते हैं। यूं ति स्वदेशी बैंकस आइतिये का भी कार्य करते हैं तथा हृदियों की भी भुनाते हैं, इसलिये य दश के आन्तरिक व्यापार की भी अर्थ सहायता करते हैं। शिल्पकारों को यह कच्चा माल बेचते हैं और इस तरं पर उन्हे करण दे देते हैं कि वे अपना तंयार माल इन्हीं के द्वारा बेचेंगे। इस तरह स्वदेशी बैंकस कूटीर-उद्योगों की भी अर्थ-सहायता करते हैं। कभी-भी स्वदेशी बैंकस वडे पैमाने के उद्योगों में धन का विनियोग ५-७ वर्ष की अवधि तक के लिय बर देते हैं और इस तरह देश के वडे उद्योगों की अर्थ-सहायता करते हैं। यह स्मरण रहे कि ये बैंकस गोदामों में पडे माल की जमानत पर ऋण नहीं देते हैं। यदि ये इस ढग से भी ऋण देने लगें, तब न केवल इनके व्यापारिक वायों में उन्नति होगी बरन् वडे पैमाने के उद्योग की भी बहुत अधिक अर्थ-सहायता हो सकेगी। अत इन्ह गोदामों में पडे माल के आधार पर भी ऋण देना आरम्भ कर देना चाहिये। (iii) हृदियों का व्यवसाय करना —स्वदेशी बैंकम विभिन्न प्रकार की हृदियों वो जारी करते हैं, इनका अर्थ-विकाय करत है अथवा इन्ह भुनाते हैं। हृदिया स्वदेशी ढग से लिखी जाती है : (iv) अर्थ व्यापार —स्वदेशी बैंकस उक्त वैकिंग कायों के प्रतिरिक्त गैर-वैकिंग कार्य भी करत है और माजबल इनकी इस प्रकारके कायों की ओर प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है। य व्यापार व दुकानदारी वरते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि इन्ह आधुनिक बैंकों की प्रतियोगिता के कारण समय-समय पर बहुत हानि हुई है और इस क्षति की पूति ये गंर-वैकिंग कार्य बरके पूरा करते हैं। इनमें से कुछ यनाज, कपास व अन्य अनेक प्रकार की प्रतिमूलिकियों में सट्टा (Speculation) करते हैं और कुछ व्यापारिक फर्मों के एजेंट (Agents) के रूप में कार्य करते हैं।

### स्वदेशी बैंकस की कार्य-प्रणाली

स्वदेशी बैंकस की कार्य-प्रणाली —स्वदेशी बैंकस की वैकिंग की रीतिया बहुत सरल व सुगम होती है। इनका कार्य-वैकिंग बहुत सीमित होता है, प्राय यह एक छोटा-सा कस्बा या नगर होता है। इनके हिसाब रखने के तरीके भी बहुत सीधे-साधे होते हैं। प्राय ये इनने सही व सीधे होते हैं कि इनके अ केषण (Auditing) की भी आवश्यकता नहीं होती है। बहियों से इनका अकिञ्चन व परिणाम सम्बन्ध होता है जिसके इनको अपना व्यापार करने में मुदिधा रहती है। इनके ऋण देने के तरीके इस प्रकार है—  
 (i) प्रतिनापन पर ऋण —स्वदेशी बैंकस ऋण देते समय ऋणी से एक इस प्रकार का प्रतिनापन लिखवा लेता है जिसमें न केवल मूलधन की रकम व ब्याज की दर लिखी होती है बरवू उस अवधि का भी जिक्र होता है, जिसके समाप्त होने पर ऋणी ऋण को लौटाने का वायदा करता है। इस प्रकार के पव पर दो जमानतियों के हस्ताधर होते हैं और ऋणी से ऋण की रकम बसूल नहीं होने पर जमानतदारों को ऋण की ग्रदायण करनी पड़ती है। (ii) रसीद या टीप —इस विधि में ऋणी से केवल रसीद लिखा की जाती है जिसम ब्याज की दर भी लिखी हुई होती है। (iii) बहस्तावेज व तमस्सुख —सरकारी स्टाम्प के कागजों पर ही दस्तावेज व तमस्सुख लिखा जाता है। इस बहस्तावेज

के अनुसार ऋणी ऋण का मूलधन व एक निश्चित दर पर व्याज एक निश्चित अधिक के बाद लौटाने का वायदा करता है। (iv) किश्तः—इस रीति में ऋण की अदायगी किस्तों में होती है और पहली किश्त ऋण देते समय ही काट ली जाती है। इस रीति को कभी-कभी बनज अथवा रेहती भी कहते हैं। (v) टिकट वहीः—इस रीति में वही में ऋण की रकम लिखकर टिकट के ऊपर ऋणी के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। ऋण की अधिक व व्याज की दर का जिक्र नहीं रहता है। ये बातें ऋणदाता व ऋणी में आपस में जबानी तथ कर ली जाती हैं। न्यायालयों में उक्त वही स्वीकार की जाती है। (vi) हाथ-उधारः—इस प्रकार से रपया उधार देने में कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती है और जबानी यापदे पर ही उधार दे दिया जाता है। कभी-कभी इस रीति में ऋणी से केवल शपथ लिखा ली जाती है। (vii) हज़हीः—यह भी एक किश्त प्रणाली है जिसमें ऋण की अदायगी किस्तों में वही जाती है। पहली किश्त ऋण देते समय ले ली जाती है, तत्पदचात् किस्तों की निर्धारित रकम प्रतिदिन तब तक ली जाती है, जब तक कि तमाम रकम की अदायगी नहीं हो जाती है। (iii) गिरवीः—इस प्रथा में सोना, चाँदी, जेवर व अन्य मूल्यवान वस्तु की आड़ पर ही ऋण लिया जाता है। इस प्रकार की आड़ की वस्तुओं के मूल्य का अधिक से अधिक भाग ऋण मे दिया जाया करता है। (ix) रहन (Mortgage):—यहां पर भी सम्पत्ति की आड़ पर ही ऋण दिया जाता है। परन्तु रहन व गिरवी में अन्तर यह है कि रहन मे भूमि, मकान आदि अचल सम्पत्ति की आड़ पर और गिरवी में केवल चल सम्पत्ति की आड़ पर ऋण दिया जाता है। (x) माल के रूप में ऋणः—कृपक को प्रायः वस्तुओं के रूप में ऋण दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, कृपक को भ्रान्त के रूप में ऋण इस रूप पर दिया जाता है कि वह फसल कटने पर इसका सवाया या द्व्योदा वापिस कर देगा।

#### स्वदेशी बैंकर्स का आयुनिक बैंकों से सम्बन्धः—उपर यह स्पष्ट किया जा

चुका है कि स्वदेशी बैंकर्स मुख्यतः अपनी पूँजी से लेन-देन का कार्य करते हैं, परन्तु ये कभी-कभी अपने मित्रों व सम्बन्धियों से जमा-धन (Deposits) भी प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु ऋण की मांग बड़ जाने पर कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जबकि स्वदेशी बैंकर्स वैकर्त्रों से सहायता लेनी पड़ती है। परन्तु व्यापारिक बैंकर्स एवं विनियम बैंकर्स केवल उन्हीं स्वदेशी बैंकर्स को ऐसे समय मे आयिक सहायता देने हैं जिनका नाम उनकी स्वीकृत मूची मे होता है। परन्तु उनके हारा इस प्रकार को सहायता देने की भी एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि इन स्वदेशी बैंकर्स को व्यापारिक बैंकों से पर्याप्त मात्रा में सहायता नहीं मिलने पाती है और वे अन्य मार्गों से ऋण प्राप्त करते हैं। आधुनिक बैंक इनकी हुँडियों के भुनाने की भी सुविधा देने हैं। परन्तु स्वदेशी बैंकर्स वैकर्त्रों को इस प्रकार वी मुविधा से भी बोहूद विदोष मान नहीं होता है वयोंकि इनके पास घोटे-छोटे व्यापारियों तथा कृपकों की जो दुख भी हुँडिया आती हैं वे व्यापारिक बैंकों की हट्टि से ग्रयोग्य होती हैं। कुछ समय से स्टेट बैंक व रिजर्व बैंक ने भी इन स्वदेशी बैंकर्स को इनकी हुँडियों के पुनः भुनाने की सुविधा देना आरम्भ कर दिया है।

स्वदेशी बैंकर्स और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का सम्बन्ध — स्वदेशी बैंकर्स ने सदा स ग्रामीण देशों की लगभग समस्त मुद्रा की आवश्यकता की पूर्ति की है और ये इस प्रकार वा महत्वपूर्ण वायं आज भी न केवल ग्रामीण देशों में बरन् छोटे-छोटे नगरों में भी करते हैं। इसीलिए केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति (१९२६) ने यह सिफारिश की थी कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की स्थापना के पश्चात इसका देश के मिशनर पूँजी बैंकों व सहकारी बैंकों के साथ सम्बन्ध स्थापित होने के साथ ही साथ स्वदेशी बैंकर्स स भी सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए और इसे उम्ह भी पुन कठोरी की सुविधायें देनी चाहियें। केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति (१९२६) की सिफारिशों के आधार पर सन् १९३७ में रिजर्व बैंक ने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसके अनुसार कुछ निश्चित शर्तों पर स्वदेशी बैंकर्स रिजर्व बैंक की स्वीकृत सूची में सम्मिलित हो सकते थे और इनका उससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो सकता था। ये शर्तें इस प्रकार थीं — (१) बैंकल ऐसे स्वदेशी बैंकर्स को रिजर्व बैंक की स्वीकृति सूची में सम्मिलित किया जा सकता था जो कम से कम २ लाख रुपये से व्यवसाय करते हो और पाच वर्ष की अवधि में इसे बढ़ावर ५ साल रुपय करने की तैयार हो, (२) जो अपने गैर बैंकिंग कार्य बन्द बरने के लिए तैयार हो, (३) जो अपने हिसाब-किताब को ठोक-ठीक रखकर इसका अवेक्षण (Auditing) कराये तथा इसकी एक मासिक सूचना रिजर्व बैंक को भेजने की तैयार हो ताकि रिजर्व बैंक को गूचिचढ़ स्वदेशी बैंकर्स की आधिक स्थिति का समुचित ज्ञान रह सके, (४) जो अपना स्थिति-विवरण (Balance sheet) प्रकाशित करने के लिए तैयार हो, (५) जो जनता से खूब जमा धन (Deposits) प्राप्त बरने के लिए तैयार हो तथा अन्य बैंकों की तरहप्र पनी मांग-देय (Demand Liabilities) का ५% तथा बाल देय (Time Liabilities) का २% रिजर्व बैंक के पास जमा रखने के लिये तैयार हो, (६) जो अन्य बैंकों की तरह रिजर्व बैंक के पास समय-समय पर अपने कारों वा आवश्यक विवरण भेजन के लिए तैयार हो आदि। इन शर्तों के बदले में रिजर्व बैंक ने स्वदेशी बैंकर्स को व्यापारिक बैंकों की तरह अप्रिम (Advances), बिल्म भुनाने तथा राशि स्थानान्तरण की मुविधाएं प्रदान की। परन्तु स्वदेशी बैंकर्स में रिजर्व बैंक के उक्त सुभाव एव शर्तों को अनुपयुक्त बताया तथा इनका बहुत विरोध किया। परिणाम सत भारतीय बैंकिंग के देशी व आधुनिक अगो के बीच आवश्यक सामग्रजस्थ स्थापित नहीं होने पाया है। स्वदेशी बैंकर्स द्वारा उक्त सुभावों के विरोध के कई कारण थे — (१) देशी बैंकर्स अपने लाभदायक व्यवसाय एव व्यापार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, (२) कुछ बैंकर्स ने इमोरियन बैंक व व्यापारिक बैंकों से काफी भूम्यता मिल जाया बरती थी जिसके बाराग उन्होंने रिजर्व बैंक की उक्त योजना में कोई दिलचस्पी नहीं ली। (३) कुछ बैंकर्स अपने हिसाब किताब के निरीक्षण व अवेक्षण (Auditing) के विषद थे जिसमें उन्होंने उक्त योजना वा बहुत विरोध किया। (४) कुछ बैंकर्स ने रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई धनेक शर्तों को अपमानजनक समझा और रिजर्व बैंक के सुभावों को स्वीकार नहीं किया। अत यह रूपरेखा है कि केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति

(१६२६) की भिकारियों तथा रिजर्व बैंक के प्रस्तावों १६३७ के अनुसार देश में स्वदेशी बैंकिंग का आधुनिक बैंकिंग से समन्वय नहीं हो सका। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अब यह ग्रामीण को जाने सकता है जिससे एक ऐसी योजना बनायेगा जिससे स्वदेशी बैंकिंग संस्थाओं का उचित व सप्रभाविक उपयोग हो सकेगा।

परन्तु स्वदेशी बैंकसं का रिजर्व बैंक से सम्बन्धित हो जाने पर क्या-क्या लाभ प्राप्त हो सकते ? :—(i) स्वदेशी बैंकसं वा रिजर्व बैंक से सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर भारतीय मुद्रा-वाजार के विभिन्न शरणों का मंगठन हो जायेगा। रिजर्व बैंक देश की आवश्यकताओं के अनुसार साख-नियन्त्रण करने में सक्षम हो सकेगा। (ii) स्वदेशी बैंकसं और आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं में प्रतियोगिता वा स्वान पर सहकारिता की भावना जागृत हो जायेगी और इनकी व्यापारिक उन्नति होगी। (iii) रिजर्व बैंक से सम्बन्ध स्थापित हो जाने तथा अन्य बैंकिंग संस्थाओं से प्रतियोगिता का अन्त हो जाने पर इनका बैंकिंग व्यापार स्वतः इतना अधिक बढ़ जायेगा कि इन्हें बैंकिंग व्यवसाय के साथ ही साथ अन्य व्यापार करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। (iv) रिजर्व बैंक को देश की आर्थिक व बैंकिंग स्थिति वा बहुत 'कुछ ठीक-ठीक' अनुमान हो सकेगा क्योंकि वह इन बैंकसं से समय-समय पर अनेक प्रकार के विवरण आप मगा सकेगा। इस अवस्था में देश में बैंकिंग का पर्याप्त विकास हो सकेगा। (v) रिजर्व बैंक से सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर, स्वदेशी बैंकसं में जनता वा तथा देश की अन्य बैंकिंग संस्थाओं वा विद्वास बढ़ जायेगा जिससे देश की बैंकिंग व्यवस्था में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्वान हो जायेगा। अतः यह स्पष्ट है कि यदि स्वदेशी बैंकसं का रिजर्व बैंक से सम्बन्ध स्थापित हो जाये, तब इससे देश को बहुत लाभ पहुँचेगा। इसी हाफिट से सदृ १६५१ में बम्बई में गमस्त स्वदेशी बैंकसं वा एक अखिल भारतीय गर्वांक सम्मेलन भी किया गया था परन्तु अभी तक इनको संगठित एवं व्यक्तिगती बनाने वा वोई ठोस प्रयत्न न तो किया हो गया है और न इस प्रकार के प्रयत्न में कोई सफलता ही मिल सकती है।

### स्वदेशी बैंकिंग में दोष

स्वदेशी बैंकिंग में दोष (Defects of the Indigenous Banking):—स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली में कितने ही दोष पाये जाते हैं जिनमें में कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—  
 (i) स्वदेशी बैंकसं अपने बैंकिंग के व्यवसाय के साथ ही साथ अन्य अनेक प्रकार के व्यक्ति-साय भी बरते हैं जिनमें बैंक के हप में इनकी उपयोगिता बहुत हो जाती है। कभी-कभी ये सट्टा व्यापार तक बरते हैं जिससे इनके पास धन जमावन्ति प्रोतक बोहानि हो जाने वाली सम्भावना रहती है। परिणामतः जनता वा इनमें विद्वाय बहुत हो जाता है।  
 (ii) इनकी वार्ष-पद्धति सामान्यतया धोखे-वाजी तथा अतुचित व्यवहारों से भरी हूँदी होती है। ये अनेक प्रकार की बटोतियों वाटने हैं, छह-वर्षीयी की रसीद नहीं देते हैं, योरे बागज पर हस्ताक्षर बरबा सेने हैं, व्याप की राम बढ़ावर लिय देते हैं आदि। इस तरह ये अपने झूगी की अज्ञानता वा अनुचित लाभ उठाने हैं और अपने कूट-भूमि से अपने आप को पूँजीपति बना नेते हैं। यह बहना सच है कि ये अपने झूणियों को

करण के भार से मुक्त होने का अवसर बहुत ही कम देते हैं। (iii) स्वदेशी बैंकर्स की व्याज की दरें बहुत कम की होती हैं जिससे ग्रामियों का अनुचित शोपण होता है। (iv) चूंकि स्वदेशी बैंकर्स मूलत अपनी नियमी पूँजी से और बहुत कम अर्थ में उधार सी गई पूँजी से बैंकिंग व्यवसाय करते हैं, इस कारण इनके पास सदा कार्यशील पूँजी का प्रभाव रहता है। यही वारण है कि ये हुडियों के क्रय विक्रय का व्यवसाय बहुत ही कम बरने पाते हैं। (v) चूंकि स्वदेशी बैंकर्स ने अपने पास धन जमा बरने की प्रणाली को प्रोत्साहन नहीं दिया है, इसलिये इसका जनता की बचत बरने की आदत पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है और देश की सचित राशि एवं निपटिक्य (Inactive) राशि का उत्पादन-कार्यों में उपयोग नहीं हो सका है। (vi) स्वदेशी बैंकर्स साधारणतया परम्परागत धाराओं पर कार्य बरते हैं जिससे इनकी कार्य विधियों में बहुत भिन्नता पाई जाती है। इसीलिये ये अपने हिंदू-किताब अथवा स्थिति-विवरण-पत्रों को न तो प्रकाशित ही बरतते हैं और न इनका प्रकेषण (Auditing) ही बरतते हैं। गरिमामत जनता का इनमें बहुत कम विस्तार है। (vii) स्वदेशी बैंकर्स आधुनिक बैंकिंग के सिद्धान्तों का पालन नहीं बरतते हैं और अक्सर अपर्याप्त जमानत पर या बम्भी-बम्भी व्यक्तिगत जमानत तक पर करण दे देते हैं। और अपने व्यवसाय में जोखिम के प्रश्न को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। (viii) देशी बैंकर्स में आपस में भी सहयोग का अभाव है। ये न केवल आपस में ही प्रतियोगिता करते हैं बरन् ये इस प्रकार की प्रतियोगिता के साथ ही साथ आधुनिक बैंकों से भी प्रतियोगिता करते हैं। जिससे इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। यही कारण है कि भारतीय मुद्रा-वाजार दो मुख्य भागों में विभाजित हो गया है—प्रथम, स्वदेशी बैंकर्स तथा द्वितीय, आधुनिक बैंकर्स जिसमें भारतीय मुद्रा-वाजार में न केवल लेन-देन की पद्धति में बरत व्याज की दरों में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है।

### स्वदेशी बैंकिंग में सुधार ये इसके विकास के लिये सुझाव

स्वदेशी बैंकर्स के सुधार ये उन्नति के लिये कृद्य सुझाव —स्वदेशी बैंकर्स में उक्त लिखित दोष होते हुये भी लगभग सभी बैंकिंग जान समितियों ने यह स्वीकार दिया है कि इनका देश की प्रामीण वित्त-व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वयोविधि लगभग ६०% प्रामीण साख की पूति बरतते हैं। इसीलिये यह कहा जाता है कि इनकी सेवाओं का अन्त कर देना ग्रामीण सास व्यवस्था ने लिये उचित नहीं होगा। स्वदेशी बैंकर्स का तीन दिशाओं में सुधार हो सकता है—प्रथम, इनकी कार्य विधि में सुधार, द्वितीय—इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार तथा तृतीय, इनके अनुचित कार्यों का अन्त। केन्द्रीय बैंकिंग जान समिति (१६२६) तथा प्रातीय बैंकिंग जान समितियों ने स्वदेशी बैंकिंग में सुधार के लिए इतने ही सुझाव प्रस्तुत किये हैं, जिनमें कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—(i) स्वदेशी बैंकर्स की बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त और अन्य व्यवसायिक कार्य एवं सट्टा व्यापार नहीं बरना चाहिए। उनका रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये और जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक तथा इम्पीरियल बैंक (स्टेट बैंक) की शालायें नहीं हैं, वहां पर इन्हें उनके एजेन्ट के रूप में कार्य बरना चाहिए। (ii) रिजर्व बैंक ने अन्य व्यापा-

रिक बैंकों को तरह इन पर भी इनकी पूँजी, जमा-धन तथा कार्य-विधि के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध लगाने चाहिये और इसके बदले में इन्हें अग्रिम (Advances) तथा स्थीरता प्रदान की जानी चाहिये। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिये उन्हें रिजर्व बैंक के पास अपने जमा-धन के अनुपात में कुछ राशि भी जमा करनी होगी। (iii) व्यापारिक बैंकों को भी स्वतन्त्रतापूर्वक इनकी हूँडियों की पुनः पटीती करनी चाहिये। (iv) स्वदेशी बैंकर्स द्वारा अपने व्यवसाय को आधुनिक ढंग पर उन्नीत करना चाहिये, इन्हें अपने हिसाब-किताब को आधुनिक ढंग पर रखना चाहिये तथा रिजर्व बैंक द्वारा इनके अकेशण (Auditing) तथा निरीक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिये। इससे न केवल इनकी व्यापारिक उन्नति होगी बरन् जनता का इनमें विश्वास बहुत बढ़ जायगा। (v) रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक को स्वदेशी बैंकर्स को भी राशि स्थानान्तरण की सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिये। इससे इनका देश के मुद्राधारजार में स्थान महत्व-पूर्ण हो जायगा। (vi) स्वदेशी बैंकर्स को लाइसेंस प्रदान करना चाहिये और इस प्रकार के लाइसेंस प्राप्त बैंकर्स का एक संघ बनाना चाहिये ताकि इसके द्वारा न केवल इनकी पारस्परिक प्रतियोगिता का अन्त चिना जा सके बरन् इनमें सहयोग व सद्भावना जागृत करके इनकी कुशलता बढ़ाई जा सके। (vii) स्वदेशी बैंकर्स द्वारा अपने व्यवसाय का स्थानान्तरण विलय की दलाली के व्यवसाय में करना चाहिये। इससे देश में एक समर्थित व्यापारजार का निर्माण सम्भव हो राखेगा। (viii) स्वदेशी बैंकर्स तथा मिश्रित पूँजी के द्वारा या यामीण एकीकरण (Amalgamation) किया जाना चाहिये। (ix) बैंकों का एक प्रतिलिपि भारतीय मंथ बनाना चाहिये जिसमें स्थीरता स्वदेशी बैंकर्स को भी सदस्य बनाना चाहिए। (x) स्वदेशी बैंकर्स तथा महाजन व साहूकारों के सम्बन्ध में राज्य मरकारों द्वारा प्रकार के नियम बनाने चाहिये कि इनके मनुचित व्यवहारों का अन्त हो सके तथा व्याज की दर में भी कमी भा सके। राज्य मरकारों ने अग्रणी दर्द के हितों की रक्षा के लिए समय-समय पर जो नियम बनाये हैं, उनमा कार्यवाहन सन्तोषजनक नहीं हो सका है, इसलिए उक्त धैर्यिक जाति गणितियों ने यह भी गुभार रखा है कि गरेंगे द्वारा नियमित नियमों में उचित गुधार होना चाहिए ताकि सामील देशों में गान्धी-व्यवस्था की किंगी भी पकार गे कमी नहीं हो सके।

### स्वदेशी बैंकर्स का महत्व

स्वदेशी बैंकर्स का महत्व (Importance of the Indigenous Bankers):—

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वदेशी बैंकर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह इसी से स्पष्ट है कि सहकारी संस्थाओं तथा मन्त्र बैंकों के होते हुए भी ये लोग लब्धभग ६०% ग्रामीण सारा की पूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त घोटे-घोटे कस्बों एवं नगरों में ये व्यापार की अर्थ-सहायता भी करते हैं। बस्तुई व अहमदाबाद जैसे श्रीधोगिका केन्द्रों पर तो ये यारखाने वालों की सारी पूर्ति अधिक गे अधिक दो साल की अवधि के लिये कम-अधिक मात्रा में करते हैं भीर कही कही स्वयं भी कारखानों के मालिक पाये जाते हैं। यह सच है कि घोटे-घोटे उद्योगों की मात्रा, ग्रामीण-साल तथा आन्तरिक व्या-

पार की साल जी पूर्ति के लिये आज भी ये बहुत कुछ एकाधिकार की प्रवस्था में हैं। यद्यपि इनमें वार्षिक प्रणाली बहुत दोषपूर्ण है, परन्तु इसमें सुधार की बहुत सम्भावना है और यदि वैकिंग जाच समितियों के सुभावों के आधार पर स्वदेशी बैंकसंघ की वार्षिक-विधि एवं वार्षिक की दशाओं में परिवर्तन कर दिया गया, तब ये वास्तव में देश की वैकिंग पढ़ति में एक महत्वपूर्ण सम्पत्ति (Assets) हो जायेगे।

### (३) व्यापारिक बैंकस तथा अन्य संस्थाएं

वृष्टि की अर्थ सहायता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से ही की जाती है। एक और यदि कुछ ऐसे व्यक्ति, फर्म ग्रववा संस्थाएं हैं जो कृषि की अर्थ-सहायता प्रत्यक्ष रूप में करती हैं, तब दूसरी और ऐसी संस्थाएं भी हैं जो अर्थ-सहायता परोक्ष रूप में करती हैं। भारत में वृष्टि की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अर्थ-सहायता करने वाली कुछ संस्थाएं इस प्रकार हैं—(i) व्यापारिक बैंकस—इस प्रकार के बैंकम वृषकों की साधारणतया प्रत्यक्ष रूप में अर्थ सहायता नहीं करते हैं बरन् ये व्यापारियों तथा निर्यातकर्ताओं के व्यापार को सहायता देकर अथवा उन्ह नहए देकर अप्रत्यक्ष रूप म वृषकों की आर्थिक सहायता करते हैं। इसी प्रकार जब बैंकस कृषि-उपज के बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये व्यापारियों की हुड़ी भुनाते हैं तब भी ये परोक्ष रूप में वृष्टि की अर्थ-सहायता करते हैं। बभी-कभी वैंकस उपज की जमानत पर भी बड़े बड़े व्यापारियों को ऋण दे देते हैं। भ्रत व्यापारिक बैंक प्रत्यक्ष रूप म वृषकों की आर्थिक सहायता नहीं दिया करते हैं बरन् वे जो कुछ भी सहायता करते हैं वह परोक्ष रूप में ही होती है। (ii) बीमा कम्पनियाँ—ये भी वृषकों की प्रत्यक्ष रूप म कुछ भी आर्थिक सहायता नहीं करते हैं। कुछ बीमा कम्पनिया भूमि-बन्धक बैंकों के डिने-चर्च संखरैद सेती हैं और जूँ कि भूमि बन्धक बैंकस भूमि वी आड पर वृषकों को ऋण देते हैं, इमलिए यह बहा जा सकता है कि बीमा कम्पनिया भी अप्रत्यक्ष तरीके से वृषकों की अर्थ-सहायता करती है। (iii) ऋण कार्यालय—इस प्रकार के कार्यालय बगाल में बहुत प्रशिद्ध हैं। इनकी संख्या लगभग १००० तथा पूँजी करीब १० करोड रुपये है। ये संस्थाएं अपना कार्य जनता से प्राप्त राशि से ही करती हैं तथा इस प्रकार की जमा पर ४% से ८% तक ब्याज देती है। इन संस्थाओं द्वारा भूमि, जैवर अथवा कभी कभी व्यक्तिगत साख पर वृषकों तथा जमीदारों को ऋण दिया जाता है। (iv) चिट-कोप तथा निधिया—इस प्रकार की संस्थाएं मुख्यत मद्रास प्रान्त म पाई जाती हैं। इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन इण्डियन कॉम्पोज़ एस्ट के अन्तर्गत होता है और इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों में बचत की भावना को जागृत करना होता है। ये अपने सदस्यों को पर्याप्त जमानत पर या कभी उनकी साख पर ऋण देती हैं तथा सदस्यों को अपने पुराने ऋणों से मुक्त होने में महायता देती है। इन संस्थाओं द्वारा भी वृषकों की अर्थ-सहायता कम अधिक मात्रा में ही जाती है। परन्तु यदि ये सुमित्रित हो जायें, तब ये भी वृष्टि अर्थ-सहायता के लिये महत्वपूर्ण कार्य करती हैं।

## [४] कृषि अर्थ-व्यवस्था और सरकार—तकाबी कृषण

सरकार के तकाबी कृषण—(Taqavi Loans):—कृषि अर्थ-व्यवस्था में सरकार

का सदा में ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कृषि सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था की पूर्ति के लिये सरकार ने दो बानून बनाये हैं—प्रथम, भूमि सुधार कृषण कानून, १८७३ (Land Improvement Loans Act) और द्वितीय, कृषक कृषण विधान १८८८, (Agriculturists Loans Act)। प्रथम कानून के अन्तर्गत कृषक को कृषण के बल भूमि में स्थायी सुधार के लिये दिया जाता है और वह दीपं-कालीन कृषण होना है। इस कृषण की अवधि कानून के अनुमार अधिक ने अधिक ३५ वर्ष की होती है, परन्तु व्यवहार में कृषण प्रायः २० वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं दिये जाते हैं। द्वितीय कानून के अनुमार कृषण के बल कृषक की अन्य-कालीन आवश्यकताओं के अनुमार दिये जाने हैं, जैसे—धीज सरीदना, खाद व पशु खरीदना, गोजार खरीदना आदि। इस प्रकार इन कृषणों द्वारा सरकार कृषक की अत्यकालीन एवं दीपंकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप में करती है। इन दोनों प्रकार के कृषणों को माधारणतया तकाबी कृषण (Taqavi Loans) के नाम से पुकारा जाता है। इस समय सरकार प्रतिवर्ष करीब ६५ करोड़ रुपये के तकाबी कृषण देती है, (३५ करोड़ रुपये भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत, ६० करोड़ रुपये कृषक कानून के अन्तर्गत)।

सरकारी कृषणों में त्रुटियाँ (Defects of the Government Loans):—सरकार

द्वारा दिये गये तकाबी कृषण में कई दोष हैं जिनमें से कुछ मुख्य-मुम्भ इस प्रकार हैं:—  
 (i) तकाबी कृषणों पर द्वाज की दर बहुत अधिक होती है:—प्रायः यह ६५% दार्पण होती है। आलोचकों वा मन है कि जबकि सहकारी मम्याएँ के बल ६% द्वाज नेती है, तब सरकार वो नो दग द्वाज की दर में भी कम द्वाज की दर लेनी चाहिये।  
 (ii) कृषणों को प्राप्त करने में अधिक कठिनाई होती है:—आवेदन-पत्र पटवारियों द्वारा जाते हैं जो अपने इस बार्ये के लिये रिक्वेट लेते हैं और जब यह पत्र तहमील भेजाना है, तब तहमील के कर्मचारियों वो भी कुछ न कुछ न कुछ रिक्वेट देनी पड़ती है। अतः कृषण प्राप्त होने में पूर्ब ही कृषक वो कुछ न कुछ न कुछ अनावश्यक ही बरना पड़ता है और कर्मचारियों वो भी मुशायद करने में समय भी बहुत लगाना पड़ता है। (iii) कृषण मिलने में समय बहुत लगता है:—आवेदन पत्र देने और कृषण प्राप्त होने में समय का बहुत अन्तर होता है। इत तरह कृषक वो अपनी आवश्यकता के समय कृषण नहीं मिलने पाना है और यह अपर्याप्त मात्रा में मिलता है। (iv) कृषण निश्चित तिथि पर लौटाना पड़ता है:—ऐसा नहीं होने पर यह सरकारी कर्मचारियों द्वारा बड़ी कठोरता में बहुत दिया जाता है। विश्व होकर तकाबी कृषण-भुगतान के लिये कृषक को महाजन का महारा लेना पड़ता है। अतः यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा तकाबी कृषण देने की पद्धति में अनेक ऐसे दोष हैं जिनके कारण ये कृषण कृषकों को आकर्षक नहीं हो सके। इसीलिए समय-मम्य पर सरकार के ममक्ष मह मुझाव रखना चाहिये कि उसे इन कृषणों को आकर्षक बनाने के लिये अपनी नीति उदार बनानी चाहिये और उसकी कृषण विनाश कियाये शीघ्रगामी होनी चाहिये। आज इस सरकार ने अधिक घन उपजाओं

नीति के प्रत्यक्षरूप अपनी कहण-नीति बहुत उदार बनाली है और वह तकाची कहण के रूप में कृपकों की अधिकाधिक अवै-सहायता कर रही है। केन्द्रीय बैंकिंग जात्य समिति (१९२६) ने यह सुभाव दिया था कि तकाची-कहण के शीघ्र वितरण के लिये सरकार को इन्हें सहकारी समितियों द्वारा वितरित कराना चाहिये, परन्तु इनकी बसूली का दायित्व उन पर नहीं रखना चाहिये।

### [५] सहकारी साख समितियाँ और सहकारी बैंक्स

भारत में सहकारिता का सक्षिप्त इतिहास (Short History of co-operation in India) — सहकारी आन्दोलन का श्रीगणेश जमनी में हुआ और तत्पश्चात् यह गुरुरोप के अन्य देशों में फैला। भारत में भी कृपकों की अहं-प्रस्तता के निवारण के लिये, उन्हें बहुत कम व्याज की दर पर आधिक सहायता देने के लिए एवं उन्हें महाजन व साहूबाजार के चागुल से छुड़ाने के लिये, इस आन्दोलन का उद्गम सर्व-प्रथम मद्रास प्रान्त में हुआ। सन् १९६१ के भारतीय दुमिश कमीशन (Indian Famine Commission) ने भारत में सहकारिता को अपनाने के लिये सिफारिश की थी। सन् १९६५-६७ में थी फ्रेडरिक निकलसन (Frederik Nicholson) ने अपनी रिपोर्ट में सहकारी साख समितियों की स्थापना की सिफारिश की थी। अन्तत सन् १९०४ में सबसे पहला सहकारी मानवसमिति एकट (Indian Co-operative Societies Act) पास हुआ जिसका उद्देश्य रेफ्सेन (Raiffeisen) गिरावत के आधार पर ग्रामीण सहकारी साख समितियों की स्थापना करके ग्रामीण वित्त की व्यवस्था बरना था। इस एकट में ग्रामीण समितियों पर नगर समितियों की अपेक्षा अधिक बल ढाला गया था। जिस समिति में दो सदस्य ग्रामीण होने थे, वह ग्रामीण समिति कहलाती थी अन्यथा वह नागरिक समिति कही जानी थी। सन् १९०६-११ में इन ग्रामीण समितियों का कार्य व सहस्या में बहुत विवास हुआ और सन् १९०४ के एकट से अनेक दोष अनुभव होने लगे। प्रथम, माल समितियों के अतिरिक्त अन्य गैर-साध-ममितियों को बैंधानिक मुख्या नहीं दी गई। द्वितीय, साख-समितियों के नियन्त्रण व तहायता के लिये किसी केन्द्रीय गस्ता का अभाव अनुभव हुआ। इमीलिये सन् १९१२ में एक नया एकट के द्वारा पिछले एकट के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। इस तय एकट के कारण सहकारी आन्दोलन में और भी अधिक वृद्धि हुई—न केवल नई-नई प्रकार की समितियों की स्थापना हुई (उनकी बीत्रीजी औजार भरीदान आदि की समितियाँ) बरन् समितियों की कुल गत्या, इनकी सदस्य मत्या, इनकी कायगीन-मूली आदि में बहुत वृद्धि हो गई। सन् १९१६ में महाकारिता एक प्रान्तीय विषय बना दिया गया और इस आन्दोलन के सम्बन्ध में राज्य मरकारों न मशोधक नियम बनान आरम्भ कर दिये। इन दोनों सहकारी आन्दोलन में अनेक दोष हाइड्रोचर होने लगे जिसके कारण समितियों की अवनति होने लगी। सन् १९२६ में मन्दी (Depression) के नारण कृपकों की आय बहुत कम हो गई क्योंकि हृषि उपज का मूल्य बहुत कम हो गया जिससे सहकारी आन्दोलन को बहुत दंति पहुंची। परिणामतः कुछ प्रान्तीय सरकारों

ने जांच समितियों को नियुक्त किया और उनकी रिपोर्टों के आधार पर सहकारी आन्दोलन में उचित मुधार करने के प्रयत्न किये ताकि समितियों का उचित दर्ग से पुनर्निर्माण हो सके। मन् १९३६-४५ के द्वितीय महायुद्ध काल में सहकारिता को बहुत प्रोत्साहन मिला। उपज का ऊँचा मूल्य मिल जाने के कारण इष्टकों ने भी समितियों के अपने पुराने ऋण वापिस कर दिए। पिछले कुछ वर्षों में देश का विभाजन हो जाने पर भी सहकारी आन्दोलन ने बहुत प्रगति की है। देश में सहकारिता की वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करने वाले सन् १९४५-४६ के आकड़े इस प्रकार है—समितियों की कुल संख्या—२,४०,३६५, प्रारम्भिक समितियों की कुल संख्या—१७,६२ मिलियन, कुल वार्षिकीय पूँजी ४६८८ फरोड़ रुपये, प्रारम्भिक समितियों द्वारा दिए ऋण की मात्रा—१५०.७ करोड़ रुपये, प्रारम्भिक वृष्टि साख-समितियों की संख्या—१,५६,६३६, प्रारम्भिक गंगर वृष्टि साख-समितियों की संख्या—१००,००३; प्रारम्भिक वृष्टि गंगर-साख-समितियों की संख्या—३०,२६८ तथा गंगर-वृष्टि गंगर-साख-समितियों की संख्या—२७,७४५।

### सहकारिता का अर्थ

सहकारिता किसे कहते हैं? (What is Co-operation?):- सहकारिता वा मुख्य गिर्दान्त है—“एक के लिए सब और सबके लिए एक” (All for one and one for all)। इससे यह स्पष्ट है कि सहकारिता एक ऐसा गणठन है जिसमें सब व्यक्ति समान अधिकारों के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सामुदायिक स्पर्श से वार्ष करते हैं। इस संगठन द्वारा निर्धन व असहायों में भी स्वावलम्बन (Self-sufficiency), आत्म-विज्ञास (Self-reliance), बचत तथा विनियोग (Savings and Investment) नी भावनाएँ जागृत हो जाती हैं और वह गमाज के नीतिक पतन को रोकता है। इस आन्दोलन का राबसे अधिक महत्व भी यही है।

### सहकारी साख समितियाँ और व्यापारिक बैंक्स

सहकारी साख समितियों तथा व्यापारिक बैंक्स में भेद (Distinction between Co-operative Credit Societies and the Commercial Banks):—इन दोनों प्रकार की संस्थाओं में मुख्य-मूल्य भेद इस प्रकार है—(i) यूँ तो सहकारी साख समितियों और व्यापारिक बैंक दोनों ही जनता के जमान्धन (Deposits) स्वीकार करते हैं, परन्तु सहकारी समितियों के बल अपने सदस्यों को ही ऋण देती है जबकि व्यापारिक बैंक्स ऐसे किसी भी व्यक्ति व संस्था को ऋण देते हैं जो इससा भहतम उपयोग कर सके। इस तरह यदि समितियाँ अपने मदस्यों की आधिक उन्नति वे लिए वार्ष करती हैं, तब बैंक्स व्यापारिक उन्नति के लिए कार्य करते हैं। (ii) सहकारी साख समितियों का अपने सदस्य ग्राहकों से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है क्योंकि ऋण बैंक उनके सदस्यों को ही दिये जाते हैं, परन्तु बैंक और इनके ऋणियों एवं ग्राहकों का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होता है। (iii) सहकारी समितियाँ मुस्तकः अपने ग्राहकों एवं मदस्यों को समितियाँ होनी हैं और वे ऋण देते समय इस बात की विशेष जानकारी प्राप्त करती है कि ऋण विस

कार्य के लिए लिया जा रहा है। ये उत्पादन वार्यों के लिए ही क्रूरण देती है (जबीन-भी अनुपादक वार्यों के लिए भी क्रूरण दे देती है) और इनकी ध्याज की दर भी बहुत बड़ी होती है। इसके विपरीत व्यापारिक वैदेव इस वात का बहुत बड़ा ध्यान रखता है कि क्रूरण किम कार्य के लिए लिया जा रहा है, वह अनुपादक वार्य के लिये भी बहुत आसानी से क्रूरण दे देता है क्योंकि वह तो बैचल यही देखता है कि क्रूरण की जमानत में तरलता एवं विक्रम-माध्यता है या नहीं है। (iv) सहकारी समितिया साधन-हीन व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत साख पर क्रूरण देती है ताकि इनमें स्वावलम्बन व वचत की भावना जागृत हो सके और क्रूरणी अपनी आधिक उन्नति वर सकें। इसके विपरीत वैदेव के बैचल वैही व्यक्ति दे सकते हैं जिनकी आधिक स्थिति अच्छी होती है, इससिए वैदेव के बैचल घनी व साधन-नस्पन व्यक्तियों को ही क्रूरण देते हैं और इस तरह ये धनी को और अधिक धनी बनाने में सहायता होते हैं। (v) यदि सहकारी समितियों का सचालन भारतीय सहकारिता विधान के अन्तर्गत होता है तब वैदेव का सचालन भारतीय वैकिंग नस्पनीज एवंट के अन्तर्गत होता है। (vi) सहकारी साख समितियों का काय प्रजातन्त्रात्मक ढंग से विद्या जाता है, अशधारी (Share-holders) तथा सदस्य ही समिति का सचालन करते हैं और सभी सदस्यों का वारी-वारी से समिति का वार्य करने का अवसर मिलता है। इसके विपरीत व्यापारिक वैदेवों में वार्य-सचालन एवं प्रबन्ध अशधारी (Share-holders) प्रत्यक्ष रूप न नहीं करते हैं वरन् यह कार्य इनके द्वारा जुने हुये प्रतिनिधिया द्वारा किया जाता है। यत यह स्पष्ट है कि सहकारी साख समितियों में प्रत्येक अशधारी अथवा सदस्य समिति का स्वामी होता है, यदि वह उधार देने वाला है तब वही उधार लेने वाला भी होता है जिससे समिति के वार्यों में बहुत सजीवता पाई जाती है और यह अपने सदस्यों की आधिक उन्नति करने में वास्तव में सफल हो जाती है।

\* भारत में साख सहकारिता का ढांचा (Structure of Co-operative Credit in India) —भारत में सहकारी साख प्रणाली सधीय आधार पर संगठित की गई है। सबसे नीचे ग्रामीण अधिकारी नगर साख समितिया है, इन समितियों के ऊपर केन्द्रीय बैंकरा (Central Banks) हैं और सबसे ऊपर प्रारम्भीय सहकारी समितिया या शीघ्र बैंक (Apex Banks) हैं। प्रारम्भिक समितिया और केन्द्रीय बैंकरा के बीच में केन्द्रीय समितिया या के द्वीय सघ (Central Unions) होते हैं जो प्रारम्भिक समितियों और केन्द्रीय वैदेवों के बीच सम्बन्ध स्थापित करते हैं, समितियों के निरीक्षण का वार्य करते हैं तथा स्वयं क्रूरण देने का वार्य नहीं करते हैं। यहां पर हम विस्तार से विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं का अध्ययन करेंगे।

### ग्रामीण प्रारम्भिक सहकारी साख समितियां (Rural Primary Co-operative Credit Societies)

**प्रापक्षयन** —प्रारम्भिक साख समितियों का इतिहास अब लगभग ५३ वर्षों का हो

गया है। आरम्भ से ही ये ग्रामीण क्षेत्रों अथवा छोटे-छोटे कस्बों में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस समय भी इस प्रकार की समितियां कुल समितियों की ६०% हैं। सहकारी साख समितियां रैफ़ेइसन समितियां (Raiffeisen Societies) के नमूने पर बनाई जाती हैं और इनका वर्तमान ढाचा इन प्रकार है—

- (i) संगठन (Organisation)—दोई भी दस या दस से अधिक व्यक्ति (अधिकतम संख्या १०० होनी है) मिलकर सहकारी साख समिति स्थापित कर सकते हैं। ये व्यक्ति सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास एक आवश्यक विवरणों की एक प्रति-लिपि भेज कर अपनी प्रारम्भिक सहकारी साख समिति का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन समितियों का कार्यक्षेत्र प्रायः एक गांव ही होता है ताकि समिति का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के चरित्र व आर्थिक स्थिति से भली-भांति परिचित हो सके और पारस्परिक नियमण एवं नियोक्षण से समिति का कार्य सफलतापूर्वक चल सके। (ii) पूँजी (Capital)—प्रारम्भिक सावधानी की पूँजी के साधन दो प्रकार के होते हैं—प्रान्तरिक व बाह्य। प्रान्तरिक साधनों में अश पूँजी (Share Capital), प्रवेश शुल्क (Membership Fee), सदस्यों की जमा राशि (Deposits) तथा सुरक्षित कोष (Reserve Fund)। भारत में इन समितियों की अंशपूँजी की मात्रा बहुत कम रहनी है क्योंकि कृषकों के पास इतनी धन नहीं होता है कि वे समितियों के अंश खरीद सके और फिर अंशों को बेचे बिना भी समितियों की स्थापना की जा सकती है। सदस्यों के प्रवेश-शुल्क की राशि भी केवल नाम-मात्र की ही होती है। सदस्यों की जमा-राशि भी अधिक प्राप्त नहीं होती क्योंकि सदस्यों का मुर्ख उद्देश्य अपनी साख की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही होता है और फिर जमा-धन बहुत कुछ व्याज की दर तथा समिति में जनता के विश्वास पर निर्भर रहता है। समिति की पूँजी के बाह्य साधनों में असदस्यों की जमा-राशि, सरकारी ऋण तथा केन्द्रीय व राज्य सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण की राशि का समावेश होता है। इन समितियों के असदस्यों से भी नाम-मात्र की ही पूँजी प्राप्त होती है क्योंकि गांवों में प्रथम तो जनता बहुत निर्घन होती है और फिर समितियों में रूपया जमा करने की तुलना में निजी रूप से रूपया उधार देने से ऋणदाता को अधिक लाभ प्राप्त होता है जिससे ग्रामीण जनता अपनी व्यवस्था में जमा न करके कृषियों को स्वयं अधिक व्याज की दर पर उधार देते हैं। इसके अतिरिक्त समितियों वा दायित्व असीमित होने के कारण भी जमाकर्ता अपने धन को समितियों में जमा बरते हुए डरते हैं। प्रारम्भिक साख समितियां अपने ऋणों के लिए केन्द्रीय व राज्य सहकारी बैंकों पर बहुत कुछ निर्भर रहती हैं। (iii) सचित कोष (Reserve Fund):—समितियों की कार्य-शील पूँजी के अन्तर्गत सचित कोष का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। समस्त समितियों को अपने लाभ वा एक भाग सुरक्षित कोष में जमा बरना अनिवार्य होता है। जिन समितियों में ब्रांशपूँजी नहीं होती है, वहां पर समस्त लाभ सुरक्षित कोष में जमा बरादिया जाता है। समिति के लाभ वा कुछ भाग शिक्षा तथा समाज-हित के कार्यों पर भी व्यय किया जाता है। सचित कोष वा उपयोग मुख्यतः समिति की आकस्मिक हानि दी पूर्ति के लिए किया जाता है। (iv) ऋण-नीति (Loans):—प्रारम्भिक साख समितियां केवल अपने सदस्यों को ही ऋण दिया करती हैं और प्रायः ये केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही दिये जाते हैं,

जैसे—बीज खाद्य-पद्धु खरीदने, कुएं बनवाने, लगान देने, सिचाई वा भुगतान करने तथा अन्य वृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए, पुराने ऋणों के भुगतान के लिए, बंभी-बंभी विवाह आदि प्रनुपादक कार्यों के लिए, नूमि वा सुधार आदि। इस तरह समितिया मुख्यतः तीन प्रकार के ऋण देती हैं—प्रथम, उत्पादक, द्वितीय, पुराने ऋणों के भुगतान के लिए तथा तृतीय, प्रनुपादक ऋण। ऋण, ऋणी को ऋण चुकाने की क्षक्ति तथा ऋण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी जिजी सम्भावित के ५०% तक दे दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अधिकांश समितियों ने दो या तीन वर्षों की अवधि की तुलना में एक वर्ष या इससे भी बड़ा अवधि के लिए ऋण मुख्यतः दिये हैं। (v) व्याज की दर—ऋणों पर व्याज की दर विभिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न होती है। अक्सर यह ६३% से १५% तक होती है। उत्तर-प्रदेश में यह प्रायः १२३% से १५% तक है। इसका मुख्य कारण यह है कि केंद्रीय सहकारी संघाएँ स्वयं प्रारम्भिक साल समितियों से बहुत अधिक व्याज की दर लाती हैं। (vi) प्रबन्ध—समिति वा दिन प्रनिधिन का प्रबन्ध सदस्यों द्वारा चुने गये व्यक्तियों की एक प्रबन्ध-कारिणी समिति द्वारा किया जाता है जिसमें ५ में लेकर ६ व्यक्ति होते हैं। इन्हें अपने कार्य के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है। समिति का प्रबन्धक सदस्य चुनाव में बेवल एक ही मत द सकता है। समिति का एक मत्री भी होता है जो प्रायः वतन-भोगी होता है और इसके नीचे काय वरने वाले अन्य कर्मचारी वेतन-भोगी ही होते हैं। समिति की साधारण सभा (General Meeting) जिसमें समिति के समस्त सदस्य होते हैं यमिति की नीति का निर्माण करती है जिसे प्रबन्धकारिणी समिति कार्यान्वयित बरतती है। (vii) दायित्व (Liability) —प्रारम्भिक सहकारी साल समितियों का दायित्व प्रायः अमीमित होता है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में सरकार गीमित दायित्व वाली समितियों की स्थापना की भी आज्ञा दे देती है। जब समिति में अमीमित दायित्व होता है, तब यह स्वभाविक ही है कि प्रत्येक सदस्य दूसरे मदस्यों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। (viii) हिसाब-किताब तथा अंकेभाग—प्रत्येक समिति को एक निश्चित स्थान पर अपना हिसाब-किताब रखना पड़ता है जोर इसका सहकारी अंकेभाग (Co-operative Auditing) किया जाता है। बंभी-बंभी समितिया अपने हिसाब वी जाच-पट्टाल के लिए अपने निजी अंकेभाग (Auditors) भी नियुक्त बर लेती हैं। समिति के खातों वा प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त अंकेभागों द्वारा भी अंकेभाग किया जाता है। रजिस्ट्रार को यह अधिकार होता है कि वह ऐसी समितियों को बन्द बर मरता है जो अकुशल हैं या जिनका प्रबन्ध ईमानदार नहीं है या जिनका प्रबन्ध वार-चार चेतावनी देने पर भी नहीं मुश्वरन पाता है या जिन्हें प्रति वर्ष घाटा ही सहना पड़ता है या जिनके पुनर्स्थापना की कोई सम्भावना नहीं है आदि।

ग्रामीण प्रायोगिक सहकारी साल समितियों की वर्तमान स्थिति (Present day Condition of the Rural Primary Co-operative Credit Societies) — किसी ग्रामीण सहकारी साल समिति की स्थापना जिस आधार पर की जाती है, उसका बरंग विकास में उपर किया जा सका है; ये समितिया प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण

देती है, जैसे चालू कृषि-कार्यों के लिए तथा भूमि में स्थाई मुधार के लिए दीर्घ-कालीन ऋण, परन्तु कभी-कभी ये समितिया विवाह आदि अनुत्पादक कार्यों के लिये अवधा पुराने ऋणों के मुगतान के लिए भी ऋण देती है। भारत में सहकारी आन्दोलन आरम्भ से ही मूलत, साल आन्दोलन रहा है। यद्यपि पिछले दस वर्षों में साल-समितियों के कार्यों में अनेक रूपता आई है परन्तु फिर भी आन्दोलन का साल-पक्ष अब भी बहुत प्रबल है। देश की समस्त सहकारी संस्थाओं में प्रारम्भिक सहकारी साल संस्थाओं का आज भी बाहुल्य है। सन् १९५५—५६ में कुल प्रारम्भिक समितियों में इनका प्रतिशत ६७·६ था। १९५६ में प्रारम्भिक कृषि साल समितियों की तस्वा १,५६,६३० थी, इनकी कार्यशील पूँजी ७६,१० करोड़ रुपये थी, इनके सदस्यों की संख्या ७७,६०,८५० थी तथा इन्होंने सन् १९५५—५६ में ४६,६१ करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया था।

### नगर सहकारी साल समितियां

#### (Urban Co-operative Credit Societies)

**प्रावक्षयन:**—नगर सहकारी साल समितिया या गैर-कृषि सहकारी साल-समितिया छोटे-छोटे कस्बों व नगरों में पाई जाती हैं। इस प्रकार की समितियों का निर्माण शुल्ज-डिलिट्ज (Schulzh-Delitzsch) नमूने पर या इटली की लुझाट्री बैंकों (Luzatti Banks) के आधार पर होता है। इन समितियों के संगठन की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

- (i) समाजन:—समितियों का कार्य-क्षेत्र बहुत सीमित होता है, अवसर यह एक छोटा सा नगर या कस्बा होता है। सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और कुल सदस्य संख्या में कृपक २५% से अधिक नहीं होते। (ii) पूँजी:—समिति की पूँजी मुख्यतः अंश बैचकर प्राप्त होती है। अंशों का मूल्य भी अधिक ही होता है। यह या तो ५ रु० या १० रु० होता है। इनकी कार्यशील पूँजी में सदस्यों व असदस्यों की जमा-राशि का भी समावेश होता है। ये अपने ऋण कार्यों के लिए केंद्रीय सहकारी बैंक या सरकार पर बहुत कम निर्भर रहती हैं वरन् इनके पास इतनी अधिक पूँजी होती है कि ये उल्टे केंद्रीय सहकारी अधिकारी के पास कुछ जमा-राशि रख देती हैं। तू कि इनका दायित्व सीमित होता है, इसलिए इनका कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत रहता है। (iii) प्रबन्ध:—समिति के तमाम सदस्यों की सभा को साधारण समिति कहते हैं। यह समिति एक कार्यान्वयनी समिति की नियुक्ति करती है, जो समिति की नीति को कार्यान्वयन करती है। कार्य-कर्ताओं को वेतन दिया जाता है। (iv) लाभ-वितरण—समिति को जो कुछ लाभ होता है, उसका तू भाग अनिवार्य रूप में संचित कोष में रखा जाता है, शेष में से कुछ भाग जन-हित कार्यों पर व्यय करके वाकी तमाम लाभाश के रूप में बाट दिया जाता है। (v) ऋण नीति:—ये समितियां भी मुख्यतः उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण देती हैं। ऋण की अवधि सामान्यतः २ वर्ष होती है परन्तु कभी-कभी ऋण ३ से ५ वर्ष तक के लिये दे दिया जाता है। ये व्यक्तिगत जमानत स्वरूप, चादी, कृषि उपज आदि की जमानत पर ऋण देती हैं। (vi) अकेलण—रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त अकेलक इन समितियों का वर्ष में एक बार अकेलण करते हैं।

नगर गैर-कृषि सहकारी साल समितियों की वर्तमान स्थिति (Present Day Condition of the Urban Non-Agricultural Co-operative Credit Societies)—छोटे-छोटे नगर एवं ग्राम्यों में इस प्रकार की समितियों का बहुत महत्व है वयोंकि ये दून खेतों में मिन्त पूँजी आले वैका जैसा कार्य करती है। अमर्विंद मद्रास प्रान्त में इस प्रकार की समितियों का विशेष विकास हुआ है। इन प्रांतों में इह पीपिल्स बैंक्स (People's Banks) बहुत हैं। यूरोप दून समितियों में विकित व्यक्ति ही सदस्य रहत है और इनके साधन भी अपेक्षाकृत दिलान रहते हैं, इसलिए इन समितियों का व्यवस्या-स्तर भी ऊचा ही पाया जाता है। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य मितव्ययिता सिखाना है और ये अपने सदस्यों को ही बहुत कम व्याज की दर पर छुए देती हैं। इस प्रकार की समितियां बड़ी-बड़ी व्यापारिक सम्पत्तियों तथा सरकारी विभागों में पाई जाती हैं। नगरी कभी सम्प्रदायिकता (Communal) के आधार पर इस प्रकार की समितियां समाज के दलित व पिछड़े वर्गों में पाई जाती हैं, जैसे—बड़ई, चुहार, आदि। सन् १९५६ में इस प्रकार की प्रारम्भिक गैर-हृषि सहकारी साल समितियां की संख्या १०,००३ थीं, इनमें सदस्यों की संख्या २० लाख थीं इनकी कार्यशील—पूँजी दर ७३ करोड़ रुपए थीं। आकड़ों के अध्ययन अब यह स्पष्ट है कि पिछले तुम्ह वर्षों में गैर-हृषि समितियों की तुलना में अधिक प्रगति की है।

### केन्द्रीय सहकारी बैंक्स (Central Co-operative Banks)

**प्राकृत्यन**—प्रारम्भिक सहकारी साल सम्पत्तियों के साधन उनकी आवश्यताओं की अपेक्षा बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए इन समितियों की सहायता के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों (Central Co-operative Banks) की स्थापना की गई है। इस तरह यह स्पष्ट है कि यह सहकारी बैंक किसी विशेष क्षेत्र या तहमील या जिले की प्राथमिक सहकारी साल समितियों के ऊपर होता है जिसका प्रमुख कार्यालय सुविधानुसार किसी विशेष नगर में रखकर जाता है। साधारणत एक जिले में इस प्रकार का एक ही बैंक होता है। यह बैंक अपने क्षेत्र में कुछ दाखाएं भी खोलता है। इस प्रकार के बैंकों की स्थापना सन् १९१२ के भारतीय सहकारी विधान के बाद ही हुई है। ये बैंक दो प्रकार के होते हैं—(i) सहकारी बैंक यूनियन (Co-operative Banking Unions) तथा (ii) केन्द्रीय सहकारी बैंक्स (Central Co-operative Banks)। इन दानों में एक मुख्य भेद है कि सहकारी बैंकिंग यूनियन की सदस्यता बैंकल सहकारी साल समितियों तक ही सीमित रहती है, परन्तु केन्द्रीय सहकारी बैंकों के सदस्य व्यक्ति तथा सहकारी साल समितियों दोनों ही होते हैं। पजाव व बगाल में प्रथम प्रकार के ही बैंकम पाये जाते हैं जिन्हें बैंकिंग यूनियन्स का नाम दिया गया है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संगठन की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

(i) प्रबन्ध—(Management) केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रबन्ध इनके सदस्य-समितियों द्वारा चुने गये मत्चालकों द्वारा किया जाता है।

बैंक अपनी सदस्य समितियों के बार्यों का निरीक्षण करता है। बैंक की साधारण सभा बैंक की नीति निर्धारित करती है जिसे बैंक के डाइरेक्टर्स कार्यान्वयित करते हैं। (ii) पूँजी (Capital)—बैंक की कार्यशील पूँजी अंशों के बेचने से, सदस्य-समितियों की मंचित राशि तथा अन्य प्रकार की राशि की जमा, (Deposits) से जनता की जमा से, ग्रहणों आदि से प्राप्त होती है। जमा-धन तीन प्रकार के खातों द्वारा प्राप्त होता है—चालू खाता, सेविंग्स खाता तथा निश्चित कालीन खाता। बैंक अल्पबालीन छहण लेता है और ये मूल्यत् स्टेट बैंक, व्यापारिक बैंक्स, प्रान्तीय सहकारी बैंक तथा सरकार आदि से लिये जाते हैं। व्यापारिक बैंकों की तुलना में इन्हें स्टेट बैंक से अधिक सहायता प्राप्त होती है। सदस्य समितियों को छहण देने में पूर्व बैंक अपने अ केशुकों द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति का निरीक्षण करा लेता है। (iii) कार्य—इन बैंकों का मुख्य कार्य प्राथमिक सहकारी साख समितियों को आर्थिक सहायता देना है। इनमें से अधिकांश बैंक बैंकिंग व्यवसाय के अनेक कार्य करते हैं जैसे—जमा-धन प्राप्त करना, <sup>हु</sup>डियो का भुनाना, चैक व ड्रापट आदि की सुविधाएँ देना प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करना, वहूमूल्य बस्तुओं को सुरक्षित रखना, स्वीकृत व मान्य प्रतिभूतियों (Securities) व कृषि उपज के आधार पर व्यक्तियों को छहण देना आदि। कुछ प्रान्तों में ये बैंक्स सहवारिता की शिक्षा का प्रबन्ध व सहकारी साख समितियों का प्रधार करते हैं। (iv) लाभ वितरण—बैंक को जो कुछ कुल लाभ होता है उसमें से व्यय निकालने के बाद जो कुछ शुद्ध लाभ बच रहता है उसका उपयोग अ शतः लाभांश के वितरण करने में किया जाता है। बैंक्स सामान्यतः ५ प्रतिशत से अधिक वार्षिक लाभांश नहीं देते हैं।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वर्तमान स्थिति (Present Day condition of the Central cooperative Banks)—भारत में केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने सतोपजनक प्रगति की है और द्वितीय महायुद्ध का तो इन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। सन् १९५६ में देश में ४७८ संट्रल बैंक्स और बैंकिंग यूनियन्स थे, जिनकी कार्यशील पूँजी ६२.६६ करोड़ रुपये थी। यद्यपि हाल ही में इनकी संख्या कुछ कम हो गई है, परन्तु इनका आर्थिक सगठन पहले से बहुत अच्छा हो गया है। कुछ प्रान्तों में इस प्रकार के बैंकों ने गैर-साख सम्बन्धी कार्य करना भी आरम्भ कर दिया है। जैसे—‘अधिक अन्न उपजाओ’ आन्दोलन में सहायता देना, रसायनिक खाद-लोहा-वस्त्र, चीनी व कृषकों की उपभोग की अन्य अनेक बस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचना आदि। युद्धकाल में उपज का मूल्य अधिक हो जाने के कारण कृषकों की आर्थिक दशा बहुत अच्छी हो गई जिससे इनकी छहण की आवश्यकता भी बहुत कम हो गई थी। परिणामत प्राथमिक सहकारी समितियों ने भी केन्द्रीय सहकारी बैंकों से बहुत बहुत मात्रा में छहण लिया जिससे इन बैंकों के समक्ष अतिरिक्त कोष (Surplus Fund) की समस्या उत्पन्न हो गई। परन्तु अनुभव से पता चलता है कि गैर-साख कार्यों के करने के कारण इन बैंकों के पास अब अतिरिक्त कोषों की समस्या नहीं रही है बरन् कभी-कभी इनको उल्टा धन का अभाव महसूस होने लगा है। आलोचकों का मत है कि गैर-साख कार्यों के करने के कारण

इन बैंकों के पास धन का अभाव इतना अधिक रहता है कि जे सहकारी समितियों की ज़रूरत की आवश्यकता वीं पूर्ति नहीं करने पाते हैं। इन बैंकों के समुचित विकास के लिये वैद्य महत्वपूर्ण सुभाव भी दिय गये हैं—(i) बैन्ड्रीय सहकारी बैंकों को अपनी कार्य शील पूँजी बढ़ाने की दृष्टि से अब पूँजी (Share Capital) बढ़ानी चाहिये और जब तक परिदृष्ट पूँजी (Paid up Capital) सचित कोप के बराबर नहीं हो जाये, तब तक लाभ का अधिक स अधिक भाग सचित कोप म रखना जाना चाहिये, (ii) इन बैंकों को अपने निजि थ राष्ट्र-हित के लिए ग्रामीण जनता से अधिक म अधिक जमा राशि प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि इन्ह अपने कार्य के लिये प्रान्तीय बैंकों स अद्दृश्य नहीं लेना पड़े और य आत्म निर्भर हो जाये। (iii) जिन प्रान्तों म प्राथमिक सहकारी साख समितियों को ज़रूरती अधिक आवश्यकता रहती है वहां पर इन बैंकों को गैर-साख सम्बन्धी बैंकों कम करने चाहिये। बैंकों को समितियों से ब्याज भी कम हीलेना चाहिये ताकि ये भी कृषकों को कम ब्याज की दर पर ज़रूर द सकें।

### प्रान्तीय सहकारी बैंक (Provincial Co-operative Banks)

**प्रावक्यन** —प्रान्तीय सहकारी बैंकों का शीर्ष बैंक (Apex Banks) भी कहते हैं। सन् १९५५ मे मैकलगन समिति ने इस प्रकार के बैंकों की स्थापना की मिफारिश की थी ताकि ये केन्द्रीय सहकारी बैंकों का सगठन एव नेतृत्व कर सक और इन्ह आवश्यक पूँजी प्राप्त करने म सहयोग द सकें। इन बैंकों की स्थापना का सुभाव इसलिए भी दिया गया ताकि ये बैंक सहकारी साख समितिया तथा मुद्रा बाजार म समन्वय स्थापित कर सके। इसलिए इस प्रकार के बैंकों सभी प्रान्तों म पाए जाते हैं। य शीर्ष बैंकों भी दो प्रकार के होते हैं—प्रथम अमिथित शीर्ष बैंक— इस प्रकार के अश बैंक सहकारी बैंकों द्वारा ही खरीदे जा सकत है। द्वितीय, मिथित शीर्ष बैंक—इस प्रकार के दोंके ये शीर्ष सहकारी बैंक (समितिया) तथा निजी व्यक्ति दोनों ही खरीद सकते हैं। केवल पजाव व बगाल के शीर्ष बैंक अमिथित है और शीर्ष सब प्रान्तों के दोनों मिथित हैं। सामान्यतया मिथित दोनों के ४०% अश निजी व्यक्तियों और शप ६०% अश छोटी-छोटी सहकारी समितियों तथा अन्य प्रकार के सहकारी बैंकों के पास हैं। शीर्ष बैंकों (Apex Banks) के सगठन की मुख्य-भुख्य बातें इस प्रकार हैं—

(i) **प्रबन्ध (Management)**—शीर्ष बैंकों एव प्रान्तीय सहकारी बैंकों का प्रबन्ध एक प्रबन्ध काय कारिणी या बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स (Board of Directors) द्वारा किया जाता है। इस बोर्ड के बनाने के नियम विभिन्न प्रान्तों मे भिन्न-भिन्न है। परन्तु अधिकार बाईं मे समितियों व व्यक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। कुछ प्रान्तों मे सहकारी विभाग का रजिस्ट्रार स्वय सदैव डाइरेक्टर (Ex-officio Director) होता है। कभी-कभी उसे कुछ डाइरेक्टर नियुक्त करन का अधिकार होता है। (ii) **पूँजी (Capital)**—प्रान्तीय बैंकों की पूँजी अश (Shares) के वित्रय से, सदस्य समितियों तथा उनकी शाखाओं की जमा से, व्यापारिक बैंकों से, स्टेट बैंक से तथा सरकार से प्राप्त होती है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अतिरिक्त राशि भी इसको

जमा के हृप में प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त शीर्ष बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर सहकारी प्रतिमूलियों (Securities) के आधार पर रिजर्व बैंक से रप्ता उधार लेने की सुविधा प्राप्त है। रिजर्व बैंक इन्हे कृषि-सम्बन्धी कार्यों तथा कृषी उपज की विक्री आदि के लिये बैंक दर से भी कम व्याज की दर पर आर्थिक सहायता देता है। अब तो रिजर्व बैंक कृषि वित्स १५ महीने तक वी परिपत्ति (Maturity) पर भी स्वीकार करता है। (iii) कार्य.—इन बैंकों वा मुख्य कार्य केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अर्थ-सहायता देना है और इस तरह इन बैंकों के द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों को अर्थ-सहायता देना है। अतः शीर्ष बैंक सहकारी आन्दोलन की आर्थिक शक्ति को बढ़ाते हैं और प्राथमिक सहकारी साध समितियों तथा मुद्रा बाजार के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बैंकन कभी-कभी अन्य बैंकिंग व्यवसाय भी करते हैं। यही नहीं कभी-कभी ये विशेष प्रकार की सहकारी समितियों की स्थापना एवं विकास में भी सहयोग देते हैं, जैसे—गृह-निर्माण समिति (Co-operative Housing Society), सहकारी विक्रय-समिति (Co-operative Marketing Society) आदि।

शीर्ष बैंकों की वर्तमान अवस्था (Present Day Condition of the Apex Banks):—शीर्ष बैंकों की स्थापना से देश के सहकारी आन्दोलन को बढ़ाता अथवा आर्थिक शक्ति मिली है। ऋण देने वा कार्य अब चार सीदियों में होता है:—(i) जब व्यक्तियों को ऋण की आवश्यकता होती है, तब इन्हे प्राथमिक सहकारी साल समितियों ऋण देती है। (ii) जब इन सहकारी साल समितियों को ऋण की आवश्यकता होती है तब केन्द्रीय सहकारी बैंकस इन्हें ऋण देते हैं। (iii) जब केन्द्रीय बैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है, तब प्रान्तीय सहकारी बैंकस एवं शीर्ष बैंकस इनको ऋण दे देते हैं और (iv) जब इन शीर्ष बैंकों को पन की आवश्यकता होती है तब इन्हें स्टेट बैंक, व्यापारिक बैंक अथवा रिजर्व बैंक ऋण दे देते हैं। सन् १९५६ में भारत में शीर्ष बैंकों (State Co-operative Banks) की संख्या २४ थी और इनकी कार्यशाल पूँजी ६३०३३ करोड़ रुपये थी। आकड़ों में यह स्पष्ट है कि सन् १९५६ में ऐसे बैंकों के मुल कोपों का केवल १६·४% भाग ही इन बैंकों वा अपना निजी था। आखोचको वा मत्त है कि शीर्ष बैंकों की यह स्थिति बहुत ही अग्रन्तोपजनक है।

### सहकारी आन्दोलन के दोष और इसके सुधार के कुछ सुझाव

*Defects of the Co-operative Movement and Some Suggestions for its Improvement)*

सहकारी साल आन्दोलन के दोष (Defects of the Co-operative Credit Movement):—भारत में सहकारी साध आन्दोलन का इतिहास अब लगभग ५३ वर्ष पुराना हो गया है। सहकारी आन्दोलन में इस लम्बे जीवनकाल में अनेक दोष हृष्टिगोचर हुए हैं जिनमें से कुछ मूल्य मुख्य इस प्रकार हैं—

(i) सरकार वा प्रत्यधिक हस्तक्षेप.—सहकारी साध आन्दोलन का एक गम्भीर दोष यह है कि यह सरकार वा और से जनना पर ऊपर से थोपा गया है तथा जनता में

स्वयं सहकारी प्रेरणा जागृत नहा हुई है। सरकार के अत्यधिक हस्तांकेप के कारण इस आदोलन में जनता का आवश्यक विश्वास भी उत्पन्न न नहीं होने पाया है। सरकारी हस्तांकेप के कारण समिति के सदस्यों को यट् बाध रहता है कि उनकी समिति एक प्रकार का बंड है जिसका किसी न इसी प्रकार सरकार से सम्बन्ध है और जहा से उन्हें महाजन व साहूकार की अपता रम् व्याज के दर पर झण मिलता है और जिसके मुग्तान की भी कोई जल्दी नहीं होती है। (ii) श्र. । पी प्रश्नध — सहकारी साख समितियों को मूलत अल्पकालीन झण और कभी कभी मध्यमकालीन झण देना चाहिए, परन्तु इन हीर्घकालीन झण मिलुल भी नहीं देना चाहिए, और दीर्घकालीन झण देने का बायं भूमि बन्धव बेंकों तक ही सीमित रहना चाहिए। परन्तु साख समितियों ने अल्पकालीन और दीर्घकालीन झणों में भेद बहुत कम समझा और इहोने दीर्घकालीन झण भी दिए हैं जिनका मुग्तान प्राप्त करने में इहें बहुत असुविधा हुई है। (iii) साख समितियों में शौपूचारिकता (Formalities) अधिक पाई जाती है — यह अधिक शौपूचारिकता वा परिणाम होता है कि दृष्टक को झण लेने में काफी समय लग जाता है और यह बायं उसके लिए असुविधाजनक भी बहुत हो जाता है। इसीलिए बाध्य होकर दृष्टक महाजन से झण लेता है और अन्ततः उसी के चगुल में फस जाता है। (iv) सहकारिता के तिद्वान्तों से अनभिज्ञता — समितियों के अधिकारी राष्ट्रस्व सहजारिता के सिद्धान्तों को जानते ही नहीं जिसके कारण सहकारी समितियों के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों का समितियों पर नियन्त्रण बहुत बढ़ गया है। इसका परिणाम यह दृष्टा है कि सदस्य अपने आप को सहकारिता में पृथक् समझने लगे हैं जिससे सहजारिता का मूल तत्व “एक के लिए सद और सब के लिए एक अनफ़त होता जा रहा है। (v) प्रबन्ध की अकुशलता — समितियों के प्रबन्धक सदस्यों में से ही निर्वाचित किए जाते हैं जो क्यंकि कार्यों में अपरिचित होते हैं। परिणामतः समिति के कार्यों में अकुशलता आ जाती है और अनुचित व्यवहारों की स्थिता बहुत बढ़ जाती है। दुल्ह प्रबन्धक अपने सम्बन्धियों तथा परिचितों को ही झण दे देते हैं और इनकी वसूली की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं जिससे समिति के बाकाया झणों की मात्रा धीरे धीरे बहुत बढ़ जाती है और समिति को आर्थिक दशा बहुत खराब हो जानी है। (vi) हिसाब-क्रिताध रखने का दग दोषपूर्ण है — समितियों वा हिसाब किताब नियमानुसार नहीं रखता जाता है और न इनका नियमित रूप से तथा भली भांति निरीक्षण एवं अकेलगा (Auditing) ही कराया जाता है। परिणामतः समितियों की पूँजी का दुष्प्रयोग होता है। (vii) समितियों के आर्थिक साधन अवर्याप्त हैं — समितियों की अपनी पूँजी के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक पर मूलत निर्भर रहना पड़ता है जिसमें प्रायः इनके पाम धन का अभाव रहता है। समितियों ग्राम नागरियों से जमा धन (Deposits) भी आकृपित करने में असफल रहती है। साधनों की अप्यान्तता के कारण ये ग्राम के महाजन व साहूकारों से प्रतिस्पर्धा करने में असफल रहता है जिससे इनके समुचित विकास में बाधा पड़ी है। (viii) र्याज की दर प्रधिक है — सहकारी साख समितियों की व्याज की दर भी सामान्यतः उच्ची रहती है। इसके कई कारण हैं—(ग) समितिया जमा

(Deposits) आकर्पित करने में असफल रही है जिससे ये अपनी आवश्यकता की पूर्ति केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण लेकर करती है। अनिकाश प्रान्तों में ये बैंक वस बहुत छोटी-छोटी संस्थाएँ हैं। इस कारण ये स्थग शीर्ष बैंक (Apex Banks) से ऋण लेकर प्राचमिक सहकारी सास समितियों द्वारा उधार देते हैं और ये शीर्ष बैंक भी कभी-कभी व्यापारिक बैंकों व सरकार आदि से ही ऋण लेते हैं। अतः जो धन ऊपर से नीचे तक शीर्ष बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा प्राचमिक सहकारी सास समिति द्वारा वास्तविक ऋणी तक पहुँचता है उस पर प्रत्येक सीढ़ी पर कुछ न कुछ व्याज की दर बढ़ जाने के कारण अन्ततः अन्तिम ऋणों को बहुत अधिक व्याज की दर देनी पड़ती है। यही कारण है कि साख समिति के सदस्यों द्वारा अपने ऋण पर व्याज की दर बहुत अधिक देनी पड़ती है। (ix) सदस्यों का चरित्र — सहकारी समिति की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि इसमें सदस्यों का समुचित निर्वाचन हो, सदस्यों में पारस्परिक सहयोग हो, सदस्यों में उच्च चरित्र व ईमानदारी हो, इनके हिसाब-किताब का उचित अकेलण हो आदि भारतवर्ष में शायद ही ये सब बातें पाई जाती हों।

### सहकारी साल आन्दोलन की सफलता और इसके सुधार के लिये कुछ सुझावः—

यद्यपि सहकारी आन्दोलन में उत्कलिखित फलेक दोष है और प्रगति में समय-समय पर अनेक वाधाएँ पड़ी हैं, फिर भी इसे कुछ जायों में विवेप सफलता प्राप्त हुई है:—  
 (i) सहकारी आन्दोलन ने आमीण क्षेत्र में तथा छोटे-छोटे नगरों में व्याज की दर को बहुत कम कर दिया है। (ii) इस आन्दोलन ने नागरिकों में शोड़ी-बहुत व्यधत व इसके विनियोग करने की भावना को प्रोत्साहन दिया है। (iii) अमुतपादक कार्यों के लिए ऋणों की मात्रा में काफी कमी हुई है। (iv) सहकारी आन्दोलन ने कृपकों व शिल्पकारों में नीतिकता व स्वतन्त्रता की भावना जागृत की है तथा इनमें सहयोग की भावना को जागृत किया है। इन्ही सफलताओं के कारण इस आन्दोलन ने यशस्विता प्राप्त की है और देश में शनैः शनै आविक्र क्राति वी है।

बढ़ेगी। (iii) उत्पादक ऋण—ऋण मुख्यतः उत्पादक बायों के लिए ही दिये जाने चाहिए, परन्तु नियम इतने कड़े नहीं होने चाहिए कि छपक को महाजन का सहारा लेना पड़े। (iv) ऋणों की अधिकारी—समितियों को मुख्यतः अल्पशक्तीन (फसल के अन्त तक) और विशेष परिस्थितियों में मध्यकालीन (तीन से पाच वर्ष तक) ऋण देने चाहिए। दीर्घकालीन ऋण देने का काय बेबल भूमि-वन्धन बंकों तक ही सीमित कर देना चाहिए। ऋण देते समय झरणी वी ऋण-भुगतान समिति और ऋण के उद्देश्य के अनुसार ऋण की रकम निर्धारित करनी चाहिए। ऋण की राशि तब ही दी जानी चाहिए जबकि झरणी को वास्तव में उसकी आवश्यकता होती है। समितियों को इस बात की जाच करते रहना चाहिए कि ऋण का उपयोग समुचित हो रहा है या नहीं। इसीलिए ऋण का कुछ भाग नकद में और दोप भाग उन वस्तुओं के रूप में दिया जाना चाहिए जिनको खरीदने के लिए ऋण लिया जा रहा है। (v) ऋणों का भुगतान—ऋणों को प्रदान करने में समितियों को अधिक सावधानी से कार्य करना चाहिए। जब तक पुराने ऋण का भुगतान नहीं हो जाय, तब तक सामान्यतया नया ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। ऋण का भुगतान नियमित रूप में होना चाहिए और बड़ाया ऋण का भुगतान विस्ता में वसूल करना चाहिए। (vi) व्याज की दर—इस समय ऋणों पर प्राय ६% व्याज की दर ली जाती है। यह बहुत अधिक है और इसे घटा कर ६½% पर ले जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समितियों द्वारा अधिकारिक जमा (Deposits) आकर्षित करनी चाहिए। सहकारी बंकों को इन समितियों को बहुत कम व्याज की दर पर रुपया उधार देना चाहिए। सरकार को भी शीर्ष बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बंकों को अनुदान (Subsidy) के रूप में बहुत कम व्याज की दर पर रुपया उधार देना चाहिए। केन्द्रीय सहकारी बैंक ने अपना मण्डन आमुनिं बैंकिंग पद्धति के आधार पर करना चाहिए ताकि ये सस्ते व्याज की दर पर राशि एकत्रित कर सके। मौसमी इष्टि बायों के लिये तथा फसल वी विक्री के लिए रिजर्व बैंक को भी सहकारी आनंदोत्तन को विशेष सुविधाजनक दर (special Concessional Rates) पर ऋण मुद्रित करनी चाहिए। (vii) ऋणों की स्वीकृति में कम से कम समय लगना चाहिए—इस कार्य के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य की अधिकतम ऋण राशि प्रतिवर्ष निश्चित रूप देनी चाहिए ताकि आवेदन पत्र आने पर अविलम्ब ऋण दिया जा सके। समितियों वे जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आवश्यकता के गमय एक सीमित मात्रा का ऋण स्वीकृत रूप का अधिकार दिया जाना चाहिए। (viii) नई समितियों को स्थापना—नई नई समितियों की स्थापना की स्वीकृति देने से पूर्व इस बात की जाच हो जानी चाहिए कि इनकी आवश्यकता है या नहीं और इनका मण्डन मुद्दह है या नहीं। (ix) समितियों को काय प्रणाली मुद्रिताजनक एवं सुगम होनी चाहिए—यह तब ही सम्भव है जब कि कम से कम आवेदन पत्र आने पर अविलम्ब ऋण दिया जाना चाहिए। समितियों में जन सेवा का भाव होना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये भी कम से कम आवश्यकता है कि विद्यालय वी व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही सहकारिता मिट्टातों की विभाग उन यामीणा बों भी दी जानी चाहिए जिनको

भविष्य में समितियों का प्रबन्ध करना है तथा जिनके हित के लिए इस आनंदोलन की रचना भी गई है। (x) अंकेक्षण (Auditing)—समितियों तथा बैंकों का निरीक्षण एवं अंकेक्षण प्रंगाणिक अंकेक्षकों (Auditors) द्वारा होना चाहिए ताकि हिसाब-किताब के रखने में जो कुछ भी अनियमितता है उसका अन्त हो सके और रजिस्ट्रार को सहकारी संस्थाओं की आर्थिक-स्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त हो सके और वह दुर्बल संस्थाओं का या तो सुधार या इनका अन्त कर सके। (xi) करों से मुक्ति-सरकार को आय-कर, रजिस्ट्रेशन शुल्क, स्टाम्प डूटी, न्यायालय-शुल्क आदि से सहकारी संस्थाओं को मुक्त कर देना चाहिए। (xii) सन् १९४६ की ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति के सुझाव—इस समिति ने सहकारी आनंदोलन को सहायता देने के उद्देश्य से कुछ सिफारिशें की हैं, जो इस प्रकार हैं—(अ) सहकारी संस्थाओं को द्रव्य भेजने की सुविधा मिलनी चाहिये। रिजर्व बैंक को भी इन्हें विशेष सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। (आ) सहकारी समितियों के लिए, डाकखाने में जमा किए जाने वाले धन के जमा करने तथा निकालने के नियमों में उदारता होनी चाहिए। (इ) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों की विक्री के लिए सहकारी बैंक व समितियां, अधिकृत दलाल नियुक्त किये जाने चाहिए तथा (ई) सहकारी संस्थाओं के प्रबन्ध, अंकेक्षण, नियन्त्रण आदि के लिये योग्य व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहिए और सहकारी आनंदोलन पर राजनीतिक दलवानी वा किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आदि।

## (६) भूमि बन्धक बैंक्स (Land Mortgage Banks)

**प्रावक्षयन:**—कृषकों को प्रायः तीन प्रकार के कृषणों वी आवश्यकता हुआ करती है फिर चाहे वे संसार के विसी भी देश के कृषक वर्षों न हो। सहकारी साख समितियां केवल कृषकों की अल्पकालीन कृषण की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। दीर्घकालीन कृषण वी पूर्ति का क्षेत्र भूमि-बन्धक बैंकों के लिए सीमित वर दिया गया है। कृषकों लगान, कर तथा उपज वी विक्री के लिए धन अल्पकालीन कृषण द्वारा प्राप्त हो जाता है और प्रायः यह एक वर्ष वी अवधि में लौटा भी दिया जाता है। बीज, खाद्य माधारण यन्त्रों के लिए कृषण मध्यकालीन लिया जाता है जो प्रायः एक से तीन वर्ष वी अवधि में लौटा दिया जाता है परंतु भूमि में स्थांयी सुधार करने, कुआं बनाने, पुराने कृषणों वा भुगतान करने, आवश्यकतानुसार नई भूमि खरीदने, ट्रैक्टर आदि खरीदने, वजर भूमि को कृषि योग्य बनाने आदि के लिए दीर्घकालीन कृषण लिए जाते हैं जिन्हें प्रायः बीस वर्ष वी अवधि में लौटा दिया जाता है। इस प्रकार के कृषणों का मुख्य लोत गाव का महाजन व साहूकार ही रहा है, परन्तु कुछ समय से ऐसे कृषणों की पूर्ति भूमि बन्धक बैंकों द्वारा होने लगी है।

**परिभाषा:**—भूमि बन्धक बैंक वे संस्थायें हैं जो कृषकों की भूमि को बन्धक रख हर उन्हें दीर्घकालीन कृषण देते हैं।—इंग्लैंड व अमेरिका में इस प्रकार की कृषणों की अवधि ३० से ७५ वर्ष होती है—परन्तु भारत में व्यवहार में ये कृषण २० वर्ष वी अवधि से अधिक नहीं होते हैं।

## भूमि बन्धक बैंकों के प्रकार

भूमि-बन्धक बैंकों के भेद (Types of Land Mortgage Banks) — भूमि बन्धक बैंकों के भेद (Types of Land Mortgage Banks) — (i) सहकारी भूमि बन्धक बैंक (Co-operative Land Mortgage Banks) — इस प्रकार का बैंक ऋण के इन्द्रिय व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है और यह युद्ध सहकारी आधार पर स्थापित किया जाना है। बन्धक बौंड (Mortgage Bonds) बचाव पूँजी एवं वात्र की जाती है, इन पर व्याज दिया जाता है और ये वाट्र (Bearer) का ग्राहकीय होते हैं। इस तरह इन बैंकों ये नियी पूँजी नहीं होती। कभी उनी ये बैंकों पूँजी ऋणों के स्था म भी प्राप्त करते हैं। ये बैंकों द्वारा अपने सदस्यों को ही ऋणों की मुद्रिधारा दिते हैं। ये बैंक लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं बरते बल्कि डमका लद्य दीर्घालीन ऋणों पर आम तौर पर दर को कम करता है, इसीलिए ये लाभाद्य घोषित नहीं करते हैं। सहकारी भूमि बन्धक बैंकों का उदाहरण जर्मनी में मिलता है, वहां पर ये बैंक ऋणी व्यक्तियों गहकारी संघ के रूप में हैं। अमेरिका में भी सधीय फार्म ऋण बैंक (Federal Farm Loans Banks) महकारी आधार पर स्थापित किए गए हैं। भारत में इस प्रकार के युद्ध सहकारी भूमि बन्धक बैंकों का विकास बहुत कम होने पाया है। (ii) मिश्रित पूँजि बौते भूमि बन्धक बैंक (Joint Stock Land Mortgage Banks) — ये बैंक भी भूमिका बन्धक (Mortgage) रखकर हृपकों को दीघकालीन ऋण देते हैं ये व्यापारिक बैंकों की तरह सीमित दायित्व वाले होते हैं और इन पर नरकार वा पूँग नियन्त्रण होता है ताकि ये मन चाही मात्रा में व्याज की दर लेकर ऋणियों का धारणा नहीं करते सर्गे और ऋण-पत्र-पारिया के प्रति अनुचित व्यवहार न कर। इनकी पूँजी अ शा (Shares), ऋण-पत्र तथा बन्धक बौंड (Mortgage Bonds) के विक्रय द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार के बैंकों द्वायेजियक आधार पर अपना कार्य करते हैं, लाभ व साना इनका लद्य होता है और ये लाभाद्य घोषित करते हैं। भारत में इस प्रकार के बैंकों नहीं हैं, परन्तु यूरोप के सभी देशों में इस तरह के मिश्रित पूँजी बौते भूमि बन्धक बैंकों पाये जाते हैं। (iii) अपं-सहकारी भूमि बन्धक बैंक — (Quasi Co-operative Land Mortgage Banks) — इस प्रकार का बैंक प्रधान दोनों प्रकार के बैंकों का मिश्रित है होता है। ये परिमित दायित्व वाली सम्पाद्यों होती हैं और इनके अधिकार सदस्य उपाय लेने वाले व्यक्ति होते हैं और शेष सदस्य व्यापारी होने हैं जो बैंक को पूँजी देकर महापाना करते हैं। इन बैंकों की पूँजी अ शा की विक्री, ऋण-पत्रों की विक्री तथा कलो द्वारा प्राप्त होती है, परन्तु इनकी अधिकार पूँजी ऋण-पत्रों के नियंत्रण से प्राप्त होती है। प्रत्येक अधारी को मतदान का अधिकार होता है, परन्तु यह मतदान शक्ति अ शो की सहाया पर नियंत्र नहीं होती है। भारत में इसी प्रकार के अपं-सहकारी भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना हुई है और इनमें सहकारिता का अ श काफी रहता है।

**भारत में भूमि बन्धक बैंकों का समापन तथा कार्य**

**प्राप्तव्यन** — भारत में भूमि बन्धक बैंक दो रूप में काय चरते हैं—प्रथम, प्रार-

मिक्रो भूमि बन्धक बैंक और द्वितीय, केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक। इस प्रकार के बैंकों की प्राथमिक इकाई ही मुख्य कार्य करती हैं। केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकस प्राथमिक बैंकों के सघ के रूप में ही कार्य करते हैं। किसी एक प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक (Primary Land Mortgage Bank) के संगठन व कार्यों की मुख्य-मुख्य विवेपताये इस प्रकार हैं—

- (i) कार्यशील पूँजी—भूमि बन्धक बैंकों की कार्यशील पूँजी अंश बेचकर, ऋण-पत्र बेचकर बन्धक बौड (Mortgage Bonds) बेचकर जमा-धन (Deposits) तथा व्यक्तियों, समिनियो बैंक के ऋण आदि के रूप में प्राप्त की जाती है। पूँजी का अधिकारा भाग ऋण-पत्र बेचकर ही प्राप्त किया जाता है जैसे वाम्हई, मद्रास, उडीसा आदि के बैंकस। बैंक के मंचित कोप (Reserve Fund) तथा अन्य कोप भी कार्यशील पूँजी का कार्य करते हैं। प्रान्तीय मरकारें इस प्रकार के बैंकों के ऋण-पत्रों के मूलधन व ब्याज की गारन्टी देती हैं। (ii) कार्य—प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं :—(अ) अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति करने के लिए, अचल ममति की जमानत पर अपने सदस्यों को भार कार्यों के लिए मुख्यतः ऋण देते हैं—प्रथम, कृषि सम्बन्धी पुराने ऋण का भुगतान करने के लिए ऋण। यह स्मरण रहे कि इन बैंकों द्वारा अधिकारा ऋण कृपकों के पुराने ऋणों के भुगतान के लिए ही दिये जाते हैं। जब से कृपकों का पुराने ऋणों का भार कम हुआ है, तब से ही ये बैंकस अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए भी ऋण देने लगे हैं। द्वितीय, कृषि रीतियों में सुधार तथा कृषि योग्य भूमि में सुधार के लिए ऋण। तृतीय मूल्यवान कृषि सम्बन्धी झोजार व मशीन खरीदने के लिए ऋण तथा चनूर्ध, नई भूमि खरीदने व नई भूमि को तोड़ने अथवा कृपकों की गिरवी रखती हुई भूमि व मकानों को छुड़वाने के लिए ऋण। (आ) सदस्यों में बचत, सहयोग, आत्म-निर्भरता की भावना को जागृत करना और इससे सम्बन्धित गुणों को उत्पन्न करना। (इ) भूमि के उपयोग और इससे सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में समय-समय पर सलाह देना। (iii) ऋण की अवधि—भारत में बन्धक बैंक अधिक से अधिक ४० वर्ष की अवधि के लिए ऋण दे सकते हैं, परन्तु व्यवहार में ये केवल २० वर्ष की अवधि तक के ऋण देते हैं। इनके ऋण-पत्रों की परिपवता-अविधि भी इससे अधिक नहीं होनी है। (iv) ऋण की मात्रा—बन्धक बैंक पुराने ऋण के भुगतान व भूमि खरीदने या इनमें सुधार करने के, लिये सदस्यों को उसके पास गिरवी रखी गई भूमि के मूल्य के ५०% तक रकम ऋण के रूप में दे देते हैं परन्तु यह की रकम सामान्यतः दस हजार रुपये से अधिक नहीं होती है। कुछ राज्यों में लगान के तीन गुने तक ऋण के रूप दे दिया जाता है। ऋण देने से पहले बैंक कृपक द्वारा आड में रखती जाने वाली भूमि पर उसका अधिकार, उसकी ऋण के भुगतान करने की शक्ति एव सामर्थ्य तथा ऋण की आवश्यकता की जाव-पटताल कर लेता है। (v) ब्याज की दर—विभिन्न प्रान्तों में बन्धक बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर में भिन्नता पाई जाती है। अक्सर ये ऋण पर ब्याज की दर ५% से १०% तक लेते हैं और जमाधन

(Deposits) पर २१% में ६% तक व्याज दे देते हैं। (vi) प्रबन्ध सचालक सभा (Board of Directors) द्वारा किया जाना है। बन्धक रखी जाने वाली भूमि के समुचित मूल्यांकन करने के लिए तथा वैधानिक रालाह देने के लिए विदेशीजो की नियुक्ति की जाती है। सचालक सभा का क्रूण देने या क्रूण नहीं देने के सम्बन्ध में दिया गया निर्णय अतिम साना जाता है। (vii) लाभ का बटवारा —बैंकों के लाभ का बुद्ध भाग लाभांश के रूप में बाट दिया जाता है, परन्तु यह सामान्यतया ५% से अधिक नहीं होता है और दोप भाग सचित कीयों में जमा कर दिया जाता है। बम्बई व मद्रास प्रांत में यह नियम है कि बैंकों वो अपने रान का ४०% या ५०% सचित कीय में जमा करना पड़ेगा।

### भारत में भूमि बन्धक बैंकों का विकास तथा इनको वर्तमान स्थिति

भूमि बन्धक बैंकों का उदयम व वर्तमान स्थिति—भारत के सब प्रथम भूमि बन्धक बैंक सन् १९२० में पजाव म भग नामक स्थान पर स्थित किया गया था। यह बैंक गीध ही द्वारा गया। पजाव म इसके बाद भी कई बन्धक बैंक खोले गये, इन्हें उनमें से किसी बो भी सफलता नहीं मिल सकी। वास्तव म सही सही सिद्धांतों पर सन् १९२६ में मद्रास प्रांत में एक 'संदूल (केन्द्रीय)' लैंड मोर्गेज बैंक स्थापित किया गया और तब से इस प्रांत में बराबर बन्धक बैंकों ने प्रगति नी है और आज भी यही आनंद इस प्रकार के बन्धक बैंकों के सम्बन्ध में सर्वोच्च है। मद्रास सरकार ने उक्त केन्द्रीय बैंक के २३ लाख रुपये की कीमत के अधे क्रूण-पत्र स्वयं लिये और समस्त क्रूण-पत्रों पर ६% व्याज देने की जिम्मदारी ली थी। इस बैंक ने प्रान्त में प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंकों का समुचित सगठन कर दिया है वयोंकि यह प्राथमिक बैंक के सघ के रूप में कार्य करता है। सन् १९५० में मद्रास म १२६ प्राथमिक बैंक थे। बन्धक बैंक के सम्बन्ध में मद्रास के बाद बम्बई प्रांत का दूसरा स्थान है। इस प्रांत म इन बैंकों का सगठन सन् १९३५ में आरम्भ हुआ। सन् १९५० म बम्बई म केवल १६ प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक थे। यद्यपि यह अनेक प्रांतों में इस प्रकार के बैंकों की स्थापना हुई है, परन्तु उनमें सहजारी स्थापनों के अभाव के कारण इनका पर्याप्त विकास नहीं हो सका। सन् १९५० म उत्तर प्रदेश में ६, घासाम में २, पश्चिमी बंगाल म २, अजमेर म १२ प्रारम्भिक बन्धक बैंक थे। सद। १९५१-५२ में समस्त भारत में २५६ प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंक थे जिनमें से अकेले मद्रास प्रांत में ही १३० बैंक थे। परन्तु सन् १९५६ में केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक (General Land Mortgage Banks) की स्थापना बढ़कर ६ हो गई और उसकी कार्यशील पूँजी भी १८५२ करोड़ हो गई। इसी वप प्रारम्भिक भूमि बन्धक बैंकों की संस्था बढ़ाकर ३०२ हो गई और इनकी कार्यशील पूँजी बढ़कर ११३४ करोड़ रुपये हो गई। इहाने केवल १७३ करोड़ रुपये का क्रूण प्रदान किया जिससे यह स्पष्ट है कि देश में दीर्घकालीन क्रूण की व्यवस्था बरने में इनका हाथ नहीं के बराबर है।

निष्कर्ष—यह बहुत ही खेद की बात है कि भारत जैसे हृषि प्रधान देश में अभी

तक भूमि बन्धक बैंकों का पर्याप्त विकास नहीं होने पाया है। इनके अभाव से ही कृषक महाजन व सहकार पर निर्भर हो गया है और उसका ऋण-भार बढ़ता ही चला गया है। यह भी आश्चर्य की बात है कि जिन स्थानों पर बन्धक बैंक हैं, वहाँ पर भी इन्हें पर्याप्त सफलता नहीं मिल सकी है। पंजाब में जहाँ पर इस प्रकार के बैंक का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था, इनकी कुछ भी उन्नति नहीं हुई और उत्तर-प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल आदि प्रान्तों में भी इनकी उन्नति एवं विकास सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। यह सच है कि यदि इन बैंकों ने किसी प्रान्त में कम-अधिक प्रगति की है, तब वह मदास ही है।

### भूमि बन्धक बैंकों का महत्व

भूमि बन्धक बैंकों का महत्व—(Importance of the Land mortgage Banks):—

लगभग सभी वैकिंग जाच समितियों ने यह स्वीकार किया है कि देश में कृषि-भव्य की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कृषकों को मिलने वाला कृषण उन्हें बहुत ही ऊँची ब्याज की दर पर मिलता है। प्रायः उन्हें २०% से ३५% तक ब्याज की दर देनी पड़ती है। प्राथमिक सहकारी माला समितियों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है और ये भी अपने इस ५३ वर्ष के जीवन-बाल में विशेष प्रगति नहीं कर सकी हैं। जिन दोनों में इस प्रकार की समितियों का निर्माण हो चुका है, वहाँ पर इन्होंने कृषकों की अल्प व मध्यमकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनकी बहुत सेवा की है। परन्तु उसकी दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति ये संस्थाएँ भी नहीं कर सकी हैं। विवश होकर कृषक को महाजन के चगुल में फसना ही पड़ता है। जमीदारी उन्मूलन (Aboli. 10.) के पश्चात् तो कृषण प्राप्ति के लिये भी और अधिक गूँख गये हैं और सूखते जा रहे हैं। स्पष्ट है कि जिन स्थानों पर अभी तक प्रारम्भिक सहकारी समितियों तक की स्थापना नहीं हो सकी है, वहाँ तो कृषि-वित्त के माध्यनों का और भी अधिक अभाव है और इन स्थानों के कृषक और भी अधिक ऋण-प्रस्त पाये जाते हैं। अतः भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषकों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भूमि बन्धक बैंक ही एक-मात्र सहारा है, और इनकी अधिकाधिक सह्या में अविलम्ब स्थापना होनी चाहिये। इस प्रकार के बैंकों वो स्थापना से देश को अनेक लाभ प्राप्त होंगे।—(i) इस प्रकार के बैंकों की स्थापना से कृषक की साहूकारी व महाजनों पर निर्भरता कम हो जायगी जिससे ग्रामीण लोगों में सरकारी साध गणठन वो प्रोत्तमाहन मिलेगा वयोंकि भारत में इस प्रकार के बैंक भी सामान्यतया सहकारी प्राधार पर ही गणित किए जाते हैं। (ii) ग्रामीण लोगों में ब्याज की दर में कमी हो जायगी। (iii) कृषक की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जायगी। बैंक कृषक को नई-नई भूमि खरीदने, कृषि-यन्त्रों के खरीदने, भूमि में स्थाई गुधार करने आदि के लिये दीर्घकालीन कृषण देने जिससे उसकी उत्पादन दक्षता में बढ़ि हो जायगी और उसकी आय में प्रसिद्धता कम हो जायगी। (iv) कृषि-उत्पत्ति में बढ़ि हो जायगी वयोंकि दीर्घकालीन कृषण मिल जाने के कारण कृषक को कृषि वो सीमा का विस्तार करने का अवसर मिल जायगा और बन्धमान सात्य-संकट वा निवारण हो सकेगा। (v) पुराने कृषणों का भुगतान हो जाने के कारण कृषण वा तथा ब्याज का भार कम हो जायगा जिससे

भविष्य में उसकी आय में बुद्धि की भी सम्भायना उत्पन्न हो जायगी। अत यह स्पष्ट है कि भारत की वर्तमान हृषि व्यवस्था के लिये भूमि वन्धक वैकों का बहुत महत्व है।

### भूमि वन्धक वैकों के दोष तथा इनके सुधार के कुछ सुझाव

वन्धक वैकों के दोष — भारत में भूमि वन्धक वैकों में कितने ही दोष पाये जाते हैं जिनमें में कुछ मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं—(i) हृषक जमानत के रूप में जो अपनी भूमि गिरवी रखता है उसके मूल्य का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जाता है। (ii) ऋणिया द्वारा ऋण की वापिस किस्तें ठीक मध्य पर नहीं दी जाती हैं। (iii) वन्धक वैकों ने अब तक मुहूर्त पुराने करणों के भुगतान के लिये ऋण दिये हैं। भूमि में स्थायी सुधार के लिये दिये जाने वाले करण की मात्रा बहुत कम है। इसका बारण यह है कि भूमि सुधार का कार्य बहुत लंबीला होता है और किर वैक के लिये यह जानना बड़िन हो जाता है कि हृषक द्वारा भूमि मुधार का प्रस्ताव ठीक है या नहीं और किर इस प्रस्ताव के आधार पर कितना करण दिया जाय, इसके निर्णय में कठिनाई होती है। (iv) वैकम पर्याप्त कोष प्राप्त नहीं कर सके हैं और ये अपनी पूँजी मुख्यत ऋण-पत्रों से प्राप्त करने पाते हैं। केवल वही बक्स वाप आवधिक बर सके हैं जिनके ऋण-पत्रों की गारन्टी सरकार ने दी है। कभी कभी ऋण-पत्रों की निकासी का तरीका 'मी दोषपूर्ण हाना है। (v) वन्धक वैकों में प्राय हृषक को करण बहुत देरी में मिलने पाता है और ऋणों पर व्याज की दर भी बहुत ऊँची होती है।

वन्धक वैकों में दोषों के सुधार के लिये कुछ सुझाव — कुछ मुख्य सुझाव इस प्रकार है—(i) सरकार का सहयोग — प्रामुखीय सरकारा का वन्धक वैकों को बहुत महायता देनी चाहिये। इन्हें न केवल स्टाम्प कर तथा रजिस्ट्रेशन मुल्क आदि में मुक्त बर देना चाहिए वरन् इन्हें बड़े पैमाने पर आधिक सहायता भी देनी चाहिये ताकि ये न केवल पुराने करणों के भुगतान के लिये ऋण दे सक बल्कि ये भूमि में स्थायी सुधार के लिए भी ऋण दे सक। इस समय हृषकों के पुराने करण का बाक बहुत हृल्का हा गया है, इसलिये इन्हे भूमि सुधार कार्य के लिए मुख्यत ऋण देना चाहिए ताकि दश की वर्तमान स्थायी समस्या का हल हा भए। (ii) वन्धक वैकों की कार्यविधि में सुधार होने चाहिये — वैकों को ऋण याके गम्भीर नियम ही दन चाहिये ताकि ये आधिक मात्रा में ऋण दे सकें। करण के उपयोग से प्राप्त आय को केवल ऋणों के भुगतान के लिये उपयोग में लाना चाहिए। प्रयम करण के पश्चात् प्रत्यक्ष आगले ऋण के लिए वैकम को अधिक व्याज की दर लेनी चाहिए। (iii) सचित कोष में बुद्धि — वन्धक वैक का अपने सचित कोष में बुद्धि करनी चाहिये ताकि इनकी आधिक-स्थित हो ही जाय। इस हृत् इन् प्रयोग लाभ का बंटवारा तब तक नहीं करता। चाहिये जब तब तब जि इनका मचित-काप पर्याप्त नहीं हो जाय। (iv) जमा धन (Deposits) — वन्धक वैकों में जमा रखने की आज्ञा नहीं होनी चाहिये अगर यदि वैकम जमा धन रखते भी हैं तब यह दीर्घ-पालीग हाना चाहिये। (v) ऋणों की अवधि अधिक होनी चाहिये — वन्धक वैकों के

श्रृंगों की ग्राम्य किनलैंड में ३० वर्ष, न्यूजीलैंड में ३५२ वर्ष, आस्ट्रेलिया में ४२ वर्ष, इटली व जापान में ५० वर्ष, डेनमार्क में ६० वर्ष, आयरलैंड में ६८२ वर्ष तथा फ्रास में ७५ वर्ष है जबकि भारत में यह केवल २० वर्ष ही है। अत. कुछ व्यक्तियों का मत है कि भारत में श्रृंगों की व्याज की दर की ग्राम्यता तथा कृषियों की आर्थिक स्थिति पर निभंग रहनी चाहिये। (vi) बन्धक भूमि बेचने का अधिकार—बन्धक देवको को विना न्यायालय की सहायता के बन्धक-भूमि को बेच कर थपनी कृषि राशि प्राप्त करने वा अधिकार दिया जाना चाहिये और इसलिये सम्बन्धित कानूनों में नशोधन कर देना चाहिये। (vii) सरकारी कृषि—“अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन” के अन्तर्गत सरकारें प्रति वर्ष काफी बड़ी मात्रा में कृषि कृषकों को देती है। कृषि सहकारी समितियों अथवा बन्धक देवको के माध्यम से दिये जाने चाहिये ताकि इन संरक्षणों की पर्याप्त उन्नति हो सके।

### सरकार और सहकारी साख आन्दोलन

सरकार द्वारा सहकारी साख आन्दोलन की सहायता—परकार सहकारी साख आन्दोलन की सहायता कई प्रकार से प्रदानी है:—(i) सरकार रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा स्टाम्प-कर आदि की छूट देकर सहकारी समितियों की मदद करती है। (ii) सरकार द्वारा समितियों को कृषि बहुत ही कम व्याज की दर पर दिया जाता है। (iii) सरकार कृषि में सहकारी समितियों को प्राथमिकता देती है। (iv) सरकार रिजर्व बैंक द्वारा कृषि-साख की समस्याओं का अध्ययन करती है। और इनको हल करने का प्रयत्न करती है। (v) सरकार सहकारी साख सम्पाद्यों के विकास के लिये वार्षिक अनुदान (Grants) भी दिया करती है। (vi) सरकार सहकारी साख सम्पाद्यों का अपने साल-विभाग के कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण कराया करती है और उनके दोपों को दूर करने के लिये समय-समय पर सलाह भी दिया करती है (vii) सरकार ने कृषि साख को वंधानिक सहायता भी दी है जिसके अन्तर्गत इसने सहकारी साख आन्दोलन के समुचित विकास के लिए भिन्न-भिन्न विधान बनाये हैं। (viii) कभी-कभी सरकार थपनी राशि सहकारी देवको के पास जमा करके इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़ देना देती है। इससे जनता का इनमें विश्वास बढ़ जाता है जिससे वे स्वर्ण ही इन सम्पाद्यों के पास धन जमा करने लगते हैं। इस तरह यह स्पष्ट है कि सरकार अनेक क्रियाओं द्वारा देश के सहकारी साख आन्दोलन को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया करती है।

### रिजर्व बैंक और कृषि अर्थ-व्यवस्था

#### (Reserve Bank and the Agricultural Finance)

रिजर्व बैंक द्वारा कृषि अर्थ-व्यवस्था में सहायता (Agricultural Finance and the help given by the Reserve Bank of India):—रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। रिजर्व बैंक समय-समय पर सहकारी सम्पाद्यों को आर्थिक सहायता देता है, परतु इससे

भी अधिक महत्वपूर्ण कर्त्त्य उसके द्वारा इन समस्याओं को उनकी ऋण-नीति एव समठन के सम्बन्ध में सलाह देना है। इस बैंक ने देश की कृषि अधिकारीयवस्था को समर्थित करने के लिये समय समय पर अनेक उपाय किये हैं जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं—  
 (i) रिजर्व बैंक ने एक कृषि साल विभाग (Agricultural Credit Department) स्थापित किया है जिसके द्वारा यह कृषि कार्यों के लिये अप्रत्यक्ष रूप में सहायता देता है। रिजर्व बैंक कृषि कार्यों के लिये प्रत्येक सहायता नहीं दिया करता है क्योंकि यह एक आदावायुक्त व्यवसाय है। यह विभाग कृषि साल से सम्बद्धत अनेक समस्याओं का अव्ययन करता है प्रोर उनका हल प्रकाशित करके उन्हें जनता के समक्ष रखता है। यह समय-समय पर सहकारी समस्याओं को उनकी ऋण नीति व आर्थिक समठन आदि के सम्बन्ध में भी सलाह देता है और इस तरह देश में कृषि अर्थ व्यवस्था के लिये अनुकूल ग्रावस्था उत्पन्न करता है। केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकार तथा सहकारी बैंक स प्रादि इस विभाग की सेवाओं का लाभ ढारा सकते हैं। यह विभाग सहकारिता सम्बन्धी अनेक पुस्तिकाएँ, साहियकी एव समीक्षाएँ भी प्रकाशित करता है जिसमें देश में सहकारी आन्दोलन को बहुत बढ़ा दिलता है। (ii) रिजर्व बैंक प्रान्तीय सहकारी बैंकों के माध्यम द्वारा सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता पहुँचाता है। रिजर्व बैंक पर उसके एकट द्वारा यह प्रातिवन्ध है कि मध्यवालीन अधिकारीजीन ऋण नहीं दे सकता है। यही नहीं कृषि की अल्पवालीन आवश्यकताओं की पूर्ति भी वह केवल अप्रत्यक्ष रूप में प्रान्तीय व केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ही बर सकता है भर्तीत वह प्रत्यक्ष रूप में प्राधिकारी सहकारी बैंकों द्वारा ही बर सकता है। (iii) रिजर्व बैंक सहकारी समितियों द्वारा लिखे गये तथा प्रान्तीय सहकारी बैंकों व सदस्य बैंकों द्वारा बेचान किए गये प्रतिज्ञा पत्रों व विपत्रों को जिनकी अवधि ५ महीने से कम है तथा जो मोहरी कृषि कार्यों तथा उपज की विक्री करने के लिये ही भारत में लिखे गये हैं, खरीद सकता है व वेच सकता है अद्यता—इतनी पुनः कटौती—कर सकता है। (iv) रिजर्व बैंक प्रान्तीय सहकारी बैंकों अधिक भूमि वन्धव बैंकों को भी मान्य अतिभूतियों (Securites) एव उनके ऋण-पत्रों के आधार पर अधिक से अधिक है दिवड़ी अवधि के लिये ऋण दे सकता है। परन्तु यहां पर भी शर्त यही है कि य केवल कृषि साल की मासमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही लिए जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों पर भी ब्याज की दर कम ही ली जाती है परन्तु जो बैंक इस प्रकार वी सुविधा का लाभ उठाना चाहता है उसे समय-समय पर रिजर्व बैंक को विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें भेजनी पड़ती है। (v) रिजर्व बैंक कभी-भी केन्द्रीय भूमि वन्धव बैंकों के ऋण-पत्र खरीद कर भी उनकी आर्थिक सहायता करता है। उदाहरण के लिये, इसने मद्रास के केन्द्रीय भूमि-वन्धव बैंक के ऋण-पत्र खरीदकर इसकी सहायता की है। रिजर्व बैंक के इस प्रकार के सहयोग का परिणाम यह भी होता है कि वे के ऋण प्राप्त करने के साथनों में वृद्धि हो जाती है। (vi) ताकि रिजर्व बैंक स शीघ्र ही ऋण प्राप्त किये जा सकें, इसलिये रिजर्व बैंक ने प्राधनान्त्रों में जो कुछ मुख्य-मुख्य बात दी जानी चाहिये उनका प्रामाणीकरण (Standardisation) कर दिया है। इस विधि के अनुसार

'मुचनाए' देने पर तथा रजिस्ट्रार की सिफारिश प्राप्त कर लेने पर, प्राधियों को एक सप्ताह में ही क्रहण मिल सकने की सम्भावना रहेगी। (vii) रिजर्व बैंक 'प्रान्तीय बैंकों द्वारा सहकारी संस्थाओं को कृषि कारों की अर्थ-पूर्ति व कृषि उपज के क्रय-विक्रय के लिये अरक्षित करण भी दे सकता है। (viii) रिजर्व बैंक ग्रद वस्तु-अधिकार वाले कागज पत्रों की प्रतिभूति के आधार पर ही क्रहण देने लगा है किंतु भारत में अनुज्ञावाहू गोदामों (Licenced Warehouses) की कमी-के कारण इस सुविधा का विशेष लाभ नहीं उठाया गया है। (ix) रिजर्व बैंक सहकारी संस्थाओं को १५% व्याज की दर पर क्रहण देता है, परन्तु यह क्रहण केवल कृषि-साख-सुविधाओं के लिये ही दिया जाता है। (x) रिजर्व बैंक सहकारी-संस्थाओं-को-रास्ति-हस्तान्तरण की सुविधाएं भी प्रदान करता है। ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये इसने इस सुविधा का शुल्क बहुत ही कम कर दिया है और इस सुविधा के लाभ को उठाने के सम्बन्ध में जितनी भी शर्तें थीं, उनमें से बहुत सी शर्तें को हटा दिया गया है। (xi) रिजर्व बैंक-भूमि-बन्धक-शेयरों के क्रहण-पत्रों (Debentures) को खरीद कर कृषि-साख की दीर्घकालीन आवश्यकता को पूर्ति परोक्ष रूप में करता है। सरकार द्वारा इस प्रकार के पत्रों के मूलधन व व्याज को नारन्टी दी जाती है जिसके कारण रिजर्व बैंक के लिये इस प्रकार के पत्रों को खरीदना एक प्रकार का विनियोग (Investment) होता है। (xii) रिजर्व बैंक ने सहव्यापिता-गिक्षा-देने-की-अवस्था-पूना-में-की है ताकि सहकारी शैको एवं सहकारी समितियों को योग्य, अच्छे व कुशल कर्मचारी आसानी से मिल सके और सहकारी आनंदोलन की प्रगति हो सके। इस तरह रिजर्व बैंक ने सहकारी संस्थाओं के सम्बन्ध में एक उदार नीति अपनाई है। इसने सहकारी संस्थाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने के लिये सन् १९५१ में कृषि साख के लिये एक स्थायी सलाहकार समिति (Standing Advisory Committee on Agricultural Credit) बनाई थी। यद्यपि रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सुविधाओं का उपयोग मुश्यतः मद्रास व दम्भई प्रान्त ने किया है, परन्तु जैसे-जैसे अन्य प्रान्तों में सुसंगठित केन्द्रीय सहकारी वैक्षण्य तथा केन्द्रीय भूमि बन्धक वैक्षण्य की स्थापना होगी, वैसे ही वैक्षण्य देश में कृषि-अर्थ-व्यवस्था का भी समुचित विकास हो जायगा।

### पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि अर्थ-व्यवस्था

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि वित्त व्यवस्था—प्रथम व द्वितीय दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि-साख-व्यवस्था के समुचित विकास के लिये प्रयत्न किये गये हैं। प्रथम योजनाकाल में रिजर्व बैंक की सिफारिश के आधार पर सहकारी आनंदोलन, विशेषकर सहकारी साख आनंदोलन, पुनर्गठित करने के प्रयत्न किये गये। ग्रामीण-साख-प्रयुक्षान्तरण कमेटी (Rural Credit Survey Committee, 1951) की सिफारिशों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सहकारी आनंदोलन के विकास के लिये योजनाएं बनाई गई हैं। सन् १९६०-६१ तक १०, ४०० बड़ी-बड़ी साख-समितियों की स्थापना का व्यवस्था की गई है। प्रत्येक समिति में ५०० सदस्य हो गे और इसका कार्य एक योग्यता प्राप्त मैनेजर द्वारा किया जायगा। ग्रामीण साख-समितिया (Rural Credit-

Societies) प्रारम्भिक शिक्षी समितियों (Primary Marketing Societies) से सम्बंधित (Affiliated) बन दी जायगी। सन् १९५६ में कृषि उत्पाति (विकास व भवार) नियम एक्ट (Agricultural Produce [Development and Ware-Housing] Corporation Act) पास किया गया जिसके द्वारा ऐनीय भवार नियम (Central Ware-housing Corporation) की स्थापना की जायगी—अब राज्यों में भी इसी प्रकार के नियमों की व्यवस्था बनायमी। इजव बहु भी सहवारी समितियों के विवास के लिये उपयोग देगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय योजना में सहवारा समितियों के विवास के लिये ४७ बरोड रूपये की व्यवस्था की गई है। योजना में प्रारम्भिक रूपि साल समितियों की संदर्भता ५ से बढ़कर १५ मिलियन और अल्पकालीन क्रहणों की मात्रा ३० करोड़ से बढ़कर १५० करोड रूपय, मध्यम कालीन क्रहणों की मात्रा १ करोड से बढ़कर ५० करोड रूपय तथा दीघ कालीन क्रहणों की मात्रा ३ करोड से बढ़कर २५ करोड रूपये की गई है। इस तरह यह स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में सहवारी साल के विवास पर ही मुख्यतः बल डाला गया है।

### ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति, १९४८

(Rural Banking Enquiry Committee, 1949)

प्राक्कल्यन —सन् १९४८ में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास की अध्यक्षता में ग्रामीण देशों की बैंकिंग सुविधाओं के विवास की आवश्यकताओं की जाच बरने के लिए एक ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति नियुक्त की गई। इस कमेटी ने सन् १९५० में अपनी रिपोर्ट देणे की थी। इस समिति ने ग्रामीण साल अध्य-व्यवस्था के पुनर्संगठन के लिए कुछ आधारभूत सिद्धांतों को मानवर अपनी सिफारिश पश्च भी हैं ये सिद्धांत इस प्रकार हैं—(i) समिति न मह मान लिया है कि ग्रामीण देशों की बचत को एकत्रित करने का काय तथा उनके लिए साल व्यवस्था के कार्यों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, समिति का यह मत था कि बचत को एकत्रित करने तथा साल की व्यवस्था बरने का काय एक ही सम्बन्धित काय जाना चाहिए (ii) अल्पकालीन मध्य कालीन तथा दीघकालीन वित्तीय-व्यवस्थाओं के लिए पृथक-पृथक संस्थाएं होनी चाहिए, परन्तु इन सबका ग्रामाधार सहकारिता ही होना चाहिए। (iii) भूमि तथा क्रहण के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारों द्वारा बनाये गए नियम व्युत्पातिक होने चाहिए और इस प्रकार के नियम बनने से पहले अधिकारियों को इस बात की पूर्णतया जाच बर लेनी चाहिए कि अमुक नियमों का साल संस्थापना तथा इनके विवास पर काय-व्यय पड़ेगा।

ग्रामीण देशों में बैंकिंग सुविधाओं के विवास में एकालटे — ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति के अनुसार ग्रामीण देशों में बैंकिंग सुविधाओं के विवास में अनेक ग्राहकों पड़ती हैं जिनमें से कुछ मुख्य मुख्य इस प्रकार है—(i) हमारे देश में बहुमान वृप्ति-व्यवस्था अच्छी नहीं है; जब तक वृप्ति-व्यवसाय का उचित विकास नहीं किया जायगा, तब तक हमारे देश में बैंकिंग सुविधाओं का भी प्रयात विवास नहीं हो सकेगा। (ii) यातायात व सवाद-वाहन के साधनों का बहुत अभाव है। (iii) ग्रामीण जनता की प्रणिदितता बैंकिंग विवास में बहुत बाधक है। (iv) प्रवास तो ग्रामीण अधिकार विधिन हैं

जिसके कारण इनके पास कुछ भी धन बचत के रूप में नहीं बच पाता है और किरणे ऐसे व्यक्ति जो धनबान हैं तथा जिनके पास बचत के रूपमें धन भी काफी मात्रा में एकत्रित हो जाता है, उन्हें अधिक ब्याज की दर पर लेनदेने करने की पहले से ही मात्रा पढ़ी हुई है। इस कारण इनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि ये अपना धन साख मस्थानों में काफी बड़ी मात्रा में जमा कर देंगे क्योंकि ये संस्थाएं जमा-धन पर अपेक्षाकृत बहुत ही कम व्याज की दर देती हैं। (v) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग संस्थानों को स्थापित करने में बहुत व्यय होता है, परन्तु आमदानी के माध्यन बहुत कम होते हैं तथा (vi) विभिन्न सरकारों ने भूमि से सम्बन्धित जितने भी नियम बनाये हैं उनसे साख-निर्माण कार्य में बहुत वाधाएं पढ़ती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास के लिये कुछ सुझावः—ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा के विकास के लिए जितने ही सुझाव दिए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—(i) डाकखानों के सेविंग्स बैंक खातों का अधिक उपयोग—समिति की राय में ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखानों की सहाया में बहुत वृद्धि की जानी चाहिये और इनमें सेविंग्स बैंक खाते की व्यवस्था होनी चाहिए। डाकखानों को जमा (Deposits) प्राप्त करने के सम्बन्ध में पर्याप्त विज्ञापन वरना चाहिए तथा उन अधिकारियों को जो जमा अधिक मात्रा में एकत्रित करते हैं, विशेष परिस्तियों दिया जाना चाहिये। समिति की राय में डाकखाने ग्रामीण बचत को एकत्रित करने में बहुत सफल होगे क्योंकि ग्रामीण जनता का इनमें बहुत विश्वास होता है तथा इनका कार्य-क्षेत्र भी बहुत विस्तृत होता है। इसके अतिरिक्त चूंकि डाकखानों का कार्य बहुत सरल तथा मितव्यपी होता है, इसलिए भी इनसे ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत लाभ पहुंच सकेगा। समिति की राय में सेविंग्स बैंक खाते के नियम बहुत सरल किये जाने चाहिये तथा डाकखानों वा कार्य मुख्यतः स्थानीय भाषाओं में ही किया जाना चाहिये। इस समय जमाकर्ता की मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारियों को राये मिलने के सम्बन्धित नियम बहुत ही जटिल है। समिति की राय में ये नियम बहुत उदार होने चाहिये। इन सुझावों को यदि मान लिया जाय, तब समिति की राय में डाकखानों के सेविंग्स बैंक के खातों की उपयोगिता बहुत बड़ जायगी और मैं ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मात्रा में धन एकत्रित करने में सफल हो सकेंगे। (ii) बैंकिंग संस्थानों में विकास—ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बर्तमान सहकारी मंस्थानों को राज्य सरकारों से कुछ विशेष मुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे—स्टाम्पकर, रजिस्ट्रेशन-शूलक तथा अकेलण-शूलक में छूट अर्थवा मुक्ति। समिति की राय में इन समितियों को और भी अधिक प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें उक्त मुविधाएं और भी अधिक प्रदान की जानी चाहिये। समिति को जाच के बाद यह पता चला कि इस समय तक व्यापारिक बैंक तथा सहकारी बैंकों वा विकास नगरों तथा कस्बों सुक ही सीमित रहा है। इसलिए समिति ने यह सुझाव दिया कि व्यापारिक बैंकों तथा सहकारी बैंकों को घोटी-घोटों तहसीलों तथा घोटे-घोटे करवों में व्यवसाय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इसी उद्देश्य की दृष्टि के लिए समिति ने यह सिफारिश की थी कि इण्डीरियन बैंक (स्टेट बैंक) वा पात्र वर्ग की अवधि में २०० शाखायें स्थापित

करनी चाहिये और इसलिए इसने इम्पीरियल बैंक के एकट में भी कुछ सशोधन करने का मुभाव रखा था। इस बैंक की शाखाएँ मुख्यतः ऐसे स्थानों पर स्थापित की जानी चाहिये जहाँ पर सरकारी व्यवसाय अधिक मात्रा में किया जाता है। परन्तु इम्पीरियल बैंक (स्टेट बैंक) की शाखाएँ नहीं हैं। (iii) द्रव्य की एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की सुविधायें — समिति ने यह सुभाव भी दिया कि ग्रामीण लोगों में द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सस्ते मूल्य पर भेजने की भी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिये। समिति ने यह भी सुभाव दिया कि इम्पोरियल बैंक (स्टेट बैंक) तथा सरकारी सजाना को ग्रामीण लोगों में नोटों व सिक्कों के परिवर्तन तथा विनियम की भी सुविधाएँ देनी चाहिये। (iv) माल गोदाम विकास बोर्ड (Warehousing Development Board) — समिति ने यह भी सुभाव दिया कि देश में एक माल-गोदाम विकास बोर्ड केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों तथा रिजब बैंक के व्यवस्था से स्थापित होना चाहिए। (v) दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था — इस सम्बन्ध में समिति ने सुझाव दिया है कि जिन ग्रामीण लोगों में प्रारम्भिक बन्धक बैंक स्थाना के नेत्रीय बन्धक बैंकस नहीं हैं, वहाँ पर इस प्रकार की स्थापना की स्थापना होनी चाहिये। (vi) शिक्षा तथा मातृयात के साधन — समिति ने ग्रामीण लोगों में वैज्ञानिक विकास वरन् के लिये शिक्षा का प्रसार तथा योगायत के साधन में पर्याप्त विकास करने की भी सिफारिश की है।

आतोचना — ग्रामीण वैज्ञान जाच समिति (१९४६) की सिफारिशों में आतोचन शेष बताये गये हैं जिनमें से कुछ मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं — (i) समिति ने यह तो ठीक ही कहा है कि ग्रामीणों की व्यवस्था प्रारम्भिक सहकारी समितियों द्वारा की जानी चाहिए, परन्तु इसने इस घोर कुछ भी नहीं कहा कि इन समितियों की उपयोगिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। (ii) समिति ने ग्रामीण लोगों की विस्तीर्ण सहायता देने के स्थान पर उनके द्वारा वचत एकत्रित करने पर अधिक बल ढाला है। प्रथम तो आकस्माने अधिक धन एकत्रित करने में असफल रहेंगे और किरण यदि इन्होंने धन एकत्रित कर भी लिया, तब भय यह है कि इसका उपयोग सहकारी संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए आतोचनों का मत है कि समिति की सिफारिशों से सहकारी वैज्ञान प्रणाली को अधिक लाभ पहुँचने की बहुत बड़ी सम्भावना है। (iii) समिति ने दीर्घकालीन ऋणों के सम्बन्ध में केवल यह सिफारिश की है कि ग्रामीण लोगों में भूमि बन्धक संस्थाओं की अधिकाधिक स्थापना होनी चाहिए, परन्तु इसने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया कि ये सम्भाएँ धन किन-किन सूची से प्राप्त कर सकेंगी। अतः समिति ने बन्धक बैंकों की बढ़िनाइयों की ओर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया है। (iv) आतोचनका वा मत है कि समिति ने कृषि अप-प्रमाणित (Agricultural Finance Corporation) की स्थापना के मुभाव हो कर विनाशकी सेवा-विचार के ही रद्द कर दिया, जो सर्वदा अनुचित था।

अधिक भारतीय ग्रामीण साल सनुसधान कमिटी, १९५१

(All India Rural Credit Survey Committee, 1951)

प्रावक्षयन — रिजब बैंक ने सन् १९५१ में श्री ए० डी० गोरखाला की अध्यक्षता

में एक कमेटी ग्रामीण साल का अनुग्रहान (Rural Credit Survey) करने के लिए नियुक्त की थी। इस कमेटी ने रान् १९४४ के मान में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस कमेटी ने देश के ५ जिलों के ६०० गांवों में १,२७,३४३ परिवारों की जाच की थी। इस समिति को अपनी जाच में यह पता चला कि भारतीय कृषकों की ग्राम्यवालीन, मध्यवालीन तथा दीर्घवालीन धन की आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न संघर्षों द्वारा इस प्रकार होती है:— सरकार ३·३%, रासांरो साल समितिया तथा धीवरा ३·१%, व्यापारिक वैसा ०·१%, रिस्टेदारों तथा ग्राम्यनिधियों १४·२% भूस्वामियों १·५%, कृषक साहूकार २४·६%, व्यवसायी साहूकार ४४·८%, व्यापारी तथा आडितिये ५·४% तथा अन्य साधन ८·१%। इन आकड़ों से यह स्पष्ट है कि कृषि अर्थ-व्यवस्था में सरकार व सहकारी ग्राम्याओं का कुछ भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं है यदोकि ये दोनों मिलकर मूल भूए पूर्ति का ( $3\cdot 3 + 3\cdot 1 =$ ) ६·४% देते हैं, जबकि ६४% भूए की पूर्ति निजी संस्थाओं द्वारा की जाती है। यह भी स्मरणीय है कि निजी साधनों में भी अकेले एक सहूकारों व व्यवसायी साहूकारों द्वारा ( $24\cdot 6 + 44\cdot 8 =$ ) ६४·७% धन की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इसीलिये इस कमेटी का यह मत है कि देश में समुचित ग्रामीण-अर्थ-व्यवस्था के लिये सहकारी सामग्री-दोलन का विकास होना चाहिये।

प्रीमल साल अनुसंधान कमेटी की सिफारिशें—यह सर्व भाव्य है कि अब तक सहकारी आन्दोलन की असफलता के मुख्य बारए रहे हैं:—योग्य अमंत्रजातियों का अभाव, पूँजी-का-प्रभाव, सहकारिता की शिक्षा का प्रभाव, सहकारिता के सिद्धान्तों की अनुभिति व इनकी अवहेलना आदि। गढ़ाहारी आन्दोलन के दोपां को दूर करके देश में एक समुचित ग्रामीण-व्यवस्था का निर्माण करने के हेतु ग्राम्य गांव समुसंधन व मेटी ने कितनी ही महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं जिनमें से कुछ मुख्यमुख्य इस प्राप्त हैं:— (i) रिजर्व बैंक का अधिक से अधिक सहयोग—कमेटी का गुभाव यह कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों ग्रामीण साल की उन्नति के लिये रिजर्व बैंक वा ग्राह्योग अधिकार से अधिक प्राप्त करना चाहिए। इसीलिये इसने यह सिफारिश की कि रिजर्व बैंक को राज्य वी सरकारों वो सहकारी देवों द्वारा सहायता करने के लिये दीर्घवालीन भूए देने चाहिए तथा राज्य सरकारों की गारंटी पर सहकारी देवों को ग्राम्यवालीन व मध्यमवालीन भूए ( $15$  महीने से  $5$  वर्ष तक के लिए) देते रहना। इसमिमानितिक-भूमिक्यन्पक्ष-दोकाने-ग्राम्यन्प में भी इस कमेटी ने यह सिफारिश की कि रिजर्व बैंक को इस प्रकार के वन्धन देवों द्वारा भी दीर्घवालीन भूए देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। (ii) विभिन्न प्रकार के कोदों का निर्माण:— युनिट ने इस बात की मिफारिश दी है कि रिजर्व बैंक की देश-नेतृत्व में एक राष्ट्रीय ग्रामीण साल (रीर्घवालीन) बोप [National Agricultural Credit (Long term) Operation Fund] तथा एक राष्ट्रीय गांव (स्थायी-करण) बोप [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] ब्रम्मण: ५ करोड़ व एक करोड़ शाये से ग्रामीण कामों में व्यय करने के लिए स्थायीत किये जाने चाहिए। स्थायना के पहचान रिजर्व बैंक को प्रति वर्ष कोदों से ५ करोड़ रुपया बढ़ाना चाहिए। इन कोप में से राज्य सहकारी देवों को मध्यमवालीन ग्रामीण और वर्धन देवों को दीर्घवालीनों

शहर दिये जायेंगे। इसी तरह बैन्ड्रीय सरकार के साथ और कृषि-मतालय को भी एक राष्ट्रीय कृषि साल (रिसीफ व गारंटी) बोप [National Agricultural Credit-(Relief and Guarantee) Fund] की स्थापना करनी चाहिए जिसमें इस मतालय को प्रति वर्ष १ करोड़ रुपया सहकारी साल समितियों को सहायता देने के लिये जमा करना चाहिये। इसके प्रतिरिक्त बमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य सरकार वो सहकारी साल आदोलन को सहायता प्रदान करने के हेतु एक राज्य कृषि साल (रिसीफ व गारंटी) बोप [State Agricultural Credit-(Relief-and-Guarantee)-Fund] की स्थापना करनी चाहिये। (iii) तकाबी शहर — बमेटी ने तकाबी शहर के सम्बन्ध में यह सिफारिश की है कि इस प्रवार के नालों की भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। (iv) सहकारी आन्दोलन की व्यवस्था — इस बमेटी का मुझाव यह कि राज्यों वो सहकारी आन्दोलन के विकास के हेतु सहकारिता की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए तथा सहकारी समितियों का समय-नमय पर निरीक्षण करके व इनका समुचित प्रबन्ध करके तथा इनको आधिक सहायता देकर सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित करना चाहिए। बमेटी का यह मुझाव यह कि सहकारी मस्तान्नो में प्रत्येक अवस्था में सरकार वो सामेदारी होनी चाहिये और राज्य सहकारी बैंकों तथा बन्धक बैंकों में राज्य सरकारों को ५१% अंश खरीदने चाहिए। इसी तरह वो सामेदारी बैन्ड्रीय सरकारी बैंकों तथा बड़ी-बड़ी प्रार्थित समितियों में भी होनी चाहिये। (v) उपज की उचित विक्री — बैंक की उपज का उचित विक्री के सम्बन्ध में बमेटी ने यह मुझाव रखता यह कि एक अखिल भारतीय वार्ड-मोर्सम-प्रमण्डल (All India Ware-housing Corporation) तथा विभिन्न राज्यों में भी इसी प्रकार के यात्रकीय प्रमण्डल स्थापित होने चाहिए। विभिन्न स्थानों पर माल गोदाम स्थापित हो जाने का एक लाभ यह भी होगा कि इन गोदामों द्वारा व्यापारिक बैंकों भी कृषि अर्थ व्यवस्था में अधिक सहयोग देने लगें। बमेटी का मत यह कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि कृषि उपज के मूल्यों में स्थायित्व रह सके। (vi) स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थापना — दूसरी विधायिक वैक्षण्य स्थापित स्टेट्स बैंकों का एकीकरण (Amalgamation) करके एक मुहूर्ह स्टेट बैंक आफ इण्डिया स्थापित किया जाना चाहिए जिसका प्रमुख कार्य कृषि और सहकारी बैंकिंग का विकास करना होना चाहिए। बमेटी ने यह भी नियमिति की कि स्टेट बैंक को अपना कार्य आरम्भ करने के बाद ५ वर्षों की अवधि में ही ५०० नई शाखाएं ग्रामीण शृंखला अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्थापित करनी चाहिए। (vii) साहकार के कारों तथा उनकी व्याज की दर पर विमर्श — साहकार तथा महाजन के बारों वो नियंत्रित करने तथा इनके द्वारा ली जाने वाली व्याज की दर को बम बरन व सम्बन्ध में राज्य सरकारों को नियम बनाने चाहिए। (viii) अप्रिम बाजारों पर नियम व्यवहार — बैंकों के हितों की रका के हल्के बमटी न यह भी मुझाव दिया कि सरकार को अप्रिम बाजारों पर नियमन रखना चाहिये। (ix) अर्थ सुआव — बमेटी ने इस बाज वो भी सिफारिश की कि देश में यातायात के माध्यमों में पर्याप्त विकास होना चाहिए, ग्रामीण उद्योग-वर्गों को समुचित आधिक महायता दी जानी चाहिए तथा सहकारी

संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए योग्य, ईमानदार तथा परिथमी व्यवस्था दी जानी चाहिए प्राप्ति । ४७

प्रखिल भारतीय ग्रामीण साख अनुसंधान कमेटी की रिपोर्ट पर सरकारी कार्यवाही:—सरकार ने ग्रामीण साख अनुसंधान कमेटी की सभी सिकारिसों को स्वीकार कर लिया है और उनको वार्षिक बैंक का आरम्भ कर दिया है:—(i) इम्पोरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण:—सरकार ने १६ अप्रैल १९५५ को स्टेट बैंक आफ इंडिया बिल सोक-सभा में पेश किया और दोनों सदनों द्वारा पास होकर यह ८ मई सन् १९५५ को राष्ट्रीयता द्वारा स्वीकृत घर लिया गया । इस एकट के अनुसार इम्पोरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया है और अब इसके स्थान पर स्टेट बैंक आफ इंडिया १ जुलाई सन् १९५५ से कार्य करने लगा है । इस बैंक को ५ वर्षों की स्थापिति में ५०० दाखाएँ स्थापित करने का उत्तरदायित्व दिया गया है । (ii) विभिन्न फोर्मों की स्थापना—सन् १९५५ में रिजर्व बैंक आफ इंडिया एकट में भी संशोधन किया गया जिसके अनुसार इसने राष्ट्रीय साख कृषि साख (दीर्घकालीन) को National Agricultural Credit (Long Term) Operations Fund और राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायित्व) को National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund की स्थापना की है । प्रथम को १० करोड़ रुपये से स्थापित किया गया है और यह राष्ट्रीय सरकारी एवं केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण और अक्रिय देने के काम में आ रहा है । द्वितीय को प्रथम में रिजर्व बैंक जून १९५६ से प्रतिवर्ष १ करोड़ रुपया हस्तांतरित करने लगा है और इस को प्रथम में से प्रान्तीय सहकारी बैंकों को ऋण इसलिये दिया जा रहा है कि ये अल्पकाशीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में बदल सकें । धीरे-धीरे इन कोषों की रकम को बढ़ाया जाएगा । (iii) पोस्ट आक्सिस के सेविस बैंकों के खाते—नये-नये डाकखानों की स्थापना की जा रही है और उनमें सेविस बैंक के खाते खोलने की सुविधा भी प्रदिक्षित दी जा रही है । इसके अतिरिक्त कलकत्ता, वार्साई, मद्रास और नई दिल्ली के प्रधान कार्यालयों में सेविस बैंक के खातों में से प्रति सप्ताह दो बार रुपया निकालने और प्रधिकरण रखने पृष्ठ सप्ताह में १००० रु० तक निकालने की योजना चालू की गई है । (iv) श्रृंगन्यक्र—रिजर्व बैंक ने यह तय कर दिया है कि प्रखिल भारतीय प्रोटोपिक वित्त नियम (All India Industrial Finance Corporation) एवं प्रारंभीय वित्त नियमों (State Finance Corporations) तथा भूमि बन्धक बैंकों (Land Mortgage Banks) के ऋण-पत्र सरकारी प्रति-भूतियों (Govt. Securities) के समान, उधार-नेमे-मध्यम में यम्भ में जावेंगे । (v) बैंकर्स ट्रेनिंग कार्तिकाः—देश में बैंकिंग कार्य को मुचाह स्थ में चालू रखने के लिये तथा योग्य व कुशल व्यक्तियों की पूर्ति के हेतु सन् १९५४ में बैंकर्स ट्रेनिंग बैंक ने एक बैंकर्स ट्रेनिंग कालिज स्थापित किया ।

### परीक्षा-प्रश्न

Agra University, B. Com.

१. सहरारी बैंकों में योग्य व्या समझते हैं? भारत जैसे देश के लिये उनके

उपर्योगिता बताइये और देश में कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की सहकारी दंडों की प्रकृति सदैप में समझाइये। (१९६०) २. भारत में सहकारी सास सफलता एवं प्रयोग (Organisation and working) के दोषों की विवेचना करिये। आप उनको दूर करने के क्या उपाय बताते हैं? (१९५८) ३. भारतवर्ष के कृषिकर्ता द्वे लिये भू-वन्यक अधिकोपान का महत्व है? उनकी वर्तमान स्थिति को श्रेष्ठतर बनाने के लिये आपके विचार प्रस्ताव हैं? (१९५६) १. Explain the difference between the two—Primary Co-operative Credit Society and a Co-operative Central Bank. (1958, 1956 S, 1954) २. What are the agencies of rural finance in India? How far has the co-operative movement succeeded in replacing the village Mahajan? (1957) ३. Write a note on—Indigenous Banker (1957 S, 1955 S) ४. Write a note on—Co-operative Central Bank. (1957 S, 1955 S) ५. What are Co-operative banks? Indicate their importance in a country like India and explain the nature of the different types of co-operative banks working in the country. (1955) ६. Write a note on—Primary Co-operative Credit Societies (1955) ७. Describe the main agencies of rural finance in India. How far has the co-operative movement succeeded in replacing the village mahajan (1954)

**Rajputana University, B. A & B. Sc.**

1. Write a short essay on indigenous bankers (देशी बक्सर) and their working. What improvements will you suggest to remove their defects? (1958) 2. Comment on the problem of rural credit in India and show how the Reserve Bank of India is trying to solve it. Has the creation of the State Bank of India, in any way, helped in this work? (1956) 3. What efforts has the Reserve Bank of India made to facilitate rural credit in the past three years? Show how far the efforts have been successful (1954).

**Rajputana University, B. Com.**

1. How far have the Co-operative Banks succeeded in their objective and indicate the help that the Reserve Bank of India does and should render to them in this connection? (1956) 2. Discuss the nature, constitution and functions of co-operative banks in India? Give a brief critical estimate of their work in India as rural financiers (1954)

**Vikram University, B. Com.**

1. What is the importance of indigenous banker in India Banking system? What measure should be adopted to make him more useful to the Country? (1959)

**Aldgarh University, B. A.**

1. Make out a case for the extension of modern banking facilities to rural sector of India. What is being done by the State in this respect?

**Gorakhpur University, B. Com.**

1. Account for the slow growth of co-operative banking in India. How can it be made popular, effective and stable? (Pt. I. 1956)

## अध्याय २

### भारत में श्रीदोगिक वित्त

#### (Industrial Finance in India)

**प्रावक्षयनः—**भारत में उपलब्ध प्राहृतिक साधनों का समुचित उपयोग एवं विकास करने के हेतु देश का श्रीदोगीकरण होना अत्यन्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। परन्तु इस कार्य के लिये पूँजी की आवश्यकता बहुत भ्रष्टिक मात्रा में हुप्रा करती है। भारत में श्रीदोगिक विकास के अभाव का एक प्रमुख कारण यह रहा है कि यहाँ के उद्योगों को प्रयोगित व आवश्यकता के समर्थनियापूर्वक पूँजी उपलब्ध नहीं हो सकी है। यह सच है कि भाज पूँजीवादी युग में कोई भी उद्योग घन्था विना प्रचुर मात्रा में पूँजी के उपलब्ध होने से पवन नहीं सकता है। भारत में श्रीदोगिक-वित्त (Industrial Finance) की समस्या को सुलझाने के लिये विभिन्न वर्षीयान्स तथा जाच समितियों ने अपने ग्रनेक सुझाव प्रस्तुत किये हैं। सर्वे प्रथम सद १९१६-१८ के श्रीदोगिक कमीशन (Industrial Commission) ने और तत्पश्चात् सद १९३१ की केन्द्रीय जाच समिति (Central Banking Enquiry Committee) ने इस बात पर जोर दिया कि देश के उद्योग-घन्थों को पर्याप्त वित्तीय सुविधाएँ दी जानी चाहिये ताकि भारत का समुचित शार्धिक विकास हो सके। श्रीदोगिक वर्षीयान ने यह सुझाव दिया कि देश में श्रीदोगिक बैंकों (Industrial Banks) की स्थापना होनी चाहिये और जब तक ऐसे बैंकों की स्थापना नहीं होने पाये तब तक व्यापारिक बैंकों को ही, सरकार की गारन्टी पर अपना समुचित जमानत के ग्राधार पर, उद्योग-घन्थों की आर्थिक शहायता देनी चाहिये। केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति (१९३१) ने भी देश की श्रीदोगिक वित्त-समस्या पर गविस्तार विचार किया और समस्या को हल करने के लिये देश में एक भारतीय श्रीदोगिक वित्त प्रमण्डल (Indian Industrial Finance Corporation) तथा विभिन्न प्रांतों में आन्तरिक श्रीदोगिक वित्त पण्डलों (Provincial Finance Corporations) की स्थापना नी विभारित वी ताकि वे गस्ताएँ यमों तथा झट्टण-पश्चों को खरीद कर श्रीदोगिक वित्तनियों की आर्थिक महायता कर सकें।

**उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताएँ:**—उद्योग-घन्थों की वित्तीय आवश्यकताएँ दो प्रकार की होती है—  
 (i) स्थाई पूँजी (Fixed Capital) :—इस प्रकार की पूँजी की आवश्यकता नये युराने दोनों ही प्रकार के उद्योगों को होती है। जब कोई उत्पादक बौद्धि वारस्ताना स्थापित करना चाहता है तब उसे भूमि, दमारत, मशीन व यन्त्र तथा अन्य ग्रनेक प्रकार के स्थिर पूँजीगत माल (Fixed Capital Goods) की आवश्यकता हुप्रा करती है। इन बस्तुओं को खरीदने के लिये वर्षीय-भी उसे दीपंकालीन झट्टण नेना पड़ता है। इसी प्रकार युराने उद्योगों को भी जीर्ण मशीन व यन्त्रों के बदलने (Replacement), उद्योग के विस्तार के लिए तथा नये-नये वित्त के यन्त्रों के खरीदने के लिए भी दीपंकालीन झट्टणों की आवश्यकता हुप्रा करती है। इन दीपंकालीन झट्टणों से खरीदी या बनवाई हुई समति भवत, स्थायी एवं टिकाऊ होती है अर्थात् उत्तमति।

## भारत में श्रोद्धोगिक वित्त

प मे बार-बार काम मे आती है। इसोलिए इसे स्थिर पूँजी (Fixed Capital) भी बहा जाता है। (ii) कार्य शोत पूँजी (Working Capital) — इसे कार्यवाहक, सक्रिय अथवा अल्पकालीन पूँजी भी बहते हैं। उद्योगों को इस प्रकार की पूँजी की आवश्यकता दिन प्रति दिन कार्य चलाने के लिये हुआ बरती है, जैसे—कच्चा माल अन्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिये, उत्पादित की विक्री के लिये, उत्पादन पर सगाने वाला वेतन का व्यय आदि।

### उद्योगों की वित्त आवश्यकताओं की पूर्ति

उद्योगों की वित्त आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन (*Sources of Industrial Finance*) यह स्पष्ट है कि पूँजी की अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार की आवश्यकताएँ हुआ बरती हैं। अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति तो व्यापारिक बैंकों द्वारा कर सकते हैं और आजकल करते भी हैं, परन्तु दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये देश मे १९४६ तक कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान समय मे कोई एक कारखाने वाला अपनी पूँजी निम्न साधनों से प्राप्त करता है—

(१) शेयर पूँजी (Share Capital) — श्रोद्धोगिक कम्पनिया विभिन्न प्रकार के अथ जारी करती हैं और इनके द्वारा पूँजी प्राप्त बरती हैं। अथ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं— (अ) साधारण शेयर (Ordinary Shares) तथा (आ) पूर्वाधिकार अथ ((Preferential Shares))। पूर्वाधिकार अथ भी कई प्रकार के होते हैं—जैसे सचयी पूर्वाधिकार अथ, असचयी पूर्वाधिकार अथ। कम्पनियों मे मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को आकृपित करने के लिये अस्थगित अथ (Deferred Shares) भी होते हैं। प्रत्येक कम्पनी विभिन्न प्रकार के अथ मिन्न भिन्न प्रकार व श्रेणी के विनियोजनकर्ताओं (Investors) को अपनी पूँजी का विनियोग करने के लिये आकृपित करन के लिये नियमित बरती है। जब वही कोई कम्पनी यह अनुभव बरती है कि दिन प्रतिदिन वा काथ चलाने के लिये भी उसकी अथ पूँजी अपर्याप्त है तब वह अल्पकालीन क्रहण से लिया बरती है परन्तु वही कमी कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट्स भी कम्पनी को अल्पकालीन क्रहण अधिग्रहण (Advances) दे दिया बरते हैं।

(२) क्रहण पत्रों द्वारा प्राप्त पूँजी (Debentures) — क्रहण-पत्र वह पत्र है जिसके द्वारा कम्पनी क्रहण का ज्ञापन (Acknowledgement) बरती है, जिस पर कम्पनी की साधारण नाम मुद्रा (Common Seal) लगी रहती है तथा जिस पर क्रहण के भुगतान की अवधि, ढग, व्याज-दर, जमानत का विवरण, ट्रस्टियो का विवरण, न्तथा क्रहण की अथ शर्तें लिखी होती हैं। क्रहण-पत्र भी बई प्रकार के होते हैं—वनघक क्रहण-पत्र (Mortgage Debentures), अप्रतिभूत क्रहण पत्र (Simple or Naked Debentures), शोध्य क्रहण-पत्र (Redeemable Debentures), अशोध्य क्रहण-पत्र (Irredeemable Debentures) आदि। शेषसं वी तरह क्रहण पत्रों के इतने अधिक हप्तों का कारण भी यही है कि ये विभिन्न प्रकार के विनियोजनकर्तायों को आकृपित करने के लिए नियमित लिये जाते हैं जिसके कुछ विनियोगकर्ता यदि पूँजी की सुरक्षा की ओर

ध्यान देते हैं तब धन्य विनियोगकर्ता स्थायी ग्राय, कम जोखिम धन्यवा अधिक जमानत की ओर अधिक ध्यान देते हैं। कोई सीमित दायित्व वाली कम्पनी कृष्ण-पत्रों द्वारा तभी पूँजी एकत्रित करती है जबकि वह अंशों द्वारा पर्याप्त पूँजी एकत्रित नहीं करने पाती है या जब इसके व्यापार में बहुत प्रसार होता है धन्यवा जब वह द्रव्य वाजार में व्याज की दर बहुत कम होने के कारण अपनी पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहती है। यह स्मरण रहे कि पाइचात्य देशों में कृष्ण-पत्रों द्वारा पूँजी एकत्रित करने का साधन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कम्पनियां अपनी पूँजी की आवश्यकता की अधिकांश पूर्ति इसी साधन द्वारा करती हैं, परन्तु भारत में कम्पनियां इस साधन का आर्थिक उपयोग नहीं करने पाती हैं। इसके कई कारण हैं—(i) कृष्ण-पत्रों में विनियोग करने के प्रति धर्षण तथा कृष्ण-पत्रों के सुध्यवस्थित वाजार का अभाव—भारत में ऐसी संस्थाओं का अभाव है जो कृष्ण-पत्रों में अपनी पूँजी का विनियोग करती है। पाइचात्य देशों में वीमा कम्पनियां अपने धन वा विनियोग प्रयत्न श्रेणी के कृष्ण-पत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में विया करती हैं, परन्तु भारत में वीमा कम्पनियों ने (राष्ट्रीयकरण से पहले) विनियोग के इस साधन को पसन्द नहीं किया। भारतीय व्यापारिक बैंक्स कम्पनियों के कृष्ण-पत्र खरीदकर उन्हें आर्थिक सहायता दे सकते हैं, परन्तु इन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। यदि बैंक्स इनको खरीदना आरम्भ कर दें, तब एक तरफ तो उद्योगों की बहुत आर्थिक सहायता हो जाय और दूसरी ओर वैकों को भी अधिक जोखिम नहीं उठानी पड़े। परन्तु वैक्स द्वारा कृष्ण-पत्रों के खरीदने का बार्य इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि देश में अभी तक एक गुण्यवस्थित कृष्ण-पत्रों का वाजार उत्पन्न नहीं होने पाया है जिससे वैकों वो उनके द्वारा खरीदे हुए कृष्ण-पत्रों को बेचने वी मुविधाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं। (ii) बैंकों की प्रवृत्तियाँ—ऐसी व्यापारिक कम्पनियां जो कृष्ण-पत्र देती हैं और जमांओं पर २% से ७% तक व्याज देती हैं। इस तरह, श्रीदोगिक कम्पनियां जारी करती हैं, उनकी साथ वैकों की हट्टि में बहुत कम होती है जिससे बैंक्स इन्हें आर्थिक सहायता देने में हिचकिचाते हैं। परिणामतः व्यापारिक कम्पनिया स्वयं कृष्ण-पत्रों द्वारा पूँजी एकत्रित करने के साधन वा उपयोग नहीं करती हैं। (iii) कृष्ण-पत्रों से सम्बन्धित शर्तें—पाइचात्य देशों में कृष्ण-पत्रों के सम्बन्ध में ऐसी शर्तें होती हैं कि विनियोगकर्ता इनमें पूँजी का विनियोग करने के लिये आवश्यित हो जाता है, जैसे—भुगतान के समय कुछ प्रीमियम का देना, अधिक कृष्ण-पत्र खरीदने वालों को बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स का सदस्य बनाने का अधिकार, कृष्ण-पत्र खरीदने वालों को कम्पनी के साधारण असां द्वारा विशिष्ट दर पर खरीदने का अधिकार आदि। परन्तु भारतीय कम्पनियों के कृष्ण-पत्रों के सम्बन्ध में प्राप्त इस प्रकार वी शर्तों धन्यवा विनियोगकर्ता के अधिकारों का अभाव रहता है जिसके बारण ये पत्र विनियोगकर्ताओं को आवश्यक नहीं होते। (iv) नियंत्रण-व्यय-कम्पनियां भी इस प्रकार के कृष्ण-पत्रों को जारी करने में हिचकिचाती हैं क्योंकि उनकी निवासी में वैधानिक व्यय, स्टाम्प-बर तथा अभियोपन बमीशन (Underwriting Commission) आदि के रूप में व्यय बहुत अधिक हो जाता है। देश में अभियोपन-इहों (Underwriting Houses) नी कमी के कारण कृष्ण-पत्रों के क्षय-विक्रय में कठिनाई

भी बहुत प्रधिक अनुभव होती है।

(३) मैनेजिंग एजेन्ट्स (प्रबंध प्रभिकर्ताओं) से लोन (Loans from the Managing Agents) —मैनेजिंग एजेंट्स प्रणाली का विकास मुख्यतः भारत में ही हुआ है और पाइस्चात्य देशों में यह प्रणाली बहुत कम पाई जाती है। इस प्रणाली का भारत में उद्योगों के स्थापित होने में, इनके प्रबंध में तथा आवश्यकतानुसार इनको आर्थिक सहायता देने में यहूत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कम्पनियों की अधिकारा स्थिर अवधा मत्रिय पूँजी पूर्ति इन्हीं वे द्वारा सम्पन्न हुई है। मैनेजिंग एजेन्ट्स ग्रन्ट प्रकार से कम्पनियों की आर्थिक सहायता दरते हैं। ये स्वयं कम्पनी वे सेयर्स खरीदते हैं या भवित बाल में कम्पनी को आवश्यकतानुसार क्राए देते हैं या अपने धारप कम्पनी के क्राए-प्रभ खरीदते हैं या इन्हे अपने मित्रों गे परीदवाने हैं या कम्पनी को क्राए दिलवाते समय स्वयं जमानती बन जाते हैं। इसलिये आजकल मैनेजिंग एजेन्ट्स कम्पनी के शरीर अवधा क्राएपत्रों का प्रभिगोपन(Underwriting) का वार्ष भी दरते लगे हैं। जिन कम्पनियों में जनता से जमा (Deposits) प्राप्त करने की प्रणाली पाई जाती है उनमें इस साधन द्वारा प्राप्त पूँजी की मात्रा इन्हीं की प्रतिष्ठा एवं विस्तरीयता पर निभर रहती है।

(५) सार्वजनिक जमाएँ (Public Deposits) —कुछ कम्पनिया जनता से जमान्धन (Deposits) प्राप्त करती हैं और इस घन का उपयोग अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति में करती है। परन्तु इस प्रकार का धन बेत्रन वे कम्पनिया ही आर्थित करते गाती हैं जिनकी व्यवस्था तथा मुहूरना में जनता का विश्वास होता है। उदाहरण वे लिए, अहमदाबाद तथा बांवड़ी के बस्त-उद्योग ने काफी बड़ी मात्रा में इस साधन द्वारा घन एक्स्प्रिट किया है। ये जमाएँ प्रायः स्थाई-जमा (Fixed Deposits) के रूप में होती हैं और इनकी अवधि अक्सर ६ माह में १ वर्ष तक होती है, परन्तु अहमदाबाद में यह ७ वर्ष तक है। कम्पनिया इस प्रकार की जमाओं को प्राप्त करने के लिये ग्राही भी प्रकार की प्रतिमूर्ति नहीं इस पढ़ति द्वारा तथा सुविधापूर्वक बहुत कम व्याज की दर पर प्रचुर मात्रा में पूँजी प्राप्त कर लेती है। परन्तु इस प्रणाली में ग्रन्ट दोष हैं—(i) मन्दी तथा आर्थिक सफ्ट के बाल में जब कम्पनियों की आर्थिक दशा खराब होते लगती है, तब जमाकर्ता कम्पनी जमाए निवालते हैं जिसके बारण कम्पनियों की आर्थिक दशा और भी आर्थिक खराब हो जाती है। (ii) कम्पनियाँ जब कभी उक्त जमाओं को स्थिर पूँजी के रूप में उपयोग में ले जाती हैं, तब इन्हे इनकी आवश्यकता के समय वापिस करने में कठिनाई अनुभव होती है जिससे कम्पनियों की साथ एवं प्रतिष्ठा को घक्का पड़ता है। (iii) जूँकि कम्पनिया कम व्याज की दर पर इस साधन द्वारा प्रचुर मात्रा में पूँजी प्राप्त कर लेती है, इसलिये उनके बायों में मट्टें-यवहार की प्रोत्साहन मिलता है। इन दोपों के बारण आलोचकों का मत है कि श्रीयोगिक दायों के लिये पूँजी प्राप्त करने का उक्त साधन लाभप्रद, सरल तथा सुविधाजनक नहीं है। कुछ लोग इन दोपों के बारण और कुछ व्यापारिक वैकों के पर्याप्त विकास के कारण, श्रीयोगिक कम्पनियों को भी स्वयं उक्त तरीका थेट्ट प्रतीत नहीं होता है और इस साधन का उपयोग दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। दूसरी ओर वैकिंग विकास तथा वैकों में जनता का विस्तार बढ़ जाते के

कारण भी औद्योगिक कम्पनियां अब पहले से बहुत कम मात्रा में जमाएँ आकर्षित करने पाती हैं। अतः औद्योगिक कार्यों के लिये सार्वजनिक जमाओं द्वारा पूँजी प्राप्त करने के साधन का भविष्य बहुत उज्ज्वल प्रतीत नहीं होता है।

(५) बैंकों से ऋण (Bank Loans):—भारत में औद्योगिक बैंकस (Industrial Banks) का निर्माण नहीं हो सका है। इस प्रकार के बैंकों की स्थापना के लिए जब कभी प्रयत्न किये गये, वे किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो सके और स्थापना के कुछ ही समय बाद या तो ठप हो गये या व्यापारिक बैंकों में परिणित हो गये। औद्योगिक बैंकों की सफलता के मूल्य कारण रहे हैं:—अल्पकालीन जमाओं से दीर्घकालीन ऋण देना, एक ही उद्योग में बहुत अधिक मात्रा में राशि फंसा देना, प्रबन्ध की कुशलता, प्रबंधकों की वैदिकानी तथा औद्योगिक बैंकिंग सम्बन्धी ज्ञान का पूर्ण अभाव आदि। इन कारणों से सन् १९२३ में स्थापित टाटा औद्योगिक बैंक भी ठप हो गया और बाद में यह सेटल बैंक शाफ इण्डिया में मिला दिया गया। परन्तु देश के व्यापारिक बैंकों (Commercial Banks) ने उद्योगों को अल्पकालीन ऋण देकर इनकी बहुत ही आर्थिक सहायता की है। व्यापारिक बैंकस उद्योगों को वित्स की कटीती करके, सुरक्षित अल्पकालीन ऋण देकर, नकद-साल (Cash Credit) साता खोलकर, अधिकिप (Overdraft) सुविधाएँ देकर तथा कभी-कभी व्यक्तिगत साल पर हपया उधार देकर मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकस कच्चा-माल व तंत्यार माल तथा प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों (Securities) के आपार पर भी उद्योगों की आर्थिक सहायता करते हैं। प्रायः ऋण की अवधि १ वर्ष की ही होती है और व्याज की दर ४% से ६% तक होती है। बैंकस व्यक्तिगत साल पर तो लगभग नहीं के बराबर ऋण देते हैं, परन्तु पारचार्य देशों में व्यक्तिगत-साल पर ऋण देने की प्रया बहुत प्रचलित है जिससे वह के व्यापारियों को धन का अभाव बहुत कम महसूस होता है। माल की आड पर ऋण देते समय बैंकस २५% से ३०% तक का अन्तर (Margin) अपने पथ में रखते हैं।

(६) देशी बैंक, महाजन-साहूकार तथा अपक्रियता ऋणदाता।—उद्योग-प्रतियोगी को कभी-कभी महाजन-साहूकार व बैंकस अथवा अन्य वित्ती व्यक्तिगत ऋणदाता के पास अपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिये जाना पड़ता था। इसलिये कुछ समय पहले वे भी औद्योगिक पूँजी की पूर्ति के बहुत महत्वपूर्ण साधन थे। परन्तु इनकी कार्यविधि अत्यधिक असन्तोषजनक तथा व्याज की दर बहुत ही ऊँची होने के बारण, धाज-पत्र औद्योगिक वित्त की इप्टि से इनका महत्व अपेक्षाकृत बहुत कम हो गया है।

(७) राजकीय ऋण (Govt. Loans):—सरकारे भी उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। परन्तु उद्योगों ने सरकार से प्राप्त ऋण प्रिय नहीं होते हैं क्योंकि इनके मिलने में बहुत समय लगता है तथा कम्पनी को वित्तने ही दशतरों में से होकर अपना आवेदन-पत्र भेजना पड़ता है जिससे वह कार्य बहुत असुविधाजनक होता है। इसके अनिवार्य मिलने वाली ऋण की मात्रा प्रायः उद्योगों वर्षा आवश्यकता से बहुत कम ही होती है।

(८) विनियोग ट्रस्ट्स (Investment Trusts):—औद्योगिक वित्त-व्यवस्था में

इस प्रकार के ट्रस्टों का महत्व युद्धाल तथा युद्धोत्तरकाल में बहुत बढ़ गया है। ये ट्रस्ट सीमित दायित्व तथा बहुत विशाल पूँजी वाली कम्पनियां होती हैं। इनके द्वारा पूँजी अपने अशों को जनता वो बेचकर एकत्रित की जाती है और इसका उपयोग दूसरी श्रीदोगिक कम्पनियों के अशों तथा अहण-पत्रों को खरीदने में विया जाता है। यह स्वाभाविक ही है कि विनियोग ट्रस्ट्स अपने धन का विनियोग ऐसी कम्पनियों में करते हैं जो प्रतिवर्ष काफी मात्रा में लाभार्थी घोषित करती हैं। इस तरह इनके धन का विनियोजन किसी एक कम्पनी अथवा किसी एक उद्योग में न होकर विभिन्न कम्पनियों अथवा भिन्न-भिन्न उद्योगों में किया जाता है ताकि एक तरफ तो इनके विनियोग की जोखिम बहुत कम हो जाती है और दूसरी ओर इन्हें भाग भी बहुत अधिक प्राप्त हो जाता है। ट्रस्ट्स कमी-कमी अपनी प्रतिमूलियों (Securities) का ऊंचे मूल्य पर बेचकर बहुत अधिक मात्रा में लाभ करते हैं। आजकल ट्रस्ट्स नई-नई कम्पनियों के शेयर्स व अहण-पत्रों का अभिगोपन (Underwriting) स्वयं भी करने लगे हैं जिससे इनके लाभ की मात्रा और भी अधिक हो जाती है। ट्रस्टों को जो कुछ लाभ होता है जिसमें से कुछ भाग य अपने अपाधारियों को लाभ के रूप में वितरित कर देते हैं। अत यह स्पष्ट है कि विनियोग ट्रस्टों द्वारा उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में पूँजी एकत्रित करने माफी सहायता मिलन लगी है। इन ट्रस्टों से अत्यंत साधन वाले विनियोजकों को भी बहुत सहायता मिलती है। ये व्यक्ति अपने धन का विनियोजन ट्रस्टों में कर देते हैं जिससे इन्हें विना अधिक जोखिम उठाये उचित लाभ भी मिल जाता है। ऐसे व्यक्तियों ने पास न तो इतना समय होता है और न इतनी योग्यता व शक्ति ही होती है कि ये लाभप्रद प्रतिभ तिया के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकें जिससे ये इस लाभ कर विनियोग के साधनों को नहीं ढूँढ़न पाते हैं। परन्तु यह य अपना धन ट्रस्टों में लगा देते हैं, तब ये उक्त फटाफा से बच जाते हैं क्याकि ट्रस्टों के योग्य व विद्यपत्ति वर्तमानी एवं प्रबन्धक लाभप्रद साधनों में अपन अधारारिया की पूँजी का विनियोजन करते रहते हैं। ट्रस्टों का एक यह भी लाभ है कि ये जनता में विनियोग करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। परन्तु ट्रस्टों का विकास बहुत ही सावधानीपूर्वक विया जाना चाहिये क्योंकि यदि इन्होंने वेस्टमार्नी से वार्षिक विया तप इसका विनियोजनकर्ताओं पर बहुत ही दुर्घटनाएँ घटेंगी और इनकी असफलता देश के आर्थिक एवं श्रीदोगिक विकास के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी।

(६) स्टाक एक्सचेंज बाजार (Stock Exchange Markets) — इस प्रकार के बाजार से श्रीदोगिक संस्थाएँ को अप्रत्यक्ष रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। ये वे बाजार हैं जिनमें कम्पनियों के अश व अहण-पत्रों के क्रय-विक्रय की सुविधाएँ होती हैं। यह स्मरण रहे कि इन संस्थाओं (बाजारों) में कुछ स्वीकृत प्रतिमूलियों (Approved Securities) का ही क्रय-विक्रय स्वतन्त्रता पूर्वक हो सकता है। इस बाजार में केवल उन कम्पनियों के शेयर्स या अहण-पत्रों का क्रय-विक्रय हो सकता है जो स्टाक एक्सचेंज की शर्तों पर पूरा वर्कें एवं चर्चेंज के अधिकारिया से लिखित म प्रनुभति ले लेते हैं। भारत म वर्ष १९४७, मद्रास तथा कलकत्ता के स्टाक एक्सचेंज बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन एक्सचेंजों द्वारा बड़ी-बड़ी कम्पनियां तथा सरकार कुछ ही घन्टों में जनता से करोड़ों

हिए एकत्रित कर लेती हैं। अतः स्टाक एक्सचेंज श्रीदोगिक वित्त की पूर्ति में परोक्ष रूप से बहुत सहायक होते हैं।

(१०) श्रीदोगिक वित्त प्रमण्डल से ऋण (Loans from the Industrial Finance Corporation):—केन्द्र में तथा कुछ प्रान्तों में श्रीदोगिक वित्त प्रमण्डलों की स्थापना हो चुकी है जिनकी स्थापना से एक तरफ तो देश में श्रीदोगिक बैंकों (Industrial Banks) का अभाव बहुत कुछ दूर हो गया है और होता जा रहा है और दूसरी तरफ उद्योगों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी है। सन् १९३१ की केन्द्रीय बैंकिंग जाच कमेटी (Central Banking Enquiry Committee) ने देश में इस प्रकार के प्रमण्डलों की स्थापना की सिफारिश की थी। इन प्रमण्डलों ने पूंजी अधिकारों से, सरकार से तथा ऋण-पत्रों को बेचकर प्राप्त होती है। जनता का इनमें विश्वास उत्पन्न करने के हेतु सरकार प्रमण्डलों के ऋण-पत्रों की गारंटी (Guarantee) कर देती है। इस तरह देश में उद्योगपतियों को नये-नये उद्योगों की स्थापना तथा पुराने उद्योगों के विकास एवं प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध हो गया है। यह स्मरण रहे कि मेरे प्रमण्डल उद्योगों की अल्पकालीन अवधि वा वार्षिकीय पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते हैं और यह वार्ष मुख्यतः व्यापारिक बैंकों के लिये ही सीमित कर दिया गया है।

### [ग्र] भारतीय श्रीदोगिक अर्थ प्रणाली

#### (The Industrial Finance Corporation of India)

भारतीय श्रीदोगिक अर्थ-प्रणाली की रथापना के समय श्रीदोगिक वित्त की व्यवस्था—भारत में युद्धोत्तर (Post War) काल में उद्योग-धनधो की दीर्घकालीन व मध्यमकालीन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली स स्थाप्तों का अभाव बहुत ही अधिक भानुभव किया गया थोकि युद्ध के बाद समस्त उद्योगों को अपनी युद्धकाल में घिसी हुई मरीजों एवं यंत्रों को बदलने की आवश्यकता प्रतीत हुई और इस कार्य के लिये पूंजी की आवश्यकता भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करती है। युद्ध काल में तो इन फारसाने वालों ने अपने आत्यधिक सामग्री को मुख्यतः लाभांश के रूप में वितरित कर दिया और यह इस कारण किया गया था योकि इन्हे युद्ध के पहले के कम सात्रा में वितरित जाभासों की धरति की पूर्ति करनी थी। अतः युद्धोत्तर काल में एक तरफ तो उद्योगपतियों की पूंजी की मात्र बहुत अधिक बढ़ गई और दूसरी तरफ भारतीय द्रव्य बाजार में पूंजी मिलने की सम्भावनाएँ बहुत कम हो गईं। इसके कई मुख्य कारण थे—(i) युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में रामाज के भध्यम वर्ग की आप बहुत कम हो गई जिससे उसकी व्यवस्था करता है, इसलिये द्रव्य-बाजार में पूंजी का अभाव प्रतीत हुआ। इसके विपरीत ग्रामीण व अमीर वर्ग की आप बहुत बड़ी, परन्तु इन दोनों वर्गों ने अपनी बड़ी हुई आप का उपयोग मुख्यतः उपभोग के कार्यों में किया जिससे विनियोग के लिये ऐन भव्यता बचत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हुई। (ii) युद्धकाल में नागरिकों ने अपनी निजी उपभोग की

वस्तुओं का बहुत अधिक महसूस विया या। युद्ध समाप्त होते ही उपभोग की वस्तुओं की माग बहुत बढ़ गई जिसके कारण भी बचत कम होने लगी। (ii) सरकार की कर-रोपण नीति (Taxation Policy) की अस्थिरता के कारण देश अनिवार्य वातावरण उत्पन्न हो गया जो पूजी के विनियोग के लिये सदा धातुक रहता है। (iv) शेयर्स व अग्न-पत्रों में विनियोग की अपेक्षा कम्चे माल व आयात वस्तुओं को खरीदकर रखने में अधिक लाभ प्रतीत होने लगा जिसके कारण कम्पनियां अशांत व कठुन पत्रों को बेचकर पर्याप्त मात्रा में पूजी प्राप्त नहीं बर सकी। (v) स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जमीदारी का उन्मूलन (Abolition) हुआ तथा राजकुमारी की स्टट्स को भारतीय संघ में मिला दिया गया। उस दर्गे अपनी अधिकारी का बड़ा भाग उद्योगों में विनियोजित विया बरता था, परन्तु उनकी अधिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने से ये अब द्रव्य-बाजार में अधिक पूजी की पूर्ति नहीं बरतन पाते हैं। इन सब बारणों से उद्योगपतियां को युद्धोत्तर काल में पूजी की बहुत कमी अनुभव हुई और ये न तो अपने भर्तमान उद्योग का पर्याप्त विकास कर सके और न नए-नए उद्योग ही स्थापित बर सके। इस अवस्था में सरकार न श्रीदोगिक वित्त की इस विगड़ी हुई दशा में मुश्किल बरने के हतु बेन्ड्र तथा राज्यों में श्रीदोगिक वित्त प्रमण्डलों की स्थापना बरल का निश्चय विया ताकि देश का समुचित श्रीदोगिक विकास हो सके।

भारतीय श्रीदोगिक वित्त प्रमण्डल की स्थापना — श्रीदोगिक वित्त की कमी को दूर करने तथा देश की निष्क्रिय पूजी को गतिशील बनाकर देश के उद्योगों की उपति में विनियोग करने के हेतु बेन्ड्रीय सरकार न सन् १९८८ म एक श्रीदोगिक अर्थ-प्रमण्डल (Industrial Finance Corporation) की स्थापना हुई। इस प्रमण्डल की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

(१) पूजी (Capital) — भारतीय श्रीदोगिक अर्थ प्रमण्डल की अधिकृत पूजी (Authorised Capital) १० करोड़ रुपये है और इसे पाच पाँच हजार बे.धीस हजार अ शा म बाटा गया है। इनमें से १० हजार अ श तो नियमित कर दिये गये हैं और शेष अवश्यकतानुसार समय-समय पर जारी किये जायेंगे। इन अंदों को बेन्ड्रीय सरकार तथा अर्थ उल्लेखित संस्थायें इस अनुपात में खरीद सकती हैं—केन्द्रीय सरकार २०%, रिजर्व बैंक २०%, अनुसूचियद्वारा देंवस २५%, दीमा कम्पनिया व विनियोग द्रस्ट्स व इसी प्रकार की अन्य मान्य संस्थाएं २५% तथा सहकारी बैंक १०% \*(बुल शोग १०६%)। एकट के अनुमार अ शो का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। यह अवश्य है कि उक्त विनियन वर्गों के बीच अ शो का हस्तान्तरण हो सकता है। परन्तु यह पर यह बाधा लगा दी गई है कि किसी भी वर्ग के पास उसके नियित हिस्से के १०% से अधिक अ श एवं वित्त नहीं हा सरते हैं। यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कोई वर्ग अपने हिस्से के अ शो को नहीं खरीद पाता है तब इस वर्ग के लिये नियर-

\*इस तरह रिजर्व बैंक १ करोड़ रुपय, केन्द्रीय सरकार १ करोड़ रुपय, अनुसूची-बद्ध बैंक १२५ करोड़ रुपय, विनियोग द्रस्ट्स आदि १२५ करोड़ रुपये तथा छहकारी बैंक ०५० करोड़ रुपय के अन्य खरीदेंगे।

रित दोप हिस्से केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा खरीदे जा सकते हैं और रिजर्व बैंक व सरकार को यह अधिकार होगा कि वे बँड में इन हिस्सों को अन्य उपयुक्त संस्थाओं को बेच सकते हैं। उक्त प्रमण्डल के हिस्से विभिन्न बर्गों ने अपने हिस्से से अधिक के खरीदे हैं, परन्तु सहकारी बैंक अपने हिस्सों को नहीं खरीदने पाये हैं। इसीलिए रिजर्व बैंक को इनके हिस्से के ३०४५ लाख रुपये के हिस्सों को खरीदना पड़ा है। भारतीय आर्थिक वित्त प्रमण्डल के हिस्सों की गारन्टी केन्द्रीय सरकार ने की है अर्थात् यदि प्रमण्डल असफल होने के कारण दूटवा है तब अशाधारियों को अंश का मूल्य सरकार द्वारा दिया जायगा। इसी तरह सरकार ने अंशों पर न्यूनतम लाभाश २५% की भी गारन्टी दी है। परन्तु अंशों पर अधिक से अधिक लाभांश ५% दिया जा सकता है। इसमें अधिक जो कुछ भी लाभ होगा वह केन्द्रीय सरकार को दिया जायगा। लाभांश की दर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायगी। प्रमण्डल के लाभ पर आर्य-कर तथा अतिरिक्त कर भी लगेगा। प्रमण्डल को अपना वापिक स्थिति-विवरण (Balance Sheet) तथा कार्य-विवरण केन्द्रीय सरकार के पास भेजना पड़ेगा। अंशों की विक्री द्वारा पूँजी प्राप्त करने के अतिरिक्त यह दीर्घकालीन जमाओं (Long Term Deposits) तथा ऋण-पत्रों (Debentures) की विक्री से भी धन-राशि प्राप्त कर सकता है। परन्तु प्रमण्डल द्वारा उधार लिये हुये समस्त ऋणों की रकम इसकी परिदत्त-पूँजी (Paid-up Capital) तथा संचित बोये के पात्र गुने से अधिक नहीं हो सकती है। अर्थ-प्रमण्डल ने उद्योगों में अधिक धात्रा में आर्थिक सहायता देने के हेतु १६४६-५० व १६५०-५१ में ५५० लाख रुपये के बन्ध (Bonds) बेचे जिन पर इसने ३५% ब्याज की दर देने की गारन्टी दी है। इन बन्धों का भुगतान सन् १६६४ में किया जायगा। इन बन्धों ने मूलधन तथा ब्याज की गारन्टी भी केन्द्रीय सरकार ने की है। यही नहीं अर्थ-प्रमण्डल केन्द्रीय सरकार को अनुमति से अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के द्वारा विदेशी मुद्रा भी खरीद सकता है। सन् १६५५ के प्रमण्डल विधान के सशोधन के अनुसार अब यह केन्द्रीय सरकार से ऋण भी प्राप्त कर सकता है।

(२) प्रबन्ध व कार्यालय (Management and Offices):—अर्थ प्रमण्डल का प्रबन्ध १२ सदस्यों के एक संचालक मंडल (Board of Directors) द्वारा किया जाता है। इनमें से एक प्रबन्ध संचालक (Managing Director) तथा ३ तीन अन्य संचालक सो केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, २ संचालक रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा दोप ६ संचालक प्रमण्डल के अन्य अशाधारी चुनेंगे (२ संचालक सह-वारी बैंक, २ संचालक अशाधारी बैंक तथा २ संचालक अन्य अशाधारियों द्वारा निर्वाचित होते हैं)। निर्वाचित संचालकों की कार्य अवधि ४ वर्ष होती है और मनोनीत (Nominated) संचालकों की अवधि मनोनीत करने वाली संस्था पर निर्भर रहती है। प्रबन्ध संचालक भी ४ वर्ष की अवधि के लिए होता है और वह बैतन-भोगी होता है। परन्तु चाहे तब इम व्यक्ति को पुनः नियुक्त कर सकती है। संचालक मंडल की सहायता के लिए ५ सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) भी होती है जिसमें दो सदग्र निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं और दो सदस्य

सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। प्रबन्ध सचालक इस समिति का अध्यक्ष (Chairman) होता है। प्रमण्डल के कार्यों वी सफलता के लिए इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि समय समय पर सलाहकार समितियों (Advisory Committees) को भी नियुक्त किया जा सकता है। प्रमडल की सामान्य नीति का सचालक केन्द्रीय सरकार के शासेशासानुसार होगा। इसीलिए यदि सचालक मण्डल (Board of Directors) सरकार वी नीति के अनुसार कार्य नहीं करे, तब केंद्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस सभा के बदले नई सभा की नियुक्ति वर सकती है। इस प्रमण्डल का प्रधान कार्यालय दिल्ली मे है और इसके कार्यालय वम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास मे भी हैं। बानपुर मे इनकी शाखा इस कारण से नहीं खोली जा सकी क्याकि इस धोत्र के उद्योगों से अरुण प्राप्त करने के बहुत कम आवेदन पत्र प्राप्त हो सके हैं। प्रमण्डल अन्य स्थानों पर भी केन्द्रीय सरकार की अनुमति से शाखाएँ स्थापित वर सकेगा।

(३) अरुण देने की कार्य-विधि (Loans) —प्रमण्डल का उद्देश्य श्रीयोगिक कर्मनियों को दीर्घालीन तथा मध्यमकालीन ऋण देना है विशेषत जबकि उन्हे साधारण वैकिंग मुद्रियाएँ अपर्याप्त प्राप्त होता तथा उनके पूँजी प्राप्त करने के अन्य साधन भी दुलभ हों। प्रमण्डल के मुख्य मुद्र्य कार्य इस प्रकार है— (१) ऋण देना—यह सीमित दायित्व वाली श्रीयोगिक कर्मनियों या सहकारी समितियों को २५ वर्ष की अधिकतम अवधि तक के लिए अरुण दे सकता है। परन्तु ऋण देन से पहले वह अरुणी से अनेक बातों की जानकारी प्राप्त करता है, जैसे—उत्पादन वी वस्तु का स्वभाव, भूग्रि व फैक्ट्री व मकान आदि पर अधिकार व इनका मूल्य, फैक्ट्री की स्थिति, कृष का उद्देश्य, बच्चे माल की प्राप्ति व लाभ की सम्भावना, कृष मुगतान की सामर्थ्य तथा जमानत का स्वभाव आदि। इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करके प्रमण्डल अपन विसी कर्मचारी द्वारा उक्त सब बातों की जानकारी लेता है। जबकि प्रमण्डल इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि उद्योग का राशीय महत्व है, उत्पादित वस्तु वी देश को आवश्यकता है, यह कुशल कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है, उद्योग के लिए कच्ची सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता है, कृष की ग्राह के लिये पर्याप्त जमानत है आदि, तब वह ऐसी कर्मनी को कृष प्रदान कर देता है। कृष व्यक्तियों, सामेश्वरियों तथा निजी श्रीयोगिक कर्मनियों को नहीं दिया जाता है। प्रमण्डल द्वारा जो भी कृष दिया जाता है वह स्वाई सम्पत्ति की आड पर प्राप्त स्थायी सम्पत्ति के लारीदाने के लिये दिया जाता है अर्थात् यह कच्चे माल अथवा पक्के माल की आड पर कच्ची सामग्री आदि के लारीदाने के लिये कृष नहीं देता है। यह बाधा इस कारण लगाई गई है कि प्रमण्डल व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। कृष का मुगतान किस्तों मे दिया जा सकता है और विस्ता द्वारा कृष की अदायगी प्राप्त कृष लेने के दो तीन साल बाद आरम्भ होती है। कृष भारतीय मुद्रा अथवा विदेशी मुद्रा मे दिए जा सकते हैं। विसी एक कर्मनी अथवा सस्था के लिए कृष की अधिकतम सीमा ५० लाख रुपये रखकी गई है। सन् १९५५ के एकट मे एक सशोधन द्वारा यह सीमा बढ़ावर १ करोड रुपये वर दी गई है। कृष का उचित उद्योग दिया जा रहा है या नहीं, इस बात को जानने के लिये प्रमण्डल कर्मनी से रिपोर्ट मांग सकता है अथवा स्वयं भी समय समय पर कर्मनी की जाच करा सकता

है। (iii) अंश या ऋण-पत्रों का अभिगोपन (Underwriting) करना:—प्रमण्डल कम्पनियों के अंश, बन्धों (Bonds) तथा ऋण-पत्रों (Debentures) का अभिगोपन कर सकता है। (iii) मूलधन तथा द्याज की गारन्टी देना:—प्रमण्डल कम्पनियों के ऋण-पत्रों के द्याज अथवा मूलधन की गारन्टी भी दे सकता है और इस तरह गारन्टी देकर कम्पनियों को धन-राशि प्राप्त करने में मदद कर सकता है। गारन्टी देने के कार्य के बदले में प्रमण्डल कम्पनी से कमीशन (Commission) से सकता है। (iv) विदेशी मुद्रा में ऋण दिलवाना:—यदि इसी कम्पनी को किसी विदेश की मुद्रा में ऋण की आवश्यकता है, तब प्रमण्डल केन्द्रीय मरकार वी अनुमति लेकर अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से या अन्य इसी लोत से विदेशी मुद्रा में ऋण प्राप्त कर सकता है। (v) कम्पनियों को अपने अधिकार में लेकर चलायेः—यदि कोई ऋणी कम्पनी ऋण की शर्तों का उल्लंघन करती है, तब प्रमण्डल को यह भी अधिकार होता है कि वह गिरवीं रखती हुई सम्पत्ति को टेके (Lease) पर भी दे सकता है। (vi) जमाए प्राप्त करना:—प्रमण्डल जमता से कम से कम ५ बर्पं वी अवधि की जमाए (Deposits) प्राप्त कर सकता है, परन्तु जमाराशि इसी भी समय प्रमण्डल की परिदृश्य पूँजी (Paid-up Capital) के दुगने से अधिक नहीं हो सकती है। (vii) उद्योगों की तानिक सलाह—प्रमण्डल ऋण देने वाली कम्पनियों को तानिक सलाह (Technical Advice) देने के लिए तानिक सलाहकार समितिया भी नियुक्त कर सकता है।

(४) ऋण देने की शर्तें (Conditions on which Loans are Granted):—प्रमण्डल कुछ शर्तों के आधार पर ऋण दे सकता है—(i) ऋण कुछ पूर्व निर्धारित उद्योगों को ही दिया जाता है।—ऋण केवल सीमित दायित्व वाली लोक कम्पनियों (Public Limited Companies) को अथवा सहकारी समितियों को दिया जा सकता है। यह केवल वस्तुओं के निर्माण, इनका क्रियान्वयन (Processing), एवं उद्योग, विद्युत निर्माण व वितरण तथा अन्य ऐसे कार्यों के लिए दिया जा सकता है जिनका कि प्रमण्डल विधान में, उल्लेख किया गया है। (ii) ऋण का उद्देश्य य जमानतः—ऋण केवल अचल सम्पत्ति के सरोदरों के लिये अचल सम्पत्ति (भूमि, मकान, अन्न आदि) की आड़ (Mortgage) पर ही दिया जा सकता है। इस तरह कच्छी-सामग्री व पक्के माल की आड़ पर प्रमण्डल कार्यसील पूँजी के लिए ऋण नहीं दे सकता है क्योंकि यह कार्य व्यापारिक बैंकों का है और प्रमण्डल को व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता नहीं करती है। अचल सम्पत्ति की जमानत के अतिरिक्त प्रमण्डल ऋण देने वाली कम्पनी से उसके सचालकों से व्यक्तिगत व सामूहिक जमानत भी लेता है। इस प्रकार वी जमानत इस कारण सी जाती है ताकि ऋण का उपयोग तथा कम्पनी वा प्रबन्ध समूचित रूप से किया जा सके। (iii) ऋणी कम्पनी के सचालक मण्डल में प्रमण्डल के सचालकों की नियुक्ति:—प्रथम प्रमण्डल वी यह अधिकार है कि यह ऋणी कम्पनी के मंचालक मण्डल (Board of Directors) में दो सचालकों की नियुक्ति कर सकता है। ताकि प्रमण्डल दो और से ये यह देखते रहें कि कम्पनी में उनके हितों की रक्षा हो रही है या नहीं। (iv) ऋणी कम्पनी के ताजों का बटवारा:—ऋणी कम्पनी पर यह प्रबन्ध होता है कि

जब तक यह प्रमण्डल के ऋण का भुगतान नहीं कर दे तब तक यह ५% से अधिके वार्षिक लाभाश नहीं बाट सकती है। परन्तु इस दर मे ऋणी कम्पनी तथा प्रमण्डल की सम्पत्ति से परिवर्तन भी हो सकता है। (v) ऋण भुगतान की अवधि—ऋण-भुगतान की अवधि सामान्यतया १२ वर्ष होती है। (vi) ऋण की किस्तें—ऋणों का भुगतान साधारणतया एक-सामान किस्तों मे होगा, परन्तु किस्त की रकम वया होगी महे ऋणी कम्पनी तथा प्रमण्डल दोनों की सम्पत्ति से निश्चित की जायेगी। प्राय ऋण लेने के तीन वर्ष बाद ही किस्तों के रूप मे ऋण का भुगतान आरम्भ होता है। कभी-कभी किस्तों की रकम क्रमागत-वृद्धि दर (Graduate Scale of Instalments) के आधार पर निश्चित की जाती है। (vii) वर्धक सम्पत्ति का बीमा—कम्पनी जिस अचल सम्पत्ति की ग्राह पर प्रमण्डल से ऋण लती है उस सम्पत्ति का बीमा बराना अनिवार्य है।

श्रीदोगिक वित्त प्रमण्डल की क्रियाएँ —प्रमण्डल वे कार्यों वा शारे शार्ने विस्तार होता जा रहा है। प्रमण्डल के जीवन के प्रथम चार वर्षों मे इसे इतनी बड़ा मात्रा मे लाभ प्राप्त हुये कि यह निश्चित लाभाश भी नहीं बाट सबा बरन इस बाल मे उल्टे केन्द्रीय सरकार को इसे २,८६ लाख रुपय सहायतार्थ देने पड़े। प्रमण्डल ने अपने कोपों को बढ़ाने के लिय बन्धो (Bonds) की निकासी की है। सन् १९५२ के अन्त तक इसने ५८१ करोड रुपये के बौद्धि की निकासी की थी। प्रमण्डल न १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, तथा १९५०-५१ मे क्रमशः ३४२ लाख, ७११ लाख, ६५८ लाख तथा १,४०३ लाख रुपये की सहायता देश के प्रमुख उद्योगों वो दी। ऋणों पर ५% से ५३% तक ब्याज की दर निर्धारित की गई है। ठीक समय पर भुगतान बरन पर ३३% ब्याज की दर मे कमी कर दी जाती है। प्रमण्डल ने जून सन् १९५० के अन्त तक १२५ उद्योगों वो कुल मिलाकर २८ करोड रुपये के ऋण दिए जिनम से लगभग १५-२२ करोड रुपये के ऋण नय उद्योगों को तथा दोष १२-२५ करोड रुपये के ऋण पुराने उद्योगों को नवीनीकरण आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए दिए। आर्थिक सहायता प्राप्त उद्योगों मे प्रथम स्थान चीनी उद्योग, द्वितीय स्थान सूती कपड़े का उद्योग तथा तृतीय स्थान सीमट उद्योग वा है। ३० जून १९५५ तक प्रमण्डल वो २४७० लाख रुपये का लाभ हुआ जिसम १५ लाख रुपय सुरक्षित बोप मे हस्तार्तिरत कर दिये गए।

श्रीदोगिक अर्थ प्रमण्डल की आलोचना (Criticism of the Industrial Finance Corporation)—समय-समय पर श्रीदोगिक अर्थ-प्रमण्डल के विधान तथा नार्य-बाहन के विशद अनेक आलोचनाएँ दी गई हैं, जिनमे स कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—(i) प्रू जी के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति—प्रमण्डल अपने विधान के भनुसार केवल बड़े-बड़े उद्योगों को ही आर्थिक सहायता देता है। नू बिं इसके द्वारा छोट-छोट उद्योगों को अर्थ-सहायता नहीं दी जाती है, इसलिए प्रमण्डल प्रू जी के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति रखता है। (ii) प्रमण्डल की नीति पक्षपात्रपूर्ण है—सन् १९४८ मे प्रमण्डल ने उडीसा टैक्सटाइल मिल्स वो ५० लाख रुपये का ऋण केवल इमलिये दिया था क्योंकि इस मिल के साथ प्रमण्डल के सम्बन्ध था (पिहार के प्रूतपूर्व प्रधान मंत्री)। परन्तु

इस आलोचना में अधिक तथ्य नहीं है और यह निराधार है। प्रमण्डल ने ऋण इसलिए नहीं दिया था, वयोंकि उक्त मिल में सम्पत्ति का हित या बरन् यह मिल की सम्पत्ति की समुचित जमानत के आधार पर ही दिया गया था, फिर चाहूँ क्रृष्णी का प्रमण्डल के संचालकों से सम्बन्ध हो या नहीं हो, इसमें हानि ही क्या है? (iii) व्याज की दर ऊँची है:—आलोचकों का मत है कि प्रमण्डल अपने ऋणों पर बहुत ऊँची व्याज की दर लेता है जिसके कारण बहुत कम कम्पनिया इससे ऋण लेने के लिए इच्छुक रहती हैं। परन्तु इस आलोचना में भी अधिक तथ्य नहीं है। प्रमण्डल की वास्तविक व्याज की दर ५२½% है जोकि उसके बर्तमान ऋण-गत्रों (Debentures) की व्याज की दर से बहुत अधिक नहीं है। इसी तरह प्रमण्डल ३८½% दर पर अपने बन्ध (Bonds) बेच कर धन एक्रिवित करता है और इसका कम व्याज वाली अल्पकालीन प्रतिभूतियों से विनियोग करता है (रुपया क्रूणियों द्वारा किस्ती में लिया जाता है)। (iv) ऋणों को स्वीकृत करने में बहुत विलम्ब होता है:—ऋण केवल अचल सम्पत्ति की आड़ पर दिया जाता है। प्रमण्डल को ऋण देने से पहले इस सम्पत्ति के मूल्य व अधिकार के सम्बन्ध में जाच पड़ताल करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त प्रमण्डल को क्रृष्णी की साख्योग्यता, उद्योग का सम्भावी लाभ आदि अनेक बातों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। अतः ऋण के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में स्वाभाविक ही समय भी बहुत लगता है। (v) स्वीकृत ऋणों वो पूरी राशि क्रूणियों द्वारा नहीं ली जाती है:—प्रमण्डल द्वारा स्वीकृत किये गये अद्य तक के ऋणों से पता चलता है कि क्रृष्णी-उद्योगों ने क्रृष्णी की लगभग ५६% राशि अभी तक नहीं ली है जिससे एक तरफ प्रमण्डल को व्याज 'की हानि होती है और दूसरी तरफ यह ऋण भी अधिक कम्पनियों को नहीं देने पाता है। इसलिए अब प्रमण्डल "न लिये गये ऋणों" पर शुक्ल लेने का विचार कर रहा है। (vi) प्रमण्डल का कार्य रुदिवादी रीति से किया जाता है:—इसके कार्यों में दीर्घ-सूक्ष्टता (Red-Tapisim) का बोल बाला है। यह कम्पनियों के आवेदन-पत्रों को थोटे-दोटे 'कारणों (Technical Grounds) के आधार पर रद्द कर देता है। प्रमण्डल को इस प्रकार की कार्य-विधि देश के शौद्योगिक विकास में बहुत बाधक रहेगी। यही कारण है, कि प्रमण्डल अब तक केवल २८ करोड़ रुपये के ऋण प्रदान कर सका है। (vii) अभी गोपन करना, गारन्टी देना तथा क्रृष्ण-पत्रों को खरीदना—आलोचकों का मत है कि प्रमण्डल ने अभी तक क्रृष्ण-पत्रों के अभिगोपन (Under-writing) का कार्य आरम्भ नहीं किया है। इसी तरह इसने क्रृष्ण-पत्रों के खरीदने अथवा इनवी बारन्टी देने का भी कार्य आरम्भ नहीं किया है। (viii) प्रमण्डल ने ऋण मुख्यतः ऐसे उद्योगों को तथा ऐसे राज में दिये हैं जो पहले से ही विकसित हैं।—इस आलोचना में कुछ तथ्य प्रतीत होता है कि प्रमण्डल द्वारा दी गई राशि में से अधिकांश क्रृष्ण चीनी व मूत्री वस्त्र उद्योग को दिय गया है जो पहले से ही विकसित तथा हृद है।

**निष्कर्ष:**— शौद्योगिक वित्त प्रमण्डल की स्थापना हुए अभी धोड़ा समय है हुमा है परन्तु इसने अपने इस अल्प जीवन काल में जो कुछ कार्य किये हैं, वे सराहनी हैं और ये इसकी सहायता के द्योतक हैं। प्रमण्डल दो अपने कार्यों के करने में अने-

कठिनाइया अनुभव होती है—(i) आवेदन-पत्र भेजने वाली कम्पनिया अपनी भावी योजनाओं का पूर्ण विवरण नहीं भेजती है जिससे प्रमण्डल को अच्छा प्रदान करने में कठिनाई होती है। (ii) कुछ कम्पनियों में भूमि पर स्वामित्व कम्पनी वा होता है और कारखानों की इमारत पर स्वामित्व कम्पनी वा होता है। ऐसी अवस्था में प्रमण्डल इस प्रकार की सम्पत्ति की आड पर अच्छा नहीं दे पाता है। (iii) कभी-कभी कम्पनिया अपने आवेदन-पत्रों के साथ जो योजनाएँ भेजती हैं वे अपूर्ण होती हैं क्योंकि ये तात्काल सलाह (Technical Advice) से नहीं बनाई जाती हैं जिससे न तो उत्पादन-व्यवहार के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी दी जाती है आदि। यह स्वामित्व ही है कि जब प्रमण्डल को कम्पनियों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तब वे उनके आवेदन-पत्रों पर विस प्रकार तुरन्त ही अच्छा स्वीकृत कर सकता है? अब यह स्पष्ट है कि प्रमण्डल को अपने कार्यों को करने में अनेक कठिनाइया एवं वाधाओं का सामना करना पड़ता है। परन्तु इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी प्रमण्डल ने प्रशसनीय कार्य किया है और इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल प्रतीत होता है।

### (आ) राज्य श्रीदोगिक वित्त-प्रमण्डल

#### (The State Industrial Finance Corporations)

**प्राक्कर्यन**—भारतीय श्रीदोगिक वित्त-प्रमण्डल का कार्य-क्षेत्र बहुत सीमित है। यह केवल सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कम्पनियां (Public Limited Companies) तथा उन सहकारी समितियों को अद्य देना है जो उत्पत्ति, खनिज व शक्ति-उत्पादन तथा इसके वितरण से सम्बन्धित उद्योगों में लगी हैं। इस कारण प्रमण्डल के कार्यों की कमी को पूरा करने के लिये राज्यों ने राज्य वित्त-प्रमण्डलों (State Finance Corporations) की स्थापना की भाग की ताकि ये नस्याएँ भाव्यमित्र व द्योते पैमाने में उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकें और देश का एक अग्री विकास नहीं होने पाये। इस उद्देश्य को पूर्ति के हेतु निम्नवर सन् १९५१ में लोकसभा में राज्यों को ऐसे प्रमण्डलों को स्थापित करने का अधिकार एक विशेष एकट पास करने प्रदान किया। इस तरह राज्य प्रमण्डल अब उन उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकेंगे जो केन्द्रीय प्रमण्डल से सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम किया गया एकट—स्टेट अर्थ-प्रमण्डल एकट १९५१, जिसी भी प्रान्त में उभी लागू होगा जबकि इस प्रान्त का नाम भारत सरकार की मूची में प्रदानित हो जायगा अर्थात् जिसी भी प्रान्त में एकट को कार्यान्वित करने की विधि केन्द्रीय सरकार द्वारा ही तय की जायगी। स्टेट अर्थ-प्रमण्डल एकट की बहुत सी घाराएँ भारतीय श्रीदोगिक अर्थ-प्रमण्डल एकट की घाराओं से मिलती-जुती हैं, परन्तु कुछ घारों में ये भिन्न भी हैं।

**प्रान्तीय श्रीदोगिक वित्त-प्रमण्डलों की विशेषताएँ**—राज्यों में स्थापित अर्थ-प्रमण्डलों की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(i) पूँजी—जिसी भी प्रान्तीय प्रमण्डल की पूँजी कम से कम ५० लाख रुपये और अधिक ५ लाख रुपये के बीच में हो सकती है। जिसी प्रान्त के प्रमण्डल में जिसी पूँजी रहेगी, इसके लिए केन्द्रीय सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती है। यह पूँजी प्रान्तीय सरकार, रिजर्व बैंक, अनुमूलीकृत बंक,

विनियोग ट्रस्ट, सहकारी बैंक्स, बीमा कम्पनियां आदि अन्य आर्थिक संस्थाओं द्वारा दी जायगी। प्रमण्डल की पूँजी में किस संस्था का कितना भाग रहेगा, यह केन्द्रीय सरकार नी सलाह से ही तय किया जायगा। प्रमण्डल की कुल पूँजी का २५% भाग केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से, जनता को निर्गमित किया जा सकता है और इस भाग का हस्तांतरण स्वतन्त्रता से हो सकता है (भारतीय प्रमण्डल में ऐसी व्यवस्था नहीं है)। परन्तु योग्य ७५% पूँजी का हस्तांतरण तक संस्थाओं तक ही सीमित रहेगा। यदि रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य सब संस्थाओं द्वारा अपने-अपने हिस्से के अंश नहीं खरीदे जा सके हैं, तब प्रांतीय सरकार को इन्हें खरीदने का अधिकार होगा और बाद में इसे इन्हें योग्य संस्थाओं को देने का अधिकार होगा। पूँजी व सामाजिक जमानत प्रांतीय सरकार लेती है।

(ii) जमाएँ (Deposits):—राज्य प्रमण्डलों में जनता द्वारा जमा की गई रकम (ये जमाएँ ५ वर्ष से कम की अवधि के लिए प्राप्त नहीं की जा सकती है) प्रमण्डल को परिदृष्ट पूँजी (Paid-up Capital) से अधिक नहीं हो सकती है। परन्तु केन्द्रीय प्रमण्डल में जनता की जमा प्रमण्डल की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital), के बराबर तक हो सकती है।

(iii) ऋण की अवधि:—स्टेट अर्थ-प्रमण्डल में ऋण अधिक से अधिक २० वर्ष की अवधि तक के लिए दिया जा सकता है और यह संस्था क्रेएन्चर भी अधिक से अधिक इसी अवधि तक के खरीद सकती है या ऐसे पत्रों की गारन्टी दे सकती है, परन्तु केन्द्रीय प्रमण्डल में अवधि अधिक से अधिक २५ वर्ष तक की है।

(iv) ऋण की रकम:—स्टेट प्रमण्डल किसी भी कम्पनी को १० लाख रुपये से अधिक ऋण नहीं दे सकता। परन्तु केन्द्रीय प्रमण्डल किसी भी कम्पनी को अधिक से अधिक १ करोड़ रुपये तक दे सकता है।

(v) अंशों व क्रेएन्चर-पत्रों का अभिगोपन करना—केन्द्रीय प्रमण्डल की तरह राज्य प्रमण्डल की कम्पनियों के निर्गमित अंशों तथा क्रेएन्चर-पत्रों का अभिगोपन (Underwriting) कर सकता है।

(vi) ऋण की जमानत—स्टेट प्रमण्डल किसी कम्पनी को सरकारी तथा अन्य मान्य प्रति-भूतियों (Securities), स्वरूप तथा चल व अचल सम्पत्ति की आड पर ही क्रेण दे सकता है। यह आपने निजी ग्राहकों की जमानत पर क्रेण नहीं दे सकता है और न यह किसी कम्पनी की प्रतिभूतियों को ही खरीद सकता है। केन्द्रीय प्रमण्डल केवल अचल सम्पत्ति की आड पर ही क्रेण दे सकता है।

(vii) प्रमण्डल का प्रबन्ध—इसका प्रबन्ध एक संचालक सभा (Board of Directors) द्वारा होता है जिसमें १० सदस्य होते हैं। इस बोर्ड में ३ सदस्य प्रांतीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, १ सदस्य रिजर्व बैंक तथा १ सदस्य केन्द्रीय प्रमण्डल द्वारा मनोनीत होता है। इनके अतिरिक्त ३ सदस्य अंशधारी आर्थिक संस्थाओं (अनुमूलीक्षण बैंक, सहकारी बैंक्स तथा अन्य संस्थाएं) द्वारा चुने जाते हैं तथा १ सदस्य अंशधारी जनता का प्रतिनिधि होता है। प्रबन्ध-पृष्ठ में १ प्रबन्ध-संचालक (Managing Director) प्रांतीय सरकार संचालक-सभा की अनुमति से नियुक्ति करती है। प्रत्येक चुने हुए संचालक की अवधि ५ वर्ष होती है। प्रमण्डल की एक कार्यकारिणी-समिति (Executive Committee) भी होती है जिसमें एक प्रबन्ध-संचालक (प्रधान) तथा ३ और उदस्य होते हैं। इन तीन संचालकों में से २ संचालक

मनोनीत सचालको द्वारा चुने जाते हैं और १ संचालक चुने हुए सचालको द्वारा। सचालक सभा को सलाहकार समितियों की नियुक्ति बरने का भी अधिकार है।

राज्य औद्योगिक धर्य-प्रमण्डल एकट के अन्तर्गत प्रजाद, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में प्रान्तीय वित्त प्रबन्धनों को स्थापना हो चुकी है।

### (अ) उत्तर-प्रदेशीय औद्योगिक-वित्त प्रमण्डल

(The Uttar Pradesh Industrial Finance Corporation)

उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक धर्य-प्रमण्डल की कृत्य विशेषताएँ (Some Characteristics of U. P. Industrial Finance Corporation) —

(i) प्रमण्डल की स्थापना—सन् १९५१ में बैन्ड्रीय सरकार द्वारा पास किया गया राजकीय वित्त प्रमण्डल एकट के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में एक धर्य-प्रमण्डल की स्थापना हुई जिसने २१ जनवरी सन् १९५५ से वायं भारम्भ कर दिया। इस प्रमण्डल का प्रधान कार्यालय कानपुर में है। (ii) उद्देश्य—इस प्रमण्डल वा उद्देश्य राज्य के मध्यम श्रेणी के तथा छोटे-छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ये मुख्यत यन्त्रों व मशीनों को खरीदने तथा उद्योगों के नवीनीकरण व आवृत्तिकरण के लिये धर्य-सहायता प्रदान करते हैं। प्रमण्डल से सहायता के बाल वे उद्योग व व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिन्हे भारतीय औद्योगिक धर्य प्रमण्डल (बैन्ड्रीय प्रमण्डल) से सहायता नहीं मिल सकती है। इस तरह प्रमण्डल से सहायता या तो व्यक्ति या छोटी छोटी सहकारी समितियों द्वारा उपयोगी कुटीर उद्योग-घघे को चलाने अथवा इसने प्रसार के लिये प्राप्त कर सकती है। (iii) पूँजी व लाभांश—उत्तर प्रदेशीय धर्य-प्रमण्डल की अधिकृत पूँजी ₹ ८ करोड़ रुपये है जो ₹००-१०० रुपये के पूर्ण मुगतान (Fully Paid up) वाले तीन लाख अशो में विभाजित कर दी गई है। आरम्भ म केवल ₹० हजार अर्था ₹० लाख रुपये के बेचे गए हैं और दोष ₹० लाख रुपये के ₹० हजार अर्था प्रान्तीय सरकार जब चाहे तब और जिस प्रकार उचित समझे बेच सकेंगी। इस प्रमण्डल के बर्तमान ₹० हजार अशो का वितरण इस प्रकार है—सरकार ₹८,००० रिजर्व बैंक ₹७,५००, अनुमूलीकद बैंक ₹४,०००, सहवारी बैंक ₹३,०००, ट्रस्ट तथा अन्य आर्थिक संस्थाएँ ₹२,५०० तथा व्यक्तिगत व वित्तीय-संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाएँ ₹५,००० (कुल योग ₹०,००० अरा)। राज्य सरकार ने अशो के मूलधन तथा बम से बम ३२% व्याज की दर (बर-मुफ्त) की गारन्टी दी है। (iv) प्रबन्ध—इस प्रमण्डल का प्रबन्ध ₹० सदस्यों के मचालक मण्डल (Board of Directors) द्वारा सम्पन्न किया जायगा। (v) ऋण—प्रमण्डल सहकारी समितियों को अधिक से अधिक ₹००० रुपये की तथा सहकारी समितियों को अधिक से अधिक ₹०,००० रुपये की आर्थिक सहायता मिल सकती है। ऋणों वा मुगतान विद्यों में किया जा सकता है। ऋण की अधिक से अधिक अवधि २० वर्ष है।

### [आ] राजस्थान औद्योगिक वित्त प्रमण्डल

(The Rajasthan Industrial Finance Corporation)

राजस्थान औद्योगिक वित्त प्रमण्डल की मुख्य बातें (Salient Features of

the Rajasthan State Finance Corporation):—ये इस प्रकार हैं—(i) प्रमण्डल की स्थापना:—केन्द्रीय सरकार द्वारा सन् १९५१ में दनवरी सन् १९५५ में राजस्थान औद्योगिक वित्त प्रमण्डल की स्थापना की जिसने उसी वर्ष संस्थाल में ग्रामना कार्य आरम्भ कर दिया। (ii) उद्देश्य:—प्रन्य राज्यों के प्रमण्डलों की तरह इस प्रमण्डल की भी स्थापना का उद्देश्य—राजस्थान में अध्यम थे ऐसी कंपनी द्वाटे-स्टोट उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि देश में इस प्रकार के उद्योगों का समुचित विकास हो सके। (iii). पूँजी:—इस प्रमण्डल की अधिकृत पूँजी दो करोड़ रुपये है जिसे १००-१०० रुपये के २-लाख-प्रशो में बाटा गया है। आरम्भ में इनमें से केवल १ लाख प्रशो को ही निर्भयता-किया गया है, जिनका वितरण इस प्रकार किया गया है—सरकार ३६००, रिजर्व बंक १५,०००, अनुगूचीयद बैंक, दीमा कम्पनियाँ, ट्रस्ट तथा सहकारी बैंक ४५,०००, तथा आर्थिक-अन्य-संस्थाएँ ५,००० (कुल योग १ लाख रुपया)। प्रमण्डल में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि अधिकत वे वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाएँ कुल प्रशो के २५% से अधिक के अंदायारी नहीं हो सकते हैं। सरकार ने मूलधन तथा बम से कम-३२% बायज की दर की गारंटी की है। (iv) प्रबन्ध:—प्रमण्डल का प्रबन्ध एक-१०-संचालक कमिट्टी (Board of Directors): द्वारा किया जाता है—जिसमें १. प्रधानमंत्री संचालक, २. संचालक, ३. तथा ४. अन्य संचालक है। इन प्रधान-संचालकों में १ रिजर्व बंक, तथा १ उभारतीय-औद्योगिक वित्त प्रमण्डल का प्रतिनिधि भी सम्मिलित है। (v). ऋण:—प्रमण्डल उन अधिकारीयों, कर्मी, कम्पनियों तथा संस्थाओं जो वित्त-व्यायता-देना-जो किसी वस्तु का निर्माण, उनिज कार्य, विद्युत-संचित का निर्माण व वितरण वस्तु का संरक्षण आदि करती हैं। ऋण की रकम १०,००० रुपये से ५०-लाख-रुपये तक हो सकती है। प्रधान प्रत्येक ऋण की अवधि-प्रमण्डल स्वतः ही निर्दिष्ट करेगा परन्तु साधारणतया यह प्रबंधित १०-१२ वर्ष से अधिक नहीं होती है। ऋणों पर ब्याज की दर ६२% है, परन्तु निर्दिष्ट रामबद्ध पर ऋण के वापिस हो जाने पर इसमें २% की सूट दे दी जाती है। ऋण समुचित जमानत के आधार पर दिये जाते हैं। यह प्रबल सम्पत्ति जिसे भूमि, इमारत, मशीन आदि की भाड़ पर ऋण देता है घौर-कड़वी-आमदार व माल (कच्चा व पक्का दोनों) वी जमानत पर ऋण नहीं देता है। ऋण देने के बाले में यह ऋणों कम्पनी के संचालक-मण्डल में अन्ना एक संचालक नियुक्त रहता है, कम्पनी के दो में वी मात्र रहता है, ऋण के बुगतान होने-तक लाभादा पर्सिवन्थ लगता है, कम्पनी के हिसाब-किताब की जाव करने का प्रधिकार आदि प्राप्त करता है।

### कुछ अन्य औद्योगिक वित्त प्रमण्डल

(Some other Industrial Finance Corporations)

#### [अ] राष्ट्रीय उद्योग विकास प्रमण्डल लिमिटेड

(The National Industrial Development Corporation, Ltd.)

: राष्ट्रीय उद्योग विकास प्रमण्डल (लिमिटेड) की कुछ मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of the National Industrial Development Corporation):—ये इस

प्रकार हैं—(i) प्रमण्डल की स्थापना व पूँजी—इसकी स्थापना २० अक्टूबर १९५४ को हुई। यह एक विशुद्ध सरकार संस्था है, जिससे इसे प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी कहा जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन भारतीय कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत १ करोड़ रुपये की पूँजी से हुआ है और यह पूँजी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई है। पूँजी में बृद्धि करने के हेतु प्रमण्डल को अपने शेयर में तथा ऋण-पत्र (Debentures) निर्गमित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों, दंडस व व्यवितयों से जमानाराशि भी प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता के समय इसे ऋण प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। (ii) उद्देश्य—प्रमण्डल का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेक्टर (Public Sector) तथा निजी क्षेत्र (Private Sector) में सत्रुतित श्रीदोगिक विकास करना है। इस तरह प्रमण्डल देश में नये-नये उद्योगों की जाच करेगा और उनकी स्थापना को प्रोत्साहित करेगा। (iii) प्रमण्डल के कार्य—(ग्र) प्रमण्डल व्यक्तियों फार्मों, कम्पनियों तथा सरकारी उद्योगों की सहायता पूँजी, साल, मशीनरी तथा अन्य प्रयोग प्रकार की वस्तुओं के रूप में करेगा। (धा) यह कम्पनियां द्वारा लिए जाने वाले ऋणों की गारंटी करेगा। (इ) कम्पनियों के शेयर में ऋण-पत्रों (Debentures) का अभिगोपन (Under writing) करेगा। (ई) उद्योगों को कुशल व्यक्तियों एवं विदेशीयों की सेवाएं प्रदान करेगा। (उ) देश में श्रीदोगिक विकास के हेतु यह नये-नये उद्योगों की स्थापना तथा व्यवस्था में सहायता देगा और आवश्यकता पड़न पर नई-नई योजनाओं को स्वयं भी मचालित कर सकता है। (ऊ) प्रमण्डल व्यापारिक सम्पादन के साथ साझेदारी (Partnership) भी कर सकता है। (ए) उद्योगों को सहायता देने के हेतु यह कम्पनियों के मचालक-महल में सवाहार अवास सचालक भी नियुक्त कर सकता है। (iv) प्रबन्ध—इस उद्योग विकास-प्रमण्डल का प्रबन्ध एक 'सचालक-समिति (Board of Directors) द्वारा किया जाता है जिसमें वर्म से बम १५ और अधिक से अधिक २५ सचालक हो सकते हैं। प्रमण्डल के सचालकों में वडेवडे वेजानिक, विदेशी, उद्योगपति तथा आय कुशल व योग्य व्यक्ति सम्मिलित किये जाते हैं।

### [आ] श्रीदोगिक साल तथा विनियोग प्रमण्डल लिमिटेड

(The Industrial Credit and Investment Corporation  
of India Ltd.)

भारतीय श्रीदोगिक साल तथा विनियोग प्रमण्डल की मुख्य विशेषताएं (Salient Features of the Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.)

ये इस प्रकार है—(i) प्रमण्डल की स्थापना—इसकी स्थापना ५ जनवरी सन् १९५४ को भारतीय कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत हुई है। इसने अपना कार्य मार्च १९५५ से आरम्भ कर दिया। (ii) उद्देश्य—भारत में निजी क्षेत्र के श्रीदोगिक विकास में सहायता प्रदान करने के हेतु इस प्रमण्डल की स्थापना हुई है। प्रमण्डल नये-नये उद्योगों की स्थापना, पुराने उद्योगों का विस्तार अवास नवीनीकरण व आधुनिकीकरण करने, निजी क्षेत्र में देशी व विदेशी पूँजी के विनियोग को प्रोत्साहित करने, विनियोग बाजार के विस्तार

को प्रोत्साहित करने सथा निजी विनियोग को प्रोत्साहित करने प्रादि के लिये स्वापित किया गया है। (iii) प्रमंडल के कार्य—अपेने उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु प्रमण्डल इस प्रकार कार्य करेगा—(a) मध्यकालीन व दीर्घ कालीन ऋण प्रदान करना, (b) कम्पनियों के प्रशंसों व झण-प्रशों (Debentures) का अभिगोपन (Under-writing) करना, (c) निजी देशों से आने वाले व्यरणों की गारन्टी देना। इससे निजी देशों से व्यरण-प्राप्ति होगी, (d) कम्पनियों को तात्त्विक सलाह (Technical Advice) देना, (e) नीजी देशों में व्यवसायों को प्रोत्साहित करना, (f) उद्योगों में विनियोग को प्रोत्साहित करना। इस तरह प्रमंडल समस्त वे कार्य करेगा जिनसे देश में उद्योगों का विकास तथा वर्धन हो सकेगा। (iv) पूँजी-प्रमंडल की भारित पूँजी (Authorised Capital) २५ करोड़ रुपये है। इसे सौ-सौ रुपये के ५ लाख साधारण शेयरों (Ordinary Shares) में तथा सौ-सौ रुपये के २० लाख अवर्गीकृत शेयरों में विभाजित किया गया है। इस समय तक पूर्ण परिदृष्ट (Fully Paid-up) १००-१०० रुपये के केवल ५ करोड़ रुपये भूल्य के ५ लाख शेयर ही निर्भावित किये गये हैं। इन शेयरों का वितरण इस प्रकार किया गया है—बीमा कम्पनियां २ करोड़ रुपये, अमेरिकन वित्त-मंडल तथा अन्य आधिक संस्थायें १ करोड़ रुपये तथा भारतीय जनता व अन्य भारतीय संस्थायें १५० करोड़ रुपये (कुल योग ५ करोड़ रुपये) प्रमण्डल में इस बात की व्यवस्था की गई है कि शेयरसंहस्तानतरित होकर किसी एक वर्ग के पास एककित नहीं होने पाये। इसीलिये शेयरों के हस्तानतरण के रजिस्ट्रेशन का अधिकार भारत सरकार ने स्वयं अपने हाथ से रखा है। प्रमंडल की पूँजी में वृद्धि करने के हेतु भारत सरकार इसे ७२ करोड़ रुपये के व्याज रहित अग्रिम (Advances) देगा जिसके भुगतान अग्रिम देने के पन्द्रह-वर्ष बाद पन्द्रह किसी में भारत सरकार को किया जायगा। जब तक सरकार का रूपया प्रमण्डल के पास रहेगा, भारत सरकार को प्रमण्डल की संचालक समिति में एक अवन्धक नियुक्ति करने का अधिकार होगा। (v) विश्व बैंक से सहायता—इस बैंक ने प्रमण्डल को भावश्ववतानुसार विभिन्न देशों की मुद्रा में समय-समय पर १ करोड़ रुपये की सहायता देना स्वीकार कर लिया है। इस रकम के मूलधन व व्याज की गारन्टी भारतीय सरकार ने दी है। (vi) सुरक्षित कोष—प्रमण्डल की स्थापना के पाच वर्ष बाद लाभाश का २५% भाग सुरक्षित कोष में हस्तातित कर दिया जायगा। (vii) प्रमण्डल की हानि तथा विलोपन—यदि प्रमण्डल को हानि हो जाये और इस वा दायित्व प्रदत्त पूँजी (Uncalled Capital) तथा अग्रिम (Advances) की कुल मिलाकर राशि का २०% से अधिक हो जाय, तब भारत सरकार, प्रमण्डल तथा विश्व बैंक प्रमण्डल की प्रगति के लिए विचार दिमर्य करेंगे। परन्तु यदि हानि इतनी अधिक हो जाती है कि प्रमण्डल वा दायित्व प्रदत्त पूँजी तथा अग्रिम की कुल मिलाकर राशि वा ३०% से अधिक हो जाता है, तब भारत सरकार को वह अधिकार होगा कि वह विश्व बैंक व प्रमण्डल से विचार विमर्श करने के बाद इसके विनियोग करणे के लिये प्राप्तनाम्पत्र दे दे।

## [इ] राष्ट्रीय लघु-उद्योग प्रमन्डल

(The National Small Industries Corporation Ltd)

राष्ट्रीय लघु-उद्योग प्रमन्डल को कुछ मुख्य बातें (Salient Features of the National Small Industries Corporation Ltd) ये इस प्रकार हैं—(i) प्रमन्डल की स्थापना व उहै इय—भारत सरकार ने सन् १९५५ में छोटे-छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता देने तथा इनको प्रोत्साहन देने के हेतु इस प्रमन्डल की स्थापना की। (ii) प्रमन्डल के कार्य—(iii) प्रमन्डल ऐसे उद्योगों को जिनमें विद्युत-शक्ति वा उपयोग होता है परन्तु ५० से कम अधिक कार्य कर रहे हैं और ऐसे उद्योगों को जिनमें विद्युत शक्ति वा उपयोग नहीं होता है परन्तु १०० से कम अधिक कार्य कर रहे हैं तथा जिन उद्योगों की विनियोजित पूँजी ५ लाख रुपये से अधिक नहीं है, आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। (iv) प्रमन्डल बड़े-पैमाने के उद्योगों तथा छोटे-छोटे उद्योगों में सम्बन्ध स्थापित करेगा। (v) यह छोटे-छोटे उद्योगों के लिये सरकारी आठांरों वा एक उचित भाग प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। (vi) जिन उद्योगों को सरकारी आठांर प्राप्त हो जायेगे उन्हें आर्थिक तथा तानिक सलाह (Technical Advice) प्रदान करना ताकि ये उद्योग सरकारी आठांर का माल तैयार कर सकें। (vii) पूँजी—सरकार ने इस प्रमन्डल की स्थापना एक निजी लिमिटेड कम्पनी (Private Limited Company) के रूप में की है इसकी पूँजी १० रुपये है जिसे सौ सौ रुपये के दस हजार रुपयों में विभाजित किया गया है।

## श्रीद्योगिक वित्त व्यवस्था में सुधार के सुझाव

श्रीद्योगिक वित्त-व्यवस्था में सुधार के सिये सुझाव—(Suggestions for the Improvement of Industrial Finance)—भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा हाल ही में नितने ही प्रकार के श्रीद्योगिक वित्त प्रमन्डलों का निर्माण तथा उद्योगों को अन्य अनेक प्रकार से सहायता देने की स्थापना की स्थापना की जाने। पर भी देश में इस समय श्रीद्योगिक वित्त की असन्तोषजनक व्यवस्था है जिसके कारण भारत का समुचित श्रीद्योगिक एक आर्थिक दिक्षास नहीं हो पा रहा है। देश में इस समय व्यापारिक वेंडों की प्रधानता है जो उद्योगों को दीयंकालीन ऋण के स्थान पर बेचत अल्पकालीन ऋणों को देना ही अधिक उपयुक्त समझते हैं। जिससे देश के उद्योगों व्यापारिक वेंडों से बहुत कम मात्रा में सहायता प्राप्त होती है। इसलिए भारत में श्रीद्योगिक वित्त व्यवस्था की इच्छाएँ जो दूर करने के लिए समय-समय पर कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य मुख्य हैं—(i) अभियोपत्तगृह (Under writing Houses)—भारत में कम्पनियों के घरों तथा अड्डों-पैमानों (Debentures) के अभियोपत्त (Underwriting) की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। भारतीय वेंडों को यह कार्य करना चाहिए और इस तरह इन्हें नये जन्मे उद्योगों की स्थापना में सहयोग देना चाहिये तथा वर्तमान उद्योग को अल्पकालीन अर्थ-सहायता प्रदान करनी चाहिए। भारतीय श्रीद्योगिक वित्त प्रमन्डल तथा राज्य श्रीद्योगिक वित्त प्रमन्डलों का कार्य सौंपा गया है, परन्तु इस ओर इन्होंने कम ध्यान दिया

है। भरतः ने केवल उक्त प्रमन्डलों को यह कार्य स्थीघ्रता से करना चाहिए वरन् देश में अधिगोपन-शृंखों की भी स्थापना होनी चाहिए। (ii) व्यापारिक बैंकों को जर्मन प्रणाली के पाठार पर संगठित करना चाहिए—व्यापारिक बैंकों को उद्योगों की आवश्यकता-पूर्ति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। बड़े-बड़े बैंकों को जर्मन प्रणाली वा अनुकरण करना चाहिए अर्थात् बड़े-बड़े बैंकों का मिल कर एक संघ बना लेना चाहिए (जर्मनी में इसे कन्सोरटियम कहते हैं) ताकि इस संघ द्वारा ये कम्पनियों के अंदरों व बहुण-पत्रों में एक निश्चित मात्रा तक धन काविनियोग कर सकें और इस तरह देश के उद्योगों को सहायता प्रदान कर सकें। धरतः बड़े-बड़े बैंकों को उद्योगों से सम्बन्ध स्थापित करके उन्हें उचित आर्थिक सहायता देनी चाहिए। (iii) व्यक्तिगत जमानत यर बहुण देना चाहिए—व्यापारिक बैंकों को व्यक्तिगत साल पर व्यक्तियों व कर्मी को रपया उधार देना चाहिए (उचित मुरक्का का ध्यान रखते हुए)। पारंचात्य देशों में इसी तरह की प्रथा प्रचलित है जिसके कारण वहाँ के उद्योगों को व्यापारिक बैंकों से बहुत अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती है। (iv) श्रीदोगिक बैंकों की स्थापना होनी चाहिए—कूर्कि व्यापारिक बैंकस उद्योगों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं इसलिए देश में श्रीदोगिक बैंकस की अधिक से अधिक स्थापना होनी चाहिए। भूतकाल में ऐसे बैंकों की असफलता के जो कुछ कारण थे, वे अब नहीं रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार को इस प्रकार की संस्थाओं को बहुत सहायता देनी चाहिए ताकि श्रीदोगिक बैंकस ज्यादा सेज्यादा संस्था में खुल सकें। यद्यपि हाल ही में भारतीय श्रीदोगिक वित्त प्रमन्डल (Industrial Finance Corporation) की स्थापना हुई है जिसने दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति करने के साधन के भभाव को बहुत कुछ दूर कर दिया है, परन्तु अकेली एक संस्था से उद्योगों की आर्थिक आवश्यकता (दीर्घकालीन) की पूर्ति एक सीमा तक ही ही सकती है। (v) श्रीदोगिक बंधक, बैंकस की स्थापना होनी चाहिए—जिस प्रकार कृषि में बृप्तक की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति भूमि-बंधक बैंकों के द्वारा होती है, इसी प्रकार उद्योग में उद्योगपतियों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति श्रीदोगिक बंधक बैंकों से हो सकती है जो उद्योग की अचल सम्पत्ति को बंधक (Mortgage) रख कर रपया उधार देये। (vi) विनियोग ट्रस्टों की स्थापना होनी चाहिए—देश में विनियोग ट्रस्टों की स्थापना से जनता में बन के विनियोग को प्रवृत्ति प्रेरिताहारित होगी। यह अवश्य है कि इस प्रकार की संस्थाओं की संचालन कुशल व ईमानदार व्यक्तियों के हाथ में ही होना चाहिए वरना ग्रकुशल व वेर्मिलीपूर्ण संस्थाओं के द्वाने पर देय में पन की बचत व इसका विनियोग करने यासे व्यक्तियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और यह देश की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। (vii) श्रीदोगिक अर्थ-प्रमन्डल के कार्य में प्रसारः—अब तो केन्द्री में भरतीय श्रीदोगिक अर्थ-प्रमन्डल तथा राज्यों में राज्य श्रीदोगिक अर्थ-प्रमन्डलों की स्थापना हो चुकी है। इन संस्थाओं के कार्यों में बहुत प्रसार किया जाना चाहिए ताकि देश के उद्योगों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कुछ इही के द्वारा ही जा सके। (viii) सरकार कर्मठी ही महत्वपूर्ण निकाहियों को कार्यान्वयित करना चाहिए—सन् १९५३

मेरिजर्व बैंक ने श्री ए० डी० सरफ की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी को नियमी श्रोद्योगिक क्षेत्र (Private Industrial Sector) के लिए वित्तीय साधनों की वृद्धि के सुझाव प्रस्तुत करने थे। इस कमेटी की रिपोर्ट सन् १९५४ में प्रकाशित हुई थी जिसमें इसे नियमी श्रोद्योगिक क्षेत्र में अथ पूर्ति के साधनों की वृद्धि के लिये अनेक सुझाव दिये। इसमें से कुछ मुख्य इस प्रकार है—(अ) व्यापारिक बैंकों को बड़ी बड़ी व कुशल कम्पनियों के अशो व मुरण पत्रों में अपनी राशि वा अधिकाधिक विनियोग करना चाहिये। इन्हे इस प्रकार के पत्रों की साझा पर उच्च दोटि के प्राहकों को अग्रिम (Advances) देना चाहिए। (आ) व्यापारिक बैंकों वो बैंक अपवा प्राप्त में स्थापित निये गए प्रमणडलों के अशो बहुण पत्रों (Debentures) व बैंडों (Bonds) में अपने धन का विनियोग करना चाहिये ताकि एक तरफ तो इन बैंकों के विनियोग की तरलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और दूसरी ओर उक्त वित्तीय सुस्थानों को अपने कार्य सचालन में पूजी का अभाव अनुभव नहीं होने पाये। (इ) जमाकर्ताओं के हितों वीरका वे हेतु जमा दीमा प्रमणडल (Deposit Insurance Corporation) की स्थापना होनी चाहिये। (ई) देश में बैंकिंग तथा विल-बाजार का विकास किया जाना चाहिये। जहा तक हो सके भविक्षित क्षेत्रों में अपवा छोटे छोटे नगरा एवं कस्था भवंकों की शाखाएं स्थापित की जानी चाहिये। बड़े-बड़े बैंकों को छोटे छोटे गावा में बैंकिंग सुविधाय प्रदान करने के हेतु चल-बैंक्स (Mobil Banks) की स्थापन करनी चाहिये। बैंकिंग के विकास के लिए राशि हस्तान्तरण की सुविधाएं बहुत कम मुख्य पर दी जानी चाहिये।

### पचवर्षीय योजनाओं से श्रोद्योगिक वित्त की व्यवस्था

(Five Year Plans and the Industrial Finance)

प्रथम व द्वितीय पचवर्षीय योजना काल में श्रोद्योगिक वित्त की व्यवस्था के लिये मुख्य मुहूर्य कार्य इस प्रकार किये गये हैं—(i) प्रथम योजना काल में तीन भवत्वपूर्ण प्रमणडलों की स्थापना हुई है—राज्य वित्त प्रमणडल (State Finance Corporations) की स्थापना, राष्ट्रीय श्रोद्योगिक विकास प्रमणडल (National Industrial Development Corporation) की स्थापना, श्रोद्योगिक साल तथा विनियोग प्रमणडल (Industrial Credit and Investment Corporation) की स्थापना। (ii) प्रथम योजना काल में भारतीय श्रोद्योगिक वित्त प्रमणडल (Indian Industrial Finance Corporation) के सचालन में सुधार तथा इसके कार्यों में बहुत प्रसार हुया है। (iii) प्रथम योजना काल में श्रोद्योगिक विकास के लिये सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में १७६ करोड़ रुपये के व्यय करने की योजना बनाई गई थी। (iv) इस समय द्वितीय पचवर्षीय योजना काल में श्रोद्योगिक विकास के लिए ८६१ करोड़ रुपये व्यय करने की योजना बनाई गई है।

### परीक्षा-प्रश्न

Rajputana University B.A.

1 Write a short essay on 'Industrial Finance in India.' (1957)

Rajputana University, B. Com.

1. Write a short note on—International Finance Corporation.  
(1959)

Vikram University, B. Com.

1. Write a short note on—International Finance Corporation.  
(1959)

Allahabad University, B. A.

1. उद्योग-धनधो के लिये पूँजी एकत्रित करने में व्या मुख्य कठिनाइयाँ होती हैं, वर्णन कीजिये। भारत में इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया गया है, समझायें।  
(१९५७)

Allahabad University, B. Com.

1. Discuss the broad features of the Commercial Banking in India and show how various agencies for industrial finance are integrated in the country.  
(1956)

Banaras University, B. Com.

1. Write a note on—'New institutions for Industrial Finance in India since 1948.'  
(1949)

### अध्याय ३

## भारत में विदेशी पूँजी

(Foreign Capital in India)

संक्षिप्त इतिहास (Short History)

भारत में विदेशी पूँजी का संक्षिप्त इतिहास—भव से लगभग ४५० वर्ष पहले भारत में पुरानागालियों (Portuguese) ने सर्वप्रथम विदेशी पूँजी का विनियोजन किया था—उन्होंने अपनी पूँजी से कालीकट में एक फैक्ट्री स्थापित की। तत्पश्चात् फ्रैंच, ब्रिटिश सम्बन्ध उच्च अधिकारियों ने अपनी पूँजी भारत में स्थापित की। समय-समय पर भारत में समाई गई पूँजी को हम सीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं :—प्रथम व्यापारिक पूँजी—पठारहवी शताब्दी के प्रारंभ तक भारत में विनियोजित विदेशी पूँजी मूलतः व्यापारिक पूँजी, भी, अर्थात् ब्रिटिश अधिकारियों, ने, भारतीय उद्योगों को, इस प्रशस्त आर्थिक रुद्धायता दी ताकि उन उद्योगों में उत्पादित माल को वे यूरोप में ले जाकर बेच सकें और सांभ करमा सकें। इंग्लैण्ड में घोषित भ्राति के पश्चात् ऐसी नीति में परिवर्तन हो गया और भव ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत से कच्चे-माल का निर्धारित और इंग्लैण्ड से परके माल का धारात भारतम् कर दिया। तब से दाज तक ब्रिटिश व्यापारियों ने अपनी पूँजी का एक यहां भाग इन्हीं व्यापारिक कार्यों में समाया है। लिसेज, ओपोराइक पूँजी—ब्रिटिश सरकार भी पहस्तकेप की नीति (Laissez Faire)

के कारण अठारहवीं शताब्दी के मन्त्र से भारत में, जन्, काकी बड़ी मात्रा में विदेशी पूँजी का विनियोग देश के उद्योग-पर्याप्ति की स्थापना में हुआ है। इस प्रकार के विनियोजन की कई बातों ने बहुत प्रोत्साहित किया है—देश में शान्ति व सुरक्षा, कच्ची सामग्री की ले जाने और विदेशों से पवके माल को साने में जो यातायात व्यय होता है उसमें बचत यदि अमुक उद्योग भारत में ही स्थापित किये जायें, देश में आर्थिक विकास की भारी सभावना और पूँजी के विनियोग के नये नये अवसर (रिल, सड़क, नहर प्रादि में पूँजी का विनियोग), भारतीय पूँजी वा शर्मीलापन तथा देशवासियों में ग्रीष्मीयिक साहस वा अभाव ग्रादि। इस प्रकार वी पूँजी का देश में उभीसवी शताब्दी में बहुत मायात हुमा और बीसवी शताब्दी में भी माय तक इस पूँजी की मायात हो रही है। तृतीय क्रण पूँजी—देश में ग्रीष्मीयिक पूँजी के साथ ही साथ योही बहुत मात्रा में क्रण पूँजी की भी मायात हुई है। इस प्रकार की पूँजी का महत्व हाल ही में बुध वर्षों से बढ़ा है। क्रण पूँजी वह पूँजी है जो भारत में केवल व्याज कमाने के लालच से ग्राती है। विदेशी क्रण-दाता का स्वाय वेवन अपना मूलधन तथा इस पर व्याज कमाने तक सीमित रहा है। याज भारत में क्रण पूँजी की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम है।

### विदेशी पूँजी के लाभ-दोष

भारत में विदेशी पूँजी की आवश्यकता एव लाभ—भारत में विदेशी पूँजी का महत्व अनेक कारणों से बताया जाता है, जिनमें से कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं——(i) देश का आर्थिक विकास—इस समय हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता देश का आर्थिक विकास है। दुर्भाग्य से हमारे पास, इस बाय के लिये पर्याप्त पूँजी नहीं है। यही कारण है कि यद्यपि प्रहृति की भेटों में देश में वाहन्यता है, परतु पूँजी के अभाव में देश में इनका यथाठ शोषण नहीं हो सका है और देशवासी, प्रदुरुत्तर के दीन निघंत हैं। देश के ग्रीष्मीयकरण एव आर्थिक नियोजन (Economic Planning) की सफलता के लिये हम काफी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता है। देश में पूँजी-निर्माण का कार्य भरतव अध्यन करने पर भी आवश्यक गति से नहीं हो रहा है। फलत उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम आन्तरिक व बाहरी दोनों सूत्रों से पूँजी एकत्रित करनी चाहिये और याज हम ऐसा कर भी रहे हैं। अत देश में पड़े वेकार साधनों के अधिकतम उपयोग तथा राष्ट्र की समृद्धि के लिए हमें विदेशी पूँजी की मायात की अधिकाधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। अमेरिका, जापान, हस प्रादि प्रगतिशील देशों ने भी प्राकृतिक साधनों के उपयोग के लिए विदेशी पूँजी का ही उपयोग किया है। (ii) व्यवसायिक जोखिम-ग्रीष्मीयिक विकास की प्रारम्भिक आवस्या में व्यवसायों में जोखिम बहुत होती है तथा व्यवसायों की स्थापना में प्रारम्भिक खर्च बहुत होते हैं जिससे आरम्भ में हानि की बहुत सम्भावना रहती है। विदेशी पूँजी के विनियोग से यह सम्भव रहता है कि व्यवसायों की प्रारम्भिक जोखिम तो विदेशी उठायें और बाद में व्यवसायों के स्थापित हो जान पर इन्हे देशवासियों द्वारा प्राप्त कर लिये जायें। (iii) आपारिक

शान् य प्रबंध-कला की आयात—विदेशी पूँजी की आयात से व्यापारिक ज्ञान व प्रबंध-कला की आयात भी साथ ही साथ हो जाती है। इससे देश में उत्पादन-क्षमता में बहुत वृद्धि हो जाती है। (iv) प्रतियोगिता का बातावरण—विदेशी उत्पादकों से प्रतियोगिता करने के हेतु स्वदेश के उत्पादन की नई-नई, रीतिया अपनानी पड़ती हैं तथा व्यवसाय में अनेक प्रकार के सुपार करने पड़ते हैं। अन्ततः देशवासियों को इस प्रतियोगिता से लाभ पहुँचता है। (v) देश में सम्पत्ति का सृजन—कभी-कभी विदेशी पूँजी देश में ऐसी सम्पत्ति का सृजन कर देती है कि भूलधन व व्याज दो देशों के बाद भी देश में सदा लाभ देने वाली बाफी सम्पत्ति वह रहती है, जैसे—भारतीय रेल, नहरें आदि। अतः यदि विदेशी पूँजी का उत्पादक उपयोग किया गया है तब इसका देश की समृद्धि के लिए बहुत महत्व होता है। (vi) पूँजीगत वस्तुओं की आयात में सहायता—भारत में वर्तमान दशाओं में हमें विदेशों से बाफी बड़ी मात्रा में मङ्गीने, विदेशी सामग्री तथा कभी-कभी भोज्य सामग्री मगानी पड़ रही है। हमारे अधिकांश निर्यात बेलोच हैं जिसके समय-समय पर भुगतान वा सञ्चुलन देश के प्रायः प्रतिकूल रहता है और कभी-कभी विदेशी विनियम (Foreign Exchange) की कठिनाई के कारण हम उक्त पूँजीगत सामान (Capital Goods) विदेशों से नहीं मंगाने पाते हैं। कठिनाई का हल विदेशी पूँजी की आयात से हो सकता है और वास्तव में आज ऐसा ही बहुत कुछ हो रहा है।

भारत में विदेशी पूँजी की हानियाँ—विदेशी पूँजी से देश को अनेक हानियाँ भी होती हैं और हो भी सकती हैं। इनमें से कुछ मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं—(i) भन्दा व्यापार का अनुगमन करना है (Flag follows the Trade):—विदेशी पूँजी के विरोधियों का मत है कि विदेशी पूँजी देश में विदेशियों के ग्राहिक अधिकारों को जन्म देती है और ग्राहिक अधिकार राजनीतिक आधिपत्य को जन्म देता है। इस तरह विदेशी पूँजी से यह दांवा रहती है कि यह देश की आधिक व राजनीतिक स्वतंत्रता को संकट में डाल सकती है। विदेशी पूँजीपति व्यापार करते-करते देश के राजनीतिक दोष में भी हस्तक्षेप करने सकते हैं और कभी-कभी देश के वैष्णविक विकास में भी रोड़ा भटकाने सकते हैं। एशिया में लगभग समस्त राष्ट्रों में ऐसा ही हृष्णा है। इसीलिए आलोचकों ने बहा है कि विदेशी पूँजी का प्रमुख राजनीतिक दोष यह है कि “भण्डा व्यापार के पीछे पीछे चलता है।” (ii) देश के साधनों का विदेशी हित में शोषण:—विदेशी पूँजी से कभी-कभी देश के प्राहृतिक साधनों वा शोषण विदेशियों के हित में होता है। इसके अतिरिक्त देश को विदेशी पूँजी पर व्याज व लाभांश देना पड़ता है। एक अनुभान के अनुसार भारत को प्रतिवर्ष लगभग ३६ लारोड रुपए व्याज व लाभांश के रूप में विदेशी पूँजी के प्रयोग पर देने पड़ते हैं जिससे देश में सम्पत्ति का बढ़त हास होता है। परन्तु बुद्ध व्यक्तियों वा मर्त हैं कि उक्त रकम के विदेशों को चले जाने पर भी भारतवासियों को मजदूरी व रोजगार के रूप में जो लाभ प्राप्त होते हैं, वे कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। (iii) भारतीयों का अवसायिक शिक्षण:—विदेशी पूँजीपतियों ने अपनी भारतीय मिलों व वस्त्र-जारखानों में बहुत ही भेद-भावपूर्ण व पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है। इन्होंने उच्च पदों पर

यूरोपियन्स तथा निम्न व साधारण पदों पर भारतीयों को 'नौकर रखा' जिससे इन्होंने भारतीयों को शिक्षण व अनुभव प्राप्त करने से बचित रखा है। यह नीति भारत के लिए बहुत ही अहितकर सिद्ध हुई है। केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५२ में एक जाच कराई जिससे पता चला कि उस समय भारत में १२५७ विदेशी फर्में थीं जिनमें एक हजार व इससे अधिक वेतन पाने वाले भारतीयों की संख्या २२५८ थी जबकि इसी श्रेणी के विदेशी कर्मचारियों की संख्या ६१६४ थी। इसी तरह इन्होंने दिन प्रति दिन के व्यवहार में भी भारतीय व्यापारियों की तुलना में विदेशी व्यापारियों के साथ सदा रियायतें थीं हैं। अत विदेशी पूँजी से देशवासियों की स्थिति हीन हो जाती है। (iv) व्यवसायों पर विदेशी नियन्त्रण—जब किसी व्यवसाय में विदेशी पूँजी लगी होती है, तब इस पर नियन्त्रण भी विदेशिया का ही होता है। मुख्या व आधार उद्योगों (Basic Industries) में यह स्थिति देश को सकट में कभी भी ढाल सकती है तथा इससे देश की स्वतन्त्रता में कभी भी वाधा पड़ सकती है। (v) देश में पूँजी का नियन्त्रण—हमारे देश में विदेशी पूँजी की आयात बनी रहने के कारण, देश में पूँजी का नियन्त्रण पर्याप्त गति से नहीं हो सका जिससे देश के आर्थिक विकास बीमारी शक्ति हुई है।

निष्कर्ष—विदेशी पूँजी के उपरोक्त दोष बहुत कुछ विदेशी पूँजी के न होकर ये विदेशी नियन्त्रण के हैं। राष्ट्रीयता की हालिया से भी विदेशी पूँजी की आलोचना में कुछ सत्यता प्रतीत होती है। परन्तु इससे यह समझ लेना बहुत बड़ी भूल होगी कि विदेशी पूँजी प्रत्येक दशा में बुरी ही है। यदि विदेशी पूँजी की आयात के साथ विदेशी प्रबन्ध व नियन्त्रण नहीं आये, तब समुचित नियन्त्रण द्वारा विदेशी पूँजी के उपयोग से पूरा-पूरा साम उठाया जा सकता है और देश के आर्थिक विकास में इससे बहुत सहायता ली जा सकती है। अत सबसे भविक दोष औद्योगिक पूँजी की आयात में है और आजकल भारत में इसी की प्रधानता भी है। यह स्पष्ट है कि हमें इस प्रकार की विदेशी पूँजी पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिये। परन्तु देश में इस पूँजी की आयात को प्रोत्साहित करना चाहिये क्योंकि इस प्रकार की पूँजी में विसी प्रकार का भय नहीं रहता है।

### भारत सरकार की नीति

भारत सरकार की विदेशी पूँजी सम्बन्धी वर्तमान नीति—भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व सरकार ने विदेशी पूँजी के दोषों की गम्भीरता पर कभी भी ध्यानपूर्वक विचार नहीं किया था उसने सदा विदेशी पूँजीपतियों को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान की। यद्यपि समय समय पर विदेशी पूँजीपतियों (सन् १९३५ की विदेशी पूँजी समिति तथा नेशनल प्लानिंग कमेटी आदि) ने सरकार का ध्यान इस और आर्कापृत करने का प्रयत्न किया, परन्तु सरकार ने कभी भी उनकी बातों को नहीं माना और इस ओर पूर्णतया तटस्थ रही जिससे देश की राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में बहुत हानि हुई है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने विदेशी पूँजी की समस्या पर विचार किया और ८ अप्रैल सन् १९४८ को आर्थिक नीति प्रक्यन (Industrial Policy

Statement) में सरकार ने अपनी विदेशी पूँजी सम्बन्धी नीति को भी घोषणा करदी। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि देश में भारतीय पूँजी के साथ ही साथ विदेशी पूँजी की भी आवश्यकता है परन्तु उसने विदेशी पूँजी से सम्बन्धित कुछ शर्तों को भी स्पष्ट कर दिया। कुछ मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं—(i) विदेशी पूँजीपतियों को भारत सरकार की श्रीदोगिक नीति के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। भारत सरकार विदेशी उद्योगों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी जो भारतीय ज्योगों पर लागू नहीं होगे। सरकार अपनी श्रीदोगिक नीति ऐसी बनायेगी कि परस्पर लाभ की हार्दिकता भारत में विदेशी पूँजी की ओर प्रधिक विनियोग हो सके अतः सरकार देशी-विदेशी पूँजी में कोई भेद-भाव नहीं करेगी और दोनों के बीच सहयोग स्वापित करने का प्रयत्न करेगी। (ii) विदेशी सामान्य नियमों का पालन करते हुये लाभ कमा सकते हैं और अपना लाभ व मूलधन भारत से निकाल-भी सकते हैं। खापा-जेजने सम्बन्धी जो सुविधाएं प्रहले थीं, वे आगे भी रहेंगी। (iii) विदेशी कर्मचारी उन पदों पर रखे जा सकते हैं जिनके लिये उपयुक्त व योग्य भारतीय कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु प्रभुत्व का बहुमत व नियन्त्रण भारतीयों के ही हाथ में रहेगा तथा विदेशी कर्मचारियों को भारतीयों के शिक्षण की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। (iv) जब कभी विदेशी कर्मचारियों को सरकारी प्रधिकार में लिया जायगा तब उचित प्राधार पर धति-पूर्ति दी जायगी। (v) जब तक विदेशी कर्मचारियों भारत की श्रीदोगिक नीति के अनुकूल रचनात्मक तथा सहयोगी कार्य करती रहेंगी, तब तक भारतीय सरकार उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचायेगी। भारत की विदेशी पूँजी सम्बन्धी नीति का समय-समय पर स्पष्टीकरण किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि भारत सरकार ऐसी विदेशी पूँजी का स्वापत करेगी जिससे राजनीतिक शर्तें जुड़ी हुई नहीं हैं परन्तु जहाँ पर विदेशी पूँजी लगी हुई है, वहाँ पर स्वामित्व व नियन्त्रण में भारतीयों का बहुमत होगा तथा भारतीयों की शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था की जायगी।

### विदेशी पूँजी की वर्तमान स्थिति

भारत में विदेशी पूँजी की वर्तमान स्थिति—प्रथम पंचवर्षीय योजना—भारत को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में साल १९५६-करोड़-एप्यू-की विदेशी पूँजी मिली है। इसमें विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त राशि भी सम्मिलित है। इस पूँजी का प्रभुत्व भाग प्रमेरिका से प्राप्त हुआ है। इस देश से २३८-करोड़-एप्यू-की पूँजी मिली है जिसमें से १२६-६० करोड़ एप्यू का अर्णु और एप्यू सहायता के रूप में प्राप्त हुआ है। सन् १९५५-५६ के अन्त तक इस बुल रहायता में से २०४ करोड़ एप्यू तो व्यय दिये जा सके हैं और दोष रकम को दूसरी पंचवर्षीय योजना में व्यय दिया जायेगा। विभिन्न देशों से प्राप्त राशि का व्योरा इस प्रकार है—प्रमेरिका २६-०४ करोड़ डालर प्राप्त हुआ ६६ साल पौंड, कनाडा ७-०७ करोड़ डालर, न्यूजीलैंड १६-४० साल पौंड, फोर्ड फाउन्डेशन ८० साल डालर, नार्वे १ करोड़ के नूर तथा विश्व बैंक ६-१० करोड़ डालर। (ii) द्वितीय पंचवर्षीय योजना—द्वितीय योजना में यह भारत की गई है कि योजना काल के अन्त तक ८०० करोड़ एप्यू की प्राप्ति सहायता विदेशी से प्राप्त हो

जायेगी (लगभग १६० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष)। इसके प्रतिरिक्त—इस योजना में ४०० करोड़ रुपये का घाटा भी दिखाया गया है। इस घाटे की पूर्ति भी विदेशी बृहण से होने की आशा है। अब तो अमेरिका, रूस व ब्रिटेन के अतिरिक्त कांस, पश्चिमी जंगली, इटली, स्वीटजरलंड, जापान तथा चेनोस्लेविया भादि देशों से भी आधिक सहायता प्राप्त होने लगी है। भारत को न बेदल युद्ध-क्रोप व विश्व बैंक से वापी बढ़ी मात्रा में बृहण मिल रहा है बल्कि अमेरिका के भायात नियंत्रित बैंक (Import-Export Bank) से भी वाकी बृहण मिल रहा है। विदेशों की व्यक्तिगत फर्में भी भारतीय उद्योगों में साझेदारी के आधार पर पूँजी लगारही हैं जिसस देश में अनेक उद्योगों का विस्तार हुआ है।

हमारे देश में विदेशी पूँजी के उपयोग के सम्बन्ध में बाकी बाद विवाद रहा है। एक ओर आचार्य बिनोबा जी और उनके साथी हैं जो देश के स्वायत्तम्बन के पक्ष में हैं और दूसरी ओर साम्यवादी विचारक हैं जो असाम्यवादी (Non-Communistic) देशों की हमारे देश में बढ़ती हुई पूँजी को शका की दृष्टि से देखते हैं। परन्तु सरकार ने देश में आधिक विकास के लिये विदेशी पूँजी के सहयोग को अनिवार्य माना है और इसे बहुत प्रोत्साहित भी किया है। यद्यपि पिछले दिनों देश की राष्ट्रीय बृहण की नीति ने विदेशी पूँजीपतियों को सरकार कर दिया, परन्तु सरकार द्वारा उन्हें अनेक प्रवार के आश्वासन दिये जाने के कारण अब फिर विदेशी पूँजी काफी मात्रा में भारत में आकर्षित हो रही है। स्वयं सरकार ने अनेक उद्योग पास, स्वीटजरलंड, रूस, ब्रिटेन व अमेरिका के सहयोग से आरम्भ किये हैं। यह सच है कि जितनी अधिक मात्रा में विदेशी पूँजी भारत में आकर उगेगी, उठना ही उनका पूर्ण राष्ट्रीय बृहण कठिन हो जायेगा। परन्तु आद्योगिक विकास के लिये लक्ष्य आ आवश्यक विदेशी पूँजी के उपयोग व सहयोग को अनिवार्य एवं आवश्यक बता रहा है। विद्वानों वा मत है कि द्वितीय योजना काल में हमें जितनी विदेशी सहायता मिलने की आशा है, वह नहीं मिल सकेगी। फलतः हम विदेशी सहायता एवं अनुदान पर निर्भर नहीं रहना चाहिये वरन् इस ओर हम आत्म-निर्भर बनना चाहिये।

# उत्तर कैसे लिखें ?

(How to answer a question ?)

**प्रावक्षयन**—यह प्रतिदिन का भनुभव है कि जब विद्यार्थी अर्थशास्त्र को परिभाषा देकर परीक्षा भवन से बाहर निकलता है और अपने सब साधियों से बात-चीत करके, जब वह किसी प्रश्न-पत्र में प्राप्त हो सकने वाले नम्बरों का जोड़ लगाता है, तब प्रायः उसका यह अनुमान बहुत अच्छा होता है। कभी-कभी यह देखने में आर्ता है, कि एक परिश्रमी द्वात्र यद्यपि प्रथम श्रेणी के नम्बर प्राप्त करने की आशा करता है, परन्तु जब वास्तुतः में नम्बर आते हैं, तब पता चलता है कि या तो उसके दूसरी श्रेणी के नम्बर आये हैं, या वह उस प्रश्न-पत्र में फेल है। इसके विपरीत कभी-कभी एक सामान्यतः असाधारण दिल्लाई देने वाला द्वात्र परीक्षा में अच्छे भंक प्राप्त कर लेता है। ऐसा क्यों होता है ? इसका एकमात्र कारण यह है कि उक्त परिश्रमी विद्यार्थी प्रश्नोत्तर लिखने की कला से अनभिज्ञ है जबकि उक्त द्वितीय श्रेणी का विद्यार्थी इस कला से कम-अधिक परिचित है। इसलिये नीचे हम प्रश्नोत्तर लिखने की कला के सम्बन्ध में कुछ बातें का उल्लेख कर रहे हैं:—

(१) प्रश्न-पत्र का घटन:—परीक्षा में प्रश्न-पत्र के प्राप्त होते ही इसे सावधानी से धीरे-धीरे पढ़ना आरम्भ करना चाहिये। एक बार प्रश्न-पत्र को पढ़ने के बाद दुबारा इसे धीरे-धीरे ब्रैसमेंट-समझौते कर पढ़ना चाहिये; और जो प्रश्न अच्छी रुरह याद हैं, उन पर चिन्ह लगाना चाहिये। सदुपरान्त प्रश्न-पत्र में तिसे नोट को पुनः पढ़ना चाहिये और जिनमें प्रश्नों के उत्तर लिखने का आदेश दिया गया है, चिन्हित प्रश्नों में से उतने ही प्रश्न घाँट लेने चाहिये।

(२) प्रश्नों का चुनाव:—अर्थशास्त्र में प्रश्न प्रायः दो प्रकार के होते हैं—प्रथम Reflective रूपा द्वितीय वर्णात्मक (Descriptive)। प्रथम प्रकार के प्रश्नों में प्रायः दिसी अर्थशास्त्री द्वारा कहा गया या लिखा गया वाक्य होता है और विद्यायियों को यह प्रादेय होता है कि वे उस उद्धरण Quotation वो समझायें। उद्धरण के तिये— “अर्थशास्त्र धन का विकास है इस व्यष्टि को पूर्णतया समझाइए। प्रायः Reflective प्रश्न के होते हैं जिनमें दिसी परिमाणा अवधारणा दिसी सिद्धान्त की व्याख्या कराई जाती है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर भक्तर ऐसे विद्यार्थी लिखते हैं जिनकी विषय की तंत्रोंरी अच्छी है। यह सच है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर में न बेवल भंक अच्छे मिलते हैं बरन् उत्तर में लिखना भी असम पड़ता है। परन्तु द्वितीय प्रकार के प्रश्नों में बहुत लिखना पड़ता है। और जब तक विषय भी बहुत अच्छी विवेचना नहीं की जाए, उच्च-स्तर के भंक नहीं मिल पाते हैं जिन्हुंने इनमें उत्तीर्णीक (Pass Marks) तो प्रायः मिल ही जाते हैं। जबकि

प्रथम वर्ग के प्रश्नों के उत्तर में तीनका सी यत्तरी हो जाने पर शून्य (Zero) तक दिया जाता है द्वितीय वर्ग के प्रश्नों के उत्तरों में शून्य की नौवत समझ है कभी भी नहीं आती है जब तब कि प्रश्न मूलतः गउत ही नहीं समझा युगा है। इससे यह स्पष्ट है कि विद्यार्थिया को दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को चुनता चाहिये। यह भी स्मरण रहे कि विद्यार्थिया को नोट्स (Short Notes) बाला प्रश्न भी अवश्य लिखना चाहिये वयोंकि यद्यपि इस प्रकार के प्रश्न में कुछ अधिक निष्कर्ष पड़ता है, परन्तु अब प्रीक्षा वृत्त अधिक मिल जाते हैं।

(३) समय वा उचित विभाजन —यूनिवर्सिटीयों में परीक्षा का समय तीन घण्टे का होता है और प्राय १० म से ५ प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। आपको प्रश्न पत्र को दो तीन बार धीरे धीरे सावधानी से तथा समझ कर पढ़ना चाहिये जिसमें स्वाभाविक ही ५-१० मिनट लग जायेंगे। आपको प्रश्नों को दुहराने के लिये भी १०-१५ मिनट रखने चाहिये। इस तरह पाच प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिये लगभग हाई या पीने तीन घण्टे बचते हैं। अक्सर प्रथम प्रश्न के निखने में ४०-४५ मिनट लग जाते हैं जबकि सबसे पहले उसी प्रश्न का उत्तर लिखा जाता है जो सबसे अधिक याद होता है। इस तरह चार प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिये लगभग २ घण्टे बच रहते हैं। इस स्थिति में इनमें से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिखने में आध घण्टे से अधिक नहीं लगना चाहिये। अत परीक्षा में अपने समय का विभाजन इस प्रवार बरना चाहिए कि नियत समय में पांच प्रश्नों के उत्तर निख जा सकें। यहां यह बात स्मरण रहे कि परीक्षा में पांच प्रश्नों के उत्तर ही निखे जाने चाहियें क्योंकि पांच प्रश्नों पर, यद्यपि वे बहुत अच्छे भी नहीं लिखे गये हैं, उन दो या तीन प्रश्नों की तुलना में जो बहुत अच्छे लिखे गये हैं अक्सर अधिक नम्बर प्राप्त हो जाते हैं।

(४) उत्तर का आकार (Size) —प्राय विद्यार्थी यह पूछा करते हैं कि उत्तर कितने पृष्ठों में होना चाहिये? इस प्रश्न का उत्तर असत् प्रश्न पर और अंशत् सेखन दोनों पर निभर रहता है क्योंकि सभी प्रश्नों के निये बोई समान आवार नहीं रखता जा सकता है। प्रश्नोंतर के पृष्ठों की सल्ला इसलिये भी ठीक नहीं बतलाई जा सकती क्योंकि कुछ विद्यार्थी बहुत बड़े-बड़े अग्र निखते हैं तब कुछ विद्यार्थी बहुत छोटे-छोटे अक्षर लिखते हैं तथा अपने कुछ विद्यार्थी दबदा के बीच में बहुत अधिक स्थान छोड़ते हैं। यह स्पष्ट है कि किसी उत्तर का आवार मूलतः प्रश्न के स्वभाव पर और अंशत् विद्यार्थी के लख तथा लखन का पर निभर रहता है। यह भी स्मरण रहे कि सब प्रश्नों के उत्तर समान आवार के नहीं हैं—यदि कुछ प्रश्नों के उत्तर ४-५ पृष्ठों में लिखे जा सकते हैं तब कुछ अपने प्रश्नों के उत्तर १० या इससे भी अधिक पृष्ठों में लिखे जा सकते हैं परन्तु साधारणतः अन्य बातें ठीक-ठीक रहने पर अर्थात् अक्षरों की बनावट व बहुत बढ़ी और न बहुत छोटी रहने पर अवश्य दबदो के बीच में रिक्त स्थान भी साधारण रहने पर इसी प्रकार वा उत्तर ३ या ८ पृष्ठों से अधिक नहीं लिखा जाना चाहिये। सुक्षिप्त टिप्पणी के लिए २३ या तीन पृष्ठ ही पर्याप्त होते हैं। विद्या-

विद्यों का यह विचार विस्तुत गतत है कि परीक्षक प्रायः पृष्ठ गिनकर नम्बर देते हैं। परीक्षक अपने कार्य में बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिये वे ठीक-ठीक आवार के उत्तर ही अधिक पसंद किया करते हैं।

(५) उत्तर लिखने का ढंगः—प्रश्नों का उत्तर एक निवन्ध के रूप में लिखा जाना चाहिये। उत्तर को प्रायः तीन भागों में बाटा जा सकता है—(i) भूमिका (Introduction), (ii) मुख्यांश (Mainbody) तथा (iii) निष्कर्ष (Conclusion)। (i) भूमिका के भारम्भ में 'भूमिका' या 'परिचय' एक या दो पेरों में लिखा जाना चाहिये भूमिका को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिये। किसी अर्थशास्त्री अद्वा लेखक के वचन के उद्धरण (Quotation) से भूमिका प्रारम्भ की जा सकती है। यह स्मरण रहे कि यदि प्रश्न विसी उद्धरण (Quotation) के रूप में है, तब उसका भारम्भ या अन्त भी प्रायः उसी उद्धरण से होना चाहिये। इस तरह भूमिका को लिखने के पश्चात् उत्तर का मुख्यांश भारम्भ करना चाहिये। (ii) मुख्यांश (Mainbody):—विसी उत्तर में मुख्यांश सबसे बड़ा भाग होता है। प्रायः यह ५-६ पृष्ठों में होता है। इस भाग को कई प्रनुच्छेदों (Paragraphs) में लिखना चाहिये और स्थान-स्थान पर आवश्यकतानुसार कितने ही थोटे-थोटे शीर्षक (Sub-Headings and Points) दिये जाने चाहिये। उत्तर इस प्रकार लिखने में न केवल विद्यार्थी अपने उत्तर में अनावश्यक सामग्री को नहीं लिखेगा बरन् यह अपने उत्तर को उचित कर्म में लिख सकेगा जिससे एक और समय की बचत होगी और दूसरी ओर नम्बर भी अधिक प्राप्त हो सकेंगे। इसके प्रतिरिक्त परीक्षक भी बहुत कम कठिनाई से उत्तर-पुस्तिका को जान सकेगा। (iii) निष्कर्ष (Conclusion):—किसी उत्तर का यह अंत भी भूमिका की तरह महत्वपूर्ण होता है। इस भाग में उत्तर का सार लिखा जाता है और भावी आमाएँ भी व्यक्त की जा सकती हैं। इस भाग को पृथक् से एक प्रनुच्छेद (Paragraph) में लिखा जाना चाहिये। प्रायः यह भाग घाँटे पृष्ठ में पर्याप्त रहता है।

यह स्पष्ट है कि प्रश्न चाहे Reflective हो, या वर्णात्मक (Descriptive) हो, परन्तु इसमें कभी-कभी विसी अर्थशास्त्री अद्वा लेखक के वचनों को उद्धरत (Quote) किया जाता है। यदि उद्धरण की ठीक-ठीक भाषा याद नहीं है, तब उन्हें Inverted Comas में नहीं लिखना चाहिए बरन् लेखक अद्वा अर्थशास्त्री के विचारों को उनके नाम से सम्बन्धित बरके इन्हें अपनी भाषा में लिख देना चाहिये। उद्धरणों को हिन्दी अद्वा अंशों जो दोनों में में किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। इसे रेखांकित कर देना चाहिये ताकि परीक्षक या द्यान इसकी ओर आवश्यित हो जाए। परिभाषा दद्द भी अपेक्षी भी कोप्टक में लिखें जाने चाहिए। परन्तु जब कभी भी अङ्गरेजी शब्दों अद्वा अद्वा अंशों का प्रयोग किया जाए, तब शब्दों में हिङ्गे (Spelling) ठीक होने चाहिये। गलत हिङ्गे होने पर परीक्षक पर भुरा प्रभाव पड़ता है और यह इस कारण प्रायः नम्बर भी बम देता है। गलत उद्धरण (Quotations) देने की अपेक्षा अपने शब्दों में ही अर्थशास्त्री अद्वा लेखक के विचार सारोंग में देना अधिक हितकर होता है।

(६) मच्छे उत्तर की घन्य बातें —कोई विद्यार्थी जिसी प्रदन का उत्तर लिखते समय यदि निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगा तब वह निःन्देह ही उस उत्तर पर —भपेक्षाहृत अधिक नम्बर प्राप्त कर सकेगा। ये बातें इस प्रकार हैं—(i) फाउनटिन पेन में स्थाही—विद्यार्थियों को परीक्षा के कुछ ही समय पहले कोई मच्छी स्थाही खरीदनी चाहिये। यह स्थाही ऐसी हो जो सूखने पर बाकी चमकीली तथा गाढ़ी लगे ताकि परीक्षक को उत्तर पढ़ने में बहुत मुश्किल हो सके। कोई स्थाही का परिणाम फीके (कम नम्बर) होते हैं। (ii) फाउनटिन पेन का निव—धारजकल ६०% विद्यार्थी फाउनटिन पेन का उपयोग करते हैं। कुछ विद्यार्थी तो इम्तहान से दो चार दिन पहले ही फाउनटिन पेन खरीदते हैं। यह ठीक नहीं है। आप को परीक्षा के लिये कम से कम दो फाउनटिन पेन तैयार करने चाहियें। इनकी तैयारी का अर्थ है कि परीक्षा में तिए आप ऐसे फाउनटिन पेन अलग उठाकर रख दें जिन्हे आपने काफी समय तक इस्तेमाल किया हो। ऐसा करने पर फाउनटिनपेन आपको परीक्षा में पोका नहीं दे सकेगा और आप इनकी सहायता से जल्दी-जल्दी उत्तर लिख सकेंगे। परन्तु इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि आपका निव धिस कर आपके हाथ पर ठीक बैठ जायगा। प्राय विद्यार्थी परीक्षा में उत्तर बहुत पतले निव के फाउनटिन पेन या होल्डर से लिखते हैं। यह ठीक नहीं है। यदि निव बहुत भोटा नहीं है, तब यह बहुत पतला भी नहीं होना चाहिये—यदि निव कुछ भोटा है तब यह मच्छा ही है क्योंकि तब आप स्वत कुछ बड़े-बड़े व ठीक-ठीक अक्षर परीक्षा में लिखेंगे। बहुत पतले निव से लिखा उत्तर, प्राय परीक्षक कठिनाई से पढ़ने पाता है। जिससे वह भुझलाकर या तो आपका उत्तर ही पूरा नहीं पढ़ता और यदि पढ़ता है तब काठ छाट कर डालता है और आपको बहुत ही कम नम्बर देता है। अत जितना सुन्दर लेख होगा शब्दों व अक्षरों की बनावट जितनी सुन्दर व साफ होगी, स्थाही जितनी गाढ़ी व चमकीली होगी, प्राय बातें समान रहने पर, परीक्षक उतने ही अधिक नम्बर देता है। (iii) उत्तरपुस्तिका में हाशिया (Margin)—यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी यो उत्तर-पुस्तिका में प्रयोग उत्तर के प्रत्येक पृष्ठ पर केवल बाई और कुछ हाशिया छोड़ना चाहिये। यह एक इच्छा से लेकर १२३ इच्छा चौटाई तक का होना चाहिये। यदि हाशिया इससे अधिक छोटा है या पृष्ठ के बाई ओर भी अनावश्यक ही हाशिया छोड़ना है, तब परीक्षक को यह महसूस हो जाता है कि विद्यार्थी ने अनावश्यक ही पृष्ठों की सरण बढ़ाने वा प्रयत्न किया है जिससे उसमें उसे कम नम्बर देने वी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। (iv) उत्तर का प्रारम्भ तथा प्रदन समय—प्रत्येक प्रदन के उत्तर का प्रारम्भ उत्तर पुस्तिका में सदा एव नये पृष्ठ से ही करना चाहिये। हाशिये में पृष्ठ की सबसे ऊपर वाली पर्ति में उस प्रदन का नम्बर लिखिये जिसका उत्तर लिखना आपने उस पृष्ठ पर प्रारम्भ किया है। प्रदन का नम्बर ज़रूर ही हो जो प्रदन पत्र में उस प्रदन के पहले दिया है। यदि आपने प्रदन को पांच पृष्ठों में लिखा है तब इसका अर्थ यह नहीं है कि आप प्रदन का नम्बर भी स्वत पांच पृष्ठों पर लिखेंगे। अत प्रदन का नम्बर केवल एक बाटा उत्तर के प्रारम्भ करते समय ही लिखना चाहिये। (v) उत्तर से जिन्हे-जिसी प्रदन के उत्तर में यदि कोई रेकाचित्र बनाया जा

उक्ता है तब यह प्रवर्ण ही बनना चाहिये, चाहे प्रश्न में यह चिन बनाने के लिये वहा  
गया हो या नहीं भी वहा गया हो। (vi) हिन्दी के साथ ही साथ फ्रॉ-र्ही अंग्रेजी  
शब्दों का प्रयोग— उत्तर में कुछ सास-खास अर्थशास्त्र के शब्दों के साथ हीं साथ इनके  
पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द लिखदिए जाएं तब उत्तर अच्छा लगता है, परन्तु यह वही-रही  
होना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जिनकी अंग्रेजी बहुत बढ़ोर है, इस ओर बदल न उठायें  
यरना लाभ के स्वान पर उन्हें हानि अधिक होगी। (vii) उत्तर में शीर्षक- अर्थशास्त्र  
के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में कुछ मुश्य बातें लिखी जाती हैं। विद्यार्थियों द्वारा इन  
मुश्य बातों को अलग-अलग पैरे से क्रम-सूच्या देकर लिखनी चाहिये और प्रत्येक पैरे  
का जहां तक सम्भव हो शीर्षक (Heading) भी लिखना चाहिये। शीर्षक पहिले  
हिन्दी में और बाद में यदि अंग्रेजी में लिखा जाय तब तो बहुत ही उत्तम होगा।  
परन्तु जिन विद्यार्थियों द्वारा जिनकी अंग्रेजी नहीं है, उन्हें अंग्रेजी में शीर्षक नहीं लिखने  
चाहिये। शीर्षक लिखने के बाद इनके नीचे एक साफ सीधी लाइन दोनों ओर च देनी चाहिए ताकि  
परीक्षक घटुत धारानी से इस बान को जान जाये कि अमुक पैरे से बया बान लिखी  
गई है? परीक्षक को उत्तर पढ़ने में जितनी सुविधा होती है प्राप्त। यह उतनी ही  
धारानी से अधिक नम्बर भी देवेता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी भी अपने उत्तर  
देकार वी सामग्री नहीं लिखने पाता है क्योंकि वह तो अपना उत्तर कुछ मर्दों  
(Points) के भर्तगत ही लिख रहा है।

उक्तलिखित सभ बातें, एक बहुत ही अच्छे व उच्च-स्तर के  
उत्तर में आवश्यक है। यह स्वाभाविक ही है कि विद्यार्थी इन सब  
बातों का जितना अधिक पालन करेंगे, अर्थशास्त्र जैसे विषय में वे  
उतने ही अधिक नम्बर प्राप्त कर सकेंगे।

## परिशिष्ट २

## Syllabuses.

Agra University B Com. Pt. I. Exam. 1961

Paper II—Currency and Banking.

(N. B.—The treatment should be elementary)

Currency—Importance of money, Various kinds of Money, The standard in a Currency System, Essentials of a good currency system, The Currency Standards, Quantity Theory of Money, Inflation and Deflation, Index Numbers, Methods of Note Issue, Specific Points and

Purchasing Power Parity. The Indian Currency System since 1926.

**Banking—The nature of Banking, Types of Banks.** Functions of a modern banker, banking operations, Banking and Money Market, Fluctuations in Bank Rate in Relation to Trade, Industry & Commerce, The Indian Banking System Exchange Banks, Joint Stock Banks: Co-operative Banks. The Imperial Bank of India, The Reserve Bank of India, Defects of Indian Banking Organisation, Lines of future banking development.

### Bihar University B Com Exam 1961

**Paper IV—Money & Banking.**

**Money—Nature, meaning and functions of Money, kinds and classification of Money, Theories of Value of Money, Measurement of value of Money, Prices and Credit, External Value of Currency, Control of Price Level.**

**Banking—Functions and economic significance of different kinds of banks, Their resources and operations, special problems of Commercial, Industrial and other banks**

**Banking Administration - Central Bank.**

**Foreign Exchanges : Exchange Control.**

**Indian Banking : Modern and Indigenous**

### Delhi University, B. Com. Exam. 1961

**Paper IV—Banking, Currency and Foreign Exchange.**

**Money—Its evolution and functions, kinds of money including bank money, Money and Prices, The Quantity Theory, Fisher's, Pigou's and keynes' equations, Economic consequences of changes in price level, Monetary Standards, Gold Standards, The Goal of Monetary Policy.**

**Banks and the creation of credit. The cheque and the clearing house system, Banking and economic development, Industrial and Agricultural Banking, Investment Houses. The Stock Exchanges, The Money Market Banking and the Price-level.**

**Central Banking Theory and Technique, Central Banking and Monetary Policy Central Banking and Budgetary Policy, Trade Cycles, International co-ordination of Central Banking.**

**Foreign Exchanges—The Theory of Purchasing Power Parity, Stable V/S Flexible Exchanges Devaluation and Depreciation. The International Monetary Fund, The International Bank for Reconstruction & Development.**

**Indian Banking—Brief description of types of Indian Banking and their working. Banking Failures in India, Banking Legislation and Banking Reform in India. The Indian Currency system—its evolution and present position The Reserve Bank of India**

### Rajputana University, B. Com. Exam 1961 and 1962

**Part II—Banking and Currency.**

**(Same for Two year and Three year courses)**

**Note—Candidates are not expected to possess a detailed knowledge of the subject.**

**Currency**—The functions of Money, qualities of good money material, importance of Money, Various kinds of Money, Quantity Theory of Money Value, Inflation and Deflation. Index Numbers. Various Methods of Note Issue, War and the ruin of the Gold standard.

**Banking**—The nature of Banking, Types of Banks, Functions of Modern Banker. Banking Operations, Banking and Money Market, Fluctuations in Bank Rate in relation to trade, industry and commerce.

**The Indian Currency System**—A brief historical retrospect from 1870 to 1925. Recommendations of the Hilton Young Commission 1926, the present currency system in India.

**Indian Banking System**—A detailed study of the Indian Money Market, Exchange Banks, Joint Stock Bank, Co-operative Banks, the State Bank, The Reserve Bank of India, Defects of Indian Banking Organisation, Lines of future banking development.

**International Trade and Foreign Exchange**—Advantages of Foreign Trade, International Currency, Mint Par, Specie Points, Fluctuations in the Rate of Exchange, Exchanges during the War and Post-War Exchange.

**Sagar University, B. Com. Exam. (Three Years Course) 1961**

**Note**—The book covers completely the old B. Com.

### Syllabus of "Money, Banking and Exchange."

**Group II-Paper III—Money, Banking, Foreign Exchange & Public Finance.**

1. **Money**—(i) Importance, origin and early history, definition, functions, (ii) Monetary Standards, Bi-metallism and Mono-metallism, Gold Standard—Kinds of Gold Standard, Managed Currency standard, Gresham's Law (iii) Systems of Note Issue—Govt. V/S Bank Note Issue; Single V/S Multiple Note Issue; Various Methods of Note Issue, Right Principle of Note Issue, (iv) Value of Money, Meaning and importance of the fluctuations in the Value of Money, Measurement of price changes, Index Numbers, Simple & Weighted, Demand for Money, Supply of Money, Quantity Theory of Money, Inflation, Deflation, Reflation-Their effects on society.

2. **Banking**—Creation of credit by a bank and its limits, employment of banker's funds, Principles and Safety and Liquidity, Functions of a Central Bank, Reserve Bank of India—Rural Finance, Agricultural Credit Deptt., Balance-sheet of a Bank, Banker's Clearing House.

3. **Foreign Exchange**—The mechanism of foreign exchange, the methods of international payments, Mint Par, Rate of Exchange, Fluctuations in the Rate of Exchange; Courses, effects, remedies and methods of exchange controls, Purchasing Power Parity Theory, Devaluation—courses and effects.

4. **Public Finance**—Public Revenue, classification, Meaning of Taxable Capacity, Factors determining taxable capacity of a nation, Canons of taxation, impact and incidence of taxation, Direct and Indirect Taxes, Principal Taxes in India.

**Author's Note—Sagar University, B. Com. Exam. 1961** Students should read and if necessary, purchase my book named as—"Mudra, Banking, Videshi Vinimeya, Antarashtriya Vyopar tatha Rajasva, Latest Edn." meant for B. A. students also. ('मुद्रा बैंकिंग, विदेशी वातिमय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राजस्व) ।

### Jabalpur University; B. Com. Pt. I. 1961

#### Group II—Paper II—Money, Banking, and Exchange

**Money**—Meaning of Inflation and Deflation, their economic effects, the problem of stability of prices, The Quantity Theory of Money, its critical estimate, Gresham's Law in relation to Bi-metallism

**Banking**—Creation of credit by a bank and its limitations, Overdrafts and cash credits, advances, Clearing House Stages in its development, procedure and economic advantages, factors determining the liquidity and safety of a bank, Differences between Commercial Banking and Central Banking, Functions of a Central Bank The Balance sheet of a bank

**Foreign Exchange**—The mechanism and methods of international payments, functions of foreign exchange, fluctuations in rates of exchanges causes, effects and remedies, the purchasing power parity theory, Devaluation

**Indian Currency**—General features of exchange during 1920-25, Principal Recommendations of the Hilton Young Commission, The limited Gold Bullion Standard The ratio controversy The proportional reserve system of Note Issue The Currency Act of 1921, General conditions of exchange between 1927 and 1931 The linking of the rupee to Sterling causes of large export of Gold, effects of World War II on Indian Currency Govt Currency measures, Currency after the devaluation of the rupee

A brief history of the Indian Paper Currency, present Paper Currency System in India,

### Vikram University, B. Com. Exam. 1961

#### First Year B. Com. Course Departmental Examination

##### (3) Elements of Currency & Banking

**(a) Currency**—The origin of money, barter, grain payments, Money & its functions Coins and the currency system Legal Tender, Standard & Token Coins, Legal Basis of Money, Mint Par, Price of Gold or Silver Parity of Exchange, Gresham's Law, Paper currency, Convertible and Inconvertible Credit Instruments, Bills of Exchange, Cheques Hundies

**(b) Banking**—The functions of a bank, Balance sheet The Cheque System, Clearing House, Means of inland remittance, Growth of Banking in India, Mahajans, Chettis, Shroffs, Early Joint Stock Banking the Presidency Banks, The State Bank The Present Joint-Stock Banks, European & Indian, Govt Control of Banks, Information

to be made Public, other means of protecting customers, Post Office Savings Banks, An elementary treatment of the present System of Currency (including Paper Currency in India)

**B. Com. Part I. Exam. 1961 (University Examination.)**

**Part II—Currency & Banking**

(N. B. The treatment should be elementary)

**Currency**—Importance of Money, Various kinds of Money, Essentials of a good currency system, The Currency Standards. Quantity Theory of Money, Inflation and Deflation, Index Numbers, Various Methods of Note Issue, Specie Points & Purchasing Power Parity, The Indian Currency system since 1926.

**Banking**—The nature of Banking, Types of Banks, functions of a modern banker, banking operations, Banking & Money Market. Fluctuations in Bank Rate in relation to Trade, Industry & Commerce. The Indian Banking System:—Exchange Banks, Joint Stock Banks Co-operative Banks, The State Bank of India, The Reserve Bank of India, Defects of Indian Banking Organisation.

**Gorakhpur University. B. Com Pt. I. Exam. (1961)**

**Paper V—Currency & Banking.**

**1. Currency**—Importance of Money, Various kinds of Money, The Standard in a currency system, Essentials of a good currency system, The Currency Standards, Quantity Theory of Money, Inflation & Deflation, Index Numbers, Various methods of Note-issue, Specie Points & Purchasing Power Parity. The Indian Currency System since 1926.

**2 Banks & Banking System**—Nature & functions of credit, Credit Instruments, Nature & functions of a bank, Banks and the creation of credit, The Cheque & the Clearing House System, Loans, Deposits, & Reserves—the Theory of Commercial Banking. Classification of Banks & functions of different types of banks, Principles & technique of Central Banking

**3. Banking System of India**—Money Market, Capital Market, Money lenders & indigenous bankers, Joint Stock, & Foreign Exchange Banks, Industrial Banks, Investment Banks, Trustees, Industrial Finance Corporations, Co-operative Banks, Land Mortgage Banks, The State Bank of India, The Reserve Bank of India and its role as the Central Bank, Defects & Problems of Indian Banking System, State regulation & nationalisation of Banking.

**4 Foreign Exchange**—Nature of International Trade & Payments, Functions of the Foreign Exchange Market, The Rate of Exchange, depreciation & devaluation, objections & technique of exchange control.

## परिशिष्ट ३

### परीक्षा प्रश्न-पत्र

**BIHAR UNIVERSITY, B. Com. 1960**  
**Money & Banking**

1. Show how Money has assumed evolving forms according to the nature of services required of it
- 2 How are the changes in the value of Money determined ? Point out the difficulties in measuring these changes
- 3 Explain why and how inflation breeds deflation and deflation breeds inflation
- 4 What are the different kinds of transactions which create the demand for foreign currencies in a country ? Review briefly the policy of exchange control in India during the last few years.
- 5 Discuss the main features of the Gold Standard Account for its breakdown shortly after its re-introduction in 1925
- 6 "Banks are not merely traders in Money but also in an important sense manufacturers of Money—" Discuss
- 7 Examine the efficacy of the bank rate and the open market operations as instruments of credit control. Can you suggest improvements to make them more effective in India ?
- 8 Describe the position and functions of the State Bank of India
- 9 How far has it been successful in providing credit to rural areas ?
9. Outline the recent trends in Indian Banking. What part has the Reserve Bank of India played in the development of sound banking in the country ?
10. Examine the recent banking legislation for regulating Joint Stock Banks in India

**Jabalpur University B. Com 1960**  
**Money, Banking, Exchange**

- १ मूल्यों के स्थायी रहने के लाभ बताइये, मूल्यों में उतार चढ़ाव होने के कौन कौन मुख्य कारण हैं ।
- २ आधुनिक वाणिज्य और उद्योग के लिये प्रत्यय (साल) के लाभ बताइये । प्रत्यय (साल) किस प्रकार घटती बढ़ती है । पूरण रूप से समझाइये ।
- ३ भारत के संयुक्त स्वाधीनियों के मुख्य दोषों को बतलाइये । नये कानून द्वारा इन दोषों को दूर करन में कहा तक सफलता मिली है ।
- ४ बैंक के प्रत्यय (साल) से आप क्या सम्भवते हैं ? भारतीय रिजर्व बैंक इस पर विस प्रकार नियन्त्रण करता है ?
- ५ किसी देश के मौद्रिक प्रभाव (Monetary Standard) से आप क्या समझते हैं ? किसी मुद्रा प्रणाली को सत्तापनन्दन की तरफ से बदलने के लिये कौन-कौन बात आवश्यक है ? भारतीय उदाहरण देकर समझाइये ।
- ६ द्वितीय महायुद्ध के समय तथा उसके बाद भारतीय अर्थपत्रों (Notes) में बृद्धि के कारण बताइये । इसके आधिक प्रभाव समझाइये ।
- ७ दो देशों के बीच विनियम दर विस प्रकार निर्धारित होती है ? पूरण रूप से समझाइये ।
- ८ विनियम दर में उतार-चढ़ाव होने के कारण का विस्तैयण कीजिये ।
- ९ क्रय-चार्ट समाँहता सिद्धान्त (Purchasing Power Parity Theory) का वर्णन कीजिये । इसकी मरमदायें क्या हैं ?
- १० स्वर्ण विनियम प्रभाव Gold Exchange Standard जिस स्वर्ण में भारत में प्रचलित हुआ, उसकी मुद्द्य-मुख्य बात बतलाइये । इस प्रणाली

में किन बारणों से परिवर्तन करना पड़ा ? १६. नोट लिखिये—(अ) प्रबन्धित चल्यर्थ (Managing Currency), (आ) विपत्र, (इ) अधिकोष विवरण, (ई) समाशोधन-गृह, (उ) विकृत विपणी क्रियाएँ (Open Market Operations)।

**RAJPUTANA UNIVERSITY, B. Com., 1960**

(Two Years Course)

**Second Paper—Banking and Currency**

1. 'A just tribute to the World Bank would be that the world would be poorer without it, for the under-developed countries owe to it the many smiling fields and green pastures which relieve the vast arid deserts of their economy.' Explain this statement with particular reference to the loans given to India.
2. Differentiate between—  
(a) Actual money and Money of account. (b) Commodity money and Representative money. (c) Legal tender money and Optional money.
3. Critically examine the working of Purchasing Power Parity Theory.
4. Distinguish between the gold exchange standard and the gold bullion standard proposed by the Hilton Young Commission. State your views on the latter as a scheme of currency arrangement for the country.
5. Discuss the use of—(a) Dearness allowances. (b) Consumers' subsidies, and (c) Raising the rates of interest on government loans, as methods of reducing the inflationary prices.
6. Write notes on—(a) Land Mortgage Banks. (b) Buy high, sell low; better the bill, lower the rate.
7. Distinguish indigenous, co-operative and joint-stock banks from one another, so as to bring out their peculiar features in relation to aims, constitution and working.
8. Describe the need and objects of credit control. How does a Central Bank control credit?
9. Point out the salient features of the India Paper currency system as it exists at present.
10. Write short notes on any three of the following—(a) Fiat paper money. (b) Negotiable crossing. (c) Re-Finance Corporation. (d) Open market operations. (e) Parallel standard.

**SAGAR UNIVERSITY, B. Com. 1960**

**Banking & Public Finance**

**Group II—Paper III**

1. What are Bank Deposits? Discuss the origin of Bank Deposits.
2. Discuss the functions of Commercial Banks.
3. Carefully examine the functions of the Reserve Bank of India.
4. Discuss the importance of (a) Liquidity (b) Profitability in the investment of funds by Commercial Banks.
5. Critically examine the importance of Bank Rate as an instrument of Credit Control.
6. Discuss the various Cannons of Taxation.
7. Discuss the Problem of Incidence of Taxation under a Competitive economy.
8. Describe the main features of either the Income-Tax or Land Revenue in India.
9. Discuss the concept of Taxable Capacity.
10. Examine the advantages and disadvantages of direct and indirect taxes.

# हमारे महत्वपूर्ण प्रकाशन

१. अर्थशास्त्र की रूप-रेखा (तेरठा सस्करण)  
(इंटर मिडियेट तथा हायर सेकेन्ड्री कक्षाओं के लिए)  
ले० प्रो० आनन्द स्वरूप गर्ग, एम० ए०, मेरठ कालिज, मेरठ
२. वाणिज्य अर्थशास्त्र की रूप-रेखा (चतुर्थ सस्करण)  
ले० प्रो० आनन्द स्वरूप गर्ग, एम० ए०, मेरठ कालिज, मेरठ।
३. मुद्रा या बैंकिंग की रूप-रेखा  
ले० प्रो० आनन्द स्वरूप गर्ग, एम० ए०, मेरठ कालिज, मेरठ।
४. भुदा, बंगि, विदेशी विनियम अतर्राष्ट्रीय व्यापार  
राष्ट्रीय आप तथा राजस्व (नृतीय सस्करण)  
(वी. ए. वी. बाम कक्षाओं के लिए )  
ले० प्रो० आनन्द स्वरूप गर्ग एम० ए०, मेरठ कालिज, मेरठ।
५. भारतीय संविधान तथा राष्ट्रीय आन्दोलन  
(वी. ए. कक्षाओं के लिए )  
ने० डा० भास्मरी व प्रो० रस्तोती
६. नागरिक शास्त्र के मूल सिद्धान्त (पचम सस्करण)  
ले० प्रो० नेमिशरण मित्तल एम० ए०
७. भारतीय ल-जौवर और शासन व्यवस्था (द्वितीय सस्करण)  
ले० प्रो० नेमिशरण मित्तल एम० ए०
८. भारत का इतिहास भग १ व २ (तृतीय सस्करण)म  
(इंटर मिडियेट तथा हायर सेकेन्ड्री कक्षाओं के लिए )  
ले० प्रो० दया प्रबाल, एम० ए० मोदी कालिज, मोदीनगर।
९. Algebra for B. A. & B. Sc. Students  
Prof J. N. Sharma and Prof. J. C. Sharma M. Sc.
१०. Analytical Chemistry for B. Sc. Students.  
Prof Kashiva and Saxena
११. बीजगणित (इंटरमीडियेट कक्षाओं के लिये)  
ले० प्रो० मित्तल, गुप्ता व गोयेन्द ---
१२. माध्यमिक प्रायगिक रसायन शास्त्र (इंटरमीडियेट कक्षाओं के लिये)  
ले० प्रो० शर्मा व मुखर्जी
१३. प्रायोगिक भौतिक शास्त्र  
ले० प्रो० एम० पी० गर्ग व प्रो० सी० वी० वैश्य।
१४. मौलिक रसायन गणित (Chemical Calculation)  
ल० प्रो० जय कृष्ण खन्ना एम. एस. सी.
१५. Rajhans Gen English (for Intermediate classes)  
Prof M. K. Prem, M. A.
१६. Rajhans Gen English (for Intermediate classes)  
Prof. R. Dayal

राजहंस प्रकाशन मन्दिर, मेरठ (उ० प्र०)